January to March 2020,
E-Journal
Volume I, Issue XXIX

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

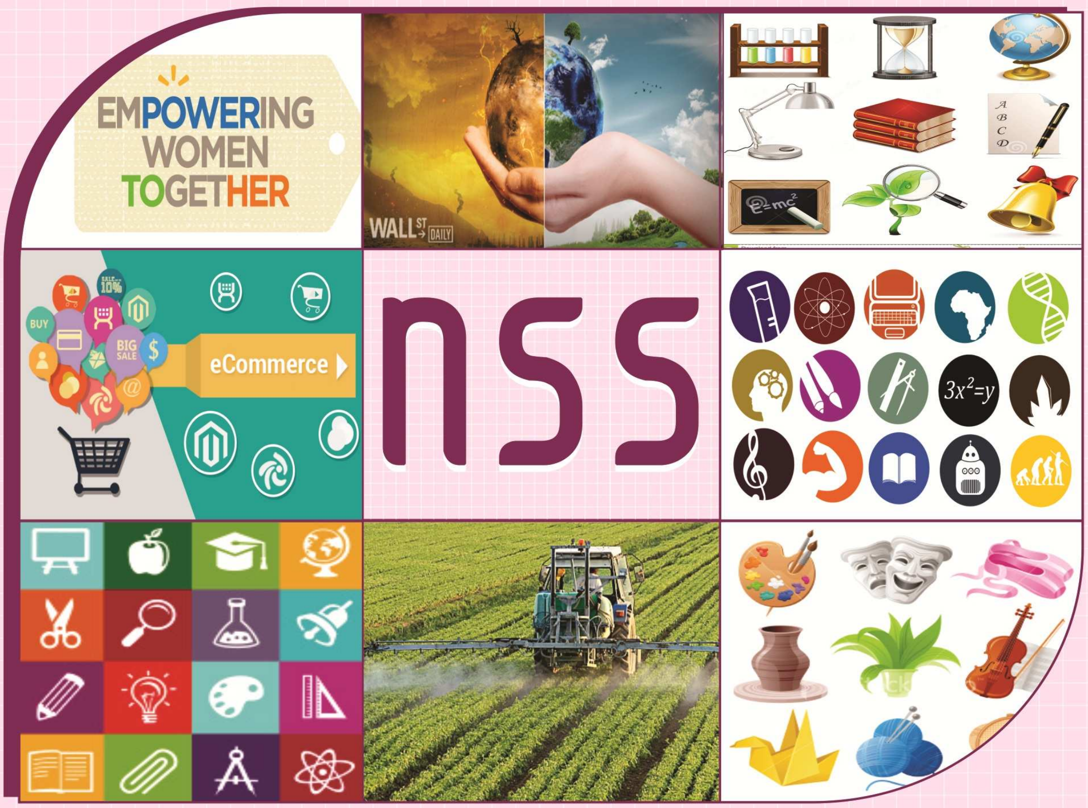

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. “Shree Shyam Bhawan”, 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 07/08
03. Referee Board 09
04. Spokesperson 11
05. शौचालय उपयोग तथा रख-रखाव की प्रवृत्ति गिर्वा पंचायत समिति के संदर्भ में एक अध्ययन (डॉ. दीपक भटनागर) 13
06. 21 वी. सदी में कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता (डॉ. कपिल खरे) 16
07. पश्चिमी निमाड़ की जनजातीय संस्कृति का वैशिष्ट् (सुरसिंह जामोद, डॉ. परमेश्वर दत्त शर्मा) 18
08. विद्यालयों में छात्रों के सीखने में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व - एक अध्ययन (डॉ. विभा तिवारी, अभिजीत वी. तिवारी) 20
09. भारतीय साहित्य में 'करुणा' की यात्रा : आवश्यकता एवं चुनौतियों के सन्दर्भ में (डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ) 23
10. जनसंख्या वृद्धि रोकथाम में सार्वजनिक सेवा विज्ञापन की भूमिका (डॉ. दीपमाला गुप्ता, श्वेता कानूनगो) 26
11. भारत में कम नगद अर्थव्यवस्था : चुनौतियां एवं संभावनाएं (डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर, डॉ. जी. एल. मालवीय) 29
12. ग्वालियर दुर्ग में जल प्रणाली की विवेचना (डॉ. ममता खोईया) 33
13. 'राम की शक्ति पूजा' के आलोक में कवि का जीवन संघर्ष (डॉ. राजाराम परते) 34
14. भारतीय पराक्रम का प्रतीक- समुद्रगुप्त (डॉ. शुक्ला ओझा) 37
15. The Pain of Unrequited love in "MARTYR" of Katherine Anne Porter (Dr. Anita Tripathi) 40
16. English Language : The major factor in personality development of rural students 41
(Dr. Pallavi Parte, Smt. Poonam Dhurwey)
17. Conflict between romanticism and realism in "THAT TREE" of K.A. Porte (Dr. Anita Tripathi) 43
18. Bhagvat Gita Is An Authentic Key to Acquires Happiness (Dr. Sunita Arya) 45
19. The Well-being of Slum Dwellers (Vaishali SambodhanDhammapathee) 47
20. Sri Jagannath Temple of Puri-Historical Background and Facts (Kartikeswar Patro, Dr. Amrita Singh) .. 52
21. भील महिलाओं में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति (रतलाम जिले की भील महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में) 56
(विजयसिंह मण्डलोई, डॉ. हरिकृष्ण बड़ोदिया)
22. वर्तमान भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका : संसद में प्रतिनिधित्व के आधार पर (डॉ. भावना ठाकुर) 60
23. भारतीय लोककला और बघेलखंड के भित्तिचित्र (डॉ. ज्योति सिंह) 63
24. जल संचयन एवं संरक्षण की परम्परागत तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग में परिवार की भूमिका 65
(डॉ. कलिका डोलस)
25. Study to Pre and Post Knowledge of Female Nurses Towards Care of Neonate During 67
Phototherapy, Indore (M.P.) (Kamlini Vincent)
26. Study on Diary Retail Challenges in India (Dr. Sangeeta Dhar, Vikas Sah) 70
27. महिला केन्द्रित बैंकिंग योजनाएं - अध्ययन एवं विश्लेषण (डॉ. मीना कीर) 75
28. ग्रामिण महिलाओ में शिक्षा के प्रभाव एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन (डॉ.ममता खपेडिया) 77
29. शासकीय एंव अशासकीय कामकाजी महिला संकाय के प्रति कार्यस्थल पर सामाजिक, आर्थिक असमानता की 80
स्थिति का अध्ययन (डॉ. मनीषा सक्सेना, अदिति जोशी)
30. सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्तर्गत सिवनी क्षेत्र का जंगल सत्याग्रह (1930-1934 ई) (डॉ. रामबिलास मरकाम) 83
31. Frost as a Poet of Rural Life (Shobha Sharma) 85
32. Enviornmental Awareness Legislation of Management (Gayatri Yadav) 87

33. Photocatalytic Removal of phenothiazine Dye using Titanium dioxide (David Swami) 90
34. Bhabani Bhattacharya's Aesthetics of Fiction (Dr. Neha Gupta) 94
35. Effect of *Pterocarpus marsupium* (Vijayasaar) on Residual Beta Cell Function in Recent Onset Type1 Diabetes (Dr.Bharti Taldar, Dr. Rohitashv Choudhary, Dr. Ritvik Agrawal, Dr. R.P. Agrawal) 97
36. सिरोही जिले में पर्यटन विकास : एक अध्ययन (डॉ. रेणु जटाना, कन्हैया लाल) 103
37. उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम से प्राप्त 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की उपयोगिता का अध्ययन (करुणा तिवारी) 107
38. अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के (6 से 12 वर्ष तक) आक्रामक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन - (धार जिले की कुक्षी तहसील के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. निर्मला सिंह, गनबाई डावर) 109
39. महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन (डॉ. पी. के. चतुर्वेदी) 112
40. महात्मा गाँधी जी के आर्थिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता (डॉ. शक्ति जैन) 115
41. किशोरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने के लिए संतुलित आहार एवं सामान्य आहार का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. शैलजा त्रिवेदी, डॉ. ओमनारायण तिवारी) 118
42. विद्यार्थियों की उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम का प्रभाव (अमिता बैनिवाल) 122
43. Minor Forest Produce in Chhattisgarh (Jitendra Kumar Sharma) 125
44. Innovation in Education - Need of the hour (Dr. Neha Jain) 127
45. A analytical study of effectiveness of M-Commerce (Dr. Nirmala Kushwah) 129
46. Status Of Rural Women Entrepreneurs In Karnataka (Dr. Usharani B) 131
47. Long Term Variations Behavior of Solar Activity (Lokendra Kumar Borker) 135
48. Chemical Constituents and Medicinal uses of Achyranthes aspera of Indian Flora (Supriya Chouhan, Dr. Anil kumar Gharia, Dr. Dhananjay Dwivedi) 138
49. भिलाला जनजाति की लोक-संस्कृति पर आधुनिकता का प्रभाव (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में) (जितेन्द्रसिंह अवास्या) 140
50. पर्यावरण संरक्षण -जन आन्दोलन एवं युवा भागीदारी (डॉ.शकुन शुक्ला, डॉ.मनीषा मिश्रा) 143
51. फ्लैण्डर की अंत:क्रिया विश्लेषण विधि द्वारा कक्षा का अवलोकन (जैनेन्द्र सिंह) 146
52. Gandhiji's Ideology On Women Empowerment (Dr. Rajni Dubey) 149
53. An Analytical Study on Brand Loyalty for Cement Industry (Dr. Vasudev Mishra, Deepa Sharma) 151
54. Effectiveness Of Different Sales Promotion Techniques For LED Tv (Dr. Anurag Mehta, Naisarg Gopalchandra Shah) 154
55. Effectiveness Of Advertisements Of Car Loan In Small Cities (Dr. Anurag Mehta, Ghadiyali Anandkumar) 156
56. समकालीन स्त्री कहानीकारो की कहानियों में स्त्री चेतना (झेलम झेंडे) 159
57. माल एवं सेवाकर पर एक अध्ययन ठाठीपुर क्षेत्र (ग्वालियर) के सन्दर्भ में (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध) 161
58. अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (समष्टि-प्रेम) के विविध आयाम (डॉ. अनुकूल सोलंकी) 164
59. मूल्य आधारित शिक्षा (डॉ. ममता बर्मन) 167
60. Bio Physical Techniques and Devices for Health Care (Dr. Avinash Dube) 169
61. Herbal Therapy for Social Welfare (Dr. Kumud Dubey) 171
62. Identity versus role confusion the complicated truth (Himani Vishnoi) 173
63. Tradition or curse on one part of the society (Dr. Shweta Sharma, Ms. Varnika Sharma) 176
64. A Comparative Study of Achievement Motivation Among Government and Private School Going Students (Dr. Pushpinder Kaur, Amita) 178
65. काव्य शास्त्रों में मंगलाचरण (दुर्गेश लता भगत) 181

66. प्रकीर्ण साहित्य : असमिया लोक साहित्य के संदर्भ में (श्रीमती जोनटि दुवरा) 183

67. उपेन्द्रनाथ अश्क के नाट्य-साहित्य में चित्रित मध्यवर्गीय समाज का आर्थिक पक्ष (डॉ. तरूणा यादव) 186

68. कोरोना - वर्तमान अर्थव्यवस्था की मंदी का कारण (डॉ. तबस्सुम पटेल, आकाश जोशी) 188

69. Artificial aromas in Indian Food : A Report (Karan J. Yagnik) 191

70. साहित्य में कहानी का समाजशास्त्र (डॉ. नेहा कल्याणी) 193

71. औचित्यविचारचर्चा में कालिदास की समीक्षा : औचित्यानौचित्य का प्रश्न (डॉ. विनोद कुमार शर्मा)............... 196

72. बालक बालिकाओं द्वारा फास्ट फूड उपभोग पर विज्ञापनों का प्रभाव : सागर शहर के संदर्भ में 200
(डॉ. आराधना श्रीवास)

73. बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड के सर्वेक्षित ग्रामों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से प्रभावित ... 202
एवं अप्रभावित अनुसूचित जनजाति के आय स्रोत एवं आय स्तर के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन (डॉ. के.के.शर्मा)

74. Information and Communication Technologies: Pros and Cons 209
(Dr. K.R.Kanude, Mrs. Moulshree Kanude)

75. Synthesis and Spectral Characterization of Iron based Nanoparticles 212
(Hemeshvari Dadhore, Charanjit Kaur)

76. फैशन का आधुनिकरण और युवा भविष्य (कु. दीपा काण्डपाल) 215

77. छत्तीसगढ़ राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना का अन्त्योदय परिवार पर प्रभाव का अध्ययन 218
(राकेश कुमार गुप्ता, डॉ. प्रतिमा बैस)

78. Relevance of ancient Indian medical therapies in contemporary Medical Science 223
(Dr. Abha Saini, Dr. Sushma Saini)

79. पं. रूद्रदत्त मिश्र के बाल साहित्य की समालोचना (डॉ. आभा मिश्रा) 224

80. A Study on the Performance of Mukhyamantri Swarozgar Yojana for the Socio-Economic 226
Development of Society (Dr. Rekha Lakhotia, Rakhi Kushwah)

81. A Study On Investor's Attitude Towards Mutual Funds (Dr. Rekha Lakhotiya, Pinki Pargai) 230

82. Search for a Name : The Female Protagonist in the Novels of Shashi Deshpande 232
(Dr. Vandana Sharma)

83. युद्धबंदी व्यवहार नियम प्राचीन अंतरराज्यीय संबंध एवं जिनेवा कन्वेंशन-एक तुलनात्मक विवेचन 235
(डॉ. नवीन सक्सेना)

84. डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन और दलितोद्धार (डॉ. रेखा साहू) 238

85. A Study on Cultivation and Biological Efficiency of *Pleurotus sajor-caju* (Fr.)Singer on 241
Lignocellulosic Wastes(Wheat Straw) on Artificially Controlled Temperature in Summer ....
Season (Madhurima Tiwari)

86. Global Warming and Environmental Pollution (Dr. A.N Thakkar) 244

87. Phyto Chemical Analysis Of Some Medicinal Plants : With Special Reference *Euphorbia* 247
tithymaloides, Luffa cylindrical, Coccinia indica (Shailendra Sisodiya, Dr. Sunil Dubey)

88. भूमि प्रबंधन से आजीविका में सुधार (दयाराम खरते) 249

89. तुलसीदास काव्य में नारी विमर्श आधुनिक परिप्रेक्ष्य में (डॉ. प्रणति बेहेरा) 251

90. Proper evaluation of CBC with histogramandearly diagnosis and management of 253
congenital disease of blood – G6PD deficiency (Pooja Choubey, Mr. Durga Prasad Tentwar)

91. गांधी जी : एक दर्शन (डॉ. वर्चसा सैनी) 257

92. 'मांग' अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साधनों की उपयोगिता 260
(इन्दौर जिले के विशेष संदर्भ में) (हेमन्त गोफने, डॉ. कुम्भन खण्डेलवाल)

93. नेपाल : एक अध्ययन (डॉ. ज्योति मिश्रा) 263

94. फिल्मों से गायब होता लोकतत्व (डॉ. ज्योति मिश्रा) 269
95. आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का विकास मॉडल (डॉ. ए. के. जैन) 273
96. भारतीय पराक्रम का प्रतीक- समुद्रगुप्त (डॉ. शुक्ला ओझा) 275
97. A Study of Consumer Buying Process of Milk Products (with special reference to Indore District) (Amit Kumar Singh, Dr. Kumbhan Khandelwal) 278
98. A Themetic Study On The Degree Of Approximation Of A Function (Dr. Dalendra Kumar Bhatt) 283
99. Isolation and Identity Crisis in Anita Desai's Novels (Dr. Vishal Sen) 285
100. Curd and Its Benefits (Dr. Rajesh Masatkar) 287
101. बैगा जनजातियों के त्यौहार (मंडला जिले के संदर्भ में)(डॉ. ज्योति सिंह) 289
102. जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव (म.प्र. के छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) (अंचल रामटेके) 292
103. महिलाओं में मद्यपान के कारण एवं दुष्परिणाम (डॉ. सुनीता खण्डेलवाल) 294
104. भक्ति आन्दोलन की निर्गुण और सगुण धाराएँ (डॉ. मधुसूदन चौबे) 298
105. मानव संसाधन विकास कोल इंडिया लिमिटेड की विशेष इकाई वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत (ऊर्जा एवं ईंधन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में अग्रसर) (डॉ. दिनेश कुमार चौधरी) 300
106. भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली: एक अध्ययन (डॉ. अजय कुमार गुप्ता) 304
107. Activities Affecting The Carbon Cycle (Dr. Rashmi Ahuja) 307
108. Global Patterns of Energy Consumption (Dr. Sadhna Goyal) 309
109. Medicinal Plants : Common Sources Of Traditional and Modern Drugs (Dr. Madhuri Singhal) 310
110. An Introduction of geographical indication – A brief study (Lok Narayan Mishra) 312
111. मध्यप्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण (डॉ. वसुधा अग्रवाल) 314
112. निमाड़ में सन्तों से संबंधित मंदिर, समाधि स्थल एवं मेले (डॉ. मधुसूदन चौबे) 318
113. A study on ground water quality in Dhar town, Distt. Dhar (M.P.) (Dr. D.S. Waskel, Dr. K.S. Alawa) 321
114. ग्रामीण भारत में गैर कृषि क्षेत्र की महत्ता (डॉ. आर.एस. मण्डलोई) 324
115. आर्थिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण (डॉ. प्रतिमा बनर्जी) 326
116. औद्योगिक प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में) (डॉ. प्रतिमा बनर्जी) 329
117. Current Trends In E-Commerce : A Study (Dr. Rajendra Singh Waghela) 332
118. The Economic And Food Value Of Edible Wild Plants Of Chhattisgarh (Special Reference To Mushroom In Bilaspur District) (Shraddha Das) 335
119. दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र कोरबा में श्रमिकों में मनोबल और अनुशासन (आशा राय, डॉ. प्रतिमा बैस) 338
120. An Analytical Study on startups in India with reference to issues, challenges and Government initiatives (Dr. Manohar Das Somani) 341
121. मध्यप्रदेश में जैव-विविधता की हानि और उसका संरक्षण (डॉ. नसरीन अंजुम खान) 346
122. उज्जैन जिले में सिंहस्थ महापर्वों का इतिहास (डॉ. मोहन निमोले) 348
123. जनसंचार : कल, आज और कल (डॉ. दाशरथी बेहेरा) 350
124. Literary Sustenance in Pandemic Crisis (Dr. Iris Ramnani) 354
125. Effects of Pranayam its Biochemistry and Health (Dr. Nagendra, Dr. Laxmi Chand) 356
126. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. एल.एन. शर्मा) 358
127. Environment Conservation – An Indian Approach (Amrita Khatri) 361
128. संगठनात्मक व्यवहार (डॉ. पी. डी. ज्ञानानी) 363
129. खरगोन जिले की कार्यशील एवं गैरकार्यशील जनसंख्या का संरचनात्मक अध्ययन (डॉ. प्रमिला बघेल) 367

130. अन्तर्वैयक्तिक व्यवहारात्मक विश्लेषण (डॉ. पी. डी. ज्ञानानी) 369
131. अन्तर्राष्ट्रीय विपणन (डॉ. पी. डी. ज्ञानानी) 373
132. भारत के राज्यों की देनदारियों का तुलनात्मक अध्ययन (चयनित गैर-विशिष्टीकृत राज्यों के विशेष संदर्भ में) . 376
(डॉ. सी. पी. पँवार)
133. लोक-ऋणों से संबंधित नियामक व्यवस्थाओं का अध्ययन (राज्यों के लोक-ऋणों के विशेष संदर्भ में) 379
(डॉ. सी. पी. पँवार)
134. Crafts and Industries in India During the British Rule (Sunil Sharma) 382
135. Non-Cooperation Movement (Sunil Sharma) 384
136. Mounting Movements in Planned Retailing in India (Dr. Vaibhav Sharma, Dr. Archana Dwivedi) 387
137. गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारो के आर्थिक उन्नयन हेतु संचालित योजनाए एवं उनका योगदान 390
(आशीष शर्मा, डॉ. ए.के. पाण्डेय)
138. प्रधानमन्त्री जनधन योजना एक मूल्यांकन (डॉ. रेनू जैन) 392
139. Physical Fitness Variables of Tribal School Children on the Basis of their Nutritional Status 394
(Ramadhar Pipladiya)
140. Mushrooms as a Biological Tool in Mycoremediation of Pollutants Produced by 400
Stubble burning (Dr. Abhai Deep Mishra)
141. ललित कला और यंत्रिक कला (डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा) 405
142. मलेरिया रोग-कारण एवं निदान: रीवा जिले के संदर्भ में एक चिकित्सा-भूगोलीय अध्ययन 407
(डॉ. भास्कर प्रसाद तिवारी)
143. हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण परिवेश (डॉ. आर. एस.वाटे) 409
144. बिलासपुर जिले के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों का ऐतिहासिक अध्ययन 412
(श्रीमती हंसा तिवारी, डॉ. अंजू तिवारी)
145. भारत का अन्नदाता (खुशबू त्रिपाठी, डॉ. ए. के. पाण्डेय) 415
146. छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा लोकनृत्य और गायिकी (गायत्री तिवारी) 417
147. भारत के राजनैतिक सम्बन्धों का क्रम सोवियत संघ एवं रूस के विशेष संदर्भ में 421
(डॉ. ज्योतिरादित्य सिंह भाटी, विरेन्द्र सिंह चूण्डावत)
148. शहरी जनजातीय युवाओं की राजनीतिक सहभागिता डूँगरपुर जिले का एक अध्ययन 424
(डॉ. प्रेम सिंह रावलोत, सोनल सरिया)
149. भारत में जिला प्रशासन : जिलाधिकारी के विशेष संदर्भ में (देवेश कुमार) 427
150. Quality of Work Life in Higher Education Sector with reference to Madhya Pradesh 429
(Abhay Shankar Mishra)
151. बहुविवाह : विविध अध्ययन एवं परिप्रेक्ष्य (डॉ. धीरज मेघवाल) 434
152. A Study on Kolkata Retail Sector on Factors Affecting and Influencing Consumer 437
Buying Behaviour (Shri Amrit Banerjee, Dr. Kausik Mukherjee)
153. Role and Impact of E-Commerce in Business and Trades (Dr. Monika Bapat) 443
154. युगीन कहानियों की समसामयिकता (साठोत्तर दशक) (डॉ. विजयलक्ष्मी पोद्दार) 445
155. Capital Punishment in India (Krishanu Ghosh, Dr. B.K. Yadav) 448
156. Dowry Deaths in India: Problem and Prevention (Ratna Bhattachrjee, Dr. B.K. Yadav) 451
157. A Study on Customer Satisfaction on Hot Drinks with Specific Reference to Horlicks in 455
Bhopal Region (Dr. Prasann Jain, Dr. Shaizal Batra)
158. A Study of Innovative Marketing Practices in Non-Traditional Retail Outlets with Special 457
Reference to Rural Mall (Dr. Mohammad Sajid, Jyoti Pachori)

159. A Study on Challenges in Human Resource Management (Dr. Shaizal Batra, Dr. Prasann Jain)..... 461
160. Human Rights Violations : A Threat to Humanity (Dr. Kunal Shaktawat) 465
161. An Analytical study of the role of ICT in 21st century's Teacher education 468
(Dr. Harsha Kshirsagar)
162. बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार (कपिल शर्मा)......... 470
163. प्राचीन काल से मौर्यकाल तक महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति (डॉ. दीपक सिंह, चंदा सिंह)....... 472
164. पश्चिम एशियाई संघर्ष और भारत (डॉ. समीर भार्गव) 476
165. वेदों में ज्योतिष का स्थान (डॉ. शितांशु रथ, अरविन्द खोत) 479
166. Penicillin A novel β-lactam antibiotic – A review (R. K. Prajapati) 482
167. महाकवि भर्तृहरि के शतकत्रय में मानव प्रकृति: एक विमर्श (रामकेश बैरवा) 486
168. 'गोदान' में नारी चेतना (डॉ.तृष्णा शुक्ला) 489
169. राजनीति और मीडिया में अंतर्संबंध (डॉ. अंजना बुंदेला) 492
170. समकालीन कविता में बंधुता के स्वर (डॉ. संजय सक्सेना) 497
171. भारत में महिलाओं में रक्ताल्पता विभिन्न शोध एवं दृष्टिकोण (डॉ. लक्ष्मी मेहरा) 499
172. A Comparative Study of Nutrient Status in Preschool Children of Rural and Urban Area 502
of Varanasi District (Dr. Parvati Singh)
173. वर्तमान परिवार व्यवस्था पर आधुनिक विचारधारा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (रुची गौतम).................... 505
174. On the Simple Group Related to the F –Stricture Equation $\sum_{k=1}^{7} F^k=0$ (Lakhan Singh) 507
175. उच्च माद्यमिक विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों की समस्याओं का प्रतापगढ़ जिले के के संदर्भ में 509
एक अध्ययन (राधेश्याम गमेती)
176. कानून व्यवस्था, मानव अधिकार एवं पुलिस कार्य (आशीष श्रीवास्तव).. 512
177. आमजन की पीड़ा की जानकार मन्नू भंडारी (डॉ. प्रभा शर्मा)... 516
178. भारतीय परिप्रेक्ष्य में आदिवासी कला (मीना बरतिया) 520
179. स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का अध्ययन- छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में 522
(नीरज सोनी, डॉ. डी. बी. कोष्टा)
180. प्राचीन भारत में विधवाओं का संपत्ति पर अधिकार (डॉ. सुनीता मीना) 526
181. Breach of Contract: Highlighting Features (Dr. Saptmuni Dwivedi) 529
182. भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा (डॉ. सतीश पाल सिंह) 531
183. On Invariant Submanifold of (4, 1) Structure Manifold (Lakhan Singh)... 535
184. महाराजा सवाई जयसिंह की धार्मिक प्रवृत्तियाँ व जयपुर नगर की स्थापना (डॉ. बबिता सिंघल)................... 537
185. भारतीय नीति आयोग : एक परिचय (डॉ. सोमवती शर्मा)... 541
186. उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि व तनाव में सहसम्बन्ध............... 544
का अध्ययन (डॉ. रितु बाला, सुमित्रा सिंह)
187. मानव संसाधन प्रबंध : चुनौतिपूर्ण दायित्व (डॉ. इन्दु अरोडा) 546
188. The Effect and Prevention of Cyber Crime (Dr. Neeraja Sharma) 548
189. चन्द्रकान्त देवताले की कविताओं में स्त्री (डॉ. प्रीति भट्ट) 552
190. Women Employment and Gender Issues in India (Dr. Saba Agwani) 555
191. जयपुर के प्रमुख मंदिर (डॉ. सुमित मेहता) 557

192. दलित कल्याण हेतु गाँधी व अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य का तुलनात्मक विश्लेषण (अनिता टॉक) 559
192. भारत की संसदीय व्यवस्था में चुनाव आयोग की बहुमुखी और बहु-आयामी भूमिका (डॉ. मंजु मीणा) 561
193. कुसुम अंसल के कथा साहित्य में नारी का बदलता स्वरूप (डॉ. सुनीता कुमारी) 564
194. भारत में आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (डॉ. गौरी शंकर मीणा) 566
195. An Exploratory Study on Consumer Rights Awareness among Rural and Urban People of Chhattisgarh (Dr. Syed Saleem Aquil, Aabid Hasan Khan) 570
196. Caste System and Social Mobility: Assessing the Impact of the Caste System on Upward Mobility in India (Dr. Anjali Jaipal) 574
197. Arranged Marriages vs. Love Marriages: Investigate Cultural Norms and Their Implications in India (Dr. Sandhya Jaipal) 577
198. स्वाधीनता आंदोलन में रायगढ़ जिले का योगदान (डॉ. रामरतन साहू) 580
199. हिन्दी साहित्य की नई परम्परा : आधुनिक हिन्दी काव्य (डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी) 583
200. दुग्ध उद्योग का एक विवरणात्मक अध्ययन (आबिद हसन खान, कैशर परवीन) 585
201. खिलचीपुर राज्य के दिवान अनोप सिंह और दिवान फतेहसिंह के शासन का ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ.ओमप्रकाश गेहलोत) 590

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

Referee Board

Maths - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
- (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci. - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)

***** Management *****

Management - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)

***** Arts *****

Economics - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

शौचालय उपयोग तथा रख-रखाव की प्रवृत्ति गिर्वा पंचायत समिति के संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ. दीपक भटनागर *

प्रस्तावना – स्वच्छता एक आदत है और व्यवहार में परिवर्तन लाना एक जटिल प्रक्रिया है। अतीत में व्यवहार में परिवर्तन की समुचित रणनीति के बगैर केवल शौचालयों के निर्माण पर जोर देने का परिणाम यह हुआ कि शौचालयों का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा उनका प्रयोग स्टोर रूम आदि के लिए किया जा रहा है।

अनुमान है कि 1200 की आबादी वाले शौचालय रहित एक गाँव औसतन हर रोज 300 किलो मानव मल पैदा करता है। अवशोधित मल की वजह से आसपास के परिवेश एवं जल के प्रदूषण की मात्रा की कल्पना कीजिए। यदि हम माने कि गाँव के लोग जो खाना खाते हैं और वे जो पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं वह 300 किलो मल के 1 प्रतिशत से प्रदूषित हो, तो वह परोक्ष रूप से दूषित भोजन के माध्यम से हर रोज एक दूसरे के मल का तकरीबन 3 ग्राम खा रहे हैं जो एक चाकलेट के बराबर है।

खुले में शौच करने के कारण – अनके गाँवों में यादृच्छिक (रेन्डम) भौतिक सर्वेक्षण से पता चलेगा कि परिवार में शौचालय उपलब्ध न होने या निर्मित शौचालयों का उपयोग न करने के कारण लोग खुले में शौच करते हैं।

- मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक अवरोध
- परंपरागत विश्वास एवं अंधविश्वास
- स्थान, धन, पानी एवं जागरूकता का अभाव।
- शौचालयों के दोषपूर्ण डिजाईन आदि।

खुले में शौच और जल – खुले में शौच से जल की गुणवत्ताा खत्म हो जाती है और यह पीने के लायक नहीं रहता। इससे बीमारियां होने की भी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जल गुणवत्ताा में एक खास पहलू है कि इसमें मल की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जब पेयजल की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच की जाती है तो उसमें सबसे पहला उद्देश्य मल प्रदूषण की उपस्थिति की जांच करना होता है। एक खास तरह का बैक्टीरिया मानव मल की जल में उपस्थिति के संकेत देता है, जिसे ई-कोलाई कहते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. चयनित क्षेत्र में घरेलू शौचालयों के वर्तमान उपयोगों और स्वच्छता का आकलन करना।
2. चयनित क्षेत्र में घरेलू शौचालयों के उपयोग की बाधाओं का आकलन करना।

प्राकल्पनाएँ :-

1. $H_0$1 गिर्वा पंचायत समिति में लोगों के लिए शौचालय का उपयोग एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था सार्थक स्तर तक नहीं हैं।
2. $H_0$2 गिर्वा पंचायत समिति में शौचालयों की बनावट और उनका रखरखाव सार्थक स्तर तक नहीं हैं।

अनुसंधान पद्धति – अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनादाताओं से जिन्हें निदर्शन में चुना गया है उन्हें प्राथमिक तौर पर प्री टेस्टिंग करके अनुसूची को व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद शोधार्थी द्वारा सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची से सूचना संकलन की गई है।

निदर्शन – प्रस्तुत अध्ययन हेतु गिर्वा पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों से 10-10 उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 360 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है जिसमें 180 पुरूष तथा 180 महिलाओं का चयन किया गया हैं।

शौचालय उपयोग की स्थिति

चित्र संख्या : 01

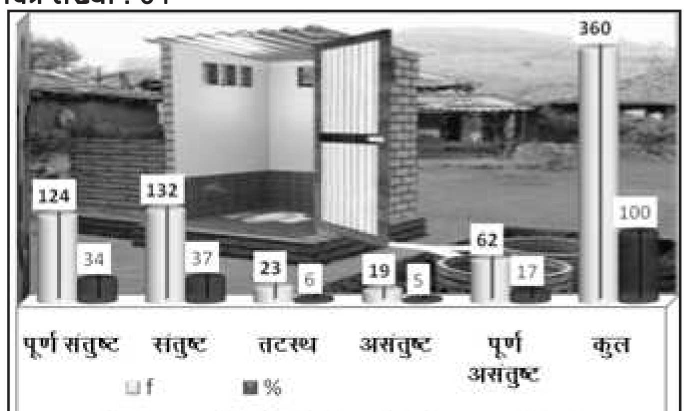

शौचालय उपयोग की स्थिति (शोधार्थी द्वारा अवलोकन)

उपरोक्त चित्र 01 में गिर्वा पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों के 360 शौचालयों के उपयोग के स्तर का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि 34 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग पूर्ण संतुष्ट कर रहा था। 37 पतिशत प्रतिशत शौचालय उपयोग के स्तर पर संतुष्ट कर रहे थे एवं 6 प्रतिशत शौचालयों को देख कर कुछ भी निर्णय लिया नहीं जा सकता था। 5 प्रतिशत शौचालय की स्थिति असंतुष्ट और 10 प्रतिशत की पूर्ण असंतुष्ट करने योग्य थी। उक्त चित्र से यह ज्ञात होता है कि 71 प्रतिशत शौचालय उपयोग की स्थिति में थे।

साबुन से हाथ धोने की आदत

चित्र 02 में गिर्वा पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों के 360 शौचालयों के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि 30 प्रतिशत शौचालयों के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था पूर्ण संतुष्टी दायक थी। 21 पतिशत प्रतिशत शौचालयों के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था मात्र संतुष्ट कर रही थी एवं 12 प्रतिशत शौचालयों के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था को देख कर कुछ भी

* पोस्ट डॉक्टरोल फेलो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपर (राज.) भारत

निर्णय लिया नहीं जा सकता था। 12 प्रतिशत शौचालय के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की स्थिति असंतुष्ट और 10 प्रतिशत की पूर्ण असंतुष्ट करने योग्य थी। उक्त चित्र से यह ज्ञात होता है कि 51 प्रतिशत शौचालय के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था थी।

चित्र संख्या : 02

शौचालय की बनावट

चित्र संख्या : 03

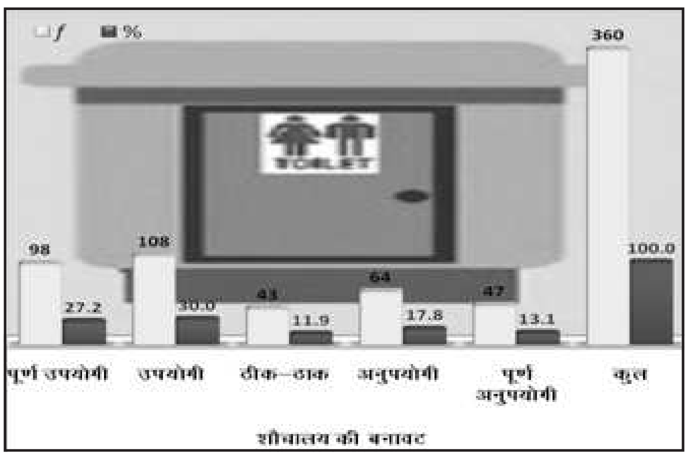

उपरोक्त चित्र 03 में गिर्वा पंचायत समिति के 360 अनुदानित शौचालयों के उपयोग में बाधा के संदर्भ में शौचालय की बनावट का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि 27.2 प्रतिशत उत्तरदाता शौचालय पूर्ण उपयोग में आ रहे थे एवं 30 प्रतिशत उत्तरदाता शौचालय की बनावट में खोट के बावजूद भी उसका उपयोग कर रहे थे और 11.9 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार उनके शौचालयों की स्थिति ठीक-ठाक है तथा 17.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालयों की स्थिति अनुपयोगी थी जबकि 13.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके शौचालय पूर्ण अनुपयोगी है। अतः उक्त चित्र से यह ज्ञात होता है कि 57.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालय की बनावट उपयोगी स्तर की है।

शौचालय का रख-रखाव

चित्र 04 में गिर्वा पंचायत समिति के 360 अनुदानित शौचालयों के उपयोग में बाधा के संदर्भ में शौचालय के रख-रखाव की स्थिति का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालय के रख-रखाव की स्थिति पूर्ण उपयोग के स्तर पर थी एवं 18.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालय के रख-रखाव की स्थिति मात्र उपयोग के स्तर पर थी और 11.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालय के रख-रखाव की स्थिति ठीक-ठाक स्तर पर थी तथा 6.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालय के रख-रखाव की स्थिति अनुपयोगी स्तर पर थी जबकि 8.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालय के रख-रखाव की स्थिति पूर्ण उनुपयोगी स्तर पर थी। अतः उक्त चित्र से यह ज्ञात होता है कि 73.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के शौचालयों के रख-रखाव की स्थिति उपयोगी स्तर की है।

चित्र संख्या : 04

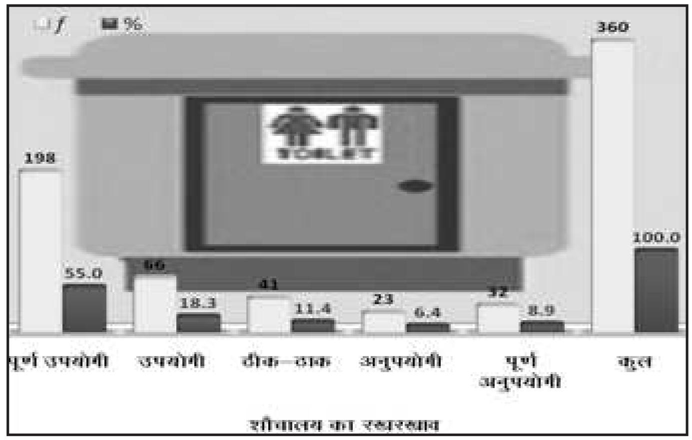

प्राक्कल्पनाओं का परीक्षण

प्राक्कल्पना संख्या $H_0 1$: - गिर्वा पंचायत समिति में लोगों के लिए शौचालय का उपयोग एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था सार्थक स्तर तक नहीं हैं।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

4 डिग्री ऑफ फ्रीडम काई वर्ग का तालिका 1 का 0.05 सार्थकता स्तर के लिये प्रामाणिक मान 9.49 है। उपरोक्त काई वर्ग का गणनात्मक मान 36.689 इस मान से अधिक है अर्थात परिकल्पना $H_0 1$ असत्य सिद्ध होती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि गिर्वा पंचायत समिति में लोगों के लिए शौचालय का उपयोग एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था सार्थक स्तर तक उपलब्ध हैं।

प्राक्कल्पना संख्या 2 $H_0 2$: - गिर्वा पंचायत समिति में शौचालयों की बनावट और उनका रख-रखाव सार्थक स्तर तक नहीं हैं।

तालिका 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

4 डिग्री ऑफ फ्रीडम काई वर्ग का तालिका 2 का 0.05 सार्थकता स्तर के लिये प्रामाणिक मान 9.49 है। उपरोक्त काई वर्ग का गणनात्मक मान 66.139 इस मान से अधिक है अर्थात परिकल्पना $H_0 2$ असत्य सिद्ध होती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि गिर्वा पंचायत समिति में शौचालयों की बनावट और उनका रख-रखाव सार्थक स्तर तक हो रहा हैं।

निष्कर्ष :

1. गिर्वा पंचायत समिति में 71 प्रतिशत शौचालय उपयोग की स्थिति में हैं।
2. गिर्वा पंचायत समिति में 51 प्रतिशत शौचालयों के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था है।
3. गिर्वा पंचायत समिति में 57.2 प्रतिशत शौचालय की बनावट अच्छे स्तर की है।
4. गिर्वा पंचायत समिति में 73.3 प्रतिशत शौचालयों का रख-रखाव अच्छा हो रहा है।

5. गिर्वा पंचायत समिति में 30 प्रतिशत पुरूष एवं 55 प्रतिशत महिलाएँ शौचालय का सदैव प्रयोग करते है।

सुझाव :

1. शौचालय के रख-रखाव हेतु प्रायोगिक प्रशिक्षण करवाए जा सकते हैं।
2. शौचालयों के बाहर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था का समाजीकरण विद्यालयों में भी किया जा सकता हैं।
3. शौचालय की बनावट एवं मरम्मत हेतु पुचायत द्वारा ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा अवलोकन किया जा सकता हैं।
4. पुरूषों के द्वारा शौचालय उपयोग की आदतों को बढ़ावा दिया जा सकता हैं।
5. शौचालय की साफ-सफाई हेतु पुरूष एवं महिलाओं में समानता तथा सहयोगी व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'विश्व शौचालय 2016 की स्थिति', (पीडीएफ), 27 नवंबर 2016
2. 'ओवरफ्लोइंग सिटीजरू 5 मिलियन इंडियंस स्टिल विदाउट टॉयलेट्स', 27 नवंबर 2016 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' 18 फरवरी 2019
3. सेठी, अमन, 'द मेसी ऑफ द वॉटर माफिया, फॉरेन पॉलिसी', जुलाई /अगस्त 2015
4. वी, श्रीनिवास, निदेशक, ऊर्जा, पर्यावरण, शहरी शासन और अवसंरचना विकास केंद्र, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद के हवाले से, (23 मार्च 2010)
5. डॉ, संजय और वी, दहशास्त्रा, महाराष्ट्र जीवन प्रचारक : एक मॉडल को 24/7 जल आपूर्ति प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए एक मॉडल, अगस्त 2007

तालिका 1

शौचालय का उपयोग अवलोकित आवृत्तियाँ		साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अपेक्षित आवृत्तियाँ		Chi-square: $X^2 = \sum\left(\frac{(0-E)2}{E}\right)$	Degrees of freedom	*p*-value
124	108	116	116	36.689	4	2.1e-7
132	76	104	104			
23	43	33	33			
19	43	31	31			
62	90	76	76			

तालिका 2

शौचालयों की बनावट अवलोकित आवृत्तियाँ		शौचालयों का रख-रखाव अपेक्षित आवृत्तियाँ		Chi-square: $X^2 = \sum\left(\frac{(0-E)2}{E}\right)$	Degrees of freedom	*p*-value
98	198	148	148	66.139	4	0
108	66	87	87			
43	41	42	42			
64	23	43.5	43.5			
47	32	39.5	39.5			

****

21 वी. सदी में कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता

डॉ. कपिल खरे*

शोध सारांश – कार्ल मार्क्स अर्थव्यवस्था राजनीति एवं समाज में व्यापक परिवर्तन लाने के किये प्रयासरत रहे वह अर्थनीति का ढाँचा लाभ के आधार पर नहीं बल्कि मानवीय विकास एवं संवेदनाओ के अनुसार तय करना कहते थे। कार्ल मार्क्स के अनुयायी दुनिया को मार्क्स की निगाह से ही देखते है। कुछ देर के लिए अगर कार्ल मार्क्स को एक सरल रेखा मान लिया जाये तो सम्पूर्ण विश्व उसके दोनों ओर बटी हुयी सी नजर आती है। कार्ल मार्क्स का रचनात्मक अवदान केवल अकादमिक चिन्तन लेखन तक सिमित होकर नहीं रह गया था बल्कि उनके लेखन में संघर्ष की लौ जलती हई नजर आती है। एडम स्मिथ की खुली अर्थवयवस्था के विचार की आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि औद्योगिक उदारता श्रमशोषण के दम पर ही संभव है। नियन्त्रणहीन पूँजीवादी वयवस्था को कार्ल मार्क्स ने पूँजी का अराजक खेल माना था जो वर्तमान समय में हमें अपने चारों और दिखाई देता है। 21 वी सदी में कार्ल मार्क्स के विचारो की प्रासंगिकता वास्तव में दृष्टिगत है।

शब्द कुंजी– कार्ल मार्क्स,विचारब प्रासंगिकता।

प्रस्तावना – कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। उनके लेखन से कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए आधार तैयार हुआ। उस दौर के मजदूर तथा क्रांतिकारी आन्दोलन के साथ वह मजबूती के साथ जुड़े रहे शासक वर्गो को चुनौती देने वाले उनके विचार इतने अधिक प्रभावशाली थे कि उन्हें बहुत सी देशो की सरकार द्धारा अपने देश से निष्काशित कर दिया गया था। उनकी लिखित दो महत्वपूर्ण कृतियाँ ***'कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तथा दास कैपिटल'*** का एक समय में करोड़ो लोगो पर राजनितिक एवं आर्थिक रूप से गहरा प्रभाव हुआ था।

तत्कालीन समाज के विषय में कार्ल मार्क्स के विचार वर्तमान समय में मनुष्यों के संघर्ष को जानने और समझने में काफी सहयोग प्रदान करते है। हमारे आस पास हमें प्रतिदिन गैर बराबरी एवं शोषण ही दिखाई देता है। जैसे–धनवान तथा निर्धन के मध्य, महिला एवं पुरुष के मध्य, उच्च अवं निम्न जाति के मध्य आदि। ऐसी विचारधारा प्रचलित है कि– ***'समाज स्वाभाविक या ईश्वर द्धारा निर्मित है'*** परन्तु अगर ऐसा है तो जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है या कम कार्य करता है वह अधिक धनवान है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी क्षमता से भी अधिक मेहनत कर रहा है वह अपनी वर्तमान स्तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं ला पा रहा है।

जिसकी सत्ता सार्वभौमिक है तथा जो मनुष्य एवं ईश्वर दोनों का ही निर्देशन करते है। मार्क्सवादी दर्शन अथवा संसार का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है। मार्क्सवाद नैतिकता के किन्ही काल्पनिक सिद्धान्तों पर आधारित होने के कारण मान्यता का दावा नहीं करता है वह तो मान्यता का दावा केवल सच्चाई के कारण करता है।

कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के साथ ही अपने कुछ अन्य लेखो में कार्ल मार्क्स ने पूँजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की बात करते हुए बताया है कि किस प्रकार अंतत: सर्वहारा वर्ग सम्पूर्ण विश्व में सत्ता पर विराजमान होगा। महत्वपूर्ण कृति दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स के द्धारा इन विचारों को तथ्यात्मक एवं वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया गया है। कार्ल मार्क्स की प्रतिष्ठित जीवनी लेखक ब्रिटेन के फ्रांसिस व्हीन का कथन है कि – ***'कार्ल मार्क्स ने उन सर्वग्राही पूँजीवाद के विरुद्ध दार्शनिक तर्क रखे जिसने सम्पूर्ण मानव सभ्यता को अपना गुलाम बना लिया।'***

ब्रिटेन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेख्त रिसल का कथन है कि – ***'कार्ल मार्क्स भूमंडलीकरण के प्रथम आलोचक थे उन्होंने विश्व में तेजी से बढ़ रही गैर बराबरी को लेकर सचेत किया था।'***

सन 2007 –08 में आयी वैश्विक मंदी ने एक बार फिर से उनके विचारों की प्रासंगिकता को दर्शाया है। पूँजीवाद के पिता कहे जाने वाले एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से विपरित कार्ल मार्क्स का यह विचार था कि – ***'बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की किसी प्रकार की कोई भूमिका नही रहती है। बाजार में मंदी का बार बार आना निश्चित है एवं इसका प्रमुख कारण पूँजीवाद में ही निहित है।'***
अल्ब्रेख्त के अनुसार कार्ल मार्क्स का विचार था कि– ***'पूँजीवाद के पूरी तरह से समाप्ति तक ऐसा ही होता रहेगा।'***

सन 1929 में शेयर बाजार अपने निम्न स्तर पर आ गया था और इसका अहसास सन 2007 –08 के शीर्ष तह पहुँच गया था। जब वित्ता बाजार अभूतपूर्व रूप से संकट में आ गया था। विशेषज्ञों के अनुसार इस संकर का प्रभाव भारी उद्योगों के स्थान पर वित्तीयक्षेत्र पर अधिक रहा।

कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का एक प्रमुख पहलु अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी है। ये वह अतिरिक्त मूल्य कहलाते है, जो एक मजदूर अपनी मजदूरी के आलावा उत्पन्न करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समस्या यह है कि – ***'उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को अपना बना लेते है एवं सर्वहारा वर्ग के मूल्य पर अपने लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाने में विश्वास करते है। इस प्रकार पूंजी एक स्थान पर एवं कुछ हाथों में केन्द्रित होकर रह जाती है।और इसी कारण से बेरोजगारी में वृद्धि होती है और मजदूर की मजदूरी में गिरावट आती है।'***

कम्युनिष्ट घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया है कि पूंजीवाद का वैश्वीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का प्रमुख कारण बनेगा। इस तर्क को हम 20 वी– एवं 21 वी– शताब्दी के वित्तीय संकट से समझ सकते है।

* भूतपूर्व अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ (म.प्र.) भारत

यही कारण है कि भूमंडलीकरण की समस्याओं पर मौजूदा बहस में मार्क्सवाद का बार बार जिक्र आता है।

21 वी– शताब्दी में मार्क्सवाद को अप्रासंगिक माना जाने लगा था परन्तु करीब डेढ़ से पौने दो दशक पश्चात वित्तीय पूँजीवाद की जकड़न एवं कट्टरतावाद की नई लहर के साथ कार्ल मार्क्स के विचारों ने एक नए सिरे से अपनी प्रासंगिकता का अहसास कराया है। कार्ल मार्क्स के विचार आज भी प्रासंगिक है यह बात हम हमेशा से ही मानते रहे है,क्योकि पूँजीवाद का जो विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने 19 वी– शताब्दी में किया था। वह 21 वी– शताब्दी में एक अलग तरह से अपनी प्रासंगिकता दर्शाती है। जो बुनियादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्धारा दिया गया था वह अब नए दृष्टिकोण में समझ में आता है। आज भले ही शारीरिक श्रम का स्थान बौद्धिक श्रम ने ग्रहण कर लिया है। ऐसा कहा जाता था कि जब यह बदलाव होगा तब कार्ल मार्क्स के विचार प्रासंगिक नहीं रहेंगे। परन्तु वर्तमान समय में उनके विचार और अधिक प्रासंगिक हो गए है। अब प्रत्येक वयक्ति यह समझने लगा है कि बौद्धिक श्रम के रूप में आप उत्पादन में जो अपना योगदान देते है। उसके अनुकूल वेतन प्राप्त नहीं होता है। उत्पादन किसी भी प्रकार से किया जाए श्रम का शोषण ही लाभ में परिवर्तित होता है। इसलिए धनवान और अधिक धनवान होता जा रहा है तथा निर्धन और अधिक निर्धन। इस तरह की असमानता एवं शोषण के विषय में ही कार्ल मार्क्स ने सचेत किया था।

मार्क्सवाद कोई यान्त्रिक फॉर्मूला किसी पुस्तक का सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह एक रचनात्मक विज्ञान है। वर्तमान समय में जिस प्रकार विवेक एवं तर्कसंगत विचारों पर हमला किया जा रहा है उसका मुकाबला केवल विवेकशीलता अवं तार्किकता के साथ किया जा सकता है। इससे भी वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता समझ आती है। जो देश उन्नति कर रहा है उस देश में समाजवाद नहीं हो सकता। इस मिथक को चीन ने दूर किया है। मार्क्सवाद ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण पर जोर देता है। परिस्थितियों के साथ अगर आपका विश्लेषण नहीं परिवर्तित होता है तो आप मार्क्सवादी नहीं है।

सोवियत संघ में समस्त उत्पादन वयवस्था श्रमिक संगठनों के एवं अंतत: राज्य के अधीन थी जिसका उपयोग नेता अपने राजनितिक इच्छाओ को पूरा करने में किया करते थे तथा मजदूर वर्ग के लिए शोषणकारी स्थितियों में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए उस वयवस्था से उनका नाराज हो जाना स्वाभाविक था। यही कारण है कि श्रमिकों में मन में वयवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता चला गया। परिणामस्वरूप सोवियत संघ के विघटन के रूप में सामने आया परन्तु इस बिखराव को मानवाधिकार के पतन के रूप में देखा जाना अनुचित होगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि सोवियत नेताओ की निजी महत्वाकांक्षाओ और अदूरदर्शिता के कारण समाजवाद का प्रयोग वहां उतनी अपेक्षा के साथ सफल न हो सका।

पूँजीवादी अमेरिका में पूँजी का कुछ हाथो तक सिमित रह जाना एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। सन 2007 में आयी भीषण मंदी की स्थिति हम देख ही चुके है जिसमे पचास से भी अधिक बड़े बैंक दिवालिया घोषित किये गए। इससे पहले सन 1995 में अमेरिका में बड़ी कम्पनियो के द्धारा छोटे उद्धमियो को अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण एवं विलय की यह स्थिति ब्रिटेन स्विट्जरलैंड जर्मनी आदि देशो में भी दिखाई दी। इससे कार्ल मार्क्स और ऐंगल्स की यह भविष्यवाणी सही सिद्ध हो रही थी कि पूँजी का सहज स्वभाव केन्द्र की ओर ज्यादा झुकाव का होता है। और इसी कारण वह कुछ समूहों तक सिमट कर रह जाती है। अधिग्रहण एवं विलियन के कारण कुछ कंपनिया बंद कर दी जाती है जिसका कुफल उनमे कार्यरत श्रमिकों को बेरोजगारी के रूप में भोगना पड़ता है। स्पष्ट है कि केन्द्र की और पूँजी का सतत जमाव उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता बल्कि इसका विपरीत ही होता है।

कार्ल मार्क्स का कथन एक बार फिर प्रासंगिक दिखाई देता है जिसमें उन्होंने कहा था कि – ***'पूँजीवाद एक वैश्विक वयवस्था के रूप में विकसित होगा परन्तु विश्व बाजार का अस्तित्व दीर्घ समय तक रहने वाला नहीं है। इसका अंत सुनिश्चित है।'*** यह हमारे दौर का निर्णायक समय है। वास्तविकता यह है की हम एक ऐसे समय में जी रहे है जिसमे कुछ भी निजी तथा स्थानीय नहीं है बल्कि सबकुछ वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय है। प्रौद्योगिकी प्रेरित अंतर्राष्ट्रीयकरण ने हमारी संवेदनाओ को किसी और दिशा में मोड़ दिया है।

इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि पिछली शताब्दी में भूमंडलीकरण एवं अर्थवयवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण की तमाम सूचनाओं के बाद भी भारत में आर्थिक विसंगतिया हावी है। देश में रोजगार के जितने अवसर बढ़े है बेरोजगारों की संख्या उससे कही अधिक बढ़ गयी है। तथा उससे भी आधी तेजी के साथ देश में आर्थिक असमानता हावी होती जा रही है।

पूँजीवाद के अंतर्राष्ट्रीय फैलाव के कारण विभिन्न देशो के आंतरिक अवं बाह्य तनावों में भी वृद्धि हुयी है। राज्यों के विरोधाभास और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गए है और पूँजी का खिचाव भी साथ ही साथ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को कार्ल मार्क्स ने सन 1848 में ही भाँप लिया था।

कार्ल मार्क्स के दर्शन में श्रमिक वर्ग सात का पर्याय था जो अपने श्रम कौशल के आधार पर उत्पादन कार्य में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता था जो सही मायने में उत्पादक है। पूँजीपति वर्ग असत का प्रतीक है जो दूसरो के श्रम को अपना बताकर लाभ का अधिकांश भाग स्वयं हड़प जाता है। जिसके परिणामस्वरूप समाज में अस्थिरता एवं असमानता की बढ़ोत्तारी होती है। अत: 21 वी. सदी में कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता ठीक उसी तरह बानी हुयी है जैसे की पूर्व में बनी हुयी थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. Carnoy,Martin, (1984),"The State and Political Theory",Princeton University Press,Princton,New Jersey
2. Lenin,V.I., (1917),"State and Revolution,Collected Works",Foreign Language Publishing House,Moscow
3. Jesho ,Bob, (1982),"The Capitalist State:Marxist Theories and Methods",Martin Robertson,New York University, Press,New York
4. Husain,Iqbal,(2006),"Karl Marx on India",Tulika Books, Chennai
5. संगल, ओमप्रकाश, (1987), 'कार्ल मार्क्स', पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा लि, नई दिल्ली, पृ0 3
6. गाबा, ओम प्रकाश, (2010),'राजनितिक सिद्धांत की रूपरेखा', मयूर प्रकाशन, अहमदाबाद, पृ0 27
7. पाण्डेय, अशोक कुमार, (2015),'मार्क्सवाद का मूलभूत सिद्धान्त', दखल प्रकाशन, दिल्ली, पृ0166
8. सिंह, अजित,'मार्क्स आज और अधिक प्रासंगिक', आउटलुक, जून, 2018
9. देब, तुहिन,'कार्ल मार्क्स और उनका योगदान', देशबन्धु, मई 5, 2018

पश्चिमी निमाड़ की जनजातीय संस्कृति का वैशिष्ट्

सुरसिंह जामोद* डॉ. परमेश्वर दत्त शर्मा **

प्रस्तावना – जनजातीय संस्कृति के निर्माण में बरसों से प्रचलित रीति-रिवाज, प्रथाएँ, परम्पराएँ आदि का परिश्रमपूर्वक व श्रद्धापूर्वक परिपालन करते हुए वे अपनी संस्कृति को जीवन्तता प्रदान करते हैं।

वस्तुत: संस्कृति जीवन की निरन्तर प्रचलित क्रिया-प्रतिक्रियाओं का संचय है। संस्कृति मनुष्य के बाह्य और आन्तरिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति के रूप में देखी जा सकती है। सम्यक् संस्कार को ही संस्कृति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

डॉ. सम्पूर्णानन्द के विचारों के अनुसार 'कुल मिलाकर संस्कृति वह स्वरूप निर्धारित किया जिसमें समाज के विचार ढलते हैं, वह बिन्दु है जहाँ से जीवन की समस्याएँ देखी जा सकती है।'

इसी आधार पर भारती संस्कृति में सहिष्णुता और समन्वय की भावना को प्रधानता दी गई है। संस्कृति ही किसी देश या जाति की आत्मा है, इसी से उसके सब संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक का सामाजिक जीवन के आदर्श का निर्माण करता है।

जनजातीय समूदाय आरम्भ से ही निमाड़ के दूर दराज जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज क्षेत्रों से प्राचीन समय से ही निवास कर रहे हैं, सवर्ण दुनियाँ से बरसों तक अलग रहने के कारण वे प्रगति की दौड़ में काफी पिछड़ गये। अशिक्षा, शोषण, ऋण ग्रस्तता आदि से त्रस्त रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश जनजातीय लोग भूमिहीन हो चुके हैं, जिन्हें केवल मजदूरी पर ही जीना पड़ रहा है।

डी.एन.मजूदार ने जनजाति की विशिष्ट सामाजिक परिवेश के आधार पर उनकी विशेषताओं का उल्लेख निम्नानुसार किया है-

1. वे सभ्य जगत से दूर पर्वतों तथा जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं।
2. वे निग्रिटोज, एस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड में से एक प्रजातीय समूह से संबंधित है।
3. वे जनजातीय भाषा का प्रयोग करते हैं।
4. वे आदिम धर्म को मानते हैं, जो कि सर्व जीववाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है, जिसमें भूत-प्रेतों और आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं।
5. वे शाकाहार और मांसाहार दोनों का भोजन के रूप में उपयोग करते है।
6. वे अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
7. उनके अपने देवी-देवता है, जिनका वे श्रद्धा से पालन करते हैं।
8. जनजातीय लोग अपने समूदाय की निष्ठा के प्रति सदा एकजूट रहते हैं। और उनकी समस्त परम्पराओं का पालन करते हैं।

मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों और उपजातियों के रूप में भील, भिलाला, बारेला, पटलिया, तड़वी आदि हैं।

जनजातियों में उनकी अपनी अर्थव्यवस्था है। मूलत: जनजातियाँ कृषि से संलग्न हैं। और इसी को उन्होंने अपनी आजीविका बनाया है। भीलों की उपजाति के रूप में भिलाले माने जाते हैं। भील और राजपूतों के संमिश्र संतानों के रूप में उनकी मान्यता पूर्वापर चली आ रही है। वस्तुत: ये जनजाति मध्काल से ही राजस्थान से विस्थापित होकर गुजरात और कालान्तर में निमाड़ क्षेत्र में बस गये।

भीलों की अपनी आवास व्यवस्था है। पूरा गाँव 2 से 3 किलोमीटर पर कई फलियों में बँटा रहता है। सामान्यता वे अपने खेतों पर अपना आवास बनाते हैं, जिससे वे अपने कृषि उत्पादन की रक्षा कर सके। जनजातीय आवास की विशेषता के रूप में ही देखने को मिलता है कि एक ही गोत्र के सदस्य एक विशिष्ट क्षेत्रों पर गाँव के फलिये के रूप में रहते हैं। जहाँ सुविधा की दृष्टि से कुछ सामान्य सुविधाएँ रहती हैं। मकानों में भीतर अलग-अलग प्रकोष्ठ नहीं रहते। मकान के एक स्थान पर पशुओं के रहने का स्थान होता है। दूसरे स्थान पर रसोई और किसी दूसरे स्थान पर अनाज भंडारण व्यवस्था और किसी एक कोने पर सोने आदि का स्थान निर्धारित रहता है।

वर्तमान में कुछ पक्के मकान जरूर दिखाई देते है। आमतौर पर कुछ सम्पन्न जनजाति के लोग पक्के मकान बनवाते हैं।

वेषभूषा – पुरुष धोती लपेटते हैं। मोटा खुरदुरा कपड़ा कमर पर लपेटते हैं। सिर पर पगड़ी का साफा बांधते है। पढ़े लिखे युवक आधुनिक पोषाक पहनते हैं। स्त्रियाँ घाघरा, चोली, ब्लाउज या लुगड़ा ओढ़नी पहनती है। महिलाएँ रंग-बिरंगे कपड़े पहनती हैं। उनका घाघरा काफी बड़ा होता है उसे दोनों जांघों के बीच लपेटती है। उसी प्रकार पढ़ी लिखी लड़किँ आधुनिक पोषाक पहनती है।

भारत की प्राचीन प्रजातियों के भौगोलिक विस्तार के संबंध में कहा जाता है कि, 'मध्य भारत युग में गंगा नदी से पश्चिमी सीमा और हिमालय से वर्तमान द्राविड़ी सीमा तक भील लोग बसे हुए थे।'

गुजरात की राजधानी भीलमाल का वर्णन दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि मध्युग में गुजरात में भी भीलों का काफी विस्तार रहा है।

सी.एस. वैकंटाचार्य कहते है कि,'झाबुआ के भीलों की मान्यता के अनुसार मालवा के भीलों की परम्परा से पता चलता है कि ये लोग पश्चिम से आये थे परन्तु उनके आने के ठीक-ठीक काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन मालवा के भीलों की मान्यता रही है कि वे पहले डामोर थे। किसी काल में डामोर और बारकिया जनजाति के स्त्री को

* शोधार्थी, मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

लेकर विवादग्रस्त स्थिति में डामोर पराजित हो गये थे फलत: उन्हें अन्यत्र विस्थापित होना पड़ा था।'

आर.वी. रसेल का कहना है कि, खानदेश, राजपूताना और मध्प्रदेश की पर्वत श्रेणिों में तथा गुजरात में सतपुड़ा के पश्चिम समुद्र तक यफैले भूखण्ड को ही भील देश माना गया।

जनजातियों ने पितृ सत्तात्मक परिवार की परम्परा है। स्त्री-पुरुष के पारस्परिक आर्थिक सहयोग, भावात्मक गठबंधन सन्तानों को जन्म देना व उनका पालन-पोषण करना आदि कार्य सामाजिकरण के रूप में गृहीत हैं। विवाह पूर्व महिलाओं को यौन स्वतंत्रता पर उंगली नहीं उठाते हैं। इस संबंध में भीलों का दृष्टिकोण उदारवादी रहा है। विवाह के बाद किन्हीं पारिवारिक परिस्थियों के कारण कोई महिला तलाक लेने को भी स्वतंत्र मानी जाती है। इसके साथ ही युवा अवस्था की विधवा को भी पुनर्विवाह का अधिकार है। प्राय: अपनी ही उपजातियों में विवाह को मान्यता दी जाती है। सगोत्री विवाह जनजाति में कतई स्वीकृत नहीं करते।

वधू मूल्य की प्रथा - जनजातियों में प्राय: सभी में वधू-मूल्य के रूप में वर योग्य युवा को वधू के लिए वधू मूल्य वधू के माता-पिता तय करते हैं। धीरे-धीरे वधू-मूल्य की रकम बढ़ती गई जिससे वैवाहिक संबंधों में असन्तुलन की स्थिति पैदा हो गई हैं। कहीं-कहीं इसी के परिणामस्वरूप बलात्कार की स्थितियाँ भी बढ़ने लगी है।

कहीं-कहीं वधू मूल्य के विकल्प के रूप में यदि कोई विवाह योग्य युवा उसके अभिभावक की अनुमति से वधू-मूल्य देने की स्थिति में नहीं हों। घर जँवाई के रूप में वधू के माता-पिता की स्वीकृति से अपने परिवार में रख लिया जाता हैं। जहाँ युवक के सास ससूर घर के कृषि कार्य कर के वधू-मूल्य के रूप में रहता है। बाद में कुछ निर्धारित तिथि पर उसे स्वतंत्र किया जाता है। कहीं-कहीं उसे जमीन का कुछ हिस्सा देकर भी अपनी पुत्री के लिए आजीविका के रूप में सहयोग दिया जाता है।

जनजातियों में जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार का काफी महत्व है। और इन संस्कारों का पूरी निष्ठा से पालन भी किया जाता है। जन्म संस्कार में पुत्र या पुत्री संतान के रूप में पाना हर्ष का विषय माना जाता है। इससे पुत्री के रूप में भी संतान को प्रिय ही माना जाता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाता।

विवाह संस्कार में अनेक रस्में हैं जिनका पालन विधिपूर्वक किया जाता है।

मृतक संस्कार में कुछ लोग अपने मृतक वृद्ध बुजुर्ग की मृत्यु के स्मरणार्थ 'गाता' बनाते है और उनको प्रति वर्ष श्रद्धा अर्पित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सम्पूर्णानन्द, भारतीय संस्कृति का प्राण, स्नेह सम्मेलन, लोक संस्कृति अंक, पृ.25
2. सी.एस. वेकंटाचार्य, सेंसस ऑफ इंडिया 1931 तथा एथ्नोग्राफिक नोट्स ऑन द भील्स, सेन्ट्रल इंडिया
3. आर.वी.रसेल, दि ट्राइब्स एवं कास्ट्रस ऑफ दि सेन्ट्रल प्राविन्सेस ऑफ इंडिया, पृ.278

****

विद्यालयों में छात्रों के सीखने में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व - एक अध्ययन

डॉ. विभा तिवारी* अभिजीत वी. तिवारी**

प्रस्तावना - विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ शिक्षा का वह अंग है जो कि विद्यालयों में उनके, सदस्यों व छात्रों के संगठित प्रयत्नों द्वारा किया जाता है।विद्यालयी स्वास्थ शिक्षा का उद्देश्य विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को स्वास्थ सम्बन्धी अच्छी आदतों का ज्ञान देना तथा उनके स्वास्थ को बनाये रखना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।

स्वास्थ शिक्षा उन समस्त अनुभूतियों का योग है, जो स्वास्थ सम्बंधी आदतों, आचरण तथा ज्ञान को अनुकूल रूप से प्रभावित करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय एवं समाज को अधिक से अधिक स्वास्थ सम्बंधी शिक्षा देना है। स्वास्थ शिक्षा के अर्न्तगत हम अध्ययन करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रखा जाये, शारीरिक या मानसिक प्रणालियों को कैसे संतुलित व विकसित तथा समुन्नत रखा जाये, वे अपने शारीरिक मानसिक विकास को अवाध गति कैसे प्रदान की जाऐ। स्वास्थ शिक्षा सम्बंधी सद्व्यवहारों का समूह मात्र है। इसमें हम ऐसे व्यवहारों का अध्ययन करते है जो अच्छे स्वास्थ के लिए आवश्यक है, विद्यालयी स्वास्थ शिक्षा, स्वास्थ शिक्षा का वह अंग है जो कि विद्यालयों में उनके, सदस्यों व छात्रों के संगठित प्रयत्नों द्वारा किया जाता है।

डॉ. थॉमस वुड ने इस संदर्भ में कहा है 'स्वास्थ शिक्षा उस अनुभव समूह का नाम है जो व्यक्ति, समुदाय और समाज की स्वास्थ सम्बन्धी आदतों, दृष्टिकोण और ज्ञान पर अनुकूल प्रभाव डालता है।'

यदि स्वास्थ कार्यक्रम को अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बनाना हो, तो इसका भली प्रकार नियोजन होना आवश्यक है। इसमें विद्यालयों के सभी व्यक्तियों के अतिरिक्त अभिभावकों का सहयोग भी लिया जाना चाहिये। विद्यालय के सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे विद्यालय के स्वास्थ कार्यक्रम में योगदान दें, मगर सम्पूर्ण कार्यक्रम का प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए। अत: हर स्कूल में शारीरिक शिक्षक एक सुयोग्य स्वास्थ निर्देशक के रूप में कार्य कर सकता है।

स्वास्थ शिक्षा का क्षेत्र -स्वास्थ शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है सामान्यत: इसके क्षेत्र के अर्न्तगत बालकों का स्वास्थ संरक्षण, उनके स्वास्थ्य में उत्पन्न विभिन्न दोषों एवं बीमारियों की खोज एवं उसका निराकरण तथा उनके स्वास्थ की वृद्धि के लिए स्वास्थ संम्बन्धी नियमों से अवगत कराना निहित है अत: शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ विद्यान तथा सामुदायिक स्वास्थ से सम्बंधित तथ्यों के ज्ञान की आवश्यकता है। स्वास्थ शिक्षा के अर्न्तगत निम्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं।

1. व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
2. स्वास्थ्य संरक्षण के उपायों का अध्ययन
3. विभिन्न रोगों के कारण लक्षण तथा रोकथाम के उपाय
4. भोजन, रहन, सहन, खानपान, तथा अन्य बातों का स्वास्थ्य पर प्रभाव
5. संतुलित आहार , भोजन के पाचक अंग तथा पोषक तत्व
6. स्वास्थ्य सेवायें तथा कान स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य
7. खेलकूद, कसरत, विश्राम, थकान तथा वातावरण आदि।
8. प्राथमिक चिकित्सा।

स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य-स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को यह सिखाना है कि:-

1. वे किस प्रकार स्वस्थ्य रह सकते हैं।
2. इसके साथ यह भी सिखाना है कि वे स्वास्थ्य के स्तर को किस प्रकार उच्च बना सकते हैं।
3. स्वास्थ्य संरक्षण तथा शारीरिक विकास में सम्बंधित शिक्षा देना।
4. बालकों की अच्छी आदतों का निर्माण करना जिससे वे अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकें।
5. स्वास्थ्य सम्बंधी नियमों तथा कार्यक्रमों से अवगत कराना।
6. छात्रों को दुर्घटनओं एवं विभिन्न बीमारियों के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपायों के विषय में अवगत कराना।
7. शिक्षकों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी उन्नत बनाने में सहायता देना अगर छात्रों का स्वास्थ अच्छा होगा तो उनका सीखने का स्तर भी उच्च होगा।

विद्यालय एवं स्वास्थ्य शिक्षा -

1. विद्यालयों में छात्रों को समायिक व गहन डाक्टरी परीक्षण कराने की व्यवस्था होनी चाहिये।
2. विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा, भोजन द्वारा स्वास्थ्य योगासन आदि का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा सकती है।
3. विद्यालय में समय-विभागचक्र में स्वास्थ्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो तथा इसके शिक्षण का कार्य उपयुक्त व्यक्ति के हाथों सोंपना चाहिए।
4. समय समय पर विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बंधित चलचित्र आदि का आयोजन किया जा सकता है।
5. विद्यालय में वातावरण को स्वस्थ तथा स्वास्थयप्रद बनाये रखना चाहिये जिससे बालकों को यथासम्भव प्रेरणाा मिलती रहे।
6. विद्यालय में समय समय पर स्वास्थ्यवर्धक प्रतियोगितायें तथा स्वास्थ्य प्रोग्रामों का आयोजन करते रहना चाहिए। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य

* सहायक प्राध्यापक, आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजूकेशन, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, आई. आई. आई. टी. एम. कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा जैस आयोजन किये जा सकते हैं।

7. विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के शिक्षण की व्यवस्था का समय समय पर निरीक्षण होता रहना चाहिए।

बालक के स्वाथ्य और बुद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व

वंशानुक्रम	**वातावरण**
जन्म से पूर्व	**जन्म के पश्चात**
(1) मातृपोषण एवं सुरक्षा	(1) पोषण
(2) माता पिता की बीमारी	(2) सामाजिक दशा
(3) माता की आयु	(3) भौतिक दशा
(4) रसायनिक औषधियाँ	

अर्थात बालक के स्वास्थ्य पर वंशानुक्रम का प्रमुख प्रभाव पड़ता है शारीरिक रचना की कतिपय विशेषतायें स्वभाववश वंश परम्परा के प्रभाव से पूर्व में ही निर्धारित होते हैं। शारीरिक रचना की प्रवृत्ति अपने पूर्वजों द्वारा प्रदत्त होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्वजों के गुण या अवगुण बच्चों के स्वास्थ्य बुद्धि एवं विकास को किसी न किसी सीमा तक प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार बालक के जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात अच्छा पोषण मिलेगा वैसा ही बालक की अभिबृद्धि तथा विकास होगा, और जन्म के पश्चात अच्छा पोषण अच्छी सामाजिक स्थिति परिवेश तथा भौतिक दशा ठीक होती है। तो बच्चे का पूर्ण विकास होता है। अत: बालक के स्वास्थ्य एवं बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है।

विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य क्षेत्र–विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यक्षेत्र काफी विकसित हो गया है। श्रीमती रेणुकारे की अध्यक्षता में गठित समिति (1990) में विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्षेत्र को दो भागों में बाँटा गया है।

(i) सुरक्षात्मक

(ii) उपचारात्मक

इन दोनो के अन्तर्गत कई कार्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

1. छात्रों के स्वास्थ्य सम्बंधी दोषों का पता लगाना और उनका उपचार करना।
2. आरोग्यपूर्ण स्थितियों का विकास करना:–

(i) बालक के भोजन स्तर को सुधारने के लिए मध्य अवकाश भोजन की व्यवस्था करना।

(ii) खेल प्रतियोगिताओं मनोरंजक क्रियाओं द्वारा छात्रों के स्वास्थ विकास में सहायता करना।

3. विधिवत शिक्षण तथा अरोग्यपूर्ण जीवन के उद्देश्य से स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करना।

विद्यालय स्वस्थ्य सेवायें:–

1. संक्रामक रोगों का नियंत्रण शिक्षकों को बच्चों को संक्रामक रोगों से कैसे बचाये बताना चाहिए तथा स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता लेना चाहिए। छात्रों को टीके स्कूल चिकित्सालय में लगाये जा सकते हैं।
2. प्राथमिक उपचार के अतिरिक्त और किसी प्रकार का उपचार नहीं करना चाहिए जब कोई छात्र घायल हो जाये तो स्कूल का कर्तवय है कि उसे चिकित्सक के हाथों सौंप देना चाहिये।
3. उचित स्वास्थ्य व्यवस्था बनाये रखने के लिये शिक्षक को समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए जैसे – दांतों की सफाई कमजोर बच्चों पर ध्यान देना, श्रवण दृष्टि दोष वाले बालकों पर विशेष सेवायें दी जानी चाहिये।
4. शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालयों में होनी चाहिय जिससे विद्यार्थी का शारीरिक विकास सही दिशा में हो।
5. शिक्षकों को बालक की संवेगात्मक आवश्यकताओं का ज्ञान हो तथा वह बालक को भी उसके संवेगात्मक विकास हेतु आवश्यक गुणों को अपने व्यक्तित्व में उत्पन्न करने हेतु निर्देशित करना चाहिये।
6. स्कूलों में छात्रों की डाक्टरी जाँच भी करनी चाहिए अगर कमी कोई दोष का पता लगने पर डाक्टर शिक्षक को बताता है। शिक्षक माता पिता को जानकारी देता है। इसका भी रिकार्ड शिक्षक को रखना पड़ता है।

विद्यायल के स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक की भूमिका– आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वागीण विकास करना है मानसिक विकास, शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, अत: इस समय बालकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक अत: यह जरूरी है कि इस समय उनके स्वास्थ्य सम्बंधी अच्छी आदतों एवं व्यवहारों का अभ्यास डाला जाये तो उनके जीवन के लिये उपयोगी और समाज के लिये लाभप्रद है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करने में प्रधानाध्यापक का प्रमुख भाग है। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करने में प्रधानाध्यापक का प्रमुख भाग है। विद्यालय में स्वास्थ शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की दिशा में प्रधानाध्यापक निम्न कार्य कर सकता है।

1. स्वास्थ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना।
2. स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए समुचित व्यवस्था करना।
3. स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना।
4. छात्रों के स्वास्थ्य के निरीक्षण की व्यवस्था करना।
5. विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसार करना।
6. स्वास्थ्य शिक्षण हेतु उपयुक्त समग्री की व्यवस्था करना।
7. स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना।
8. स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सामुदायिक साधन उपलब्ध कराना।
9. स्वास्थ्य परीक्षक, शारीरिक शिक्षा का शिक्षक, नर्स डाक्टर, आदि की व्यवस्था करना।

निष्कर्ष वर्तमान समय में विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का बहुत महत्व है अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में जीवन एक झंझट तथा भार बन जाता है। जबकि अच्छा स्वास्थ्य सुख, शांति तथा संतोष लाता है। एवं परस्परिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कल्याण एवं उन्नति का आधार होता है। स्वस्थ्य नागरिकों से ही राष्ट्रशक्तिशाली बनता है इसीलिये कहा गया है कि पहला **सुख निरोगी काया–**निरोगी काया है तो सभी कुछ सुन्दर व सुखद होगा। स्वास्थ्य के ऊपर ही मानसिक विकास निर्भर करता है। यह कथन भी सत्य सिद्ध होती है कि 'SOUND MIND IN SOUND BODY' इसीलिए विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है।

शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक ही मानसिक क्षेत्रों में अग्रता प्राप्त करते है। प्राय: यह भी देखा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव मानसिक रोगों पर भी पड़ता है। स्वस्थ्य पुरूष मानसिक तनावों संवेगात्मक असंतुलन तथा संघर्षो से कम ही पीड़ित होते हैं।

व्यवहारिक जीवन के लिए भी स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक है स्वस्थ व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को अधिक क्षमता तथा कौशल के साथ पूरा करता है छात्रों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

संक्षेप में यह कह सकते है कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत, परवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन को समुचित किया जा सकता है। यर्थात में ये तभी सम्भव हो सकता है जबकि विद्यालयी स्तर पर स्वास्थ्य के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहिए क्योंकि आज का छात्र कल का नागरिक होगा अगर नागरिक स्वस्थ्य तथा स्फूर्तिवान होगे तभी राष्ट्र उन्नति कर पायेगा इसलिये विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व दिनप्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

विद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य ठीक होता है तो उनके शिक्षा प्राप्त करने के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ छात्र विद्यालयों में किसी भी विषय को सीखने में तत्पर होता है और उस क्षेत्र में विद्यालय में अपना उचित स्थान बना लेता है। इसीलिये विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बी.एल.शर्मा, बी.के.महेश्वरी, 'विद्यालय प्रबंध'आर.लाल. बुक डिपों निकट गवर्नमेण्ट इन्टर कॉलेज में मेरठ 2006
2. डॉ. एन के पुरी, डॉ. मीनाक्षी कपूर,'स्वास्थ विज्ञान एवं जनस्वास्थ', विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
3. डॉ. एस.के.त्यागी,'शैक्षिक प्रशासन एवं स्वास्थ्य शिक्षा' विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 2004/05
4. डॉ.आर.के.लाल, 'पाठशाला प्रबंध, सामुदायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य',विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
5. एस.पी.सुखिया, 'विद्यालय प्रशासन एवं संगठन', विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, 2005

****

भारतीय साहित्य में 'करुणा' की यात्रा : आवश्यकता एवं चुनौतियों के सन्दर्भ में

डॉ. अभिमन्यु वशिष्ठ*

प्रस्तावना – कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारम्।
सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।।

भारतीय संस्कृति संसार को महत्व न देकर प्राणियों को दु:ख से उद्धार के लिए दया तथा करुणा का भाव जाग्रत करती है।भारतीय साहित्य में वैदिक तथा श्रमण दोनों ही परम्पराओं में करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है।साहित्य की दृष्टि से हम देखें तो इस संस्कृति का प्रारंभ ही करुणा से होता है।करुणा के भाव की यात्रा भारतीय साहित्य का अभिन्न अंग है।

आदि कवि वाल्मीकि के विचारों में करुणा – स्वभाव से करुणा का अनुभव करने वाले आदि कवि वाल्मीकी तमसा नदी के तट पर निषाद द्वारा क्रौंच पक्षी का वध होते देख 'अधर्म हुआ है' ऐसा मानकर उसे जब श्राप देते हैं तो उनके कण्ठ से करुणा के कारण ही काव्यधारा फूट पड़ी –

तत: करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विज:।
निशाम्य रुदतिं क्रौंचीमिदं वचनमब्रवीत्।। रामायण 1,2,14।।
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा:।
यत् क्रौंचमिथुनादेकमवधी: काममोहितम् ।। रामायण 1,2,15।।

श्रमण परम्परा के बौद्ध मतावलम्बियों के विचारों में करुणा – ये करुणा को पर्याप्त महत्व देते हैं। बुद्ध की करुणा से अंगुलीमाल जैसे क्रूर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया।अशोक भी कलिंग के युद्ध में नरसंहार से रक्तरंजित दया नदी के प्रवाह को देखकर विचलित हो गये और बौद्ध मत की ओर आकृष्ट हुए।चण्डाशोक धर्माशोक हो गये।बौद्ध परम्परा में करुणा और महाकरुणा में भेद किया गया है। वसुबन्धु (400 ई.) के अभिधर्म काश के अनुसार साधारण श्रावक में करुणा होती है एवं बुद्ध में महाकरुणा।करुणा अद्वेष है और महाकरुणा अमोह। पुण्य तथा ज्ञान के महासंभार से महाकरुणा उत्पन्न होती है। महाकरुणा समस्त जीवों के हित-सुख में समत्त्वपूर्वक व्यापृत है।

सिक्ख परम्परा के विचारों में करुणा –श्री गुरु ग्रन्थ साहब में 'नदरि' शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है।इसका अर्थ है कृपादृष्टि अथवा करुणा। श्री गुरु गोविन्द सिंह जी एक सवैये में अपनी शौर्य और करुणा दोनों की अभिव्यक्ति करते हैं –

हे रवि हे ससि हे करुणानिध मेरी अबै बिनती सुन लीजै।।
और न मांगत हउ तुम ते कछु चाहत हो चित में सोई कीजै।।
सस्त्रन सों अति ही रण भीतर, जुझ्झ मरों तउ सांच पतीजै।।
संत सहाय सदा जगमाहीं कृपा कर सियाम इहै बर दीजै।।

मध्वाचार्य(1199-1293),रामानन्दाचार्य(1360-1450)व श्रीअरविन्द के विचारों में करुणा – मध्वाचार्य अपने अणुव्याख्या में मुक्त तथा अमुक्त जीवों में भेद करते हैं। अमुक्त जीवों में से कुछ तो मुक्त हो सकते हैं और कुछ नहीं। जो तामसिक जीव मुक्त नहीं हो सकते , उनमें से कुछ सदा संसार के बंधन में रहते हैं कुछ संसार से शाश्वत नरक में जाते हैं।राक्षस और भूत-प्रेत इत्यादि इस कोटि में आते हैं। मध्वाचार्य के अनुसार ईश्वर दयालु और कारुणिक तो है परन्तु वे कर्मानुसार जीवों को दण्ड भी देते हैं।इन्होंने अपने सर्वदर्शन संग्रह में कारुणिक सिद्धान्तियों का उल्लेख किया है।मध्वाचार्य के विपरित रामानन्दाचार्य ब्रह्मसूत्र पर अपने आनन्दभाष्य में सर्वमुक्ति का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार मोक्ष के लिए धर्म , जाति , वर्ण इत्यादि का भेद नहीं होता। ईश्वर यदि परम-कारुणिक हैं तो पुण्यात्मा और पापात्मा , भक्त या नास्तिक में वे भेद नहीं करते। यह तो ईश्वर का स्वभाव है कि वे मोक्ष प्रदान करें – ईश्वरस्तु पर्जन्यवत्। वर्षा का जल जमीन पर भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार सूर्य की धूप भी भेदभाव नहीं करती। रामानन्द की ही भांति श्री अरविन्द अपने ग्रन्थ दिव्य-जीवन में सर्वमुक्ति का प्रतिपादन करते हैं।

रामानुज(1017-1137) के विचारों में करुणा –रामानुज के अनुसार ईश्वर परम-कारुणिक हैं। उनकी कृपा के लिए भक्ति अथवा प्राप्तिअपेक्षित है। विष्णुप्रिया लक्ष्मी करुणारुपिणी हैं– 'देव्या कारुण्य रुपयेऽति तद्गुण सारत्वेन कारुण्यं स्वयमेवेती।' रामानुज प्राप्ति की परिभाषा करते हैं –

अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम्।
तदेकोऽपायता यंच प्राप्ति: शरणागति:।।(अष्टादश रहस्यार्थ विवरण, पृ.3)

शंकराचार्य के विचारों में करुणा – शंकराचार्य करुणा को कृपा , दया एवं सभी को अभय प्रदान करने वाले संन्यासी के अर्थ में व्याख्यायित करते हैं –'करुण एव च करुणा कृपा दु:खितेषु दया तद्वान् करुण: सर्वभूताभयप्रद: संन्यासी इत्यर्थ: ।'

भागवत-महात्म्य और भगवद्गीता के विचारों में करुणा – इसमें उल्लेख मिलता है कि भक्ति (करुणा) द्रविण देश में जन्म लेकर कर्णाटक तथा महाराष्ट्र में युवा अवस्था को प्रपप्त करती है तथा बड़े कष्ट से अपने दो पुत्रों – ज्ञान एवं वैराग्य के साथ गुजरात तथा उत्तर भारत में यात्रा करती है।

उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता।
क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता
वृन्दावनं पुन: प्राप्य नवीनेव सुरुपिणी
जाताहं युवती सम्यक् श्रेष्ठ रुपा तु साम्प्रतम्।।
– भागवतपुराण-महात्म्य, अध्याय – 1(48,50)

इसी प्रकार भगवद्गीता के अध्याय 12 के श्लोक 13 में 'करुणा'

* प्राचार्य, सिद्धेश्वर विनायक शि. प्रशि. महाविद्यालय, धरियावद, जिला – प्रतापगढ़ (राज.), गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.) भारत

शब्द का प्रयोग मिलता है।

शैव परम्परा के विचारों में करुणा – दक्षिण भारत की शैव परम्परा में करुणा को बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है। शैव सिद्धान्त करुणा या अनुग्रह (तमिल में अरुल) को सृष्टि , स्थिति तथा संहार का कारण मानता है।इसके अनुसार परमशिव पंचकर्म करते हैं जिसमें अवच्छेद तथा अनुग्रह या मोक्ष समाहित हैं। परम कारुणिक शिव जीवों को मोक्ष देने के लिए सृष्टि करते हैं।अघोर शिवाचार्य भोज के तत्त्वप्रकाश की टीका में शैवागम परम्परा का प्रतिपादन करते हुए इस कारुणिक स्वरुप की पुष्टि की गयी है। शैव परम्परा में महाकारुणिक सम्प्रदाय अनुग्रह को सृष्टि का प्रमुख कारण मानता है – अनुग्रहश्चात्रोपलक्षणम्।

तुलसीदास तथा अमृतलाल वेगड़ के विचारों में करुणा – रामचरित मानस (अरण्य काण्ड) में जटायु राम की स्तुति कर रहा है –

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं।
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं।।
सो प्रगट करुनानंद सोभा वृंद अग जग मोहई।
मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई।।

तुलसीदास ने मानस में सीताहरण के उपरान्त राम का करुण–विलाप दिखाया है – 'हे खग , मृग , हे मधुकर श्रेनी , तुम देखी सीता मृगनयनी ।'

श्री अमृतलाल वेगड़ ने अपनी नर्मदा–गाथा 'तीरे–तीरे नर्मदा' (2010) में अमरकण्टक तथा डिण्डोरी के बीच ग्रामवासियों के सुआ–गीत में इस करुण प्रसंग को इस प्रकार पाया है –

सीता ला हरके लैगे रावण, सीता ला हरके लैगे रावण
दे माई मोला भिक्खा मोरसुआ हो, दे माई मोला भिक्खा।
भिक्खा लेके निकले सीता, रावण चुरा के लैगे मोर सुआ हो।
दौड़ो–दौड़ो बचाव लछमन, दौड़ो–दौड़ो बचाव लछमन
रावण चुराके लैगे मोर सुआ हो........

चन्द्रशेखर मिश्र (1928–2008) के विचारों में करुणा –वाराणसी के चन्द्रशेखर मिश्र ने 'सीता' खण्ड काव्य में खड़ी बोली में गर्भवती सीता के परित्याग का करुणा में डूबकर वर्णन किया है। मिश्र जी का कहना है कि जब राम के बारे में कहा जाता है कि – 'अरिहुँ कऽ अनभल कीन्ह न रामा' तो फिर उन्होंने सीता जी के साथ ऐसा क्यों किया और यदि किया तो वे मर्यादा–पुरुषोत्तम कैसे हुए। इन्हीं सब न्यायोचित प्रश्नों को कवि ने इस ग्रन्थ में उठाया है –

ऐसा ना दण्ड विधान बना, निर्दोष रहे , नृप तो भी सजा दे।
देवों को साखी बनायेगा कौन, सुरेश से जाके कोई समझा दे।
शोभा न देता है राम के राज्य में, सत्य को आ के असत्य दबा दे।
अग्नि में भी नहीं साहस था, जो सिया तन में एक दाग लगा दे।
(पृ.40)

जब जगत्–जननी सीता को दूध की मख्खी की तरह निकाल दिया गया तब वज्रपात कर देने वाले इस अशोभनीय कृत्य को देखकर कवि – हृदय का द्रवित हो उठना स्वाभाविक है –

देश निकाला दिया निर्दोष को, हाय रे राम ने क्या कर डाला।
राजा को रोकने कोई बढ़ा नहीं, था सबने मुंह में दिया ताला।।
ऐरी सिया किस भांति अनीति का, लीला गया भरपूर निवाला।
औरों की बात तो जाने दो, कोई वृद्ध न था वहीं रोकने वाला।
(पृ.77)

महाभारत के विचारों में करुणा – महाभारत में दु:खी द्रोपदी का आर्तनाद सुनकर कृष्ण द्वारिका से पैदल ही चल पड़ते हैं किन्तु घटनास्थल पर वस्त्र–रुप में हो जाते हैं। उन्हें स्पष्ट रुप से कोई देख नहीं पाता –

याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गह्वरितोऽभवत्।
त्यक्त्वा शय्याऽऽसनं पद्भ्यां कृपालुः कृपयाम्भगात्।।
कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च, त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी।
ततस्तु धर्मोऽन्तरिती महात्मा, समावृणोद् वैविविधं सुवस्त्रः।।
– महाभारत , सभापर्व (45 , 46)

पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र तथा प्रतिभा राय के विचारों में करुणा – जबलपुर के पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने अपने महाकाव्य कृष्णायन (प्रकाशित,1984) के पूजाकाण्ड में (दुर्योधन के मुंह से) द्रौपदी को करुणा–मूर्ति कहा –

दीन आजु ये पाण्डु कुमारा, बैठे मनहुं धर्म–अवतारा।
वैसे हि दीन बदन यह नारी, करुणहिं मनहुं आपु तनु धारी।।

कुछ इसी प्रसंग को प्रसिद्ध उड़िया लेखिका प्रतिभा राय ने 'द्रौपदी' या याज्ञसेनी (प्रकाशित, 2004) उपन्यास में द्रौपदी के जीवन का विलक्षण कारुणिक चित्रण किया है। श्री शेकर लाल जी पुरोहित ने इस उपन्यास का हिन्दी अनुवाद किया है।

प्रतिभा राय ने अपने इसी उपन्यास में एक स्थान पर लिखा है कि – 'अज्ञात कुलशील कर्ण (राधेय) कुन्ती द्वारा धर्मपुत्र घोषित होने पर करुणा से विह्वल हो जाता है।'(पृ.163)

नरोत्तमदास के विचारों में करुणा – नरोत्तमदास ने अपने काव्य सुदामा–चरित में बताया है कि कृष्ण सुदामा को द्वारिका में पाकर आर्त हो जाते हैं। कवि के शब्दों में –

पानि परात की हाथ छुयो नहिं, नैनन के जल से पग धोये।
देखि सुदामा की दीन दसा, करुणा करिके करुणानिधि रोये।

आवश्यकता और चुनौतियां – करुणा का कुछ परम्पराओं में कम महत्व है। अद्वैत वेदान्त में साधक को राग–द्वेष से उपर उठकर स्थितिप्रज्ञ होना अभीष्ट है। यदि किसी नवजात शिशु की आंख पर कौआ चोंच मार रहा हो तो उसे उद्वेलित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ ओर परम्पराएं भी हैं जो करुणा के महत्व को कमतर करती हैं परन्तु करुणा के इस भाव में बडी शक्ति है , यह मानवतावाद की पोषक होने के साथ ही भारतीय विविधतापूर्ण विचारों के गुलदस्ते का ऐसा पुष्प है जो सुगंध में कम भले ही कम हो लेकिन मुर्झा नहीं सकता। आज सभ्य समाज के निर्माण और व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रतेक पहलु के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षाविदों और साहित्यकारों से इस ओर श्रम अपेक्षित है।

महात्मा गांधी आधुनिक युग में करुणा के अवतार ही माने जायेंगे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर एक विशाल विदेशी साम्राज्य की दासता से भारत को मुक्त कराया। अछुतों, कोढ़ियों और इस प्रकार के अन्य दु:खी लोगों के प्रति उनके मन में अपार करुणा थी।

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में करेन आर्मस्ट्रांग ने अपनी पुस्तक 'द केस फॉर गॉड' के विमोचन के अवसर पर (12 नवम्बर , 2009 को) यह बताया है कि करुणा का सिद्धान्त सभी धर्मों तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक परम्पराओं के हृदय में स्थित है। हमें सभी को आत्मवत् मानना चाहिए। आज बंटे हुए विश्व में हमको एक स्पष्ट प्रकाशमान तथा गतिशील शक्ति के रुप में करुणा को यथाशीघ्र अपनाना चाहिए। करुणा परस्पर–आश्रित जगत् में उत्पन्न होती है तथा यह मानवीय सम्बन्धों के लिए अनिवार्य है। मानवता की पूर्णता इसी में है। यह हमारी संबोधि का मार्ग है तथा एक न्यायसंगत

अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक समाज को शांतिपूर्ण ढ़ंग से चलने के लिए आवश्यक है।इस प्रकार करुणा न केवल भारतीय साहित्य, वरन् अन्य देशों के साहित्य में भी प्रमुखता से चर्चित तथा व्याख्यायित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दूबे, एस. पी, (2013),'दर्शन मयूख'. सागर : विश्वविद्यालय प्रकाशन।
2. तीर्थ, वी., (2013),'ऋग्वेद' .दिल्ली : मनोज पब्लिकेशन।
3. शर्मा, सी., (2010) ,'भारतीय दर्शन' .दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास।
4. शर्मा, वी., (2008),'आदर्श हिन्दी व्याकरण और रचना'. जोधपुर : राजस्थानी ग्रन्थागार।

****

जनसंख्या वृद्धि रोकथाम में सार्वजनिक सेवा विज्ञापन की भूमिका

डॉ. दीपमाला गुप्ता* श्वेता कानूनगो**

शोध सारांश – मीडिया में सार्वजनिक सेवा घोषणाओं का उद्देश्य जागरूकता, ज्ञान में सुधार, दृष्टिकोण और व्यवहार है। पीएसए विज्ञापन का पहला रूप है जो पारंपरिक रूप से समस्या ,संदर्भ और सामाजिक प्रभाव के अन्य रूपों को प्रभावित करता है। मीडिया के पास अभियान को विश्वास में बदलने की शक्ति है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आधुनिक दुनिया की गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन आदि को ही बढ़ावा देती, बल्कि ये देश के बढ़ते विकास और उन्नत होते प्रौद्योगिकी के लाभ को भी निगल जाती हैं। वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक संकेतक के रूप में विज्ञापन महत्वपूर्ण हो गया है। यह हमारे मूल्यों में बदलाव की दिशा में सुधार करता है। वास्तव में बिना विज्ञापन वाले देश की कल्पना नहीं की जा सकती। विज्ञापन समाज के लिए शिक्षा का एक माधयम है, सोशल मीडिया में विश्व स्तर पर जुड़ने की शक्ति है। यह विज्ञापन को व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाता है और समाज में पहुंचकर प्रभावी ढंग से संतुष्ट करता है। विज्ञापन का उपयोग सामाजिक हित, उत्पाद और सेवा के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना है, जो उस संस्कृति के भीतर लोगों के जीवन में सुधार ला सकता है।

शब्द कुंजी – सामाजिक सेवा विज्ञापन, सार्वजनिक सेवा विज्ञापन, जागरूकता, जनसंख्या वृद्धि रोकथाम।

प्रस्तावना – सार्वजनिक सेवा घोषणाएँ ,सामाजिक जागरूकता विज्ञापन आदि बढ़ावा देता है समुदाय के स्वास्थ्य के साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन ड्रग्स जैसे मुद्दे पर जागरूकता पैदा करता हैं, जिससे देश के प्रमुख सामाजिक मुद्दो पर लोग शिक्षित हों सके। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है यहा की मूलभूत समस्या जनसँख्या वृद्धि हैं

भारत में जनसंख्या – वृद्धि का सामान्य क्रम यह है कि हर पीढ़ी में वह दुगुनी होती रहती है। इस क्रम में सन् 1930–32 में भारत की आबादी 60 करोड़ थी, आज यह 1 अरब से अधिक हो गई है। वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमारे सामने अभी जनसंख्या विस्फोटक समस्या है। बढती हुई जनसंख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ थी, जो अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है

साहित्य समीक्षा – सुप्रसिद्ध विचारक गार्नर का मानना था की जनसंख्या किसी भी राज्य के लिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी साधन सम्पन्नता उसकेपास है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है– जनसंख्या किसी भी देश के लिए वरदान होती है परन्तु जब सीमा रेखा को पार कर जाती है, तब वही अभिशाप बन जाती है।

नोम चाम्सकी – आप बलपूर्वक अपनी जनसंख्या नियन्त्रित नहीं कर सकते। 'इन सब बातों पर धयान देकर जनसंख्या विस्फोट पर निश्चय ही नियन्त्रण पाया जा सकता है।'

विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, ने मानवों को सावधान करते हुए कहा है– 'हमारी जनसंख्या एवं हमारे द्वारा पृथ्वी के निश्चित संसाधानों के उपयोग ,पर्यावरण को अस्वस्थ या बीमार करने वाली हमारी तकनीकी क्षमता घातीयक रूप से बढ रही है।' आज प्रत्येक देशवासी को उनकी बातों से प्रेरणा लेकर देश को समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए।

भारत में जनसंख्या की वृद्धि, कारण, प्रभाव, और समाधान – जनसंख्या वृद्धि एक अवांछनीय स्थिति प्रदर्शित करता है जहां जनसंख्या उपलब्धा प्राकृतिक संसाधनों से कई गुना बढ़ गई है।

अफ्रीका की स्थिति भी अत्यधिक चिंताजनक है। स्पष्ट है कि उच्च आबादी वाले क्षेत्र सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। उनके निवासियों को भोजन तो मिलता है परंतु वो अपर्याप्त होता है और पोषक तत्वों के मामले में भी अच्छा नहीं होता हैं।

दुनिया के चार क्षेत्रों में आबादी का असहनीय बोझ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है –दक्षिणपूर्व एशियाई देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, भारत आदि इनमे आगे हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से जुड़े क्षेत्र की आबादी पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ रही है। लैटिन अमेरिका को दुनिया में जनसंख्या के लिए चेतावनी की घंटी बजाने के लिए ज़िम्मेदार माना जा सकता है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में कमी और आंतरिक अस्थिरता में वृद्धि देखी जा रही है। उपसहारा अफ्रीका में, उच्च जन्म और प्रजनन दर के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

दिलचस्प बात तो यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है वहां 311.1 मिलियन लोग रहते हैं जिनमें भारत की आबादी का केवल एक चौथाई हिस्सा समावेश है। यह अंतर तब और अधिाक आश्चर्य चकित हो गया जब यह माना जाने लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आकार में भारत की तुलना में तीन गुना बड़ा है।

कुछ भारतीय राज्य जनसंख्या के मामले में, कई देशों से अधिाक हैं। उत्तार प्रदेश 166 मिलियन की आबादी के साथ रशियन फेडरेशन 146.9 मिलियन से पिछे छोड आगे बढ़ गया है। इसी प्रकार उड़ीसा की आबादी कनाडा से और छत्तीसगढ़ ऑस्ट्रेलिया से अधिक है।

* एच्. ओ. डी., रेनेसा विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, रेनेसा विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण

1. बढ़ती जीवन प्रत्याशा
2. पारिवार नियोजन की कमी
3. बालविवाह:
4. शिक्षा की कमी
5. धार्मिक कारण
6. मानसिकता की समस्या

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव

1. प्राकृतिक संसाधानों पर बढ़ता बोझ:ध
2. अमीरी-गरीबी
3. जनसंख्या प्रवास

जनसंख्या वृद्धि द्वारा खाद्य और पोषण की समस्याएं, आवास की समस्याएं, भुखमरी और अकाल, संक्रामक रोग और महामारी, अधिकांश संसाधानों पर अत्यधिक प्रभाव, कृषि क्षेत्रों में कमी, जंगलों का निरंतर विनाश, वन्यजीवन सहित पर्यावरण के लिए खतरा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, सामाजिक बुराई और भ्रष्टाचार इत्यादि।

जनसंख्या वृद्धि समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

1. पारिवार नियोजन
2. शिक्षा
3. सरकारी नीतियां
4. महिलाओं को सशक्त बनाना
5. जागरूकता

जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से एक समस्या है जिसे हमारे देश , सरकार, एनजीओ और समाज के लोगों को जनसंख्या वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संकेतक के रूप में विज्ञापन महत्वपूर्ण हो गया है। यह हमारे मूल्यों में बदलाव की दिशा में सुधार करता है। वास्तव में, बिना विज्ञापन वाले देश की कल्पना नहीं की जा सकती। विज्ञापन समाज के लिए शिक्षा का एक माध्यम है, इसलिए हम इस माध्यम की उपेक्षा नहीं कर सकते।

सार्वजनिक सेवा घोषणा, कमर्शियल के समान है किसी विशेष विषय के बारे में दर्शकों को शिक्षित करना, जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता, सकारात्मक राय भारत में सार्वजनिक सेवा की घोषणा विज्ञापन जो पहली बार 1976 में शुरू हुआ और यह आबादी को लक्षित करने के लिए किया गया था परिवार नियोजन अभियानों के बारे में।

'हम दो हमारे दो' के नारे के साथ दो अभियान जारी किए गए हैं, और इससे समाज में बहुत प्रभाव पड़ा।

छोटा परिवार सुखी परिवार ने सार्वजनिक सेवा के विज्ञापन की ताकत और भारत के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार और समाज में पीएसए का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सकता है, इसका उपयोग भारतीय जनता के संबंध में मानव जीवन की कुल गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार जो परिवार नियोजन पर आधारित है और इसे प्रभावी ढंग से बनाया गया है और इसे परिवार कल्याण के लिए एक आंदोलन के रूप में मान्यता प्राप्त है।

निष्कर्ष - सार्वजनिक सेवा के विज्ञापन के बारे में बात करते हैं यह एक सामाजिक जागरूकता विज्ञापन है। सामाजिक सेवा भारत में विज्ञापन दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं समाज पर सकारात्मक प्रभाव, ग्रामीण, अर्धशहरी के लिए सांप्रदायिक विकास यह संदेशों के पूर्ण उपयोग के लायक है। जिन मुद्दों से अवगत कराया जाता है समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

समाज को विकसित करने के लिए उपरोक्त सोच को धयान में रखते हुए और इन मुद्दों को समाज से मुक्त करें, जो देश के विकास में बाधक है। इस प्रकार घोषणाएँ, सार्वजनिक सेवा विज्ञापन एक सकारात्मक परिवर्तन पीढ़ियों में बनाता है। हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए, यह आवश्यक है कि हम सब हमारे समाज से बुराई को दूर करें।

परिवार नियोजन को उस दलदल से बचाना होगा, जिसमें वह फँसा हुआ है। इसके लिए कार्यक्रम को आन्तरिक रूप से और विकास की इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। परिवार नियोजन अभियान को फिर से खडा करने के लिए अनेक उपाय करने होंगे।

भारत जैसे विकासशील देश में बढती जनसंख्या पर नियन्त्रण पाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप देश में अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, भूख, बेरोजगारी, आवासहीनता जैसी कई समस्याएँ उत्पन्न होगी और देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अत: जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ देश के प्रत्येक नागरिक को इस विकट समस्या से लड़ना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एबियोडून, O. O., और रविवार, ए। आई। (2013)। दरिद्रता सूचना के माध्यम से विचलन और संचार प्रौद्योगिकी: नाइजीरिया का एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, 4 (7), 20-24।
2. भारत में आधार योजना। (एन.डी.)। 5 जून को लिया गया, 2014,
3. आहूजा, आर। (1997)। भारत में सामाजिक समस्याएँ (2 ईडी।)। जयपुर: रावत प्रकाशन। 13।
4. अग्रवाल, बी.सी। (2006)।संचार प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास भारत: वादे और प्रदर्शन। इंडियन मीडिया स्टडी जजर्नल, 1 (1), 1-9।
5. एरियो, ओ।, एरियो, एम।, एवोटाइड, (2013)। नाइजीरिया के कडूना राज्य के कादुना उत्तर स्थानीय सरकार क्षेत्र में किसानो के बीच कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार में मास मीडिया की भूमिका का आकलन। जर्नल ऑफ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर, 3 (6), 19-28।
6. बोवर, सी।पी।, पाडिया, डब्ल्यू।एल।, और ग्लास, जी।वी।टी।एम।: समय श्रृंखला प्रयोगों के विश्लेषण के लिए दो फोरट्रान प्ट कार्यक्रम। बोल्डर: शैक्षिक अनुसंधान प्रयोगशाला, कोलोराडो विश्वविद्यालय, 1974.Google विद्वान
7. बकार, के। (2011)।ओगुनराज्य, नाइजीरिया में ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन जागरूकता सृजन पर चयनित संचार मीडिया की प्रभावशीलता। अफ्रीकी अनुसंधान की समीक्षा 5 (1)।
8. मैकबी, टी.ए. और काफ़्टी, टी.पी. एम जेकॉमन साइकोल (1982) 10: 723.
9. काज़ी, डब्ल्यू।ए। (1999)।मास मीडिया और सामाजिक जागरूकता, समाज कल्याण,
10. त्रिपाठी, आर। (2014) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और नैतिक मुद्दे प्रबंधन और अंतर राष्ट्रीय व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय

पत्रिका। 4, पीपी 297–308।

13. बेथ हेंड्रिक, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट परिभाषा, उद्देश्य और दिशा निर्देश अधयाय 8 / पाठ 4
14. जे।सिंधुजा, के। कृतिबन, 19 जनवरी, 2013, भारत में सामाजिक विज्ञापन का प्रभाव, विषय: विज्ञापन, समाजशास्त्र, मास मीडिया,–भारत–1368820।
15. नील हॉपकिंस, 4 फरवरी 2011, विपणन सिद्धांतकार / ब्लॉगर, एप्लाइड मार्केटिंग मैनेजर।
17. टॉडहेरोल्ड, 05/31/2013,'पेड सोशल ब्लॉग्स', में सोशल मार्केटिंग में सफलता की कुंजी।
18. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन (यूएस) 21 वीं शताब्दी में जनता के स्वास्थ्य का आश्वासन देने वाली समिति। 21 वीं सदी में जनता के स्वास्थ्य का भविष्य। वाशिंगटन (डीसी): नेशनल एकेडमीज प्रेस (यूएस); 2002. 7, मीडिया। से उपलब्धा: 221224।
19. कृष्णापाल सिंह और अनुराग सिंह, (2017), भारत में युवा सेवा विज्ञापन: साहित्य, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 2348–3954, (ऑनलाइन) 2349–2546 (प्रिंट) खंड 5, (अंक 3, मार्च 2017),
20. आशीष से सीईओ, ग्रामीण सहकारी बैंक, डॉ.सविता मिश्रा
21. आनंद, एस, और आर कान्बर, 1993,'कुजनेट्‌सप्रोसेस एंड इन इक्वलिटी–डेवलपमेंट रिलेशनशिप,' जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 40: 25–52।
22. भगवती, जे (1993), संक्रमण में भारत। अर्थव्यवस्था को मुक्त करना।ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस।
23. दत्ता, जी और एम रावलियन (2002),'इंडिया ज पोस्ट–रिफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ लेफ्टदपु अरबिहाइंड', जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स 16 (3): 89–108।
26. दत्त, जी और एमरावलियन (2011),'क्या भारत का आर्थिक विकास आर्थिक सुधारों के पक्ष में अधिक समर्थक बन गया है?' विश्व बैंक आर्थिक समीक्षा 25 (2): 157–189।
27. दत्त, जीऔर एम रावलियन(2016),'भारत में विकास, शहरीकरण और गरीबी में कमी', वर्किंग पेपर 21983।
28. इस्वरन, एम और कोतवाल (1994), व्हाई पॉवर्टी पर्सन इन इंडिया: अफ्रेम वर्क फॉर अंडर स्टैंडिंग द इंडियन इकॉनमी, दिल्ली: ऑक्स फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
29. कोतवाल, ए, बी रामा स्वामी और डब्ल्यू वाधवा (2011),'आर्थिक उदारीकरण और भारत आर्थिक विकास क्या साक्ष्य है', आर्थिक साहित्य का जर्नल 49: 4, 1152–1199
30. श्वेता कानूनगो, पीएचडी शोधार्थी, रनेसा विश्वविद्यालय, इंदौर रोल ऑफ़ पब्लिक सर्विस एडवरटाइजिंग इन न्यू मीडिया, शोध सरिता , 2348–2397, वॉल्यूम नंबर7, इशू नंबर 25, जनवरी – मार्च2.2., पेज नंबर – 322–327।

****

भारत में कम नगद अर्थव्यवस्था : चुनौतियां एवं संभावनाएं

डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर* डॉ. जी. एल. मालवीय**

शोध सारांश – विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक अनुठा प्रयोग और प्रयास है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कालेधन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर अंकुश लगाने के साथ–साथ नकदरहित अर्थव्यवस्था तैयार करना था। नगदरहित लेन–देन में परदर्शिता का लाभ है, लेकिन ऐसे देश में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन–देन के लिए बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त है, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नगदरहित बनाना संभव नहीं हैं। इसलिए अब कम नगद अर्थव्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। कम नगद अर्थव्यवस्था में साइबर अपराधों का खतरा चिंता का एक बड़ा कारण है। आईटी के बुनियादी ढाँचे की बड़ें पैमाने पर जरूरत होगी जोकि आजादी के 70 साल बाद भी भारत के पास नही है। तथापि कमनगदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि हम साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धांधली, औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन, जागरूकता अभियान और समुचित निवारण प्रणाली जैसे मुद्दों से हम कितने प्रभावशाली ढंग से निपटते है।

प्रस्तावना – आजादी के बाद से शायद ही ऐसी कोई नीति, कार्यक्रम या अभियान है जिसने हर एक भारतीय के जीवन में इतना सीधा असर डाला हो जितना विमुद्रीकरण ने डाला है। विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग और प्रयास है। भारत में पहले भी दो बार विमुद्रीकरण किया गया है पहले 1948 और फिर 1978 में लेकिन उन दोनों मौको पर भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी जीवंत नही थी। जिन नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, वे बहुत बड़ी कीमत वाले थे और बहुत कम लोगों के पास इतने बड़े नोट हुआ करते थे। इसलिए आम आदमी को तब ज्यादा परेशानी नही हुई। इस बार विमुद्रीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक रहा। नि:संदेह किसी भी अर्थव्यवस्था में से कालेधन को पूर्ण रूप से खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में नगदी में लेन–देन कम करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विमुद्रीकरण के कारण नगदी में कमी हो गयी और इसने सरकार को इलेक्ट्रानिक भुगतान एंव अंतरण की ओर जाने के लिए विवश किया। हालांकि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाना तथा कालेधन को समाप्त करना था, पर नगदरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना एक आवश्यकता के रूप उभर कर सामने आया है। यद्यपि विमुद्रीकरण का विमर्श परिवर्तित हो चुका है, सरकार एक नगदरहित अर्थव्यवस्था के बीज बो चुकी है। भ्रष्टाचार कम करने और अर्थव्यवस्था में कालेधन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, मुख्य तथा नगदी पर आधारित अर्थव्यवस्था से इलेक्टॉनिक अंतरण की ओर बढ़ना, जिसके लिए सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच और सुविधा की आवश्यकता है।

एक नगदरहित अर्थव्यवस्था का विचार दरअसल कागजी मुद्रा से डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ने की एक क्रान्ति है, जो आमतौर पर कालेधन के प्रवाह को रोकने तथा नगदी के प्रवाह की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाया जाता है।

विमुद्रीकरण और नगदरहित अर्थव्यवस्था जैसे भारी भरकम माने जाने वाले विषय पर होने वाले गंभीर विमर्श का दायरा आर्थिक विशेषज्ञों और बौद्धिक समूहों के गोलमेज सम्मेलन से बहार निकलकर हर आम–ओ खास द्वारा नुक्कड़–चौराहों पर होने वाली चर्चा तक विस्तारित हो गया। नगदरहित अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री की दृष्टि जहां स्पष्ट है और वह इसे समानांतर चलने वाली भ्रष्टाचार आधारित अर्थव्यवस्था आतंकवाद की फंडिंग और फर्जी मुद्रा जाली नोटों की समस्यां को साधने का उपाय के तौर पर देखते है वही कुछ अर्थशास्त्रियों के मन में इसकी सफलता को लेकर संशय भी है। मूलरूप से यह संशय देश में नगदरहित अर्थव्यस्था के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी को लेकर है।[1]

नगदरहित अर्थव्यवस्था के लाभ – विमुद्रीकरण के पीछे सरकार का एक और उद्देश्य नगदरहित अर्थव्यवस्था तैयार करना है। नगदरहित लेन–देन में पारदर्शिता का लाभ है, जिसमें सभी प्रकार के लेन–देन का पता लगाया जा सकता है। और उस पर नजर रखी जा सकती है। इससे आतकी संगठनों तथा अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए दी जा रही रकम का पता लगाने में सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही लोगों के पास मौजूदा सफेद धन बैंको में रहेगा और सरकार को उसकी जानकारी भी रहेगी, जिससे यह रकम वापस तंत्र में जायेगी और जरूरतमंद लोगों को ऋण दिये जा सकेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अवैध सम्पत्ति आदि मुद्दों से पीड़ित है। मैकिसे के अध्ययन में कहा गया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा डिजिटल वित्त को बड़े पैमाने पर अपनाये जाने से उसके सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। अध्ययन में कहा गया है,'भारत में 2025 तक 700 अरब अमेरीकी डॉलर की वृद्धि के साथ यह वृद्धि 11.8 प्रतिशत हो सकती है'।[2] भ्रष्टाचार और कालेधन के शिकंजे को तोड़ने के लिए लेखा परीक्षा और प्रवर्तन अभिकरणों जैसे विभिन्न तरीके हमेशा मौजूद रहें है, लेकिन नगदरहित अर्थव्यवस्था का विचार अधिक आर्कषक है।[3]

नगदरहित प्रणाली से अर्थव्यवस्था में निम्नाकित में रचनात्मक प्रभाव पडेगें।

*सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत

- **पारदर्शिता एवं निगरानी–** सरकार नगदरहित लेनदेन की आसानी से निगरानी कर सकती है। अत: कर अपवचन कठिन होगा और इससे राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी।
- **अपराध दर में कमी–** आतंकवाद का वित पोषण और कालेधन को वैध बनाने नशीले पदार्थो की तस्करी, वैश्यवृत्ति जैसी ज्यादातर समाज–विरोधी एवं अवैध गतिविधियों को केवल नगदी में ही अंजाम दिया जाता है। एक नगदरहित अर्थव्यवस्था में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना कठिन होगा।
- **भुगतान का सुविधा जनक तरीका–** लेन–देन में आसानी के कारण यह निश्चित रूप से नगदरहित होने को बढ़ावा देता है। नगदरहित अर्थव्यवस्था सभी को (निम्न आय वर्ग को छोड़कर) नगद में व्यापार या लेन–देन करने की लागत में कमी समेत ढेरों लाभ प्रदान करती है।
- **बैंकिंग के लिए बेहतर–** एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बैंकिंग प्रणाली की मदद करेगी। एक बार लोग डिजिटल भुगतान एवं अंतरण के आदी हो जायेगें तो नगदी साथ रखना या नगदी की जमाखोरी में कमी आएगी। सरकार और वित्तीय संस्थान भी उपभोक्ताओं के लिए आसान और उच्चतर ऋण प्रवाह प्रदान करके ई–ट्रांजेक्शन के इस्तेमाल के संबंध में साख निर्माण कर सकते है।
- **मुद्रा छापने की लागत में कमी–** नए नोट छापने और गंदे एवं कटे–फटे नोटों को बदलने में काफी लागत आती है। 2015 में आरबीआई को नोट छापने में 27 बिलियन रूपये की लागत आई। अगर हम एक नगदहित समाज की ओर बढ़ते है तो यह लागत कम की जा सकती है।

नगदरहित अर्थव्यवस्था के समाने चुनौतियां – विमुद्रीकरण ने पूरी अर्थव्यवस्था को कम नगदी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया है लेकिन लोगों और साथ ही सरकार के समाने इसने कुछ चुनौतियां भी पेश की है। डिजिटल होने के मुद्दे पर भारत में आम सहमति है लेकिन क्या समुचित बुनियादी ढांचे के बगैर यह संभव है? सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या है। एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को हेक कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षित एजेंसी का डाटा चोरी कर लिया गया तो आप अपना डेटा कैसे बचा पायेगें। अभी एस बी आई का कितना डाटा चुरा लिया गया कि उन्हे दुबारा डेबिट कार्ड जारी करने पड़े। सीआईए का आरोप है कि रूस ने उनका सारा लोकतांत्रिक पद्धति का डाटा चुरा लिया। सारे ताकतवर देश चीन, रूस, अमेरिका यहां तक कि उत्तर कोरिया सारे हेक कर रहे है। इसलिए कैशलेश इतना आसान नहीं है।[4] ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंको तथा स्टेट बैंक समूह के एटीएम केवल 20.8 प्रतिशत है और निजी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम 8.5 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम मिलना बहुत मुश्किल है। ई–वॉलेट और मोबाईल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत होती है लेकिन आबादी के चौथाई से भी कम हिस्से के पास स्मार्टफोन है, तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सेवा मंहगी है मिलना मुश्किल है। सार्वजनिक वाई–फाई, हॉटस्पॉट और मोबाईल फोन बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी कुछ गिने–चुने ही है। और साइबर सुरक्षा भी चिंता का विषय है। कम नगदी वाली अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने के लिए सरकार को यह सुनिष्चित करना चाहिए।[5]

- **कार्ड के भुगतान का तरीका घाटे का न हो–** कार्ड या डिजिटल प्रणाली के जरिये भुगतान नगद भुगतान की तुलना में खर्चीला नहीं होना चाहिए। बैंक अक्सर आनलाईन भुगतान या इलेक्टॉनिक विनिमय के लिए शुल्क काट लेते है। इससे आनलाईन भुगतान के तौर तरीको को चोट पहुंचती है क्योंकि नगदी के इस्तेमाल पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है।
- **मजबूत अवसंरचना तैयार करना–** भुगतान का तरीका अलग–अलग भुगतान टर्मिनल की उपलब्धता, स्वीकार्यता और उससे संपर्क से तय होता है। सरकार को अवसंरचना तैयार करने की जरूरत है। इसके तहत स्मार्टफोन, इंटरनेट, ब्राडबेंड कनेक्शन आदि मुहैया करना शामिल है। भुगतान का नगदरहित तरीका तकनीक पर आधारित है लिहाजा इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन मूल शर्ते है।
- **सूचना की सुरक्षा–** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेन–देन और उपभोक्ता संबंधी सूचना दर्ज हो। इससे निजता के हनन का खतरा है। मिसाल के तौर पर स्वीडन में भुगतान प्रणाली के डिजिटाइजेशन के बाद बैंक डकैती के मामले मे जबरदस्त कमी आई, लेकिन आनलाईन भुगतान के फर्जीबाड़े के मामले बढ़े है।[6] लिहाजा आंकड़ों की सुरक्षा और सूचना की निजता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। जोखिम को कम करने के लिए एक मजबूत प्रणाली के अलावा शिकायतों का भी तेजी से निपटारा होना चाहिए।
- **कर में कमी तथा मजबूत ई–वाणिज्य नीति–** देश में सख्त ई–वाणिज्य नियम जरूरी है, जो नगद रहित भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही स्मार्टफोन और टेबलेट जैसे सूचना और प्रोद्योगिकी उपकरणों पर कम कर दिया जाना चाहिए इससे लोगों के डिजिटल भुगतान के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।

नगदरहित समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम – नगदरहित अर्थव्यवस्था चंद दिनों या महिनों में कायम नही की जा सकती, यह एक दीर्घकालिक प्रकिया है। लोगों को यह बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। प्रश्न यह है कि नगदी क्यों आवश्यक है? भारत जैसे देश में जहां गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी प्रमुख समस्याएं है, वहां हाथ में नगदी संरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की मूलभूत जरूरत पूरी हो और बुनियादी ढांचाा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने में ध्यान केंद्रित करें।[7] विमुद्रीकरण के कुछ समय बाद ही सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न डिजिटल तरीकों को अपनाने के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए है यथा–

- **उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना–** डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने 25 दिसंबर 2016 को डिजिटल लॉटरी योजनाओं जैसे उपभोक्ताओं कि लिए लकी ग्राहक योजना तथा व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना की शुरूआत की। रूपे कार्ड अनस्टक्टचर्ड सप्लेमेंटी सर्विस डाटा (यूएसएसडी) यूपीआई और आधार समर्थित भुगतान प्रणालियां इन योजनाओं का हिस्सा है।
- **वित्तीय साक्षरता अभियान–** वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरूआत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था और लेन–देन के नगद रहित तरीकों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना है।
- **आधार भुगतान एप–** 25 दिसम्बर 2016 को सरकार ने एक आधार एप की शुरूआत की। यह किसी व्यक्ति के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ता है। यह एप एक बायोमैटिक रीडर से जुड़ा होगा और उपभोक्ता अपनी आधार संख्या दर्ज करेगा और अंतरण के लिए बैंक का चुनाव करेगा। इस

एप की एक विशेषता यह है कि बिना फोन के इसका इस्तेमाल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

- **बीएचईएम (भारत इंटरनेट फॉर मनी)-** प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2016 को ऑनलाईन लेन-देन को आसान बनाने के लिए बीएचआईएस नामक ई-वॉलेट एप की शुरूआत की। इस आधार आधारित मोबाईल भुगतान एप्लीकेशन के द्धारा कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से सीधे भुगतान कर सकता है। केवल आपका मोबाईल नम्बर बैंक खातें से जुड़ा होना चाहिए और उसके बाद धन अंतरण के लिए बस एक क्लिक की ही देरी है।

अन्तर्राष्टीय अनुभव और आगे का रास्ता - भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में विजन 2018 के अन्तर्गत बेहतर भुगतान और निपटान प्रणाली के जरिये भारत को कम नगद अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि भारत को कम नगद समाज बनाने की दिषा में बढ़ना चाहिए और यह नगदी रहित समाज बनाने में अहम कदम होगा।[8] स्वीडन केन्या और ब्राजील समेत कई देश सफलतापूर्वक कमनगद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े है। उनका अनुभव बताता है कि कमनगद अर्थव्यवस्था को वैसे नियमों की जरूरत होती है जिनसे ऑनलाईन लेन-देन की सुरक्षा मजबूत अवसंरचना और ग्राहकों के हित सुनिश्चित किए जा सके।[9] वर्ष 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था में नगदी का चलन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 12.3 फीसदी था।[10] जबकि ब्राजील में यह आंकड़ा 3.8 फीसदी दक्षिण कोरिया में 5.6 फीसदी और स्वीडन में 1.7 फीसदी था। भारत में 68 फीसदी से भी ज्यादा लेन-देन नगदी में हुए जो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है।[11] हालांकि इन्डोनेशिया और रूस में नगदी लेन-देन भारत से भी ज्यादा है। थाईलैन्ड, ब्राजील और चीन जैसे विकासशील देशों में भुगतान के लिए नगदी का इस्तेमाल भारत के मुकाबले काफी कम है। स्वीडन नगदी का बेहद कम इस्तेमाल करने वाले देशों में प्रमुख है। इस देश में अधिकांश भुगतान इलेक्टानिक माध्यमों से होता है। स्वीडन में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल यूरोप के सकल औसत इस्तेमाल से तीन गुना ज्यादा है।[12]

जहां तक विकासशील देशों की बात है, तो केन्या ने सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन भुगतान के लिए उपाय किए है। विश्व बैंक की वैश्विक फिनडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में केन्या की 58 फीसदी व्यस्क आबादी के पास मोबाइल मनी के सक्रिय खाते थे, जो दुनियाभर में सबसे ज्यादा है।[13] दक्षिण कोरिया में कार्ड की पहुंच बाकि देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। कम नगदी के प्रचलन वाले देशों में भुगतान के कई आम तरीकों का भी इस्तेमाल बढ़ा है। इसमें इलेक्टानिक मनी टर्मिनल और मोबाईल मनी भुगतान प्रणाली शामिल है। भारत मे इन तौर तरीकों के लिए सीमित अवसंरचना उपलब्ध है। भारत में 2016 में सिर्फ 17 फीसदी वयस्क लोगों के पास स्मार्टफोन था जबकि दक्षिण कोरिया और केन्या मे आंकड़ा क्रमश: 88 फीसदी और 26 फीसदी है।14 साथ ही भारत में 2015 में 26 फीसदी लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे जबकि ब्राजील और चीन का यह आंकड़ा क्रमश: 59.8 फीसदी और 50 फीसदी रहा। दक्षिण कोरिया और स्वीडन मे तो 90 फीसदी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते है। इसी तरह भारत में ब्राडबैंड कनेक्शन प्रति 100 लोग पर सिर्फ 1.34 हैं जबकि स्वीडन में 36.07 और अमेरिका में यह 40.25 है।15 हालांकि बाकि देशों का यह अनुभव यह दिखाता है कि कम नगद अर्थव्यवस्थो में अवसंरचना की तरफ बढ़ने के लिए सरकार वित्तीय संस्थान और कारोबार को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा देश में कर की दर कम होना चाहिए।

मुद्रा व्यवस्था किसी भी आधुनिक तंत्र की रीढ़ होती है, सभी प्रकार का कारोबार व्यवसाय या किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया-किलाप का आधार अर्थव्यवस्था की प्रचलित मुद्रा ही होती है। इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हुए भी मुद्रा व्यवस्था की सीमाएं और कुछ विसंगतियां होती है। इन सभी विसंगतियों में सबसे प्रमुख है नगद विनिमय जो कालेधन का मुख्य स्त्रोत है। साधारणतया ऐसा देखा गया है कि जिस देश की भ्रष्टाचार सूचकांक में बेहतर है उन देशों के नगदी लेन-देन 10 प्रतिशत से भी कम है।[16] डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि ऐसे देश है जो ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल के सूचकांक में कम भ्रष्ट राष्टों में गिने जाते है वहीं इन देशों में नगद लेन-देन कुल लेन-देन के 10 प्रतिशत से भी कम होता है। गंगोपाध्याय 2009 रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी वित्तीय रूप से समायोजित नही है। ग्रामीण भारत में 93 प्रतिशत से ज्यादा लोगों में अभी किसी भी तरह का डिजिटल लेन-देन नहीं किया है। गूगल इंडिया और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले साल भारत में 75 प्रतिशत लेन-देन नगदी पर आधारित था जबकि अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि विकसित देशों में यह सिर्फ 20-25 प्रतिशत ही है। अनौपचारिक क्षेत्र भारत मे सबसे बड़ा रोजगारदाता है और मुख्य रूप से नगद लेन-देन पर चलता है। यही वजह है कि नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था वित्तीय समावेशन की मौजूदा नीतियों से आगे जाकर काम करने वाली होनी चाहिए।[17]

जनसामान्य की समस्याओं एवं देश की आर्थिक समस्याओं के समाधन के लिए कम नगद अर्थव्यवस्था का आह्वान केवल भारत की प्रकृति के अनुरूप है बल्कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के सामाजिक जीवन में इसका प्रचलन बहुतायात में होता रहा है। भारत की समृद्धि, सामाजिक व्यवस्था एवं स्वच्छ आर्थिक व्यवहार के लिए कम नगद की भूमिका प्राय: महत्वपूर्ण रही है।[18] कम नगद अर्थव्यवस्था का उद्देष्य भ्रष्टाचार मिटाने के साथ-साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े गरीब का कल्याण है। संसाधन जितना नीचे तक जितनी अधिक मात्रा में पहुंचेगें सामाजिक न्याय उतना ही सुनिश्चित होगा। नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री ने वितरणीय न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का ये कारगर कदम उठाया है।[19] विमुद्रीकरण के फलस्वरूप सबसे महत्वपूर्ण लाभ आर्थिक दृष्टि से है जैसे कालेधन को मुख्यधारा में लाना और उस पर आयकर लगाना, मुद्रास्फीति की दर कम करना, राजकोषीय घाटे की दर को कम करना। वही दूसरी ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नकली नोटों को खत्म करना और साथ-साथ आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाना तथा सामाजिक दृष्टिकोण से सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना इत्यादि है।

निष्कर्ष - मुद्राहीन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए इसकी संभावनाओं को तलाशना दुनिया भर के नीति नियंताओं के बीच अत्यधिक रूचि का विषय बन गया है। देशहित में नगद रहित अर्थव्यवस्था का कार्य भारत में गरीबों के आर्थिक समायोजन, पारदर्शी शासन एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बड़ा पड़ाव है। विमुद्रीकरण एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है जिसका असर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर भी पड़ेगा। नगद रहित लेन-देन पारदर्शिता लाने एवं निगरानी रखने दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन ऐसे देश में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा निरक्षर है और ग्रामीण

क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन के लिए बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नगद रहित बनाना संभव नहीं है। इसलिए अब कम नगद अर्थव्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है यानि अर्थव्यवस्था को ऐसी प्रणाली तैयार करना, जिसमें कुछ लेन-देन नगद में हो और बाकी डिजिटल भुगतान हो। कम नगद अर्थव्यवस्था में साइबर अपराधों का खतरा चिंता का एक बड़ा कारण है। अन्तराष्टीय अनुभव यह दिखाता है कि कम नगद अर्थव्यवस्था में अवसंरचना और इसे सहारा देने वाले नियमों की जरूरत होती है। विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण किया गया है कहीं सफल रहा है और कही-कही ज्यादा सफल नहीं रहा है।

भारत में यह कितना सफल रहेगा, यह इस बात पर निर्भर होगा कि भारत की भारी-भरकम निरक्षर और अर्द्धसाक्षर आबादी में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जागरूकता उत्पन्न की जाती है, जहां इंटरनेट की सुविधा न के बराबर है। आईटी के बनियादी ढाँचे की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी जोकि आजादी के 70 साल बाद भी भारत के पास नहीं है। तथापि कम नगदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि हम साइबर सुरक्षा, ऑनलाईन धांधली, औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन, जागरूकता अभियान और समुचित निवारण प्रणाली जैसे मुद्दों से हम कितने प्रभावशाली ढंग से निपटते है। एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ईमानदार नौकरशाही, जागरूक नागरिक, ठोस कानून व्यवस्था, नैतिक सामाजिक तंत्र इत्यादि का निर्माण कर कालेधन कि खिलाफ छिड़ी मुहीम को अंजाम तक ले जाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चन्द्र अविनाश : बाजार के सहयोग से बनेगी नगद रहित अर्थव्यवस्था, योजना, वर्ष : 61, अंक : 02, फरवरी 2017, पृ. क्र. 45
2. चौधरी जयंत राय : भ्रष्टाचार और कालेधन से निपटने के लिए विमुद्रीकरण, रोजगार समाचार, खण्ड : 41, अंक : 34, नई दिल्ली 19-25 नवंबर 2016, पृ. क्र. 60
3. साहू प्रभाकर एवं अरोड़ा अमोहा : नगदी अर्थव्यवस्था से कम नगद अर्थव्यवस्था की ओर, योजना, वर्ष : 61, अंक : 02, फरवरी 2017, पृ. क्र. 14
4. कुमार अरूण : कैशलेश जल्दबाजी से स्थिति और जटिल होगी, दैनिक भास्कर, भोपाल, मंगलवार 13 दिसंबर 2016, पृ. क्र. 6
5. मुखर्जी अर्पिता एवं गोयल तनु एम : कम नगद अर्थव्यवस्था दुनिया के बरक्स भारत, योजना, वर्ष : 61 अंक :02, फरवरी 2017, पृ. क्र. 31
6. मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिये प्रधानमंत्री का देश को संबोधन, जिसका प्रसारण 26-27 नवम्बर 2016 को किया गया। http://pmonradio.nic.in/ पर उपलब्ध।
7. राजपूत अर्चना : नगदी रहित अर्थव्यवस्था- भविष्य की संभावनाएं, रोजगार समाचार, खण्ड: 41, अंक : 39, नई दिल्ली 24-30, दिसंबर 2016, पृ. क्र. 39
8. http//rbidocs.rbi.org.in/rdocs/publicationreport / pdfsvision2018A8972f5582FHB2B8B46C5B66CE396A.PDF
9. hhttp://www.bis.org/cpmi/pub/di55.pdf
10. hhttp://www.business&stanard.com/article/economy&policy/inforgraphic&68&oftransactions&in&India&are&cash&based&11611/400495_1.html
11. http://www.thelocal.se/20160229/why&sweden&is&winning&th&race&to& become&the& first&cashless&socity
12. fo'o cSad dk Xykscy fQuMsDl MsVkcsl 2014] http://doucument.worldbank.org/curated/187761468179367706/pdf/wps7255. pdf#page3
13. hhttp://www.liveprint.com/consumer/yt140gtsc7dyywWsynwokn/only&17&indons&own&smartphones&sureg.html
14. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के आंकड़े रू http://www.itu.int/en/it&D/statistics/page/start/default.asp
15. hhttp://www.theguardian.com/business/2016jun/04/sweden&7cashless&society& cards&phone&app&loading&europe
16. झा रोहित देव : कालाधन पर कारगर अंकुश, योजना, वर्ष : 61, अंक : 02, फरवरी 2017, पृ.क्र. 21, 23
17. सौरभ समीरा : नगद रहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर योजना, वर्ष : 61, अंक: 02, फरवरी 2017, पृ.क्र. 33, 34
18. शर्मा पवन कुमार : सामाजिक विनिमय कम नगद अर्थव्यवस्था क आधार, योजना, वर्ष : 61, अंक: 02, फरवरी 2017, पृ.क्र. 53
19. सिंह स्वदेश : नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन से गरीब कल्याण, योजना, वर्ष : 61, अंक: 02, फरवरी 2017, पृ.क्र. 50

****

ग्वालियर दुर्ग में जल प्रणाली की विवेचना

डॉ. ममता खोईया*

प्रस्तावना – ग्वालियर दुर्ग जलापूर्ति की दृष्टि से अधिक सफल रहा है, क्योंकि कोई भी शत्रु इसे जल की कमी के कारण कभी हस्तगत नही कर सका। इसके जलाशय अत्यधिक गर्मी के दिनों में भी नही सूखते। इनकी बनावट के आधार पर इन्हें निम्नलिखित चार वर्गो में विभक्त किया जा सकता है:–वापी, कूप, तड़ाग तथा कुण्ड।[1]

अस्सी खम्बा बाबड़ी पहाड़ी को चारों ओर से एक ऊँची प्राचीर द्वारा घेर दिया गया है। इसका निर्माण बड़े–बड़े पाषाणखण्डों को जोड़कर गोलाकार रूप में किया गया है। गूजरी बाबड़ी पहाड़ी के नीचे गुजरी महल के उत्तरी भाग में स्थित है।[2] वापी का निर्माण छोटे–छोटे पाषाणखण्डों को जोड़कर किया गया है। वापी के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर तल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ निर्मित की गई है।

धोन्धा बावडी पहाड़ी के उत्तरी–पश्चिमी भाग में धोन्धादेव द्वार के बाहर स्थित है। इसका निर्माण पहाड़ी के पाषाणखण्डों द्वारा अर्धचन्द्राकार रूप में किया गया है। इसके पूर्वी सिरे पर जल की सतह तक सीढियाँ निर्मित की गई है। वापी के ठीक ऊपर दुर्ग की प्राचीर है, जिसमें एक घाट निर्मित किया गया है।

शरद और अनार बाबडी हथियापौर और लक्ष्मणपौर के बीच में पहाड़ी को काटकर निर्मित की गई है। इसी प्रकार अनार बाबड़ी की भी संरचना है। धर्गज बाबड़ी धर्गज द्वार के नीचे स्थित है। अत: इसे धर्गज बाबडी कहते है।

सूरजकुण्ड तड़ाग पहाड़ी के मध्य भाग में स्थित है। पूर्व तथा पश्चिम की ओर जल तक पहुँचने के लिए सोपान निर्मित है। तालाब के मध्य में एक छोटा–सा मंदिर है। मंदिर निर्माण हेतू जब समीपस्थ पहाड़ी को काटकर पत्थर निकालने गये होगे तब उस स्थल पर एक कुण्ड सा निर्मित हो गया होगा।[3]

त्रिकोनिया ताल पहाड़ी के उत्तर–पश्चिमी कोने पर स्थित है। इसका आकार त्रिकोणीय होने के कारण त्रिकोनिया ताल कहते है।[4] जोहरा ताल भी किले के उत्तरी भाग में शाहजहाँ महल के सम्मुख स्थित है। तालाब की दीवार के उपरी भाग में चारों ओर 18 प्रणालियों की व्यवस्था है, जिनसे वर्षा का जल एकत्र किया जा सकता है।[5] शाहजहाँ ताल का निर्माण बड़े–बड़े पाषाणखण्डों को जोड़कर किया गया है। जलद्रोणि तक पहुँचने के लिए पूर्व और पश्चिम में सोपान बने है।

मानसरोवर ताल का आकार बेडौल है और देखने से ऐसा प्रतीत नही होता कि इसका निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया है। सम्भवत: भवनों के निर्माण के लिए इस स्थल से पाषाण–खण्ड निकाले गये है, जिसके कारण यह जलाशय बन गया है। रानीताल और चेरी ताल यह दोनों तड़ाग पहाड़ी के उत्तरी–पश्चिमी कोने पर स्थित है जलद्रोणि प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाई गई है। उसके उपरी भाग को पाषाण–खण्डों से जोड़कर सुदृढ़ किया गया है। सात स्तम्भों पर आधारित निचला बरामदा सामान्यत: जल–मग्न रहता है। चेरीताल तालाब के जल तक पहुँचने के लिए सोपान निर्मित किए गए है। इन सरोवरों के निर्माण का श्रेय राजा मानसिंह की रानी और उसकी दासी चेरी को दिया जाता है।

गंगोलाताल दुर्ग के लगभग मध्यभाग में तेली मंदिर के सम्मुख स्थित है। तलहटी ऊँची–नीची होने के कारण यह कही पर अधिक गहरा है तथा कही पर कम है।[6] कटोरा ताल को कटोरे जैसा गोल होने के कारण कटोराताल कहते है। ऊपरी भाग में वर्षा का जल एकत्र करने हेतू छोटी–छोटी प्रणालियॉ निर्मित की गई है।

एक खम्बाताल एक पाषाण से निर्मित है। दक्षिणी–पूर्वी कोने पर जल तक पहुँचने के लिए सोपान निर्मित किए गए है। तालाब का निर्माण मूलत: पत्थर काटने से हुआ है। कालान्तर में जलद्रोणि के उपर पाषाण–खण्डों को जोड़कर इसे सुदृढ़ किया गया है। धोबी ताल पहाड़ी के दक्षिणी भाग में रानीताल और चेरीताल के निकट स्थित है। इसके उत्तरी तथा दक्षिणी कोने पर सोपान निर्मित है। नीचे का भाग पत्थर काटकर प्राकृतिक रूप से बनाया गया है तथा उपरी भाग को पाषाण–खण्डों को जोड़कर इसे सुदृढ़ किया गया है। नूरी ताल पहाड़ी के पूर्वी भाग में गणेषपौर के निकट स्थित है। इसके उत्तरी पूर्वी कोने पर सोपान निर्मित किए गए हैं

सास–बहू ताल का उल्लेख कंनिघम ने अपनी रिर्पोट में किया है। उनके अनुसार यह सास–बहु के समीप स्थित था। उस समय यह सामान्यत: सूखा पड़ा रहता था। इसके मध्य में स्तम्भों की एक पंक्ति भी थी। वर्तमान समय में सास–बहू के मंदिर के आस–पास इस प्रकार का कोई तालाब उपलब्ध नही है।

अत: हम कह सकते है कि प्राचीन समय में निर्मित बावड़ी जल संग्रहण की दृष्टि से अद्भुत है। इन ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान की जल समस्या दूर कर सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अपराजितपृच्छा– गायकवाड़ ओरिएन्टल सीरिज , बड़ौदा 1950
2. सिंह,अमर – ग्वालियर दुर्ग,मंदिर एवं मूर्तियॉ लखनऊ,1996 पृ.36
3. सरकार, डी.सी. – सेलेक्ट इंसक्रिप्शन भाग 1, लखनऊ, 1961 पृ.400
4. कनिंघम – आकियॅालाजिकल सर्वे रिर्पोट ,भाग–2 ,1871 पृ.343
5. द्विवेदी, हरिहरनिवास – ग्वालियर राज्य के अभिलेख, ग्वालियर 1947 पृ.8–11
6. कटारे, संतलाल – टू गंगोलाताल इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ दी किंग्स ऑफ ग्वालियर

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, सारंगपुर, जिला–राजगढ़ (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

'राम की शक्ति पूजा' के आलोक में कवि का जीवन संघर्ष

डॉ. राजाराम परते*

शोध सारांश – राम की शक्ति पूजा में विचलित राम का संघर्ष पत्नी मुक्ति हेतु रावण की असुरी शक्ति के सापेक्ष शक्ति की उपासना हेतु समर्पण में दृष्टव्य है। वस्तुत: यही आत्म संघर्ष सामाजिक विषमता एवं विद्रुपता के सापेक्ष निराला के जीवन पर्यन्त संघर्ष का ही परिचायक है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत की तत्कालीन अमानवीय बर्बरता के खिलाफ निराला स्वाधीनता आन्दोलन में भारतीय जनमानस से सर्वस्व आहूत करने का आह्वान करते हैं। निराला ने व्यक्तिगत पीडा को सारभौमिक स्वरूप प्रदान कर दासता की बेडियों से माँ भारती से मुक्ति हेतु शंखनाद करते हैं।

कवि का व्यक्तित्व पहले आशा के स्वर को तो पीछे आक्रोश के स्वर को और अंत में परम सत्ता के आह्वान के स्वर को लेकर चला है।

प्रस्तावना – छायावादी युगीन काव्य पृष्ठभूमि में निराला सबसे सशक्त अभिव्यक्ति लेकर अवतरित होते हैं। उनकी रचनाओं का मूल स्वर विद्रोहात्मक है । विद्रोह युगीन विषमताओं की उपज है। यही विद्रोह कवि के जीवन को आन्दोलित करते हैं । परिणामस्वरूप आक्षेप लगते हैं, तीव्र विरोध होता है किन्तु इस कालजयी कवि ने अपनी रचना प्रक्रिया खंडित नही होने दिया । निराला की कविताओं में जीवन से तप्त होकर उद्‌भूत भावनाऐं संघर्ष कसौटी पर कसकर कुन्दन की तरह निखर गई हैं जो साहित्य समाज के लिए आदर्श बन गई हैं। कवि का संघर्ष नियति से है, समाज से है । सामाजिक जीवन में सत् और असत् वृत्तियों का संघर्ष चिरन्तन है । निराला के जीवन में असत् वृत्तियाँ हावी थीं और यही स्थिति सम्पूर्ण समाज, राष्ट्र की भी थी। इसलिए कवि इनसे मुक्ति हेतु कविताओं में आक्रोश व्यक्त करता है किन्तु व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सापेक्ष परिणाम न पाकर विचलित और निराश होता है, फलत: काव्य में स्थान-स्थान पर नैराश्य भाव की अभिव्यक्ति होती है ।

राम विलास शर्मा निराला का परिचय देते हुए लिखते है ।'छ: फूट से लम्बा शरीर कंठ पर लहराते हुए कुंचित केश वेश अस्त व्यस्त कभी कुर्ता धोती कभी तहमद या लूंगी विशाल नेत्र अजंता की कारीगरी सी लंबी और वर्क उंगलीयॉ पम्प शू फटी चप्पल या नंगे पैर बातचीत में अटपटा जिसे हम सभ्यता और शिष्टा कहते है। उसका उल्लंघन करने वाला मतवाला के सम पर नाम निराला'।

वास्तव में कवि का व्यक्तित्व अक्खड़, स्वाभिमानी, निर्भीक, पहलवानों सा व्यवहार करने वाला था ।अपने इसी व्यक्तित्व के कारण जीवन के आरम्भ से लेकर जीवन काल तक संघर्ष करते रहते हैं। व्यक्तिगत जीवन में हो सामाजिक जीवन में हो चाहे साहित्यिक जीवन में ,पग-पग पर उन्हे विरोधों का सामना करना पडता है। उनकी कविता एवं व्यक्तित्व का निरादर भी हुआ। तत्कालीन विषमताओं को देखकर अनैतिक तत्वों से खिन्न होकर उन्होने उनसे मुहं नही मोड़ा अपितु डटकर मुकाबला किया। सांसारिक जीवन में अभेद्य दीवारों से टकराकर उनकी मानसिक चेतना बार-बार आहत हुई ऐसा लगता है कि साहित्यिक जीवन में कवि सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए उत्पन्न नही हुआ था। इसलिए उनका जीवन संघर्षमय रहा।कवि के व्यक्तिव एवं कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए डॉ. राम विलास शर्मा लिखते हैं – '**जीवन दृष्टा अनेक हुये है,जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी कमी नही जो मृत्यु का सामना करके जीवन वरण करते है, उन विरले साधको मे थे निराला।'**

परिमल की बहुत सी पंक्तियों में जीवन संघर्ष की वेदना अभिव्यक्त हुई है। कहीं वह चाहते है कि थके हुये पथिक की तरह कुछ क्षणों के लिए विश्राम करलें –

'जीवन प्रात के लघुपात – सा
रह जाये चुप निर्द्वन्द्व
कभी सोचते है कि तुम्हारे
प्रेम ऑचल में एक दिन रोना थम जायेगा।'

इसी तरह कवि की अन्य कविताओं की अनेक पंक्तियॉ भी इसी भाव-भूमि को व्यक्त करती हैं –

'बह रही है हृदय पर केवल अमा'
(स्नेह निर्झर बह गया)

कवि अपने जीवन के दुख को माया कहकर टाल नही देता वरन उससे बहुत ही प्रभाव पूर्ण पंक्तियॉ निर्मित करता है–

'मेरा अन्तर वज्र कठोर
दना जी भरसक झकझोर
मेरे दुख की गहन अंधतम,
निशि न कभी हो मोर
इतना वंदन अभिनन्दन
जीवन चिरकालिक क्रंदन ।।'

परिमल की बाद की रचनाओं में यह वेदना का स्वर और अधिक गम्भीर और स्पष्ट होता गया है।

'सरोज स्मृति' में सब से बढकर क्षत-विक्षत पिता की करूण वाणी प्रगट होती है – जिनमें उनका सम्पूर्ण जीवन संघर्ष का सार चित्रित हुआ है–

'दुख ही जीवन की कथा रही,
क्या कहुँ आज जो नहीं कही।।'

नियति के सामने पराजित होने का यही भाव **वनबेला** की निम्नलिखित पंक्तियों में भी है –

'हो गया व्यर्थ जीवन,

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, परसवाडा, बालाघाट (म.प्र.) भारत

मै रण में गया हार।'

राम की शक्ति पूजा अक्टूबर 1936 की रचना है। अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका में संकलित सभी कवितायें जीवन की कटुता और प्रखर वेदना के गीत बन गए हैं। इसलिए रामविलास शर्मा ने इसे ही – जीवन का 'चिरकालिक कंदन' कहा है। राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियों की एक लम्बी कविता है। जिसमें निराला ने स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया है। चूंकि यह एक कथात्मक कविता है, इसलिए संलिष्ट होने के बावजूद इसकी रचना सरल हो सकी है। पौराणिक प्रसंगों के आलोक में सत्य और असत्य के शाश्वत संघर्ष का चित्रण आधुनिक भाव बोध के साथ किया गया है। इस कविता में कवि ने राम को देवत्व की भावभूमि से उतार कर साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। इसलिए मानविकी के कारण मन थकता भी है और टूटता भी है साथ ही अनिष्ठ की आशंका भी बराबर बनी रहती है।

कविता का आरंभ – 'रवि हुआ अस्त' की गहन गंभीर पृष्ठ भूमि के साथ होता है और उसका अंत विराट देवी के अवतरण और राम में शक्ति की समाहिति के साथ होता है। सूर्यास्त हो गया है। ज्योति के पत्र पर सत् और असत् का संघर्ष अपराजेय रूप में अंकित हो गया है। संघर्ष अमर है। वस्तुत: निराला का यह जीवन संघर्ष अपना हैं। आजीवन असत्य वृत्तियों से संघर्ष करते हैं। परिमल का कवि भी इसी भाव भूमि को निम्नलिखित पंक्तियों मे व्यंजित करता है–

'सूर्यास्त हो रहा है,
दिन, पल, मास विष की
अग्नि उगल रहे है
और असफल जीवन जल रहा है।'

यही राम का संघर्ष है और निराला का भी।

राम की शक्ति पूजा में – राम की तरह निराला ने भी अनुभव किया था कि**'वे शर हो गये रण में श्रीहत, खण्डित।'** कवि तो समाज की प्रतिक्रियात्मक शक्तियों से जूझ रहे थे।काव्यगत रूढियों को तोड़ रहे थे, लेकिन असर हीन। हृदय की वेदना इन पंक्तियों में अभिव्यक्त होती है–

'एक साथ जब शत घात घूर्ण
आते थे मुझ पर तुले तूर्ण
देखता रहा मै खडा अपल,
वह शर– क्षेप वह कौशल।'

डॉ. बच्चन सिंह लिखते है –'साहित्य में विरोधियों के व्यंग्य बाणों से वे बिंध चुके थे। घर, समाज, बिरादरी और साहित्य में उन्हे असफलता का ही अभिशाप मिला है।'राम की शक्ति पूजा लिखकर अपनी प्रतिभा से उन्हे परास्त कर रहे थे। तो दूसरी ओर उनके विरूद्ध व्यंग्य स्वरों का निक्षेप कर रहे थे।फिर भी प्रगतिशील शक्तियॉ संशय ग्रस्त थी–

'**रह– रह उठता जग जीवन में रावण– जय– भय**' ।

कवि ने इसी यथार्थ को अनुभूत किया था। परिस्थितियों से लड़ते हुये श्रांत।

'राम की शक्ति पूजा' कवि के व्यक्तित्व से पर्याप्त प्रभावित है इसका कथानक आधुनिकता से युक्त होकर मानव जीवन की विविध स्तरों पर चेतना को प्रभावित करती है। राम के जीवन के आत्म संघर्ष को मनोवैज्ञानिक स्तर पर बडा ही प्रभाव शाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए निराला को 'महाप्राण'कहा जाता है। सच्चाई में उनकी लोक प्रिय कविता 'राम की शक्ति पूजा' साहित्य का महाप्राण ही है।

राम की शक्ति पूजा में वर्णित राम का अन्तर्द्वंद, विजय के साधनो के रहते हुए भी निराशा किंतु साधन में विश्वास मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से चरम बिंद्रु को स्पर्श करता है। एक ही क्षण में राम के उठने– गिरने , सर्वथा विरोधी भावों का सुन्दर चित्रण पूरी गहनता के साथ अभिव्यक्त होते हैं –

'**देखते राम, जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर,**
ताडका सुबाहु, विराध, शिरस्त्रय, दूषण, खर।'

साथ ही जीवन के इसी प्रसंग का विरोधी चित्र भी सम्पूर्ण सघनता के साथ चित्रित होता है–

'फिर देखी भीमा– मूर्ति आज रण देखी जो,
फिर सुना हस रहा अट्टहास रावण खल–खल
भावित नयनों से गिरे दो मुक्ता दल।'

राम का अंतर्द्वंद और साधना में अटूट विश्वास निराला के ही जीवन के दो पहलू है। राम अपनी वानर सेना के साथ अपने शिविर की ओर चलते है, जटा मुकुट खुल गया है, और उनकी पीठ, बाहुओं पर और छाती पर फैल गया है–

'दृढ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल,
फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर वृक्ष पर विपुल।।'

पराजित मानसिकता के समय राम का जो दृश्य कवि ने चित्रित किया है, ध्यान से विचार करे तो यह दृश्य स्वंय की मानसिक दशा का प्रतीत होता है। वैसे ही अस्त व्यस्त बाल बिखरे हुये, चिंतित भाव मुद्रा। फिर भी राम की शक्ति पूजा का कवि जीवन के गहन अंधकार में भी आशावादी है निम्नलिखित पंक्तियों में इसी भाव की अभिव्यक्ति है –

'उत्तरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशान्धकार
चमकती दूर तारायें ज्यों हो कही पार।'

निराशा के क्षणों में आशा की एक किरण निराला के काव्य में सर्वत्र मिलती है क्योंकि चरम निराशा तो मृत्यु की बोधक है। आशा ही जीवन की गतिशीलता को बनाएं रखती है। इसलिए यहां गहन अंधकार में दो तारे चमकते हैं तथा बालों से ढके मुख पर राम की ऑखों की दो पुतलियां चमक रही है। वस्तुत: निराला के जीवन संघर्ष का ही बिंब प्रस्तुत हुआ है। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है। क्योंकि तुलसी के राम मर्यादा पुरूषोत्तम हैं। अवतारी ईश्वर है। वे यहां मानवीय लीलाऐं कर रहे है किंतु निराला के राम एक साधारण मानव है। अत: उसका अत्मविश्वास प्रबल शत्रु एवं उसकी आसुरी शक्तियों के आगे डगमगा जाता है। वह सामान्य मानव की भांति आशा निराशा के झूले में झूलता दिखाया गया है।

'है अमा–निशा, उगलता गगन घन– अंधकार,
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार।'

चारों ओर अंधेरा राम के हृदय में भी और निराला के हृदय में भी, राम के मन में संशय है रावण को जीत पायेंगे या नहीं ? असमर्थ होकर हार मान रहा था। इसी मनोदशा मे राम को सीता की याद आती है –

'जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छबि अच्युत
देखते हुए निष्पलक, याद आया उपवन,
नयनों का नयनो से गोपन–प्रिय संभाषण।'

यही मनोदशा कवि की भी है। जीवन के प्रत्यावलोकन में स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। राम की शक्ति पूजा पत्नी प्रेम की कथा है। कवि सौन्दर्य और प्रेम का कवि है। इसका वर्णन करते हुये वह देखता है की कली अपने लावण्य से समुचे वन को लुभा रही है। भ्रमर का गीत उसकी गंध से मिलकर एक हो जाता है–

देख पुष्प द्वार,

'परिमल मधु लुब्ध मधुप करता गुंजार' ।।

राम जिस शक्ति के आह्वान के लिए कृत्य संकल्प है , पृकृति जगत में जिस विराट पार्वती रूप की कल्पना करते हैं, वह दर्शनीय है। वस्तुत: शक्ति के प्रति निराला की अपनी निष्ठा का ही प्रतिफल है।

जब साधक राम की परीक्षा के लिए दुर्गा पूजा का सुरक्षित कमल उठा ले जाती है इस अति प्राकृत दृश्य को प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करना चाहिए। बडे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य को विघ्न बाधाओं के पथ से गुजरना पडता है । अनेक बलिदान देने होते है। राम की इस हतप्रभ मन: स्थिति में जैसे जीवन की असहायता कातरता ध्वनित हो उठती है –

'धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध,
धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।'

यह पूरी पंक्ति कविता का सूत्र है । यही कवि के जीवन का सत्य है। इन पंक्तियों की लोकप्रियता का कारण इनमें निहित यही आधुनिक जीवन बोध है। ये पंक्तियॉ स्वयं निराला के जीवन को भी उसी तरह प्रक्षेपित करती है, जिस तरह राम के जीवन को। राम के द्वारा कही गई इन पंक्तियों के माध्यम से निराला अपने वैचारिक जीवन संघर्ष को व्यक्त कर रहे हैं। कवि को अपने जीवन में निरन्तर विरोध झेलने पडे । परिवार, समाज, प्रकाशक, आलोचक सबने उनका मुखर विरोध किया परिणामत: वे निरन्तर जीवन संघर्ष से जूझते रहे। जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने हेतु वे निरन्तर संघर्ष करते रहे किंतु अन्तत: अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। यहॉ राम की व्यथा निराला की अपनी व्यथा बन गई है और यह धिक्कार राम अपने को ही नही दे रहे अपितु निराला भी स्वयं को धिक्कार रहे है। राम की निराशा में निराला का अपना जीवन मुखरित हो उठा है, वह जीवन जिसे सदा ही बीहड़ रास्तों से गुजरना पडा है। कवि के व्यक्तिगत जीवन का सत्य इन पंक्तियों में उद्घाटित हुआ है। अत: यह कहा जा सकता है कि कवि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने वैयक्तिक जीवन को काव्य में व्यक्त करता है।

कविता के अन्त में कवि ने आत्म निवेदन के लिए जिस विराट मातृरूप की कल्पना की है मातृ वियोग ने कविता में भव्य रूप धारण किया है। इस कल्पित माता से वे शक्ति के लिए प्रार्थना करते है और उनसे अपना दु:ख भी निवेदन करते है । प्रार्थना करते है कि जीवन के रथ पर चढ़कर मृत्यु पथ पर बढे और महाकाल के तीक्ष्ण शरों को सह सके। उन्हे क्षमता दे।

फिर भी –

'वह एक और मन रहा राम का जोन थका,
जो नही जानता दैन्य, नही जानता विनय,
कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय ।'

राम के मन के समान कवि का भी एक मन था जो कभी नही थका वही मन शारीरिक और मानसिक व्याधियों पर विजय पाकर गीतों मे प्रगट होता रहा।

उपसंहार – 'राम की शक्ति पूजा'वास्तव में निराला की ही जीवन संघर्ष गाथा है – राम के जीवन का संघर्ष कवि के साथ मेल खाता है– राम किशोरावस्था में ही माता–पिता से अलग होकर विश्वामित्र के आश्रम के लिए प्रस्थान करना, धनुष भंग करने के बाद परशुराम का कोपभाजन बनना, अयोध्या लौटने पर युवराज पद की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधा, पुन: माता– पिता और पुरवासियों को बिलखते छोडकर लक्ष्मण और राजकुमारी पत्नी के साथ चौदह वर्षो के लिए वन गमन करना, पिता की मृत्यु और वन में रावण द्वारा सीता हरण करना जीवन संघर्ष की गाथा है। राम के जीवन के तरह निराला का भी जीवन वैसा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। युवावस्था में ही परिवार के पांच व्यक्तियों की असामयिक निधन पश्चात पारिवारिक जिम्मेदारी, महिषादल में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तारी, मतवाला में कविताओं का छपना बन्द होना, रविन्द्र की कविताओं का अनुवाद करने का आरोप और कलकत्ते से लेकर लखनऊ तक साहित्यिक और आर्थिक संघर्ष, प्रकाशकों द्वारा आर्थिक शोषण करना, फटेहाली में पुत्री सरोज का विवाह और अन्त में समुचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में मृत्यु। जीवन संघर्ष की कहानी है ।

'राम की शक्ति पूजा' निराला की ही नहीं सम्पूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ठ उपलब्धि है । इसमें कवि नें एक ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म का । इस कविता में अधर्म का चित्रण एक प्रचंड शक्ति के रूप में हुआ है जिसके सामने एक बार तो राम का साहस भी कुंठित होने लगता है। यह स्थिति एक ओर तो कवि के व्यक्तिगत जीवन के भयानक संघर्ष से संबद्ध हो जाती है और दूसरी ओर युगीन संघर्ष की विकरालता को भी व्यंजित करती है।

निराला का जीवन अनेक अभावों एवं विपत्तियों से पीडित रहा, किन्तु इन्होने किसी विपत्ति के सामने झुकना नही सीखा। अभावों की तीव्र एवं मर्मान्तक व्यथा को झेलते हुए भी साधना मे तल्लीन रहे किन्तु सामान्य मानविकी जीवन मे कोई कब तक इस तरह जी सकता है ? निराला का मन और बुद्धि तो संघर्षो की उपेक्षा करते हुए अविचलित रहे किन्तु उनकी चेतना के भीतर जैसे कुछ टूट रहा था, घुल रहा था। उनके जीवन में उनकी चेतना अथक, अविचल संघर्ष की कहानी कहते है, वहॉ उनके जीवन की विपत्तियों और व्यथाओं की दुर्निवार शक्ति को भी व्यंजित करते है । राम की शक्ति पूजा में शक्ति की मौलिक कल्पना और आराधना करना तथा अपराजेय संघर्ष कवि के व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध हो जाती है ।

राम की शक्ति पूजा में राम का संघर्ष निराला के ही जीवन का संघर्ष है। इसलिए राम विलास शर्मा ने लिखा है– निराला संघर्षो का कवि है। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए डॉ. बच्चन सिंह लिखते है– राम की शक्ति पूजा का युद्ध उनका अपना युद्ध है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास– डॉ. नगेन्द्र, डॉ. हरदयाल , मयुर बुक्स दरिया गंज नयी दिल्ली 110002 64 वां संस्करण 2018
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास के.एल.मलिक एण्ड संस प्रा.लि. 23दरिया गंज, नई दिल्ली 110002।
3. निराला की साहित्य साधना भाग–1 राम विलास शर्मा– राज कमल प्रकाशन नई दिल्ली 110002 नौवां संस्करण–2016
4. निराला की साहित्य साधना भाग–2 राम विलास शर्मा– राज कमल प्रकाशन नई दिल्ली 110002 नौवां संस्करण–2016
5. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास –डॉ. बच्चनसिंह 2006

****

भारतीय पराक्रम का प्रतीक- समुद्रगुप्त

डॉ. शुक्ला ओझा *

प्रस्तावना – जब भी भारत के पराक्रमी सम्राटों का उल्लेख आता है उसमें समुद्रगुप्त का नाम सर्वोपरि माना जाता है। एक ऐसा पराक्रमी सम्राट जिसने यातायात एवं संचार की अल्प सुविधाओं के युग में उत्तर भारत के साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत तक पहुँचाने का चमत्कृत काय किया। वह समुद्रगुप्त ही था जिसका पराक्रम कालान्तर में भी सम्राटों की दिग्विजय का आधार बना। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरान्त भारत में राजनैतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ होता है। कृषाण शासकों ने विशाल साम्राज्य स्थापना के प्रयास अवश्य किये किन्तु वे उत्तर भारत तक ही सीमित रहे। व्यापक स्तर पर कूटनीतिक एवं राजनीतिक सफलता प्राप्त कर देश में विशाल साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय गुप्त सम्राटों को जाता है। जिन्होंने नव भारतीय सांस्कृतिक चेतना को प्रोत्साहित किया तथा विदेशी शासन को पूर्णरूप से नष्ट कर डाला। प्रसिद्ध इतिहासकार ए.एल.बाशम के अनुसार 'गुप्तकाल भारत का सवोत्तम काल था।' इसे सवोत्कृष्ट बनाने में महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पराक्रम का विशिष्ट योगदान रहा है। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनगिनत सैनिक विजयों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। जिस पर गुप्त सम्राटों ने दीर्घकाल तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने व्यक्तिगत पराक्रम के बल पर स्थापित गुप्त साम्राज्य में राजनैतिक एकता, सुरक्षा, शान्ति, सांस्कृतिक विकास की जिस परम्परा को विकसित किया वह दीर्घकाल तक अक्षुण्ण बनी रही। इससे देश में शान्ति एवं समृद्धि के युग का सूत्रपात हुआ।

विसेन्ट स्मिथ के अनुसार – 'हिन्दू इतिहास में अन्य सभी युगों की तुलना में महान गुप्त शासकों का शासनकाल सर्वाधिक अभिगत एवं संतोषजनक है। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान की अद्वितीय उन्नति हुयी तथा बिना अत्याचार के क्रमिक धामिक उन्नति हुयी। डॉ. आर.सी. त्रिपाठी के मतानुसार तो– 'गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहलाता है।' डॉ. बानेट ने तो इसकी तुलना यूनान के सर्वाधिक विकसित युग 'पेराक्लीज युग' से की है। इन सभी प्रशंसनीय सफलताओं का आधार स्तंभ समुद्रगुप्त था।

समुद्रगुप्त का दिग्विजय की योजना बनाना उसके पराक्रमी स्वभाव को इंगित करता है। इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिषेण के अनुसार इस योजना का उद्देश्य 'धरणि बन्ध' अर्थात् भूमण्डल को बाँधना था। उसके सिंहासनारोहण के समय भारत में अनेक छोट–छोटे अव्यवस्थित राज्यों की सत्ता विद्यमान थी। उसने इन पर विजय प्राप्त कर भारत के राजनीतिक एकीकरण के महान लक्ष्य को अपनाया। इस योजना को पूर्ण करने हेतु उसने शक्ति एवं पराक्रम से अनेक राज्यों को जीतकर सम्पूर्ण आर्यावत एवं पूर्वी भारत पर गुप्तों का प्रभुत्व स्थापित किया, दक्षिणापथ के समस्त राजाओं को अपना स्वामित्व स्वीकार करने के लिये विवश कर उन्हें अपना करद राज्य बनाया। अनकानेक गणराज्यों, विदेशी शक, शक–कुषाणों व सीमान्त के प्रत्येक नृपतियों एवं लंका व अन्यान्य द्वीपवासियों को अपने प्रचण्ड पराक्रम से आक्रान्त कर उनका आत्मनिवेदन प्राप्त किया। अतः गुप्तों के प्रताप का आलोक, पूर्ण तेजस्विता और प्रखरता के साथ भासमान हो उठा।[1] उसने दिग्विजय की नीति अपनाकर विस्तार अभियानों को मूत रूप प्रदान किया। उसे विरासत में जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था वह मात्र मगध, प्रयाग, साकेत तक ही सीमित था किन्तु उसने अपने पराक्रम से अधिकांश भारत पर अपनी प्रभुता स्थापित की। सौ युद्धों के विजेता समुद्रगुप्त ने अपनी लगातार विजय यात्रा से सम्पूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।[2] इतिहासकार विसेन्ट स्मिथ ने तो उसके पराक्रम के आधार पर ही उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। उनके अनुसार जिस प्रकार नेपोलियन ने अपने पराक्रम से सारे यूरोप को रौंद डाला और आतंकित कर दिया उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त ने भी अपने बाहुबल और पराक्रम से लगभग सारे भारत पर अधिकार कर लिया और उसके पराक्रम से विदेशी शासक भी आतंकित हो गये थे।[3] आधुनिक इतिहासकारों ने तो उसे नेपोलियन से भी श्रेष्ठ माना है। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, उसके राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था बनी रही, उसने अपने पुत्रों को भी उत्तराधिकार में विशाल साम्राज्य दिया जबकि नेपोलियन को पराजय का भी सामना करना पड़ा तथा उसका साम्राज्य स्थायी न हो सका। उसे तो समुद्रगुप्त जितना जन समर्थन भी प्राप्त नहीं हो सका।

समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों में भिन्न–भिन्न प्रकार की नीतियों का अवलम्बन किया। इसके लिये उसने विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप विजय नीति को अपनाया। उसने अनेक राजाओं का उन्मूलन किया, अनेक राजाओं को कृपापूवर्क उनके सिंहासन कृपापूर्वक पुनर्स्थापित किया, अनेक राजाओं को पराजित कर करद राज्य बनाया। यही विविधता उसकी दिग्विजय की विशेषता मानी जाती है।[4] उसने अपने विजय अभियान का प्रारंभ उत्तर भारत में स्थित आर्यावत के नौ राज्यों के विजय के साथ किया। इसके अन्तर्गत उसने रूद्रदेव, मतिल, नागद्रत, चन्द्रवमन, नागसेन, अच्युत, नन्दिन, बलवर्मन और गणपतिनाग को हराया।[5] इनमें अच्युत अहिछत्र (बरेली), नागसेन ग्वालियर जिले में स्थित पदमावती में तथा कोटकुलज वंश काव्यकुब्ज (कन्नौज) में शासन कर रहा था। प्राचीनकाल में काव्यकुन्ज पुष्पपुर कहलाता था।[6]

आर्यावत के अभियान के पश्चात समुद्रगुप्त का पराक्रम दक्षिणापथ अभियान में दृष्टिगोचर होता है। हरिषेण ने प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावत अभियान के पश्चात दक्षिणापथ अभियान का उल्लेख किया है। हरिषेण के

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

इस क्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवत: उसकी योजना यह थी कि जब वह दक्षिणापथ के अभियान करे उस समय उत्तर पूर्व का कोई शासक उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्र होने का प्रयास न करे। इसी कारण गंगा घाटी एवं मध्यप्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात ही उसने दक्षिणापथ अभियान प्रारंभ किया। इसमें उसने दक्षिण भारत के बारह राज्यों को परास्त किया। उसका उद्देश्य इन राजाओं का उन्मूलन करना नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति में विवरण मिलता है कि उसने पराजित राजाओं से अपनी अधीनता मनवाकर उन्हें करद राज्य बना दिया तथा उनका राज्य उन्हें वापिस लौटा दिया। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारतीय आदेशों के अनुसार धर्म विजय का नाम भी दिया है। इस नीति में पराक्रम के साथ कूटनीतिक चातुय का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। भौगोलिक दूरी एवं यातायात व संचार के सीमित साधनों के उस युग में वह अधीनता, भेंट एवं राजस्व से ही संतुष्ट था तथा साम्राज्य पर दक्षिण की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी नहीं डालता है। दक्षिणापथ अभियान में जिन 12 राज्यों को विजित किया गया वे इस प्रकार हैं। इनमें वतमान मध्यप्रदेश के विलासपुर, रायपुर, संभलपुर जिलों में स्थित कौसल राज्य के शासक महेन्द्र, मध्यप्रदेश के ही वन्य प्रदश के राज्य महाकान्तार के शासक व्याघ्रराज, उड़ीसा और मद्रास के मध्य स्थित कोराल के शासक मण्टराज, गोदावरी के निकट पिष्टपुर का राजा महेन्द्र गिरि, कोट्टूर शासक स्वामिदक्ष, उड़ीसा में स्थित एरण्डपल्ल का शासक दमन, वर्तमान कांजीवरम स्थित कांची के विष्णुगोप, अवमुक्त के शासक नीलराज, मद्रास के निकट वेंगी शासक हस्तिवर्मन, पालक्क शासक उग्रसेन, विशाखापट्टनम के निकट देवराष्ट्र के शासक कुबेर, कुस्थलपुर शासक धनंजय इत्यादि शासक सम्मिलित थे जिन्हें परास्त कर करद राजा बनाया गया। इन राज्यों ने संघ बनाकर भी प्रतिरोध का प्रयास किया।[7] किन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी। वादाटक शासक के साथ समझौते के भी संकेत मिलते हैं।[8]

समुद्रगुप्त का अगला अभियान आर्यावत का द्वितीय अभियान था। जिस समय वह दक्षिणापथ के राज्यों की विजयों में व्यस्त था, उस समय आर्यावत के कुछ राजाओं ने स्वतंत्र होने के प्रयास प्रारंभ कर दिये थे। फलत: उसने पुन: अभियान कर कौशाम्बी शासक रूद्रदेव, इन्द्रपुर शासक मातिल, मथुरा का निकटवर्ती शासक नागदत्त, चन्द्रवर्मा, पद्मावती शासक गणपतिनाथ, मथुरा शासक नागसेन, अहिछत्र शासक अच्युत तथा अन्य शासक नंदि एवं बलिवर्मा आदि नौ राजाओं को परास्त किया। इन राजाओं की उद्दण्डता से कुपित होकर इनका विनाश कर उसने इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय कर दिया। इसके उल्लेख हेतु हरिषेण ने प्रयाग प्रशसित में आर्यावत राजप्रसभोद्धरण शब्द का प्रयोग किया है। समुद्रगुप्त का अगला सामरिक अभियान अठारह आरविक राज्य विजय था जिन्हें वन राज्य भी कहा जाता है। उसने इन आरविक राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। डॉ. फ्लीट के अनुसार ये राज्य उत्तरप्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्यप्रदेश के जबलपुर तक फैले हुये थे जबकि डॉ0 भण्डारकर का मत है कि ये बघेल खण्ड से लेकर उड़ीसा के समुद्रतट तक फैले थे। इन राज्यों के नाम तथा अभियानों के उल्लेख नहीं मिलते हैं तथापि हरिषेण का दिया गया विवरण कि समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना परिचारक (सेवक बना लिया) यह पर्याप्त है। समुद्रगुप्त के उत्तर एवं दक्षिण अभियानों में प्रदर्शित पराक्रम से भयभीत होकर अनेक सीमान्त राज्यों के शासकों ने बिना युद्ध किये ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली जिसका उल्लेख हरिषेण ने प्रयाग प्रशस्ति में आरविक राज्यों के बाद किया है।[9] उसके पूर्वी सीमान्त राज्यों में समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल, कर्त्रपुर के नामों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों या गणराज्यों में मालव, आर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आमीर, प्रार्जन, सनकानिक, काक एवं खरपरिक इत्यादि नौ राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। प्रयाग प्रशस्ति में इन राज्यों की सूची अन्य विजित राज्यों से अलग दी गयी है जिससे यह संकेत मिलता है कि बिना युद्ध के ही इन भयभीत राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हरिषेण के अनुसार इन राजाओं ने समुद्रगुप्त को आज्ञाकरण (आज्ञा मानकर), सर्वकरदान (सभी कर देकर) एवं प्रणामागन (विनीत भाव से उपस्थित होकर) इत्यादि तरीको से संतुष्ट किया।[10]

अनेक विदेशी शासकों ने भी समुद्रगुप्त के पराक्रम से भयभीत होकर विभिन्न तरीकों से उसकी अधीनता के भाव को प्रदर्शित किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आत्मसमर्पण, कन्याओं से विवाह, गरूड़ मुद्रा (गुप्त शासकों की राजकीय मुद्रा) से अंकित आदेशों का परिपालन इत्यादि तरीकों से अनेक विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के प्रभाव को स्वीकार किया। इनमें अनेक नाम सम्मिलित थे यथा देवपुत्र पाहानुपाहि ये संभवत: कुषाणों के वंशज थे।[11] शक मुरूण्ड राज्य अफगानिस्तान क्षेत्र का राज्य था। सिंघल द्वीप (श्रीलंका) के लिये हरिषेण ने सेहलक शब्द का प्रयोग किया है। इनके साथ संबधों पर चीनी लेखक वांग-ह्वेन-सी के विवरण से व्यापक प्रकाश पड़ता है। वह लिखता है लंका के राजा ने भारत के राजा (समुद्रगुप्त) को अपने देश के समस्त रत्न भेंट किये।[12] प्रयाग प्रशस्ति में 'सवद्वीपवासिन:' शब्द का उल्लेख किया गया है। जिनमें संभवत: चम्पा (कम्बोडिया), फूनान (इण्डो चायना), जावा, सुमात्रा, बर्मा इत्यादि दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूहों को सम्मिलित किया गया है तथा समुद्रगुप्त की वह उपाधि 'धनदवरूणेन्द्रान्तकसम्' से भी इन द्वीपों पर उसके अधिकार होने का प्रमाण मिलता है।

अपने पराक्रम के बल पर इतने राज्यों की विजय के कारण ही उसने अश्वमेघ यज्ञ भी आयोजित किया तथा महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। उसने अपनी स्वर्ण मुद्रा (सिक्के) के पीछे 'अश्वमेघ पराक्रम' शब्द भी अंकित करवाया। ऐसे कुशल योद्धा, प्रवीण सेनापति एवं सफल संगठनकर्ता, प्रतिभाशाली नरेश के उदाहरण इतिहास में विरले ही मिलते हैं। उसे अपने पिता से छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ था किन्तु उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिये विशाल साम्राज्य छोड़ा।[13] उसने नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें आर्यावत ने नवीन राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकात्मकता, पांच सदियों के राजनीतिक विघटन और परकीय आधिपत्य के बाद पुन: उपलब्धि की।[14]व्ही.ए. स्मिथ के शब्दों में - 'वह स्वयं को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बनाने के महान कार्य समर्थ हुआ।'

उसने अपने पराक्रम केबल पर जहाँ उत्तर भारत के सभी राज्यों को अपने राज्य में विलय कर दिया वहीं दक्षिण भारत के राजाओं को (करद) सामन्त बनाया। विजित गुप्त साम्राज्य के भीतर प्रभावशाली सुशासन स्थापित किया जो सम्पूर्ण गुप्तकाल में बना रहा। गुप्त काल में भारत आयेचीनी यात्री फाहयान् ने लिखा है कि भारत के लोग सुखी एवं समृद्ध हैं। वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त हैं। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है।[15]ऐसे सम्राट पर भारतीयों को अत्यंत गर्व है जो बाद के सम्राटों के लिये भी आदर्श बना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पान्थरी, ए. - भारत का स्वर्ण युग, पृष्ठ 89
2. मुकर्जी राधा कुमुद - दि गुप्ता एम्पायर, पृष्ठ 38
3. दुबे, एस.एन. - इतिहास, पृष्ठ 226

4. चतुर्वेदी, ए.के. – इतिहास , पृष्ठ 206
5. हरिषेण – प्रयाग प्रशस्ति– 13वीं एवं 14वीं पंक्ति
6. मजूमदार, आर.सी. – वाकाटक गुप्त, पृष्ठ 139
7. जायसवाल – हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 138
8. चौधरी आर –पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएन्ट इण्डिया, पृष्ठ 543
9. हरिषेण – प्रयाग प्रशस्ति – 23वीं एवं 24वीं पंक्ति
10. हरिषेण – प्रयाग प्रशस्ति – 22वी एवं 23वीं पंक्ति
11. मजूमदार, आर.सी. – वाकाटक गुप्त , पृष्ठ 86
12. चीनी यात्री वान–ह्वेन–सी का विवरण
13. बनर्जी, आर.डी. – दि एज ऑफ इम्पीरियल गुप्ताण, पृष्ठ 45
14. राय, यू.एन. – गुप्त सम्राट और उनका काल, पृष्ठ 208
15. लेग्गे –फाह्यान, पृष्ठ 104

****

The Pain of Unrequited love in 'MARTYR' of Katherine Anne Porter

Dr. Anita Tripathi*

Introduction - Porter was taking notes for stories that would depict the process and the aftermath of the Mexican revolution's failure. She credited the Mexican muralists for much of the revolutionary spirit in Mexico in the twenties, and she believed that Rivera, the leader of the muralists, made significant contributions to art and to the revolution. As she said to Robert McAlmon, "some demned fine work came out of the cultural renaissance led by Rivera"[1]. Porter was quite optimistic regarding the aims of the revolution, but was disillusioned to find out the attitude of the Mexican writers who were concerned with nothing more important than the light romances. They did not take cognizance of the revolution and wrote about "the pain of unrequited love" (DB, 253)[2]. Finding the subject of disillusionment ubiquitous in Mexico, Porter took up to writing about such themes. *The Martyr* is about a charade of unrequited love she saw as pervasive in the paternalistic Mexican society.

The Martyr is based on Rivera and his relationship with Lupe (Guadalue) Marin, his first wife. On the surface, the story is an expansion of the theme of deifying human beings and the resultant tragedies. Ruben (Fictional), is a celebrated painter like Diego-Rivera. Porter gradually notices that Rivera had lost his artistic integrity and purpose, and in *The Martyr* she exhibits the abdication of the artist. Ruben is in love with his model, Isabel. She is far from the pure lady of the romantic tradition. He adores her and calls her "my poor little angel". When Isabel leaves him for him for his rival, Ruben becomes "altogether a changed man". He can talk about nothing except Isabel, "her angelic face, her pretty little tricks and ways". "There is no other woman like that woman" (CS, 34).[3] He forgets his artistic purpose and commitments and laments over the loss of his lady-love. He feels betrayed and is unble to paint, refusing "to touch the nineteenth figure of her, much less to begin the twentieth, and the mural was getting nowhere". Ruben is heart-broken; all that that he can do is to eat "sweets and fruits and almond cakes... huge platefuls of every sort of food, and to wash them down with sweet wine" (CS, 36). He grows fatter and fatter and dies saying : "Tell them I am a martyr to love...I die of a broken heart" (CS, 37). His last words are a testament to the ideal romantic love. *The Martyr* is also a "comic satire of sentimental excess".[4]

Porter portrays an artist who gives himself to self-pity. Ruben is an early version of Braggioni, who exemplifies the perversion of art to an unholy end that Porter complains of in "The Mexican Trinity", idealizing unrequited love instead love instead of using his art to present a truthful picture of life and to bring order out of chaos. Instead of worshipping at the sacred fount, he is worshiping at the shrine of a human being, a particularly unworthy one. It suggests if the greatest artist in Mexico has lost both his artistic purpose and his revolutionary aim, so, too, have all the others. The story is about misguided idealism and its inevitable failure to lead to truth, and represents Porter's own fears about the obstacles to the revolutionary success.

References :-

1. KAP to Robert McAlmon, 5 February, 1934, McKeldin Library, Univ. of Maryland.
2. The Days Before, 253.
3. The Collected Stories of Katherine Anne Porter, 34.
4. J. DeMouy : Katherine Anne Porter's Women : The Eye of her Fiction, Austin, university of Texas Press, 1983, 28
5. Marjorie Ryan : "Dubliners and the Stories of Katherine Anne Porter", *American Literature,* XXXI, Jan.,1960, 464-73.
6. Darlene Harbour Unrue : Truth and Vision in Katherine Anne Porter's Fiction, Athens, Univ. of Georgia Press, 1989, 121.
7. Joan Givner : Katherine Anne Porter : A Life, New York : Simon & Schuster, 1982, 173.
8. K.A. Porter : "Where Presidents Have No Friends", *The Century Magazine,* CIV, July, 1922, 373-84.

*Professor (English) Govt. Girls P.G. College, Satna (M.P.) INDIA

English Language : The major factor in personality development of rural students

Dr. Pallavi Parte* Smt. Poonam Dhurwey**

Abstract - Impactful and dynamic youth are the demands of the current era. Young persons with impressive personality can be credited to the changing times and even high technological advancement with success. Way of communication can be considered as the most striking trait of one's impressive personality. It helps to make a tremendous impact of one's personality. English is, no doubt, the finest language for communication which is the ultimate key to one's pleasant personality specially of rural students.

Introduction - We, the human beings, are the creation of God and He has made no discrimination in our formation. But in present scenario there are many differences in the way people think, behave, talk, dress and so on, it provides great insights to understand the individual. However there can be so many factors to shape the personality of individual but one's surrounding and education play an important role in it . Bacon's famous Latin proverb ' Abeunt studia in Mores ' can be taken in the same reference . This proves that studies pass into character.

In Indian context where everyone has the right to education, why do we find a vast difference between the education of rural and urban students? The way of teaching may be one of the major factors in that context. While the teaching methodology in rural areas is still primitive, the urban institutions are keen of adopting modern ways of teaching like concept learning and focus on development of each student. On one hand the urban students are taught with the extra benefits of English language, on the other hand the rural students remain deprived with that . They are comfortable with their mother tongue or their local dialect. But they will have to face the challenges when they step out to prove themselves in this globalised world. Only the knowledge of global language can make their path of progress. English is a global language and no one can deny its importance .

After 72 years of independence it cannot be denied that a huge part of Indian population still resides in rural India. However there is hardly any attention being paid to the education existing in rural India. Even though we are one nation, we still continue to have a rural-urban division in every aspect and education also falls in that sphere. The educational institutions in rural India have really poor infrastructure. There is a huge lack of teachers, especially well trained ones which disturbs the student-teacher ratio extensively. This leads to very poor quality of education being imparted, hardly fulfilling the need of education.

Now in the present time the aspirations of the rural students are growing day by day with the changing globalized world. They want to prepare themselves for the future challenges. They wish to improve their personality with modern learning and techniques. The most striking trait of one's impressive personality is his way of communication. It makes a tremendous impact of one's personality. English language is no doubt the finest language for communication which is the ultimate key to one's pleasant personality. It is given utmost importance in personality development. However many people in this world are aware of regional language and their mother tongue but it is not possible to communicate in various languages at the work place. Hence English is considered the official language all over the world.

Education is important for everybody but in current era learning of new facts, techniques ,skills or trades cannot be imagined without the knowledge of English language. Thus, if we take a step further, we can think about a better education for the students of rural areas with English language. What will be the effect of that education if we teach the rural students with all benefits of English language? I am convinced that a well supported, easily accessible education system with English language is an efficient means to make the rural students economically conscious and actively participate in cultural development. English language is proving a major factor in personality development of rural students for the following reasons:

1. Students from the rural background who are not well versed with English language and lacks fluency tend to develop an inferiority complex. English language contributes to the building of confident youth. With its learning individuals gain confidence, knowledge and

*. Prof. (English) Rani Durgavati Govt. College, Paraswada, Balaghat (M.P.) INDIA
** Guest faculty (English) Govt. P.G. College, Seoni (M.P.) INDIA

skills. All factors increase an individual's ability effectively and efficiently towards success.

2. Learning of English language did not only encourage the youth to lead towards service sector but also influenced them to implement the hightech methods in agriculture for better productivity. Thus it can improve labour productivity in rural areas, increasing the wealth of a region or area.
3. With English language the quality education is increasing in rural areas. It significantly impacts the development of employment opportunities. Learning of English language makes the rural students able to prove themselves.
4. It helps to identify and develop those leaders in our communities who will battle against low quality education and poverty, leading to a successful and strong community.

To conclude, English language plays an important role in the progress of rural students, as it is a key factor in their personality development. With its knowledge there is always in bright future for rural students. There are many examples of the famous personalities of India like Dr. B.R. Ambedkar, Dr.APJ Kalam, Dhirubhai Ambani, Narayana Murthy etc. who had rural background but their efforts and knowledge of English language have increased the shine of their personality on the international horizon. As an English teacher I believe that English language is an important factor in bringing about the rural development in our country and will be proved to bridge the gaps of rural and urban education.

References :-

1. India Today: What is the rural education scenario in India and how can we change it ?
2. An Anthology of English literature: N.J. Oberoi, M.P. Hindi Granth Academy
3. The role of education in rural communities by Farheen Sajjad February 14th 2019
4. Rural Education in India- Top 5 Benefits of Promoting English in the Indian villages, July 30 2018

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Conflict between romanticism and realism in 'THAT TREE' of K.A. Porter

Dr. Anita Tripathi*

Introduction - ***That Tree***, has a firm foundation in the social reality of the 1920s in Mexico, especially in the expatriate community, of which Porter was a visible part. And although the real-life counterparts to the journalist and Miriam were surely Carleton Beal's and his first wife, Lillian. The inspiration for the story was the pervasive conflict Porter recognized within the Anglo-American community. The heart of the story is a close examination of the "deep conflict between romanticism and realism in life".1

The story is an account of the failure of a man to lead the bohemian life he dreamed of, the falsity of that dream, of the failure of a marriage, the failure of a prim woman to enjoy life or sex and, by implication, the failure of the Mexican social revolution. The unnamed American journalist has idealized the "idle, free romantic life of a port". He wants to think of himself "wearing worn out sandals and...blue shirt, lying under a tree writing poetry" (CS, 66)2 However, his romantic notions about artists and their destiny-trying to explain their poverty, gluttony and raggedness in idealistic terms-are all shattered by his wife, Miriam. She insists that his friends are not "being poor on purpose", and that they are "looking for the main chance". And she proves to the journalist that she is "abominably, obscenely right" (CS, 76).

Miriam is "a properly brought up... Midwestern girl, who took life seriously" (CS, 67). Like Moll Flanders, Miriam views marriage not as a love match but as an economic agreement. She is diffident towards sex. She believes that "their mutual sacrifice of virginity was the most important act of their marriage, and this sacred rite once achieved, the whole affair had descended to a pretty low plane" (CS, 73). Her American middle class rigidity, which is the root cause of the destructiveness of this marriage, is the highly organic symbol of her coldness to all aspirations. She learned her discipline as a school teacher, for her relationship to he husband is that of a mother to a son. She wants her husband to 'walk the chalk line' for her, and "never-do-well". She finds little in Mexico that she truly likes. She holds her nose when she goes to the market, refuses to eat Mexican food, will not have an Indian servant her, and despises her husband for thinking that washing "gaily colored Indian crockety outdoors in the sunshine" is a picnic. She does not approve even his using the word "temperament", thinking it "a kind of occupational disease among artists, or a trick they practiced to make themselves interesting" (CS, 68).

The conflict in the story is between the two sets of ideals – the romantic, carefree one, and the serious, insulated, puritanical one. But the primary conflict lies not between the journalist and Miriam, rather within each of them. The truth is that both are drawn to the other's ideal. The journalist thinks there is "a special kind of beauty in Miriam" (CS, 67); and when she leaves him, he is shocked into accepting her standards. He becomes a successful journalist whose "sympathies happened to fall in exactly right with the high-priced magazines of a liberal humanitarian slant which paid him well for telling the world about ehe oppressed peoples". The extent to which she represents and ideal to him is seen in the fact that his second wife's cattiness about Miriam leads him to divorce his second wife. Miriam is an embodiment of the repressed traits in her husband: "His old fashioned respectable middle-class hard working American ancestry and training rose up in him and fought on Miriam's side (CS, 77).

In spite of Miriam's disdain for the filth and sloth of Mexico, the country nevertheless is and ideal – as is her husband – to which she is drawn. She is able to writhe to him five years later that she hopes it is not "too late for them to make a happy life together" once more. She has succumbed to the illusion of a romantic ideal that requires forgetting the reality from which she fled, "shabby and thin and wild looking" with only a few belongings. The second attempt at marriage is doomed to failure, too. We have no reason to believe that Miriam will like Mexico any better the second time than she did the first. If she has deluded herself into thinking that they were happy then, will have to go through the shock and misery all over.

The end of the story is heavily ironic, and the symbolism of that tree blooms fully. The journalist begins talking to "the shadow opposite". "I suppose you think I don't know", he continues, "I don't know what's happening, this time...don's deceive yourself. This time I know". The emphasis on the word "know" hints at the tree of knowledge and his warning to the shadow (guest). "Don't deceive

*Professor (English) Govt. Girls P.G. College, Satna (M.P.) INDIA

yourself" makes sense only if we regard it as a self-warning. The final statement confirms the story's theme: "He seemed to be admonishing himself before a mirror" (CS, 79). Porter's story, highly Jamesian in its style and subtlety, is also a comment on the historical tension within the American consciousness. Miss Porter has used the story of the journalist as a way of dissecting several fragments of American and Mexican culture. The hollowness, the trickery, the chicanery – all are expertly, Mercilessly exposed.

References :-

1. W.L. Nance : **Katherine Anne Porter and the Art of Rejection,** Chapel Hill, North Carolina Press, 1964, 37.
2. The Collected Stories of Katherine Anne Porter.
3. J. DeMouy : **Katherine Anne Porter's Women : The Eye of Her Fiction,** Austin, University of Taxas Press, 183, 62.
4. George Hendrick : **Katherine Anne Porter,** Mew York, Twayne, 1965, 95.
5. H.J. Mooney : **The Fiction and Criticism of Katherine Anne Porter,** University of Pittsburgh Press, 1957, 48.
6. W.L. Nance : Ibid, 17.

****

Bhagvat Gita Is An Authentic Key to Acquires Happiness

Dr. Sunita Arya*

Abstract - Acquiring happiness is a universal quest. Researchers find that people from every corner of the world rate happiness more important than other desirable personal outcomes, such as having a meaningful life, becoming rich, and getting into heaven. It is true that everyone wants to be happy, but happiness is not the same to everyone. So lord Krishna acquires up that subject, for people differ greatly in "the pursuit of happiness" owing to the predominance of one of the three gunas. The three gunas are ***Sattwic happiness, Rajasic happiness*** *and* ***Tamasic happiness.*** Lord Krishna under verses 45 and 46 of chapter 18 speaks of humanity in general, saying: "Devoted to his own duty, a man attains perfection. Hear then how one who is devoted to his own duty finds perfection: By worshiping with his own proper duty Him from Whom all beings have their origin, Him by whom all this universe is pervaded, mind finds perfection" We have already encountered swabhava and swadharma the inmost disposition of the Self and the dharma which usually translated "duty" that reveals the Self or makes attainment of the Self possible. The two verses convene to word *swakarma*: action that reflects or manifest the Self at least in its present state of evolution. To follow or engage in our swakarma is to worship God, for spiritual, evolutionary principles are not to be merely ascribed to or discussed, *they are to be lived*. That is how we evolve, and evolution is the sole purpose of creation.

Key words - Swabhava, Swadharma, Swakarma, Sattwic happiness, Rajasic happiness, Tamasic happiness, Sahajam karma.

Introduction - ***In the view of Mahatma Gandhi the Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.***

Happiness is not count the consequence of efficient from one joy to the subsequently. Researchers discover that attaining happiness characteristically engrosses times of considerable uneasiness. Money is significant to happiness, but only to a certain point. Money acquires freedom from worry about the basics in life like housing, food, and clothing, life circumstances, achievements, marital status, social relationships, even your neighbors all influence how happy you are or can be. Therefore do individual ways of thinking and expressing feelings. Much of happiness is under personal control or inside which cannot be purchased by money. Regularly indulging in small pleasures, getting absorbed in challenging activities, setting and meeting goals, maintaining close social ties, and finding purpose beyond oneself all increase life satisfaction.

Acquires Happiness through Bhagvat Gita:

"sukham tv idanim tri-vidhanam srnu me bharatarsabh
abhyasad ramate yatra duhkhantam ca nigacchati"
(Chapter 18 verse 36)

Lord Krishna speaks and now hear from Me the threefold happiness that one enjoys through practice, and in which one comes to the end of suffering.

Sattwic happiness - The verse 37 of chapter 18 is explaining about the **Sattwic happiness t**hat which in the beginning is like poison but in the end like nectar; that happiness, born from the quiet of one's own mind, is declared to be sattwic.

yat tad agre visam iva pariname martopamam
tat sukham sattvikam proktam atma-buddhi-prasada-jam

Happiness that guided to the finish of all suffering is in the mode of goodness. Such happiness tastes bitter in the beginning, but is nectar at the end because it awakens one to self-realization.

Rajasic happiness - The verse 38 of chapter 18 is explaining about the **Rajasic happiness** that which in the beginning, through contact between the senses and their objects, is like nectar, and eventually like poison; such happiness is confirmed to be rajasic.

visayendriya samyogad yat tad agre mrtopamam
pariname visamiva tat sukhaµ rajasam smrtam

Happiness is a natural from make contact with the senses and sense objects and is like nectar in the beginning but bitter in the end is known to be in the mode of passion.

Tamasic happiness - The verse 39 of chapter 18 is explaining about the **Tamasic happiness that** happiness which both in the beginning and afterwards deludes the self, arising from sleep, indolence, and negligence, is declared to be tamasic.

yad agre canubandhe ca sukham mohanam atmanah

***Associate Professor (Law) Prestige Institute of Management and Research, Indore (M.P.) INDIA**

nidralasya-pramadottham tat tamasam udahrtam

Happiness which occurs from sleep, laziness and delusion and is self deceptive in both the beginning and the end is considered to be happiness in the mode of ignorance.

Swakarma - The verse 47 of chapter 18 is explaining about the Swakarma which is an inseparable part of swadharma, so Krishna continues: "Better one's own duty the swadharma, though imperfect, than the duty of another well performed; performing the duty prescribed by one's own nature the swabhava, one does not incur evil" We are not talking here of "God's will" in the awful fear-filled way of Western religion. We are talking of our own nature, which has been put into our hands and which we alone can perfect. If we violate our nature by work alien to that nature, however good it may appear or how much it may be praised by others, we incur evil, for we sin against ourself.

sreyan sva-dharmo vigunah para-dharmat svanusthitat
svabhava-niyatam karma kurvan napnoti kilbisam

Therefore individual should not dispose of the duty to which one is born even though it is deficient. Indeed, all undertakings are enveloped by error as fire is by smoke". The two expressions in verse are very important: *sahajam karma* and *dosha*.

Sahajam karma - The verse 48 of chapter 18 is explaining about the Sahaja which means that which is innate, actually inborn. Karma is action. Consequently sahajam karma is so as to kind of action, which way of life and an ordinary expression of our natural character, of our deep mind. This must be engaged in, even though, as Krishna points out, all relative existence and action are obscured to a greater or lesser degree by dosha, dosha being imperfection, blemish, fault, or shortcoming. This is because of the innate nature of relativity itself, which fundamentally is Maya, or illusion.

Major out.

sahajam karma kaunteya sa-dosam api na tyajet
sarvarambha hi dosena dhumenagnir ivavrtah

Conclusion:

na tad asti prthivyam vadivi devesu va puna
sattvaµ prakrti-jair muktam yad ebhih syat tri-bhir gunaih
brahmana-ksatriya-visam shudranam ca parantapa
karmani pravibhaktani svabhava-prabhavair gunaih

The conclusion is itself given under the verse 40 and 41 of chapter 18 that there is no being, either on earth or yet in heaven among the gods, which can exist free from these three qualities the gunas born of material nature the prakriti and there we have it. All are caught in the net woven of the gunas. However, sattwa leads to liberation from that net, to the state known as *trigunatita*–"beyond the three gunas." But until that state is reached we will live according to the guna dominant in us. This is the real basis of authentic caste, and so Lord Krishna acquired up that subject who describes the duties of the brahmins, the kshatriyas, the vaishyas, and of the shudras, are distributed according to the gunas arising from their own nature not by the caste.

References :-

1. Bhagvad-Gita As IT Is- A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada- The founder of ISKCON
2. https://srimadbhagavadgita.net/bhagavad-gita-chapter-18
3. https://www.gita4free.com/bhagavad-gita/chapter-18/
4. https://gitajourney.com/2012/01/15/bhagavad-gita-chapter-18
5. Commentary by Swami Mukundananda, Bhagwad Gita : the Song of God
6. The Bhavad Gita: A Pimer: By Jeanne M. House
7. T.N.Sethumadhavan Published In Esamskriti.com & Medhajournal.com Nagpur September 2010 tnse thumadhavan@gmail.com
8. http://gitaasiseeit.blogspot.in
9. http://theultimatebykrishna.blogspot.in
10. www.speakingtree.in

****

The Well-being of Slum Dwellers

Vaishali SambodhanDhammapathee *

Abstract - Labour market outcomes cannot explain and determine urban poverty as it goes far beyond it. Urban poverty cannot be captured only in terms of the headcount ratio of poverty. Multiple dimensions of deprivation have been discussed in the past (Sen, 1981; 1985; Haq, 1995). These dimensions include education, health, shelter, drinking water and sanitation, freedom, security, opportunity, asset, and vulnerability, among others. Migration may lead to some improvement in these dimensions in the lives of migrants. Therefore, studying the impact of migration on the well-being of the migrants needs to be paid serious attention, and this paper precisely attempts this.
Key Words - Migration, slum, well-being.

Introduction - The most crucial issue of political debate worldwide nowadays is a process of continuous migration. Migration has shown an upward trend in various ways, voluntary or involuntary. Managing migration has become one of the critical challenges of many countries and their governments, whether it is a developed economy or a developing economy. The problem of migration is mainly a big issue in cities where migrants get attracted to a better life.

The world holds an estimated 244 million international migrants (UN DESA, 2016) and 763 million internal migrants.

The above numbers indicate that one-seventh of the world's population is migrant. Many developed countries exhibiting population diversity is because of international migration, but in underdeveloped countries, internal migration contributes to population diversity.

The data of the 2001 census shows that the total number of internal migrants in India was 309 million. The migration status considered is based on the place of the last residence who constituted nearly 30 percent of the total population. Although the number of internal migrants has doubled since 1971 (from 159 million in 1971 to 309 million in 2001), the proportion continued to be around 30 percent since 1971 except the 1991 census when it has declined to 27 percent to the total population. It is generally accepted that migration has slowed down during the decade 1981-91 as a result of increased unemployment and sluggish growth in the Indian economy.

Maharashtra received the most extensive number of migrants (7.9 million) by place of birth from other states and other countries. Based on net migration for 1991-2001decade, the difference between in-migration and out-migration in each state, it is observed that Maharashtra stands at the top of the list with 2.3 million net migrants. Maharashtra witnessed the most massive in-migration of the population during 1991-2001 from different states. The total number of in-migrants was 3.2 million and 0.89 million out-migrants from the state during the decade.

For a long time, migration is perceived by policy planners as a flow of rural poor and destitute in search of employment. Urban poverty considered as merely a "spill-over" effect of rural poverty as poor migrants from the rural area get employed in informal sector jobs with low productivity. (Dandekar and Rath, 1971). Even in the theoretical literature, the relationship between urban and rural poverty is perceived to be dominant. For example, Bhagwati and Srinivasan (1974) argue that the agriculture sector should be provided with the production subsidy. Other studies suggest that the absorption of labour in the informal sector in cities, i.e., native as well as a migrant is due to sluggish employment growth in the (formal) industrial sector. As the industrial sector is having limited spread and has adopted capital intensive technology, it is leaving no room for those laborers. From this point of view, there seem to be overlaps among informal sector employment, slum dwelling, and poverty (Mitra, 1994).

Labour market outcomes cannot explain and determine urban poverty as it goes far beyond it. Urban poverty cannot be captured only in terms of the headcount ratio of poverty. Multiple dimensions of deprivation have been discussed in the past (Sen, 1981; 1985; Haq, 1995). These dimensions include education, health, shelter, drinking water and sanitation, freedom, security, opportunity, asset, and vulnerability, among others. Migration may lead to some improvement in these dimensions in the lives of migrants. Therefore, studying the impact of migration on the well-being of the migrants needs to be paid serious attention, and this paper precisely attempts this.

Concept of well-being - In recent years well-being is

*Head, Assistant Professor, Department of Economics, KET's V.G. Vaze College of Arts, Science and Commerce, Ulund East, Mumbai (Maharashtra) INDIA

getting considerable attention by policymakers and social scientists. The broad conceptual approaches which dominate well-being research are two. The first is the objective approach that examines the physical components of a good life, whereas the second, subjective approach examines people's subjective evaluations of their lives by them.

Well-being is a definite idea that is meaningful for people and society in many ways. The subjective well-being of people is nothing but a perception of people that their lives are going well. This perception of well-being includes many positive things, such as feeling happy, socially connected, and purposeful.

The origin of the objective approach to well-being can be found in Amartya Sen's work in welfare economics where he talks about how to measure poverty and inequality, and its extension has drawn to the capabilities of individuals.

Social scientists' and policymakers' interest in the nature and determinants of well-being has grown after the work of Kahneman, Diener, and Schwartz's work in well-being research.

The objective approach helps in building national and international statistical indicators like the United Nations Development Programs, Human Development Index; the French government's Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress and the OECD formulated- a better life initiative.

Research Design - The present research is an empirical study based on primary data collected by the trained enumerator personally approaching the respondents. In this study, the respondent is the household head henceforth referred as HHH.

A) Methods of data collection

1) Primary data: Primary data have been collected from 213 households from Matunga Labour Camp slum, located in Mumbai. Information on diverse characteristics of slum dwellers was collected through a structured questionnaire based on the objectives of the study.

2) Secondary data: Secondary data has been gathered from government websites, University websites, and other sources.

B) Sample Description - Matunga Labour Camp (henceforth called as MLC) is one of the oldest slum settlements in Mumbai. Matunga labour camp is the ward no. 180, G/N of Mumbai. The population of this ward is 582007, out of which 324886, i.e., 55.82% is slum population. (Mumbai, 2010)

As per the records in primary health centre present here, there are total 4211 slum households with a population size of 19100. Out of the 4211 total households' 5 percent are randomly selected as sample.

C) Statistical Tools and techniques of Data analysis - The collected primary data has been classified, tabulated, and analysed using different statistical techniques and SPSS (21.0 version). Excel software is also used.

D) Objectives of the Study:

i. To develop a well-being index based on some of the relative and diverse characteristics of households.
ii. To study the difference between well-being index of the households who own zopdi(housing unit) and households who have rented in zopdi in the MLC slum
iii. To study the relationship between well-being index and duration of migration of households in MLC slum
iv. To study correlation between the total family income and educational level of HHH of household in MLC slum
v. To study the correlation between well-being index and educational level of HHH in household in MLC slum

Results and Analysis - This part of the paper provides the brief procedure of wellbeing index construction. Further the correlation of the wellbeing index with certain household characteristics is analysed and discussed.

Well-being Index - Well-being index is constructed by considering ten relative and diverse characteristics of households. The considered variables are household size (HHSZ), per capita total expenditure which includes food and all categories of non-food expenditure excluding health expenditure(PCE), proportion of persons in the household who reported illness one year preceding the date of survey(ILL), percentage of household members who acquired at least primary education(PRIM), percentage of members in the age group 15 to 59 - proxy for adult potential earners(PER 15 to 59), percentage of working members in the household (WM), age of the household – proxy for experience in the job market (AG), health expenditure per capita (HPCE), per capita household income (HHPCI) and child women ratio (CWR).

As per the previous studies on the subject (Yuko, March 2006), variables like household size, child-woman ratio, and percentage of ill members in the household, is likely to reduce the well-being of the household. On the other hand, health expenditure per capita on aprioribasis may reduce or raise the well-being of the household. Other variables would be expected to enhance well-being. Since these variables are heterogeneous, it is challenging to combine them to indicate an overall living standard of households. Hence, factor analysis in SPSS was conducted, and using factor loadings as weights, variables were combined to generate a composite index of well-being.

Table 1. Descriptive statistics

Variable	Mean
HHSZ	5.33
per capita total expenditure	1865.00
IIL	8.03
PRIM	61.47
PER 15 to 59	61.09
WM	28.04
AG	38.64
HPCE	245.12
HHPCI	2440.99
CWR	1.355

From Table 1, it can be observed that the average per capita

total expenditure of slum households is 1865 Rs. per month, with health expenditure per capita of Rs 245.12 per month. The average total monthly per capita income is 2440.99 Rs. per month. The average household size in the MLC slum is 5.33 members in the family .

To test the suitability of the data for doing factor analysis two tests were performed with the help of SPSS software. The results are as follows:

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.645
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	903.390
	Df	45
	Sig.	.000

This table shows two tests that point out the suitability of the data for structure detection. The **Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy** is a statistic that show the proportion of variance in the variables that might be caused by underlying factors. High values (close to 1.0) point out that a factor analysis will be convenient with the data. If the value is less than 0.50, the results of the factor analysis probably won't be fruitful. The value for our data is 0.645.

Bartlett's test of sphericity tests the hypothesis that correlation matrix for the variable considered is an identity matrix, which would indicate that the selected variables are not related and hence not suitable for structure detection. Small values (less than 0.05) of the significance level shows that a factor analysis may be useful for the given data. The value in our case is 0.000 making it perfectly suitable to run the factor analysis.(IBM, 2019)

After running the principle component analysis, 4 Factors or component were obtained. First factor included variables PCE, HPCE, HHPCI and PRIM. Second factor included variables WM and HHSZ. Third factor included variables PER 15 to 59 and CWR. Fourth factor included variables ILL and AG.The scree plot obtained for the PCA is represented below in the figure 1.In the given scree plot the number of factors on the x-axis and eigen values are represented on the y-axis. The point from which the slope of the curve clearly levels off (the elbow) indicates the number of factors that can be generated from the analysis. In the above figure 1, a cut-off of an eigenvalue e"1, gives four factors. Therefore, four factors are considered.

Figure 1: Scree plot of factor analysis for MLC

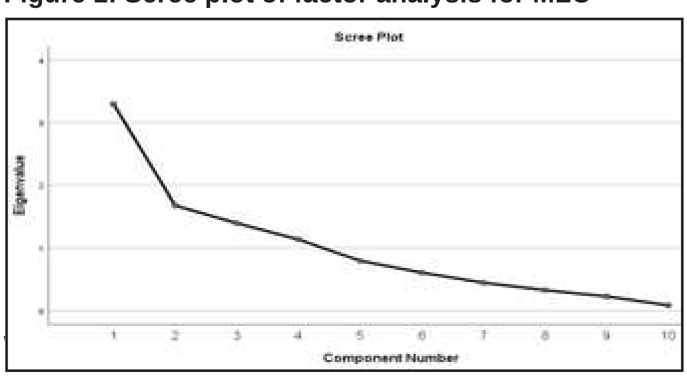

computation of a single index, factor score coefficients, also called component scores were estimated using regression method with the help of SPSS software.. Factor scores are the scoresof each case , on each factor. To compute the factor scores for a given case for a given factor, the case's standardized score on each variable is multiplied by the corresponding factor loading of the variable for the given factor, and summed these products. This calculation was carried out using SPSS procedure and factor scores were saved as variables in subsequent calculations involving factor scores.

The four factors explained 75.161 per cent of the total variation, with the first, second, third, fourth explaining 32.983 per cent, 16.802 per cent, 13.985 per cent, 11.391 per cent,respectively. Therefore, the importance of the factors in measuring overall wellbeing is not the same. Using the proportion of the these as weights on the factor score coefficients, a Non- standardized Index (NSI) was computed using the following formula:

NSI = 3.983(Factor 1 score) + 1.6802 (Factor 2 score) + 1.3985 (Factor 3score) + 1.1391 (Factor 4 score) /7.516

The value of the NSI for some households was positive and for other negative, making it difficult to interpret.Therefore, a Standardized Index (SI) was developed, the value of which can range from 0to 100, using the formula:

SI=(NSI of household – Minimum NSI / Maximum NSI – Minimum NSI) * 100

In MLC slum, the sum of (SI) well-being index obtained is 8267.127, and the sample size from MLC slum is 213 households. Therefore, the average well-being of MLC slum can be computed as follows:

Average Wellbeing Index = Summation of Standarized WI
8267.127/213
= 38.81

Table 2 - Household specific Wellbeing index and Duration of migration:

Duration of migration (years)	Number of Household	Average Wellbeing Index
Less thani 5 years	6	36.18
Between 5 to 10 years	11	38.54
Between 11 to 15 years	9	35.28
Between 16 to 20 years	12	36.03
More than 20 years	22	39.32
Whole life	153	40.02

From the above table it could be found that average wellbeing index of slum households who are in the city for whole life is slightly greater than the households being first generation migrants in the city. To understand the relationship between the duration of migration and wellbeing index correlation was measured in excel.

The difference between well-being index of the households who own zopdi(housing unit) and households who have rented in zopdi in the MLC slum

The average wellbeing index of the people who owned

house in slum and those who live on rent was also found out. People who own house in MLC slum, their well-being index is 39.07. 55 households out of 213 households live on rent. Their well-being index is 40.14.

Type of house	No. of households	Average Wellbeing Index
Owned	158	39.07
Rented	55	40.14

There is a slight difference in the average wellbeing index of the slum households who own the house and those who live in rented house in MLC slum.

Correlation results:

1. The well-being index and duration of migration in MLC slum: The relationship between well-being index and duration of migration of the slum households in the city is of 0.04. The obtained value 0.04 is insignificant. Therefore, it is concluded that there is no relationship between wellbeing index and duration of stay in the city for slum dwellers.

2. Correlation between the total family income and educational level of HHH of household : The relationship between total family income of the household and educational level of HHH of household is 0.27. The obtained value 0.27is showing weak positive relationship between the variables.

3. The correlation between well-being index and educational level of HHH in household : The relationship between wellbeing index and educational level of HHH of household is 0.057 . The obtained value 0.057 is insignificant. Therefore, it is concluded that there is no significant relationship between well-being index and educational level of HHH in household .

Conclusion - The relation between well-being index and the duration of stay/ migration in MLC slum is very low positive making it insignificant. This finding indicates that the benefits of migration to slum is going to improve the wellbeing of a relatively new entrant at par with that of the old migrants. This finding explains the continual rural - urban migration flow in cities like Mumbai. Also, the ever-rising slum formation can be better understood with this correlation.

There is a slight difference in the average wellbeing index of the slum households who own the house and those who live in rented house in MLC slum. For migrants staying in city is more important to earn livingthan owning the jhuggi/ zopdi(which eventually they can own) Also the underlying cause of dearness of zopdi cannot be overlooked.

The week positive relationship between the HHH'seducation level and total family income in the household is the indicator of the stigmatization of the slum dwellers in the job market where they usually settle with the low paying jobs despite having qualification to get better paying jobs. Also the insignificant relation between educational level of HHH and the wellbeing index of the household suggest that the educational level of HHH is not allowing him to improve the variables positively contributing to wellbeing index value or lower down the negative impact of the variables who contribute negatively to wellbeing index value.

Slums are the pockets of low standard of living, unhygienic environment, overcrowded and shabby places of poor people. However, they are the places where people struggle generation together to achieve betterment in their lives. As seen in the analysis section many households have strived and achieved better wellbeing levels than their counterparts. It is important to find out factors which contribute to their wellbeing and further enhance it. Policymakers must take cognizance of those factors and try to foster them through various programs and schemes.

References :-

1. A Sociological Approach to the Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend. (1985, December). *Oxford Economic Papers, 37*(4), 669-676. Retrieved June 10, 2019, from https://www.jstor.org/stable/2663049
2. CHANDRAMOULI, D. C. (2011). *HOUSING STOCK, AMENITIES & ASSESTS IN SLUMS IN 2011.* Retrieved May 27, 2019, from (http://census india.gov.in: (http://censusindia.gov.in/2011-Documents/On_Slums-2011Final.ppt)
3. DESA, U. (2016, January 12). *NEWS*. Retrieved May 7, 2091, from United Nations Department of Economic and Social Affairs: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/international-migrants.html
4. haq, M. u. (n.d.). ul Haq, Mahbub. (1994). Reflections on Human Development. *Oxford university Press*, 207-236. Retrieved June 10, 2019, from http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=008981/(100).
5. IBM. (2019, February 15). *KMO and Bartlett's Test.* Retrieved from IBM KNOWLEDGE CENTRE:https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_23.0.0/spss/tutorials/fac_telco_kmo_01.html
6. Mitra, A. (1994). *Urbanisation, slums, informal sector employment, and poverty : an exploratory study.* Delhi, India: B. R. Publicationa. Retrieved september 3, 2019, fromhttps://trove.nla.gov.au/work/31849303?selecteddversion=NBD11532533
7. Mumbai, M. C. (2010). *Mumbai Human Development Report 2009.* Munucipal Corporation of Greater Mumbai. New Delhi: Oxford University Press. Retrieved June 10, 2019, from http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/6Mumbai%20HDR%20Complete.pdf
8. Nilkanth Rath, V. D. (1971, January 02). Poverty In India. *Economic & Political Weekly, 6*(2). Retrieved June 10, 2019, from https://www.epw.in/journal/1971/1-26/special-articles/poverty-india.html
9. Nussbaum, M. (2011). *Nussbaum, Martha (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach.. pp. . .* Cambridge, MA: Harvard University Press. Retrieved September 3, 2019, from https://

www3.nd.edu/~ndlaw/prog-human-rights/london-symposium/CreatingCapabilities.pdf

10. Office of the Registrar General & Census Commissioner, I. (2001). *Home / Census of India 2001 (Provisional) Slum Population - Explanatory Note*. (I. Office of the Registrar General & Census Commissioner, Producer) Retrieved May 27, 2019, from http://censusindia.gov.in/Tables_Published/Admin_Units/Admin_links/slumnote.html: http://censusindia.gov.in/Tables_Published/Admin_Units/Admin_links/slumnote.html
11. Srinivasan, J. N. (1974, June). On Reanalyzing the Harris-Todaro Model: Policy Rankings in the Case of Sector-Specific Sticky Wages. *The American Economic Review, 64*(3), 502-508. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/1808907?seq=1#page_scan_tab_contents
12. Tomaszewski, M. W. (2016, October 3). Subjective Wellbeing, Objective Wellbeing and Inequality in Australia. (H. Zeeb, Ed.) *PLOS One, 11*(10). doi:10.1371/journal.pone.0163345
13. Yuko, A. M. (March 2006). *Migration and Wellbeing at the Lower Echelons of the Economy: A Study of Delhi Slums.* INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES. CHIBA- SHI JAPAN: INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES JETRO. Retrieved April 8, 2019, from https://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/051.html

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Sri Jagannath Temple of Puri - Historical Background and Facts

Kartikeswar Patro* Dr. Amrita Singh**

Abstract - The main objective of writing of this paper is to bring the knowledge of people towards religious belief of Hindu religion people about Sri jagannath temple of Odisha. India is land of religion, caste, language etc. It is a land of hetrogeneous people but feelings of co-operation and brotherhood among the different people of various religion practiced in India is unique. Hindu religion people believe Lord Jagannath is a living God which is based on Omni Potent, Omni Scient and Omni Present.As per the view of the people "If there is paradise on earth, it is here it is here, it is here." This is only Sri Jagannath Temple at Puri of Odisha.
Key Words - Historical background of the origin of Sri Jagannath Temple, Jagannath Culture, Mind blowing facts about Jagannath Temple of Puri.

Introduction -

Sri Jagannath temple is one of the most important sacred shrines of India. Many temples have lost its importance but this temple (Sri Jagannath Temple) at Puri is still having its own importance. Due to its special quality it occupies a special place in the religious and cultural History of Odisha. From ancient days to till date it has attracted many kings, religious preachers, conquerers, devotees and number of pilgrims. It imprints in the minds of Indians that Odisha is the Land of Sri Jagannath.This temple is an ironical symbol of Universal love and brotherhood which does not allow or accept any discrimination on the basis of caste religion etc. Anand bazar-the pleasure market is the place for equality. Here a rich can eat food with poor people as well as a lower caste people can sit and have Mahaprasad with higher caste Brahimin. Such type of broad-based system of religious life style is not found anywhere in the world.

Puri Jagannath temple is one of the most important temples for Hindu devotees as it is one of the Char-Dham Pilgrimages. Millions of people visits odisha every year to gain the blessings of Lord Jagannath. This temple is famous for its annual **Rath Yatra or car festival** which is attended by millions as the three chariots carry the deities Lord Jagannath, brother Balabhadhra and Sister Subhadra.

Historical background of the origin of Sri Jagannath Temple - Sri Jagannatha was worshipped as Nila Madhava by a tribal chief secretly in the dense forest. According to Vedic culture Lord Brahma is the creator of this universe, Visnu is the sustainer and Siva is the destroyer of this universe. King Indradyumna was a great devotee to Lord Vishnu. He deputed Vidyapati, for the building of Sri Jagannath temple. According to Vidyapati, Vishnu known by as well as offered prayer in the name of Nila Madhava, on a hill in a dense forest. He came to know that Nila Madhava was the family-deity of Visvavasu, a Savara or a tribal chief. But visvavasu maintains the secrecy of the location of NilaMadhava.Visvavasu refused the request of Vidyapati to show the place of his worship. Later vidyapati Brahmin priest married Lalita, the daughter of the tribal chief to get the secret location of Nila Madhava. At last, Visvavasu took his son-in-law with blind folded to dense forest on where Nila Madhava was being worshipped. While going to forest Vidyapati dropped mustard seeds on the ground. After few days mustard seeds germinated, Vidyapati could easily find the way to reach Lord Nila Madhava for prayer.

Thereafter, Vidyapati returned to Indradyumna and described his experiences. King Indradumnya received a divine direction about Puri for construction of a temple for

*Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA
**Professor (Arts Social Science and Humanities) Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

Lord Jagannath.When he reached at sea shore he found a log of wood fioating on the sea waves, from this floating log the idol of Sri Jagannath was carved by Lord Vishnu in disguise of an old carpenter. After some discussion, with king it was decided that the room for construction of idol of Lord Jagannath will be remain in a closed room for long 21 days and gave warnning that room will not open in any condition without stipulated time. Up to 15 days every thing was running very smooth, then next day queen Gundicha,very kind-hearted lady forced king to open the door because she feared that the carpenter might have died of starving and she said that no one can heard any sound from the room which was alloted for construction of Idol of Sri Jagannath. At last it was decided that to open the room, when the door was opened as per the order of king every one found that there was no carpenter only a set of three incomplete wooden idols.The set of wooden idols worship as an idol of Lord Sri Jagannath, Brother Balabhadra, and sister Subhadra till date.

It was the prayer of king Indradumnya to Lord Brahma to visit and see the construction of Sri Jagannath temple which is one of the tallest temples in the world at that time. Lord Brahma the creator of this universe accepted the invitation and visited Sri Kshetra and pleased by seeing this temple and asked to king Indradumnya, what is the desire of king infront of Lord. King Indradumnya prayed to God that please bless with me in future I will be the issuless or I will be the last ruler in my kingdom, because my future generation should not take pride as the owner of this temple .Lord Brahma blessed king Indradumnya as he desire. Jagannath dhampuri is one of the coastal towns of odisha is famous for its jagannath temple. Every year thousands of Hindu pilgrims visit this place to worship lord jagannath, brother Balabhadra and sister Subhadra.As per the sources of the Kendupatna copper-plate inscription of his descendant Narasimhadeva II.This temple is world renowned temple is known as in different names such as Bada Deula, Jagannath temple, Sri Mandir and Sri Kshetra.

Jagannath Culture - In ancient days, odisha was inhabited by the tribal people, which was rich in their own culture and civilization which is related to Vedic Aryans. Aryans migrated to Odisha along with Upanisadic philosophy and Smarti, rituals and spread to other parts of this country. Mauryan king Ashoka conquered Kalinga by defeating the republican chief, this dreadful event completely changed the mind of King Ashoka as a Dharmashoka then he embarced Buddhism and propageted for that. Sankaracarya visited Puri in the ninth century A.D and spread Hinduism.

Jainism was becoming popular on the soil of Kalinga by king Kharavela. But, after all we can say that Jagannath culture was earlier spread in this kingdom as per the record of non-Aryan tribals.

About Jagannath Temple - It was built during 12^{th} centuries A.D. It is one of the tallest monuments in the entire country and its height is 214 feet from the ground. This temple is built on the platform of stone. According to the puri Pandas the total area surrounded by this temple is about 10 acres. It is located in the heart of town city Puri. Meghanada Prachira is the outer wall which does not allow entering the vibrant sound of Bay of Bengal sea.Kuruma Prachira is another boundary wall of Sri Jagannath temple.The temple is bounded by two compound walls, the outer one known as Meghanada Prachira and the inner one known as Kurma Prachira. This temple is known for its magnificent carving sculpture based on the Kalinga style of architecture. This temple does not allow other religion people to enter inside of the temple except Hindus due to destruction of its Jagannath culture. It was the eye witness that many foreigner Muslim rulers attacked this temple to ransack its wealth and beauties of this temple. So, it was necessary to protect or does not allow to other religion people to enter this temple. A large number of devotees' visits Puri every year during the time of Ratha Yatra, one of the most important festivals of Jagannath Puri during the month of July. The word Jagannath means Jagatara Nath (Lord of the world). Lord Jagannath represents different forms of all deities of Hindu religion. Jagannath cultures represents all cultures of Hindu religion such as Vaishnava culture, Shaiva culture, kalika mata culture, Sri Krishna culture, Sri Ram culture etc.

Hindu religion preacher Sankaracharya visited Puri probably 810 A.D and founded the Gobardhan Matha which is one of the most important Dham of Adi Sankaracharya. Puri sea beach is one of the most impotant sea beaches in the world for attraction to the tirtha yatri or tourist in present days.

Puri Jagannath temple has four gates facing the four directions such as East gate known as Lions Gate, west facing gate is known as Tiger Gate, North facing gate is known as Elephant Gate, while as South facing gate is known as Horse Gate respectively. The east facing lions gate is most important during the time of Navakalebara ceremony of Sri Jagannath.In front of the east facing gate situated Aruna Stamba of 10 meters high.

Baisi Pahacha (22 steps) most probably all devotes roll on this step from top to bottom expection of blessings of Lord Sri Jagannath. As we entered to the main east facing gate, we find a biggest kitchen in the world in the left side of main gate, which proves that kitchen of jagannath temple as the biggest hotel of the world. This feeds lakhs of people within 2 to 3 hours. The method of preparation of food is most hygienic and traditional process. To the right side of east gate is Anand Bazar which is called as a Food selling market, literally means the market of pleasure.

Sri Jagannatha temple is famous for worshipping jagannath, Balabhadra and subhadra which are known as omni-present, omni-scient and omni-potent supreme power.Sudarshan chakra which is at the top of temple also known as fourth important deity known as Chaturdhamurati or the four-fold divine images.

Shree JagannathaTemple at Puri has been built by Anantavarman Chodagangadeva the ruler of Ganga dynasty during 12th century as per the sources of MadalPanji. The height of this temple is 214 feet 8

inches.Arun is the charioteer of Lord Sun is in front of the singh dwara. This temple is built on the odia style of temple architecture. The four most important part of this temple are such as:-

(a) The Vimana or Bada Deula
(b) The Jagamohan or Mukhasala
(c) The Natamandir
(d) The Bhogamandap

Sri Chakra of Lord Vishnu known as Nilachakra is made up of Asthadhatu looks same from every angle is one of the architectural importance of Sri Mandir.

The Rituals of the deities (daily updating)

The rituals of Sri Jagannath temple are classified into three categories such as

(a) The daily rituals or 'nitis'
(b) The special nitis according to the special days like as- Amabasya, Ekadasi
(c) Festival nitis-the various festivals observed during the year, some outside the temple and while as some are inside of the temple.

The first ritual or niti begins in the early morning with the opening up of the doors of the temple with mangalalati by chanting of devotional songs and music.

It is a common feature that the dieties of this temple are dressed and decorated daily.The sweet-scented Chandana paste which is applied to the body of the deities in the months of Vaisakha and Jyestha, for long 42 days of Chandana Yatra.

Bhoga and Ananda Bazar - Four dhams such as Puri, Rameswar, Dwarika and Badrinath are believed that these are related to the life of Lord Vishnu. It is believed that Lord Vishnu takes bath at Rameswaram, meditates at Badrinath, dines at Puri and retires at Dwarika. As per the source of Skanda Purana Lord Jagannath permits the devotees to receive Mahaprasad at Puri and take darshan of his Incarnation and worship him. According to lord Vishnu mahaprasad is known as "Anna Brahma". Lakhs of the devotees receives Anna Prasad every day. It is cooked only in earthen pot and with the help of Firewood. 56 food items are prepared every day. Mahaprasad first offered to Lord Jagannath then goddesses Mahalaxmi.

As per the source of Laxmi Purana Godesses Laxmi Prepares **Sathie Pauti (60 Food Items)** every day for Lord Jagannath then these food items reach to Anand Bazar for selling irrespective of all caste people. These Mahaprasad is free from all types of modern masala such as onion, garlics, ginger, etc. Ananda bazaar or pleasure market is a place where Mahaprasad sold. It is an open market hotel in the world, where thousands of devotees are selling and purchasing the food items without discrimination of caste, creed etc. Most of the residents of puri and nearby depend on this Mahaprasad during social and religious function.

"Nirmalya"is one of the most important dry cooked rice is used by Hindus for different special purposes.

Bhoga is offered to the deities, in the Bhoga Mandapa. When Mahaprasada is served, all the devotees sit on the ground and takes it. Mahaprasad is also known as a Bhoga. Five times in a day bhogas are offered to Mahaprabhu Sri Jagannath.

(i) Early Morning is known as Pahili Bhoga or Gopala Vallabha. It is just like as our breakfast such as fruits, curd, sweet, butter, green coconut etc.
(ii) Morning- This bhoga is known as Raja Bhoga or Sakala Dhupa.The food items includes Saga, Khichedi, Pitha Puli, Bundia Khiri, and Mathapuli.
(Iii) Midday –It is like as our lunch, which is known as Madhyahna Dhupa includes rice, pulses, vegetables etc.
(iv) Evening - It includes Puli, Bhogapitha, Kakara, etc.
(v) Night - At night, sweets, watered rice and some fruits.Arati is offered at the end of each dhupa and also early in the morning and evening. To perform these daily functions in the temple a large number of people are engaged they are known as sevakas.

Mind blowing facts About Jagannath Temple of Puri :

Here are some of these mind-blowing facts which are unknown to the present world people regarding Sri Jagannath temple of Puri: -

1. The flag of Jagannath temple which are installed at the top of temple flying in the opposite direction of the wind's course.
2. Every day a priest climbs the top of temple building to change the flag.This practice is done with out any protective, from the 1 st day of the temple built.
3. The temple has no shadow at all, at any time of the day and from any directions.
4. From every direction Sudarshan Chakra looks same appearance.
5. "Nothing is Above the God", so not a single bird fly above the temple nor sitting,and resting,even an aeroplane also never fly on the above of the temple till date.
6. The Food is never found wastage.In Hindu mythology, wasting food is considered as a bad sign.The total number of devotees visiting temple everyday is different from1000 to 200000 but the Mahaprasad prepared everyday never goes wastage. It is the symbol of good management.
7. You can not here the vibrant sound of ocean water inside the temple premises, but when you leave the temple boundary you can here the sound of sea water. This situation can be observed frequently during the evening time.
8. As per geographical phenomena during day time sea breeze blows from sea towards land part and evening from land to sea, but at puri just its opposite such as at day time wind blows from land part towards sea and evening from sea to land.
9. Mahaprasad is cooked in the temple premises has special attraction.Seven pots are used to cook mahaprasad arranged over one after another in a traditional way with the help of firewood, but very interesting is that the top most pot is cooked first, and this followed to bottom pot.
10. The idols of Dieties are made up of neem wood and it

is replaced by new one every 18 years and it is believed that it will disintegrate its own.

11. The Rath Yatra or car festival is one of the most important festival at puri, on this day deities are coming out from the temple to mausimaa mandir, where rituals takes place as usual.

Nabakalebara - Nabakalebar is a ceremony in which the wooden idol body of Sri Jagannaht needs to replacement in the month of Asadha.This ceremony is called nabakalebar on this process the old one is replaced by new one with in every 12 years.This process or rituals taken by the temple authorities in traditional ways under the guidence and supervision of daitas. (main priest of temple) as per the sources some daitas saw the dream regarding the location of neem tree of kakatpur village near mangala temple then daitas are deputed from Puri temple to kakatpur village to see or check the location, height, age and all the details of the tree which will felldown for the nabakalebar purpose.Then a small ritual homa (Havan) will conduct near the neem tree, then the tree will cut to size and brought to temple. At Koili Vaikuntha the skilled carpenter called Visvakarma prepares the wooden image under the supervision and guidence of daitas or temple priest. After the images are carved out these are taken inside the temple and transfered with new images. These new images are painted and ready for the worship. Then the old images are buried in Koili Vaikuntha.

Darubramha - It has been said that the idol of Lord Jagannatha is known as “Daru Brahma”. Daru means log of woods or timber and Brahma means the God of Gods. Earlier it has been said that the idol of Lord jagannath is made up of trunk of neem tree.The trunk of neem tree has some special quality which represent the substances of images which is known as Brahma in jagannath culture which is known as Daru Brahma. This Daru Brahma has special quality. As per the sources Puri temple has been attacked by many invaders many times. The property of Jagannath was looted many times these events are eye witnessed in the pages of history. To protect temple from these incidences many a time the images were secretly shifted to distant places even through forest. But the Brahma placed with in the images was untouched by the invaders. So these images are called Daru Brahma.

In India different Vaishnav saints such as Ramanuja, Tulsi Das Ramananda, Nimbarka, Vallabhacharya, Madhva, Sri Chaitanya, Kabir, and Guru Nanak etc. preached people to worship different forms of Vishnu avatar. People worshipped these incarnations in different forms such as Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parshuram, Sri Rama, Krishna, Balarama, and Kalki.Worshipping Lakshmi, Radha, and Sita as the wife of Lord Vishnu.

At Puri, Sri Jagannath worshipped in different occasion in different names such as: -

1. Narayan or Vishnu at Ratnavedi.
2. Sri Ganesha at snanvedi
3. Rudra during Nabakalebar.
4. Sun at chariot during car festival.

Festivals - A large number of festivals are celebrated in Jagannath temple. So people called it Bara Mase Tera Parab (13 Festivals in 12 Months). A large numbers of people from all over the India attendes these festivals in every month. This proves a great religious and devotional feeling towards Lord.

Chandana Yatra - This festival celebrates at Puri for 21 days during the month of vaishakha.

Snana Yatra - It is popularly known as deva Snana Purnima, on the day of Jyesthy Purnima.

Ratha Yatra - Ratha Yatra it is one of the most important festivals of Sri Mandir or which is known as Car Festival or Gundicha Jatra. This festival celebrates every year in the month of Asadha (June - July) for nine days.The deities visits on the wooden Ratha from Jagannath temple to Gundicha temple (Mausi-Maa Mandir) Lord Jagannath with his Brother Balabhadra and sister Subhadra.The deities stayed at Gundicha temple for seven days, The return journey is called BahudaJatra.The chariots of sri Jagannath is known as Nandighosa, the chariots of Balabhadra is known as a Taladhvaja and the chariots of Subhadra is known as a Devadalana. Yellow, green and black colours mixed with red are used to decorate all these three cahariots. The orders of movement of the chariots from the temple gate towards the Gundica temple are (a) Balabhadra, (b) Subhadra and lastly, (c) Jagannatha. The Raja of Puri sweeps the chariots with goldenbroom (Jhadu) this process known as Chera Pahanra) and it is one of the great attractions during RathaJatra. This ritual starts from several hundred years back; it starts from Anantvarman Chodagangadeva frrom 12th century to till date and it will continue to upcoming days. This tradition symbolises Lord is supreme, almighty; noone is above the Lord he may be king of a kingdom or any other powerful person. This tradition proves that king is servent of Lord Jagannath, and Odisha is a land ruled by Lord Jagannath as well as king is representative of Lord Jagannath.

Conclusion - In the conclusion it can be said that Lord Jagannath is the almighty for all the Hindu religion people in the world. It is one of the renowned temples among the Four Dham of Hindu religion. This temple has some unique fact which is special then the others. This temple spreads the feelings of brotherhood and no discrimination among the people. It is the example of submission of human beings infront of the God. Millions of the people visit this temple every year. As per the hindu mythology a person visits four Dham his or her soul will reach to Param atma(Great Soul), so everyone wants to visits this temple in their life.It is saying that Lord Hanuman and Bibhisan (Brother of Ravan,King of Lanka) visits this temple every year during the time of Ratha Yatra. As per the jagannath temple sources Lord Brahma visited this temple during the time of construction of this temple.

References :-

1. My tour to Sri Jagannath temple.
2. Discussion with various Daitapatis.
3. Collection of stories from the people.

भील महिलाओं में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति (रतलाम जिले की भील महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में)

विजयसिंह मण्डलोई* डॉ. हरिकृष्ण बड़ोदिया **

प्रस्तावना – जनजातीय समाज का अध्ययन समाज विज्ञानियों के लिये हमेशा अति महत्वपूर्ण एवं रूचि का विषय रहा है। जनजातियों के सदस्य सामान्यत: पर्वतीय या वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। यही कारण है कि इन्हें वन्य जाति भी कहा जाता है। जनजातीय समाज के सदस्य आज भी, जबकि सामाजिक जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाये रखने में समर्थ ही कहे जायेंगे। पर–संस्कृतिग्रहण के फलस्परूप उनके सामाजिक जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य हुये हैं, परन्तु यह कहना उचित नहीं होगा कि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गये हैं। भौगोलिक परिवेश की दृष्टि से उनके निवास क्षेत्र आज भी पर्वतीय वन क्षेत्र ही हैं। इस प्रकार जनजातियों को यदि परिभाषित किया जाये तो कहा जा सकता है कि –पर्वतीय वन्य क्षेत्र तथा दुर्गम स्थानों में अनेक मानव समूह अपनी परम्परागत संस्कृति के मध्य निवास करते हैं। इनकी अपनी परम्परायें, रीति–रिवाज, खानपान, वेशभूषा, रहन–सहन, भाषा–बोली तथा विवाह पद्धतियॉं होती है।

किसी भी देश के विकास के लिये वहॉं की महिलाओं को शिक्षित और स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है। भारत की जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत महिलाऍं निवास करती हैं। पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं को भी भारतीय संविधान ने समानता का दर्जा प्रदान किया है। भारत के संविधान ने महिलाओं को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये हैं। किन्तु इसके बाद भी महिलाओं की विशेषकर आदिवासी महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की प्रगति में कठिनाईयॉं महसूस की जाती रही है।

महिलाओं में शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे आधारभूत महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इस विषय **'आदिवासी महिलाओं में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति'** को चुना गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय – प्रस्तुत शोध मध्यप्रदेश की रतलाम जिले की भील आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत उनमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा को शामिल किया गया है। रतलाम जिला मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है जो कि मध्यप्रदेश के दक्षिण–पश्चिम भाग पर स्थित है। यह राजस्थान की सीमा से लगा हुआ जिला है। इस जिले में भील जनजाति की बाहुल्यता है। इसमें भी सैलाना एवं बाजना तहसीलो में लगभग 80 प्रतिशत जनजाति भीलों की पाई जाती है। ये यहॉं के मूल निवासी हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रतलाम जिले की कुल जनसंख्या 14,55,069 है। इसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 4,09,865 है। अनुसूचित जनजाति में कुल 206290 पुरूष तथा 2,03,575 महिलाऍं शामिल हैं। रतलाम जिले में कुल 5 तहसीलें हैं– रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा एवं आलोट। इसमें सैलाना एवं बाजना में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। सैलाना तहसील में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 1,34,959 व्यक्ति निवास करते हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के कुल 55,460 पुरूष तथा 54,889 महिलाऍं हैं, जो कि यहॉं की कुल जनसंख्या का लगभग 81 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार बाजना तहसील में कुल 80,290 लोग निवास करते हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 76,451 हैं जो कि कुल जनसंख्या का 95 प्रतिशत है। इसमें 38,377 पुरूष तथा 38,074 महिलाऍं शामिल हैं। इन अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक संख्या भीलों की है जो कि यहॉं के मूल निवासी हैं।

रतलाम जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या – जिले में अनुसूचित जनजाति के रूप में भील आदिवासी निवास करते हैं, जो यहॉं के मूल निवासी हैं। कुल पॉंच तहसीलों में से क्रमश: आलोट, जावरा, रतलाम, में आदिवासी जनसंख्या न्यून है, जबकि दो तहसीलें क्रमश: सैलाना एवं बाजना आदिवासी तहसीलें हैं। सैलाना तहसील में आदिवासी कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई है जबकि बाजना तहसील में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 91 प्रतिशत तक है।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

शिक्षा एवं स्वास्थ्य से तात्पयन

शिक्षा से तात्पर्य – 'शिक्षा शब्द संस्कृत की 'शिक्ष्' धातु से बना है – शिक्ष् शिक्षणेय जिसका अर्थ– सीखना, अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना है। इसका प्रेरणार्थक रूप सिखाना है। संस्कृत कोष मे 'विद्या' शब्द संस्कृत की 'विद्' धातु से व्युत्पन्न है जो जानना, अवगत कराना, अध्यापन कराना आदि अर्थो में प्रयुक्त होता है। उपर्युक्त दोनों ही– शिक्षा एवं विद्या शब्दो के प्रयोग–सीखने, सिखाने की प्रक्रिया के रूप में किये जाते हैं।

अंग्रेजी भाषा का एजुकेशन (Eduction) शब्द हिन्दी के शिक्षा शब्द का ही रूपान्रतण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 'एजुकेटम' शब्द से हुई है। शिक्षा के अर्थ में ही लेटिन के दो शब्द और हैं – 'एजुकेयर' एवं 'एजुसीयर' जिनका अर्थ निम्नलिखित है –

एजुकेटम – प्रशिक्षण, शिक्षण

एजुकेयर– शिक्षित करना, बाहर निकालना, आगे बढ़ना, विकास करना

एजूसीयर– विकसित करना, बाहरन निकालना

शिक्षा के संस्कृत और अंग्रेजी के व्युत्पत्तिपरक अर्थ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक में अन्तर्निहित जन्मजात शक्तियों का प्रकटीकरण है। इस रूप में शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने–सीखाने के फलस्वरूप बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है और ये

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** रिटा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला–रतलाम (म.प्र.) भारत

परिवर्तन विकासात्मक होता है। अत: शिक्षा शब्द का अर्थ सीखने-सीखाने की प्रक्रिया से है जिसके द्धारा बालक की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है।

स्वास्थ्य से तात्पर्य – स्वास्थ्य एक आधारभूत आवश्यकता है जो हमारे सामाजिक-आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। कहते भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। अशिक्षा के अतिरिक्त आदिवासियों में स्वास्थ्य की समस्याएँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। यूँ तो सामान्यत: आदिवासी लोगों का स्वास्थ्य बहुत बुरा नहीं है ,फिर भी ऐसा पाया जाता है कि अक्सर उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जनजातीय जनसंख्या भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी विविधता रखने वाले स्थानों पर निवास करती है। वे इन भौगोलिक और जलवायु संबंधी विविधता का अपने-अपने तरीकों से सामना करते हैं। जनजातीय समूहों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोणों का अध्ययन करने हेतु उनके भौगोलिक और जलवायु संबंधी वातावरण का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कारक शामिल हो सकते हैं। जैसे साफ-सफाई, आहार प्रारूप, विवाह पद्यति, स्वास्थ्य रक्षक व्यवहार, पीने के पानी की उपलब्धता, आनुवांशिक आदि। किसी विशिष्ठ जनसंख्या समूह में स्वास्थ्य एवं रोगों को प्रभावित करने वाले कारक एक समूह से दूसरे समूह में भिन्न हो सकते हैं। जनजातीयों की एक प्रमूख समस्या उनके स्वास्थ्य एवं बिमारियों से संबंधित है। कुछ निश्चित कारणों से जनजातीय समुदायों में व्याप्त रोगों और बिमारियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी दोनों की है। प्रथम स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाले (सामान्यत: बाहरी लोग, उनकी प्रवृत्ति, व्यवहार एवं प्रतिबद्धता आदि) एवं स्वयं जनजातीय समुदाय उनकी जीवन शैली, रीति-रिवाज, व्यवहार एवं इन सबसे अधिक उनकी बाध्यताएँ जिन पर उनका नियंत्रण बहुत ही मुश्किल होता है। जीवन शैली, सांस्कृतिक परम्पराएँ, जीवन निर्वाह, आहार, व्यवसाय, आदतें, सांस्कृतिक परम्पराएँ अन्य रीति-रिवाज एवं पर्यावरण कुछ खास रोगों के होने की संभावना को प्रभावित करती है।

जनजातीय समूहों की जनसंख्या में जिस प्रकार के रोगों की अधिकता होती है उनमें से अधिकांश हैं- मलेरिया, पोषण और रक्तअल्पता, आनुवाशिक विकार, मातृ-मृत्यु दर अधिक, शिशु मृत्युदर अधिक, प्रसवकालीन मृत्यु, यौन संचरित रोग जैसे-एचआईवी, त्वचा के संक्रमण, पीने के पानी में पाये जाने वाले खनिज लवणों की कमी के कारण होने वाले रोग आदि।

जनजातीय समूहों के अध्ययनों से यह बात तो स्पष्ट है कि वे लोग विपरित परिस्थितियों वाले भू-भागों में निवास करते हैं। ये क्षेत्र मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों के लिए उच्च स्थानिक झोन का निर्माण करते हैं। सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई एवं अच्छे स्वास्थ्य के न होने और इसके साथ स्वास्थ्य देखभाल के पिछडे तौर-तरीके अपनाने के कारण कई रोगों को जन्म मिलता है, जिसके कारण कई बिमारियॉ उत्पन्न होती है और मृत्युदर और रूग्णता दर बहुत अधिक हो जाती है। आदिवासी समूह जहॉ निवास करते हैं उन क्षेत्रों में कई बिमारियों का प्रकोप होता है जिसका प्रभाव वहॉ की महिलाओं पर पड़ता है

भील महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति – भारतीय समाज एक परम्परागत समाज है। समाज में पुरूषों का स्थान परम्परागत रूप से महिलाओं की तुलना में हमेशा उच्च रहा है। महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहा। भारत में महिलाओं का काम संतान उत्पन्न करना, उनका लालन-पालन करना तथा पति की सेवा करना रहा है। वास्तव में किसी समाज की प्रगति का मापदण्ड उस समाज द्धारा स्त्रियों को दिया जाने वाला महत्व और पद है। जिस देश में स्त्रियों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता है, वह देश समाज की दृष्टि से उन्नत माना जाता है। कहा जाता है कि नारी शक्ति का महान भण्डार है। नारी का वास्तविक महत्व परिवार के संदर्भ में समझा जाता है। नारी परिवार की नींव है और परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की नींव है। अत: नारी ही समाज व राष्ट्र को शक्तिशाली बनने का गौरव प्रदान करती है।

प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरूषों की सामाजिक स्थिति उनके आदर्श कार्यो के अनुसार निश्चित होती है। इन आदर्शो और कार्यो का निर्धारण उस समाज की संस्कृति करती है। संस्कृति यह निष्चित करती है कि पारिवारिक जीवन में स्त्रियों और पुरूषों का महत्व कितना है और उनके क्या-क्या कार्य हैं। यह कार्य या महत्व ही यह निश्चित करता है कि समाज में स्त्रियों का स्थान पुरूषों के बराबर, ऊँचा या नीचा होगा। यदि पुरूष को परिवार में सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्यो को करना पड़ता है तो उस समाज की संस्कृति का निर्देश है कि समाज में पुरूष की स्थिति स्त्रियों की तुलना में उच्च होगी। सैलाना-बाजना क्षेत्र के भील समाज के बारे में यदि कहा जाये तो समस्त हिन्दू समाज की तरह ही यह समाज पुरूष प्रधान है। भील परिवारों में महिलाओं की प्रस्थिति सम्मानजनक नहीं है। वह ग्रामीण महिलाओं के कामकाज, बच्चों को जन्म देना, उनका पालन-पोषण करना, घर की व्यवस्था करना आदि के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मजदूरी भी करती है। जंगल से लकडी लाना, कुंए से पानी भरना आदि कार्यो से लेकर सम्पूर्ण जवाबदारी उस पर होती है। उस पर पति की डांट-डपट, मारपीट आदि भी सहती है।

शिक्षा समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। महिलाओं की प्रस्थिति को ऊँचा उठाने में भी शिक्षा की भूमिका निर्विवाद है। सैलाना-बाजना तहसीलों में भील महिलायें अधिकांशत: अशिक्षित हैं जिसके फलस्वरूप भी उनकी समाज में प्रस्थिति ऊँची नहीं है। यदि ये महिलायें शिक्षित होतीं तो स्थिति इसके उलट हो सकती थी। किन्तु जिन थोडे बहुत परिवारों में महिलायें शिक्षित हैं वहाँ कमोवेश यह कहा जा सकता है कि उन्हें परिवारों में पर्याप्त सम्मान मिलता है। नई पीढ़ी में शिक्षा के प्रसार के फलस्परूप अब लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है जिसका प्रतिफल निश्चित ही भविष्य में अच्छा होने की संभावना है।

भील पितृस्थानिक होते हैं। वे सामान्यत: एक विवाही होते हैं लेकिन बहुविवाही होने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है।आर्थिक कारणों से अथवा वे लोग जो सक्षम होते हैं बहुविवाह कर सकते हैं किन्तु वर्तमान में बहुविवाही परिवार देखने में नहीं आते। भील गोत्र की दृष्टि से बर्हिविवाही होते हैं जबकि जनजाति की दृष्टि से अंतर्विवाही होते हैं। इनमें आज से 25 साल पहले तक बाल-विवाह देखने में आया करते थे किन्तु आज ऐसा नहीं है। वर्तमान में लड़के के विवाह की आयु प्राय: 16 से 22 वर्ष और लडकी के विवाह की आयु प्राय: 14 से 16 वर्ष होती है। उक्त आयु संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि लडके का विवाह 21 वर्ष से पहले और लडकी का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिये। किन्तु पारम्परिक दृष्टि से इतना ही कम नहीं कि अब बाल विवाह जो प्राय: लड़के-लड़की को गोद में बिठाकर हुआ करते

थे वे अब नहीं होते।

सैलाना-बाजना तहसील में भील समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण उत्सव है। विवाह में वधुमूल्य का प्रचलन है। पुरूष को अपने विवाह के लिये लड़की के माता-पिता को वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। एक भील परिवार में लडकियाँ परिवार की कार्यशील इकाई होती हैं। लडकियाँ विवाह के पूर्व तक माता-पिता के घर के कार्यो यथा खेती-बाड़ी, भोजन बनाने, लकड़ियॉ बटोरने, छोटे भाई बहनों की देखभाल करने, पशुओं की देखभाल करने, गोबर के कंडे थापना, बडे होने पर परिवार के लिये मजदूरी करना, घर का पानी भरना जैसे समस्त कार्यों में सहयोग करती है। निश्चित ही लड़की का विवाह हो जाने पर परिवार को इससे विभिन्न प्रकार के सहयोग में क्षति होती है। वधुमूल्य संभवत: ऐसी ही क्षतिपूर्ति राशि है, जो लड़की के माता-पिता का परिवार वर पक्ष से प्राप्त करता है। क्षतिपूर्ति की राशि जो 15-20 सालों पहले 500 रू. थी समय के साथ-साथ इसमें बढ़ोतरी होती गई। आज यह राषि पाँच से दस हजार तक हो सकती है। सम्पन्न भीलों में यह राशि 20 से 25 हजार तक हो सकती है। इस वधु मूल्य राषि को '**दापा**' कहा जाता है। यह राशि दोनों पक्षों की सहमति से निश्चित की जाती है। इसके उपरांत सगाई की जाती है। इस समय दोनों पक्ष चाय या शराब पीते हैं।

भील समुदाय में विवाह पूर्व '**नौतरा**' का आयोजन किया जाता है। इसमें वधु मूल्य चुकाने के लिये वर पक्ष को समाज के लोग आर्थिक सहयोग करते हैं। वस्तुत: भीलों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वर पक्ष को वधु मूल्य चुकाने के लिये धन राषि जुटाना एक मुश्किल कार्य रहा होगा। इसी कारण नौतरा की परम्परा अस्तित्व में आई प्रतीत होती है। नौतरा में वर पक्ष के सभी सम्बन्धी वर पक्ष के परिवार को कुछ धनराषि भेंट करते हैं यह राशि उतनी या उससे अधिक हो सकती है, जितनी नौतरा आयोजक ने पूर्व में अपने सम्बन्धियों को उनके यहाँ आयोजित नौतरा में दे दी होगी। जो परिवार नौतरा आयोजित करता है वह अपने यहाँ आये मेहमानों को भोजन और शराब से स्वागत करता है।

वर्तमान में सगाई और नौतरा जैसी परम्पराओं के निर्वाह के उपरांत ही मंडप, तेल, लगन और फेरे आदि होते हैं। विवाह सामान्यत: ग्रीष्मकाल में सम्पन्न होते हैं किन्तु अन्य समयों पर होनें में भी कोई बाधा नहीं है।

क्षेत्र के भीलों में आज से 10-15 वर्षो पहले तक घर-घर महुआ से कच्ची शराब बनाने का कार्य किया जाता था किन्तु शासकीय प्रतिबंध के कारण अब यह सामान्यत: देखने में नहीं आता। भीलों के एक वर्ग भगत भीलों जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है, में शराब पीना या पिलाना प्रतिबंधित हैं जबकि जगत भीलों में खुशी या गम सभी अवसरों पर माँस और शराब का सेवन किया जाता है किन्तु जितना अधिक प्रयोग पहले हुआ करता था वैसा अब दिखाई नहीं देता। इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है।

यहाँ के भीलों में सगोत्र विवाह की अनुमति नहीं है। किन्तु विधवा या परित्यक्त्या का/से पुनर्विवाह की सामाजिक अनुमति है। इस प्रकार के पुनर्विवाह को 'नातरा' कहा जाता है।'नातरा' में उस पुरूष को जिस स्त्री से वह विवाह कर रहा है उसके पूर्व पति को वह राशि चुकानी होती है जो उस स्त्री के माता-पिता ने वधुमूल्य के रूप में प्राप्त की थी। इस राशि के लेने देन पर होने वाले किसी विवाद का निपटारा जाति पंचायत द्वारा किया जाता है।

क्षेत्र के भीलों में विवाह विच्छेद (तलाक) का भी प्रचलन है। पति और पत्नी में से कोई भी एक-दूसरे को तलाक दे सकता है। पति द्वारा डाँट-डपट या मारपीट करने पर स्त्री (पत्नी) पति को छोड़कर माता-पिता के घर चली जाती है और जब तक कोई समझौता नहीं होता वह पति के घर लौट कर नहीं आती। कभी-कभी कोई समझौता नहीं होने पर विवाह विच्छेद हो जाता है। पति भी पत्नी की घर के कामों में लापरवाही या चरित्र पर सन्देह होने पर विवाह-विच्छेद कर सकता है। किसी भी दशा में दूसरा विवाह 'नातरा' कहलाता है।

भील आदिवासी हिन्दुओं की तरह देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा स्थल के रूप में मंदिर या छोटी-छोटी मड़ियायें या चबूतरे प्राय: निवास स्थान के पास होते हैं। भील आदिवासी शंकरजी, हनुमानजी, गणेशजी, कालका माता, गढखंगाई माता और शीतला माता आदि की पूजा करते हैं। मुख्य त्यौहारों में होली और दीवाली बड़े उत्साह से मनाते हैं। दीवाली पर दिये जलाना और फटाके फोड़ना आम बात है। होली के अवसर पर फाग के गीत गाना, नाचना और रंग-गुलाल करना इन्हें अच्छा लगता है। ढोल बजाना और फाग के गीत इनकी विशेष पसंद है।

पूर्वजों से सम्बन्धित चबूतरों को 'देवरा' कहा जाता है। इन चबूतरों पर जुझारजी, भेरूजी, नागदेवता और सगस देवता आदि के प्रतीकात्मक प्रस्तर होते हैं और सती माता की उत्कीर्ण मूर्ति होती है। क्षेत्र भर में तेजाजी महाराज की कथा बड़ी श्रृद्धा और आस्था से न केवल गाई जाती है बल्कि उनका नाट्य रूपान्तर भी मंचित किया जाता है। परन्तु आज के दौर में कुछ अवसर विशेष जैसे मेले आदि में ही यह देखने को मिल सकता है। भील आदिवासी पूजा-पाठ नियमित रूप से नहीं करते। विशेष कठिनाइयों के समय देवी-देवताओं को पूजते हैं। पवित्र पूजा-अर्चना का कार्य करने वाला व्यक्ति '**भोपा**' कहलाता है। '**बड़वा**' कहलाने वाला व्यक्ति झाड़-फूँक करता है। भील आदिवासी भूत-प्रेत, चुडैल आदि में विश्वास करते हैं और इनकी काली छाया से बचाने के लिये बड़वा झाड़-फूँक कर ठीक करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास के कारण सर्पदंश की घटनायें होती रहती है। ऐसी दशा में सांप के विष से प्रभावित को मुक्त कराने का कार्य बड़वा द्वारा ही किया जाता है, किन्तु स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के कारण अब झाड़-फूँक सामान्यत: कम ही प्रचलन में है। स्वास्थ्य कर्मियों की सेवायें दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचते देखी जा सकती हैं।महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिक चिकित्सा उन्हें आयरन गोलियों और प्रसूति के पहले और बाद में चिकित्सा सुविधाओं से क्षेत्र के आदिवासी लाभान्वित हुये हैं। क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ने उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को कम किया है। गाँवों को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों ने तथा दुपहिया वाहनों, बसों और ट्रेक्टर-ट्रॉलियों की बढ़ती संख्या ने उनके स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने में मदद की है। यह परिवर्तन पिछले एक दशक में देखने में आया है। क्षेत्र में परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता का प्रसार हुआ है। शिक्षित परिवारों में परिवार नियोजन के साधनों को अपनाया जा रहा है। अधिकांशत: महिलायें टीटी ऑपरेषन कराती हैं। आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से टीकाकरण अभियान का लाभ क्षेत्र के आदिवासियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है।

विषय का महत्व – जनजातीय समाज प्रारम्भ से ही अनेक समस्याओं से ग्रसित रहा है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख रूप से शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों में जबसे बाहरी समाज का दखल हुआ है, तबसे कहीं-कहीं तो कुछ समस्याएॅ हल हुई है, परन्तु कुछ बड़ी समस्याएॅ उत्पन्न भी हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है।

आदिवासी महिलाओं में बहुत हद तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी

समस्याओं का समाधार हुआ है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। आज भी आदिवासी महिलाएँ अन्य वर्गो की महिलाओं की अपेक्षा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। इस प्रकार आदिवासी महिलाओं में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में आए परिवर्तनों का पता करना ही शोध अध्ययन में प्रमुख रूप से शामिल किया गया है, जो कि इसके महत्व को परिलक्षित करता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाटील अशोक डी. : भील जनजाति और संस्कृति, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1998
2. आहूजा राम : भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2005
3. शर्मा श्रीनाथ : जनजातीय समाजशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2007
4. मुकर्जी रविन्द्र नाथ : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवके प्रकाशन, दिल्ली 2005
5. तिवारी डॉ.शिवकुमार : मध्यप्रदश की जनजातियॉ, म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1995
6. Delige Robert : The Bhils of Wwstern India , National Publication House , New Deldi
7. चौहान कुसुम दीक्षित : जनजातीय महिलाओं में शिक्षा का विकास, ए.पी.एच.पब्लिकेशन कार्पोरेशन, नई दिल्ली 2008
8. Basu Salil : Tribal Health in India, Manak Publicatin Delhi 1994
9. गोयल सुनिल : भारत के सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2006

तालिका 1 – रतलाम जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

तहसील	कुलजनसंख्या	कुलजनजातिय जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	ग्रामीण	नगरीय	कुल जनसख्या में जनजाति का प्रतिशत
रतलाम	693621	134128	68044	66084	116393	17735	19.33
सैलाना	134959	110355	55466	54889	108702	1653	81.76
बाजना (रावटी सहित)	164461	154286	77090	77196	154286	0	93.81
जावरा	243070	9646	4931	4715	7501	2145	3.96
आलोट	218958	1450	759	691	861	589	0.66
कुल योग	1455069	409865	206290	203575	387743	22122	28.16

****

वर्तमान भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका : संसद में प्रतिनिधित्व के आधार पर

डॉ. भावना ठाकुर *

प्रस्तावना – जब हम महिलाओं के विषय में बात करते हैं ; तो हम विश्व की आधी आबादी की बात करते हैं। वह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रकृति। महिलाओं के बारे में कुछ भी लिख पाना उतना ही कठिन कार्य है जितना की सूर्य को दीपक दिखाना, फिर भी इस शोध पत्र में हम 'वर्तमान भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका' विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विषय को सुगम बनाने के लिए इसे कुछ बिन्दुओं में बाँटा गया है, जिनमें हम इस विषय को और गम्भीरता एवं बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे।

प्राचीन भारत में महिलाओं की भूमिका – प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वांग्मय में महिलाओं के विषय में अत्यन्त उन्नत एवं स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में नारी की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। समाज के लगभग सभी कार्यो में उनकी बराबर की सहभागिता रही। अनेक राजनीतिक मुद्दों पर उनसे चर्चा अनिवार्य थी। अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि सभा जैसी उन्नत राजनीतिक संस्थाओं के वाद-विवाद में महिलाएँ भाग लेती थी।[1] ऋग्वेद की कई ऋचाओं का तात्कालिक विदूषियों यथा – अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि के द्वारा निरूपण किया गया माना जाता है।[2] आज भी ऋषि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य का संवाद वाद-विवाद एवं दर्शन की पराकाष्ठा माना जाता है। महिलाएँ राजनीति, शिक्षा, युद्धनीति, योग आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करती थी। अनेक गुरूकुल गुरूमाताओं द्वारा संचालित किए जाते थे। यहाँ तक की अपने पति का वरण भी वे स्वयंवर के द्वारा स्वयं ही करती थी। वे युद्ध एवं नीति संबंधी कार्यो में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही। सर्वविदित है कि रणभूमि में युद्ध के समय राजा दशरथ की जान बचाने के कारण ही रानी कैकेयी को राजा दशरथ ने वे दो वचन दिए थे।[3] जिस धनुष को बड़े-बड़े धनुर्धर एवं पराक्रमी राजा नहीं उठा सके, उसे सीता सहजता से उठा लेती थी।

परन्तु उत्तर वैदिक काल तथा परवर्ती समय में महिलाओं की भूमिका में ह्रास आया। महाभारत में महिलाओं को भोग विलास की वस्तु माना जाने लगा। द्रौपदी को जुएं में दाव पर लगाए जाने की कथा सर्वविदित है। उनका दायरा घर तक ही सीमित होता गया तथा बाहरी जगत, राजनीति, शिक्षा आदि से उन्हें वंचित किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक महिलाओं की प्रस्थिति निरंतर गिरती चली गई तथा उनसे संबंधित अनेक कुरीतियों जैसे – पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि ने धीरे-धीरे समाज में अपना घर बना लिया तथा महिलाओं को सब प्रकार से अधीन एवं हीन कर दिया।

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका – भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय महिलाओं ने इसमें बढ़चढ़ कर भाग लिया उन्होंने घरों से बाहर निकलकर पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महिलाओं के उत्थान के भी अनेक प्रयास किए। (हालाँकि राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ज्योतिबा फुले आदि ने पहले ही महिला पुनरूत्थान की तरफ अनेक सकारात्मक कार्य किए) रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवन्तीबाई, झलकारी बाई, सरोजिनी नायडू, एनी बिसेन्ट, भगिनी निवेदिता, कमला नेहरू, दुर्गा भाभी, अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पण्डित, सावित्री देवी, सुचेता कृपलानी, अरूणा आसफ अली आदि अनेक महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लम्बी लड़ाई में बराबर का साथ दिया तथा इनमें से कईयों ने तो अपने प्राणों की आहूति तक दे दी।[4] इस स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप भारत को एक लंबे संघर्ष के बाद आजाद प्राप्त हुई।

वर्तमान भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें सभी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध घोषित किया गया।[5] सभी वयस्क महिला एवं पुरूषों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करने की व्यवस्था की गई है।[6] इसके साथ ही महिलाओं की राजनीति में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सरकार अनेक प्रावधान करती है। 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षण का प्रावधान किया गया है।[7] महिला संबंधी अपराधों के लिए भी कानून सख्त से सख्त बनाए जा रहे हैं (तो भी महिलाओं से संबंधित अपराधों में कमी आने के स्थान पर, उनमें बढ़ोतरी हुई है। जिन पंचायतों एवं नगर निगम निकायों में महिलाओं को सक्रिय राजनीति से जोड़ने के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया, उसका लाभ आज भी पुरूष उठा रहे हैं। प्रतिनिधि भले ही महिला चुनी जाती हो, परंतु उसके पद से संबंधित वास्तविक कार्य एवं शक्तियाँ उनके पति के हाथों में ही होती है, जिसके कारण 'सरपंच पति', 'पार्षद-पति' जैसे शब्द प्रचलन में आने लगे। महिलाओं के उत्थान एवं विकास पर चर्चा हम आगे करेंगे, उससे पहले हमें भारत की आजादी से लेकर आज तक गठित लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए।

पहली लोकसभा से वर्तमान 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या एवं उनकी भूमिका – स्वतंत्र भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें संसद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। इसमें भी लोकसभा का प्रभाव संसद पर सर्वाधिक दिखाई देता है। कारण यह है कि लोकसभा

* सह-प्राध्यापक संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

आमजन की सभा है जिसमें सांसद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर आते हैं तथा उनके जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। भारत में 1952 के प्रथम आम चुनावों के बाद से ही समय-समय पर संविधान सम्मत तरीके से लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं तब से लेकर अब तक की जितनी लोकसभाएँ गठित हुई हैं, उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न रहा है -
पहली लोकसभा 1952 में कुल 489 सीटों में से 51 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें से 22 महिलाओं ने जीत दर्ज की। दूसरी लोकसभा (1957) मे 45 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 22 विजयी रही। तीसरी लोकसभा (1962) में 66 में से 31 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतीं। चौथी लोकसभा (1967) में भी 67 में से 29 महिलाएँ जीतीं। पाँचवी लोकसभा (1971) में 86 में से 21 तथा छठी लोकसभा (1977) में 70 में से 19 महिला उम्मीदवार विजयी होकर लोकसभा पहुँची। सातवीं लोकसभा (1980) में 143 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें 28 चुनाव जीतीं। आठवी लोकसभा (1984) में 162 में से 42 महिलाएँ, नौवीं लोकसभा (1989) में 198 में से 29, दसवीं लोकसभा (1991) में 326 में से 37, ग्यारहवीं लोकसभा (1996) में 599 में से 40, बारहवीं लोकसभा (1998) में 274 में से 43, तेरहवीं लोकसभा (1999) में 284 में से 49 तथा चौदहवीं लोकसभा (2004) में 355 में से 45 सीटों पर महिला उम्मीदवार विजयी रहीं।[8] इस प्रकार लोकसभा में विजयी महिला सीटों की संख्या घटती-बढ़ती रही। हालाँकि लोकसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल बहुत लम्बे समय से लम्बित है, तो भी वह बिल अभी तक पास नहीं हो पाया। 2009 के बाद से लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की सीटें बढ़ी है, तो भी अभी तक यह बिल लम्बित है, जिससे कहीं-न-कहीं लोकसभा में बैठे लोगों की मानसिकता प्रदर्शित होती है। पंद्रहवीं लोकसभा (2009) में भी विजय होकर लोकसभा पहुँची महिलाओं की संख्या 59 थी जो 2014 के लोकसभा चुनाव में 61 हुई। 2019 के आम चुनावों में अब तक की सबसे अधिक संख्या में महिला सांसद बनी जिनमें 78 महिलाओं ने जीत हासिल की, तो भी ये संख्या 33% से बहुत कम है (जितने आरक्षण की माँग की बात चल रही है), और यदि समाज में महिला जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या का लगभग 48% भाग महिलाओं का है, उससे तो ये आँकड़ा और भी कम है, जिससे हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं भारतीय संसदीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली लोकसभा में उनका सहभाग समझ सकते हैं।

महिलाओं की प्रस्थिति सुधारने के सुझाव - यदि हमें भारतीय समाज और राजनीति में महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है, तो सबसे पहले हमें उनके अस्तित्व एवं उनकी समाज में भूमिका को स्वीकार करना होगा। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्त्री एवं पुरूष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। जब तक हम पुरूष प्रधान मानसिकता को नहीं छोड़ते, तब तक हम समानता की बात ही नहीं कर सकते। यहाँ स्पष्ट कर दें कि पुरूष प्रधान मानसिकता केवल पुरूषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी विद्यमान है। इस मानसिकता को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम सीधे तौर पर पुरूषों के विरूद्ध हो जाए या सामाजिक ताने-बाने की बुनियाद को ही कमजोर कर दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यो चाहे वह घर से संबंधित हो या घर से बाहर कार्यस्थल से संबंधी, को सम्मान दे। दूसरी ओर महिलाओं को भी स्वतंत्रता और स्वछंदता के विभेद को समझकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। दूसरा, शिक्षा के द्वारा भी हम महिलाओं के समाज में स्थान को उन्नत करने के प्रयास कर सकते हैं। यहाँ ध्यातव्य रहे कि हम किस शिक्षा की बात करते है, वह जो आजकल प्रचलित है, जिसका उद्देश्य केवल डिग्रियाँ वितरित कर, रोजगार के लिए योग्यता प्रदान करना है अथवा जिस शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन के चारित्रिक निर्माण कर उन्हें समाज में समभाव, सहभाग एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन का बोध कराना है। तीसरा, भारतीय संविधान एवं दण्ड प्रक्रिया में कानूनों की व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है, परंतु उनको लागू करने में कहीं-न-कहीं चूक हो रही है। इसके भी बहुत सारे कारण है - पहला भारतीय न्यायिक व्यवस्था मे न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है। हालाँकि आजकल त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रेक कोर्ट) के द्वारा न्यायिक कार्यो में तेजी लाई जा रही है, तो भी इन त्वरित न्यायालयों की संख्या बहुत कम है, जिससे उनका कार्य भार बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, भारत में न्यायाधीशों की एवं न्यायालयों की संख्या उतनी नहीं है जितनी की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। भारत में लगभग 10 लाख की आबादी पर 19 न्यायाधीशों की व्यवस्था है।[9] जिसका अर्थ है कि लगभग 50 हजार से अधिक की आबादी पर एक न्यायाधीश उपलब्ध है, ऐसे में महिलाओं से संबंधित अपराधों में भी न्याय बहुत देरी से मिल पाता है, जिससे अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करके, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके तथा उनसे जुड़े कानूनों आदि के बारे में जानकारी देकर भी महिलाओं की सामाजिक, राजनीति एवं आर्थिक रूप से भूमिका को सुदृढ़ किया जा सकता है।

निष्कर्ष - उपरोक्त वर्णन में महिलाओं के प्राचीन काल से अब तक के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त आज भी महिलाओं से जुड़ी जो भी समस्याएँ समाज में विद्यमान है, उन्हें दूर करने के कुछ सुझाव भी दिए गए है। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही नारी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है ये वही देश है जहाँ नारी को पूजने[10] तथा उसके स्पष्ट होने से कुल के विनाश[11] की बात कही गई है। भारत के इतिहास में अनेक वीरांगनाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने रण-कौशल, बुद्धिमता एवं सूझ-बूझ से भारतीय राजनीतिक इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाया है। तो भी कालान्तर में उनकी शारीरिक बनावट एवं कुछ समय की उनकी शारीरिक कमजोरी के आधार पर उनको कमतर आँकना सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की भूमिका में ह्रास आया, वह समय के साथ बढ़ता ही चला गया। हालाँकि आजादी के बाद उनकी स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए और आज भी किए जा रहे है (तो भी उनके परिणाम संतोष जनक नहीं। आज भी आर्थिक रूप से उन्हें कमतर माना जाता है तथा समान कार्य करने पर भी कम वेतन दिया जाता है। हालाँकि भारतीय संविधान में इसका विषेद्ध किया गया है। राजनीति में उन्हें भले ही पंचायतों में 33% आरक्षण दे दिया गया हो, समान रूप से मताधिकार प्राप्त हो, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हो, तो भी व्यावहारिक रूप में इन सब की क्या वास्तविकता है, हम सभी जानते हैं। सामाजिक रूप से भी, आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है, जो सब तरह से पुरूषों के अधीन है। इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। इसमें हम पुरूषों को महिलाओं के प्रति मानसिकता एवं महिलाओं की स्वयं महिलाओं के प्रति मानसिकता, दोनों की ही बात कर रहे हैं। साथ ही हमें महिलाओं की शिक्षा, न्याय एवं कानून व्यवस्था तथा उनके सम्मान के बोध को बढ़ावा

देना होगा। इन सबको साथ में रखते हुए एवं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़कर ही हम महिलाओं की राजनीति में व्यापक एवं महत्ती भूमिका को आगे बढ़ा सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्राचीन भारतीय शासन और विधि, शिवस्वरूप सहाय, मोतीलाल बनारसीदास, प्रथम संस्करण-2005, पृ. - 186
2. प्राचीन भारत, सत्यकेतु विद्यालंकार, श्री सरस्वती सदन प्रकाशन, पंद्रहवाँ संस्करण-2016, पृ. - 96
3. इससे कैकेयी के युद्ध-कौशल का पता चलता है।
4. भारत की आजादी में महिलाओं की भूमिका, सी.रंजन, ग्लोरियस पब्लिशिंग हाउस, संस्करण 2012
5. हमारा संविधान, सुभाष कश्यप, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, आठवीं आवृत्ति-2008, पृ-76
6. -तदैव-, पृ. - 253
7. भारतीय शासन एवं राजनीति, पुखराज जैन एवं बी.एल.फड़िया, साहित्य भवन प्रकाशन, सोलहवां संशोधित संस्करण - 2008, पृ. - 578
8. महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, डॉ. विप्लव, राहुल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम संस्करण - 2013
9. दि हिन्दू बिजनेस लाइन.कॉम, पी.टी.आई., अपडेट ऑन 24 सितंबर, 2018
10. मनुस्मृति, तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या - 56
11. -तदैव-, श्लोक संख्या - 62

****

भारतीय लोककला और बघेलखंड के भित्तिचित्र

डॉ. ज्योति सिंह *

प्रस्तावना – भारतीय लोककला मूलत: जनसामान्य की कला है। उसका इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन ग्रामीण सभ्यता का। सिन्धु घाटी की सभ्यता से मिले अवशेषों को यदि भारतीय लोककला का आरम्भिक नमूना माना जाय तो यह परम्परा ईसा से लगभग तीन हजार साल पुरानी मानी जा सकती है। 'भारतवासियों का जीवन सदा से कलात्मक रहा है और आज भी है। हमारी प्राचीन ललित कलाएँ अत्यन्त गौरवशाली थी परन्तु इसके साथ ही आज जनजीवन में उपलब्ध लोक कलाओं का भी कुछ कम महत्व नहीं है। ग्रामीण जन भी कार्य करता है उसे वह कलात्मक रीति से सम्पादित करता है।'[1]

आधुनिक युग में कला का जन्म तब हुआ जब मानव ने पहली बार रेखा खींचने का प्रयास किया। उसने सर्वप्रबम प्रस्तर खण्डों पर आकृतियाँ बनाई। शरीर पर विभिन्न रंगो का लेपन किया। उसमें भी अलग-अलग शैलियाँ थी। मानव के विकास की कहानी का प्रारम्भ भी यहीं से होता है। कला को अभिव्यक्त करने का पहला साकार माध्यम शिलाएँ और फिर कच्ची मिट्टी की दीवारें बनी। मिट्टी के घड़े, खिलौने, औजारों को विभिन्न आकृतियों से सजाना भी यहीं से प्रारम्भ हुआ। मनुष्य की भावनाएँ और कल्पनाएँ जब उसकी हाँथ की अंगुलियों का संस्पर्श पाती है तभी कला का निर्माण होता है।

यह बात सत्य है कि कोई एक व्यक्ति कला के क्षेत्र में दूसरों से भिन्न होता है। आदिम युग में व्यक्ति किसी समाज का सदस्य नहीं था। आदिम मनुष्य जब किसी पशु की आकृति बना लेता था तो उसको ऐसा विश्वास था कि वह शिकार के लिए उस पशु को मार लेगा। यह उसके विकसित आत्मविश्वास की कथा है। यहीं से लोककला विकसित हुई।

'लोककला में एक व्यक्ति नहीं, वह स्वयं में एक समाज है। आदिम कला यदि प्रागैतिहासिक है, तो लोककला बाद में मानव संगठन का स्वरूप है। यह सामूहिक प्रयासों की अभिव्यक्ति है। यह संगठित जनभावनाओं की स्वीकृति भी है। दीवारों पर विभिन्न आकृतियां बना देना मानव मन के लिए सबसे सरल उपक्रम है। तब न रंग थे न कागज परन्तु कलात्मक सुरूचि थी। अपने आन्तरिक व्यक्तित्व को बाहर लाने की कल्पना थी। लोक मन ने चावल, गेरू, छुही आदि को मिला कर रंग बनाए और दीवारों पर चित्र बनाना प्रारम्भ किया।'[2]

बघेली लोक कला के अन्तर्गत भित्ति चित्र यहाँ के जनमानस की सुरूचि और पावन मन का प्रतिबिम्ब है। वर्ष भर के व्रत, तिथि त्यौहारों पर बघेलखण्ड में परम्परा से भित्तिचित्र और भूमि अलंकरण बनाये जाते है। इनको बनाने वाली होती है चित्रकर्म में निपुण घर की महिलाएँ, जिनकी स्मृति में उस चित्र के विभिन्न रूप, आकार, रंग, रेखाएँ तथा मिथकथाएँ होती है उन्हीं को महिलायें हर बार दीवारों पर बनाती और मिटाती हैं। इस प्रक्रिया में जहाँ एक ओर नई पीढ़ी के सामने चित्र परम्परा की पुनरावृत्ति होती है वहीं दूसरी ओर चित्र, रंग-रेखा, अनुष्ठान, मिथक का अनुरक्षण भी।

कोहबर – विवाह के अवसर पर एक कक्ष होता है, जहाँ कोहबर बनाई जाती है। दूल्हा-दुलहिन सर्वप्रथम विवाह के बाद मंडप के चौक से उठकर कोहबर पर दूध और घी की धार डालते है। कोहबर बनाने का अपना एक ढंग है। पहले दीवार का एक हिस्सा गेरू से चौकोर पोत दिया जाता है, फिर चावल के घोल से उस पर लकीरों की आकृति बनाई जाती है। पीले सिन्दूर और हल्दी से रंग भरे जाते है तथा कोहबर के हांथ, पैर और सिर भी बनाए जाते है। दरवाजे पर भी इसी प्रकार की आकृति बनाई जाती है।

छठिया –पुत्र जन्म के छठवें दिन छठी पूजा होती है। इस अवसर पर दीवार पर छठी पूजा होती है। इस अवसर पर दीवार पर छठी अंकित की जाती है। इसमें भी रंगों का प्रयोग कोहबर की ही भांति होता है परन्तु आकृति के खाने बड़े होते है और किनारों को गाय के गोबर से सजाया जाता है। बीच में गोबर की गोल आकृति बनाई जाती है जिस पर चांदी का सिक्का चिपकाया जाता है। बारह दिनों के बाद बरहिया की आकृति बनाई जाती है। छठी की आकृति छ: छ: खांचे तथा बरहिया में बारह-बारह खॉचे बनाये जाते है। पुत्र और पुत्री जन्म का भेदभाव बघेलखण्ड में आज भी प्रचलित है अत: पुत्री जन्म पर छठी की पूजा नहीं होती बघेली लोककला को जन्म देने वाली नारी बघेलखण्ड के जनमानस में आज भी उपेक्षित है।

कोंड़र – मांगलिक अवसरों पर घर के आँगन में 'कोंड़र' डाले जाते है। कोंड़र की गोल आकृति पुरइन से मिलती-जुलती है। सबसे पहले गाय के गोबर से आँगन लीपा जाता है फिर कोंड़र डाले जाते है। ग्रामीण स्त्री सूप में आटा लेकर उसे दाएं हांथ से पकड़ती है, फिर दाहिने हांथ की अंगुलियों से आँटा लेकर एक बिन्दु पर खड़े होकर जमीन पर उंगलियों के सहारे आकृति बनाती हुई उसी बिन्दु पर चारों ओर घूम जाती है। बाद में तीन लाइन वाले उस गोले को आड़ी रेखाओं से सजा देती है। बघेली लोक परम्परा की यह स्वयं की संस्कृति है जो अन्य प्रदेशों से भिन्न है।

तिलंगा – दीपावली के ठीक ग्यारह दिन बाद देव प्रबोधनी एकादशी पर्व आताहै जिसे ग्रामीण जनमानस में 'डिठवन' के नाम से जाना जाता है। इस दिन एक विशेष चित्रकृति बनाई जाती है जिसे 'तिलंगा' के नाम से जाना जाता है। दरवाजों की चौखट पर, खेती के काम आने वाली सभी वस्तुओं हल, फाल, सूप इत्यादि पर पिसे हुए कोयले में अलसी का तेल मिलाकर काले रंग का तिलंगा बनाया जाता है। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता यह प्राय: छोटी आकृतियों में ही बनाया जाता है।

दहेहड़ – विवाह के शुभ अवसर पर मिट्टी के घड़ों को गोबर और चने की

* प्राध्यापक (हिन्दी) शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

दाल से सुसज्जित किया जाता है। महिलाएँ मांगलिक गीत गाते हुए घड़ों को गोबर और चने की दाल लगा कर सजाती है। इसे दहेहड़ सजाना कहते है। गाय का गोबर पवित्र एवं चने की दाल (पीला रंग) शुभ मानी जाती है। गाय के गोबर की पवित्रता के कारण ही प्रत्येक पूजा के अवसर पर गाय के गोबर की गौर आवश्यक होती है।

थप्पा – मांगलिक अवसर पर हाथ का थप्पा लगाने का प्रचलन पूरे भारतवर्ष में है। चाहे वधू प्रवेश हो, मंडप डलना हो, गृह प्रवेश हो या पुत्र जन्म का अवसर हो हल्दी के थापे लगाए जाते है। बघेली ग्रामीण समाज में गाय और भैंस की सार (रहने का स्थान) में दीवारों पर कोयले के काले थप्पे लगाए जाते है। ऐसी लोक मान्यता है कि काला रंग नजर (डीठ) लगने से बचाता है इसलिये काले थप्पे लगाकर दूध देने वाले जानवरों को नजर लगने से सुरक्षित करते है।

पुरइन – ममता, आस्था और सौन्दर्य की प्रतीक बघेलखण्ड की नारी प्रत्येक मांगलिक अवसरपर घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर पुरइन बनाती है। यह देखने में सुन्दर तो होती ही है साथ ही मंगल का प्रतीक भी है।

इसके अतिरिक्त बघेलखण्ड में नागपंचमी पर नागरेखाचित्र, जन्माष्टी के शुभ अवसर पर कृष्ण चरित्र का चित्रण, अहोई अष्टमी को अहोई का चित्र, दीपावली पर लक्ष्मी, गणेश तथा भूमि अलंकरण बनाये जाते है।

बघेली लोक परम्परा भित्तिचित्रों और अन्य लोक कलाओं की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन लगती है। जितना पुराना लोक शब्द है उतनी ही प्राचीन लोककला भी। आदि मानव ने जिन प्रतीकों, जिन रंग और रेखाओं का प्रयोग किया था, वे ही रंग और रेखाएं आज भी बघेली लोकचित्र परम्परा में सुरक्षित है। जहां तक वर्तुलाकार आकृतियों का सम्बन्ध है इनकी कल्पना चांद और सूर्य के प्रतीकों सी लगती है। आज हम ज्यामिति की जो आकृतियां देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है हजारों वर्ष पुरानी लोककला अंकन की ही देन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक संस्कृति की रूपरेखा – कृष्णदेव उपाध्याय पृष्ट–257
2. पिंजरा के पाले सुगनवा – डॉ. श्रीमती विनोद तिवारी पृष्ट–09
3. भेंटवार्ता – श्रीमती उर्मिला सिंह, पूर्व जनपद सदस्य ग्राम सिजहटा, जिला सतना

****

जल संचयन एवं संरक्षण की परम्परागत तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग में परिवार की भूमिका

डॉ. कलिका डोलस*

प्रस्तावना – पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा गृह है जहां पानी है एवं इसलिए यहा जीवन है। संसार के सभी सजीव प्राणियों को जल की आवश्यकता है। जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। धरती के दो तिहाई हिस्से में पानी है फिर भी पीने योग्य पानी का प्रतिशत 1% है। 97% जल महासागर मे खारे पानी के रूप में भरा हुआ है शेष 2% जल बर्फ के रूप में जमा है।

जल संकट– जल संकट वर्तमान में भयावह रूप ले चुका है। जल संकट ने त्राहि–त्राहि मचा रखी है।लोग एक बाल्टी पानी के लिए मीलो यात्रा कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्र में एक कुऑ या तालाब पर पूरे गाँव की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी है। उसका भी जलस्तर लगातार घटते जा रहा है। पेड़ो की लगातार हो रही कमी,बढ़ता हुआ निर्माण कार्य,औधोगिकीकरण के कारण जल की खपत ज्यादा हो गई है एवं उसी अनुपात में वृक्षारोपण करने की बजाय लगातार वृक्षो की कटाई हो रही है। जंगल के जंगल नष्ट किए जा रहे है। तथाकथित विकास के नाम से जंगलो की बलि दी जा रही है परिणाम स्वरूप वर्षा का समय एवं प्रतिशत दोनो ही कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त मानसून की अनियमितता के कारण संपूर्ण देश पर अनावृष्टि,अतिवृष्टि एवं आंषिक वृष्टि का खतरा बना हुआ है।

जल संरक्षण की आवश्यकता–जल एक ऐसी संपदा है जिसका तकनीकि प्रक्रिया के माध्यम से जब जी चाहे तब उत्पादन या संचयन नही हो सकता। मूलरूप से यद्यपि हमारे गृह पृथ्वी पर 70% भाग जल का है तथापि इसका बडा प्रतिशत खारे या समुद्री जल का है ,जो मानव के किसी काम का नही है पीने योग्य पानी जो मात्र 2.7% है। साथ ही समस्या यह भी है कि वर्षा का लगभग 85% जल प्रत्यक्ष रूप से समुद्र मे मिलता है और मिलते ही खारा हो जाता है जो पुन: हमारे किसी काम का नही रहता। एक अध्ययन यह बताता है कि प्रत्येक 50,000 ग्राम समुदी जल के अनुपात में मात्र 1 ग्राम मीठा पानी मानव जाति को उपलब्ध है। इस कारण जल एक अत्यंत दुर्लभ एवं अनमोल संसाधन है।

भारत में औसतन 1150 मि.मी. वार्षिक वर्षा होती है जो संसार मे किसी भी समान आकार के देश के मुकाबले कही अधिक है परन्तु इस वर्षा का वितरण असमान है साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कृषि तथा औद्योगिक कार्यो की पूर्ति के लिए पानी की मांग बढती जा रही है एवं जलसंकट अपने चरम पर पहुच गया है। बढ़ती हुई जरूरतो के कारण भूमिगत जल पर निर्भरता बढ़ गई है। असंख्य बोर छिद्रो द्वारा भूमिगत जल दोहन को अनियंत्रित कर दिया है अत: जलसंरक्षण की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल आवश्य है।

जल संरक्षण की परम्परागत विधियां–हमारे पूर्वज जलसंकट की भयावहता को भली–भाती परिचित थे एवं इससे कैसे निपटा जाए इससे भी परिचित थे। हम जानते है कि अधिकांष राजा–महाराजाओं ने अपने शासनकाल में तालाब ,कुओं,बावडियों आदि का निर्माण कराया जिसे आज हम स्थापत्थ कला के उदाहरण के रूप पर्यटन हेतु देखते है । हम केवल पर्यटन के उद्देश्य से देखते है परंतु इसका पारम्परिक महत्व व तकनीक से हम आज भी अनभिज्ञ है एवं पूर्वजों की इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला के कायल भी।इस क्षेत्र में देश के सभी राज्यों में अनेक कार्य हुए है परंतु राजस्थान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय इसलिए है क्योकि वहा जल संकट हमेशा ही विद्यमान रहा। राजस्थान के किलो का जलप्रबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है एवं शिक्षा प्रद भी। जलसंचयन की परम्परा वहां के सामाजिक ढॉचे से जुडी हुई है तथा जल के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण के कारण ही प्राकृतिक जलस्त्रोतो को पूजा जाता है।जलसंकट की भयावहता के कारण ही वहां जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने की कवायद की जाती है। पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग करने वाली लोककथाएं एवं आस्थाये वहा के लोक संस्कृति का हिस्सा है। उचित जल प्रबंधन हेतु पश्चिमी राजस्थान में आज भी सूदूर ग्रामीण क्षेत्रो में पानी में चौकी रखकर उस पर बैठकर स्नान दिया जाता है ताकि शेष पानी को अन्य उपयोग में लाया जा सके।जल संरक्षण की परम्परागत विधियों मे निम्न का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा।

तालाब– साहित्य मे तालाब या सरोबर का उल्लेख सदैव मिलता है। कथाओ में नायक नायिका के मिलने में भी सरोवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए इसे हर प्रकार से रमणीय बनाया जाता था। तालाबों मे वर्षा का जल संग्रहित कर लिया जाता था ताकि इसे वर्षभर उपयोग में लाया जा सके। जनसामान्य को इसके प्रति आकर्षित करने के लिए कुछ कुछ तालाबों में विभिन्न चित्र आदि बनाकर इसे दर्शनीय स्थल के रूप मे विकसित किया जाता था। कुछ तालाबों की तलहटी के समीप कुआं भी बनाया जाता था जिसे 'बेरी' कहते थे।

कुऑ– कुएं भी जलसंकट का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन था जिसका सरफेस एरिया तालाब से कम लेकिन ज्यादा गहरा होता है जिसे जलसंकट के साधन के रूप में परिभाषित कर सकते है। गहराई अधिक होने के कारण अधिक शुद्ध जल एवं मीठा जल प्राप्त होता है।जिसे पीने के पानी के रूप में आसानी से उपयोग मे लाया जा सकता है। कुएं में भी नीचे उतरने के लिए साफ–सफाई के लिए सीढ़िया बनाई जाती है जिससे उसमें उतरकर उसकी सफाई की जा सके। कुछ कुएं इतने बडे बनाए जाते है जिससे स्थान भी दिया जा सकता है। हमारी संस्कृति मे कई गीत बनाये गए है जिसमे नायिका पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हुई दर्शायी गई है। ग्रामीण जीवन में आज भी शहरो की तरह घर –घर पाइपलाईन के जरिये पानी की कल्पना नही की जा सकती। वहां आज भी ग्रामीण महिलाएं पानी भरने कुएं पर जाती है। सखी–सहेलियां बातचीत करती है, हसी ठिठोलियां करती है, कपडे धोती है, घर के लिए पानी भरकर लाती है। कुएं से पानी

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान एवं इको क्लब प्रभारी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

निकालना अपने आप में एक बेहतरीन व्यायाम है।घर-घर मे नलो का पानी आने से जहां एक ओर सुविधाजनक हो गया है वही दूसरी ओर इस प्रकार के व्यायाम से एवं मनोरंजन से आधुनिक महिलाएं वंचित हो गई है।

झीले- जल संरक्षण की परम्परागत विधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान झीलों का है।कई शहरो की शान वहां की झीले है।जहां उन्हे झीलो की नगरी के नाम से ही जाना जाता है,जिसमें हमारा भोपाल,उदयपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखित है।ये झीले उन शहरो की लाईफ लाइन भी है एवं सौंदर्य भी है।अनेक पर्यटक केवल इन झीलो में नौका विहार के लिए ही आते है।इन झीलो का निर्माण तत्कालीन राजा-महाराजाओं ने आगामी जल संकट की दृष्टि से ही किया था जो आज तक जन सामान्य की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है।इन झीलो में सिचाई के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है एवं इनका पानी रिसकर बावडियों मे भी पहूचता है जिससें बावडियो का जल स्तर बढ़ता है एवं इसका प्रयोग पेयजल के रूप में किया जाता है।

बावडी- हडप्पा युग की संस्कृति से ही बावडियों का निर्माण होता आया है।प्राचीन शिलालेखों में बावडी निर्माण का उल्लेख प्रथम शताब्दी से मिलता है।बावडी भी काफी बडी पर सुरम्य तरीके से निर्मित की जाती थी जो कि मानव को न केवल मीठा जल उपलब्ध कराती थी वरन उसके पास बैठकर एक अजीव सी ठंडक एवं शांति सुकून एवं सौंदर्य भी मिलता था।सुरूचिपूर्ण तरीको से निर्मित ये बावडियॉ वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है।

नाडी- नाडी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा जल का संचयन होता है । प्राचीन समय में हर गांव में कम से कम एक नाडी अवश्य होती थी जो पूरे गांव की जल की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होती थी। इसे बनवाते समय पानी की मात्रा एवं जलग्रहण क्षेत्र का ध्यान रखकर ही जगह का चुनाव किया जाता था।इस प्रकार हम कह सकते है कि नाडी भू-सतह पर बना प्राकृतिक गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल आकर संगृहित होता है।

जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक- जलसंकट से आज भारत ही नही पूरा विश्व जूझ रहा है इसलिए जलसंरक्षण एक 'वैश्विक एजेंडा' बन गया है परंतु विश्व के अन्य देशो की तुलना में भारत की स्थिति अत्यंत गंभीर है।2016 में वॉटरएड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 7 करोड़ लोगो कों सुरक्षित पानी की आपूर्ति नही हो पा रही है।अत: जल को संरक्षित करना होगा एवं जल संरक्षण हेतु पारम्परिक व आधुनिक दोनो ही स्तरो पर प्रयास आवश्यक है

1. **रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग-** वर्तमान समय में सवसे आवश्यक असरदायक एवं व्यावहारिक उपाय रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग है। प्रत्येक धर में यदि यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी जाए(जो कि अंसंभव नही है) तो हम वर्ष भर का जल संचय कर सकते है।

2. **कुँओं का पुनरूदार-** कुॅए हमारी प्राचीन संस्कृति का अविभाज्य अंग है।वर्तमान जल तकनीक के आने से सैकडों वर्ष पूर्व भारत के लगभग हर गॉव मे 1या 2 कुएॅ होते थे व वे इतने गहरे होते थे कि समस्त गॉव की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त थे। परंतु मानव के लालच के चलते अतिदोहन से कुएॅ भी सूखने लगे है।अत: इन कुओं का पुनरूद्धार होना जरूरी है। सूखे कुओं की सफाई करा कर उसके आस - पास वर्षा का जल जमा किया जाना चाहिए जिससे वह रिसकर कुएॅ की तह में जाए एवं उसका स्तर बढाए।इसी प्रकार जिन कुओं मे पर्याप्त पानी है परंतु देखरेख के अभाव मे गंदा पानी उनमें सालो से है उसकी साफ-सफाई एवं रखरखाव कर उसमें क्लोरीन डालकर उसे पीने योग्य बनाया जाए एवं पुन: उनको उपयोग करने योग्य बनाया जाए।

3. **शाफ्ट का निर्माण-** उथलो जलस्त्रोतो के पुन: भराव के लिए इनका निर्माण होता है । ये मिटटी की गीली सतह के नीचे स्थित है। ये शाफ्ट पत्थरों एवं मोटी रेत से भरा होता है। पानी की उपलब्धता के आधार पर 11 मीटर चौडे एवं 10 से 30 मीटर लंबे पार्श्व शाफ्टो का निर्माण किया जाता है जिससे जल स्तर बढ़ सकता है।

4. **खाइयॉ-** वर्षा जल के टेम्पेरेरी संग्रहण के लिए खाइयो का निमार्ण किया जाता है जो कि 0.5 से 1 मी. चौडी तथा 1से 1.5 मी. गहरी एवं 10 से 20 मी. लंबी हो सकती है या पानी की उपलबधता के आधार पर इनमे अंतर हो सकते है।

5. **गड्ढे-** वर्षा जल के संग्रहण के लिए अस्थाई गड्ढो का निर्माण भी किया जाता है। खेतो,शहरो या सड़क के दोनो ओर बडे -बडे गड्ढो का निर्माण कर अस्थायी रूप से जल का संग्रहण किया जा सकता है जो लगभग आगामी 4-5 महीनो की जल की अवष्यकता को पूर्ण कर सकती है।

इस प्रकार जलसंरक्षण की पारम्परिक एवं आधुनिम तकनीकों का इस्तेमाल कर हम जलसंकट का समाधान कर सकते है।वर्षा जल संचयन की मुख्य दो तकनीकें है।

1. भूमि की सतह पर भविष्य मे प्रयोग के उद्देश्य से किया गया वर्षाजल संग्रहण एवं
2. भूमिगत जल का पुन:भरण करना

वर्षा के जल को सतह पर ही संग्रहित कर लेना एक पारम्परिक तकनीक है और इसके लिए टैंको ,तालाबो,बांधो तथा बेयरो जैसे जलस्त्रोतो का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल का पुन: भरण वर्षा के पानी के संचयन की अपेक्षाकृत एक नयी संकल्पना है एवं इसका वर्तमान मे उपयोग होना आवश्यक है।इस संदर्भ मे शासन के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भी, अनेक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर तो कुछ संस्थाएं वृहत स्तर पर जल संरक्षण अभियान चला रही है जो कि जलसंकट के इस दौर मे एक आशा उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में सिने अभिनेता आमिर खॉन,नाना पाटेकर के प्रयासो की सराहना की जानी चाहिए। नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र में 'पानी फेडरेशन' की स्थापना की है जो पानी के अभाव में महाराष्ट्र मे हो रही किसान आत्महत्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। साथ ही आमिर हर छोटे-बडे गॉव में जाकर शासन के भरोसे न रह कर ग्रामीणो को स्वयं प्रयास की प्रक्रिया की ओर उद्धत कर रहे है एवं उन्होने 'वाटर-कप' बनाया है। जिसमें जलसंरक्षण हेतु बेहतर प्रयास करने वाले गॉव को 'वाटर-कप' देकर सम्मानित किया जाता है।अगली बार हमारे गॉव मे यह कप आना चाहिए इस उद्देश्य से हर गॉव अपने स्तर पर अधिक से अधिक जलसंरक्षण का प्रयास कर रहा है एवं परिणामस्वरूप सूखे गावों मे आज फसल लहलहा रही है। ग्रामीण प्रसन्न नजर आ रहे है।ग्रामीणो के पलायन पर रोक लगी है।ग्रामीणों की आमदनी मे वृद्धि हो रही है।

प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री राजेन्द्र सिंह का तो मानना है कि 'खाद्य सुरक्षा कानून की तर्ज पर जल सुरक्षा कानून होगा तभी समाज जल संरक्षण को अपना कर्तव्य एवं अधिकार मानकर जल संरक्षण व जल के सामुदायिक प्रंबधन में जुट जाएगा'। क्योकि मानव जीवन के लिए भोजन भी दूसरे स्थान पर आता है स्वच्छ वायु के बाद यदि कोई चीज जीवनदायिनी है तो वह जल है अत: वर्तमान भीषण जलसंकट का सामना करने के लिए जल वाले कानून की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इंडिया टुडे जुलाई 2017
2. दैनिक भास्कर 25 जुलाई 2019 आर्टिकल पर्यावरणविद् राजेन्द्र सिंह
3. पर्यावरण अध्ययन - स्वरूप सिंह

Study to Pre and Post Knowledge of Female Nurses Towards Care of Neonate During Phototherapy, Indore (M.P.)

Kamlini Vincent*

Abstract - To evaluate the effectiveness of pre and post knowledge regarding to phototherapy among staff nurses. The female staff nurse's highest mean percentage is 62.69%, "Indication and contraindication of Phototherapy". The lowest mean percentage is 37.31%.The education wise comparison shows that there is effectiveness of female staff nurses increasing knowledge on care of the newborn baby under Phototherapy. It is noninvasive in nature and has less adverse effects presently reported. Phototherapy is effective in preventing increase in bilirubin level.

This paper focuses on the nursing education basing on the Conversational Model of Learning in Nursing Program Development Alignment with learning the outcome. The study was conducted to assess the knowledge and practices of staff nurses on phototherapy application for neonates before and after planned programmed. The knowledge of the data shows that the mean post-test knowledge score is apparently higher. The finding of the study shows that 22 (55%) staff nurses were in average 04(10%) staff nurse were in poor category, 13(32.5%) were in good category, regarding the Knowledge on neonatal jaundice only 01(2.5%) nurses had adequate. The analysis of data shows that the mean post-test knowledge score is apparently higher.

Key Words - Phototherapy, Skill, Neonates, Jaundice, Nurses Education.

Introduction - Jaundice is a clinical sign of Hyperbilirubinemia which has many causes in the new born within the few days of life. Neonatal hyperbilirubinemia occurs in about 60% of newborns baby. If staff nurses not managed properly, it can progress to severe neonatal hyperbilirubinemia leading to death or permanent disability. The public trust working staff nurses to practice morally. Nurses are committed to the people as the public identifies their ability to care for those who seek to heal (American Nurses Association, 2015). Nursing is one of the more hard branches of medical sciences. It can also be said that nursing is an art of healing with the help of emotions. The knowledge of staff nurse is now needed to validate the accuracy and reliability of specific risk factors as neonate phototherapy.

Staff nursing educational programs improve, employ qualified faculty, as well as choose learning understandings for learners in an attempt to educate and graduate skilled, effective nurses (Weaver, 2011). The study attempts to determine the knowledge and practice of nursing staffs regarding the care of neonates with phototherapy. According to the data and information of the respondents the nursing personnel should be provided with in-service education training in relation to care of neonates with phototherapy. This study will be helpful for providing information, about existing knowledge and practices of nursing personnel regarding phototherapy.

Neonatal period is one of the crucial stages and needs more attention for better life Shrestha S. (2013). Lack of any specific programs regarding care of the neonates is the main resin for high neonatal mortality contributing over 50% of infant mortality in the country. Bohrman. RE et.al (1999).Hyperbilirubinemia is a common problem for term and preterm newborns around the world. Marry P.M.et.al. (2017). Jaundice is the most common troubles among neonates which can have toxic effects on the brain and cause serious complications. The commonest treatment for neonatal jaundice is phototherapy. Providing phototherapy by using clinical standards can enhance its effectiveness and safety. Jaundice is among the main causes of neonates' hospitalization. Raghavendra V, Sheila A. (2014) approximately 6-10% of neonates have significant hyperbilirubinemia mandating treatment. Phototherapy has emerged as the most widely form of therapy for the treatment of Jaundice. It appears to be safe given the decades of experience with its use and lack of reported serious long-term side effects of short term phototherapy.

Methods - The study was conducted in selected hospital Indore, Madhya Pradesh. The interpretation of data collected to assess the effectiveness of structured instructional module in term of knowledge gain regarding care of newborn during phototherapy among the staff nurses working in NICU at selected hospital of Indore. It is way to systematic solving the problems.

Study Setting - The study was conducted in the selected hospital Indore Madhya Pradesh in the year 2011.

***Ph.D. Scholar, J.J.T.U. Vidyanagari, Jhunjhunu (Raj.) INDIA**

Sample And Sample Size - Samples were the staff nurses presented during the study year 2011 and size was around 40 staff nurses.

Sampling Technique - The sample was selected through a purposive sampling technique. The limited time and availability of the subjects as per the sampling criteria made the investigator to adopt the sampling technique. The knowledge assessment methods included a self administrated written questionnaire in either English or Hindi language.

Result And Discussion - Neonatal phototherapy, a noninvasive easily available therapy has been widely used for the treatment of neonatal Jaundice for more than half a century. Neonatal phototherapy has its origins in the observation of a nurses on the effect of sunlight on Jaundiced bodies skin color . Neonates with hyperbilirubinemia can be best treated with phototherapy in the Neonatal Intensive Care Unit with an appropriate dose and duration used to manage hyperbiliribinemia in neonates. Karale R.B.et.al. (2018).

The present study showed that there is more beneficial effect of phototherapy in neonatal hyperbilirubinemia. This study was to assess the conformance of phototherapy-related nursing care services. Neonatal nurses are the first individuals who investigate and handle potential health risks and life threatening conditions. Karamifar H.et.al. (2002) showed these neonates were completely normal on physical examination by nurses.

Pre-test knowledge score most of the staff nurses 22(55%) had in sufficient knowledge regarding take care of new born during phototherapy. in post- test major proportion of staff nurses 25(62.5%) was in excellent category. The mean post test learning score (62.69%) were higher than the mean pre test learning score (37.31%). The dispersion of pre-test score (SD+_ 3.13) is less than that of their post test score (SD+-_2.52) and the computed “t” value show that there is a significant difference between pre-post and post-test mean knowledge score (“t” 39=15.12, p<0.001). The study was carried out to determine the knowledge and practice of the nursing staff regarding the care of neonates with phototherapy. Staff nursing representative who provide care for newborns with hyperbilirubinemia in neonatal intensive care units should be well oriented with each standardized international nursing care protocols to ensure competent nursing care. Ghada.M,et.al.(2016).

Table No-1 Pre-test knowledge score regarding care of newborn during phototherapy (N=40)

Score	Grading	Pre-Test Frequency	Percentage	Mean	S.D.
16-20	EXCELLENT	01	2.5		
11-15	GOOD	13	32.5	9.48	3.130
06-10	AVERAGE	22	55.0		
0-05	POOR	04	10.0		

Table No-2 Post-test knowledge score regarding care of newborn during phototherapy (N=40)

Score	Grading	Pre-Test Frequency	Percentage	Mean	S.D.
16-20	EXCELLENT	25	62.5		
11-15	GOOD	14	35.0	15.93	2.526
06-10	AVERAGE	01	02.5		
0-05	POOR	00	00.0		

Implication - The nurses should be educated about the importance of good neonatal care and early symptoms of jaundice. So future staff nurses, they will have good knowledge, good attitude and practice on neonatal jaundice management and prevent complication of neonatal jaundice.

Conclusion - The efficiency with which phototherapy achieves a decline in the serum bilirubin level is largely determine by nursing care. The findings showed that appropriate nursing care also minimized the potential side effects and complications of phototherapy. This study used an evaluator approach with one group pre-test and post-test design. Present study is to improve the knowledge of staff nurses. It is used even in small hospitals and nursing homes. Thus, we can say that the introduction of structured instructional module is effective in increasing the knowledge about care of newborn during phototherapy in staff nurses working in NICU.

References :-

1. Bohrman,RE., Vaughan,CV., Nelson,(1999): Tax book of paediatrics, 11th ed , Philadelphici. WB Saunders. Pp-120.
2. Ghada.M,Ashor1 et al, (2016):”Effect of a Designed Nursing Care Protocol on Clinical Outcomes of Neonates with Hyperbilirubinemia”, International Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing Vol. 3, Issue 3, pp: (62-76),.
3. Karale,R.B., Mohite,V.R., Patil, S., Kadam ,S.,. Karale ,B.(2018): A Study to Assess the Effectiveness of Structured Teaching Program on Knowledge and Practice Regarding Phototherapy Application among 3rd year R.G.N.M. Nursing Students at School of Nursing, Krishna Hospital, Karad. Int.J. of Health Sci. & Res. Vol.8; Issue: 9; pp148-153.
4. March of Dimes (2012): PNMCH: Save the children WHO. Born to soon: the global action report on preterm birth In Howson CP, Kinney.MV, Lawn JE (eds) Geneva: world health organization.
5. Marry, P.M., Anila, K.P., Deepa, S.: (2017)A Study to Assess the Knowledge and Practice of Mothers in Care of Newborn Receiving Phototherapy in a Selected Hospital, Kochi.Int.J . of Nursing education Volume : 9, Issue : 1, pp-109-112.
6. Raghavendra V, Sheila A.(2014) Early Prediction of Significant Neonatal Hyperbilirubinemia using Serum Bilirubin Levels in Healthy term & near term Newborns, Gujarath, India. J Pub Health Med Res.; 2 (1): 14-19.
7. Shrestha, S.,(2013): Knowledge and practice of nursing

personnel regarding the care of neonates under phototherapy at paropakar shree panch Idra Rajyalaxmi devi Prasuiti griha, Thapa Thali Kathmandu.J of Kathmandu, vol 2, No2, Issue 4, pp-84-88.

8. Weaver, A. (2011). High Fidelity Patient Simulationin Nursing Education: An Integrative Review. *Nursing Education Perspectives*, *32*(1), pp 37-40.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Study on Diary Retail Challenges in India

Dr. Sangeeta Dhar* Vikas Sah**

Abstract - India has a tremendous potential to be a prime producer and exporter of Dairy retail product. This paper will assess the problems and challenges associated with the Dairy products produced in the country. The paper focuses on the loopholes and other major issues related to the production, processing and marketing strategies involved with the dairy retail in the country.

Sustainability is more important than economic profitability; it also relates to environmental and societal concerns, including the quality of life of workers and the animals in dairy farms. Public input regarding the acceptability of practices, including new technologies, is required. Sustained engagement between and among producers, various sectors of the industry (e.g., processors and producers), consumers, and citizens will be essential to recognize and implement more sustainable practices.

Factors such as increasing consumer awareness, concerns about food safety and environment, innovation, supply chain integration and rationalization of supply base are adding momentum to this transformation. Milk processors in response to changing market expectations are getting proactive in their relationship with retailers across all aspects of business, innovating to generate sufficient returns from proprietary brands and strategically orienting themselves to develop a mixed customer portfolio and appropriate management structures to service that portfolio.

Addressing these issues will require improved alignment between industry practices and societal values, based upon leadership from within the industry and sustained engagement with other interested participants, including researchers, consumers, and the general public. This paper examines the challenges and the problems associated with the retailing of Dairy products produced in the country.

Key words – Retailing, Dairy products, Challenges and problems.

Introduction - Dairy industry is of crucial importance to India. The country is the world's largest milk producer, accounting for more than 13% of world's total milk production. It is the world's largest consumer of dairy products, consuming almost 100% of its own milk production. Dairy products are a major source of cheap and nutritious food to millions of people in India and the only acceptable source of animal protein for large vegetarian segment of Indian population, particularly among the landless, small and marginal farmers and women. Dairying has been considered as one of the activities aimed at alleviating the poverty and unemployment especially in the rural areas in the rain-fed and drought-prone regions. In India, about three-fourth of the population live in rural areas and about 38% of them are poor. In 1986-87, about 73% of rural households own livestock. Small and marginal farmers account for three-quarters of these households owning livestock, raising 56% of the bovine and 66% of the sheep population.

There has been substantial growth in this industry due to increased popularity of dairy products among consumers on the back of increasing income and changes in lifestyles. The growth in the sector was driven by the successful initiatives of white revolution era, which witnessed building milk grid between producers and consumers, strengthening procurement facilities, infrastructure and technological support. These initiatives have benefitted the farmers and made diary production attractive, especially for marginal farmers, as this is the only occupation, where the farmer realizes 60 70% of consumer price against 20% or so in fruits and vegetables. The Indian milk industry is expected to reach 180 million tons and INR 8.8 trillion by 2020 as there is scope for value added products and increased sales through organized players of food industry. Currently, 250% of the milk sold is in fluid state and only 5% in retail chains Since the consumption is growing, many foreign companies are coming to India with a variety of dairy products. However, there is scope for growth for other players as the value added products form only 15% to 20% of the total dairy production. Key technology developments: With the advent of the new technologies, the dairy sector would be able to add more value to the milk and milk products. Some of the dairy related technologies and the potential they bring in are highlighted below:

***Associate Professor, Food Production, Institute of Hotel and Tourism Management, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**

**** Assistant Professor, Amrapali Institute of Hotel Management, Haldwani (Uttarakhand) INDIA**

1. Ultra High Temperature (UHT) processing and aseptic packaging: This technology has transformed dairy industry as it involves producing dairy products with longer shelf life by sterilizing the product. As people become more and more health conscious, UHT milk has gained popularity as it is safe, convenient and has a longer shelf life. Although in terms of percentage, UHT milk occupies a very small share in the dairy segment; it is growing at a rapid rate.
2. Scraped Surface Heat Exchangers And Higher Pasteurization: With this technology along with higher pasteurization and modernized mechanical systems, the Indian dairy industry can manufacture traditional sweets and cater to the ever increasing demand from the export markets of US, UK, South Asian and African countries.
3. Membrane processing: This technology is gaining importance over conventional processes for its advantages and also new possibilities of producing newer intermediate dairy products.
4. New whey products: Lastly, whey, a byproduct in manufacturing dairy products like paneer, casein and shrikhand has not been fully utilized by Indian dairy industry. Due to its nutritious content, it can be used in manufacturing infant foods, weaning foods, bakery products, confectionery products, dairy products etc. With current technologies, whey can be converted into whey powder, lactose, high protein whey powders, whey protein concentrate, and granulated high protein whey powders.

Milk Processing - The milk processing industry is small compared to the huge amount of milk produced every year. Only 10% of all the milk is delivered to some 400 dairy plants. A specific Indian phenomenon is the unorganized sector of milkmen, vendors who collect the milk from local producers and sell the milk in both, urban and non-urban areas, which handles around 65-70% of the national milk production. In the organized dairy industry, the cooperative milk processors have a 60% market share. The cooperative dairies process 90% of the collected milk as liquid milk whereas the private dairies process and sell only 20% of the milk collected as liquid milk and 80% for other dairy products with a focus on value-added products.

Domestic Consumption - The huge volume of milk produced in India is consumed almost entirely by the Indian population itself, in a 50-50 division between urban and nonurban areas. Increasingly, important consumers of the dairy industry are fast-food chains and food and non-food industries using dairy ingredients in a wide range of products. Trade In spite of having largest milk production, India is a very minor player in the world market. India was primarily an import dependent country till early seventies. Most of the demand-supply gaps of liquid milk requirements for urban consumers were met by importing anhydrous milk fat / butter and dry milk powders.

But with the onset of Operation Flood Programme, the scenario dramatically changed and commercial imports of dairy products came to a halt except occasional imports of very small quantities. In the 1990s, India started exporting surplus dairy commodities, such as SMP (Systematic multiprocessing), WMP (Whole Milk Powder), butter and ghee. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) regulated the export and import of dairy products till early 1990s. However, in the new EXIM Policy announced in April 2000, the Union Government has allowed free import and export of most dairy products.

The major destinations for Indian dairy products are Bangladesh (23.1%), UAE (15.4%), US (15.6%) and Philippines (8.9%). In terms of products, SMP is the most important product accounting for about 63% of total export volume, followed by ghee and butter (11.7%) and WMP. Export figures clearly demonstrate that the Indian dairy export is still in its infancy and the surpluses are occasional. Indigenous milk products and desserts are becoming popular with the ethnic population spread all over the world. Therefore, the export demand for these products will increase and hence, there is a great potential for export.
On the other hand, there has been a sharp increase in import of dairy products (especially milk powders) after trade liberalization. As per the latest report of Foreign Trade Statistics of December 2004, the imports of dairy products (milk and cream) has reached a cumulative total of 22.145 million tonnes for the period April – March 2004, as compared to only 1473 million tonnes for the same period during the previous year. The main reasons for sharp rise in imports are huge export subsidies given by developed countries (mainly the US and EU). India has recently concluded a tariff rate quota to deal with US, EU and Australia on imposing custom duty of 15% on imports of SMP and WMP upto 10,000 tonnes and 60% on imports beyond this level.

Challenges in the Dairy retail Industry - Modern retail may be changing the dynamics of milk retailing in India. But it still constitutes a small percentage of total dairy retailing. Almost 65 percent of retailing is still happening through the unorganized sector such as farmers, milk vendors, wholesalers and traditional retailers. "In the urban markets, modern retailers have an edge due to factors such as big chillers/freezers, better communication opportunities with consumers, and specialized supply chains. But as the categories become mainstream, traditional retailers will give modern retailers a run for their money, for example, packaged dahi and UHT milk can be easily found in small neighbourhood stores," says Nair. Low margin in dairy is also a problem for retailers, besides which operational challenges like maintaining the right temperature, and refrigeration costs also eat up the margins, but since the category is an everyday necessity, they cannot ignore it. "Refrigeration of these products at the right temperature always remains a big challenge for retailers as the required temperature is different for different products, for example,

butter needs a higher storage temperature than cheese," says Tushar Kothari, Owner of Quality House supermarket in Buldhana, Maharashtra. According to Thakkar, the only way to deal with the problems in dairy is by increasing the product range and brands. "Margins are going to remain standard as manufacturers rarely increase them. What retailers could do is increase the visibility and range of products, and make them as tempting as possible, so consumers buy more." Investing in the right equipment will also help increase sales. Says Thakkar, "Most retailers have a habit of stocking all the products in one big chiller. This reduces the visibility of brands as products are stocked one on top of the other. Investing in a second chiller like in the supermarkets where consumers are able to see the entire range easily will pay off as sales increase." "It is also important to have a well-lit visual display of the products in a chiller to make this category look really tempting. The consumer should be able to see the sheer variety so that s/he is tempted to pick something up," avers Jindal, whose SRS Value Bazaar supermarkets are present in Delhi/NCR, Sonipat and Palwal. Despite these challenges, both retailers and manufacturers opine that the outlook for dairy in India is promising as the segment is poised for growth and expansion. Says Nair, "I expect a rapid change in the way dairy retail will happen in India. Categories will evolve rapidly fueled by consumer demand resulting in several subcategories. Adulteration will become a concern in the liquid milk category resulting in increased adoption of carton milk especially in the urban markets. Increased investments in the dairy retail front end is on the anvil, primarily, chillers/freezers and specialized supply chains will need to be built up to cater to this segment." "Big names in India, such as Reliance, ITC, DCM, Bharti, Coca-Cola and PepsiCo, are silently working to make inroads in the country's milk industry. So, the Indian dairy market can expect some new action," reveals Sharad Gupta of Dairy India.

Some key challenges in Dairy reatailing are highlighted below :

(i) Competitiveness, cost of production, productivity of animals - The demand for quality dairy products is rising and production is also increasing in many developing countries. The countries which are expected to benefit most from any increase in world demand for dairy products are those which have low cost of production. Therefore, in order to increase the competitiveness of Indian dairy industry, efforts should be made to reduce cost of production. Increasing productivity of animals, better health care and breeding facilities and management of dairy animals can reduce the cost of milk production. The Government and dairy industry can play a vital role in this direction. The prices of fodder have increased significantly in the last two years because of which an average farmer finds it difficult to feed his cattle with quality fodder. Moreover, in India, the availability of fodder is substantially lower compared to the demand. This has in turn affected yield rates. Productivity of Indian cows and buffaloes are much lower than the global standards, which is primarily because the fodder given to the cattle is of poor quality, drought in different parts of the country affecting the fodder supply, health of the cattle is not maintained and best practices are not followed in the dairy industry. Demand is expected to get affected as prices are continuously rising due to increase in prices of fodder on the back of unavailability of fodder increase in fuel prices which has a cascading effect on the entire chain from collection of milk to the last mile distribution cost of cattle as well as the cost of veterinary services have also increased. Maintaining quality amongst stiff competition within the industry is a major challenge for the dairy segment players

(ii) Production, processing and marketing infrastructure - If India has to emerge as an exporting country, it is imperative that we should develop proper production, processing and marketing infrastructure, which is capable of meeting international quality requirements. A comprehensive strategy for producing quality and safe dairy products should be formulated with suitable legal backup. Some serious and sensible strategies should be implemented that will aid in producing a product of international level. By developing and introducing new technologies involved in production and processing of dairy products, an international benchmark could be touched. Marketing and promotional policies has to be good enough to back the product in the global market. Retailing of dairy products in international market does depends a lot on the marketing infrastructure.

There are varieties in traditional milk based sweets, manufactured in the country. The market size is around Rs.12000 crore. However, there are very few nationally known brands in this category. Many of the organized dairies are involved in the manufacture of varieties of milk based sweets: pedha, paneer, shirkhand, etc.

These are now restricted to certain areas only but can go national. As the world is getting integrated into one market, quality certification is becoming essential in the market. However, there are very few plants in the country, which have successfully obtained ISO, HACCP certification. There is scope for introducing newer plants adopting newer processes by the dairy industry in the country.

Packaging of dairy products is also another very promising area. NRI and overseas investments can take place in manufacturing dairy processing equipment, fruit packaging equipment and equipments for biotechnology related dairy industry.

(iv) Improper and unhygienic milk handling - Unhygienic conditions at the dairy farms are the reasons for poor quality milk in India. Such products cannot be exported even if there is good demand and surplus production in the country. Indian milk products have often been rejected in the export market due to unhygienic milking resulting in high microbial count. The quality of milk in India is affected by poor animal health, polluted food and water and unclean surroundings in the farm. It is therefore necessary to emphasize on all

these aspects in the near future.

Presently, most of the milk animals are not regularly screened for diseases and as a result, there is a great danger of some diseases being transmitted to human beings. Milking of cows and buffaloes which are often administered with antibiotics and chemical drugs will also affect the quality of milk. These problems can be prevented by taking up regular screening of livestock against various diseases. Emphasis should be given on preventive health care as well as curative aspects well in time using safer medicines. The quality of the feed should be checked regularly. Feed and water used in the dairy farms should be free from pollutants. This can be done through awareness and treatment of water wherever necessary. Keeping the animals clean, maintaining clean surroundings, use of clean vessels for milking and storage of milk are essential to maintain the quality of milk. There is also scope for introducing a small scale bucket type milking machine which is cost effective and helpful to produce clean milk without any direct contact with the farmers and the surroundings.

(v) Logistics and other challenges - India's poor road network and lack of investment in cold chain infrastructure have long challenged the country's dairy industry, highlighting the value for companies of undertaking the tough task of establish their own milk collection.

"Dependence on contractors for milk collection leads to a high level of compromise on the quality of milk," Kuldeep Sharma, founder of New Delhi-based dairy industry consultants Suruchi Consultants, says. He says with collection points thinly dispersed in rural areas and summer milk supplies often being scarce, hands-on control over milk collection makes sense.

Siva Nagarajan, managing director of Indian dairy company Mother Dairy Fruits & Vegetables, says these difficulties are compounded by hot ambient temperatures, which makes sourcing competency crucial to ensuring milk quality. "The question is how well you are able to assure milk availability," he tells just-food.

This is particularly challenging given what a study from the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) said is the country's "concentration" of milk production in pockets of the state. That is good news for companies based in areas with burgeoning dairy sectors, such as Andhra Pradesh, Rajasthan, Kerala, Karnataka and Gujarat. However, other states have much lower dairy production, for instance northern states such as Jammu & Kashmir, or Himachal Pradesh. This, together with the high cost of transportation in India's under-financed infrastructure has led to increasing disparities between states in terms of per-capita milk availability, according to the ASSOCHAM report.

What is needed is more investment, ASSOCHAM argues. "It is imperative for India's dairy industry to streamline its value chain processes and integrate the smallholder dairy producers...to improve the overall performance of the industry, more so as they possess inherent strengths like low production costs, lower liabilities and limited liquidity risk."

Industry experts have long criticised a lack of government aid in building cold chain infrastructure. However, Nagarajan says the dairy industry should be building the supply chain by itself. "We do not want the government to run the dairy business in any way,"

Nagarajan says the small size of such shops meant dairy companies also need to be smart about pricing, taking account of problems faced by retailers due to the constant shortages of coins and small currency notes. Odd number values can make retailers give credit to their customers or keep money as an advance, creating bookkeeping complications.

As the use of credit cards is almost non-existent at typical Indian dairy product retailers, Mother Dairy launched in August a special smart card for cashless payments. Working with the State Bank of India, its cards will be used at 500 outlets selling its products by the end of this year.

Mother Dairy's focus on small stores is partly a reflection of the slow growth of modern retail stores that could boost processed dairy products sales through wider display spaces. Organized retail expansion is not keeping pace with the growth in demand for dairy products, and eventually something will have to change, Nagarajan says. "The whole system will change over the next three to five years," he asserts. However, how the various components of this transformation - modern retailing, online retailing, and the cold chain – will play a role "is not very clear", he concedes. So far, even exclusive ice cream chains have struggled in India. "The whole of the Indian ice cream market would not be more than US$500m," Nagarajan notes.

Rabobank, in a report published last September, called upon foreign dairy companies to start operations in India. However, at the same time, it also warned "the Indian dairy market is complex, particularly for foreign players and past failures indicate that getting the strategy and timing of entry right, is challenging".

Conclusion - Indian dairy sector contributes maximum to India's GDP in agriculture sector. India produces 16% of the world total milk. Indian dairy sector is one of the potential business sectors for the investors, researchers and entrepreneurs to invest and earn high returns. With growing global population and increased concern for the health and nutrition, the demand for dairy products is emerging as one of the most balanced nutritious food and a key element in household food scarcity. India has the strength to lead in milk and milk product exports, due to its abundant production of raw milk and ability to process milk to value added products at low cost. The major advantage to India is the favorable location, amidst major milk deficit countries in Asia and Africa. The biggest challenge for India dairy industry in capturing the global market is cost of milk production, low productivity, poor quality, weak supply chain, and lack in utilization of technology

As discussed there is tremendous potential in India to become a dairy retail giant even in international market. But For further growth of dairy industry in the liberalized global economies, India has to face the challenges on several fronts. These include the production of good quality milk, adoption of cost effective, energy efficiency eco-friendly technologies for collection and processing of milk and milk products, diversification of the product range, upgradation and improvement in the shelf-life of Indian dairy products, development of appropriate systems for packaging, infrastructure for storage, transportation and marketing of dairy products, quality systems, certification, food safety, government legislation, effective management of resources and energy, proper disposal of industrial waste and customer services. All the factors involved right from the production to the retailing or marketing of the dairy products has to bereinforced in order to achieve desired result in dairy retail market.

References :-

1. Dr. K.G Karmakar, D. G. (n.d.). *Oppurtunities and Challenges in The Indian Dairy Industry.*
2. Hegde, D. N. (n.d.). *Challenges for Indian Dairy Farms.* BAIF Development Research Foundation.
3. (2013). *India,s dairy market.* Buisness.
4. *indian-industries/dairy.html*. (2011). Retrieved from http;//www.indian mirror.com
5. Johny, A. (2012). *More Power to Dairy Progressive Grocer.*
6. Mathur, B. N. (2014). *Crrent problems and challenges confronting the Dairy Industry in India.* Karnal: National Dairy Research Institute.
7. Sahdev, S. L. (2015). Dairy Potential of Dairy Products in International Market. *Journal of Agriculture Engineering and Food Technology vol 2*.
8. ornton, G. (2014). *Indian Food & Beverage Sector The new wave.*
9. Verma, R. (2014). *Dairy in India.*
10. (FASAR), F. a. (October, 2016). *Dairy Sector in India – Opportunities in Key States and Products.*
11. A.Chawla, N. C. (2009). *Milk and Dairy Products in India.*
12. Dr. K.G Karmakar, D. G. (n.d.). *Oppurtunities and Challenges in The Indian Dairy Industry.*
13. HANDA*, M. V., & GROVER**, M. N. (2012). *RETAIL SECTOR IN INDIA: ISSUES & CHALLENGES.* New Delhi: International Journal of Multidisciplinary Research .
14. Hegde, D. N. (n.d.). *Challenges for Indian Dairy Farms.* BAIF Development Research Foundation.
15. (2013). *India,s dairy market.* Buisness.
16. *indian-industries/dairy.html*. (2011). Retrieved from http;//www.indian mirror.com
17. Johny, A. (2012). *More Power to Dairy Progressive Grocer.*
18. ManMohan Sodhi, C. T. (2013). *Retail Opportunities And Challenges In India: The Case Of Walmart.*
19. Mathur, B. N. (2014). *Crrent problems and challenges confronting the Dairy Industry in India.* Karnal: National Dairy Research Institute.
20. Mohanty, K. R. (July 2004). Dairy Co-operatives and Milk Marketing in India: Constraints. *Journal of Food Distribution Research*.
21. Nidhi Chawla, Yogita Pant, Hindustan Studies & Services Ltd.; Anil Chawla,. (2009). *Milk and Dairy Products in India –.* Bhopal: Hindustan Studies & Services Ltd.
22. Sahdev, S. L. (2015). Dairy Potential of Dairy Products in International Market. *Journal of Agriculture Engineering and Food Technology vol 2*.
23. Thornton, G. (2014). *Indian Food & Beverage Sector The new wave.*
24. Verma, R. (2014). *Dairy in India.*

****

महिला केन्द्रित बैंकिंग योजनाएं - अध्ययन एवं विश्लेषण

डॉ. मीना कीर *

प्रस्तावना - भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अत: महिलाओं का सशक्तिकरण किये बिना देश का विकास संभव नहीं हो सकता। जब महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की बात आती है, तब सामाजिक विश्लेषक मानते हैं कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को निश्चित किये बिना समाज में उन्हें बराबरी का अधिकार मिलना मुशकिल है। समाज में महिलाओं को समान आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकें, इस हेतु बैंकिंग क्षेत्र अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अत: महिला सशक्तिकरण में बैंकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

शब्द कुंजी - महिला सशक्तिकरण, महिला केन्द्रित बैंकिंग योजनाएं, चुनौतियां, जनजागरूकता।

उद्देश्य - विभिन्न बैंकों द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रहीं महिला केन्द्रित योजनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए महिलाओं में जन जागरूकता लाना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

कई सरकारी योजनाओं और नीतिगत निर्णयों के बाद भी शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के मामले में भारतीय महिलाएं पीछे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि बैंकों को नई जनरेशन के अनुरूप बनाया जाये। इसके लिये सरकार समय-समय पर नवाचार करती रही है। इन नवाचारों में महिलाओं को वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना सबसे प्रमुख है। इस नवाचार से महिलाओं को भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक समानता प्राप्त करने में मदद मिल सकी है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेटवर्क देश के सुदूर क्षेत्रों तक है। महिलाओं की वित्तीय बचत और आवश्यकताओं को पूर्ण करने में इन बैंकों ने सदैव सहायता प्रदान की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ाने में भी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजीविका के रूप में योजनाएं, स्थिर आय के स्त्रोत के रूप में योजनाएं, शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त पोषित योजनाएं आदि ने यह सिद्ध किया है कि बैंक महिला सशक्तिकरण के मामले में सकारात्मक दिशा में कार्य कर रहे हैं।

बैंकों द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में तमाम प्रयास करने के बावजूद भी देश में बैंकों द्वारा संचालित किये जाने वाले खातों में महिलाओं का योगदान केवल 24 प्रतिशत है, जो कि निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। देश के बैंकों में कुल जमा राशि में भी महिलाओं का योगदान केवल 24 प्रतिशत ही है। बैंकों द्वारा की जा रही ऋण आपूर्ति में भी महिलाओं के ऋण खाते केवल 12 प्रतिशत हैं। बैंकिंग क्षेत्र के ये आंकड़े महिला सशक्तिकरण की दिशा में विकास की असीम संभावनाओं को प्रकट करते हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि देश की महिलाएं अभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। देश की महिलाएं बैंकिंग सेवाओं का पूर्ण लाभ ले सकें, यह सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष एक चुनौती है।

सरकार द्वारा किये गये उपाय - सरकार द्वारा महिलाओं खासकर ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवम्बर 2013 में देश के प्रथम भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का शुभारंभ किया। बीएमबी मुख्य रूप से महिलाओं और महिला स्व-सहायता समूह को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता था। बीएमबी की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना था। बीएमबी का आदर्श वाक्य था -'इम्पावरिंग वूमेन, इम्पावरिंग इंडिया'। 31 मार्च 2017 को बीएमबी का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया।

सरकार की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी बैंक महिला केन्द्रित बैंकिंग योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को गति प्राप्त हुई है।

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों प्रदान की जाने वाली महिला केन्द्रित बैंकिंग योजनाओं में से प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं -

1. पंजाब नेशनल बैंक

(1) पीएनबी महिला उद्यम निधि योजना - इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(2) पीएनबी महिला समृद्धि योजना - इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई, बुटीक, दूरसंचार एजेंसी, ब्यूटी पार्लर, इंटरनेट ब्राउसिंग आदि के लिये ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) डे केयर सेंटर के लिये वित्त पोषण की योजना- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को डे केयर सेंटर के लिये उपकरणों, फ्रिज, पानी फिल्टर, स्टेषनरी आदि के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(4) पीएनबी कल्याणी कार्ड योजना - इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार की महिलाओं के लिये कृषि और गैर-कृषि आधारित गतिविधियों के लिये पूंजीगत ऋण प्रदान किया जाता है।

(5) पीएनबी महिला सशक्तिकरण अभियान - इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैर प्राथमिक क्षेत्रों के लिये 0.25 और प्राथमिक क्षेत्रों के लिये 0.50 प्रतिशत कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

2. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स

(1) पेशेवर और स्व-रोजगार में कार्यरत महिलाओं के लिये योजना - इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अचल सम्पत्तियों की खरीद के लिये दीर्घ कालीन ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(2) ब्यूटी पार्लर, बुटिक, सेलून, टेलरिंग के लिये योजना - इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की लघु व्यवसायिक इकाइयों को उपकरणों, मषीन, फर्नीचर, दुकान आदि खरीदने के लिये सहायता प्रदान की जाती हैं।

(3) ओरिएण्टेड महिला विकास सहायता योजना - इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को आवश्यकता आधारित सामग्री क्रय हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

3. पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(1) पी एण्ड एस बैंक उद्योगिनी योजना - इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रत्यक्ष कृषि गतिविधियों, लघु औद्योगिक इकाइयों, व्यापार उद्यमों, खुदरा व्यापारियों, पेशेवर रोजगार और स्व-रोजगार प्रशिक्षण के लिये उदार शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है।

4. देना बैंक

(1) महिला शक्ति योजना - इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को कृषि आधारित गतिविधियों, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार आदि के लिये सूक्ष्म ऋण तथा शिक्षा एवं आवास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. बैंक ऑफ बड़ौदा

(1) अक्षय महिला आर्थिक सहायता योजना - इस योजना के अंतर्गत खुदरा व्यापार और कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. आंध्रा बैंक

(1) म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना - इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को बिना समानांतर सुरक्षा के एक लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

7. बैंक ऑफ इण्डिया

(1) स्टार महिला स्वर्ण ऋण योजना - इस योजना के अंतर्गत कामकाजी अथवा गैर-कामकाजी महिलाओं को प्रतिष्ठित ज्वैलर्स अथवा बैंक ऑफ इण्डिया से सोने के सिक्के, हॉलमार्क ज्वैलरी, सोने के गहने आदि खरीदने के लिये ऋण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त योजनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण बैंकों ने अपनी योजनाओं में महिला केन्द्रित योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है। यदि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, तो इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बैकिंग सेवाओं के माध्यम से लाभन्वित हो सकेंगी तथा महिला सशक्तिकरण को भी दिशा प्राप्त हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वार्षिक प्रतिवेदन/भारतीय रिजर्व बैंक/2019
2. बैंकिंग विधि एवं व्यवहार/श्रीवास्तव डॉ.दिनेश/कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल/2018

****

ग्रामिण महिलाओ में शिक्षा के प्रभाव एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. ममता खपेडिया *

प्रस्तावना – ग्रामिण महिलाएं विकसित और विकासशील देशों की ग्रामिण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओ को सशक्त बनाना केवल महत्वपूर्ण ही नही,बल्कि यह समाज की मांग भी है। क्योकि एक महिला जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है , समाज में। जिस हेतु महिला का शिक्षा के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है,ताकि उन पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रो का प्रभाव पड सके। और महिला अपने आप मे विकास कर सके। महिला का विकास होगा, तो समाज का विकास होगा और समाज के विकास से राष्ट्र का विकास होगा।

शोध समस्या के चयन की आवश्यकता व महत्व – भारत गाँवों का देश है। गाँवों की प्रगति पर ही भारत की प्रगति निर्भर करती है। गाँधीजी ने ठीक कहा था कि 'भारत की आत्मा गाँवों में बसी है, यदि गाँव नष्ट हो जायेंगे तो भारत नष्ट हो जायेगा।' इसलिए गाँवों के विकास हेतु ग्रामीण परिवारों में **'ग्रामिण महिलाओ में शिक्षा के प्रभाव एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन।'** विषय की आवश्यकता को महत्व दिया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन – *पंडित जवाहरलाल नेहरू* के अनुसार 1997 शिक्षा से मेरे अभिप्राय एक बालक की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है जबकि बालिका की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है।

शोध पद्धति – शोध पद्धति शोध अध्ययन हेतु तथ्यों एवं घटनाओं को समझने की एक निश्चित कार्य पद्धति है। जो हमें अनुसंधान के लिए विभिन्न चरणों के माध्यम से दिशा निर्देशन का कार्य करती है।शोध पद्धति के निम्न चरण है–

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की उपकल्पनाऐं :

1. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।
2. ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता का सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र का समग्र – अध्ययन समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के **झाबुआ** जिले तहसिल पेटलावद के गॉव गोपालपूरा में निवास करने वाली 150 ग्रामीण महिलाओं को लिया गया है।

प्रतिदर्श इकाई – प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्ष इकाई के रूप में मध्य प्रदेश के **झाबुआ** जिले तहसिल पेटलावद के गॉव गोपालपूरा में निवास करने वाली 150 ग्रामीण महिलाओं का निम्न विषेषताओ के आधार पर चयन किया गया है–

1. गोपाल गॉव की निवासरत हो।
2. शिक्षा के प्रति सक्रिय महिलाऐ।

अध्ययन के चर – प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वतंत्र चर – ग्रामिण महिला, परिवार का प्रकार व आकार,एवं आय वर्ग एवं आश्रित चर शिक्षा,शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र है।

निदर्शन पद्धति – प्रस्तुत शोध अध्ययन में निदर्शन के चयन हेतु उद्देश्यानुसार एवं देवनिर्देशन विधि को विभिन्न चरणों में प्रयोग में लाया गया है।

समंक संकलन के स्त्रोत – प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य क्रमाक 01,02, तथ्यों के संकलन स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया। द्वितीयक स्त्रोत के लिए शोध अध्ययन से संबंधित शोध ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं तथा अन्य सूचना माध्यमों से जानकारी एकत्रित की गयी है

प्रयुक्त सांख्यिकी विधि – प्रस्तुत अध्ययन में संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवमं प्रस्तुतीकरण किया गया तथा निष्कर्षो की विश्वसनीयता हेतु प्रतिशत, काई वर्ग, व सहसम्बन्ध एवं विधि का प्रयोग किया गया है।

सारणीय एवं प्रस्तुतिकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में सम्मिलित तथ्यों को सरल बोधगम्य व आकर्षक बनाने के लिए वर्गीकृत एवं तथ्यों का चित्रमय प्रस्तुतीकरण किया गया है।

तालिका न. 01 – ग्रामिण महिलओ का शिक्षा के प्रति जागरूकता से है संबंधित विवरण

क्रं.	जागरूकता के विकल्प	उच्च आय वर्ग प्रतिशत	मध्यम आय वर्ग प्रतिशत	निम्न आय वर्ग प्रतिशत	कुल योग प्रतिशत
1	हाँ	73	65	56	65
2	नहीं	27	35	44	35
	कुल योग	100 N=50	100 N=50	100 N=50	100 N=50

निष्कर्ष :

1. उपक्लपना – ग्रामिण महिलओ का शिक्षा के प्रति जागरूकता का सार्थक अन्तर नहीं है। X^2cal=**6.98** का मान X^2tab= **5.991**से अधिक है अत: हम 02 स्वतन्त्र कोटी पर हमारी परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं। अर्थात ग्रामीण महिलओ का शिक्षा के प्रति जागरूता में सार्थक अन्तर पाया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के प्रभाव का सह सम्बन्ध गुणांक का मान r = –0.5853 है। उच्च स्तर का ऋणात्मक सह–सम्बन्ध गुणांक है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन से निष्कर्ष रूप में कह सकते है की

* सहायक प्राध्यापक, श्री सीताराम जाजु शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

स्वावलंबन,व्यक्तित्व के विकास व पारिवारिक उत्तरदायित्वों के सकल निर्वहन में उच्च आय वर्ग परिवार की आदिवासी ग्रामिण महिलाओं प्राथमिकता देते है। परन्तु मध्यम व निम्न वर्ग परिवार की महिलाऐं आर्थिक,सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में उन्नति के लिए शिक्षा को ज्यादा महत्व देते है।

2. उपक्लपना -ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के प्रति प्रभाव का सार्थक अन्तर नहीं है।

X^2cal=**287.861** का मान X^2tab=**55.759** से अधिक है अत: हम **38** स्वतन्त्र कोटी पर हमारी परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं। अर्थात व्यवसायिक सहभागिता में संलग्न आदिवासी ग्रामीण (उच्च मध्यम निम्न आय वर्गीय) परिवारों में महिलाओं में शिक्षा के प्रभाव का सार्थक अन्तर पाया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन आदिवासी ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा एवं परिवार का आय वर्ग का संह-सम्बन्ध गुणांक r= 0.869 है। उच्च स्तर का धनात्मक संह-सम्बन्ध गुणांक है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन से निष्कर्ष रूप में कह सकते है ग्रामिण महिलाओं की शिक्षा के प्रति प्रभाव जागरूकता बहुत अधिक पाया गया है। जिसकी वर्तमान समय आवश्कता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **आरजू मोजम्मिल हसन, 'भारतीय महिला एवं आधुनिकीकरण'** (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) 2011
2. **कौशिक आशा,** 'नारी सशक्तिकरण', पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर (राजस्थान)
3. **डॉ. कुमार राज,** 'नारी के बदलते आयाम', अर्जुन पब्लिसिंग हाउस (नई दिल्ली)
4. **कु.खान शबीना** 2009 ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं की सामाजिक विधानो के प्रति जागरूकता का अध्ययन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
5. **कु. मुजाल्दे मनीषा** 2003 परिवार के आकार के प्रति ग्रामीण महिलाओं का दृष्टिकोण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर।
6. **कु. पटेल सावित्री** 2002 ग्रामीण परिवारो की शैक्षणिक,आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का (शिक्षा एवं जाति) का तुलनात्मक अध्ययन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर।

तालिका न. 02 - ग्रामिणा महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के प्रभाव संबंधित अभिमत

क्रं.	अभिमत	उच्च आय वर्ग%	मध्यम आय वर्ग%	निम्न आय वर्ग%	कुल योग%
1	स्वावलम्बी बनाने में	13	13	13	13
2	पारिवारिक उतरदायित्व के सफल निर्वहन में	40	21	27	31
3	व्यक्तित्व के विकास में	20	19	13	17
4	आर्थिक,सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों उन्नति के लिए	21	47	47	38
	कुल योग	100N=50	100N=50	100N=50	100N=150

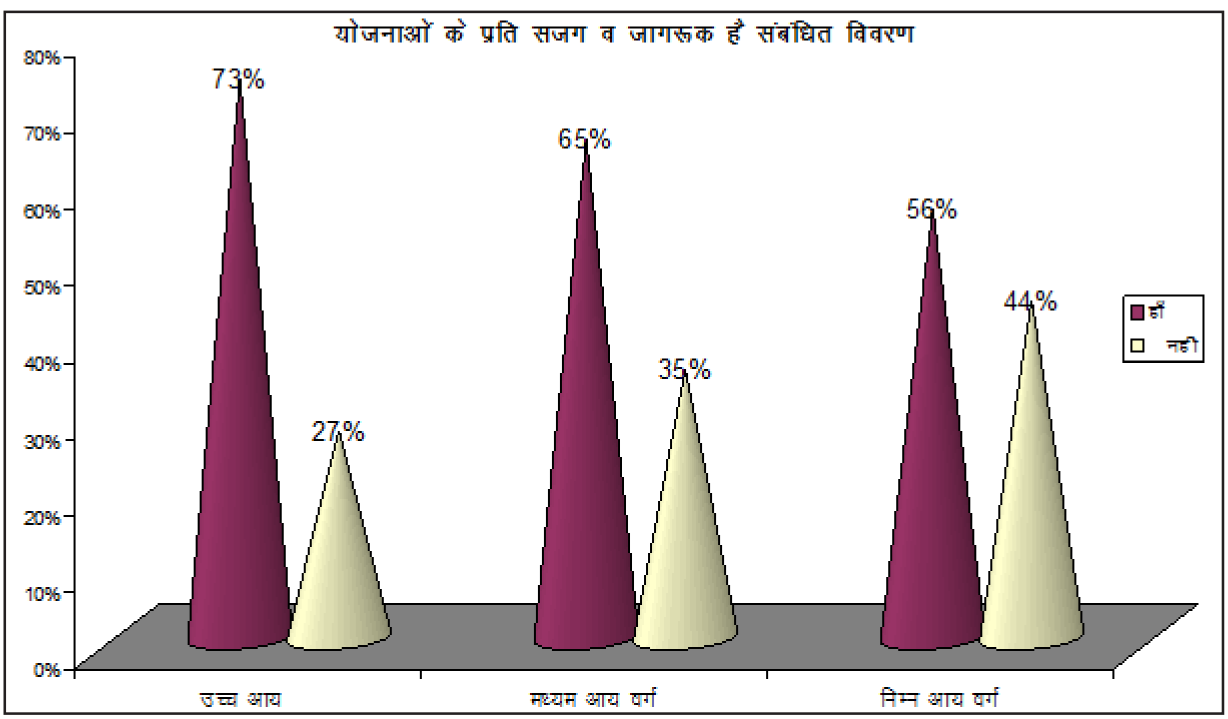

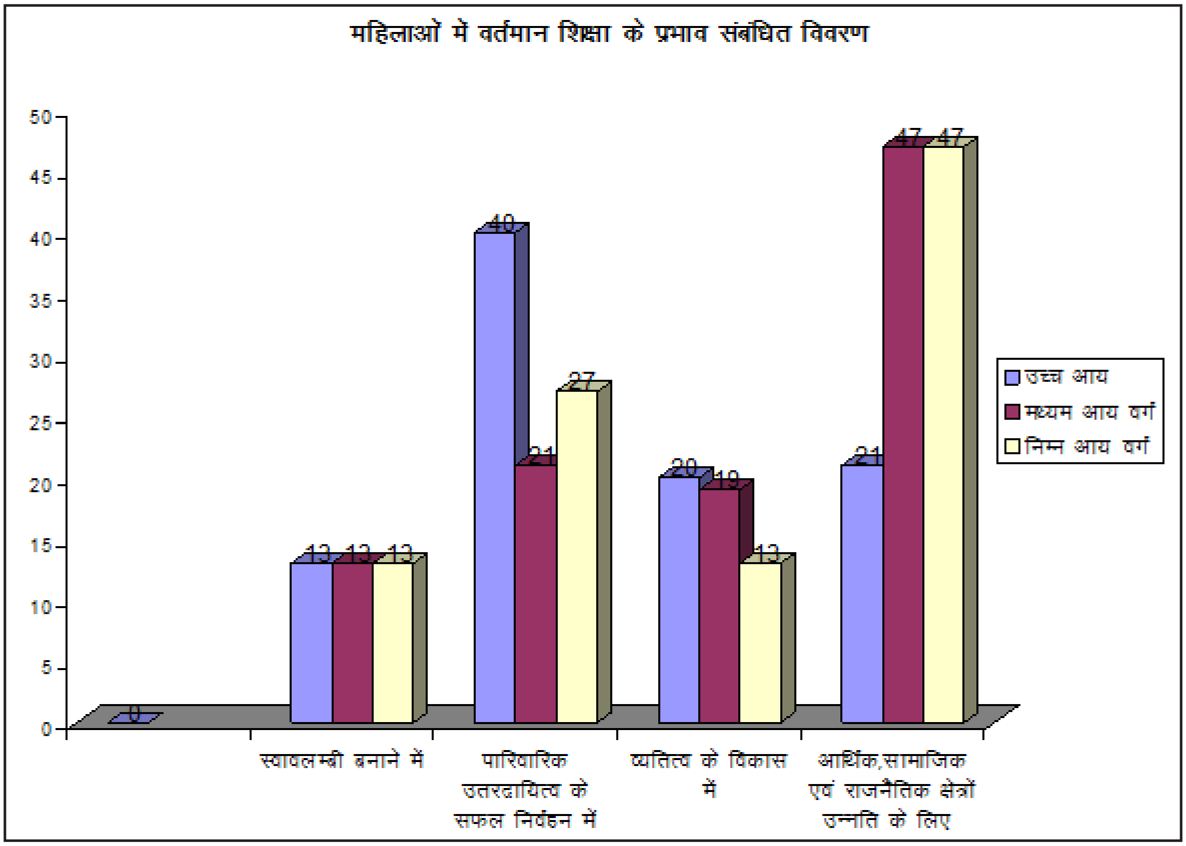
महिलाओं में वर्तमान शिक्षा के प्रभाव संबंधित विवरण
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
13 13 13
40 21 27
20 19 13
21 47 47
स्वावलम्बी बनाने में
पारिवारिक उत्तरदायित्व के सफल निर्वहन में
व्यक्तित्व के विकास में
आर्थिक,सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों उन्नति के लिए
उच्च आय
मध्यम आय वर्ग
निम्न आय वर्ग

****

शासकीय एंव अशासकीय कामकाजी महिला संकाय के प्रति कार्यस्थल पर सामाजिक, आर्थिक असमानता की स्थिति का अध्ययन

डॉ. मनीषा सक्सेना* अदिति जोशी**

शोध सारांश – भारत संविधान में महिलाओं एवं पुरूषों को समान अधिकार व लाभ प्राप्त है परन्तु शासकीय एवं अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थनों के अंर्तगत कार्यरत महिलाओं को अनेक समस्या एवं चुनौतीयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होने के बाद भी आज लिंगभेद, असमानता एवं उत्पीड़न जैसी समस्या समाज में मौजुद है। महिलाओं को कार्य करने के लिए किसी भी क्षेत्र या व्यवसाय को चुनने का अधिकार है जिसे आज महिलाओं की आर्थिक स्थिती में सुधार और विकास में बदलाव हुआ है, परन्तु आज भी महिलाओं को पुरूषों द्वारा हर क्षेत्र में कई प्रकार से प्रताडीत़ किया जा रहा है। कार्यस्थलों पर पुरूषों द्वारा महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है जिसके कारण भेदभाव, असमानता एवं उत्पीड़न की प्रवृति धीरे-धीरे महिलाओं के खिलाफ हिंसक रूप धारण कर लेती है। महिलाओं का पुरूषों के समक्ष पद या उनसे बड़े पद पर कार्यरत् होने के कारण पुरूषों को भावनात्मक ठेस पहुँचती है जिसके कारण महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, अत्याचार, प्रताड़ना, असमानता और भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे पुरूष की मानसिकता महिलाओं के प्रति ज्ञात होती है। शासकीय व अशासकीय स्थलों पर कार्यरत कामकाजी महिलाओं किसी भी वर्ग, आयु एंव पद की हो असमानता एंव उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। आज महिलाएं आर्थिक रूप से समक्ष है परन्तु महिला कामकाजी होने के कारण समाज महिला के प्रति नकारात्म दृष्टिकोण रखता है जिसका कारण कुरितियॉ, रूढ़िवादिता, परिवारवाद, पुरूषवाद की परंपराओं ने महिलाओं की स्थिति और संघर्षशील एवं गंभीर बना दी। महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूझान, स्वयं के प्रति जागरूकता, समानता, मातृत्व, दैवीय शक्ति, रिश्तों, मर्याआ, अनुशासन, अनुपालन, महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच इत्यादी के माध्यम से ही देश का निर्माण एवं विकास सम्भव हो सकेगा। महिला असमानता एवं लिगंभेद राष्ट्र निमार्ण के लिए एक बाधक तत्व बना हुआ है, भारतीय समाज में महिलाओं का शोषण एवं उत्पीड़न सदैव से चर्चा का विषय रहा है कि किन स्थितियों एवं परिस्थितियों के कारण महिलाओं का उत्पीड़न शुरू हुआ और उसके पिछे कौन-कौन से कारक उत्तरदायी है।

शब्द कुजी – कार्यस्थल, महिला, सामाजिक, आर्थिक, असमानता।

प्रस्तावना – महिला को पुरूष के साथी के रूप में माना जाता है जिसे प्रकृति ने पुरूष के समान ही बौद्धिक क्षमता प्रदान की है ताकि वह पुरूष के प्रत्येक कार्य में सहायता प्रदान कर सके। आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि, महिला का सम्मान, समानता में स्थिरता लाना बहुत कठिन परिस्थिति है परन्तु आज तक का संघर्ष जो भी है वह महिला स्वंय ने किया है। महिलाओं का अस्तित्व केवल शिक्षा और व्यवसाय के कारण सम्भव है जिसे वह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हुई है जिसे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है समाज एवं परिवार में महिलाओं से हर कार्य में अपेक्षा रखता है। सामाजिक मान्यताओं, मुल्यो का दबाव महिला पक्ष पर अधिक एवं पुरूष पर कम रहता है। विकास के इस दौर में बहुतायत अर्थ निर्देषित समाज के पहलु में कामकाजी महिला की पारिवारिक प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है ,महिलाएं समाज के ताने-बाने के निर्माण में महत्वपुर्ण भूमिका निभा रही है वही कामकाजी महिला पारिवारीक जीवन में आर्थिक सहयोग दे रही है,एवं कार्यस्थलों पर पुर्ण सहभागिता प्रस्तुत कर रही है।

'डॉ. अम्बेडकर विचार एवं दर्शन सीरिज' का अंक 5 **महिला उत्पीड़न** के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर द्वारा 1929-1956 तक के अनुच्छोदो में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्त्री-पुरूषों को समान अधिकार सन् 1976 के 42 वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समानता का अधिकार (4-18), स्वतंत्रता का अधिकार (19-22), शोषण के विरूद्ध अधिकार विरूद्ध का अधिकार (23-24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (29-30), सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धि का अधिकार (29-30) संवैधानिक उपचारों का अधिनियम अनु.(32) बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया गया। स्त्री-पुरूषों के लैंगिक भेदभाव एवं सामाजिक अन्याय समाप्त करने अनु. 17 एवं महिला संरक्षण प्राप्त है।

साहित्य की समीक्षा

सौम्या पण्डित के द्वारा किया गया अध्ययन मुख्यत शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन पर केन्द्रित है, अध्ययन में पाया गया की महिला अपना पारिवारीक एवं आर्थिक स्तर को ऊँचा उठानें के लिए कार्य करती है तथा महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की भुमिकाओं के निर्वाहन के फलस्वरूप पारिवारीक जीवन, कार्यस्थलों पर दबाव एवं तनावपुर्ण जीवन व्यापन करती है।

वर्षा कुमारी द्वारा शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन किया गया अध्ययन में पाया कि अलग-अलग आयु वर्ग में विशेष वर्ग की महिलाएं एवं विभिन्न

* अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा एवं कौशल विकास अध्ययनशाला) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी , मानव विकास (गृह विज्ञान) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इन्दौर (म.प्र.) भारत

श्रेणीयों कि कार्यरत महिलाएं जैसे विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाओं की समस्याओं व चुनौतियों में विभिन्नता पाई जाती है। इसके साथ–साथ कुछ सामान्य रूप से महिलाओं को कार्यस्थलों पर अन्य समस्याओं जैसे मानसिक तनाव, शारिरीक थकान, परिवार की देखभाल, कार्यस्थल में भेदभाव पुर्ण व्यवहार, समय की पाबन्दी, पुरूषों के साथ समांजस्य जौी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

निर्मला सुमन के अध्ययन में पाया की अशासकीय स्थलों में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण उनके परिवार एवं समाजिक जीवन में परिर्वतन उत्पन्न हुए है। तथापि यह परिर्वतन अत्यन्त सीमित है। यद्यपि महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में अपनी कुशलता एवं योग्यता के आधार पर पुरूष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्यकर रही है किन्तु उन्हे कई समस्याओं एवं चुनौतायों का सामना करना पड़ता है। उनकी कार्यगत परिस्थिति, भूमिका एवं संर्घष को बढ़ावा देती है।

शोध अध्ययन विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंर्तगत इन्दौर जिले के 02 विश्वविद्यलयों (01 शासकीय) एंव (01 अशासकीय) अध्ययन के अंर्तगत शासकीय एवं अशासकीय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को ज्ञात करने के लिए तुलनात्मक शोध प्रचना का उपयोग किया गया है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर 80 उत्तरदात्रियों महिला संकाय सदस्य (40 शासकीय) एवं (40 अशासकीय) का चयन किया गया। प्राथमिक तथ्यों के समंकों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूचि, अवलोकन का प्रयोग किया एवं द्धितियक संमकों के संकलन हेतु विभिन्न अभिलेखों, पत्रों एवं शोध प्रबंध आदि अन्य संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. कामकाजी महिलाओं के प्रति कार्यस्थलों पर होने वाले आर्थिक असमानता के कारकों को ज्ञात करना।
2. कामकाजी महिलाओं के प्रति कार्यस्थल एवं परिवार में होने वाली सामाजिक असमानता के कारकों का प्रभाव।

तालिका क्रमाक 01 – समान वेतन अधिनियम

क्र.	विकल्प	शासकीय स्थलों से प्राप्त आकडे		अशासकीय स्तीलों से आकड़े प्राप्त	
		आवृति	प्रातिशत	आवृति	प्रातिशत
1	समान वेतन अधिनियम के प्रति जागरूकता	35	87.5%	29	72.5%
2	जागरूकता नहीं	5	12.5%	11	27.5%
	कुल योग	**40**		**40**	

उपरोक्त तालिका के अनुसार अध्ययन में यह पाया गया की शासकीय संकाय महिला सदस्य को (87.5%) समान वेतन के प्रति जागरूकता है जिसका मुख्य कारण कार्यस्थलों पर संवैधनिक तौर पर समान वेतन अधिनियम लागु है। इसी के अनुरूप अशासकीय स्थलों पर कार्यरत संकाय महिला सदस्य को (72.5%) ही समान वेतन अधिनियम की जागरूकता है और (27.5%) जानकारी नहीं है जिसका मुख्य कारण कार्यस्थलों पर महिलाओं समान वेतन का प्रवधान नहीं लागू है, जिसे यह ज्ञात होता है की महिला स्वयं के अधिकारों से अनभिज्ञय है।

तालिका क्रमाक 02 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 02 क्रमांक के अनुसार अध्ययन में यह पाया गया की शासकीय संकाय महिला सदस्य को कार्यस्थलों पर आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है जिसका मुख्य कारण हम लैंगिक असमानता को मान सकते है। महिलाओं के प्रति आर्थिक असमानता की स्थिति हर कार्य क्षेत्र में मौजुद है, महिलाओं को कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता है जैसे– शासकीय स्थलों पर पदोन्नति न करना (22.5%), वेतन रोक देना (7.5%), वेतन भत्ता न देना (22.5%) जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी के अनुरूप अशासकीय स्थलों पर संकाय महिला सदस्य को समयानुसार वेतन प्राप्त नहीं होती है (17.5%), पुरूषों के अनुसार वेतन प्राप्त न होना (10%), अवकाश के दिन का वेतन न देना (10%), अप्रत्यक्ष रूप से वेतन में से हिस्सा मागंना (15%), कार्यस्थल पर देर से पहुचने पर अनुउपस्थित लगा देना या अर्धअवकाश लगा देना (15%) जैसी असमानता पुर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है आर्थिक स्थिति ठिक न होने के कारण महिलाओं समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

तालिका क्रमाक 03 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 03 के अनुसार अध्ययन में यह पाया गया की शासकीय संकाय महिला सदस्य के प्रति कार्यस्थल के साथ–साथ सामाजिक एवं पारिवारीक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसके अंर्तगत शासकीय स्थलों पर वर्ण असमानता (10%), कार्यस्थल पर महिला के प्रति गलत अवधारण (चारित्रिक) (5%), कार्यस्थलों पर पुरूषों के साथ समायोजन (12.5%), भेदभाव (7.5%), कार्यस्थलों पर पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त (10%) जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसी के अनुरूप अशासकीय संकाय महिला सदस्य के प्रति सामाजिक, पारिवारीक एवं कार्यस्थलों पर वर्ण असमानता (7.5%), कार्यस्थल पर महिला के प्रति गलत अवधारण(चारित्रिक) (10%), देर से घर पहुचने पर तनाव की स्थिति (12.5%), कार्यस्थलों पर पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त (17.5%) जैसी समस्याओं एवं चुनौतीयों का सामना करना पड़ता है। जिसे महिलाएं कार्यस्थलों एवं सामाजिक तौर पर प्रभावित होती है।

निष्कर्ष– महिला समाज की महत्वपूर्ण ईकाई है समाज का विकास तभी संभव होगा जहॉं नारी शक्ति का सम्मान एवं समानता होगी। समाज में महिलाओं के प्रति लिंग भेदभाव गंभीर समस्या है जो की शासकीय एवं अशासकीय कार्यस्थलों पर देखने को मिली। महिलाओं को पुर्ण अधिकार है की वह भी कार्य करे परन्तु कमजोर वर्ग का हिस्सा होने के कारण पुरूष वर्ग महिलाओं के प्रति असमानता, उत्पीड़न एवं भेदभाव पुर्ण व्यवहार करता है जिसके कारण महिलाएं प्रभावित होती है। पुरूषों द्धारा महिलाओं से स्थलों पर कार्य करने की अपेक्षा रखता है एवं यही वर्ग महिलाओं को अपमानीत और प्रताड़ित करता है, जो समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। शासकीय एवं अशासकीय संकाय कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं के प्रति पुरूष वर्ग द्धारा आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पुर्ण व्यवहार किया जात है जिसका मुख्य कारण लैंगिक भेदभाव है तालिका 1 एवं 2 में आकड़े यह सिद्ध करते है की शासकीय एवं अशासकीय कार्यस्थलों पर पुरूषों द्धारा महिलाओं के प्रति अपराधीक प्रवृति पुर्ण व्यवहार करते है जिसके कारण महिला के विकास में असमानता एवं उत्पीड़न बाधक तत्व बनता है। अध्ययन में प्रदत्त, अर्जित मूल्य तथा भूमिका के बीच आज कामकाजी महिला किस तरह समंजन कर रही है, जो एक महिला से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारीयों का उत्तरदायित्व निभती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भटनागर, संगीता, (2015) – कार्यस्थल पर सुरक्षा की चिंता, जनसत्ता 29 अप्रैल 2015
2. 'राष्ट्रीय महिला आयोग', जनसत्ता, (2015) के मुताबिक कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 29 नवम्बर 2015

3. खुशिता बसंत, (2013) – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून पुराना, 29 अप्रैल 2013
4. त्रिपाठी बिन्दु, (2003) – 'भारत में महिलाओं की स्थिति'
5. शर्मा, प्रज्ञा (2001) – 'भारतीय समाज में नारी', पाईन्टर पब्लिकेशर्स, जयपुर राजस्थान
6. डॉ. रायजादा अजीत (2000) – 'महिला उत्पीड़न समस्या और समाधान', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
7. सिंग, रामगोपाल, (2014)– डॉ. अम्बेडकर सामाजिक, आर्थिक विचार दर्शन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमीक।
8. kapila,Pallavi, "Evloution of Indian Law on Workplace Sexual Harassment,International Journal Humanities and Social Science Invention,ISSN.2319-7714, 2017
9. 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्युरो', 2018।
10. Sarpotdar, Anagha, Sexual Harassment of Women at Workplace in India: A Study at National Capital Region of Delhi, Journey from a Workplce Problem to a Human Right Issue,Journal of Business Management & Socail Science Research ,Volume3,ISSN.2319-5614, 2018
11. R.Rohit,M. Dhanasekar,A Study on Harassment of women at Workplace in India, International journal of Pure and Applied Mathematics, Volume120, ISSN. 2018-189-201, 2018

तालिका क्रमाक 02 – आर्थिक असमानता

क्र.	विकल्प	शासकीय स्थलों से प्राप्त आकडे		अशासकीय स्थलों से आकड़ेप्राप्त	
		आवृति	प्रातिशत	आवृति	प्रातिशत
1	समयानुसार वेतन न देना	–	–	7	17.5%
2	पदोन्नति न करना	9	22.5%	3	7.5%
3	वेतन कम देना,	–	–	3	7.5%
4	पुरूषों के अनुसार वेतन प्राप्त न होने	–	–	4	10%
5	अवकाश के दिन का वेतन न देना	4	10%	4	10%
6	वेतन रोक देना	3	7.5%	–	–
7	वर्षानुसार वेतन में बढोत्तरी होना	–	–	2	5%
8	वर्षानुसार वेतन में बढोत्तरी न होना	–	–	2	5%
9	अप्रत्यक्ष रूप से वेतन में से हिस्सा मागंना	3	7.3%	6	15%
10	स्वंय पर खर्च न करना	2	5%	3	7.5%
11	वेतन भत्ता न देना	9	22.5%	–	–
12	टि.ए. डि.ए. न देना	6	15%	–	–
13	कार्यस्थल पर देर से पहुचने पर अनुउपस्थित लगा देना या अर्ध अवकाश लगा देना	4	10%	6	15%
	कुल योग	**40**		**40**	

तालिका क्रमाक 03 – सामाजिक असमानता

क्र	विकल्प	शासकीय स्थलों से प्राप्त आकडे		अशासकीय स्थलों से आकड़ेप्राप्त	
		आवृति	प्रातिशत	आवृति	प्रातिशत
1	वर्ण असमानता	4	10%	3	7.5%
2	कार्यस्थल पर महिला के प्रति गलत अवधारण(चारित्रिक)	2	5%	4	10%
3	पारिवारिक मनमुटाव	6	15%	4	10%
4	देर से घर पहुचने पर तनाव की स्थिति	2	5%	5	12.5%
5	भेदभाव	3	7.5%	2	5%
6	परिवार में पुरूष के समक्ष दर्जा प्राप्त	6	15%	3	7.5%
7	तलाकशुदा	2	5%	4	10%
8	कार्यस्थलों पर पुरूषों के साथ समायोजन	5	12.5%	4	10%
9	परिवार का मुख्या (महिला)	4	10%	2	5%
10	कार्यस्थलों पर पुरूषों के समान द दर्जा प्राप्त	4	10%	7	17.5%
11	पति की मृत्यु	2	5%	2	5%
	कुल योग	**40**		**40**	

सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्तर्गत सिवनी क्षेत्र का जंगल सत्याग्रह (1930–1934 ई.)

डॉ. रामबिलास मरकाम *

शोध सारांश – महात्मा गॉधीजी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूरे राष्ट्र में समुद्र तट व विशाल पानी वाले स्थानों पर नमक बनाकर 'नमक कानून' तोड़कर चलाया गया, साथ ही चूँकि मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ में ऐसे विशाल पानी वाले स्थान नहीं थे उसके स्थान पर, अंग्रेज सरकार द्वारा बनाये गये 'वन कानून' (जिसके अन्तर्गत रहवासियों को जलाऊ लकड़ी, कास्तकारी उपयोग हेतु लकड़ी, मवेशियों को जंगल में चराने व घास काटने पर प्रतिबंध था) के विरोध में वन कानून का उल्लघंन कर अहिंसात्मक रूप से 'जंगल सत्याग्रह' चलाया गया। यह अध्ययन मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में चलाये गये 'जंगल सत्याग्रह' पर आधारित है।

प्रस्तावना – अंग्रेजों ने भारतीय जंगलो को हरे सोने की खान मानकर दोहन किया 1857 के विद्रोह में भाग ले रहे क्रॉतिकारी अंग्रेजों के अत्याचार के कारण जंगलों में छुपने लगे इन्ही क्रॉतिकारियों को तलाश करते हुए अंग्रेजों को हरा सोना दिखाई देने लगा। 1858 के पश्चात अंग्रेजों ने जंगलों पर अधिपत्य प्राप्त करने हेतु योजना आरम्भ कर दी। नये नियम बनाकर प्रतिबंध लगाने लगे। जंगलों के मूल निवासी आदिवासी और डीगर जनजातियों को उन्ही के जंगल से भगाना प्रारम्भ कर दिया। ये वर्ग निरंतर अंग्रेजों के इस अत्याचार से तंग होता रहा और संघर्ष करता रहा लेकिन उनकी वाणी को मुखर किया सन् 1930 ई. के जंगल सत्याग्रह ने। उन दिनों महात्मा गॉधी ने नमक कानून तोड़कर देश को नई दिशा प्रदान की। मध्य प्रदेश में चूँकि समुद्र नहीं था अत: नमक सत्याग्रह प्रारंभ नहीं हो सका। पं. डी.पी. मिश्र ने 1930 में नमक सत्याग्रह करना चाहा उन्होंने मोतीलाल नेहरू से इजाजत ली, पर वे जेल चले गए, उनके मूल विचार का प्रभाव रहा। 'जंगल सत्याग्रह' मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों के साथ सिवनी जिले में भी चलाया गया, इस **शोध पत्र में सिवनी जिले के जंगल सत्याग्रह का अध्ययन किया गया है।**

उद्देश्य – आधुनिक भारतीय इतिहास के इस कालखंडीय सिंहावलोकन में उन सभी प्रसंगो, घटनाओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है जिन्हे समकालीन कर्णधारों ने एवं आम नागरिकों ने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा। इस विशिष्ट ऐतिहासिक प्रवाह के दो पक्ष हैं एक भारतीय और दूसरा ब्रिटिश। एक ओर जब विदेशी सत्ता देश के विभिन्न भागों को जकड़ रही थी तो दूसरी ओर गुलामी की कड़ियों को तोड़ने का प्रयास भी चल रहा था। यह प्रयास राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सानिध्य में सुव्यवस्थित जन आन्दोलन के रूप में चला। 1930–34 ई. का सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्तर्गत जंगल सत्याग्रह मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में भी चलाया गया, जिसमें जो भी घटनायें, सत्याग्रह, धरना, बहिष्कार कार्यक्रम आदि में अंग्रेजों के अत्याचार तथा दमन का शिकार हुए लोगों का तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आये उनका समुचित, सविस्तार वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है।

सिवनी जिले का जंगल सत्याग्रह – गॉधी जी द्वारा नमक कानून तोडते ही विभिन्न सथानों पर ब्रिटिष कानूनों की अवज्ञा की गई। देश में बडे-बडे पानी वाले स्थानो पर नमक बनाकर नामक कानून तोडा गया। मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ में चूँकि ऐसे विशाल पानी वाले स्थान नहीं थे इसलिये इस कानून का विरोध प्रर्दषन जुलूस एवं भाषणों द्वारा तो खूब किया गया परन्तु रचनात्मक रूप में यह कार्यक्रम नहीं चल पाया। इसके स्थान पर अंग्रेज शासन काल में 'वन कानून' (जिसके अन्तर्गत रहवासियों को जलाऊ लकड़ी, कास्तकारी उपयोग हेतु लकडी, मवेशियों को जंगल में चराने व घास काटने पर प्रतिबंध था) के विरोध में पं. द्वारका प्रसाद मिश्र एवं अन्य नेताओं के कुशल मार्गदर्शन में स्थानीय निवासियों के सहयोग से बड़े उत्साह एवं अहिसात्मक तरीके से जंगल सत्याग्रह चलाया गया।

जंगल सत्याग्रह की प्रथम शुरूआत बैतूल में दीपचंद गोटी और घनश्याम सिंह गुप्ता के नेतृत्व में एक जुलूस निकाल कर की गई। दीपचंद और 3 अन्य स्वयं सेवकों ने सरकारी रक्षित वन में रेंजर आफीसर की उपस्थिति में गाय चराई और घास काटी। पुलिस ने दीपचंद और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में आंदोलन जैसे–जैसे बल पकड़ता गया, सरकार ने दमन कार्यवाहियॉ भी तेज कर दी। सरकार ने हिंसा और बल प्रयोग द्वारा प्रदर्शनों और हड़तालों को कुचलने के प्रयास किये। लाठी चार्ज के साथ–साथ गोलियॉ भी चलाई गई।

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के तूरिया ग्राम में एक भयानक दृष्य निर्दयता पूर्वक सत्याग्रहियों को दबाने का देखा गया यहाँ अंग्रेजी शासन का बर्वरतम रूप देखने को मिला सिवनी–नागपुर मार्ग पर स्थित खवासा स्थान से लगभग 6 मील की दूरी पर बसा यह छोटा सा वन ग्राम है सम्पूर्ण जिले के समान ही इस क्षेत्र के आदिवासियों के मन में जंगल सत्याग्रह के लिए बहुत उत्साह था।

खवासा के मूका लुहार और उसके साथियों ने 9 अक्टूबर को शासन को सूचित किया कि वे तूरिया के निकट जंगल में घास काटकर सत्याग्रह करेंगे इसकी सूचना चारों ओर फैल गई और आस–पास के गाँवों से बडी संख्या में स्त्री–पुरूष और बच्चे प्रात:काल से ही तूरिया में यह दृष्य देखने के लिए एकत्रित हुए, नियमित समय पर मूका लुहार और उसके साथी तूरिया

* इतिहास विभाग, शासकीय स्नातक महाविद्यालय, इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) भारत

के सरकारी जंगल में घास काटने पहुँचे।

उस समय सिवनी के पुलिस इंस्पेक्टर रेंजर तथा बडी संख्या में लगभग 1 दर्जन हथियार बंद पुलिस सिपाही वहाँ उपस्थित थे जिससे यह प्रतीत होता था कि अंग्रेजी शासन इन भोले-भाले निरीह आदिवासियों के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने पर आंदोलन दबाने के लिए पहले से ही अत्याचार करने के लिए कृत संकल्प थी, सिवनी के तत्कालीन कलेक्टर सीमेन ने पुलिस इंस्पेक्टर को एक चिट भेजी जिसमें नाराजगी दिखाते हुए यह कहा गया कि मूका और उसके साथियों को सबक सिखाया जाये। इंस्पेक्टर ने इसमें निहित इशारे को समझ लिया और तत्काल ही मूका लुहार और साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उस स्थान पर ले गए जहाँ पुलिस का कैम्प था, ग्रामीणों ने जैसे ही मूका की गिरफ्तारी की खबर सुनी पुरूष-स्त्रियाँ और बच्चे अपने नेता का अभिनंदन करने और देखने के लिये पुलिस कैम्प की ओर दौडे। इस पर बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिये गोली चलाने की आज्ञा दे दी गई, जिसमें 3 स्त्रियाँ, 1 पुरूष घटना स्थल पर ही मर गए और 30 अन्य लोग घायल हो गए। मृत सभी चार लोग और घायलों में अधिकांश आदिवासी थे।

यह मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के तब तक के सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास में मनमानी पूर्ण कार्यवाही का एक हिस्सा थी अपनी प्राथमिक अवस्था में जंगल सत्याग्रह स्वयं सेवकों के छोटे-छोटे दलों द्वारा रक्षित वनों में प्रवेश करके तोड़ा जाता रहा ज्यों-ज्यों समय बीता सत्याग्रहियों में उत्साह बढ़ता गया और एक के पीछे एक दल सत्याग्रह करने के लिए आगे आने लगे। और फिर तो कुछ ऐसा उत्साह बन गया कि परिणामों की परवाह न करते हुए अन्य लोग भी सत्याग्रहियों के साथ षामिल होने लगे जिससे यह सत्याग्रह एक सामूहिक आंदोलन बन गया अनेक स्थानों पर 10 से 15 हजार लोग घास काटने में हिस्सा लेते रहे और अपनी गिरफ्तारी को आमंत्रित करते रहे जो नहीं हुई।

इस प्रकार के दृष्य अनेकों स्थानों पर देखे गए इस सामूहिक आंदोलन के बाद की परिणति यह हुई कि घास के साथ जलाऊ लकडी के वृक्ष भी जंगल कानून तोड़ने के स्वरूप में काटे गए। जंगल सत्याग्रह से वन विभाग को लगभग 7 लाख रूपये की हानि हुई।

संघर्ष में भाग लेने वाले युवकों और छात्रों से निपटने तथा आंदोलन दबाने के लिए तथा वन सत्याग्रही आदिवासियों को भयभीत करने के लिये मध्यप्रान्त शासन ने कोड़े लगाने का दण्ड देना प्रारंभ किया अगस्त से दिसम्बर माह तक 164 व्यक्तियों को इस दण्ड से दंडित किया गया जब दण्ड के इस स्वरूप के विरूद्ध अपीलें की गई तो बुलढाना के सेसन जज ने छः प्रकरणों में कोडे के दण्ड को कारावास के दण्ड में परिणित कर दिया किन्तु अन्य बहुत से व्यक्तियों ने जिन्हें अपील से घृणा थी बहुत वीरता से दुख सहा।

निष्कर्ष – मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के 'जंगल सत्याग्रह' में बड़े-वूढ़े, नवयुवक, बच्चों एवं महिलाओं ने भाग लिया एवं वन कानून का उल्लंघन घास काटकर, जलाऊ एवं कास्तकारी के उपयोग की लकड़ी काटकर, मवेशी जंगलों में चराकर किया। लोगों ने परिणामों की परवाह न करते हुए आंदोलन में बढ़चढ़ कर भाग लिया। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ सिवनी जिले का आन्दोलन भी बड़ी सफलता एवं अनुशासित तरीके से चला। जंगल सत्याग्रह ने राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन कों परोक्ष व अपरोक्ष रूप से योगदान दिया। गॉधी जी का नेतृत्व एकता के सूत्र में बॉधने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता रहा। इस आन्दोलन से विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का वहिस्कार एवं स्वदेशी तथा खादी को अपनाने का प्रचार हुआ।

भारत भारतीयों का अपना देश है, भारतीयों का ही शासन होना चाहिए किसी बाहय शक्ति का हस्ताक्षेप की जरूरत नहीं है। इस उद्देश्य की प्राप्ति चूँकि इस आन्दोलन के बाद न हो सकी पर, यही अहिंसक कार्यक्रम उत्तरोत्तर बढ़ता गया जो 1947 में अभिष्ट फल देने में सफल रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सी.वाई. चिंतामणि- इंडियन पालिसिटिक्स सिन्स क्यूटवी।
2. डी.पी. मिश्रा- मध्यप्रांत में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास।
3. बी.एल.ग्रोवर- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास।
4. पटटाभि सीतारमैया- कांग्रेस का इतिहास।
5. पोलिटिकिल एण्ड मिलेटरी सीडी.एम.-1930.
6. सुभास चन्द्र बोस- द इंडियन स्ट्रेगल -1920-1942.
7. नेहरू पेपर्स- नेहरू टू गाँधी।
8. ए.आई.सी.सी. पेपर्स फाइल 24, 1930.
9. डॉ. ए.के. मित्तल- भारत का इतिहास 1858-1950ई. तक राष्ट्रीय आन्दोलन के विशेष संदर्भ में।
10. प्रो. रामलखन शुक्ल- आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति और देश विभाजन तक।
11. हितवाद 24 फरवरी 1931
12. बाम्बे क्रोनिकल 4 व 6 अगस्त 1930
13. ताराचंद- हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया।
14. डॉ. एस.एल. वरे- मध्यप्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति।
15. सक्सेना, घनश्याम- जंगल सत्य और जंगल सत्याग्रह, स्वराज्य संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश।
16. हितवाद 20 जुलाई 1930.
17. हितवाद 21 जुलाई 1930.
18. गर्वनमेंट ऑफ मध्यप्रदेश, दा हिस्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ मध्यप्रदेश (नागपुर मध्यप्रदेश)।
19. होम पोलिटिक्स 1930.
20. होम पालि, फाइल 1931.
21. यंग इंडिया मई 1930.

****

Frost as a Poet of Rural Life

Shobha Sharma*

Abstract - Frost's poetry celebrates the countryside of New Hampshire. But he is not a regional poet. He may begin with geography, but he has the ability to take his poetry into an unmappable country. Though he has used in his poems the familiar land marks of New Hampshire, he has caught the spirit of all countryside. Hence the universal appeal of Frost's poetry on New Hampshire. Frost's love of the New England countryside was coupled with his love of simple rustics. His poems give real characters, live people. The tramps, the farmers, the hired men are all according to Frost fit subjects for poetry.

Key words - Regional, Ability, Unmappable land mark, Countrysides, Universal appeal, Simple rustics, Tramps, Farmers, Live people.

Introduction - Robert Frost the poet emerged during the period of transition when America was coming out of the old and entering into the new order. The Poetry of Robert Frost concerns common folk, farmers and labourers who hail from rural New England. In a way Frost's poetry mirrors the New England where he spent a large part of his life. Frost considered himself a farmer, and tried to faithfully portray this rural life through his poems. This element in the poetry of Robert Frost is also known as the pastoral elements.

The terms "Pastoral" brings to our minds the great pastoral poems of English, Spenser's *Astrophel*, written on the death of Sir Philip Sidney, Milton's *Lycidas*, written on the death of his college companion Edward King ; and Shelley's *Adonais*, written on the death of fellow Poet Keats. The general tone of these poems is that of a pastoral, with its shepherds and flocks and country atmospheres, where the pettiest details is clothed in an appropriate pastoral image. However, this traditional element of a pastoral is not be encountered in the poems of Robert Frost. Still, Frost is a true pastoral poet. His greatness as a pastoral poet has been acknowledged by almost every critic of repute. The bulk of his poetry deals with rural life and even those poems which are strictly not related to rural life can be better understood through his pastoral poems.

New England, as said earlier, provides the rural context in which Frost's more characteristic poems are presented. This rural world provides the setting as well as the incidents , events and the characters of his poems. Most of the characters in his poems are from New England and his poetry is a faithful record of their habits, actions, Sufferings, trials and tribulations. In the poem *After Apple Picking,* and *Mowing* Frost has portrayed a New England farmer. In *Birches* Frost has portrayed village children. Frost has tried to recaptured village activity in his poetry.

Frost was drawn towards this rural life because he did not want to get lost in the harsh facts of city life. The escape from city life is an artistic perspective which provides Frost with an opportunity of providing an opportunity of examining the complex urban world from outside. There are critics who maintain that this was a defect in Frost and say that he was using indirect means of examining the complex city life. But it provided Frost a platform which he could look at the world he was trying to escape from. Frost's love of the New England countryside was coupled with his love of simple rustics. There are numerous live, real characters whom we encounter in his poems. Everyone is a fit character for his poems. That is why he speaks of the volume of verses, North of Boston as "this book of people". In his poems we come across farmers, tramps, and hired labourers. Many abnormal people can also be met in the poems of Robert Frost. There is the overwrought mother in *Home Burial* who is well on the way of becoming a nervous wreck because her dear child has died and her husband has taken such a casual view of such a dire event. However, the majority of his characters are sound, normal people like the farmer Warren and his wife Mary in *The Death of a Hired Man* .Then there are the Lorens of *Blueberries,* the father and his brood of young Lorens, who in spite of their poverty are determined not to be poverty stricken and not to ask for any thing from any one, and to live just taking what nature is willing to give .

The rural life of New England not only provided local colour and characters, it also provides him with diction and versification. His diction and phrasing are characteristically those of the dwellers of New England. His characters speak in true Yankee accents. His language is the language really used by the inhabitants of rural New England. In North of Boston the language is what is actually spoken in the North of Boston. Before the times of Frost

*Asst. Professor, Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) INDIA

this language was a mere dialect to be used in ballads or satire like " Biglow Papers". But Frost has done what Hemingway was to do later, he has raised his own idiom to the dignity of a literary language. In bringing poetry into harmony with the spoken word he did not adopt the crudeness and vulgarity of the common speech, but he refined the vernacular without nobbing it of its savour. Frost has achieved what Words worth aimed at but could not achieve. Frost is perhaps the only poet who has satisfied the Wordsworthian theory of poetic diction.

References :-

1. Field, Evgene. Poems of Childhood. New York: Charles Scribner's Sons Inc. 1925
2. Gerber, Philip L. Robert Frost. New York: Twayne Publishers, 1967.
3. Lathem, Edward Connery, ed. The Poetry of Robert Frost. New York: NA, 1969.
4. Lathem, Edward, ed. Interviews with Robert Frost. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 1966.
5. Reeve, F.D. Robert Frost in Russia. Boston: Little, Brown Publishers, 1964.
6. Sergeant, Elizabeth Shepley. Robert Frost: The Trail by Existence. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1960.
7. Thompson, Lawrance. Robert Frost: The Early years, 1874-1915. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966.
8. Unger, Leonard, ed. American Writers. New York: Charles Scribner's Sons, Inc. 1961.
9. Van Egmond, Peter. The Critical Reception of Robert Frost. Boston: G.K. Hall and Co., 1974.

****

Enviornmental Awareness Legislation of Management

Gayatri Yadav *

Abstract - Environment covers surrounding which includes air, water, sound and land a extra The survivable of man depends allpan environment it effects the man kinds from the stage of womv to the last stage of a man when he if life's the world. There for environment awareness is the most imported factors for which the man, the government, the state and the global world should we made aware of it as it matter of survivable of the mankind.
Keywords – legislation, Enviornmental Awareness.

Introduction - Literally the expression "environment connotes surrounding. The 1QA environment contains air, water and sunlight. Environment affects all the living creatures including the plants and trees a number of necessities of life are fulfilled rather derived from the environment. It can be said that the environment is the life support system.

Section 2(a) of the India environment (protection) act 1986 the term "environment" includes water, air, and land and human beings other living creatures plants micro-organism and property under section 1(2) of the environment protection act 1990 of the united kingdom the term "environment" consist of all orange of the following media namely, air, water and land and the medium of air includes the air within the buildings and the air within other natural roman made structures above or below ground.

Encyclopedia Britannica the term "environment" men's the entire range of external influence acting on an organism both the physical and biological and other organism. Forces surrounding an individual.

Components Of Environment Law - "Environment" consists of three kinds of components.

(1) Non living component or A biotic components.
(2) Living component or biotic component.
(3) Energy components.
(1) Non living components or a biotic component-non-living things like soil, air and water fall though in different forms non living component in turn is dividing in three categories.

a. Lithosphere [rocks, soil and solid air].
b. Hydrosphere [water component].
c. Atmosphere [gaseous envelope].

Which in turn is divided in to four zones namely

a. Troposphere
b. Stratosphere
c. Ionosphere
d. Exosphere

(2) living component or biotic Flora and fauna including man.
(3) Energy component-component includes, solar energy, geochemical energy thermo-electrical energy hydro-electrical energy nuclear atomic energy. Energy due to radiation that helps maintaining the real life of organisms.

Types of environment - two types namely.

1. Natural environment.
2. None made environment.

(1) Natural environment - This type of environment any change in the system caused due to natural processing is counter balanced by the change in the other components of the environment type of environment is called homeostatic environment mechanism.

2. Manmade environment - Environment is created by men such as industrial revolution, communication network like, telephone, telex. For. Agricultural apparatus satellite and energy.

Sources like thermal and hydro energy and atomic energy. Hazardous wastes [management and handling Rules 1989) in exercise of the powers conferred by sections 6,8 and 25 of the environment (protection) act 1986, the central government has made the following rules relating to hazardous wastes and their management and handling. These rules are applicable to hazardous wastes but shall not apply to -

(a) Waste water and exhaust gases covered under the provisions of the water (prevention and control of pollution) act 198 and rules made there under.
(1) Wastes arising out of the operation from ships beyond live kilometers as Covered under the provision of the merchant shipping act, 1958 and the rules made there under.
(2) Radioactive wastes as covered under the provision of wastes the atomic energy act, 1962 and rules made there under the expression hazardous waste' has been defined under rule 3(1) which means categories of wastes specified in the schedule- the schedule &

*Asst. Professor, Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

specifies 18 categories of wastes.

Environment Awareness -

1. Environmental awareness- direction to the concerned secretary in the union government to submit the status of implementation of the direction of supreme court, dated 22-11-1991- in M.C Mehta v. union of India and others, (2000) 95cc411 the supreme court has issued directions as early as on 22.11.1991 with a view to generate awareness relating to environmental issues. Many states have not taken any steps at all or have taken half- hearted steps. While opining that the orders issued earlier were not property dealt with, a learned 3 member bench of the Supreme Court held enter alia, as follows.

"we direct that the secretary ministry of environment and forests government of India the secretary ministry of environment and forests government of India the secretary ministry of human affairs and the secretary, ministry of human resource development convey to this court,

On their affidavits the status of implementation of directions issued by this court on 22.11.1991 and the steps so for taken in that behalf by various states/union territories after obtaining reports from all the states/union territories regarding implementation of the directions issued by this court on 22.11.1991"

2. Publicity about environmental protection for public awareness certain direction M.C METHA V.S union of India and others Air 1992 sc 382, (383 to 385) [3 member bench) decision) was a public interest litigation filed under act 32 of the constitution of India seeking for issuing appropriate directions to cinema and exhibition halls to exhibit slides containing information and message on environment free of cast, for spreading information about environment in national and regional languages and for broadcasting it on the all India radio and on the television in regular and short term program. It was also prayed that environment should be made a compulsory subject in the schools and colleges in a graded system for a general growth of awareness in the facts and circumstances of the case, the supreme court held inter alia that "law is a regular of human conduct, as the professors of jurisprudence say, but no law can indeed effectively work unless there is an element of acceptance by the people in society, no law works out smoothly unless the interaction by the voluntary. In order that human conduct may be in accordance with the prescription of law, it is necessary that there should be appropriate awareness about what the law requires, and there is an element of acceptance that the requirement of law is grounded upon a philosophy which should be followed".

"We are in a democratic policy where dissemination of information is the foundation of the system keeping the citizen informed is an obligation of the government it is equally the responsibility of the society to adequately. Educate every component of it so that the social level is kept up. We therefore accept in principle the prayers made by the petitioner.

The writ petition was disposed of by making the following

Directions –

(I) "Respondents 1, 2 and 3 shall issue appropriate directions to the state government and union territories to invariably enforce as a condition of license of all cinema halls, touring cinemas and video parlours to exhibit free of cost at least two slides message on environment in which show undertaken by them the ministry of environment should within two month from now come out with appropriate slide material".

(II) The ministry of information and broadcasting of the government of India should without delay start producing of information films of short duration as is being done now on various aspects of environment pollution bringing out benefits far society on the environment being protected and the hazards involved in the environment being polluted.

(III) "We do not want to project an impression that we are authorities of the Doordarshan and all India radio to take proper steps to make information programmers and broadcast the same on the radio and exhibit the same on the television.

Enviornmental Legislation - There are over two hundred central and state enactments dealing with the environmental protection some or other ways but in most of the enactments the environmental concern is incidental to the principal object of law.

Example – The India fisheries Act 1897 does not permit the distraction of fish by use of explosives or poisons until the 1970 there was no enactment exclusive dealing the environment protection but the Bhopal tragedy in December 1984 caused a havoc which propelled the parliament to legislate law, an umbrella environment (protection) Act 1986 notably, in the early 1980s country wide forest conservation and air pollution laws were passed there after 1990s witnessed fresh legislation in the field of environment protection.

In the forgoing chapters the environment (protection) Act 1986 the wild life(protection) Act 1972 the wild life conservation strategy, 2002, the India forest Act 1927, the forest (conservation) Act 1980, the water(prevention and control of pollution) Act 1974 and the provisions relating to the environment protection under the constitution of India 1950, code of criminal procedure, 1979 and the penal code, 1860 have been appropriately discussed however there are some other environmental legislation an over view of them in digest forms are as under.

(1) The pubic liability insurance Act, 1991.
(2) The mines and minerals (Regulation and Development) Act, 1957.
(3) The insecticides Act, 1968.
(4) The Atomic energy Act, 1962.
(5) The Factories Act, 1948.

Conclusion Remarks – The expression environment connotes surrounding the environment condition air, water and sunlight environment effects all the living creatures including the plant and trees a number of necessities of

life are fulfilled rather derived from the environment it can be said that the environment is the life support system.

Section 2 (a) environment includes water, air and land and the inter relationship which exists among and between water, air, and land and human beings other leaving creatures, plants, micro-organism and property "section 2 (a) the dictionary meaning of the word "Environment is two-fold.

(a) External condition or surroundings especially those in which people Live or work.

(b) In ecological sense it means the external surroundings in which a plant or animal lives. We direct that thesecretary ministry of environment and forest government of India the secretary ministry of Home affairs and the secretary, ministry of Human resource development convey of the court.

References :–

1. Dr. N. MAHESWARA SWAMY, IInd edition ASIA law house (2004).
2. Dr. J.J. R. Upadhyaya, FOURTH EDITION, CENTRAL LAW AGENCY (2015).
3. Dr. S.C. Tripathi, sixth EDITION, CENTRAL LAW PUBLICATION (2017).
4. Prof. Satish C. Shastri, Third edition, Eastern Book Company (2018).
5. Dr. S.R. Mynene, New edition, ASIA LAW HOUSE (2008).
6. Dr. IQBAL ALI KHANS, Ist edition CENTRAL LAW AGENCY (2000).
7. Dr. Madabushi Sridhar, Ist edition, ASIA LAW HOUSE (2009).
8. DR. PREMNATH, ALLAHABAD LAW AGENCY Ist edition (2013).

****

Photocatalytic Removal of phenothiazine Dye using Titanium dioxide

David Swami*

Abstract - The photocatalytic degradation of organic dyes on semiconductor surfaces has been proved to be a better process for waste water treatment. Titanium dioxide shows unique photocatalytic activity for the degradation of several organic contaminants. The degradation of the dyes was carried out using visible irradiation. The degradation kinetics was studied under different conditions such as substrate and photocatalyst concentration, reaction pH, temperature and light intensity. The photocatalyst TiO_2 was found to be more efficient for the degradation of phenothiazine dye. The results indicate that photo degradation reaction was enhanced in alkaline medium. The degradation of dye was also investigated under sunlight. The photocatalytic degradation rate depends on dye structure, dye concentration, TiO_2 concentration and pH of the medium. The proposed technology has found to be quite effective using artificial light.
Keywords - semiconductor, degradation, photocatalyst, phenothiazine dye, solar light.

Introduction - The photocatalytic degradation of dye pollutants on semiconductor surfaces has been proved to be a better process for waste water treatment. The aim of the present work is to investigate the performance of TiO_2 for the degradation of phenothiazine dye. Phenathiazine dye represent the important class of commercial dyes and are mainly used for dying cotton, silk, polyamide and leather. Dyes are extensively used in textile industry and wastewater discharged in rivers is highly contaminated.This technique can be utilized for the removal and degradation of dyes. In the present work the photocatalytic degradation in aqueous solution of the phenothiazine dye was investigated. This process allows the complete mineralization of organic pollutants to CO_2, H_2O and mineral acids. A study of the effect of dye concentration, amount of TiO_2 solution pH, effect of sunlight and temperature were studied(1).

Experimental - Azure B was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution ($3.8x10^{-5}$ mol dm^{-3}) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double- walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30 ± 0.3^{0c} . Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss.

During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3 ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove Tio_2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Results and Discussion :-

Effect of initial dye concentration variation - The influence of initial concentration of the dye solution on the photocatalytic degradation was an important aspect. An initial concentration of Azure B was varied in the range of 1.0×10^{-5} mol dm^{-3} to 7.0×10^{-5} mol dm^{-3}. It has observed from the graph that the increase in dye concentration from 1.0×10^{-5} mol dm^{-3} to 3.0×10^{-5} mol dm^{-3}, the rate constant was found to be increased from 2.07×10^{-4} s^{-1} to 4.1×10^{-4} s^{-1}. Thereafter, rate constant decreased to 2.45×10^{-4} s^{-1} with increase in the dye concentration up to 7.0×10^{-4} s^{-1}. An explanation to this behavior is that as initial concentration of the dye increased, more and more organic molecules were adsorbed on the surface of TiO_2 therefore, the generation of hydroxyl radicals would be reduced since there were only a fewer active sites for adsorption of hydroxyl ions and the generation of hydroxyl radicals (2). Further, as the concentration of a dye solution increased, the photons got intercepted before they could reach the

*Department of Chemistry, S.B.N.Govt. P.G.College, Barwani (M.P.) INDIA

catalyst surface; hence the absorption of photons by the catalyst decreased and consequently the degradation rate was reduced [3].

Table 1: Effect of initial dye concentration variation: TiO_2 = 200 mg/100 mL pH = 9.0 , Light intensity = 25 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

[AB] × 10^5 mol^{-1} dm^3	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
1.0	2.07	3.34
2.0	2.95	*2.34*
3.0	4.10	1.69
4.0	3.83	1.80
5.0	3.33	2.08
6.0	2.76	2.51
7.0	2.45	2.82

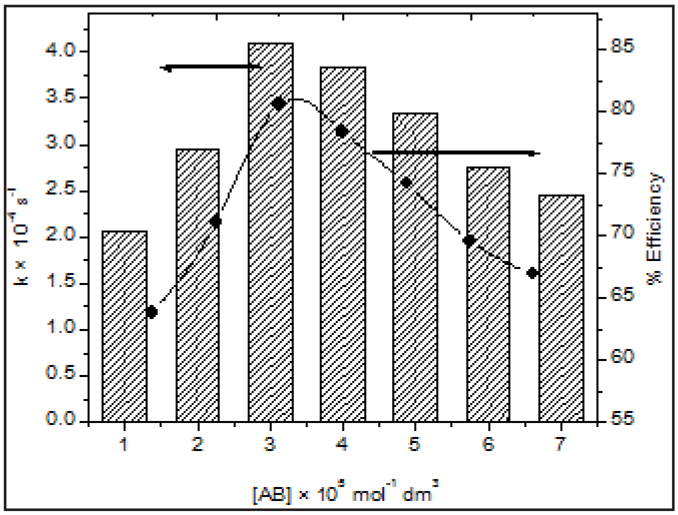

Fig.1: Effect of initial dye concentration variation

Effect of amount of catalyst variation - The amount of TiO_2 should affect the rate of photocatalytic degradation of dye and hence, different amounts of photocatalyst were used. The results are reported in Table 2 and graphically represented in Fig.2 The rate of degradation of the Azure B dye increased from 2.49 × 10^{-4} s^{-1} to 3.45 × 10^{-4} s^{-1} with increase in photocatalyst concentration from 50 mg/ 100 mL to 200 mg/ 100 mL. Further increase in catalyst concentration from 250 mg/100 mL to 350 mg/ 100 mL resulted in decrease in rate constant of photocatalyst concentration. Rate constant has been maximal at 250 mg/ 100 mL of TiO_2 concentration. This might be attributed to the fact that as the amount of TiO_2 was increased, the exposed surface area also increased thus accelerating the process but after a certain limit, if the amount of semiconductor was further increased, then there would be no increase in the exposed surface area of the photocatalyst [4]. Thus the number of active sites on the catalyst surface was decreased. Higher loading of TiO_2 also caused light scattering and reduction in penetration of light in photoactive volume. All these factors caused decrease in the decolorization rate [5].

Table 2: Effect of amount of catalyst variation: [AB] = 3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3} pH = 9.0, Light intensity = 25 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

TiO_2 mg/100mL	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
50	2.49	2.78
100	2.55	2.71
150	2.75	2.52
200	3.45	2.00
250	3.14	2.20
300	2.85	2.43
350	2.18	3.17

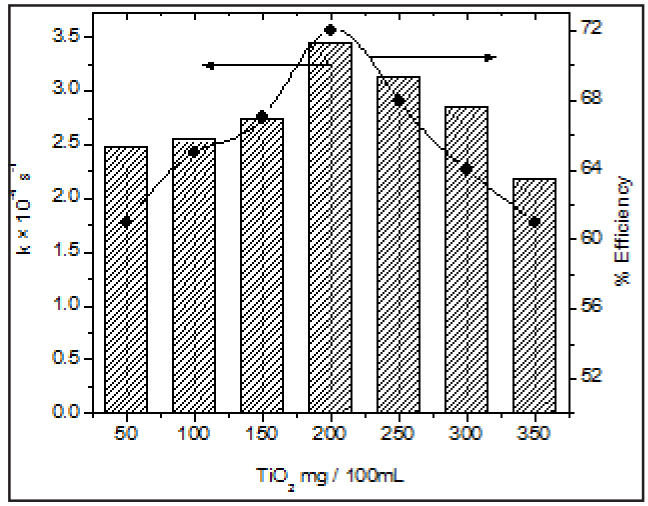

Fig.2: Effect of amount of catalyst variation

Effect of solution pH - The pH value is an important parameter in the photocatalytic degradation, because the species of the reaction compounds and its adsorption equilibrium on the TiO_2 depend on the pH value of reaction solution [6]. The surface charge of TiO_2 is also affected by the pH of the solution. This is because TiO_2 is amphoteric in nature. When TiO_2 is in contact with water, its surface becomes hydroxylated. The point of zero charge (pzc) of TiO_2 is 6.8. Upon changing the pH, the surface hydroxyl group could undergo protonation and deprotonation. TiO_2 surface will remain positively charged in acidic medium and negatively charged in alkaline medium. Since Azure B dye is cationic dye, in the acidic pH there was a poor adsorption. Therefore decrease in pH causes decrease in degradation rate. High pH favors adsorption on the catalyst surface which results in high decolorization efficiency because at higher pH electrostatic interactions between the negative TiO_2 surface and cationic dye led to strong absorption and enhancing degradation rate. pH experiment were conducted at different initial pH values varying from 5 to 11 and results are shown in Fig.3.The degradation efficiency increased from 2.52 × 10^{-4} s^{-1} to 4.10 × 10^{-4} s^{-1} with increase in pH from 5.0 to 9.0 on further increasing the pH value, the rate constant decreased up to 2.34 × 10^{-4} s^{-1} on increasing the pH value up to 11.0.

$$TiOH + H^+ \rightleftharpoons TiOH_2^+ \quad (1)$$

$$TiOH + OH^- \rightleftharpoons TiO^- + H_2O \quad (2)$$

Table 3. Effect of solution pH: [AB] = 3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 = 200 mg/ 100 mL, Light intensity = 25 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

pH	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
5.00	2.25	3.08
6.00	2.55	*2.71*
7.00	3.20	2.16
8.00	3.50	1.98
9.00	4.10	1.69
10.10	3.20	2.16
11.00	2.34	2.96

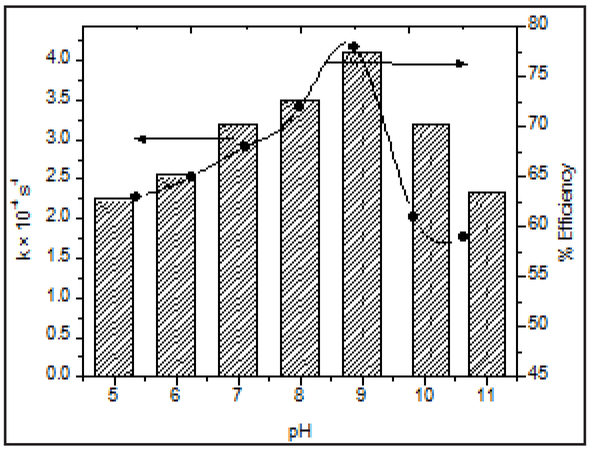

Fig.3. Effect of solution pH

Effect of temperature - Numerous studies have been stated that the decrease in temperature of photocatalytic reactions favors adsorption, which is a spontaneous exothermic phenomenon [7]. The photocatalytic systems have been studied due to their ability to photosensitize the complete mineralization of a wide range of dyes at ambient temperature and pressures. Photocatalytic systems do not play a significant role in photochemical processes due to photonic activation. So it does not require heat and it operate at room temperature [8, 9]. The influence of temperature has been studied in the range from 30 ºC to 55 ºC. The results are shown in Table 4 and Fig.4 Increase in temperature led to decrease the rate of degradation. This gradual decrease in the reaction rate values could be attributed to the following reasons: the adsorption rate decreased with increasing temperature because the adsorption is a heat releasing process, increase in reaction temperature tend to increase electron-hole recombination and with increase in temperature the solubility of oxygen in water decreased [10].

Table 4. Effect of temperature: [AB] = 3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 9.0
TiO_2 = 200 mg /100 mL, pH = 9.0, Light intensity = 25 × 10^3 lux.

Temperature (ºC)	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
30	2.96	2.34
35	2.91	*2.38*
40	2.87	2.41
45	2.81	2.46
50	2.73	2.53
55	2.45	2.82

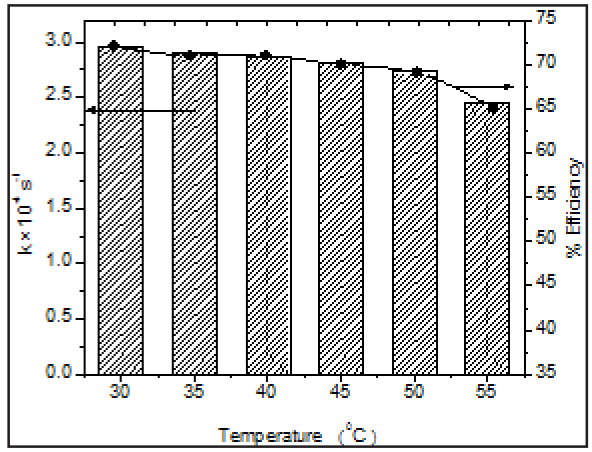

Fig.4: Effect of temperature

Effect of light intensity and irradiation time - The photonic nature of the photocatalysis reaction illustrated the dependency of the overall photocatalytic rate on the light source used. Light intensity is one of a few parameters that affect the degree of photocatalytic reaction on organic compounds. The influence of light intensity on the degradation efficiency has been examined at constants dye concentration (3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}) and catalyst loading (200 mg/100 mL). It is evident that the degradation increased with increasing light intensity and irradiation time. Since the catalyst powder is suspended in a stirred solution, the light intensity will affect the degree of absorption of light by catalyst surface. The photocatalytic degradation of the dyes occur on the surface of catalyst where $^{\bullet}OH$ and $O_2^{>\bullet}$ radicals are available for photocatalytic degradation. The formation of $^{\bullet}OH$ and $O_2^{>\bullet}$ increases with increased in irradiation time and hence the dye was completely degraded in the course of time [11].

Table 5 Effect of light intensity: [AB] = 3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 = 200 mg/ 100 mL, pH = 9.0, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

Light intensity × 10^3 lux	k × 10^{-4} s^{-1}	$t_{1/2}$ × 10^3 s
10 × 10^3	2.68	2.58
15 × 10^3	3.00	*2.31*
20 × 10^3	4.10	1.69
25 × 10^3	4.87	1.42
30 × 10^3	5.75	1.20
35 × 10^3	6.48	1.06

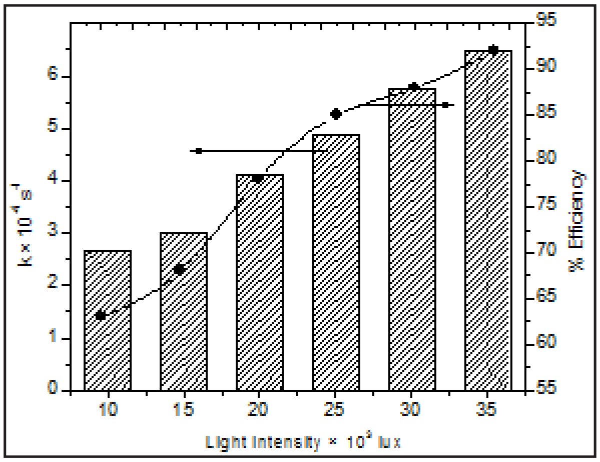

Fig.5 Effect of light intensity

Conclusion - Photo assisted mineralization of Azure B can be effectively carried out utilizing TiO_2 with visible light. Amount of catalyst, solution pH have been found to be vital parameter. The dye concentration, catalyst loading, pH of the medium and light intensity play important role in the degradation efficiency. pH 9.0 was found to be the optimal pH under the given experimental conditions.

Acknowlegement - Authors acknowledgment the support and Laboratory facilities provides by Chemistry Department Govt. S.B.N. P.G. College, Barwani M.P. (India)

References :-

1. Chatterjee D.J.Mol. CATAL A Chem. 2000 154, 1-3.
2. Sayilkan F. Asilturk M., Tatar P., Kiraz N., Sener S., ARPAC E. and Sayilkan H., Mater. Res. Bull., 43 (2008) 127.
3. Poulios I., Avranas A., Rekliti E., and Zouboulis A., J. Chem. Technol Biotechnol. 75 (2000) 205.
4. Ameta P., Paliwal M. and Malkani R.K., Bulletin of the Catal. Soc. of INDIA, 6 (2007) 130.
5. Tanka K., Padarmpole K. and Hisanga T., Wat. Res., 34(2000)327.
6. Kim D.H. and Anderson M.A., J. Photochem. Photobiol., A: Chem., 94(1996) 221.
7. Turchi C.S., Mehos M.S. and LINK H.F., NREL Technical Paper, (1992) 432.
8. Kansal S.K., Singh M., and Sud D., Indian Inst. Chem. Eng., 49 (2007) 11.
9. Murugesan V. and Sakthivel S., Indian J., Chem. Tech., 6 (1999) 161.
10. Jiang Y., Sun Y., Liu H., Zhu F. and Yin H. Dyes and Pigments, 78 (2008) 77.
11. Shinaraju H.P., Int.J., Environ. Sci., 1 (2011)5.

****

Bhabani Bhattacharya's Aesthetics of Fiction

Dr. Neha Gupta *

Abstract - Bhabani Bhattacharya is a distinguished novelist, a theorist and also a critic of society. He is a stern realist; he is against the romantic or imaginative treatment of life. His novels Constitute a social document of great human value, as they deal with the contemporary are based on his personal experiences of life. He believed that art is not necessarily for art's sake and it must be for life's sake. Bhattacharya seldom writes with a well-conceived plan. His characters and situations act and react on each other and bring about a change in narrative. He had no high ideals to make his characters hero- he wanted to portray them with all their virtues and vices without compromising with reality, and he succeeded in it.

Keywords - Realist, exponent, fictional, aesthetics, reconciliation, preach, antagonist, contemporary, portray.

Introduction - Bhabani Bhattacharya is a distinguished novelist, a theorist and a great critic of society. He has discussed the craft of the novel most compressively. He has given serious consideration to the basic nature of art, literature and fiction. However, unlike E.M Forster and Henry James he has not discussed his aesthetics of fiction in a systematic form. His theory of the novel can be gathered with the help of articles, letters and interviews etc. In this connection, his article entitled 'Literature and Social Reality' published in the Aryan path- September 1955 and the interview 'An evening with Bhabani Bhattacharya' published in the Sunday Standard, April 27, 1969 are specifically significant. Bhabani Bhattacharya's aesthetics can be studied keeping in mind the object of the novelist, the theme of the novel, its characterization and narrative technique. There is nothing strikingly original in his aesthetics- it is synthesis of the old and the new approaches to the novel. In this paper an attempt will be made to examine Bhabani Bhattacharya's concept of the novel.

Bhattacharya's Social Reality - Bhabani Bhattacharya's is a stern novelist, his object in his novels is to present 'Social reality'. It is difficult for a writer to create a work of art from the remote past because he might fail in projecting the reality of the age and 'reality is the soul of art'. The difficulty of the novelist is how to correlate the reality of the remote with the spirit of the modern time. The cultural patterns of the past look funny and out of place in the new age. However, he can succeed in his craft if he is able to achieve the fusion of the reality of the old time with the reality of his own age. Bhattacharya says, "A work of art whether romantic or classical, old or new, must invariably project and convey truth of emotion which is the ultimate realism". It is this kind of truth which is universal in appearance,otherwise much of what is true ethically and socially for the people of a particular age, may not impress the people of other periods and countries and may only serve as material for entertainment.

Though pointedly expressed, Bhattacharya's contention is not altogether new. In fact, he is simply highlighting the new trend of the novel. The development of a realistic fiction in India started in the beginning of the 19th century. Prem Chand, Saratchandra Chatterjee and Rabindranath Tagore were the great exponents of realism in Hindi and Bengali fiction. Inspired by these great masters, Bhattacharya too, like Mulk raj Annand and R.K Narayan, depicts life realistically in his novels. This however, does not mean that Bhattacharya is against the romantic or imaginative treatment of life. He differs with those who think that modern literature is all realism. He maintains that the change has been not so much in the subject matter as in the ways and methods of its presentation.

The Novelist's Role - No writer can remain unaffected by the momentous happenings that take place around him. He cannot remain in different to the sufferings of the people. His role as a creative artist is to be sensitive to the human predicament and the social issues through his writings. Bhattacharya superbly achieves this role of the writer. Poverty, starvation, homelessness, social taboos, ignorance- all these are depicted in his novels as they are experienced by the victims. Bhattacharya has dealt with the epoch-making events preceding and following the attainment of independence. His novels constitute a social document of great human value, as they deal with the contemporary social problems in modern India. Bhabani Bhattacharya could never have become a novelist if the ghastly scenes and inhuman exploitation of landlords, hoarders and black- marketers during the Bengal famine of 1943, had not moved him to creative writing. Bhattacharya recalls how he become a novelist:

"When I was a student in London in the 'thirties, I started

*Head & Asst. Prof. (English) Sant Hirdaram Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA

writing a novel. Half way through, I thought it was no good and I was not destined to be a creative writer. I tore up the manuscript. However, I wrote some short sketches for The Spectator. I translated Tagore. Back in India, I found other preoccupations. Easily in the 'forties', I tried to do a novel again. When half-written, it found its way into a heap of unwanted papers. Then the great famine swept down upon Bengal. The emotional strings I felt were a sheer compulsion to creativity. The result was the novel, 'So Many Hungers'. This assertion of Bhattacharya agrees well with his fictional theory which - :"unless a novelist has keen observation and a strong creative –urge, he cannot write a social novel".

Expression of Social Consciences - Bhabani Bhattacharya is a committed writer with a social vision. All his novels are an expression of social conceivers. All writing for him has a social purpose. According to him the novel must place before the readers something from theSociety's point of view. He firmly believes that a novelist is expected to express what is true to life. In an interview with Sudhakar Joshi, Bhattacharya observed:

"You see, Mr. Joshi, unless a writer has keen observation and an eye for nothing the details of general behaviour of folks, he cannot write a social novel. I have developed this habit and I have not missed a single opportunity of observing incidents, happenings, where I can gain something for the writer in me. Most of my characters have shaped themselves from the real earth".

All the novels of Bhabani Bhattacharya deal with the contemporary in India's social life. 'So Many Hungers' and 'He Who Rides A Tiger' are inspired by the famine of Bengal and the Quit India moment in 1942-43 'Music for Mohini'is partly concerned with the reconciliation of old and new novels in Indian life. 'A Goodness Named Gold' is fully concerned with the true meaning of liberty. 'A Shadow from Ladakh' deals with the problems arising from the Chinese aggression of 1962. 'A dream in Hawaii', of course, is a deviation, as it depicts the seemingly antagonistic values between the eastern and western materialism.

Bhattacharya's choice of themes is fully in keeping with his concept of 'social reality'. All his novels are directly related to his concept of the novel. He believes that the novelist can find plenty of material in the happenings of the day. He does not subscribe to the view that a novelist should not use "contemporary reality" because he is too close to it to be able to treat it objectively.

Concern for life - In an interview with Sudhakar Joshi, Bhabani Bhattacharya opines about his theory and practice of novel: "I hold that a novel must be 'a criticism of life'. It must deal with the social realities of contemporary society. Art is not necessarily for art's sake. Purposeless art and literature which is much in vogue does not appear to me a sound judgement." The artist is deeply concerned with human life and it is especially true of the novelist and the dramatist. Bhabani Bhattacharya's faith in the officially of the creative art with a purpose is so firm that he records faithfully all the changes taking place in the Indian society from 1940 onwards to the late 70's in his novels. Seen in the perspective of the great events of Indian history, his novels constitute a social document of great value.

Uploading the concept of 'Art for life sake' Bhabani Bhattacharya rejected the theory of 'art for art's sake' and call it as abused as 'science for the sake of science'. In Bhattacharya's opinion, it is wrong to think that the novelist can adhere to the theory of 'Art for Art's sake', if he deals only with personal relationships and love, believing that love has hardly anything to do with 'social reality'. The fact is that even in dealing with love, he cannot escape 'reality' because 'love' cannot exist in a vacuum and is bound to be conditioned by social forces. Bhattacharya opines that a novelist can escape reality by escaping into a dream-world. But living in an ivory tower, he will only create "the images that move in the wishful mirror of fantasy" and not literature of universal value. Such a novelist feels proud that he is free from partisanship or propaganda. Such a novelist, according to Bhabani Bhattacharya, cannot create great art, because art cannot remain separated from the truth of life.

Further, Bhattacharya points out that a great writer is a stern realist who is dedicated to ideals. He is of his time and therefore, condemned as 'a propagandist'. He exposes and denounces injustice or oppression and demands basic human rights for mankind and thus creates public awareness. He does only to make life better. Such a creative artist must treat the social problems fearlessly without caring to be called a 'propagandist'. "Art must preach", says Bhattacharya," But unobtrusively by the mind interpretation of life." His preaching's should closely relate to the basic truth of life. He must treat the social issues in an artistic manner.

Narrative technique - Regarding the technique to be employed in a novel, Bhattacharya has said nothing strikingly new. During an interview with sudhakar joshi, Bhattacharya remarked: "a writer chooses a style that suits his theme and genius most. Personally I have always felt like writing in a way I write now. I cannot give my opinion on Narayan and Malgaonkar, since it is for them to decide what way they should write".

Bhattacharya adds that the novelist should use the stream of consciousness technique judiciously. He does not believe in employing new and unusual techniques, and unconscious spheres of his characters consciousness. He opines that the modern novelist does not feel much affected towards the stream of consciousness technique which should be used in a balanced manner in order to impart the novel a clear meaning and form.

Bhattacharya maintains that a novelist should focus his camera on the subconscious only if the exigencies of the plot demand it, it is justified if used in a judicious manner. As a story teller, he seeks in his art of synthesis of manner and modernity.

Characterisation - Bhattacharya believes that characters, instead of being the spokesmen of the novelist, should be

from real life and must have a flesh-and-blood existence. The novelist's skill lies in making them human beings. By making them mere instruments of his intentions, an artist could drain them of their vital sap. They must grow, mature change and behave exactly as human beings do. Thus Bhattacharya's characters many times "moved by their volition "and defeated his purpose. He usually starts with abroad idea of his characters who often change completely in the process of his writing.

It in the novelist who has to create characters outside his experience, he can take the help of imagination. For example, Bhattacharya's knowledge of village life was not adequate, but he depicted the rural people with intuition and insight. He had no high ideals to make his characters heroic; he wanted to portray them with all their virtues and vices without compromising with reality, and he succeeded in it.

Conclusion - Bhabani Bhattacharya's aesthetics of fiction reflects his 'socialrealism'. It includes all that he enshrined in the traditional and modern approaches to life. There is hardly anything original about it. The artists creative urge, his missionary spirit, his affirmative vision, his attitude of synthesis and reconciliation of the old and the new, his facial expression- these combined together may be termed as Bhabani Bhattacharya' fictional aesthetics. All his novels illustrate his concept of the novel as an expression of social reality. They deal with the contemporary problems faced by Indian society. "So Many Hungers." And "He who Rides A Tiger" are inspired by the harrowing experiences of the Bengal famine and Quit India Movement, " Music for Mohini" seeks the reconciliation of the ancient and modern values in Indian life; freedom; "Shadow From Ladakh" champions the cause of industrialization and " A Dream in Hawaii" reflects the materialistic attitude of American society. Bhattacharya's choice of themes in all these novels is the outcome of his fictional aesthetics.

References :-

1. Bhattacharya Bhabani, "Literature and social reality" the Aryan path, vol. xxvl, ix (dep.1955)
2. Sudhakar Joshi, "An interview with Bhabani Bhattacharya", the Sunday Standard (April 27, 1969) p.VII
3. Personal letter to Dorothy B.Shiner dated Oct 15, 1974: Bhabani Bhattacharya: TWAYNE publishers, Boston (USA)
4. R.K Srivastava: "Bhabani Bhattacharya at work: An interview: perspective on Bhabani Bhattacharya"; Vimal Prakashan, Ghaziabad, p-235
5. Contemporary novelist in English language, New York: St. Martin's press, 1972.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Effect of *Pterocarpus marsupium* (Vijayasaar) on Residual Beta Cell Function in Recent Onset Type1 Diabetes

Dr. Bharti Taldar* Dr. Rohitashv Choudhary Dr. Ritvik Agrawal*** Dr. R.P. Agrawal******

Abstract

Background : Diabetes mellitus is characterized by abnormally high levels of sugar (glucose) in the blood. When the amount of glucose in the blood increases, it triggers the release of the hormone insulin from the pancreas. Diabetes is a chronic health condition where the body is unable to produce insulin and breakdown sugar (glucose) in the blood.

Aim : The aim of the study was to evaluate efficacy of *Pterocarpus marsupium* (pterocarpus marsupium) on glycemic control, lipid profile and diabetic quality of life in type-1 diabetic patients.

Material & Methods : This was a randomized control study. After stabilization period of one month 200 patients were screened randomly from D.C.R.C. S. P. Medical College, Bikaner. These patients were randomly divided into three age groups, young group (age $\leq$18year), adult group (age 19-40year) and old group (age >40years). Four sets were studied in each group (T0–Normal; T1-half dose; T2-full dose; and T3–1½ dose of Pterocarpus marsupium powder).

Results : In T1 group, mean HbA_1C at 0 month was 8.46±0.73 mg% while at 3 month mean HbA_1C was 8.85±1.00 ($p<0.05$). In T2 group, it was at 0 and 3 months were 7.67±0.90 and 8.25±1.19 mg% respectively ($p<0.05$). In T3 group, mean HbA_1C at 0 & 3 month were 7.38±1.04mg% and 8.02±1.19mg% ($p<0.01$). In T0 group mean HbA_1C was lower at 3 month in comparison to 0 month at 0 & 3 month were 11.03±9.59 and 9.59±1.30 ($p<0.001$).

Conclusion : The mean glycosylated hapemoglobin (HbA_1C) was decreased when *Pterocarpus marsupium* was added to supplements. In conclusion that Type 1 diabetics always require insulin therapy to replace their lost of insulin for life although the supplements (*Pterocarpus marsupium* Vijaysaar). Regular consumption of this powder blood sugar level has normal approximately.

Introduction - Diabetes mellitus is characterized by abnormally high levels of sugar (glucose) in the blood. When the amount of glucose in the blood increases, it triggers the release of the hormone insulin from the pancreas. Diabetes is a chronic health condition where the body is unable to produce insulin and breakdown sugar (glucose) in the blood.

In people with diabetes, blood sugar levels remain high. This may be because insulin is not being produced at all or not made at sufficient levels or is not as effective as it should be. The most common forms of diabetes are type-1 diabetes (5%), which is an autoimmune disorder and type-2 diabetes (95%), which is associated with obesity. Gestational diabetes, a form of diabetes that occurs in pregnancy and other forms of diabetes are very rare and are caused by a single gene mutation.

Type 1 diabetes develops predominantly in children and young adults but it may be present in all age groups. Once considered to be a single disease entity, it is now seen as a heterogeneous group of diseases characterized by a state of chronic hyperglycemia, resulting from a diversity of etiologies and interaction of environmental factors with an inherited predisposition of the diseases. Possible environmental triggers include various viruses[1,2] like coxsackie and neonatal.

The exact cause of type 1 diabetes is unknown. Most likely it is an autoimmune disorder. An infection or some other trigger causes the body to mistakenly attack the cells in the pancreas that make insulin. This kind of disorder can be passed down through families.

SYMPTOMS -

These symptoms may be the first signs of type 1 diabetes, or may occur when the blood sugar is high:

1. Being very thirsty
2. Feeling hungry
3. Feeling tired or fatigued
4. Having blurry eyesight
5. Losing the feeling or feeling tingling in feet
6. Losing weight without trying
7. Urinating more often

*Ph.D. Department of Botany, Government Dungar College, Bikaner (Raj.) INDIA
** Ph.D. Department of Botany, Government Dungar College, Bikaner (Raj.) INDIA
***Senior Resident, Department of Medicine, S.P. Medical College, Bikaner (Raj.) INDIA
**** Senior Professor, In-Charge DCRC, Department of Medicine, S.P. Medical College, Bikaner (Raj.) INDIA

a. For other people, these warning symptoms may be the first signs of type 1 diabetes, or they may happen when the blood sugar is very high.
8. Deep, rapid breathing
9. Dry skin and mouth
10. Flushed face
11. Fruity breath odour
12. Nausea or vomiting, inability to keep down fluids
13. Stomach pain

The Expert Committee recognizes an intermediate group of subjects whose glucose levels, although not meeting the criteria for diabetes, are nevertheless too high to be considered altogether normal. Thus the categories of FPG and 2 hPG values are as follows :-

Category	FPG	2 hPG
Normal	< 100mg/dl (6.1 mmol/l)	<140 mg/dl (7.8 mmol/L)
Impaired fasting Glucose	$\geq$ 100 mg/dl and < 126 mg/dl (6.1 mmol/l, 7 mmol/l)	$\geq$140mg/dl and <200 mg/dl (7.8 mmol/l, 11.1 mmol/l)
Diabetes Mellitus	$\geq$ 126 mg/dl (7.0 mmol/l)	$\geq$200mg/dl (11.1 mmol/l)

Material And Methods - This study was conducted in S.P. Medical College Bikaner. Patients were selected from the diabetic clinic held in the Diabetes Care and Research Centre P.B.M. Hospital Bikaner.

Type Of Study - Randomized case control study

Selection Criteria

1. Diagnosis of the disease according to American Diabetes Association revised criteria with age.
2. Patient were in insulin therapy
3. No medical contraindications (including pregnancy) or any other major chronic disease.
4. Willingness and capability to participate in regular follow up.

Guidelines For Insulin Dose - All the patients were on the same treatment protocol as in IMDIAB trials (Pozzilli et al. 2000). Based on the following rules: if fasting blood glucose values were below 6.5mmol/L (117mg/dl), the insulin dose was decreased by 10%; if blood glucose concentrations were consistently below4.5mmol/l (81mg/dl) for more than 3 days the insulin dose was decreased by 20%. Patients with blood glucose above 10mmol/L (180mg/dl) received a 10% increase in insulin dose or had their insulin regimen modified.

Design of study : Selection of patients - After stabilization period of one month 200 patients were screened randomly from D.C.R.C. S. P. Medical College, Bikaner. These patients were randomly divided into three age groups, young group (age up to 18year), adult group (age 19-40year) and old group (age more than 40 years)

Four sets were studied in each group as follows –

I. With normal diet and medicine. (T0 group).
II. With additional half dose of *Pterocarpus marsupium* powder (T1group).
III. With additional full dose of *Pterocarpus marsupium* powder (T2group).
IV. With additional one and half dose of *Pterocarpus marsupium* powder (T3group).

T1 group which included $\leq$18 years subjects, we gave 2 gm i.e. half dose of *Pterocarpus marsupium*, T2 group which included 19-40 years subjects, 4 gm i.e. full dose of *Pterocarpus marsupium*, T3 group which included >40 years subjects, 6 gm i.e. one and half dose of *Pterocarpus marsupium* and T0 group we did not gave any dose of *Pterocarpus marsupium* but we calculated and checked all parameters biochemical and anthropometric regularly.

Before started *Pterocarpus marsupium* powder patients were instructed about the procedure. Baseline parameters were taken of every patient i.e. Waist hip ratio, Body mass index, Fasting Blood Sugar, lipid profile, blood pressure, glycosylated haemoglobin and c -peptide. Weekly patient were evaluated for body mass index, waist hip ratio, Fasting Blood Sugar and blood pressure. After three months besides above tests glycosylated haemoglobin, c-peptide and lipid profile were also estimated in all four groups.

Glycaemic Control

Fasting Blood Sugar(FBS) - The quantitative estimation of the fasting blood sugar was done by glucose oxidase method, using biochemical analyzer at Diabetes Care and Research Centre.

Glycosylated haemoglobin (HbA_1C) - Glycosylated haemoglobin (HbA_1C) provides fairly average blood glucose level over a preceding three months. It does not fall rapidly with fall in blood glucose concentration through it showed fairly rapid rise in poor diabetic control. It is unaffected by the diet, insulin on the day of testing glycosylated haemoglobin in now recognized as an important measure of the level of the glycemic control achieved and a reliable indicator of efficacy of the therapy .In our study glycosylated haemoglobin was measured by "ion exchange resin method" with HbA_1C kit.

Serum Lipid Profile

Estimation of serum triglyceride (TG) - The quantitative estimation of serum triglyceride was done by calorimetrically using biochemical analyzer at Diabetes Care and Research Centre.

Estimation of Total cholesterol (TC) - The quantitative estimation of Total serum cholesterol was done by calorimetrically using biochemical analyzer at Diabetes Care and Research Centre.

High density lipoprotein Cholesterol (HDL-C) - The quantitative estimation of HDL cholesterol was done by calorimetrically using biochemical analyzer at Diabetes Care and Research Centre.

Low density lipoprotein Cholesterol (LDL-C)

Very low density lipoprotein Cholesterol (VLDL-C)

LDL and VLDL cholesterol were calculated by using Friedwald (1972) formula:

LDL-C (mg/dl) = Total cholesterol-(HDL-C+VLDL-C)

VLDL-C(mg/dl) =Triglyceride/5

How to prepare *Pterocarpus marsupium* (Vijayasar) - We collected *Pterocarpus marsupium* bark from Patanjali Ayurved Limited. After that we washed the bark with clean water and dried in sunlight. After drying it was crushed into small pieces by electrical grinder and then finally powdered. The powder was then stored in a clean, oven dried stopper plastic container.

Patients included in the study group we were given *Pterocarpus marsupium* powder with water once a day (morning) according to dose, according to age for three months regularly.

For statistical comparison of data appropriate statistical model were applied. The subjects were selected on a random basis. Since the study was conducted at one place only. Hence geographical and climatic conditions were similar in all the cases.

Results

Table 1 (See in last page)

Table 1 shows statistical comparison of fasting blood sugar in all four groups at 0 and 3 months. In T1 group, mean FBS at 0 month was 233.19±45.67 mg% while at 3 month mean FBS was 213.94±41.90 and this difference was found statistically significant ($p<0.05$).

In T2 group, mean FBS at 0 and 3 months were 233.99±74.23 and 205.26±65.11 mg% respectively and the difference was also found statistically significant ($p<0.05$).

In T3 group, mean FBS at 0 month was 238.61±66.47 mg% and at 3 month mean FBS was 203.94±56.81mg% and this difference was also found statistically significant ($p<0.01$).

While in T0 group where we didn't gave any drug to the patient mean FBS was raised at 3 month in comparison to 0 months where mean FBS at 0 month was 199.94±35.22 and at 3 months it was 235.22±41.44 and this difference was found statistically highly significant inversely ($p<0.001$).

Fig 1 : Statistical comparison of fasting blood sugar in all four groups at 0 and 3 months

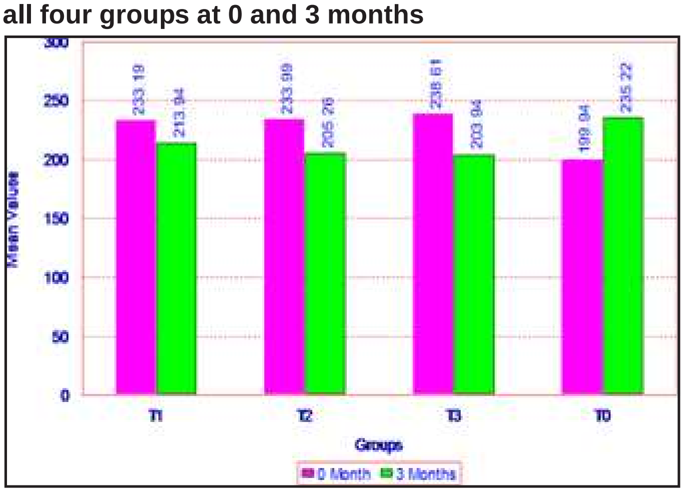

Table 2 (See in last page)

Table 2 shows statistical comparison of HbA_1C in all four groups at 0 and 3 months. In T1 group, mean HbA_1C at 0 month was 9.65±1.09 mg% while at 3 month mean HbA_1C was 8.85±1.00 and this difference was found statistically significant ($p<0.001$).

In T2 group, mean HbA_1C at 0 and 3 months were 9.41±1.35 and 8.25±1.19 mg% respectively and the difference was also found statistically significant ($p<0.001$).

In T3 group, mean HbA_1C at 0 month was 9.38±1.40 mg% and at 3 month mean HbA_1C was 8.02±1.19mg% and this difference was also found statistically significant ($p<0.001$).

While in T0 group where we didn't gave any drug to the patient mean HbA_1C was lower at 3 month in comparison to 0 month where mean HbA_1C at 0 month was 8.15±1.10 and at 3 months it was 9.59±1.30 and this difference was found statistically highly significant inversely ($p<0.001$).

Fig 2 : Statistical comparison of HbA1c in all four groups at 0 and 3 months

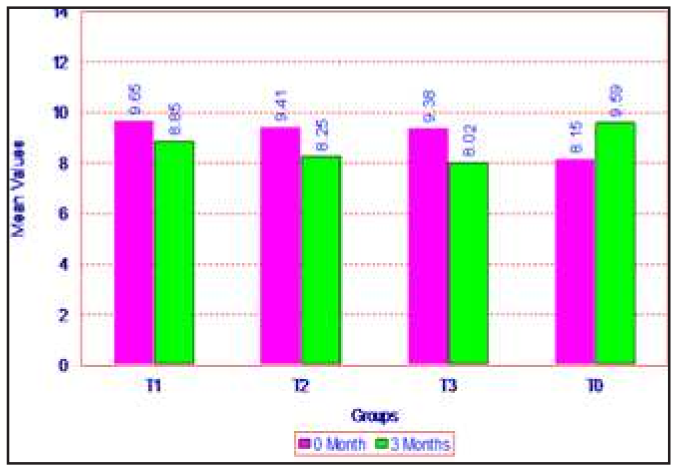

Table 3(See in last page)

Table 3 shows statistical comparison of C-Peptide in all four groups at 0 and 3 months. In T1 group, mean C-peptide at 0 month was 0.05±0.05 while at 3 month mean C-peptide was 0.09±0.12 and this difference was found statistically significant ($p<0.05$).

In T2 group, mean C-peptide at 0 and 3 months were 0.06±0.03 and 0.10±0.07 mg% respectively and the difference was also found statistically significant ($p<0.01$).

In T3 group, mean C-peptide at 0 month was 0.08±0.06mg% and at 3 month mean C-peptide was 0.17±0.12mg% and this difference was also found statistically highly significant ($p<0.001$).

While in T0 group where we didn't gave any drug to the patient mean C-peptide was lower at 3 month in comparison to 0 month where mean C-peptide at 0 month was 0.04±0.03 and at 3 months it was 0.08±0.06 and this difference was found statistically highly significant inversely ($p<0.001$).

Fig 3 : Statistical comparison of C-peptide in all four groups at 0 and 3 months

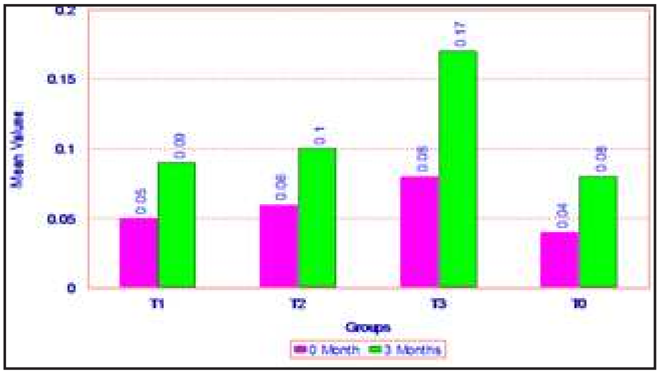

Table 4 (See in last page)

Table 4 shows statistical comparison of dose of insulin in all four groups at 0 and 3 months. In T1 group, mean dose of insulin at 0 month was 20.84±3.26 while at 3 month mean dose of insulin was 20.00±3.02 and this difference was found statistically insignificant ($p>0.05$).

In T2 group, mean dose of insulin at 0 and 3 months were 20.28±3.28 and 19.60±3.16 respectively and the difference was also found statistically insignificant ($p>0.05$).

In T3 group, mean dose of insulin at 0 month was 21.76±3.87 and at 3 month mean dose of insulin was 20.92±3.24 and this difference was also found statistically insignificant ($p>0.05$).

In T0 group mean dose of insulin at 0 month was 20.00±2.83 and at 3 months it was 19.28±2.35 and this difference was also found statistically insignificant ($p>0.05$).

Fig 4 : Statistical comparison of dose of insulin in all four groups at 0 and 3 months

Discussion - In the course of presenting the results of the study entitled **"Effect of *Pterocarpus marsupium* on residual beta cell function in recent onset type-1 diabetes"** in the preceding chapter, significant variation in the criteria used for evaluating the treatment was observed. An effort has been made in this chapter to discuss and explain the effect of *Pterocarpus marsupium* in type 1 diabetes patients i.e. fasting blood glucose, HbA_1C, C-Peptide, insulin doses, lipid profile in different group according to doses.

Diabetes is a chronic (long term) condition marked by abnormally high levels of sugar (glucose) in the blood. People with diabetes either do not produce enough insulin – a harmone that is needed to convert sugar starches and other food into energy needed for daily life or cannot use the insulin that their bodies produce. While an estimated 18.8 million have been diagnosed with diabetes (both type 1 and type 2) unfortunately, 7 million people or nearly one third are unaware that they have type 1 diabetes. The exact cause of type 1 diabetes is not known. Each year more than 13000 young people are diagnose with type 1 diabetes. This study is focused on the effect of *Pterocarpus marsupium* on the residual beta cells function in type 1 diabetic patients.

Type 1 diabetes in human results from an immune mediated process of beta cell death, presumably through apoptotic mechanism, as observed in murine models of the disease.

In this study we have assessed the effect of *Pterocarpus marsupium* (vijayasar) as an adjunctive to intensive insulin therapy on residual beta cell function in patients with recent onset type 1 diabetes. Residual beta cells functions were assessed by basal c peptide level at the initiation and during three months follow up. There was little improvement in residual beta cell function in P*terocarpus marsupium* (Vijayasar) treated patients after three months of trial and it was statistically significant.

In the present trial the addition of *Pterocarpus marsupium* (vijayasar) as an adjunctive to intensive insulin therapy showed that *Pterocarpus marsupium* (vijayasar) treated patients required less insulin and reduced glycemic control compare to non treatment group (T0).

Pterocarpus marsupium has been used for over two thousand years as a medicinal plant in various parts of the world and may be regarded as the oldest medicinal plant in human history.

These are possible mechanism of protective effect of *Pterocarpus marsupium* on beta cell functions recent onset type 1 diabetic patients. But exact mechanism is yet to know and further investigations are required on this subject.

C peptide is useful marker of beta cell function because C peptide is less susceptible than insulin to hepatic degradation and allows discrimination of exogenous and endogenous source of insulin. Hence we measure C peptide level.

Clinically accessible determinants of insulin sensitivity –such as physical activity food intake or body weight changes –were comparable in treatment group 0 (T0) and did not seem to be influenced by *Pterocarpus marsupium* treated patients.

Although patients treated with *Pterocarpus marsupium* needed less insulin to achieve better control than the T0 group, it is worth noting the basal C-peptide levels were only moderately greater. There are number of possibilities to explain these findings. One is that daily dose of *Pterocarpus marsupium* used (according to age) was not sufficient. Several experimental data have indicated that the dose of antigen is critical factor for tolerance induction

in an autoimmuned disease[3]. Another possibility is that the follow up period (three months) is very short enough for *Pterocarpus marsupium* (Vijayasar) treatment to illustrate improvement in beta cell function.

A similar trial in France, in which two doses of oral insulin (2.5mg and 7.5 mg) were used and did not show any effect[4]. We did not measure meal stimulated C-peptide and glucagons challenge test and confined to baseline C peptide concentrations because of limited monetary resources. These were measured under strict and controlled conditions of fasting blood glucose <180mg/dl at the time of sampling. If blood glucose concentration was higher, sampling for C-peptide was postponed. In the light of the results of baseline C-peptide concentrations it is doubtful that *Pterocarpus marsupium* had an effect on those of stimulated C-peptide. Thus, this antigen-based/beta cell rest therapy, seems to be ineffective (at least at the doses used in this trial) in protecting residual beta cell function in patients with recently diagnosed disease.

Similar results were reported by IMDIAB[5] that reports no effect of oral insulin on residual beta cell function in patients with recent onset type 1 diabetes.

Another possibility is that at the time of clinical diagnosis of type 1 diabetes residual beta cell mass is so small that the efficacy of this treatment cannot be detected. This might be different in pre-type 1 diabetes, in which beta cell mass is almost unaffected and the spreading of the autoimmune process to a number of other antigens, which generally amplifies the rate of beta cell destruction, is still limited. In such a case tolerance induction might still be possible with insulin.

Very limited studies have evaluated the state of the beta cells of islet of langerhans in diabetic critically ill patients who either survived or died during this acute illness[6].
Therefore we decided to evaluate beta cell function on insulin resistance by applying the Pterocarpus marsupium (vijayasar) plant during critical illness.

It is well appreciated herb not only be able to control blood sugar but also delay the onset of diabetes complications. There are lots of researches done on its effectiveness on diabetes.

Acute hyperglycemia occurs in critically ill patients and it is associated with insulin resistance. Hyperglycemia and the risk of death remain significantly higher even after adjusting for the severity of illness.

Shanmugasundaram et al[7] did a study headed “use of Gymnema sylvestre leaf extract in the control of blood glucose in insulin-dependent diabetes mellitus” also showed that Gymnema sylvestre extract of the leaves of Gymnema sylvestre was administered 400mg/day to 27 patients with insulin dependent diabetes mellitus. They concluded that IDDM patients on insulin therapy only showed no significant reduction in serum lipids and HbA_1C.

Sheela et al[7] has been shown to have significant hypoglycemic activity in Allium sativum (garlic). This effect due to increase insulin release from pancreatic beta cells and/or insulin sparing effect[8]. They concluded that decrease fasting blood glucose and triglyceride levels in serum in comparison to sucrose controls[9].

In our study we observed that fasting blood glucose is slightly significant given to our drugs and triglyceride was found statistically significant in comparison of 0 and 3 months.

Wadood et al[10] gave Acacia arabica (Babhul) in powder form to normal rabbit induced hypoglycemic effect by initiating release of insulin from pancreatic beta cells. They chosen this plant extract acts as an anti-diabetic agent by acting as secretagouge to release insulin.
In our study Pterocarpus marsupium (vijayasar) also gave the same effects as shown by Yeh et al[11] in their study.

Conclusion - In conclusion the result of this study have shown that Type 1 diabetics always require insulin therapy to replace their lost of insulin for life although the supplements (*Pterocarpus marsupium* Vijaysaar) mentioned in our study may help offset some of the complications caused by diabetes e.g. reduced blood sugar, antioxidant capacity increases and glycation as well as enhance glucose metabolism and may help reduced damaged associated with diabetes. Regular consumption of this powder blood sugar level has normal approximately Inspite of all the efforts in finding efficient therapeutic approaches for this disease, insulin keeps being the only effective treatment, as islet transplantation and beta cell generation.

Under no circumstances should people suddenly stop taking diabetic drugs especially insulin. A type 1 diabetic will never be able to stop taking insulin. However it is possible to improve glucose metabolism control and tolerance.

References :-

1. Yoon JW. Role of viruses and environmental factors in induction of diabetes. Curr Topics Microbiol Immun 1940; 164:95-123.
2. Szopa TM, Titchener PA, Portwood ND, Taylor KW. Diabetes mellitus due to viruses. Some recent developments. Diabetologia 1993; 36:687-95.
3. Weiner HL. Oral tolerance immune mechanism and treatment of autoimmune disease. Immunol Today 1997; 18:335-43.
4. Chaillous L, Carel JC, Thivolet C. Lack of effect of one year oral insulin therapy in recent onset type 1 diabetes: results of a multicentric randomized controlled trial Diabetologia 1999; 42:A62.
5. Pozzilli P, Visalli N, Cavallo MG, Singore A, Buzzetti R et al. Vitamin E and nicotinamide have similar effects in maintaining residual beta cell function in recent onset insulin-dependent diabetes (the IMDIAB IV study). Eru J Endocrinol 1997; 137(3): 234-9.
6. Das S, Mira B, Roul L, Minz NT, Pattnaik M, Baig MAA. Insulin resistance and ß cell function as prognostic indicator in multi-organ dysfunction syndrome. Metab Synd Rel Dis 2009; 7(1):47-51.

7. Sheela CG, Augusti KT. Antidiabetic effects of S-allyl cysteine sulphoxide isolated from garlic Allium sativum Linn. Indian J Exp Biol, 1992; 30:523–26.
8. Bever BO, Zahnd GR. Plants with oral hypoglycemic action. Quart J Crude Drug Res, 1979; 17:139–46.
9. Zacharias NT, Sebastian KL, Philip B, Augusti KT. Hypoglycemic and hypolipidaemic effects of garlic in sucrose fed rabbits. Ind J Physiol Pharmacol, 1980; 24:151–4.
10. Wadood A, Wadood N, Shah SA. Effects of Acacia arabica and Caralluma edulis on blood glucose levels on normal and alloxan diabetic rabbits. J Pakistan Med Assoc, 1989; 39:208–12.
11. Yeh GY, Eisenberg DM, Kaptchur TJ, Phillips RS. Systematic review of herbs and dietary supplements for glycemic control in diabetes. Diabetes Care 2003; 26(4):1277-94.

Table 1 - Statistical comparison of fasting blood sugar in all four groups at 0 and 3 months

Parameters	T1		T2		T3		T0	
	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth
Mean	233.19	213.94	233.99	205.26	238.61	203.94	199.94	235.22
SD	45.67	41.90	74.23	65.11	66.47	56.81	35.22	41.44
t	2.197		2.058		2.804		4.588	
p	0.030		0.042		0.006		<0.001	

Table 2 - Statistical comparison of HbA_1C in all four groups at 0 and 3 months

Parameters	T1		T2		T3		T0	
	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth
Mean	9.65	8.85	9.41	8.25	9.38	8.02	8.15	9.59
SD	1.09	1.00	1.35	1.19	1.40	1.19	1.10	1.30
t	3.806		4.538		5.246		5.975	
p	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	

Table 3 - Statistical comparison of C-Peptide in all four groups at 0 and 3 months

Parameters	T1		T2		T3		T0	
	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth
Mean	0.05	0.09	0.06	0.10	0.08	0.17	0.04	0.08
SD	0.06	0.12	0.03	0.07	0.06	0.12	0.03	0.06
t	2.606		3.363		4.436		4.050	
p	0.011		0.001		<0.001		<0.001	

Table 4 - Statistical comparison of dose of insulin in all four groups at 0 and 3 months

Parameters	T1		T2		T3		T0	
	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth	0 mth	3 mth
Mean	20.84	20.00	20.28	19.60	21.76	20.92	20.00	19.28
SD	3.26	3.02	3.28	3.16	3.87	3.24	2.83	2.35
t	1.336		1.056		1.178		1.385	
p	0.185		0.294		0.242		0.169	

****

सिरोही जिले में पर्यटन विकास : एक अध्ययन

डॉ. रेणु जटाना* कन्हैया लाल**

प्रस्तावना – पर्यटन वर्तमान में एक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधी है। विश्व में तीव्र गति से बढ़नें वाले उद्योगों में यह भी एक उद्योग है। राजस्थान एक मरूस्थलीय प्रदेश है, इसके बावजुद भारत आने वाला हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान जरूर आता है। राजस्थान अपने अद्‌भुत वास्तु शिल्प, मधुर लोक संगीत, सुनहरी रेत, रंगीला पहनावा, समृद्ध लोक परम्परा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर सिरोही जिला अपनी एक अलग पहचान रखता है। यह पत्र सिरोही जिले में पर्यटन से संबंधित है। इस पत्र मे सर्वप्रथम पर्यटन का प्रारंभिक परिचय दिया गया है, साथ ही राज्य में पर्यटन के महत्व को भी उजागर किया गया है फिर सिरोही जिले का ऐतिहासिक परिचय एवं जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद सिरोही जिले में पर्यटन संबंधित समस्या-समाधान का जिक्र किया गया है साथ ही अंत में जिले में पर्यटन की भावी संभावनाओं को भी तलाश गया है ताकि जिले में पर्यटन का बेहतर विकास किया जा सकें।

पर्यटन का प्रारंभिक परिचय – किसी कार्य की निरन्तरता व नियमित्ता उस कार्य में शिथिलता व नीरसता उत्पन्न कर सकती है, यह बात मानव के दैनिक जीवन की दैनिक दिनचर्या पर भी लागु होती है। मानव की दैनिक दिनचर्या उसके जीवन में नीरसता व जड़ता उत्पन्न करती है। मानव अपने जीवन में नीरसता समाप्त करने हेतु नवीनता लाना चाहता है ताकि वह अपनी दैनिक जीवन की जड़ता को दूर कर सके। इस हेतु मानव द्वारा कई उपाय किये जाते है यथा: स्थान परिवर्तन, दैनिक कार्यशैली में परिवर्तन अथवा स्वास्थय लाभ हेतु नये-नये उपायों का अपनाया जाना शामिल है। नविन स्फुर्ति प्राप्त करने हेतु मानव द्वारा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक यात्राएँ भी की जाती है। इस प्रकार पर्यटन एक माध्यम है, जिसकी सहायता से वह जड़ता व शिथिलता को समाप्त करके, नवीन स्फुर्ति का एहसास करता है।

विश्व पर्यटन संघ ने पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा है कि 'पर्यटन के अर्न्तगत व्यक्तियों की वे गतिविधियाँ शामिल है जो उनके नित्य प्रति के पर्यावरण से बाहर जाकर यात्रा तथा विश्राम करते हुए सम्पन्न की जाती हैं, ये यात्राएँ फुर्सत, वाणिज्य व्यापार तथा अन्य प्रयोजनों की सिद्धी के लिए एक वर्ष के अन्दर निरंतर गति से होनी चाहिए।'

इस प्रकार हम कह सकते है कि पर्यटन, नागरिको द्वारा अपने निवास से बाहर स्वदेश में या विदेश में की जाने वाली यात्रा होती है। जिसमें वह अन्य स्थान पर अस्थाई रूप से रूकता है। पर्यटन का मुख्य उद्देश्य, आराम व मनोरंजन प्राप्त करना होता है।

शोध पत्र का उद्देश्य – इस पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है ।

1. पर्यटन का प्रारंभिक परिचय व राज्य में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करना।
2. सिरोही जिले का ऐतिहासिक परिचय एवं जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना ।
3. सिरोही जिले में पर्यटन संबंधित चुनौतियों को रेखांकित करना।
4. चुनौतियों के समाधान हेतु संभावित सुझाव प्रस्तुत करना।
5. भावी संभावनाओं को रेखांकित करना।

शोध प्रविधि – समंको के संकलन व अध्ययन हेतु पर्यटन को प्रमुख क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। अध्ययन के कार्य क्षेत्र में राजस्थान राज्य के सिरोही जिले का चयन किया गया है। यह शोध पत्र मुख्यत: प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक समंको के विश्लेषण पर आधारित है। प्राथमिक समंक का संकलन पर्यटको के साक्षात्कार द्वारा संकलित किये गये है जबकि द्वितीयक समंको का संकलन विभिन्न स्त्रोत यथा-रिपोर्ट, अखबार, इन्टरनेट, पत्र-पत्रिका, सर्वे रिपोर्ट इत्यादि से किया गया है। शोध के उद्देश्य तथा समंको की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

राजस्थान में पर्यटन का महत्व – राजस्थान एक मरूस्थलीय प्रदेश है। राज्य के 60 प्रतिशत भू-भाग पर थार का मरूस्थल फैला है जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ निम्न स्तर पर विकसित हुई है, ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण, राज्य की गिनती भारत के बीमारू राज्यों में होती है। पर्यटन एक आर्थिक गतिविधी से जुडा कार्य है। पर्यटक अपनी यात्रा प्रवास के दौरान पूर्व अर्जित धन को व्यय करता है जिससे पर्यटन के रूप में आय प्राप्त होती है। राज्य में पर्यटन की महत्ती भूमिका है जो निम्न प्रकार है:-

1. पर्यटन से राज्य में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक स्तर पर रोजगार प्राप्त हो रहे है। पर्यटन से गाइड, होटल, ट्रेवल एजेन्ट इत्यादि को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। वही आधारभुत संरचना के विकास के साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बनते है। पर्यटन उद्योग से कई सेवा उद्योग लाभान्वित होते है जैसे, यातायात सेवाएं (इसमें हवाई यातायात सेवा, यात्री जहाज, टैक्सी इत्यादि शामिल हैं), आवास सेवाएं व आतिथ्य सेंवाएं (इसमें होटल इत्यादि शामिल हैं) मनोंरजन पार्क, केसिनों, मॉल, थिएटर इत्यादि शामिल है। इसीलिए सामान्यतया माना जाता है कि प्रत्येक आठ विदेशी पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति होती है।

* अधिष्ठाता (बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग) यू सी सी एम एस, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (आर्थिक प्रशासन व वित्तिय प्रंबध विभाग) राजकीय महाविद्यालय, सिरोही (राज.) भारत

2. पर्यटन विश्व का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पर्यटन आय प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है। सामान्यतया एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन औसतन 1000 रूपये प्रतिदिन (यात्रा व प्रवास पर) व्यय करता है जबकि स्वदेशी पर्यटक औसतन इसका आधा भाग व्यय करता है। इस प्रकार पर्यटन से राज्य को प्रतिवर्ष अरबों रूपयों की कमाई होती है।

3. राजस्थान की गिनती व्यापारिक रूप से पिछडें राज्य के रूप में होती है। लेकिन पर्यटन के विस्तार व विकास के साथ-साथ राज्य में व्यापारिक दृष्टि से भी विकास हो रहा है। वर्तमान में राज्य के दर्शनीय स्थल पर्यटन के कारण व्यापारिक केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। नतीजतन राज्य में आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। जिससे विकास की गति बढ़ी है।

4. राज्य में पर्यटन के विकास का एक सकारात्मक असर यह देखने को मिला है कि पर्यटन के कारण राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व संवर्द्धन हो रहा है। पर्यटन ने राज्य की धरोहर को पर्याप्त मान-सम्मान दिलाया है।

5 राजस्थान अपनी कलात्मक कला व संस्कृति के लिए ख्यात है। राज्य की दस्तकारी, हस्तशिल्प, आभुषण की प्रसिद्धी सम्पूर्ण जगत में विख्यात है। देशी व विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र बिन्दु रहे है, अतः पर्यटन से राज्य के निर्यात में वृद्धि देखने को मिली है।

6 पर्यटन, राज्य की कला व संस्कृति के विस्तार व विकास में भी सहायक सिद्ध हुई है। पर्यटन के कारण ही राज्य के तीज- त्यौहार अब विश्वभर में चर्चित है, घुमर, कालबेलियाँ जैसे नृत्यों ने विश्वभर में अपनी एक खास पहचान बनाई हैं। विदेशी पर्यटक राज्य के त्यौहारों का आनन्द लेने विशेष तौर पर आते हैं।

7. पर्यटन ने राज्य के परम्परागत उद्योगों के साथ-साथ नवीन उद्योगों के विकास में भी महत्ती भूमिका निभाई है। आज प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कई उद्योगों का पनपना इसका स्पष्ट प्रमाण है।

8. पर्यटन ने राज्य की तकदीर व तस्वीर बदली है जो रेगिस्तान पहले राज्य का दुर्भाग्य माना जाता था, वही सुनहरी रेत अब राज्य का सौभाग्य बनकर उभरी है।

9. पर्यटन के कारण वन्यजीव के संरक्षण व संर्वधन को भी बढ़ावा मिला है।

सिरोही जिले का ऐतिहासिक परिचय - सिरोही एक छोटा सा जिला है परन्तु इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। सिरोही, राजस्थान का पर्वतीय एवं सीमावर्ती जिला है। यहाँ राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन माउण्ट आबू है। जो राजस्थान के शिमला के नाम से जाना जाता है। आबू पर्वत अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी हिस्सा है जिसे प्राचीन काल से अर्बुदांचल पर्वत, अबुर्द पर्वत एवं आबू राज के नाम से भी जाना जाता है। सिरोही शहर की स्थापना से पूर्व यह क्षेत्र अबुर्द राज्य के नाम से जाना जाता था व अबुर्द राज्य की राजधानी चन्द्रावती थी जिस पर परमार शासकों का शासन था। चन्द्रावती के शासक देवड़ा शिवभान उर्फ शोभाजी ने सन् 1405 ईस्वी में सरणवा की पहाड़ी की तलहटी में अपने नाम से शिवपुरी बसाई जिसे वर्तमान में पुरानी सिरोही के नाम से जाना जाता है। बाद में सन् 1424 ई. में देवड़ा शिवभान के पुत्र महाराव सहश्रमल (सैसमल) चन्द्रावती की गद्छी पर आसन हुए जिन्होनें वर्तमान सिरोही की स्थापना की थी। सिरोही की स्थापना के बाद सहश्रमल ने इसे अपनी राजधानी बनाई तथा उस समय से अबुर्द राज्य सिरोही राज्य कहलाने लगा। कालान्तर में महाराव सुरताण जैसे प्रतापी राजा इस धरा पर पैदा हुए। सिरोही की तलवारें देशभर में प्रसिद्ध थी। 'सिरोहिया तलवार, कटारे लाहौर की' उक्ति इसे सार्थक करती है। सिरोही जिले के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है:-

1. **आबू पर्वत -** इसे माउण्ट आबू नाम से भी जाना जाता है। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन, राजस्थान का शिमला के उपनाम से विख्यात है। यह सिरोही जिले का ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल होने के साथ-साथ एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। प्राचीन काल में यह एक घना जंगल था जहाँ तपस्वी तप करते थे। लेकिन वर्तमान में आबू राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है। आबू पर्वत के कुछ प्रमुख स्थलों की संक्षिप्त जानकारी निम्न है:-

1.1 अर्बुदा देवी - नक्की झील से देलवाड़ा जाते समय यह मन्दिर आता है। यह मन्दिर ऊँची पहाड़ी पर बना है, मन्दिर में अंबिका माता की मूर्ति है। लोक मान्यता अनुसार यहाँ शक्ति का होठ (अधर) गिरा था। अतः इस शक्तिस्वरूप पीठ को अधरदेवी भी कहा जाता है। परमार, प्रतिहार आदि कई गोत्र के लोग अधरदेवी को अपनी कुलदेवी मानकर पूजा करते हैं।

1.2 देलवाड़ा के जैन मन्दिर - अर्बुदा देवी मन्दिर के पास स्थित देलवाड़ा गाँव, जिसके जैन मन्दिर संगमरमर पर अपनी विश्व-विख्यात नक्काशी के लिए विख्यात हैं। इन मन्दिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य भीमदेव सौलंकी के सेनापति विमलवशाह व मंत्री वास्तुपाल के भाई तेजपाल ने करवाया था। इन मन्दिरों के दरवाजों, स्तम्भों व गुम्बद पर नक्काशी का कार्य उत्कृष्ठ कोटि का है, जिसे देखने वाला कोई भी दांतों तले अंगुली चबा देता है।

1.3 विमलवशाही मन्दिर - देलवाड़ा जैन मन्दिरों के समूह में मुख्य मन्दिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में भीमदेव के सेनापति विमलवशाह द्धारा किया गया था। अतः इस मन्दिर को विमलवशाही मन्दिर भी कहते हैं। लोकमान्यता अनुसार, इस मन्दिर के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मेहनताना स्वरूप व्यर्थ बड़े पत्थर के वजन के समान रजत नग तथा बारिक पत्थर के वजन के समान सोना (स्वर्ण) दिया गया था। यह मन्दिर कला की दृष्टि से विश्व की अनमोल धरोहर है। मुख्य मन्दिर के आगे विशाल सभा मण्डप है। मन्दिर के बरामदे, स्तम्भ, छत, तोरण व मण्डप पर बारीक एवं समृद्ध नक्काशी का कार्य किया हुआ है। नक्काशी का कार्य किसी अजुबे से कम नहीं है।

इसी मन्दिर के सामने विमलवशाह के वंशज पृथ्वीपाल के द्धारा हस्तिशाला का निर्माण कराया था जिसके दरवाजे के सामने विमलवशाह की अश्वारूढ़ मूर्ति है।

1.4 लुणवशाही मन्दिर - विमलवशाही मन्दिर के पास में ही लुणवशाही मन्दिर स्थित है, यह भगवान नेमिनाथ का मन्दिर है इसे तेजपाल का मन्दिर भी कहा जाता है, इसकी नक्काशी की उत्कृष्टता का स्तर विमलवशाही मन्दिर के समान ही है तथा बनावट भी उसी प्रकार की है, मन्दिर की छत व गुम्बद पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है।

1.5 पीथलहार मन्दिर - देलवाड़ा जैन मन्दिर के अन्य मन्दिरों की तुलना में यह मन्दिर यद्यपि छोटा है लेकिन कारीगरी व सुन्दरता उतनी ही मनमोहक है। मन्दिर का निर्माण भीमशाह कावड़िया ने करवाया था। जो भैसा शाह के नाम से भी विख्यात है। सन् 1466 ई. में गुर्जर श्रीमाल जाति के मंत्री मण्डन के सुन्दर व गदा ने 108 मण पीतल की (सर्वधातु की) बनी भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। पीतल की मूर्ति होने के कारण ही इसे पीतलहार मन्दिर कहते हैं। मूर्ति का निर्माण कलाकार देता द्धारा किया था।

1.6 पार्श्वनाथ मन्दिर – मन्दिर का निर्माण माण्डलिक व उनके परिजनों ने किया था। यह गौमुख मन्दिर तीन मंजिला है जिसमें चार बड़े मण्डप हैं। बाहरी दीवारों पर दिक्पाल, विद्या देवियाँ इत्यादि चित्रित हैं।

1.7 अचलगढ़ – आबू के अधिष्ठाता देवता, अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर है। ये आबू के परमार व चौहान शासकों के इष्ट देवता थे। इस मन्दिर की अनूठी विशेषता यह है कि इस मन्दिर में भगवान के शिवलिंग की जगह भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है।

1.8 गुरू शिखर – अरावली पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी गुरू शिखर है, जिसकी ऊँचाई 1722 मीटर है। यहीं पर गुरू दत्तात्रेय के पद चिन्ह बने हैं इसीलिये इसे गुरू शिखर कहते हैं। यहां से आबू का विहंगम दृश्य दिखता है।

1.9 गौमुख – महर्षि वशिष्ठ का रमणीय आश्रम है। इसी आश्रम में प्रसिद्ध अग्नि कुण्ड है जिससे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। आश्रम में महर्षि वशिष्ठ की भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, माता अरून्धती व कामधेनु के बछड़े सहित मूर्ति है यही पर पत्थर के बने गौमुख से सदाबहार जल बहता है।

1.10 महर्षि गौतम का आश्रम – महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से 5 कि.मी. दूरी पर नीचे उतरने पर महर्षि गौतम का आश्रम व मन्दिर स्थित है। मन्दिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पास महर्षि गौतम व उनकी पत्नी माता अहिल्या की मूर्ति है।

1.11 जंबकेश्वरम महादेव मन्दिर – अरावली की दूसरी सबसे ऊँची चोटी सेर है। सेर चोटी के पास में ही बसा गाँव शेर गाँव है। यहां के विशाल जंगलो में जंबकेश्वर महादेव का मन्दिर है। जहाँ विकट समय मे महाराणा प्रताप ने शरण ली थी।

1.12 नक्की झील –राज्य की सबसे ऊँची झील के रूप में प्रसिद्ध नक्की है। लोक मान्यता के अनुसार, देवताओं ने इस झील का निर्माण अपने नाखुनों से किया था। अत: इसे नक्की झील कहते हैं। 2.5 कि.मी. में फैली यह कृत्रिम झील अपनी ओर सभी को आकर्षित करती है, झील मे पैंडल बोट, शिकारा, फैमिली बोट इत्यादि से बोटिंग का मजा लिया जा सकता है।

1.13 सनसेट पोईंट – शाम के समय ढलते सूरज को देखने का नजारा यहाँ से अच्छा कहीं हो ही नहीं सकता।

1.14 टॉड रॉक – नक्की झील के समीप स्थित मेंढ़क के आकार की चट्टान बच्चों के लिए इसका विशेष आकर्षण होता है।

1.15 वन्यजीव अभ्यारण्य – वर्ष 1960 में घोषित वन्यजीव अभ्यारण्य 228 वर्ग कि.मी. मे फैला हुआ है। यहाँ वनस्पति की विविध प्रजातियाँ, वन्यजीव व स्थलीय पक्षी देखे जा सकते हैं।

1.16 सारणेश्वर महादेव – सुलतान अलाउद्दीन खिलजी जब सिद्धपुर के रूद्रमाल मन्दिर से शिवलिंग को उखाड़ कर उसे गाय के चमड़े में लपेट कर, हाथी के पांव से घसीटता हुआ दिल्ली ले जा रहा था तब तत्कालीन सिरोही महाराज विजयराज ने जालौर व मेवाड़ की सेना के साथ मिलकर, खिलजी को परास्त करके उस शिवलिंग को दिपावली के दिन शुक्ल कुण्ड के सामने स्थापित किया था। यह सारणेश्वर महादेव का मन्दिर के रूप में विख्यात हुआ।

अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल –सिरोही जिले में कई देवस्थल होने के कारण सिरोही को 'देव नगरी' भी कहा जाता है। सिरोही के अन्य दर्शनीय स्थलों में आम्बेश्वर महादेव, काम्बेश्वर महादेव, लीलाधारी महादेव (मंडार), मार्कण्डेश्वर महादेव (अजारी), वास्तानेश्वर महादेव (ईसरा), रिछेश्वर महादेव (नांदिया), बामणवाडजी, अजारी मे माँ सरस्वती मन्दिर, शक्तिपीठ (आरासणा), पावापुरी जैन मन्दिर इत्यादि है।

सिरोही जिले में पर्यटन समस्याएँ – सिरोही में राज्य के अन्य जिलों की तरह पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना का पूर्णरूप से विकास नहीं हो पाया है जिले में पर्यटन से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है:-

1. आवास की समस्याएँ – सिरोही जिले में पर्यटन का मुख्य केन्द्र बिन्दु माउण्ट आबू है। राज्य सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से इसे ईको-सेंसेटिव जोन घोषित कर रखा है जिसके कारण इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगी है। माउण्ट आबू, विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल होने के काबिल हैं। ऋतु के अनुसार यहाँ प्रतिदिन सैंकड़ों पर्यटक आते हैं। जबकि यहां होटलों की संख्या सीमित है तथा पेईंग गेस्ट की सुविधा भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अत: ऐसी स्थिति में पर्यटकों को आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है व कई बार पर्यटकों को मजबूरी में शाम को लौटना पड़ता है। जिससे पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2. प्रचार-प्रसार का अभाव – सिरोही जिले में ऐतिहासिक, धार्मिक व प्राकृतिक रूप में कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं लेकिन सरकारी प्रचार-प्रसार के अभाव के कारण इन स्थलों को अभी भी पर्यटन मानचित्र पर स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे: बसंतगढ़, अजारी धाम इत्यादि। सरकारी प्रयासों की कमी के कारण सिरोही में माउण्ट आबू के अलावा अन्य स्थलों को उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है।

3. अपर्याप्त आधारभूत सुविधा – जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं विद्यमान है। लेकिन कमजोर आधारभूत संरचना उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। आबू का संपर्क सूत्र केवल मात्र सड़क परिवहन है। लेकिन उनकी स्थिति भी दयनीय है। कई बार बारिश में सड़क टूट जाने पर आबू का संपर्क टूट जाता है। जिससे पर्यटकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

4. पर्यटन स्थलों के रख-रखाव क अभाव – जिले में पर्यटन स्थलों के रख-रखाव के प्रति भी सरकारी लापरवाही देखी जा रही है जो पर्यटन स्थल निजी ट्रस्ट की सम्पत्ति है। उनकी स्थिति अच्छी है लेकिन देवस्थान बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों के हालात ज्यादा ठीक नहीं है, उदाहरण के लिए जैसे- रसिया बालम का मन्दिर, जहाँ नाम मात्र की सुविधा उपलब्ध है।

5. लपकोय की समस्या – जिले में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर लपकों की समस्या विद्यमान है। पर्यटक यहाँ पर आराम या मनोरंजन के लिए आते हैं लेकिन 'लपकों' के व्यवहार की वजह से पर्यटकों को कटु अनुभव लेकर जाना पड़ता है।

6. पेशेवर गाईड का अभाव – माउण्ट आबू में पर्यटन स्थलों पर गाईड की सुविधा का अभाव देखा गया है, सामान्यतय यहाँ पर गाईड के रूप में स्थानीय निवासियों द्वारा सेवा दी जाती है लेकिन उनमें विशेषज्ञता का अभाव होता है। साथ ही इनका ज्ञान भी आधा अधूरा होता है, जिससे गलत सूचनाओं के प्रसार का डर रहता है।

7. पार्किंग की समस्या – माउण्ट आबू में पार्किंग की बड़ी विकट समस्या है। जिससे पर्यटकों (खासकर चौपाया वाहन तथा बस) को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था भी बिगड़ जाती है।

8. होटलों की रेटिंग का अभाव – माउण्ट आबू में होटलों की व्यवस्थित रेटिंग व्यवस्था का अभाव है जिससे पर्यटकों को घटिया होटलों के लिए भी अधिक व्यय करना पड़ता है तथा पर्यटक अपने आप को ठगा महसूस करते हैं।

9. माउण्ट आबू की होटलों के किराये में अत्यधिक मनमानी देखने को

मिलती है जिससे पर्यटक का बजट गड़बड़ा जाता है।

व्यवहारिक सुझाव – जिले में पर्यटन संबंधित कई समस्याएं विद्यमान है जिनके संभावित समाधान हेतु निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं:–

1. आवास की समस्या के समाधान हेतु कानूनी दायरे के अन्तर्गत व्यवहारिक उपाय किए जाये तथा स्थानीय निवासियों में **'पेइंग गेस्ट' योजना** को लोकप्रिय बनाया जाये।
2. जिले के पर्यटन स्थलों का इन्टरनेट के माध्यम से व्यापक प्रसार–प्रचार किया जाना चाहिए। वर्तमान युग मोबाइल का है। अत: पर्यटन हेतु जिले का पर्यटन स्थल संबंधित 'ऐप' बनाकर भी व्यापक प्रचार हो सकता है जो पर्यटन स्थलों की जानकारी से संबंधित होगा।
3. प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारित संरचना का पर्याप्त विकास व विस्तार किया जाना चाहिए।
4. देवस्थान के अन्तर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जायें तथा उनका प्रभावी विपणन किया जायें।
5. 'लपकों' पर प्रभावी कार्यवाही की जायें।
6. स्थानीय लोगों को समय–समय पर गाईड का प्रशिक्षण प्रदान किया जायें।
7. विश्वसनीय एजेंसी द्धारा होटलों की रेटिंग करके उन्हें अलग–अलग श्रेणी प्रदान की जायें।
8. यातायात पुलिस सक्रिय रहे व पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें।

सिरोही जिले में पर्यटन की संभावनाएँ – सिरोही जिला, राजस्थान का एक छोटा सा जिला है लेकिन इसका गौरवशाली इतिहास, नैसर्गिक सौन्दर्य, धार्मिक धरोहर इसकी एक अलग पहचान बनाते हैं। राज्य की तर्ज पर जिले में भी पर्यटन के नये–नये सर्किट बनाने चाहिए जैसे– ऐतिहासिक सर्किट, जैन मन्दिर सर्किट इत्यादि। साथ ही जिले में अलग–अलग स्थानों को चिन्हित करके उन्हें विरासत पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वन्यजीव व पर्यावरण पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन के रूप में विकसित करने की काफी संभावनाएं जिले में मौजूद हैं। जरूरत है तो सिर्फ उनकी व्यवस्थित पहचान करने व उनका प्रचार–प्रसार करने की। यदि सही तरीके से यह प्रयास किया जायें तो सिरोही जिला पर्यटन में एक खास मुकाम हासिल कर सकता है।

सारांश –सार रूप में कहा जा सकता है कि सिरोही जिले में वर्तमान में पर्यटन के रूप में सिर्फ माउण्ट आबू ही विख्यात है लेकिन यदि सही दिशा में गंभीर प्रयास किया जाये तो यहां पर्यटन के विकास की अभी भी असीम संभावना विद्यमान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अंजली वर्मा (2008), भारत में पर्यटन विकास और संभावनाए, 'नई दिल्ली ओमेगा' पब्लिकेशन
2. अनुपम पांडे (2007), पर्यटन का स्वरूप, दिल्ली अरोड़ा ऑफसेट प्रेस
3. डॉ. आशीष गोयल, (2010), ऐतिहासिक पर्यटन, 'नई दिल्ली, मोहित बुक्स इंटरनेशनल
4. लक्ष्मीनारायण नाथुरामका, (2004–05), राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जयपुर कॉलेज बुक हाउस
5. प्राथमिक समंक (मौखिक साक्षात्कार पर्यटकों का)
6. राजस्थान पत्रिका
7. दैनिक भास्कर
8. दैनिक नवज्योति।

****

उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम से प्राप्त 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की उपयोगिता का अध्ययन

करुणा तिवारी *

शोध सारांश – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हित में बनाया गया एक सरकारी नियंत्रण है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना, उसे बेहतर संरक्षण प्रदान करना व जागरुक संतुष्ट उपभोक्ता का विकास करना है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो। उपभोक्ताओं के सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक हितों की रक्षा में इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो कर उपभोक्ता फोरम में जाने से परहेज नहीं करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में 5 वर्षों में (2013 से 2018) उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरणों की स्थिति का अध्ययन करके अधिनियम की उपयोगिता के आधार पर इसके प्रति जनसामन्य की जागरुकता का अध्ययन किया गया है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि, इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ता में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता का प्रतिशत बढ़ा है और इस अधिनियम के उपयोग से उपभोक्ता को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तावना – उपभोक्ता आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र होता है वह राजा होता है अत: उत्पादक को उसकी इच्छाओं का सम्मान करना होता है परन्तु स्थिति इसके विपरीत है। भूमंण्डलीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में आज अधिकतर विक्रेताओं और उत्पादनकर्ताओं का एक मात्र उद्देश्य, येन-केन-प्रकारेण कम से कम कीमत पर, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता जा रहा है। व्यापार और व्यवसायिक क्षेत्र प्रतिदिन नैतिकता विहीन होता जा रहा है। उत्पादकों एवं सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ अनैतिक व्यापारिक व्यवहार किये जाते है। तकनीकी विकास, आय स्तर में वृद्धि, उत्पादों में दिनप्रतिदिन बढ़ती विविधता, विपणन गतिविधियों की सूक्ष्मता के कारण स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई है। उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ण मूल्य अदा करने के बाद भी उसे पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे में उसका व्यय व्यर्थ हो जाता है और उसे कई प्रकार की सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिष्ठा प्रदर्शन से प्रभावित बाजारों में, वर्तमान में भौतिकवादी परिवेश में समान और सेवाओं का क्रय केवल आवश्यकता एवं उपयोगिता पर आधारित नहीं रह गया है बल्कि दिखावे और प्रदर्शन के लिये भी किया जाता है। उपभोक्ताओं के उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नवर्ग स्तर में भी यह देखने में आया है कि मध्यम वर्ग उच्च वर्ग से प्रभावित होता है और निम्न वर्ग उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग से प्रभावित होता है। वहीं उच्च वर्ग उपयोगिता के साथ-साथ विलासिता के कारण भी क्रय की ओर आकर्षित होता है। उपभोक्ताओं की इस मन: स्थिति को भांप कर अंतराष्ट्रीय स्तर पर संचार साधनों को भी माध्यम बनाकर कर उत्पादनकर्ताओं ने उपभोक्ताओ की मन: स्थिति को भी प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की है। दृश्य-श्रव्य और प्रचार माध्यमों ने भी उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है। उत्पादनकर्ता इन माध्यमों से भी अधिकाधिक उपभोक्ताओं का मानसिक व आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उत्पादक एवं विक्रेता अधिक से अधिक लाभार्जन करने के लिये उत्पाद व सेवाओं का प्रदाय निर्धारित मापदंण्डो के अनुरुप नहीं करते हैं वह मिलावट, नापतौल में अनियमितता और कालाबाजारी कर विक्रय संवर्धन के मृगतृष्णात्मक आकर्षणों व ग्यारंटी-वारंटी के तकनीकी जाल में फंसाकर उपभोक्ता का शोषण करते है। आज उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, ग्यारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नापतौल आदि संकटों से घिरा है। कभी-कभी इस शोषण के पीछे उपभोक्ता की स्वयं की अज्ञानता, अशिक्षा, उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना, वस्तुओं सेवाओं से संबन्धित आवश्यक तथ्य, गुणवत्ता का मापक स्तर व उसके मानक के साथ उपभोक्ताओं के स्वयं अधिकारों के पीछे उपभोक्ता की सचेतना का अभाव होता है। अत: उपभोक्ताओं को इस शोषण से निजात दिलाने व संरक्षण प्रदान करने के उद्धेश्य से एक ऐसे विशेष कानून की आवश्यक्ता थी जो उन्हे पूर्ण रुप से राहत प्रदान कर सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना, उसे बेहतर संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ता को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई करने के साथ ही जागरुक संतुष्ट उपभोक्ता का विकास करना है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो।

विशेष संकेत – उपभोक्ता, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आवेदक, अनावेदक,

अध्ययन का उद्धेश्य – प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. 5 वर्षों में उज्जैन जिले में दर्ज प्रकरणों का समीक्षात्मक अध्ययन।
2. 5 वर्षों में न्याय प्राप्त उपभोक्ताओं के आंकड़ों का अध्ययन।
3. 5 वर्षों में उपभोक्ताओं के पक्ष एवं विपक्ष में हुए निर्णयों का अध्ययन।
4. 5 वर्षों में दर्ज हुए प्रकरणों के आधार पर उपभोक्ता जागरुकता का अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पना – अधिनियम के प्रति सामाजिक जागरुकता में कोई सार्थक प्रगति नहीं देखी गई है।

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोध क्षेत्र के रुप में उज्जैन नगर का चयन किया गया है।

अध्ययन की ईकाई – प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन की ईकाई के रुप में उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम के वर्ष 2013 से 2018 तक के आंकड़ों को प्राप्त किया गया है। शोध कार्य हेतु प्राप्त आंकड़े उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त किये गये हैं।

परिणाम एवं व्याख्या – शोध कार्य के दौरान उज्जैन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत वर्ष 2013 से 2018 तक के प्रकरणों की स्थिति जिसमें प्रत्येक वर्ष दर्ज प्रकरणों की संख्या, जिला फोरम के द्वारा प्रत्येक वर्ष निरकृत प्रकरणों की संख्या, फोरम में प्रत्येक वर्ष लम्बित रहे प्रकरणों की संख्या आवेदक के पक्ष में निराकृत हुए प्रकरणों की संख्या एवं आवेदक के विरुद्ध निराकृत हुए प्रकरणों के आंकड़े, शोध कार्य के विशलेषण हेतु प्राप्त किये गये हैं जिनके आधार पर वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

तालिका क्रमांक – 1 – उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2013 से 2018 तक दर्ज प्रकरणों की संख्या

क्र.	वर्ष	कुल दर्ज प्रकरण
1	2013	402
2	2014	455
3	2015	401
4	2016	431
5	2017	407
6	2018	375

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में सर्वाधिक प्रकरण उज्जैन उपभोक्ता फोरम में दर्ज हुए इसके विपरीत वर्ष 2018 में विगत पांच वर्षों की तुलना में सर्वाधिक कम 375 प्रकरण ही दर्ज हुए। तथा द्वितीय स्थान पर 2016 में 431 व तृतीय व चतुर्थ स्थान पर 2017 में 407 व 2013 में 402 प्रकरण दर्ज हुए।

तालिका क्रमांक – 2 – उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक निराकृत एवं लम्बित प्रकरणों की स्थिति

क्र	वर्ष	दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लम्बित प्रकरण
1	2013	402	293	109
2	2014	455	287	168
3	2015	401	281	120
4	2016	431	431	0
5	2017	407	407	0
6	2018	375	169	206

वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज प्रकरण एवं लम्बित प्रकरणों के निराकरण एवं लम्बित प्रकरणों की स्थिति का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आया कि, वर्ष 2013 में 402 दर्ज प्रकरणों में से कुल 293 प्रकरण निराकृत हुए एवं 109 प्रकरण प्रचलित रहते हुए लम्बित रहे, वर्ष 2014 में निराकृत प्रकरण 287 थे और लम्बित प्रकरण 168 थे, वर्ष 2015 में निराकृत प्रकरण 281 और लम्बित प्रकरणों का आंकड़ा 120 था, वर्ष 2016 में 431 प्रकरण दर्ज हो कर 431 प्रकरण ही निराक्रत हुए, वर्ष 2017 में 407 दर्ज प्रकरणों में से 407 प्रकरण ही निराकृत हो कर लम्बित प्रकरण निरंक थे। इस प्रकार वर्ष 2018 में 375 दर्ज प्रकरणों में से निराकृत प्रकरण 169 थे और लम्बित प्रकरण 206 रहे। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, वर्ष 2016 एवं 2017 में दर्ज प्रकरणों एवं निराकृत प्रकरणों का आंकड़ा शतप्रतिशत रहा वहीं वर्ष 2018 में निराकृत प्रकरणों को आंकड़ा सर्वाधिक कम 169 रहते हुए लम्बित प्रकरणों की संख्या 206 सर्वाधिक रही।

तालिका क्रमांक – 3 – उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक उपभोक्ता के पक्ष एवं विपक्ष में निराक्रत प्रकरणों की स्थिति

क्र.	वर्ष	निराकृत प्रकरण	पक्ष में	विपक्ष में
1	2013	293	225	68
2	2014	287	197	90
3	2015	281	224	57
4	2016	431	310	121
5	2017	407	316	91
6	2018	169	138	31

वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं के पक्ष में एवं विपक्ष में निराक्रत हुए प्रकरणों की स्थिति का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आया कि, वर्ष 2013 से 2018 में दर्ज हो कर निराक्रत हुए प्रकरणों में उपभोक्ताओं के पक्ष में सर्वाधिक प्रकरण वर्ष 2017 में 316 प्रकरण निराकृत हुए वहीं उपभोक्ताओं के पक्ष में निराकृत प्रकरणों की सबसे कम संख्या वर्ष 2018 में 138 रही। विपक्ष में निराकृत प्रकरणों में सर्वाधिक संख्या वर्ष 2016 में देखने में आई और सबसे कम संख्या वर्ष 2018 में 31 रही है। इस प्रकार वर्ष 2013 से 2018 तक उज्जैन जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज होने वाले प्रकरणों और निराकृत प्रकरणों के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि, उपर्युक्त वर्षों में उपभोक्ताओं के पक्ष में सर्वाधिक प्रकरण निराकृत होना पाए गये हैं।

निष्कर्ष :

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरुक्ता का प्रतिशत बढ़ा है।
2. उपभोक्ताओं को इस अधिनियम के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता अधिकार संतोष खन्ना, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपभोक्ता संरक्षण-एक परिचय, वीरेन्द्र नाथ मिश्र एवं अमित कुमार सिंह, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, भारतीय लोकप्रशासन संस्थान नई दिल्ली।
3. उपभोक्ता के अधिकार-एक विवेचन, संकलनकर्ता डॉ. ललित मोहन जोशी एवं वीरेन्द्र नाथ मिश्र, उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, भारतीय लोकप्रशासन संस्थान इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली,110002
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, राजस्थान लॉ हाउस, अनिल सचदेवा, 2004

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के (6 से 12 वर्ष तक) आक्रामक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन - (धार जिले की कुक्षी तहसील के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. निर्मला सिंह* गनबाई डावर **

प्रस्तावना - मनुष्य के विचार कार्य, व्यवहार तथा उसकी संवेदना के अध्ययन में उसकी आक्रामक एवं हिंसक प्रवृत्तियों के अध्ययन का विशेष स्थान है। आक्रामकता और हिंसा का व्यवहार मानव और पशु दोनो में विद्यमान रहता है। इसलिए आक्रामक व्यवहार सार्वजनिक घटना मानी जाती है।

आक्रामक प्रवृत्ति एक ऐसा शील गुण है जिसकी अभिव्यक्ति बच्चों में बदला लेने की भावना, हिंसक क्रियाकलाप, झगडालु प्रवृत्ति, गलत संदेश, अपनी गलती दूसरो पर प्रक्षेपित करना जैसे व्यवहार की अभिव्यक्ति दर्शाता है। इसमें झूठ बोलना, चोरी करना, क्षति पहुंचान एवं ध्यान आकर्षित करना आदि मुख्य हैं।

आक्रामक प्रवृत्ति आगे चलकर आक्रामक व्यवहार का रूप लेती है। इसकी अभिव्यक्ति शब्दों की अपेक्षा भावमुद्रा के द्वारा अधिक प्रदर्शित की जाती है।

आक्रामक प्रवृत्ति अपने आप में एक संवेगात्मक प्रक्रिया है। बालक संवेगात्मक दशा में रहते हुए यह सोचता है कि वह किस तरह के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा। इस प्रकार के बालक में भावपूर्ण एवं शाब्दिक दोनो प्रकार की आक्रामकता पाई जाती है।

आक्रामक प्रवृत्ति एक मानसिक समस्या है। मानसिक समस्याएँ मानव जाति के उद्‌भव से भी किसी न किसी रूप में पाई जाती है। पूर्व काल में मनोविकृत व्यक्ति को भुत प्रेत से प्रभावित माना जाता था। भारत में आज भी इस प्रकार का विश्वास पाया जाता है और अज्ञानतावश मनोरोगो से प्रभावित व्यक्ति का इलाज जादु-टोने आदि से करते है। यूनान एवं मिश्र में हिप्पोक्रेट, प्लेटो, अरस्तु, एस्कलीपॉडिज, एरिटॉमस आदि कुछ विद्वान हुए है जिन्होंने मनोव्याधि विज्ञान, मानसिक रोगों के कारण उपचार में योगदान दिया है। तकनीकों का विकास, औद्योगिक उन्नति व सामाजिक विकास इससे मनुष्य की सोच व आवश्यकताओं में परिवर्तन आया, जिसके कारण जीवन जटिल से जटिल होने लगा तथा व्यक्ति को अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समायोजन करने के लिए प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्द्धा व प्रतिद्वंदता का सामना करना पड़ा। वर्तमान में इसका प्रभाव बच्चों पर अधिक पाया जा रहा है।

आक्रामकता की परिभाषाएँ :-

बस के अनुसार (1961) - 'आक्रामकता ऐसी अनुक्रिया है जो दूसरे प्राणी को एक अनिष्ठ का उद्दीपन प्रदान करता है।'

बरकोविज (1974) के अनुसार - 'आक्रामकता से तात्पर्य दूसरो के प्रति किये गये साभिप्राय क्षति या हानि से होता है।'

आक्रमकता के सिद्धांत - 'आक्रमकता की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने समाजशास्त्रियों से मिलकर तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया है।'

- 'मूल प्रवृत्ति' का सिद्धांत
- 'कुंठा-आक्रामकता' का सिद्धांत
- 'सामाजिक सीखना' का सिद्धांत

आक्रामकता पर नियंत्रण एवं निदान - कम उम्र के बालक में आक्रामक व्यवहार आगे चलकर अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है। यदि बालक आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो उसकी समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान कर बच्चों के आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे -

- उचित व्यवहार, स्नेह एवं प्यार देकर।
- दोस्त एवं मित्र मण्डली पर निगरानी रखकर, उसे अच्छे बालकों के साथ रहने की सलाह देकर।
- खिलौने एवं प्रोत्साहन प्रदान करके तथा टी.वी. एवं संगीत कार्यक्रमों से जोड़कर।
- चेतावनी एवं निश्चित समय देकर तथा खान-पान का उचित ध्यान रखकर।
- बालकों को पिकनिक (धार्मिक स्थल, प्राकृतिक झरने) पर ले जाकर।
- बालक को शांत, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण देकर।
- बालक के व्यवहार का आधार उसकी मुल प्रवृत्तियां होती है। अत: उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- बालक को स्वयं सीखने, कार्य करने तथा स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- माता-पिता एवं शिक्षक को उसके प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।

अध्ययन के उद्देश्य :

- अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं में आक्रामक प्रवृति

* एसोसिएट प्रोफेसर, कस्तुरबाग्राम रूरल इन्स्टीटयूट, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

ज्ञात करना।

- अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं की आक्रामक प्रवृति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

उपकल्पना – अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं की आक्रामक प्रवृति के माध्यों के अंको में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियाँ निम्न है –

- मध्यमान (Mean)
- प्रमाप विचलन (S.D.)
- मानक त्रुटि (S.C.)
- स्वतंत्रता का अंश (D.F.)
- T का मान (T-value)

शोध उपकरण – प्रस्तुत शोध कार्य में मानकीकृत प्रमापनी को काम में लिया गया है जो निम्नलिखित है अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं में आक्रामक प्रवृत्ति ज्ञात करने हेतु – डॉ. प्रीति तिवारी द्धारा निर्मित प्रपत्र को लिया गया है।

तथ्य संकलन के स्त्रोत :–

1. **प्राथमिक स्त्रोत –** तथ्य संकलन के प्राथमिक स्त्रोत के संकलन के लिये डॉ. प्रीति तिवारी द्धारा लिखित प्रपत्र को लिया गया है।

2. **द्धितीयक स्त्रोत –** साहित्य की पुनरावृत्ति, विभिन्न प्रकार की पुस्तके, डायरी, पेपर, मेग्जिन, नेट द्धारा द्धितीय तथ्य एकत्रित किये गए।

सांख्यिकीय विश्लेषण :–

तालिका क्रमांक–1 – बालकों का आक्रामक व्यवहार

आक्रामकता का स्तर	संख्या	प्रतिशत
बहुत अधिक	20	40%
अधिक	29	58%
मध्यम	01	2%
कम	0	0%
बहुत कम	0	0%

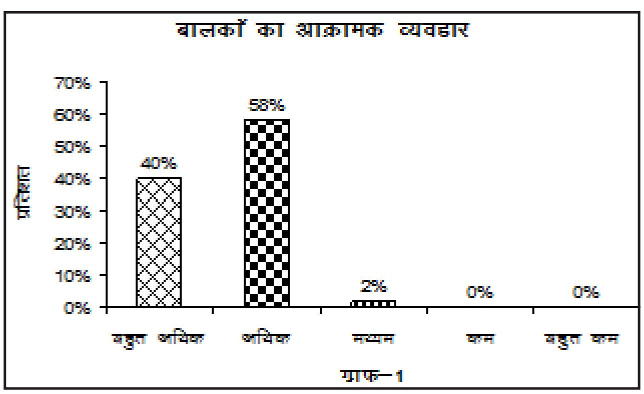

तालिका क्रमांक–2 – बालिकाओं का आक्रामक व्यवहार

आक्रामकता का स्तर	संख्या	प्रतिशत
बहुत अधिक	06	12%
अधिक	24	48%
मध्यम	14	28%
कम	03	06%
बहुत कम	03	06%
योग	**50**	**100%**

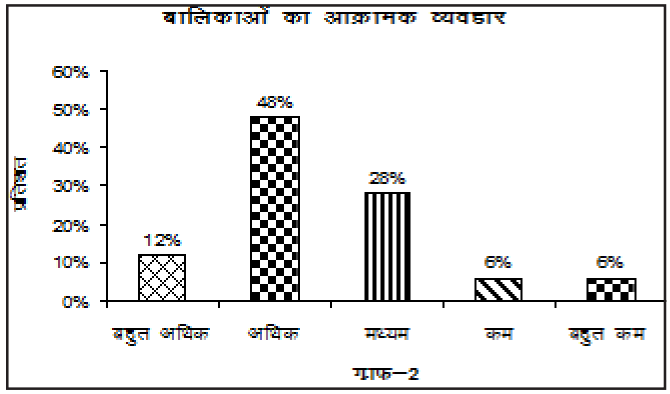

तालिका क्रमांक–3 – बालक तथा बालिकाओं का आक्रामक स्तर प्रतिशत में

आक्रामकता का स्तर	बालक	बालिकाएँ
बहुत अधिक	40%	12%
अधिक	58%	48%
मध्यम	02%	28%
कम	0%	06%
बहुत कम	0%	06%
योग	**100%**	**100%**

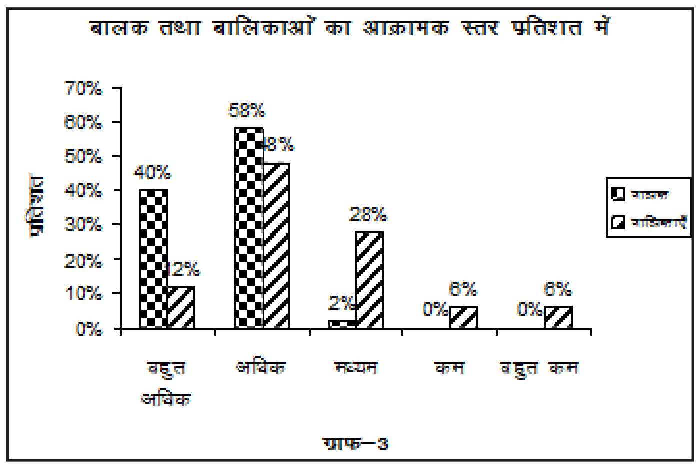

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालक तथा बालिकाओं की आक्रामक प्रवृत्ति को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया जिसमें बहुत अधिक, अधिक, मध्यम, कम तथा बहुत कम। जिसमें लडकियों की संख्या बहुत अधिक में 12%, अधिक में 48% , मध्यम में 28% , कम में 6% तथा बहुत कम में 6% है। तथा बालिकाओं की तुलना में बालकों के आक्रमकता का प्रतिशत बहुत अधिक में 40%, अधिक में 58%, मध्यम में 2%, कम में 0% और बहुत कम में 0% है।

इस शोध तालिका से स्पष्ट हैं कि लडके, लडकियों की अपेक्षा अधिक आक्रामक व्यवहार के पाये गये, लडकों में अधिक चिडचिडापन, गुस्सा, तोड़–फोड़, मारपीट, चिल्लाना तथा अपराध जैसे व्यवहार भी पाए गए।

निष्कर्ष – मेन्यूअल की सहायता से आक्रामक स्तर को 5 भागों में बाटा गया है। बहुत अधिक, अधिक, मध्यम, कम, बहुत कम इसी आधार पर सांख्यिकी विश्लेषण किया गया जिससे बहुत अधिक स्तर में बालको में आक्रामकता के अंको का माध्य (Mean) = 44.2 तथा बालिकाओं में

आक्रामकता के अंको का माध्य (Mean)= 45.66 है तथा इनका T-value = 0.06 है।

अधिक स्तर (High level) पर बालकों में आक्रामकता के अंको का माध्य (Mean) = 38.20 तथा बालिकाओं के आक्रामकता के अंको का माध्य = 39.95 है तथा इनका T-value = 0.03 है।

मध्यम स्तर (Moderate) **:–** बालको में आक्रामकता के अंको का माध्य (Mean) = 1 तथा बालिकाओं में आक्रामकता के अंको का माध्य (Mean) = 33.14 है तथा इनका T-value = 2.47 है।

कम स्तर (Low level) :– इसमें बालको में आक्रामकता के अंको का माध्य (Mean) = 0 तथा बालिकाओं में आक्रामकता के अंको का माध्य (Mean) 47 है तथा इनका T-value = 13.5 है।

बहुत कम स्तर (Low level) :– इसमें बालको में आक्रामकता के अंको का माध्य = 0 तथा बालिकाओं में आक्रामकता के अंको का माध्य 19.66 है तथा इनका T-value = 9.83 है।

सुझाव – बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है :–

1. उचित वातावरण :– बालक के विकास के लिए शांत, सुरक्षित घर एवं विद्यालय में उसे उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

2. उचित व्यवहार :– बालक की असहाय स्थिति में उसे डाटना, पिटना नहीं चाहिए और न ही उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। बालक से सदैव प्रेम, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए।

3. सामाजिक भावना का विकास :– बालक को दूसरे बच्चें के साथ खेलने देना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो सके।

4. आत्मनिर्भरता का विकास :– बालक को स्वयं सीखने, कार्य करने तथा स्वतंत्रता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए।

5. चित्रों एवं कहानियों द्वारा :– बच्चों को कहानियों व सचित्र पुस्तकों द्वारा का विशिष्ट ज्ञान (नैतिक मूल्य) प्रदान कराना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. झारिया ज्योत्सना – नवीन शोध संसार जुलाई–सितम्बर 2015 ISSN 2320- 3767, E-ISSN 2394-3793, RNI No. MPHIN/ 2013/60638 पेज नं. 190 से 193
2. मुरजानी डॉ. जानकी – सामाजिक मनोविज्ञान प्रकाशक – प्रेमचन्द वाकलीवाल, पब्लिशर्स, हिस्ट्रीव्यूटर्स 807, व्यास बिल्डिंग चौड़ा रास्ता जयपुर 302 003, ISBN – 978–81–7910–197–1 प्रथम संस्करण – 2007
3. पाल बी.के. – सामाजिक मनोविज्ञान, संस्करण 2009, ISBN 978-81-7555-222.7 यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन प्रकाश दीप बिल्डिंग 22, अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली – 110002
4. बेव दुनिया & M. hindi webdunia.com
5. Crombach Anselm & Elbert Thamas, year 2014 www.streetchildren.org
6. दीपाली बत्रा – नवभारत टाइम्स – 21 फरवरी 2018, 10:35 AM. Navbharatimes.indiatimes

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन

डॉ. पी. के. चतुर्वेदी *

प्रस्तावना – अपने विशिष्ट राजनीतिक प्रयोगो द्वारा राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में महान योगदान देने वाले महात्मा गांधी का नाम व्यावहारिक क्रान्तिकारियों में अग्रपंक्ति में लिया जाता है। उन्होने क्रमबद्य एवं व्यवस्थित रूप से अपने सिद्धांतों का लेखन या प्रतिपादन नही किया किन्तु अपने सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उन्होने विचार व्यक्त किये तथा प्रयोग किये। इन्ही के समग्र रूप को गांधीवाद या गांधी मार्ग का नाम दिया जाता है। इनका राजनीतिक चिन्तन उनके महान क्रान्तिकारी प्रयोगों में प्रकट हुआ है। प्रथम दृष्टि में उसमें सैद्धांतिकता के अपेक्षा व्यावहारिकता अधिक दिखाई देती है। किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में प्राप्त हुई असाधारण सफलताओं के कारण ही उसमें अन्तर्निहित सिद्धांतों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोधपत्र में अध्ययन की दार्शनिक, ऐतिहासिक, एवं अवलोकन पद्धतियों का उपयोग किया गया है। इसमें मुख्यत: द्धितीयक ऑकडो का प्रयोग किया गया है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य महात्मा गांधी के चिन्तन में अन्तर्निहित राजनीतिक विचारों का एवं वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता का अन्वेषण एवं अध्ययन करना है।

महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार – गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में याद किया जाता है। उन्होने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में प्रखर योगदान दिया तथा यह प्रतिपादित किया कि किसी राष्ट्र की समस्याओं का समाधान सत्य अंहिसा व कष्ट सहन से किया जा सकता है। गांधी जी व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उन्होने अपने विचारों को प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान किया तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने में उल्लेखनीय सफलताऐं प्राप्त की। अपने प्रयोगों में उन्होने जिन विचारों ओर आदर्षे का समावेश किया, वे ही उनके सिद्धांत बन गए। राजनीतिक सिद्धांतो के क्षेत्र में गांधी जी का असाधारण योगदान है। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार है –

1. **राज्य के संबंध में विचार –** गॉधी जी यह मानते थें, कि राज्य व्यक्ति के लिए है। राज्य का मुख्य कार्य सभी व्यक्तियों का अधिकतम हित सम्पादन करना है। इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों का कल्याण अर्थात सर्वोदय है। राज्य हिंसा पर आधारित होता है। वह हिंसा के संगठित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य आत्माविहीन यंत्र है। इसकी उत्पति हिंसा से हुई है। वे आत्मा की षक्ति को श्रेष्ठ मानते थे। उन्होने प्रबुद्ध अराजकता की धारणा प्रतिपादित की। इसे समझाते हुऐ उन्होने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा। एक पडोसी दूसरे पडोसी के लिए कोई बाधा उत्पन्न नही करेगा। इस आदर्श अवस्था मे कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, कोई प्रतिनिधित्व नही होगा। तथा कोई राज्य भी नही होगा। यह आदर्श स्थिति है। इस अवस्था में जब राज्य नही होगा तो राज्य विहीन समाज सत्य ओर अहिंसा पर आधारित होगा। राज्यविहीन समाज की अवस्था को गांधी जी ने सर्वश्रेष्ठ माना है। किन्तु मानव जीवन अपूर्ण है, अत: उनके अनुसार इसे पूर्णतया नैतिकता के आधार पर संचालित नही किया जा सकता है। इस अवस्था में राज्य की आवश्यकता होगी। गांधी जी हिसंक स्वरूप के तथा बाध्यकारी राज्य का अंत करना चाहते थें। इस प्रकार हिंसक तथा बाध्यकारी स्वरूप के राज्य के स्थान पर अहिंसक राज्य की स्थापना ही गांधी जी का आदर्श राज्य है। इसे ही उन्होने राम–राज्य का नाम दिया है।

2. **राम राज्य की परिकल्पना –** गांधी जी ने एक नए प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया है। यह एक आदर्श है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। इस आदर्श अवस्था में पूर्ण समानता होगी तथा सभी मनुष्यों को यहॉ तक कि अन्य जीवों को भी न्याय मिलेगा। राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, किन्तु यह पूर्ण रूप से अहिंसक होगा। ऐसे अहिंसक राज्य में सामाजिक जीवन स्वत: संचालित होगा। वर्तमान राज्य हिंसा पर आधारित है। जब राज्य की सेना, पुलिस, कानून, न्यायालय, चिकित्सालय, यंत्र निरंतर जनहित में कार्य करने लगेगें तब स्वराज्य की स्थापना होगी। जब राज्य की सम्प्रभुता व्यक्ति की नैतिक शक्ति पर आधारित होगी तो राज्य सत्य प्रेम तथा न्याय पर आधारित हो जाएगा। अहिंसा तथा अत्माानुशासन इसकी संचालक शक्तियॉ बन जाऐगी, तब राज्य राम–राज्य बन जाएगा। राम राज्य में लोगों के बीच सहज सहयोग होगा, संगठन दमन रहित होगे तथा सभी प्रकार के समायोजन सहानुभूतिमय होगे। सभी लोग श्रम से अपनी आजीविका अर्जित करेगे। बौद्धिक श्रम करने वाले भी शारीरिक श्रम करेगें। राम राज्य में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। इसमें ग्रामीण समुदायों के स्वावलंबी संघ होगें। प्रत्येक गॉव में एक पंचायत होगी। ग्राम पंचायतों को प्रशासन की पूर्ण शक्तियॉ प्राप्त होगी। रामराज्य में वर्ण व्यवस्था होगी किन्तु सभी लोगों को सभी क्षेत्रों मे समान अधिकार प्राप्त होगें। ऊॅच–नीच का भेद–भाव नही होगा। लोग सहज रूप से अपने–अपने कर्तव्यों का पालन करेगें। राज्य की हिसात्मक कार्यवाई के बीना ही स्वैच्छिक आधार पर दायित्वों का पालन होगा। रामराज्य विश्व शांति तथा मानवतावाद पर आधारित होगा। ऐसा राज्य अहिंसात्मक क्रान्ति के माध्यम से ही आएगा तथा समन्वय अथवा सामंजस्य इसका आधार होगा।

3. **राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचार –** गांधी जी मानते थे कि वैयक्तिक आचरण और राजनीतिक आचरण में कोई विरोध नही है। सदाचार का नियम दोनों पर लागू होता है। देश प्रेम ओर मानव प्रेम में भी कोई भेद नही है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद में कोई बुराई नही है। बुराई तो संकुचितता, स्वार्थवृति ओर बहिष्कार वृत्ति मे है। इसके कारण हर एक राष्ट्र दूसरे की हानि करके अपना

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, हाटपीपल्या, जिला- देवास (म.प्र.) भारत

लाभ करना चाहता है, और उसके नाश पर अपना निर्माण करना चाहता है। किसी राष्ट्र को इसलिये स्वतंत्र होना चाहिये कि वह आवश्यकता होने पर संसार के कल्याण के लिये अपना बलिदान दे सके। राष्ट्रवाद सिद्ध होने पर ही अन्तर्राष्ट्रीयतावाद संभव हो सकता है। देश प्रेम को मानवजाति के विषालतम हित के साथ सुसंगत होना चाहिये। मानव जाति के विकास में सार्वजानिक जीवन के अनेक स्तर दिखाई देते है। परिवार,जाति,गॉव,प्रदेश और राष्ट्र इन सब को पार करने के बाद विश्व बन्धुत्व अथवा अन्तर्राष्टीयता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति का कर्तव्य सर्वप्रथम तो उसके परिवार से ही आरंभ होता है फिर वह मानवता की सेवा के आदर्श तक पहुॅचता है। गांधीजी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो नेतृत्व प्रदान किया उसके कारण उन्हे महान राष्ट्रवादी कहा जाता है किन्तु वे संकीर्ण राष्ट्रवाद के समर्थक नही थे। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में भी राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की परस्पर अन्योन्याश्रितता सर्वत्र परिलक्षित होती है। गांधी जी चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र अन्तर्निर्भर रहते हुए , विश्व संघ की स्थापना करें। इस से विश्व में शांति, सहयोग और मित्रता को बढावा मिलेगा।

4. **लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार –** गांधीजी ने कहा था कि अनुशासन और विवेकयुक्त जनतंत्र दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है। इसके विपरीत राग–द्वेष, अज्ञान और अन्ध–विश्वास आदि दुर्गुणों से ग्रस्त जनतंत्र अराजकता के गड्ढे में गिरता है, और अपना नाश खुद कर डालता है। लोकतंत्र और हिंसा का मेल नहीं बैठ सकता है। यह कहना बिल्कुल अविचार पूर्ण है कि अहिंसा का पालन केवन व्यक्ति ही कर सकतें है, और राष्ट्र जो व्यक्तियों से ही बनते है, हर गिज नहीं। यदि असत्यमय और हिसंक उपायों का प्रयोग किया गया तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि सारा विरोध या तो विरोधियों को दबाकर या उनका नाश करके खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकता है। व्यक्तिक स्वतंत्रता को प्रगट होने का पूरा अवकाष केवल विशुद्ध अहिंसा पर आधारित शासन में ही मिल सकता है। प्रजातंत्र में नीचे से नीचे और ऊॅचे से ऊॅचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिये। सिवाय अहिंसा के ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। गांधी जी यह मानते थे कि सच्ची लोकशाही को केन्द्र में बैठे हुए बीस आदमी नहीं चला सकते है। उसे तो नीचे से हर एक गॉव के लोगों के द्वारा चलाई जानी चाहिए।

5. **नागरिक अधिकारों का समर्थन –** गांधीजी के सपनों के आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों को स्वीकृति प्राप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने तथा समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। ऐसे समाज में जाति, धर्म, भाषा,वर्ण,लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगें।

6. **निजी सम्पति को मान्यता –** गांधीजी की मान्यता थी कि समाज में निजी सम्पति की प्रथा का अस्तित्व रहेगा, किन्तु सम्पति के जो स्वामी होगे वे अपनी सम्पति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं वरन पूरे समाज के कल्याण के लिए करेंगें। वे यह मानेगें कि जो सम्पति उनके पास है उसका वास्तविक स्वामी समाज है। वे समाज के द्वारा नियुक्त संरक्षक या ट्रस्टी है।

7. **अनिवार्य श्रम का सिद्धांत –** गांधीजी ने कहा था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को रोटी के योग्य श्रम अनिवार्य रूप से करना चाहियें। बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को भी कुछ शारीरिक श्रम अनिवार्य रूप से करना चाहिये।

8. **वर्ण व्यवस्था –**गांधीजी अपने कल्याण के आदर्श समाज को वर्ण व्यवस्था पर आधारित मानते थे। प्राचीन काल की भांति समाज में चार वर्ण होंगे – ब्राहमण, क्षत्रिय,वैश्य और शूद्र। विभिन्न वर्णो के व्यक्ति अपने–अपने कार्य करेगें किन्तु सभी वर्णो के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होगे। समाज में किसी प्रकार की ऊॅच –नीच की भावना नहीं होगी।

9. **अस्पृष्यता का अंत –**गांधीजी अस्पृश्यता को ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध मानते थे। उन्होने अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक माना था। उन्होने अपनी कल्पना के आदर्श समाज में अस्पृष्यता को कोई स्थान नही दिया था।

10. **पुलिस और सेना –**गॉधीजी यह मानते थे कि समाज में सभी व्यक्ति अहिंसावादी नहीं है। इसलिए पुलिस की आवश्यकता पड़ सकती हैं। उनकी कल्पना के आदर्श राज्य में पुलिस, जनता की वास्तविक सहायक और सेवक होगी, गांधीजी की कल्पना का आदर्श राज्य एक ही राज्य तक सीमित नहीं है। वह सम्पूर्ण विश्व के लिए आदर्श व्यवस्था है। इसमें विश्व के सभी राज्य शान्ति प्रिय होगे, युद्ध प्रिय नहीं। शान्ति के लिए शान्ति सेना की आवश्यकता होगी युद्ध के लिए नही।

11. **न्याय व्यवस्था –**गांधीजी मध्यस्थता अथवा पंचों द्वारा दी गई न्याय व्यवस्था के समर्थक थे। आधुनिक न्याय प्रणाली मंहगी और पेचीदा है। वे मानते थे। कि आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था का स्वरूप ऐसा नही होना चाहियें। इसे देखते हुए उन्होने पंचायती न्याय प्रणाली का समर्थन किया।

12. **शिक्षा व्यवस्था –**गांधीजी ने शिक्षा व्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव करते हुए बुनियादी शिक्षा की अदभुत योजना प्रस्तुत की थी। इसमें गांव–गांव में स्वावलम्बी पाठशालाऐं होगी। इनमें सभी विद्यार्थियों को कोई न कोई उत्पादक कार्य करते हुए ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।

13. **स्वास्थ्य व्यवस्था –**गांधीजी यह चाहते थे कि आदर्श राज्य में रोग और गंदगी का साम्राज्य नही होना चाहियें। यदि स्वच्छता रहेगी तो रोग भी कम होगे। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों की लम्बी–चौडी फौज की आवश्यकता नही होगी। आवश्यकता के अनुसार जितने चिकित्सक होगे, वे समाज सेवी होगें। धन की लालसा से इलाज नही किया जाएगा बल्कि उसमें सेवा भावना की ही प्रधानता होगी।

14. **प्रतिनिधित्व और बहुमत का शासन –** गांधीजी पंचायती राज्य व्यवस्था के समर्थक थें। उन्होने संसदीय प्रणाली की आलोचना की थी। वे प्रतिनिधि संस्थाओं ओर चुनावों के विरोधी नहीं थे। उन्होने राजनीतिक दलों को नही बल्कि उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण माना था। उनके मतानुसार चुनाव में खडे होने वाले उम्मीदवारों को स्वार्थ रहित योग्य, भ्रष्टाचार से मुक्त, आत्म – विज्ञापन से दूर रहने वाला, पद लोलुपता से रहित तथा छिद्रान्वेषण के दोष से मुक्त होना चाहियें। उनका कथन था कि वोट प्रचार द्वारा नही बल्कि सेवा द्वारा प्राप्त किये जाना चाहियें। मतदाओं के लिए आवश्यक योग्यता यह होनी चाहिये कि व शारीरिक श्रम करने वाले हों। उनके लिए सम्पति अथवा सामाजिक स्थिति की कोई शर्त नहीं होनी चाहिये। गांधीजी लोकतंत्र के समर्थक थें। लोकतंत्र मे बहुमत का शासन होता है। गांधीजी का मत था कि बहुमत द्वारा सदैव ही अल्पमत की अवहेलना नहीं की जानी चाहियें। यदि एक व्यक्ति की सम्मति भी सही हो तो उसकों अनेक व्यक्तियों की सम्मति से अधिक महत्व दिया जाना चाहियें। बहुमत को अल्पसंख्यक के प्रति उदार होना चाहिये। अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिये।

15. **आदर्श राज्य की प्रासंगिता –**गांधी की सबसे बडी विशेषता यही

थी कि वे एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे। वे आदर्शो को सदैव आगे रखते थे तथा उस तक पहुँचने के लिए निरंतर प्रयत्न एवं प्रयोग करते रहते थे। वे यह स्वीकार करते थे कि समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते है अत: यह सभव है कि समाज पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं बन सके। व्यावहारिक रूप में ऐसे प्रयास किये जाना चाहिए कि समाज प्रधान रूप से अहिंसक बन जाय। समाज को अहिंसक बनाने के लिए निरतंर प्रयास किये जाने चाहिये। इन सच्चे प्रयासों से समाज निरंतर अहिंसा की दिशा में आगे बढता रहेगा तथा उससे सभी लोगों का हित साधन भी निरंतर होता रहेगा। यदि साध्य अच्छे है तो उसे प्राप्त करने के साधन भी अच्छे ही होना चाहिये। इसी से आदर्शो को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। आधुनिक समय की सबसे बडी विडम्बना यही है कि हम आदर्शो को तो प्राप्त करना चाहते है, किन्तु उनके लिए ऐसे उपाय अपनाते है, जो हमें आदर्शो से या समाधान से बहुत दूर कर देते है। हम शांति चाहते है , किन्तु उसके लिए अहिसंक उपायों की अनिवार्यता को स्वीकार नही कर पाते है। यदि हम वास्तविक समाधान प्राप्त करना चाहते है, तो हमें यह स्वीकार करना पडेगा कि गांधी जी के विचार किसी न किसी रूप मे आज भी प्रासंगिक है। उन्हें अपनाने से ही हमारी जटिल समस्याओं के वास्तविक समाधान प्राप्त हो सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्द स्वराज्य – गांधी जी, अनुवादक अमृतलाल नाणावटी
2. सर्वोदय – गांधीजी, संपादक भारतन कुमारप्पा
3. मेरे सपनों का भारत – गांधी जी, संग्राहक आर के प्रभु
4. गांधी और गांधीवाद – डॉ. पद्याभिसीतारमैयया
5. गांधी ओर साम्यवाद – किशोरीलाल मशरूवाला
6. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन – डॉ.वी.वी.वर्मा

****

महात्मा गाँधी जी के आर्थिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता

डॉ. शक्ति जैन*

प्रस्तावना – महात्मा गाँधी का कथन कि 'जो अर्थशास्त्र शक्तिशाली व्यक्तियों को गरीब का शोषण सिखाता है वह असत्य अर्थशास्त्र है, सच्चा अर्थशास्त्र सबके लाभ के लिए होता है और वह जीवन के लिए अनिवार्य है।'

इस शोध-आलेख में गाँधी जी के आर्थिक विचारों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है उसको बताने का प्रयास किया है। महात्मा गाँधी जी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे और न ही उन्होंने कोई अलग से आर्थिक विचार दिये, लेकिन उनके आर्थिक विचारों की झलक उनके लेखों भाषणों एवं कर्मों में दिखायी देती है। गाँधी जी के आर्थिक विचारधारा के मूल सिद्धांत अहिंसा, सत्य, मानवतावाद, सादगी, श्रम की पूजा आदि पर आधारित है। गाँधी जी के विचारों पर विभिन्न धर्मों का प्रभाव, महान विचारकों का प्रभाव, उनकी माताजी का प्रभाव, अराजकतावाद का प्रभाव, भारतीय दशाओं का प्रभाव, विदेशी शासन के द्वारा किया गया शोषण का प्रभाव झलकता है एवं तत्कालीन भारतीय सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है।

गाँधी जी के आर्थिक विचारों के निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हैं :-

आवश्यकता संबंधी विचार – गाँधी जी के आर्थिक विचारों में सादगी को विशेष स्थान प्राप्त है। गाँधी जी के आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य उपभोग नहीं वरन् त्याग मानते थे उन्होंने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा एवं चिकित्सा को ही अनिवार्य बताया और शेष आवश्यकताओं को कम करने पर बल दिया उनके अर्थशास्त्र में विलासिता का कोई स्थान नहीं था, वे सादा जीवन-उच्च विचार के समर्थक थे उनका विचार था कि सच्चा सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं का सीमित होना आवश्यक है, उनको तर्क था कि असंतुष्ट आवश्यकताओं की संख्या जितनी कम होती है व्यक्ति को उतना ही कष्ट कम सहना पड़ता है। उनका विश्वास था कि ऊँचा-जीवनस्तर बहुत आवश्यकताओं की संतुष्टि से नहीं बल्कि ऊँचे आदर्शों से निर्मित होती है। गाँधी जी के इस दृष्टिकोण का अनुसरण प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री प्रो. जे. के. मेहता ने किया है।

वर्तमान समय में हम विचार करते हैं चर्चा करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन को जोड़ना नहीं होना चाहिए। आवश्यकताओं को कम करके ही व्यक्ति सुखी रह सकता है गाँधी जी के धार्मिक व आध्यात्मिक विचारों से संपूर्ण समाज को सीखना चाहिए व कर्म पर विश्वास रखना चाहिए।

गाँधी जी का संरक्षता या प्रन्यास या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत – गाँधी जी समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते थे, व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत चाहते थे एवं आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने संरक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार से भारी सम्पत्ति मिलती है अथवा किसी ने व्यापार-उद्योग के लाभ से भारी मात्रा में धन संचय किया तो वह संपूर्ण सम्पत्ति वास्तव में उस व्यक्ति की न होकर संपूर्ण समाज की है जिस व्यक्ति ने सम्पत्ति का संचय किया है वह स्वयं को सम्पत्ति का स्वामी न समझकर ट्रस्टी समझे। तथा सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सम्पत्ति पर व्यक्ति अपना अधिकार समझे और धन का शेष भाग संपूर्ण राष्ट्र का मानते हुए सभी के कल्याण पर खर्च करने को हृदय से तत्पर रहे।

इस प्रकार गाँधी जी का धन के समान वितरण की योजना का मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक विधि से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख दोष अन्यायपूर्ण वितरण को समाप्त करना था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं में भी प्रमुख समस्या आय व धन का असमान वितरण है, गरीबी व बेरोजगारी की समस्या है, यदि संपूर्ण समाज का विकास व देश का विकास करता है इसके लिए यदि गाँधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का थोड़ा सा भी विचारों में आ जाये तो स्वयं देश उच्च संस्कार व विचार के साथ विकास करेगा। परंतु ऐसा होना थोड़ा कठिन है इसके लिए ही वर्तमान सरकार द्वारा करों द्वारा व गरीब वर्ग को कोई तरह की सहायता देकर आय व धन का समान वितरण का प्रयास किया जा रहा है।

औद्योगीकरण – गाँधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कट्टर विरोधी थे उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का उपयोग मनुष्य को आलसी बना देता है और वह परिश्रम से कतराने लगते हैं। गाँधी जी ने विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था को उत्तम समझा जिसमें श्रमिक स्वयं अपना स्वामी हो। विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण नहीं होगा हिंसा के अवसर नहीं होंगे। गाँधी जी का विश्वास था कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या औरगरीब देश के लिए मशीनों का उपयोग लाभप्रद नहीं होगा। भारत देश में अधिक जनसंख्या को काम पर लगाने की दृष्टि से उत्पादन की ऐसी प्रणालियाँ काम में लानी होगी जिसमें अधिकाधिक श्रमिकों की खपत हो। यद्यपि गाँधी जी मशीनों द्वारा संचालित उद्योग के विरोधी थे पर बाद में गाँधी जी का मत था कि बड़े पैमाने के उद्योगों को कुटीर उद्योगों का प्रतिद्वंदी न बनाकर उनका सहायक बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाँधी जी बिजली, जहाज निर्माण, लौह उद्योग, मशीन निर्माण आदि जो आवश्यक है उनके विरूद्ध नहीं थे किन्तु वे इन दो बातों को महत्व देते थे प्रथम समस्त समाज का अधिकतम कल्याण एवं द्वितीय हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी मौलिक आवश्यकताओं की वृद्धि में हम अपने जीवन का

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

वास्तविक उद्देश्य न भूल जावें। कल्याणवादी अर्थशास्त्र में पीगू व पेरेटो के विचार, बेन्थम के विचार भी इसी तरह के हैं। उद्योगों के क्षेत्र में गाँधी जी ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देते थे उनके अनुसार इसमें काम करने में अधिक आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। व्यय कम होता है कम पूँजी पर ये छोटे व कुटीर उद्योग कार्य कर सकता है। वर्तमान में गाँवों का विकास औद्योगीकरण में कभी संभव नहीं है। गाँव का विकास ही भारत का विकास है। जो लघु व कुटीर उद्योग से ही संभव है इसके अतिरिक्त कृषि में छिपी बेरोजगारी (मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी) भी लघु, कुटीर उद्योगों के विकास से दूर हो सकती है तथा उत्पादन, व्यय, सुरक्षा, शोषण और प्रदूषण रहित वातावरण इन सभी दृष्टिकोणों से लघु उद्योग व्यवहार्य व वांछनीय होता है।

विकेन्द्रीकरण – गाँधी जी केन्द्रित अर्थव्यवस्था के विरूद्ध थे क्योंकि उनका विश्वास था कि यह शोषण को जन्म देती है इसकी नींव हिंसा पर आधारित है गाँधी जी शोषण को हिंसा मानते थे इसलिए उन्होंने विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि उत्पादन को अनेक स्थानों पर छोटे पैमाने पर चालू किया जाए, घरों में छोटी-छोटी इकाइयों को स्थापित किया जाये। 'विकेन्द्रित व्यवस्था को वे लोकतंत्र का जीवन रक्त समझते थे' गाँधी जी रूस की भाँति राज्य द्धारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक नहीं थे। गाँधी जी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को प्रजातंत्र को वनार्य रखने के लिए आवश्यक समझते थे। उनका यह विचार था कि इसक प्रकार की व्यवस्था से अहिंसात्मक समाज की स्थापना होगी।

कोई भी देश के संपूर्ण विकास के लिए विकेन्द्रीकृत व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इसका बहुत महत्व हैं अत: देश के संपूर्ण भागों का विकास करना है तो विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था आवश्यक है। गाँधी जी के विकेन्द्रीकरण को विचार वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है।

गाँधी जी के वितरण और राजस्व संबंधी विचार – गाँधी जी राष्ट्रीय आय का वितरण समानता के सिद्धांत के आधार पर चाहते हैं। उनका समान वितरण से तात्पर्य प्रत्येक साधन को उसकी आवश्यकतानुसार पुरस्कार से था। गाँधी जी प्रत्येक साधन को उतना पुरस्कार दिखाना चाहते थे कि वह साधन अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को सरलता से पूरा कर सके। गाँधी जी ने कहा 'समान वितरण का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बराबर पुरस्कार प्राप्त हो इससे अधिक नहीं।'

करारोपण के संबंध में गाँधी जी का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी करदान क्षमता के अनुसार ही कर वसूल किये जाना चाहिए। गाँधी जी का यह भी सुझाव था कि सरकार को उस कर राशि का प्रयोग जनसाधारण के कल्याण के लिए करना चाहिए।

वितरण और राजस्व के विचारों की वर्तमान समय में भी लागू किये जा रहे हैं। सरकार अमीरों पर अधिक कर लगाकर गरीबों के हित में खर्च कर रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, गरीबी दूर करने के लिए गरीब वर्ग को बहुत सारी योजनायें भी लागू कर रही हैं।

कृषि संबंधी विचार – गाँधी जी कृषि व्यवसाय को सर्वाधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि देश की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने का एक मात्र व्यवसाय कृषि ही है। उन्होंने कृषि विकास के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने, सस्ता ऋण उपलब्ध कराने, ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के अनेक सुझाव दिये। उनका कहना था भूमि प्रकृति का नि:शुल्क उपहार है उसे व्यक्तिगत अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। वे भूमि पर कृषकों का स्वामित्व चाहते थे, वे प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, कृषकों की ऋणग्रस्ता की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए गाँधी जी ने सहकारी साख-समितियों पर बल दिया, ग्रामीण बेकारी की समस्या के निदान के लिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।

इस प्रकार गाँधी जी के भारतीय कृषि संबंधी विचार वर्तमान समय में बहुत ही प्रासांगिक है। उन्होंने कृषि संबंधी समस्याओं का गहन अध्ययन किया और उन्हें दूर करने के लिए जो सुझाव दिये वो आज भी महत्वपूर्ण हैं।

कुटीर उद्योग संबंधी विचार – गाँधी जी मानते थे कि बड़े पैमाने के उद्योग बेरोजगारी, आत्मनिर्भरता का अभाव, आर्थिक संकट, आय व सम्पत्ति का असमान वितरण, आत्मनिर्भरता का अभाव व कई सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयाँ उत्पन्न करते हैं। अर्थव्यवस्था को इन बुराइयों से बचाने का एकमात्र उपाय कुटीर उद्योग का विकास है। गाँधी जी ने कहा था कि 'भारत का मोक्ष कुटीर उद्योग धंधों पर निर्भर करता है।' उनका विश्वास था कि ग्रामीण क्षेत्रों पर पायी जाने वाली बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी और गरीबी की समस्या का हल कुटीर उद्योगों के विकास से ही संभव हैं इसके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कुटीर उद्योगों के विस्तार की आवश्यकता है। गाँधी जी ने कुटीर उद्योग के साथ लघु उद्योग धंधों की स्थापना एवं विकास पर भी बल दिया।

गाँधी जी के कुटीर उद्योग संबंधी विचार वर्तमान समय की सबसे बड़ी माँग हैं गाँवों का विकास, गाँवों की बेरोजगारी (कृषि में अदृश्य बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी) दूर करके व गरीबी दूर करके ही संभव हैं जो कुटीर उद्योगों के विकास से ही संभव है।

जनसंख्या संबंधी विचार – गाँधी जी बढ़ती हुई जनसंख्या को राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध समझते थे उनका विचार था कि प्रत्येक देश में जनसंख्या प्राकृतिक साधनों के अनुकूल होना चाहिए। गाँधी जी का विचार था कि आर्थिक समस्याओं का कारण जनसंख्या की अधिकता न होकर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण न किया जाना है। परंतु वर्तमान में प्रतिवर्ष दर से बढ़ती हुई जनसंख्या कई आर्थिक समस्याओं गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट, कुपोषण, बीमारियाँ आदि बढ़ रही हैं इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

वर्ण व्यवस्था – गाँधी जी प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर आधारित श्रम विभाजन को समाज के लिए हितकर स्वीकार करते थे। उनका विचार था कि वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता-पिता का व्यवसाय उत्ताराधिकार में प्राप्त हो जाता है जिससे उसकी आर्थिक समस्या व रोजगार की समस्या सामने नहीं आती है। गाँधी जी व्यवसाय परिवर्तन के विरोधी नहीं थे पर उनका कहना कि व्यवसाय परिवर्तन निजी लाभ के उद्देश्य से नहीं वरन् सेवा भावना से किया जाना चाहिए। यद्यपि गाँधी जी व्यावसायिक आधार पर तो वर्ण व्यवस्था को लाभप्रद स्वीकार करते थे परन्तु वर्ण व्यवस्था के सामाजिक भेदभाव और ऊँच-नीच की भावना को बुरा समझते थे। उन्होंने जीवनभर इस ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। वर्तमान में भी सरकार इस छुआछूत को व ऊँच-नीच के भाव को समाप्त करने में प्रयासरत है। क्योंकि अभी भी कई पिछड़े क्षेत्रों में यह भावना देखी जाती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता – गाँधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका विचार था कि राज्यको व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए

सभी को न्याय प्राप्त होना चाहिए। उनका कहना था कि 'मनुष्य अपने कार्य पर स्वयं बड़ा निर्णायक होता है। राज्य की बढ़ती हुई शक्ति मुझे सदा भयभीत करती है।' व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है जो निरंतर बढ़ रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवायें, व्यवसाय, तकनीकी क्षेत्र सभी में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है।

ग्रामीण सर्वोदय – ग्रामीण सर्वोदय गाँधी जी का महान आदर्श था गाँधी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार और विस्तार के प्रबल समर्थक थे उनके अनुसार भारत गाँवों का देश है और जब तक इन गाँवों का विकास नहीं होता तब तक राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। गाँधी जी का अर्थशास्त्र मूलत: ग्राम प्रधान अर्थशास्त्र है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में गाँधी जी ने आदर्श ग्राम की कल्पना की और देश के सभी ग्रामों को इस रूप में विकसित करने का विचार दिया। वर्तमान में जो योजना कि हर सांसद या विधायक एक ग्राम को गोद ले उसगाँव का विकास करें यह विचार भी गाँधी जी के विचार की है देन कहा जा सकता है। गाँधी जी ग्राम पंचायत को शक्तिशाली बनाना चाहते थे ग्रामीण प्रशासन एवं व्यवस्था पंचायतों द्वारा चाहते थे। वर्तमान में भी पंचायती राज व ग्राम पंचायतें कार्य कर आदर्श गाँव की स्थापना कर रही है।

अर्थशास्त्र के प्रति नैतिक दृष्टिकोण – गाँधी जी ने आर्थिक विचारों की नैतिक आधारशिला प्रदान की। उन्होंने कहा कि सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी उच्चतम नैतिक मापदंड के विरूद्ध नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र को न्याय भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर आघात करता है वह अनैतिक है इसलिए पापपूर्ण है। मनुष्य अपने लिए भौतिक लाभ की आशा से ही कर्म करने को प्रेरित हो इस प्रकार का विचार पतन की ओर ले जाता है। गाँधी जी का अर्थशास्त्र नैतिकता से युक्त था उनका कथन कि 'जो अर्थशास्त्र शक्तिशाली व्यक्तियों को गरीब का शोषण सिखाता है वह असत्य अर्थशास्त्र है सच्चा अर्थशास्त्र सबके लाभ के लिए होता है और वह जीवन के लिए अनिवार्य है।' यह कथन एक आदर्श अर्थशास्त्र को इंगित करता है जिसको वर्तमान में जे. के. मेहता आदि के विचारों में भी देखा जा रहा है। कल्याण का अर्थशास्त्र, सुखी होने का अर्थशास्त्र के विचार जो वर्तमान में देखे जा रहे हैं वह गाँधी जी के विचारों में काफी मेल करते हैं। गाँधी जी का यह कथन कि 'अर्थनीति और नैतिक पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा में हमें अपनी नैतिकता को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति के नियमपूर्ण सत्य है परंतु आर्थिक नियम समय व स्थान के साथ बदलते रहते हैं।'

इसके अतिरिक्त सत्य और अहिंसा गाँधी जी के महान अस्त्र हैं जिन्होंने इनके माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गाँधी जी का मानना था कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान अहिंसा में छिपा है गाँधी जी उन सभी अहिंसक आजीविकाओं के समर्थन में थे जो घृणा और शोषण के विरूद्ध हों। उनके अर्थशास्त्र में हिंसा का कोई स्थान न था उनका समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और अहिंसा पर आधारित है।

इस प्रकार गाँधी जी के आर्थिक विचार बहुत ही परिपक्व और उनकी गहरी सोच को स्पष्ट करते हैं। गाँधी जी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे वस्तुत: गाँधी जी एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री थे उन्हें भारत और उसकी दलित एवं शोषित जनता से बहुत लगाव था अत: उन्होंने भारतीय-आर्थिक समस्याओं का गहरा अध्ययन किया और उनके समाधान के लिए व्यवहारिक उपाय प्रस्तुत किये। गाँधी जी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था को आदर्श और दार्शनिक आधार पर स्थापित करना चाहते थे। गाँधी जी के आर्थिक विचारों का महत्व चिरस्थायी है। जब भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच जायेगा और जब लोग भौतिकवाद से ऊब जायेंगे तो महात्मा गाँधी के विचार निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन करेंगे। अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके विचार महत्वपूर्ण हैं और आगे भी उनके विचारों को अनदेखा कर भारत देश विकास के संबंध में सोच भी नहीं सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महात्मा गाँधी का समाज दर्शन – महादेव प्रसाद।
2. प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिंतक – डॉ. अमरेश्वर अवस्थी एवं डॉ. रामकुमार अवस्थी।
3. आर्थिक विचारों का इतिहास – डॉ. पी. डी. माहेश्वरी एवं जैन।
4. आर्थिक विचारों का इतिहास – राजेश कुमार वर्मा, शिशिर कुमार वर्मा।
5. गाँधी और अहिंसक आंदोलन – शंकर दयाल सिंह।
6. आर्थिक चिंतन का इतिहास – डॉ. चतुर्वेदी एवं डॉ. चतुर्वेदी।

****

किशोरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने के लिए संतुलित आहार एवं सामान्य आहार का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. शैलजा त्रिवेदी* डॉ. ओमनारायण तिवारी **

शोध सारांश – विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की समस्या अधिक होती है। किशोरियों एवं गर्भवती महिलाए अधिक प्रभावित होती है। निम्न आय वर्ग की किशोरियों को अज्ञानता, गरीबी व असंतुलित आहार के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता से प्रभावित होती है। वर्तमान समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता की समस्या को देखकर शोध कार्य किया। शोध का उदेश्य निम्न आय वर्ग की किशोरियों को पोषक तत्वों युक्त आहार के लिए जागरूक करना एवं जीवन में आहार के महत्व को समझाना। किशोरियों को यौगिक आहार (संतुलित आहार) एवं संतुलित आहर का सम्मिलित रूप दिया गया। इस अवस्था में सही तरीके से बनाया आहार संतुलित आहार जो पोषक तत्वों से भरा होना आवश्यक है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता समस्या को देखकर किशोरियों पर शोध कार्य किया सभी छात्राओं को एक ही छात्रावास से लिया गया। किशोरियों को दो समूह में बांटा गया। प्रत्येक समूह में 70-70 छात्राओं को लिया गया। प्रयोगात्मक समूह में 70 छात्रायें तथा नियंत्रित समूह में 70 छात्रायें चुनी गयी। प्रयोगात्मक समुह को संतुलित आहार एवं संतुलित आहार की अनुमानित मात्रा दी गयी।

नियंत्रित समुह को सामान्य आहार जो वो पूर्ववत ले रही थी वही दिया गया। संतुलित पोष्टिक आहार तीन माह तक देख रेख में दिया गया। आहार में हरी पत्तेदार सब्जियॉ) बथुआ, कुल्फा, पालक), शिमला मिर्च हरी मिर्च हरी चटनी अंकुरित अनाज मूगफली की चिक्की काला भुना चना गुड मैथी ऑवला नीबू आदि चीजो को आहार में शमिल किया गया। हरी सब्जियों व गुड चना से लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हुयी। नीबू ऑवला एवं खटटे मीठे फलों से विटामिल सी की प्राप्ति हुयी। गहरी हरे रंग की पत्तेदार की सब्जियों से फालिक एसिड मिला। ताजा दही से विटामिन बी12 प्राप्त हुआ। शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन (लौहतत्व) विटामिन सी फालिक एसिड एवं विटामिन बी12 की आवश्यकता होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने के लिए आवश्यक है। फलो व सब्जियों का सुरक्षात्मक समुह में रखा गया है। जिससे एन्टीआक्सीडेन्ट की प्राप्ति होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है।

तीन माह के पश्चात डॉ. के क्लीनीकल परीक्षण में पाया गया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्तर में सुधार आया है किशोरियों में उर्जा का स्तर बढा, कमजोरी, चक्कर आना झुनझुनी जैसी समस्याओं में लाभ मिला। स्मरण शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। जिसका असर परीक्षा के परिणामों में प्राप्त हुआ चिडचिडापन, गुस्सा, तनाव कमे होने लगा सकारात्मकता का विकास हुआ।

श्ब्द कुंजी– किशोरावस्था– वयसंधिकाल,संतुलित आहार – यौगिक आहार, रोग प्रतिरोधक क्षमता – रोगो से लड़ने की क्षमता का विकास ,पौष्टिक आहार–पोषक तत्व युक्त आहार।

प्रस्तावना – आहार जीवन का आधार है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में आहार मुख्य है किशोरियों शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन के कारण तनाव व दबाव में रहती है इसी कारण आहार के प्रति लापरवाह होती है। अज्ञानता गरीबी, अनियमित जीवन शैली एव खान पान की गडबडियों के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की समस्या होती है। निम्न आय वर्ग की किशेरियों मे पोषक तत्वो की कमी मासिक धर्म की अनियमितता पारिवारिक तनाव के कारण भी रोग प्रतिरोधक क्षमता की समस्या हो जाती है। जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण अन्य समस्याये भी होती है यदि ये लम्बे समय तक रहे तो किशोरियों के भावी जीवन पर भी असर हो सकता है।

किशोरियों के आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक क तत्व होना चाहिये ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन कार्बोज वसा, विटामिन एव खनिज तत्व उचित अनुपात में होना आवश्यक है। ऐसा आहार को संतुलित आहार कहा जाता है।

अंकुरित आहार को संतुलित आहार में रखा गया है जिसे अमृत आहार कहा गया है। अंकुरित चना, मोठ, लोबिया में अनार व नीबु डालकर खाने से प्रोटीन आयरन केल्शियम एवं विटामिन सी की प्राप्ति होती है।

अंकुरित अनाज से विटामिन बी. ई. सी. एवं विटमिन बी12 की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है मिला जुला अनाजों को अंकुरित करके या पानी में भिगोकर खाने से खनिज तत्वों की पूर्ति होती है। जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में लाभ मिला और बेहतर परिणाम प्राप्त हुये।

दैनिक आहार में अनाज दाले फलियॉ हरे पत्तेदार सब्जियॉ, दूध, मठा, गुड, खडा अनाज मौसमी फल चना व गेहूँ की चपाती, सलाद, हरी चटनी, गुड मुगफली की चिक्की, राजगिरा गुड के लडडू, भुना काला चना आंवला नीबू संतरा आदि दिया गया इसके परिणाम से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति हुयी। किशोरियों को नाश्ता में भरपूर पोषक तत्व युक्त आहार दिया गयाा जिससे उन्हें पूरे दिन की 1/3 कैलोरी की प्राप्ति हुयी।

प्रयोगात्मक किशेरियो के दैनिक आहार में परिवर्तन करने से

* भोपाल (म.प्र.) भारत
** निर्देशक- भोपाल (म.प्र.) भारत

सकारात्मक लाभ प्राप्त हुका रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हुआ तीन माह तक संतुलित आहार व संतुलित आहार का मिला जुला स्वरूप देने से उर्जा का स्तर बढा स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम आये और किशोरियों में आत्म विश्वास आत्म निरीक्षण एवं आत्म नियंत्रण में वृद्धि प्राप्त हुयी।

नियंत्रित समूह को पूर्ववत आहार दिया गया जिसके परिणमस्वरूप किशोरियो में किसी प्रकार का परिवर्तन नही पाया गया। शोध कार्य करने पर ज्ञात हुआ कि आहार व स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। उत्तम आहार में ही उत्तम स्वास्थ्य छिपा हुआ। कहावत है कि स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ्य मस्तिश्क निवास करता है। परिवार में किशोरियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है आज की किशोरियॉ भावी समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

WHO के अनुसार विकासशील देशों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं देखी जाती है। बच्चे व गर्भवती महिलाऐं सबसे अधिक प्रभावित है।

लक्षण–

1. त्वचा में सफेदपन आना।
2. कमजोरी व चक्कर आना।
3. थकावट।
4. रोग की तीव्र अवस्था में दिल का तेज धड़कना।
5. तीव्र अवस्था में चलने में सांस भरना।
6. निम्न रक्तचाप।

स्तनपान छोड़ने वाले शिशु तथा किशोर बालक के इस आयु समूह में लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया सामान्यतया पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम (5%-6%) हो जाता है। बालक सुस्त व कमजोर रहते है। उनकी त्वचा में सफेदपन दिखाई देता है।

लौह तत्व की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में उपचार – संतुलित आहार लेना चाहिए तथा लौह तत्व सहित अन्य आवश्यक आहारीय भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। आहारीय नियम के साथ चिकित्सक के अनुसार लौह सम्बन्धित गोलियों को पूरक रूप में लेना चाहिए। जिसका परिणाम भी कम समय में दिखने लगता है।

फॉलिक एसिड की कमी से उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता – फॉलिक एसिड की कमी के कारण होने वाला मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सामान्यतया गर्भवती स्त्रियों में और पूर्व स्कूल के कुछ बालकों में पाया जाता है।

कारण–रक्त परीक्षण – लाल रक्ताणुओं की गणना में कमी और हीमोग्लोबिन (6%-8%) हो जाता है। लाल रक्ताणुओं को व्यास सामान्य से बड़ा हो जाता है।

लक्षण–इसके लक्षण लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता के समान ही होते है। जो कि निम्न प्रकार के हैं–

1. पेट में दर्द। 2. वजन में कमी 3. थकान, कमजोरी 4. मनोवैज्ञानिक आदि।

उपचार–सभी आवश्यक आहारीय भोज्य पदार्थो से युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगी को फॉलिक एसिड भी देना चाहिए। बालकों, वयस्कों और गर्भावस्था के दौरान चिकित्सक के अनुसार ही फॉलिक एसिड की निर्धारित मात्रा देना चाहिए।

विटामिन बी12 की कमी के कारण उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता– यह प्राणघातक रोग प्रतिरोधक क्षमता आमाशय में इन्ट्रिन्सिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। जिससे आँतों में विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाता है। बी12 लाल रक्ताणुओं के निर्माण में आवश्यक है। साथ ही तंत्रिका तंत्र के सुचारू से कार्य करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह पशुओं में प्राप्त आहार में अधिक पाया जाता है।

रक्त परीक्षण–लाल रक्ताणुओं की गणना में बहुत कमी हो जाती है, इसीलिए यह एनीमिया मेक्रासाइटिक कहलाता है। अमाशय में जो कोशिकाऐं अम्ल और एन्जाइम का स्त्राव करती है, वे क्षतिग्रस्त हो जाती है। आमाशयी स्त्रावण में अम्ल पेप्सिन और इन्ट्रिन्सिक फैक्टर (I.F.) की कमी रहती है। सामान्यत: मुंह पर दर्दयुक्त जलन देखा जाता है।

स्नायुविक तंत्र– करीब 80 प्रतिशत मामलों में हाथों और पैरों के अंगुलियों में असंवेदनशीलता होती है। स्पाइनल कॉर्ड के प्रभावित होने के लक्षण भी दिखाई देते है। गम्भीर स्थिति में स्पाइनल कॉर्ड के तन्तुओं का डिमाइलिनेशन हो जाता है। जो पहले डॉर्सल कॉलम और बाद में लेटरस कॉलम को प्रभावित करता है।

लक्षण–(1) पीलिया (2) हाथ, पैरों का सुन्न हो जाना उनमें झुनझुपर का होना। (3) भ्रम की स्थिति बने रहना (4) व्यक्तित्व में परिवर्तन (5) अवसाद।

उपचार–सभी आवश्यक आहारीय भोज्य पदार्थो के साथ ही अच्छी तरह संतुलित आहार रोगी को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगी को विटामिन बी12 की उचित मात्रा भी देना चाहिए।

आहारीय स्त्रोत (प्रति 100 ग्राम)

तालिका 1 – (अगले पृष्ठ पर देखे)

यदि तालिका 1 को ध्यानपूर्वक देखे तो पाएँगे कि इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, लौह, तत्व तथा कैल्सियम की प्रस्तावित दैनिक मात्राएँ अधिक हैं। चूँकि यह शरीर के ऊतकों की तीव्र गति की वृद्धि में सहायता के लिए आवश्यकता है अत: इनकी मात्रा अधिक है। स्कूलगामी बच्चों के सामान, प्राय: किशोर भी बहुत क्रियाशील होते है जिससे उनकी लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर में बढ़ती हुई रक्त की मात्रा तथा अस्थि-पंजर में वृद्धि के लिए लौह तत्व तथा कैल्सियम की आवश्यकता पता लगाते समय मासिक धर्म के दौरान हुई तत्व की क्षति को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

विशेष– विटामिन बी12 वनस्पति स्त्रोत में नही होता है।

किशोरियों व बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी देखी जाती हैं वर्तमान समय में आहारीय सम्बंधी परिवर्तन भी इसका जिम्मेदार है। पहले के समय में सम्पूर्ण संतुलित भोजन की एक थाली होती थी। जिसमें दादी–नानी के हाथ की हरी चटनी, सलाद, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, साबुत अनाज के व्यंजन, सत्तु, दही आदि शामिल होता था। संतुलित आहार लेने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी। किशोरियाँ आहार को लेकर बहुत अधिक जागरूक हो गयी हैं। किन्तु वजन को नियंत्रण रखने के लिए गलत तरीके अपनाती हैं व संतुलित आहार नहीं लेती है। निम्न आय वर्ग में भी किशोरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी जाती हैं थोड़ी सी जानकारी से सस्ते दामों में उपलब्ध खाद्य पदार्थो तत्वों की पूर्ति की जा सकती है।

आज की किशोरियाँ ही आने वाले समय में कई जिम्मेदारियाँ सम्भालती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने खान–पान का अधिक ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार ही जीवन का आधार है। उचित मात्रा में सही समय पर सही ढंग से बनाया गया आहार लेना चाहिएए। आहार में हरे पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज,गुड मूँगफली, किशमिश,मुनक्का, अंजीर, दूध,दही, दालें आदि पर्याप्त मात्रा में लेना आवश्यक है। लौह तत्व के अवशोषण के लिए विटामिन सी लेना चाहिए। इसके लिए आँवला,नीबू खट्टे–मीठे फल, हरी मिर्ची लेना चाहिए। एनीमिया की गम्भीर स्थिति में चिकित्सक

से सलाह लेकर रक्त परीक्षण करवाकर ही सही दवा की मात्रा लेना आवश्यक होता हैं इसके बाद धीरे-धीरे जब हीमोग्लोबिन बढ़ने लगे तो आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित दिनचर्या व संतुलित आहार,व्यायाम, योग,ध्यान से शरीर का स्वस्थ्य रखा जा सकता हैं।

अध्ययन का औचित्य – प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन का औचित्य, समस्या का कथन, अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पनाऍ एवं अध्ययन की परिसीमाओं का वर्णन किया गया है।

विभिन्न शोधों की समीक्षा के पश्चात यह पता चलता है कि योग के विभिन्न पक्षों पर शोध तो हुये है। परन्तु ज्यादातर शोध व्यक्ति के षरीरिक तंदुरुस्ती एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किये गये है।

शोध के उद्देश्य – वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है। किशोर/किशोरियॉ परिवार व समाज में अपना अलग स्थन बनाने का प्रयास करते है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है। जिसके कारण समायोजन करने में कठिनयाईयॉ भी आती है। सर्वप्रथम बने रहने की महत्वाकांक्षा, किशोरियों को संयमित, संतुलित व संतुलित आहार लेने तथा नियमित दिनचर्या बनाये रखने के लिए प्रेरित करती है। योग उसमें गुरू रूप से मार्गदर्शक व सहायक का कार्य करता है।

इस शोध प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य है

- किशोरियों के स्वास्थ्य के संदर्भ में संतुलित आहार के प्रभाव अध्ययन करना।
- किशोरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता संतुलित आहार के प्रभाव का अध्ययन करना।

समस्या के परिणाम तक पहुॅचने के लिये प्रयोगात्मक विधि का चयन किया गया है जिसके लिये पूर्व तथा उच्चतर परीक्षण अभिकल्प का चयन किया गया है। इस अभिकल्प में दो समूह बनाये गये और समूह के सदस्यों का चयन यादृच्छीकरण विधि द्वारा किया गया। जो कि निम्न प्रकार से है –

1. प्रयोगात्मक समूह
2. नियंत्रित समूह

आवश्यक उपकरण व सामग्री

- अध्ययन से संबंधित आंकडो को एकत्र करने के लिये निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया–

1. वजन मापने का उपकरण
2. ऊॅचाई मापने का उपकरण
3. टेप
4. प्रश्नावली
5. फीडबैक फॉर्म
6. आहार तालिका

ऑकडो का संग्रहण

- प्रक्रिया में प्रयोगात्मक समूह के यादच्छिक विधि द्वारा चुनी गयी 210 छात्राओं को चुना गया। जिनके दो समूह बनाये गये। प्रत्येक समूह में 70-70 छात्राओं को लिया गया। अर्थात प्रयोगात्मक समूह के संतुलित आहार समूह में 70 छात्रायें तथा नियंत्रित समूह में 70 छात्रायें चुनी गई।
- परीक्षण के पश्चात प्रयोगात्मक समूह को संतुलित आहार दिया गया तथा नियंत्रित समूह को अलग रखा गया। उन्हें आहार संबंधी किसी भी नियम में नही बॉधा गया।

परिणामों का विश्लेषण

रोग प्रतिरोधक क्षमता समूह पर प्रभाव

- किशोरियों में तनाव मूलांकों की केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप को जानने हेतु सांख्यकीय माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात किये गये।
- संतुलित आहार के पूर्व माध्य का मान 44.65 एवे संतुलित आहार के पश्चात 38.05 हो गया।
- अध्ययन से पूर्व माध्यिका का मान 44 था। जबकि अध्ययन के पश्चात यह मान 39 हो गया।
- सांख्यकीय गणना के अंत में बहुलक भी ज्ञात किया गया। जिसका मान संतुलित आहार के पूर्व 42.70 एवं संतुलित आहार के पश्चात 40.90 हो गया।
- तत्पश्चात माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की तुलनात्मक सारणी तैयार की गई।

तालिका 2 – प्रयोगात्मक समूह के रोग प्रतिरोधक क्षमता समूह में संतुलित आहार के पूर्व एवं पश्चात परिणामों की तुलना

रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर	मध्य	माध्यिका	बहुलक
रोग प्रतिरोधक क्षमता समूह में संतुलित आहार के पूर्व	44.65	44.00	42.70
रोग प्रतिरोधक क्षमता समूह में संतुलित आहार के पश्चात	38.05	39.00	40.90

प्रयोगात्मक समूह के रोग प्रतिरोधक क्षमता समूह में संतुलित आहार के पूर्व एवं पश्चात परिणामों की तुलना

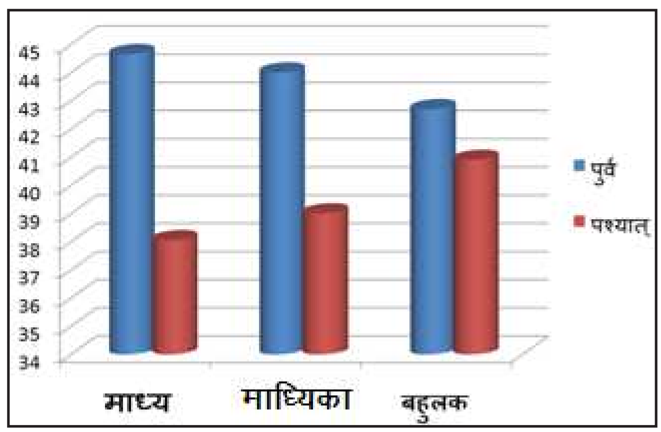

परिणामों की व्याख्या

रोग प्रतिरोधक क्षमता पर संतुलित आहार का सकारात्मक प्रभाव

- वर्तमान शोध अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि किशोरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर संतुलित आहार का सकारात्मक प्रभाव पडता है। अर्थात तीन माह तक यथेष्ट मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होने से किशोरियों को स्वास्थ्य लाभ हुआ और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लक्षण में अधिक प्रभाव पाया गया।
- आहार के रूप में अनाज, दासलें, फलियॉ, हरे पत्तेदार सब्जियॉ, दूध मठा, गुड आदि भोजन में शामिल किया गया। इससे श्शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते है। दलिया व अंकुरित अनाज लेने से उत्तम प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन्स व खनिज प्राप्त हुए। वेज उपमा, मुरमुरा भेल व सब्जियॉ लेने से शरीर में विटामिन्स और खनिज तत्वों की प्राप्ति हुई। किशोरियों को नाश्ता ऐसा दिया गया जिससे उन्हें पूरे दिन की 1/3 कैलोरी मिल सके।

निष्कर्ष – संतुलित आहार का प्रभाव किशोरियों के मानसिक संतुलित आहार पर सकारात्मक रूप से पडा। संतुलित आहार लने वाली छात्रों के तनाव के स्तर में कमी आई।

1. रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्तर पर संतुलित आहार का सकारात्मक प्रभाव हुआ। मीन माह में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई।
2. अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पर संतुलित आहार का सकारात्मक प्रभाव हुआ। तीन माह में सभी छात्राओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई।

सुझाव

छात्राओं (किशोरियों) के लिए सुझाव

1. छात्राओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
2. किशोरियों की नियमित दिनचर्या होना चाहिए।
3. बाजार के पदार्थ, तले, भुने, तेल, मसालेदार आहार नही लेना चाहिए।
4. ढोपहर का भोजन एवं रात के भोजन में 5-6 घण्टे का अंतराल होना चाहिए।
5. चना,गुड, मूँगफली, सत्तू, दलिया व अंकुरित अनाज आदि चीजें नियमित खाना चाहिए

अभिभावकों के लिए सुझाव

1. किशोरियों की माँ को उनकी भावनाओ ,समस्याओ एवं आहार सम्बन्धी आदतों को ध्यान में रखना चाहिए।
2. माँ को घर एवं बाजार के आहार में तुलना करके उसकी उपयोगिता एवं पौष्टिकता के बारे में बताना चाहिए।
3. किशोरियों में मासिक धर्म के पशचात हीमोग्लोबिन की कमी न हो इसके लिए सात्विक आहार खिलाना चाहिए।
5. भोजन तजा , गर्म ,स्निग्ध सुपाच्य ,काम तेल , मिर्ची मसाले का होना चाहिए।

सामान्य सुझाव

1. किशोरियों में शारीरिक एवं मानसिक विकास सही हो। इसलिए संतुलित आहार को अवश्य लेना चाहिए।
2. भोज्य पदार्थो में फलो व सब्जियों को अधिक मात्रा में लेना चाहिए।
3. शिक्षक एवं अभिभावकों को किशोरियों को संतुलित आहार लेने के लिए प्रेरित करे।
4. स्कूल व घर का वातावरण अच्छा बनना भी आवयशक है। इससे उनका भावनात्मक विकास अच्छा होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा डॉ. राजेन्द्र, बाल विकास, मनोविज्ञान अध्यक्ष-भारतीय शिक्षा श्शोध एवं निर्देशन संस्थान सम्पादयक शिक्षा भारती (1998 सर्वलाइम पब्लिकेशन्स जयपुर)।
2. वर्मा डॉ. गणेश नारायण क्या खायें और क्यों पापुलर बुक डिपो जयपुर।
3. चौधरी मानव आहार की औषधि है।
4. नवनीत पब्लिकेशन गुजरात।
5. जैन, राजीव त्रिलोक सम्पूर्ण योग विद्या मंजूल पब्लिशिंग प्रा.लि.।
6. नारायण प्रश्नोत्तरी मानस योग साधना इंटरनेशनल एसोसियेशन फॉर सांइटिफिक स्प्रिचुअलिज्म व मई व जून -2013 अंक 06 व 05।
7. पेंढरकर सौ. जय श्री आहार संक्षेप में डिप्लोमा इन डायटेटिक्स नागपुर जयश्री प्रकाशसन।
8. अहा जिन्दगी अप्रैल 2011 (मैगजीन)।
9. स्वामीनाथन ए आहार एवं पो ण प्रकाशन एन.आर.ब्रदर्स इन्दौर (म.प्र.)।
10. गुप्ता सुषमा, गर्ग नील, अग्रवाल अमिता बच्चों की देखभाल एवं मनोविज्ञान कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना नई दिल्ली।

तालिका 1 - किशोर के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएँ

पोषक तत्व	आयु वर्ग (वर्ष)			
	13-15(लडके)	**13-15 (लड़कियाँ)**	**16-18 (लडके)**	**16-18 (लड़कियाँ)**
ऊर्जा (कि.कैलोरी	2450	2060	2640	2060
प्रोटीन (ग्रा.) कैल्सियम (मि.ग्रा.)	70 600	65 600	78 500	63 500
लौह तत्व (मि.ग्रा.)	41	28	50	30
विटामिन ए (मि.ग्रा.) रैटिनॉल या कैरोटीन	600 2400	600 2400	600 2400	600 2400
थायमीन (मि.ग्रा.)	1.2	1	1.3	1
राईबोफ्लेविबन (मि.ग्रा.)	1.5	1	1.6	1.2
नियासीन (मि.ग्रा.)	16	14	17	14
विटामिन सी (मि.ग्रा.)	40	40	40	40
फोलिक अम्ल (मि.ग्रा.)	100	100	100	100
विटामिन बी (मि.ग्रा.)	0.2-1	0.2-1	0.2-1	0.2-1

स्त्रोत- न्यूट्रीएंट रिक्वायरमेंटस एंड रिकमेडिड डायट्री अलॉन्स फॉर इंडियन्स, आइ सी.एम.आर.

****

विद्यार्थियों की उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम का प्रभाव

अमिता बैनिवाल *

शोध सारांश – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संस्थानों की सहायता से ही शैक्षणिक उत्कृष्टता को अद्यतन किया जाता है और सामाजिक संस्थाओं को समाज के व्यक्तियों के सहयोग से चलाया जाता है। अनादिकाल से समाज और शिक्षाविदों के बीच एक संबंध रहा है। वर्तमान समय में इन दोनों के आपसी सहयोग को आत्मसात और महसूस करने की आवश्यकता है। सहयोगी गतिविधियों के भीतर व्यक्ति ऐसे परिणाम चाहते हैं जो स्वयं और समूह के अन्य सभी सदस्यों के लिए भी फायदेमंद हों। सहयोगी अधिगम, छोटे समूहों में, एक प्रकार की निर्देशात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं के और प्रत्येक अन्य साथी के सीखने में वृद्धि के लिये सहयोगात्मक तरिके से काम करता है। सहयोगी अधिगम अब एक स्वीकृत और अत्यधिक अनुशासित अनुदेशात्मक प्रक्रिया है। यह सीखने की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र समूह एक साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न तलाशते है या एक सार्थक परियोजना बनाते है और परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

इस पत्र में जांचकर्ता ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों पर पर्यावरण विषय का अध्ययन कर उपलब्धिा प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान अध्ययन एकल समूह पर पूर्व व पश्च परीक्षण पर आधारित एक प्रयोगात्मक अध्ययन है। यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के 30 छात्रों के प्रारूपपर आयोजित किया गया। इसमें स्व–विकसित निर्देशात्मक उपकरण इकाई पाठ योजना के रूप में उपयोग किये गए हैं, साथ ही शिक्षण सहायक उपकरण और मापन उपकरण के द्वारा परीक्षण किया गया और उपयोग किए गए विधि के प्रभाव का अध्ययन किया। प्रायोगिक समूह को सहयोगी अधिगम पद्धति के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान किये गये। अध्ययन के निष्कर्षो से परिलक्षित होता है कि सहयोगी अधिगम के दौरान छात्रों की उपलब्धि प्रेरणा अन्य छात्रों की औसत उपलब्धि प्रेरणा से उच्च रही।

प्रस्तावना – शिक्षण प्रत्येक शिक्षा का प्रमुख साधान है। इसे शिक्षक और शिष्य के बीच एक प्रकार का वैचारिक एवं व्यावहारिक लेन–देन कहा जा सकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण रूचिकर, उत्साह बढ़ाने वाला हो तो विद्यार्थी भी मन से उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षार्थी में प्रत्यक्ष अनुभवों की वृद्धि तथा उनमें स्पष्टता तथा सत्यता प्रदान करना ही शिक्षा का प्रमुख कार्य है। विद्यालय का दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों का सामाजिकरण करना है। इसके लिए विद्यालय के विद्यार्थियों में आपसी समझ, बंधुत्व एवं सहयोग की भावनाओं का विकास करना परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज की भांति विद्यालय में भी सभी विद्यार्थी, सामजस्य परक रहते हुए, एक दूसरे के सहयोग कर्तव्य मानते हुए, विद्यालय रूपी समाज के नियमों, परम्पराओं एवं आदर्शो का पालन करें। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ सामुहिक जीवन की समझ एक दीर्घकालिक व्यवहार के रूप में विकसित हो। विद्यालयी वातावरण में शिक्षकों की विद्यार्थियों के लिए सहयोग, मित्रता, सहानुभूति, अपनत्व एवं उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए।

शिक्षण व्यवस्था में पाठ्यक्रम बनाने का उद्देश्य विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित अवधि में सीखने के विषयबिन्दु निर्धारित करना है परन्तु वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार विद्यार्थी को सीखने के लिए निर्धारित विषयबिन्दु के साथ–साथ उसे यह भी बताना होगा कि उसे उन विषयबिन्दुओं को कैसे सीखना है। पूर्वोक्त प्रणाली भारत के उन विद्यालयों और महाविद्यालयों में देखी जाती है जहाँ शिक्षक वर्ग हावी होते हैं और विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। शिक्षक की तरफ से शिक्षण–प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था और व्यक्तिगत अंतर का पहलू भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता था। नतीजन अपव्यय और ठहराव की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इससे बचने के लिए, कक्षा–कक्षीय बैठक के तरीकों को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रयास किए गए, कक्षा में विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर और शिक्षक–शिक्षण को अधिक प्रभावी और सुखद बनाने के प्रयास हुए। विशेष रूप से इस क्षेत्र में रचनाकारों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने सीखने के एक नए आयाम को प्रकट किया, जिसमें सीखने को एक रचनात्मक प्रक्रिया माना गया। जहां सीखने वाले निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपनी दुनिया के बारे में समझ बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार निर्माणवाद ने शिक्षक–शिक्षण की धारणा को बदल दिया और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज हुआ तथा इस विचार को पूरी दुनिया में शोध अध्ययनों द्वारा समर्थन भी मिला है। रचनाकारों ने सहकारी शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षा, समस्या–आधारित शिक्षा आदि के बीच कई निर्देशात्मक रणनीतियाँ प्रस्तावित की हैं। कहा जाता है कि 'बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल रखने के लिए, हमें विद्यार्थियों के सीखने को अधिाक प्रभावी, सरल, सहज व सुखद बनाने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोगों से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए।' उक्त तथ्य वर्तमान अध्ययन करने के लिए प्रेरणा बना। इसके साथ–साथ उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सहयोगी अधिगम एक महत्वपूर्ण विधा हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह विद्यार्थियों के आरम्भिक शैक्षणिक काल से उपलब्धि प्रेरणा के गुणों का विकास करने में सहायक है? इसलिए शोधार्थी द्वारा 'प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम का प्रभाव– एक प्रायोगिक अध्ययन' विषय पर शोधकार्य करना निश्चित

* शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

किया गया है।

समस्या कथन – 'प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम का प्रभाव– एक प्रायोगिक अध्ययन'

उद्देश्य–

1. कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए सहयोगी अधिगम कार्य नीति तैयार करना।
2. कक्षा 5 के विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. कक्षा 5 के निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में अंतर का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. कक्षा 5 के विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति का प्रभाव नहीं पड़ता।
2. कक्षा 5 के निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं है।

समय–सीमा – शोध अध्ययन हेतु 60 दिनों के लिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील के राजकीय विद्यालयों के कक्षा पांच के छात्रों का चयन किया गया।

कार्यप्रणाली – शोध कार्य के लिए अध्ययन का प्रारुप, उपकरण, डेटा संग्रह की प्रक्रिया और डेटा विश्लेषण की तकनीकों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का प्रारुप – इस अध्ययन को कक्षा–5 में पर्यावरण विषय की कक्षा तक ही सीमित किया गया है। यह एकल प्रायोगिक समूह जिसमे विद्यार्थियों की संख्या 30 हैं कक्षा को प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु शून्य कांलाश के लिए लिया गया तथा समूह निर्माण के लिए याद्दच्छिक विधि का प्रयोग कर 5–5 के छ: समूह बनाये गये है।

एकल प्रयोगात्मक समूह

1. पूर्व परीक्षण | **2. सहयोगी अधिगम का प्रयोग** | **3. पश्च परीक्षण**

उपकरण – इसमें मानकीकृत उपकरण के रूप में डॉ. पी.एस.एन. तिवारी द्वारा निर्मित उपलब्धि प्रेरणा प्रपत्र का उपयोग किया गया हैं जोकि निर्देशात्मक हैं।

दत्त विश्लेषण – परिकल्पना 1– कक्षा 5 के विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति का प्रभाव नहीं पड़ता।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

परिकल्पना 2– कक्षा 5 के निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

परिणाम– वर्तमान अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–

1. सहयोगी अधिगम प्रणाली के अंतर्गत अधिगम वातावरण सरल, सहज व आनंददायी होता है।
2. सहयोगी अधिगम प्रणाली में सीखना आसान है जिससे विद्यार्थी उपलब्धि प्राप्ति के लिए अधिाक प्रेरित होते हैं।
3. सहयोगी अधिगम प्रणाली में सहपाठियों के साथ सीखना संस्कृति व सामाजिक कौशल को बढ़ाता हैं।
4. सहयोगी अधिगम के दौरान विद्यार्थी समूह के प्रत्येक न्यून उपलब्धि वाले मित्र की मदद कर सकता हैं।
5. सहयोगी अधिगम प्रणाली से विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी समूह में कार्य करना सीखते हैं।
6. सहयोगी अधिगम के दौरान विद्यार्थीयों की अधिकतर जिज्ञासाओं का समाधान समूह में ही हो जाता हैं।
7. सहयोगी समूह में सीखने से विद्यार्थी की समझ अधिक तार्किक होती है।
8. सहयोगी अधिगम प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी समय व स्थान की सीमाओं से स्वतंत्र रह कर कार्य करना सीखता है जिससे उपलब्धि प्रेरणा का स्तर उच्च होता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. **Abroi, D.N.,** "A Study of Achievement Motivation in Relation to Intelligence, Vocational Interest, Achievement, Sex and Socio Economic Status"; Ph.D. Thesis, Edu., Delhi Univ. 1977.
2. **Agrawal, R., and Chawla, N. (2005).,** Influence of co-operative learning on academic achievement. Journal of Indian Education, Vol.31 (2).
3. **Arora, G.L. (1987).,** Co-operative learning methods of teaching and learning - Curriculum BulletinNCERT Vol. VTII.-No.1.
4. **Dheeraj, D. and Kumari, R. (2013).**Effect of co-operative learning on Achievement in Environmental science of school student. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(2).
5. **Lakshmi, S.** "A Study of Relationship between The Rate of Learning and Achievement Motive among School Boys"; Journal of Psychological Research, Vol. 11 : 28-31, 1967.
6. **Mausumi, Manjit (1996).** Effectiveness of peer interactive learning in improving scholastic achievement and retention. M.Ed. Dissertation, C.I.E., University of Delhi.
7. **Murmu. S.K. (2003).** "Relative effectiveness of co-operative learning and mastery learning strategies on science achievement. of elementary school children" - M.Ed. Dissertation, Utkal University.
8. **Siddiqui, B.B.** "Effects of Achievement Motivation and Personality on Academic Success"; Ph.D. Thesis, Psychology, Gujarat. Univ.,1979.
9. **Slavin, R. (1987).** Developmental and motivational perspectives on cooperative learning: A reconciliation. Child Development, 58, 116-117. Slavin, R.E. (1989). Cooperative learning and student achievement. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

तालिका 1 – विद्यार्थियों की उपलब्धि प्रेरणा पर पूर्व और पश्च के परीक्षण अंकन में सार्थक अंतर

उपलब्धि प्रेरणा परीक्षण	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	विधार्थी संख्या	टी–परीक्षण
पूर्व परीक्षण	28.600	2.111	30	39.124*
पश्च परीक्षण	49.933	1.929	30	

तालिका 2 – निम्न बुद्धिमता व उच्च बुद्धिमता वाले विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रेरणा पर सहयोगी अधिगम कार्य नीति के प्रभाव में सार्थक अंतर

समूह	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	विधार्थी संख्या	टी.–परीक्षण
उच्च बुद्धिमता	21.88	3.138	16	1.06*
निम्न बुद्धिमता	21	2.785	14	

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Minor Forest Produce in Chhattisgarh

Jitendra Kumar Sharma*

Introduction - Forest Produce is defined as the term which includes those products whether found in or brought from a forest. The forest products can be generally divided into two parts: Major Forest Produce and Minor Forest Produce . The Major Forest Produce includes pulpwood , sandal wood, social forestry that includes fuel and timber. The Minor forest Produce comprises of the items like tamarind, tendu leaves, mahua flowers, mahua leaves, sal seed , sal leaf, lac, chironjee, honey, myrobalan, gums, cane soapnut, tree moss, bamboo etc. Govt. of India has notified fifty items in the list of Minor forest Produce. The Minimum Support Price notified by the Government of India was enhanced on 26-12-2018 and 11-01- 2019 on the basis of the recommendation of the pricing cell which is set up from time to time in Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED)

Minor Forest Produce in Chhattisgarh - Chhattisgarh became the 26th state of India in 2000. with an area of 135, 194 sq km. The state is endowed with natural resources , forests and water bodies . 59772. 389 sq km. i,e. forty four percent area of the state is covered with forests. Korba district has the maximum i,e.72.58% while the minimum is found in Janjgir-Champa district 5.6% The forests of Chhattisgarh are very rich in Minor Forest Produce. There are many MFP species of commercial importance in the state. There are some examples of Minor Forest Produce in the following.

Mahua - Mahua flower is edible and used as food item for tribal people.The flower contains more than 70% sugar and used as raw material for alcohol fermentation. The kernel of fruit contains 50% oil. The leaves are used for feeding Antheraea paphia, produces tassar silk . Mahua cake is used as detergent, fertilizer, manure. In Chhattisgarh, it is the biggest MFP by revenue accounting for 200 crore rupees , about one-third of the state's annual trade in MFP.

Chironji pods - The seed of Chironji is used for sweets. It is also used as an alternative for almonds. The oil extracted from the seeds is used in cooking , as a substitude for almond oil and olive oil. Due to rampant felling of 'char' forest and the subsequent fall in production, chironji is facing the prospect of extinction and with prices of this desi dry fruit touching sky high. According to CGMFPF , Chhattisgarh has 51,200 quintal per year production potential of chironji valued for Rs. 44.29 crores contributing more than 50 percent of national production.

Tamarind - Tamarind is used as food in various ways. The tender immature , very sour pods are cooked as seasoning with rice, fish and meats in India. The pulp is used to prepare a variety of products. Tamarind seeds have been sued in a limited way as emergency food. It is also used as a substitute for coffee. It is also used for various medicinal purposes Jagdalpur is the largest production center of tamarind in Asia in quality and quality both, best and most liked qualities in the world.

Tendu Leaves - Tendu leaves are one of the most important MFP species. The leaves of tendu are used for wrapping bidi (Indian smoking tebacoo) Chhattisgarh is a pioneer state of India producing the best quality tendu leaves. The production of tendu leaves in Chhattisgarh is approximately 16.44 lacs standard bages annually , which is nearly 20% of the total tendu leaves production of the country. One standard bag of tendu leaves in Chhattisgarh comprises of 1000 bundlles of 50 leaves each.

Lac - The state of Chhattisgarh being one of the leading lac producing state in the country, annual production of lac is approximately 4000MT. Major lac producing districts in the state are Jagdalpur , Kanker, Mahasamund, Gariabond, Korea, Sarguja and Kabeerdham.

Sal seeds - Sal seeds are of major commercial importance and have a leading role in food and cosmetic sectors. The seeds are also used for production of vanaspati, paints, pigments, lubricants, biogas and biodiesel and making soaps and substitudes for cocoa butter in chocolate manufacturing industries. The important sal seed producing District Unions of Chhattisgarh are Jagdalpur, Keshkal, South Kondagaon , East Bhanupratappur, Gariaband, Dhamtari, Dharanjaigarh, Korba, Jashpur, Sarguja etc.

Bamboo - Chhattisgarh has major bomboo cultivation in Bastar region with tribals engaged. in both production and thereafter value addition. Under the National Bamboo Mission, a bamboo plantation campaign has taken place in the state of Chhattisgarh.

Gum - Collection of gum is an important source of livelihood for local dwellers. Traditional method of collecting gum is crude and unscientific which causes severe injury to trees and leads to death of the trees. Dhawara, Rohina, Saja

***Asst. Prof. (Commerce) Sant Shiromani Guru Ravidas Govt. College, Sargaon, Distt. Mungeli (C.G.) INDIA**

and Chironji are some of the important gum producing trees of Chhattisgarh and its gum have considerable pharmaceutical , commercial and industrial importance. Babul trees are found abundantly in Chhattisgarh plain region which are good source of gum.

Honey - The Chhattisgarh Government has established four honey processing centers for the processing and bottling of honey collected by the forest dwellers in the state. To provide them proper price, the state Govt. directly collects honey from the honey collectors. The processing centers had been established in Bilaspur , Jashpur, Bhanupratappur and Kawardha.

Harra - The approximate production of harra in the state of Chhattisgarh is about 50,000 quintals per year, but its production varies from year to year. The major harra producing Distric Unions are Kanker Keshkal, South Kondagaon,East Bhanupratappur, Jagdalpur, Dharamjaigarh, Raigarh and Jashpur.

Medicinal and Aromatic Plants - Besides the above mentioned MFPs, there are also a large number of medicianal and aromatic plants in Chhattisgarh . They are mainly found in Abujhmad region, Bailadilla hills , Kanger Reserve and Kurchel Valley in Bastar division and in some parts of Sarguja division in north Chhattisgarh. The actively traded medicinal and aromatic plants from the state are Bhui aaonla, Baheda Chhilka, Kalmegh, Safed Musli, Aama Haldi, Bhelwa fruit , van Tulsi , Dhawai Phool and others. About 40 percent of medicinal & aromatic plants (raw materials) from Chhattisgarh are exported to Kerala for manufacturing of drugs. Here in Chhattisgarh it provides the means of livelihood to a large population, specially the tribals who are involved in collection of medicinal plants and fruits.

Significance of MFP - Minor Forest Produce (MFP) is a major source of livelihood for tribals who belong to the poorest of the poor section of society. They depend on MFPs for food , fodder , shelter, medicines and cash income. It provides them critical subsistence during the lean seasons ,particularly for primitive tribal groups such as hunter gathers and the landless. This activity has strong linkage to women's financial empowerment as most of the MFPs are collected and used /sold by women.

Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Training and Development) Co-operative Federation Ltd. Raipur is the three tier. Co operative organization created with an objective to promote the trade and development of Minor Forest Produce in the interest of MFP gatherers on Co-operative pattern. The Government of India has introduced Van Dhan Vikas Karyakram under which the Minor Forest Produce gatherers will be given training in scienctific method of collection of Minor Forest Produces , their processing, value addition etc. The trainees will also be provided with tool kit suitable for the type of Minor Forest Produce collected at that center.

Conclusion - Forest have been playing a significant role in the socio-economic life of the tribal people of Chhattisgarh as well as of India. Tribal livelihood systems vary considerably between different regions. These tribal communities which largely occupy the forest regions from time immemorial have lived in isolation from the mainstream of national life but in harmony with nature. But the forests have suffered due to excessive exploitation and are facing many threats affecting bio-diversity, species , forest communities etc. Hence, the preservation of forests is vital for sustaining ecological balance and is the most important factor to protect the environment as well as the MFPs , the forest communities living in and around the forests.

References :-

1. Panigrahi, Murti SK. Flora of Bilaspur District M.P. Vol.1 Calcutta , BSI; 1989.
2. Malhotra Kc, Deb D, Dutta M, Vasalu TS, Yadav G, Adhikari M. Role of Non- Timber Forest Produce in Village Economy- Calcutta, IBRAD, 1991.
3. Verma DM, Balkrishna NP, Dixit RD, Flora of Madhya Pradesh. Botanical Survey of India, Calcutta, 1993, 1
4. Anonymous, 2013. Annual Progress report of Department of forest , government, of Chhattisgah, Jagdalpur.
5. Forest Right Act 2010, Ministry of Enviroment and Forest , Government of India, New Delhi.

Website :-

1. www.trifed.in
2. cgvanoushadhi.gov.in
3. www.plantsjournal.com
4. www.forestright.com

****

Innovation in Education - Need of the hour

Dr. Neha Jain*

Abstract - Education is the foundation of our economy. The learnings from school and colleges determines who we become as individuals and success throughout our lives. In today's world, innovation in the education sector becomes inevitable for developing the next generation of innovators and creative thinkers. This paper intends to describe the different approaches to the interpretation of educational innovations and innovations in education. It is necessary to distinguish between the concepts "educational innovations" and "innovations in education".
The great poet William Butler Yeats quoted that; ***"Education should not be the filling of a pail, but the lighting of a fire."***
Keywords- innovations, education, higher educational institutions, innovation development, education industry.

Innovation In Education - Innovation in education is a wider concept than educational innovation. It includes educational, scientific and technological, infrastructural, economic, social, legal, administrative and other innovations. Educational innovations can be understood as a procedure or method of educational activity that differs significantly from established practice and is used to increase the level of efficiency in a competitive environment. Educational innovations include pedagogical innovation, scientific and methodological innovation, educational and technological innovation. It is substantiated that the education sector is one of the most prominent elements of the national innovation system. Higher educational institutions that have chosen an innovation-based development, become competitive leaders on the education industry. The formation of new forms of education and the use of perfect controlling mechanisms at each educational institution will give the opportunity to create single educational space, which is able to meet the needs of society in quality education with specific opportunities of customers in the educational market. The main components of the innovation development of higher education institutions are determined.

Most of the educational innovations are stimulated by consumers of educational services. Some of them belong to the innovation oriented to meet existing needs i.e. to harmonize educational and professional standards, to involve representatives of professional societies to develop educational programs of universities; to develop innovative educational programs by new directions and specialties; practitioners' participation in the educational process and common research. Some innovations are aimed at creating and satisfying of new and varied needs. In the post industrial society the classic lectures and seminars are replaced by modern project, discussion, search formats with a high degree of independence and activity of students and new cognitive institutions: research networks, virtual laboratories which in a flexible way will organize the resources of various institutions like universities, research institutions, industrial laboratories and alike for the implementation of breakthrough projects in science and technology.

Educational innovations are the main ingredients of innovative education. Such understanding of innovative development enables institutions to implement new approaches to the choice of strategic objectives, based not only on their own interests, but first of all the interests of consumers of innovative education system products including society, state, employees, students and others. According to philosophers and sociologists' opinion, innovation education is a purposeful process of education and person innovative study; it should facilitate the development of his creative skills, self-learning skills, that is to form his intellectual capital.

The role of education is to develop critical and analytical skills for improved conditions for innovations in the economy, which requires innovations within the educational industry itself. There is focus on innovations in teaching and learning, with a special focus on new technologies that expand the educational toolbox. The second focus is on teachers. The success of new teaching methods depends on the ability of the teachers to invent and apply innovative teaching methods, and how incentives can be designed to foster successful implementations of such methods. The third focus is on skills development. The role of education is to deliver skilled and innovative students to the workforce, and

*Assistant Professor, Sant hirdaram Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA

when the demand for different types of skills changes, the educational sector should respond correspondingly. The last focus is on governance for innovation and improvements in education.

Three Tier Innovators For Bringing Innovation In Education:-

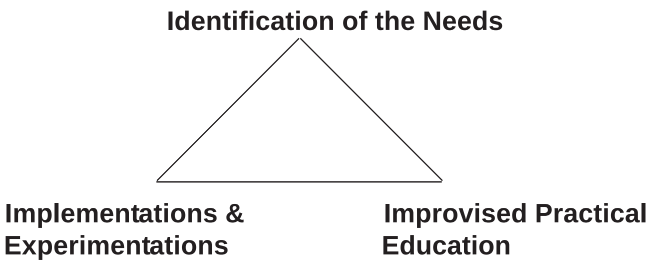

1. Identifying the needs of individuals- Experiments with new technologies expand the toolbox of teaching methods. The enhanced computer usage in teaching and learning improve educational outcomes. It's well known that everyone has different styles of learning, some students are visual learners, while others are auditory learners.

2. Implementations and Experimentations- Innovations in teaching methods have to be invented and implemented by the individual teachers. Successful experimenting and implementations of new teaching methods depend on individual teachers' ability to experiment in smart ways, and it might be only high-quality teachers that are able to bring the best knowledge and the most relevant evidence from experiences.

3. Improvised Practical Education and Soft Skills- The students should be motivated to become innovative thinkers, they need to learn leadership skills, they need to become creative and independent thinkers. Education delivers skilled students to the workforce. Thus, it is in the form of increased skill development and improved composition of different kinds of skills that education can improve the innovation capacity of the economy. When demand for skill types changes in the labour market, the education sector should respond correspondingly to ensure high employability and innovation in the economy.

Education is sometimes perceived as a sector which is resistant to change, while at the same time it faces a crisis of productivity and efficiency. Innovation could help improve the quality of education, and beyond. Innovation in education is a highly contentious issue. Innovation in education, as in all sectors of the economy and society is imperative to bring about qualitative changes, in contrast to the mere quantitative expansion that we have seen so far. This will lead to more efficiency and improved outcomes in quality and equity of learning opportunities. In the last few decades, innovation in general has been increasingly regarded as a crucial factor in maintaining competitiveness in a globalised economy.

Why Innovation in Education Matters - First of all, educational innovations can improve learning outcomes and the quality of education provision. For example, changes in the educational system or in teaching methods can help customise the educational process. Effective skills strategies; innovation rests on people with the knowledge and skills to generate new ideas and technologies, bring them to the market and implement them in the workplace, and who are able to adapt to structural changes across society. But two out of three workers do not have the skills to succeed in a technology-rich environment. A broad and inclusive education and skills strategy is therefore essential.

Conclusions - Finally, education should remain crucial in the face of rapid changes to society and the national economy. The education sector should therefore introduce the changes it needs to adapt to societal needs. For example, education systems need to adopt teaching, learning or organisational practices that have been identified as helping to foster "skills for innovation". To raise the standards of the education system we need to improve teaching pedagogy, build synergies between research and teaching, facilitate alliance of higher institutions among themselves, research centres and industries. This is necessary not only to take care of economic growth, but it is also essential for social cohesion and to empower the country's youth.

One more sensitive and crucial aspect is that today's youth grew up communicating and sharing resources through the Internet. They are poised to take advantage of the digital world for learning. It is far more important to know how to use the instructional methods and technology to support learning outcomes that are integrally linked to the student learner as a critical, practical, and creative thinker. Students may know how to navigate the Internet and use other forms of advantage of those technologies for learning at the professional level.

References :-

1. Agarwal, P. (2009), *Indian higher education: Envision the future*. New Delhi.
2. T. Evans, J. Lyons, A. Newman, K. Rynearson, *Trends and drivers in the education industry: Markets and opportunities,* 2000.
3. G. Farrell, The Changing Faces of Virtual Education, The Commonwealth of Learning, 2001.
4. D. Smith, G. Hardaker, "E-learning innovation through the implementation of an internet supported learning environment", 2000.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

A Analytical Study of Effectiveness of M-Commerce

Dr. Nirmala Kushwah*

Abstract - The main objective of the present study is to seekanswers to the following research questions: what is m-commerce? Which types of technologies used for m-commerce? What are applications for m-commerce? And what are its advantages and disadvantages whenconsumers adopt the technologies of m-commerce? How does a consumer's activities get influence by m-commerce?

It is evident from this study that in the present scenario, the area and the scope of m-commerce is witnessing a steep growth. M-commerce business is very expensive. Moreover, network & service providers are not reliable either. However, against this backdrop, m-commerce usage rates of different platforms are noticeably high. The findings reveal the factors that play a greater role in influencing the behaviour of customers in the field of business by using m-commerce technologies.

This study serves as a foundation for a deeper proof of the customer behaviour in the m-commerce research domain, basically, in the Indian context.

Introduction - Mobile commerce is a term to describe any commercial activity on a mobile device, such as a mobile phone (iPhone, Android, Blackberry) or a tablet (iPad, Galaxy tab, Surface). This includes all steps of the customer journey: reach, attract, choose, convert and retain. Hence mobile commerce is probably best described as shopping that takes advantage of the unique properties of mobile devices. It is also called as m-commerce. Pervasive computing aims at availability and invisibility. On one hand, pervasive computing can be defined as the availability of software applications and information anywhere and anytime. On the other hand, pervasive computing also means that computers are hidden in numerous, so-called, information appliances that we use in our daily lives. The characteristics of pervasive computing applications have been identified as interaction transparency, context awareness and automated capture of experiences.

In this context, the present paper is developed aiming to answer the research question: In which manner the m-commerce affects the activities of the consumers.

The paper is structured as follows: it reviews the related literature and formulates objectives by examining the activities that are done through m-commerce. Subsequently, the data and research methodology used in the study are discussed, followed by a detailed analysis of the main result. Finally the conclusion is offered.

Objectives - The objectives of the study are-

1. To know about what is m-commerce.
2. To identify the technologies and applications of m-commerce.
3. To figures out its advantages and disadvantages if society employs it in daily life.
4. To determine its influence segments on the basis of some routine examples which play a vital role in the development of our society.

Conceptual framework - Mobile commerce, also known as m-commerce, is the use of wireless handheld devices like cellphones and tablets to conduct commercial transactions online, including the purchase and sale of products, online banking and paying bills.

In other words 'the delivery of electronic commerce capabilities directly into the consumer's hand anywhere via wireless technology'.

Technologies for m-commerce - There exist three platforms to choose from- SMS, USSD(Unstructured supplementary service data) and WAP (Wireless internet Access Protocol).

SMS - This is probably the oldest and strongest of the technologies. It is also the most widely utilised today. SMS messages send out push notifications including alerts, offers, news, promotions and more. They carry binary data and effectively support two-way interaction. Its only drawback is that it does not have encryption capabilities.

USSD - These are sometimes referred to as quick codes or feature codes. They establish a connection in real-time, which creates more personal communication with your users. Similar to SMS, USSD sends out push notifications and can also answer user queries, integrate secure passwords and much more. These are often used for functions like checking account balances and delivering one time passwords.

WAP - This refers to accessing information over a mobile wireless network. Facilitates instant connectivity and control page layout compatibility across a variety of mobile device

***Assistant Professor (Commerce) B.R.B.College, Samastipur (Bihar) INDIA**

screens.

Advantages of M-commerce

1. It provides a very convenient and easy to use the system to conduct business transactions.
2. Mobile commerce has a very wide reach. A huge part of the world's population has mobile phones in their pockets. So the sheer size of the market is tremendous.
3. M-commerce also helps businesses target customers according to their location, service provider, the type of device they use and various other criteria. This can be a good marketing tool.
4. This also reduces the cost of the company. Due to the streamlined process, transaction cost, low carrying cost and low order processing cost get a cut as well.

Disadvantages of M-Commerce

1. The existing technology to set up an m-commerce business is very expensive. It has great start-up costs and many complications.
2. In developing countries, the network and service providers are not reliable. It is certainly not the 'most suitable' for data transfer.
3. There are security issues. There are many concerns about the safety of the customers private information. The possibility of a data leak is very daunting.

Implications - Other than the straight forward m-commerce transaction of buying and selling of goods and services they have so many applications. Let us take a look at a look at a few examples-

Mobile Banking- Using a mobile website or application to perform all your banking functions. It is one step ahead of online banking and has become commonplace these days. For example, in Madhya Pradesh, the majority of banking transactions happen through mobile phone.

Mobile ticketing and Booking- Making bookings and receiving a ticket on the mobile phone. The digital ticket or boarding pass is sent directly to the phone after one makes the payment. In India, IRTC and other services provide m ticketing services.

E-bill- This includes mobile vouchers and mobile coupons to be redeemed and even loyalty points or cards system.

Auctions- Online auctions having now been developed to be made available via mobile phones as well.

Stock Market- Stock market reports and even stock market training over mobile applications.

Limitations - Due to lack of time and resources, the study is limited to the information of the customers of m-commerce. Although the findings may not entirely reflect the views of customers of the country in general. Hence, research with other customers is required to examine the validity and reliability of the identified store attributes. Further, the researchers found it very difficult to make the respondents answer lengthy questions.

Future Research - A possible direction for future research is to review and conduct a similar study in a particular area like m-banking and the stock market to discover similarities and differences. Another possible way is to examine other factors such as shopping frequency, the ticket size of purchase, and comparing between m-commerce and e-commerce and furthermore.

References :-

1. M-commerce - Karabi Bandyopadhyay 2013
2. Daily (national) News Paper- Dainik Bhaskar
3. Times of India (another nationalnewspaper)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Status Of Rural Women Entrepreneurs In Karnataka

Dr. Usharani B*

Abstract - Entrepreneurs are agents who perform a vital role in the economic development of a country and are linked to the overall industrial development of a nation. Woman entrepreneur is entitled to necessary backup support of specialized and experienced persons. Rural Entrepreneurship can simply be defined as entrepreneurship emerging in rural areas. Women constitute about half the total population of the world. In the past, they were confined to the four walls of houses performing household activities. The Government of India has defined women entrepreneurs based on women participation in equity and employment of a business enterprise. The Phenomenon of women entrepreneurship is largely confined to metropolitan cities and towns. Most of the women entrepreneurs operate small scale units. However, women entrepreneurs are found in rural India also. The objectives of this study as to study the socio-economic status of rural women entrepreneurs, to study the type of business in which rural women have engaged and study about the income generated by the rural women entrepreneurs. In order to improve the existing situation of the rural women entrepreneurs engaged in a particular economic activity within a given geographical area, it is of much importance to study the current status in terms of their the socio-economic conditions of rural women entrepreneurs in the newly emerging scenario. Moreover, it is also essential to work out the skills which provide them with self persistence and concern for quality work.
Key words - Entrepreneurship, Socio-economic conditions, industrial development, equity and employment.

Introduction - Entrepreneurship among Poor Women - The concept of entrepreneurship among poor women is becoming a global phenomenon today as poor women are increasingly turning to entrepreneurship as a way of coping with poverty. Venturing into micro enterprises to generate income is increasingly being adopted by poor women as a livelihood strategy. Several studies illustrated how poor women entrepreneurs, have utilized their entrepreneurial skills to become economically independent and provided economic support to the family through entrepreneurship. It is thus important to recognize and acknowledge the entrepreneurial spirit and approach which lie behind survival and livelihood strategies of poor people. Also, it is important to foster and promote the spirit of self reliance by directing entrepreneurial support services, programmes and policies to those who live at the edge of economic survival. No deliberate distinctions have been made between income generating activities or self employment activities in the informal sector and entrepreneurship.

Objectives Of The Study

1. To study the socio-economic status of rural women entrepreneurs.
2. To study the type of business in which rural women have engaged
3. To study about the income generated by the rural women entrepreneurs

Materials And Methods - The present study was conducted in Shivamogga District, Karnataka. The Again 20 villages from the District have been randomly selected, and from each village 10 respondents have been randomly selected to get the 200 samples. Interview schedule was used to collect the primary data from the sample respondents. With a view to identify, the rural women entrepreneurs, the researcher has made an in-depth review of the previous studies undertaken related to the topic of the present study. The collected data were analyzed properly by using simple percentage and average wherever appropriate.

Results and Discussion - The role and degree of integration of women in economic development is an indicator of economic independence and higher social status of women. In the eighties, the gender and development approach (GAD) influenced by social feminism, post modern and post colonial theorists, look into account the totality of women's lives, rejecting the public/ private dichotomy which serves to devaluate the work of women at home. Focus on perspectives on development makes women the 'subjects' rather than 'objects' of development, change agents rather than welfare recipients. The GAD approach is to move women from the margin to the centre by women gaining a sense of control over their empowerment.

Rural women run their own enterprises, yet their socio-economic contributions and entrepreneurial potential remain

*Guest Faculty, Department of PG Studies & Research in Social Work, Mangalore University, Mangalagangothri, Mangalore (Karnataka) INDIA

largely unrecognized and untapped. They concentrate in informal, micro-size, low productivity and low-return activities. Enabling and gender responsive policies, services and business environments are crucial to stimulate the start up and upgrading of women's businesses and thereby help to generate decent and productive work, achieve gender equality, reduce poverty and ensure stronger economies and societies.

Socio-economic Characteristics of the Sample Respondents - The socio-economic profile of the women respondents shows the personal factors that lead to entrepreneurial development. The social factors related to the family and the community has a bearing on entrepreneurship. The economic factors act as a base for financial support to develop the entrepreneurship.

The age is one of the important aspects of self-development since the resistance to change is relatively lesser at the young age compared to the older age. The youngsters are generally interested to learn new things and take the risk in the life which is highly essential for the entrepreneurship. At the same time, the aged are having more knowledge and experience in their own field.

Table 1: Socio-economic status of the Sample Respondents

Variables	Frequency	Percentage
Age(Years)		
Upto 25	20	10
26-35	121	60.5
36-45	35	17.5
Above 45	24	12
Community		
GM	15	7.5
OBC	137	68.5
SC/ST	36	18
Other	12	06
Educational Status		
Illiterate	19	9.5
Primary	157	78.5
Secondary	16	08
Higher	08	04
Marital Status		
Single	26	13
Married	154	77
Divorced	07	3.5
Widowed	13	6.5
Family Size		
Less than 3	17	8.5
3 to 5	125	62.5
6-8	39	19.5
More than 8	19	9.5

Source: Field Study

Table 1 indicates that dominant age group among the respondents is 25 to 35 years and 36 to 45 years which constitute 60.5 and 17.5 per cent respectively. The respondents who are upto 25 years of age constitute 10 per cent to the total. It is inferred from Table that most of the respondents are in the age group of 25 to 45 years. It implies that the entrepreneurs are involving themselves in the entrepreneurial activities in the age group of 25 to 45 years and the youngsters who are in the age group upto25 years also started involving themselves in entrepreneurship.

It is found that 68.5 per cent of the total respondents are belonging to backward class. The number of respondents belonging to Schedule caste/Schedule tribe and GM together constitutes 25.5 per cent. The most dominant class among the rural women entrepreneurs is backward class. The level of education may facilitate to enrich the personality of the respondents in all aspects. 78.5 per cent of the respondents have only primary education. It is also evident from the study that 9.5 per cent of illiterate are found in the study area followed by secondary and higher educational level with only 4 per cent. Table also shows that of 77 per cent of the respondents are married whereas 13 per cent are unmarried. The respondents who are widowed constitute 6.5 percent of the total respondents and only 3.5 per cent of the respondents are divorced. The study reveals that married women are involved in the entrepreneurial activities.

The most important social character of the respondents is the family size. The family size indicates the number of family members living together with respondents. In general, the increase in family size leads to the financial and the social commitments to the respondents with few exceptions. These commitments may hinder the growth of entrepreneurship among the respondents. A maximum of 62.5 per cent of the respondents have a family size of 3 to 5 members followed by 19.5 per cent of them have a family size of 6 to 8 members. The number of respondents who have less than 3 members and more than 8 members in the family constitute 8.5 and 9.5 per cent respectively.

Primary Occupation of the Respondents - The primary occupation of the respondents represents the occupation done by them to earn their livelihood. In the present study, the primary occupation is confined to business, private employee, agriculture and others.

The data reveals that maximum of 56 per cent of the respondents are doing business as their primary occupation followed by 25.5 per cent of the respondents are doing agriculture as their primary occupation. Only 11.5 per cent of the rural women entrepreneurs are in service sector followed by 7 per cent of respondents are doing other activities.

Type of Business Activity - Rural Women businesses under the purview of KVIC are fragmented into six major groups except engineering and non conventional energy. Raw material based industry includes cottage pottery industry, limestone and other lime products industry, manufacture of bangles, paints, pigments, varnishes and distemper, manufacture of glass toys and glass decoration. Forest based industry includes bamboo and cane work, manufacture of paper cups, plates, paper containers, broom making, envelope making and manufacture of jute products.

Agro based and food industry include packing and marketing of cereals, pulses, spices, condiments, masala, noodles making, sweets making, mini rice shelling unit, palm products industry, fruits and vegetable processing, pickles making, milk products and cattle feed, poultry feed making. Polymer and Chemical based industry includes soap industry, rubber goods, packing items of plastics, mehandi, essential oils, shampoos, hair oil, detergent and washing powder. Textile industry includes tailoring and preparation of readymade garments, embroidery, surgical bandages and stove wicks. Service industry includes laundry, beauty saloons and tea stalls.

A maximum of 38.5 per cent of the respondents engage in agriculture and food product based industries followed by 15.5 per cent engage in textile based industries. The number of respondents engages in forest based and chemical/polymer based and industries constitute 8.5 and 10.5 per cent respectively. Only 7.5 per cent of the respondents engage in raw material based industries and 19.5 service based industries.

Sources of Investment - The sources of investment indicate where from the enterprises mobilize their capital. Since the source of investment determines the cost of capital and also the profitability of the enterprises, it is included in the present study.

The data reveals that the important source of investment among the rural women entrepreneurs are owned and borrowed and their respective percentages are 69.5 per cent and 30.5 per cent. From the table, it is clear that most of the rural women entrepreneurs use their own money as investment.

Monthly Income From The Enterprise - The monthly income from the business indicates the net income from the enterprise.

A maximum of 58.5 per cent of the respondents earn an income of 5,000 to 10,000 followed by those who earn less than 5000 with 29 per cent. Among the rural women entrepreneurs, the respondents who earn more than 10,000 constitute 12.5 per cent.

Decision Making Ability By The Respondent - Entrepreneurs have to make decisions and this decision making capacity comes from years of experience of being exposed to making necessary decision, in situations both at work and home. The data shows the type of decision makers who took decisions regarding the spending patterns before and after respondents started their business activities.

Table 2: Change in the Decision Making Ability

Type of decision maker	Decision on spending	
	Before	After
Husband	147 (73.5)	53(26.5)
Self	25(12.5)	175(87.5)
Family members	10(5)	2(1)

Source: Field Study

The data in the table reveal that most of the decisions were made by the husband which accounts for 73.5 per cent before the respondents started the business which was reduced to 26.5 per cent after she started the enterprise. This implies that on becoming entrepreneurs they were exposed to making necessary decisions in increasingly complex situations which enhanced their self-confidence to take independent decisions. The data revealed that with monetary returns from business the respondents experienced a change in decision making.

Respondents Awareness About Government Assistance - Majority of rural women entrepreneurs say that the present policy provisions are not sufficient. So, there is a need to formulate policies which should remove this misunderstanding among rural women entrepreneurs. The reality is that awareness about the various benefits provided under different schemes is also very low.

Table 3: Awareness about the Government Policies and Programmes

Awareness	Frequency	Percentage
Yes	62	31
No	138	69

Source: Field Study

The table reveals that 69 per cent of the respondents are not aware of the government assistance and 31 per cent of the respondents are aware of the various benefits provided under different schemes offered by the government.

Constraints Faced By The Rural Women Entrepreneur - There are a number of problems regarding women entrepreneurship in India, researchers having identified issues relating to social aspects, economic life, skill problems, problems of family support, courage etc.

The educated women do not want to limit their lives in the four walls of the house. The educated women demand equal opportunity and greater respect from their partners as well as from society and they are struggling for equal opportunities and respect from their partners as well as from society in India. Indian women devote their lives to take care of their family members but they are not concerned with their self-development. In Indian families, the degree of financial freedom for women is very poor, especially in lower educated families and rural families. There are very few women having on paper the right of property because, firstly, they are not aware of this right. They only become aware when problems are created in their families due to family disputes. At the opposite side of society, many women from economically poor families have consistent entrepreneurial skills, but they have not any financial support from their families. An increasing level of education should create awareness regarding an individual's capacities. But, unfortunately, our educational system has not succeeded in creating awareness about woman's capacities and their hidden powers to handle economic activities. Therefore, we should try to make them aware of their risk bearing capacities. Many women have good business skills but they do not want to work with male workers and sometimes male workers are not ready to work

with women entrepreneurs.

Banks and financial institutions are important financers of entrepreneurs in developing countries because small and medium size firm operators are not borrowing from the capital market. But these banks and financial institutions are not ready to provide credit to women entrepreneurs because of their traditional mind set. They think that, this may become cause of nonperforming asset in future. Mobility is one of the important problems in women entrepreneurial development. Lack of interaction with successful entrepreneurs is also one of the problems in women entrepreneurship in India. Successful entrepreneurs always play the role of model in the society for women who have the ability entrepreneurial activities and lead to undertaking economic activities to prove their ability. But unfortunately there is no sufficient provision of such type of interaction to inculcate knowledge and provide experiences of successful women entrepreneurs. Many economists argue that this is a main obstacle in the growth of women entrepreneurship.

Suggestions and Conclusion - Right efforts from all areas are required in the development of women entrepreneurs and their greater participation in the entrepreneurial activities. The following measures are suggested to empower the rural women to seize various opportunities and face challenges in running the enterprise.

There should be a continuous attempt to inspire, encourage, motivate and co-operate women entrepreneurs especially in the rural area. An Awareness programme should be conducted on a mass scale with the intention of creating awareness among women about the various areas to conduct business. Organize training programmes to develop professional competencies in managerial, leadership, marketing, financial, production process, profit planning, maintaining books of accounts and other skills. Local trade fairs, Industrial exhibitions, seminars and conferences should be organized to help rural women to facilitate interaction with other women entrepreneurs of urban areas as well. Women in business should be offered soft loans & subsides for encouraging them into industrial activities. Making provision of micro credit system and enterprise credit system to the women entrepreneurs at local level. The weaker section could raise funds through various schemes and incentives provided by the government to develop entrepreneurs in the state, e.g., the Prime ministers Rozgar Yojana, The Khadi and Rural village industries scheme, etc. Attempts by various NGO's and government organizations to spread information about policies, plans and strategies on the development of women in the field of industry, trade and commerce. Women should try to upgrade themselves in the changing times by adapting the latest technology benefits. Self help groups of women entrepreneurs to mobilize resources and pooling capital funds, in order to help the women in the field of industry, trade and commerce can also play a positive role to solve this problem.

Rural women's entrepreneurship can contribute to economic growth in developing countries and clearly represents an untapped potential. For many rural women, entrepreneurship is part of a broader livelihood strategy, often undertaken on a part-time basis, and where it production and reproduction tasks, as well as market and non market work are separated. With few employment choices, women often start businesses in highly saturated sectors, in the informal economy and in low-productivity and low return activities, where they would be benefited. The socio economic profile of rural women entrepreneurs are considered very important as rural enterprises had employed very few employees and operate with less formality and reflect to a greater degree of attitudes of the entrepreneur. Women entrepreneurs themselves have played a significant motivational role in running their enterprises.

References :-

1. Jeya ani (2012): A Study on Rural Women Entrepreneurship in Tirunelveli District, Ph.D thesis submitted to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli
2. Goyal, Meenu and Jai Parkash. 2011. "Women Entrepreneurship In India-Problems And Prospects. "*International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5).
3. Mehta, Anita and Mukund Chandra Mehta. 2011."Rural Women Entrepreneurship in India:- Opportunities and challenges." Paper presented at the International Conference on Humanities, Geography and Economics (ICHGE'2011), Pattaya, December 2011.
4. Shruti, Lathwal. 2011. "Women Entrepreneurs in India."*International Journal of Research in IT & Management* 1(3) http://www.mairec.org
5. Singh N.P. 1986. "Successful women entrepreneurs – their identity, expectations and Problems." National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, New Delhi

****

Long Term Variations Behavior of Solar Activity

Lokendra Kumar Borker*

Abstract - The Long-term behavior of sun affect atmosphere, we have found that the yearly occurred value of flare index varies with 11-year sunspot cycle except at some circumstances.Solar flares which are the most energetic explosions in the solar system have a direct effect on the Earth's atmosphere. Solar energetic particle (SEP) events are an important cause to produce geomagnetic and ionospheric disturbances on large scale. The more severe SEP events can cause widespread disruption to electrical grids. SEP events of energy (≥30 MeV) are most harmful to us and they produce major geomagnetic disturbances.
Keywords - Solar flares,solar energetic particle, Ionosphere, Electric Grid, Geomagnetic.

Introduction - Long-term Variations of Global Geomagnetic Activities - Geomagnetic disturbances are driven by the interaction of the solar wind with the geomagnetosphere, and the strength of this interaction depends on the solar wind parameters. Short-term variations (storm time changing phenomena) are actively follows with solar wind velocity and strength of interplanetary magnetic field. The occurrences of solar source activities vary with 11-year sunspot cycle. So, it is important to investigate association of global geomagnetic activities on long-term basis. In the present work, we have established an association of global A_p with annual mean sunspot number for a period 1997-2008, is depicted in **Figure 1**. This plot indicates that during the minimum phase of solar cycle, global geomagnetic activities are higher and shows controversial results measured for previous solar cycles.

Long-term Behavior of Flare Index of Solar Activity

Kleczek(1952) first introduced the quantity 'Q = i ´ t' to quantify the daily flare activity. In this relation, 'i' represents the intensity scale of importance and 't' the duration (in minutes) of the flare. A solar flare is an enormous explosion in the solar atmosphere which is defined as a sudden, rapid and intense variation in brightness. It is believed to result from the sudden release of energy stored in the magnetic fields that thread the solar corona in active regions around sunspots involving sudden bursts of particle acceleration, plasma heating, and bulk mass motion. The flare index is a measure of this short-lived activity on the Sun. It represents total energy emitted by the flares. The data of flare were determined and compiled by National Geophysical Data Center (NGDC).

In the present work, we have seen the long-term associations of flare index of solar activity for the period 1997-2007, and are plotted in **Figure 2**. From this plot, we have found that the yearly occurred value of flare index varies with 11-year sunspot cycle except at some circumstances. The occurrence of solar transients varies with sunspot cycles. Similarly, the variation of flare index for solar cycle 23 shows close correspondence with 11-year sunspot cycle.

Solar flares which are the most energetic explosions in the solar system have a direct effect on the Earth's atmosphere. The Earth's upper atmosphere becomes more ionized and expands. Long distance radio signals can be disrupted by the resulting change in the Earth's ionosphere. A satellite's orbit around the Earth can be disturbed by the enhanced drag on the satellite from the expanded atmosphere. Satellite's electronic components can be damaged. So a flare index is needed to study all the probable solar activities which affect our satellite environment and Earth atmosphere. Flare index is one of the best indicators of activity variations on the chromosphere. This feature makes the flare index a suitable full-disk solar index for comparison with similar solar indices which reflect different physical conditions from the different layers of the solar atmosphere.

Long-term Behaviour of Solar Energetic Particle (SEP) Events - Solar energetic particle (SEP) events occurs when high-energy protons are ejected from the Sun's surface during fast solar eruptions and causes geomagnetic and ionospheric disturbances on large scale. These effects are similar to auroral events, the difference being that electrons and not protons are involved. These events typically occur at the north pole, south pole, and South Atlantic magnetic anomaly, where the Earth's magnetic field is lowest. The more severe SEP events can cause widespread disruption to electrical grids and the propagation of electromagnetic signals. Occurrence of SEP events are directly associated with fast solar eruptions. Occurrence of fast solar eruptions varies with 11-year sunspot cycle. So, it is important to

*Asst. Professor (Physics) Govt. College, Panagar, Jabalpur (M.P.) INDIA

investigate the association of SEP events with sunspot cycle on long-term basis. In this communication, we find an association of occurrence of SEP events (energy ≥10 MeV) with 11-year sunspot cycle, during solar cycle 21-23, is plotted in **Figure 3**. These associations haven't shows very significant correlation between the yearly occurrences of solar proton events with 11-year sunspot cycle (cycle 22 was the exception). SEP events are an important cause to produce geomagnetic and ionospheric disturbances on large scale. The more severe SEP events can cause widespread disruption to electrical grids. SEP events of energy (≥30 MeV) are most harmful to us and they produce major geomagnetic disturbances.

Reference :-

1. Personal Research.

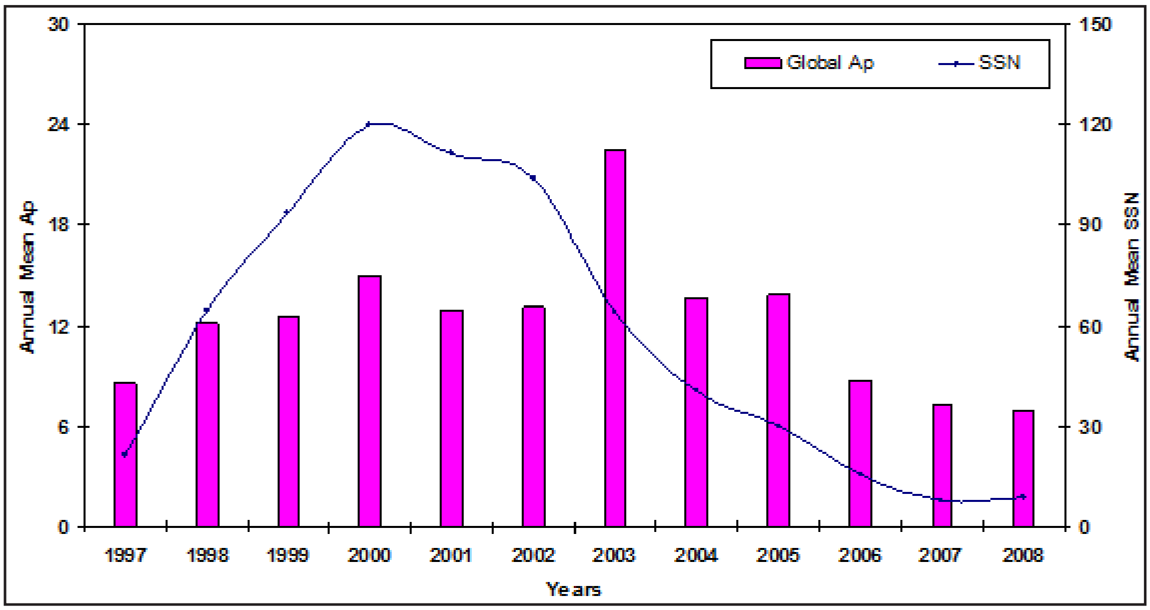

Figure 1 - Shows the association of global geomagnetic activities (annual mean A_p) with 11-year sunspot cycle, observed during the period 1997-2007 (Solar Cycle 23).

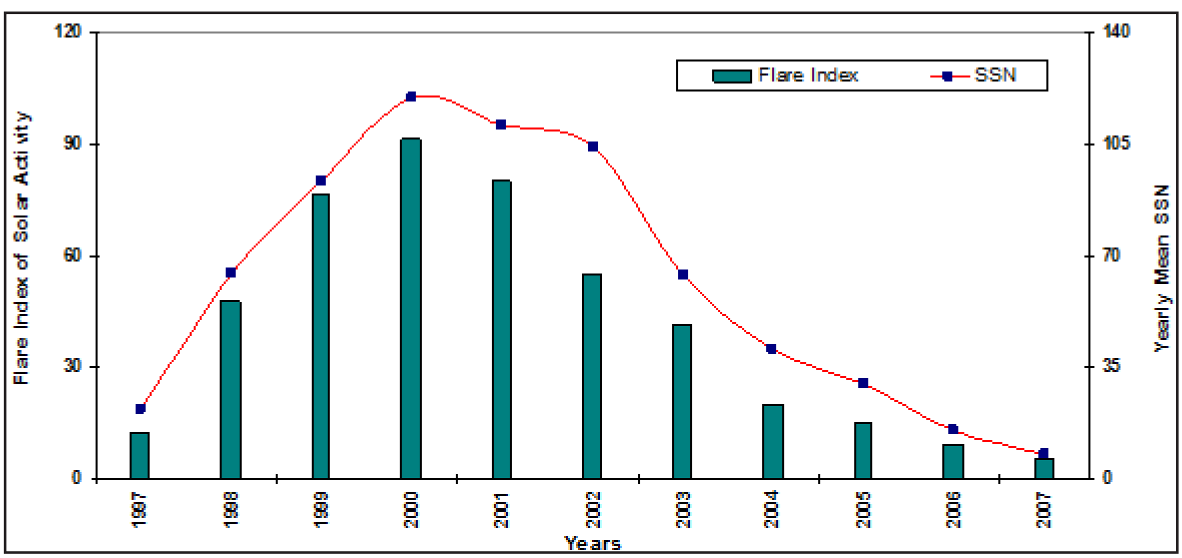

Figure 2 - Shows the association of flare index of solar activity and their association with 11-year sunspot cycle, observed during the period 1997-2007 (Solar Cycle 23).

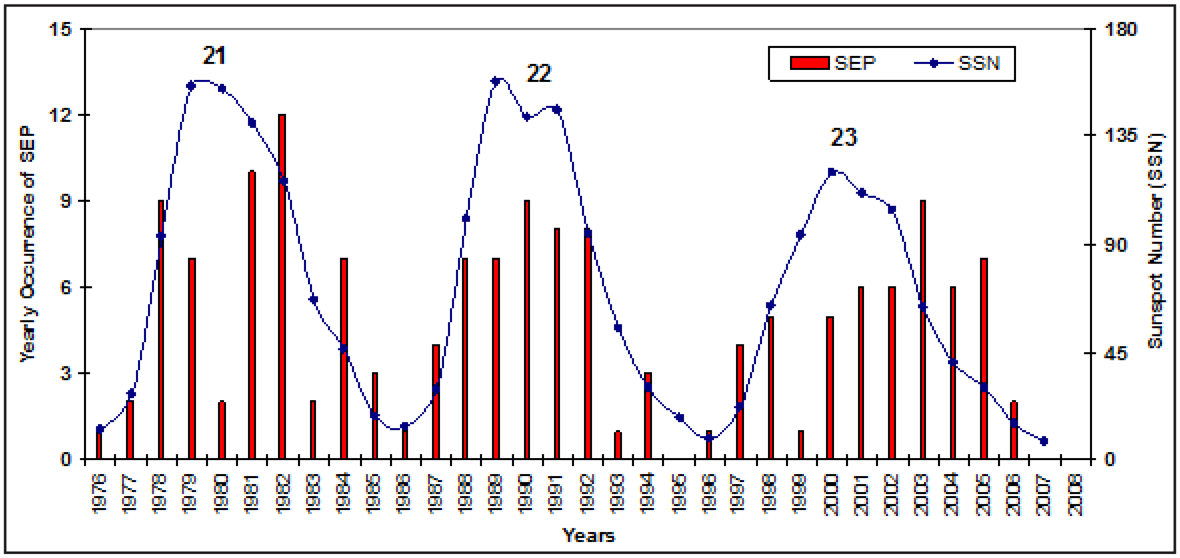

Figure 3 - Shows the association of yearly occurrence of solar energetic particle (SEP) eventswith 11-year sunspot cycle, observed during the period of solar cycle 21-23.

****

Chemical Constituents and Medicinal uses of Achyranthes aspera of Indian Flora

Supriya Chouhan* Dr. Anil kumar Gharia** Dr. Dhananjay Dwivedi***

Abstract - Achyranthes aspera L. is known as Chirchita ,Chirchira and Latjeera in by traditional healers in treatment of cold, cough, asthma, boils, debility, snake bite, bronchitis, colic, dropsy, bleeding, leucoderma and skin diseases. Achyranthes aspera is a weed belong to family(Amaranthaceae) commonly found throughout India is famous for its vast medicinal property. The medicinal plants are used for treatment of various diseases because of their safety and effectiveness. The present review describes some of the important medicinal properties,c hemical constituents and uses.

Key words - Achyranthes aspera, chemical constituents, effectiveness.

Introduction - Achyranthes aspera Linn. Is very versatile medicinal herb found as a weed throughout India and in tropical environment. It belong to the family Amaranthaceae and commonly known as Apamarg (in Hindi) and Rougt Chaff flower in English.

Achyranthes aspera commonly known as Apamargais one of the powerful Ayurvedic herbs use by Indian people from ancient time . It is a plant consider as tropical weed scattered throughout tropical part of globe. The plant is highly esteemed by traditional healers and used in treatment of asthma, bleeding, boils ,cold ,cough, dropsy , dog bite, ear complications, pneumonia, snake bite and skin diseases [1]. The curative properties of medicinal plants are mainly due to the presence of various complex chemical substances of different compositions which occur as secondary metabolites[2].The most important of these bioactive constituents of plant are alkaloids, tannins and flavonoids .

Classification of *Achyranthes aspera plant*

Kingdom	-	Plantae
Division	-	Magnoliophyta
Class	-	Magnoliopsida
Order	-	Caryophyllales
Family	-	Amaranthaceac
Genus	-	*Achyranthes*
Species	-	*Achyranthes aspera (L.)*

Chemical constituents of Achyranthes aspera plant - Achyranthes aspera contains Oleanolic acid glycosides, ecdysterone, ecdyson, betaine, tritriacontanone, etracontanol, pentatriacontane, palmiti,stearic, oleic, linoleic, arachidic ,myristic and behenic acids[3]. Alkaloids, flavonoids, saponins, tanninsand phenolic compound are found in the leaves.The seeds show the presence of triterpenoid Saponins A and B[4,5] .The seed also contain Chemical constituents like10- tricosanone,10 - octacosanone & 4 tritriaontanone[5].

Medicinal Uses - Whole plant ash is a good remedy for bleeding piles and abdominal problems. Root is used as tooth brush to clean the mouth and to cure halitosis. Infusion of the twig is also used as a wash for toothache. Root extract is used as an eye drop at bed time for night blindness [6].

Traditional uses of *Achyranthes aspera* Linn. (Apamarga):

1. The plant is used in dropsy , plies , skin eruptions ,colic , as diuretic, astringent and purgative [8,9], as an antidote to snake bite[10], in fractured bones , whooping cough, respiratory troubles, in asthma laxative and in leucoderma . The inflorescence is used in cough and in hydrophobia . The crushed leaves are used for curing strained back[11]. Decoction of powdered leaves with honey or sugar candy is useful in early stages of diarrhea and dysentery[12]. The leaves are used in wounds, injuries, in intermittent fever, as an antiasthmatic, for urination, dog bite, and in typhoid.
2. The root is used in whooping cough, tonsillitis, Hemorrhage, cough and hydrophobia, as an diaphoretic, antiasthmatic, diuretic and antisyphilitic[13].
3. The flowering spikes or seeds, ground and made into a paste with water, are used as external application for bites of poisonous snakes and reptiles, used in night blindness and cutaneous diseases[14]. The seeds are employed as an emetic, cathartic and purgative, in gonorrhea, for insect bite and in hydrophobia, cough including whooping cough, as an anti-asthmatic.

* Department of Chemistry, SBN Govt. PG College, Barwani (M.P.) INDIA
** Department of Chemistry, P.M.B.Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA
*** Department of Chemistry, P.M.B.Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA

4. The plant is used in treatment of asthma, cold ,cough colic, boils bronchitis, debility, dropsy, dog bite, dysentery, leucoderma, ear complications,headache , bleeding , in facilitating delivery, scorpion bite, snake bite and skin diseases. Crushed plant is boiled in water and is used in pneumonia.

Conclusion - In the study of *Achyranthes aspera* Linn. (Latjeera) the part of the plant root, leaves, stem give different biological activity and chemical constituents. These chemical constituents are used in treatment of gallbladder stone, asthma, high B.P. This plant is very important medicinal herb. It is used in treatment of many diseases like, cough, boils, colic debility, dropsy, cold, bronchitis, headache, dysentery, ear complications. Therefore, more studies are needed to refine the use and improvement of the efficacy of this valuable medicinal herb plant.

References :-

1 . Bhandari MM , Dweivedi S. Flora of the Indian desert. Relivance of medicinal herbs used in traditional system of medicine ,Jodhpur, India, *MPS Repros.*1990; 287-288.
2. A Karthikeyan, V .Shanthi and A. Nagasathaya, *Int. J . Green Pharm.,* 2009 , 3, 78-80.
3. P V Sharma (editor) . Shodhala Nighantu; Oriental Institute Baroda; 1978;90.
4. Babu MN, Elango K. Pharmaceutical, Phytochemical and Antioxidant studies of *Achyranthes aspera* Linn. and *Achyranthes bidentata* Blume. Journal of Pharmacy Research. 2011; 4: 1050-1050.
5. Ram PR, Mehrotra BN. Compendium of Indian Medicinal plants. Central Drug Research Institute, Lucknow and National institute of science communication and information resources, New Dehli. 2004; 11: 7-8.
6. Jain SK Dictionary of Indian folk medicine and ethnobotany . Deep Publications, New Delhi, India, 1991.
7. Raji R. *Achyranthes aspera* - Medicinal plant: A review. Int. Jour. Pharma and Boi-Sciences . 2013 ; 4 (1) (B) : 719-724.
8. Bhatnagar LS, Singh VK, Pandey G. Medicobotanical studies on the flora of Ghaigaon forests, Gwalior, Madhya Pradesh . J Res Indian Med. 1973; 8: 67-100.
9. Raj KPS, Patel MR . Some medicinal plants of Cambay and its immediate vicinity and their uses in Indian indigenous system of medicine . Indian Drugs. 1978; 15: 145-152.
10. Elvanayagum ZE, Gnavanendham SG, Balakrishna K, Bhima RR, Usman SA. Survey of medicinal plant with anti snake venom activity in Chengalpattu district, Tamil Nadu, India. Fitoterapia. 1995; 66: 488-492. district forests of Uttar Pradesh, India.Fitoterapia, 1996; 67 (2) :
11. Singh VK , Ali ZA, Zaidi STH. Ethnoedicinal uses of plants from Gonda 129-139.
12. Vijayaraj R, Vidhya R.Biological Activity of Achyranthes aspera Linn. - A Review. Asian Journal of Biochemical and Pharmaceutical Research. 2016; 1 (6) : 86-93.
13. Dhale DA, Bhoi S. Pharmacognostic Characterization and Phytochemical Screening of Achyranthes aspera Linn. Current Agriculture Research Journal. 2013; 1 (1) : 51-57.
14. Nadkarni KM. Indian Materia Medica, 3rd edition reprinted, Bombay Popular Prakashan, 2009; 1:21.

****

भिलाला जनजाति की लोक-संस्कृति पर आधुनिकता का प्रभाव (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में)

जितेन्द्रसिंह अवास्या *

शोध सारांश – संस्कृति किसी भी समाज का दर्पण होता है। समाज के आचार व्यवहार और दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटता है, उन सब पर संस्कृति का प्रभाव साफ दृष्टिगोचर होता है। परन्तु परिवर्तन निश्चित है। लेकिन परिवर्तन से किसी भी समुह में परिवर्तन होना जहाँ शुभ संकेत है, वहीं परिवर्तन से समुह की आत्मा का विलोपन होना या समुह में भेद होना अच्छा नही माना जाता है। अलीराजपुर जिले में भिलाला संस्कृति में भी समय के साथ परिवर्तन हुए हैं। भिलाला के शादी ब्याह को जाये तो हर समाज की तरह ही भिलाला जनजाति में भी इस अवसर पर लोकगीत, लोक संगीत और लोक वाद्ययंत्रों को पारंपरिक रूप से प्रमुखता दी जाती है। परन्तु बदलते समय और शहरी समाज के संपर्क में अधिकाधिक आने के कारण भिलाला जनजाति के इन संस्कारों में बदलाव आया है। न के साथ ही इन संस्कारों में गाए जाने वाले लोकगीतों, उनमें प्रयुक्त होने वाले संगीत और वाद्ययंत्रों में भी बदलाव आया है। इसमें अच्छाई और बुराइयाँ दोनों हो सकती है। परन्तु क्या यह बदलाव भिलाला को उनके मूल यानि जड़ से दूर कर रहा है, या फिर भिलाला की मूल संस्कृति को और बेहतर बना रहा है। इस शोध पत्र में यही जानने की कोशिश की गई है। चूँकि भिलाला जनजाति देश की विकास की गति के साथ अपना स्वरूप विकास की ओर तत्पर दिखता है। परिणाम स्वरूप आधुनिक संसाधनों के साथ मनोरंजन के आधुनिक माध्यमों के प्राथमिक माध्यम बनाते जा रहे हैं, मीडिया ने उनकी परम्पराओं और संस्कृतियों को किस तरह प्रभावित किया है, यह जानने का प्रयास इस शोध पत्र के माध्यम से हुआ है।

शब्द कुंजी – भिलाला जनजाति, और लोक-संस्कृति, आधुनिकता का प्रभाव।

प्रस्तावना – भिलाला जनजाति, भील की उपजाति है, यह भिलाला लोक संस्कृति प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा बनाये है। यह अलीराजपुर की संस्कृति अत्यन्त समृद्ध एवं प्राचीन हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक परिवेश के लिए विख्यात हैं। यहाँ की लोक-संस्कृति, साहित्य और कलाएँ अपनी परम्पराओं में शृद्ध और मौलिक हैं। इनकी अपनी एक बोली भी हैं। यहाँ का लोक जीवन निरन्तर प्रवाहमान और गतिषील है। अलीराजपुर जिले में विभिन्न संस्कृति सम्पन्न भिलाला जनजाति का अद्भम निवास रहा है। भिलाला जनजाति के अपने पारम्परिक कथाएँ, गीत, वार्ताएं, पहेलियाँ, कहावतें, चित्र, नृत्य और संगीत की अमूल्य धरोहर है। लोक संस्कृति का अर्थ हैं, लोक दर्षन या लोक व्यवहार है। लोक संस्कृति व्यक्ति के उठने-बैठने, चलने-फिरने, चूल्हा-चक्की, खेलकूद और समाज के साथ निर्वाह किये गये कई प्रकार के व्यवहारों का एकीकृत नाम है। लोक संस्कृति एक-दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़े हैं। लोक संस्कृति को अस्तित्व देना है, और संस्कृति लोक को व्यक्तिव देती है। लोक, संस्कृति का निमार्ण करता है, फिर उसी से ढलता है।

लोक संस्कृति सतत् प्रवाहमान जीवन धारा है, जो अपने समय की चुनौनियों का मुकाबना करती हुई आगे बढती है, लोक संस्कृति जड़ धारा नही बल्कि विकास प्रमुख महाप्रवाह है। लोक संस्कृति का अपना अतीत होता है, जो वर्तमान के धरातल पर कई रूपों में प्रकट होता है। लोक संस्कृति का निर्मल रूप ग्रामवासियों के बीच जाकर देखा जा सकता है। रहन-सहन, वेषभूषा, नृत्य-संगीत, प्रथा-परम्परा अलग-अलग होते हुए भी सबका मूल सूत्र एक ही होता है। लोक जीवन का यथार्थ दर्षन लोक गीतों और लोक-कथाओं से मिलता है। सूत्र रूप में कहा जाय तो लोक साहित्य लोक संस्कृति की आत्मा है। दोनो का संबंध अभेद है।

भिलाला की सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था – वेशभूषा, खान-पान, दिनचर्या, रहन-सहन, भाषा, नृत्य, कला, आचरण, व्यवहार, रीति-रिवाज, संस्कार आदि मिलकर किसी भी समाज की लोक-संस्कृति, संस्कार आदि मिलकर किसी भी समाज की लोक-संस्कृति का निर्माण करते है। लोक-संस्कृति की विशेषता है, कि यह किसी समाज पर आश्रित न होकर, स्वतंत्र रूप लिए हुए दूसरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। भिलाला की संस्कृति अनादिकाल से प्रेरणा और ज्ञान का स्त्रोत रही है। भिलाला का स्वभाव जितना सीधा और सरल है, उतना ही प्रेरणादाय है। यह समाज आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। सीमित आय और अत्यधिक खर्च के कारण अत्यधिक ऋण ग्रस्त है।

भीलाला जनजातिय सयुक्त परिवार में रहना पंसद करते है। भिलाला समाज पितृसंतात्मक है। भीलों में परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। भिलाला में रिश्ते आपसी प्रेम और सम्मान पर आधारित होते है। भिलाला आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मजदूरी कर जीवनयापन करते है। भिलाला मिट्टी, बांस, खपरैल से झोपड़ी बनाकर रहते है। वर्तमान में भिलाला को पक्के मकानों में रहते हुए देखा जा सकता है। शहरी जीवन में प्रचलित टैटू यानि गुदना भिलाला में एक परंपरा के तौर पर प्रचलित है। भिलाला में महिलाएं पारंपरिक साडी, लहंगा और चूनर पहनती हैं। पुरूष पायजामा के साथ कुर्ता और पगड़ी पहनते है। भिलाला महिलाएं चांदी, पीतल, या मिश्र धातुओं के आभूषण पहनती है। भिलाला स्त्रियां और पुरूष अन्य जनजातियों की तुलना में अधिकतर सुंदर होते है।

भिलाला में मेलों का विशेष महत्व है। भगोरिया हाट भिलाला का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का मेला है। यह होली के एक सप्ताह पूर्ण

* शोधार्थी (इतिहास) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अम्बेडकर नगर, महू, इन्दौर (म.प्र.) भारत

लगने वाला भगोरिया हाट है। भिलाला के लिए भगोरिया हाट विशेष हाट मेला होता है जिसके लिए दूर-दराज से मजदूरी के लिए गए आदिवासी, इस भगोरिया हाट के लिए अपने घर के ओर लोट आते है। जिसमें यह होली की खरिददारी और अपने परिजनों से मिलने का अवसर होता है जिसमें यह आपस में मिल कर इस मेले में नाच-गाना और घुमने है, जिसके साथ ही होली के लिए सामग्री खरिदते है। और होली की बधाईयां एक-दुसरे को देते है।

भिलाला जनजाति की लोक परंपराएं – भिलाला जनजातिय की संस्कृति, परम्परा, भाषा एवं लोकगीतों की झलक दिखती है। भिलाला की संस्कृति, परंपराओं, और लोकजीवन का चित्रण लोकगीतों एवं लोक कथाओं में मिलता है। भिलाला के इतिहास से पता चलता है, कि भिलाला समुदाय में मनोरंजन के लिए लोकसंगीत एवं लोकगीतों का चलन रहा है। भीलों में हर अवसर पर लोकगीत गाये जाते है। इनमें पर्व, उत्सव, प्रेम प्रसंग के गीत, खेती करते समय गाये जाने वाले गीत, विवाह गीत, देवी-देवताओं के गीत शामिल है। लोकगीतों का उपयोग धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी किया जाता रहा है। परन्तु लोकगीत भिलाला की मनोदशा के चित्रण करते रहे है। भिलाला में जन्म, विवाह, एवं मृत्यु विशेष संस्कार माने गये है। इनमें विवाह को सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। भिलाला में विवाह की संस्कृति उनकी सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शोध के उद्देश्य :

1. भिलाला जनजाति की संस्कृति पर आधुनिकरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. भिलाला के लोक जीवन पर आधुनिकता का प्रभाव।
3. टेलीविजन, इंटरनेट जैसे मनोरंजन के प्राथमिक माध्यमों का भिलाला की परम्पराओं और संस्कृति पर प्रभाव का अध्ययन।

शोध प्रक्रिया एवं विधि – प्रस्तुत शोध पत्र में प्रत्यक्ष अवलोकन प्रविधि के माध्यम से भिलाला जनजाति की संस्कृति पर आधुनिकता के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया है। इस शोध पत्र के लिए द्वितीयक स्त्रोत से जानकारी एकत्र की गई है। द्वितीयक स्त्रोत से उपलब्ध जानकारी का संग्रहण, अवलोकन और उसका गहन अध्ययन कर उसका विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषण – आधुनिकता एक विचारधारा है। जिसमें समय और मांग के अनुसार विकास की मान्यताओं और विश्वास की स्थापना करन और जो तर्कहीनता, रूढिवादिया एवं अवैज्ञानिकता समाज में व्याप्त है, उसे तर्कपूर्ण वैज्ञानिक बनाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करना शामिल है। डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक 'द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी' में कहा कि आधुनिकता मानव मस्तिक्स की एक अवस्था है, जहाँ व्यक्ति प्रगति और परिवर्तन के अनुकूल खुद को ढालने को तत्पर होता है। वही दिनकर ने आधुनिकता को एक प्रक्रिया माना है, जिसके अंतर्गत अंधविश्वास से बहार निकलने एवं नैतिकता से उदारता बरतने की प्रक्रिया निहित है।

भिलाला जनजाति सदियों से जादू-टोने, तंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक, अंधविश्वास एवं रूढिवादी सोंच एवं क्रियाकलापों का अनुसरण करती रही है। लेकिन वक्त के बदलाव के साथ भिलाला में बदलाव आया है। उनके रहन-सहन से लेकर परंपरा और संस्कृति में भी बदलाव आया है। भिलाला जनजाति ने सक्रिय, विकास के बाधक तत्वों को दूर भगाया है, शहरी समाज से उनके मेल जोल ने उनमें आधुनिकता के प्रति ललक जगाई है। इनके परिणाम स्वरूप भिलाला को षिक्षा का महत्व समझ आया है। भिलाला जनजाति में जीवनयापन के नये विकल्प उपलब्ध अपनाएं है। संचार, सूचना और मनोरंजन के बढ़तें प्रभाव का असर भिलाला में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रभाव के कारण ही भिलाला ने खुद को शसक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस प्रगति की भिलाला जनजाति कीमत भी चुका रही है। आधुनिकता और संचार के खासकर मोबाईल के प्रयोग के कारण उस संस्कृति और उनकी पहचान बताने वाली परंपराओं पर संकट गहराया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण भीलों को प्रकृति पुत्र कहा जाता है। सभ्य समाज की तरह जनजातीय समुदाय अपने रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, लोक-संस्कृति, मान्यताएं उन्हें दूसरे समुदाय से अलग करती है। भिलालाओं की मान्यता है, कि कठोर परिश्रम करते समय थकान कम करने एवं आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए संगीत का साथ आवश्यक है। इसके लिए भिलाला में लोकगीत और लोकसंगीत का प्रचलन रहा है। पारंपरिक लोकसंगीत और लोकगीतों के कारण वो चिंताओं सें मुक्त होते है। और मानसिक संतोष के जरिए जीवन की गति को रफतार देते थे। इनके गीतों में भाषा तथा भाव की द्रष्टि से क्षेत्रीय, सामाजिक एवं जातीय विशेषताओं का समावेश होता है। इनके गीत संस्कृतिक होते है। सामूहिक रूप से गाए जाते है। भिलाला में समूह गान की परम्परा सर्वाधिक लोकप्रिय है। स्त्री-पुरूष समूह रूप में एक दूसरे के गले में हाथ डालकर नृत्य करते हुए गीत गाते है। गीत गायन एक विशेष शैली के तहत किया जाता है। शब्दों की पुनरावृत्ति, लय, ताल एवं ध्वनि का विशेष ध्यान रखा जाता है। भिलाला के लोकगीत प्राय: ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। जिनके द्धारा भिलाला इतिहास संरक्षण की प्रबल प्रवृत्ति तथा प्राचीन गौरव के अलिखित इतिहास को स्मरण कर अगली पीढ़ी को देते हैं। इन गीतों में व्यक्ति की अनुभूति की अपेक्षा लोक ह्रदय की अनुभूति ही अधिक रहती है। दूसरी तरफ फिल्मी गीत कल्पना, अतिश्योक्ति और स्व की भावना से पूर्ण होते हैं। पाष्चात्य संस्कृति के प्रचारक होते है, लोकगीत कल्पना की उड़ान नहीं भरते बल्कि वास्तविक घटनाओं सें प्रेरित होतें है। इनके विषय इनकी संस्कृति से जुड़े हुये होते हैं।

हालांकि जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ और 1967 में प्रकाशित अपनी किताब 'द शेहयूल्ड ट्राइब्स' के लेखक गाविन्द सदाशिव गुरिये का मानना है, 'जनजातियों को आधुनिक सभ्यता के संपर्क में लाने कि आवश्यकता है, जिससे वह अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना सभ्य समाज के कर सके और भिलाला खुद में सुधार के लिए प्रेरित हो सकें।' उनका मानना था, कि जनजातीय समाज तभी विकास कर सकता है, जब सभ्य समाज से उन्हें परिचित करवाया जाये। गोविनद सदाशिव गुरिये 'जनजातियों का आधुनिक सभ्यता से संपर्क को सकारात्मक दृष्टि से देखते है। लेकिन वर्तमान में यह दिखाई देता है कि आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने से भिलाला को फायदा कम और नुकसान अधिक हुआ है। भिलाला ने आधुनिक समाज की अच्छाईयों के साथ बुराइयां भी अपनाई है। इससे उनकी पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों में हास भी हुआ है।'

भिलाला के कलात्मक क्षैत्र में बदलाव– भिलाला समाज का कलात्मक संसार जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, गुदना, बांस शिल्प, गुड़िया कला, मिट्टी षिल्प, धातु शिल्प, नृत्यक, संगीत इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान है। जो न केवल आनंद मंगल का एक साधन है, बल्कि सामाजिक जुड़वा और मन को परिष्कृसत करने का सहज उपलब्ध संसाधन है। भिलाला में संस्कारों का विशेष महत्व है, इन संस्कारों में लोकगीत केंद्रीय भूमिका निभातें हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कार।

निष्कर्ष –भिलाला जनजातिय लोक जीवन के हर चरण में लाकगीतों अथवा

लोक संगीत का अहम भूमिका रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी आवाज सुनाई देती है। भिलाला जनजातिय में आधुनिकता और शहरीकरण के आने से अब वे अपनी संस्कृति को धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। आज के आधुनिक दौर में भिलाला जनजातिय लोग अपने गाने स्वयं के द्वारा स्टुडियों में बनाये जा रहे है। भिलाला जनजातीय आज अपनी मुल पहचाने धीरे-धीरे खो देगा, क्योकि वह अब शहरीकरण के माध्यम से एक अलग जीवन यापन करना चाहने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लर्नर, डेनिअल, 1958.'द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी', मैकमिलन पब्लिकेशन कंपनी।
2. कोठारी, के. एल., 1985. 'ट्राइबल सोशल चेंज एन इंडिया', हिमांशु पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
3. पाटिल, डॉ अशोक डी., 1998.'भील जनजीवन और संस्कृति', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
4. भट्टाचार्य, दिलीप, 1999. 'म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटस ऑफ ट्राइबल इंडिया', मानस पब्लिकेशन।
5. उप्रेती, हरिशचंद्र, 2006. 'भारतीय जनजातिय संरचना एवं विकास', हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, राजस्थान।

****

पर्यावरण संरक्षण -जन आन्दोलन एवं युवा भागीदारी

डॉ.शकुन शुक्ला* डॉ.मनीषा मिश्रा**

शोध सारांश – मानव सहित समस्त प्राणियों के अस्तित्व और विकास में पर्यावरण की एक प्रमुख भूमिका है। सृष्टि में समाहित पंचतत्वों से निर्मित 'मनुष्य' का जीवन पर्यावरण पर आधारित हैं। वायु, जल, मिट्टी, पेड़-पौधें, जीव-जन्तु, मानव एवं उसकी गतिविधियों के परिणाम का मिला जुला स्वरूप पर्यावरण है। मानव समाज ज्यों-ज्यों सभ्य होता गया त्यो-त्यों उसके आसपास का पर्यावरण अशुद्ध होता गया। मानव विकास की होड़ में निरन्तर प्रकृति विरोधी कार्य करता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप हमने पर्यावरण को मानव सहित सभी प्राणियों के लिए भयावह बना दिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाये अधिनियम एवं विश्व संगठनों के प्रयासों के साथ आवश्यकता है कि पर्यावरण के पूर्ण संरक्षण के लिए '05 जून-पर्यावरण दिवस' सहित वर्ष-भर सभी स्तरो पर जागरूकता एवं युवाओं की भागीदारी से इसे जन आन्दोलन का रूप देने का प्रयास करें तभी हमारा समाज और विशेषकर युवा अपने दिल से महसूस करेगें कि पर्यावरण की सुरक्षा उनका प्रथम कर्तव्य है। पर्यावरण विषय के समग्र पहलुओ का अध्ययन एवं उसके संरक्षण हेतु एक प्रभावी निष्कर्ष ही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी – पर्यावरण संतुलन, जागरूकता, प्राकृतिक संसाधन, अधिनियम।

प्रस्तावना – पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध वनस्पतियां, मिट्टी और पत्थर, नदियाँ और जल निकाय, आकाश और वायु, समुद्र और महासागर, जीव और जन्तु और आन्तरिक जलवायु से पर्यावरण निर्माण होता है। मानव सभ्यता की प्रगति एवं विकास में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यद्यपि मानव की यही प्रगति और विकास ने पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया है। पर्यावरण ही मानवीय जीवन उद्देश्यों की संतुलित प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हमने इस धरा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने किसी भी प्रकार के कृत्य से प्रदूषित किया है तो यह आत्महत्या का प्रयास ही कहलाएगा। जहाँ एक ओर निर्माण कार्य में प्रयुक्त करती 'चिमनी' हमारे प्रगति को प्रदर्शित करती है वहीं दूसरी ओर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रही है।

इस शोध पत्र के माध्यम से हम भूमि, जल और वायु प्रदूषण के प्रभावों पर विवेचन करने से ज्ञात होता है कि प्रदूषण न केवल मानवीय स्वास्थ्य एवं समस्याओं का प्रमुख कारण है बल्कि जीव-जन्तु, वन सम्पदा इत्यादि को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। पिछले तीन दशकों में मानवीय स्वास्थ्य पर प्रदूषित पर्यावरण के असरकारक कारणों के प्रति वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ी है। निजी स्वार्थ से स्थापित इकाईयाँ, जन कल्याण, सामाजिक मूल्य एवं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जन मानस में जागरूकता की कमी भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर से मानव, जीव-जन्तु के स्वास्थ्य, पेड़-पौधों के साथ उष्ण कटिबंधों वर्षावनों सहित पर्यावरण व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है।

पर्यावरण और उसके रूप – वायु, जल और भूमि में प्रदूषण कारक तत्वों की मौजूदगी से जीवन पर प्रतिकूल पड़ने वाले प्रभाव को हम पर्यावरण प्रदूषण मानते हैं। औद्योगिकी संयत्रों, घरेलू उपकरणों, थर्मल पावर संयत्रों, चलित वाहन इत्यादि में उपयोग होने वाले ईधंन से उत्सर्जित तत्वों से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। विकसित एवं विकासशील देशों के शहरों में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, हाइड्रो कार्बन इत्यादि तत्वों की वातावरण में उपस्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की शुद्धता को गंभीर रूप से प्रतिकूल असर डालते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रत्येक रूप के कारण, प्रभाव और इनके नियत्रंण के बारे में जानना आवष्यक है।

वायु प्रदूषण – वायुमंडल में प्रदूषक समूह तत्वों की उपस्थिति से मानवीय जीवन और जीव-जन्तु सहित पेड़-पौधों पर गंभीर असर पड़ता है वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण घरेलू अथवा बाहरी कारणों या दोनो ही कारणों से उत्पन्न होता है।

जल प्रदूषण – औद्योगिक अपशिष्ट के पानी मे स्त्राव से पानी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों पर असर के साथ दूषित होने को जल प्रदूषण के रूप में देखतें है।

मृदा प्रदूषण – मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि रसायनो के माध्यम से होता है। इनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इंसान एवं जानवरों को बीमार करते हैं।

रेडियोधर्मी प्रदूषण – अंवाछित रेडियोधर्मी पदार्थो की उपस्थिति जो पर्यावरण और इसके आसपास के विकिरण को प्रदूषित करते हैं। बाहरी अंतरिक्ष से नीचे आने वाली कॉस्मिक किरणे रेडियोधर्मिता के स्त्रोत के साथ ही पृथ्वी के अंदर विद्यमान रेडियोधर्मी तत्व भी प्रदूषण फैलाते है।

शोर प्रदूषण – उद्योगों, वाहनों, निर्माण कार्य, मरम्मत, संयत्रों, उत्सवों, राजनीतिक अवसरों के माध्यम से होने वाले शोर प्रदूषण मानव एवं जीव-जन्तु दोनों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।

प्रकाश प्रदूषण – प्रकाश प्रदूषण अंधेरे आकाश को अधिक प्रदूषित करने और कृत्रिम रूप से प्रकाश बनाने या उपयोग करने के कारण होता है। यह

* प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शा.म.ल.बा.कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,भोपाल (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) सेफिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

तनाव, अनिद्रा इत्यादि सहित प्राकृतिक चक्रों पर बुरा असर डालते है। यह तारों को अवरूद्ध करने के कारण खगोल विज्ञान को भी मुश्किल में डालता है।

तेल प्रदूषण – भूमि एवं समुद्रों में गिरने अथवा फैलने वाले तेल से होने वाला प्रदूषण, इससे जल सम्पत्ति एवं जीवाश्मों को अत्यधिक नुकसान पहुँचता है।

समुद्री प्रदूषण – सीवेज, तेल का फैलाव, रासायनिक विर्सजन इत्यादि समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण है, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के अपशिष्ट एवं गैसों के समुद्री जल में घुलनशील हो जाने से महानगरों में अम्लीकरण की स्थिति बन रही है।

प्लास्टिक प्रदूषण – पिछली कुछ शताब्दियों से प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बन गया है। प्लास्टिक कचरे के पहाड़ बन गये है, इसकी खोज जो एक समय वरदान लगती थी अब अभिशाप प्रतीत होती है। इससे मानव एवं जीव–जन्तु के पाचन तंत्र पर प्रभाव से मृत्यु तक संभव है।

विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर विश्वस्तरीय संस्था जो सभी देशों में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति का आकंलन करती है, उसके द्वारा 140 देशों में प्रदूषण के बारे में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षो में भारत की क्रम इस प्रकार रहा:–

क्र.	वर्ष	शीर्ष क्रम
1	2012–13	15
2	2013–14	29
3	2014–15	28
4	2015–16	29
5	2016–17	21
6	2017–18	26
7	2018 तक	26

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि विश्व के 140 देशों में भारत में सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने, कम करने तथा दूर करने की दिशा में उठाये गये कदमों से पिछले 02 वर्षो में स्थिति स्थिर है।

मध्यप्रदेश–पर्यावरण प्रदूषण – देश के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश, प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न प्रदेशों में से एक माना जाता है, यहां की जलवायु संतुलित मानी जाती है। वन सम्पदा एवं पर्यावरण की दृष्टि से मध्यप्रदेश को निवास के लिए उपयुक्त माना जाता था। यद्यपि प्रदेश के कई शहर देश के प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। ग्वालियर, भोपाल सहित मध्यप्रदेश के अन्य शहरों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई शहरों की स्थिति बिगड़ सकती है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार की पहल – भारत में पर्यावरण और वानिकी नीतियों, कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की योजना, संवर्धन, समन्वयन के लिए केन्द्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। मंत्रालय की प्राथमिक चिंताओं में झीलों और नदियों, इसकी जैव विविधता, वन और वन्य जीवन सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमो का कार्यान्वयन है। भारत सरकार का यह मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, एकीकृत पर्वतीय विकास के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र और संयुक्त प्रबंधन के लिए देश में नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण मंत्रालय, सरकार के माध्यम से नीति–नियम बनाने और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और नीति वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय वन नीति 1988, प्रदूषण के उन्मूलन पर नीति वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के साथ विधायी शक्तियां तथा एक विनियामक का गठन किया गया है, जिससे समय–समय पर आवश्यकता अनुसार नीतियों और कार्यक्रमों संशोधन कर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके।

'मेक इन इण्डिया' के तहत शुरू की गई पहल, 'जीरो डिफेक्ट विद जीरो इफेक्ट' का नारा, भारत सरकार ने 26 क्षेत्रों पर विशेष रूप से कार्य करने की शुरूआत की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य में उपयोग होने वाले उर्वरकों में 'यूरिया पर नीम की कोटिंग', 'खुलें में शौच से मुक्त भारत' हेतु प्रत्येक घर में शौचालयों का सरकार अनुदान समर्थित कार्यक्रम, 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसे देश व्यापी मिशन 'वृक्षारोपण हेतु अनेक कार्यक्रम' जलाशयों एवं नदियों की स्वच्छता, सहित अनेक कार्यक्रम भारत सरकार ने मिशन के रूप में लागू किये है, वर्तमान में 'सिंगल यूज प्लास्टिक' के उपयोग न करने के देश व्यापी पहल इत्यादि कार्यक्रमों से देश के पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में निरन्तर सफलता प्राप्त हो रही है। भारत नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में विश्व में 5 वें, प्राकृतिक गैस में 15 वां स्थान है, पवन उर्जा की चौथी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता, 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय उर्जा, अक्षय उर्जा अर्थात् सौर उर्जा पर भारत के किये गये प्रयासों का परिणाम है कि भारत में विश्व के सबसे कम लागत के सौर पैनल उपलब्ध है। सौर उर्जा के उपयोग का ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र भवन पर सौर पैनलों की स्थापना भारत सरकार की ओर से समूचे विश्व का भेंट है।

सुझाव :

1. वायु प्रदूषण स्तर जानने के लिए डिटेक्टरों के उपयोग से रोकथाम के उपाय किये जा सकते है, जैसे– घरो में अधिकाधिक चिमनी का उपयोग, विद्युत चलित वाहनो का उपयोग, हवाई यात्राओं में कमी, उद्योगों को घनी आबादी दूर स्थापित करना, कचरा प्रबंधन एवं उसका सापेक्ष उपयोग इत्यादि से वायु प्रदूषण को नियत्रण स्तर पर रख सकते है।
2. जल प्रदूषण हेतु पानी और सीवेज की निकासी को आमजनों की भागीदारी से व्यवस्थित करने से न केवल प्रदूषण रोकने बल्कि इसका मिट्टी के साथ उचित उपयोग भी संभव होगा।
3. मृदा प्रदूषण की रोकथाम हेतु कृषि कार्य में जैविक साधन, खेतों में बचे डंटलों को आग न लगाने के लिए जागरूक करना, कचरा प्रबंधन एवं वर्षा के पानी के बहाव रोकने के लिए वृक्षों का रोपण।
4. शोर प्रदूषण को नियत्रिंत करने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सीमा और क्षमता का युक्तियुक्तकरण, समय–सीमा इत्यादि के कठोर नियम एवं पालन से इसकी रोकथाम संभव है।
5. प्रकाश प्रदूषण के संबंध में विशेषकर ऐसे उत्पादों का उपयोग जोकि पर्यावरण पर प्रतिकूल असर न डाले के अधिकाधिक उपयोग हेतु जनचेतना एवं उपाय से नियत्रंण हो सकेगा।
6. इसी प्रकार तेल प्रदूषण, समुद्र प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई विकल्प हैं तथा अन्य विकल्पों को खोजा जा सकता है।

छात्र–छात्राओं एवं शिक्षको, सामाजिक संस्थाओं, मीडिया साधनो, शासकीय निकायों आदि के सहयोग से एक व्यक्ति एक पेड़, सप्ताह में एक दिन स्वच्छता का, सार्वजनिक वाहनो के उपयोग, कचरे का प्रबंधन, दूषित पानी की निकासी एवं उपयोग, जैव विविधता, जैविक कृषि, वाटर

हारवेस्टिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक की रोक इत्यादि कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर शुरू करना होगा। इस कार्य में युवा वर्ग को जागरूक और उनकी भागीदारी से इसे जन आन्दोलन का स्वरूप दिया जावे, भले ही हमे इसके लिए शिक्षा नीति, कार्यक्रम, कानून में संशोधन करना पड़े अन्यथा आने वाली पीढ़ी का हम प्रदूषित पर्यावरण और असुरक्षित भविष्य ही सौपेगे।

निष्कर्ष – हमारी सृष्टि ने पृथ्वी पर पर्यावरण के रूप में अनेक संसाधन और ऐसा वातावरण दिया है कि यह समूची मानव जाति के लिए कुछ न कुछ देने की क्षमता रखती है, यद्यपि यदि स्वार्थ सिद्धी की दृष्टि से देखें तो महात्मा गांधी का कथन–कि यह एक व्यक्ति की लालसा भी पूरी नहीं कर सकती। इस संदर्भ में पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में पौलेंड की 12 वर्षीय का वक्तव्य और 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ब्राजील की सेवर्न सुजुकी नामक बालिका का वक्तव्य हमारी आखें खोलने के लिए और भविष्य की भयावह स्थिति से अवगत कराने के उपयुक्त हे। अत: आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक कर उनकी भागीदारी से हम पर्यावरण को स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाने के संयुक्त रूप से प्रयास करने की दृष्टि से इसे जन आन्दोलन का रूप देवें। इस पुनीत कार्य में राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक, सरकारी तंत्र और प्रत्येक घटक बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले ताकि इस मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त कर आगामी पीढ़ी को बेहतर और स्वस्थ जीवन मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यास श्याम मनोहर, पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान, योजना, जून 1–15, 1986 पृ–8–12
2. भारत सरकार की वेबसाइट– मेक इन इडिया
3. भारत सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नईदिल्ली की अधिकारिक वेबसाइट
4. दैनिक समाचार पत्र– दैनिक भास्कर भोपाल, पत्रिका भोपाल, इकोनामिक्स टाइम्स, नईदिल्ली.

****

फ्लैण्डर की अंत:क्रिया विश्लेषण विधि द्वारा कक्षा का अवलोकन

जैनेन्द्र सिंह *

शोध सारांश – शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षण करना है। शिक्षक शिक्षण करते समय कक्षा में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। जिनके कारण कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य विभिन्न प्रकार की अंत:क्रियाएं होती है। अन्त:क्रिया मानव विकास का महत्वपूर्ण भाग है। जिसके द्वारा उसे सोचने-विचारने, सिखने और समझने में मदद मिलती है। छात्रों को सीखने के उनके अनुभवों के भाग के रूप में अन्त:क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इससे उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों के व्यवहार का विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करने एवं उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। जिससे छात्रों के व्यपहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। इसके लिए विभिन्न विधियों में से फ्लैण्डर की अंत: क्रिया वर्ग पद्धति महत्वपूर्ण एवं उत्तम है। फ्लैण्डर की अंत:क्रिया विश्लेषण विधि मे अन्त:क्रिया द्वारा छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है।

शब्द कुंजी – फ्लैण्डर, अंत:क्रिया विश्लेषण, अवलोकन।

प्रस्तावना – शिक्षण का तात्पर्य शिक्षक व छात्र के मध्य अन्त:क्रिया है। कक्षा में होने वाली घटनाओं के वास्तविक स्थिति का कक्षा परिस्थिति में निरिक्षण सम्भव है। इसके लिए क्रमबद्ध निरिक्षण किया जाता है। क्रमबद्ध निरिक्षणएक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा व्यवहारों का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में किया जा सकता है। इस प्रविधि की सहायता से कक्षा के अर्न्तगत शिक्षक तथा छात्र के मध्य अन्त:क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रविधि से शिक्षण व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें निश्चित नियमों का अनुसरण किया जाता है। इस प्रविधि की सहायता से अन्त:क्रिया चरों एवं व्यवहारों का मापन किया जाता है। जिसके द्वारा शिक्षक के व्यवहार एवं स्वरूप का पता चलता है।

अंत:क्रिया विश्लेषण का अर्थ – कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य जो शाब्दिक सम्प्रेषण होता है, उसके निरीक्षण एवं अंकन को अन्त:क्रिया विश्लेषण कहते है। अन्त:क्रिया विश्लेषण कक्षा में होने वाली सभी गतिविधियों का एक क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। इस विधि के द्वारा पाठ्यवस्तु का मापन ही नही होता वरन् शिक्षक और छात्रों के मध्य तथा छात्रों के मध्य पारस्पिरिक अन्त:क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। डॉ नैड ए फ्लैण्डर ने 1950 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शिक्षकों के कक्षा-गत व्यवहारों को मापने के एवं उसका मूल्यांकन करने की एक दस वर्गीय पद्धति का विकास किया, जिसे अन्त:क्रिया वर्ग पद्धति कहते है। यह वर्ग पद्धति कक्षा-गत व्यवहार के विश्लेषण की एक प्रविधि है, जो कक्षा-कक्ष के क्रियाकलापों की संरचना, अवयवों एवं व्यवहारों की विवेचना करती है।

अंत:क्रिया विश्लेषण विधि के उद्देश्य :

1. अंत:क्रिया के माध्यम से शिक्षक के व्यवहार की अध्ययन करना।
2. शिक्षक के व्यवहार से छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों एवं प्रभावों का अध्ययन करना।
3. कक्षा-कक्ष की क्रियाओं का विश्लेषण करना।

अंत:क्रिया विश्लेषण विधि की मान्यताएं

1. अधिगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कक्षा-कक्ष का वातावरण महत्वपूर्ण होता है।
2. कक्षा शिक्षण में शिक्षक का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण होता है।
3. पृष्ठपोषण के द्वारा कक्षा-कक्ष के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है।
4. शिक्षक द्वारा कक्षा में किये जाने वाले व्यवहारों का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से सम्भव है।
5. अधिगम में शिक्षक और छात्रों का आपसी सम्बन्ध भी विशेष महत्व रखता है।
6. यह विधि शिक्षक और छात्रों को अपने व्यवहारों में वांछित सुधार करने का अवसर प्रदान करती है।

फ्लैण्डर की अंत:क्रिया विश्लेषण विधि की इस श्रेणिया

व्यवहार	वर्ग
शिक्षक कथन	1. अनुभूति को स्वीकार करना
	2. प्रशंसा एवं प्रोत्साहन
	3. छात्रों के विचार
	4. प्रश्न पूछना
	5. व्याख्यान देना
	6. निर्देश देना
	7. आलोचना करना तथा अधिकार प्रर्दशन
छात्र कथन	8. छात्र कथन अनुक्रिया
अनुक्रिया	9. छात्र कथन स्वोपक्रम
मौन	10. मौन

फ्लैण्डर की अंत:क्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया – इसमें निरीक्षणकर्त्ता कक्षा में शिक्षण के आधार पर विभिन्न अन्त: प्रक्रियाओं का अंकन करता है। कक्षा का निरीक्षण कम से कम 20 मिनट तक किया जाता है। यदि एक ही प्रकार की अन्त:क्रिया काफी देर तक चलती रहती है तो उसका अंकन भी उतनी बार (प्रति सेकण्ड की दर से) किया जाता है। अर्थात इस विधि में

* असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा शास्त्र) कॅरियर कालेज ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड एजूकेशन, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

प्रत्येक 3 सेकण्ड के पश्चात शिक्षक और छात्रों की प्रक्रियाओं को बताए गये 10 वर्गो में से सम्बन्धित वर्ग के संदर्भ में नोट किया जाता है।इस प्रकार निरीक्षक प्रति मिनट 20 से 25 वर्गो की संख्याओं को अंकिम करता है। अन्त:क्रिया की व्याख्या करने के लिए निरीक्षक आव्यूह तालिका तैयार की जाती है। इस तालिका की सहायता से कक्षा शिक्षण व्यवहार की व्याख्या की जाती है। इस व्यूह तालिका के आंकड़ों का दो प्रकार से अर्थापन किया जाता है।

परिणात्मक व्याख्या : तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 : व्यवहार अनुपातों के मानक

व्यवहार	कक्षा 7	
	मानक मूल्य	अवलोकन
शिक्षक कथन	64	67.95
छात्र कथन	24	30.11
मौन	12	1.93
शिक्षक अनुक्रिया	27	27.14
शिक्षक प्रश्न अनुपात	20	12.55
तत्कालीन शिक्षक अनुक्रिया	16	7.14
तत्कालीन शिक्षक प्रश्न अनुपात	47	62.37
छात्र स्वोक्रम अनुपात	50	65
पाठ्यवस्तु आवान्तर अनुपात	54	66.66
छात्र स्थिर अवस्था अनुपात	56	77.27
स्थिर अवस्था अनुपात	44	14.81

व्यवहार अनुपातों के मानक का निष्कर्ष

शिक्षक कथन – शिक्षक कथन अनुपात मानक तालिका में मूल्यों से अधिक होने पर शिक्षक प्रभावशाली नही होता है। अनुपातों का मूल्य कम होने पर शिक्षक प्रभावशाली होता है। तालिका 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षक कथन मूल्य 67.95 है। जो मानक मूल्य 64 से अधिक है, इसलिए यहॉ शिक्षक प्रभावशाली नही है।

छात्र कथन – जो शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को अधिक क्रियाओं को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करते है। उनकी अन्त:क्रिया में छात्र कथन अधिक होता है। छात्र कथन मानक मूल्य से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली होता है तथा मानक मूल्य से कम होने पर शिक्षक प्रभावशाली नही होता है। तालिका 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि छात्र कथन 30.11 है। जो मानक मूल्य 24 से अधिक है इसलिए शिक्षक प्रभावशाली है।

मौन – कक्षा में इस व्यवहार का अधिक होना अच्छा नहीं समझा जाता है। शिक्षक प्रश्नों तथा निर्देशों की सहायता से इस व्यवहार को कम कर सकता है। मौन अनुपात मानक मूल्य से अधिक होने पर शिक्षक प्रभावशाली नही होता तथा कम होने पर शिक्षक प्रभावशाली होता है। तालिका 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौन मानक मूल्य 1.93 है। जो मानक मूल्य 12 से कम है। अत: शिक्षक प्रभावशाली है।

शिक्षक अनुक्रिया – शिक्षक अनुक्रिया अनुपात मानक तालिका मूल्यों से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली होता है तथा कम होने पर शिक्षक कम प्रभावशाली होता है। तालिका 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षक अनुक्रिया अनुपात 27.14 है। जो मानक मूल्य 27 से अधिक है। अत: शिक्षक प्रभावशाली है।

शिक्षक प्रश्न अनुपात – शिक्षक प्रश्न अनुपात मानक मूल्यों से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली होता है तथा मानक मूल्यों से कम होने पर प्रभावशाली नही होता है। तालिका 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षक प्रश्न अनुपात 12.55 है। जो मानक मूल्य 20 से कम है। अत: शिक्षक प्रभावशाली नही है।

तत्कालीन शिक्षक अनुक्रिया – जब तत्कालीन शिक्षक अनुक्रिया अनुपात मानक मूल्य तालिका के मूल्य से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली होता है तथा कम होने पर कम प्रभावशाली होता है। तालिका 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन शिक्षक अनुक्रिया 7.14 है। जो अवलोकन मानक मूल्य 16 से कम है। अत: शिक्षक कम प्रभावशाली है।

छात्र स्वोपक्रम अनुपात – जब छात्र स्वोक्रम अनुपात मानक मूल्य तालिका के मूल्य से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली होता है तथा मानक मूल्य तालिका से कम होने पर कम प्रभावशाली होता है। तालिका 1.2 से के अवलोकन से स्पष्ट है छात्र स्वोक्रम अनुपात 65 है। जो मानक मूल्य 50 से अधिक है। अत: शिक्षक प्रभावशाली है।

पाठ्यवस्तु आवान्तर अनुपात – जब पाठ्यवस्तु आवान्तर अनुपात मानक मूल्य तालिका के मूल्य से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली नही होता है तथा कम होने पर प्रभावशाली होता है। तालिका 1.2 से के अवलोकन से स्पष्ट है कि पाठ्यवस्तु आवान्तर अनुपात 66.66 है। जो मानक मूल्य 54 से अधिक है। अत: शिक्षक प्रभावशाली नही है।

छात्र स्थिर अवस्था अनुपात – जब छात्र स्थिर अवस्था अनुपात मानक मूल्य तालिका के मूल्य से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली होता है तथा मानक मूल्य तालिका के मूल्य से कम होने पर प्रभावशाली नही होता है। तालिका 1.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि छात्र स्थिर अवस्था अनुपात 77.27 है। जो मानक मूल्य 56 से अधिक है। अत: शिक्षक प्रभावशाली है।

स्थिर अवस्था अनुपात – जब स्थिर अवस्था अनुपात मानक मूल्य तालिका के मूल्य से अधिक होता है तो शिक्षक प्रभावशाली नही होता है तथा मानक मूल्य तालिका के मूल्य से कम होने पर शिक्षक प्रभावशाली होता है। तालिका 1.2 से के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थिर अवस्था अनुपात 14.81 है। जो मानक मूल्य 44 से कम है। अत: शिक्षक प्रभावशाली है।

निष्कर्ष – कक्षा में शिक्षकों और छात्रों के मध्य अन्त:क्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षक एक प्रभावशाली शिक्षक है। इसका कारण शिक्षक द्धारा प्रश्न करने पर छात्र उत्तर देने में मे रूचि दिखा रहे थे। परन्तु कहीं कहीं पर शिक्षक की प्रभावशीलता कम थी क्योंकि कक्षा में शिक्षक अधिक समय तक रहा था। परन्तु फिर भी कक्षा में अन्त:क्रिया हो रही थी एवं विभ्रान्ति की स्थिति नही थी। अत: कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच एव अक्ष्छी अनुक्रिया हो रही थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा आर. ए.(2011) शिक्षा के तकनीकी आधार, आर. लाल. बुक डिपो मेरठ।
2. बाजपेयी एल. बी., शिक्षा में नवाचार एवं तकनीकी, आलोक प्रकाशन लखनऊ।
3. कुलश्रेष्ठ एस. पी. एवं सिंघल अनुपमा,(2012) शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।
4. गौर अखिला सिंह, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, आलोक प्रकाशन लखनऊ।

परिणात्मक व्याख्या : तालिका 1

10	5	8	5	9	5	5	5	6	8
9	4	1	5	4	5	5	5	6	5
6	4	5	9	5	5	5	5	8	5
5	5	4	5	5	5	5	5	8	8
5	5	4	5	4	5	5	5	7	5
5	4	8	5	5	5	4	5	7	5
6	9	4	5	5	5	8	5	6	8
6	6	8	5	5	5	5	5	6	5
5	5	3	9	5	5	5	5	5	5
5	5	1	9	5	5	5	6	5	8
7	9	8	5	5	7	5	8	6	5
7	3	7	4	5	7	5	6	5	9
7	5	7	6	5	7	5	8	5	8
5	5	5	6	7	5	5	8	7	5
5	4	6	8	5	5	5	6	5	5
5	5	5	8	5	5	5	6	5	7
7	4	5	5	5	5	5	9	5	7
7	6	5	5	5	5	5	1	5	5
7	5	5	5	5	5	5	6	5	5
5	5	5	9	9	5	5	6	5	5
5	5	8	5	5	6	5	6	5	6
5	9	5	5	5	8	5	9	5	6
5	8	5	5	5	5	5	5	5	5
5	8	5	5	5	5	5	6	5	5
5	6	5	5	5	5	5	5	5	6
5	8	5	5	5	4	5	5	5	6
5	5	5	5	5	5	5	6	5	10
5	7	5	6	5	5	5	3	5	
6	4	5	5	5	4	5	1	5	
		5	5	5	8	5	5	5	

****

Gandhiji's Ideology On Women Empowerment

Dr. Rajni Dubey*

Introduction - The status of women in India has been subject to many great changes over the past few millennia. From equal status with men in ancient times through the low points of the medieval period, to the promotion of equal rights by many reformers, the history of women in India has been eventful. Gandhiji is known to be one of the few people who encouraged women's active participation in the freedom struggle-marking him as a rare promoter of women's liberation. His views about Economical, Social Political and the condition of females in the Society in books he had written gives right direction for the changes in the society. Gandhiji was a social and political reformer and gave a strong fight for the cause. He played a vital role in removing social evils committed against the women of the country through ages. He strongly believed that a society can develop rapidly if it takes all sections of the people together into its fold; rich and poor, high society people and low caste people and both men and women. To Gandhiji, social freedom was as crucial as political freedom. Gandhian philosophy and his thoughts relating women's rights and empowerment are highly relevant today than what it was during his time. Women still continue to suffer from disabilities and miseries afflicted on them. Women are still considered as the weaker sex, still face subtle discrimination in almost all fields of life; still are not given equal opportunity and rights. For Gandhiji the question of women empowerment was as good as a human rights issue. And it is a well known fact that he was a strong advocate of women's rights from the day he assumed leadership of the nationalist movement. His advocacy of women's rights was a step forward from his predecessors who championed the cause of women's liberation. No reformer or national leader prior to him had expressed so much concern about or questioned the fundamental inequality and injustice done to women in Indian society by denying them basic human rights. Since the beginning of his political career, Gandhiji kept working ceaselessly to enhance the condition of all the women socially, economically and politically and gain them back their genuine rights, honour and their privileges.

Gandhi's political ideologies are strongly based on humanitarian values, which were a reflection of his spiritual self. For him, politics could not be divorced from social factors. To Gandhi, social emancipation was as critical as political emancipation. Women under his ages took a milestone to step towards reestablishing their identity in the society. Gandhi's inspiring ideologies boosted their morals and helped them to rediscover their self-esteem.

Gandhiji believed that satyagraha was the most powerful weapon in a nonviolent struggle. Satyagraha involves defiance. It involves the willful, peaceful, breaking of laws that are unjust. It means picketing, protesting, squatting, obstructing, challenging and publicly resisting wrongs. Since women were the most nonviolent and ardent lovers of peace, it could be sharpened and extended as a weapon in women's struggles for justice and equality. To him the ultimate ahimsa and satyagraha was when women, in vast numbers, rose up to put an end to the destructive aspects of male dominance in society.

From Gandhiji's point of view, although he had great respect for the traditions of the country, he realized that certain customs and traditions of the Indian society were anti-ethical to the spirit of development of the women of the nation. Gandhiji quoted, "It is good to swim in the waters of tradition; but to sink in them is suicide". Thus, he was completely against many social customs, traditions, norms and values and social evils like child-marriage, widowhood, the dowry system, the pardah system and prostitution, the witch-hunting, etc. which threat the development of the society.

With Gandhi's inspiration, women took the struggle right into their homes and raised it to a moral level. Women organized public meetings, sold Khadi and prescribed literature, started picketing shops of liquor and foreign goods, prepared contraband salt, and came forward to face all sorts of atrocities, including inhuman treatment by police officers and imprisonment. They came forward to give all that they had their wealth and strength, their jewellery and belongings, their skills and labour all with sacrifices for the unusual and unprecedented struggle for independence. Gandhi's call to women to involve themselves in the freedom struggle had far-reaching results in changing their outlook. "The cause of Swaraj swept all taboos and old customs before it". Many women in their individual lives shed their age-old prejudices against the caste system. They had no hesitation in leaving the boundaries of their protected homes and going to the jail. They even broke their glass bangles

*Professor (Political Science) Govt. Girls PG College, Sagar (M.P.) INDIA

(a sign of ill omen for married women) when they were told that they were made of Czechoslovakian glass. Women's participation in the freedom struggle feminized nationalism and the nationalist struggle helped them to liberate from age-old traditions. Though Gandhi never challenged the traditional set up, he inspired women to carve out their own destinies within it, and thereby changing its very essence. Women learnt from Gandhi that one can be strong, even if seemingly weak, to protest against injustice. They evolved their own perspectives and formulated their own methods. In a way they presented a critique of the colonial unethical state. Gandhiji could see woman as connected with service and not with power. When a woman wrote to him in 1946 about the political scene and the paucity of women in it, he wrote: 'So long as considerations of caste and community continue to weigh with us and rule our choice, women will be well-advised to remain aloof and thereby build up their prestige. Women workers should enroll women as voters, impart or have imparted to them practical education, teach them to think independently, release them from the chains of caste that bind them so as to bring about a change in them which will compel men to realise women's strength and capacity for sacrifice and give her places of honour. If they will do this, they will purify the present unclear atmosphere'.

Gandhiji strongly believed that only women should lead the organizations devoted to the cause of women empowerment. It is well-known that violation of women's Human Rights is often neglected in debates, discussions and decisions relating the issue due to the absence of women in such bodies and organizations. Gandhiji had anticipated this long back and therefore he always insisted on women's role in decision-making process. It can be said undoubtedly, that Gandhiji experimented a century ago and showed way for the empowerment of women and the improvement of the status of women in the country. It is a great regret for us that even today empowerment of women is still restricted in some families. They are not allowed to enter into certain jobs, beyond doctors, nurses, teachers and clerical jobs and become victims of domestic violence, dowry system, prostitution etc. The views expressed and actions undertaken by Gandhiji may not go entirely with the current times because the times have irreversibly changed but his honesty, the love and respect he had for the women, can never be doubted. In Gandhi's philosophy, the women of India found a new identity. Gandhiji comes out with flying colors for his views on the various aspects concerning women in our society. Gandhiji, by far, can be considered the best friend of women in India and the world. Gandhiji's purity of thought and honest intentions are beyond question. No other man in the entire history of India or in the world had such godly ideas about women. For both men and women, to have a better perspective of each other and life, Gandhian literature will continue to be a prescription for many years to come.

References:-

1. M. K. Gandhi: Village Swaraj; Navjivan publishing House, Ahmedabad
2. R. P. Mishra: Rediscovering Gandhi; Volume I: Hind Swaraj-Gandhi's Challenges to modern Civilization; Concept Publishing Company, New Delhi
3. J. C. Kumrappa: Economy of Permanance; Sarva Seva Sangha Prakashan,Rajghat; Sixth Edition 1997
4. http://en.wikipedia.org/wiki
5. Nandela, Krishan, Gandhi on women s empowerment (Internet, www.mkgandhi.org/articles/krishnannandela.htm)
6. Jaitly, Jaya, Gandhi and women s empowerment (Retrieved from Internet).
7. By Rao, A.B.S.V Ranga and Raju M. Lakshmipatti-Gandhi Revisited (Page no- 155- 161) (Akansha publishing House, 2011 ISBN 978-81-8370- 296- 6)
8. Mahatma Gandhiji s View on Women s Empowerment by Prof. Dr. Deepak D. Koturwar.
9. Relevance of Gandhian Ideas for Human Rights and Empowerment of Women by Dr. (Mrs.) Bina Kumari Sarma.
10. Gandhiji and His Vision for Women Empowerment by Pinkumani Barman.
11. Nandela, Krishan, Gandhiji on women s empowerment (Internet,www.mkGandhiji.org/articles/krishnannandela.htm), Jaitly, Jaya, Gandhiji and women's empowerment (Retrieved from Internet).

****

An Analytical Study on Brand Loyalty for Cement Industry

Dr. Vasudev Mishra* Deepa Sharma**

Abstract - Customers/Users of this millennium have become more concerned about brand in Cement and also inclined to maintain quality of life which is reflected through the privileged consumption of those products that provide maximum satisfaction. In the promotion of the cement, advertisements have the greatest impact and mainly the promotion of these products depend upon the ads specifically. The main purpose of the ads is to create awareness about the brand of the products which have a natural therapy. In today's turbulent markets with changing customer needs and growing product variety, companies have developed a unique blend of products under many brands to pull the market by offering value for his customers. The study has examined the perception of customers towards brand loyalty.
Keywords - Brand Loyalty, Awareness, Changing Preferences, growing product variety.

Introduction - Branding Strategy: For branding cement industry, marketers need to differentiate their offering by delivering unique attributes and values to the customers, traders or constructors. Brand is able to provide the customers the right product at the right place at the right time. With its successful campaigns of trust and quality, different brands of cement available in market like JK Cement, Birla White Cement, Ultratech, JK White Cement, Jaypee Cement Ltd. Etc. emerged as a trustworthy brand in the consumers' minds. Keeping the first priority to capture market share and be the number of brands, branded cement offered competitive pricing. It was successful in building preference nationally. It was the quality, reach and recall value that made a successful brand.

Brand Loyalty:A favourable attitude towards the brand is generated by Brand Loyalty in the customer. Such a customer would make repeated purchases of the same brand time and again due to a perception that only a particular brand can satisfy his or her needs. In this context several definitions have given to define Brand Loyalty. Here some definitions have been presented on Brand Loyalty: "Brand Loyalty is a configuration of consumer behaviour where consumers make repeat purchases over time after committed to the specific brand". "Brand Loyalty is regardless of a competitor's actions or changes in the environment defined as positive feelings towards brand and dedication to buy the same product or service repeatedly now and in the future from the same brand"."Brand Loyalty as the tendency of consumers to continuously purchase one brand's product over another." Consumer behaviour patterns demonstrate from a company that has fostered a trusting relationship that consumers will continue to buy products". "Brand Loyalty is the tendency of consumers to continue to buy products from the same brand over its competitors".

In a broader sense, study of Brand Loyalty can be categorized into two viewpoints. A Behavioural approach that measures patterns and quantum's of purchases. Repetition of buying trends is treated as a proof of reinforcement and a strong stimulus-to-response link. While the former approach accounts for behavioural patterns of the buyer, a more cognitive approach realizes that repeat purchasing may just be an outcome of stagnation. Brand Loyalty is a customer's allegiance to a brand and mere similarities in purchasing patterns may arise out of factors other than Brand Loyalty. A family may buy a particular brand because it is the lowest-priced brand on the market.

The more customized definition divided loyalty into two- behavioural and attitudinal loyal. Behavioural loyalty takes only the dimensions correspondent to the behaviour, while the attitudinal loyalty relates the attitude towards the product. In a nutshell, a person who purchases same thing is behaviourally loyal and if he tells about the positivity of the brand to others he is attitudinally loyal. Now both these parts forming the Brand Loyalty relies on the company's devotion to its customers.

Brand Loyalty purview varies anywhere from avid buyers to satisfied customers. It can be customers that merely find your brand agreeable or the ones that are hard pledged to use only your brand. A great incentive of Brand Loyalty is reduced marketing cost which in turn generates value by means of holding on to old customers, an effort

* Principal (SCMIPS) Bada Ganpati, Indore (M.P.) INDIA
** Assistant Professor (SCMIPS) Bada Ganpati, Indore (M.P.) INDIA

which is less intensive than catching new customers. It becomes taxing for competitors to lure the devout brand users since they heed little or absolutely no attention to alternatives. Shifting focus to lure new customers while sidelining old loyal customers is a common blunder. Instead, the loyal customers can often generate new users through word of mouth.

Analysing the rate at which new competitors are providing the same services, there is dire need to build Brand Loyalty to survive in the market in which customer's happiness has to be the focus. Repurchase intention is implied through the level of contentment of the buyers. Customers are less likely to switch if he gets at least threshold loyalty from the company thus defining the target at which company has to maintain itself above to play safe in the market.

Objectives Of The Study - To study the customer awareness towards brand loyalty in Indore city.

Research Methodology

Research Design: The research design is descriptive.

Research Area: The study was carried out in Indore city.

Universe: Population in the study refers to group of customers of urban and rural areas from Indore city who are related to six branded companies of cement i.e. J.K Cement, Birla White Cement, Ultratech, J.K. White Cement and Jaypee Cement Ltd.

Sampling Size: For the purpose of the study total 300 customers were selected.

Sampling Method: For the purpose of this research, convenience has been used.

Tools for data collection: The tool used for the primary data collection is a self-designed questionnaire. Independent T Test and One Way ANOVA were used.

Results & Discussions

H_{01}: There is no significant difference between urban customers and rural customers towards brand loyalty.

H_{a1}: There is no significant difference between urban customers and rural customers towards brand loyalty.

Table 1 (see in next page)

Table 1 shows no difference between urban customers and rural customers towards brand loyalty as the mean value of both urban and rural customers are nearly equal and the value of T-Test is 11.57 which is lesser than the tabulated value (1.96) and the calculated p-value is 0.207 that is greater than 0.05 so the null hypothesis 'there is no significant difference between urban customers and rural customers towards brand loyalty' is accepted.

H_{02}: There is no significant difference among income segment of customers towards brand loyalty.

H_{a2}: There is no significant difference among income segment of customers towards brand loyalty.

Table 2 (see in next page)

Table 2 shows the value of F that is 0.709 which is not significant at 0.587 as this value is higher than 0.05 so it is concluded that income wise, the perception of customers perceive equally towards brand loyalty. Hence, in this context, the null hypothesis 'there is no significant difference among income segment of customers towards brand loyalty' is accepted.

Conclusion - The study has shown that customers of both from urban and rural areas were aware of the brands and they prefer to purchase the branded cement. It depicts that repeated purchasing the brands, customers have associated their emotions with brands and this has become brand loyalty. They prefer the quality of cement, its prices, the strength of branded cement, availability etc. so they are motivated to purchase the brands. It is stated that brand creates its space in the minds of customers and inculcates the sense of spirit which appeals to customers for branded cement. Brands instils the confidence among customers while purchasing the branded cement.

Suggestions - On the basis of findings, some suggestions have been given for further consideration:

1. To sustain the brands, quality assurance will be provided to customers.
2. The complaints of customers will be handled effectively.
3. The distribution channel would be expanded so that every customer will get benefits.
4. Through proper advertisement, brands awareness will be created among customers.
5. The customized services will be provided to customers to have trust in branded cement.

References :-

1. Dawood, U. (2014) "Factors influencing profitability of Cement Industry for the period of (2009-12)". International journal of Scientific and Research Publications.
2. Devi, M. and Mugunthan, C. (2017) Profitability analysis of select cement companies in India. International Journal of Multidisciplinary Research and Development. Volume 4; Issue 3; Page No. 24-25.
3. M. Thyigarajan and .J. Uday Kumar (2015) "Profitability analysis of selected Cement companies in India" Indian journals of Applied Research. 2015; 5(4):807-809. www.money control.com. http:// www.ibef.org/ industry/ cement- indaia.aspx
4. Pandey, S. and Jaiswal, V.K. (2014) "Comparative study of Profitability Analysis of Indian Cement Industries between public and private sector" GE International Journal of management research. 2014; 2(12):143-150.
5. Tulsian, M. (2014) "Profitability Analysis in selected Cement Industries., IOSR journal of Economic and Science.

Table 1: T-Test between urban customers and rural customers towards brand loyalty

Dimension	Residence Area	N	Mean	SD	T-Value	Sig.
Brand Loyalty	Urban	197	37.5482	11.57381	-1.266	0.207*
	Rural	103	36.3301	10.90805		

*0.05 level of significance

Table 2: ANOVAon brand loyalty

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	382.064	4	95.516	.709	.587
Within Groups	39768.256	295	134.808		
Total	40150.320	299			

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Effectiveness Of Different Sales Promotion Techniques For LED Tv

Dr. Anurag Mehta* Naisarg Gopalchandra Shah**

Abstract - Competition is rising very rapidly in electronics segment especially in the LED television. So many brands are being sold in the market having similar features with not much price difference. In this situation several companies are using sales promotion techniques to stimulate the sales of LED TV. To what extent these sales promotion techniques are good and which type of technique can be most effective considering the fact that so many types of sales promotion schemes like free gifts, rebate, cash back, lucky draws etc. are used. ANOVA test was used to understand the significance of difference among sales promotion techniques. In this research survey was conducted with well structured schedule at Panchmahal district of Gujarat. It was also tried to comparatively measure the effectiveness of these sales promotion techniques in urban and rural area. T test was used to understand the significance of difference between effectiveness of sales promotion techniques used for LED TV in urban and rural area.
Key words - LED TV, free gifts, rebate, cash back.

Introduction - To promote sales of products companies use of sales promotion techniques. Sales promotion is not a regular business activity but it is done on special moments/ events or occasions. If it is done regularly it will lose its charm and people will not get attracted to it. When these things are declared people do get tempted to avail these sales promotion schemes as it is available for the time being only and after that they will have to purchase the product at the normal prize with no special benefit which is being offered under the scheme.

LED TV business is growing very rapidly because people no longer like old television sets they are using smart televisions. So companies are trying hard to increase the sale as much as possible in this booming area. To attract customers they also offer different sales promotion schemes.

In India the smart TV market recorded splendid growth in the year 2017 because of the steep decline in the price of television sets. So many companies entered into the market and the competition intensified which resulted into the low price and the benefit ultimately reached to the customers. Indian smart TV market is likely to grow at a cumulative annual growth rate of 30.2 % during the period 2018 to 2024.[1]

Television sets of 32 inches category have registered growth of 10% in the offline market from January to April 2019 which is pretty inspiring for the industry and 90% growth has been registered in the online sale. It shows that people are extremely interested in buying online because it is easily affordable with different type of promotional schemes available online. (Writnakar Mukherjee, 2019)[2] For the purpose of effective sales promotion it is very important to select the right target audience. It is also desirable to set the measurable goals understanding the limited resources. It is not sufficient to promote widely but it should be done wisely. The benefit of sales promotion scheme should be highlighted to publicize the real value of the offer. (Amanda Berkey, 2019)[3]

Consumer awareness is rising, brand loyalty is declining and customers are seeking value for money so the companies are convincing them with different sales promotion schemes. 30% of the television advertisements consists of sales promotion scheme. (Manish Mittal and Poojae Sethi, 2011)[4]

Research objectives:

1. To know the effectiveness of different sales promotion techniques used for LED TV.
2. To know the effectiveness of sales promotion techniques used for LED TV in urban and rural area.

Research hypothesis:

1. H1 There is no significant difference among effectiveness of different sales promotion techniques used for LED TV
2. H2 There is no significant difference between effectiveness of sales promotion techniques used for LED TV in urban and rural area.

Research sample and tool - For this research purpose 300 respondents from urban areas and 300 respondents from rural areas were randomly selected. They were interviewed relating to the sales promotion techniques of

*Principal & Professor, PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA

LED TV. Structured schedule was used to collect the information from the respondents in an unbiased and scientific manner.

Research analysis - The collected data from the respondents has been tabulated in the table given below. It shows 81.63% respondents considered gifts as most effective followed buy and get something free offer. Rebate is 75.67% effective, cash back offers is 70.34% effective and credit facility is 64.58% effective. Scratch and win cards, lucky draws, fairs, exhibitions and loyalty coupons are not all that effective; people do not consider them as a reason for purchase. They do not get attracted to these techniques.

Table 1: Effectiveness of different sales promotion techniques for LED TV

Technique	Urban	Rural	Overall
Gifts	81.25%	82%	81.63%
Buy and Get Something Free	78%	78.75%	78.38%
Rebate	75.17%	76.17%	75.67%
Cash Back	70.92%	69.75%	70.34%
Credit	65.08%	64.08%	64.58%
Additional Guarantee/ Warranty	34.58%	32.67%	33.63%
Scratch & Win Cards	21.00%	19.92%	20.46%
Lucky Draws	12.17%	13.58%	12.88%
Fair & Exhibitions	7.67%	8.17%	7.92%
Loyalty Coupons	5.08%	3.83%	4.46%

To ascertain whether this difference among all these sales promotion techniques' effectiveness is significant ANOVA test was conducted.

Table 2: ANOVA Test for sales promotion techniques of LED TV

Category	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	288.54	9	32.06	12.98	0.00
Within Groups	7385.3	2990	2.47		
Total	7673.8	2999			

As per ANOVA test the calculated value of F is 12.98 which is more than table value of F i.e. 1.88 at 5% level of significance and p-value is 0.00 which is less than 0.05 so it can easily be concluded that there is significant difference among the effectiveness of different sales promotion techniques used for LED TV so the first hypothesis is rejected.

To measure the effectiveness of different sales promotion schemes in urban and rural areas T test was done.

Table3: T test for comparative effectiveness of sales promotion techniques of LED TV used in urban and rural area

Category	Mean	Standard Deviation	Degree of Freedom	T Value	P Value
Urban	37.53	28.67	18	0.010	0.9918
Rural	37.40	28.93			

The calculated value of t is 0.01 which is less than the table value (2.228) at 5% level of significance and the P value is 0.99 which is higher than 0.05 so it can be concluded that there is no significant difference between the effectiveness of sales promotion schemes being used in urban and rural areas. Hence the second hypothesis is accepted.

Research conclusion & suggestion - Sales promotion schemes need to be used for LED TV as they are quite effective but using any technique for the purpose of promotion will not work. Gifts, buy and get something free, rebate (discount), cash back and credit facility; only these five sales promotion techniques are effective so these should be used to increase and enhance the sales of LED TV in urban as well as in rural areas. There is no need of discrimination between the urban and rural areas because these schemes are equally effective in urban and rural areas.

References :-

1. https://www.researchandmarkets.com/reports/4616203/india-smart-tv-market-2018-2024-market
2. Writnakar Mukherjee July 2019 Economic Times, New Delhi.
3. Amanda Berkey (2019) Six sales promotion tips for marketing success, https://www.salesforce.com/blog/2015/08/5-key-elements-successful-sales-promotion.html
4. Manish Mittal and Poojae Sethi (2011) The Effectiveness of Sales Promotion Tools among Indian Consumers: An Empirical study, Journal of Promotion Management, P.1-26.

****

Effectiveness Of Advertisements Of Car Loan In Small Cities

Dr. Anurag Mehta* Ghadiyali Anandkumar**

Abstract - People have a desire to buy new car for the first time or change the existing car and go for the higher version. There are also few persons who buy used cars i.e. second hand cars. There are occasions when people think they are not having required amount in that case they think of taking loan from bank to buy car. Now a days banks provide car loan. As so many banks are offering car loans competition has grown up. Banks have started advertising for providing car loans. Whether it is desirable to advertise for the car loan, to what extent people give attention to such advertisements and whether they actually take action and avail the car loan. All such questions are of vital importance for the bankers in order to decide their advertising policy. In this research an effort has been made to ascertain the effectiveness of car loan advertisements of banks especially in the small cities on the basis of viewership, memorability, convincingness, action-ability and advisability of advertisements.

Key words - Car Loan Advertisements, Viewership, Memorability, Convincingness, Action-Ability, Advisability.

Introduction - Banks provide number of services for customers but their full usage depends on customers' awareness. For the purpose of awareness advertising is done. Unfortunately customers do not trust much on these advertisements. These are considered exaggerative or unrealistic. Bankers are not able to understand the emotional needs of customers so their advertisements do not produce results many a times.[1]

Advertisements of banking products in newspapers and internet provide detailed, elaborated and descriptive information so these are convincing. While TV advertisements provide limited information, are considered superficial and less convincing. Though TV advertisements are good to grab attention and generate interest in the banking products which can later on be supplemented by newspaper and internet advertisements.[2]

Advertisements are effective but their impact differs from age to age, gender to gender and occupation to occupation. Though television advertisements are more effective than radio, newspaper, hoardings, poster and pamphlet advertisements. For few products television is most persuasive and preferred.[3]

In Pakistan effectiveness of advertising for commercial banks was studied in terms of increase in profit. The profitability was measured on the basis of return on equity. It was found that profitability of private commercial banks increased significantly with the rise in advertisements while for public sector banks advertisements were not found significant. There might be few other factors that have impacted the profit of public sector banks. [4]

There are five aspects of advertisements which are of vital importance. First is whether the advertisement is effective in a sense that it reaches to the masses. The selection of appropriate media channel is also important to reach to the masses. Second important thing is to gain the attention of the people who see the advertisement. Third important thing is to grab their attention in such a manner that they get tempted to buy the advertised product or the service. Important thing is that advertisement should be logical and convincing to the the viewers this should feel it trustworthy beneficial and actionable Forth important thing is that advertisement should be so powerful that it can stimulate the desire to take action of buying or patronizing the product. Lastly it should also be so impressive that the people share their views relating to the product being advertised to their friends relatives and peer group and recommend them. All these 5 criteria were used in this research to measure the effectiveness of car loan advertisements being made by different bankers. Gujarat state is considered as a rich state where so many people have their own car. They are well aware with the banking services so it was considered appropriate to study the effect of car loan advertisements in small cities of Gujarat namely Godhra, Modasa and Lunawada.

Research objectives- To know the effect of advertisements of car loan being broadcasted or published by different banks so that better advertising policy can be decided.

Research hypothesis:

1. $H_{1.0}$ There is no significant effect of advertisements of car loan.

*Principal & Professor, PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, PAHER University, Udaipur (Raj.) INDIA

2. $H_{1.1}$ There is significant effect of advertisements of car loan.

Research sample - 200 respondents were randomly selected from three cities namely Godhra, Modasa and Lunawda so in all 600 respondents were selected for this research. These were above 25 years of age having annual income of more than 2,00,000 Indian Rupees.

Research Analysis - In these three cities in all 97.33% respondents have seen the car loan advertisement. While 88.67% could recall that advertisement. 76.17% respondents find car loan advertisements are impressive and convincing. 51.17% availed the car loan or intend to avail the car loan whenever required. 45% have recommended others related to the advertisement of car loan, to avail the car loan as per the advertisement.

Giving equal weight to all these five factors the overall average effect of advertisements of car loan is 71.67%, which looks quite impressive.

Table 1: Effectiveness of advertisements of car loan

City	Criteria (respondents in %)	Average respo -ndents (in %)
	Exposed to car loan advertisements	
Godhra	98.50%	97.33%
Modasa	97.50%	
Lunawda	96.00%	
	Recalled car loan advertisements	
Godhra	91.00%	88.67%
Modasa	88.00%	
Lunawda	87.00%	
	Convinced with car loan advertisements	
Godhra	77.50%	76.17%
Modasa	76.00%	
Lunawda	75.00%	
	Implement as per car loan advertisements	
Godhra	52.50%	51.17%
Modasa	51.00%	
Lunawda	50.00%	
	Advise as per car loan advertisements	
Godhra	46.00%	45%
Modasa	45.00%	
Lunawda	44.00%	
Average effect of advertisements of car loan		71.67%

Chart 1 (see in next page)

In this research it is hypothesized that if the effect of advertisements is more than 50%, it will be considered significantly effective. Similarly if the effect of advertisements is less than 50%, it will be considered significantly ineffective.

So one sample t test was done considering 50% as the test value for checking significance of car loan advertisements.

Table 2 (see in next page)

Calculated value of t is 3.95 which is more than table value 2.131 at 5% level of confidence. P value is 0.001 which is again less than 0.05 so the null hypothesis is rejected and alternate hypothesis is accepted. Hence it can be said that advertisements of car loan are significantly effective.

Research findings & Conclusion - It is quite effective to advertise for car loan. People do watch and remember car loan advertisements. Their interest for availing car loan has increased. They avail car loan or intend to avail car loan as per the advertisement or even advices their friends or relatives so banks should consistently publish or broadcast car loan advertisements in different media channels like newspaper, magazine, internet, television, hoardings etc. It is nothing but just a myth that advertisement are not effective and banks should not give any notice to such thought and keep on advertising more intensively and impressively.

References :-

1. John Mylonakis (2008) Role, objectives and effectiveness of financial advertizing: an exploratory bank marketing study, Innovative Marketing, Vol.4, Issue3, P.12-19.[1]
2. Pallavi Dogra and Arun Kaushal (2019) Is Financial Advertisement Effectiveness is Dependent on the Type of Media? A Case of Print, Electronic and Online Media, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol.8 Issue4, P. 8142-8152.[2]
3. Rajeswor Neupane (2019) Advertising and its effects on consumer behaviour in Kathmandu Valley, NCC Journal, P. 157-162.[3]
4. Samina Riaz, Muhammad Furqan and Sohaib Sohail Siddique (2015) The Impact of Advertising on the Profitability of Public & Private Sector Commercial Banks, European Journal of Business and Management, Vol.7, No.28, P.117-124.[4]

Chart 1: Effectiveness of advertisements of car loan

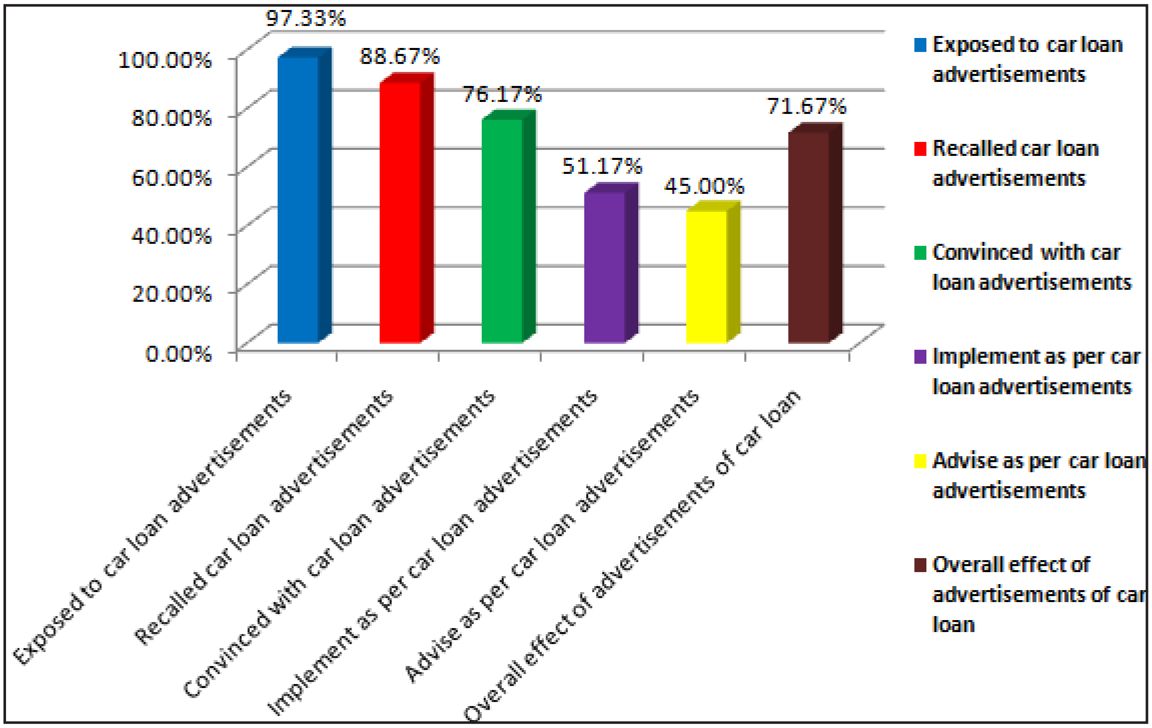

Table 2: T test

	Test Value = 50					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Effect of advertisements	3.95	14	0.001	21.67	9.90	33.43

****

समकालीन स्त्री कहानीकारो की कहानियों में स्त्री चेतना

झेलम झेंडे*

शोध सारांश – आज का युग प्रत्येक क्षेत्र में जागरण का युग है स्त्री आज वह नहीं रह गई है जो कि पचास वर्ष पहले थी कालान्तर में उसके जीवन व्यवहार और सोचने में तौर तरीको में भारी अंतर आया है। स्त्री चेतना का अर्थ यह नहीं है। कि उसे पारिवारिक बंधनो से मुक्त होना है और अपने दायित्वो से मुंह मोड़कर स्वच्छ जीवन बिताना है अपितु उसे अपनी भावनाओ की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रुप से जागरुक होना है। उसे रुढियों परम्पराओ की गुलामी के लिए जोर जबरदस्ती न करनी पड़े,उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पुरुष की भांति ही सुविधा और अवसर प्राप्त हो, उसकी ओर मानवीय दृष्टि से देखा जाए पुरुष स्त्री के साथ आत्मीयता का छलावा कर अमानवीय व्यवहार करना अपना धर्म समझता चला आ रहा है किन्तु अब चेतना के स्वर बदले है और स्त्री ने अपने अस्तित्व के अर्थ को समझा है और इसने संकल्प लिया है कि सबको मानवता का अर्थ समझाना है।

शब्द कुंजी – स्त्री चेतना, समाज सुधारक, संस्कृति, वैदिक काल।

प्रस्तावना – मानव जाति की सभ्यता संस्कृति के विकास का मूल आधार स्त्री है। स्त्री ने हमारी संस्कृति,धर्म एवं सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिकाल से वर्तमान समय तक स्त्री चिंतन पर बहस हो रही है और आज भी जारी है। एक तरफ तो उसकी पूजा देवी रुप में की जाती है और दूसरी तरफ उसे मात्र भोग की वस्तु समझा गया है और हमेशा की तरह वह सिर्फ एक अनभुझी पहेली बन कर रह जाती है परन्तु वास्तव में स्त्री केवल स्त्री है, मानवी है वह हमेंशा से ही अपनी पहचान व्यक्ति रुप में पाना चाहती है। परन्तु हमारे भारतीय समाज में सभी संस्कृतियों के केन्द्र में पुरुष रहा धर्म संस्कृति एवं सभ्यता के केन्द्र में पुरुष रहा धर्म संस्कृति एवं सभ्यता के केन्द्र में पुरुष को ही रखा गया और स्त्री उसकी सहायक मात्र ही रही। डॉ. मृणाल पाण्डे के अनुसार समाज में स्त्रीत्व की मूल अवधारणा नकारात्मक है। लगभग सभी धार्मिक और दार्शनिक दायरे में स्त्री को पुरुष के संदर्भ में एक अपूर्ण और सापेक्ष जीवन के रुप में देखा गया है। पुरुष ने स्त्री को कभी सम्मानपूर्वक नजरों से नहीं देखा। वैदिक काल में स्त्री शिक्षित और स्वतंत्र थी और सभी कार्यो में उसका सहभाग था समाज में से गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था उतर वैदिक काल से उसकी अवनति प्रारंभ हुई उसका दायरा सीमित हो गया वह चारदीवारी के भीतर कैद कर दी गई।

उपनिशद काल मे उसकी स्थिति में और गिरावट आ गई मध्यकाल तक आते आते तो उसकी सुरक्षा के नाम पर उसे इतने बंधनो से जकड़ दिया कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व का नामोनिशान नहीं रहा। आधुनिक काल में आकर स्त्री में नई चेतना का संचार हुआ परिवर्तन की प्रक्रिया शुरु हुई। अनेक समाज सुधारको ने स्त्री जीवन में सुधार के लिए प्रयत्न किए और स्त्री मुक्ति की भावना विकसित हुई। शिक्षा के कारण स्त्री अधिक जाग्रत हुई उसने अपने अधिकारो को समझा तथा आर्थिक रुप से स्वावलम्बन बनी स्त्री चेतना का प्रसार हुआ। आज समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे है उसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है और व्यक्ति के मन में हो रहे उतार च से निष्प्राण होती स्त्री ने जब करवट लेकर आंखे खोली और अपने पैरो पर खड़े होकर नई राहों की तलाश की तब साहित्यकारो को भी उसके पीछे चलने के लिए विवश होना पड़ा तथा उन्हे इस दायित्व का बोध हुआ कि समाज के आधे भाग का यदि इसी प्रकार निष्प्राण होने दिया गया तो देश की प्रगति अधूरी ही नहीं बल्कि अवरुद्धभी हो सकती है। इसलिए स्त्री जीवन की विषमताओ को इस दृष्टि से चित्रित किया, जिससे उसे समाज का समर्थन और सराहना मिल सके तथा स्त्री को स्वयं अपनी सामर्थ्य का बोध हो सके। इस दायित्व को सर्वाधिक महिला कथाकारो ने वहन किया अब तक स्त्री को स्त्री मन से नही देखा गया था, पुरुष कथाकार अपनी ही दृष्टि से स्त्री मन को कल्पित करके ग रही है कि अब स्त्री भोग्या नहीं है वह भी हाड मांस की बनी हुई एक सक्रिय प्राणी है वह भी पुरुष की तरह जीने की अधिकारिणी है। सड़ी गली परम्पराएं जीवन को दयनीय बना रही है। इसलिए ये अपने कथा साहित्य के माध्यम से सच्चाई व्यक्त करना चाहती। जब परिवेश में बदलाव आता है तो उसके साथ ही साथ मूल्य चेतना में भी बदलाव आता है।

यह सही है कि आजादी के बाद परिवर्तित स्थितियों ने स्त्री चेतना को अधिक उजागर किया है यही कारण है कि आज स्त्री अपने समय की जीवंत वास्तविकता है तथा वह अपने वजूद को महसूस करती है। न्यायमूर्ति मित्र जी अनुसार– महिलाओ में चेतना जाग्रत होगी तभी स्त्री अपना स्व पा सकेगी और साधिकार समाज मे सम्भावित जीवन जी सकेगी। बीसवीं सदी को महिला जागरुकता का युग कहा जाता है। महिलाओ को स्त्री अस्मिता और गरिमा के लिए उनमें चेतना का होना आवश्यक है और चेतना का मुख्य प्रयोजन ही यह है कि स्त्री के लिए सुखद भविष्य का निर्माण हो जो कि दुराग्रहो के बिना हो। आज की स्त्री न तो पुरुष से आगे निकलना चाहती है और न पीछे घिसटना, बल्कि सही मायने में किसी की पत्नी,माँ,बहन,बेटी बनकर जीना चाहती है तथा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करना चाहती है। समकालीन महिला लेखन स्त्री के अस्मिता व स्वतंत्र अस्तित्व की खोज का लेखन है। उन्होने सदियों की चुप्पी को तोड़ा है। यह पुरानी रुढियों,रीति–रिवाजों को मानने के लिए विवश नहीं है। अपने निर्णय वह स्वयं लेती है– यानि कि एक बात थी मृणाल पाण्डे की स्त्री व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बनाने वाली सफल स्त्रीवादी कहानी है आज की स्त्री पति–पत्नी संबंधो की एक साझा संस्कृति चाहती है जिसमें दोनो का समान योगदान हो। जब पुरुष उसे आज वस्तु बनाकर रखना चाहता है तब उसे यह असहाय होता है।

* असिस्टेट प्रोफेसर, वीर वाजेकर ए.एस.सी. कॉलेज, फुंडे, ता.उरण, जि.रायगड (महाराष्ट्र) भारत

अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वह पति को छोड़ भी सकती है। उबारने वाले हाथ नमिता सिंह की एक ऐसी कहानी है जिसमे स्त्री अपनी शक्ति को पहचान कर परिवार को उबारने का निर्णय लेती है– नायिका चंदो ऐसा ही उदाहरण है। चंदो अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेती है स्व की तलाश करने वाली है। चंदो को बिन्नी के परिवार के लोग और उसके छोटे भाई देख रहे थे चंदो ने छोटे भाईयों की निगाहो का तीखापन महसूस किया था और जैसे अचानक उसे कुछ याद आया तो अच्छा आन्टी जी मैं जा रही हूँ, नमस्ते। ऐसा कहकर चंदो अपने घर चली जाती है। पर छोटे भाईयों और माँ के लिए वह न जाने का निर्णय लेती है। अपने परिवार के सुखो का त्याग करने वाली आदर्श बहन और बेटी का चित्रण इसमें हुआ है।

आज की स्त्री शिक्षा व स्वावलम्बन तथा पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से स्त्रियों मे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। स्त्री अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग हुई है वह अपने रुप व देह के प्रति सतर्क रहने लगी है। उषा प्रियवंदा की प्रतिध्वनियाँ में एक स्वतंत्र प्रकृति वाली अत्याधुनिक स्त्री का चित्रण किया है कहानी की वसु बंधनमुक्त होकर स्वतंत्र व स्वछन्द जीना चाहती है। वसु व्यवस्था के पाश से मुक्त एक स्वतंत्र और स्वनिर्मित जीवन दृष्टि से जीवनयापन करती है उसकी यह दृष्टि स्त्री स्वतंत्रता की चरम अभिव्यक्ति है। लेखिका नमिता सिंह की कहानी या देवी सर्व भूतेशुष में देवयानी के चरित्र के माध्यम से स्त्री जीवन की सही पहचान की गई है किन्तु जब उसके जीजा उसके भीतर के देवी तत्व को जगाते है तब वह अपनी रक्षा के लिए पति को स्वयं तलाक देकर अपनी जिन्दगी की राह चुनती है। जीजा ने देवयानी के नाम को देवी में बदल दिया था– उनका दिया हुआ नाम उसके अस्तित्व का जरुरी हिस्सा बन गया था। देवयानी एक स्वतंत्र पहचान वाली स्त्री है पति से अलग होकर देवयानी घर आकर हंसते हुए कहती है– मैं मुक्त हो गई दीदी, अम्मा। मैं मुक्त हूँ अब पूर्ण मुक्त। अपनी रक्षा के लिए वह पति का संबंध तोड़कर जीवन की नई राह चुनती है। स्त्री की अस्मिता का एक मौजूदा सवाल है। आज वह मुक्त होकर स्वयं अपनी अस्मिता की पहचान करती है। मन्नू भंडारी की उचाँई, मृदुला गर्ग की हरी बिन्दी आदि कहानियो में स्त्री जीवन के विविध पहलुओ का निरुपण करते हुए लेखिकाओ ने स्त्री के लिए नये रुपो और विचारो को एक अलग दृष्टिकोण से परखा है। अब विवाहित स्त्री भी केवल पति की परिणिता बनकर नहीं रहना चाहती। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है। यह बात निरंतर उसकी सोच में है। इसी सोच के कारण विवाह के बाद अगर पति अपने कामो में व्यस्त रहता है या स्त्री की उपेक्षा करता है त बह अपने अभावो को भरने के लिए सही गलत की परवाह किए बिना अपनी मनचाही जिन्दगी व्यतीत करती है। राजी सेठ की कहानी 'ता चला आ रहा है किन्तु अब चेतना के स्वर बदले है और स्त्री ने अपने अस्तित्व के अर्थ को समझा है और इसने संकल्प लिया है कि सबको मानवता का अर्थ समझाना है। प्रकृति का नियम है,अन्याय के विरुद्ध ही चेतना के स्वर मुखरित होते है व क्रान्ति का उदघोष होता है। स्त्री हमेशा से ही शांत रही, पुरुष ने उसको उत्पीड़ित किया, ग्रस्त किया,उपेक्षित किया परन्तु आज आवश्यकता है, नये संदर्भो में स्त्रीत्व को नए सिरे से परिभाषित करने की पुन: स्थापित करने की स्त्रीत्व जिसका अपना गौरव हो, अपना स्वाभिमान हो अपनी सार्थकता हो जिससे वह समाज में बराबरी की हकदार हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्त्री देह की राजनीति से देश की राजनीति तक, मृणाल पाण्डे, पृ. 14
2. समकालीन हिन्दी महिला कहानीकारो की कहानियो में स्त्री चेतना, डॉ. अर्चना शेखावत,पृ. 78
3. राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय स्त्री, एम.ए अंसारी, पृ. 239

****

माल एवं सेवाकर पर एक अध्ययन ठाठीपुर क्षेत्र (ग्वालियर) के सन्दर्भ में

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध *

शोध सारांश – इस व्यवस्था का प्रारम्भ हमारे देश में मध्यरात्रि 30 जून 2017 से किया गया था इस व्यवस्था का मूल मंत्र माल एवं सेवा पर लगने वाले विभिन्न करों को समाप्त कर,एक कर व्यवस्था लागू की गई इससे आम जन को करों पर कराधान जैसी गलत व्यवस्था से मुक्ति मिली एवं इससे वस्तुओं की लागत कम होने से उनके मूल्यों में परिवर्तन आया है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है और व्यावसायी भी भय के कारण इस व्यवस्था में अपना पंजीयन करा रहे है जो इसके दायरे में आ रहे है एवं कर भी समय-समय पर जमा करा रहे है जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है और यह धन देश के विकास में लगाया जा रहा है लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के सारगर्भित परिणाम तभी आएगे जब आम जन इस व्यवस्था में निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे,उसे केवल व्यावसायी से माल क्रय करते समय माल विक्रय का मूल देयक लेना होगा,इससे व्यावसायी कर की चोरी नहीं कर पाएगे। और सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सशक्त भारत के निर्माण में महत्तपूर्ण योगदान देगा।

प्रस्तावना – वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक व्यापक वहुस्तरीय,गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ा जायगा भारत भर में यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया एक मूल्य वर्धित कर है,जो कि विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर हैं प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को एक कर बना देता है अंतिम उपभोक्ताओं को एक आपूर्ति श्रृखला अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले सभी प्रकार के कर समाप्त हो जाएगे। जैसे चुंगी,सेन्ट्रल सेल्स टैक्स,सेल्स टैक्स,एंट्री टैक्स,लॉटरी टैक्स,स्टैम्प ड्यूटी,टेलिकॉम लाइसेंस फी,टर्नओवर टैक्स, समान के ट्रासपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. कर संग्रहण के लिए यह व्यवस्था एक मजबूत एवं व्यापक सूचना प्रौधोगिकी की नींव होगी इस व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो इसलिए पंजीकरण,रिटर्न,कर भुगतान आदि सभी सुविधाए करदाताओं को आनलाइन उपलब्ध होगी और करदाताओं को अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा,जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल एवं पारदर्शी होगा।

2. जीएसटी में केन्द्र और राज्यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्तुएं एवं सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केन्द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जायगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ होगा।

3. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर पूरे देश में एक समान कर ढॉचे को लागू कर करों पर कराधान (कैसकेडिंग)की समाप्ति करना है एवं राज्य तथा केन्द्र में एक समान कर प्रणाली को व्यवस्थित कर, किया गया एक अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव है।

4. जीएसटी कांउसिल ने चार तरह के कर निर्धारित किए है 5%, 12%, 18% एवं 25%। हालांकि कुछ वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा जबकि लग्जरी एवं महंगे समान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत वस्तुए जीएसटी की 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आएगी।

उपकल्पना:

1. इस व्यवस्था से कर संग्रहण में वृद्धि होगी।
2. यह व्यवस्था कितनी उपयोगी सिद्ध होगी।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है प्राथमिक समंको को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान एवं मौखिक साक्षत्कार,अवलोकन,इन्टरनेट और अनुसूचियों के माध्यम से संग्रहित किया गया है तथा द्वितीयक समंको का संकलन पत्र,पत्रिकाए,समाचार पत्र एवं प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है।

जीएसटी व्यवस्था का विश्लेशण–प्रस्तुत अध्ययन में जीएसटी व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए व्यावसायियों से मिला और उनसे यह जानना चाहा कि उन्हें इस व्यवस्था को समझने एवं स्वीकार करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एवं उससे उनके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा उसका विश्लेषण करने के लिए ठाठीपुर क्षेत्र (जिला ग्वालियर) के 10 मॉल,प्लाजा एवं अपार्टमेंन्टों में से 05-05 दुकानों के मालिकों से मौखिक साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से इस व्यवस्था के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को जानने का प्रयास किया और यह व्यवस्था देश के लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होगी तथा इसका अनुसरण करना प्रत्येक दुकानदार के लिए क्या सम्भव है और इसे कैसे व्यावसायियों के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है जिससे यह व्यवस्था देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो और व्यावसायियों को कर जमा करने के साथ-साथ कर वापसी में कितनी

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, चीनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) भारत

परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इत्यादि प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है, इस व्यवस्था से व्यावसायी कितने चिन्तित है और यह व्यवस्था उनके व्यापार को किस प्रकार प्रभावित कर रही है इसकी गणना करने के लिए उत्तरों का अंकन चार विन्दु पैमाने पर किया गया है।

तालिका 01 (निचे देखे)

तालिका 02 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक 02 में जीएसटी की व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया है जिसमें अधिकतर अपार्टमेन्टों के दुकानदारों ने इस व्यवस्था को अच्छा एवं सामान्य बताया है जिसका आकड़ा 40% से 60% के बीच है जबकि कुबेर अपार्टमेन्ट विवेकानन्द चौराहा एवं सुन्दरम् अपार्टमेंन्ट में 50% से 60% दुकानदार इस व्यवस्था से असहमत है। अधिकतर अपार्टमेन्टों में से 20% दुकानदारों ने इस व्यवस्था को उत्कृष्ठ बताया है उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था को अधिकतर दुकानदारों ने अच्छा एवं सामान्य बताया है,और बहुत से दुकानदार इस व्यवस्था से असहमत भी है।

निष्कर्ष – तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था को अधिकतर दुकानदारों द्वारा सामान्य एवं अच्छा बताया है लेकिन जिस समय इस व्यवस्था(30जून2017)को लागू किया गया था यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम था लेकिन उस समय इस व्यवस्था से सभी व्यावसायी अनभिज्ञ थे और वह बुरी तरह से बौखला गए थे और परेशान थे कि इस व्यवस्था को कैसे समझा एवं अनुसरण में लाया जाए उस समय इसे'गब्बर सिंह टैक्स' की संज्ञा दी गई थी तथा इस व्यवस्था को विपक्षी दलों के साथ-साथ व्यावसायियों द्वारा बहुत बहिष्कार किया गया था,और बाजारों में व्यावसायियों द्वारा इस कर के विरोध में रैली निकाली गई क्योंकि इस व्यवस्था से सभी अनजान थे और कर की दरें भी स्पष्ट नहीं थी और किस प्रकार यह कर जायगा और वस्तुओं के मूल्य में कितना परिवर्तन आयगा यह एक रहस्यपूर्ण विशय था इसलिए उस समय इस व्यवस्था को महामारी का रूप दिया गया लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही व्यवस्था को प्रचलन में लाया गया एवं कर की दरें निर्धारित की गई और व्यावसायी इस व्यवस्था से परिचित हुए और उन्होंने इस व्यवस्था को अमल में लाना शुरू किया और व्यावसायियों को विभिन्न प्रकार के करों से मुक्ति मिली और देश में माल एवं सेवा पर लगने वाले विभिन्न करों को समाप्त कर,एक कर व्यवस्था(जीएसटी) लागू की गई इससे यह स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्था देश के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई अत: अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना स्वंय सिद्ध होती है और कानूनी कार्यवाही के भय से अधिकतर व्यावसायी समय पर टैक्स रिटर्न भर रहे है एवं कर भी जमा कर रहे है, इससे यह स्पष्ट होता है कि कर संग्रहण में वृद्धि हो रही है अत: अध्ययन की प्रथम उपकल्पना सार्थक सिद्ध होती है।

सुझाव– निष्कर्ष को देखकर लगता है कि जिस समय यह व्यवस्था देश में लागू की गई थी उस समय अधिकतर व्यावसायी इस व्यवस्था से अनभिज्ञ होने के कारण असंतुष्ट थे जैसे-जैसे इस व्यवस्था के वारे में विषय विशेषज्ञों की सलाह व्यावसायियों द्वारा ली गई तब वह इस व्यवस्था के मूल स्वरूप से परिचित हुए एवं उन्होंने इस व्यवस्था का अनुसरण करना शुरू कर दिया और उन्हें विभिन्न प्रकार के करों से मुक्ति मिली जो माल एवं सेवा पर लगाए जाते थे और धीरे-धीरे इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें आमजन के सहयोग की आवश्यकता है यदि हर व्यक्ति वस्तु खरीदने के उपरान्त व्यावसायी से मूल देयक ले। तो व्यावसायी को उस माल विक्रय एवं प्रदाय की गई सेवा पर कर जमा करना पड़ेगा इससे कर की चोरी रूकेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी,यह धन देश के विकास में काम आयगा और इस व्यवस्था के भविष्य में सार्थक परिणाम आऐगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. शोध प्रणाली- डॉ.जरारे विजय (2004) ए.बी.डी. पब्लिशर्स जयपुर।
2. सामाजिक अनुसंधान- डॉ.सिंह सुरेन्द्र (2001) उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ।
3. अप्रत्यक्ष कर- डॉ.एच.सी.मेहरोत्रा,वी.पी.अग्रवाल(2015) साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
4. इन्टरनेट एवं वेबसाइट्।

तालिका क्रमांक 01 जीएसटी व्यवस्था का विश्लेषण

क्रं.	मॉल,प्लाजा एवं अपार्टमेन्ट का नाम	उत्कृष्ठ	अच्छा	सामान्य	असहमत	योग
1.	कुवेर कामप्लेक्स विवेकानन्द चौराहा	0.5	01	01	2.5	05
2.	सुन्दरम् अपार्टमेन्ट	00	01	01	03	05
3.	मिडलैण्ड प्लाजा जवाहर स्टेट	01	02	02	00	05
4.	पंकज मिनॉर	01	02	02	00	05
5.	सिटी बाजार	01	03	01	00	05
6.	महीपत प्लाजा	00	03	01	01	05
7.	पिताम्बरा प्लाजा	00	01	03	01	05
8.	कल्याण प्लाजा	01	01	03	00	05
9.	अनशिया प्लाजा	0.5	01	02	1.5	05
10	मयूर प्लाजा	00	02	03	00	05

तालिका क्रमांक 02 जीएसटी व्यवस्था का मूल्यांकन

क्रं.	मॉल,प्लाजा एवं अपार्टमेन्ट का नाम	उत्कृष्ठ	अच्छा	सामान्य	असहमत	योग
1.	कुवेर कामप्लेक्स विवेकानन्द चौराहा	10%	20%	20%	50%	100%
2.	सुन्दरम् अपार्टमेन्ट	00%	20%	20%	60%	100%
3.	मिडलैण्ड प्लाजा जवाहर स्टेट	20%	40%	40%	00%	100%
4.	पंकज मिनॉर	20%	40%	40%	00%	100%
5.	सिटी बाजार	20%	60%	20%	00%	100%
6.	महीपत प्लाजा	00%	60%	20%	20%	100%
7.	पिताम्बरा प्लाजा	00%	20%	60%	20%	100%
8.	कल्याण प्लाजा	20%	20%	60%	00%	100%
9.	अनशिया प्लाजा	10%	20%	40%	30%	100%
10	मयूर प्लाजा	00%	40%	60%	00	100%

****

अज्ञेय के सृजनात्मक साहित्य में स्वाधीनता के मूल्यों (समष्टि-प्रेम) के विविध आयाम

डॉ. अनुकूल सोलंकी *

प्रस्तावना - मूर्धन्य साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' हिंदी साहित्यकारों में लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी है। अज्ञेय आधुनिक युग के महान कवि है। आधुनिक हिंदी कविता (प्रयोगवाद) को दिशा और दशा देने में अज्ञेयका अप्रतिम योगदान हैं। अज्ञेय सच्चे अर्थो में नई कविता के पुरोधा है। लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी अज्ञेय पर असामाजिकता का प्रशन-चिन्ह लगायाजाता हैं। तर्क दिया जाता है कि अज्ञेय की कविता में व्यक्तिवाद का बोलबाला हैं। जबकि अज्ञेय नि:संकोच कहते हैं कि 'समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित धर्म होता है, और जितना ही समाज अविकसित होता है, उतना ही वह धर्म रूढ़ और अनिवार्य।'[1]

अज्ञेय मूल रूप से असीमित प्रतिभा के धनी है, उनका व्यक्तिवाद योरोप जैसा संकीर्ण नहीं है उनमें असीमित ऊर्जा है। इसी ऊर्जा का प्रयोग अभिव्यक्ति के स्तर पर अनेकानेक कविताओं में किया। अज्ञेय सर्वाधिक सम्प्रेषण की समस्या से ग्रसित रहें विभिन्न अध्येताओं ने अज्ञेय पर सूक्ष्म दृष्टि और चिंतन से अध्ययन किया, लेखिका शैल सिन्हा के शब्दों में 'जिस व्यक्तिवाद का आरोप अज्ञेय पर लगाया गया है वह वास्तव में योरोप में ही विभिन्न वादों के रूप में पनपा था।' अज्ञेय का व्यक्तिवाद योरोप, जैसा संकीर्ण नहीं है। वह शुद्ध भारतीय है और 'अहं ब्रह्मस्मि' से परिचालित है।

यूरोप और हमारे देश की परिस्थितियों में महान अंतर है। हमारी सांस्कृतिक परम्पराएँ भिन्न है, हमारी सामाजिक मर्यादाएँ भिन्न है। पर यह सत्य हैं कि हमारा देश संक्रान्ति काल से होकर गुजर रहा है। पुरानी आस्था, नई मर्यादाएँ तथा नये विश्वास उठ खड़े हो रहे है। इस परिवर्तन के दौरान कवि को भी अनेको संघर्ष झेलने पड़े। सत्य की खोज और उसे अभिव्यक्त करने के लिए उचित माध्यमों का अनवेक्षण स्वयं सिद्ध कर देते है कि अज्ञेय की नवीन अनुभूतियों, मानसिक अन्तद्वन्द्वो तथा विचारात्मक संघर्षो के पीछे जो मूल शक्ति कार्य कर रही थी वह सामाजिकता ही थी। अन्यथा अपने लिए या अपने जैसे कुछ व्यक्तियों के लिए ही कविता करनी होती तो अज्ञेय सफल सम्प्रेषण के लिए चिरातुर न रहते। सामाजिक-प्रेषणीयता अज्ञेय के काव्य की मूल समस्या रही है - प्रत्येक स्थल पर वह कविता के साधारणीकरण के लिये परेशान दिखते हैं।[2]

अज्ञेय अपनी रचनाओं में समष्टि - प्रेम, समष्टि-कल्याण की भावना यत्र-तत्र सर्वत्र बिखेरते चलते हैं। अज्ञेय का समष्टि के प्रति लगाव किसी भी रूप में कम नहीं हैं। अज्ञेय की अनेक कविताओं में अभिव्यक्ति का स्तर समष्टि-प्रेम को दर्शाता है। शैल सिन्हा के शब्दों में 'समष्टि-कल्याण की प्रवृत्ति अज्ञेय के काव्य में सर्वत्र लक्षित है। समष्टि के प्रति इनका दृष्टिकोण सदैव से ही उदार रहा। व्यक्तिवादी होने के साथ ही साथ अज्ञेय समष्टिवादी भी रहें है क्योंकि वह जानते थे कि व्यक्ति की महत्ता समाज के सन्दर्भ में ही आंकी जा सकती है। यह व्यक्ति के समाजीकरण की ही प्रबल आकांक्षा थी कि अपने अहं के 'दीप' को अज्ञेय ने समष्टि की 'पक्ति' में रख देना चाहा। अहं का यह विसर्जन सामाजिक आग्रह तो है ही, किन्तु व्यक्ति की प्रतिष्ठा में विश्वास भी व्यक्त करता है-'[3]

'यह दीप अकेला स्नेह भरा
है गर्व-भरा मदमाता, पर इस को भी पंक्ति को दे दो।
यह जन है: गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गायेगा ?
पन डुब्बा: ये मोती सच्चे फिर कौन कृती लायेगा ?
यह समिधा : ऐसी आग हठीला बिरला सुलगायेगा।
यह अद्वितीय : यह मेरा : यह मैं स्वयं विसर्जित :
यह दीप, अकेला स्नेह-भरा
है गर्व-भरा मदमाता, पर इस को भी पंक्ति को दे दो।
यह मधु है: स्वयं काल जी मौना का युग-संचय,
यह गोरस: जीवन-कामधेनु का अमृत-पूत पय,
यह अंकुर: फाड़ धरा को रवि को तकता निर्भय,
यह प्रकृत, स्वयम्यू, ब्रह्म अयुत: इस को भी शक्ति को दे दो।
यह दीप, अकेला, स्नेह-भरा
है गर्व-भरा, मदमाता, पर इस को भी पंक्ति को दे दो।
यह वह विश्वास, नहीं जो अपनी लघुता में भी काँपा,
वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा,
कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुँधआते कडुवे तम में
यह सदा-द्रवित, चिर-जागरूक, अनुरक्त-नेत्र,
उल्लम्ब-बाहु, यहचिर-अखंड अपनापा।
जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो:
यह दीप, अकेला, स्नेह-भरा
है गर्व-भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।'[4]

अज्ञेय का मूल स्वर आत्म समर्पण का है बावजूद इसके अज्ञेय अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये रखते है। अज्ञेय के व्यष्टि-समष्टि में कोई विरोध नहीं है। अज्ञेय का काव्य के प्रति चिंतन पूर्णत: भारतीय है उनका व्यक्तिवाद अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी पूर्णत: सामूहिकता को पुष्ट करता है। अज्ञेय के व्यक्तिवाद का मूल समष्टि-प्रेम, समष्टि कल्याण अर्थात लोक कल्याण में ही निहीत है :-

'अहं ! अन्तर्गुहावासी ! स्व-रति ! क्या मैं चीन्हता
कोई न दूजी राह ?

* अतिथि विद्वान (हिन्दी) शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्वाह ?
क्षुद्र नलकी में समाता है बेथाह
मुक्त जीवन की सक्रिय अभिव्यंजना का तेज–दीप्त प्रवाह।
जानता हूँ। नहीं सकुचा हूँ कभी समवाय को देने स्वयं का दान,
विश्व–जन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का अभिमान!
+ + + + + + + + + +
मुझ सरीखी अगिन लीकों से, मुझे यह सर्वदा है ध्यान,
नयी, पक्की, सुगम और प्रशस्त बनती है युगों की राह !'[5]

मूर्धन्य कवि अपनी व्यक्तिवादिता से बाहर आना चाहता है – अहं तथा वैयक्तिकता की अति को त्याग कर अब बर्हिमुखी अर्थात समष्टि में मिल जाना चाहता है।

–'अपने से बाहर आने को छोड़
नहीं आवास दूसरा।
भीतर–भले स्वयं सांई बसते हों।'[6]

और अपनी वैयक्तिकता से 'अपनेसे बाहर आ कर' अज्ञेय पाते हैं कि –

'इन्हीं तृण–फूस–छप्पर से
ढके ढुलमूल गँवारू
झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है।
इन्हीं के ढोल–मादल–बांसुरी के
उमगते सुर में
हमारी साधना का रस
बरसता है।'[7]

कवि अज्ञेय जी समष्टि – चेतना को हम कमजोर नहीं कह सकते – वह सर्वत्र मजबूत है प्रबल है –

'तुम दया हो
जो मुझे विधि ने न दी हो,
किन्तु मुझको दूसरों से बाँधती हैं।
जो कि मेरी ही तरह इन्सान हैं।
आँख जिनसे न भी मेरी मिले,
किन्तु मुझको दूसरों से बाँधती है
जो कि मेरी ही तरह इन्सान हैं।
आँख जिनसे न भी मेरी मिले,
जिनको किन्तु मेरी चेतना
पहचानती है।'[8]

अज्ञेय की 'अरी ओ करूणा प्रभामय' काव्य संग्रह की प्रसिद्ध कविता 'ब्राह्म मुहूर्त: स्वस्तिवाचन' में कविय की समष्टि–प्रेम की भावना, नये कवियों के प्रति कवि की उदारता बिल्कूल स्पष्ट रूप से समष्टि के सामने आई है।

'जियो उस प्यार में
जो मैंने तुम्हें दिया है,
उस दु:ख में नहीं जिसे
बेझिझक मैं ने पिया है।
+ + + :+ + + + +
+ + + :+ + + + +
सागर के किनारे तक
तुम्हें पहुँचाने का
उदार उद्यम ही मेरा हो;
फिर वहाँ जो लहर हो, तारा हो,
सोन तरी हो, अरूण सवेरा हो,
वह सब, ओ मेरे वर्ग !
तुम्हारो हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा हो।'[9]

घोर अहंवादी कवि अज्ञेय ने व्यष्टि के लिए समष्टि के महत्व को समझा और स्पष्ट रूप से कहा – 'व्यक्ति अपनी रूचियों और इच्छाओं के लिए समाज की स्वीकृति चाहता है। + + + + इससे यहाँ स्पष्ट हैं कि व्यक्ति को स्वीकृति पाने के लिये किसी हद तक समाज की या उसकी मान्यताओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा।'[10]

कवि श्रेष्ठ अज्ञेय की समष्टि – प्रेम की भावना अनेक महत्वपूर्ण गीतों में खुलकर उभरी। आभिजात्य तथा समष्टि–संस्कृति का सम्मिश्रण अज्ञेय की अर्थात बुद्धि तत्व की प्रधानता है। 'हवाई उड़ान के यात्रा के अनुभव से लेकर काँगड़े की छोरियाँ तक उनके दृष्टि – परिवेश में समाहित हो जाती हैं। समष्टि के प्रति दिन–प्रतिदिन अज्ञेय का दृष्टिकोण अधिक से अधिक उदार होता गया।'[11]

कवि ऐसे समय में जहाँ हमारा युग संक्रान्ति–काल से गुजर रहा है जहाँ सड़ी–गली मान्यतायें, पुरानी आस्थायें खोखली साबित हो रही है वहाँ एकान्त की कामना करने लगता है, जहाँ सभी आते हों। जो बिल्कूल सच्चा हो, और सभी जिसका स्पर्श कर सकें –

'उसी एकान्त में घर दो
जहाँ पर सभी आवें।
वही एकान्त अच्छा है
जिसे सब छू सकें'[12]

अज्ञेय व्यक्ति की निजता को बाँधने में विश्वास व्यक्त नहीं करते। परन्तु मर्यादा और सीमाओं को स्वीकार अवश्य करते है बावजूद इसके अज्ञेय सीमाओं को मर्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। अज्ञेय इन सीमाओं को बंधन मानते है जिन्हें तोड़ने के लिए सर्वप्रथम उसे झेलना आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता हैं –

'जन के निकट जाने के लिये उसकी सीमाओं के भीतर से आगे बढ़ना होगा, और सीमाएँ मर्यादाएँ ही हों ऐसा नहीं है, वे बन्धन भी है जिन्हें तोड़ने के लिए भी पहले कन्धे पर उठाना होगा।'[13]

निष्कर्ष – चूँकि अज्ञेय का व्यक्तित्व बहुमुखी और विराट् है अत: सामाजिक समष्टि गत विकृतियों को झेलना ही अज्ञेय का व्यापक मानवतावाद है। डॉ. रघुवंश के कथन को अज्ञेय के अनुभूत विराट् सत्य से जोड़कर देख सकते हैं जिसमें समष्टि–प्रेम, समष्टि कल्याण, अनुभूति और अभिव्यक्ति की सारी प्रक्रिया आत्मोपलब्धि के रूप में गृहीत है।

'आज के कवि के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न अनुभूति की प्रक्रिया का है। नये कवि .... नये कवि के लिए अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की सारी प्रक्रिया आत्मोपलब्धि के रूप में गृहित है। समग्र यथार्थ को ग्रहण करने में कवि के व्यक्तित्व की सीमा सामने आती है, क्योंकि अनुभूत साथ विराट् है।'[14]

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अज्ञेय त्रिशंकु पृ. 24
2. शैल सिन्हा – प्रयोगवाद और अज्ञेय पृ. 54–55
3. शैल सिन्हा – प्रयोगवाद और अज्ञेय पृ. 55
4. अज्ञेय–सदानीरा प्रथम भाग पृ. 273–274
5. अज्ञेय– हरी घास पर क्षण भर पृ. 14
6. अज्ञेय– हरी घास पर क्षण भर पृ. 38

7. अज्ञेय- हरी घास पर क्षण भर पृ. 41
8. अज्ञेय- इन्द्रधनु रौंदे हुए ये पृ. 92
9. अज्ञेय- सदानीरा प्रथम भाग - पृ. 326-327
10. अज्ञेय- त्रिशंकु, परिस्थिति और साहित्यकार पृ. 51
11. अज्ञेय-आंगन के पार द्वार, भीतर जागा दाता, उसी एकान्त में घर दो पृ. 15-67
12. अज्ञेय- आंगन के पार द्वार पृ. 67
13. अज्ञेय- प्रतीक - सम्पादकीय, जनवरी पृ. 11
14. डॉ. रघुवंश - नयी कविता की समसामयिक भावभूमि - साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पृ. 192-193

****

मूल्य आधारित शिक्षा

डॉ. ममता बर्मन *

शोध सारांश – आधुनिक शिक्षा बाल केन्द्रित है। जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी के अनुसार सर्वांगीण विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास से है। पाश्चात्य देशों में प्रचलित दृष्टिकोणों तथा अनुसंधानों से भारतीय शिक्षा प्रभावित हुई है।

मूल्य भावनाओं, विन्यासों, क्रियाओं या अभिवृत्ति की उत्पत्ति है। भारतीय संस्कृति में जिन मूल्यों को प्रतिष्ठा मिली है वे सनातन और सार्वभौमिक है। यही मूल्य व्यक्त्वि को पूर्णता प्रदान करती हैं। एक उन्नत राष्ट्र एवं सभ्य समाज की कल्पना मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा ही सम्भव हो सकती हैं। हरबर्ट के अनुसार शिक्षा, नैतिक शिक्षा से पृथक नहीं हैं।

संक्षेप में – मूल्य एक अमूर्त सम्प्रत्यय है, जिसका वास्तविक सम्बन्ध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से हैं, जो मानव व्यवहार को निर्देशित व नियंत्रित करता हैं। मूल्य आधारित शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो सामाजिक परिवर्तन लाकर राष्ट्रीय उन्नति में सार्थक भूमिका अदा कर सकती हैं।

प्रस्तावना – पाश्चात्य देशों में प्रचलित दृष्टिकोणों तथा अनुसंधानों से भारतीय शिक्षा प्रभावित हुई हैं। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है।

शिक्षा का अर्थ – भाषा विज्ञान की दृष्टि से शिक्षा शब्द 'शिक्ष' धातु से बना है जिसका अर्थ है– 'देना' शिक्षा की वैदिक धारणा के अनुसार मुक्ति या मोक्ष प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। आधुनिक युग में शिक्षा का अर्थ परिवर्तित हो गया हैं।

शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द Education है जो लेटिन भाषा के Educare शब्द से उत्पन्न माना गया हैं– जिसका अर्थ है शिक्षित करना। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी की मनोदैहिक क्षमताओं के सर्वांगीण विकास में सहायता करना हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सर्वांगीण विकास का तात्पर्य–शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास भी हैं। बापू के शब्दों में, 'शिक्षा से अभिप्राय है बालक तथा व्यक्ति के अन्त: स्थित सुन्दरम् विभूतियों का सर्वांगीण विकास–शारीरिक मानसिक तथा नैतिक।'

शिक्षा विद्यार्थियों की समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील एवं विरोधहीन विकास है। शिक्षा ऐसे अनुकूल वातावरण को उपस्थित करती है जहाँ विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक क्षमताओं का विकास विरोधहीन एवं पूर्ण रूप से सम्भव हो पाता है।

मूल्य – प्रत्येक मानव को जीवन में विभिन्न अनुभव होते हैं, जो समय की गति के साथ–साथ बढ़ते जाते हैं। इन्हीं अनुभवों से कुछ सामान्य सिद्धान्त जन्म लेते हैं जो मानव के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे सामान्य सिद्धान्तों को जो समस्त जीवन को एक दर्शन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तथा समस्त जीवन जीने की एक विशिष्ट कला को जन्म देते हैं एवं उनके पथ–प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, –'मूल्य' Values के नाम से जाना जाता हैं। व्यक्ति के मूल्य इस बात का दर्पण होते हैं कि वे अपनी सीमित शक्ति एवं समय में क्या करना चाहते हैं। जीवन के पथ–प्रदर्शक के रूप में मूल्य अनुभवों के साथ–साथ अधिक परिपक्व होते जाते हैं।

मूल्य व्यक्ति की रूचियों, प्रेरणाओं एवं अभिवृत्तियों की ओर इंगित करते हैं। मूल्यों की दार्शनिक परिभाषा इसे भावना, संवेग, रूचि–अरूचि के संदर्भ में स्वीकार करती हैं। ब्राइटमेन के अनुसार, मूल्य से आशय किसी पसन्द, पुरस्कार, वांछित पहुँच या आनन्द से हैं। वी.एस.सन्याल, के अनुसार–मूल्य आंशिक रूप से भाव या तर्क से सम्बन्धित होते हैं जो स्थिर प्रकृति के होते हैं। मर्फी एवं न्यूकौम्ब के अनुसार, मूल्य सामान्य रूप से किसी उद्देश्य की प्राप्ति का एक विन्यास हैं। अत: कह सकते है कि मूल्य–भावनाओं, विन्यासों, क्रियाओं या अभिवृत्ति की उत्पत्ति हैं।

मूल्य आधारित शिक्षा – प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के मौलिक मूल्यों को समाज के व्यक्तियों में प्रतिष्ठित करनें के उद्देश्य से ही एक विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था विकसित होती है। भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन है। भारतीय संस्कृति में जिन मूल्यों को प्रतिष्ठा मिली वे सनातन और सार्वभौमिक मूल्य हैं। जो कि व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती हैं।

एक उन्नत राष्ट्र एवं सभ्य समाज की कल्पना मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा ही सम्भव हो सकती है। वैश्वीकरण से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था में भौतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है। ज्ञान की अभिवृद्धि, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति तथा भौतिकता के संचार के कारण विश्व परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आज सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिकमक मूल्यों के माध्यम से अमानवीयता में उचित–अनुचित का ज्ञान भी मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा सम्भव हैं।

मूल्य आधारित शिक्षा, समय की सबसे प्रमुख आवश्यकताओं में से एक हैं। हरबर्ट के अनुसार–नैतिक शिक्षा, शिक्षा से पृथक नहीं है। नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण ही समाज व शिक्षा के बदलते मूल्य प्रतिमानों को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। मूल्य आधारित शिक्षा की मानव के कल्याण के लिये महत्वपूर्ण है। मूल्य एक अमूर्त सम्प्रत्यय है, जिसका वास्तविक सम्बन्ध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से हैं, जो मानव व्यवहार को निर्देशित व नियन्त्रित करता हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विद्यालय एक समाज है जहाँ पर विद्यार्थियों में उचित मूल्यों का निर्माण शिक्षा द्वारा सम्भव है। शिक्षा द्वारा समाज में सार्वभौमिक व शाश्वत मूल्यों का विकास किया जाए जिससे

* सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) शासकीय मानकुँअरबाई महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

विभिन्न धार्मिक, शैक्षिक एवं सामाजिक कुरीति का दमन किया जा सके। मानव जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक, भौतिक, नैतिक, सौन्दर्यात्मक, आदि विभिन्न मूल्य प्रतिमान होते हैं।

फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के अनुसार भारत के मूल्य और संस्कृति सम्मान योग्य हैं। अगर मुझे स्कूली पाठ्यक्रम बनाने का मौका मिले तो मैं इसमें उन बातों को शामिल करूंगी जो युवाओं के जरूरी हैं। पाठ्यक्रम में समान अधिकार और उसकी विस्तृत परिभाषा होनी चाहिए। वैश्विक मुद्दे, हमारे समाज-संस्कृति में आया परिवर्तन और बदलते आर्थिक मुद्दों को शामिल करूंगी। हमारे आसपास हो रहे तेज सामाजिक-आर्थिक बदलाव के साथ ही जीवन का मानवीय पक्ष पढ़ाने समझाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही आधुनिक समाज के मजबूत हैं।

वर्तमान समय में समाज और शिक्षा के बदलते मूल्य प्रतिमानों को रोकने के लिए समाज द्वारा मूल्य प्रतिमानों की पुर्नस्थापना का आधार ठोस होना चाहिए। समाज और शिक्षा में बदलते मूल्य प्रतिमानों को नियंत्रित करने के लिए पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त, विद्यालय के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को महान, व्यक्तियों के प्रेरक वाक्यों से विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, गुरू आदर, देशभक्ति, स्वच्छता जैसे मूल्य सरलतापूर्वक विकसित किये जा सकते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यार्थियों में परम्परावादी और आधुनिक मूल्यों का अंतर ही समाज व शिक्षा में बदलते हुए मूल्य प्रतिमानों को रोकने में सफल प्रमाणित होगा।

विद्यालय एवं परिवार में सीखें गये मूल्यों का वास्तविक सुदृढ़ीकरण, सामाजिक परिस्थितियों में होता हैं, क्योंकि सामाजविरोधी आचरणों, मूल्यों को समाज नकार देता हैं। सामाजिक मानक के अनुकूल मूल्यों एवं आचरण को ही स्वीकार किया जाता है एवं सामाजिक अनुमोदन प्राप्त होता है।

अंत में कह सकते है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नगरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिकता से भरी व्यवसायिक शिक्षा हमें मूल्य प्रतिमानों से दूर ले जा रही हैं। आज सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से, मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा शाश्वत मूल्य प्रतिमानों की जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए विद्यार्थियों को जाग्रत करना होगा क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सामाजिक परिवर्तन लाकर राष्ट्रीय उन्नति में सार्थक भूमिका अदा कर सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, आर. एस.-मानवाधिकार और मूल्य शिक्षण विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
2. सुलेमान, मोहम्मद - शिक्षा मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।

****

Bio Physical Techniques and Devices for Health Care

Dr. Avinash Dube*

Abstract - Technologies in pharmaceuticals and medicine are continuously improving with aiming that people live longer and fewer diseases are deemed incurable. Evolution of technology is beneficial for society as it helps to treat the ill people and save many lives. Many physical agents as sound, heat, pressure and light have been used to diagnose and treat diseases. Advanced gene editing technology CRISPR, Telehealth, Health wearable, Visual reality, 3D printing, artificial organs, wireless brain sensors, robotic surgery, blue tooth enabled smart inhalers are available as smart medical devices, A variety of imagine techniques, nuclear medicines etc. are used in medical science. Minimally invasive surgeries, better monitoring systems and more comfortable scanning equipment's are allowing patients to spend less time in recovery. The study is based on smart medical devices as now scientific knowledge lead to new applications which is beneficial for our society. It is also essential to develop awareness towards these types of smart devices for each people of our society so one can gain benefit of these.
Keywords - Smart devices, CRISPER, Imagine Techniques.

Introduction - Happiness is nothing more than good health. Health is the condition of wisdom and the sign is cheerfulness. Health is the greatest contentment, greatest wealth, faithfulness and the best relationship. Biophysics is helpful in many lifesaving treatment methods as biophysics act as a bridge connecting biology and physics. Biophysics is the field that applies the theories and methods of physics to understand how biological system works. Biophysics has been critical to understand the mechanics of how the molecules of life are formed, how different parts of a cell functions. A wide range of biophysical techniques have been developed to study molecules in crystals, in solution, in cells and in organisms. These techniques provide information about the electronic structure, size, shape, dynamics, polarity and modes of interaction of biological molecules.

The latest technology advances can assist in achieving the goal from the comfort life. Technologies in health care are continuously improving. Today many biophysical smart devices are available for human health care which includes smart wearable's, minimally invasive surgeries, better monitoring system and many comfortable scanning type of equipment which give easy and less time spending recovery of many diseases.The present study is made to analyse the application of new smart devices for health care; as good health is our prime concern and it will be true application of modern technology for the society.

Techniques and Devices - The real revolution in electronic healthcare started in US after the creation of health information technology for economic and clinical health act legislation 2009 to stimulate the adoption of electronic health records.Biophysicists have developed sophisticated diagnostic imaging techniques including MRI's, CT scans, PET scans. Biophysicists develop and use computer modelling methods to see and manipulate the shapes and structures of proteins, viruses and other complex molecules. Biophysics is essential for the development of many lives, treatment of animals, and devices including kidney dialysis, radiation therapy, cardiac defibrillators, and artificial heart valves. Biophysics models are used extensively in the study of electrical conductivity in a single neuron as well as in the neural circuit.

According to Grand view research the most popular connectivity technologies used by medical facilities to connect various devices are Wi-Fi, zigBee, NFC,Cellular, Bluetooth ,satellite etc.A variety of imaging techniques such as x-ray, radiography, ultrasound, Computed Tomography (CT), nuclear medicine including Position Emission Tomography (PET) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) are used to diagnose or treat disease.

Wearable technology in healthcare includes electronic devices that can be worn. They are designed to collect the data of personal health. These wearable are available in the form of smart shirts, shoes, headbands, eyeglasses, wristbands and watches, which contain sensors that is fed into a software application for analysis.

CRISPR is a family of DNA sequences found in the genomes of prokaryotic organisms such as bacteria and archaea. They are used to detect and destroy DNA from similar bacteriophages during subsequent infections. Crisper chip is a handheld device that combines thousands of CRISPER molecules with a graphene transistor. Researchers designed CRISPER to scan through DNA and find specific genes or mutations, while the transistor is

*Professor, S. N. Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

supersensitive to electrically charged materials like our DNA.

Wireless brain sensors detect the intracranial pressure; monitor the brain temperature and record brain signalling through the form of brain waves. These sensors assist in monitoring the neurological fluctuations and help to improve cognitive functionalities.Robotic surgery or robot-assisted surgery, allows doctors to perform many types of complex procedures with more precision, flexibility and control than is possible with conventional techniques. Robotic surgery is usually associated with minimally invasive surgery – procedures performed through tiny incisions.

Visual and numerical modelling and simulation play important role in the analysis and predictionof protein and nucleic acid sequence and 3-D structure. Single molecule technique involves the ability to manipulate single molecules and measure their properties and biological functions both in solution and within cells.Wireless smart gluco monitoring system is made to make diabetics life more manageable. Smart food marbles build digestive profile. Portable gluten tester is useful for people with gluten allergies or celiec disease.

According to a report released by Grand view research global IOT devices in healthcare market valued worth nearly USD 410 billion by 2020. Major companies as Medtionics, Philips, Ciscosystem, IBM corporation, GE healthcare, Microsoft etc. develop products for special medical applications.

Advantages:

1. Increases diagnostic efficiency.
2. Remote patient monitoring.
3. Cost savings.
4. Surgical robotics become a common reality.
5. Improved disease management.
6. Reduced error rates, better patient care.
7. Efficient time usage.
8. Improved real time health monitoring.
9. Continuous data flow.
10. Provide convince.
11. Better care coordination.
12. Better management of drugs and medicines.
13. Using IOT for data collection and workflow automation is an excellent way to cut down on wastes as unnecessary tests and minimize errors.
14. Improved outcomes of treatment.

Concluding Remarks - Today's modern world is also known as technological world. In this modern era, humans are totally dependent on machines for their convenience. Modern technology has contributed a lot to the human society and also raised the living standard. Physical agents as light, sound, heat, pressure have been used frequently in modern tools. Biophysical techniques are used in teaching, diagnosis and treatment of diseases. These smart devices are attributed to the phenomenon like superconductivity and nanotechnology. With the advancement in these fields more and more useful smart devices are expected to come in future. These smart devices should be approachable to a common human, so that one could get benefits of these modern technologies.

References :-

1. Kharel J. etal (2018), computing based smart health monitoring system, IETE Tech. pp. 1-14.
2. Tehrani K. etal(2014), http.//wearable devices .com.
3. Vijaylaxmi K. etal (2018), A demand for wearable devices in health care, Int. J. of Eng. & Tech. (7), pp. 1-4.
4. www. archer.soft.com

****

Herbal Therapy for Social Welfare

Dr. Kumud Dubey*

Abstract - Herbal medicine isone of the oldest form of medicinal treatment in human history and could be considered one of the forerunners of the modern pharmaceutical trade. Herbs as medicines are easily available, cost effective and without any side effect. Acceptance of traditional knowledge of herbal therapy is a need for our society because these remedies are sync with nature.
Keywords - Herbal Therapy, drugs.

Introduction - Plants have been used for medicinal purposes long before prehistoric period. Ancient Unani manuscripts, Egyptian papyrus and Chinese writings described the use of herbs. Indian vaidya, Unani hakims and European cultures were using herbs for over 4000 years as medicines. Indigineous cultures as Rome, Egypt, Iran, Africa and America used herbs in their healing rituals, while other developed traditional medicinal systems were used systematically.

Chinese herbalism is one of the most prevalent of the ancient herbal traditions currently practiced. It is based on the concepts of the Yin (cooling) and Yang (Stimulating) and of Qi energy, and they are used often in combination.

Modern medicines make use of many plant derived compounds as pharmaceutical drugs. Many of the pharmaceuticals currently available to physicians have a long history of use of herbal medicines including opium, asprin, quinine, digitalis, artimisinin etc. At least 7000 medical compounds in the modern pharmacopoeia are derived from plants. Among the 120 active compounds currently isolated from the higher plants and widely used in modern medicine today. About 80% show a positive correlation between their modern therapeutic use and the traditional use of plants from which they are derived.

The present study is made to analyzetrends, status and scope of herbal therapy for various diseases in human beings. Herbs as medicines are easily available everywhere, they are cost effective or some time at no cost and as medicines, we accept traditional knowledge of our ancestors, which may be a mode to save germplasms of many plant species.

Herbal therapy in India - India has been known to be rich repository of medicinal plants. The forest in India is the main repository of large number of medicinal and aromatic plants, which are largely collected as raw materials for manufacturing of drugs. About 8000 herbal remedies have been codified in Ayush systems in India. The estimated 95% of medicinal plants collected in India are from the wild and process of collection is said to be destructive because of the use of parts like roots, barks, leaves and whole plant.According to an estimate of the parts used by ayurvedic industries are roots = 29%, leaves =25.8%, bark= 13.5%, wood= 2.8%, whole plant = 16.3% ,rhizome = 4% and rest seeds, flowers etc.

Plants are sources of nutrition, vitamins and used in cough, cold, uterine disorder, anemic, skin disease, fever, weakness, burning sensation, digestive, cardiac disease, hypertension, brain tonic etc.

The most common plants used for general health care are Amla*(Emblica-officinalis*), Ashwagandha (*Withania-somnifera*), Bel (*Aegle- marmelos*), Bhuiamla (*phylanthus-niruii*), Giloi (*Tinaspora- cordifolia*), Kalmegh (*Andrographis-peniculata*), satavar (*Asparagus- racemosus*), Tulsi (*Ocimum- sanctum*), Aloe-vera, Adusa (*Adhatoda- vasica*), Sadabahar (*Catharanthus-roseus*), Neem (*Azadirach taindica*), Harra (*Terminalia chebula*), garlic (*Allium-sativum*), White musali(*Chlorophytum- tuberosum*), Turmeric (*Curcuma longa*), Ginger (*Zingiberofficinalis*), Mint (*Menthapiperita*) etc.

The phytochemicals may be synthesized, compounded or transformed to make pharmaceuticals.

The plants which are used as herbal medicines contain many types of chemicals which includes morphine, gum Arabic, quinine, codeine, digoxin, asprin, salicin, pectins, resins, tannins, organic acids , phytosterol, curcumene, volatile oils, dipentene, terpineol, glycoside and margocin etc.

Benefits of herbal therapy - The primary raw material for plant based drugs is the biomass, which is green or dried plant parts or whole plant obtained from plants collected from their natural habitats or harvested from cultivated plants. The herbal medicines has many benefits like-

***Associate Professor (Botany) MLC Govt. P. G.GirlsCollege, Khandwa (M.P.) INDIA**

1. More affordable than conventional medicines.
2. Easier to obtain than prescription medicines.
3. Stablizesharmones and metabolism.
4. Natural healing.
5. Strength in Immune system, increases resistance.
6. Fewer side effects.
7. Cost effective, low cost.
8. Cultivation is highly profitable.
9. Taken as fresh and dried as well.
10. Foreign exchange earner.

Cultivation of medicinal plants has many advantages as it provides better returns, could be stored for a long time, largely drought resistant, require minimum resources and could be raised as intercrops along with main crops and on degraded lands.

Concluding Remark - According to WHO (World health organization) guidelines herbal medicines are considered to be plant derived materials or products with therapeutic or other human health benefits which contain either raw or processed ingredients from one or more plants. About 21000 plant species were estimated by WHO for being used as medicinal plants.

Traditional system of medicine continues to be widely practiced on many accounts. Population rise, inadequate supply of drugs, prohibitive cost of treatments, side effects of several drugs and development of resistance to currently used drugs for infectious diseases have led to increased emphasis on the use of plant materials as a source of medicine for a wide variety of human ailments. These remedies are sync with nature so there is a need to develop a tendency of a common man towards herbal therapy.

References:-

1. Sharma O.P. (2015) , Plants and human welfare, PragatiPrakashan Meerut, India.
2. VermaS.etal., (2019), diabetes mellitus treatment using herbaldrugs., Int. J.ofPhytomedicine, 10(1), pp-1-10.
3. WHO (2010) Traditional herbal remedies for primary health care. ISBN-978-92-9022-382-5, editor- Dr. Katoch D. C.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Identity versus role confusion the complicated truth

Himani Vishnoi*

Abstract - In today's time, with growing trend of being fashionable Body Image plays an important role among the youth of the society. The sense of being trendy and attractive by others youth tries to experiment different things either motivated by the social media or their role model without caring about the after effects of blindly following things which are not meant not without any strict guidance. Adolescent tries to adopt some of the irregular eating habits to maintain the body weight which hinders body's physiological development. Body image disturbances also lead to many psychological problems among youth of the society that leads to the change in behavior. The present scenario of being in perfect shape and size has contributed into some of the unfavorable perception about the adolescent and might mislead them into many hazardous ways. The paper gives a light upon how adolescent engage themselves into the world develop by their in order to attain their perfect so called ideal body image, and with future ways of intervention that would be adopted by the society to make the youth more realistic and out of their perception of ideal body image and accept them the way they are grown.

Keywords - Adolescent; Body Image; Body Image Disturbances; Health; Media; Eating Disorders.

Introduction - Adolescent age is one of the most traumatically stage of everybody's life. ***According to W.H.O. "Adolescents' as individuals in the 10-19 years age group and 'Youth' as the 15-24 year age group. While 'Young People' covers the age range 10-24 years".*** The age of starting puberty with both primary and sexual characteristics leading to the growth and development of the body. The body start developing itself forming into a particular shape and size. Body image is a way of perceiving the body growth and development in an aesthetic way. Body image can be referred to as the perception and attitudes one's hold about her/ his body. The individual or the pre adolescents start discovering themselves by seeing through mirror and comparing with the standards that are being set by the society. Young adolescent are the most vulnerable part of the society with insufficient interpersonal skills they might also fall into body image disturbance if their concepts are not being set either by lack of knowledge or ignored by their parents.

According to American Psychiatric Association, *Body image disturbance* ***is defined as a "disturbance in the way in which body weight or shape is experienced, with undue influence of body weight or shape on self-evaluation or persistent lack of recognition of the seriousness of current low body weight".*** The body image disturbances might also lead to low self esteem, low confidence and other personality disorders. Body image does not only affects the physical growth but it also has an impact on both psychological and physiological aspects. Adolescents tends to make their ideals either from the film industries or from any other platform and try to adopt their body shape and their eating habits exercises pattern and follow them to great extend. The most of the common ways that are being adopted by the young people to get their perfect shape are Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa.

Anorexia Nervosa is an illness which usually occurs in teenage. It is psychological problem to get thin or to get figure like their role models and they starve themselves till they reach their goal. Whereas Bulimia Nervosa is also a psychological disorder which is characterized by binge eating followed by self induced vomiting or fasting for long time after binge eating. Teenage tends to get obsessed with their eating patterns and sometimes might follow vigorous exercises which ultimately leads to any physical illness. The another way that is also commonly adopted by teenage is following certain types of diet like Keto Diet, Vegan Diet, Low Calorie Diet, High Protein Diet etc in that stage of life where body demand a balanced diet for positive energy balance and also for both qualitative and quantitative growth and development. The unbalanced diet leads to both physiological and neurological problems. Depression is one the kind of most commonly seen neurological problem among adolescents. They feel guilty and sad about not attaining their perfect body shape like their ideals and due to which they separate themselves from social gatherings and even to their families. Adolescent might have develop any personality disorder.

"***According to APA Personality refers to a characteristic pattern of thinking, feeling and behaving".*** The dissatisfaction for not attaining the

***Assistant Professor, R.G.P.G. College, Meerut (U.P.) INDIA**

perfect silhouette makes the adolescent deal with high mental pressure. Boys tends to exercise hard to attain the muscle mass and girls are more like to follow with any of the eating disorder. The extensive use of media by the adolescent to blindly follow their role model has made them ignorant about the external environment. The personality of adolescent changes very rapidly which might hinder in future for them to be acceptable by the society. Teenagers use social media like magazines, television and other commercial sites to motivate their Id which might lead them feel insecure and making them void of doing things that meant to fulfill their health and mind. In order to follow their role models teenagers adopt their role model lifestyle in that stage of life which might gave them a lifelong health problem by affecting the hormones directly by taking certain pill either for weight reduction or weight gaining to make their body shape and size appropriate as their role model are with. They even make the use of social sites for posting their images in a best possible manner in order to get lime light and that can be attractive by the society. Even worse could happen when teenagers follow the eating habits that are being giving on social sites to embrace their distorted body shape and even sharing with their peer group which leads to many life threatening disorders. PCOD (Polycystic Ovarian Disorder) is one the emerging disorder that is caused due to the distorted eating habits specially Bulimia Nervosa. Excess weight gain due to binge eating leads to hormonal changes which results into irregularity in menstrual cycle. Irregular periods might also causes various skin allergies and sensitivity like acne which makes the adolescent more irritable and difficult to adjust in the social gatherings. It was found that about 20 million women are more prone towards eating disorder as compare to that of only half the number of man experience the eating disorders like women.

Figure 1 (see in next page)

Review Of Literature

Krug I.et.al.,(2019) reviewed on " Binge eating in patients with polycystic ovarian syndrome: prevalence, cause, and management strategies". The finding were found that binge eating leads to overweight and have negative body image which makes the adolescent to deal with stress and anxiety that further affects the metabolism of the hormones resulting in PCOS and other life long complications. The study concluded that there should be a proper management between the PCOS and Binge eating in a holistic manner. **Soohinda G.et.al.,(2019)** worked on the study "Body dissatisfaction and its relation to big five personality factors and self esteem in young adult college women in India". The study was carried out on 55 college going students of North India among which various tools were administered during the study i.e. Socio-Demographic Performa, Body Shape Questionnaire, Rosenberg's Self Esteem Scale and Mini International Personality Item Pool. The conclusion if the study was that the young women had low self esteem due to dissatisfaction of their body image.

Ganesan S.et.al.,(2018) conducted a study on "Are body image issues affecting our adolescents? A cross sectional study among college going adolescent girls". The study was conducted among the 1200 girls of Coimbatore. The result concluded that the body image dissatisfaction was present among 77.6% of the girls due peer and societal pressure. In order to get the ideal body image girls tend starve or eat less.

Nagar I. and Virk R.(2017) worked on "The struggle between the Real and Ideal: Impact of Acute Media Exposure on Body Image of Young Indian Women". The study was examined upon the 60 college females from Delhi ranging 18-22 years of age. All the participants were divided into 2 groups (intervention and control group). The intervention group was exposed to thin and ideal body image for women to possess with to that of other group which was exposed to control picture. It was seen that the group with ideal body image were sensed to have a low self esteem as they were affected by the media image to that of the other group. Thus it was emphasized that the females have high body disturbances due to the high exposure to social media.

Gupta N.S.et.al.,(2016) worked on "Assessment of Body Image and Self Esteem among young Adolescents". The study was carried out 139 students of class IXth and Xth of CBSE school. The findings revealed that the girls have low self esteem due to the prevalence of the thought of image distortion as compared to the boy.

Patil S.S.et.al.,(2016) did a work on "A cross sectional study of the pattern of Body Image Perception among female students of BBM college, Vijayapur, North Karnataka". The study included the total of 63 females from the college and the data was collected through the self administered questionnaire. The result revealed that 39.7% were underweight to that of 15.9% were found overweight. Thus the study indicates that there were high amount of misconception about body image due to low literacy level of parents and society.

Golden N.H.et.al.,(2016) analyzed in "Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents" that around 40% and 37% of overweight girls and boys are only teased by their own family members and friends which make them vulnerable towards weight gain and distorted eating habits.

Wiseman C.V. et.al.,(2005) articled on "Impact of the media on adolescent body image" with a view that media is a powerful tool that strongly influence the mindset of the adolescents make them attractive to the ideal figures and resulting them in low self esteem.

Conclusion - The above findings stated that the adolescent are that part of the society which tends to get more susceptible to media and develop their own world detaching themselves from the environment. The paper reviewed that adolescent are more eager to get their ideal

body image like their role models for which they try to follow all the possible activities like distorted eating (Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa) that are not meant to be follow as that results into various mental health related problems. The proper intervention programs should be adopted by the school authorities as school is place where adolescent spend most of time. The guidance and counseling session should be part of the curriculum which gives the sense of acquiring self esteem by accepting their bodily changes in a positive manner so that there would be no chance of getting mental illness like depression and anxiety. Parents should more attentive towards there adolescent eating habits and social behavior among the society to void of any health related issues. The use of media should be to that extend only that it does not hinder any personality development both qualitative and quantitative. The developmental changes during the period of adolescent could be successful only when the youth is being educated well and free from the peer and the societal pressure. Therefore, the current issue can be managed by the parents as they are the primary factor which can influence their youth to anextend that they have fruitful and effective living without any mental pressure.

References :-

1. Kurg I., Giles S., Paganini C. (2019) "Binge eating in patients with polycystic ovary syndrome: prevalence, causes, and management strategies". Neuropsychiat -ric Disease and Treatment. Vol .15 pp 1273-1285.
2. Soohinda G., Mishra D., Sampath., Dutta S.(2019) "Body dissatisfaction and its relation to big five personality factors and self esteem in young adult college women in India". Indian Journal of Psychiatry. Vol.61(4) pp 400-404.
3. Ganesan S., Ravishankar S.L., Ramalingam S. (2018) conducted a study on "Are body image issues affecting our adolescents? A cross sectional study among college going adolescent girls". Indian Journal of Community Medicine. Vol 43(1) pp 42-46.
4. Nagar I. and Virk R.(2017) "The struggle between the Real and Ideal: Impact of Acute Media Exposure on Body Image of Young Indian Women". SAGE Open Journal. Pp 1-6
5. Gupta N.S., Bhatla G.R., Shetty J.V., Nahphade N.M.,Datar M.C. (2016) "Assessment of Body Image and Self Esteem among Young Adolescents". International Journal of Scientific Research. Vol 5(6) pp 490-492.
6. Golden N.H., Schneider M., Wood C.(2016) "Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents". American Academy of Pediatrics. Vol.138(3) .
7. Patil S.S., Rashmi B.M., Angadi M.M., Pattankar T.P.(2016) "A cross sectional study of the pattern of Body Image Perception among female students of BBM college, Vijayapur, North Karnataka". Journal of Clinical and Diagnostic Research. Vol-10(7) pp 5-9.
8. Wiseman C.V., Sunday S.R., Becker A.E. (2005) "Impact of the media on adolescent body image". Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. Vol. 14(3) pp 453-471
9. https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health
10. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-287-104-6_74
11. https://www.apa.org/topics/personality/
12. https://www.apa.org/topics/personality/
13. http://www.ijcm.org.in/viewimage.asp?img=IndianJCommunityMed_2018_43_5_42_247925_f1.jpg

Figure 1:Biopsychosocial model of risk factors for the development of body dissatisfaction by Susan J Paxton

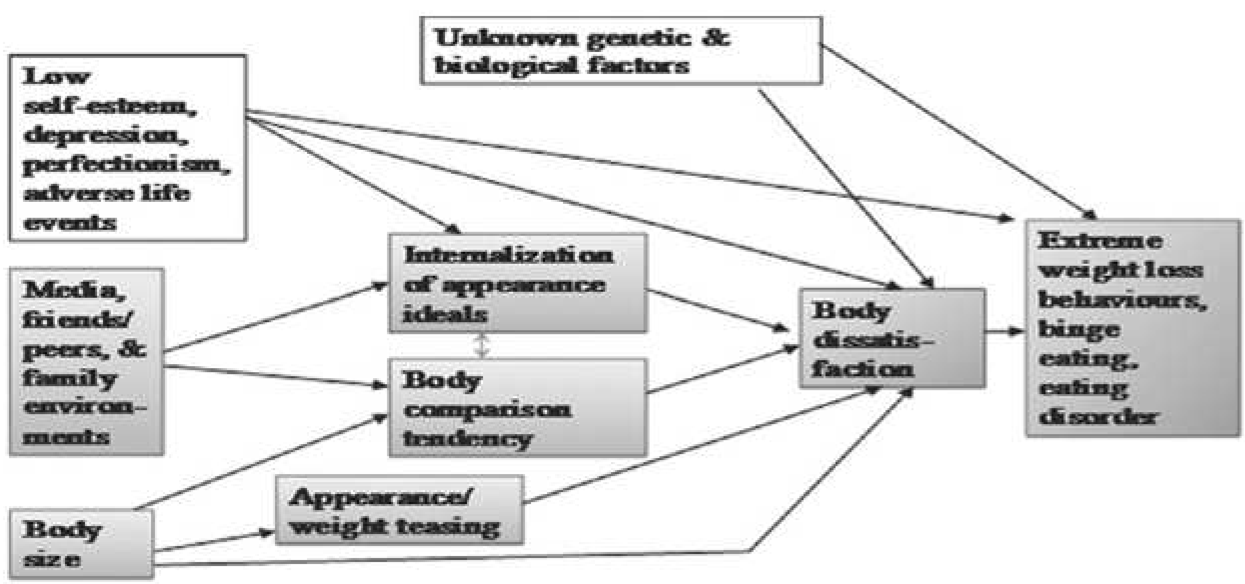

Tradition or curse on one part of the society

Dr. Shweta Sharma* Ms. Varnika Sharma**

Abstract - Devadasis is a form of prostitution, in which females, between 6 to 13 was gifted to goddess yellamma as their servant before puberty. The ceremony was conducted named as pottukattu or sari Bandhan. these girls were generally from schedule class and below Poverty line. As soon as they become devadasis they are no more untouchable section of the society they are ready to serve the upper section of the society. The dedication ceremony was conducted at grand level after entering in the life of devadasis they have certain rules and regulations. Devadasis cannot enter into real marriage and cannot love to a single man. The life of devadasis is full of physical, social, emotional, psychological pains, as it also gives rise to various diseases which are not curable like STDS. Devadasis system is very prevent in some parts of India.

Keywords - Devadasis, Prostitution,Yellamma, pottukattu or sari Bandhan, STDS.

Introduction - Devadasi is drive from Sanskrit which means servant of deva (god). According to the temples workship rules dance and music are the necessary ingredients of daily puja. The tradition of dancing in temple was developed in 3rd century they having prestige in the society.Devdasis were known by various local terms like in Karnataka as basivi, matangi in Maharashtra, and kalavantin in Goa. The first known devdasis girl named as Amarpali at the time of Buddha. Chola Empire support devdasis system, both male and female devdasi were dedicated to the service of the temples.as chola empire expands in wealth and size, development of temples increased throughout country other kings also start supporting devdasi system.

It is a system in which females, between 6 to 13 was gifted to goddess Yellamma as their servant before puberty. The dedication ceremony which was conducted named as pottukattu or Sari Bandhan it is somewhat similar to marriage. Before ceremony they used to scrub with turmeric and give bath with Neem water and the sari was given to wear, after that brass pot filled with water was to carry by putting on his head on the way to temple. When the girl reaches to temple priest practices all rituals and tie a string of red and white beads around the neck this symbolize that the girl is a devadasis. She has to bath early in morning and has to attend the morning worship. But not allowed to enter in sanctum, they used to bow their head from outside only. They used to take care of temples and perform rituals, these women learn and practice classical Indian dance like bharatanatiyam. They are prohibition to get enter into real marriage system from any 8 form of marriage.In 11th and 12th centuries there was a decline in construction of temples but there was an increase in the number of devadasis by 12th century there are about 100 of devadasis in urban temple their number was in direct proportion to a temple's wealth and prestige. There was a rapid increase of devadasis system can be seen in light of the competition between temples vying for political power.In 17th century as Britishers having good hold on Indian society they converted devdasis into a prostitution ,the system was decline in 18th century due to britishers. It was convereted into prostitution.during British period it has been that they are suffering from various venerable diseses, they claimed that devdasis are responsible.

Generally schedule caste and poor family girls used to become devadisis after becoming the servant of goddess they lose their caste and no longer untouchable. The families those who live below poverty line they used to dedicate their girls to goddess yellamma or if the parents pray the goddess for a particular reason and yellamma fulfill the demand then parents has to dedicate their girl to goddess yellamma. After becoming devadasis they having some duties like on Tuesday and Fridays she has to go for begging with joga,a begging bowl in the hand and visit at least 5 upper caste houses. If you are hungry you cannot ask for food to anybody and provide shelters to the strangers, strangers to shelter means when they reaches to their puberty means after first menstrual cycle many landlord having eye on them because they consider matter of prestige to deflower as many young girls as possible and they think that if they deflower a devadasi they can cure himself from various diseases including AIDS.

Figure1,2 last Devadasis Shashimani Devi[3] ,Devdasi wearing wedding necklace[4]

*Assistant Professor, R.G.P.G College, Meerut (U.P.) INDIA
** M.A, MS University, Vadodara (Gujrat) INDIA

Devadasis cannot claim to be the wife of one man they are free from widow ship and to not have right to love single man or loved by single man. Devadasis is also known as jogini. The old age of devadasis are very much pain full because while young and beautiful they can earn for their livelihood but as soon as they reaches to old age the earning was also stopped so they used to pray for child some devadasis want boy child so that in old age son can take care of him some of them want girl child so that after him she can become devadasis and look after him. There is an interesting fact about devadasis system which is also mentioned in arthashastra that there is a fine committed against prostitutes is as followed.

1. Verbally abusing a client:-24 panas.
2. Causing physical injury to a client:-48 panas.
3. Selling belongings: - 500 panas.
4. Disfiguring a client:-51 panas.
5. Showing dislike to the client after receiving payment: double the fee of the devadasis.
6. Refusing for a sex to client for overnight:-8 times fee.
7. Disobeying on the command of a king to attend a client: - 100 strokes or 5000 panas.
8. Killing a client:-death by burning or drowning.

They were not victims of male exploitation. Devadasis in the god temple and in the courts of kings was simply the version of apsara of Vedas, the prostitutes who sang and dance in the court of indra and whose duty is to seduce. It is very much present in Indian society till date, prevalent in south and Maharashtra. It's a curse to our society for females. The life of devadasis is full of physical, social, emotional, psychological pains, as it also gives rise to various diseases which are not curable like STDS. In simple word we can say that, they are prostitutes and used in the name of goddess. In luie of fulfilling the sexually desires of upper class male society an untouchable girls becomes touchable in the name of goddess devdasis .There are some laws which are in the favor of females. The female children of devadasis are forced to go in same profession. In this developing era peoples still have the old mind set for devdasis unfortunately this tradition is very much prevalent in some parts of India.the last devdasis was Shashimani Devi who was died at the age of 93 he was actually a devdasis she has devoted her life to lord Jagnath.

Conclusion - It is concluded that in 3rd century devdasis was used for service of lord many Indian rulers supported the system and devdasis having high prestige in the society but soon as arrival of Britishers they were exploited in the name of god they are actually not devoted to god but to higher, males to the society. It was made illegal by law in 1988 but it is very much prevalent in Indian society, southern parts of India. Most of the girls induced are from the untouchable cast, girls often sale at the age of 4-5 years because families are improvised. It's a curse for females; the life is full of physical, social, emotional, psychological pains, as it also gives rise to various diseases which are not curable like STDS. In simple word we can say that, they are prostitutes and used in the name of goddess.

References :-

1. Vishwanathan lakshmi (2008) Women of pride the devadasis heritage, Lotus collection Roli books.
2. Kermorgant Rubin Catherine (2014) Sevants of the goddess the modern-day devdasis, Random house india

Weblography:-

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sashimani, 12 April 2020, 7 pm
2. https://new-img.patrika.com/upload/2018/11/02/9_3658686-m.jpg ,12 April 2020, 7 pm

****

A Comparative Study of Achievement Motivation Among Government and Private School Going Students

Dr. Pushpinder Kaur* Amita**

Abstract - The present study compares achievement motivation among government and private school going students of Mansa district. The sample of 120 school students (60 government and 60 private) was selected purposively. Descriptive method is used in the study. It concluded that (i) boys and girls students in private schools differ significantly on achievement motivation. (ii) boys and girls studying in government schools differ significantly on achievement motivation.(iii) boys and girls studying in both- in the government as well as in private schools differ significantly on achievement motivation. (iv) total number of sample (120) belonging to both the government as well as private schools, private schools students have higher achievement motivation as compared to government school students.
Keywords - Achievement Motivation, government and private.

Introduction - There is no other way to replace the traditional method with the Constructivistic approach which is the innovative way that help the learners to achieve more and become successful in the field. At present, the aim of education is not to transmit information in which teachers would act as a dispenser, rather, they are the agents who transact the curriculum. In general, achievement is usually associated with the marks, awards and grades a student achieve in academics and other co-curricular activities in school.

Motivation being the most effective way activate the individual to learn and achievement motivation is the pivot of education system. Achievement is not just confined on examination and grades. Rather, achievement motivation is the attitude to achieve. Hockenbury and Hockenbury (2003) hold the view as "Motivated behaviour directed towards excelling and outperforming others at some tasks".

Thus, it can be said that Achievement motivation is the way to obtain a higher standard with the help of goal directional activity. Here, in this study, the investigator tries to identify the level of achievement motivation of the students studying in government as well as private schools. Therefore, the present study was planned to compare the achievement motivation of school going students of Mansa district.

Review of Literature - Kaushik and Rani (2005). Adsul et al. (2008) investigated the effects of gender, caste differences on possessed by college students. Male students were found to be having a high achievement motivation in comparison to female students having a below average level of achievement motivation.

Liu and Zhu (2009) found significant differences in achievement motivation of male and female senior high school students. Male students had higher achievement motivation than female students.

Rajina and Karnan (2018) examined the achievement motivation of higher secondary school students in Tiruvallur District. The findings indicated that there was a positive relationship in achievement motivation of higher secondary students. There was significant impact with respect to gender, location, and parental involvement of higher secondary school students.

Objectives of the Study :

1. To compare the level of achievement motivation among boys and girls of private school going students.
2. To compare the level of achievement motivation among boys and girls of government school going students.
3. To compare the level of achievement motivation among boys and girls of government and private school going students.
4. To compare the level of achievement motivation of government and private school going students.

Hypotheses of the Study :

1. There exists no significance difference in the level of achievement motivation among boys and girls of private school going students.
2. There exists no significance difference in the level of achievement motivation among boys and girls of government school going students.
3. There exists no significance difference in the level of achievement motivation among boys and girls of government and private school going students.
4. There exists no significance difference in the level of achievement motivation of government and private school going students.

*Professor, Department of Distance Education, Punjabi University Patiala (Punjab) INDIA
** Research Scholar, Punjabi University, Patiala (Punjab) INDIA

Delimitations of the Study - The study is delimited under the following aspect:

1. The study is delimited to two schools of Mansa District.
2. The study is delimited to IX class students.

METHODOLOGY

Participants - The Descriptive Method is used for the study. A sample of 60 government (30 boys and 30 girls) and 60 private (30 boys and 30 girls) senior secondary school students randomly selected from IX class were taken one is Government Senior Secondary School Bhupal Khurd and second is Sanawar Smart School Bhupal Khurd of Mansa district.

Materials - Achievement Motivation Scale (Deo, P. and Mohan, A., 2011) was used to measure the achievement motivation of students. The scale consisted of 50 items.Out of 50 items, 13 are negative and 37 are positive items. The scale has test-retest reliability and split-half reliability of .56 and item validity of .54. The reliability coefficients were found to be .69 and .78 for male and female groups respectively. Cronbach's alpha coefficient for overall male and female was found to be 0.86.

Procedure - The data obtained from 120 (60 government and 60 private) senior secondary school going students were analyzed with the help of mean, SD and t-test.

RESULTS AND DISCUSSION

The present study compare Achievement Motivation among boys and girls studying in government and private schools of Mansa. Test of significance (t test) was used to calculate the difference between boys and girls senior secondary school students. All the calculations were done using SPSS and analysis and interpretation of data were performed in accordance with the objectives of the study. The results of t test are given below:

Table 1.1 - Comparison of Achievement Motivation among Boys and Girls in Private Schools

Category	N	Mean	SD	t value	Level of Significance
Boys	60	143.43	21.90	2.60	Significant at 0.05
Girls	60	159.53	25.99		

Table 1.1 shows the mean and SD of boys is 143.43 and 21.90 whereas the mean and SD of girls is 159.53 and 25.99 respectively. The t value is 2.60 which is found to be greater than the tabulated value (1.98) at 0.05 level of significance. It indicates that boys and girls students in private schools differ significantly on achievement motivation. Girls students have higher achievement motivation as compared to boys students. Hence, the null hypothesis – "There exists no significance difference in the level of achievement motivation among boys and girls of private school going students" is rejected.

Table 1.2 - Comparison of Achievement Motivation among Boys and Girls in Government Schools

Category	N	Mean	SD	t value	Level of Significance
Boys	60	138.37	15.38	2.44	Significant at 0.05
Girls	60	148.40	16.51		

Table 1.2 shows the mean and SD of boys is 138.37 and 15.38 whereas the mean and SD of girls is 148.40 and 16.51 respectively. The t value is 2.44 which is found to be greater than the tabulated value (1.98) at 0.05 level of significance. It indicates that boys and girls studying in government schools differ significantly on achievement motivation. Girl students have higher achievement motivation as compared to boy students. Hence, the null hypothesis- "There exists no significance difference in the level of achievement motivation among boys and girls of government school going students" is rejected.

Table 1.3 - Comparison of Achievement Motivation among Boys and Girls in Government and Private Schools

Category	N	Mean	SD	t value	Level of Significance
Boys	60	140.91	18.93	3.46	Significant at 0.01
Girls	60	153.97	22.31		

Table 1.3 indicates the mean and SD of all the boys is 140.91 and 18.93 whereas the mean and SD of girls is 153.97 and 22.31 respectively. The t value is 3.46 which is found to be greater. than the tabulated value (1.98) at 0.01 level of significance. It indicates that boys and girls studying in both-in the government as well as in private schools differ significantly. Girls students have higher achievement motivation as compare to boys students. Hence, the null hypothesis "There exists no significance difference in the level of achievement motivation among boys and girls of government and private school going students" is rejected.

Table 1.4 - Comparison of Achievement Motivation of Government and Private Schools

Category	N	Mean	SD	t value	Level of Significance
Government	60	143.38	16.61	2.08	Significant at 0.05
Private	60	151.48	25.17		

Table 1.4 shows the mean and SD of government school students is 143.38 and 16.61 whereas the mean and SD of private school private school students is 151.48 and 25.17 respectively. Thus, it is evident that both the government as well as private schools, private schools students have higher achievement motivation as compared to government school students. Hence, the null hypothesis "There exists no significance difference in the level of achievement motivation of government and private school going students" is rejected.

FINDINGS OF THE STUDY - The findings of the study are as follows:

1. The study reveals that girls students have higher achievement motivation as compared to boys students studying in private schools.
2. The study reveals that girls students have higher achievement motivation as compared to boys students studying in government schools.
3. It is found that girls have higher achievement motivation as compare to boys students studying in both government as well as private schools.

4. Regarding institution, it has been found that private school students have higher achievement motivation as compare to government school students.

CONCLUSION - Results showed that high level of achievement motivation was found among girl students studying in government school or private school of Mansa, Punjab. This may suggest that girl students tends to have good attitude towards school. On the other hand, boys are more susceptible to underachieving and less likely to perceive achievement in general. These results supported the existing research in that females scored significantly higher than males in the area of achievement (Shekhar and Devi, 2012).Some researchers had found no difference (e.g., Ligon, 2006), whereas others had found differences (e.g., Vermeer, Boekaerts, and Seegers, 2000). It is also concluded that achievement motivation in private school students were higher as compared to government school students who had incurred in less education. Therefore concluded encourage government school students for higher level of achievement motivation by providing better facilities and healthy teaching-learning environment. These results are in favour of Bharanbe (2016) who revealed that the students of private school had significantly higher in achievement motivation in comparison to government school students. On the other hand, the results of the above study is contrary to the findings of the Wani and Masih (2015) who resulted that higher school students studying in government schools had higher achievement motivation as compared to private school students. In nutshell, the senior secondary school students in private schools have higher achievement motivation and girls in comparison to boys have higher achievement motivation. Thus, government school students as well as boys should encourage them to be flexible, perceive the correct knowledge only after scientific investigation. Hence, it is recommended that the teachers and parents should set high goals before the students especially boys so that they try to achieve higher level.

References :-

1. Bharanbe, K.D (2016) Achievement Motivation: A Comparative Study of Private and Government School Students, The International Journal of Indian Psychology, 3 (2), 46-50.
2. Deo, P., and Mohan, A. (2011). Revised Deo Mohan Achievement Motivation Scale (n-Ach). Agra: National Psychological Corporation.
3. Hockenbury, D.H. andHockenbury,S.F.(2003). Psychology (3rd edition), New York, Worth Publishers.
4. Ligon, N. Y. (2006). Assessing the achievement motivation across grades and gender.Dissertation Abstracts International Section A. Humanities and Social Sciences, 67(6-A), 2052.
5. Liu, Q. and Zhu, X. (2009).Investigation and Analysis on the Achievement Motivations of 278 Senior High School Students.International Journal of Psychological Studies, 1(1), 229-240.
6. Megargee, I. (2000). Encyclopedia Of Psychology, 8OUP.
7. Rajina, G. and Karnan, P. (2018) A study on achivement motivation of higher secondary school students in Tiruvallur district. International Educational Scientific Research Journal, 4 (3), 43-48.
8. Shekhar, C. and Devi, R (2012) Achievement motivation across gender and different academic majors.Journal of Educational and Development Psychology, 2 (2), 105-109.
9. Vermeer, H. J., Boekaerts, M., andSeegers, G. (2000). Motivational and gender differences: Sixth-grade students'mathematical problem-solving behavior. Journal of Educational Psychology, 92(2), 308-315. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.92.2.308
10. Wani, M.A. and Masih, A. (2015). Achievement motivation: A study with reference to certain demographic variables, The Signage, 3 (1), 1-10.

****

काव्य शास्त्रों में मंगलाचरण

दुर्गेश लता भगत*

प्रस्तावना – भारतीय आस्तिक परम्परा के अनुसार कार्य के आरम्भ से समाप्ति तक विघ्नों के निवारण के लिये प्रारम्भ में ही मंगलाचरण या मंगलानुशासन की परम्परा रही है। यह मंगलानुशासन इष्ट देवता के प्रति नमस्कारात्मक होता है। श्रोता अथवा शिष्यों के प्रति आशीर्वादात्मक होता है अथवा कभी-कभी कथा वस्तु निर्देशात्मक भी होता है।

'आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वापि तन्मुखम्'

पतंजलि के महाभाष्य में वक्ता तथा श्रोता के कल्याण के लिये मंगलाचरण करने की परम्परा कही गई है। साथ ही ग्रन्थ में तीन बार मरुलाचरण की परम्परा का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

1. ग्रन्थारम्भ में
2. ग्रन्थ के मध्य में
3. ग्रन्थ के अन्त में

'मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च
शास्त्राणि प्रथन्ते वीर प्ररूषाणि च भवन्त्यायुष्म प्ररूषाणि
चाह्येतारश्न मंगलयुल्तना यथा स्यु'

साहित्य शास्त्र के लगभग सभी ग्रन्थों में मंगलाचरण आशीर्वादात्मक हो नमस्कारात्मक हो या फिर 'वस्तु' निर्देशात्मक हो प्राय: साहित्य शास्त्र के ग्रन्थों में आरम्भ में ही मंगलाचरण किया जाता है। कहीं-कहीं पर ग्रन्थ के समाप्ति पर भी मंगलाचरण किया गया है। साहित्य शास्त्र के कुछ ग्रन्थों में मंगलाचरण परम्परा का वर्णन इस प्रकार किया गया है।

मंगलाचरण – मंगलाचरण दो शब्दों से मिल कर बना है। मंगल, आचरण अर्थात अच्छा आचरण या मंगलाचरण। मंगलाचरण में निम्न बातें अत्यन्त जरूरी हैं।

1. इसमें इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है।
2. इसमें श्रोताओं पाठकों शिष्यों एवं स्वयं के लिये कल्याण कामना कर आशीर्वादात्मक वचन होता है।
3. इसमें ग्रन्थ का परिचय होता है। मंगलाचरण को ग्रन्थ कार ग्रन्थ की निर्विहन समाप्ति हेतु करते हैं।

प्रमुख साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थों में वर्णित मंगलाचरण

1. भरत मुनि कृत नाट्यषास्त्र में वर्णित मंगलाचरण – भरत मुनि साहित्य शास्त्र के आचार्यों में सबसे प्राचीन आचार्य मानते जाते हैं। भरत मुनि के काल का निर्णय करना अत्यन्त कठिन कार्य है। कुछ विद्वान भरत नाम को काल्पनिक नाम मानते हैं। इस मत के मानने वाले लोगों का यही विचार है कि प्रारम्भ में जो नटगण स्वांग भरते थे वे स्वांग करने के कारण 'भरत' कहलाते थे तथा बाद में उनके आदि पुरूष के रूप में भरत मुनि की कल्पना कर ली गयी परन्तु वास्तव में यह मत ठीक नहीं है। भरत मुनि काल्पनिक व्यक्ति नहीं अपितु ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। समय 500 विक्रमपूर्ण से लेकर प्रथम शताब्दी तक के बीच में मानते हैं। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वषीय में मुनि के नाम उल्लेख करते हुये लिखा है।

'मुनिना भरतने य: प्रयोगो भवतीष्ट रसा श्रय: प्रयुक्त: ललितानिय
तमद्य मर्ता मरतां द्रष्टुमना: सलोकदाल:।'

नांटय शास्त्र में वर्णित मंगलाचरण

'प्रणाम्य शिस्या देवौ पितामहेश्वरो।
नाटयशास्त्र प्रवक्ष्याभि ब्रह्मणा भट्दछतम।।'

अर्थात में (भरत मुनि) सिर झुकाकर दोनों देवताओं पितामह (ब्रह्मा) तथा माहेश्वर (शिव) को प्रणाम कर नाट्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिसे पहले ही ब्रह्मा जी द्वारा बतलाया गया है।

महाभाष्यकार पतंजलि के शब्दों में मंगलाचरण के प्रयोजन है।

'मंगलादीनि हि शास्त्राणी प्रथन्ते वीर पुरूष काणि भवन्त्यायुष्मत्पुरूष
काणि चाहयेतारश्च वृद्धि युक्ता था। स्युरिति।'

भामह के काव्यालंकार में वर्णित मंगलाचरण – भरत मुनि के बाद अलंकार शास्त्र के दूसरे आचार्य भामह है। जिनका ग्रन्थ मिलता है। इन्हें अलंकार सम्प्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। भामह का समय विद्वानों ने षष्ठ शातक का पूर्वाद्ध माना है। उन्होंने अपने काव्यालंकार के पंच परिच्छेद में त्यायनिर्णय का वर्णन करते हुये 'बौद्ध आचा: दिड़नाग के प्रत्यक्षम कल्पनापोढम' इस प्रत्यक्ष लक्षण को उद्धत किया है। दिड़नाग का समय 500 ई0 के लगभग माना जाता है। अत: भामह का समय इनके बाद माना गया है। जिस प्रकार भामह के काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। उसी प्रकार से भामह के धर्म के विषय में भी पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। भामह का काव्यालंकार एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है किन्तु इसके अतिरिक्त छन्द शास्त्र और अलंकार शास्त्र के विषय में कुछ और ग्रन्थों की रचना की किन्तु दुर्भाग्यवश वे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। भामह ने वंश परिचय के रूप में केवल एक पंक्ति अपने ग्रन्थ के अंतिम भाग में दी है। भामह के काव्यालंकार में वर्णित मंगलाचरण 'प्रणाभ्य सार्वसर्वज्ञ मनोवाक्काय कर्माभि: काव्यलंकार इत्येश यथा बुद्धि विधारयते।'

अर्थात – सार्वकालिक सर्वज्ञ परमात्मा को प्रणाम करते हुये मैं (भामह) काव्यालंकार को यथा बुद्धि लिख रहा हूँ उस सर्वज्ञ को मन वाचा शरीर और कर्म के द्वारा प्रणाम है।

आचार्य दण्डी कृत काव्या दर्श में मंगलाचरण :-

'चतुर्मुख मुखाममेजवन हसंव धूर्मन।
मान से रमता नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती।।'

अर्थात – जिस प्रकार कमल के हमनी विचरण करती है। उसी प्रकार वृहना

* असि. प्रोफेसर (संस्कृत) रा.म.स्ना. महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.) भारत

के मुख्यरूपी कमल वन में विचरण करते वाणी सदैव निर्मल स्वच्छ सरस्वती है वाणी हमारे हृदय में रमण सप्रेम निवास करे।

वामन कृत में काव्यालंकार मे वर्णित मंगलाचरण

'काव्यालंकार परम ज्योर्तिवामिनेन कवि प्रिया काव्यालंकार
सूत्राणा स्वेषा वृत्ति विधीयते।'

काव्यालंकार परम ज्योतिमय परमेश्वर को प्रणाम करके अलंकारिक वामनाचार्य द्धारा स्वरचित काव्यालंकारों की कविप्रिया नायक वृति की रचना की जाती है।

संदर्भ –

आनन्द वर्धन कृत धन्यालोक में वर्णित मंगलाचरण–

'स्वेच्छाकेसरिण: स्वच्छाप्रायसितेन्दव:।
त्रायन्ता वो मधुरिपो: प्रयन्नातिच्छदो नरवा:'

अर्थात– स्वयं अपनी इच्छा से नरसिंह रूप धारण किये हुये मधु नायक दैत्य से शत्रुता रखने वाले भगवान विष्णु के सुन्दर रख जो अपनी निर्मल कांति के चन्द्रमा की काया को लज्जित करने वाले शरणागतो के दुख: नारायण में समर्थ नरव, तुम की व्याख्या तथा श्रोता की रक्षा करे।

राजशेखर द्धारा रचित काव्य मीमांसा में वर्णित मंगलाचरण :– काव्य मीमासिष्या महे यह यथोपदि देश श्री कुण्ड परमेष्ठि वैकुण्ठा दब्त्थतु: षष्टये शिष्येभ्य:। सोऽपि भगवान्स्वयम्भूरिच्छाजन्यभ्य: स्वाते वासिभ्य तेषु सारस्वतेयो वृन्दीयसामपि वन्द्य: काव्य पुरूष आसीत: तं च सर्वसमयविद दिव्येन चक्षुषा भविष्य दर्थ दर्शिनं मूमुर्ख: स्वस्त्रितयवर्त्तिनीषु प्रजासु हित काम्यया प्रजापति: काव्य विद्या प्रर्त्तनायै प्रामुड़्क। सौड्ष्टा दशाधि करणी: दिव्येभ्य: काव्यविद्या रमातकेभ्य: सप्रपंच प्रोवाच। तत्र कविरहस्य सहस्त्राक्ष: समाम्नासीत्औक्तिक मुक्ति गर्भ: रीतिनिर्णयं सुवर्ण: नाम:, आनु प्रासिक प्रचेता, यमक, यम: चित्र चित्रंद: शब्द श्लेष रोष: वास्तवं पुलस्त्य: औपभ्यापकायन: अतिशयं पराश अर्थ श्लेपुरथ्म उभयालंकारिक: कुवेर, वैनोर्दिक कामदेव: रूपके निडपणीय भरत: रसाधिकारिक नन्दि केखर: दोषधिकरणं धिषण पृथक स्वशास्त्राणि विरचयांगचुण:। इत्यांर रञच प्रकीर्णत्वात सा किंचिच्छिेद इतीय प्रयोजकांगवती संगिप्य सर्वमर्थ मल्य ग्रन्थेन अश्टदर्ष प्रकरणी प्रणीता।

'निर्यात कृत नियमरहिता ह्लादैकमयीमन न्यपरतन्त्राम। नवरूचिरा
निमिति मादधती भारती कवेर्जयति।'

अर्थात– नियति द्धारा निर्धारित नियमों से रहित आनन्द से युक्त (आनन्द मात्र स्वभाव) किसी अन्य के आधीन न रहने वाली नौ रसों से युक्त मनोहारिण काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि भारती सर्वोत्कृर्ष शालिनी है। उस कवि भारती की मैं जय जय कार करता हूँ।

आचार्य मम्मह ने काव्य प्रकार नायक ग्रन्थ में प्रथम काभिका मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत की इसमें उन्होंने वाड्गय की अधिष्ठात देवता के रूप में स्मरण किया है। यहाँ उन्होंने कवि निर्मित सृष्टि तथा ब्रह्मा निर्मित सृष्टि की तुलना करते हुये कवि की सृष्टि की श्रेष्ठता प्रमाणित भी की है।

भारतीय आस्तिक परम्परानुसार किसी कार्य के आरम्भ में उस कार्य के निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण का परम्परा पायी जाती है। इसी परम्परा को काव्य शास्त्रीय ग्रन्थकार भी कायम रखते हुये अपने ग्रन्थ को आरम्भ करने से पूर्व अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुये नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। अधिकांश ग्रन्थों में ग्रन्थारम्भ में मंगलाचरण किया गया है। परन्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में तीन बार मंगलाचरण की परम्परा का भी उल्लेख मिलता है। ग्रन्थारम्भ में ग्रन्थ के मध्य में तथा ग्रन्थ के अन्त में यह मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक ये काव्य ग्रन्थ ही होते हैं जो एक कवि को ग्रन्थ कार्य के रूप में अमर कर देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. काव्यादर्श दण्डी प्रथम परिच्छेद कारिका 14 उत्तरार्द्ध।
2. काव्यालंकार आचार्य भामह: प्रथम परिच्छेद।
3. काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, आचार्य वामन प्रथम परिच्छेद अधिकरण (शरीर अधिकार) प्रथम अंश।
4. काव्य मीमांसा, राजशेखर प्रथम अध्याय (कवि रहस्य)।
5. काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट, प्रथम उल्लास प्रथम कारिका।

****

प्रकीर्ण साहित्य : असमिया लोक साहित्य के संदर्भ में

श्रीमती जोनटि दुवरा *

प्रस्तावना – लोक-साहित्य के अन्तर्गत छोटी-मोटी ऐसी अनेक विधाएँ हैं जो ग्रामीण जनता के दैनन्दिन जीवन से संपुक्त है। अपने दैनन्दिन, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में इन विधाओं का व्यवहार दिखायी पड़ता है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सूक्तियाँ, पहेलियाँ, लोरियाँ, बाल-क्रीड़ा के गीत आदि इस प्रकीर्ण वर्ग में ही समाविष्ट होते है। डॉ. सत्येन्द्रनाथ शर्मा जी ने कहावत, पहेली आदि को 'लोकोक्ति साहित्य' में तथा 'लोक-निरक्ति' में 'लोक-शब्दावली' आदि को विवेचन किया है।

'प्रकीर्ण' साहित्य के अन्तर्गत निम्नांकित विषय रखे जा सकते हैं :-

1. लोकोक्तियाँ
2. मुहावरे
3. पहेलियाँ
4. पालने के गीत
5. सूक्तियाँ
6. खेलों में वाणी-विलास
7. फुटकल इत्यादि

आगे इन विविध विषयों पर संक्षिप्त विचार किया जा सकता है :-

1. लोकोक्तियाँ – लोकोक्तियाँ को केवल 'लोक की उक्ति' कहने से स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि लोक-गीत, लोक-गाथा, लोक-नाट्य आदि भी तो लोक ही उक्ति है। जनिसल के अनुसार लोकोक्ति जनता में निरन्तर व्यवहृत होने वाले छोटे-छोटे कथन है।

असमिया में लोकोक्तियाँ 'योजना' अथवा 'पटन्तर' नाम से प्रचलित है। कहने का तात्पर्य है कि इनमें मूल कथा की तुलना किसी एक रूपक के साथ की जाती है। सामान्यत: प्रकृति के विभिन्न उपादानों को रूपक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ग्रामीण जनता में विशेषत: बूढ़े-बुजुर्गों में इन लोकाक्तियों का प्रयोग, अधिक होता है। घरेलू भाषा का प्रयोग, अनुभव तथा निरीक्षण पट्टता, समय-लाघव, प्रचुर लोकप्रियता और रचियता का अज्ञात होता है। लोकोक्तियों में अपनी मिट्टी की गंध रहती हैं, क्योंकि वे ग्रामीण जनता की अनुभव सिद्ध अभिव्यक्ति होती है। उनके जीवन के विभिन्न अनुभवों का यहाँ समाहार होता है। कम से कम शब्दों में या समाज-शैली में इसका प्रयोग होता है, जिससे समय और शब्द-लाघव के साथ-साथ इनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है।

असमिया लोक्तियां को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है :-

(क) नीतिगर्भित विषयक
(ख) कृषि तथा प्रकृति विषयक
(ग) व्यक्ति तथा परिवार विषयक
(घ) पशु-पक्षी विषयक
(ङ) व्यंग्यात्मक विषयक
(च) प्रकीर्ण विषयक।

असमिया की अधिकांश लोकोक्तियां नीतिगर्भित है। इनमें प्राप्त नीति का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ये गंभीर जीवनानुभव से ओतप्रोत है।

कृषि प्रधान असम की जनता का कृषि तथा प्रकृति के साथ गहरा संबंध है। कृषि उसकी जीविका है तथा प्रकृति सुख-शांति का साथी, कृषि संबंधी असामिया लोकोक्तियाँ मूलत: व्यावहारिक है। इनमें कृषि उपकरण एवं उत्पादक विषयक नीतियाँ आती है। इसमें खेत में पानी, हल-जोतने के संबंध में, विविध फसलों की बोआई के संबंध में आदि के अन्तर्गत आते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के आदमी होती है। एतद्विषयक लोकोक्तियों में व्यक्ति के लक्षण-निर्धारण की प्रवेष्टा दिखाई पड़ती है। स्त्री-पुरुष (पुरुष लक्षण, स्त्री लक्षण, गृहिणी, जवान बेटी विषयक, संतान विषयक) संबंधी अनेक प्रकार की लोकोक्तियाँ मिलती है।

आदिमकाल से ही मानव का पशु-पक्षियों से साहचर्य रहा है। पातु जीव-जन्तुओं के अलवा जंगली पशु-पक्षियों से भी इसका संबंध रहा है। वाद्य-सामग्री, मनोरंजन तथा व्यावहारिक जीवन के लिए मनुष्य विभिन्न पशु-पक्षियों का उपयोग करता रहा है। तभी उसने अपने अनुभव और निरीक्षण के बल पर उनके स्वभाव तथा उनकी प्रकृति विषयक अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है। विभिन्न लोकोक्तियाँ में एतद्विषयक बातें मिलती है। यथा-हिरण विषयक, गिलहरी विषयक, सियार विषयक आदि।

पक्षी संबंधी लोकोक्तियां में कौआ, कोयल, मुर्गे आदि का वर्णन मिलता है। इन लोकोक्तियों का व्यवहार प्रसंग आदमी के लिए भी होता है, जो नीतिगर्भित होने के कारण व्यंग्यात्मक हो जाता है।

लोकोक्तियों के मूल में व्यंग्य निहित होता है। प्रत्येक लोकोक्ति में व्यंग्य किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। इसलिए लोकोक्तियों का अलग से व्यंग्यात्मक नामक एक वर्ग बनाना प्रथम दृष्टि में अनावश्यक सा प्रतीत होता है, पर इस वर्ग की यहाँ स्वतंत्र कल्पना का प्रयोजन है कि कतिपय लोकोक्तियाँ साध्य और साधन दोनों रूपों में केवल व्यंग्य को ही व्यक्त करती है।

ऊपर विवेचित लोकोक्तियों के अतिरिक्त ऐसी भी अनेक लोकोक्तियाँ है जो ज्योतिष, राजनैतिक, रंधन-प्रकरण, प्रेम, जाति-सम्प्रदाय आदि विविध विषयों से संबंधित है। इस प्रकार की लोकोक्तियों को यहाँ एक ही साथ 'प्रकीर्ण' वर्ग में रखा गया है।

2 मुहावरे – संसार की अन्य भाषाओं की तरह ही असमिया में जतुवा-ठाँच यानि मुहावरों के प्रयोग होते है। बोलचाल की भाषा को सुन्दर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग रूढ़ि की तरह होता है। मुहावरे

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) गोलाघाट वाणिज्य महाविद्यालय, ज्योति नगर, गोलाघाट (असम) भारत

ग्रामीण जन-जीवन के अमूल्य धरोहर है। निरक्षर ग्रामीण लोक भी इन मुहावरों का प्रयोग सुन्दर ढंग से करते है, जिससे उनकी भाषा लचीली और व्यंजक हो जाती है। अपने अभिष्टार्य को व्यंग्य रूप में व्यक्त करने के लिए बहुधा मुहावरे प्रयुक्त होते है।

आगे कतिपय असमिया मुहावरों की चर्चा की जाती है, जिसमें जन-जीवन का चित्रण उभर आता है-

(क) कृषि-विषयक : कृषि-प्रधान असम में कृषि-विषयक वस्तुओं को मुहावरों में अधिक स्थान मिला है। यथा-कथिया पार,जाँकत दिया, आग हालर, हालोवा, महादेवे खेती कर आदि।

(ख) आर्थिक स्थिति-सूचक : जनता की आर्थिक स्थिति को समझाने के लिए कुछ ऐसे मुहावरों का प्रयोग होताहै, जो उनके वैभव अथवा दयनीय स्थिति के सूचक है।

(ग) सामाजिक आचार विषयक : असमिया सामाजिक जीवन में ताज्बूल तथा पान का महत्व सर्वोपरि है। आदर के साथ बुलाने, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, अतिथि-सत्कारादि विभिन्न अवसरों पर इसका सर्वत्र व्यवहार होता है। यथा तामोल-पान दि मात, तामोल-पान दि जना, तामोल पान काट, राइजे रजा आदि।

(घ) सांसारिक व पारिवारिक : सांसरिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है-विवलाह, स्त्री-पुरुष का पारिवारिक जीवन-निर्वाह। संस्कारों में विवाह आदि तो है ही, स्त्री का ऋतुमति होना, संतान-संभवा होना, संतान-जन्म होना आदि भी इसी के अन्तर्गत है। स्त्री-पुरुष लक्षण सूचक भी अनेक मुहावरे है। यथा-विवाह विषयक : घर पात, नोवनि पर, तोलनी दिया, खईचा गीत इत्यादि।

संतान-संभवा सूचक : गा-बंदी, गा-भारी, गा-भरुण आदि।

(ड.) नीति-गर्भित : व्यक्तिगत, सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे अनेक नीतिगर्भित मुहावरे है, जिनका प्रयोग बातों ही बातों में होता रहता है। यथा-एटा चाउल टिपि एचरु, भातर गम पा, कपालर घाम माटित पेला इत्यादि।

(च) पौराणिक : मुहावरों में पौराणिक आज्यातों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ग्रामीण लोग 'भागवत' आदि पुराणों को भक्ति भाव से सुनते-सुनाते रहते है। माधव कन्दली कृत 'रामायण' राम सरस्वती कृत 'महाभारत' शंकरदेव कृत 'भागवत-दशम' एवं माधवदेव कृ 'नाम-घोषा' आदि का प्रभाव असमिया जन-जीवन पर अधिक पड़ा है। अत: इनसे संबंधित प्रासंगिक मुहावरे मिल जाते है। यथा-लंका कांड, रुक्मिणी सुन्दरी, धर्म- युधिष्ठिर, भीष्म प्रतिज्ञा आदि।

(छ) ऐतिहासिक : आहोम शासन काल में प्रचलित मुहावरे देउता ईश्वर, डा-डाडरिया, चाओदाड. आदि।

(ज) जीव-जन्तु विषयक : प्राकतिक वैभव से पूर्ण विभिन्न पशु-पक्षियों एवं जीव-जन्तुओं से भरा हुआ है। अत: असमिया मुहावरों में इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यथा-

कौवा-काओरीये का का करा, डालर काडरी।
हाथी-हाती मारि भुरूकात भरोवा।

(झ) निन्दासूचक : गाली देते समय या दुष्ट प्रकृति के लोगों का अभिप्राय समझने के लिए निन्दासूचक मुहावरे भी प्रयोग में लाये जाते है। यथा-चुक चरहा, काल सर्प, काल-शत्रु आदि।

3. पहेलियाँ (साँथर) - असमिया लोक साहित्य में रगेसिओं तो साँथर कहा जाता है। 'साँथर' का अर्थ रहस्यपूर्ण बात। वस्तुत: यह जन-मानस की रहस्यमय वृत्ति का परिचायक है। थके हुए किसान जब शाम को किसी चबूतरे पर या किसी पेड़ के नीचे एकत्र होते हैं तो मनोरंजनार्थ परस्पर पहेलियाँ पूछा करते हैं। इसमें बुद्धि-चातुर्य का पता चलता है। परसरा के अनुसार विवाह के समय वर को भी अनेक पहेलियाँ पूछी जाती है। बच्चों में इन पहेलियों का व्यवहार अधिक दिखाई पड़ता है।

पहेलियों की परम्परा अत्यधिक प्राचीन है। रामायण, महाभारत में भी इसका उदाहरण मिलता है।

(क) कथा-मूलक : कतिपय ऐसी पहेलियाँ भी है, जिनमें कोई न कोई कथा छिपी रहती है। मात्र बुद्धि के द्वारा इस प्रकार की पहेली का उत्तार पाना संभव नहीं होता। इसके लिए प्रयोजन होता है व्यवहारिक ज्ञान का।

(ख) बुद्धि मूलक : कुछ बुद्धिदीप्त पहेलियाँ इस प्रकार की है, जिनके हल करने पर मन आनन्द से भर उठता है :-

'आहिनर बेडना, जारत हय सेरेडा
एके जुपि गछते माह, कपाह, बेडेना(सेमल का वृक्ष)'

(ग) गणित मूलक : दण्डी राम दत्ताजी ने 'काइथेली अंक' नामक ऐसी पहेलियों का संग्रह किया है, जो अंकशास्त्र से संबंधित है। इन्हें कूटकाव्य जैसा ही माना जा सकता है।

(घ) दर्शन मूलक : असमिया जन-जीवन की विचारधाओं का द्योतक एक पहेली इस प्रकार है- ससुर के आँगन में बैठा हुआ था। बहू पानी भरने घाट पर गयी थी। परन्तु हाथ में घड़े का कणखा मात्र लेकर जब वह घर पहुँची तब बहु ने ससुर से इस प्रकार पूछा -

'हरि हर चक्रे जे वीर उपजिल,
तापित कर्णर बापे,
दुताशन चक्रे जे वीर उपजलि,
से वीर परिल कमन विपाके।'

तात्पर्य है ईश्वर की सृष्टि में कुमार की चक्की से, कर्म-पितृ सूर्य के ताप में तापित तथा कुहार का आवें में तपने के बाद जो वीर (घड़ा) नहीं टूटा, वही वीर अब कैसे टुट गया ?

4. सूक्तियाँ - असमिया सूक्तियाँ प्रधानत: 'डाकर-वचन' के रूप में प्रचलित है। परन्तु इसके अतिरिक्त असम के वैष्णव संत नारायणदास ठाकुर आता द्वारा प्रचरित लगभग चार सौ ऐसे 'फकरा' (सुक्तियाँ) है, जो गूढ़ार्थ से भरी हुई है। ग्रामीण जन-जीवन में सूक्तियाँ 'वेद-वाक्य' की तरह आदरणीय रही है। कृषि, यात्रा, मांगलिक कार्य आदि तथा विभिन्न लक्षण-निर्धारण करने के समय सूक्तियों का व्यवहार करना प्रारंभिक लोक-व्यवहार है।

डाक-पुरुष : डाक के समय को लेकर मतभेद है। छठी-सातवी शताब्दी से डाक-वचन प्राप्त होने की बात को बहुत विद्वानों ने स्वीकार किया है। डाक का जन्मस्थान असम प्रदेश के कामरूप जिला के अन्तर्गत बरपेटा शहर के समीप लेहिउडरा बताया जाता है। किवंदती के अनुसार वह वाराह मिहिर का औरष पुत्र था।

डाक, घाघ, भडडरी प्राय: प्रत्येक जन-साहित्य में उपलब्ध होते है। इसलिए डाक नाम से प्रचलित वचन को हम ग्रामीण जीवन की स्वर्ण-तप्त अभिज्ञता की अमूल्य निधि कह सकहते है। ये वचन मौखिक-विश्वकोष ही है, जो जीवन के विविध संदर्भो में आमतौर से व्यहृत है। इस प्रकार की कतिपय सूक्तियाँ लोकोक्तियों के रूप में भी व्यवहृत होती है।

ठाकुर आता : असम में वैष्णव धर्म के प्रर्वतक श्रीमतं शंकरदेव के शिष्य नारायणदास विषयक ज्ञान (फकरा) के माध्यम से ही दिया था। आलोचना की सुविधा हेतु उनकी सूक्तियों को 'परामार्थिक तत्व विषयक' विभाग में

रखा गया है।

असमिया सूक्तियाँ व्यवहारिकता के आधार पर यहाँ निम्नांकित वर्गो विवेचित की गयी है- (क) ज्येतिष विषयक (ख) प्रकृति तथा कृषि विषयक, (ग) स्त्री-पुरुष लक्षण विषयृक, (घ) शरीर, भोजन, रोगादि विषयक, (ड.) गृह लक्षण विषयक, (च) पशु-पक्षी विषयक, (छ) राजनीति विषयक, (ज) नीति विषयक, (झ) परमार्थिक तत्व विषयक एवं (ञ) प्रकीर्ण)

5. पालने का गीत – असमिया में पालने के गीत को 'धाइनाम' या 'निचुकनि गीत' कहा जाता है। धातु (धाइ) या माता द्धारा बच्चों को सुलाने (निचुकाने) के लिये गाये जाने के कारण ही संभवतः इसका यह नाम पड़ा है।

संगीत के प्रति बच्चों में आकर्षण होता है। सोते समय माता की दुलार भरी थपकियों के साथ गीत का स्वर नीद के लिए जादुई असर कहता है। इन गीतों में माता हृदय का मधुर उल्लास, उद्दाम, कल्पना, बच्चों के प्रति स्नेह और ममत्व के उद्गार मिलते है।

कभी-कभी बच्चे माता को बहुत तंग करते है । लोरियाँ गाने पर भी जब बच्चा नहीं सोता है तो वह बच्चे के हृदय में डर का संचार कराने लगती है। कभी लोमड़ी को बलाती है तो कभी 'कानखोवा' (कान खाने वाला) नामक दैत्य को। पालने के गीतों में निम्नांकित लोरियाँ अत्यन्त लोकप्रिय है-

'शियाली ए ! नाहिबि राति
तोर काण काटि लगामें बाति।
शियालीर मूरते मरूवा फुल,
शियाली पालेगै रतनपुरा।'

बच्चों के प्रति माता के दुलार की सीमा नहीं है। पालने के गीतों में प्रकार की अनेक कल्पनाएँ पायी जाती है। इनमें पुत्र-पुत्री के अंग-प्रत्यंग के वर्णन के साथ उनके भविष्य के प्रति मनोरम कल्पनाएँ भी मिलती है।

6. खेलों में वाणी-विलास – बच्चे जब थोड़े बड़े होते है तब आसपास के कई बच्चे एक साथ मिलकर विविध खेल खेलते है। इनमें कबड्डी, गेंद, आँख-मिचौली, कौड़ी आदि प्रधान है। खेलों के समय बच्चे मनोरंजनार्थ जो गीत गाते हैं या जिन पंक्तियाँ द्धारा आपस में हंसी-ठट्ठा करते हैं, उन्हीं को 'खेलों में वाणी-विलास' के रूप में यहाँ विवेचित करना उचित है।

(क) कबड्डी : -कबड्डी खेलते समय बच्चे उत्साहवर्द्धन के लिए गीत गाया करता है। इस खेल समय गाये जाने वाले गीत का एक उदाहरण निम्नांकित है :-

'आगुरगुर, मागुरजालि
घोरार नाकत दिलों जरी,
घोरा गेल उतारे,
शाल माछे गुजारे,
शालर गुजेगुजानि
मदारर ढो
चुतीया शालिखा लंका लौ।'

(ख) अलौगुटि : इस खेल को खेलने के लिए दो बच्चे एक दूसरे के सम्मुख बैठते है। एक के हाथ में एक छोटी सी गोली होती है। वह गोली एक हाथ में लेकर पीछे ले जाता है और मुट्ठी बाँधकर सामने पेश करता है । तब दूसरा बच्चा यह गीत गाकर गोली खोजता है :-

'अलौगुटि भाइ टलौगुटि भाइ
एहखन हातर मुटिटो, एइखन हाते पाय।
अलौगुटि, टलौगुटि, कचुगुटि भाइ
एहखन हातर गुटिटो, एइखन हाते पाय।'

(ग) बाँस पेड़ : इस खेल में बच्चे बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। खेल के लिए, पाँच-इस लड़के घुटने टेककर बैठते है और एक ही मुट्ठीभर दूसरा अपनी मुट्ठी जोड़ता जाता है।

(घ) विविध खेल गीत : इस जनपद के बच्चों में अनेक प्रकार के मनोरंजक खेल प्रचलित है और तदसंबंधों गीत भी उपलब्ध है। यथा-धूप की चाह, वर्षा की चाह, लोमड़ी-ब्याह की कल्पना, छेड़न गीत।

7. फुटकल – असमिया लोक-साहित्य के अन्तर्गत आर्शीवंचासि तथा गाली अभिशापय आदि पर भी किंचित विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा।

(क) आर्शीवाद : हर समाज में आर्शीवाद देने की विभिन्न प्रथाएँ होती है। असम के लोक-जीवन में भी विभिन्न प्रकार से आर्शीवाद देने की प्रथाएँ है।

(ख) गाली व अभिशाप : गाली तथा अभिशाप देने के लिए विभिन्न मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। असमिया मंत्र-साहित्य में भी विभिन्न प्रकार के अभिशाप आदि का उल्लेख मिलता है। जादू-टोने के क्षेत्र में प्रायः इसका व्यवहार होता है।

इसी प्रकार असमिया प्रकीर्ण साहित्य में प्राप्त होने वाले आर्शीवाद, गाली-अभिशाप आदि से लोक-समाज की मानसिकता का आभास मिलता है । जीवन के सुख-दुख, हर्ष-विषाद के क्षणों कामधुरतम प्रकाश के अतिरिक्त क्रोध आदि के समय का हृदयोदगार भी लोक-साहित्य की अमूल्य-निधि है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सत्येन्द्र नाथ शर्मा, लोक साहित्य विज्ञान।
2. डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, लोक-साहित्य की भूमिका।
3. अतुलचन्द्र बरूवा, मनसा काव्य आरु ओजापालि।
4. डॉ. हरिचन्द्र भट्टाचार्य, असमिया नाट्य साहित्यर जिलिड.नि।
5. द्धिजेनाथ, गोपालपीरया लोक-साहित्यत दृष्टिपात।
6. इंटरनेट, वेबसाईड, पत्रिकाएं आदि।

****

उपेन्द्रनाथ अश्क के नाट्य-साहित्य में चित्रित मध्यवर्गीय समाज का आर्थिक पक्ष

डॉ. तरूणा यादव *

शोध सारांश – सामाजिक और राजनीतिक जीवन की आधारशिला वहाँ की आर्थिक व्यवस्था होती है। जिसके अभाव में समाज का सुगठन और नवनिर्माण असम्भव होता है। युग का राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम तात्कालिक आर्थिक प्रतिक्रिया से प्रभावित रहता है। उपेन्द्रनाथ अश्क का रचनाकाल एक व्यापक फलक को समेटे हुए है। यह स्वाधीनता पूर्व से स्वाधीनता पश्चात् तक ठहरता है। इन्हीं परिस्थितियों का चित्रण यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत है।

प्रस्तावना – स्वाधीनता पूर्व अंग्रेजी शोषण के कारण भारत की आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न हो गई थी। औद्योगिक विकास के कारण पूँजीपतियों की पकड़ निर्धन समाज पर और भी निर्मम होती गयी। महँगाई, नौकरी और बेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली गयी। मध्यवर्ग पर इस समस्या का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। भारत में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पूँजीपतियों की निरंकुशता द्वारा निरीह जनता का शोषण किया गया।

'आर्थिक वैषम्य की स्थिति का चित्रण साहित्य में खुलकर हुआ है, कविता, कहानी, उपन्यास, निबन्ध सभी विधाओं में इस असमानता का विशदता से वर्णन किया गया है।'[1]

अर्थ ही जीवन का नियामक है। आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य अर्थार्जन है। फिर मध्यवर्ग तो अनेकानेक विरोधों का पुंज है। आधुनिक युग में अर्थ सभी नैतिक-सामाजिक मूल्यों को ध्वस्त कर सर्वप्रमुख मूल्य बन बैठा है।सन्तान का माता-पिता से केवल अर्थ का ही रिश्ता रह गया है। 'छठा बेटा' नाटक में डॉ. हंसराज को जब पता चलता है कि उसके पिता शराब के नशे में लॉटरी के रूपये दूसरों को दे रहे है तो वह सभी भरसक प्रयास उनको घर लाने के लिए करते है। जिस पिता को पिता बुलाते हुए उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी आज वही डॉ. हंसराज अपनी पत्नी कमला से प्रतित्तुर में कहता है- 'दूसरों के मैं अपने पिता की बात कर रहा हूँ। उनके धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। उनके सुख-दु:ख में क्या हमारा कोई भाग नहीं? और फिर मैं कहता हूँ कि अपने हक और हिस्से की बात छोड़ो, मैं तो उनके लाभ की सोच रहा हूँ।'[2] निम्न और उच्च वर्ग के बीच कड़ी समझा जाने वाला यह वर्ग आर्थिक विषमता से भी पीड़ित होने के कारण लोभी बन गया है।

मध्यवर्ग की आर्थिक महत्वाकांक्षाएँ असीमित हैं। 'मध्यवर्ग पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच इतना पिस गया है कि दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसे अपने समस्त मान-सम्मान और मूल्यों को ताक पर ही रख देना पड़ा।'[3] 'छठा बेटा' नाटक में पं. बसन्तलाल अर्थप्रधान युग की विशेषताओं के बारे में कहते हैं- 'आज पैसे के बल पर मैं सारी दुनिया और उसकी सभ्यता को खरीद सकता हूँ.... आज जिस पागल को कोई पूछता नहीं, जिसके मस्तिष्क में भूसा भरा हुआ है.... यदि आज ही उसके पास कहीं से धन आ जाये तो कल उसे बड़े से बड़ा आदमी उसे अपना दामाद बना सकता है।'[4] समाज में धन का महत्तव देखकर प्रत्येक मध्यवर्गीय व्यक्ति की सोच ने उसे नैतिकता के स्तर से गिरा दिया है। सच तो यह है कि आज मध्यवर्ग पर आर्थिक दबाव बहुत है। इन आर्थिक दबावों से व्यक्ति स्वकेन्द्रित हो गया है, परिणामत: प्रेम, करुणा, दया जैसे सहज भावों में भी दिखावा एवं बनावटीपन आ गया है।

अश्क ने मध्यवर्ग के आर्थिक संघर्ष का यथार्थ विवेचन किया है। 'स्वर्ग की झलक' नाटक में आर्थिक स्थिति के कारण गिरधारी और रघु की भेंट रविवार को ही हो पाती है। जीवन संघर्ष इतना तीव्र है कि रघु को रात में रहने की सुविधा नहीं और गिरधारी को दिन में दुकान छोड़ने की स्वतन्त्रता नहीं। भाई साहब कहते हैं- 'मैं कहता हूँ, मैं दुकान पर रहता हूँ, तो तुम घर होते हो और मैं घर आता हूँ तो तुम दफ्तर चले जाते हो और सुबह-सुबह तुम्हे जगाया नहीं जा सकता।'[5] अश्क ने मध्यवर्ग के पत्रकार, संपादकों, नौकरीपेशा और कलर्कों के आर्थिक संघर्ष को अपने नाट्य-साहित्य में स्थान दिया है। 'अधिकार के रक्षक' एकांकी में संपादक का स्वास्थ्य उसे काम करने की इजाजत नहीं देता, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 'मेरा स्वास्थ्य आज्ञा नहीं देता है। आखिर आँखें कब तक बारह-बारह व तेरह-तेरह घण्टे काम कर सकती है।'[6] आर्थिक सुरक्षा के लिए मध्यवर्गीय नारी को प्रयत्नशील रहना पड़ता है अपने पति की मृत्यु के बाद प्रात: से सांय तक कम में इसी उद्देश्य से जुटी रहती है कि किसी तरह इतना अर्थ अर्जित कर ले जिससे सामान्य जीवन जी सके।

निम्न मध्यवर्ग की मूलभूत समस्या भोजन, वस्त्र और घर से संबंधित है परन्तु विडम्बना यह है कि वह आर्थिक विषमता के कारण अभावों में ही जीवन व्यतीत करता है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार का निर्वाह और बच्चों की शिक्षा आदि में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मध्यवर्गीय व्यक्ति आर्थिक अभावों के कारण किस प्रकार जीवन बिताता है। इसे 'अंधी गली' एकांकी में कौल के जीवन से जाना जा सकता है। वह अपने बच्चों के जूते फट जाने पर पर भी उन्हें नये जूते न दिलवाकर फटे जूतों की ही मरम्मत करने को कहता है। पूँजीवादी अर्थनीति के कारण ही शिक्षा इतनी मँहगी हो गई कि जनसाधारण परिवार अपने बच्चों को पुस्तकें और अच्छी शिक्षा दिलवाने से भी कतराता है। 'अंधी गली' एकांकी में पुष्पा अपने पिताजी

* पूर्व विद्यार्थी (हिंदी विभाग) वनस्थली विद्यापीठविश्वविद्यालय, वनस्थली (राज.) भारत

से पुस्तक खरीदने के लिए पैसे माँगती है, तब उसके पिता अपनी कमजोरी छिपाने के लिए शिक्षा नीति पर ही कटाक्ष करने लगते है।

आर्थिक संकट निम्न मध्यवर्गीय जीवन में निराशा और खिन्न्ता का संचार कर रहा है। मध्यवर्गीय परिवार अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण परिवार पर स्वास्थ्य संबंधी अचानक आई कोई भी विपत्ति आ जाने विवशता से सिर्फ हाथ ही मलता है। 'अश्क' ने 'लक्ष्मी का स्वागत' और 'चिलमन' एकांकी में चिकित्सा सुविधा के अभाव से पीड़ित पत्नी और बच्चे का बखूबी वर्णन किया है। दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण रौशन अपने बच्चे को शहर में डॉ. के पास नहीं ले जा सकता। उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उसके पुत्र को 'डिप्थीरिया' रोग हो गया है। वह अपनी माँ से कहता है – 'यह भयंकर बीमारी है माँ जी! अच्छा–भला आदमी घण्टों में अन्दर खत्म हो जाता है।'[7]

अर्थ पर ही जन–सामान्य व्यक्ति के जीवन की धुरी घूमती है और जब आधार ही कमजोर होगा तब संतुलन की आशा नहीं की जा सकती इसी असंतुलन के कारण ही संबंधों में विद्रोह और क्रान्ति की भावना पैदा हो जाती है। 'आपस का समझौता' एकांकी में डॉ. वर्मा और उनकी पत्नी के सम्बन्धों में भी तनाव अर्थ में कारण होता है। डॉ. वर्मा अपनी पत्नी से कहते हैं– 'मेरा रास्ता देखते–देखते आँखे पक गयी। मुझसे गरीब तो वह क्लर्क भी नहीं, जिसकी पत्नी कम से कम वेतन पाने के दिन तो उसकी प्रतीक्षा करती है।'[8] अर्थ के कारण ही पिता और पुत्र के संबंध भी इतने विषाक्त हो गये हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम होने पर भी, 'छठा बेटा' नाटक में पं. बसन्तलाल को उसके बेटे साथ रखने से मना कर देते है।

'अश्क' ने अपने नाट्य–साहित्य में उन सभी समस्याओं को प्रस्तुत किया है। जिसके कारण निम्न मध्यवर्ग की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। ज्यादातर पात्र, बेरोजगारी, अपर्याप्त वेतन, महँगाई आदि के कारण त्रस्त हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक सुविधाएँ इतनी नहीं मिलती कि उनके सपने साकार हो जाए। मध्यवर्गीय लोगों में घुटन, संत्रास, मानसिक विकृतियों का बोलबाला अधिक होता है। आर्थिक तंगी के कारण निम्न मध्यवर्ग को प्राय: अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बेरोजगारी निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के सामने हर समय मुँह–बाँए करके खड़ी रहती है। जिस कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है। प्रदर्शन की प्रवृत्ति और समाज में अपना ऊँचा दर्जा दिखाने की ललक में निम्न मध्यवर्ग बेरोजगार रहना पसन्द करते है। बजाय कोई छोटी मोटी नौकरी करने के। इस वर्ग की यहीं सोच उसकी आर्थिक स्थिति को और नीचे गिरा देती है। 'बेकारी या अर्द्ध–बेकारी निम्न मध्यवर्गीय समाज को लंगड़ा बना रही है।'[9] 'देवताओं की छाया' एकांकी में भूरी की माँ रज्जी अपने दामाद की बेरोजगारी से बहुत परेशान रहती है। इसी कारण वह भूरी के साथ मार–पिटाई करता है इसके साथ–साथ मजदूरी करने में वो बेइज्जती महसूस करता है। आर्थिक दृष्टि से बेकारी की समस्या ने निम्न वर्ग और मध्यवर्ग के लोगों को हैरान कर दिया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि अर्थाभाव के कारण निम्न मध्यवर्ग को अनेक कष्ट सहने पड़ते है। यह वर्ग प्राय: खड़ा होकर उच्च वर्ग की दौड़ में शामिल होने की होड़ में लगा रहता है।

समाज को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में इस वर्ग ने अहम् भूमिका निभाई है, परन्तु आधुनिक युग में यह वर्ग सर्वाधिक चिंतित और ग्रसित है जिसका मुख्य कारण इस वर्ग की आर्थिक समस्याएँ है। आर्थिक अभावों में जीने वाला यह वर्ग निरन्तर संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थार्जन की चिन्ता में लीन यह वर्ग नैतिकता के स्तर से भी नीचे गिर जाता है। अपने सामान्य जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, अभावपूर्ण आर्थिक स्थिति होने पर भी इस वर्ग में प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

यह कहना अधिक उचित होगा कि 'अश्क' ने अपने नाट्य–साहित्य में मध्यवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को गहरे और सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर चित्रित किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भूपसिंह भूपेन्द्र, मध्यवर्गीय चेतना और हिन्दी उपन्यास, पृ. 36
2. उपेन्द्रनाथ अश्क, छठा बेटा, (नाटक) पृ. सं. 60
3. डॉ. चन्द्रकांत बादिवडेकर, हिन्दी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, पृ. सं. 259
4. उपेन्द्रनाथ अश्क, छठा बेटा, (नाटक) पृ. सं. 80–81
5. उपेन्द्रनाथ अश्क, स्वर्ग की झलक, (नाटक) पृ. सं. 64
6. उपेन्द्रनाथ अश्क, देवताओं की छाया में एकांकी संग्रह (अधिकार का रक्षक), पृ. सं. 22
7. उपेन्द्रनाथ अश्क, देवताओं की छाया में एकांकी संग्रह (लक्ष्मी का स्वागत), पृ. सं. 46
8. उपेन्द्रनाथ अश्क, देवताओं की छाया में एकांकी संग्रह (आपस का समझौता), पृ. सं. 104
9. डॉ. हेमराज निर्मम, हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग, पृ. सं. 176

****

कोरोना - वर्तमान अर्थव्यवस्था की मंदी का कारण

डॉ. तबस्सुम पटेल* आकाश जोशी **

शोध सारांश – कोरोना एक वायरस है जो आज एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। पूरे विश्व में इसकी रोकथाम के प्रयास जारी है परंतु कोई भी सटीक उपचार ना हो पाने के कारण पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, और इसी के परिणामस्वरूप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही दुखद है। प्रस्तुत शोधपत्र में कोरोना से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं।

कोरोना क्या है? – कोरोनावायरस (Coronavirus) कई प्रकार के विषाणुओं (वायरस) का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की (जैसे सर्दी–जुकाम) से लेकर अति गम्भीर (जैसे, मृत्यु) तक हो सकती है। गाय और सूअर में इनके कारण अतिसार हो सकता है, जबकि इनके कारण मुर्गियों के ऊपरी श्वास तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका (वैक्सीन) या विषाणुरोधी (antiviral) अभी उपलब्ध नहीं है और उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। अभी तक रोगलक्षणों (जैसे कि निर्जलीकरण या डीहाइड्रेशन, ज्वर, आदि) का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। कोरोना SARS&COV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Virus-2) का सदस्य है। वैज्ञानिको द्वारा इसका नाम COVID-19 भी रखा गया है, क्योकि यह चीन में 2019 में फैलना शुरू हुआ और आज महामारी का रूप ले चूका है। World Health organisation (WHO) द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है जो विश्व स्तर पर निरंतर फैलती जा रही है।

कोरोना विश्व में कहाँ से उत्पन्न हुआ? – COVID-19 वायरस का प्रथम केस हुबई प्रांत के वूहान शहर में आया। अभी तक यह अनुमान लागाया जा रहा है कि वूहान के मांस के बाजार जहाँ जीवित एवं मृत सभी जीव जंतुओं का विक्रय जाता हैं, एवं शायद वहीँ से जानवरो का सेवन करने से यह वायरस मनुष्यो तक आया है, परन्तु इस सम्बन्ध में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तर्क है, कई लोग इसे मानव वायरस भी बोल रहे है पर इस पर अभी तक शोध चल रहा है। अभी तक सिर्फ अनुमान ही लगाए गए है। कोई सटीक अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। यह भी कयास लगाये जा रहे है कि शायद यह वायरस चमगादड़ के सेवन से मनुष्य में आया है, जो की केवल एक अनुमान मात्र ही है, परन्तु अभी भी इस पर शोध होना शेष है। इसका प्रथम रोगी भारत में 30 जनवरी 2020 को पाया गया था, जो भारत केरल राज्य के त्रिशूर गाँव में पाया गया, यह व्यक्ति चीन से भारत आया था ।

कोरोना कैसे फेल रहा है? – World Health organisation (WHO) एवं चीन द्वारा पहले इसे सामान्य वायरस बताया गया एवं यह भी कहा गया कि यह मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता जो पूर्ण रूप से गलत सिद्ध हुआ। बाद में World Health organisation (WHO) एवं चीन द्वारा पूर्ण रूप से यह माना गया कि संक्रमण मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है, जिस पर इन दोनों की बहुत निंदा की गयी क्योकि तब तक यह वायरस विश्व के 100 से अधिक देशों में फैल चूका था।

World Health organisation (WHO) द्वारा उठाये गए कदम – World Health organisation (WHO) एवं चीन द्वारा पूर्ण रूप से सही जानकारी बाकी सभी देशो में नहीं पहुचायी गयी जो बाद में विकट रूप लेकर एक महामारी के रूप में सम्पूर्ण विश्व पर भारी पड़ी। सभी देशों को इस त्रुटि का मूल्य चुकाना पड़ रहा हैं। यदि सही समय पर पूर्ण जानकारी मिल जाती तो शायद हम इसे किसी हद तक काबू कर पाते या इससे सतर्क रहते, और शायद हमारे विश्व की जनसंख्या नुकसान एवं अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित किया जा सकता था, एवं वर्तमान की तुलना में 5% ही नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकी यह चीन में नवम्बर– दिसंबर में ही फैल चूका था एवं दिसंबर से जनवरी तक लगभग 50 लाख से अधिक व्यक्तियो ने चीन से अन्य देशो में आवागमन किया था। यदि समय रहते सही जानकारी प्राप्त होती तो शायद यह महामारी विकट रूप नहीं लेती एवं सभी देशो को इतना नुकसान नहीं होता।

भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव – भारत में आज दिनांक तक 5274 पॉजिटिव केस सामने आये है एवं 149 मरीजो की जान जा चुकी है। भारत में इसका पहला केस 30 जनवरी को मिला एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने 22 मार्च को पुरे भारत में लोकडाउन घोषित कर दिया गया जिससे सभी कार्य रुक गए और इसका प्रभाव समस्त अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत देखने मिल रहा है।

भारत ज्यादातर वस्तुएँ बाहरी देशो से आयात करता है जिसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक आयात का 45% चीन पर निर्भर है वही लगभग 1/3 मशीनरी व 2/5 कार्बनिक रसायन के लिए भी वह अन्य देशो पर निर्भर है। मोटर वाहन पुर्जे एवं उर्वरको के लिए भारत के आयत में चीन की हिस्सेदारी में 25% से अधिक है, लगभग 65–70% सक्रीय फार्मासूटिकल सामग्री और 90% मोबाइल फोन चीन से भारत आते है।

हमारी अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा, क्योकि

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, रानापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) भारत
** एम.फिल. शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डॉ. सी. वी. रामन्स्वशासी स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, रतलाम (म.प्र.) भारत

चीन में भी लोकडाउन है एवं भारत की लगभग 72% कम्पनियां शंघाई, बीजिंग, ग्वांगढोष, जियांग्सू और शांहोंग जैसे प्रांतो में स्थित है। विभिन्न क्षेत्रो में ये कम्पनियां निर्माण, विनिर्माण सेवाओं, आई टी, बी पी ओ, एयरलाइन्स और पर्यटन सम्बन्धी कार्य करती है। लोकडाउन होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। चीन में उत्पादन में आयी कमी का असर भारत के व्यापार पर भी पड़ रहा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 34.8 करोड़ डॉलर का नुक्सान उठाना पड़ सकता है।

यूरोप के आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन अर्थात आई सी डी ने भी 2020 –21 की अर्थव्यवस्था के लिए विकास की गति का पूर्वानुमान 1.1% से घटा दिया है। आई सी डी ने पहले अनुमान लगाया था कि विकास दर 6.2 % रहेगी लेकिन अब उसने इसे कम करके 5.1% कर दिया है।

भारत सरकार देश की जनता को यह विश्वास दिला रही है कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सही है क्योकि भारत ने समय रहते COVID-19 पर सख्त कदम उठाये हैं, जिसका लाभ भारत को हुआ है।

30 जनवरी से 5 अप्रेल तक भारत की विश्व से तुलना

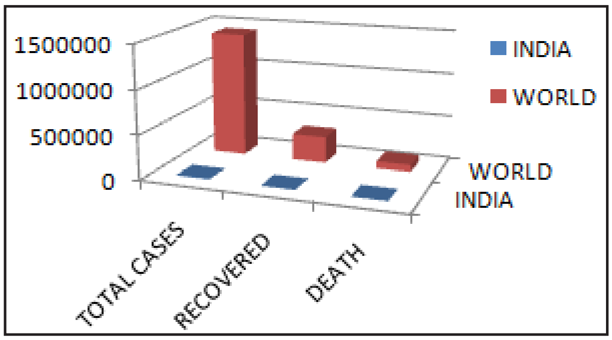

हम विश्व की तुलना भारत से इसलिए कर रहे है, क्योकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत में है और विश्व जनसँख्या में 17.5% भारत की आबादी है। अगर सरकार सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाती तो भारत पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता और इसी पर सभी देशों ने चिंता भी जताई थी।

कोरोना का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव – कोरोना का संक्रमण विश्व की आर्थिक सेहत पर भी भारी पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, वही शेयर बाजारों पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये समझना आवश्यक है कि कैसे कोरोना आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, और कैसे पहले से ही सुस्त अर्थव्यवस्था पर इसका दोगुना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ?

फरवरी के अंतिम सप्ताह से विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों का प्रदर्शन अत्यंत ही निराशाजनक रहा है। यह 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बुरा है।

अवरुद्ध हो सकता है विकास

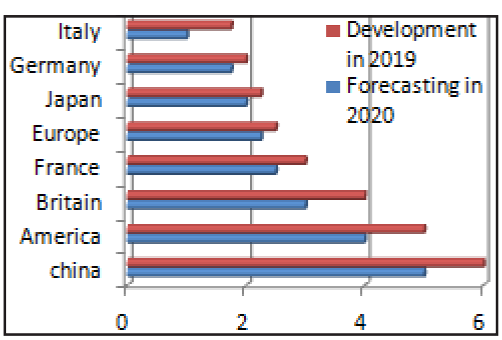

आई सी डी के अनुसार कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था 2009 के बाद सबसे धीमी गति से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2020 में 2.4 फीसदी की विकास दर का अनुमान जताया गया है, जबकि नवंबर में यह 2.9 फीसदी था। अगर कोरोना वायरस इसी प्रकार जारी रहा तो ग्लोबल इनकम में वर्ष 2020 में 2 लाख करोड़ डॉलर की कमी आ सकती है। शुरुआती झटके में केवल पर्यटन क्षेत्र में ही 5 करोड़ नौकरियां जा सकती है। यह महामारी दुनिया को वैश्विक महामंदी की ओर ले जा रही है, क्योंकि चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन, ईरान, फ्रांस, सऊदी अरब और भारत सहित विश्व के 159 देश इसकी चपेट में है।

Total Cases Linear Scale

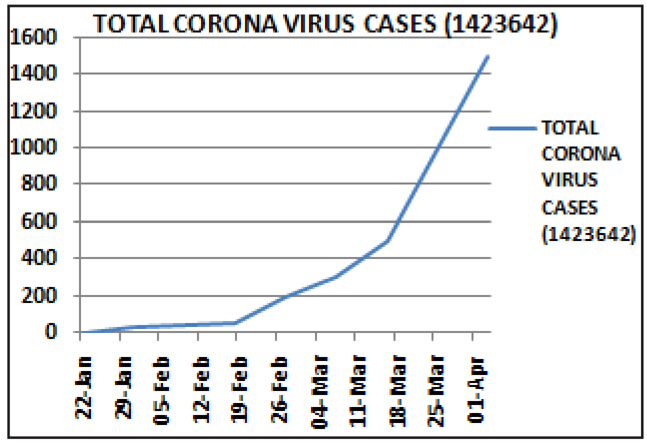

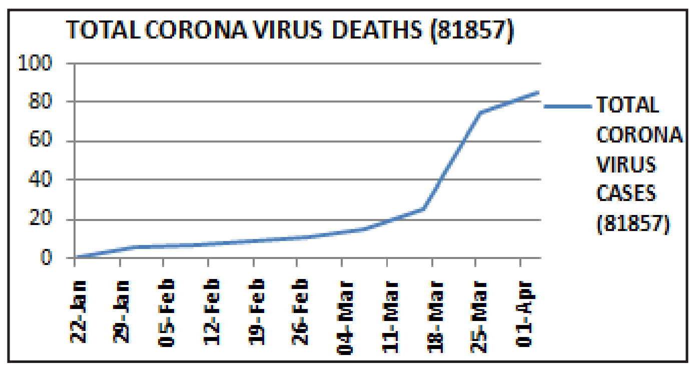

तुलनात्मक प्रभाव (भारत एवं विश्व की तुलना) – जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसँख्या का 17.5% है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सातवें नंबर पर आती है जो कि 2.7 ट्रिलियन डॉलर है।

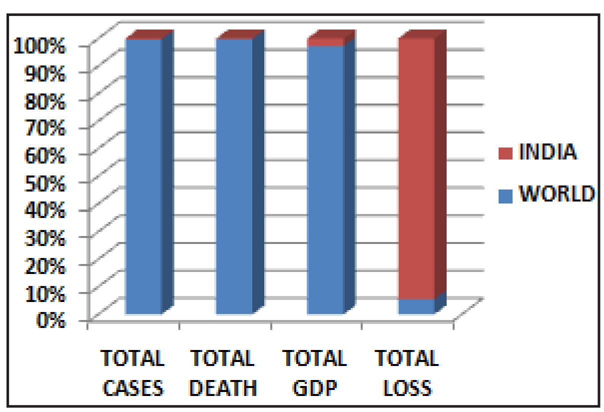

अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान जारी करने वाले ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स ने कहा है कि एशिया से बाहर कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने से विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 1.3 फीसदी कमी आएगी और इससे दो लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है।

अध्ययन की सीमाएं – यह अध्ययन द्वितीयक समंकों के आधार पर किया गया है, अत: इसके शत–प्रतिशत पूर्ण एवं सही होने के कोई प्रमाण नहीं है। यह समंक पूर्णतया ऑनलाइन तथा विभिन्न स्त्रोतों द्वारा प्रकाशित किये गए तथ्यों पर आधारित है। वास्तविक तौर पर कोई भी जानकारी शत प्रतिशत सही प्राप्त नहीं हो पाई हैं।

निष्कर्ष – कोरोना एक वायरस है, जो आज एक महामारी के रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो चुका है। पूरे विश्व में इसकी रोकथाम के प्रयास जारी है, परंतु कोई भी सटीक इलाज ना हो पाने के कारण पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, और इसी के परिणामस्वरूप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही दुखद है। इस संकट की घड़ी से गुजरने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कितने समय में खुद को सही जगह पर स्थिर कर पाएगी यह कह पाना अभी मुश्किल है। चीन से फैले कोरोना की चपेट में दुनियाभर के कई देशों के आने से वैश्विक कारोबार में गिरावट आई है। कोरोना की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के कारोबार में सुस्ती के आसार हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। भारत की अर्थव्यवस्था का भी कोरोना से प्रभावित होना निश्चित है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और चीन के साथ 150 अरब डॉलर (करीब 10 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का कारोबार करने वाला भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। रिसर्च एवं रेटिंग एजेंसी मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर में कोरोना की वजह से इस साल 0.4% की गिरावट हो सकती है। पूर्व में वर्ष 2020 के लिए वैश्विक विकास दर में 2.8 फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था जिसे घटाकर अब 2.4 फीसद कर दिया गया है।

अर्थशास्त्री गोविंद राव कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होगा। सप्लाई चेन प्रभावित होने से कई चीजों के लिए कच्चे माल की कमी हो सकती है तो कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) के सीईओ एवं डीजी अजय सहाय कहते हैं, कच्चे माल की कमी और उत्पादन लागत बढ़ने की दशा में आयात बिल भी बढ़ सकता है। विश्व बैंक भी कोरोना की वजह से वैश्विक विकास दर में 1% तक की गिरावट की आशंका देख रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. www.BBC.Com
2. www.Jagran.Com
3. www.Jagranjosh.Com
4. www.amarujala.com
5. www.livehindustaan.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Artificial aromas in Indian Food : A Report

Karan J. Yagnik*

Abstract - Eating out is modern days fashion in India. Aroma of food becomes important in selecting food outlet. Finally this results in commercial interest leads to use of artificial aroma. Most of flavours and fragrances in food industries are made by chemical processes which may or may not be identical to natural flavours. Globalization and communication technology have caused change in the eating habits of the word population.

This review provides a wide idea of chemical and its side effect Suggestions and recommendations are communicated. This paper also reviews the advantages and disadvantages of artificial aromas of food.
Keywords - Flavours and Fragrances, aroma of food globalization Word population.

Introduction - Flavours and Fragrance are associated with our moods and emotions. Natural Flavour and fragrance ingredients are derived from spices, herbs or other naturally available crops through process of extraction. India ranks among top 3 producers in the world.

Synthetic base ingredient typically starts from petrochemical (48%) derivative or derivative of other row material (52%) since 80% of the taste is influenced by smell. Artificial Fragrances are added to our real food.An Indian ready to eat market is projected to grow at 16% annually. Effect of this market on public health is also growing.

Public awareness about artificial aromas and its adverse effect on health is exiguous. That may extended to vender and a manufacturer.

However, consumers also prefer foodstuff with labelled “natural”. On other hand “naturas” aroma of food increases.

Artificial aromas can give sharp uniform smell and easily available. More than 2000 chemicals and their combinations are used to create specific flavours.

Fruit flavours, savoury flavours, diary product and deserts product are core category of these aromas as per their applications.

It is very sensitive to the processing and storage conditions. Removal at undesired odours is also important. Packaging interaction is also important.

Rudyard Kipling remarks “Scent surer than sounds or sights to make your heart strings crack. Our Indian food especially, full of fragrance with faram Masala, different types at cooking oil and cooking method.

Table 1 (see in next page)

Discussion - According to The user 43% of consumer of organic food give “better test” as a main reason for purchasing organic fruit and vegetables. It do mean “better test” is important than aroma of food. On other hand as much as 80% of what we perceive as taste actually comes from smell and its look too.

Because of such attractive flavour many of small restaurants put their oven of Tava (Fraying pan) near or outside of the door in India. In India, food is in/for specific to season but in modern days, this is not the case. Regional health food have evolved according to climate and cropping practice of a particular region.

In India, all food including pasta, Pizza, nachos, etc. With local masala flavour varies state to state these food needs lots of artificial aroma since it is hybrid preparation.

In most of the cases, artificial aromas are mixture of chemical having different properties. In some cases these are secret mixtures.

In some cases artificial aromas chemical causes, hyperactivity in children. On other hand children love to eat such food because of its attractive aromas.

Recommedations:

1. There should be more than one agency for complain and recommendation from various fields like pathology, medicine pathology medicine. Pharmacology, toxicology etc.
2. Approximately 400 material not identified in natural food. These are use for artificial aromas, daily intake must be labelled.
3. All artificial aromas chemical producers have to be connect to each other to share information about adverse effect.
4. Recent market surveys have analysed that consumers want food stuff have labelled “natural” so Government can promote such product by reducing taxies.
5. The flavourings of commercially produce food are created by favourites’. Those professional must have sufficient knowledge about materials that they have used.
6. Indians are of different religion and culture Jains, Hindus, Shikhs and Muslims adhere to religious dietary laws. It should be labelled.
7. In the era of globalization and international food trading aroma of food becomes its identity. Traditional “Satvika” food includes cooked vegetable. Milk, fresh fruit and honey are free from added aroma.
8. T.V. advertise which encourages children to eat

*Government Medical College, Surat (Gujarat) INDIA

unhealthy fast food and junkfood having specific aroma must be banded.

9. State education authority should include in their education curricula – Good nutrition food has nothing to do with food aromas for both mental health and physical health.

Suggestions:

1. All flavouring agents are chemical compounds. Whether its natural or artificial. This should be labled.
2. During the cooking process these chemical interact with each other and/or changes of its own structure all analysis must be on prepared food.
3. The added flavour must be the least quantity to achieve efficacy.
4. Natural masala powder should have characteristic flavour and must be free from artificial flavour.
5. Those who have allergies to food aromas are advised to avoid without failure.

Disclaimer - This article is for general purpose. It may vary from vender to vender, manufacturer to manufacturer. It is advisable to get exact information about particular food product.

References :-

1. TECH SCI Research Report March 2019
2. What is Flavour? Report Kerry Health and Nutrition Institute.
3. Handbook of fruit and vegetable Flavours. Edited by Y.H.Hui Science Technology System.
4. Organic food and impact on human health : Assessing the statuquo and prospects of research M. Huber and etal. N'JAS- Wageningen Journal of life science Dec. 2011.
5. L. Forti and et al Molcules 20 10377 (2015)
6. U. Krings and R.G. Berger Appl. Micro bio Bio techno 49.1 (1998)
7. Flavour Facts. Flavour Extract Manug acturing Association (FEMA) website.
8. Kerry Health and nutrition institute Website.
9. Traditional and ayurvedic foods of Indian origin preetam sarkar and et al. Journal of Ethitic food Sept. 2015.
10. Leading the consumer by the nose on the commercialization of all factory design for food and beverage sector Charles Spence. BMC Research Note: Nov. 4 2015.
11. Effects of food and Preservative on Man. A R eview – J.E. Inetionbor and et al Reserch Gate Feb. 2015.
12. Surprising Truth about Chemicals are in Everything we eat Dina Spector Business Insider 3 Feb 2014.

Table 1

Flavour	**Chemical name**	**Derive from**	**Adverse effect**
Banana OR Cinnamon	Isoamyl acetate (Colourless liquid) Cinnam aldehyde (Yellow oily liguwid with sweet test)	It is also present in banana plant OR it is also produced synthetically It is also present in cinnamon tress.	Uline, Banana flavour ice cream, milk shake, cake(High concentration can cause headache, drowsiness, dizziness future) (Toxic in large doses) (Skin irritant) No long term health hazard
Kiwis + Strawberries)	Fruity (Sweet) Ethyl Propionate	Kiwis apple and strawberries contain Esterfication of ethyl Alcohol with propionic acid	High concentration have an narcotic effect Direct exposure can cause irritation of eyes, noses and throat Eu permitted.
Pineapple	Allyl h exanate (clear colorless Liquid) (Water treatment product + personal care product)	No natural form esterification of ally alcohol with heptanoic acid	Apporved by who toxic in contant with skin. Appl : body lotion shampoo, soca, detergent powder cleaner APC liquid.
Inter green	Methyl Salicylate	It is colorless viscour liquid sweet fruity	Over-applicationo Methyl Salicylate is dangerous, especially to childere.
Pear	Ethly – (E,Z) – Z, 4 decadienoate (Color -less liquid) Use in pear brandy	Organic chemical compound from ethyl propionate	Generally recognized as a safe but overdose creates allergy
ICE CREAME AND COLD DRINGKS:			
Pineapples	It is clear colourless liquid Insoluble is water	Naturally occurs apple banana barriers pear plum and strawberry it is marine pollutant	It is mildly irritates the eyes and skin.
Strawberries	It is white crystalline compound soluble in water	Occurs in number of plants synthe -sized by the base catalysed condensation of acetyl chloride and banzaldehyde followed by hydrolysis.	Low toxicity but allergetic
Orange	Octyl acetate	Found in oranges, grapes and citrus product.	It is not use for food product banded now. It is use for external use only

साहित्य में कहानी का समाजशास्त्र

डॉ. नेहा कल्याणी*

शोध सारांश – साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। जीवन विविध विचारों और भावों से संकुल होता है; विचारों का सम्बन्ध मस्तिष्क से और भावों का हृदय से होता है। दोनों के सन्तुलित समन्वय से ही जीवन का सुचारू रूप से परिचालन होता है। मस्तिष्क विचार एवं चिन्तन-मनन के द्वारा जीवन की ऐहिक तथा पारलौकिक समस्याओं को सुलझाता हैं तथा भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा जीवन की ऐहिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा जीवन को सुख समृद्धि से पूर्ण करके सुगम बनाने का प्रयत्न करता है।

कहानी के समाजशास्त्रीय आधारों का निरूपण करते हुए डॉ. सुशील कुमार फुल्ल ने ठीक ही लिखा है कि 'कहानी का मूलाधार पात्र होते है। किसी भी कहानी में आप क्षणभर के लिए पात्रों को निष्कासित कर दें, सारी कहानी भरभराकर ढह जायेगी।'

कहानीकार समाज में अपेक्षाकृत अधिक गहराई से जुडा होता है। उसकी संवेदना, परिस्थितियों की पकड तथा लेखनीय दृष्टि में यदि संतुलित तालमेल हो जाता है तो रचना सफल हो जाती है। यह हरगिज आवश्यक नहीं कि वह कहानी में समाज का पथ-प्रदर्शन करे। कहानी का स्वर तेजहीन हो गया। इससे उबताये लेखकों के लिए 1976 में पालमपुर से सहज कहानी का उद्घोष हुआ। इसके माध्यम से पाठकों एवं समीक्षकों का ध्यान पुन: कहानी की सहजात्मक कलात्मकता की ओर आकर्षित करना अभिप्रेत था। इसी क्रम में समकालीन कहानी एवं आंचलिक कहानी भी महत्वपूर्ण है।

कुंजी शब्द – साहित्य, कहानी, समाज, सार्थकता, समीक्षा आदि।

प्रस्तावना – कलात्मक सार्थक साहित्य सृजन दीपक के समान स्वत: आलोकित होता है। उसमें प्रभावोत्पादकता स्वत: अन्तर्निहित होती है। अत: किसी भी रचना को समीक्षा के बाह्य प्रकाश की विशेष आवश्यकता नहीं रहती तथापि समीक्षा का संस्पर्श सृजन की दीप्ति को उसी प्रकार सवंर्द्धित करता है, जिस प्रकार शीशे की चिमनी दीपक के प्रकाश को अधिक धवल और दीप्त बना देती है। समीक्षा का महत्व इस दृष्टि से भी है कि वह रचनाकार को उसके सृजन के गुण-दोषों का साक्षात्कार कराकर उसके सृजन की दिशा को और भी अधिक निर्दोष एवं उपादेय बनाने की सम्भावनाएँ प्रस्तुत करती है। शर्त यह है कि समीक्षा निष्पक्ष-निर्भान्त और तथ्यपरक हो। समीक्षा की शोधपरक दृष्टि असीमित और उपेक्षित सृजन को समाज और समीक्षकों के समक्ष उपस्थित करती है। साहित्य और समाज की परस्परावलम्बिता अनादिकाल से निरन्तर चली आ रही है। किसी भी रचना का पाठक से आत्मिक सम्बन्ध उस रचना का समाज के साथ सकारात्मक सम्बन्ध बनाकर उसे विश्वसनीयता और स्थायित्व प्रदान करता है। कोई भी रचना समाज और पाठक से जुडकर तत्कालीन समय का यथार्थ दस्तावेज बनकर लोक एवं काल के लिए अनुकरणीय व स्मरणीय बन जाती हैं।

काव्यशास्त्र के रचयिता आचार्य मम्मट ने लिखा है कि-

'काव्यं यशसेऽर्थकरे, व्यवहारविदे, शिवेतररक्षतये।
सद्य परनिर्वृतये कान्ता सम्मितयोपदेश युजे।'

अर्थात उपर्युक्त वर्णित छ: प्रयोजन यश, धन, व्यवहार कुशलता , अमंगल से रक्षा, आनन्द व कान्ता के समान मधुर उपदेश जीवन के सर्वमान्य उपयोगी व श्रेयस प्रयोजनों की सिद्धियों के लिए ही साहित्य है। विश्व की समस्त ज्ञात सभ्यताओ, संस्कृतियों का प्रधान उद्देश्य ही जीवन को श्रेष्ठ व उदात्त व आनन्दमय बनाना रहा है। मनुष्य भौतिक सुखों, मनन-चिन्तन सोच व साहचर्य के साथ ही सत्य, सौन्दर्य, शिव की आकांक्षा में निरन्तर कर्म सलंग्न है। साहित्य भौतिक सुखो, दार्शनिक चिन्तनों में सामजंस्य स्थापित करके उसे आनन्द की ओर अग्रगामी बनाता है। साहित्य जीवन के सत्य को आदर्श की चासनी में लपेटकर सह्रदय पाठक के समक्ष रखती है जिससे समाज का उन्नयन होता है।

साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। जीवन विविध विचारों और भावों से संकुल होता है। विचारों का सम्बन्ध मस्तिष्क से और भावों का हृदय से होता है। दोनों के सन्तुलित समन्वय से ही जीवन का सुचारू रूप से परिचालन होता है। मस्तिष्क विचार एवं चिन्तन-मनन के द्वारा जीवन की ऐहिक तथा पारलौकिक समस्याओं को सुलझाता हैं तथा भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा जीवन की ऐहिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा जीवन को सुख समृद्धि से पूर्ण करके सुगम बनाने का प्रयत्न करता है। हृदय भावना और अनुभूति के द्वारा मानव जीवन में रस उत्पन्न कर जीवन के प्रति आस्था जगाता है। इस प्रकार जीवन की पूर्णता को अभिव्यक्त करने वाला सम्पूर्ण कृतित्व साहित्य ही है। किन्तु हिन्दी में मस्तिष्क और हृदय की समग्र अभिव्यक्ति को वाड्.मय शब्द द्वारा अभिहित किया गया है तथा मस्तिष्क प्रसूत अभिव्यक्ति को विज्ञान और हृदय से प्रसूत अभिव्यक्ति को साहित्य की संज्ञा दी जाती है।

वर्तमान में साहित्य के अध्ययन और मूल्यांकन के क्षेत्र में समाजशास्त्र की भूमिका निरन्तर बढ रही है। साहित्य और समाज दोनों के मध्य गहरा सम्बन्ध है। साहित्य के बिना समाज अस्तित्वहीन तो समाज के बिना साहित्य आधारहीन हो जाता है।साहित्य में सामाजिक अभिव्यक्ति की खोज तथा दूसरे स्तर पी साहित्य समाज की प्रेरक शक्तियों को जागृत एवं उद्बुद्ध करता है। समाज के मूल्यों, मान्यताओं को शब्दबद्ध करके उसे चारूता देना, उसे समरसता प्रदान करना, लोकमंगल की भावनाओं से आपूरित कर देने का कार्य सर्जक की रचना -प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव हो जाता है।

*सहायक व्याख्याता, गो.से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर (महा.) भारत

प्रसाद कृत ग्राम, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था एवं सुखमय जीवन आदि प्रारम्भिक कहानियों में प्रेम, करूणा, विनोद, विस्मय व कल्पना का प्रयोग कर कहानीकारों ने व्यक्ति व समाज के सम्बन्धों को रेखांकित किया। आदर्श, उत्सर्ग व समर्पण की ये कहानियां सामाजिक सरोकारों व परिष्कृत चैतन्य की कहानियां है। कहानी में समसामयिक समाज उभरता है। उसका हर्ष-विषाद, आशा- आकांक्षा, स्थापित होती है।

स्वतन्त्रता के बाद समाज में आये ऐतिहासिक , राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व वैज्ञानिक बदलावों से कहानी अछूती नहीं थी। समाज को वाणी देने की छटपटाहट में साहित्यकारों ने पुराने प्रतिमानों को, मानदण्डों को अस्वीकार करने का प्रयास किया। प्रारम्भ में वह कुछ प्रगति व मनोविश्लेषण में स्वयं को सान्त्वना देने में लगा पर जल्दी ही वह नये प्रयोगों, नये कथ्यों, नये मुहावरों को गढने में सलंग्न हो गया।

कहानी नाटकीय शैली की लघु संरचना होती है। एक बिन्दू को केन्द्र में रखकर कथाकार उसे विस्तार देता है। एक सामान्य घटना, एक क्षण, एक संवेदना, एक अनुभव कहानी में विस्तार पाकर सार्वभौम बनता एक मनोभाव को उबार कर उसे सहज, संवेद्य व सम्प्रेषणीय बनाती है।

प्रारम्भिक चरण की कहानी में कल्पना, आदर्श, ऐतिहासिकता, सहजता के साथ-साथ समाज की सुधारवादी वृत्ति कहीं न कहीं जरूर उभरती रही है। तत्कालीन समाज, राजनीति से प्रेरणा ग्रहण कर प्रेमचन्द व अन्य कथाकारों नें आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियों की रचना की ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन दिखा। पुरानी मान्यतायें ध्वस्त हो रही थी। कहानियों में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति चेतना आदि मनोभावों से समाज का वीभत्स रूप उभरा। अब कहानी में जीवन्त मनुष्य की दैनिक जिन्दगी के सरोकारों की खोटी व निखलिस तस्वीर रचने का साहस किया गया। वे नयी जमीन , नयी ताजगी, नयी भाषा, नये तेवर, नये मुहावरों को लोकमानस में जोडकर रचने का उपक्रम कर रहे थे।

वर्तमान युग में जब वैश्वीकरण की आँधी बह रही है और पूरी दुनिया को एक रीति -नीति एवं संस्कृति के तहत पाश्चात्य संस्कृति हावी होने का प्रयास कर रही है, तो कहानी के समाजशास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता बढ जाती है। कहानी के सृजन में समाज की प्रेरक व प्रधान भूमिका होती है तो उसके मूल्यांकन एवं विश्लेषण में समाजशास्त्रीय प्रतिमानों की। यों भी साहित्य रचना की प्रक्रिया में समाज, लेखक और साहित्य परस्पर एक दूसरे इस तरह प्रभावित करते है कि इनमें प्रत्येक क्रमश: परिवर्तित व परिवर्धित होता रहता है- समाज से लेखक, लेखक से समाज और साहित्य से पुन: समाज। अत: कहानी के विश्लेषण में इस तथ्य को ध्यान रखना होगा कि कोई कहानी सामाजिक स्थितियों के प्रति सामाजिकता की किस सीमा तक सचेत, जागृत और क्रियाशील करती है?

कहानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है; जो अपनी संक्षिप्तता और रोचकता के कारण बेहद लोकप्रिय है। कहानी में जीवन का एक महत्वपूर्ण उत्स विकसित होता है अत: उसके समाज-शास्त्रीय अनुशीलन की अपार सम्भावनाएँ है। कहानी के समाजशास्त्रीय आधारों का निरूपण करते हुए डॉ. सुशील कुमार फुल्ल ने ठीक ही लिखा है कि 'कहानी का मूलाधार पात्र होते है। किसी भी कहानी में आप क्षणभर के लिए पात्रों को निष्कासित कर दें, सारी कहानी भरभराकर ढह जायेगी।'

कथा का सीधा सम्बन्ध समाज से है। कहानी से पात्र नदारद है, तो समाज नदारद है। पात्र समाज का अंग है। 'पात्रों की मानसिकता ही समाज की मानसिकता है। पात्रों के अर्न्तमन की क्लिष्टता समाज के अर्न्तद्वन्द को चित्रित करती है। वास्तव में कहानी लेखक के अनुभव, उनकी मानसिकता को व्यक्त करने का साधन मात्र है। समाज की विविधता,इसकी विसंगतियाँ, तथा महत्वांकांक्षाएँ संवेदना को विविध आयाम प्रस्तुत करती हैं। कथा साहित्य की विषय वस्तु से संबंधित कुछ तत्वों और उनसे प्रतिबिंबित सामाजिक यथार्थ के बीच जो सम्बन्ध है, ये विश्लेषण किसी ना किसी रूप में उसी से जुडे है। ये तत्व सामाजिक यथार्थ को या तो बिना किसी क्रम विषयार्थ के व्यक्त करती है या फिर स्पष्ट या पारदर्शी क्रम विषयार्थ के द्वारा।' वैसे तो समग्र साहित्य का आधार समाज है, परन्तु कहानी में जिस शिद्दत से समाज को उद्घाटित किया है, वह अतुलनीय है। ऋग्वेद के उषा सूक्त से लेकर आज तक रचित कहानियों में सामाजिकता के जो विविध आयाम मिलते है, वे ही कहानी की गरिमा एवं निरन्तर लोकप्रियता के सम्बल है। 'मानवीय व्यवहार की जटिलता एवं विविधता के उद्‌भव एवं विकास की यात्रा कथा का ही दूसरा नाम समाजशास्त्र है।' समाजशास्त्र की इस परिभाषा में कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। मानवीय व्यवहार की अर्न्तहित मानसिकता का उद्घाटन , रेखांकन एवं चित्रांकन ही कहानी है।

उपसंहार - साहित्य में समाजशास्त्रीय सोच अति प्राचीन होते हुए भी विवेचन के कारगर हथियार के रूप में नये तेवर तथा नये अन्दाज के साथ उभरी है। इस पद्धति में समाजशास्त्र एक प्रतिमान के रूप में कार्य करता है। प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. बच्चन सिंह का कथन है कि 'लेखक साहित्य का सृष्टा है , साहित्य में उसके व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है। अत: साहित्य को समझने के लिए लेखक के व्यक्तित्व को रूपायित करने वाले तत्वों का विश्लेषण जरूरी है।'

सुप्रसिद्ध समीक्षक इन्द्रनाथ मदान का कहना है कि मुंशी प्रेमचंद संभवत: साहित्यकार को मसीहा मानते थे। तभी तो वे कहते है कि- 'साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है........ वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है बल्कि उसके आगे मशाल दिखती हुई चलने वाली सच्चाई है।'

कहानी सर्वाधिक शुद्ध कलात्मक रूप है। यह सम्पूर्ण कलात्मक सृजन कें अंतिम अर्थ को मनोअवस्था के रूप में, सृजन प्रक्रिया कथ्य एवं वास्तविक भाव के रूप में जिन कहानियों से हमें जीवन की सच्चाई दिखाई देती हैं तथा जीवन जीने में मदद मिलती हैं निश्चय ही वे यथार्थवादी कहानी है। इसके विपरीत रचनात्मक श्रेष्ठता से युक्त होने पर भी कोई रचना जीवन विरोधी होने पर अनपेक्षित हो जाती है। ऐसी कहानी में मानव संसक्ति की खोज बेमानी है। किसी कहानी में वैयक्तिकता का वर्णन तो अपेक्षित है, पर वो सामाजिकता की कीमत पर नहीं होना चाहिये।

नामवर सिंह ने नयी कहानी की तारीफ करते हुए भी एक अभाव की ओर ध्यान दिलाया है कि उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। समकालीन कहानियों में सामाजिकता थोपी हुई नहीं दिखाई देती बल्कि वह उन कहानियों के एक अंग के रूप में परिलक्षित होती है तथा इन जीवन प्रसंगों व चित्रणों के माध्यम से यह कहानी स्वाभाविक रूप से विकसित दिखाई देती है।

कहानीकार समाज में अपेक्षाकृत अधिक गहराई से जुडा होता है। उसकी संवेदना,परिस्थितियों की पकड तथा लेखनीय दृष्टि में यदि संतुलित तालमेल हो जाता है तो रचना सफल हो जाती है। यह हरगिज आवश्यक नहीं कि वह कहानी में समाज का पथ-प्रदर्शन करे। पुरानी कहानी और आज की कहानी में यही अन्तर है कि ढर्रेवादी कहानी में लेखक की अनुपस्थिति ही कहानी की सशक्तता का प्रमाण होती है। कहानीकार सदैव ही समाज के लिए

मशालची का कार्य करे ये जरूरी नहीं अपितु गद्य में रचित कथा तन्तुओं को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करना ही उसका ध्येय हैं।

विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से कहानी सर्वाधिक व्यापक एवं स्वच्छन्द विधा है। परिणामतः समय -समय पर अनेक समीक्षकों एवं कहानीकारों ने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कहानी को परिभाषा के घेरे में बांधने का प्रयास किया, किन्तु क्षणिक चकाचौंध के बाद सभी मत-मतान्तर धुंधले पड जाते है। नयी कहानी का आन्दोलन एवं उसके कहानीकार कमलेश्वर, मोहन राकेश एवं राजेन्द्र यादव इसी क्रम में अकहानी, सचेतन कहानी और उसके कहानीकार डॉ. महीप सिंह, तत्पश्चात् सारिका पत्रिका के सम्पादक कमलेश्वर ने कहानी जगत में व्याप्त जडता को तोडने के लिए समानान्तर कहानी का आन्दोलन छेडा और परिणामतः कहानी में आम आदमी की पीडा का चित्रण प्रधान हो गया।

कहानी में सामान्य वर्ग का चित्रण गलत नहीं है, परन्तु समाज की समग्रता में से एक पक्ष को चुनकर उस पर अत्यधिक ध्यान देने से कहानी के स्वरूप में विकार आया, शैली गौण हो गयी। कहानी का स्वर तेजहीन हो गया। इससे उबताये लेखकों के लिए 1976 में पालमपुर से सहज कहानी का उद्घोष हुआ। इसके माध्यम से पाठकों एवं समीक्षकों का ध्यान पुनः कहानी की सहजात्मक कलात्मकता की ओर आकर्षित करना अभिप्रेत था। इसी क्रम में समकालीन कहानी , सकहानी, अकहानी , नयी कहानी एवं आंचलिक कहानी भी महत्वपूर्ण है।

स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी कहानी में समाज की घटना को व्यक्तिगत बनाने की कला में संश्लेष शिल्प का नया प्रयोग हुआ है। संश्लेष शिल्प में दोहरा कथानक होता है जिसमें एक पुराना और एक नया और यह दुहरा शिल्प दो युगों की समानान्तर तुलना और अर्न्तविरोध को प्रस्तुत करता जाता है। नयी और पुरानी कहानी के अन्तर और दूरियों को उजागर करता है। परिणामतः कहानी का मूलाधार एवं प्रेरणा स्रोत समाज की संश्लिष्टता में निहित है, जिसे कहानीकार गहरे पैठकर संवेदनापरक अंशों को उद्घाटित करता है।

जीवन की व्यापक दृष्टि व सघन मानवीय संवेदना से रची जाती हुई नयी कहानी में व्यक्ति के अंह, सामाजिक संघर्ष व विविध स्तरीय अर्न्तविरोंधों को व्यक्त करने की पर्याप्त क्षमता हमें दिखायी देती है। यथार्थ परिवेश और भोगे हुए यथार्थ का चित्रण उसे अतिरिक्त बनाता है। यथार्थ परिवेश के प्रति सजगता तथा अनुभूति की गहन प्रगाढता ने नयी कहानी को जीवन व समाज की विषम परिस्थितियों से जोडकर उसमें उन स्थितियों को शब्दों के माध्यम से मुखर किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी कहानी परम्परा और प्रगति - हरदयाल
2. समकालीन कहानी का समाजशास्त्र - देवेन्द्र चौबे, नयी दिल्ली, प्रकाशन संस्थान, 2001
3. नयी कहानी का समाजशास्त्र - डॉ. ऋचा सिंह, विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी
4. भाषा का समाजशास्त्र- राजेन्द्र प्रसाद सिंह
5. हिन्दी कहानी : सरंचना और संवेदना- साधना शाह
6. साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका - मैनेजर पाण्डे, राजकमल प्रकाशन
7. समकालीन हिन्दी कहानी -यथार्थ के विविध आयाम- डॉ. ज्ञानवती अरोडा

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

औचित्यविचारचर्चा में कालिदास की समीक्षा : औचित्यानौचित्य का प्रश्न

डॉ. विनोद कुमार शर्मा *

प्रस्तावना – औचित्य सम्प्रदाय अलङ्कारशास्त्र का महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय है। औचित्य को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का महनीय कार्य सुविख्यात आलङ्कारिक क्षेमेन्द्र ने अपनी कालजयी कृति 'औचित्यविचारचर्चा' में किया। आचार्य क्षेमेन्द्र ने रस के जीवितभूत तथा काव्यास्वाद में चमत्कार उत्पन्न करने वाले औचित्य तत्त्व[1] का का लक्षण इस प्रकार किया है –

उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्।[2]
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते।।

अर्थात् जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है, उसे आचार्यों ने उचित कहा है और उचित का भाव ही औचित्य कहलाता है।

क्षेमेन्द्र के अनुसार उपमा, रूपक आदि अलंकार तो आभूषणों के समान बाह्य शोभा के आधायक मात्र हैं तथा प्रसाद, माधुर्य आदि गुण उदारता, सत्यशीलता आदि गुणों की भाँति गुण ही हैं। श्रृंगार आदि रसों से प्रसिद्ध काव्य का जीवन तो औचित्य ही निश्चित होता है –

अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा।
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।।[3]

औचित्य का साम्राज्य यद्यपि अति विस्तृत है। इसके समस्त भेदों की गणना करके निश्चित संख्या बताना आसान नहीं है यथापि ग्रन्थकार ने औचित्य के सत्ताईस स्थानों का निर्देश किया है। वे हैं – पद, वाक्य, प्रबन्धार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिङ्ग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम तथा आशीर्वाद। काव्य के इन अंगो में व्याप्त रहने वाला औचित्य ही काव्य का जीवन है।[4]

काव्य में औचित्यानौचित्य के प्रदर्शनार्थ क्षेमेन्द्र ने औचित्यविचारचर्चा में परिमल, धर्मकीर्ति, श्रीहर्ष, राजशेखर, कालिदास, भवभूति, भट्टनारायण, चन्द्रक, मालवरुद्र,) प्रवरसेन, राजपुत्रमुक्तापीड, चन्दनक, उत्पलराज, अमरुक, बाणभट्ट, गौडकुम्भकार, भट्टप्रभाकर, भट्टेन्दुराज, मातृगुप्त, भट्टलट्टन, कुमारदास, श्रीचक्र, मालवकुवलय, भट्टभल्लट, वराहमिहिर, यशोवर्मदेव, दीपक, माघ, भट्टेन्दुराज, गङ्ग, आदि कवियों के काव्यों से उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। यही नहीं, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष समीक्षक के रूप में क्षेमेन्द्र ने स्वयं की विनयवल्ली, लावण्यवती, मुनिमतमीमांसा, नीतिलता, मुक्तावली, चतुर्वर्गसंग्रह, बौद्धावदानकल्पलता, ललितरत्नमाला (आदि काव्यकृतियों से पद्य उद्धृत कर काव्य में औचित्यानौचित्य की समीक्षा की है। औचित्य के निकष पर स्वकृतियों की परीक्षा करना क्षेमेन्द्र का सराहनीय, अनुकरणीय तथा स्तुत्य प्रयास है।

औचित्य कवितावनितातिलक कालिदास के काव्यकदम्ब का प्राणतत्त्व है। कालिदास का काव्योद्यान औचित्य से किस प्रकार अनुप्राणित है, इसे प्रमाणित करने के लिए क्षेमेन्द्र ने कालिदास की कृतियों से अनेक पद्य उदाहरणस्वरूप औचित्यविचारचर्चा में उद्धृत किये हैं। उन्होंने काव्यगत अनौचित्य के भी अनेक उदाहरण कालिदासीय कृतियों से प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार क्षेमेन्द्र के अनुसार कालिदास का काव्य केवल औचित्य से अनुप्राणित ही नहीं वरन् कहीं-कहीं अनौचित्य से दूषित भी है। क्षेमेन्द्र ने औचित्य की कसौटी पर कालिदास के काव्य की जो परीक्षा की है वह कहाँ तक समीचीन है इसकी मीमांसा करना ही प्रस्तुत शोधपत्र का मूल उद्देश्य है।

क्षेमेन्द्र ने औचित्यविचारचर्चा में कालिदास की काव्यकृतियों से कुल आठ उदाहरण देकर कालिदास के काव्य में निहित औचित्यानौचित्य की समालोचना की है। तदनुसार आठ पद्यों में से पाँच पद्य जहाँ कालिदास के काव्य में अनुस्यूत औचित्य की परिपुष्टि करते हैं वहीं तीन पद्य अनौचित्य के निदर्षन हैं। कालिदासीय काव्य की क्षेमेन्द्रकृत उक्त समीक्षा को प्रस्तुत कर उस पर विचार किया जाना उचित होगा।

(क)कालिदास के काव्य में समाविष्ट औचित्य – रस के जीवितभूत तथा काव्यास्वाद में चमत्कार उत्पन्न करने वाले औचित्य से कालिदास का काव्य किस प्रकार अनुप्राणित है इसे प्रदर्शित करने के लिए क्षेमेन्द्र ने औचित्य के सत्ताईस भेदों में से प्रबन्धार्थ, रस, कारक, कुल तथा नाम औचित्य के पाँच, उदाहरण कालिदासीय कृतियों से प्रस्तुत किये हैं। इन पर क्रमशः विचार करना उचित होगा।

(1) प्रबन्धार्थगत औचित्य – प्रबन्धार्थौचित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है कि जिस प्रकार सद्गुणों के प्रभाव से विभूषित सम्पत्ति के द्वारा सज्जन सुषोभित होते हैं उसी प्रकार योग्य अर्थविशेष के कारण समग्र प्रबन्ध का अर्थ प्रकाशित तथा हृदयग्राही हो जाता है।[5]

प्रबन्धार्थगत औचित्य के उदाहरण के रूप में क्षेमेन्द्र ने कालिदास के खण्डकाव्य मेघदूत का निम्नांकित पद्य प्रस्तुत किया है –

जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः।
तेनार्थित्वं विधिवषाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा।[6]

क्षेमेन्द्र के अनुसार यहाँ अचेतन मेघ में चेतनता का अध्यारोप करके दूत बनने की योग्यता के आधान के लिए मेघ के पुष्कर और आवर्तक के कुल में जन्म लेने तथा इन्द्र का प्रधान पुरुष होने की जो बात कही गयी है,

* प्रभारी प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग पण्डित बालकृष्ण शर्मा, 'नवीन' शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

उससे कल्पित इतिहास के कारण अत्यन्त रुचिर सम्पूर्ण प्रबन्ध ही औचित्य से अतीव चमत्कृत हो उठा है।[7]

(2) रसगत औचित्य – क्षेमेन्द्र के अनुसार समस्त सहृदयों के हृदय में व्याप्त होता हुआ, औचित्य के कारण मनोहर रस मन को उसी प्रकार अंकुरित कर देता है जैसे वसन्त ऋतु अशोक को प्रफुल्लित कर देता है।[8]

रसगत औचित्य के प्रदर्शनार्थ ग्रन्थकार ने कालिदास के कुमारसम्भव महाकाव्य का यह पद्य उद्धृत किया है –

बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाद्बभुः पलाषान्यतिलोहितानि।
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्[9]।।

अर्थात अविकसित होने के कारण द्वितीया के चन्द्रमा के समान टेढ़े-मेढ़े तथा लाल-लाल पलाश के पुष्प उसी प्रकार शोभित हो रहे थे जिस प्रकार वसन्तरूप नायक के साथ अभी-अभी रमण करके आयी हुई वनस्थली रूप नायिका के कपोलों पर पड़े हुए नखक्षत हों।

क्षेमेन्द्र ने औचित्य के निकष पर उक्त पद्य की परीक्षा करते हुए कहा है कि आगे पार्वती में शिव के अभिलाषात्मक श्रृंगार का वर्णन किया जाना है। अतः पहले श्रृंगाररस के उद्दीपन विभावरूप वसन्त ऋतु के वर्णन के सन्दर्भ में यह पद्य रचा गया है। इसमें वसन्त का नायकरूप में तथा वनस्थली का नायिका के रूप में वर्णन है। अथ च, नवीन तथा लाल-लाल पलाश की कलियों में नवसंगम के अवसर पर नायकद्वारा किये गये नखक्षत की सम्भावना की गयी है। यह आरोप तथा सम्भावना वर्णनीय अभिलाष षृंगार रस के पोषक होने के कारण अत्यन्त उचित हैं[10]। इस औचित्यपूर्ण वर्णन से कालिदासीय काव्य की चारुता अत्यन्त निखर उठी है।

(3) कारकौचित्य – कारक-औचित्य का विवेचन करते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है कि उत्तम कुल से सुशोभित होने पर भी ऐश्वर्य-औदार्य आदि साधुचरित्र से ही शोभित होता है, उसी तरह अन्वय आदि से भलीभाँति युक्त वाक्य (काव्य) उचित कारक के प्रयोग से ही सुशोभित होता है –

सान्वयं शोभते वाक्यमुचितैरेव कारकैः।
कुलाभरणमैष्वर्यमौदार्यचरितैरिव।[11]

कारकौचित्य के प्रदर्शनार्थ अधिकरणौचित्य का उदाहरण ग्रन्थकार ने कालिदास की कृति 'कुन्तेश्वरदौत्य' से प्रस्तुत किया है –

इह निवसति मेरुः शेखरः क्ष्माधराणा
मिह विनिहितभाराः सागराः सप्त चान्ये।
इदमहिपतिभोगस्तम्भविभ्राजमानं
धरणितलमिहैव स्थानमस्मद्विधानाम्।।[12]

महाराज विक्रमादित्य का दूत कुन्तेश्वर की राजसभा में गया। वहाँ उसे समुचित सम्मान और आसन नहीं मिला। अतः भूमि पर ही बैठते हुए वह बोला – 'इस भूमि पर ही पर्वतों का राजा सुमेरु निवास करता है। इसी पर अपने समग्र भार के साथ महासागर और उपसागर स्थित हैं यह पृथ्वी शेषनाग के फलरूप स्तम्भ पर विराजमान है। अतः इस भूतल पर ही मुझ जैसे जनों का बैठना उचित है।'

इस पद्य से दूत का यह आशय व्यक्त होता है– 'मेरी महत्ता मेरु और महासागरों के समान लोकोत्तर है जिसे भूमि को छोड़कर और कोई वहन नहीं कर सकता क्योंकि भूमि 'सर्वसहा' है।' इस कथन से एक अद्भुत औचित्य की प्रतीति होती है और यह औचित्य 'इहैव' इस अधिकरण पद से सम्बद्ध है।[13] इस प्रकार क्षेमेन्द्र के अनुसार कालिदास का उक्त पद्य कारक (अधिकरण) औचित्य का सुन्दर उदाहरण है।

(4) कुलौचित्य – कुलौचित्य पर विचार करते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है कि जैसे वंषपरम्परा से चली आती हुई मर्यादा व्यक्ति की उत्कृष्टता का कारण तथा लोकप्रिय होती है उसी तरह कुलसमृद्ध औचित्य काव्य की उत्कृष्टता का जनक तथा सहृदयों को प्रिय होता है –

पुरुषस्येव काव्यस्य कुलोन्नतमौचित्यं सविशेषोत्कर्षजनकं प्रायेण बाहुल्येन सहृदयानामभिमतम्।[14]

कुलौचित्य के उदाहरण के रूप में ग्रन्थकार ने कालिदास के प्रख्यात महाकाव्य रघुवंश का यह पद्य प्रस्तुत किया है –

अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम्।
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम्।।[15]

अर्थात् तदनन्तर विषयों से विरक्त चित्तवाले उस राजा ने राजचिह्न श्वेत छत्र विधिपूर्वक अपने युवा पुत्र को प्रदान कर स्वयं अपनी राजमहिषी के साथ मुनिजनों से सेवित तपोवन में जाकर निवास किया। क्योंकि इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राजाओं का यही कुल-नियम है।

क्षेमेन्द्र के अनुसार इस पद्य में कालिदास के द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जन्म लेने वाले इक्ष्वाकुओं का औचित्य अत्यन्त स्फुटरूप से प्रतिपादित किया गया है।[16]

(5) नामौचित्य – नामौचित्य की मीमांसा करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि जैसे मनुष्यों के कर्म के अनुरूप नाम से उनके गुणदोषों का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार काव्य के गुणदोषों की अभिव्यक्ति भी, उनके प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप नाम से ही हो जाती है –

काव्यस्य कर्मानुरूपेण नाम्ना पुरुषस्येव गुणदोषव्यक्तिः संवादिनी ज्ञायते।[17]

नामौचित्य के उदाहरणस्वरूप क्षेमेन्द्र ने कालिदास के विक्रमोर्वषीय त्रोटक (रूपक) का यह पद्य प्रदर्शित किया है–

इहमसुलभवस्तुप्रार्थनादुर्निवारः
प्रथममपि मनो मे पञ्चबाणः क्षिणोति।
किमुत मलयवातान्दोलितापाण्डुपत्रै–
रुपवनसहकारैर्दर्शितेष्वङ्कुरेषु।[18]

राजा पुरूरवा कहता है–अलभ्यवस्तु (प्रियतमा) की अभिलाषा करने के कारण दुर्निवार इस 'पञ्चबाण' ने मेरे मन को पहले ही अत्यन्त घायल कर रखा है, मलयानिल से आन्दोलित पीले-पीले पत्तों वाले, उपवनस्थित आम्रवृक्षों के द्वारा अंकुरों (मञ्जरियों) के प्रदर्शन से न जाने अब क्या करने का विचार है ?

क्षेमेन्द्र के अनुसार वक्ता के इस कथन में मदन को जो 'पञ्चबाण' कहा गया है वह अत्यन्त औचित्य को प्रकट कर रहा है। क्योंकि मन को विद्ध करने वाले काम का पञ्चबाण होना ही आवश्यक है, न कि अङ्ग, मनोभव आदि होना[19]। इस प्रकार कालिदास का उक्त पद्य क्षेमेन्द्र की दृष्टि में नामौचित्य का सुन्दर उदाहरण है।

क्षेमेन्द्र को कालिदास के काव्य में अनेकत्र अनौचित्य भी दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि औचित्यविचारचर्चा में प्रबन्धार्थ अनौचित्य, रसगत अनौचित्य तथा नाम-अनौचित्य के उदाहरण कालिदास की कृतियों से प्रस्तुत किये गये हैं। इन पर क्रमशः विचार करना उचित होगा।

(ख)कालिदास के काव्य में समाविष्ट अनौचित्य

(क)प्रबन्धार्थ अनौचित्य – प्रबन्धार्थ अनौचित्य के उदाहरणस्वरूप क्षेमेन्द्र ने कालिदास के कुमारसम्भव महाकाव्य से यह श्लोक उद्धृत किया

है-

ऊरुमूलनखमार्गपंक्तिभिस्तत्क्षणं हृतविलोचनो हरः।
वाससः प्रशिथिलस्य संयमं कुर्वतीं प्रियतमामवारयत्।।[20]

अर्थात प्रातःकाल रतिश्रमजन्य शीकरों से क्लिन्न होकर जगदम्बा और भगवान शंकर कण्ठाश्लेष को शिथिल करके वायुसेवन कर रहे थे। उस समय पार्वती अपने ऊरुमूलविगलित (जाँघों से खिसके हुए) वस्त्र को पुनः यथास्थान धारण करने की चेष्टा करने लगीं। किन्तु उनके जघनमूल में दिखायी देते हुए नखक्षत की पंक्तियों ने भगवान् शंकर की आँखें अपनी ओर आकृष्ट कर लीं। अतः उन्हें बार-बार देखने की लालसा से परमेश्वर ने अपनी प्रियतमा को, शिथिल वस्त्र को पुनः यथास्थान धारण करने से रोक दिया।

क्षेमेन्द्र ने उक्त पद्य की समीक्षा करते हुए कहा है कि यहाँ जगदम्बा के सम्भोगवर्णन के प्रसंग में गँवार नारी की तरह, निर्लज्जतापूर्वक किये नखक्षतों से विराजित जंघामूल के द्वारा जगद्वन्द्य भगवान त्रिलोचन के नेत्रों को आकृष्ट करने की जो बात कही गयी है, उससे सकल प्रबन्ध का अर्थ केवल अनौचित्य को ही पुष्ट करता है। एक तो जगद्वन्द्य भगवान शंकर तथा जगज्जननी के सम्भोग श्रृंगार का वर्णन ही अनुचित है, दूसरे साधारण जनों की भाँति उनके भोग का वर्णन नितान्त अनुचित है।[21]

उत्तमदेवताविषयक सम्भोगश्रृंगार के ऐसे वर्णनों को आनन्दवर्धन, मम्मट[22], धनञ्जय आदि आचार्यों ने भी अनुचित बतलाया है। किन्तु कविजन चरित की सम्पूर्णता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तम देवताविषयक सम्भोगश्रृंगार का वर्णन भी मानवनायकों की भाँति किया करते हैं। इस दृष्टि से कालिदासकृत उक्त वर्णन को अत्यन्त अनुचित नहीं कहा जा सकता।)

(ख) रसगत अनौचित्य - कुमारसम्भव महाकावय के निम्नांकित पद्य को उद्धृत कर क्षेमेन्द्र ने रसगत अनौचित्य का अधिक्षेप कालिदास पर आरोपित किया है-

वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं दुनोति निर्गन्धतया स्म चेतः।
प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां पराङ्मुखी विष्वसृजः प्रवृत्ति[23]।।

अर्थात् रंगरूप आदि में देखने में आकर्षक होने पर भी कर्णिकार निर्गन्ध होने के कारण चित्त को मार्मिक पीडा प्रदान करता है। सब तरह से गुणों की परिपूर्णता में सृष्टिकर्ता की प्रवृत्ति प्रायः प्रतिकूल ही हुआ करती है।

क्षेमेन्द्र के अनुसार इस पद्य में केवल कर्णिकार पुष्प का वर्णन मात्र किया गया है। यहाँ विधाता की निन्दा ही व्यक्त होती है। यह वर्णन प्रसंगप्राप्त शृंगार रस के लिए अनुपयोगी है तथा उसके उद्दीपन विभाव के अनुकूल कुछ भी नहीं कहा गया है।[24] इस प्रकार क्षेमेन्द्र की दृष्टि में उक्त पद्य रसगत अनौचित्य का उदाहरण है।

वस्तुतः कुमारसम्भव महाकाव्य के तृतीय सर्ग में कालिदास ने श्रृंगाररस के उद्दीपन विभाव के रूप में प्रकृति का सुरम्य चित्रण किया है। इसी क्रम में, उक्त पद्य में, कर्णिकार (अमलतास) के पुष्प के चटक रूप-रंग की तो प्रशंसा कालिदास के द्वारा की गयी है किन्तु उसकी निर्गन्धता के लिए विधाता की निन्दा की गई है। वस्तुतः पुष्प चाक्षुष प्रत्यक्ष के द्वारा नायक-नायिका के रतिभाव को सर्वाधिक उद्दीप्त करते ही हैं। अतः उक्त पद्य के सम्बन्ध में क्षेमेन्द्र के द्वारा लगाया गया रसानौचित्य का अधिक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता।

(ग) नाम-अनौचित्य - नाम अनौचित्य को प्रदर्शित करने के लिए क्षेमेन्द्र ने कालिदास के कुमारसम्भव महाकाव्य का यह पद्य उद्धृत किया है-

क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद् गिरः खे मरुतां चरन्ति।
तावत्स वह्निर्भवनेत्रजन्मा भष्मावशेषं मदनं चकार।।[25]

अर्थात 'हे प्रभो ! क्रोध को रोकिये, रोकिये' ऐसी देवताओं की वाणी जब तक आकाश में गूँज ही रही थी तब तक महादेव के तृतीय नेत्र से उत्पन्न उस लोकत्रयसंहारक अग्नि ने कामदेव को जलाकर भष्मावशेष कर दिया।

क्षेमेन्द्र के अनुसार उक्त कथन में, संहार के समय रुद्र के लिए भव (निर्माण करने वाले) इस नाम का प्रयोग स्पष्टतः अनौचित्य को व्यक्त कर रहा है। संहारकाल में भव शब्द का प्रयोग न करके त्रिलोचन, रुद्र आदि नामों का प्रयोग ही उचित होता।[26]

क्षेमेन्द्र का उक्त अनौचित्याक्षेप उचित नहीं है। यहाँ अवसर संहार का ही है किन्तु पद्य के तृतीय चरण में अग्नि के जन्म की बात प्रसंगप्राप्त है। शंकर के नेत्र से अग्नि का जन्म हो रहा है और वही अग्नि मदन के दहन में कृतकार्य होती है। यहाँ भगवान् शंकर का कार्य केवल अग्नि का उत्पादन मात्र है, मदन को भस्म करने से उनका साक्षात् सम्बन्ध नहीं है। अतः यहाँ 'भव' शब्द का कालिदासीय प्रयोग औचित्य की सीमा के भीतर ही है।

निष्कर्ष - निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति के गायक, वैदिक परम्परा के संवाहक तथा मानव मात्र के सर्वविध मंगल के अभिलाषी कविताकामिनीतिलक कालिदास का काव्यकदम्ब औचित्य तत्त्व से सर्वत्र अनुप्राणित है। आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्यविचारचर्चा में औचित्य के पाँच स्थानों (भेदों)-प्रबन्धार्थ, रस, कारक, कुल तथा निाम औचित्य के उदाहरण कालिदास की कृतियों से ही प्रदर्षित किये हैं। क्षेमेन्द्र ने कालिदास के काव्य पर प्रबन्धार्थ अनौचित्य, रसगत अनौचित्य तथा नाम-अनौचित्य का जो अधिक्षेप आरोपित किया है वह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाये तो कालिदास का काव्योद्यान औचित्य के स्पृहणीय पुष्पों से सर्वत्र चमत्कृत तथा सुरभित है।

सन्दर्भः-

1. औचित्यस्य चमत्कारकारिणष्चारुचर्वणे।
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना।। औचित्यविचारचर्चा (क्षेमेन्द्र), 3
2. तदेव, 7
3. तदेव, 5
4. तदेव, 8-10
5. उचितार्थविशेषेण प्रबन्धार्थः प्रकाशते।
गुणप्रभावभव्येन विभवेनेव सज्जनः।।तदेव, 13
6. पूर्वमेघदूतम् (कालिदास), 6 (औचित्यविचारचर्चा, पृ. 29)
7. अत्राचेतनस्य चेतनाध्यारोपेण मेघस्य दौत्ययोग्यताधानाय प्रथित पुष्करावर्तकपर्जन्य- वंशत्वममात्यप्रकृतिपुरुषत्वञ्च यदुपन्यस्तं तेन समस्तप्रबन्धस्योत्प्रेक्षितेति-वृत्तरुचिरतरस्य निरतिषयमौचित्य मुद्योतितम्। तदेव, पृ. 30
8. कुर्वन्सर्वाषये व्याप्तिमौचित्यरुचिरो रसः।
मधुमास इवाशोकं करोत्यङ्कुरितं मनः।। तदेव, 16
9. कुमारसम्भव (कालिदास), 3/29 (औचित्यविचारचर्चा, पृ. 57)
10. अत्र पार्वत्यां परमेश्वरस्याभिलाषश्रृंगारे वक्ष्यमाणे प्रथममुद्दीपन विभाव भूतस्य वसन्तस्य वर्णनायां कामुकाध्यारोपेण वनस्थली ललनानां कुटिललोहितपलाश-कलिकाभिर्नवसंगमयोग्यन खक्षतान्युत्प्रेक्षि तानि परमामौचित्यचारुतां प्रतिपादयन्ति। औचित्यविचारचर्चा पृ. 57
11. तदेव, 20
12. तदेव, पृ. 139 पर उद्धृत
13. अत्र महाराजदूतोऽपि सामन्तस्थाने - - - यथाऽस्मद्विधानां वसुधातल

एव भुज- गपतिभोगस्तम्भप्राग्भारनिष्कम्पे धरासने स्थानं युक्तं यस्मादिहैव मेरुरचलचक्रवर्ती समुपविष्टः सप्तसागरा अब्धयश्च, तत्तल्यतैवास्माकमित्यौचित्यमधिकरणपदसम्बद्धमेव। तदेव, पृ. 140

14. तदेव, कारिका 28 पर वृत्ति, पृ. 185
15. रघुवंश (कालिदास), 3/70 (औचित्यविचारचर्चा, पृ. 186)
16. 'अथ स राजा वृद्धस्तरुणाय सूनवे राज्यं प्रतिपाद्य तया देव्या सह तपोवनं भेजे, विरक्तचेतसामिक्ष्वाकूणामन्ते हि कुलव्रतमिदमेव' इत्युक्ते भूतवर्तमानभाविनां तद्वंष्यानामौचित्यमुन्मीलितम्।
17. तदेव, कारिका 38 पर वृत्ति, पृ. 235
18. विक्रमोर्वषीय, 2/6 (औचित्यविचारचर्चा, पृ. 235)
19. अत्र प्रारम्भ एव ममेदं मनः पञ्चबाणः सुदुर्लभवस्तुप्रार्थनादुर्निवारः कलीकरोति किमुत लीलोद्यानसहकारैर्मलयानिलान्दोलित बालपल्लवैरङ्कुरेषु दर्षितेश्वित्युक्ते मदनस्य पञ्चबाणाभिधानमुचितमेव। औचित्यविचारचर्चा, पृ. 236
20. कुमारसम्भव, 8/87 (औचित्यविचारचर्चा, पृ. 35)
21. अत्राम्बिकासम्भोगवर्णने पामरनारीसमुचितनिर्लज्ज सज्जनखराजि विराजितोरुमूलहृत-विलोचनत्वं त्रिलोचनस्य भगवतस्त्रिजगद्गुरोर्यदुक्तं तेनानौचित्यमेव परं प्रबन्धार्थः पुष्णाति। औचित्यविचारचर्चा, पृ. 36
22. किन्तु रतिः सम्भोगश्रृंगाररूपा उत्तमदेवताविषया न वर्णनीया। तद्वर्णनं हि पित्रोः सम्भोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम्। काव्यप्रकाश (मम्मट), 7/62 पर वृत्ति, पृ. 363
23. कुमारसम्भव, 3/28 (औचित्यविचारचर्चा, पृ. 58)
24. अत्र केवलकर्णिकारकुसुमवर्णनमात्रेण विधातृवाच्यतागर्भेणैव प्रस्तुतश्रृंगारानुपयोगिना तदुद्दीपनविभावोचितं न किञ्चिदभिहितम्। औचित्यविचारचर्चा, पृ. 59
25. कुमारसम्भव, 3/72 (औचित्यविचारचर्चा, पृ. 238)
26. अत्र'पष्यतो भगवतस्त्रिनेत्रस्य स्मरषरनिपातक्षोभे वर्ण्यमाने तन्निकारोपषमाय संहर संहर प्रभो क्रोधमिति यावद्वचः खे देवानां चरति तावद्भवनेत्रोद्भवः स वह्निर्मदनं भस्मराषिशेषमकार्षीत्' इत्युक्ते संहारावसरे रुद्रस्य भवाभिधानमनुचितमेव। औचित्यविचारचर्चा, पृ. 239

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. औचित्यविचारचर्चा (क्षेमेन्द्र), व्याख्याकार,-डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, वि. संवत् 2029
2. औचित्यविचारचर्चा (क्षेमेन्द्र) व्याख्याकार-ब्रजमोहन झा, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, चतुर्थ संस्करण, 1992 ई.
3. काव्यप्रकाश (मम्मट), व्याख्याकार-आचार्य विष्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, पञ्चम संस्करण, संवत् 2031
4. कुमारसम्भव (कालिदास), व्याख्याकार-प्रद्युम्न पाण्डेय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,, सप्तम संस्करण, 1998 ई.
5. रघुवंश (कालिदास), कालिदासग्रनथावली (प्रथम भाग), प्रधान सम्पादक-डॉ. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जयिनी, 2008 ई.
6. विक्रमोर्वषीय (कालिदास), व्याख्याकार-परमेश्वरीदीन पाण्डेय, चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, 2001 ई.

****

बालक बालिकाओं द्वारा फास्ट फूड उपभोग पर विज्ञापनों का प्रभाव : सागर शहर के संदर्भ में

डॉ. आराधना श्रीवास *

शोध सारांश – सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले विज्ञापन वह होते है जो लोगों को प्रासंगिक लगते है। ये विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते है। यदि बच्चे टी. वी. में किसी को कुकीज, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चिप्स खाते देखते है तो स्वयं भी उसे खाना चाहतें है। आजकल कई तरह के फास्ट फूड प्रचलन में है जैसे चाइनीज, इटालियन, अमेरिकन आदि। इन्हेंबनाने में समय कम लगता है तथा यह स्वादिष्ट होने के कारण सभी लोग इन्हें काफी पसन्द भी करते है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि फास्ट फुड का सेवन ना करता हो क्योंकि आजकल व्यस्त लाइफ में लोगों के पास समय कम है और लोग खाना बनाने में समय देना नहीं चाहते जिस कारण फास्ट फुड को लेकर लोग ज्यादा पसंद करने लगे है। प्रचलित विज्ञापनों की भूमिका फास्ट फूड के उपभोग को बढ़ावा दे रही है। प्रस्तुत अध्ययन में मैने बालक बालिकाओं द्वारा फास्ट फूड उपभोग पर विज्ञापनों के प्रभावों का अध्ययन किया है।

प्रस्तावना – प्रत्येक व्यवसायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य विक्रय संवर्धन है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे उत्पाद का व्यवसायीकरण किया जा सकता है। विक्रय संवर्धन हेतु कई क्रियाएँ की जाती है जिनमें विज्ञापन मुख्य है। विज्ञापन अवैयक्तिक प्रस्तुतीकरण का एक रूप है जिसके लिए भुकतान किया जा सकता है या विचारों, वस्तुओं या सेवाओं का पहचाने हुए प्रयोजक द्वारा किया गया संवर्धन है।

साधारण अर्थ में विज्ञापन मनुष्यों के कार्यो को प्रभावित करने की कला है जो लोगों में किसी 'वस्तु' को रखने या खरीदने की इच्छा जाग्रत करती है। 'एडवरटाईसमेन्ट' शब्द लेटिन शब्द 'एडवरटाईज' से बना है जिसका अर्थ है 'इसकी ओर प्रेषित करना'।

हिन्दी में विज्ञापन शब्द का विश्लेषण करने पर इसके दो भाग बनते है – 'वि' तथा 'ज्ञापन' 'वि' शब्द का अर्थ विशेष से है जबकि 'ज्ञापन' का अर्थ है वस्तुओं के गुण एवं मूल्य की सूचना देना अथवा विशिष्ट ज्ञान कराना है ताकि बिक्री में वृद्धि हो सके।

वुड के अनुसार 'विज्ञापन जानने, स्मरण रखने तथा कार्य करने की एक विधि है।'

वीलर के अनुसार 'विज्ञापन लोगों का क्रय करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं अथवा सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतीकरण है जिसके लिये भुकतान किया जा सकता है।'

शी. यी. चू. रशद और मिशेल, ग्रॉसमेन (एन. बी. ई. आर. पेपर नं.11879) 2010 प्रस्तुत अध्ययन में फास्ट फूड रेस्तरां में टेलीविजन पर विज्ञापन और बाल्यावस्था में मोटापे पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया गया। इन्होंने प्रत्येक बच्चे के फास्ट फूड विज्ञापन का अनुमान लगाने के लिये विज्ञापन ट्रेकिंग सेवा और दो सर्वेक्षणों के आंकड़ों का उपयोग किया गया। वे स्थानीय ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, प्रत्येक बच्चे की उम्र, आयु, लिंग फास्ट फूड रेस्तरां द्वारा विज्ञापन के घंटे की संख्या को ध्यान में रखते थे तथा प्रत्येक हफ्ते में टी. वी. देखने के घंटे, घर की आय, माँ का वजन व रोजगार की स्थिति को शामिल किया गया। इन्होनें अपने सर्वे में प्रति व्यक्ति फास्ट फूड की संख्या को भी शामिल किया गया।

खुरशीद अनवर वारसी 2011 दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य प्रकारों में से एक है फास्ट फूड। अब यह आने वाले वर्ष में अनेक अन्य औद्योगिक देशों के सुरक्षित राजस्व का आधा हिस्सा है लेकिन विकास के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हो रहा है जहाँ से लोग अपने भोजन का तरीका बदल रहे है। लोग तेजी से फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे है क्योंकि ये जल्दी बन जाते है और लोगों तक आसानी से पहुँचाये जा सकते है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य फास्ट फूड के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसकी प्रवृत्ति इसके उद्भव का कारण है तथा इसके विकास के लिये विज्ञापन एवं अन्य कारक जिम्मेदार है।

ऑफिशियल जर्नल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडिएट्रिक 2009 अमेरिका में बच्चों को फास्ट फूड अधिक पसंद है। कुछ अध्ययनों में फास्ट फूड की खपत, पोषण तथा स्वास्थ्य से संबंधित प्रभावों पर विचार किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह परिकल्पना का परिक्षण करना था कि फास्ट फूड कि खपत से मोटापा व अन्य बीमारियाँ तथा आहार संबंधी कारकों पर प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य– इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक बालिकाओं द्वारा फास्ट फूड उपभोग पर विज्ञापनों के प्रभाव को ज्ञात करना।

अध्ययन की उपकल्पना– प्रचलित विज्ञापन फास्ट फूड के उपभोग पर सकारात्मक प्रभाव डालते है।

अध्ययन की विधि – प्रस्तुत अध्ययन सागर शहर के संदर्भ में किया गया जिसमें चार शालाओं के 300 बालक बालिकाओं को लिया गया। बालक बालिकाओं का चयन दैव निर्दशन विधि द्वारा किया गया तथा काई स्क्वैयर टैस्ट द्वारा परिकल्पना की सत्यता की जाँच की गई।

व्याख्या एवं विश्लेषण –

तालिका क्र. 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

नये–नये रूपों में फास्ट–फूड को विज्ञापन के द्वारा सभी व्यक्तियों तक पहुँचाया जाता है। बच्चों व उनके अभिभावकों द्वारा देखे जाने वाले विज्ञापनों का प्रभाव परिवार की भोजन सम्बन्धी आदतों पर पड़ता है। प्रस्तुत सारणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 138(92 प्रतिशत) बालकों

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरु महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

पर व 137(91.33 प्रतिशत) बालिकाओं पर विज्ञापन का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार 12(8 प्रतिशत) बालकों पर व 13(8.66 प्रतिशत) बालिकाओं पर विज्ञापन का प्रभाव नहीं पड़ता है अत: हम यह कह सकते है कि बालक-बालिकाओं के लिए विज्ञापन अत्यन्त प्रभावशाली माध्यम है।

5 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर काई वर्ग का परिगणितीय मान 0.59 है जो सारणी मूल्य3.84 से कम है।

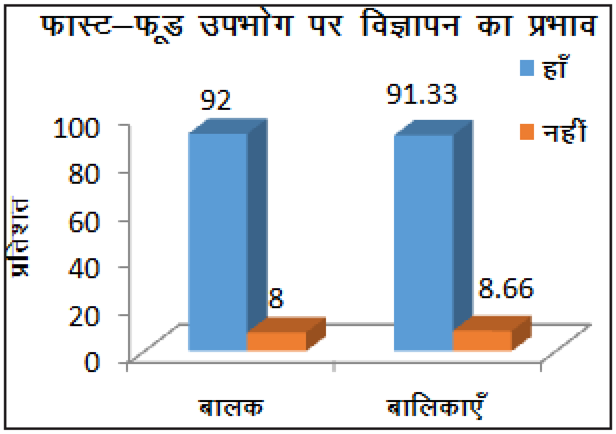

ग्राफ क्र.1 : फास्ट-फूड उपभोग पर विज्ञापन का प्रभाव

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार प्रचलित विज्ञापनों का सकारात्मक प्रभाव देखा गया। जिससे यह ज्ञात होता है कि बालक बालिकाएँ फास्ट फूड के विज्ञापनों से प्रभावित होते पाये गए। परिकल्पना में काई स्क्वैयर टैस्ट से जाँच करने पर 5 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर काई वर्ग का परिगणितीय मान 0.59 है जो सारणी मूल्य3.84 से कम है जिससे सिद्ध होता है कि प्रचलित विज्ञापनों का प्रभाव बालक बालिकाओं पर पाया गया।

सुझाव –

1. फास्ट फूड विज्ञापनों को सीमित करने के लिए टैक्स लगाने चाहिए।
2. स्कूलों में फास्ट फूड उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।
3. फास्ट फूड विज्ञापनों को बढ़ावा न देते हुए पारिवारिक भोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
4. स्कूल के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के लिए उनके भोजन संबंधी कार्यक्रम करवाये जाये व साप्ताहिक मीनू तैयार किया जाये जिसमें वसा रहित एवं पोषण युक्त भोजन का समावेश हो।
5. स्कूल परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर रोक लगाने से बालक बालिकाओं को इनके उपभोग से रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ब्राउन कोनोर एस. एम. 2006: 'फूड रिलेटेड एडवरटाइसिंग ऑन प्रि स्कूल टेलिविजन', बिल्डिंग ब्रान्ड रिकॉगनाइजेशन इन यंग व्यूअरस पेडिट्रिक, 118,1478-1485.
2. हरीसन के. , मारसकि ए. एल. 2005 : 'न्यूट्रिशनल कंन्टेन्ट ऑफ फॅड्स एडवरटाइस्ड ड्यूरिंग द टेलीविजन प्रोग्राम्स चिल्ड्रन वॉच मोस्ट' एम जे पब्लिक हेल्थ 95 : 1568.
3. राय पारसनाथ (1973), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, प्रकाशन आगरा, द्वादश संस्करण, पृ. 61।
4. कपिल एच.के. (2010), सांख्यिकीय के मूल तत्व, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
5. त्रिवेदी आर.एन., शुक्ला डी.पी. (2008), रिसर्च मैथडोलॉजी, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
6. पॉवेल एल. एम. , सुजुपका जी. एन्ड चोलोटका एफ. जे. 2010 : 'ट्रेन्ड्स इन एक्सपोरस टू टेलीविजन फूड एडवाटाइसमेन्ट एमंग चिल्ड्रिन एन्ड एडोलेसेन्ट इन द यूनाईटेड स्टेड', आकाइव्ज् ऑफ पेडियाट्रिक एन्ड एडोलेसेन्ट मेडीसिन, 1649, इ.1-इ.9।
7. पॉवेल एल. एम. , सुजुपाका जी. , चालोपका एफ. जे., ब्रॉनशुइंग सी. एल. 2007 : 'न्यूट्रिशनल कॉन्टेन्ट ऑफ टेलीविजन फूड एडवरटाइसमेन्ट सीन बाय चिल्ड्रन एन्ड एडोलेसेन्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स', पे. 120:576.

तालिका क्र. 1 – फास्ट-फूड उपभोग पर विज्ञापन का प्रभाव

क्र.	फास्ट-फूड उपभोग पर विज्ञापन का प्रभाव	बालक		बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	138	92	137	91.33
2.	नहीं	12	8	13	8.66
	कुल	**150**	**100**	**150**	**100**

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड के सर्वेक्षित ग्रामों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से प्रभावित एवं अप्रभावित अनुसूचित जनजाति के आय स्रोत एवं आय स्तर के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

डॉ. के.के.शर्मा *

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध पत्र में बिलासपुर जिले के कोटा विकास खण्ड के अन्तर्गत कुल 81 ग्राम पंचायतों में से 25 ग्राम पंचायतों का चयन दैव निर्दशन पद्धति से किया गया तथा चयनित ग्राम पंचायतों के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त हितग्राहियों (स्वरोजगारियों) को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कुल 175 परिवार एवं अनुसूचित जाति के 45 परिवार लाभान्वित हुए योजना का इस वर्ग के उत्थान में वास्तविक योगदान ज्ञात करने के लिए योजना से लाभान्वित न होने वाले (गैर हितग्राही) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमश: 175 एवं 45 गैर हितग्राही परिवारों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजागर योजना का अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक उत्थान में योगदान ठीक-ठीक ज्ञात किया जा सके। इस प्रकार अनुसूचित जाति के 45 एवं अनुसूचित जनजाति के 175 परिवारों का अध्ययन किया गया है। जिनसे प्रश्नावली, अनुसूची साक्षात्कार एवं अवलोकन द्वारा जानकारियाँ प्राप्त कर उनका बिन्दुवार विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुँजी - अजजा- अनुसूचित जनजाति, अजा- अनुसूचित जाति, S.G.S.Y- स्वर्ण जयन्ती ग्राम श्रोज़गार योजना, आई.आर.डी.पी.- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम- ग्रामीण युवा रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रम, डवाकरा- ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, एम.डब्लू.एस.- दस लाख कुओं की योजना, जे.के.एल.- गंगा कल्याण योजना, एस.एच.जी.- स्व-सहायता समूह, डी.आर.डी.ए - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, J.R.Y.। जवाहर रोजगार योजना।

प्रस्तावना - अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक अध्ययन में आय स्त्रोत एवं आय स्तर एक महत्वपूर्ण घटक होता है। हितग्राहियों का योजना से लाभ लेने के पूर्व उनका आय स्त्रोत एवं आय स्तर क्या था? तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के उपरांत आय स्त्रोत एवं आय स्तर में क्या परिवर्तन आया? तथा गैर-हितग्राहियों की अपेक्षा क्या भिन्नता है? इस दृष्टि से क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के आय स्त्रोत एवं आय स्तर का अध्ययन किया गया है। जिस स्त्रोत से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है उसे आय स्त्रोत माना गया है। अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राही एवं अनुसूचित जाति के 45 हितग्राही (जिन्होंने योजना से सहायता प्राप्त की है) इसी प्रकार कमश: 175 एवं 45 गैर हितग्राही (जिन्होंने योजना से सहायता प्राप्त नहीं की है) कुल 390 परिवारों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित अनुसूचति जनजाति के हितग्राहियों एवं गैर हितग्राहियों के आय स्तर में परिवर्तन का विश्लेषण-सारणी कमांक 1.1 से स्पष्ट है कि चयनित ग्राम पंचायतों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से 0-6 हजार आय स्तर के 11 हितग्राही (6.29 प्रतिशत), 6-11 हजार आय स्तर के 114 हितग्राही (65.14 प्रतिशत), 11-15 हजार आय स्तर के 32 हितग्राही (18.29प्रतिशत), 15-21 हजार आय स्तर के 15 हितग्राही (08.57 प्रतिशत) तथा 21-40 हजार आय स्तर के 03 हितग्राही (1.71 प्रतिशत) लाभान्वित हुए हैं।

सारणी क्रमांक 1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 1

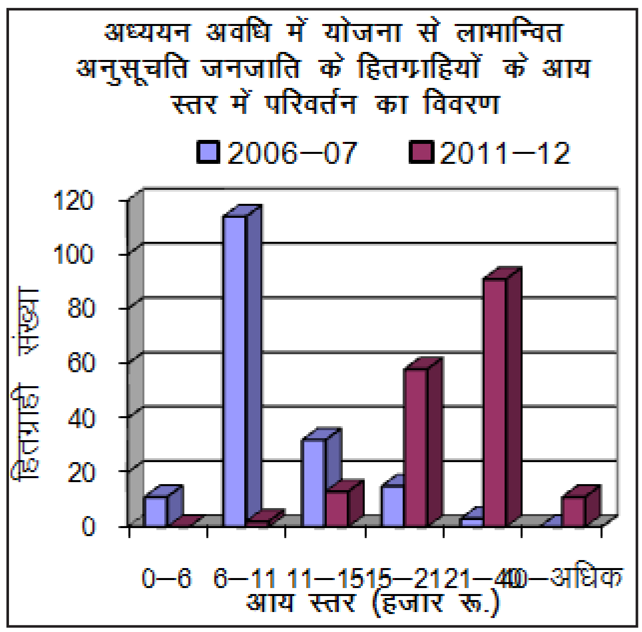

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के पश्चात वर्ष 2006-07 में 0-6 हजार रूपये आय स्तर में रह रहे 11 हितग्राहियों में से वर्ष 2011-12 में 03 हितग्राही 11-15 हजार आय स्तर, 06 हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर एवं 02 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। वर्ष 2006-07 में 6-11 हजार आय स्तर में रह रहे 114 हितग्राहियों में से 2011-12 में 02 हितग्राही अपने आय स्तर में वृद्धि

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डी. पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

करने में असफल रहे। शेष 112 हितग्राहियों के आय स्तर में वृद्धि हुई, जिसमें से 10 हितग्राही 11-15 हजार आय स्तर, 48 हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर, 52 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर एवं 02 हितग्राही 40 हजार से ऊपर आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। 2006-07 में 11-15 हजार आय स्तर में रह रहे 32 हितग्राहियों में से 2011-12 में 04 हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर, 24 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर एवं 04 हितग्राही 40 हजार के ऊपर आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। 2006-07 में 15-21 हजार आय स्तर में रह रहे 15 हितग्राहियों में से 2011-12 में 13 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर और 02 हितग्राही 40 हजार के ऊपर आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। 2006-07 में 21-40 हजार आय स्तर में रह रहे 03 हितग्राही में से 2011-12 में 40 हजार से ऊपर आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। योजना से सर्वेक्षित 175 लाभान्वित परिवार में से 173 परिवार (98.86 प्रतिशत) उच्च आय वर्ग में प्रतिस्थापित हुए, जिसे योजना का उच्च धनात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। 02 परिवार (1.14 प्रतिशत) उसी आय स्तर पर बने रहे, जिसे निम्न प्रभाव कहा जा सकता है। सारणी कमांक 1.2 से स्पष्ट है कि चयनित ग्राम पंचायतों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 175 गैर हितग्राहियों में से 0.6000 आय स्तर के 38 हितग्राही (21.71प्रतिशत), 6-11 हजार आय स्तर के 122 हितग्राही (69.71 प्रतिशत), 11-15 हजार आय स्तर के 12 हितग्राही (06.86 प्रतिशत), 15-21 हजार आय स्तर के 01 हितग्राही (00.57 प्रतिशत) तथा 21-40 हजार आय स्तर के 02 हितग्राही (01.14प्रशित) आय स्तर पर थे।

सारणी क्रमांक 1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के पश्चात वर्ष 2006-07 में 0-6 हजार रूपये आय स्तर में रह रहे 38 गैर हितग्राहियों में से वर्ष 2011-12 में 20 गैर हितग्राही अपने पूर्व आय स्तर में ही बने रहे। 10 गैर हितग्राही 06-11 हजार आय स्तर पर, 06 गैर हितग्राही 11-15 हजार आय स्तर एवं 02 गैर हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर प्रतिस्थापित हुए।

आरेख क्र. -2

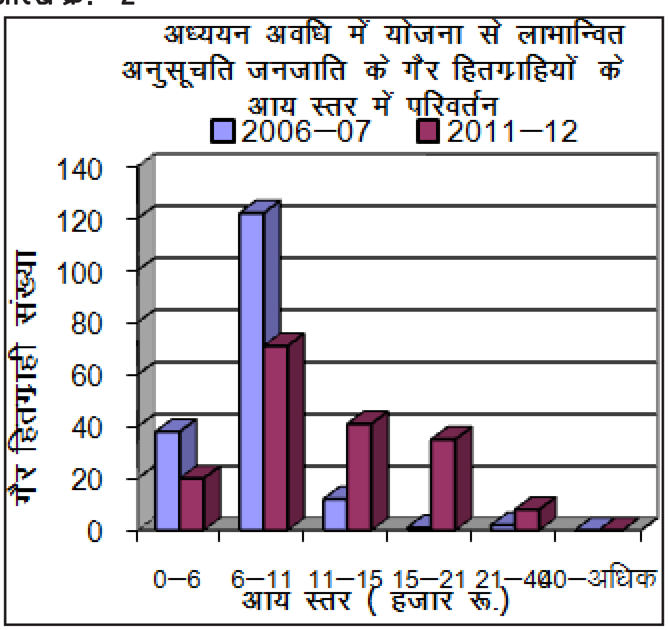

वर्ष 2006-07 में 6-11 हजार आय स्तर में रह रहे 122 गैर हितग्राहियों में से 2011-12 में 61 गैर हितग्राही अपने आय स्तर में वृद्धि करने में असफल रहे। शेष 61 गैर हितग्राहियों के आय स्तर में वृद्धि हुई, जिसमें से 32 गैर हितग्राही 11-15 हजार आय स्तर, 27 गैर हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर एवं 02 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। 2006-07 में 11-15 हजार आय स्तर में रह रहे 12 हितग्राहियों में से 2011-12 में 03 गैर हितग्राही अपने आय स्तर में परिवर्तन करने में असफल रहे। 05 गैर हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर एवं 04 गैर हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। 2006-07 में 15-21 हजार आय स्तर में रह रहे एक मात्र गैर हितग्राही अपने आय स्तर में परिवर्तन करने में असफल रहा। 2006-07 में 21-40 हजार आय स्तर में रह रहे 02 गैर हितग्राही में से 2011-12 में दोनों ही गैर हितग्राही अपने आय स्तर पर बने रहे। इस तरह योजना से अलाभान्वित 88 परिवार (50.29 प्रतिशत) उच्च आय वर्ग में प्रतिस्थापित हुए जिसे योजना का उच्च धनात्मक प्रभाव कहा जा सकता है, 87 परिवार (49.71 प्रतिशत) उसी आय स्तर पर बने रहे जिसे निम्न प्रभाव कहा जा सकता है। योजना से अलाभान्वित गैर हितग्राहियों में 49.71 प्रतिशत निम्न प्रभाव की तुलना में योजना से लाभान्वित हितग्राहियों में कम 01.14 प्रतिशत निम्न प्रभाव दर्ज किया गया।

अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति के हितग्राहियों एवं गैर हितग्राहियों के आय स्तर में परिवर्तन का विश्लेषण - सारणी क्रमांक 1.3 से स्पष्ट है कि चयनित ग्राम पंचायतों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 45 हितग्राहियों में से 0-6 हजार आय स्तर के 12 हितग्राही (26.67प्रतिशत), 6-11 हजार आय स्तर के 28 हितग्राही (62.22 प्रतिशत), 11-15 हजार आय स्तर के 03 हितग्राही (6.57 प्रतिशत), तथा 21-40 हजार आय स्तर के 02 हितग्राही (04.44 प्रतिशत) लाभान्वित हुए हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के पश्चात वर्ष 2006-07 में 0-6 हजार रूपये आय स्तर में रह रहे 12 हितग्राहियों में से वर्ष 2011-12 में 04 हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर एवं 08 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए।

सारणी क्रमांक - 1.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 3

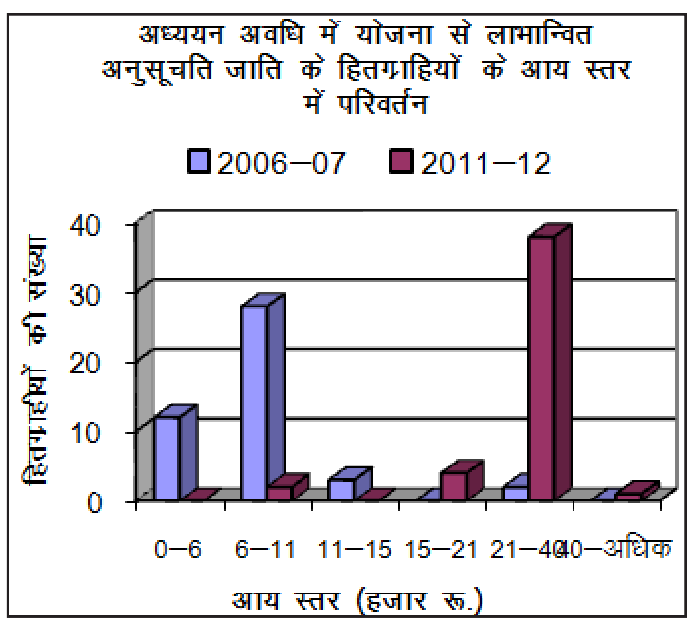

2011-12 में 02 हितग्राही अपने आय स्तर में वृद्धि करने में असफल रहे। शेष 26 हितग्राहियों के आय स्तर में वृद्धि हुई, सभी हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। 2006-07 में 11-15 हजार आय स्तर में रह रहे 03 हितग्राहियों में से 2011-12 में सभी 03 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। 2006-07 में 21-40 हजार आय स्तर में रह रहे 02 हितग्राही में से 2011-12 में 01 हितग्राही 21-40 हजार के आय स्तर एवं 01 हितग्राही 40 हजार से ऊपर आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। योजना से 43 परिवार (95.56 प्रतिशत) उच्च आय वर्ग में प्रतिस्थापित हुए, जिसे योजना का उच्च धनात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। 02 परिवार (4.44 प्रतिशत) उसी आय स्तर पर बने रहे जिसे निम्न प्रभाव कहा जा सकता है।

सारणी क्रमांक - 1.4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 4

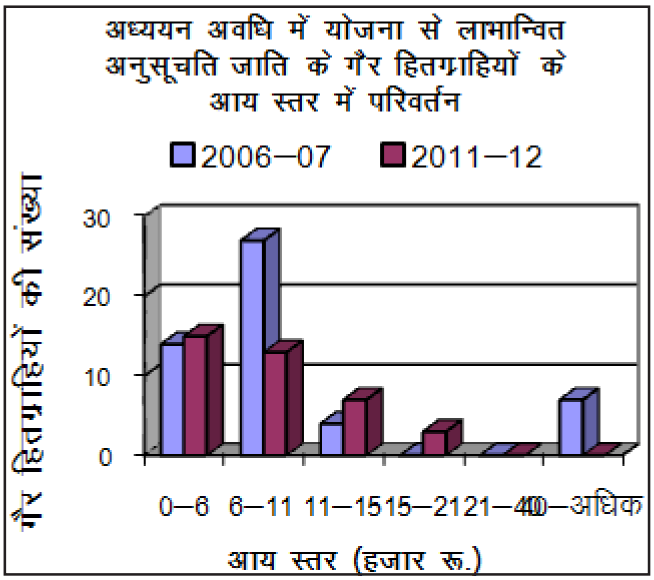

सारणी क्रमांक 1.4 से स्पष्ट है कि चयनित ग्राम पंचायतों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 45 गैर हितग्राहियों में से 0-6 हजार आय स्तर के 14 हितग्राही (31.11प्रतिशत), 6-11 हजार आय स्तर के 27 हितग्राही (60 प्रतिशत), 11-15 हजार आय स्तर के 04 हितग्राही (08.89 प्रतिशत) आय स्तर पर थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के पश्चात वर्ष 2006-07 में 0-6 हजार रूपये आय स्तर में रह रहे 14 गैर हितग्राहियों में से वर्ष 2011-12 में 07 गैर हितग्राही अपने पूर्व आय स्तर में ही बने रहे। 04 गैर हितग्राही 06-11 हजार आय स्तर पर एवं 03 गैर हितग्राही 11-15 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए । वर्ष 2006-07 में 6-11 हजार आय स्तर में रह रहे 27 गैर हितग्राहियों में से 2011-12 में 11 गैर हितग्राही अपने आय स्तर में वृद्धि करने में असफल रहे। शेष 16 गैर हितग्राहियों के आय स्तर में वृद्धि हुई, जिसमें से 08 गैर हितग्राही 11-15 हजार आय स्तर, 06 गैर हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर एवं 02 हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए । 2006-07 में 11-15 हजार आय स्तर में रह रहे 04 हितग्राहियों में से 2011-12 में 02 गैर हितग्राही अपने आय स्तर में परिवर्तन करने में असफल रहे। 01 गैर हितग्राही 15-21 हजार आय स्तर एवं 01 गैर हितग्राही 21-40 हजार आय स्तर पर प्रतिस्थापित हुए। इस तरह योजना से अलाभान्वित 25 परिवार (55.56 प्रतिशत) उच्च आय वर्ग में प्रतिस्थापित हुए, जिसे योजना का उच्च धनात्मक प्रभाव कहा जा सकता है, 20 परिवार (44.44 प्रतिशत) उसी आय स्तर पर बने रहे जिसे निम्न प्रभाव कहा जा सकता है। योजना से अलाभान्वित गैर हितग्राहियों में 44.44 प्रतिशत निम्न प्रभाव की तुलना में योजना से लाभान्वित हितग्राहियों में कम 04.44 प्रतिशत निम्न प्रभाव दर्ज किया गया।

अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित (प्रभावित) अनुसूचित जनजाति के आय स्त्रोत का विश्लेषण - अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों के आय स्त्रोत में परिवर्तन हुआ है, जिसे निम्न बिन्दुओं के आधार पर विश्लेषण किया गया है:-

कृषि क्षेत्र:- सारणी क्रमांक 1.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-2007 में अनुसूचित जनजाति के सर्वेक्षित 175 हितग्राही परिवारों में से 76 परिवारों (43.43 प्रतिशत) का आय स्त्रोत कृषि था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या घटकर 65 हितग्राही (37.14 प्रतिशत) हो गयी अर्थात् 06.29 प्रतिशत कमी आयी है। वहीं अनुसूचित जाति के सर्वेक्षित 45 हितग्राही परिवारों में से 15 परिवारों(33.33 प्रतिशत) का आय स्रोत कृषि था जोकि अंतिम वर्ष 2011-12 में घट कर मात्र 05 परिवार (11.11 प्रतिशत) रह गया।

सारणी क्रमांक-1.5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आरेख क्र. - 1.5

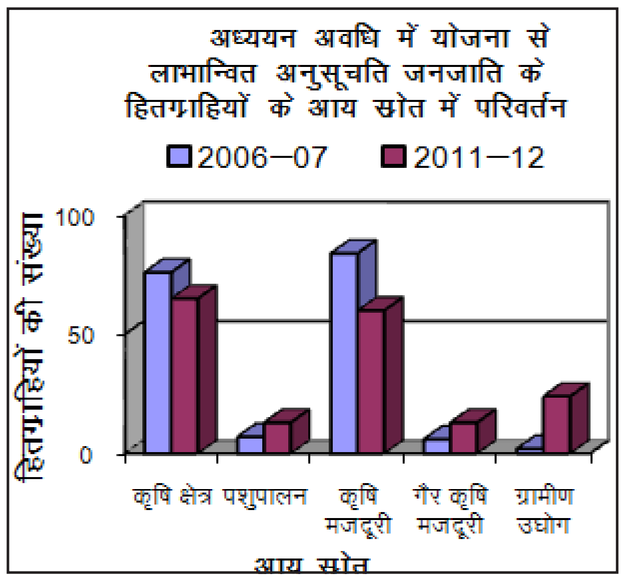

आरेख क्र. - 1.6

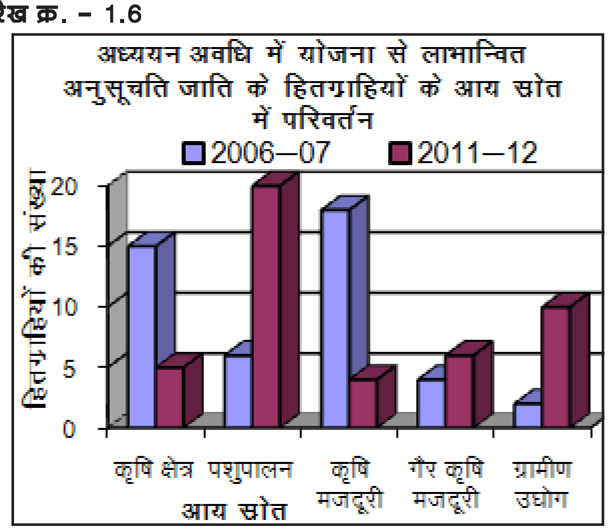

विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के पश्चात् कृषि आय स्त्रोत से आश्रितता में कमी आकर अन्य जीविकोपार्जन के साधन जैसे- पशुपालन एवं अन्य ग्रामीण उद्योग व्यवसायों को अपनाया है जो विकास को इंगित करता है।

पशुपालन:- सर्वेक्षित क्षेत्र के 2006-07 में अनुसूचित जनजाति के 07 (04 प्रतिशत) हितग्राहियों का आय स्त्रोत पशुपालन था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या बढ़कर 13 हितग्राही (7.43 प्रतिशत) हो गयी अर्थात 3.43 प्रतिशत वृद्धि हुई। वहीं अनुसूचित जाति के 06 (13.33 प्रतिशत) हितग्राहियों का आय स्त्रोत पशुपालन था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या बढ़कर 20 हितग्राही (44.44 प्रतिशत) हो गयी अर्थात 31.11 प्रतिशत भारी वृद्धि हुई।विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के पशुपालन से आय स्त्रोत के रूप में वृद्धि हुई है और पशुपालन व्यवसाय को और अधिक विकसित किया है।

कृषि मजदूरी:- सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-2007 में अनुसूचित जनजाति के 175 हितग्राहियों में से 84 परिवारों (48.00 प्रतिशत) का आय स्त्रोत कृषि था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या घटकर 60 हितग्राही (34.29 प्रतिशत) हो गयी अर्थात् 13.71 प्रतिशत कमी आयी है। वहीं अनुसूचित जाति के 45 हितग्राही परिवारों में से 18 परिवारों (40.00 प्रतिशत) का आय स्रोत कृषि था जोकि अंतिम वर्ष 2011-12 में घट कर मात्र 04 परिवार (08.89 प्रतिशत) रह गया। अर्थात 31.11 प्रतिशत की भारी कमी आई। विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि मजदूरी आय स्त्रोत को परिवर्तित कर अन्य क्षेत्रों को आय स्त्रोत बनाने में सफल हुए हैं। स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना कृषि मजदूरों के आय स्त्रोत परिवर्तन करने में सफल रही है।

गैर कृषि मजदूरी:- सर्वेक्षित क्षेत्र के 2006-07 में अनुसूचित जनजाति के 06 (04.49 प्रतिशत) हितग्राहियों का आय स्त्रोत पशुपालन था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या बढ़कर 13 हितग्राही (7.49 प्रतिशत) हो गयी अर्थात 3.00 प्रतिशत वृद्धि हुई। वहीं अनुसूचित जाति के 04 (08.89 प्रतिशत) हितग्राहियों का आय स्त्रोत पशुपालन था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या बढ़कर 06 हितग्राही (13.33 प्रतिशत) हो गयी अर्थात 04.44 प्रतिशत वृद्धि हुई। विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के गैर कृषि मजदूरी से आय स्त्रोत के रूप में वृद्धि हुई है और कृषि मजदूरी की ओर से रूझान कम हुआ है।

ग्रामीण उद्योग व्यवसाय:-सर्वेक्षित क्षेत्र के 2006-07 में अनुसूचित जनजाति के 02 (01.14 प्रतिशत) हितग्राहियों का आय स्त्रोत ग्रामीण उद्योग था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या बढ़कर 24 हितग्राही (13.71 प्रतिशत) हो गयी अर्थात 12.57 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। वहीं अनुसूचित जाति के 02 (04.44 प्रतिशत) हितग्राहियों का आय स्त्रोत पशुपालन था, वर्ष 2011-12 में इसकी संख्या बढ़कर 10 हितग्राही (22.22 प्रतिशत) हो गयी अर्थात 17.78 प्रतिशत भारी वृद्धि हुई। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कमश: 24 (53.33 प्रतिशत) एवं 35 (20 प्रतिशत) हितग्राहियों ने अपने आय स्त्रोत कृषि एवं कृषि मजदूरी को परिवर्तन करने में सफल हुए और पशुपालन, गैर कृषि मजदूरी एवं ग्रामीण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र में प्रतिस्थापित हुए योजना से कृषि के आय स्त्रोत से आश्रितता में कमी आयी है जो विकास को दर्शाता है। लोगों का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में प्रवेश योजना के माध्यम से बढ़ा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. पुस्तक-

1. पन्त, जे.सी. (1984), *अर्थशास्त्र के सिद्धांत*, द्वितीय पूर्णत: संशोधित संस्करण, साहित्य भवन, आगरा
2. पन्त, जे.सी.(1989-90), *जनांकिकी*, 5वाँ संशोधित संस्करण, गोयल पब्लिशिंग हाऊस सुभाष, मेरठ - 2।
3. रूद्रदत्त एवं सुन्दरम, के.पी.एम. (1990), *भारतीय अर्थव्यवस्था*, 20वाँ संस्करण।, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
4. सुन्दरम, के.पी. एम. (1995), भारतीय अर्थव्यवस्था, 25वाँ संस्करण, श्रीचंद कंपनी लि. नई दिल्ली।
5. सिन्हा, वी.सी. एवं सिन्हा, पुष्पा (1989), *श्रम अर्थशास्त्र*, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दरियागंज, नई दिल्ली।
6. श्रीवास्तव, एस.बी.(1985), *जनांकिकीय सिद्धांत*, तकनीकी एवं अध्ययन, चतुर्थ संस्करण, शिक्षा साहित्य प्रकाशन, मेरठ।
7. Mishra, S.N. (2003). Rural Employment & Traysem : A Case study From Rajasthan, B.R. Pub., New Delhi.
8. Mishra, S.N. & Madan, G.R (1984) Rural Employment & Trysem India's Developing Village, & Print House, Laucknow.
9. Murthy, K.L.N. (2003), Planning for Integrated Area Development : A Case Strudy from Andhra Pradesh, Atlantic Pub., New-Delhi.
10. Narayan, S. (2003), Dimensions of Development in Trabal: Bihar, B.R.Pub., Nwe Delhi.
11. Rajagopal, (2003), Indian Agriculture: An Analysis of Backword & Fore word linkages, B.R. Pub., New Delhi.

2. पत्रिका-

1. Devi, R.Uma, A Study on Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana Scheme in Generating Self – Employment pportunities, IJSST Vol.1 No.9
2. Karamvir. Appraisal of SGSY. Indian Streems Research Journal, July 2013, ISSN 2230-7850, Vol.-3.Issue-6.

3. शासकीय प्रकाशन एवं प्रतिवेदन:-

1. Evaluation of SGSY in Selected Blocks of M.P., 2007, Planning Commission, New Delhi.
2. Report of the Committee on Credit Related Issued Under SGSY, February 2009, DoRD MoRD GOI.
3. वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, योजना आयोग, भारत सरकार।
4. वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. वार्षिक रिपोर्ट 2011-12, योजना आयोग, भारत सरकार।
6. वार्षिक रिपोर्ट 2011-12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. विशेष रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार।

4. वेबसाइट-

1. www.rural.nic.in
2. www.planningcommission.gov.in
3. www.woridbank.org
4. www.cag.gov.in
5. www.indiastat.com

सारणी क्रमांक 1.1अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के आय स्तर में परिवर्तन का विवरण

क्र.	2006-07 में आय स्तर (हजार रूपये में)	हितग्राहियों की संख्या / प्रतिशत	2011-12 में आय स्तर (हजार रूपये में)					
			0-6	6-11	11-15	15-21	21-40	40-अधिक
1	0-6	11	-	-	3	6	2	0
		6.29	-	-	1.71	3.43	1.14	0.00
2	6-11	114	-	2	10	48	52	2
		65.14	-	1.14	5.71	27.43	29.71	1.14
3	11-15	32	-	-	-	4	24	4
		18.29	-	-	-	2.29	13.71	2.29
4	15-21	15	-	-	-	-	13	2
		8.57	-	-	-	-	7.43	1.14
5	21-40	3	-	-	-	-	-	3
		1.71	-	-	-	-	-	1.71
	योग	**175**	**0**	**2**	**13**	**58**	**91**	**11**
	प्रतिशत	**100.00**	**0.00**	**1.14**	**7.43**	**33.14**	**52.00**	**6.29**

स्रोत- सर्वेक्षण से प्राप्त प्रारम्भिक आंकडे

सारणी क्रमांक 1.2अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के गैर हितग्राहियों के आय स्तर में परिवर्तन का विवरण

क्र.	2006-07 में आय स्तर (हजार रूपये में)	गैर हितग्राहियों की संख्या / प्रतिशत	2011-12 में आय स्तर (हजार रूपये में)					
			0-6	6-11	11-15	15-21	21-40	40-अधिक
1	0-6	38	20	10	06	02	0	0
		21.71	11.43	05.71	03.49	1.14	0.00	0.00
2	6-11	122	0	61	32	27	2	0
		69.71	0.00	34.86	18.29	15.43	1.14	0.00
3	11-15	12	0	0	3	5	4	0
		6.86	0.00	0.00	1.71	2.86	2.29	0.00
4	15-21	1	0	0	0	01	0	0
		0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
5	21-40	2	0	0	0	0	02	0
		1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	01.14	0
	योग	**175**	**20**	**71**	**41**	**35**	**08**	**0**
	प्रतिशत	**100.00**	**11.43**	**40.57**	**23.43**	**20.00**	**4.57**	**0**

स्त्रोत: साक्षात्कार एवं प्रश्नावली अनुसूची

सारणी क्रमांक – 1.3अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के आय स्तर में परिवर्तन का विवरण

क्र.	2006–07 में आय स्तर (हजार रूपये में)	हितग्राहियों की संख्या / प्रतिशत	2011–12 में आय स्तर (हजार रूपये में)					
			0–6	6–11	11–15	15–21	21–40	40–अधिक
1	0–6	12	0	0	0	4	8	0
		26.67	0.00	0.00	0.00	8.89	17.78	0.00
2	6–11	28	0	2	0	0	26	0
		62.22	0.00	4.44	0.00	0.00	57.78	0.00
3	11–15	3	0	0	0	0	3	0
		6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00
4	15–21	0	0	0	0	0	0	0
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	21–40	2	0	0	0	0	1	1
		4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22
	योग	**45**	**0**	**2**	**0**	**4**	**38**	**1**
	प्रतिशत	**100.00**	**0.00**	**4.44**	**0.00**	**8.89**	**84.44**	**2.22**

स्रोत:– सर्वेक्षण द्धारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

सारणी क्रमांक – 1.4अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति के गैर हितग्राहियों के आय स्तर में परिवर्तन का विवरण

क्र.	2006–07 में आय स्तर (हजार रूपये में)	गैर हितग्राहियों की संख्या / प्रतिशत	2011–12 में आय स्तर (हजार रूपये में)					
			0–6	6–11	11–15	15–21	21–40	40–अधिक
1	0–6	14	07	04	03	00	00	0
		31.11	15.56	8.89	6.67	0.00	0.00	0.00
2	6–11	27	00	11	08	06	02	0
		60	0.00	24.44	17.78	13.33	4.44	0.00
3	11–15	04	00	00	02	01	01	0
		8.89	0.00	0.00	4.44	2.22	2.22	0.00
4	15–21	00	00	00	00	00	00	00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	21–40	00	00	00	00	00	00	00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**45**	**07**	**15**	**13**	**07**	**3**	**0**
	प्रतिशत	**100.00**	**15.56**	**33.33**	**28.88**	**15.56**	**6.67**	**0.00**

स्रोत:– सर्वेक्षण द्धारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

सारणी क्रमांक-1.5 अध्ययन अवधि में योजना से लाभान्वित अनुसूचति जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के आय स्रोत में परिवर्तन की स्थिति

क्र.	आय स्रोत	अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या			अनुसूचित जाति हितग्राहियों की संख्या		
		2006-07	2011-12	परिवर्तन (प्रतिशत में)	2006-07	2011-12	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	कृषि क्षेत्र	76	65	-6	15	5	-22
2	पशुपालन	7	13	3	6	20	31
3	कृषि मजदूरी	84	60	-14	18	4	-31
4	गैर कृषि मजदूरी	6	13	4	4	6	4
5	ग्रामीण उद्योग	2	24	13	2	10	18
	योग	**175**	**175**	**0**	**45**	**45**	**0**

स्रोत:- सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़े

****

Information and Communication Technologies : Pros and Cons

Dr. K.R.Kanude* Mrs. Moulshree Kanude**

Abstract - This research paper is based on the use of information and communication technology (ICT) in education. The origination of Information and communication technology has made tremendous changes in the present day world. There is no area that has been untouched by this digital phenomena. The invention of ICT in education helped to improve the quality of education where teaching and learning eventually became an engaging active process related to real life. Twenty-first-century teaching learning skills emphasize the need to transform the conventional teacher-centered pedagogy to more learner-centered methodology. Live and Active learning conditions facilitated by ICT helps to develop a knowledge-based student community.
Keywords - ICT; Technology Integration; pros &cons of ICT use.

Introduction - Internet is an infinite available online resource 24 hours a day. The **Information and Communication Technologies** are monopolizing almost all areas of society, especially in some environments such as education. Students and teachers can use it as an almost infinite resource. But, like any tool, it has its positive side and negative side that is not so much.

What is ICT?

CT is an acronym for "information communications technology". There are two options of what the acronym ICT could stand for:

1. information and communication technology.
2. information, communication and technology.

Case: 1

Most people will say that ICT is a shortening for "**information and communications technology**" – option number one above. Let's unpack that phrase. So it is "information technology" or "communications technology". It is not "information" or "communication" standing on its own. "Information" or "communication" has to go with technology – they cannot exist independently. You could shorten information and communications technology to just technology.

Case: 2

In others view, it should be "**information, communication and technology**" . Each aspect of the acronym can stand on its own. So it includes "information" or "communication". It also includes technology or "information and communications technology". This interpretation is wider. Another way of looking at it is that ICT stands for:

1. Information – (or data) in paper or electronic format
2. Communication – in person or electronically (electronic communications), in writing or voice, telecommunications, and broadcasting
3. Information technology (IT) – including software, hardware and electronics
4. Communications technology – including protocols, software and hardware

Information and Communications Technology (ICT) can enhance student learning when teachers are digitally literate and know how to integrate it into curriculum. Schools use a diverse set of ICT tools to communicate, create, disseminate, store, and manage information. In some contexts, ICT has also become integral to the teaching-learning interaction, through such approaches as replacing chalkboards with interactive digital whiteboards, using students' own smart phones or other devices for learning during class time, and the "flipped classroom" model where students watch lectures online at home and use classroom time for more interactive activities.

When teachers are digitally literate and trained to use ICT, these approaches can lead to higher order thinking skills, provide creative and individualized options for students to express their understandings, and leave students better prepared to deal with current technological change in society and the workplace. ICT issues planners must consider include: considering the total cost-benefit equation, supplying and maintaining the requisite infrastructure, and ensuring investments are matched with teacher support and other policies aimed at effective ICT use

Pros of ict-based education:

1. Improves betrothment: When technology is integrated into lessons, students are expected to take more

*Asst. Professor (Chemistry) Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) INDIA
** Asst. Professor (Sociology) Govt. College, Meghnagar, Jhabua (M.P.) INDIA

interest in the subjects they are studying. Technology provides different opportunities to make learning more fun and enjoyable. For instance, delivering teaching through gamification, taking students on virtual trips and using other online learning resources. What is more, technology can encourage active participation in the learning process which can be hard to achieve through a traditional lecture methods.

2. **Improves knowledge retentivity**: Students who are engaged and interested in things they are studying, are expected to have a better knowledge retention. As discussed above, technology can help to encourage active participation in the classroom which also is a very important factor for increased knowledge retention. Different forms of technology can be used to experiment and decide what works best for students in terms of retaining their knowledge.

3. **Encourages individual learning**: No one learns in the same way because of different learning styles and different abilities. Technology provides great opportunities for making learning more effective for everyone with different needs. For example, students can learn at their own speed, review difficult concepts or skip ahead if they need to. What is more, technology can provide more opportunities for struggling or disabled students. Access to the Internet gives students access to a broad range of resources to conduct research in different ways, which in turn can increase the engagement.

4. **Encourages participation**: Students can practice association skills by getting involved in different online activities. For instance, working on different projects by associating with others on forums or by sharing documents on their virtual learning environments. Technology can encourage participation with students in the same classroom, same school and even with other classrooms around the world.

5. **Students can learn useful skills for life through it:** By using technology in the classroom, both teachers and students can develop skills essential for this century. Students can gain the skills they will need to be successful in the future. Modern learning is about collaborating with others, solving complex problems, critical thinking, developing different forms of communication and leadership skills, and improving motivation and productivity. What is more, technology can help develop many practical skills, including creating presentations, learning to differentiate reliable from unreliable sources on the Internet, maintaining proper online etiquette, and writing emails. These are very important skills that can be developed in the classroom.

6. **Benefits for teachers**: With infinite online resources, technology can help improve teaching. Teachers can use different applications or online resources to enhance the traditional ways of teaching and to keep students more attentive. Virtual lesson plans, grading software and online assessments can help teachers save a lot time. This valuable time can be used for working with students who are struggling. What is more, having virtual learning environments in schools enhances collaboration and knowledge sharing between teachers.

Cons of ict-based education:

1. **Student Aloofness:** Criminals, marketers, and other persons can easily get information from students when they are online. These could be danger to students' lives or may even lead to litigation against the school. To avoid this problem, students should be educated on the cons of giving information to people online. Parents and teachers need to check students' online activities.

2. **Low Income Groups**: According to the Department of Education, over 50% of public schools with a high minority enrollment had a lower rate of Internet access than public schools. The same was true of instructional rooms in those schools. In addition, students from low-income families may not have computers at home or may have computers at home with no access to the Internet. To reduce the effect that social or economic status may have, we should give Internet assignments that students can easily complete while in school. If necessary, schools may need to keep computer labs open for longer time. The use of computers at public libraries should also be encouraged.

3. **Construction/Preparation Time**: It takes a lot of time to effectively use the Net for preparing education plan. In addition to designing Internet based lesson plans, we may have to surf the Internet to download lesson plans and adapt them to support the curriculum objectives or visit sites to select those appropriate for classes. We have no choice but prepare in order to help your students become responsible user of the Internet.

4. **New Administrative Duties:** Teaching using the Internet brings to bear a new set of administrative demands on the teacher and the school administration. These include development and implementation of acceptable use policy, training, developing new evaluation criteria as needed, and addressing parents' concerns.

5. **Intrusions:** The Internet, as well as an inexhaustible source of knowledge, is as much a disturbing. It is very easy that **with this tool there is loss of time**, so **each person must self-censor** on these issues and leave the distractions of the internet for leisure time, avoiding them when working or studying.

Discussion - India continues to be driven by the use of technology. It touched upon the merits of ICT integration in schools, barriers or challenges encountered in the use of ICT, factors influencing successful ICT integration, in-service and pre-service teachers' attitudes, perceptions, and confidence in using ICT as well as the importance of school culture in the use of ICT. This review discusses gaps in the literature and the directions that future studies may take to address these gaps.

Conclusion - While experts believe that the human psychology behind learning has not changed vastly over time, the external factors affecting how we understand, retain and receive new material are constantly evolving. As the digital revolution accelerates, technology gives us

exciting opportunities to enhance learning experiences and achieve learning goals. Applying learning scientific concepts to IT education, educators can create a dynamic, digital, and hands-on learning experience that is tailored, flexible, and relevant, developing the talent needed to power the digital economy.

Combining the learning sciences with digital innovation, we can gear up the best of what digitally enhanced and human-driven education have to offer, creating learning experiences that keep pace with the digital skills demanded by the market. In turn, affecting individual lives, supporting business and transforming global communities.

References :-

1. D.M.Watson" Pedagogy before technology: Re-thinking the relationship between ICT and teaching. Education and Information technologies, vol 6 no, Dec. 2001
2. N Davis and T. Penni. "The Research and Development of an International Core Curriculum for Information and CommunicationsTechnology in Teacher Training." 1999.
3. G. R Angadi, "An Effective Use of ICT Is a Change Agent for Education". Online International Interdisciplinary Research Journal, vol 4, SSN.2249-9598, 2014
4. R.Oliver "Creating meaningful contexts for learning in web-based settings. Proceedings of open learning", Brisbane: Learning Network, Queensland. Dec. 2000.
5. D. Jonassen, and T. Reeves,Learning with technology: Using computers as cognitive tools. Handbook of Research Educational on Educational Communications and Technology. New York: Macmillan. 1996,
6. A D. H. Jonassen, Computers and Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1999.
7. G. McMahon, "Critical Thinking and ICT Integration in a Western Australian Secondary School." Educational Technology & Society Vol 12, no. 4 pp 269-281.Oct.2009.
8. M. Gredler, Learning and instruction: Theory into practice, pp 332-359, New York City, NY: Prentice-Hall 2000.

****

Synthesis and Spectral Characterization of Iron based Nanoparticles

Hemeshvari Dadhore* Charanjit Kaur**

Abstract - Nanotechnology has many successful applications in different fields but currently its application for water and wastewater treatment has emerged as a fast developing, promising area. In the present work, zero valent iron nanoparticles were synthesized by the method of tetrahydrate ferrous chloride ($FeCl_2.4H_2O$) reduction using sodium borohydride as a reducing agent under atmospheric conditions. A systematic characterization of zero valent iron (ZVI) was performed using FTIR, XRD and SEM studies. The obtained iron nanoparticles are mainly in zero valent oxidation state. This study demonstrates that nano zero valent iron (nZVI) can be an effective and versatile tool for the purification of different matrix and especially groundwater.
Keywords - Zero valent iron, Synthesis, Nanoparticles, XRD, SEM, and FTIR.

Introduction - Iron nanoparticles are an attractive component for nano remediation. Iron at the nanoscale was synthesized from Fe (II) and Fe (III), using borohydride as the reductant. Nanoscale zero valent iron particles range from 10 to 100 nm in diameter. They exhibit a typical core shell structure. The core consists primarily of zero valent or metallic iron whereas the mixed valent [i.e., Fe (II) and Fe (III)] oxide shell is formed as a result of oxidation of the metallic iron. Iron typically exists in the environment as iron (II) and iron (III) oxides [1]. Nano zero valent iron (nZVI) are generally preferred for nano remediation because of large surface area of nanoparticles and more number of reactive sites than micro sized particles [2] and it possess dual properties of adsorption and reduction. This enables it to be used for the remediation of wide range of contaminants present in situ. Moreover, when zero valent iron was allowed greater access to the contaminant site, it was found to give out less amount of hazardous waste during the treatment process [3]. Zero valent iron can also be modified based on the contaminants present. It could be modified to include catalysts like palladium, coatings such as polyelectrolyte or triblock polymers [4] or can be encased in emulsified vegetable oil micelles [5]. In last two decades nanoscale iron particles were investigated for their effect on a number of common pollutants in groundwater and contaminated soil. The results showed that the nanoscale iron particles were highly effective for the transformation and detoxification of a number of pollutants especially chlorinated organic solvents, organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls [2]. The large specific surface area nanoparticles are significantly more active than larger particles of the same material to remove arsenic from ground water [6]. The application of nanotechnology for the removal of toxic pollutants such as the pharmaceutical and personal care products, polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, phthalates, furans and dioxins, agrochemicals and pesticides, volatile organic compounds, viruses and bacteria, dyes, inorganic pollutants, etc., has been widely reported by several investigators in the field of nanotechnology [7-11].

Recently the use of copper nano particles in paper filters for point of use water purification is reported by Dankovich and Smith [12], the adsorption of methylene blue onto synthesized nanoscale zero valent iron bamboo and manganese bamboo composites were reported by Shaibu et al. [13], the use of synthesized nano silver bio conjugate material for the treatment of organophosphorus pesticide reported by Das et al. [14], Zelmanov and Semiat, [15] studied the removal of boron from water using iron oxide/ hydroxide based nano particles (NanoFe) and Nano Fe-impregnated granular activated carbon as adsorbent. The application of green nano iron particles for the adsorptive removal of As (III) and As (V) from aqueous solution were reported by Prasad et al. [16]. Cai et al. [17], focused on the desalination of seawater by nano Ag. A detailed review on the catalytic applications of Au/TiO_2 nano particles for the removal of water pollutant was presented by Ayati et al. [18], while Ayanda et al. [19]; and Fatoki et al. [20], evaluated the potential of nano oxides and composites for the remediation of organotin compounds.

In the present study nanoparticles were formed by using ferrous chloride and sodium borohydride. These nanoparticles were characterized by XRD, SEM, and FTIR.

*Department of Chemistry Govt. P.G. College Bareli, Raisen (M.P.) INDIA
** Department of Chemistry, Sant Hirdaram Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA

The introduction of present paper is given in section 1, in section 2; we briefly describe the experimental method which will be followed by results and discussion in section 3. The paper is concluded in section 4.

Experimental Methods - For the synthesis of nZVI, Dissolve 2.67g $FeCl_2.4H_2O$ in 16ml ethanol and add 4ml distilled water. Then add 1.50g kaolinite in this solution. Also prepare sodium borohydride solution by dissolving 1.52g $NaBH_4$ in 50ml distilled water. Fill sodium borohydride solution in burette. Keep ferrous chloride solution on magnetic stirrer with hot plate at 30°C. Now add 50ml sodium borohydride solution in ferrous chloride solution drop by drop with constant stirring. Black coloured particles were formed. Then mixture was stirring for 10 minute. Filter these particles using Whattman filter paper No.1 and wash it three times with 25ml ethanol. Dry it overnight at 50°C in hot air oven. Soil black colour particles are obtained and then weight it.

Results and Discussion - The nanoscaled zero valent iron (nZVI) have been synthesized in aqueous medium by the method of ferrous iron reduction using sodium borohydride as a reducing agent under atmospheric condition. X-ray diffractometer (XRD) analysis were conducted to determine the crystal structures of the kaolinite supported nZVI. The nZVI material was characterized by powder X-ray diffraction (XRD) using a D8 advanced diffractometer (generator tension = 40kV, current = 40mA). Diffractograms were recorded from 3° to 135° (2θ with a step size of 0.01-1° and a count time of 5s per step. Figure 1 shows the powder XRD pattern of nZVI sample. Formation of nZVI was found in XRD pattern. The diffraction peak at 50° (2θ) in could be assigned to zero-valent iron particles.

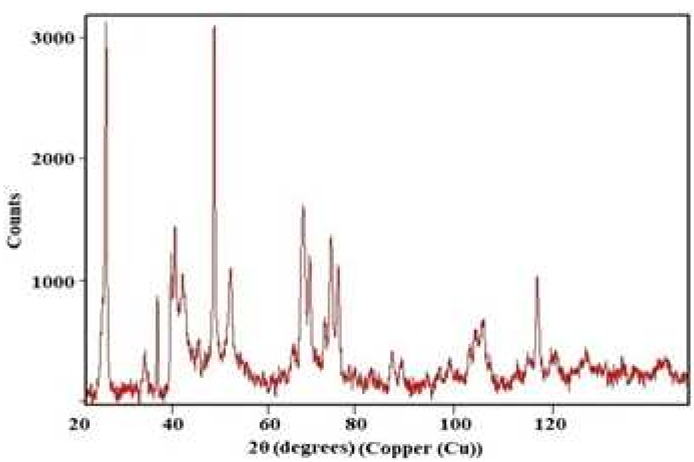

Fig. 1 XRD pattern of zero valent iron nanoparticles.

Figure 2 shows FTIR spectrum of zero valent iron nanoparticles. The peak at 3689.78cm^{-1} is detected due to the presence of O-H from alcohol used in washing. The bands at 1032.43cm^{-1} and 685.30 cm^{-1} correspond to iron oxide, iron nanoparticles respectively.

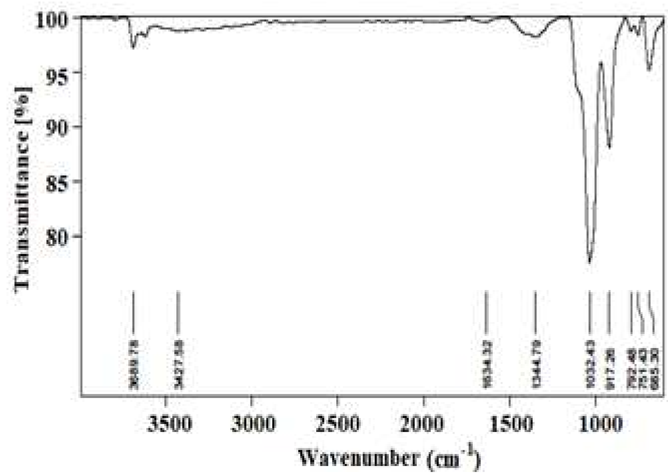

Fig. 2 FTIR spectrum of zero valent iron nanoparticles.

Particle sizes and morphology were studied with a scanning electron microscope. Figure 3 represents the SEM image of iron nano particles. The particles were agglomerated with a flake like morphology. Voids were also observed in the SEM micrograph. The presence of voids and high porosity make the iron nano particles a good adsorbent material.

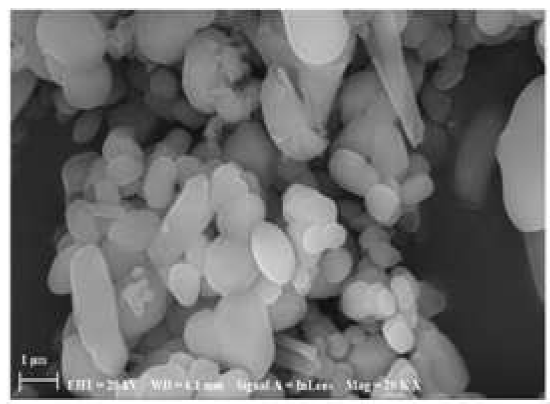

Fig.3 SEM image of zero valent iron nanoparticles.

Conclusion - The global economy has experienced a nano boom over the past few decades. Theoretical and experimental evidences have proved nano zero valent iron (nZVI) to be highly versatile for wastewater treatment. In present report we have synthesized nZVI with 100 nm size, XRD analysis 2θ value of 50° shows the formation of nano zero valent iron in zero valent state. SEM micrographs of nZVI powder studied and the changes in particle shapes and sizes were distinctly visible. The characterization results clearly show that the present synthesis method would be useful to synthesize and could solve long pending stability issue of nZVI for its adaptable importance. Owing to iron metal is of low cost, zero valent iron can be used to remove wastewater pollutants such as heavy metals, pesticides, dyes etc.

Acknowledgments - The authors are thankful to Department of Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh and University Grant Commission (UGC), New Delhi. One

of us (HD) is thankful to Sant Hirdaram Girls College, Bhopal.

References :-

1. Q. X. Li, D. W. Elliott, W. X. Zhang, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 31 (2006) 111-122.
2. B. Karn, T. Kuiken, M. Otto, Environ Health Perspect 117 (2009) 1813-1831.
3. R. Verma, M. N. Nadagouda, Envir. Secur. 3 (2009) 209-217.
4. N. Saleh, K. Sirk, Y. Liu, T. Phenrat, B. Dufour, K. Matyjaszewski, R. D. Tilton, G. V. Lowry, Environ. Eng. Sci. 24 (2007) 45-85.
5. B. W. Hydutsky, E. J. Mack, B. B. Beckerman, J. M. Skluzacek, T. E. Allouk, Enviro. Sci. Technol. 41 (2007) 6418-6424.
6. S. Yean, C. T. Yavuz, L. Cong, J. T. Mayo, W. W. Yu, A. T. Kan, V. Colvin, M. B. Tomson, Mater. Res. 20 (2005) 3255-3264.
7. N. Srivastava, C. Majumder, J. of Hazardous Materials 151 (2008) 1-8.
8. S. R. Chowdhury and E. K. Yanful, J. Environ. Manage. 92 (2010) 2238-2247.
9. P. G. Tratnyek, and R. L. Johnson, Nanotoday 1 (2006) 44-48.
10. W. Robert and F. Stephanie, Ground Water 6 (1994) 32-38.
11. W. D. Robertson, J. L. Vogan and P. S. Lombardo, Ground Water Monitoring and Remediation 28 (2008) 65-72.
12. T. A. Dankovich, J. A. Smith, Water Res. 63 (2014) 245-251.
13. S. E. Shaibu, F. A. Adekola, H. I. Adegoke, O. S. Ayanda, Materials 7 (2014) 4493-4507.
14. S. K. Das, M. M. Khan, A. K. Guha, A. R. Das, A. B. Mandal, Biores. Technol. 124 (2012) 495-499.
15. G. Zelmanov, R. Semiat, Desalination 333 (2014) 107-117.
16. K. S. Prasad, P. Gandhi, K. Selvaraj, Applied Surface Science 317 (2014) 1052-1059.
17. P. F. Cai, C. J. Su, W. T. Chang, F. C. Chang, C. Y. Peng, I. W. Sun, Y. L. Wei, C. J. Jou, H. P. Wang, Mar. Pollut. Bull. 85 (2014) 733-737.
18. A. Ayati, A. Ahmadpour, F. F. Bamoharram, B. Tanhaei, M. Manttari, M. Sillanpaa, Chemosphere 107 (2014) 163-174.
19. O. S. Ayanda, O. S. Fatoki, F. A. Adekola, B. J. Ximba, Mar. Pollut. Bull.72 (2013) 222-230.
20. O. S. Fatoki, O. S. Ayanda, F. A. Adekola, B. J. Ximba, Clean, Soil, Air, Water 42 (2014) 472-480.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

फैशन का आधुनिकरण और युवा भविष्य

कु. दीपा काण्डपाल*

शोध सारांश – वर्तमान समय मे फैशन का बढ़ता प्रभाव युवा भविष्य के जीवन की सकारात्मकता तथा नकरात्मकता से जुड़ा है। फैशन की नकरात्मकता स्वीकार कर युवा भविष्य जहाँ जीवन शैली में अंतर कर स्वंय के व्यक्तित्व को समाप्त करके बुरी आदतों को स्वीकार करने का पूर्ण प्रयास भविष्य के जोखिमो से पूर्ण वंचित न होकर स्वंय के भविष्य को पथ से अलग कर रहे है। पेपर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि सकारात्मक फैशन युवा को एक अच्छे जीवन का ज्ञान देकर आगे बढ़ने के लिए युवा पीढ़ी को अग्रसर करता है।

मुख्य बिंदु –युवा, फैशन, कमक्रियाशील, आधुनिकरण, सकारात्मकता, नकारात्मकता।

प्रस्तावना – किशोर अवस्था परिपक्वता तूफान या तनाव से परिपूर्ण अवस्था है जो 13 से 21 वर्ष की उम्र में समान्य भाषा 'किशोर' को युवा के रूप मे सन्दर्भित करती है। आज युवा और फैशन बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। **कैम्ब्रिज शब्दकोष के अनुसार 'इसके अनुसार किसी समय विशेष पर जीवन चर्या से संबंधित कोई स्टाइल प्रचलित हो तो उसे फैशन कहते है।'** फैशन का आधुनिकरण और युवा भविष्य दोनो ही वर्तमान समय से बहुत महत्वपूर्ण है फैशन जैसा देखा जा रहा है जो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उस फैशन मे युवा स्वंय को पूरी तरह से ढाल रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता फैशन का अधुनिकरण युवा के भविष्य के साथ भी खेलता जा रहा है। वैसे तो सभी लोगो के लिए ये उपयोगी है पर युवा पीढ़ी विशेष रूप से इसके आकर्षण मे स्वंय को भूलती जा रही है। वैसे तो फैशन के सकरात्मक और नकारात्मक दोनो प्रभाव है। पहले सकरात्मक की बात करे तो फैशन लोगो को एक बेहतर जीवन स्तर दे रहा है। वही आजकल लोग नई नई भाषाओं से प्रभावित हो रहे है (जैसे) अंगेजी, फ्रेंच, जर्मन, तमिल आदि। फैशन को देखते इन भाषाओं में भी युवाओं की रूचि बढ़ती जा रही है। वही फैशन युवाओं की दिनचर्या को बेहतर बना रहा है जैसे कि मेडिटेशन ओर योग करके एक अच्छी जीवन शैली का पालन कर रहे है जो युवा भविष्य को और बहेतर और भारत को अधुनिकता के शिखर पर ले जा रहे है। वही फैशन की इस चमक मैं बहुत से युवा अपने आप को नकरात्मकता की ओर धकेलते जा रहे है। इस प्रकार अपनी शिक्षा के लक्ष्य से उन्मुख होकर इस फैशन को ही अपना भविष्य का लक्ष्य मान बैठे है। **कालिदास के अनुसार 'सुंदर वस्तुओं के विषय मे प्रत्येक वस्तु अलंकार बन जाती है इसलिए विद्यार्थियों को भड़कीले परिधान, आभूषण, दिखावे को त्याग कर विद्या अर्जन को अपना लक्ष्य बनाना चाइये।'**

फैशन के इस दौर मे आज के युवा लक्ष्य को भुलकर टिकटोक बनाने में व्यस्त है। टिकटोक की देखा देखी फैशन को फॉलो कर रहे हैं। इस बढ़ते आधुनिकता के दौर मे युवा समाज से स्वंय को काटता जा रहा है। वही फैशन युवा भविष्य के लिए बहुत बड़ी विडंबना बनता जा रहा है। फैंशन के साथ चलने के कारण युवा आज ज्यादा खचींला होते जा रहा है फैशन को देखते हुए उन्हें आज कल खर्च करने मे ही ज्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि वे तरह तरह के वस्त्र, साज सज्जा, आदि में अधिक खर्च कर स्वयं को सबसे अलग दिखाने की कोशिश कर रहे है। जहाँ एक तरफ लोग योग, ध्यान को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे है वही एक तरफ लोग कम क्रियाशील जीवन शैली जी रहे है आज हर युवा के पास महँगे फोन, लैपटॉप, स्कूटर आदि संसाधन है युवा आज कल पढ़ाई की जगह ज़्यादा समय पब–जी को दे रहे है। वे ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई छोड़ कर फैशन के इस दौर मे पब – जी पर ध्यान केंद्रित कर रहे है। जैसे कि युवा के आधुनिक भविष्य मे पढाई का महत्व है वैसी ही एक सीमा तक फैशन भी होना चाहिए। बढ़ते फैशन को देख कर युवा आज कल पार्टी कर रहे है इस पार्टी के ट्रेंड मे हुक्के ड्रिंक प्रचलित हो रहे है। अगर एक तरह बच्चे युवा इन सब मे ढलते जाएंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है ? इस अधुनिकता मे भारत का युवा आज अपनी संस्कृति परंपरा को भूलता जा रहा है वही ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी संस्कृति की ओर अग्रसर होते जा रहा है। जहाँ एक तरफ सांस्कृतिक पार्टी, रेट्रो पार्टी, का चलन बढ़ रहा है वही एक तरफ युवा पीढ़ी कॉकटेल मॉकटेल आदि पार्टियो को अपना फैशन बनाते जा रहे है। आधुनिक भारत मे जरूरी यह भी है कि युवा के पास ज्ञान और रूचि हो। आजकल युवा भविष्य अपने सौन्दर्य को निखारने सवारने के लिये तरह तरह के सौन्दर्य प्रसाधन का उपयोग कर रहे है पर बिना अनुभव का ज्ञान की वजह से कई बार त्वचा समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कुछ युवा तो फैशन के दौर मे हीरो हीराइन की तुलना करने लगे है और उनको फॉलो करते करते अपने रूप ढंग वेशभूषा को अतरंगा बना बैठे है। वही इन हस्तियों को पहना देख खरीदने का पूर्ण प्रयास कर रहे है। जहाँ एक तरह फैशन ज़िन्दगी को बेहतर और अच्छे और अच्छा जीने का सलीका सीखाता है वही एक तरफ आधुनिक युवा अपने भविष्य को भी लुप्त करते जा रहे है इसी फैशन की वजह से युवाओं की डिमांड को देखते हुए वस्त्र उद्योग तथा अन्य उद्योग मे काफी प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार फैशन अवसर भी देता है। आज कल मे युवक युवती मे सिगरेट ई–सिगरेट का चलन बढ़ता जा रहा है और आज युवा समाज इसका आदि हो चुका है जिसके दुष्प्रभाव से वे बिल्कुल वंचित नही है। आज धूमपान करने वाले युवक युवतियों के बीच ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है जिससे इनके स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक प्रभाव पढ़ रहे है और ये पूर्ण रूप से इस नशे के आदि होते जा रहे है। वही फैशन बढ़ते दौर मे कलामे भी रूचि बढ़ती जा रही है ज्यादा से ज्यादा युवा अपन हुनर पर ध्यान देरहे है विभिन्न संगीतकारो से

* प्रवक्ता, कनोहर लाल महिला महाविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

प्रभावित हो कर अपने भविष्य को उजागर कर रह रहे है। वही दूसरी ओर आज का युवा को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक आदि पर समय बिताना अच्छा लग रहा हे लाइक पाने के लिए विभित्र स्टंट करने के लिए तैयार है वही लाइक न मिलना उनके आत्म सम्मान का नीचा होना सोच कर अवसाद तनाव के शिकार हो रहे है फैशन के इस दौर में बहुत से युवा का फिल्मों की दुनिया में विशेष रूचि उनको ठगी का शिकार बना रही है इसलिए जरूरत है इस आधुनिकता के जोखिमों से दूर रहने की।

साहित्य समीक्षा

1. जशनदीप.एट.ऑल (2014) ये विश्लेषण भारत मे बॉलीवुड और फैशन के रूझान एक अनुदैर्ध्य अध्ययन से सम्बंधित है इसमे इंडियन फिल्म उद्योग पर एक अध्ययन किया गया है परिणाम यह है कि इंडियन फिल्म उद्योग का आम जनता के फैशन पर व्यापक प्रभाव देखा गया है।

2. वी.भारद्वाज.एट.ऑल (2010) ये लेख फास्ट 'फैशन उद्योग में बदलाव का जवाब' से सम्बंधित है यह अध्ययन फैशन की संकल्पना पर किया गया है तेज फैशन के अनुमान के लिए उपभोक्ताओं की जांच तथा खुदरा विक्रताओ को अधिक निष्पादन हेतु युवा फैशन के लिए क्रय निर्णय की अभिप्रेरणा पर जोर दिया गया है।

3. खुशी. एट. ऑल (2019) ये अध्ययन 'फैशन पर युवाओ के दृष्टिकोण' पर किया गया है यह प्रकट किया गया है कि फैशन केवल युवा कि एक जीवनशैली मात्र है जो उसके व्यक्तित्व को बदलती है जबकि शिक्षा जीवन मे युवा को मूल्यवान बनाती है।

4. बरखा.एट.ऑल (2017) ये केस स्टडी भारतीय समाजके परिधान रूझान पर की गयी है ये अध्ययन फैशन प्रवर्तियो और समाज पर अनके प्रभाव पर है जिसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है। कि नई फैशन प्रवर्ती और पश्चिमी संस्कृति रूझान भारतीय युवा मे न केवल कपड़ों मे बदल रहा है बल्कि मस्तिष्क को भी बदल रहा है परिणाम स्वरूप सौंदर्य रूझान न हो कर जीवन के तरीकों से व्यक्त होता है।

5. अनीत.एट.ऑल (2012) ये लेख 'किशोरावस्था मे अवसाद' पर आधारित है इस अध्ययन मे ये प्रकट किया गया है किशोरावस्था मे यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आम है लेकिन लड़कियो मे यौवन के बाद तेजी से बढ़ता है और किशोरावस्था के अंत तक 1 वर्ष की व्यापकता दर 4% से ज्यादार तथा कम आय और मध्यम आय वाले देश मे ज्यादा है जो वर्तमान और भविष्य से जुड़ा परिवारिक इतिहास है।

6. प्रताप सिंह.एट.ऑल(2012) ये लेख 'भारत मे किशोर जीवनशैली जोखिम की व्यापकता और स्वास्थ्य के प्रचारक कारक की व्यापकता' से सम्बंधित है है अध्ययन मे ग्रामीण शहरी और मेट्रो स्टेशन के कक्षा छठी से ग्यारवी तक के 1500 स्कूली छात्रों पर एक लाइफ स्टाइल सर्वेक्षण किया गया जिसमें किशोर मे कई अस्वास्थकर आदते तथा जीवनशैली चिंतन देखी गयी।

7. के.भसीन.एट.ऑल(2009) ये लेख 'समृद्ध परिवारो से सम्बंधित किशोर छात्रों मे अवसाद चिंता और तनाव एक स्कूल आधारित अध्ययन' से सम्बंधित है इस अध्ययन मे समृद्ध परिवारो के 242 किशोरो पर उआड 21 प्रशनावली पर आकलन किया गया। यह देखा गया है कि पुरूषो की तुलना मे महिलाओं (औसत रैंक 132.5) के बीच अवसाद काफी अधिक था 10 वी 12 वी कक्षाओं की तुलना में 9 वी और 11 वी कक्षा की तुलना मे काफी अधिक थे। पिछले एक साल में छात्रों के जीवन मे प्रतिकूल घटनाओं की ज़्यादा संख्या के साथ अवसाद और तनाव का महत्वपूर्ण रूप पाया गया।

निष्कर्ष – उपयुक्त निष्कर्षो मे कहा जा सकता है युवा देश के भविष्य का आधार है जो फैशन रूझान के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता जा रहा है नकारात्मक फैशन की दुनिया को अपनी जीवनशैली बना बैठा है। पेपर की समीक्षा के द्वारा ये बताया गया है कि जहाँ फैशन एक अच्छे जीवन को जीने मे मदद करता है वही युवा भविष्य को लुप्त कर रहा है युवा को यह समझने की जरूरत है कि जीवन का सौंदर्य स्वंय के व्यक्तित्व में है न कि इस फैशन मे इसके लिए जरूरत है युवा को परिवार द्वारा सही मार्गदर्शन और सहज पारिवारिक वातावरण की वही स्कूल स्तर पर छात्रों को विद्यालय द्वारा आदर्श जीवन शैली का नज़रिया दिखाने की जो उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। वही सकरात्मक फैशन आधुनिकरण के लिए जरूरी है कि युवा एक अच्छे अन्वेषक बनकर भारत जैसे विकासशील देश को विकसित बनाने मे मदद करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खुशी त्रिपाठी ; डॉ. अंकिता सिंह राव
2. 'फैशन पर युवाओं के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त अध्ययन' (दिसंबर 2019) अनुसंधान रिपोर्ट बहु-विषयक के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल खंड - 4। अंक- 12 वॉल्यूम- 04 अनीता थापर, स्टेफान कोलीशॉव, डैनियल एस पाइन, अजय के थापर 'किशोरावस्था में अवसाद'(2012) द लैंसेट 379 (9820), 1056-1067,
3. वर्तिका भारद्वाज, एन फेयरहर्स्ट 'फास्ट फैशन उद्योग में बदलाव का जवाब' (फरवरी 2010) खुदरा वितरण और उपभोक्ता अनुसंधान वितरण और उपभोक्ता अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा वॉल्यूम- 20 में अनुच्छेद (पीडीएफ) : पी पी 105-133
4. डॉ. जशनदीप सिंह कनुप्रिया गुप्ता 'भारत में बॉलीवुडऔर फैशन के रूझान एक अनुदैर्ध्य अध्ययन', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजमेंट (8 फरवरी 2020), VOI. 2, अंक 1, पीपी। 491-495,
5. संजीव के भसीन, राहुल शर्मा, निश्चय सैनी 'समृद्ध परिवारों से संबंधित किशोर छात्रों में अवसाद, चिंता और तनाव: एक स्कूल आधारित अध्ययन' (नवंबर2009) भारतीय जर्नल में लेख
6. अरूण प्रताप, सिंह गिरीश्वर मिश्र 'भारत में किशोर जीवन शैली जोखिम की व्यापकता और स्वास्थ्य के प्रचारक कारक' (सितंबर 2012), मनोविज्ञान और सोसायटी का विकास मे, अनुच्छेद (पीडीएफ) VOI. 24 पी पी- 145-160
7. बरखा रवि शेंडे 'फैशन ट्रेंडीज़ और इसके सोसाइटी प्रभाव'(2017) इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रेसरचेस इन बायोसाइंसेज एग्रीकल्चर एंड टेकनॉलाजी तजख-03, पी पी-58-63
8. https://rrjournals.com/past-issue/a-brief-study-on-the-attitude-of-youth-on-fashion/
9. https://scholar.google.com/scholar?cluster =852100040035206471& hl=hi&as_sdt=0,5&sciodt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DrXFECn2nx
10. https://www.researchgate.net/publication/233399342_Adolescent_Life_Style_in_India_Prevalence_of_Risk_and_Promotive_Factors_of_Health
11. https://www.researchgate.net/publication/40029943_Depression_anxiety_and_stress_a

mong_adolescent_students_belonging_to_affluent_families_A_school-based_study
12. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388178
13. https://www.researchgate.net/publication/232964904_Fast_fashion_Response_to_changes_in_the_fashion_industry
14. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ijrbat.in/upload_papers/0310201703250716%2520Shende.pdf&ved=2ahUKEwid6eSuqIDpAhWYbSsKHSUeDykQFjAAegQIAhAB &usg=AOvVaw1mPY_ZK6KyVL8M6Uw3IlCf& cshid=1587705651300
15. http://hindigk50k.com/tagफैशन–के–दुष्परिणाम/
16. https://hi.quora.com/%E0%A4%AB% E0%A5%88%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8D% E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5% 8B%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88/answers/206023808

****

छत्तीसगढ़ राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना का अन्त्योदय परिवार पर प्रभाव का अध्ययन

राकेश कुमार गुप्ता* डॉ. प्रतिमा बैस**

शोध सारांश – खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय भोजन की उपलब्धता एवं उसकी मात्रा से है। एक परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है कि उसके परिवार में कोई भूखा न हो और उसके लिए अकाल का डर न रहे। खाद्य सुरक्षा की माप उसके भविष्य की बाधाएँ या बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक अस्थिरता के समय भोजन की उपलब्धता प्राप्त करने से है। पहले खाद्य सुरक्षा से आशय भरपेट भोजन से समझा जाता था, किन्तु आज खाद्य सुरक्षा से आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुँच के अलावा संतुलित आहार, पीने का साफ पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुँचा हैं। रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं में से एक है। व्यक्ति का कम कपड़े और छत के बिना जीवन सम्भव है, परन्तु भोजन के बिना जीवन जीना मुमक़ीन नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति रोटी के लिए कठोर मेहनत करते हैं, साथ ही सरकार पर भी लोगों को खाद्य मुहैया कराने का दायित्व है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी प्रयास और व्यक्ति की मेहनत के बाद भी आम लोगों तक पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसका प्रमुख कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि है। पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समाज में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण जैसी गंभीर समस्याएँ जन्म लेती हैं। पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चों का कम वजन, तथा गर्भवती महिलाओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। जब जनता को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता तब उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास बाधित होने लगता है और वे अनेक प्रकार की सामाजिक–आर्थिक विसंगतियों के शिकार होने लगते हैं।

शब्द कुँजी –खाद्य सुरक्षा, गरीब परिवार, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकतामूलक परिवार, नि:शक्तजन, अन्नपूर्णा योजना एवं एकल निराश्रित परिवार।

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद इसका सर्वांगीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ 20 वें वर्ष अर्थात् अपनी तरुणाई अवस्था में प्रवेश कर चुका है। छत्तीसगढ़ के प्रारम्भिक कुछ वर्षों के पश्चात् से यहाँ राजनैतिक स्थिरता ने इसके विकास के गति को द्रुत कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए इस राज्य में योजनागत प्रयास किये गये जिनमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने हेतु उसकी आपूर्ति में वृद्धि, किसानों को साथ एवं विपणन सुविधायें, फसल बीमा योजना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना सुविधाओं में वृद्धि आदि से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और इसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य को धान के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए वर्ष 2010 एवं 2012 में भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया पिछले 10 वर्षों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण गेहूँ के उत्पादन में 25 प्रतिशत एवं चना व मक्का के उत्पादन में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना एवं सोयाबीन को लोकप्रिय बनाने के लिए सतत् प्रयास किया है। जिसके कारण इनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तथा गन्ना का उत्पादन 2.4 गुना तथा सोयाबीन का उत्पादन 3.7 गुना बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 92,176 हेक्टेयर से बढ़कर 7,25,029 हेक्टेयर हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लाकर भारत के इतिहास में यह अब तक का पहला प्रयोग किया है। इस कानून के जरिए व्यक्ति को मिलने वाले खाद्यान्न अधिकार व्यक्ति के पास जीवनपर्यन्त रहेंगे। ये अधिकार कम वजन वाले शिशुओं, गर्भस्थ माताओं, बुजुर्गों, नि:सहाय लोगों को एक समान प्राप्त होंगे, शिशुओं के जन्म की स्थिति सुधारने व अल्पपोषण से निजात मिल सकेगी, शिशु के गर्भ में आने से लेकर 1000 दिनों तक उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा अपने खाद्य सुरक्षा कानून में ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न देने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण की 75 प्रतिशत जनसंख्या मे से प्राथमिकता वाले परिवार के नाम से मात्र 46 प्रतिशत जनसंख्या को गरीब परिवार तथा शेष 29 प्रतिशत जनसंख्या को सामान्य या गरीबी रेखा के ऊपर का परिवार माना गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत जनसंख्या में से मात्र 28 प्रतिशत जनसंख्या को गरीब तथा शेष 22 प्रतिशत जनसंख्या को सामान्य या गरीबी रेखा के ऊपर का परिवार माना गया है। केन्द्र सरकार के इस कानून के लागू होने से छत्तीसगढ़ राज्य के मात्र 23 लाख 64 हजार परिवारों को बी.पी.एल. परिवार माना जायेगा और केन्द्र सरकार मात्र इतने ही परिवारों के लिए रियायती दर पर अनाज देगी। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा बिना विचार किये पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 46 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 28 प्रतिशत परिवारों को गरीब मान कर कानून बनाया जा रहा है, जबकि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मात्र 13.1 प्रतिशत, जम्मू–कश्मीर मे 13.2 प्रतिशत, केरल में 19.7 प्रतिशत, गोवा में 25 प्रतिशत और पंजाब में मात्र 20.9 प्रतिशत परिवारों को बी.पी.एल. माना गया है। केन्द्र सरकार का खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने से इन राज्यों के ए.पी.एल परिवार ही बी.पी.एल. राशन के पात्र हो

* शोधार्थी (पी.एच.डी.) (अर्थशास्त्र) डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापिका (अर्थशास्त्र) डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) भारत

जायेंगे जबकि छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य कई पात्र और जरूरतमंद परिवार रियायती दर की राशन सुविधा से वंचित हो जायेंगे इस विसंगति को दूर करने के लिए भी छत्तीसगढ़ का पृथक खाद्य सुरक्षा कानून होना अतिआवश्यक है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 34 लाख 70 हजार परिवारों में से 9 लाख अन्त्योदय परिवारों को 1 रूपये किलो की दर पर तथा शेष 25 लाख 70 हजार शेष गरीब परिवारों को 2 रूपये किलो की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून में 42 लाख गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज दिया जाएगा। इसमें से 11 लाख अन्त्योदय परिवारों को 1 रूपये किलो की दर पर और शेष 31 लाख परिवारों को 2 रूपये किलो की दर पर अनाज दिया जायेगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का कानून लागू होने से प्रदेश के 56 लाख कुल परिवारों में से 42 लाख जरूरतमंद परिवारों अर्थात् 75 प्रतिशत को रियायती दर पर अनाज मिलेगा जबकि केन्द्र सरकार के कानून में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मात्र 42 प्रतिशत गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज दिये जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 दिसंबर 2012 को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। छत्तीसगढ़, देश का पहला राज्य है जिसने भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पहले ही इसे लागू किया है। इसमें परिवार को आधार मानकर प्रतिमाह 1 रूपये किलो पर 35 किलो चांवल/गेहूँ दिया जाता है। प्रोटीनयुक्त पोषण आहार के लिए अनुसूचित क्षेत्र के परिवारों को दो किलो काला चना 5 रूपये किलो पर तथा 2 किलो आयोडीन नमक मुफ़्त दिया जाता है जबकि ग़ैर अनुसूचित क्षेत्र के परिवारों को चना के बदले 2 किलो मटर दाल 10 रूपये प्रतिकिलो पर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत पारदर्शी योजना है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की प्रशंसा की है और इसे अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल के रूप में लागू किये जाने की अनुशंसा की है।

उद्देश्य – प्रत्येक शोध कार्य किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रस्तावित शोधपत्र छत्तीसगढ़ राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना की उपलब्धियों एवं सम्भावनाओं का एक अध्ययन के अग्रांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये है:

1. खाद्य सुरक्षा योजना का अन्त्योदय परिवार पर प्राप्त उपलब्धियों की विवेचना करना।
2. अन्त्योदय परिवार की भूख एवं कुपोषण उन्मूलन में खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार की व्यवस्था के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र के अन्त्योदय परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा योजना की सम्भावनाओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ – शोधार्थी द्वारा सत्यान्वेषण एवं किसी तथ्य के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए अवधारणाओं का होना आवश्यक है, ताकि अध्ययनकर्ता इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उसकी परिकल्पना कहाँ तक उचित थी। परिकल्पनाओं का होना इसलिए भी आवश्यक है कि वह अपने अध्ययन की दिशा निर्धारित कर सके और जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो सके। इस सन्दर्भ में निम्न परिकल्पनाएँ की गई है।:

1. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा योजना का अध्ययन क्षेत्र में विशेषकर अन्त्योदय परिवार के लिए भोजन उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के कारण अन्त्योदय परिवार की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

शोध व्याख्या– छत्तीसगढ़ भूख से लड़ने वाला भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम बनाकर ने यह बता दिया है कि उसके नागरिकों को भोजन के अधिकार की कानूनी गारण्टी मिल गई है, राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है, संसद के मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम उन गिने–चुने विधेयकों में से एक है जिसे संसद के हर राजनीतिक दल का समर्थन मिला। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम विधेयक के कानून बनने के बाद छत्तीसगढ़ को एक वर्ष के भीतर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करना था। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम उन गिने–चुने विधेयकों में से एक है जिसे संसद के हर राजनीतिक दल का समर्थन मिला, जिन सदस्यों ने विरोध किया, वे विधेयक की भावनाओं के खिलाफ नहीं थे बल्कि कुछ मुद्दों को लेकर उनका विरोध था। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम से ग्रामीण इलाकों की 75 प्रतिशत आबादी को इस कानून का लाभ पहुंचेगा जिसमें न्यूनतम 46 प्रतिशत प्राथमिकता वाले परिवार होंगे तथा बाकि सामान्य परिवार वाले होंगे। शहरी क्षेत्रों को भी दूसरे दायरे में रखा गया है जहां करीब 50 प्रतिशत आबादी इससे लाभान्वित होगी। इनमें 26 प्रतिशत गरीबी–रेखा के नीचे आने वाले परिवार तथा बाकी सामान्य परिवार होंगे। अध्ययनकर्ता ने अध्ययन के दौरान पाया कि यहां खाद्य सुरक्षा योजना का व्यापक प्रभाव पड़ा है। खाद्य सुरक्षा योजना का अध्ययन हेतु चुने गये हितग्राहियों द्वारा भरायी गई अनुसूची के आधार पर ली गई परिकल्पनाओं के मूल्यांकन हेतु सहायक सिद्ध हुई। अनुसूची के प्रश्नों का हितग्राहियों द्वारा दिये गये उत्तर को प्रतिशत विधि के माध्यम से निराकरण किया गया है जिसका उल्लेख क्रमशः निम्नवत् है–

- ग्राम से राशन दुकान की दूरी पर 200 उत्तरदाताओं में से 142 उत्तरदाताओं ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान ग्राम से 1 कि.मी. के अंदर व्यवस्था है जबकि 48 उत्तरदाताओं ने इसे 2 कि.मी. के अंदर होना पाया और 10 उत्तरदाताओं ने इसे 2 कि.मी. के अंदर होना बताया।

राशन दुकान की दूरी	1 कि.मी.	2 कि.मी.	3 कि.मी.
उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत में	71%	24%	5%

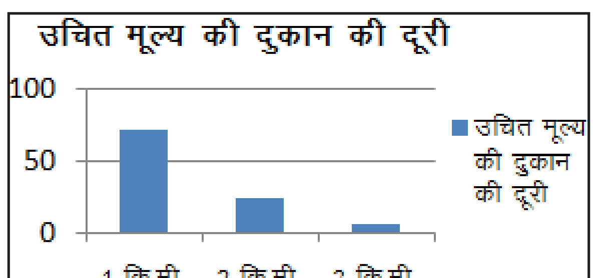

- क्या आपके पास राशनकार्ड है ? इसके उत्तर में अध्ययनकर्ता ने पाया कि 200 उत्तरदाताओं में से 172 उत्तरदाताओं ने बताया कि हितग्राहियों के पास राशनकार्ड पाये गये जबकि 28 हितग्राही ऐसे थे जिनके पास राशनकार्ड नहीं थे या उन्होंने नहीं बनवाया।

राशनकार्ड की उपलब्धता	हाँ	नहीं
उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत में	86%	14%

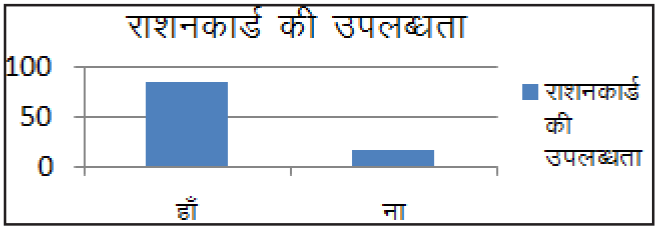

● यदि हाँ तो राशनकार्ड का रंग कैसा था ? के उत्तर में अनुसंधानकर्ता ने पाया कि सबसे गरीब अंत्योदय परिवार के लिए वितरित गुलाबी रंग के 116 राशनकार्ड, प्राथमिकतामूलक परिवार के लिए वितरित 52 राशनकार्ड, नि:शक्तजन के लिए वितरित 6 हरा राशनकार्ड, अन्नपूर्णा योजना के लिए वितरित स्पेशल गुलाबी रंग के 11 राशनकार्ड और एकल निराश्रित परिवार के लिए वितरित 15 गुलाबी राशनकार्ड वितरित पाया गया।

तालिका (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

● आपके परिवार में राशन की खपत कितनी है राशन की दुकान से कितनी सामग्री प्राप्त होती है और उसकी गुणवत्ता कैसी है? इस प्रश्न में हितग्राहियों ने अपने राशनकार्ड के रंग के मुताबिक राशन प्राप्ति की बात स्वीकार की। अनुसंधानकर्ता ने यह पाया कि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को अपने खपत के अनुसार राशन सामग्री हो जाती है और वे राशन सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट पाये गये। लगभग 116 उत्तरदाताओं में से 9 उत्तरदाताओं ने राशन सामग्री की गुणवत्ता को खराब बताया जबकि 23 उत्तरदाताओं ने राशन सामग्री की गुणवत्ता को सामान्य बताया और 75 उत्तरदाताओं ने राशन सामग्री की गुणवत्ता को अच्छा बताया, 6 उत्तरदाताओं ने राशन सामग्री की गुणवत्ता को बहुत अच्छा बताया साथ ही 3 उत्तरदाताओं ने राशन सामग्री की गुणवत्ता के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया।

राशन सामग्री की गुणवत्ता के संकेत	खराब	सामान्य	अच्छा	बहुत अच्छा	अन्य
उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत में	8%	20%	65%	5%	2%

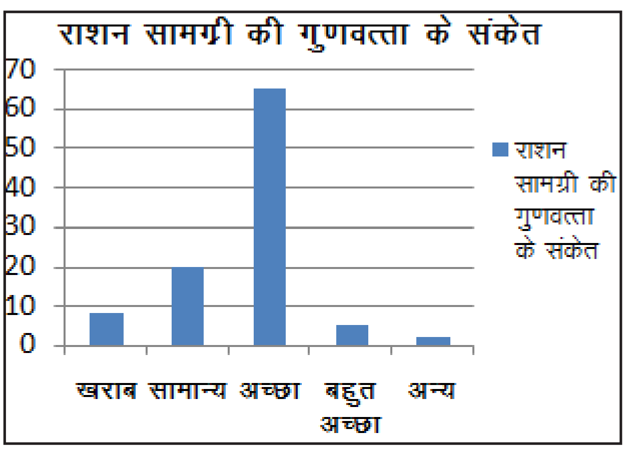

● क्या आप राशन सामग्री लेने राशन की दुकान पर नियमित रूप से जाते है इस प्रश्न पर 100 प्रतिशत हितग्राहियों ने हाँ में उत्तर दिया और अनुसूची में पूछे गये इस प्रश्न पर की वे प्रतिमाह,त्रैमासिक या अन्य समयावधि में राशन प्राप्त करते है इसके उत्तर में 100 प्रतिशत हितग्राही प्रतिमाह राशन प्राप्त करने के बात पर सहमत पाये गये। आपको नियमित रूप से राशन सामग्री प्राप्त हो रही है ? के उत्तर में 100 प्रतिशत हितग्राहियों ने हाँ में उत्तर दिया।

● क्या आप राशन की दुकान से प्राप्त गेहूँ, चाँवल, चीनी, नमक, चना, मटरदाल एवं मिट्टी तेल की मात्रा से संतुष्ट है? इस प्रश्न के उत्तर में अनुसंधानकर्ता ने निम्नवत आँकड़े प्राप्त किये –

राशन सामग्री की गुणवत्ता के संकेत	खराब	सामान्य	अच्छा	बहुत अच्छा	अन्य
गेहूँ	3%	10%	80%	5%	2%
चांवल	2%	15%	70%	10%	3%
चीनी	1%	8%	85%	5%	1%
नमक	3%	10%	80%	5%	2%
चना	10%	20%	60%	2%	8%
मटरदाल	5%	5%	80%	5%	5%
मिट्टी तेल	4%	9%	85%	1%	1%

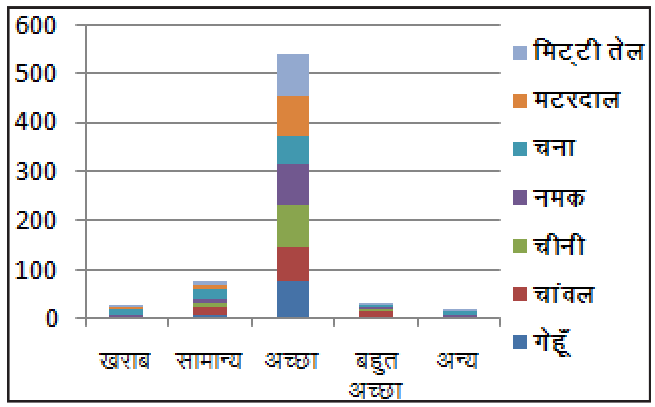

परिकल्पनाओं का मूल्यांकन – अध्ययनकर्ता द्वारा ली गई दो परिकल्पनाओं में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

प्रथम परिकल्पना– छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा योजना का अध्ययन क्षेत्र में विशेषकर अन्त्योदय परिवार के लिए भोजन उपलब्धता में वृद्धि हुई है। अध्ययनकर्ता ने अनुसूची एवं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के आधार पर स्तरीत निदर्शन के आधार पर प्रतिशत विधि का अनुप्रयोग करते हुये यह पाया कि वास्तव में अध्ययन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा योजना का विभिन्न रंगों के कार्डधारी परिवारों के लिए भोजन की उपलब्धता में नि:संदेह वृद्धि हुई है।

द्वितीय परिकल्पना– छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के कारण अन्त्योदय परिवार की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अध्ययनकर्ता ने अपने अध्ययन के दौरान स्तरीत निदर्शन के माध्यम से चुने गये 200 परिवारों में 116 अन्त्योदय परिवार की आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के पश्चात् पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना का अध्ययन क्षेत्र के इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण एवं सार्थक सुधार हुआ है जिससे वे अपने आर्थिक क्रियाकलापों में चयन की समस्या का निदान सरलता से कर रहे है।

अवसर और संभावनाएँ – खाद्य सुरक्षा पर मंडराते खतरों को भाँपते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्य योजनाएं बनाई गई है जो खाद्य सुरक्षा को सतत बनाने में सहायक होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में देश में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विकसित करने की ठोस पहल की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकें अपनाने के लिए जागरूक एवं सक्षम बनाया जा रहा हैं। उल्लेखनीय है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास

के माध्यम से प्रमुख फसलों की जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की जा रही है जिनमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे– सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या सर्दी को सहने की क्षमता मौजूद होती हैं। इसी प्रकार जलवायु अनुकूल कृषि विधियों का विकास किया गया हैं, सिंचाई के पानी की कुशलता बढ़ाने के लिए टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई जैसी सूक्ष्म और कुशल तकनीकें विकसित की गई है, जिनका किसानों के खेंतो तक प्रसार किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए 'Per drop more crop' जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। भूमि की उर्वरता को सतत बनाए रखने के लिए 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' जैसे कार्यक्रम शुरू किये गये है, जिसके अन्तर्गत किसानों को बड़े पैमाने पर 'Soil Health Card' जारी किए जा रहे हैं। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीन परिवर्तन या जेनेटिक इंजीनियरी की बेहद क्षमतावान विद्या तकनीकी रूप से हमारे पास उपलब्ध है जिसका उपयोग करके कृषि क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते है परन्तु इसके उपयोग के लिए सरकारी नीति और संस्तुति की आवश्यकता है जो अभी न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण लम्बित है, परन्तु यह बात तय है कि भविष्य में यह तकनीक खाद्य सुरक्षा को सतत बनाए रखने में अहम् भूमिका निभाने वाली है। हाल के वर्षो में सतत् कृषि की अवधारणा भी विकसित हुई है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और सतत् उपयोग द्वारा कृषि प्रक्रियाएँ सम्पन्न की जाती है। उर्वरकों और कीटनाशकों के संदर्भ में नैनो–टेक्नोलॉजी का उपयोग नई सम्भावनाएँ उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार यंत्रीकरण और कृषि में ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में भी नवोन्मेषों द्वारा कृषि उत्पादन को अधिक कुशल और सक्षम बनाने की अनेक संभावनाएँ मौजूद है, साथ ही बदलते परिवेश के अनुसार नई नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता भी होगी। उदाहरण के तौर पर फसल कटाई प्रसंस्करण, भण्डारण और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें एक स्पष्ट और क़ारगर नीति बनानी होगी। इसी तरह भोजन की बर्बादी पर भी प्रभावी अंकुश लगाना ज़रूरी हो गया है। सरकार द्वारा लागू की जा रही समाज कल्याण योजनाओं को अधिक मज़बूत और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को लगातार खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता रहे। खाद्य सुरक्षा के भविष्य को लेकर सरकार, योजनाकार और अन्य सम्बन्धित लगातार गहन विचार विमर्श करते हुए नई पहल कर रहे है इसलिए आशा के साथ विश्वास भी है कि भारत में खाद्य सुरक्षा निरन्तर और सतत् बनी रहेगी।

चुनौतियाँ – देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को लंबे समय तक सतत् बनाए रखना एक कठिन चुनौती है, क्योंकि आबादी में लगातार विस्तार हो रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और नागरिकों की आमदनी बढ़ने से भोजन की मांग और विविधता में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। यदि इस भावी परिदृश्य को वर्ष 2005 के नज़रिए से देखा जाए तो भारत की आबादी लगभग 1.65 अरब तक और प्रति व्यक्ति आमदनी 4,01,839 रूपये तक पहुंचने की सम्भावना है। उस समय देश में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में बसी होगी जिससे कृषि के आधार को चोट पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अध्ययनों से पता चला है कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सात प्रतिशत की वृद्धि दर मानी जाए तो वर्ष 2005 में अनाज की मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जबकि फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों में 100 से 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसका एक अर्थ यह भी है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी मांग 3000 किलो कैलोरी से अधिक हो सकती है। इसके लिए खाद्यान्नों की उत्पादकता वर्तमान 25,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन से बढ़ाकर 46,000 किलो कैलोरी प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के स्तर पर ले जानी होगी। इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि देश में खाद्यान्नों की मांग 45 करोड़ टन तक पहुंच सकती हैं। इसी तरह दालों, खाद्य तेलों, दूध, माँस, अंडा, फलों, सब्जियों, चीनी तथा अन्य कृषि जिन्सों की मांग भी इसी अनुपात में या इससे अधिक बढ़ सकती हैं। उत्पादकता के इस स्तर तक पहुंचने की संभावनाओं से पहले कुछ कठिन बाधाओं पर ध्यान देना और उनका आंकलन करना आवश्यक है। गर्माती धरती या 'ग्लोबल वार्मिंग' की वैश्विक विपदा को खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा माना जा रहा हैं। वैज्ञानिक अनुमान बताते है कि यदि हम औसत तापमान की बढ़ोत्तरी पर कोई सार्थक रोक लगा नहीं पाते तो सन 2050 तक औसत तापमान में 2.2 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती हैं। इससे रबी और खरीफ़ फसलों के साथ फलों, सब्जियों, दूध उत्पादन तथा मछली उत्पादन पर भी चोट पड़ने की सम्भावना जताई जा रही है। अनुमान है कि तापमान बढ़ोत्तरी के वर्तमान रूख के अनुसार वर्ष 2050 तक गेहूँ के कुल उत्पादन में 01 करोड़ 17 लाख टन तक की कमी आ सकती है। आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू और कर्नाटक में बारानी चांवल का उत्पादन 10–15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, परन्तु पंजाब और हरियाणा में इसमें 15–17 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। देश के अन्य क्षेत्रों में भी चांवल का उत्पादन 6–18 प्रतिशत तक गिर सकता है। सन 2050 तक दूध के उत्पादन में लगभग डेढ़ करोड़ की गिरावट की आशंका जताई गई है। तापमान बढ़ने से हमारे देश के शीतोष्ण क्षेत्रों में उगने वाले फलों के क्षेत्र और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं। इसी तरह सागरों और नदियों का औसत तापमान बढ़ने से मछली उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा को सतत् बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता भी लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 2050 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 2010–11 के 0.13 हेक्टेयर से घटकर मात्र 0.09 हेक्टेयर रह जाएगी जो एक चिन्ता का विषय हैं। इसके साथ कृषि भूमि का लगातार अन्य विकास कार्यो तथा आवास के लिए उपयोग होना भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक संकट हैं। इसी तरह सिंचाई के पानी की लगातार कमी होना भी एक गम्भीर संकट की ओर इशारा करता हैं। अनुमान है कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश की 50 प्रतिशत से अधिक कृषि फसलें बारानी दशाओं में उगाई जाएँगी, यानी वर्षा पर निर्भर रहेगी। इस देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना अधिक कठिन हो जाएगा। कृषि के लिए ऊर्जा की कमी, भूमि का क्षरण और जैव विविधता का ह्रास भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरा माना जा रहा है जिसमें पोल्ट्री और मछली पालन भी शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा जनता तक पहुँचाना एक बहुत चुनौती हैं। प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान में सावधानी बरतनी होगी इसका पूरा दारोमदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हैं। उचित भण्डार न होने के कारण भारत में हर साल हजारों टन अनाज बर्बाद हो जाता है, आज भी लाखों मिट्रिक टन अनाज खुले में पड़ा हैं। देश में 415 लाख टन अनाज केवल पन्नियों/तिरपाल में ढका रहता है। अनाज का एक– एक दाना महत्वपूर्ण हैं अत: खाद्य सुरक्षा के लिए हर दाने की महत्ता समझने की ज़रूरत हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. अहलूवालिया डी (1993):– पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ़ इंडिया कवरेज टारगेंटिग लिडेजेस (फूड पॉलिसी 18 फरवरी 1993 पेज नं. 60)।

2. आनन्दा डी (2012):- स्टेट रिस्पान्स टू फूड सिक्यूरिटी : अ स्टडी ऑफ़ पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन।
3. अरूण ए.के. (2012):- बाजार की गिरफ़्त में पोषाहार और स्वस्थ (योजना 2012 पेज-19-22)।
4. बैनर्जी नन्दु (2013):- गरीबों के पेट पर वोटों की राजनीति (नई दुनिया समाचार पत्र 25 जुलाई 2013 पेज नं. 8)।
5. भास्कर सुरेन्द्र (2013) :- आधारभूत सुविधाओं का आधार प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (योजना फरवरी 2013 पेज नं. 38-39)।
6. भगवती व श्रीनिवास(1993) :- ओ.पी. सी.आई.टी., पेज नं. 62।
7. चन्द्रभान (2012):- अनाज का एक-एक दाना महत्वपूर्ण (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज नं. 8-12)।
8. गवकरे राजेश बिमरो (2010) :- ज्योग्राफिक परसपेक्टिवस आन पापुलेशन एंड फूड सिस्टम सोलापुर डिस्ट्रीक्ट।
9. हिमांशु एवं सेन अभिजीत (2013) :- नक़दी बनाम सामग्री (योजना फरवरी 2013 पेज नं.16-18)।
10. डॉ. कोचर नवीन व झारिया मणिकान्त (2012) :- भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक खाद्य सुरक्षा (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज नं. 23-28)।
11. लेखराज (2000) :- दुर्ग जिले में कृषि एवं पोषण : एक भौगोलिक अध्ययन (पेज नं. 152)।
12. प्रो. मोदी के.एम. (2012) :- खाद्य सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज नं. 13-17)।
13. नायर के. थलासीधरण (2008) :-Targetted Public Distribution in food gains stand of utilization by the trible population in Kerala.
14. पारिख के.एस. व वी.एस.व्यास (1994):- who gets how much from PDS how effectively dose it reach to poor? सेवकसना जनवरी-मार्च।

राशनकार्ड का रंग	गुलाबी (अंत्योदय परिवार)	नीला(प्राथमिकता मूलक परिवार)	हरा (नि:शक्तजन)	स्पेशल गुलाबी (अन्नपूर्णा योजना)	गुलाबी(एकल निराश्रित परिवार)
उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत में	58%	26%	3.2%	5.6%	7.2%

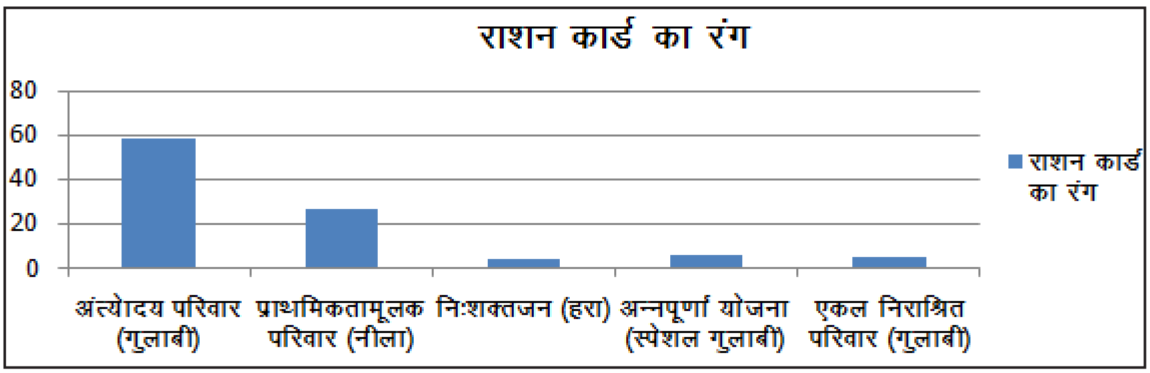

****

Relevance of ancient Indian medical therapies in contemporary Medical Science

Dr. Abha Saini* Dr. Sushma Saini**

Introduction - Technology is as old as humankind. It is the use of knowledge, inventions and discoveries to make human life better. Technology has different kinds. Medical Technology is one of them. Modern Technology of disease treatment has given new dimensions in the medical field. In this era of massive technical advancements and innovative therapies, the influence and power of insensitive materialism and uncontrolled commercialization grows threateningly. In the wake of serious threats on availability of ethical and advanced medical practices to the people across the world, relying on age old Indian medical tactics and ancient therapies prove relevant.

Objective of the Paper: The objective of the present paper is to make awareness about the relevance of ancient Indian medical therapies in contemporary Medical Science.The paper deals the problem as well as the solution.

Review of Literature: The book "Scientific basis for Ayuervedic Therapies" edited by Lakshmi Chand Mishra tells us about the ayuervedic potential of global system. "Ancient Indian medicine" by P.Kutumbiah foreword by Dr. S. Radhakrishnan provide proper outlook on health through ancient Indian medical therapies. "Fundamentals of complementry and alternative medicine" by Marc S. Micozzi reviews the traditional and latest scientific information, evaluates the data, and presents it in an easy to use format.

Relevance of ancient Indian medical therapies in contemporary Medical Science: Medicine is the science and practice of the diagnosis, treatment and prevention of disease. The word medicine is derived from Latin *medicus*, meaning "a physician". Medicine encompasses a variety of health care practices evolved to maintain and restore health by the prevention and treatment of illness.

Contemporary medicine applies biomedical sciences and research, genetics and medical technology to diagnose, treat, and prevent injury and disease, typically through pharmaceuticals or surgery, but also through therapies as diverse as psychotherapy etc.

Medicine has existed for thousands of years, prescientific forms medicine is known as traditional medicine. They remain commonly used with or instead of scientific medicine and are thus called alternative medicine. For example, evidence on the effectiveness of acupuncture is "variable and inconsistent" for any condition but is generally safe when done by an appropriately trained practitioner. In contrast, treatments outside the bounds of safety and efficacy are termed quackery.

Human Interference in nature and unhealthy lifestyle, increasing materialism, impact of modernization, day by day use of modern technology and busy working schedule are causes of many diseases .It has been efforts to prevent and treatment of diseases by Modern technology in medical field but it has not been capable to prevent diseases.

Alternative medicine and therapies is generally safe and is based on the theory to make correlation between man and nature. It is also based on the concept of total health. Indian government has started National Ayush Mission. It is an acronym for Ayuerveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha & SowaRigpa and Homeopathy. They are such therapy that obliged the healthcare needs of contemporary medical science. There is a growing awareness about them in Indians.They are effective, safe, cheap and available for all.They are very effective in many serious illness but the challenge is today to integrate the best of the different healing traditions to meet value and quality of them.

References :-

1. Scientific basis for Ayuervedic Therapies" edited by Lakshmi Chand Mishra,CRC Press,2004
2. Yojana,June,2015
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
4. "Ancient Indian medicine" by P.Kutumbiah foreword by Dr. S. Radhakrishnan, Orient Longman Ltd ,1999
5. Annual Report 2013-14 Government of India, Ministery of Health and Family Welfare Department of Ayush, New Delhi.

*Associate Prof. & HOD (Political Science) JKPPG College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA
** Associate Prof. HOD (Economics) D.A.V.College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

पं. रूद्रदत्त मिश्र के बाल साहित्य की समालोचना

डॉ. आभा मिश्रा *

प्रस्तावना – हिन्दी में बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। पं. रूद्रदत्त मिश्र आधुनिक काल के उन रचनाकारों में से एक हैं जो स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात काल में रचनाकर्म में निरंतर सक्रिय रहे। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में गम्भीर साहित्य सृजन का भी विशेष महत्व है।

बच्चों के मनोविज्ञान और बाल रूचि को ध्यान में रखते हुये आपने बच्चों के लिये अनेक बाल कविताऐं लिखीं, जो बाल कविताओं के काव्य-संग्रह के रूप में सामने आई। श्री रूद्रदत्त मिश्र को सन् 1956 में आपके बाल काव्य-संग्रह 'फूल खिले हैं डाली-डाली' के लिये भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। आपकी बाल कविताओं की पुस्तक 'हमारे पक्षी' भी पुरस्कृत बाल साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। आपके द्वारा रचित बाल कविताओं के उल्लेखनीय काव्य-संग्रह है- 'फूल खिले हैं डाली-डाली', 'हम सब हैं जंगल के वासी', 'हमारे पशु', 'हमारे पक्षी', 'पानी के जंतु', 'कीडे़-मकोड़े', 'चंद्रयान', तथा 'फलों की कहानी'।

1947 से 1970 तक के समय को हिन्दी बाल कविताओं की ऊंचाईयों का समय या 'गौरव युग माना गया है।'[1] हिन्दी के अन्य प्रमुख बाल साहित्यकारों में प्रमुख हैं- विष्णु प्रभाकर, राष्ट्रबंधु, चंद्रिका प्रसाद मिश्र, जयप्रकाश भारती, हरिकृष्ण देवसरे, क्षमा शर्मा, यादवेंदु चंद्र शर्मा, देवेन्द्र कुमार, दिविक रमेश, बालकृष्ण गर्ग, रमेश तैलंग लक्ष्मीशंकर बाजपेयी, क्षमा शर्मा, प्रकाश मनु, चक्रधर नलिन आदि। साथ ही हरवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे जैसे महान कवियों ने भी बाल कविता जगत में उल्लेखनीय रचनायें दीं। पं. रूद्रदत्त मिश्र ने सन् 1921 से काव्ययात्रा आरंभ की जो सन् 1982 तक निरंतर जीवनपर्यन्त चली।

बच्चों के लिये कविता लिखना श्रम साध्य कार्य है क्योंकि इसमें बालमन की सरलता, भोलेपन और मानसिक स्तर को -भली-भांति समझने की क्षमता रचनाकार में होना आवश्यक होता है। बाल साहित्य की रचना यात्रा में मिश्र जी बाल मनोविज्ञान से भी भली-भांति परिचित हैं। बच्चों में किस आयु में किन-किन वस्तुओं एवं साधन की आवश्यकता होती है, इसे आप जानते हैं। तद्नुसार ही आपने बालकों की उन्हीं भावनाओं और मनोवेगों को उभारने हेतु काव्य निर्मित किया है। मिश्र जी ने बाल मनोरंजन के लिये विशेष ध्यान रखते हुये अपने काव्य की ओर उन्हें आकर्षित करने की चेष्टा की है। इस प्रकार उनका बाल साहित्य मूल्यांकन की दृष्टि से प्रशंसनीय है।'[2]

पं. रूद्रदत्त मिश्र की बाल कविताओं में उपर्युक्त समस्त विशेषताओं का समावेश है। 'फूल खिले हैं डाली-डाली' काव्य-संग्रह की यह पंक्तियां अत्यंत सरल भाषा में व्यक्त की गई हैं-

'फूल खिले है डाली डाली।
पीले-पीले अमलतास हैं'
पीले-पीले सरसों।
ये फूले जब ऐसे फूले
फूल न सकते बरसों।'[3]

'हम सब हैं जंगल के वासी' काव्य-संग्रह पं. रूद्रदत्त मिश्र का उल्लेखनीय संग्रह है जो वन्य पशुओं पर आधारित है। इसमें निहित कविताओं में जंगल के निवासी पशुओं की विशेषताओं को सरल भाषा में वर्णित किया गया है। जिसमें शेर, चीता, तेदुंआ, बाघ आदि प्रमुख हैं। जंगल के राजा शेर का चित्रण करते हुये वे लिखते हैं-

'शेर बना जंगल का नेता,
सब पशुओं में बना विजेता।
बडे़-बडे पशुओं को मारा,
जंगल में यह कभी न हारा।
सर्कस में इसको दिखलाते,
धमका कर पालतू बनाते।
पशुओं पर दया विचारो,
लालच में इसको मत मारो।'[4]

इसी काव्य संग्रह में पं. मिश्र ने अपनी कविताओं के पात्र जंगली पशुओं से कहलवाया है कि-

'हम सब जंगल के निवासी हैं।
हमें मारना पाप है, अपराध है।'

'भाषा की सरलता और सुबोधता के कारण यह काव्य बालोपयोगी हो गया है जिसे बालक बड़े प्रेम से पढ़ते और सुनते हैं। कवि द्वारा इन हिंसक पशुओं को भी जंगल की शोभा के लिये अनिवार्य बताते हुये उन्हें मारना या उनका शिकार करना निषेध बताया है।'[5]

बच्चों का हृदय अत्याधिक कोमल होता है। बच्चे स्वभाविक रूप से सहज प्रवृत्ति में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें प्राकृतिक वस्तुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये पं. रूद्रदत्त मिश्र ने अपनी रचनाओं में समाज या प्रकृति में बिखरी वस्तुओं, जीव-जन्तुओं और अन्य प्राकृतिक उपादानों को माध्यम बनाते हुये बाल कविताऐं रची हैं।

पं. रूद्रदत्त मिश्र के बाल काव्य संग्रह 'हमारे पशु' में पशुओं के महत्व को दर्शाते हुये उनके और मनुष्य के मध्य प्रेम सम्बंध बढ़ाने की दिशा में रचनाऐं लिखी गई हैं। इस संग्रह में गाय, भैंस, बैल आदि पालतू पशुओं के महत्व का वर्णन करते हुये बताया गया है कि किस प्रकार जीवन पर्यन्त और मरणोपरांत भी पशु और मनुष्य का सम्बंध रहता है। मनुष्य पशुओं से अनेक उपयोग की सामग्री पाता है जैसे दूध, घी, मक्खन आदि, चर्म से जूते, चप्पल,

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

बैग का निर्माण और अस्थियों तक से खाद आदि। वे बैल पर लिखी कविता में दर्शाते हैं कि–

'खेतों में जो चलते हैं हल,
उनके पीछे किनका बल।
कौन कुओं पर रेंहट चलाते।
दिन भर चल–चल कर थक जाते
मेहनत कर–कर कभी न हारे।
बैल हमारे, बैल हमारे।' [6]

पानी के जंतुओं और जल जीवों के महत्व व विशेषताओं को वर्णित करते हुये भी आपने बाल कविताऐं रची हैं। उदाहरणार्थ–

'मगर बना पानी का राजा।
खाता मछली ताजा–ताजा।।
जिसको पकड़ा उसको निगला।
निगला जो फिर कभी न निकला।।'

चींटी के श्रम व महत्व पर पुस्तक 'कीड़े–मकोड़े' में प्रकाश डालते हुये वे लिखते हैं–

'रोज सबेरे आती चींटी
सांझ परे घर जाती चींटी।
चींटी कभी न अकड़ दिखाती।
अनुशासित है हमें सिखाती।।
चींटी है विश्वास हमारा।
चींटी है श्रम की कर्म पताका।
इसका मोल न हमने आंका।।'

इसी प्रकार अन्य कीट प्रजाति के जीवों पर भी आपने बाल कवितायें लिखीं हैं। पं. रूद्रदत्त मिश्र ने बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिये 'चंद्रयान' काव्य संग्रह के अन्तर्गत विज्ञान की एक महान विजय की ओर संकेत किया है। छात्रोपयोगी इस काव्य संग्रह की चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं–

'आसमान में ऊपर जायें।
चलो चांद से मिलकर आयें।।
ढाई लाख मील की दूरी।
तुरत करेगी उड़कर पूरी।।' [7]

बाल कविताओं के विषय में रचनाकार दिविक रमेश ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुये लिखा है कि 'हिन्दी का बाल–साहित्य उपेक्षित और अपढ़ा अथवा अचर्चित भले ही हो लेकिन किसी भी दृष्टि से ये कम महत्वपूर्ण नहीं है।'

प्रौढ़ होकर एक बात समझ में आई कि बाल कविता और बालक द्वारा लिखी गई कविता में अंतर होता है। बाल कविता बालमन के निकट की, बालक के लिये रचना होती है। जबकि बालक द्वारा रचित रचना बड़ों के लिये भी हो सकती है। [8]

किसी भी कालजयी रचना की विशेषता होती है कि वह सदा प्रासंगिक होती है। इस दृष्टि से पं. रूद्रदत्त मिश्र की बाल कविताऐं आज भी बच्चों के लिये रोचक, ज्ञानवर्धक और पथ प्रदर्शक प्रतीत होती हैं। मिश्र जी गंभीर साहित्य के सफल व प्रतिष्ठित रचनाकार रहे हैं किन्तु बच्चों के लिये रचित उनका बाल साहित्य उनके कलात्मक अनुभव से प्रेरित और अत्यंत सहज है। बाल सुलभ जिज्ञासाओं का चित्रण बहुत प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में पं. रूद्रदत्त मिश्र की बाल कविताऐं पूर्णतः खरी उतरती हैं। भारत सरकार द्वारा आपके बाल साहित्य को पुरस्कृत किया जाना इस बात को प्रमाणित करता है। आपके पुरस्कृत काव्य संग्रह हमारे पक्षी में प्रमुख उन्नीस पक्षिओं की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुये पक्षिओं के खान–पान, प्रवृत्ति, स्वर तथा अन्य गुणों का वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ– बतख पर केन्द्रित कविता का यह अंश प्रस्तुत है–

'बिना हिले यह तैर रही है
पानी में कर सैर रही है
पानी पर लगती है ऐसे
मक्खन की गुड़िया हो जैसे' [9]

'हमारे पक्षी' बालकाव्य–संग्रह में मोर, मैना, हंस, मुर्गा, तोता, खंजन, चील, तीतर, टिटहरी, चिड़िया, चमगादड़, कोयल, कौआ, गिद्ध, बतख, उल्लू, बाज, बगुला, और सारस पर सचित्र सुंदर बाल कवितायें सम्मिलित हैं।

पं. रूद्रदत्त मिश्र ने बच्चों के प्रति अपने दायित्व को समझते हुये बच्चों के लिये उपयुक्त बाल साहित्य का सृजन किया। आपके द्वारा लिखी बाल कविताऐं बच्चों में भाषा कौशल विकसित करने में सक्षम हैं तथा बच्चों को समस्त प्राणी जगत व प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं। बच्चों के भोलेपन को बनाए रखने में और उनकी संवेदनाओं को सही दिशा में जागृत करने में पं. रूद्रदत्त मिश्र का बाल साहित्य सार्थक है।

हिन्दी साहित्य में बाल साहित्य अपेक्षाकृत कम रचा गया है, जबकि बाल साहित्य बच्चों के भविष्य निर्माण में अहम् भूमिका का निर्वहन करता है। वर्तमान परिवेश में श्रेष्ठ बाल साहित्य बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में बहुत सहायक हो सकता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि पं. रूद्रदत्त मिश्र की बाल कविताऐं हिन्दी बाल साहित्य के क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दिविक, रमेश, 'हिन्दी का बालसाहित्य, परम्परा, प्रगति और प्रयोग', gadyakosh.org दिनांक 29 अगस्त 2013
2. मिश्रा, सरोज, 'पं. रूद्रदत्त मिश्र का व्यक्तित्व एवं साहित्य', अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध शा. के.आर.जी. महाविद्यालय ग्वालियर सन 1982 पृ. 40
3. मिश्र, पं. रूद्रदत्त, 'फूल खिले हैं डाली–डाली' नया साहित्य प्रकाशन कश्मीरी गेट नई दिल्ली संस्करण 1981
4. मिश्रा, सरोज, ' पं. रूद्रदत्त मिश्र का व्यक्तित्व एवं साहित्य' अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध शास. के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर सन् 1982 पृ. 56
5. मिश्रा, सरोज, 'पं. रूद्रदत्त मिश्र का व्यक्तित्व एवं साहित्य' अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध शास. के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर सन् 1982 पृ. 59
6. मिश्रा, सरोज, 'पं. रूद्रदत्त मिश्र का व्यक्तित्व एवं साहित्य' अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध शास. के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर सन् 1982 पृ. 60
7. मिश्रा, सरोज, ' पं. रूद्रदत्त मिश्र का व्यक्तित्व एवं साहित्य' अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध शास. के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर सन् 1982 पृ. 66
8. दिविक, रमेश, 'हिन्दी का बाल साहित्य, परंपरा, प्रगति, और प्रयोग', gadyakosh.org दिनांक 29 अगस्त 2013
9. मिश्र, पं. रूद्रदत्त, 'हमारे पक्षी', नया साहित्य प्रकाशन कश्मीरी गेट नई दिल्ली संस्करण 1981 पृ 17

A Study on the Performance of Mukhyamantri Swarozgar Yojana for the Socio-Economic Development of Society

Dr. Rekha Lakhotia* Rakhi Kushwah**

Abstract - The study has assessed the performance of Mukhyamantri Swarozgar Yojana, undertaken by the Centre for Social Sector Development, AIGGPA. In all the 51 districts of Madhya Pradesh, the scheme has been implemented. The aim of the scheme is to provide loans to beneficiaries from financial institutions to those want to establish their own enterprises. The beneficiaries receive help under the heads of margin money, interest subsidies, loan guarantee and training. The study was conducted through self-structured questionnaire containing the questions related to loan process, documentation, eligibility, amount of loan received under this scheme, repayment process etc. This study was applied on 100 beneficiaries from Indore District. The beneficiaries were identified through convenience sampling method. The findings showed that the benefit s provided under this scheme, the beneficiaries were able to uplift their socio-economic development. They able to increase their income level, enhance their education opportunities, able to generate employment opportunities and improvements in their social stratum. The statistical tool correlation & regression were used in examining the impact of Mukhyamantri Swarozgar Yojana on their socio-economic development.
Keywords - rise in income, social development, economic development, generation of employment.

Introduction - The ***Mukhyamantri Swarozgar Yojana*** was flagged off from August 2014. The scheme has been implemented in all the 51 districts of Madhya Pradesh. The aim of the project is to facilitate loans from banks to individuals who want to set up their own enterprise. The beneficiaries will receive help in the form of margin money, interest grants, loan guarantee and training. The Scheme will be run by concerned departments and the Department of Commerce, Industry and Employment will act as the nodal agency. The beneficiary is bound to set up his enterprise within the territory of Madhya Pradesh. The project cost may vary from Twenty thousand to Ten Lakh rupees.

Models of Financial Inclusion under the Umbrella of Mukhyamantri Swarozgar Yojana - There are different models which connected to banks for advancing the money related administrations in lieu of investment funds, authorizing the credits, reimbursement of advances and so on with the goal that most extreme individuals can take benefits under the Mukhyamantri Swarozgar Yojana. These are as per the following:

The Grameen Model - It was at first advanced in Bangladesh by The Nobel Peace Prize champ Dr. Mohammed Yunus. In this model, around five individuals shape a Joint Liability Group (JLG) and later social gathering with seven to ten different gatherings from a similar village or neighbourhood to frame middle. Funds are an obligatory segment and credit value is controlled by general reliability of the gathering. Around two dozen MFIs in India take after this model. In India, the major MFIs which are recreating the Grameen demonstrate are SHARE in Andhra Pradesh, CASHPOR in Uttar Pradesh and ASA in Tamil Nadu.

The SHG Model - A gathering of 15-20 individuals, for the most part ladies, at first pool their investment funds for loaning to each other. They enlarge their assets by drawing closer a MFI or a bank. Now and again a few NGOs work microfinance programs by arranging an alliance of SHGs to go about as a MFI, which gets outside credit subsidizes in mass to be directed to the individuals through the SHGs. Here and there it likewise takes the state of a gathering of 15-25 individuals pooling together their investment funds and drawing closer a MFI for procuring extra subsidizes and in addition keeping their reserve funds. The SHG-Bank linkage program of NABARD in India is such model and on universal level, PHBK extend in Indonesia and Nikola gatherings of Kenya Rural Enterprise Program (K-REP) in Kenya are likewise in view of comparable model.

The NABARD SHG - Bank Linkage Model - The NABARD SHG-Bank Linkage (SBLP) show has three varieties:

a. SHGs framed and financed by banks. Here banks step up with regards to framing and supporting the gatherings, opening their investment accounts and

*Associate Professor (Commerce) IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA
** Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya Vishwavidhyalaya, Indore (M.P.) (M.P.) INDIA

giving them credits.

b. SHGs framed by formal offices other than banks, NGOs and others however straightforwardly financed by banks.

c. SHGs financed by banks utilizing NGOs and different offices as money related go-betweens. In this model, NGOs go up against the extra part of money related intermediation.

The Individual Banking Model - For this situation, credit is offered straightforwardly to people and everything from advance examination, advance payment, reimbursement, and funds accumulation is done on singular premise. In India RRBs and co-agent banks are cases of such kind of microfinance.

There are numerous individual managing an account programs through which little advances are given to singular customers however now and then they might be sorted out into joint risk gatherings, credit and funds cooperatives or even SHGs.SEWA Bank in Ahmedabad, Indian Cooperative Network for Women, Tamil Nadu, Annapurna Mahila Cooperative Credit Society in Mumbai and PushkarSamiti – helpful bank in Jodhpur fill in as illustrations.

Literature review

Xu and Zia, (2019) stated in study 'Rural Development: Principles Policies and Management' that the financial literacy incentives were swiftly making a crucial ingredient in the financial programs and government policies around the world. The authors concluded with a synthesis of policy advice and practical suggestions for the way forward in this fast growing area of research. In order to improve the financial education for the consumers, authors had provided following recommendations- leverage social networks and peer effects, identify and target vulnerable populations, solicit specific topics of interest, creative financial education programs, complementary interventions to achieve objectives, consider supply-side failures, identify the specific gaps in business knowledge, pay attention to the curriculum, keep in mind that female entrepreneurs have often failed to benefit from existinginterventions, take into account other sources of heterogeneity and finally remember that complementary interventions would be needed.

Kumar, N. (2018) has examined panel fixed effects and dynamic panel generalized methods of moments (GMM) methodologies in his study 'Financial Inclusion in India and study its determinants'.The findings reveal the importance in shaping banking habit of masses of a region's socio-economic and environmental setup. The study is found with no support for closing gap that regions tend to maintain their respective level of banking activity.

Srikanth.R(2017) discussed financial Inclusion and its role in Indian Banks is reaching out to the unbanked and backward areas in his research 'Financial Inclusion - Role of Indian Banks in Reaching Out to the Unbanked and Backward Areas'. This study suggested some parameters for successful implementation of the policy for sustainable growth of Indian economy of financial inclusion. This study has concentrated on:

1. To comprehend the latitude and exposure of financial inclusion in India.
2. To describe various measures & initiatives with respect to financial inclusion of state / central government.
3. To find out the implications of study.
4. To study the contributions to the economic development of the nation.

Barua, Jacob, Varma and Agarwalla, (2016), stated in their study 'Demand side factors affecting Financial Inclusion' that the financial literacy in the country was influenced by the various factors such as education, income, gender, caste etc, some other factors such as orientation also depicted the verdict of financial literacy which were influenced by the authorities. It could be explained as the orientation factors such as joint family focuses over consultative decision making among the family by the higher authorities. This report derivates on poor financial literacy due to lack of decision making powers and portfolio diversification. Various explanations had been advanced to explain the diversification issue. In this report the main focus was over lack of financial literacy as one potentially important factor.

Aggarwal and LeoraKlapper (2015) have argued some common reasons to remove the physical, bureaucratic, financial, and trust barriers to the use of formal accounts in their study 'The need for financial inclusion with an Indian perspective' not having a formal account and reviews regulatory policies introduced. The study has summarized public and private sector product innovations designed to expand financial inclusion –particularly for the poor.

The study of Shastri, A. (2014) has judgmentally analyzed the issues and challenges in his study 'Financial Inclusion in M.P: A Study with reference to Rural Population' to highlight the factors that can support in achieving financial inclusion for inclusive growth. This study also discussed various extents of financial inclusion and experiences strained from primary survey of households in selected villages of financially backward areas of M.P. The study has investigated the causes of success or failures of financial inclusion. The study has examined financial inclusion in rural areas of Ujjain district (M.P.) and its impact on satisfaction level of the rural people with banking services. To conclude, it can be suggested that financial inclusion and infrastructure should go hand in hand for all round rural development to take place so as to ensure that villagers have accessibility about health education, shelter; IT enabled services and credit behavior. Banks should create an awareness and literacy programs in order to educate the rural people. This can be achieved through various means of social media and mass communication.

Objective of the Study - To study the impact of Mukhyamantri Swarozgar Yojanaon Socio-economic Development of Beneficiaries.

Results & Discussions

Demographic factors:

FACTOR	CATEGORY	FREQ-UENCY	COUNT	%
GENDER	MALE FEMALE	100	67 33	67 33
AGE	15-25 25-35 35-45 45-65	100	16 48 30 6	16 48 30 6
EDUCATION	10TH/DIPLOMA UG/PG PHD OTHERS	100	18 40 34 8	18 40 34 8
INCOME	LESS THAN 1 LAKH 1-3 LAKH 3-5 LAKH5 LAKH & ABOVE	100	11 27 48 12	11 27 48 12

Source: Data Collected by Researcher

H_{01}: There is no significant impact of Mukhyamantri Swarozgar Yojana on Socio-economic Development of Beneficiaries.

Table 1 (see in next page)

Table no.1 shows the correlations and it is evident from this table that Pearson's correlation coefficient between the benefits of Mukhyamantri Swarozgar Yojana & Socio-economic Development of Beneficiaries is 0.518 which is significant since the significant value (p- value) 0.000 is less than 0.05. Therefore, we may conclude that there is significant association between the benefits of Mukhyamantri Swarozgar Yojana & Socio-economic Development of Beneficiaries. Furthermore, since the value of correlation coefficient suggests a moderate positive correlation, we can use a regression analysis to Model the relationship between the variables.

Over all model summary shows the value of linear correlation coefficient R=0.518, it is the linear correlation coefficient between observed and model predicted values of the dependent variable. Its large value indicates a strong relationship. $R^{2,}$ the coefficient of determination is the squared value of the linear correlation coefficients. R^2=0.269 is significant which shows that overall strength of association is noteworthy. The coefficient of determination R^2 is 0.269; therefore, 26.9% of the variation in Socio-economic Development of Beneficiaries is explained by Mukhyamantri Swarozgar Yojana.

Conclusion - The study has examined the positive impact of the benefits of Mukhyamantri SwarozgarYojana on their social and economic development. It was found that beneficiaries were able to uplift their social stratum and they received employment opportunities and enhance their level of income. Under the Mukhyamantri Swarozgar Yojana, they received subsidy to start their small ventures and within three to four years they have a good margin. Beneficiaries are able to provide the beat education to their children, in this way this scheme has done a good to them. For this study, total 100 beneficiaries from Indore District have been selected and through questionnaire they were asked about the received benefits under this scheme.

Suggestions - After a comprehensive study, the following recommendations are suggested.

1. Special motivation campaign programme should be provided regarding the awareness level about various schemes so that the beneficiaries can enhance their knowledge and avail the benefits provided by banks or other financial institutions.
2. For better functioning of the schemes, the bank officials should be properly educated and periodical training at regular intervals may be made and also a study on the respective field may be conducted to outcome the findings.
3. If these programmes are to be made a successful mass movement, the functioning need to be made streamlined, cost effective and transparent.
4. First Government should organize some camps to create awareness about various schemes through NGOs or bank officials so that they can communicate to villagers about the latest schemes through the layman's term.
5. To increase awareness and interest in financial products offered under various schemes of financial inclusion, it is recommended to enhance promotion through electronic or print media in local language with local icons and artists as brand ambassador of the campaign.
6. Multi-language ATMs with audio-video services could be considered.
7. There should be linkage programme tied up with SHGs or NGOs so that they seek to reach out to the extended category of population to achieve financial programmes.
8. The voluntary organisation should come forward and activities like role play, puppet shows, road shows, nuked nataks, documentaries, drama skills should be included in the camp for creating awareness among the rural masses. Furthermore, media can play an important role in changing lives of the people through disseminating relevant information regarding various social schemes in order to make them socially empowered.
9. The Grameen banks should plan a coordinated campaign in partnership with the trainers and professional to educate rural people about the basic financial products, services and offerings so they can get an idea about various schemes.
10. There should be some mechanism to address the grievance of the rural people for handling the serious issues.
11. The bank officials should efficient enough to resolve the problems faced by the villagers and update regularly about latest and forthcoming schemes.
12. The documentation should be speedy and simple so that these people can understand easily and bank of-

ficials should promise their services on time.
13. To facilitate the usage of debit and credit card, financial institutions should provide reward points on the variety of transactions.
14. No frill account should be encouraged by the banks in India otherwise the financial inclusion especially for the people who are deprived of banking services will have a backseat.
15. Financial inclusion must provide access to a well-functioning financial system which limits the risks, enables economically & socially excluded people to integrate and actively contributes in the development of the economy and shields themselves from shocks of drought, illness and death.
16. The rural people should provide a safe, easily accessible opportunity to save from an extremely risk environment. Access to a strong distribution system should be strengthened in rural areas by expanding infrastructure facilities.

References :-

1. Aggarwal and LeoraKlapper (2015) The need for financial inclusion with an Indian perspective. Economic Research, IDBI: Mumbai. Retrieved from ftp://ftp.solutionex change.net.in /public /mf/comm_update/res-15-070408-20.pdf. Accessed on 2-10-2014.
2. Barua, Jacob, Varma and Agarwalla, (2016), Demand side factors affecting Financial Inclusion. The International Research Journal of Social Science & Management*, 03*(01), 176-185.
3. Lusardi and Mitchel (2006). Financial inclusion and social development. International Journal of Scientific Research and Management. 13-18.
4. Shastri, A. (2014) Financial Inclusion in M.P: A Study with reference to Rural Population. Journal of Business Management & Social Sciences Research. Vol 3, No. 12, pp.9-13.
5. Srikanth, R. (2017), *"*A Study on - Financial Inclusion - Role of Indian Banks in Reaching Out to the Unbanked and Backward Areas*",* International Journal of Applied Research and Studies, Volume 2, Issue 9, September.
6. Xu and Zia, (2019) Rural Development: Principles Policies and Management, New Delhi: Sage Publications.
7. VenugopalPulidindi (2012) Financial Inclusion and Women Empowerment: A Study on Women's Perception of East Godavari District, Andhra Pradesh", International Journal of Research in Commerce & Management Vol. 3, No. 12, pp.53-57.

Table 1: Model Summary on Socio-economic Development of Beneficiaries

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.518[a]	.269	.254	5.10667	.269	17.649	1	98	.000

a. Predictors: (Constant), Benefits of Mukhyamantri Swarozgar Yojana

****

A Study On Investor's Attitude Towards Mutual Funds

Dr. Rekha Lakhotiya* Pinki Pargai**

Abstract - Mutual fund is most suitable investment for a common man. It offers an opportunity to invest in a diversified, professionally managed basket of securities at a relatively low cost. It provides a platform for a common investor to participate in the Indian capital market with professional fund management irrespective of the amount invested. The Indian mutual fund industry is growing rapidly and this is reflected in the increase in assets under management of various fund houses. Mutual fund investment has low risks than directly investing in stocks is therefore a safer option for risk adverse investors. The growing importance of Indian mutual funds may be noted in terms of the increased mobilization of funds and the increasing number of schemes and investors in the industry. The results show that there is a significant association between educational qualification of the investors and the risk tolerance level or occupation of the investors and the risk. Mutual fund investment in relation to investor behavior, investor opinion and perception. It has been studied relating to various issues like type of mutual fund schemes, investors opinion relating to factors that attract them to invest in mutual funds.
Keywords - Mutual funds, Investors behavior, AMC (Assets management company), Risk.

Introduction - Indian stock market is one of the oldest in Asia. Its history dates back to nearly 200 years ago. In finance, Investment is the employment of funds on assets with an aim to earn an income and/or capital appreciation. A mutual fund is set up in the form of a trust which has a

1. Sponsor,
2. Trustees
3. Asset management company (AMC)
4. Custodian.

Investment has two attributes namely risk and return, while time is an invisible factor. The sacrifice of money today is certain and return in future is uncertain. Different mutual funds are designed to meet the objectives of different types of savers such as bond funds, income funds, money market funds and so on. The investors should compare the risks and expected yields after adjustment of tax on various instruments while taking investment decisions. Indian investors got attracted to invest their money in mutual funds for two reasons.

1. They offer a better return than fixed deposits
2. These funds are being run by professionals with requisite infrastructure to monitor company workings and their outlook of stock markets, etc.

The investors may seek advice from experts and consultants including agents and distributors of mutual funds schemes while making investment decisions. Factors affecting Mutual fund investments are risk factor, regular income factor, return factor, liquidity factor, flexibility factor and awareness factor. The mutual funds generally come out with various numbers of schemes with different investment objectives, which are propelled from time to time. Knowledge of investor perception is important because the perception of investors can influence the investment pattern and his investment behavior like risk tolerance level, investment preference on the basis of age, gender, education, income, occupation etc. I believe that if you want to invest in mutual funds and by association in the stock market for the long-term, you must not get bothered by two inevitable situations- the bear market and the bull market. If you do not invest smart, your investment may end up becoming a liability.

So, regardless of the mutual fund you plan to invest in, there are certain things that you as an investor must do to ensure you are financially secure at all times.

1. Don't invest without mapping your financial goals.
2. Don't invest with a short-term view.
3. Don't invest in too many funds.
4. Don't ignore your risk profile.
5. Don't forget to analyze & review fund's performance.

Suggestions:

1. The awareness about mutual funds is quite low in rural and semi urban areas. To popularize mutual funds in rural areas, some special promotional efforts should be done. The mutual fund companies and distributors should publicize SIP and encourage investors to invest more in SIP as it will help in savings for their future. Every Investor can participate in stock market with nominal amount.

*Associate Professor, Department of Commerce, D.A.V.V University, IPS academy Indore (M.P.) INDIA
** Research Scholar, School of Commerce, D.A.V.V University, TakshashilaParisar, Indore (M.P.) INDIA

2. Mutual Investors should choose the right Mutual fund scheme which suits their requirements. The offer document of the Mutual fund scheme should be thoroughly read and scrutinized.
3. Investing in one Mutual Fund scheme may not meet all the investment needs of an investor. They should consider investing in a combination of schemes to achieve their specific goals.
4. Investors should not consider only one or two factors for investing in mutual fund but they should consider other factors such as higher return, degree of transparency, efficient service, fund management and reputation of mutual fund in selection of mutual funds.

Conclusion - In Indian market where financial instruments are Mutual fund industry has still to struggle to gain more investors. Financial literacy among females and youths will definitely bring a huge success to this industry. For that reason the government is looking to provide financial studies in school level. Adults who are already mutual fund investors should not withdraw from the same as they attain experience in the field.

The nature of investment differ from individual and is unique to each one because it depends on various parameters like future financial goals, the present & the future income model, capacity to bear the risk, the present requirements and lot more. As an investor progresses on his/her life stage and as his/her financials goals change, so does the unique investor profile maximum investor are aware of all the investment options. Growth and success of mutual fund industry depends upon sound financial management policies and investment practices it pursues to bring about value addition to the corpus of the mutual funds. The performance evaluation of mutual funds is a matter of concern to the managers, investors and researchers. Mutual fund industry has still to struggle to gain more investor. Financial literacy among females and youth will definitely. For that reason the government is looking to provide financial studies in school level. Mutual fund industry has a great scope. If it gives more attention to some factors which will ultimately lead to satisfaction of investor. This will help the mutual fund industry to boom up. The organization to boost the mutual fund investment company shall educate the public to the benefits of mutual fund through the advertisement, publicity campaigns having stall exhibition.

References :-

1. https://www.moneycontrol.com/news/business/mutual-funds/
2. https://www.fundsindia.com/mutual-funds.html
3. https://camsrta.wordpress.com/
4. https://www.valueresearchonline.com/knowledge-center/
5. https://www.outlookindia.com/outlookmoney/(Outlook money magazines)

****

Search for a Name : The Female Protagonist in the Novels of Shashi Deshpande

Dr. Vandana Sharma*

Abstract - Shashi Despande occupies a place of pre-eminence among the contemporary Indian women novelists concerned with woman's issues. Her novels are a realistic depiction of the anguish and conflict of the modern educated middle class women. Caught between patriarchy and tradition on the one hand, and self-expression, individuality and independence on the other, her protagonists like Sarita in the Dark Holds No terrors, Indu in Roots and Shadows, Jaya in That Long Silence and Urmila in The Binding Vine, feel themselves lost and confused and explore ways to fulfill themselves as a human being.

Key Words - Feminism, Search for identity, Sexuality, frigidity, patriarchal, tradition, gender- difference, humanistic outlook, torn-psyche, family, career oriented, anguish, anxiety.

Introduction - "The Moving Finger Writes; and, having writ
Moves on; nor all the Piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line
Nor all thytears wash out a wash of it"
- (Edward Fitzgeraldq, St.51)

Shashi Deshpande has very remarkably and exquisitely presented the inner struggle and conflict of the Indian modern woman. A study of her novels make it very obvious that Deshpande has raised many basic questions regarding modern women who are rooted and shaped by the traditional framework of Indian society but influenced by the scientific knowledge of the west, and thus finds herself torn between the two.

A woman is possessed with the desire to fulfil her potential, that is why she displays her commitment to the career selected by her. It amounts to the rejection of an identity based solely on a relationship as a mother, a wife or a daughter. In the past, an Indian woman has been denied of opportunities to come up professionally in life.Early marriage and purdah-system confined her to her home. In a traditional society, the roles of wife and mother were provided with top priority and this engulfed her identity. The modern woman is constantly trying to live as an economically independent individual self. Breaking the glass ceiling has attained new meaning as never before. The Indian working woman with her resilience and intellect, balances her family and career judiciously, especially when she leads a domain as diverse or challenging as business, politics or social work against all odds, she has redefined traditional mindsets to create a path where none and stormed bastions.

Shashi Deshpande's protagonists – Indu(Roots and shadows), Sarita(The Dark Holds No Terrors), Jaya(That long Silence), Savitribai(Small Remedies) and Urmila(That Binding Vine) all are career woman, giving voice to the complexity and conflicts of the middle-class working women.There are numerous stories of women who scarified their comforts to accept the challenges, head-on to make a difference in society and inspired others and dedicated their lives to cause that was closet to their heart.

The Dark Holds No Terrors narrates the tale of a career oriented woman Sarita, who had cherished dreams of becoming a successful gynaecologist and who married a teacher,Manoher, whose ego clashes on as she gains popularity and her returns to the abandoned home of her parents. She undergoes an arduous journey into herself and liberates herself from guilt, shame and humiliation to emerge in full control over her life. The sublimated self will of Sarita along with her ego and love for power is behind the multiplication of her problems; while she becomes a successful doctor which upsets her family, her husband gets annoyed of her popularity and turns to be a sexual sadist, torturing Sarita on bed every night.

The financial superiority of Sarita renders Manohar less significant and impotent; he is possessed with the false ideology that his aggressive attitude in the bed room during physical intimacy will regain potency and masculinity. At this level the psycho-analytical approach becomes a must for the burden of a working housewife always ends up with double duties and conjugal relationship.Ifthe balance is not maintained well, the feelings of disenchantment and imbalance leading of separation which becomes a possible way out for mutual benefits and happiness .Sarita's predicament is contrary to the assertion of most feminists that financial independence brings security to women.Sarita thinks that it is easier for the women in the past to accept

*Assistant Professor (English) J.K.P. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

such way of life for they did not have to struggle and therefore there was left no option for them except to surrender their ego and existence on the altar of destiny, as Sarita exclaims in deepening frustration:

"Don't struggle, don't swim against the tide. Go along with it; and if you drown nevertheless, well, that's an easier death after all." (The Dark Holds No Terrors. P. 137).

In Small Remedies, Madhu narrates the story of Savitribai, a young woman who had led a sheltered life not only as a child in her parental home but also as a daughter-in-law in an affluent Brahmin family. She makes a name for herself as a great classical singer. In a traditional Indian society music is not given proper place. Madhu records how Savitribai felt hurt when her grandmother asked her to stop singing immediately during her performance at a family gathering.Madhu recalls :

"In Neemgaon she was 'the singer woman' and there was something derogatory about the words, yes, I can see that now, about the way they said them." (Small Remedies. P.29)

Savitribai had to face gender discrimination when her father-in-law choosing a wife from one's own class and a mistress from another was quite acceptable, but for adaughter-in-law pursuing a career in classical music was scandalous, although her father-in-law never discourages her. Savitribai has to face contempt and ridicule from the other women when she returned from her music classes. She could imagine the jibes and the hostility and the way she would have been cast aside like an untouchable. She says :

"To be set apart from your own kind, not to be able to confirm, to flout the rules laid down, is to lay yourself open to cruelty."(Small Remedies, P. 220).

That Long Silence, Shashi Deshpande's most critically acclaimed novel is about that long silence of Jaya which engulfs her marriage with Mohan. Mohan's demand of an English speaking wife makes him tie the knot with Jaya, a well educated girl, who, though modern, finds it difficult to break from the strangle hold of tradition. She remained a housewife throughout her entire life and could utter not even a single word of discontent or content; her 'native hue of resolution' to speak marks the end of the novel. She was lonely even after her marriage with Mohan who could not understand her feelng; as a result of which she was torn from within. Deshpande uses a beautiful image to describe Jaya's married life:

"A pair of bullocks yoked together. A man and a woman married for seventeen years A couple with two children. But the reality was only this. We were only two persons- A man .. A woman."(That Long Silence, P.8)

The picture of the beasts performing the duty mechanically undermines the husband-wife relationship, who are supposed to be united in marriage for love and not for leading to mechanical life shows the reality of their relations.

Jaya could not continue her writing as Mohan discouraged her. She did not take the risk of annoying Mohan lest that should break her marriage. The fear of unsuccessful married life prompts Jaya to abandon self-revelatory and self-satisfying writing, for her husband does not like the dirty lines of married life should be washed in public. This resumes Jaya's consciousness and responsibilities as wife and mother. The woman and author in Jaya was crushed by Mohan that she reached the threshold of frigidity; as he neither loved her nor did he provide her with encouragement whatsoever. The disgust of living with a man, who does not love the woman the way she expects him to do, is a burning problem that educated women face in our contemporary society. Though Jaya represents the urban middle class feminine society exposed to liberal western ideologies, yet she is not able to liberate herself from the shackles of male Chauvinist ideas, which have become the ramifications of her culture clinging to her feet in Indian Waste Land. In Indian subcontinent, marriage is something far beyond a mere contact for living, rather it is a continuous and unending process, which sometimes extends beyond the cycle of life and death even for seven times. This is mainly because of the necessity of conforming to cultural edicts. As a result, marriage seldom corresponds to the personal experience or aspirations of the individuals involved so that the relationship is often like Jaya's description of her own marriage :

"Ours has been a delicately balanced relationship, so much so that we have even snipped off bits of ourselves to keep the scales on an even keel"
(That Long Silence, P.7)

The institution of marriage and family which is regarded as the basic unit of society, is founded probably on the most patriarchal set up. In a family, man is considered as the head of the household, and he controls women's sexuality, labour or production, reproduction and mobility. The family has been considered as important for socializingthe next generation in patriarchal values. It is within the family that we learn the first lessons in hierarchy, subordination and discrimination. Boys learn to assert and dominate, girls to submit and to accept unequal treatment. According to Gerda Lerner : "The family, not merely mirrors the order in the state and educates its children to follow it, it also creates and constantly reinforces that order."(The creation of Patriarchy, P. 217)

Roots and Shadows is a novel which explores the inner struggle of Indu, the protagonist who presents a set of modern women who are educated and are very much in a contact with society, dealing with the critical problem in the patriarchal atmosphere. Shashi Deshpande unveils the subtle process of oppression and gender differentiation at work in the family and in the male oriented society. Indu comes back to her ancestral home from where she left to get married to a man of her choice against the wishes of her family. She comes back to attend the funeral ceremony

of Akka, the old rich termagant. The curse of widowhood, swallowing the existence of a woman, especially in a peninsular Indian society, wherein the violation of certain norms is considered to be a sufficient cause for inflicting all kinds of tortures such as tonsured head, reduction to a certain limit of untouchability, is not unknown to Indu. This is visible in Atya's life, which makes Indu think;

"She had had a hard life, what else can a childless widow expect? Her in-laws had, true to tradition, ill-treated her after her husband's death." (Roots and Shadows, P.36).

The same life of another 'nameless' widow in the famiy is described by Indu, invariably called 'Kaku', who helps in the Kitchen. Seeing her position, Indu wants to converse her, to ask her name:

"These women ……. They are called Kaku or Kaki, Atya or Vahini, Ajji or Mami. As if they have to be recognized by a relationship, because they have no independent identity of their own at all; and in the process, their own names are forgotten. How does it feel not even to have a name of your own?" (Roots and Shadows, P. 117)

The world represented in Roots and shadows is a closed world of the joint family; the two major factors that are responsible for this narrow mindedness are the caste-system and patriarchy. It has existed for such a long time that even the women have internalized.Akka, the family tyrant, is a product of patriarchy, so are the devious Sunanda, the proud Sumitra, the helpless Atya and Padmini.

Though Indu's education and exposure encourages her to break free from the clutches of tradition, she eventually finds that she is no different from the other women who believe that a woman's good fortune lies in dying before her husband. The realization comes to her that her condition is no better than that of her Kakis and Atyas. In an era of transition, Indu becomes an emblem of feminist psyche torn between traditional bondage and individual liberty. She is fully aware that these bonds are unreasonable and illogical, yet she wants to be bound by them as the typical traditional woman. Although, sometimes she becomes angry with meaningless tradition. Falling in line with Indu of Roots and Shadows, who seeks freedom within the boundaries of obligations and responsibilities, who also conquers her fears and achieves harmony in life, Sarita in The Dark Holds No Terrors, too, undergoes similar trauma, confronts reality and, at the end survives in a male-dominated world which offer no easy outs to women. She neither surrenders nor does she tries to find an escape from the problems, but with great strength accepts the challenge of tradition:

"I was the first to break
Thegoldenchains
Ofunmixedease
Nopuppet
To **yourfistedstrings**"

Thus we can say that Shashi Deshpande's novels are a realistic depiction of the anguish and conflict of the modern educated middle class woman, who fettered to their stereotypical roles of a wife and mother feel smothered and helpless in a traditional-bound male dominated society. Shashi Deshpande's protagonists' quest for identity gets largely accentuated due to their frustrating experiences born of the prohibitive nature of the Indian patriarchal society. Undoubtedly, Shashi Deshpande is a feminist writer but with a broad humanistic outlook. She follows the liberal-feminist ideal which treats growth in consciousness as the end. Her novels reflect changing times through private lives.

References :-

1. Deshpande, Shashi. The Dark Holds No Terrors, New Delhi, Vikas Publications, 1980, P. 137.
2. Fitzgerald, Edward,Rubaiyyat of Omer Khayyam, St 51.
3. Sunita Reddy, Y.S., A Feminist Perspective on the Novels of Shashi Deshpande, New Delhi, Prestiage Books, 2001, P.22.
4. Deshpande, Shashi. Small Remedies, New Delhi; Penguin India 2001, P. 29.
5. Deshpande Shashi. That Long Silence New Delhi : Penguin India 1989, P.8.
6. Lerner, Gerda, The Creation of Patriarchy, Oxford and New York, Oxford University Press 1986, P. 217.
7. Deshpande, Shashi, Roots and Shadow, New Delhi, Disha Books, 1983, P.36.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

युद्धबंदी व्यवहार नियम प्राचीन अंतरराज्यीय संबंध एवं जिनेवा कन्वेंशन-एक तुलनात्मक विवेचन

डॉ. नवीन सक्सेना *

शोध सारांश – प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में युद्ध एक निरंतर प्रक्रिया थी, जिसमें प्रत्येक राज्य किसी न किसी रूप में उलझा रहता था। वर्तमान युग में युद्ध को विश्व शांति की दृष्टि से एक खतरनाक विचार माना जाता है,किंतु फिर भी यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक नग्न सत्य है। विश्व इतिहास साक्षी है कि सदैव शक्तिशाली शासकों ने कमजोर शासक को परास्त करके स्वयं को शक्तिशाली बनाया है। इस दृष्टि से युद्ध और संघर्षों की स्थिति को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है, तथापि संघर्षपूर्ण स्थिति को कम करने के उपाय अवश्य बताए जा सकते है। युद्ध के पश्चात प्रभावित होने वाले सैनिकों एवं युद्ध बंदियों के संबंध में प्राचीन राजनीतिक ग्रंथों, आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों, हेग कन्वेंशन 1799,जिनेवा कन्वेंशन 1926 एवं 1950 में युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के नियम दर्शाए गए है, जिनका विवेचन उक्त शोध आलेख की विषय वस्तु है।

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय चिंतकयुद्ध की चुनौतियों से उत्पन्न होने वाले परिणाम से भलीभांति परिचित थे।वह युद्ध की विभीषिका से भी परिचित थे इसलिए युद्ध को उन्होंने अंतिम उपाय के रूप में स्वीकार किया तथा युद्ध की भयंकरता तथा राजाओं की विध्वंसकारी प्रवृत्तिा को नियंत्रित करने की दृष्टि से उन्होंने युद्ध के नियमों, उद्देश्य,रणनीति आदि की विस्तृत रूप से व्यवस्था दी है। प्राचीन भारत के युद्ध नियमों के अंतर्गत जब हम युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार का अध्ययन करते हैं तब हमें आदर्श और व्यवहार का एक समन्वित रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार 1949 के जिनेवा कन्वेंशन से उद्भूत युद्ध बंदियों के प्रति व्यवहार के नियमों का अवलोकन करने पर भी एवं साथ ही वर्तमान में व्यावहारिक रूप से प्रचलित युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के नियमों का अध्ययन करने पर जो तथ्य सामने आते हैं,उनका निष्कर्ष है कि प्राचीन काल में भी हमारे भारतीय मनीषियों ने अंतरराज्यीय संबंध और कूटनीतिक व युद्धकलाओं के ऐसे नियम संधारित कर दिए थे, जो आज भी नैतिकता, आदर्शवादीता और साथ ही व्यावहारिकता का भी समावेश करते हैं।

युद्ध बंदियो से संबंधित आंकड़ों पर यदि दृष्टि डाली जाए तो प्रथम विश्वयुद्ध के समय पूरे विश्व में 20 लाख युद्ध बंदी थे, जिनमें से 13492 भारतीय सैनिक भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरानभारतीय युद्ध बंदियों की संख्या 63740 थी।एक रिपोर्ट में बताया गया कि जापानके कंपो में उस समय 40000 भारतीय सैनिक युद्ध बंदी के रूप में थे, जिनमें से 30000 आजाद हिंद फौज के समर्थन में शामिल हुए, किंतु बचे हुए 10000 भारतीय सैनिकों को मानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा।[1] 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान 3942 भारतीय सैनिक युद्ध बंदियों के रूप में गिरफ्तार हुए।1965 में होने वाले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एयर मार्शल के. करियप्पा 8 हफ्तों तक युद्ध बंदी रहे।1972 के युद्ध के समय लगभग 600 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 54 कैदियों के बारे में लंबे समय तक कोई फैसला नहीं हो सका।[2] 1999 के कारगिल संघर्ष में कैप्टन नचिकेता और कैप्टन आहूजा को गिरफ्तार किया गया। इनमें से नचिकेता तो वापस आ पाये किंतु कैप्टन आहूजा जीवित वापस नहीं आ सके। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल एयर स्ट्राइक के पश्चात कैप्टन अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में 60 घंटों के अंदर ही जिनेवा कन्वेंशन 1949 का संदर्भ देकर छोड़ दिया गया।[3] अत: स्पष्ट है कि न केवल युद्ध बल्कि राष्ट्रों के आपसी संघर्ष के समय भी युद्ध बंदी की घटनाएं देखने में आती हैं, और इस हेतु प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कई नियमों के अनुसार युद्ध बंदियों के साथ आचरण करने का निर्देश दिया गया है।

उद्देश्य एवं शोध पद्धति –उक्त शोध आलेख में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित युद्ध के नियमों, युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार आदि का अवलोकन किया गया है। साथ ही हेग कन्वेंशन 1799,जिनेवा कन्वेंशन 1929, 1949 के अंतर्गत युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार में प्रचलित नियमों की तुलना कर प्राचीन भारत तथा आधुनिक विश्व में प्रचलित युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के नियमों की तुलना कीगई है।आलेख की पद्धति विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक है। प्राचीन ग्रंथोंएवं अंतराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों से द्वितीयक सामग्री प्राप्त की गई है। कुछ निश्चित प्राकल्पनाओं का सहारा लिया गया है, जैसे प्राचीन भारत में भी युद्ध के नियमों के अंतर्गत युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार की अवधारणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। वर्तमान के युद्ध नियमों से वे किसी भी तरह कम नहीं थे, तथा इन नियमों में प्राचीन भारत के आदर्शो, नैतिकता और व्यावहारिकता से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

शोध व्याख्या –प्राचीन भारत में पराजित शत्रु बंदीयो तथा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु सैनिको के साथ मानवीय व्यवहार के नियम प्रचलित थे।महाभारत में कहा गया है कि पराजित के साथ दयापूर्ण व्यवहार करने वाले नरेश के यश में अत्यधिक वृद्धि होती है।[4] युद्ध बंदियों के साथ कठोर व्यवहार ना कर मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।युद्ध में बंदी बनाए गएसैनिक तो आश्रित संतान की भांति है उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।महाभारत में कतिपय विशेष युद्ध बंदियों को अस्थाई

* सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

दास बनाने के संकेत भी मिलते हैं।जो शत्रु शस्त्रों का परित्याग करके शरणागत हो जाए उसका वध नहीं किया जाना चाहिए।[5] ऐसे शरणागत को एक वर्ष के लिए दास रूप में रखा जाए परंतु इस काल में उसके साथ शत्रुघ्न नहीं अपितु पुत्रवत व्यवहार किया जाए।अग्नि पुराण केअनुसार युद्ध की समाप्ति के पश्चात युद्ध बंदी किए गए सैनिकों को दया कर उन्हें मुक्त कर देना चाहिए।[6] नीतिवाक्यमृतम् के अनुसार युद्ध समाप्ति के पश्चात युद्ध बंदियों को ससम्मान स्वतंत्र कर दिया जाता था।[7] उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में पराजित शत्रु राजा के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाता था।भारत में युद्ध बंदियों के साथ आश्रितपुत्र के समान व्यवहार किया जाता था ।

जिस प्रकार युद्ध बंदियों, शरणागत के साथ मानवीय व्यवहार के नियम थे उसी प्रकार प्राचीन भारत में युद्ध में घायल बीमार सैनिकों आदि के साथ भी सहानुभूति पूर्ण आचरण के नियम निर्देश आचार्यों ने दिएहै।प्राचीन भारत में सेना में ऐसे चिकित्सक विद्यमान रहते थे जो युद्ध भूमि में घायल सैनिकों की चिकित्सा करते थे ।रामायण में युद्ध कांड में ऐसे चिकित्सकों का उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण में सुसैन नामक वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण का उपचार करने के प्रयोजन से संजीवनी बूटी का प्रयोग किया था।[8] महाभारत के अनुसार ऐसे शत्रुसैनिक जिनके शस्त्र यंत्र खराब हो गए हो जो रूग्ण एवं कातर हो उनकी आवश्यक चिकित्सा करने के उपरांत उन्हें उनके शिविर में पहुंचा देना चाहिए।[9] भीष्म ने कहा है, आहत सैनिकों की चिकित्सा व्यवस्था करना शासक का दायित्व है, अगर वह चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो तो उन्हें रणछोड़ कर घर जाने की अनुमति होनी चाहिए। सैनिकों की तत्काल चिकित्सा करने के लिए सेना के साथ वेद्य, परिचारिका तथा आवश्यक उपकरण एवं ओषधियाँ रखी जाती थी।मनुस्मृति में भी अत्यंत घायल एवं भयभीत सैनिक को मारना वर्जित किया गया। आचार्य कौटिल्य ने युद्ध में आहत एवं रोग ग्रस्त सैनिक की चिकित्सा की व्यवस्था दी है, कि घायल सैनिकों को उपचार की तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि उसे अपने युद्ध शिविर में लाया जाए तो उसकी समुचित चिकित्सा की जानी चाहिए।[10] स्पष्ट है कि युद्ध में घायलों के साथ नितांत मानवीय व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें अपने शिविर में पहुंचाने की व्यवस्था के साथ ही उनके उपचार की व्यवस्था करने के प्रावधान भी थे।

प्राचीन भारतीय चिंतकों ने युद्ध में न्यूनतम हिंसा तथा जन संपत्ति के विनाश को कम करने की दृष्टि से युद्ध के अनेक नियमों का न केवल निर्माण किया अपितु उनके अनुकूल आचरण भी किया। युद्ध विधान मानवता के नियमों, धर्म द्वारा अनुमोदित शूरवीरों द्वारा परिचालित होता था। युद्ध के नियमों की अवहेलना सामाजिक, नैतिक और धार्मिक अपराध था। प्राचीन भारतीय युद्ध के नियम वर्तमान युद्ध के अंतरराष्ट्रीय नियमों, जिनेवा एवं हेगकन्वेंशन में प्रतिपादित नियमों से किसी प्रकार कम नहीं थे।

1949 के जिनेवा अभिसमय की धारा 85,99 और 102 युद्ध बंदियों संबंधी अपराधों से संबंधित है। जिनेवा अभिसमय में युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के विषय मेंअनेक प्रावधान है।190 से अधिक देश इस अभिसमय के पक्षकार हैं।युद्ध बंदियों के व्यवहार के संबंध में जिनेवा अभिसमय में अनेक नियम बताए गए है,जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं।

(क) युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। युद्ध बंदियों की हत्या करना या कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े वर्जित है तथा इसे संधि का उल्लंघन माना जाएगा।

(ख) किसी भी युद्ध बंदी को चिकित्सा विज्ञान या किसी अन्य प्रकार के प्रयोगों में उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ग) युद्ध बंदियों के विरुद्ध बलपूर्वक प्रतिकार वर्जित है।

(घ) युद्ध बंदियों को रखने वाले देश का यह उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें निशुल्क भोजन चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान करें।

(ङ) युद्ध बंदियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके साथ राष्ट्र, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(च) युद्ध बंदियों को कोई शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जा सकती। उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए उन पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला जा सकता।

(छ) युद्ध बंदियों को वे वस्तुएं जिनसे उनके राष्ट्र आदि का पता चलता है या उनके धर्म से संबंधित हैं, नहीं ली जा सकती ।

(ज) जितना शीघ्र हो सके युद्ध बंदियों को लड़ाई के क्षेत्र से तथा खतरे से दूर ले जाना चाहिए ।

(झ) युद्ध बंदियों के साथ सदैव उनके पहचान पत्र होने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण यह नियम है कि बंदियों पर उसी न्यायालय में उसी कानून के अनुसार अभियोग चलाया जाना चाहिए जो संबंधित राज्य की सशस्त्र सेनाओं पर लागू होता है ।

इसी प्रकार मृतक तथा घायल व्यक्तियों के व्यवहार के संबंध में सर्वप्रथम कुछ नियम जिनेवा अभिसमय 1864 में बनाए गए थे। इन नियमों पर 1960 के एक सम्मेलन द्वारा फिर से विचार किया गया। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध में घायल व्यक्तियों की समस्या के जटिल रूप में सामने आने के पश्चात 1929 के जिनेवा सम्मेलन में तथा उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1949 में पुन: जिनेवा सम्मेलन बुलाया गया,जिसमें इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए। युद्ध में घायल तथा बीमार सैनिकों के ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता । युद्ध में घायल तथा बीमार व्यक्तियों की बिना किसी भेदभाव के देखभाल की जानी चाहिए। युद्ध में घायल तथा बीमार सैनिकों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय को संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात इनके विरुद्ध आक्रमण नहीं किया जा सकता। चिकित्सालय तथा रोगियों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में बीमार तथा घायल व्यक्तियों के प्रति हिंसात्मक कार्य करना वर्जित है। उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि 1949 के वियना कन्वेंशन द्वारा युद्ध में घायल तथा बीमार व्यक्तियों को अनेक सुविधाएं तथा अधिकार प्रदान किए गए है।

निष्कर्ष – निष्कर्षत: चाहे प्राचीन अंतरराज्यीय संबंधों एवं प्राचीन राजनीतिक ग्रंथों मे वर्णित युद्ध संबंधी नियमों, विशेष रूप से युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के नियमों का अवलोकन किया जाए या आधुनिक विश्व में हेग सम्मेलन एवं जिनेवा सम्मेलन से उद्भुत युद्ध बंदियों एवं युद्ध में घायल मनुष्य हेतु बनाए गए नियमों को देखा जाए, दोनों ही का एक ही निष्कर्ष है कि,

1. किसी भी स्थिति में युद्ध बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
2. उसकी चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. चिकित्सा कार्य में लगे डॉक्टर एवं अन्य वाहनों पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।
4. युद्ध बंदियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नही होना चाहिए।
5. उससे गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने हेतु उसे शारीरिक चोट या भय नहीं पहुंचाना चाहिए।
6. युद्ध बंदियों की पर्याप्त सुरक्षा की जानी चाहिए।

स्पष्ट है, युद्ध बंदियों एवं युद्ध में घायल सैनिकों एवं नागरिकों के लिए बनाए गए नियमों में हजारों वर्ष पूर्व भारत के मनीषी एवं आचार्यों द्धारा बनाए गए नियम भी आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीतिमें उपलब्ध नियमों एवं कानूनों से अधिक भिन्न नहीं है। यह हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों, विशेष रूप से अंतर राज्यीय संबंधों के प्रति उनकी विशेषज्ञता को प्रतिपादित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नवभारत टाइम्स - 03 मार्च 2019
2. अमर उजाला - 12 दिसंबर 2019
3. टाइम्स नाउ डिजिटल - 28 फरवरी 2019
4. महाभारत - शांतिपर्व - 102-30
5. महाभारत -शांतिपर्व - 102-32
6. अग्नि पुराण - 235, 63
7. नीति वाक्यामृतम् अध्याय - 30 युद्ध समुद्देश्य,66
8. रामायण युद्ध काण्ड - 11/53
9. मनुस्मृति -7/91-93
10. अर्थशास्त्र -अधिकरण -7/5/38-50

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन और दलितोद्धार

डॉ. रेखा साहू *

प्रस्तावना – डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक, एक उच्च कोटि के विद्वान और श्रेष्ठ राजनीतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने उन व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के लिए अपना जीवन अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया जिन्हें समाज के सभी वर्गों ने शोषित और दास श्रेणी में रखा। यह कार्य इतना सहज नहीं था, स्वयं के जीवन में अपमान के कई घूंट पीकर सतत संघर्ष और अति स्मरणीय नेतृत्व द्वारा एक सजग आंदोलन द्वारा उन्होंने उन शोषित मूकनायक को समाज की धारा में शामिल किया, जिन्हें समाज ने सर्वथा उपेक्षित छोड़ दिया था।

कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च अध्ययन के पश्चात डॉ. अम्बेडकर ने अपने दलित साथियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए एक सतत सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने सदैव दलित और पिछड़े क्षेत्रों के उद्धार की बात की। ब्रिटिश प्रशासन ने भी उनकी न्याय पूर्ण माँग का समर्थन किया। अपने प्रभावशाली सामाजिक आंदोलनों के कारण ही वे दलित और शोषितों के सर्वमान्य नेता स्वीकार किए गए।

1923के प्रारंभ से ही डॉ. अम्बेडकर अछूतों को सवर्णों की भांति समाज में एक स्तर पर लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ करते हैं। भेदमूलक सामाजिक व्यवस्था, अस्पृश्यता जैसे अभिशाप और जाति प्रथा जैसी शोषित व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का संकल्प उनके प्रत्येक सामाजिक आंदोलन में दिखाई देता है।[1]

जिस प्रकार महावीर स्वामी, बुद्ध के दर्शन में हमें सामाजिक सामंजस्य के रास्ते दिखाई देते है, उसी प्रकार अम्बेडकर भी हमें सामाजिक सुव्यवस्था और समरसता का पाठ पढ़ाते हैं। रामानुज, रामानंद, रैदास, संत रविदास, कबीर, गुरु नानक, नामदेव, संत एकनाथ, तुकाराम की तरह ही अपने अध्ययन, अपने विचारों और कार्यो से डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक विषमता के खिलाफ आंदोलन को जन्म दिया। राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद की ही तरह भीमराव ने जाति प्रथा, अछूत प्रथा, आर्य अनार्य व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट किए तथा उक्त विचारकों व संतों से भी अधिक सशक्त व जीवंत रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया।

पुनरोदय के पश्चात जब पूरा समाज स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था, उस समय डॉ. भीमराव अम्बेडकर हिंदू समाज में अस्पर्श किए जाने वाले लोगों के अधिकारों के लिए संघर्षरत थे। उनके लिए अस्पृश्यता उन्मूलन और दलित उद्धार स्वतंत्रता प्राप्ति से कम नहीं था। दलित चेतना को दलित आंदोलन और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका निर्णायक रही है। दलित समाज को न्यायोचित सामाजिक स्थान दिलाने के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाते हुए बाबा जी ने सतत संघर्ष किया।[2]

1930 में मराठी भाषा में मूक–नायक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो दलित वर्ग की आवाज को अभिव्यक्ति देने का अभूतपूर्व साधन बना। उसके पहले ही अंक में डॉ. अम्बेडकर ने लिखा था, भारत को स्वतंत्र होने से पूर्व आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक अछूतों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं होगी तब तक स्वराज से कोई लाभ नहीं हो सकेगा।[3]

1920 से 1923 के मध्य लंदन में सर मोंटेग्यू ने जब उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य के नाते नियुक्त करने का निमंत्रण दिया, तब डॉ. भीमराव ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि मुझे मेरे समाज बंधुओं की सेवा करनी है। सेवा करने के लिए उच्च अध्ययन करना आवश्यक है, और बाद में समाज सेवा के लिए उचित नौकरी करना यही भूमिका मुझे प्रिय है।[4]

1924 में डॉ. अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना मुंबई में की। इसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार वाचनालयो की स्थापना, समाजिक केन्द्रो और छात्रावासों को खोलना तथा अन्य कठिनाईयों का निराकरण करना था। सामाजिक आंदोलन को गति प्रदान करते हुए 1927 में 'बहिष्कृत भारत' नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन भी आपने आरंभ किया, जिसके माध्यम से अम्बेडकर दलितों को आंदोलन के लिए तैयार करते रहे।

1927 में डॉ. अम्बेडकर ने महानगर पालिका क्षेत्र में पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को अछूतों के लिए निषिद्ध करने के विरोध में सत्याग्रह किया तथा अपने लगभग 10000 सत्याग्रह के साथ महाड़ के चार दार तालाब में जा कर पानी पिया। दलितों की विशाल सभा संगठित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'हम यह दिखा देना चाहते हैं, कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। यह सभा समता का श्रीगणेश करने के लिए बुलाई गई है।'[5] इसी अवसर पर डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में छुआछूत का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ 'मनुस्मृति' की भी होली जलाई गई। हालांकि अम्बेडकर ने बाद में स्वीकार किया कि मनुस्मृति में लिखी गई सभी बातें बुरी नहीं है।

दिसंबर 1927 में संपन्न इस व्यापक दलित आंदोलन में दो प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। प्रथम प्रस्ताव का आशय था, कि मनुष्य जन्म से समान पैदा होता है, और मरने के समय तक उन्हें समान ही रहना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव के अनुसार मनुस्मृति अस्पृश्यता व जातिगत विषमता की जड़ है, अत: इसका अग्नि दहन होना चाहिए। यह प्रस्ताव पारित होने के पश्चात डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में मनुस्मृति को अग्नि में दहन किया गया। डॉ. अम्बेडकर का यह कार्य प्रतीकात्मक था

* सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

जिसके द्वारा दुनिया को संदेश दिया गया, कि दुनिया समझ ले कि विषमता का कानून इस भारत में नहीं चलेगा।[6] इसी आंदोलन में एक निर्णय लिया गया कि पुरोहित कर्म सभी जातियों के लिए खुला है।

महारआंदोलन के अंतर्गत उन्होंनेअस्पर्श महिलाओं की सभा को भी संबोधित करते हुए कहा,'वे सब साफ सुथरी रहे, पढ़ी-लिखी उच्च वर्ग की महिलाओं के समान परिधान पहने, यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो वे उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा दें।'[7] महार सम्मेलन का दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने दलित आंदोलन को दिशा देने का कार्य किया।

इसी क्रम में डॉ. भीमराव का दापोली ग्राम में किया गया यज्ञोपवीत संस्कार का भी दलित आंदोलन में योगदान है। यह संस्कार केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए ही होता है, किंतु अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मई 1928 को दापोली गांव मैं अस्पर्शो का उपनयन संस्कार किया गया। इस आंदोलन में लगभग 600 महार जाति के लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किए। 1929 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दलित जाति परिषद के एक सम्मेलन में अपने ब्राह्मण सहयोगी देवराय नायक के सहयोग से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हजारों अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया।

1928-29 में डॉ. भीमराव ने बहिष्कृत भारत सभा की ओर से साइमन कमीशन को दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। पहला दलितों की शिक्षा से संबंधित था तथा दूसरा विधानमंडल में अस्पृश्य लोगों के लिए 22 सीटें सुरक्षित रखने के संबंध में था। मंत्रिमंडल में दलित प्रतिनिधित्व, नौसेना, जंगी जहाजों पर दलित वर्गों को नौकरियां देने तथा प्रदेश की आय दलित वर्ग की शिक्षा पर खर्च करने की मांग रखी गई।

अम्बेडकर ने दलितों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था में सुरक्षित स्थान और दलितों के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार केवल दलितों को ही देने की मांग की थी। 1930 में नासिक के काला नूर मंदिर आंदोलन भी डॉ. अम्बेडकर का अग्रणी सामाजिक आंदोलन रहा है। अस्पर्श लोगों को ना तो मूर्ति को छूने की आज्ञा थी और ना ही मंदिर में प्रवेश करने की। डॉ. भीमराव ने स्पष्ट मत रखा की मंदिर सार्वजनिक पूजा के स्थान होते हैं और मूर्तियों को दलितों के द्वारा छूने या पूजे जाने से मूर्तियां अपवित्र नहीं होती। हिंदू धर्म केवल सवर्णो के लिए नहीं है, उससे समूचे समाज की भावनाएं जुड़ी हैं। भगवान राम के इस मंदिर में सवर्णों द्वारा अस्पृश्य को प्रवेश न दिए जाने के विरुद्ध डॉ. अम्बेडकर नें हजारों सत्याग्रहियों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया जिसके परिणाम स्वरूप 1935 में मंदिर प्रवेश का कानून बना और मंदिर के द्वारा दलितों व अस्पर्श लोगों के लिए खोल दिए गए।

डॉ. अम्बेडकर के महान सामाजिक आंदोलन की कड़ी में 1935 का येवला सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में दलितों की पिछड़ी ,सामाजिक और राजनीतिक दुर्दशा का कारण अपना हिंदू धर्मावलंबी होना बताया और इसी सम्मेलन मेंयह प्रतिज्ञा की, कि 'मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू धर्म मैं मरूंगा नहीं।'[8]

डॉ. अम्बेडकर के कार्यो के समान ही उनके लेखन ने भी उनके सामाजिक आंदोलनों को गति प्रदान की। अपने लेखो से उन्होंने सामाजिक विषमता के खिलाफ देशव्यापी वातावरण निर्मित किया। उनकी प्रमुख पुस्तकों 'हू वर द शुद्रास', 'अनटचेबल्स हू आर दे', 'बुद्ध एंड हिज धम्मा', 'कास्ट इन इंडिया' में भीमराव ने वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति प्रथा, अस्पृश्यता की समाप्ति आदि के संबंध में भी प्रबल तर्क प्रस्तुत किये। अपने ओजस्वी लेखो, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को उन्होंने मूक दलित वर्ग की सफल आवाज बना दिया। अपने लेखों में उन्होंने स्पष्ट कहा, 'दलितों की सामाजिक समस्याएं तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक कि उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आ जाती।'

डॉ. कुबेर ने उनके मूक नायक पत्र के संदर्भ में उल्लेख करते हुए कहा है कि,'उनका मानना था जब तक गैर ब्राह्मण और दलित जाति ज्ञान और शक्ति से संपन्न नहीं होंगे, तब तक वे प्रगति नहीं कर सकती।' डॉ. अम्बेडकर ने मुक नायक पत्र में ही अपना निर्णय बताया कि,'मैं अपना सारा जीवन उन शोषितों की सेवा में समर्पित कर दूंगा, जिसमें मैं पैदा हुआ, जिन लोगों के बीच रहकर बढ़ा हुआ और जिनमें मैं रह रहा हूं। मैं अपने उत्तारदायित्व से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, और ना ही अपने प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना की चिंता करूंगा।'[9]

उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दलितों की सामाजिक समस्या वास्तव में सामाजिक ना होकर राजनीतिक है, इसलिए उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व पृथक सीटों की व्यवस्था की। संविधान निर्माण सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता विरोधी प्रावधान शामिल कर मानव समाज के माथे पर लगा कलंक सदैव के लिए मिटा दिया।[10]

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलनों की यात्रा हमें उनकी उदारता, उनकी सुधारवादी प्रवृत्तिा के साथ ही उनके जीवन के संघर्षों और तत्पश्चात अंत में उनके प्रतिशोधात्मक निर्णय के दर्शन कराती हैं। जो कुछ उन्होंनेजीवन और समाज में भोगा और अनुभव किया, उसी के आधार पर उन्होंने अपने आंदोलन को मूर्त रूप दिया। प्रारंभिक रूप में यह आंदोलन उनकी स्वयं की पीड़ा के रूप में अभिव्यक्त हुआ, जब उन्होंने स्वयं के जीवन में पग-पग पर अपमान का दंश झेला और समाज को कुत्सित जाति प्रथा और अस्पृश्यता से मुक्त करने का संकल्प लिया।

अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन का दूसरा चरण उनके जीवन के संघर्षो का काल है, जिसमें उन्होंने मूकनायक ,बहिष्कृत सभा, बहिष्कृत भारत जैसी संस्थाओ और पत्रों व अपनी श्रेष्ठ पुस्तिकाओं के माध्यम से समाज को आंदोलित करने का कार्य किया। उनके द्वारा किए गए प्रमुख सत्याग्रह कालाराम मंदिर सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह ,दापोली ग्राम सत्याग्रह आदि का कार्यक्रम इसी संघर्ष का समय रहा है। चावदार तालाब सत्याग्रह और कालाराम मंदिर सत्याग्रह ने अम्बेडकर की छवि को देशव्यापी बना दिया।

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलनों का तीसरा चरण उनके प्रतिरोध और बदले की भावना का प्रकटीकरण रहा। विविध प्रदर्शनों, लेखों और कार्यों के द्वारा उन्होंने सवर्ण हिंदू समाज को झुकने पर विवश किया। उन्होंने कहा कि यदि,'राष्ट्र हित और दलित हित आमने सामने हो तो मैं दलित हित को प्राथमिकता दूंगा।' उन्होंने हजारों दलितों से आग्रह किया कि वह सामाजिक विषमता युक्त हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करें।

अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन का अंतिम चरण सर्वहित साधक रहा। उन्होंने कई प्रशासनिक और संवैधानिक महत्व के पदों पर अपनी सेवाएं दीं और संपूर्ण भारत की जनता उनके कार्यों से लाभान्वित हुई। दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान का कार्य उनके जीवन का आधार रहा, और जीवन की अंतिम सांस तक वे अपने इस संकल्प पर अटल रहे ,कि 'मैं अपने दलित भाइयों की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगा।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन : जी. के. शर्मा
2. डॉ. नागपाल : प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक
3. राजेंद्र मोहन भटनागर : डॉ अम्बेडकर जीवन और दर्शन
4. अशोक मंडल : भारत सपूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर
5. बसंत मून : डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर
6. कुबेर डब्ल्यू.एम : भीमराव अम्बेडकर
7. दत्तोपंत ठेंगड़ी : डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर
8. राम गोपाल सिंह : डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक विचार
9. Grover warrent : The Great Thinkers of India
10. विपिन चंद्र : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष

****

A Study on Cultivation and Biological Efficiency of *Pleurotus sajor-caju* (Fr.)Singer on Lignocellulosic Wastes(Wheat Straw) on Artificially Controlled Temperature in Summer Season

Madhurima Tiwari*

Abstract - During the course of study, tillers of wheat were utilised for the formation of experimental sets (spawned packets) of 2 kg. to grow Oyster mushroom*(P.sajor-caju)* in the month of June-July in the year 2018 and 2019 under artificially controlled temperature. The study was done in Babhnan town of Gonda district of U.P. The month of June and July is not a suitable time period for oyster mushroom cultivation due to very high temperatures in this subtropical region. The available data shows the maximum biological efficiency at 25^{0}C($\underline{+}$1^{0}C) which was not possible at normal prevailing temperature.Therfore to get maximum biological efficiency the required temperature was maintained by the use of solar energy operated coolers in operational unit in study duration.Thus, the main aim of our study is to protect the environment by using lignocellulosic wastes as well as to increase the production of this highly proteinacious mushroom during off season(summer time).

Key words - Tillers of wheat, Oyster mushroom, biological efficiency lignocellulosic wastes,solar energy operated coolers.

Introduction - Oyster mushroom occupies first rank among cultivated mushroom owing to their wide range of preferability for exploitation of lignocelluloses as their substrate to grow them. It is efficient lignin degrading fungi and can degrade a wide range of agricultural wastes.[1,2] This is due to their high enzyme profile including lignin degrading enzymes such as laccase,lignin peroxidase, arylalcohol oxidase, arylalcohol dehydrogenase etc. and hemicellulose and cellulose degrading enzymes such as xylanase, cellulase, cellobiose dehydrogenase etc.[3]

The cultivation of Oyster mushroom is beneficial in many ways such as yield of potential food having enormous medicinal properties[4]and to decrease the pile of lignocellulosic wastes on undesired places.**Eswaran and Rambadaran** reported Oyster mushroom as the excellent food item due to their flavor, texture, nutritional content and high productivity per area.[5]This mushroom is a tremendous boon for vegetarians because of having all the essential amino acids[6] in their protein.Temperature is one of the important factor for cultivation of this mushroom. Above 30^{0}C the production is affected due to poor mycelial growth[7]and therefore in summer days the farming of Oyster mushroom become discontinued. In present paper, the main focus is kept on the utilization of crop residues (wheat tillers) which are burnt every year afterharvestation leaving back serious hazards to the environment and ecosystem.The crop residues specially wheat straw may be utilized for growing Oyster mushroom because wheat straw has been proved the best mother substrate[8] for cultivation of mushroom.

Materials and Methods - The work was carried out in mushroom farming unit in Babhnan last year (2018-2019) during month of June-July which was situated in karanpur region of Babhnan near a post graduate college and made from masonry walls covered by roof of grasses and bamboos.The desired temperature was maintained by solar energy operated coolers[9]and continuous spraying of water. The tillers of wheat are collected and chopped[10] into small pieces which was later used as mother substrate. The mother substrate was water soaked overnight in 2% formaldehyde followed by filtration of excess water on the next day. The bed was prepared by layer spawning, following the process adopted by **Bano (1971).[11]** The spawned substrate in polythene bags was incubated in cultivation room at 25-30^{0}C for about 20 days till the mushroom mycelium completely cover the substrate. After complete spawning, the polythene bags were torn apart and beds are irrigated regularly with water sprayer. After 3-6 days the fruiting bodies begin to form and between 20-42 days four flushes are harvested. After each flush the biological efficiency was calculated by using following formula given by **Chang *et.al*.**[12]

Biological efficiency= $\frac{Yield of fruiting body}{total weight of substrate}$**x100**

***Deptt. of Botany ,C.S.A. Govt. P.G. Nodal College, Sehore (M.P.) INDIA**

Observation Table:1. Production of mushroom in June-July 2018

(Dry weight of mother substrate - 2000 grams)

S.	Temp. (±1⁰C)	Average weight of fruiting body	Overall Yield	Overall Biological efficiency
1	25⁰C	66.70gm.	1265.0gm.	63.255%
2	35⁰C	32.50gm.	590.0gm.	29.50%

Observation Table:2.Production of mushroom in June-July 2019

(Dry weight of mother substrate= 2000grams)

S.	Temp. (±1⁰C)	Average weight of fruiting body	Overall Yield	Overall Biological efficiency
1	25°C	74.08gm.	1330.0gm.	66.5%
2	35°C	37.35gm.	705.33gm.	32.20%

Vigorous Growth of Fruiting Body at 25°C

Poor Growth of Fruiting Body at 35°C

Results and Discussion - The available data shows that maximum biological efficiency was 66.5% in 2019 and 63.25% in 2018 at 25⁰C (±1⁰C) because of vigorous growth of fruiting body at this artificially maintained temperature while at normal prevailing temperature 35⁰C(±1⁰C) the biological efficiency was very poor 32.20%in 2019 and 29.50% in 2018 because of poor mycelial growth[13] and growth of those unwanted microbial flora such as *Trichoderma*[14] which mostly grow at this temperature. Although the obtained biological efficiency is slightly little than the average normal biological efficiency of its all flushes in winter season(which is usually more than 70%)[15] but this difference in efficiency becomes negligible when we think about its positive side.The reason behind this reduction in efficiency as the artificial creation of condition.This observation makes it clear that production of mushroom in desired amount can be maintained continuously even in off season inside temperature controlled cultivation rooms by using those wheat tillers which are left back in the fields and burnt every year to empty the field for cultivation of next crops. The burning of these crop residues (wheat tillers) causes air pollution as well as soil pollution including soil erosion. Their burning increases two main green house gases, methane and nitrous oxide, death of decomposers, dryness of soil, leaching of important minerals etc.The enhanccement of its production in off season will result in decrease of its price and it will be easily affordable to the poor rural and tribal people of our country. So,oyster mushroom cultivation is an environment-friendly approach for fulfilling the need of protein and avoiding the malnutrition problems among children as well as pollution caused by the wastes. Thus,mushroom cultivation is one of the efficient ways by which residues can be recycled.

Conclusion - Mushroom cultivation will alleviate two of the world's major problems i.e. waste accumulation and production of proteinacious food for people simultaneously specially for those who are vegetarian.The cultivation of edible mushrooms on agricultural and industrial wastes may thus be a value added process capable of converting these discharges, which are otherwise considered to be wastes,into food and feeds.Therefore,mushroom cultivation may become one of the most profitable agribusiness that could produce food products from different substrates and help to dispose them in an environment friendly manner.

Acknowledgement - I am thankful to Dr. A. D. Mishra, Head of Botany department A.N.D Kisan P.G. College, Babhnan, Gonda who provide his mushroom farm and share his experiences of mushroom cultivation during course of my study. I am also thankful to Respected Dr. C. S. Singh (Retired) Associate Professor, K.S.Saket P G College Ayodhya, who spare his precious time to boost my knowledge about mushroom science.

References :-

1. C.L.Jandaik and S.P.Goyal, Farm and Farming of Oyster Mushroom.In;Mushroom Technology Eds.Singh,R.P. and Chaube,H.S.,G.B. Pant Uni.of Agri.Tech.,Pant nagar ,India;1995
2. J.Poppe,Use of Agricultural waste materials in the cultivation of Mushrooms.Mushroom Sci.,2000,15:3-23.
3. Sanchez 2009; Kabel et al 2017,Vos et al 2017.

Supplementation in mushroom crops and its impact on yield and quality.

4. W.A.Hays, and S.P.Haddad; The nutritive value of mushroom.Mushroom.j;1976,30:204
5. A.Eswaran, R.Ramabadaran(1982).Studies on some physiological,cultural andpost harvest aspects of Oyster Mushroom.,Trop.Agri.Res.2000,12;360-374.
6. Kudrat Randhawa,Richa Shri;Pharmacological importance of Pleurotus sajor-caju(Fr.)Singer (2017), Biology.corpus I D:90989626
7. Z,Bano. S, Rajarathram., Studies on the cultivation of *Pleurotus sajor-caju*.,The Mushroom Journal,1982, 115:243-245.
8. Z,Bano. and Rajarathram 1982;Bharti et al.,1987; Thami et al.,1986;Binati et al.,2004,Bioconversion of low quality agricultural wastes into edible protein by *Pleurotus sajor-caju*..Journal of Zhejiang Uni.Sc.B 8 (10),245-51(2007).
9. A.D.Mishra and C.S.Singh (2008)., Studies on the production potential of *Pleurotus sajor-caju*. with special reference to supplementation with different plant my products,Inorganic salts and Growth promoters.
10. Sidhant,Swapnil,Aquil and C.S.Singh(2013).Effect of wheat straw components on yield of *Pleurotus sajor-caju*., International Journal of Current microbiology and Applied sciences,2(8);221-225.
11. Z,Bano.1971:Second Int.Sym.on Plant Pathol.
12. Chang,S.T.,Lau,O.W.,Cho,K.Y;The cultivation and nutritive value of *P.sajor-caju.* European j.Application of Microbio.and Biotechnology;1981;12,58-62.
13. A.D.Mishra and C.S.Singh (2008).Studies on the effect of temperature on yield performance and biological efficiency of *Pleurotus sajor-caju*.
14. Zhiheng,Qui,Chungi,Jinka Zhang and Chengyang (2018).High temperature induced changes of extracellular metabolites in *Pleurotus* and their positive effects on the growth of *Trichoderma asperellum*.
15. Upadhay,R.C.(1999); Substrate preparation for cultivation of mushroom. N.R.C.M. Chambaghat, Solan (H.P.).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Global Warming and Environmental Pollution

Dr. A.N Thakkar*

Abstract - Now a days the environmental damage done, particularly the heating up of the atmosphere due to the discharge of so-called green house gases such as nitrous oxide, carbon dioxide, methane etc. are posing major threat to this planet. Green house gases concentration is increasing in the atmosphere, thereby increasing the temperature of the Earth and atmosphere. This increase in temperature can have catastrophic effects on weather, sea level, bio-diversity, human health etc. across the world threatening the survival of mankind on earth. In the present paper an attempt has been made to draw attention towards threatening impacts of global warming, measures to curb global warming and need of value based environmental education to transform the mind set of people.
Keywords - Green house gases, Global warming and Catastrophic.

Introduction - There are a number of industrial effluents and emissions particularly poisonous gases in the atmosphere. Mining activities also added to this problem particularly as solid waste. Since the industrial revolution, the efforts of removing pollutants from the natural environment have not been able to keep pace with the increasing amount of waste materials and a growing population that further aggravates the situation. This has often resulted in the transformation of lakes, rivers and coastal waters into sewage depots where the natural biological balance is severely upset and incases totally disrupted. Now days there are many environmental issues that are grown up day by day threatening the survival of mankind on earth.

Environment and Pollution related Factors - The term environment is derived from the French word "Environner" which means to encircle or surround. All the biological and non-biological things surrounding an organism are thus included in environment. Thus "Environment includes water, air, and land and the interrelationship which exists among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, micro-organisms and property".[1]

The environment consists of four segments: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. The atmosphere is the protective blanket of gases surrounding the earth, which sustain life on earth and saves it from the hostile environment of outer space. The hydrosphere consists of all types of water resources like seas, oceans, rivers, lakes polar ice caps, glaciers and ground water etc. only one present total water resources is available as fresh water from human consumption and other uses. Lithosphere is the outer mantle of the solid earth, consisting of minerals occurring in the earth s crust and the soil. Soil is a complex mixture of minerals, organic matter, air and water. Biosphere is the realm of living organisms and their interaction with the environment i.e. atmosphere, hydrosphere and lithosphere.

The Atmosphere is divided into three parts: the troposphere, the stratosphere and the ionosphere. The troposphere is the first 15 kms of the atmosphere above the earth's surface. Most clouds and weather conditions develop here. The stratosphere is that part of atmosphere that lies from about 15 kms to 40 km above the earth[2]. The ionosphere is the uppermost part of the atmosphere that tends 40 kms to about 150 kms above the earth. The temperature in the upper level of ionosphere 250ºC-300ºC. Once we leave the ionosphere, we are in the outer space. It is here, where most of the satellites and space shuttles move.

Air is a mixture of number of gases. It contains mostly nitrogen, oxygen, carbon dioxide and argon besides water vapours. A number of other gases are also present in a very slight amount, but they are very crucial in the chemistry of atmosphere. We use atmosphere to supply gases for various purposes. Some gases are not actually the part of atmosphere but they occur due to human activities like: Sulphur dioxide, Nitrogen oxide, Chlorofluorocarbons. These are the gases which are responsible for many of the environmental problems associated with the atmosphere. Environmental pollution can therefore, be defined as any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment (air, water, soil) which can cause harmful effects on various forms of life or property.

Human interaction with a variety of resources and their excessive exploitation have resulted in many an irreversible damage to our environment. Unlimited exploitation of nature by man disturbed the delicate ecological balance between living and non-living components of the biosphere. Some of anthropogenic changes have assumed global proportions

*Department of Zoology, Veer Wajekar A.S.C.College, Phunde (Maharashtra) INDIA

and become issues of great concern. Global warming is one of them.

The Green House effect and Global Warming - A green house is a bright, warm and humid environment for growing plants, vegetables and flowers even during the cold winter. It functions as a closed system where the concentration of water vapour is elevated and visible light streams through the windows, this creates an ideal climate for plant growth some of the visible light is absorbed by plants and soil in the green house and is emitted as infrared radiation.[3] This radiated energy is blocked by the glass or absorbed by water vapours and carbon dioxide. This trapped energy warms the green house and is a form of solar heating system in which light energy is converted into heat energy. The same process takes place on global scale. The energy from the sun when strikes the earth surface, the energy changes from light to heat and warms earth. Certain gases in the atmosphere including water vapors, carbon dioxide, and methane provide the trap. The gases conserve heat as the glass in the green house does and thus known as green house gases. As the concentration of these gases in the atmosphere increases, more heat energy remains trapped below. However, a growing excess of green house gases in earth s atmosphere threatens towards continual warming.

Types of Green House Gases - The green house gases are water vapor, which reaches the atmosphere through evaporation from oceans, rivers, lakes etc.[4]

Water Vapour - Water vapour constitutes approximately only about 0.2 percent of the volume of air. They are the source of all forms of precipitation; water is also added by transpiration from the leaves of the plants. It is the source of clouds and it has ability to absorb or release heat energy thus it also plays role in global warming. There are other gases also that contributed to the changes are:

1. Carbon monoxide
2. Nitrogen oxide
3. Volatile organic compounds

Carbon Dioxide - CO2 is the next most abundant green house gas. It flows into the atmosphere through many natural occurring phenomenon as volcanic eruption, the respiration of animals, burning and decay of organic matter, such as plants. However, its concentration is increasing sharply as a result of human activities as:

Fossil fuel burning - Oil, gas and coal are stores of carbon, when these are burnt; carbon is released directly into the atmosphere as CO_2.

Deforestation - Trees absorb CO_2 from the atmosphere and this has been greatly reduced by deforestation. So, CO_2 is released to the atmosphere at rates much faster than that at which earth s natural process can cycle this gas. Since the beginning of the industrial revolution, atmospheric concentration of CO_2 has risen by almost 30 percent. This rise currently accounts for most of the enhanced green house effect. CO_2 has an atmospheric lifetime of about 100 years.

Methane - Methane is even more effective insulator, trapping over 20 times more heat than does the same amount of CO_2 (remains in the atmosphere for less time than CO_2 its lifetime in atmosphere is just 11 years. Methane is emitted during the production and transport of coal, natural gas and oil.

Nitrous Oxide - It is a powerful and long lived green house gas, it occurs naturally in the environment, but its concentration is increasing, mainly as a result of fertilizers use. N_2O traps about 300 times more heat than does the same amount of CO_2.

Measuring Global Warming - In 1988 the United Nations Environment program and the World Meteorological Organization established a panel of 200 leading scientists to consider the evidence. In its Third Assessment Report, released in 2001, the intergovernmental panel on climate change (IPCC) concluded that global air temperature had increased 0.6 Celsius degrees (1 Fahrenheit degree) since 1861.[5] The panel concluded that warming was caused primarily by human activities that add green house gases to the atmosphere. The IPCC predicted in 2001 that the average global temperature would rise by another 1.4 to 5.8 Celsius degree (2.5 to 10.4 Fahrenheit degree) by the year 2100. This panel cautioned that even if green house gas concentration in the atmosphere ceased growing by the year 2100, the climate would continue to warm for a century or more before nature can dispose of it. If green house gases continue to increase, experts predict that CO2 concentrations in the atmosphere could rise more than three times the preindustrial levels early in 22nd century, resulting in dramatic climate changes.

Effects of Global Warming - Scientists have made several predictions about how global warming will affect weather, sea levels, coastlines, agriculture, wild life and human health. These predictions are based on the interpretation from the Computer models of temperature, precipitation patterns and atmosphere circulation which they use to study global warming.

Weather - Scientists predict that Northern parts of the Northern hemisphere will heat up more than other parts of the planet. Due to which glaciers will shrink, winds will be more hard and of different patterns. Hurricanes, which gain their force from the evaporation of water, are likely to be more severe. Greater humidity will increase rainfall.

Natural Disasters - Global warming accelerates the normal cycle of rainfall and evaporation destroying the balance of water supply and demand. There would be areas that may be frequently flooded, due to increased rainfall, on the one hand and areas constantly suffering drought and water shortage on the other hand.

Agriculture - A warmed globe will probably produce as much food as before, but not necessarily in the same place. Some places may be benefitted by more rainfall and longer growing season. Some places that get irrigation supply from distance Mountains may suffer if the winter snow packs, which functions as natural resources melts before the peak growing months. Crops and forest may also be affected by

more insects and plant diseases.

Human Health - Global warming will affect human health in many ways:-

1. It is anticipated that in warmer world, more people will get sick or die from heat stress-less due to hotter days but more due to warmer nights.
2. Diseases now found in tropics, transmitted by mosquitoes and other animal hosts, like malaria, yellow fever, dengue fever etc., will widen their range as these animal hosts move in regions formerly too cold for them.
3. Scientists also predict rising incidents of allergies and respiratory diseases as warmer air grows more charged with pollutants, mold spores and pollens.

Measures to Curb Global Warming - The most important contribution to global warming is the increase in atmospheric carbon dioxide (CO_2) level due to human activities. To remedy the situation, the increase will not only need to be halted, but also reversed. There are two major approaches to slow down the building up of green house gases. The first is to keep carbon dioxide out of the atmosphere by storing the gas or its carbon component somewhere else, a strategy, called carbon sequestration. The second major approach is to reduce the production of green house gases.[6]

1. Since CO_2 is consumed by plants and trees (known as carbon sinks), reversing deforestation and implementing reforestation programmes may reduce levels of CO_2 in the atmosphere.
2. CO_2 emissions can be cut by reducing the use of fossil fuels by cutting back car use, investing in energy efficiency, implementing renewable resources such as wind, solar and hydropower. This will also reduce the emission of methane, nitrous oxide etc. The need to take such measures was recognized at the “Rio Climate Change Convention” in 1992, after which over 160 countries pledged to limit emissions of CO_2 and to protect and enhance natural sinks of carbon dioxide.

Conclusion - All the above mentioned values incorporated in environmental education can go a long in attaining the goals of sustainable development and environmental conservation. Value based environmental education can bring in a total transformation of our mind set, our attitudes and our life styles. “What is the use of building a beautiful house if you don t have a decent planet to place it on?” Perhaps this single question can answer the main burning question – “what is real development and progress?”

References :-

1. G.R. Chatwal, Harish Sharma: A Text Book of Environmental Studies (2005) : Himalaya Publishing House.
2. Dr. Poonam Johry: Environmental Pollution (2010) Sonali Publications.
3. Amit Kumar: Global Warming (2009): Sonali Publications.
4. Anubha Kaushik and C.P. Kaushik : Perspectives in Environmental Studies (2006):
5. New Age International Publishers.
6. Kurian Joseph, R.N. Negendran : Essentials of Environmental Studies (2004): Printed in India by Sanat Printers.

****

Phyto Chemical Analysis Of Some Medicinal Plants : With Special Reference *Euphorbia tithymaloides, Luffa cylindrical, Coccinia indica*

Shailendra Sisodiya* Dr. Sunil Dubey**

Abstract - The genus *Coccinia* is best known for *C. grandis*, commonly known as "ivy gourd". It fruits can be eaten raw when ripe or cooked when unripe. In the latter case, it is used in curries. Young leaves and shoots are also edible. All used plants are a good source of carotenoids. Local culinary uses also exist. However, many species and also populations within species can be bitter due to cucurbitacins.*Coccinia grandis* is also well known in ayurvedic medicine for diabetes treatment, and modern research seems to confirm that it might be of value in that applicationLuffa cylindricallrn contains chemical components that have effects on hypersensitivity reactions, serve as immunostimulant, antiinflamatory arrnagent and function in glycosidase activity, inhibit protein synthesis with structural-function relationship of type I RIPs suggesting potentials for anti tumour and antiviral activities, and also induce uterine contraction tornhasten child birth (Oxytocics). In this report, the traditional and medicinal uses of Luffa cylindrica were exploredrnand the shortcomings associated with its uses were highlighted and discussed.It was decided to evaluate the antioxidant activity of these extracts and correlate it with the total phenolic and flavonoid contents of the same. The antioxidant activity and total phenol and flavonoid contents were determined by the standard method.
Keywords - coccina,luffa, *Euphorbia tithymaloides* protein synthesis cultivation, phenol, flavonoid.

Introduction - *Coccinia* species are dioeciously, meaning that individual plants produce flowers with only male or only female organs. The sepals are connected and have five triangulate to lineal lobes. The corolla is also connected at the base and has five free lobes. The color of the corolla is creamy white to yellowish orange, rarely also snow-white or pinkish. The male flowers are solitary, in fascicles or often in racemes, female flowers are usually solitary, sometimes also in racemes. Male flowers have three stamens that are connected to a single filament column. The anthers form a globose head.

Luffa cylindrical, otherwise known as Sponge gourd is a fibrous plant with fruits containing black seeds. Luffa plantrnis a curcurbit with other members including snake gourd, pumpkins and cucumbers. It grows as a flowering annualrnvine with pollinated flowers developing into cylindrical green fruits filled with seeds in a system of manyrnintertwined cellulose fibres. The fruit is edible especially when young and it Antioxidant , flavonoid contains group of compounds such asrnphenolics, lavonoids, oleanolic acid, ascorbic acid, a-tocopherol, carotenoids, chlorophylls, triterpenoids andrnribosome-inactivating proteins, which makes it highly effective when used for medicinal purpose.

Euphorbia tithymaloides were selected on the basis of their availability and antimicrobial activity. Plant phenolics and flavonoids are known to possess antioxidant activity. Hence, *Euphorbia tithymaloides , Luffa cylindrical , Coccinia indica*

Medicinal uses - *Euphorbia tithymaloides , Luffa cylindrical , Coccinia indica* It's also known as gale of the wind or stonebreaker. Its leaves and fruit are used as herbal medicine. ***Euphorbia tithymaloides, Luffa cylindrical, Coccinia indica*** known for protecting the liver. It may also combat kidney stones, piles ,hence the "stonebreaker" moniker. Keep reading to learn more about how this plant may improve your health.

These plants has following medicinal property

A. It has antioxidant properties - Plant leaves showed strong antioxidant activity. Antioxidants fight free radicals

*Asst. Prof., Govt. P.G College, Sendhwa, Distt. Badwani (M.P.) INDIA
** (H.O.D) Deptt. of Botany/ Microbiology, St. Mary's P.G College, Vidisha (M.P.) INDIA

in the body that may cause cell damage and disease.

B. It has antimicrobial properties - Extract has antimicrobial abilities against *H. pylori* bacteria. *H. pylori* bacteria are common in the digestive tract and are usually harmless. But in some cases, they can lead to peptic ulcers, abdominal pain, and nausea.Researchers also found that the extract didn't harm any beneficial strains of lactic acid bacteria.

C. It has anti-inflammatory properties - Inflammation can cause many problems throughout the body, including skin conditions like psoriasis and chronic pain plant extract, which was found to significantly reduce the inflammation.

D. It may help protect against ulcers - These plants extract can help prevent ulcers. It's thought to reduce gastric acid secretion and protect the stomach. It also showed potent anti-inflammatory effects against gastric ulcers.

E. It may help lower blood sugar - It may also have antidiabetic properties the plant's aerial parts may help prevent glucose absorption and improve glucose storage. This may help maintain blood sugar levels.

F. It may help prevent kidney stones - These plant may be best known as a kidney stone remedy. many studies have shown that it's a powerful kidney stone deterrent.It can help relax the ureter after lithotripsy to help stones pass. Lithotripsy is a procedure used to break up stones in the urinary tract. It may also prevent stones from forming in the first place by stopping the crystals that form them from clumping together.

G. It may improve liver health - Plant extract may help treat nonalcoholic fatty liver disease and atherosclerosis. Both conditions may cause insulin resistance. The study found decreased insulin resistance and reduced the amount of fatty acids in the liver.

Use and procedure - It is commonly used in capsule, tea, or extract forms, and there's no standardized dosing recommendation .An average dose is one 500-milligram capsule per day or 1 milliliter extract up to four times daily. For batter results.

Potential side effects and risks - Few negative side effects in human and animal studies, but you should still use caution. It may cause stomach upset or diarrhea. Because it hasn't been studied, there's no proven safe dose for children. This herb is not recommended for pregnant or breastfeeding women.

Talk to your doctor before use:

1. have diabetes
2. have a blood clotting disorder
3. take blood-thinning medications
4. have a scheduled surgery within two weeks
5. take several different medications

Conclusion - ***Euphorbia tithymaloides , Luffa cylindrical, Coccinia indica*** is a popular folk remedy with powerful medicinal properties. Some research supports its use for kidney stones, gallstones, liver health, and diabetes.and also piles.

References :-

1. Escoffier L, Laval G, Schneider S (2005) Arlequin (version 3.0): An integrated software package for population genetics data analysis. Evol Bio Inform.
2. Lewis CE, Doyle JJ (2001) Phylogenetic utility of the nuclear gene malate synthase in the palm family (Asteraceae). Mol Phylogenet.
3. Olson ME, Lomelí JA, Cacho NI (2005) Extinction threat in the *Pedilanthus* clade (*Euphorbia*, Euphor biaceae), with special reference to the recently rediscovered *E. conzattii (P. pulchellus)*.
4. Saad FA, Halliger B, Müller CR, Roberts RG, Danieli GA (1994) Single base substitutions are detected by double strand conformation analysis.
5. Sternburg C, Rodriguez E (1982) Hydrocarbons from *Pedilanthus macrocarpus* (Euphorbiaceae) of Baja California and Sonora, Mexico. Am J Bot
6. Vincze T, Posfai J, Roberts RJ (2003) NEBcutter: a program to cleave DNA with restriction enzymes.

****

भूमि प्रबंधन से आजीविका में सुधार

दयाराम खरते *

प्रस्तावना – भारत में एक चौथाई जनसंख्या खण्डित एवं बंजर भूमि वाले क्षेत्र में निवास करते है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन में कमी बनी रही है। ऐसे क्षेत्र के निवासी जीविका के रूप में पशु, वन तथा प्राकृतिक स्त्रोतों को पारम्परिक रूप से अपनाये हुये है। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में अत्यंत गरीबी की स्थिति बनी रहती है। जहाँ पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित भण्डार होने के बावजूद असुरक्षित वातावरण होता है। ऐसे क्षेत्रों में सामाजिक पूँजी, मानवीय पूँजी तथा परम्परागत कुशलता इत्यादि शामिल है। इसके बावजूद स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की किसी भी संस्थाओं द्वारा संसाधनों की संभावित उत्पादकता को विकसित करने में रूचि नही रखते है। नीति निर्माताओं का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आम व्यक्तियों पर कम होता है। ऐसी दशा में ऐसे वर्गो को विकास की मुख्य धारा से वंचित रहना पड़ता है। चूँकि वर्तमान में शासन की समावेशी विकास की नीति के अंतर्गत भूमि के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। जिसमें कृषि पर निवेश को प्रभावी बनाया है।

अविकसित क्षेत्रों का निवेश के आधार पर विकास आवश्यक है सारा सीमांत भूमि धारको की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थिति के संबंध जानकारी एकत्रित कर उपयुक्त तकनीक को लागू करने की आवश्यकता होती है। समाज के कुछ परिवारों में महिलायें मुखिया की भूमिका में होती है। परन्तु उनमें ज्यादातर अशिक्षित होती है। जिन्हें पारम्परिक जीवन में जीना पड़ता है जिसके कारण सूचना की कमी तथा संसाधन में उपयोग संबंधी जानकारी की कमी से आर्थिक विपत्रता का सामना करना पड़ता है।

आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिये शासन, समुदाय तथा निजिनिवेश की भूमिका, महत्वपूर्ण होती है। सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाये निम्न भूमिका में होत है–

1. शासन नीति निर्माण की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गो के प्रतिनिधियों को शामिल कर मूल आवश्यकता और वातावरण के अनुरूप निवेश का माहौल तैयार करने के उपाय का प्रारूप बनाया जाता है।
2. आर्थिक पिछड़े समुदाय को सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराता, आर्थिक उत्थान की जानकारी का आदान प्रदान करने के लिये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता इत्यादि जिससे शासन और निजी निवेश के सही वितरण में मदद मिलती है।
3. सरकारी निजी तथा गैर सरकारी संगठनों के मुख्या दीर्घकालीन भागीदारी स्थापित किया जाना होता है जिससे योजनाओं और निवेश में पारदर्शता लाई जा सके। समाज के प्रत्येक वर्गो में दायित्व बोध उत्पन्न कर सभी वर्गो में कल्यणकारी संतुलन बनाया जा सके।

विकासशील देशो की कुल जनसंख्या में आधा बिलियन लोग शुष्क (सुखे) क्षेत्रों में निवास करते है जहाँ सिंचाई के साधन का अभाव है, 400 मिलियन लोग ऐसी भूमि पर निवास करते है, जिनकी भूमि कृषि योग्य होती है। 200 मिलियन लोग ढलानवाले क्षेत्र में तथा 130 मिलियन से अधिक व्यक्ति खण्डित भूमि वाले वनीय पारिस्थितिक तंत्र में निवास करते है। इन क्षेत्रों में कृषि निवेश एक बड़ी समस्या है तथा क्षमता भी सीमित है। यह क्षेत्र अति संवेदनशील है अर्थात विशेष रूप से अधोगति, भूमिकटाव, बाढ तथा भूस्खजन के कारण असुरक्षित है। इस प्रकार भारत में भूमि प्रयोग की विवेचना तालिका में स्पष्ट है –

तालिका क्रमांक 1 – भारत में भूमि का प्रयोग एवं श्रेणी की स्थिति

		क्षेत्रफल लाख वर्ग कि.मी.		
श्रेणी	प्रयोग	वर्ष 1985	वर्ष 1995	वर्ष 2005
कृषि भूमि	शस्य भूमि	15.59	15.56	16.15
	परती	2.52	2.67	2.21
	बागान	0.77	0.78	0.79
	उप योग	18.88	19.01	19.15
बंजर भूमि	बंजर शैल भूमि	0.65	0.71	0.70
	नालीदार भूमि	0.84	0.79	0.74
	कुंज भूमि	1.83	1.88	1.93
	उप योग	3.32	3.38	3.37
निर्मित	शहरी	0.34	0.40	0.47
	उप योग	0.34	0.40	0.47
वन	पर्णवाती पत्तझड़ वन	3.17	2.95	2.81
	सदाबहार/अर्धसदा.	2.08	2.05	1.98
	वन बागान	1.50	1.50	1.47
	झाड़ीदार वन	0.04	0.05	0.05
	उप योग	7.63	7.46	7.30
घास चराई		0.55	0.57	0.62
बर्फवहिम नदि		0.97	0.91	0.93
जलपिंड		1.16	1.21	1.15
	कुल योग	32.87	32.94	32.97

स्रोत – केन्द्रीय सांख्यिकी प्रभाग

हिमनदि– इसमें लवण क्यारी, बर्फ एवं हिम शामिल

जल पिण्ड– इसमें जल कृषि, जलपिण्ड और स्थाई दलदली भूमि शामिल है।

तालिका के अनुसार भारत में कुल भू–क्षेत्र का सर्वाधिक भाग पर कृषि कार्य किया जाता है जो वर्ष 1985 में 15.59 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र में रहा है जो वर्ष 2005 में बढ़कर 16.15 लाख वर्ग कि.मी. रही। इस प्रकार

*सहा. प्राध्यापक, राजा हरपालसिंह शास. महाविद्यालय, हरपालपुर, जिला– छतरपुर (म.प्र.) भारत

बागान में सतत् वृद्धि हुई एतद् वर्ष 1985 मं 0.77 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र रही जो वर्ष 2005 में बढ़कर 0.79 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र रही है। इससे स्पष्ट इस दौरान सिंचाई के साधनों में बढ़ने से कृषि एवं बागान के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। परन्तु घास उगाने के लिये परती भूमि के क्षेत्र में कमी आई है। इस प्रकार बंझर भूमि क्षेत्र में प्रारंभिक स्थिति में वृद्धि हुई बड़ी बाँध परियोजना के कारण कमी आना प्रारंभ हुई। जबकि निर्माण की दृष्टि शहरी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या के कारण सतत् रूप से शहरी एवं आवासीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है जिसके चलते वनीय क्षेत्र में सतत् रूप से कमी होते रही है। परन्तु श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध व्यवसाय के बढते प्रभाव के कारण पशुओं के पालन के लिये चराई क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

पिछले 65 वर्षो के दौरान विकासशील देशों में जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है। जैसे उत्तरी एवं उपसहारा अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और केरेबिया की कार्यशील जनसंख्या में 3.5 गुना वृद्धि हुई। मध्य एवं दक्षिण एशिया की कार्यशील जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हुई। जिन देशों में 35 प्रतिशत या अधिक जनसख्ंया अविकसित भूमि पर निवास करती है वहाँ जनसंख्या अधिक है।

शुष्क भूमि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में वर्षा में परिवर्तनशीलता, बार-बार अचानक सूखा पड़ना, अधिक तापमान होना, कम उपजाऊ वाली मिट्टी होना तथा चारागाह की अधिकता होना इत्यादि के कारण वातावरण को संतुलित बनाये रखने में मदद मिलती है। साथ ही जैव विविधता को बनाये रखती है। चूँकि वनीय व नम भूमि की अपेक्षा शुष्क भूमि पर जैव विविधता कम होती है। यही कारण है भारतीय जलवायु एवं पारिस्थितिक तंत्र अनुकूल है।

परिणाम – सरकार और बाजार के निवेशक द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से शुष्क क्षेत्र की कृषि को कम लाभ और अधिक जोखिम के कारण उपेक्षित रखा जाता है तथा कृषि की अपेक्षा अन्य लाभकारी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। बगैर किसी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के शुष्क क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से सक्षम नही बनाया जा सकता है। सामान्यत: प्रारंभिक स्थिति में उपेक्षा की जाती है परन्तु बाद में ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के उद्देश्य से राजनीतिक, वित्तीय तथा संस्थागत मदद की जाती है। जैसे एक दशक पूर्व भारत में पारम्परिक पद्धति जिसमें आयुर्वेद, योगा इत्यादि को आधुनिकता के नाम पर उपेक्षा की जाती रही परन्तु वर्तमान में इन पद्धतियों को संरक्षित करने लिये निवेश एवं सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इस प्रकार प्रारंभ में मौसम की परिवर्तनशीलता पर प्रारंभ में आंशिक रूप से महत्व दिया गया परन्तु बाद में मौसम के दुष्प्रभावों को तकनीक के माध्यम से कम करने के प्रयास किये गये। इसी तारतम्य में पहले गरीबी बढ़ी और बाद में सामूहिक रूप से बाहरी प्रवास हुआ जिससे उपलब्ध संसाधनो को संरक्षित और सुरक्षित करने में मदद मिली।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जेम्स डी वॉलफेन्सन, 'गतिमान विश्व में सतत विकास', हिन्दुस्तान पब्लिक कार्पो. नई दिल्ली।
2. सीमा जयचंद्रन, 'नीतियाँ और गरीबी कम करना'।

****

तुलसीदास काव्य में नारी विमर्श आधुनिक परिप्रेक्ष्य में

डॉ. प्रणति बेहेरा*

शोध सारांश – तुलसी मध्यकाल के एक समाजचेत्ता भक्त और दार्शनिक थे। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में 'राम' और रामभक्त 'तुलसीदास' का अनेक आलोचनाओं व प्रशंसाओं के बीच, आज भी अपना अलग महत्त्व है। अपने साहित्य रामकथा के माध्यम से वे अपने समाज में संस्कार परिष्कार करने का प्रयास कर रहे थे। उनका मत था कि– 'वही कीर्ति, वही कविता और वही संपदा श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली है।' यहाँ पर उनके मतानुसार– नारी– पात्र भी वही श्रेष्ठ हैं जो नारी के पतिव्रत धर्म के साथ ह्रदय की महानतम् प्रवृत्तियों– त्याग, सेवा, ममता, कर्तव्यपरायणता, सहित नारी के संपूर्ण शील एवं मर्यादा से आवेष्ठित दिव्यता की कल्याणकारी भावना से अनुप्राणित हो। यही कारण है कि उनके नारी पात्र– सीता (जानकी), कौशल्या, अनुसूया, सुमित्रा, शबरी, तारा, मंदोदरी, सुलोचना, त्रिजटा और ग्राम धुएँ आदि के वर्णनों से तुलसी कहीं भी स्त्री– विरोधी नहीं ठहरते हैं। तुलसी ने अपने युग पुरुष का सुख में निरीक्षण परीक्षण करते हुए उच्च, उच्चतर और हीनता की स्त्रियों के चरित्र को और उसके परिणामों को बखूबी देखा समझा था अत: उन्होंने स्त्रियों के लिए एक आदर्श मार्ग ना केवल स्त्रियों बल्कि समग्र समाज के सामने रखा।

आज का दौर विमर्शों का दौर है। साहित्य और चिंतन के क्षेत्र में 'दलित', 'स्त्री' और 'आदिवासी' विमर्श समग्रत: दलित वर्ग, साहित्य–चिंतन के केंद्र में है। इसमें भी स्त्री विमर्श ने जिस जोर–शोर से अपनी जगह बनाई है, वह काबिले तारीफ है। स्त्री विमर्श और स्त्री–लेखन से स्त्री–जीवन के अंधेरे पक्ष ही समाज के सामने उजागर हुए। परंपरागत रूप से समाज में स्त्री के 'स्व' पर पुरुष का एकाधिकार है। इस विमर्श ने इस बात पर जोर दिया कि स्त्री को भी मानवीय अधिकार दिए जाएँ। स्त्री इतिहास में मानवी रूप में कहीं है ही नहीं। है तो पुत्री,पत्नी या माता के रूप में है। तुलसीदास और उनकी रामचरितमानस का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर सर्वाधिक प्रभाव है और यह धर्म से अटूट रूप से जुड़ी है। अत: आधुनिक नारी विमर्शकारों के निशाने पर यह दोनों मुख्य रूप से हैं। तुलसी आज के नारी विमर्शकारों के मानदंडों पर जितने नारी निंदक या मध्यकालीन मानसिकता के पोषक लगते हैं उससे कहीं अधिक ये अपने काल विशेष में स्त्री विमर्श की दृष्टि से आधुनिक या प्रगतिशील ठहरते हैं।

प्रस्तावना – गोस्वामी तुलसीदास मध्यकाल के सर्वप्रमुख भक्त कवि थे। तुलसीदास अनन्य रामभक्त होने के साथ ही साथ लोककल्याणकारी भावना से ओतप्रोत कवि थे। श्रामचरितमानसश का मूल उद्देश्य सत और असत को तथा उनके सद परिणामों को दिखाकर जीवन के प्रति आस्था तथा लोक और परलोक में सुख– प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है।

लोकनायक महाकवि तुलसीदास एक ऐसे सचेष्ट समाजद्दष्टा हैं जो समाज के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल का रेखांकन अत्यंत गंभीरता के साथ करते हैं।

तुलसीदास नारी संबंधी दृष्टिकोण भी तत्कालीन कवियों से काफी आगे हैं। वे नारी को विधाता के अनुपम सृष्टि मानते हैं। वे जिस आत्मविश्वास और बौद्धिक तैयारी के साथ मध्यकाल की बहुपत्नी प्रथा जैसी बुराई का परिहार करते हैं जो अपने आप में अप्रतिम उदाहरण है। तुलसी की नारी भावना विवाद एवं मतभेद का विषय रही है। कतिपय विद्धानों के अनुसार तुलसी ने नारी– जाति को आदर और श्रद्धा की पात्री माना है। तुलसी ने आदर्श नारी के रूप में सीता का चित्रण तो किया है पर नारी की नकारात्मक रूप का भी चित्रण किया है। अहिल्या,कैकयी,मन्थरा। अहिल्या ने नीच कर्म किया और उन्हें अपने पति ने श्राप दिया था। जिसके कारण वह पत्थर बन गई थी। यह तो सभी जानते हैं कि श्री राम के स्पर्श से वह पुन: नारी बन जाती है। मन्थरा भी कैकयी को जाकर इस बात पर बार–बार उत्तेजित करती है कि कैकयी राजभिषेक को रोक दें। कैकयी भी ऐन मौके पर की गई सेवा का वर दशरथ से माँगती है।

1. राम 14 साल के लिए वनवास जाएँगे और
2. भरत राजा बनेगा।

इन सबको देखकर ऐसे चरित्रों पर हमें गुस्सा आता है परन्तु स्वयं तुलसी जी कहते हैं मन्थरा ने जो किया, कैकयी ने जो कुछ किया उसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि बुरा न हो तो अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि भले और बुरे का नाम ही संसार है। नारी में वह शक्ति है जो अच्छा कर सकती है, या अच्छा बनने का माहौल बना सकती है। कैकयी ने जिद्द न की होती तो शायद राम वन को न जाते और न ही रावण का विनाश होता। इसलिए तुलसी की नारियाँ हर चरित्र में महान है।

तुलसी के राम का एक पत्नीव्रता रूप और पत्नी के प्रति सम्मानजनक प्रेम उन्हें बहुत प्रिय है। इसे वे स्त्री–पुरुष संबंधों की समानता के आधारभूमि मानते है। समाजवादी चिंतक और नेता राममनोहर लोहिया तुलसी की रामायण के प्रशंसक है। लोहिया रामायण को शिष्टाचार की भी दुनिया में सबसे सुंदर कहानी मानते हैं। और इसमें क्या दो राय कि यह सुंदर कहानी भी। यों तो शिष्टाचार की यह सुंदरता पूरी रामकथा में है किंतु रणभूमि में घायल पड़े अपने शत्रु अपने अनुज लक्ष्मण को देते है, उस तरह का दूसरा उदाहरण दुनिया में शायद ही मिले। मनुष्यता सुंदर से सुंदरतर ऐसे ही मानवीय और गरिमापूर्ण आचरण से बनती है। गोस्वामी जी के पक्ष में एक बात यह कही जा सकती है कि तुलसी ने केवल उन नारियों के विषय में ही ऐसी बातें

* सहायक अध्यापीका (हिन्दी विभाग) गंगाधर मेहरा विश्वविद्यालय, अमृत बिहार,सम्बलपुर (ओडिशा) भारत

कहीं हैं जो नारी धर्म के मार्ग से भटकी हुई थीं। ऐसी नारियोंमेंअहिल्या,कैकयी, व शूर्पणखा के उदाहरण है किंतु उस प्रसंगों के विषय में क्या कहें। वे नारी के प्रति स्वस्थ एवं सामयिक आकर्षण को उचित मानते हैं।अत: भक्त के रूप में गोस्वामी जी के नारी के विषय में जो कुछ लिखा है, वह समयानुकूल तो है हीय साथ ही रामभक्त के लिए आवश्यक भी है। समाज-सुधारक और रामभक्त तुलसीदास ने समाज को नारी के प्रति विकृत आकर्षण से बचाने के लिए तथा भक्तिपथ की ओर अग्रसर करने के लिए ऐसा दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक समझा हो। आज का यह दौर आधुनिकता से भी क्रमश: उत्तर आधुनिकता के रूप में दिखाई दे रहा है। आज विमर्श का दौर चल रहा है। जैसे दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श,स्त्री विमर्श। हम देखते हैं, कि समाज की स्थिति क्रमश: उत्तरोत्तर विकासमान है। आज के संदर्भ में सीता को दिया गया अनुसूया का पतिव्रता संदेश पुरुष मानसिकता का द्योतक है। जिसे आज का स्त्री विमर्श कभी स्वीकार नहीं कर सकता।

मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में अपने कुछ दोहों के माध्यम से तुलसीदास कुछ कहते हैं-

'धीरज धर्म, मित्र अरु नारी।
आपद काल परखिए चारी।।'

अर्थात धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा अतिविपत्ति के समय ही की जा सकती है। इंसान के अच्छे समय में तो उसका हर कोई साथ देता है, परंतु जो बुरे समय में हमारे साथ रहे वही हमारा सच्चा साथी है। उसी के ऊपर हमें सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए।

'जननी सम जानहिं पर नारी।
तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे।।'

जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी माँ समान समझता है, उसी के ह्रदय में भगवान का निवास स्थान होता है। जो पुरुष दूसरे औरतों के साथ संबंध बनाते हैं वही पापी होते हैं, उनसे ईश्वर हमेशा दूर रहते हैं।

रामचरितमानस में हम देखते हैं सीता एक आदर्श चरित्र है, वह आदर्श पत्नी है उनके ह्रदय में सिर्फ राम ही बसे हुए हैं। 14 साल तक वह राम की आने की आस पर बैठी हुई थी। पर जब अस्तित्व का सवाल आया, उन पर प्रश्न उठाया गया, उन्हें अग्नि परीक्षा देकर अपनी सतीत्व का प्रमाण देने के लिए बाहर किया गया तब माता सीता के सामने सतीत्व का प्रश्न नहीं था बल्कि नारीत्व का प्रश्न था। उनका नारीत्व इस अपमान को यह सह नहीं पाया। इसलिए वह खुद धरती में समा गई। तो क्या यह नारी विमर्श नहीं है? क्या तुलसी ने इसकी भूमि पहले से तैयार नहीं किए हैं? निश्चित रूप से यह भूमि पहले से प्रस्तुत थी जिस पर हम अभी चल रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं।

आज का समाज तुलसी जैसे महान कवियों की विचारधारा को कथनी करने में एवं श्रवण में प्रयोग में तो लाया जा रहा है परंतु उसे कार्य में आज भी संपादित नहीं कर रहा हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हम आज हर पुरुष में पुरुषोत्तम राम रूप को तो खोज रहे हैं परंतु खुद सीता के सर्वगुण संपन्न नारीत्व को धारण करने में संकोच प्रकट कर रहे हैं। मेरा आशय बस इतना है कि अगर पुरुषों में हम सात्विकता खोज रहे हैं तो सर्वप्रथम हमारे भारतवर्ष में नारी के नारायणी (स्त्री शक्ति) रूप को धारण करना ही श्रेयस्कर होगा। साथ ही कहने सुनने को छोड़ करके दिखाने में उतर पड़े तो नारी विमर्श जैसे विषयों के सर उठाने का उद्देश्य सार्थक हो पाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरण्य कांड रामचरितमानस 17
2. अरण्यकांड रामचरितमानस 4,5 पृष्ठ संख्या 609, तुलसीदास
3. गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ 27
4. तुलसीदास-स. वासुदेव सिंह
5. https://m-patrika-com/opinion/goswami&tulsidas &jayant&1087359/

****

Proper evaluation of CBC with histogramandearly diagnosis and management of congenital disease of blood - G6PD deficiency

Pooja Choubey* Mr. Durga Prasad Tentwar**

Abstract - Objective: Proper evaluation of CBC with histogramandearly diagnosis and management of congenital disease of blood – G6PD deficiency**.**

Methods: A total of 102 G6PD deficient patients were taken for study between June 2017 to May2018 and testing by Decolorization method and confirmed by Kinetic method.

Result: In the 102 G6PD deficiency study out of 70 Male Neonate, 08 of them are positive and 62 are negative. Out of 22Female Neonate, 1 is positive and 21 are negative. Out of 07 Adult Male, one is positive and 6 are negative, out of Adult Female, all the three are negative. Males are 75.50% and females are 24.50%.

Interpretation and conclusion: Screening blood samples from neonates in population with prevalence of G6PD is more in males. Adult G6PD deficient is less common.

According to CBC values and histograms we can evaluate the case of haemolytic or non-haemolytic condition of the patient.

One of the major and complicated types of haemolytic condition is G6PD deficiency, which can be detected by G6PD deficiency test.

Introduction CBC - A complete blood count (CBC) is a common blood test that evaluates the three major types of cells in the blood – red blood cells, white blood cells and platelets. It is used to detect or monitor many different health conditions including diagnosing infections or allergies, detecting blood clotting problems or blood disorders, including anemia, and evaluating red blood cell production or destruction.[1]

The fully automated sophisticated cell counters give us very accurate and precise blood counts rapidly along with a number of additional newer parameters which give valuable extra information added to the routine CBC. The origin of the modern cell counters date back to 1953, when Wallace H Coulter, an American engineer by training, obtained a patent for a principle for counting and sizing micro particles suspended in a fluid.1 The principle was named the 'coulter principle' and is the basis of the technology of most cell counters even today.[2]

A complete blood count (CBC) test measures the following:

- The number of red blood cells (RBC count)
- The number of white blood cells (WBC count)
- The total amount of hemoglobin in the blood
- The fraction of the blood composed of red blood cells (hematocrit)
- Average red blood cell size (MCV)
- Hemoglobin amount per red blood cell (MCH)
- The hemoglobin concentration per red blood cell (MCHC) The platelet count is also most often included in the CBC.

Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency79 - Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency is a genetic disorder that occurs almost exclusively in males. This condition mainly affects red blood cells, which carry oxygen from the lungs to tissues through out the body. In affected individuals, a defect in an enzyme called glucose-6-phosphate dehydrogenase causes red blood cells to breakdown prematurely.52 The most common medical problem associated with glucose-6phosphatedehydrogen -ase deficiency is hemolytic anemia, which occurs when red blood cells are destroyed faster than the body can replace them. This type of anemia leads to paleness, jaundice, dark urine, fatigue, shortness of breath, and a rapid heart rate. In people with glucose-6phosphatede-hydrogenase deficiency, hemolytic anemia is most often triggered by bacterial or viral infections or by certain drugs (such as some antibiotics and medications used to treat malaria). Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency is also a significant cause of mild to severe jaundice in newborns.52 Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, the most common enzyme deficiency worldwide,

*Department of Microbiology, L.N. Medical College, Bhopal (M.P.) INDIA
** Mahareshi Markandeswar University (MMDU), Amabala (Haryana) INDIA

causes a spectrum of disease including neonatal hyperbilirubinemia, acute hemolysis, and chronic hemolysis. This X-linked inherited disorder most commonly affects persons of African, Asian, Mediterranean, or Middle-Eastern descent. Approximately 400 million people are affected worldwide. Homozygotes and heterozygotes can be symptomatic, although the disease typically is more severe in persons who are homozygous for the deficiency. The conversion of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate to its reduced form in erythrocytes is the basis of diagnostic testing for the deficiency. This usually is done by fluorescent spot test. Acute hemolysis is self-limited, but in rare instances it can be severe enough to warrant a blood transfusion. Neonatal hyperbilirubinemia may require treatment with phototherapy or exchange transfusion to prevent kernicterus.

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is an inherited deficiency that may be the cause of neonatal hyperbilirubinemia, as has been found in several countries and among widely different ethnic groups. Our aim was to study the prevalence of G6PD deficiency in relation to neonatal jaundice.21In some other populations, especially in the Mediterranean countries and also in various racial groups in the Far East severe

Clinical syndromes

- Acute drug-induced hemolysis
- Favism
- Chronic hemolyticanemia
- Neonatal jaundice
- The clinical features are due to rapid intravascular hemolysis with symptoms of anemia, jaundice, and haemoglobinuria.

Kinetic method - Female(Adult) 00 03 03 Serum total bilirubin was estimated by using a Unistat (ErbaTransasia Bio-Medical Ltd). Other tests were performed according to standard laboratory methods.

Gender Positive Negative Numbers (n=102)
Male(Neonate) 08 62 70
Female(Neonate) 01 21 22
Male (Adult) 01 06 07

Hypothesis :

- Anemia can be mainly due to red cell destruction and in neonate it can be due to G6PD deficiency.
- The global distribution of G6PD deficiency is remarkably similar to that malaria

Methodology

Materials And Methods

Population :92 clinically icteric neonates and 10 adults including male and females (Total cases studied are 102).

Sample : EDTA anticoagulated blood

Sample size : 2ml EDTA blood

Sampling Method: Testing by De-colorization method and confirmed byKinetic method

Sourceofdata: Data collected from IPD and OPD of St.Joseph Hospital laboratory and Shreya laboratory, Hoshangabad.

Study design : The present study was a prospectic analysis of the G6PD deficiency of neonatal as well as in adultssamples.

Inclusion criteria : Neonates presenting with a clinical suspicion of jaundice were included in the study while in adults included hemolytic jaundice and malaria cases before start antimalarial drugs.

Exclusion criteria : Who are expected to suffer from G6PD Who are not interested for participation. Symptoms suggestive of G6PD deficiency include: Unconjugated hyper bilirubinemia, cyanosis, need ventilator support, and bradycardia

Investigationsincludes:

1. Determination of CBC
2. Determination of blood group typing
3. Determination of blood smear
4. Determination of reticulocyte count
5. Determination of direct and indirect serum bilirubin concentrations
6. Determination of direct coomb's test
7. Determination of G6PD level.
8. Urine test

Determination of G6PD level Method:

1. De-colorization method

2. Kinetic method De-colorization Method:-

Principle: G6PD present in the red cell hemolysate, acts on Glucose-6phosphate and NADP. NADPH formed in the reaction reduces blue colored.2,6-dichlorophenol indophenol or bromcresol blue into a colorless form. The rate of de-colorization is proportional to the enzyme activity. **1)**G-6-phosphate + NADPPhosphoglutamic acid+ NADPH+H+ 2) NADPH +H+ 2,6 dichlorophenolindophenol or bromocresol NADP +Colorless dye Specimen: EDTA anticoagulated blood. Reagents:1) Trissbuffer : pH8.5 mmol/L 2) NADP 3) G-6-phosphate 4) Bromcresol blue 5) Working Bromcresol blue 6) Liquid paraffin

Procedure: Preparation of red cell hemolysate: a. Distilled water: 2.5 ml b. Fresh blood : 0.05 ml Mix well and stand for 5 min at room temperature. 1) Assay of the enzyme: Pipette in the tubes labelled as follows: Test Hemolysate, ml 1.0 Working bromcresol blue, ml 0.5 .

Mix well and add 2.0 ml of liquid paraffin through the side of the tube and keep at 370c. 2) Observation: De-colorization time: a) Normal subjects: 30 -60 min b) G-6-PD deficient subjects (heterozygous male and homozygous female):140 min to 24 hrs c) G-6-PD carriers (heterozygous females): 90 to several hrs

Kinetic method:-

Principle: - G6PDH in the RBC's is released by a lysing agent present in the reagent. The G6PDH released catalyzes the oxidation of Glucose 6 phosphate with the reduction of NADP to NADPH. The rate of reduction of NADP to NADPH is measured as an increase in absorbance which is proportional to the G6PDH activity in the sample.

Normal value:- G6PDH Activity (U/g Hb : 4.6 to 13.5 at 300C/ 6.4 to 18.7 at 370C

(U/g1012 RBC's : 146 to 376 at 300C /202 to 522 at 370C

Specimen: - EDTA anticoagulated blood, heparin, or ACD.

Procedure:-

Pipette into clean dry tubes labeled Test

Test(ml) G6PD working reagent 1.0 Whole blood 0.01 Mix and incubate for 5-10min at room temp Starter reagent 2.0 Mix well and incubate for 5 min at 30/370C and read the absorbance in biochemical analyzer.

Hemoglobin Methods Based On Color Development80

The commonly used methods are Sahli's/ acid hematin method andCyanmethemoglobin method.

1. Sahli's method are manual method use of HLC and match by brown standard glass rod comprator box
2. Cynamethemoglobin method this is colorimetric method use of drobkins reagent for measurement of Hb

Table 01

Gender	Positive	Negative	Numbers (n=102)
Male (Neonate)	08	62	70
Female (Neonate)	01	21	22
Male (Adult)	01	06	07
Female (Adult)	00	03	03

Gender Wise Sample Distribution

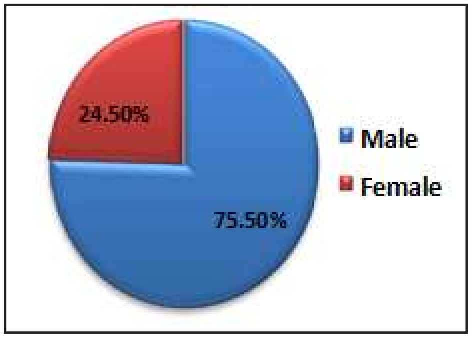

Results - In the 102 G6PD deficiency study out of 70 Male Neonate,8 of them are positive and 62 are negative. Out of 22 Female Neonate, 1is positive and 21 are negative. Out of 07 Adult Male, one is positive and 6 are negative, out of Adult Female, all the three are negative. Total Males are 75.50% and females are 24.50% and out of which Positivity is 9.80% and Negativity is 90.20%.

Result

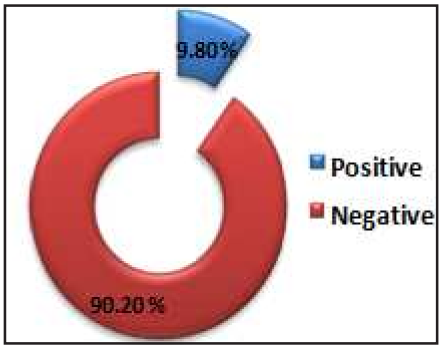

Determination Of G6PD

Table 02

GENDER	POSITIVE	NEGATIVE	TOTAL
MALE	09	68	77
FEMALE	01	24	25
TOTAL	10	92	102

Results

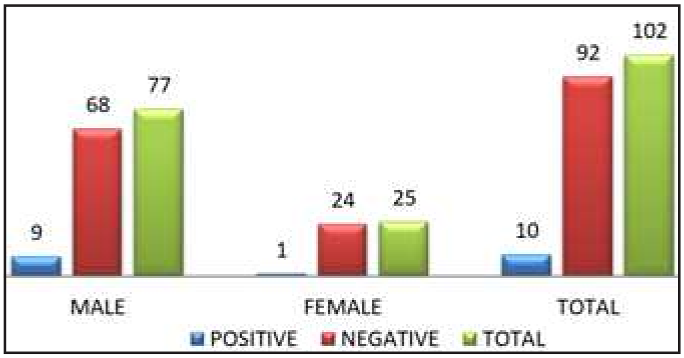

Discussion - G6PD deficiency has been the subject of number of studies in the recent past. There is a growing awareness that robust and reliable G6PD test are required for the early detection of G6PD deficiency. WHO has also endorsed screening blood samples from neonates in population with prevalence rate of 18.4%, 1.57%, 2.1% and 1.62%, respectively.

G6PD of 3% - 5% or more in males 81 Adult G6PD deficient cohort is at the risk of medical emergency, due to emerging of new drugs at high rate. Saudi Arabia is one those country in which the G6PD prevalence is high and awareness is mandatory.

The present study showed that 7.5% of neonates with significant jaundice were G6PD deficient. The overall prevalence of G6PD deficiency varies in different parts of the world according to ethric variations. The prevalence rate varies from 4.5% in China to 3.5% in Malaysia and 1.5% in India.14 Yet some other studies have reported much higher prevalence rate, for instance, in a survey in India in 1989 about 12.2% of the icteric newborns were G6PD deficient.15 In another study in Punjab, India, the incidence of G6PD deficiency in newborns was 3.9% and 48.7% of G6PD deficient newborns developed a significant hyperbilirubinemia.16 A similar study conducted in the United States reported a prevalence rate of 10% to 14% among the black Americans17 In Nigeria up to 40% of neonates with neonatal jaundice had G6PD deficiency, which implies a high prevalence rate in that region. Studies in Saudi Arabia, 18 Spain, 19 France 20 and Singapore gave a prevalence rate of 18.4%, 1.57%, 2.1% and 1.62%, respectively.

Conclusion - When combined with the concept of the normal curve and the knowledge of particular CBC parameters, such as RDW and red cell indices, histograms become a practical working tool in the initial stage of morphological analysis. Observation of their outlines and the relations they suggest may be so evident that the

presence of fragments, hypochromic microcytic, macrocytic, or dimorphic red cells, as well as different combinations, can be presumed. In addition, the histogram provides a concise idea not only of the different sizes of cells but also of the distribution of cells from the center (MCV) and the spread (RDW), as these 2 CBC parameters are determined from the red cell histogram.5,6,7 Consequently, whatever instrument methods are used to obtain the red cell histogram, electrical impedance or optical flow cytometry, the relationship of the different sizes of cells can be readily delineated and contrasted, especially when a dotted line of reference normal is superimposed on all automated abnormal red cell histogram results.[4]

Since the prevalence of severe hyperbilirubinemia among our neonates was relatively high and about half of them required exchange transfusion, early detection of this enzymopathy regardless of sex and close surveillance of the affected newborns may be important in reducing the risk of severe hyperbilirubinemia and exchange transfusion.

References :–

1. *ABC of CBC by DP Lokwani MD* Founder Vice-Chancellor, Madhya Pradesh Medical Sciences University, Jabalpur; Ex. Professor and Head, Department of Pathology, NSCB Medical College, Jabalpur; Former Honorary Dean, DiplomateNational Board Courses, Jabalpur
2. Hospital and Research Centre, Madhya Pradesh, India. JP Medical Ltd, 30-May-2013 - Medical - 178 pages 2. Dr.AbdulfalthahAlshenawi MBBCH, MSC, MRCS (IRLAND) Cons,General Surgery (M.G.H)
3. *Dr.AbdulfalthahAlshenawi* MBBCH, MSC, MRCS (IRLAND) Cons,General Surgery (M.G.H)
4. *Beckman Coulter LH 780 on line IB072841* Google scholar
5. *ADVIA 120 Hematology* System “Technology and cytograminterpretation.”Bayer Diagnostics, Tarrytown, NY; 2005 Google scholar
6. *CELL DYN Sapphire* TM System Operator Manual. Abbott Park, IL:Abbott Laboratories;2005. Google scholar
7. *Bessman JD Gilmer PR Jr Gardner FH*. Improved classification of anemias by MCV and RDW. Am J ClinPathol . 1983; 80:322–326. Google scholar
8. *Williams LJ. Cell histograms*: New trends in data interpretation and classification. J Med Technol . 1984; 3:19–197.
9. *Fossat C David M Harle* JR et al. New parameters in erythrocyte counting. Value of histograms. Arch Pathol Lab Med. 1987; 111:1150– 1154. Google scholar
10. *Lawrence A Young M* Cooper A et al. Red cell histograms in the diagnosis of diseases In: Simpson E, ed. Hematology Beyond the Microscope. New York, NY: Technicon Instruments; 1984:155–164.
11. *Dr.Pankaj Gupta* Doctor at chl medical center uijainpublished in Health & Medicine on Apr 5, 2015.
12. *Heller T, Hoschstetter V, Basler M, Borck V.* Vitamin B6-sensitive hereditary sideroblastic anemia. Dtsch Med Wochenschr. 2004 Jan 23;129(4):141-4. 13. Hon At, Balakrishnan S, Ahmad Z. Hyperbilirubinemia and erythrocyte glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in Malaysian children.Med J Malaysia 1989; 44(1): 30–34. Google scholar.

****

गांधी जी : एक दर्शन

डॉ. वर्चसा सैनी*

प्रस्तावना – आज देश क्या, पूरी दुनिया ही आबोहवा से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर आज जिन मुश्किलों के मुकाबिल है, उनके हल की तलाश का विमर्श जब भी शुरु होता है, तो गांधी जी पहले से भी कहीं ज्यादा उम्मीद बनकर उभरते है। साम्प्रदायिकता सिर उठाये, आर्थिक मोर्चे पर बेमेल विकास का मुद्दा हो या एक-दूसरे से लड़ने भिडने पर आमदा दुनिया में अमन-चैन कायम करने की बात हो अन्तत: रास्ता गांधी जी के विचारों में दिखायी देता है। गांधी जी की ताकत यह है कि जो लोग गांधी जी के तौर तरीकों पर किन्तु परन्तु करते नही थकते, उन्हे भी उम्मीदों की कोई किरण आखिरकार गांधीजी में भी नजर आती है। ऐसे अजब है गांधी कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक तक ने उनमें इस युग का आश्चर्य देखा। उनका जीवन जितना सरल है, उन्हें समझना उतना ही कठिन है। गांधी राजनीतिज्ञ है, धार्मिक है, आध्यामितक है, दार्शनिक है, समाज सुधारक है, आचार शास्त्री है, अर्थशास्त्री है, क्रान्तिकारी है और इन सबसे दूर जमीनी स्तर पर इतने आम आदमी है कि उनकी राह पकड़ने की जरा सी कोशिस भी किसी को खास बना देती है। भारतीयता की जड़ो की उन्होने तलाश की और उन जड़ो को जीवन भर पकड़े रखा, और उसे मजबूती दी। बावजूद इसके, दिलचस्प है कि उनका व्यकितत्व कभी जडता का शिकार नही हुआ। हर तरह की जड़ता को वे तोड़ते है, आत्ममथंन करते है, हर रोज खुद को मांजते है और एक नई चमक के साथ हर रोज आजादी की लड़ाई को नई गति देते है। प्रयोगधर्मा है गांधी। लकीर को नही पीटते, अपनी बनाई हुई भी बल्कि आये दिन एक नई लकीर खीचते है। जिन्दगी के नये शिरे तलाशते है और जीते है और इसलिये यह कहने का दम रखते है कि मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है।

आज की बदल हुई विश्व व्यवस्था में उन पर अमल करना कितना चुनौतीपूर्ण है हम यह भी जानते है लेकिन तमाम बदलाव और चुनौतियों के बावजूद आज भी जब कभी दुनिया अपनी जटिलताओं के सरल समाधान ढूंढती है, तो गांधी के विचार ही उसका सही मार्गदर्शन कर पाते है। इसमें शक नही है गांधी को हम बहुत पीछे छोड आये हैं, यादों में नही, बल्कि इरादों में। हमीं लोगों ने उनके विचारों को इतना सस्ता बना दिया कि 'गांधीगिरी', 'गांधीवाद' का नया पर्याय बन गया। गांधी के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक नायाब तरीका था जिस पर खूब तालियां भी बजी। राजनीति से लेकर सामाजिक जीवन, शिक्षा, सिनेमा हर जगह हमने सिर्फ गांधी की नकल करने की कोशिश की, पर गांधीजी को कभी जिया नहीं। वैसे यह इतना आसान नहीं है विशेषकर इस नईं विश्व व्यवस्था, उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था और घोर व्यक्तिवादी जीवन दर्शन के दौर में। फिर भी दुनिया भर के लिए गांधीजी भी प्रेरणा स्रोत बने हुए है यहां तक कि ब्रिटेन के लिये भी, जिसकी गुलामी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में उन्होने अपनी जिंदगी लगा दी। आज उसी ब्रिटेन ने लंदन के अपने पार्लियामेंट स्क्वेयर में विश्व की अन्य महान हस्तियों के साथ गांधी की प्रतिमा भी स्थापित की जो वहां आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। प्रसिद्ध ब्रिटिश मूर्तिकार फिलिप जैक्सन द्वारा निर्मित गांधी के मूर्ति के अनावरण के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन ने उनके बारे में जो कुछ कहा वह ध्यान देने योग्य है। उन्होने कहा कि 'इस प्रसिद्ध स्क्वेयर में गांधी की प्रतिमा स्थापित कर हम उन्हे अपने देश में अनंत काल के लिए बसा रहे है। यह प्रतिमा विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े प्रजातंत्र के बीच विशेष मैत्री के साथ-साथ गांधी जी के संदेशों की सार्वभौमिक व्यापकता का एक गुणनान भी है।' गांधी जी के लिये प्रकट किये गए उनके उद्गारों में इसका अपना खास महत्व है, क्योंकि यह उस देश के प्रधानमंत्री के विचार है जिसकी साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ वह आजीवन लड़ते रहे। तभी तो उनकी मृत्यु के 70 साल बाद आज भी सारे कोलाहल, दिशाहीनता और अस्थिरता के बीच वे पूरी दुनिया में आशा के एक दीप बने हुए है। उनके विचारों में उच्च आदर्श है, तो जमीनी व्यवहारिकाता भी राजनीतिक पटुता, तो मानीवय संवेदना भी। वह सबसे अलग इसलिए है क्योंकि उन्होंने वही किया जो कहा और वही कहा जो किया। एक बार समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने अपनी युवा अवस्था में गांधी जी से पूछा कि 'बापू आप बूढे आदमी है आपका भाषण भी बहुत नीरस है और मद्धम आवाज में होता है और कई बार तो समझ में ही नहीं आता जबकि हम समाजवादी विद्धतापूर्ण ढंग से बोलते है और अपने भाषणों में आग उगलते हैं फिर भी भारत के लोग आपके लिए पागल है आखिर आप क्या जादू करते है?' बापू ने कहा, 'बेटा ठीक से तो मुझे भी नही पता, लेकिन एकमात्र कारण जो मैं सोचता हूँ शायद यही होगा कि मैं किसी को ऐसा कुछ करने को नही कहता जिसे मैने जीवन में खुद न किया हो' और भारत के लोग इस अंतर को समझते हैं।

यह गांधीजी की ही खासियत है कि वे साफ-सफाई, शराबबंदी, गौरक्षा, दलितोद्धार, खेती किसानी जैसे अन्याय बिल्कुल अलग से लग रहे मुद्दों को भी आजादी की लड़ाई और स्वराज की व्यापकता से जोड़ देते है। मुटठी भर नमक को युद्ध का अमोध अस्त्र बनाने की कला गांधीजी ही दिखा सकते थे। भारतीय संस्कृति की बुनियादी विशेषता अंहिसा को धर्म आध्यात्म के रुढ दायरो से बाहर निकालकर सामाजिक जीवन की व्यवहारिकता में स्थापित करने के गांधी जी के महान योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांधीजी का सत्याग्रह आमजन के अधिकारों के लिए आज भी प्रभावी औजार है। आज सारी दुनिया में जिस तरह हथियारो का जखीरा

* असिस्टेंट प्रोफेसर, जे0के0पी0पी0जी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

इकटठा करने की होड़ लगी है। हर देश खुद को खतरे में महसूस कर रहा है। हर देश हथियार को अपनी हिफाजत का साधन समझ रहा है। पर इतिहास गवाह है कि हथियारों से किसी कि भी सुरक्षा सुनिश्चित नही हो सकी। देशों के सामने हालात ये है कि हर साल रक्षा बजट में बढोतरी करनी पडती है, नये–नये हथियारों के प्रति सचेत रहना पड़ता है। यह सब सुरक्षा नहीं बल्कि असुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपाय है। वास्तविकता यह है कि सब लोग अहिंसा के सिद्धांत को मानने लगें, तो दुनिया बहुत आगे बढ़ जायेगी। गांधी जी आज होते तो इसका प्रयोग अवश्य करते। कुछ छोटे–छोटे देश, जैसे कि कोस्टारिका के पास कोई सैन्य शक्ति नही है, पर तब भी कोई दूसरा देश उस पर हमला नही करता। यह दृष्टिकोण और सोच की बात है, अन्यथा अहिंसा से देश की रक्षा संभव नहीं है, यह कहना सत्य नही है। गांधी जी की अहिंसा की राह में सत्याग्रह एक बड़ी चीज है, सत्याग्रह का मर्म समझना चाहिये। सत्याग्रह का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ बाह्य हिंसा न हो शारीरिक हिंसा न हो या बैठकर अनशन करते रहे। लोग गांधी जी के नाम पर सत्याग्रह शुरु कर देते है पर उनके अन्त:करण में अपने प्रतिद्वन्दी के प्रति हिंसा, क्रोध, द्वेष से भरा हुआ होता है और नाममात्र के लिये बाहरी तौर पर शारीरिक हिंसा से दूर रहते है लेकिन आंतरिक हिंसा से दूर नही रह पाते। सत्याग्राही को पहले साधना करनी पडती है। गांधी जी ने पूर्ण रुप से अहिंसा को जिया और हमारा मार्गदर्शन किया पर आचार्य बिनोबा– जैसे कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग उस तरह में जीवन नहीं जी पाये। गांधीजी को अहिंसा की जो समझ थी, जो प्रयोग थे वह विशिष्ट थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहिंसा पर जोर दिया, पर उन लोगों ने धार्मिक, आध्यात्मिक साधना के स्तर पर बात की। सामाजिक जीवन में अहिंसा के प्रयोग की बात वहां नही आई। गांधी जी का इस मामले में विशेष योगदान यह है कि उन्होने बताया कि अंहिसा को दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र के आंदोलन में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, यह मार्गदर्शन गांधीजी का समाज के लिए देश और दुनिया के लिए महान योगदान है। वैश्विक स्तर की बात करें तो दो–तीन लोगों के लिए कह सकते है कि उन्होने गांधी के मार्ग पर चलकर कामयाबी हासिल की। मार्टिन लूथर किंग ऐसे व्यक्ति रहे है जिन्होने गांधी जी को समझा, गांधीजी को जिया और जीवन पर्यत गांधीजी के मार्ग से इधर–उधर नहीं गये। नेल्सन मंडेला प्रारंभ में गांधीवादी नही थे पर जब उन्होने गांधीजी को देखा और पढ़ा तो गांधीवादी हो गये।

गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह सिर्फ रणनीति नहीं है, वह मनसा–वाचा–कर्मणा है जिसे उन्होने धार्मिक विचार से निकालकर सामाजिक जीवन में उतार कर दिखाया। किसी भी देश के लिए स्वराज उसका जन्म सिद्ध और मूलभूत अधिकार है। गांधी जी के नेतृत्व में अधिकार का यह महासागर, कर्तव्यों और मर्यादाओं के अटूट दायरे में रहकर लड़ा गया था इसमें त्याग था, बलिदान था, समर्पण था, स्वार्थ न था, हिंसा न थी, विद्वेष न था। गांधी जी की लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी, किसी अंग्रेज व्यक्ति या अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नहीं। अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग को उन्होने हर एक भारतीय के कर्तव्य का रुप दे दिया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी–चौरा में हुये हिंसक कांड के बाद जिसमें सत्याग्राहियों के द्वारा पुलिस स्टेशन जलाये जाने की घटना में 22 सिपाही मारे गये, आहत गांधी जी ने न सिर्फ अपना आंदोलन वापस ले लिया बल्कि उसकी कडी भर्त्सना भी की। चाहते तो वे इसकी ओर से आंखे मूंद सकते थे या फिर सत्याग्राहियों के विरोध प्रकट करने का अधिकार बता सकते थे, जैसा कि अपने आप को उदारवादी बुद्धिजीवी कहने वाले लोग किया करते है, पर गांधी जी ने जज के सामने इस घटना को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने लिये कड़े दंड की मांग की। यही फर्क है अधिकार और कर्तव्यों की गांधीवादी और अन्य सोच में।

मशीनीकरण को लेकर गांधी जी के विचारों पर लोगों में काफी भ्रम है। आम धारणा है कि गांधीजी मशीन के विरोधी थे, जबकि ऐसा नही है। गांधी जी तो हर उस मशीन का स्वागत करते थे जिससे लोगों के कष्ट कम हो और बेरोजगारी न बढे। 1921 में 'यंग इंडिया' में अपने एक लेख 'क्या चरखा मशीनीकरण के खिलाफ है', में उन्होने लिखा 'मैं ऐसी किसी भी उच्चस्तरीय मशीनरी के पक्ष में हूँ, जिससे भारत की गरीबी मिटाई जा सके।1926 में 'यंग इडिया' में वे एक बार फिर लिखते है कि– मैं चरखे को नष्ट कर दूंगा अगर कोई मुझे सचमुच इससे बेहतर और सार्वभौमिक राजनीतिक कार्यक्रम दिखा सके। मै उसे देखने और जानने को बहुत व्याकुल हूँ। इसी लेख में वे आगे कहते है, कि मैं किसी दुविधा में नहीं हूँ और मैं इस बात की सलाह भी नही दूंगा की चरखे के लिए स्वस्थ औद्योगिक गतिविधियों के प्रति लापरवाही बरती जाये। सन 1929 में वे इसी थीम पर लौटते है, और लिखते है– 'भारत की करोड़ो जनता की मुक्ति के लिए अगर चरखे में कोई दूसरा विकल्प मिल जाता है तो उससे अच्छा कुछ नही होगा और ऐसे में मैं सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी।' इसके अलावा वे लिखते है कि– चरखे का संदेश इसकी परिधि से बड़ा है। इसका संदेश इसकी सादगी में है, मानवता की सेवा में है, इस तरह जीने में है जो दूसरो को नुकसान न पहुँचाए और अमीर–गरीब पूंजी और श्रम, राजा और रंक के बीच एक सहकार की भावना जगाये। इसका बहुत व्यापक संदेश है और वह सबके लिए है। गांधीजी का मन चरखे के बेहतर विकल्प के लिए हमेशा खुला हुआ था। उनका आग्रह सिर्फ यह था कि जो जो विकल्प हो वह खादी और चरखे के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक से संदेश से युक्त हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरखे के चयन के पीछे उनका एक निश्चित सामाजिक–ऐतिहासिक संदर्भ था। आज यह संदर्भ देश दुनिया के लिए बिल्कुल जुदा है। इसलिये चरखे का बेहतर विकल्प भी आज उसी तरह बदला है, लेकिन वह विकल्प है क्या ? आज 21 वीं सदी में चरखे का वह विकल्प है इंटरनेट और इंटरनेट से जुडी तमाम आधुनिक टेक्नोलाजी।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अधिकांश लोग गांधी जी को पिछड़ा हुआ चिंतक मानते है, लेकिन उनका यह 'कथित पिछडापन', दरअसल उत्पादन के प्रयोजन, प्रक्रिया और परिणामों के प्रचलित अवधारणाओं के खिलाफ एक प्रकार की विद्रोह ही था। गांधीजी एक ऐसी अर्थव्यवस्था को आग्रह करते है जिसमें पूंजी के केंद्रीयकरण की गुंजाइश ही नही रहती है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ठाकुरदास बेग भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आहवान पर जेल गये। जेल से छूटने पर वे उनके पास गये, प्रणाम किया और कहा 'बापू' में जेल से छूट आया हूँ और अब अमेरिका जाकर अपनी अर्थशास्त्र की आगे की पढाई पूरी करनी चाहता हूँ, गांधी जी ने अपने चश्में के पीछे की चमकती आंखों में एक बार देखा और बोले 'अगर तुम अर्थशास्त्र की पढाई करना चाहते हो, तो अमेरिका मत जाओ। भारत के गांवों में जाओ।' उनका पूरा जीवन गांधी जी के सिर्फ एक वाक्य ने बदलकर रख दिया था। राजनीतिक परिपेक्ष्य में देखे तो जहां तक गांधी जी की प्रेरणा, एक दलीय राजनीति से ऊपर उठी हुयी थी। मतलब देश की आजादी के लिए भी उन्होने कभी दलीय राजनैतिक व्यवस्था का आधार नहीं लिया। बावजूद इसके राजनीतिक वे निश्चित रुप से थे। गांधी जी का राजनीतिक ढांचा वास्तव में गांव या मौहल्ले से शुरु होकर देश और जगत तक पहुंचता था। उनके विचारों

में एक स्पष्टता थी कि संरचना कैसी होनी चाहिए, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? यह दृष्टि किसी बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ से ही निकल सकती है जो कि वे खुद थे। गांधीजी ने राजनीति को कैसे हैंडिल किया यह महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं कि असहमतियां नही थी या विरोध नहीं होता था। फिर भी मार्क्सवादियों से लेकर समाजवादियों तक ने गांधी जी की मर्यादा काफी रखी। उनका जो एक राजनीतिक विश्लेषण था वह बहुत नैतिक आधार पर था। आज की राजनीति में वह नैतिक आधार नहीं दिखाई दे रहा है। गांधी जी की राजनीति में नीति का महत्व था यहां तक कि स्वंय किसी भी पद एवं सत्ता से दूर रहे पर आज जो सत्तांधता आयी है उसके लिए राजनेता कुछ भी करने को तैयार रहते है, एक प्रकार से गांधीतत्व का विरोध है। गांधी जी के जीवन में नोखा अली का एक बडा अर्थ है जब वे राजनैतिक परिदृश्य पर लगभग हाशिये पर थे तो नोखा अली के दंगो को शांत करने निकल पड़े, जिसके लिये उन्हे हिंदु-मुसलमान दोनो की आलोचना का शिकार होना पड़ा लेकिन उनको मनुष्यता को बचाना था।

गांधी जी का शैक्षिक चिंतन उनके आर्थिक, राजनीतिक चिंतन का ही सहजन्मा है। वे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सपना देखते थे जो एक नए मनुष्य को जन्म दे सके। उन्होने इसे 'नई तालीम' कहा। इसका पहला सिद्धांत था कि छात्रों को अपना दिमाग, दिल और हाथ तीनों का इस्तेमाल करना चाहिये ताकि वे संपूर्ण मनुष्य बन सके। दूसरा सिद्धांत छात्रों को करने और जीने से शिक्षा लेनी चाहिये। तीसरा सिद्धान्त यह है कि हर छात्र को सामाजिक रुप से उपयोगी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और श्रम करना चाहिए। महज कुछ जानकारियां इकटठी करने से ज्यादा जरुरी है कि छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाये, यह उनका चौथा सिद्धान्त था। एक बार उन्होने कहा था कि यनई तालीम भारत को मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। गांधी जी का विद्रोह केवल शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है। वह समाज में प्रचलित सभी अन्याय पूर्ण धारणाओं के प्रति विद्रोह करने का रुख अपनाते है। दलितो को बराबरी का हक दिलवाने के लिये जब वह उनके मन्दिर में प्रवेश का आंदोलन चलाते है, तो सनातन धर्म में आ गयी उन रुढियों के प्रति विद्रोह करते है जिन्हें सनातनी पंडित अपने धर्म के सिद्धांतों पर आधारित मानते थे। गांधी जी के दलितोद्धार के प्रयास सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह लगते थे। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि धर्म शास्त्र विषय भी अस्पृश्यता का समर्थन करते हों, तो वे ऐसे धर्म शास्त्रों का समर्थन नही कर सकते सामान्यत: गांधी जी को धार्मिक व्यक्ति समझा जाता है इसलिए इसे धर्म सम्मत कहे जाने वाले अन्याय के विरुद्ध एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति का विद्रोह ही कहा जा सकता है। साहित्य, कला, संस्कृति कोई ऐसा क्षेत्र नही जिसे गांधीजी ने प्रभावित नही किया। आजादी के आंदोलन में गांधीजी अकेले और पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इस देश के साधारण लोगो के मन को समझा। उन्होंने पाया कि इस देश का आम आदमी ईश्वर के अलावा किसी से नही डरता, इसलिए वे संयामी, संतोषी और संवेदनशील हैं। उन्होंने उसी गूंगी आवाज को आवाज दी जिसे आज भी कोई राजनेता समझ नही पाता। गांधी जी कोई साधारण महात्मा नही थे। जुल्म और अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष करने वाला यह शख्स कमजोर आदमी के साथ खड़ा दिखता है।

महात्मा की पारम्परिक धारणा के खिलाफ वे एक शुद्ध नैतिक और व्यवहारिक राजनेता थे जिनके मन में किसी के प्रति कोई कटुता नही थी। यहां तक कि अंग्रेजों के प्रति भी नही। उनकी सविनय अवज्ञा इसका प्रमाण है। गांधी जी की आजादी की परिकल्पना बहु आयामी थी जिसके केंद्र में आम आदमी का हित शामिल था। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हर विषय पर उनके विचार स्पष्ट थे। जिसे उन्होने जन आंदोलन का रुप दे दिया। यही वजह है कि आज भी हर जन आंदोलन की प्रेरणा कहीं न कहीं गांधी जी है। गांधी जी का दर्शन कोई किताबी दर्शन नही वह उनके जीवन से उपजा है। वर्षो पहले जन्मा यह व्यक्ति जिनका पूरा जीवन ही एक प्रयोग शाला रहा, आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिकता हो उठा है। सारी दुनिया इन दिनों जिन समस्याओं से जूझ रही है उसमें गांधी दृष्टि पर पूरी दुनिया की नजर है। आजादी के आन्दोलन में उनकी भूमिका तो अतुलनीय है ही, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर उनकी दृष्टि आज भी नये सिरे से सोचने की मांग करती है। हम जिस मोर्चे पर भी देखना चाहें गांधी जी की मिसाल आज भी बेमिसाल नजर आती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिहिर भोले: गांधी जी को हम बहुत पीछे छोड़ आये है, यादों में नही इरादों में - कादंबिनी अक्टूबर 2018
2. सामदोंग रिनपोछे : समाधान तो गांधी का रास्ता ही है- कादंबिनी अक्टूबर 2018
3. सुधीन्द्र कुलकर्णी : इंटरनेट ही आज गांधी का चरखा है - कादंबिनी अक्टूबर 2018
4. मेघा पाटेकर : हर आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं बापू - कादंबिनी अक्टूबर 2018
5. अभय बंग : मिलना महात्मा से - कादंबिनी अक्टूबर 2018
6. सुजाता चौधरी : समझिये गांधी की उस सीख को - कादंबिनी अक्टूबर 2018
7. नन्द नंदकिशोर आचार्य : एक विद्रोही महात्मा - कादंबिनी अक्टूबर 2018
8. पवन कुमार गुप्त: साधारण की असाधारण समझ - कादंबिनी अक्टूबर 2018
9. मंगलेश डबराल : लगते थे तो दुबले बापू - कादंबिनी अक्टूबर 2018
10. मणिमाला : कहां से कहां पहुंच गये हम - कादंबिनी अक्टूबर 2018

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

'मांग' अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साधनों की उपयोगिता (इन्दौर जिले के विशेष संदर्भ में)

हेमन्त गोफने* डॉ. कुम्भन खण्डेलवाल**

प्रस्तावना – आज सम्पूर्ण विश्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आवरण में ढका हुआ नजर आ रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। दुनिया के कोने–कोने में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति चल रही है। विश्व के सबसे विकासशील देश जापान और अमेरिका प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक सफल हो चुके है। तथा भारत देश भी आधुनिकता के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगें आया है।सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही कम्प्यूटर, दूरसंचार केन्द्र, उपग्रह एवं विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही हम विश्व के आकड़ों को घर बैठे अवलोकन कर सकतें है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हमएक शहर से अन्य शहर अथवा देश–विदेश में बाते कर सकतें है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हम इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते है।

भारत देश के शैक्षणिक विकास में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के साथ–साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी भी मुख्य आधार है। जिसके माध्यम सें शिक्षा के स्तर को सरल एवं सुबोध करके इंटरनेट सुविधाओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।देश में निवासरत सभी जाति धर्म के लोग सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षणिक विकास कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में स्वतंत्र है। तथा देश की जनता अपने ज्ञान के स्तर को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित करने में सतत् प्रयत्नशील है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति को देखते हुए देश में निवासरत् अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो ने भी अपने शैक्षणिक स्तर के विकास तथा अपनी आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए सतत् प्रयत्नशीलता लाई है। ताकि यह वर्ग में निावसरत नागरीको का भी जीवन स्तर एवं शिक्षा का स्तर उच्च हो सकें।

मध्यप्रदेश में निवासरत् अनुसूचित जातियों में से 'मांग' जाति मध्यप्रदेश अनुसूचित जातियों की सूची में 37 पर पंजीकृत है। जो आर्थिक स्थिति के साथ–साथ शैक्षणिक स्थिति में भी अन्य जातियों से पिछड़ी हुई है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचार एक महत्त्वपूर्ण भाग है। जो की सूचनाओं के प्रसारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचना के प्रसारण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन अथवा आदान–प्रदान में किया जाता है।सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियों, टेलीविजन, मोबाईल, टेलीफोन, सेटेलाइट प्रणाली, कम्प्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर आदि आते है। इसके अतिरिक्त इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएँ और उपकरण जैसे वीडियों कॉन्फ्रेसिंग, ई–मेल, और ब्लाग्स आदि भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्षेत्र में आते है।

इन्दौर जिले में निवासरत 'मांग' अनुसूचित जाति वर्ग की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति पुर्व से, तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इस पिछड़ेपन की स्थिति से गुजरते हुए, तथा वर्तमान समय में कुछ स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षणिक विकास स्तर के अवसरों को प्राप्त कर रहा है। प्रौद्योगिकी के साधन शिक्षा के क्षेत्र मे शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के साथ–साथ छोटी उम्र के बच्चो के लिए भी ज्ञान वर्धक सिद्ध हो रहे है।

इन्दौर जिले में निवासरत मांग जाति के परिवारों सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचार के निम्न साधनो का प्रयोग किया जाता है।

1. **मेबाइल अथवा टेलीफोन –** मोबाइल फोन आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचार का उच्च स्तरीय साधन है। जो अधिकांशत: परिवारों में उपयोग किया जाता है। इन्दौर जिलें में निवासरत् अधिकांशत: मांग जाति के परिवारों के द्वारा एंडराइड मोबाइल फोन का उपयोग किया जाता है। जो साधारण टेलीफोन की तुलना में आधिक तकनीकी से परिपूर्ण होते हैं। तथा इन मोबाइल फोन के उपयोग से उपयोगकर्ता सतत् रूप से अपने ज्ञान में विकास कर सकते है। इन मोबाइल फोन में आधुनिक एप अथवा एप्लीकेशन्स स्टाल कर व्यक्तित्व ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार तकनीकीसाधनों के उपयोग कर व्यक्तियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक स्वावलंबता बड़ती है।
2. **टेलीविजन –** टीवी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट अविष्कार है। जो कि सूचना एवं संदेशो को प्रसारित करने का सस्ता एवं बहुउपयोगी साधन है। इन्दौर जिले मे निवासरत यमांग जाति के अधिकांशत: परिवारों मे टी.वी. का उपयोग शैक्षणिक ज्ञान वृद्धि, मनोरंजन तथा सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
3. **कम्प्यूटर –** आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कम्प्यूटर सर्वप्रथम पंक्ति में पाया जाने वाला साधन है। जो शिक्षा के स्तर को उत्कृष्ट करने का तथा विभिन्न विषयो पर इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का सस्ता साधन है।भारत देश में निवासरत् अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के लिए अपनी आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति मे पिछड़ेपन के होने के कारण कम्प्यूटर का उपयोग करना एक कठिन कार्य होता था। किन्तु वर्तमान समय में कम्प्यूटर इन वर्गो के छात्र–छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानार्जन का महत्त्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है।

* शोधार्थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

4. रेडियों – रेडियों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब टेलीविजन का अविष्कार नही हुआ था। तब से सूचनाओं को प्रसारित करने का महत्त्वपूर्ण साधन हुआ करता था। किन्तु वर्तमान समय में सूचना एवं संचार के नये-नये साधन आने के कारण रेडियों का उपयोग थोड़ा कम हुआ है। किन्तु आधुनिक नए चैनल प्रसारणकर्ताओं ने रेडियों के कार्यक्रमों को गुणवत्ता अनुसार बनाकर प्रसारित किया है। जिससे इसका उपयोग बड़ने लगा है।

5. इंटरनेट – इंटरनेट आधुनिक प्रौद्योगिकी का अविस्मरणीय अविष्कार है। जो ज्ञान प्राप्ति का विशाल भंडार है। इंटरनेट के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उत्पाद कार्य करते है। वर्तमान समय में अधिकांशत: परिवार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मोबाईल, कम्प्यूटर तथा अन्य साधनों के द्धारा इंटरनेट चला रहे है। तथा सामान्य से विशिष्ट ज्ञानार्जन में इसका उपयोग कर रहे है।

अध्ययन के उद्देश्य–'मांग' अनुसूचित जाति के इन्दौर जिलें में निवासरत् नागरिकों के द्धारा अपने शैक्षणिक विकास में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साधनो की उपयोगिता का अवलोकन करना।

अध्ययन की इकाई–प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत उत्तरों को प्राप्त करनें के लिए इन्दौर जिलें में निवासरत् 'मांग' जाति के 50 परिवारों का चयन याद्दच्छिक पद्धति(Random method)से किया गया है।

प्राथमिक समंक – प्राथमिक समंक को साक्षात्कार के द्धारा प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

द्धितीय समंक – द्धितीय समंको को पुस्तक, पत्र-पत्रिकायें तथा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

साक्षात्कार के द्धारा मांग जाति के 50 परिवारों से सूचना एवं संचार के साधनो की उपयोगिता सम्बंधित प्रति परिवार में उपयोग किये जाने वाले साधनो की जानकारी निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए।

तालिका क्रमांक-01

(50 परिवारो में से)

क्र.	सूचना एवं संचार के साधनों के प्रकार	आवृति	प्रतिशत
1	मोबाइल फोन	46	92
2	टेलीविजन	44	88
3	कम्प्यूटर	2	4
4	रेडियों	12	24
5	इंटरनेट	28	56

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट है कि इन्दौर जिले मे निवासरत् मांग जाति के लोग आधुनिक सूचना एवं प्रैद्योगिकी के युग में अपने सर्वांगीण विकास हेतु इन साधनों का उपयोग करते है। तथा आधुनिकता के इस दौर में अनुसूचित जातियों में विद्यमान मांग अनुसूचित जाति के 56 प्रतिशत परिवार इंटरनेट का उपयोग करते है।

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत 'मांग' जाति के द्धारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साधनों की उपयोगिता का अवलोकन किया गया तथा इन अवलोकन के आधार पर निम्न क्षेत्रों में साधनों का उपयोग करना पाया गया है।

तालिका क्रमांक-02

क्र.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साधनों का उपयोग क्षेत्र	आवृति	प्रतिशत
1	शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में	8	16
2	सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए	22	44
3	मनोरंजन के लिए	19	38
4	आर्थिक आय वृद्धि के लिए	1	2
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट हे, कि इन्दौर जिले में निवासरत् मांग अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साधनो का उपयोग अपनी आय तथा उपयोगिता के आधार पर निम्न क्षेत्रों में करते है।

1. शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में –जिसके अंतर्गत 16 प्रतिशत उत्तरदाता इन साधनों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने, व्यवयासिक पाठ्क्रमों के माध्यम से कम्प्यूटर एवं मोबाइल तथा इंटरनेट द्धारा प्राप्त करते है। तथा वाणिज्यिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र प्रौद्योगिकी के साधन का उपयोग करते है। तथा प्राथमिक स्तर से कम शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे आधुनिक साधनों के माध्यम से कविता,पाठ तथा ज्ञान वर्धक कार्टून देखकर अथवा सुनकर सिखते है।

2. सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए – मांग जाति के 44 प्रतिशत इन्दौर जिले में निवासरत् परिवार इन साधनों का उपयोग सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए करते है। जिसके अन्तर्गत उत्तरदातओं ने मोबाईल फोन के माध्यम से इंटरनेट एवं वाट्सएप्प, फेसबुक तथा अन्य माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े रहना बताया है। जिसके सहायता यह लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानार्जन भी करते है।

3. मनोरंजन के लिए – मांग जाति के 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन साधनो का उपयोग मुख्यत: मनोरंजन के साधनों के रूप में उपयोग करना बताया है। जिसमें उत्तरदाताओं ने मुख्य रूप से टेलीविजन को मनोरंजन का साधन बताया है। जिसके माध्यम से यह जाति के लोग समाचारों को देखते है। तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानार्जन भी करते है।

4. आर्थिक आय वृद्धि में– प्रौद्योगिकी के साधन आय कमाने का महत्त्वपुर्ण अंग भी है। साधारण व्यक्ति इन साधनों की उपयोगिता को आय अर्जन में भी करता है। सामान्यत: लोगो के द्धारा इंटरनेट सेवाओं के माध्यम सायबर संचालित करना तथा फोटो-कापी दुकान संचालित करना तथा इन साधनों की रिपेयर्स आदि कार्य करके आय अर्जन की जाती है। प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत मांग जाति के द्धारा मात्र 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन साधनो का उपयोग आय अर्जन में करना बताया है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता हे, कि आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में समय के साथ-साथव्यक्ति अपने कार्यशैली को और अधिक निखारने के लिए प्रौद्योगिकी के साधनो का उपयोग करता है। तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानार्जन भी करता है। देश में निवासरत् अनुसूचित जाति वर्ग अपने आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति मे रहते हुए भी वर्तमान में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसी प्रकार इन्दौर जिले में निवासरत् मांग जाति समूह भी अपने शैक्षणिक ज्ञान तथा आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है।

प्रत्येक कार्य को करने के कुछ लाभ होते हे तो कुछ हानिया भी होती है।विज्ञान ने हमें प्रौद्योगिकी के साधनो की देन जनहित के कार्यो को करने के लिए दी है। तथा उसी प्रकार जनता को भी इन साधनों के माध्यम से ज्ञान का विस्तार करना चाहिए ताकि समाज का सर्वागीण विकास हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मांडे डॉ. प्रभाकर (2009), मांग आणि त्याचे मागते, गोदावरी प्रकाशन, औरंगाबाद

2. शर्मा डॉ. श्याम गोपाल, शोध प्रणाली तथा सांख्यिकीय तकनीकें, रमेश बुक डिपों, जयपुर
3. शिक्षण व अध्ययन की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी https:hi.vikaspedia.in/education/teacher-corner/technologies-2013-for-improvement-in-teaching-and-learning-process.
4. सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन https://ignited.in/I/a/1500635

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

नेपाल : एक अध्ययन

डॉ. ज्योति मिश्रा *

प्रस्तावना – क्यों न इस बार अनजान लोगों के साथ अनजान राहों पर नेपाल की यात्रा की जाय। राहें अगर सुंदर और अनजान हो तो यात्रा का रोमांच और भी अधिक बढ़ जाता है। फिर सहयात्री के रूप में संपूर्ण भारत वर्ष के अध्यापक मित्र हो तो यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ जायेगा। पेशेवर टूरिज्म को छोड़कर किसी भी यात्रा की फुलप्रूफ प्लानिंग पहले से नहीं की जा सकती क्योंकि यात्रा के दौरान कब कौन सी स्थिति विपरीत हो जाय कहा नहीं जा सकता। इस बार की हमारी यात्रा भारत का निकटतम पड़ोसी एवं विश्व का एकमात्र हिंदू-राष्ट्र नेपाल की होगी। पड़ोसी देश नेपाल के परिदर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा मेरे मन में बचपन से ही थी। इसका ऐसा मोहक नाम क्यों पड़ा इसकी जिज्ञासा भी बराबर मेरे मन में बनी रही और यह जिज्ञासा अब कुछ शांत हुई।'नेपाल' एक सामाजिक शब्द है। 'ने नीति: ताम्पालयति इति नेपाल:'[1] इस व्युत्पत्ति के अनुसार नीति का जहाँ पालन हो, वह नेपाल है। अथवा 'नया (नयेन) पाल्यते य: स: नेपाल:'[2] के अनुसार नीति द्वारा जो पालित या परिलक्षित हो, वह नेपाल है। तिब्बती वाङमय में 'ने' का अर्थ मध्य होता है और 'पा' का देश। अत: नेपाल का अर्थ मध्य देश हुआ। इस प्रकार नेपाल 'नेपा' का सांस्कृतिक रुप है,'ल' केवल एक प्रत्यय है। हिमालय के मध्यदेश में होने के कारण तिब्बती वाङमय में इसका नामकरण नेपाल किया गया। भाषाविदों ने नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अनेक मत दिए हैं। एक मत के अनुसार 'शिव वंश के नेमिनाथ ने नेपाल बसाया और अपने नाम पर उसका नाम नेपाल रखा।'[3]

एक अन्य मत के अनुसार प्राचीन काल में 'ने' नाम के एक महर्षि वाग्वती और विष्णुमती नदी के बीच तपस्या करते थे। उस समय के राजा इनकी ही अज्ञानुसार शासन व्यवस्था करते थे अत: 'ने' मुनि द्वारा पालित इस देश का नाम नेपाल पड़ा। तिब्बती भाषा में 'ने' शब्द का धर और 'पाल' शब्द का अर्थ ऊन होता है। यहाँ ऊन का सामान आदि विशेष रुप से पाए जाने के कारण इस देश को 'ऊन का धर' अर्थात् नेपाल कहने का प्रचलन हुआ। इस देश में पाल अर्थात् ऊन काफी होने के कारण इसे पाल देश कहने का भी प्रचलन हुआ फिर वह पवित्र स्थान जहाँ देवताओं का वास रहता है को 'ने' कहा जाता था। यहाँ स्वयंभू, पशुपति (जिन्हें काशी विश्वनाथ का ही रूप माना जाता है) आदि पवित्र देवताओं का वास होने के कारण भी इस देश का नाम नेपाल पड़ा। सिक्किम तथा नेपाल के पूर्वी भाग के लोग पवित्र गुफाओं तथा देवताओं के तीर्थ स्थानों को 'ने' कहते हैं। भोट प्रदेश के लामाओं की भाषा में 'ने' शब्द का अर्थ पवित्र गुफा और देवताओं का वास स्थान होता है। नेपाल में असंख्य बौद्ध तथा हिंदू मूर्तियाँ पाई जाती है, इसलिए इस प्रदेश का नाम नेपाल पड़ गया। एक अन्य मत के अनुसार वैदिक शब्दकोश में 'नीप' एक शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है 'घाटी के बाशिन्दें' 'नीप' से 'नेपार' बना और आगे चलकर उसी का अपभ्रंश नेपाल हुआ। स्कन्दपुराण के 'हिमवत्-खण्ड' में नेपाल की महिमा 30 अध्यायों में की गई है। जिसका संकलन पं. मुरलीधर झा ने 'स्कन्दपुराणन्तर्गतनेपालमाहात्म्यम्'[4] के नाम से मुद्रित करवाया है।

एक बार जब चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित थे तब देव सभा से बहिष्कृत होकर महादेव के शरणगत हुए तब महादेव ने उन्हें 'पीठानां परमं पीठं क्षेत्राणां क्षेत्रमुक्तमम्'[5] कहकर नेपाल का परिचय दिया और वहाँ आकर भक्ति पूर्वक तपस्या करने को कहा वहीं मनोहरा और वाग्वती नदियों के संगम पर तपस्या करते हुए चंद्रमा रोगमुक्त होकर द्विजराज हुए। स्पष्ट है कि पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में त्रिशूलगंगा, उत्तर में शिव पूरी कैलास और दक्षिण में शीतलोदका नदी द्वारा जिस क्षेत्र की सीमा निर्धारित होती है उसे स्कन्दपुराण के समय से ही 'नेपाल' की संज्ञा प्राप्त हो चुकी थी। नागाधिराज हिमालय की ढाल पर यह स्वतंत्र राज्य,सम्पति पूर्व से पश्चिम 500 मीलों में फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण इसका अधिकतम विस्तार 110 मील है। इसका कुल क्षेत्रफल 55,670 वर्ग मील है। इसकी दक्षिणी सीमा भारत के उत्तर प्रदेश तथा बिहार इन दोनों राज्यों से जुड़ी है। इसकी उत्तर में तिब्बत और पूर्व में सिक्किम एक छोटा राज्य है, जो सिंहलेला श्रेणी द्वारा नेपाल से अलग है। स्कन्दपुराण के हिमवत् खंड में इसकी जो महिमा गई है, उससे पता चलता है कि यह क्षेत्र पहले 'श्लेष्मान्तक वन' के नाम से प्रसिद्ध था। स्कन्दपुराण में नेपाल के महात्म्य का जो उल्लेख हुआ है, उस में कई स्थलों पर इस क्षेत्र के पुण्य-प्रताप की महिमा गाई है- जैसे 'नेपालं च महाक्षेत्रं भुक्तिमुक्तिफल प्रदम'[6] (भोग और मुक्ति, दोनों फलों को देने वाला नेपाल सचमुच महाक्षेत्र है।) 'धर्मभूमिरियं ख्याता सदा धर्मविवर्द्धिनी'[7](इस क्षेत्र को धर्म भूमि की ख्याति दी गई थी, जहाँ सतत् धर्म की वृद्धि होती थी) 'सिद्धि भूमिस्तु सा प्रोक्ता तत्र पापं न विद्यते'[8] (इसे सिद्ध भूमि कहा जाता था, जहाँ पाप लेश मात्र भी नहीं था)'नेपाल परमे क्षेत्रे देवानामपि दुर्लभे'[9] (स्वयं देवताओं के लिए भी यह परम दुर्लभ भूमि क्षेत्र माना जाता था)

नेपाल की अपनी इन्हीं विशिष्टताओं और पौराणिक महत्ता के अनुरुप ही इसका राष्ट्र ध्वज भी अनोखा है ।यहाँ के राष्ट्र ध्वज में चंद्रमा और सूर्य दोनों के चिन्ह साथ ही अंकित है। चंद्रचिन्ह ध्वज के ऊर्ध्वभाग में है और सूर्य चिह्न अधोभाग में है। वैदिक प्रतीक विधा के अनुसार चंद्रमा ब्रह्मतत्व का प्रतीक है और सूर्य क्षत्रतत्व का प्रतीक है। क्षत्रतत्व अर्थात् ओजतत्व का, समभवत: इसी कारण चंद्र चिन्ह से ऊपर अंकित किया गया है। यह राष्ट्रध्वज इस बात को दर्शाता है कि यहाँ योगीद्रों और राजेंद्रों का बराबर मणिकांचन सहयोग रहा है इस प्रकार यह राष्ट्र ध्वज सहअस्तित्व का भी प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसे चंद्रवंशियों और सूर्यवशियों की एकता और प्रेम

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, संबलपुर (ओडिशा) भारत

का प्रतीक भी माना जा सकता है।'योग साधना की दृष्टि से इस राष्ट्र ध्वज का अर्थगौरव और भी प्रकृष्ट प्रतीत होता है। योग परंपरा के अनुसार, चंद्र इड़ा नाड़ी का प्रतीक है और सूर्य पिंगला का। प्राणायाम प्रक्रिया में इन दोनों नाड़ियों द्वारा श्वास-क्रिया के नियंत्रण से सुषुम्ना के खुल जाने पर परब्रम्ह परमेश्वर से साक्षात्कार हो जाता है।'[10]

नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं तथा भारतीयों से हिंदी में बात करते हैं लेकिन जब वे लोग परस्पर अपनी भाषा नेपाली में बातचीत कर रहे होते हैं तब हम लोग उन भाषा समझ नहीं पाते। नेपाल की संस्कृति समृद्ध और अनन्य है। इसकी सांस्कृतिक विरासत शताब्दियों से क्रमश: विकसित हुई है। नेपाल की संस्कृति पर भारतीय तिब्बती और मंगोली सांस्कृतियों का प्रभाव है। संस्कृति को संपूर्ण समाज के लिए जीवन रेखा के समान है। यह बयान नेपाल के मामले में विशेष रुप से सच है। जहाँ जीवन, भोजन, कपड़े और यहाँ तक कि पर्यटन और व्यवसाय के हर पहलू सांस्कृतिक दिशा निर्देशत है। नेपाल की संस्कृति में शिष्टाचार, पोशाक, भाषा अनुष्ठान, व्यवहारिक नियम शामिल है। नेपाल में सांस्कृतिक संगीत वास्तु-कला, धर्म और सांस्कृतिक समूहों के साथ सामुध है। नेपाली पोशाक दौरा-सुरुवाल जिसे आमतौर पर 'लाबड़ा सुरुवाल' कहा जाता है जिसमें कई धार्मिक विश्वास जुड़े हुए हैं जो अपनी डिजाइनों की पहचान रखते हैं। महिलाओं के लिए नेपाली पोशाक एक कपास साड़ी है (गुनु) जो फैशन की दुनिया में काफी लोकप्रिय हो रही है। नेपाल के मुख्य अनुष्ठानों का नामकरण समारोह, चावल भोजन का समारोह, मंडल का समारोह, विवाह और अंतिम संस्कार है। ये अनुष्ठान अभी भी समाज में प्रचलित है और उत्साह से इनका पालन किया जाता है। कहा जाता है कि इस देश में नृत्य भगवान शिव के निवास हिमालय से प्रकट हुआ है। इससे पता चलता है कि नेपाल की नृत्य परंपरा अद्वित्तीय है। नेपाल में त्योहार और उत्सव देश के संस्कृति का पर्याय है। अधिकांश नेपाली त्यौहार विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवताओं से संबंधित है। बुद्धजयंती, गाड़ी-यात्रा, झानई-पूर्णिमा, तीज आदि त्यौहार भी मनाए जाते हैं। नेपाली लोग सबसे मेहमान नवाज मेजबानों में से एक हैं और यही कारण है कि पर्यटकों को नेपाल में बार-बार आना चाहते हैं। स्थानीय नेपाली आम तौर पर ग्रामीण लोग है जो चाय-कॉफी या रात में खाने के लिए अपने घरों में पर्यटकों का स्वागत करते हैं। नेपाली सांस्कृतिक रूप से गर्म, मेहमान नवाज और स्नेही प्रेमी मेजबान होते हैं।

आधिकारिक रूप से संधीय लोकतान्त्रिक गणराज्य नेपाल भारतीय उपमाद्विप में स्थित एक दक्षिण एशियाई स्थलरुद्ध हिमालयी राष्ट्र है। प्रतिशत के आधार पर नेपाल विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावल्बी राष्ट्र है। एक छोटे से क्षेत्र में नेपाल की भौगोलिक विविधता बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ तराई के उष्ण फाँट से लेकर ठंडे हिमालय की श्रृंखलाएँ अवस्थित है। संसार की सबसे ऊँची 15 हिम श्रृंखलाओं में से आठ नेपाल में है। जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट भी एक है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ा नगर काठमांडू नेपाल की राजधानी है। काठमांडू उपत्यका ने अंदर ललीतपुर (पाटन), भक्तपुर, मध्यपुर और कीर्तिपुर नगर भी है। अन्य प्रमुख नगरों में पोखरा, विराट नगर, धरान, भरतपुर, वीरगंज, महेंद्रनगर, बुटवल, हेटौड़ा, भैरहवा, जनकपुर, नेपालगंज, वींरेंद्र नगर, त्रिभुवन नगर आदि है। यहाँ 20000 फिट तक की ऊँचाई वाली 240 चोटियाँ है, हिमालय की गोद में बसा नेपाल अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए तो जाना ही जाता है साथ ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यह पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। नेपाल पर्यटन के लिए पर्वतारोही कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाल सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। यह कृषि प्रधान देश है। धान और मक्का यहाँ की मुख्य फसल होने के बावजूद यह भी सच है कि नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है।

नेपाल में सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन है। जो उसकी विदेशी मुद्रा एवं आय का सबसे बड़ा स्त्रोत है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वतों में से 8 नेपाल में होने के कारण पर्वतारोहियों एवं रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए नेपाल सदैव से एक आकर्षणीय देश रहा है। नेपाल की हिंदू और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा वहाँ का ठंडा मौसम भी एक सशक्त आकर्षण का कारण है।

नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल

प्रमुख गतिविधियाँ

1.पर्वतारोहण- विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट शिखर सहिता 8000 मीटर से ऊंची आठ चोटीयों वाली 800 कि.मी तक फैली नेपाल की हिमालय श्रंखला विश्व में सबसे बड़ी है। 1994 में नेपाल की सरकार ने हिमालय की इन चोटियों को पर्वतारोहियों के लिए जब से खोला है नेपाल संपूर्ण विश्व के हिमालय पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इनके अलावा साहसी, जिज्ञासु, शोधकर्ता, दार्शनिक साधु संत सभी के लिए नेपाल हिमालय आकर्षण रहा है।

2. पदयात्रा- नेपाल के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक संपदा का माध्यम उनके बीच, उनके साथ पैदल चलना है। बुरुंश के जंगलों में पैदल चलते, अलग-अलग बस्तियाँ, छोटे-छोटे पहाड़ी गाँव, पशु-पक्षी, मठ-मंदिर, लुमावने-मन को आकर्षित करने वाले प्राकृतिक परिदृश्य, विविध संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत करते परंपरागत ग्रामीण जीवन इन सबका एक सुखद अनुभव पैदल यात्रा से ही संभव है।

3. पक्षी अवलोकन- विश्व की पक्षियों की कुल प्रजातियों का लगभग 8: अर्थात् 646 से भी अधिक प्रजातियाँ नेपाल में पाई जाती हैं और उनमें से लगभग 500 प्रजातियाँ तो अकेले काठमांडू घाटी में पाई जाती है। फूलचौकी, गोदावरी, नागार्जुन बागमती नदियाँ राष्ट्रीय पार्क, और श्रवण संरक्षण क्षेत्रों सहित तौदाहा आदि काठमांडू के सर्वाधिक लोकप्रिय पक्षी अवलोकन स्थल है।

4. पर्वतीय उड़ान- पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट शिखर कंचनजंधा और तिब्बत के पठार का निकटतम स्वर्गीय सुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्वतीय उड़ान सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पर्वतीय उड़ाने सभी वर्ग के यात्रियों को पसंद आती है। जो समयाभाव या अन्य कारणों से पैदल यात्रा करने में असमर्थ होते हैं उनके लिए ये उड़ाने मात्र एक घंटे में संपूर्ण हिमालय का मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है।

5. चट्टानरोहण- चट्टानारोहण काठमांडू का एक लोकप्रिय खेल बन गया है। यहाँ पत्थरों के दीवारों की एक ऐसी श्रंखला है जो चट्टानों पर चढ़ने आए लोगों के लिए कभी ना भूलने वाला एक सुखद अनुभव होता है। नागार्जुन,बालजूक,शिवपूरी और बूढ़ानील कांठा कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर्यटक हस खेल का आजमा सकते है।

6. राफ्टिंग/कयाकिंग/कैन्योनिंग- देश की प्राकृतिकत एवं जातीय-सांस्कृतिक विरासत के सामान्य भागों की खोज के लिए राफ्टिंग सर्वश्रेष्ठ तरीका है। नेपाल में फिर त्रिसूली नदी, काली गंडकी, भोट कोशी, करनाली नदी, सुन कोशी आदि लंबी, बड़ी और चुनौतीपूर्ण नदियाँ है। सरकारी

अधिकृत एजेंसियों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ नदी सहायकों की देख रेख में राफ्टिंग का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ एजेसिंयाँ जीवन रक्षक जैकेट, तंबू लगाने तथा विश्व स्तरीय राफ्टिंग के लिए आवश्यक मानक सामग्री उपलब्ध कराती है। यूरोप का एक बेहद लोकप्रिय खेल कैनोनिंग अब नेपाल में भी उपलब्ध है। कैनोनिंग दुनिया की सर्वाधिक सुंदर किंतु अभी तक वर्जित स्थानों में से कुछ की खोज करने की स्वतंत्रता देता है।

7. गर्म हवा के गुब्बारे– गर्म हवा के गुब्बारे की सैर पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे पर्यटकों को विशाल हिमालय पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में काठमांडू घाटी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। इस हिमालयी क्षेत्र को 600 मीटर ऊपर से देखने का दृश्य विस्मयकारी, रोमांचकारी और शानदार होता है।

8. बंजी कूद– विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों जहाँ यह खेल खेला जाता है उनमें से एक स्थल नेपाल है। नेपाल का पहला बंजीकूद स्थल 160 मी. पर स्थित है। भोट कोशी नदी पर इस अद्‌भुत स्थान का परिवेश पर्यटकों को उल्लास और उत्तोजना का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। 160 मी. से कूद के लिए कर्मचारियों की तैनाती और इसका संचालन इस व्यवसाय के सर्वाधिक अनुभवी कूद प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है।

9. पैराग्लाइडिंग– पृथ्वी के सबसे अच्छे दृश्यों को ऊपर से दिखने का सबसे अच्छा अनुभव पैराग्लाइडिंग के माध्यम से हो सकता है। क्येंकि नागाधिराज, राजाधिराज हिमालय के शानदार दृश्यों के साथ पर्यटक वायुमंडल को भी साझा करेंगे। इसके साथ ही हिमालयी ग्रिफिन, गिद्धों, गरुड़ों और चेलों के साथ गांवों, मठों, मंदिरों, झीलों जंगलों को ऊपर से देखने का एक अद्‌भुत और संतोषप्रद अनुभव हो सकता है।

10. अल्ट्रालाइट– जीवन को एक दृष्टिकोण से दिखने का एक आदर्श तरीका अल्ट्रालाइट विमान है। ये उड़ाने सितंबर से शुरु होकर जून तक पोखरा हवाईअडडे से होती है। इन महीनों में ये उड़ाने सूर्योदय से प्रात: 11रू00 बजे तक तथा सांय 3रू00 बजे से सूर्यास्त तक रोजाना होती है।

11. पहाड़ी साइकिल सवारी– काठमांडू धाटी की खोज का सबसे अच्छा तरीका पहाड़ी साइकिल पर घूमना है। नेपाल में और शहर के आसपास साइकिल किराए पर लेने की दुकानों पर एक दिन या अधिक समय के लिए पहाड़ी साइकिले किराए पर मिल जाती है।

12. जंगल सफारी– नेपाल में विशेष रुप से तराई क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी और आकर्षित करते हैं। इन पार्कों की यात्रा में जानवरों के विविध प्रकार के पदचिन्हों, कनू के गड्ढों, जीव और हाथी की पीठ पर लुका छिपी खेलना आदि है। राइनों, जंगली सूअर, सांभर, स्लॉथ भालू, चितकाबरा हिरण, चिकारा आम तौर पर दिखाई दे जाते हैं। एक बंगाल टाइगर अपनी शानदार राजसी उपस्थिति से पर्यटकों को अपनी और आकर्षित साथ ही आश्चर्यचकित भी करता है।

धार्मिक स्थल

काठमांडू– समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर वाग्वती अंचल में स्थित काठमांडू नेपाल की राजधानी एवं सबसे बड़ा महानगर है। काठमांडू शब्द संस्कृत शब्द काष्ठमंडप का अपभ्रंश है। काष्ठमंडप इस नगर के मध्य में स्थित एक गोरखनाथ जी का मंदिर और प्राचीन समय में यात्रियों का विश्राम स्थल है। यह भवन एक ही वृक्ष का काठ प्रयोजन करके बनाया गया था। इस नगर के वैभवशाली भवन के नाम से इस नगर का नामकरण किया गया। इस नगर के वैभव और कांति को देखते हुए मध्यकाल में इसका एक नाम कांतिपुर भी था। इस नगर का नेपाल भाषा का नाम 'यें' है। यह नाम प्राचीन नेपाल भाषा का ञेय का अपभ्रंश है। इस नाम की उत्पत्ति किरातकाल में हुई है। 'इस नगर से आठ नदी बहती है। यहाँ का मौसम टेंपरेट है यहाँ चार ऋतु होते है, यहाँ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ का वार्षिक वर्षा 1,407 मि.मी है। जिन में से अधिकतर जून से अगस्त तक होता है।'[11] इस नगर के तीन प्रमुख जातियाँ नेवार, खस ब्राह्मण और खस क्षेत्रीय हैं। इस नगर की प्रमुख भाषा नेपाली व नेपाल भाषा है तथा प्रमुख धर्म हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म है। '2001 की जनगणना के अनुसार काठमांडू महानगर में 235,387 घर है।'[12] तथा 'यहाँ की जनसंख्या 7,081,845 है।'[13] व्यापार इस नगर का प्रमुख हिस्सा है साथ ही नगर के अर्थतंत्र में पर्यटन का बड़ा प्रभाव है। इस नगर के ज्यादातर प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्मारक उत्तर विभाग में ही अवस्थित है। काठमांडू में स्थित अन्य स्मारक इस प्रकार है।

1.हनुमान ढोका दरबार– देगूताले मंदिर और तालेतू मंदिर के बीच एक खुली जगह है जिसे हनुमान ढोका कहा जाता है। इसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखा गया था। जिसे महल मल्ल राजा अपना इष्टदेव मानते थे। सन् 1672 में प्रताप मल्ल के शासक काल के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा द्वार के सामने लगाई गई थी ताकि बुरी आत्माएँ और बीमारियाँ प्रवेश न कर सकें। शताब्दियों बाद भी यह प्रतिभा अपने रुप का प्रभाव कायम रखे हुए हैं।

2.पशुपतिनाथ मंदिर– यूनोस्को द्वारा विश्व संस्कृति विराझत में सम्मिलित काठमांडू से 3 कि.मि उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के तट पर देवपाटन नामक प्राचीन स्थान पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे वाराणसी का छोटा रूप कहा जा सकता है। बाहर ज्योर्तिलिंगों में शामिल ना होने के बावजूद पशुपतिनाथ के दर्शन को शुभ माना जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार परब्रम्ह परमेश्वर का एक साकार रुप 'शिरोमध्य में एक मात्र सिंह वाला मृग' माना जाता है। मृग पवित्रता का परिचायक है और आकाश की और इंगित करने वाला उसका सींग सत्य के तेज का प्रतीक है। श्लेषमान्तक वन के सौंदर्य को देखकर भगवान शंकर जगन्माता पार्वती के साथ अपने गणों से अलक्षित हो मृग रुप में विचरण करते हुए सो गए। देवगण भगवान शंकर को खोजते हुए वहाँ आए तथा यहाँ एक सिंह वाले उस स्वर्ण मृग को शिव स्वरूप देखा जैसे ही भगवान विष्णु ने सींग को पकड़ा तो मृग रुपी महेश्वर जोर से उछले और इस क्रम में उनके सिंह के चार टुकडे हो गए और वही गंगोपम वग्मती में मनोहर तीर पर महारुद्र चतुर्मुख शिवलिंग के रूप में उद्‌भूत हुए जो पशुपति के नाम से विख्यात हुए।

भगवान शिव ने यह घोषणा कीरू

'स्थितो हं पशुरुपेण श्लेष्मान्तकवन् यत:।

अत: पशुपतिलोके मम नाम भविष्यति।।'[14]

(चूंकि मैं पशुरूप में श्लेष्मान्तक वन में रहा, इसलिए इस लोक में मेरा नाम पशुपति होगा)

पशुपति शब्द में पशु प्राणी मात्र का बोधक है। इस दृष्टि से पशुपति सर्वेश हैं। वेदों, उपनिषद और पुराणों में प्राणी मात्र को पशु की संज्ञा दी गई है। इस तरह पशुपति जगदीश हुए। पशुपति नाथ का दक्षिण मुख अघोरमुख, पूर्वीमुख तत्पुरुष, उत्तरमुख अर्द्धनारीईश्वर, पश्चिमी मुख सद्योजात तथा लिंग का अपरी भाग (इंसानमुख) निराकार मुख है। मंदिर प्रात: 4:00 बजे से रात्रि 9: 00 बजे तक खुला रहता है।

264 हेक्टेयर के पशुपतिनाथ मंदिर के क्षेत्र में 518 मंदिर व स्मारक बताए जाते हैं। मंदिर के अंतरिम प्रांगण में वासुकिनाथ उन्मत भैरव,

सूर्यनारायण, कीर्तिमुख भैरव, बूढ़ा नीलकंठ, हनुमान जी, सत्यनारायण, लाल गणेश, चांगुनारायण, माता सरस्वती, संन्तानेश्वर महादेव, शीतला माता, नवदुर्गा, नवगृह हनुमान जी आदि के साथ 184 लिंग स्थापित है तथा वाह्य प्रांगण में राम मंदिर, विराट स्वरुप मंदिर, तथा माता गुह्यश्वरी के साथ विभिन्न शिललिंगों के भी दर्शन होते हैं।'नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भारत के कर्नाटक राज्य के भट्ट ब्राम्हण द्वारा ही पूजा करने की परंपरा है।'[15]

3. वासुकीनाथ मन्दिर– नेपाली पैगोडा शैली में निर्मित पशुपति नाथ के भीतरी प्रांगण में स्थित नागों के देवता बासुकीनाथ का मंदिर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के गर्भ गृह में लगभग दो फीट ऊंची काले पत्थर की पद्मासन में वासुकीनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिस पर शेषनाग का फन फैला है। इस मंदिर की छत्तों को आधार देने के लिए लगाए गए काष्ठ स्तम्भों में नागों की अनेक मूर्तियां उकेरी गई हैं तथा उन्हीं के नीचे की ओर कामरत स्त्री–पुरुषों की अनेक मुद्राओं का चित्रांकन इस मंदिर की अपनी विशेषता है। यहां अनेक छोटे मंदिर है जहाँ शिवलिंग स्थापित है।

4. सूर्य नारायण मंदिर– लाल गणेश के पृष्ठ भाग में सूर्य नारायण का मंदिर है जिसका द्वार पश्चिम में है। मंदिर के अंदर रथ पर विराजित भगवान सूर्य नारायण की आकर्षक मूर्ति है। मंदिर हमेशा बंद रहने के कारण दरवाजों की जालियों से सूर्यनारायण के दर्शन किए जा सकते हैं।

5. उन्मत्ता भैरव मंदिर– पशुपतिनाथ मंदिर के दक्षिण की ओर उन्मत भैरव का मंदिर है। जिसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर है। मंदिर के गर्भ गृह में दस भुजाओं वाली भैरव की मूर्ति है। 10 भुजाओं में से छह भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं तथा दो हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। निचले हाथों में से एक हाथ में रक्त पात्र तथा दूसरा हाथ रक्त पान करते हुए दिखाया गया है। गले में मुंडमाला तथा कमर में बाधम्बर है। मूर्ति के दाहिने पैर से दक्ष प्रजापति को कुचलते हुए दिखाया गया है।

6. चौसठ्ठी मंदिर– पशुपति नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार से बाहर आने पर पांचसौ से अधिक शिवलिंगों की पंक्तियों के महय वक्रपथ है जिसमें भक्त गण दायें रास्ते प्रवेश करके दर्शन करते हुए बायीं ओर से बाहर निकलते हैं। इस परिक्रमा प्रांगण के मध्य में पागोडा शैली का एक गोलाकर तीन मंजिल का शिवलिंग मय मंदिर है। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में श्रीकृष्ण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव, संन्तानेश्वर, मृगेश्वर, ब्राह्मण नाल, विरूपाक्ष आदि मंदिर भी दर्शनीय हैं।

7. गुह्योश्वरी मंदिर– इक्यावन शक्तिपीठों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर गुह्यश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे वाग्वती की दूसरी ओर है। मंदिर के दो प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के आंगन में के मध्य में सोने व चांदी की थाली जैसी एक पीठिका है, जिसमें एक ओर चांदी का छोटा सा कलश है। यही कूलश गुह्योश्वरी परमेश्वरी का प्रतीक है। कलश के नीचे एक छोटा सा कुंड है। पुजारी कलश को हटाकर कुंड के भी दर्शन कराते हैं। यही सती का गुह्य है।

8. गोरखनाथ मंदिर– इस मंदिर का निर्माण 14 वी शताब्दी में राजा जयसिंह मल्ल के शासन काल में हुआ था। गुह्योश्वरी देवी की सीढ़ियां उतरने से पूर्व बायीं ओर शिखर शैली का गोरखनाथ मंदिर है। मंदिर के सामने पित्ताल का एक बड़ा त्रिशूल तथा नन्दी की मूर्ति है। मंदिर के गर्भ गृह में एक छोटा सा शिवलिंग है तथा पीछे नाथ संप्रदाय का मठ और धूनी है।

9. बौद्ध नाथ– काठमांडू से किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित बौद्ध नाथ विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किए जाने से इसका महत्तव और भी अधिक बढ़ गया है। बौद्ध प्रतीकों से समृद्ध यह तिब्बती संस्कृति का एक केंद्र है। इसे चौत्य भी कहा जाता है। इस स्तूप के बारे में मान्यता है कि जब यह निर्माणधीन था तब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था इसलिए पानी के न मिलने के कारण ओंस की बूंदे से इसका निर्माण किया गया था। चावहिल बाजार के समीय 36 मीटर ऊँचा विशाल सफेद गुम्बद का गोल बौद्ध स्तूप कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है।

10. बूढा नीलकण्ठ मन्दिर– बूढ़ा नीलकंठ मंदिर शेष शायी भगवान विष्णु का मंदिर है। जो काठमांडू से लगभग साथ मील अत्तार की ओर शिवपुरी की पहाड़ी के अंचल में पत्थर से बंधे एक चौकर तालाव में जलाशायी बूढ़े नीलकंठ की विशाल मूर्ति शयन मुद्रा में पड़ी है। मूर्ति अत्यन्त ही भव्य और लावण्यपूर्ण है। इसकी बनावट शैली स्पष्टतः गुप्तकालीन है। यह काले रंग के बेसाल्ट पत्थर की बनी है। यहा नेपाल की सबसे बड़ी पाषाण कलाकृति मानी जाती है। भगवान विष्णु के मस्तक पर शेष फणों की छाया है, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, परम सुशोभित है। मूर्ति अजानुबाहू है और उसका कटि प्रदेश क्षीण है। पत्थर से बंधे चौकोर तालाब के अंदर शयन मुद्रा में शेष शैया पर पड़ी पूरे कद की इस जलाशयी मूर्ति की एक अनोखी विशेषता यह है कि यह देखने से दोरुखी मूर्ति स्पष्ट नजर आती है, एक तो सधो गोचर मूर्ति और दूसरी तालाब के जल में उसकी प्रतिच्छाया है। चूंकि नेपाल के महाराजा इस देश के सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में स्थित है और हिंदूओं तथा बौद्धों द्वारा समान रूप से समपूजित है अतः हिंदुओं के लिए वे पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं इसलिए बूढ़ा नीलकंठ का दर्शन महाराजा के लिए कोई तथ्य नहीं रखता 'जाग्रत नेपाल' के लेखक डॉ. श्री रघुनाथ सिंह के अनुसार 'राजा प्रताप मल्ल ने यह परंपरा स्थापित की कि बूढ़ा नीलकंठ का दर्शन कोई राजा नहीं कर सकता, क्योंकि राजा स्वयं विष्णु का अंश है'[16] मंदिर परिसर में एक अन्य नेपाली पैगोडा शैली का छोटा मंदिर है तथा एक कोने में सीताराम जी का मंदिर है। जिसमें कीर्तन चलता रहता है।

11.स्वयंभूनाथ मंदिर– यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल स्वयंभू विश्व के सबसे बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसका संबंध काठमांडू–घाटी के निर्माण से जोड़ा जाता है। काठमांडू से तीन किलोमीटर पश्चिम में घाटी से 77मी. की ऊँचाई पर स्थित यह स्वयंभू मंदिर। इसके चारों ओर बनी आँखों के बारे में कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध की है जो चारों दिशाओं को देख रही है।

12. काठमांडू दरबार स्कायर– दरबार मार्ग का निर्माण राणा वंश के शासन काल में हुए नगर विस्तार के दौरान किया गया था। यहां काठमांडू पर्यटन का मुख्य केन्द्र है। यहां सैकड़ों साल पुराने महल, मंदिर ,राज दरबार, उद्यान आदि तत्कालीन स्थापत्य भवन निर्माण शैलियों, वास्तुकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, काष्ठ कला, चित्रांकन आदि के साथ प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को जानने समझने की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। साथ ही ऐसे विशिष्ट स्थल को यूनेस्कों द्वारा विश्व धरोहर में संरक्षित किए जाने से यह स्थान पर्यटक स्थल का रूप धारण कर चुका है। यहां पर महंगे होटल, रेस्टोरेंट आदि भी है। इस स्थान को देखकर यहां के इतिहास को सरलता से समझा जा सकता है।

13. राम मंदिर– पशुपति नाथ के पूर्वी भाग में वाग्वती के पार राजा जयस्थिति मल्ल द्वारा बनवाया गया प्राचीन ऐतिहासिक राम मंदिर है जिसके परिसम में और भी आनेक राम मंदिर है। मुख्य मंदिर के गर्भ गृह में काले पत्थर की राम की भव्य मूर्ति के साथ लव–कुश की मूर्तियाँ भी स्थापित है।

14. वत्सला देवी मंदिर– पशुपति नाथ के दक्षिण–पूर्व में वाग्वती नदी के पश्चिमी किनारे पर पुल के निकट 17वी शताब्दी में पैगोड़ा शैली में निर्मित वात्सला देवी का दो मंजिला मंदिर है। जिसके गर्भ गृह में मूर्ति न होकर एक मण्डप है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती यहाँ अदृशय रुप में निवास करती हैं।

15. राज राजेश्वरी मंदिर– पशुपति नाथ मंदिर के दक्षिण की ओर वाग्वती नदी के पश्चिमी तट पर यह मंदिर स्थित है जिसमें नवदुर्गा की पूर्णकद सुंदर मूर्तियाँ है।

16. भुवनेश्वरी मंदिर– सातवीं शताब्दी में लिच्छबी राजा शिव देव द्वारा परंपरागत पैगोडा शैली में निर्मित दो मंजिला कलात्मक यह मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के निकट यह मंदिर स्थित है। यहाँ देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है।

17. बनकाली मंदिर– माँ भुवनेश्वरी से दक्षिण की ओर थोड़ा आगे जाकर बायीं ओर सीढ़ियाँ उतरने पर धर्मशाला के सामने काली माता का मंदिर स्थित है।

18. जयवागेश्वरी मंदिर– इस मंदिर का निर्माण राजा नृपेंद्र मल्ल द्वारा वि.स. 1674 से 1680 के बीच किया गया। नवाली टोला नामक स्थान में पागोड़ा में निर्मित दो मंजिला वागेश्वरी (सरस्वती देवी) का एक सुंदर कलात्मक मंदिर है। जिसके गर्भ गृह में चक्र, खड्ग, ज्वाला एवं सिंदूर पात्र लिए माता वागेश्वरी तथा उसके बगल में गणेश जी की मूर्ति स्थापित है।

19. राष्ट्रीय संग्रहालय– 1928 में स्थापित स्वयंभू नाथ की पहाड़ियों में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय काठमांडू के लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस संग्रहालय में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा भेंट की गई तलवार तथा अन्य ऐतिइतिहास वस्तुओं के साथ नेपाल की जैव विविधताओं को भी विभिन्न रुपों में प्रदर्शित किया गया है।

20. सूर्य विनायक मंदिर– काठमांडू से 16 कि.मी की दूरी पर भक्तपुर के दक्षिण की ओर अरनिको राजमार्ग से थोड़ी दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर सूर्य विनायक का प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। गर्भ गृह में गणेश जी की भव्य सिंदूरी प्रतिमा प्रतिष्ठापित है।

21. डोलेश्वर महादेव मंदिर– डोलेश्वर महामंदिर काठमांडू से 21 कि.मी दूर भक्तपुर जिला के दक्षिण पूर्व जंगल में स्थित है। विविध अनुसंधानों के आधार पर डोलेश्वर महादेव को ही केदारनाथ का भाग माना गया है। डोलेश्वर का प्राकृतिक शिलरूप शिवलिंग केदारनाथ सादृश्य है। 2009 को केदारनाथ के मुख्य पुजारी जगद्गुरु भीमशंकर लिंग शिवाचार्य द्वारा डोलेश्वर महादेव को केदारनाथ का भाग घोषित किया गया। यही कारण है कि 2013 में केदारनाथ की भीषण तबाही के बाद केदारनाथ की नियमित पूजा डोलेश्वर में आयोजित की गई थी।

22. पाटन दरबार स्क्वायर– यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सम्मिलित यह काठमांडू घाटी के तीन प्रमुख राज्यों में सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। इसका प्रमुख आकर्षण ललितपुर के शाही महल है जिसमें मल्लराजा निवास करते थे। यह तत्कालीन प्राचीन नेवार कला के लिए प्रसिद्ध है। यहां के कई मंदिरों और मूर्तियों का संस्कृति और कला की दृष्टि से अपना विशेष महत्व है।

23. कृष्ण मंदिर– कृष्ण मंदिर पाटन दरबार स्क्वायर का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर से जो कि शिखर शैली की स्थानीय विविधता में निर्मित है, जिसे ग्रंथाकुता कहा जाता है। मंदिर में 21 स्वर्ण शिखर है। पहली मंजिल पर राधा और रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का मुख्य मंदिर है। दूसरी मंजिल भगवान शिव को तथा तीसरे लोकेश्वर को समर्पित है। मंदिर के प्रथम मंजिल के स्तंभों पर महाभारत तथा दूसरी मंजिल के स्तंभों पर रामायम के सुंदर दृश्यों का चित्रांकन है। कृष्ण मंदिर के अलावा भीम सेन मंदिर, विश्व नाथ मंदिर तथा तनेजा भवानी का मंदिर प्रमुख है।

24. भक्तपुर दरबार क्षेत्र– काठमांडू उपत्याका के तीन प्रसिद्ध नगरों में से एक भक्तपुर दरबार काठमांडू से 14 कि.मी दूर पूर्व में 46000 फिट की ऊंचाई पर स्थित है। यह नगर मिट्टी के बर्तन कथा कलात्मक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्कों द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलीत भक्तपुर का दरबार क्षेत्र अपने प्राचीन कलात्मक मठ, मंदिर, मूर्तियों तथा शाही महल के कारण नेपाल का एक विशिष्ट पर्यटक स्थल है।

25. न्यात पोल मंदिर– राजा भूपतीन्द्र मल्ल द्वारा 1702 ई. में बनवाया गया परम्परागत नेपाली पैगोडा शैली का 30 मी. ऊँचा पांच मंजिला सिद्ध लक्ष्मी जी का मंदिर है। इस मंदिर का नामकारण मंदिर के वास्तु के आधार पर है। यह मंदिर जन सामान्य के लिए वर्ष में एक बार खोला जाता है। मंदिर तत्कालीन स्थापत्य कला एवं कलात्मकता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

26. दत्तात्रेय मंदिर– सन् 1427 ई. में राजा यक्षमाल द्वारा बनावाया एक कलात्मक मंदिर है।भगवान दत्तात्रेय को ब्रम्हा, विष्णु, और महेश का एकात्मक रूप माना गया है। यह सम्पूर्ण मंदिर एक ही पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है।

इनके अलावा भक्तपुर दरबार में अन्य मंदिर जैसे रामेश्वर मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर भी अपनी कलात्मक एवं संस्कृतिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। काठमांडू घाटी के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल दक्षिण काली मंदिर, चांगु नारायण मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, बज्रवाराही मंदिर, कैलाश महादेव मंदिर भी विशिष्ठ पर्यटन स्थल है।

27. जनकपुर– जनकपुर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 225 कि.मी सोनौली बार्डर से 357 कि.मी रक्सौल बार्डर से 168 कि.मी तथा बिहार के सीतामढ़ी के समीप भिट्ठ मोड़ बार्डर से केवल 22 कि.मी की दूरी पर है। धनुषा जनपद का जनपुर राजर्षि जनक की पावन नगरी, जगत जननी,जानकी की पावन नगरी, प्राचीन मिथिला राज्य की राजधानी के रुप में यह प्रसिद्ध नगर अपने धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्तव के कारण नेपाल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से है।' वृहद्विष्णुपुराणोक्त मिथिला महात्म्य में इसके निम्न लिखित 12 नाम आए हैं– मिथिला, तिरहुति, विदेह निमि–कानन, ज्ञान क्षेत्र, कृपापीठ, स्वर्णलांगन पद्धति, जानकी जन्म भूमि।'[17] निरपेक्ष, विकल्मषा, रामानन्दन, विश्वभवानी, नित्यमंगला जनकपुर में सर्वत्र मंदिर ही मंदिर है और उनका अपना–अपना इतिहास है। मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ बहुत से सरोवर हैं। जिनके संबंध में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है।

जनकपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल

जानकी मंदिर– राजस्थानी वास्तुकला से निर्मित जानकी मंदिर जनकपुर का ही नहीं नेपाल का भव्य मंदिर है। उस समय इसके निर्माण में चांदी के नौ लाख रुपए व्यय हुए थे। इसलिए इसे नौ लाख का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के मध्य भाग में गर्भ गृह है। जहाँ राम–जानकी तीन युगल जोड़ी के रूप में विराजित हैं। मंदिर के उत्तर की ओर एक बड़े कक्ष में सवा लाख शालिग्राम शिलायें है। वही अखंड नाम संकीर्तन चलता है।

जनकपुर में जानकी मंदिर के अलावा लक्ष्मण मंदिर, विवाह मंडप (मडवा), मणि मंडप, राम मंदिर, राज देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रत्न सागर

कुटी, युगल विनोद कुंज, श्री रामानंद कुटी, धनुषाधाम, गंगासागर, धनुष सागर, रत्न सागर, पाद-प्रक्षालन, सर, अंगराग सर, विहार कुंड आदि मंदिर भी अपना विशेष महत्व रखते हैं।

लुम्बिनी- भारतीय सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ से पहचाने जाने वाले गौतम बुद्ध के इस जन्म स्थल को यूनेस्को ने इसे एक विश्व विरासत स्थल के रुप में सूचीबद्ध किया है। शक्य राजकुमार बुद्ध, प्रबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान विश्व के लाखों बौद्ध धर्म के एवं सभी धर्मो के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। लुंबिनी का मुख्य आकर्षण 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पवित्र बाग है जिसमें ऐतिहासिक क्षेत्र के सभी खजाने हैं। यहाँ का माया देवी मंदिर तीर्थ यात्रियों और पुरातत्व विद्वों के लिए समान रुप से एक मुख्य आकर्षण है। यहाँ बुद्ध को जन्म देते हुए उनकी माता माया देवी की उत्कीर्ण मूर्ति मिलती है। मायादेवी मंदिर के पश्चिम में नेपाल का प्राचीनतम स्मारक अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व इस पवित्र स्थल की तीर्थयात्रा की स्मृति में है यह स्तंभ बनवाया था। स्तंभ के दक्षिण की ओर एक पवित्र सरोवर है। यह वही पवित्र सरोवर पुष्करणी है जहाँ रानी माया देवी ने भगवान बुद्ध को जन्म देने से पहले स्नान किया था।

वर्तमान लुंबिनी का विस्तृत भाग एक सपाट मैदान सा है। यहाँ चतुर्दिक शांति विराजित है। उत्तर में नागाधिराज हिमालय के हिमशिखरों की पृष्ठभूमि में इसकी प्राकृतिक सुषमा और भी निखरती है। यहां रुम्मिनदेई मंदिर है। यह मंदिर एक ऊँचे टीले पर है। यहीं वह मंगल शालवन था जहाँ सिद्धार्थ गौतम के रूप में बोधिसत्व अवतरित हुए थे। मंदिर की मूल मूर्ति तो बिल्कुल अस्पष्ट है, केवल एक आमा मात्र शेष है। जिससे यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धार्थ की जननी महारानी माया देवी की मूर्ति है, जो शाल शाखा को पकड़े हुए है। मायादेवी की बहन प्रजापति गौतमी पास खड़ी है, यही आगे चलकर सिद्धार्थ की विमाता हुई। मायादेवी मंदिर के पश्चिम में एक अशोक स्तंभ है। मूर्ति के संबंध में एक विलक्षण बात यह है कि उसमें टूटने-फूटने के कोई निशान नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है की मूर्ति पूरी तरह से घिस गई है। सन् 1956 में नेपाल सरकार द्वारा बनवाया गया नवनिर्मित मंदिर है। मंदिर के अंदर बृहदाकार हॉल है। जिसकी सादगी सुरुचि पूर्ण है। हॉल के पूर्वी छोर पर चबूतरा बना है। उसके उत्तरी सिरे में वर्मी शैली पर बनी बुद्ध की एक मूर्ति प्रतिष्ठित है जो वर्मा से लाई गयी है।

इसके अलावा सभी प्रकार के कष्टशोक से मुक्ति दिलाने वाला मुक्तिनाथ का मंदिर, गोसाईं कुंड, देवघाट, ज्वालामाई मंदिर, त्रिवेणी मंदिर, बाल्मीकि आश्रम, सोमेश्वर कालिका मंदिर, किला पांडवनाग, मनाकामना भगवती मंदिर, पथिभरा, जलेश्वर महादेव, डोलखा भीमसेन स्वर्गद्वारी आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है।

विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल के साथ हमारी निकटता महज भौगोलिका अवस्थान की ही नहीं बल्कि युग-युग से चले आते ऐतिहासिक सम्बंध और सांस्कृतिक समता की भी है।भारतीय भौगोलिक सीमा से सठे हुए बेशक और भी देश है लेकिन हमारी भावनाओं की अंतर्धारा की ऐसी समानता, इतनी निकटता किसी और देश से नहीं है। हमारी लम्बी सांस्कृतिक परम्परा के प्रवाह में उस भूमि का भी बहुत पानी बहता है। जगतमाता जानकी एवं प्रेम, शांति और अहिंसा के उदगाता बुद्धदेव, विभिन्न ऋषि-मुनियों की जीवन साधना और क्षेत्र, हिमालय, हिमालय की सर्वोच्चि चोटियाँ हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरसात के दिक्पाल, पशुपति नाथ आदि सभी क्षेनो देशों के पूज्य और आराध्य रहे है। एक यूरोपीय साहित्यिकार ने ठीक ही कहा है-'नेपाल की उपत्यका में जितने धर है, उतने ही मंदिर, जितने लोग है उतनी देवमूर्तियाँ दोनों देशों की एक ही धर्म प्राणता का यह प्रतीक और प्रमाण है।'[18] हम यह तो नही कह सकते कि नेपाल के पर्यटन स्थलो में इतना ही सब कुछ और सम्पूर्ण है और भी बहुत से मंदिर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतें होगी।क्योंकि किसी देश सम्पूर्ण दर्शनीय स्थलों का दर्शन असंभव नही तो कठीन अवश्य है। मुलत: एक पर्वतीय राष्ट्र के रूप में नेपाल एक बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नेपालरू देश और संस्कृति, श्री हरिनंदन ठाकुर, आई.ए.एस प्रकाशन, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2012, पृष्ठ- 5
2. वही, 2012, पृष्ठ- 5
3. महायात्रारू गाथा, डॉ. रागेय राघव, किताबघर प्रकाशन, अंधेरा रास्ता, पृष्ठ 655
4. नेपालरू देश और संस्कृति, श्री हरिनंदन ठाकुर, आई.ए.एस प्रकाशन, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2012, पृष्ठ- 6
5. नेपाल महात्म्य, पंडित श्री केदारनाथ शर्मा, नौखंबा अमर भारती प्रकाशन, वाराणसी, अध्याय 15, श्लोक 1,4
6. वही, अध्याय 2, श्लोकार्द्ध 2
7. वही, अध्याय 11, श्लोकार्द्ध 67
8. वही, अध्याय 11, श्लोकार्द्ध 102
9. वही, अध्याय 15, श्लोकार्द्ध 18
10. नेपालरू देश और संस्कृति, श्री हरिनंदन ठाकुर, आई.ए.एस प्रकाशन, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2012, पृष्ठ- 4
11. काठमांडू महानगर पालिका
12. Census Nepal 2001 (PDF) Ao^J_Z oVoW july 13-2007 काठमांडू विकिपीडिया
13. National Report 2001 काठमांडू विकिपीडिया
14. नेपाल महात्म्य, पंडित श्री केदारनाथ शर्मा, नौखंबा अमर भारती प्रकाशन, वाराणसी, अध्याय 1, श्लोक 19-26
15. निर्मला अग्रवाल भारत नेपाल संबंध वर्ष 2003 पृष्ठ 150
16. जाग्रत नेपाल, डॉ श्री रघुनाथ सिंह, अनुभूति प्रकाशन बनारस, पृष्ठ - 45
17. नेपालरू देश और संस्कृति, श्री हरिनंदन ठाकुर, आई.ए.एस प्रकाशन, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2012, पृष्ठ- 140
18. वही, पृष्ठ- 3

****

फिल्मों से गायब होता लोकतत्व

डॉ. ज्योति मिश्रा *

प्रस्तावना – सिनेमा वर्तमान की सबसे संश्लिष्ट एवं जटिल विधा है। यह केवल 'सामूहिक' रसा स्वादन की ही विधा नहीं है, बल्कि सामूहिक सृजन की भी विधा है। शायद इसीलिए इसका भाव–जगत इतना व्यापक होता है, और गहरा भी। इस कलात्मक विधा को निर्माता से लेकर वितरक तक की संवेदनाओं को सहेज कर उसमें संतुलन बनाना पड़ता है। इस फैलाव में कहानीकार संवाद–लेखक, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, छायाकार तथा संपादक सभी शामिल होते हैं, साथ ही दर्शक की संवेदनाएं तो होती ही है। इन सभी की संवेदनाएं अपने–अपने ढंग से शामिल होकर सिनेमा के संवेदना बनती है।[1]

वर्तमान युग में मनुष्य को प्रभावित करने वाला सबसे सरल सहज और सशक्त माध्यम है सिनेमा। सिनेमा शब्द के साथ मनोरंजन शब्द शुरू से ही जुड़ा हुआ है। यह एक अत्यंत सामाजिक, लोकप्रिय, स्वतंत्र एवं नवीन कला है। समग्र विश्व में सिनेमा की परिधि अत्यंत व्यापक है। सिनेमा में निर्देशक अपनी कल्पना के द्वारा मनुष्य को सच और झूठ से परिचित करता है। दर्शक सिनेमा में सिर्फ मनोरंजन ढूंढता है वह किसी भी प्रकार की गंभीरता की कल्पना नहीं कर पाता क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि परदे के जीवन का सच उसके जीवन का सच नहीं है।

सिनेमा में चौंसठ कला है। सिनेमा के माध्यम से हम मानव जीवन की कहानी देखते हैं। सिनेमा जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनी कला के द्वारा अभिव्यक्त करने की शक्ति देती है। हमारे खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज आदि पर सिनेमा का ही प्रभाव है। सिनेमा के द्वारा हम विश्व सभ्यता और संस्कृति से परिचित होते हैं। सिनेमा हमारे परिवेश में घट रही प्रत्येक घटनाओं की सूचना हमें देती है। संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता की वाणी होने के साथ ही यह मानव जीवन में अभूतपूर्व क्रांति लाती है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत का दर्शन सिनेमा के द्वारा ही संभव है। डॉ. विनोद दास के अनुसार–'सिनेमा एक कला है। और अन्य कलाओं की तरह यह भी हमारे समय और समाज की बुनियादी तथा तत्कालिक चिंताओं–जिज्ञासाओं को उपनी सृजनशीलता का एक अनिवार्य अंग बनाता रहा है।'[2] बसंत कुमार तिवारी के अनुसार– 'सिनेमा एक बड़ा धोखा है। कुछ भी नहीं होकर वह चलचित्रों से दर्शक को इतना आत्मविभोर कर देता है कि कुछ समय के लिए वह अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है।'[3] डॉ. कैलाशनाथ पांडे के अनुसार– 'जीवन की हर झांकी और मंजर को रुपायित करने वाला सिनेमा संसार का सबसे सुंदर सांस्कृतिक उपहार है।'[4] सत्यजीत रे के अनुसार–'एक फिल्म चित्र है, फिल्म आंदोलन है, फिल्म शब्द है, फिल्म नाटक है, फिल्म एक कहानी है, फिल्म संगीत है, फिल्म हजारों अभिव्यक्ति श्रव्य तथा दृष्टि आख्यान है।'[5]

लोक गीतों की परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। इसलिए इसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं। ग्रामीण जनता इन्हें आदिकाल से गाती चली आ रही है। अगर किसी देश या प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति को जानना हो तो हमें उस प्रदेश विशेष के लोकगीतों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि लोकगीत उस प्रदेश विशेष के जनता के हृदय के उद्गार होते हैं। किसी भी बोली के लोक साहित्य में ही नहीं बल्कि शिष्ट साहित्य के अंतर्गत शिष्ट गीतों के साथ इनकी तुलना करें तो चाहे संख्या की दृष्टि से हो चाहे गुणवत्ता की दृष्टि से ये लोकगीत शिष्ट गीतों से पीछे नहीं रहे। 'लोकगीत' शब्द 'लोक' तथा 'गीत' के सहयोग से बना है। जिसका सामान्य अर्थ है जो गीत लोक से संबद्ध है, वह लोकगीत है। अर्थात लोक रचित और लोक में प्रचलित गीत को लोक गीत की संज्ञा दी जाती है। 'लोकगीत' शब्द में 'लोक' अंग्रेजी के **'फोकसांग'** का पर्याय है। लोकसाहित्य एवं लोकगीत में प्रयुक्त लोग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय लिखते हैं–'आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोक कहते हैं, जिसका आचार विचार एवं जीवन परंपरा युक्त नियमों से नियंत्रित होता है।'[6] लोकगीत शब्द में आए दूसरे शब्द 'गीत' शब्द का अर्थ उस सृजन से है जो गेय हो। संगीत एवं लय इसका प्राण है। इसी कारण लोकगीतों को 'स्वत: स्फूरित संगीत' कहां गया है। डॉ. श्याम परमार लिखते हैं– 'गीतों में विज्ञान की तरास नहीं, मानव संस्कृति का वात्सल्य और व्यापक भावों का उभार है। भावो की लड़ियाँ लंबे–लंबे खेतों से स्वच्छ पेड़ों की नंगी–नंगी डालों की किसी अनगढ मिट्टी के भांति सत्य है।'[7] डॉ. देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीत की परिभाषा देते हुए कहते हैं–'लोक गीत हृदय के खेत से उगते हैं। सुख के गीत उमंग के जोर से जन्म लेते हैं और दुख के गीत तो खौलते हुए लहू से पनपते हैं और आँसुओं के साथ ही बनते हैं।'[8] वास्तव में लोक गीत लोक मानस की ही अभिव्यक्ति है जिसमें लोक मानस भासित होता है। इन लोकगीतों को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इन लोकगीतों की अपनी एक मौखिक परंपरा होती है इसमें नाम और यश की लालसा नहीं होती चुकिं इनकी लिखित प्रति नहीं होते इसीलिए यह बनते और बिगड़ते रहते हैं। लोक गीतों में संगीत और गेयता होती है। क्षेत्रीय संकीर्णता से दूर सार्वभौमिक होते हैं। यह स्त्रियों द्वारा रचित होते हैं, इसमें मानव संस्कृति, प्रकृति एवं भाषाओं का व्यापक उभार होता है। इसकी भाषा छंदोबद्ध काव्य की भाषा नहीं बल्कि लोक की बोली होती है। लोकगीतों में लोक मनोरंजन एवं लोक कल्याण की भावना छिपी होती है। वास्तव में ये लोकगीत व्यक्ति विशेष की रचना होते हुए भी व्यक्ति विशेष की न रहकर समूह की रचना बन जाती है। पिछले सौ सालो के सफर में हिंदी फिल्मी गानों का अंदाजे बयां कई बार

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, संबलपुर (ओडिशा) भारत

बदला और यह बदलाव अब भी जारी है वास्तव में इन गीतों से हमारी संस्कृति खानपान, पहनावा, वेशभूषा का खूब पता चलता है। अपने गांव कस्बे से दूर जब कोई गीतकार बम्बई जैसे महानगरी वातावरण में अपने आप को समायोजित करने का प्रयत्न करता है तो उसका मन गुनगुना उठता है- 'पूरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चलो आज देशवा की ओर।' भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषायी देश में प्रत्येक के भाव में उठने वाला प्रेम अपनी मंजिल पा सके इसका पूरा ध्यान सिनेमायी गीतकारों और संगीतकारों ने रखा। 1931 में हिंदी सिनेमा ने जब पहली बार आवाज की दुनिया में कदम रखा तब लोकगीतों को रागों में पिरोने का काम व्यापक स्तर पर शुरू हुआ।

इक्सवीं सदी के भोर से ही हिंदी फिल्मों में नई प्रवृतियों और बदलाव के संकेत दिखाई पड़ने लगे।'मिले नियत पीढ़ी के जागरूक और सक्रिय होने के साथ ये प्रवृतियां मजबूत हुई इंटरनेट के प्रसार और बढ़ती सुविधा ने बदलाव के नई गति और दशा दी। ऐसा लग रहा था कि पुराना सिस्टम बिखर रहा है, जबकि सच्चाई यह कि बहुत कुछ नया आकार ले रहा था।'[9] यह सही है कि 21वीं सदी में देश के शूद्र कोने से मनोज बाजपेई, अनुराग कश्यप तथा सौरव शुक्ला जैसी प्रतिभाओं ने हिंदी फिल्मों के दिशा को ही बदल दिया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 'आउटसाइडरजमात' ने हिंदी फिल्मों के कथ्य और शिल्प को विस्तारित किया नए फिल्मकार अपने साथ नई कहानियां और नए किरदार लेकर आए और इन किरदारों के द्वारा रिश्तों और संस्कारों की नई तहजीब सामने आई। हालांकि 21 वी सदी में हिंदी फिल्मों का चौ तरफा विस्तार हुआ लेकिन उसमें भारत के गांव के झलक, लोकजीवन, संस्कार, परंपरा लुप्त होती गई।

हिंदी फिल्मों का इतिहास 1913में बनी राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म से हुआ। इसके बाद 1931 में बनी पहली सवाक् फिल्म आलमआरा थी। इसे हिंदी-उर्दू फिल्म कहा गया। आजादी के बाद के दशक जिसे हम हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं इस दौर में बनी फिल्मों में एवं इसके गीतों में लोकजीवन, लोगतत्व, लोकभाषा सभी कुछ अपने सौंदर्य को लिए हुए हैं।

भले ही हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास मुंबई जैसे महानगर में हुआ लेकिन उसमें भारत के गांव, गांव में बसने बाले लोग, उनकी भाषा, उनकी परंपराएं, उनकी समस्याएं, इच्छाएं झलकती रही है शुरुआती दौर एवं आजादी के बाद की दर्शकों की फिल्मों में यह बहुत अधिक थी किंतु आठवें दशक के बाद यह कम होती गई। हम सोचने पर भी विवश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ जिस समय भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई उस समय सिनेमा घर प्राय बड़े-बड़े शहरों में ही हुआ करते थे और गांव से शहर तक पहुंचने के साधन भी बहुत कम थे इसके बाबजूद उस समय के सिनेमा में गांव की धड़कन धड़कती है तो इसका एक प्रमुख और बड़ा कारण यह था कि तत्कालीन सिनेमा उद्योग से जुड़े लोगों में से अधिकांश की पृष्ठभूमि गांव की थी। फिल्म 'आलमआरा' के गीतों की भाषा उर्दू के ज्यादा नजदीक थी। लेकिन ऐसे उर्दू जिसे आसानी से समझा जा सके। सन् 1833 में बनी फिल्म 'जहरीला सांप' का एक गीत जिसे नारायण प्रसाद 'बेताव' का लोकगीतों की शैली को अपनाते हुए लोक भाषा में ही लिखा था।

राजा तोरा पनियां हमसे भरा न जाय रे
बाली उमारिया सर पे गगरिया
पतली कमरिया तीन-तीन बलखाय रे
कैसे भरूँ मैं झुक-झुक पानी
ऐ री सखी मोरी उठती जवानी
चोली निगोड़ी मोरी अंगन समाय रे।

इस गीत में प्रयुक्त तोरा, मोरी, पनिया, उमरिया गगरिया ब्रज से लेकर भोजपुरी तक क्षेत्र में प्रचलित है। गांव के जीवन को दर्शाने वाली 'मदर इंडिया' जैसी क्लासिकल फिल्म अपने समय में सुपर हिट रही। इस फिल्म के फिल्मकार महबूब गुजराती थे और इस फिल्म का कथानक भी गुजरात के किसानों से संबंध था। इसमें गांव के किसानों का दर्द, उनकी समस्याएं और उनका संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। नरगिस और सुनील दत्त के रूप में गांव का किसान जीवंत हो उठा है। पात्रों की वेशभूषा भी गुजरात के किसानों की तरह है। इन सबके बाबजूद फिल्म की कहानी को एक ऐसा रुप में प्रस्तुत किया गया है कि वह गुजरात के किसी गांव या क्षेत्र विशेष की प्रस्तुति न होकर सार्वभौमिक हो उठती।

फिल्म की नायिका भारत माता का प्रतीक बन जाती है। वह गाँव की बेटी की लाज बचाने के लिए बेटा देने को प्रस्तुत हो जाती है। इस फिल्म में नायिका जब दुल्हन बन कर विदा होती है तब विदाई के वक्त जो गीत गाया जाता है वह भी खड़ी बोली में है और उस पर ब्रज अवधी का प्रभाव देखा जा सकता है।

'पी के घर आज प्यारी दुल्हनियाँ चली,
रोए माता-पिता उनकी दुनिया चली'

इस पूरे गीत में पी, दुल्हनियाँ, देस, बाबुल अंगना, बाबा, गोने, गगनवा, ढंग, सजनवा जैसे शब्दों का प्रयोग इस गीत को लोकगीत में रूपांतरित करती है। इन शब्दों का प्रयोग उत्तर भारत की बोलियों में आसानी से देखने को मिल जाता है। यह गीत अपनी देह और आत्मा दोनों में पूर्णत: लोकमयत्ता को धारण किए हुए हैं इसलिए यह भारतीय भी है। यह गीत आज करीब 70 साल बाद भी विवाह के अवसर पर गाया बजाया जाता है और यह उतना ही प्रभावशाली भी है। नरगिस और सुनील दत्त के रूप में गाँव का किसान जीवित हो उठा है। ठीक इसी प्रकार विमल राय की फिल्म 'बंदिनी' का गीत 'ओ मेरे माझी अबकी बार ले चल पार' मछुआयें और नाविकों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों के सौंदर्य को अपने में समाहित किए हुए हैं। विमल राय की फिल्म 'देवदास' का गीत 'आन मिलो आन मिलो श्याम साँवरे ब्रज में अकेली राधा खोई-खोई झिले' बंगाल के बाउल उसका गायकों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों की शैली में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म 'जिस देश में गंगा बहती है' का गीत हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। इसमें गंगा के महात्म्य को भी दर्शाया गया है। फिल्म जागते रहो में नौकरी की तलाश में शहर आया हुआ एक भोला-भाला युवक रात भर दो घूंट पानी की खोज में भटकता रहता है 'हमारी फिल्मों में गाँव का चित्रण बड़े ही रोमानी ढंग से मिलता है। गाँव के लोगों का स्वरुप भोला-भाला है। वे आधुनिकता की चमक-दमक से दूर है। छल-कपट झूठ और बेईमानी उन्हें नहीं आती और नमक हलाली के लिए वे अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते है।'[10]

गाँव के जीवन को वहाँ की पूरी संस्कृति को दर्शाने वाली फिल्में सबसे अधिक पांचवें और छठे दशक में बनी और ये फिल्में बहुत सफल भी रही कारण इसमें गांव के मिट्टी की सोंधी महक अपने पूरे रंग में रंग कर आई। इन फिल्मों में 'गंगा जमुना', 'मधुमती' ,'गूंज उठी शहनाई', 'आया सावन झूम के', 'सावन को आने दो', 'गीत गाता चल' तथा 'अपहरण' जैसी फिल्में आई इन फिल्में को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। इन हिंदी फिल्में अपने को क्षेत्रीय और भाषायी संकीर्णता से दूर रखा।

इसी समय फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी 'मारे गए गुलफाम' पर फिल्म 'तीसरी कसम' बनी। इसमें मुख्य किरदार के रूप में वहिदा रहमान और राजकपूर थे। यह फिल्म इतनी सफल तो नहीं हुई लेकिन इसका एक गीत 'चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया' तत्कालीन समय में जितना लोकप्रिय हुआ, आज भी उतना ही लोकप्रिय है। पचास और साठ के दशक के फिल्में में गाँव पूरा जीवन्त होता था। इन फिल्मों में 'बैल गाड़ियाँ' होती थी। धूल से भरी हुई सड़क होती थी, पानी से भरे हुए गड्ढे होते थे। पोखर और जंगल होते थे। धान और गेंहू की पुआल के ठेर होते थे और इन सबका इस्तेमाल फिल्मों में होता था। फिल्म 'सुहागरात' का एक गीत 'ओ हो रे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में' फिल्म का नायक संजीव कुमार बैलगाड़ी चलाते हुए गाता है। यहां तक की 'गाइड' जैसी फिल्म में भी 'काँटो से खींचकर ये आँचल' इस गाने को पुआल से भरे हुए ट्रक में फिल्माया गया है।

सन् 1970 के आस-पास फिल्मों में दिखाए जाने वाले गाँव के स्वरुप में कुछ बदलाव आया। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण गाँवों का विकास होने लगा। गाँव शहरों से जुड़ने लगे। ग्रामीण युवक रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। जमीदारी प्रथा पूर्ण रुप से खत्म हो गई। गाँवों में विभिन्न सरकारी योजनाओं की व्यवस्था कायम होने लगी। धीरे-धीरे संपूर्ण परिवेश बदलने लगा, लोगों की विचारधारा में भी बदलाव आया। फलस्वरूप फिल्मों में चित्रित गांवों का स्वरुप भी बदलने लगा। सन् सतर के आसपास गाँव के जीवन पर आधारित 'अंकुर' और 'मंथन' दो महत्वपूर्ण फिल्में बनी। 'अंकुर' में एक जमीदार द्वारा बंधुआ मजदूरों के शोषण को जीवंत रूप में चित्रित किया गया है। वही 'मंथन' फिल्म में गुजरात के दुग्ध सरकारी की समस्या को चित्रित किया गया है। इस समय गाँव की समस्याओं को दर्शाने वाली अनेक फिल्में बनी फलस्वरुप गाँव के स्वरुप में भी बदलाव आने लगा। इसी तरह आठवें दशक में 'गोपी', 'नदिया के पार' तथा 'चित्तचोर' तीन महत्वपूर्ण फिल्में आई। 'गोपी' में गाँव के सौंदर्य को खूबसूरती के साथ चित्रित किया गया है। 'नदिया के पार' फिल्म का गीत 'जब तक पूरे नहीं होते फेरे सात' तो उस समय का विवाह गीत ही बन गया। इसी पिक्चर का 'जोगी जी धीरे-धीरे' गीत तथा 'साँची कहे तोरे आवन से हमरे आँगन में आई बहार भैजी' गीतों को लोकभाषा का स्पर्श प्रदान किया गया। यहां इस बात पर भी ध्यान देने की जरुरत है कि लोक भाषा का स्पर्श देते हुए वे प्राय: किसी एक क्षेत्रीय बोली में बंधे नहीं रहे बल्कि खड़ीबोली में ही देशज शब्दों का उपयोग करते हुए कुछ सर्वनामों और क्रियापदों को बोलियों के अनुरुप बदलते हुए ऐसा किया गया है।

इसी प्रकार 'चित्तचोर' फिल्म में भी 'गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहां रे' गीत के माध्यम से गाँवों की सुंदरता की ही अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार 'होली आई से कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बाँसूरी' या 'गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मोरे सजना तेरी जिंदगानी रहे' या 'भैया मेरे राखी के बंधन को ना भूलाना' या 'दीपावली मनाई सुहानी मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी' जैसे गीतों में भारतीय संस्कृति अपने पूरे निखार के साथ उभर कर आई है।

नौवे दशक तक आते-आते फिल्मों से गाँव गायब होने लगे। गाँव भी धीरे-धीरे बड़े कस्बे में और कस्बा शहरों में तब्दील होने लगी। इस समय की फिल्मों के केंद्र में कॉलेज लड़के-लड़कियाँ और उच्च वर्ग के पात्रों का चित्रण होने लगा। राजकपूर द्वारा बनाई गई 'बरसात' और 'राम तेरी गंगा मैली' दोनों फिल्मों की कथावस्तु एक ही जैसी है। दोनों ही फिल्मों में नायक पहाड़ी जगहों में घूमने जाते हैं, पहाड़ी लड़कियों से प्रेम करते हैं लेकिन 'राम तेरी गंगा मैली' की नायिका विवाह से पहले दैहिक संबंध स्थापित करती है। इन दोनों फिल्मों में जीवन मूल्यों का जो अंतर दिखाया गया है वह वस्तुत: गाँव के प्रति दृष्टिकोण में हुए परिवर्तन का प्रमाण है। किंतु इन दोनों फिल्मों के निर्माण में करीब तीस साल का अंतर है। पिछले सदी के अंतिम दशक में 'हम आपके है कौन', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेगें' और 'कुछ कुछ होता है' की अपार सफलता ने हिंदी फिल्मों को नई दिशा दी। 'नौवे दशक की क्रिएटिव अराजकता और मनोरंजन की एक रस्ता से निकलकर हिंदी फिल्में चमकदार और छाया हीन सौंदर्य से लक-दक हो गई। सभी फिल्म निर्माता अप्रवासी दर्शकों के लिए 'डॉलर सिनेमा' बनाने की ओर प्रवृत हुए। हिंदी और भारतीय समाज से फिल्मों का नाता टूटा और फिर फिल्मों के आम दर्शक भी छंट गए। इन वंचित दर्शकों ने स्वाद के मनोरंजन के लिए भोजपुरी सिनेमा को तरजीह दी, जो पॉपुलरिटी की चाह में फूहड़ता के कीचड़ में धंस गई।'[12]

स्वर्णयुगीन हिंदी फिल्मों के गीतों में लोक जीवन अपने पूरे रंग में रंगकर निखरकर अपनी छटा बिखेरा है। ये गीत लोक जीवन की सबसे सुंदर रचना है। पुरानी फिल्मों के गीतों में गाँवों की विचारधारा मिट्टी की महक, संस्कार, परंपरा उनकी भाषा, प्रचलित कहावतें एवं मुहावरे तक आए हैं। इसी प्रकार नदी नारे न जाओ श्याम पइयाँ परुँ, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, खइ के पान बनारस वाला, गंगा मैया में जब तक के पानी, रहे मोरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, रंग बरसे भीगी चुनरिया, चिट्ठी लिख दे साँवरिया के नाम बाबू, पान खायो सइँया हमार गीतों ने अपने समय में तहलका मचाया हाँलाकि अब भी गाँव की संवेदना को व्यक्त करने वाले कुछ गीत लिखे जा रहे हैं लेकिन उनमें गाँव की मिट्टी की वह सोंधी महक नहीं मिलती जो इन गीतों में है। इसका एक प्रमुख और बड़ा कारण यह है कि वर्तमान समय के निर्माता , निर्देशक और कलाकार का जन्म बम्बई जैसे महानगर में होता है। वे शिक्षा बडे-बडे कॉन्वेंट स्कूलों में प्राप्त करते है। पालन-पोषण पश्चिमी सभ्यता के अनुसार होता है। तब ऐसे लोगों की बनाई फिल्मों में गाँव की गंध भला कहाँ से आ पायेगी फिर भी राजस्थानी पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया 'पद्मावत' का 'घूमर-घूमर' लोकगीत और लोक नृत्य को दर्शकों द्वारा काफी सराह गया। इसी प्रकार 2005 में बनी 'बंटी और बबली' फिल्म में पारंपरिक शैली में लोक छवि को प्रस्तुत करता हुआ गीत 'कजरारे ओरे तोरे कोरे-कोरे नैना' तथा 2009 में बनी 'दिल्ली 6' में पारंपरिक शैली का छत्तीसगढ़ी लोकगीत 'सास गारी देवे, ननंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल' लोकप्रिय की सीमा पार कर गया। गाँव के जीवन को फिल्मों पर्दे पर जीवंत जीवंत बनाना आज के नायक-नायिक के वश का बात नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि फिल्म उद्योग में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कलाकारों का प्रवेश नहीं हुआ तो फिल्मों से गाँव पूर्ण रुप से गायब हो जायेगें। वास्तव में भारतीय संस्कृति, लोक परंपरा और गाँव के मिट्टी की सोंधी खुशबू ये तीनों मिलकर लोक जीवन को अमरत्व प्रदान करते हैं। कालजयी काव्यों का मूलभूत आधार ही लोकतत्व, लोकगीत, लोकसंगीत और उसकी मौलिकता होती है।'सिने गीत-संगीत अपने मौलिक रुप में ही कल भी श्रेष्ठ था आज भी श्रेष्ठता के प्रति उन्मुख है और आने वाले कल में भी श्रेष्ठता के मापदंड का आधार भी यही हो'[13]

जिस प्रकार फैशन की दुनिया में एथनिक पोशाकों का महत्तव सबसे ऊपर होता है ठीक उसी प्रकार हिंदी सिनेमा में भारत की बहु आयामी जीवन की संस्कृतियों एवं परंपराओं का, लोकगीत एवं संगीत का तथा लोक जीवन

एवं लोक तत्व का महत्व हमेशा रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिनेमा के संवेदना, विजय अग्रवाल, कवर पेज, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 1995
2. www-sodhganga-inflitnet-ac-in (साहित्य और सिनेमा: स्वरुप एवं महत्तव)
3. वही
4. वही
5. https: // sahityasanskriti log-wordpress-com
6. लोक साहित्य की भूमिकारू डॉ. कृष्णदेव उपघ्याय पृ011– साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद
7. मालवी लोक साहित्य, डॉ. श्याम परमार, पृ029– हिंदुस्तानी ऐकेडमी, इलाहाबाद–1969
8. धरती गीत है, देवेंद्र सत्यार्थी, पृ0170, प्रकाशन वर्ष 1948
9. आजकल दिसंबर 2018 साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका, संपादक प्रसार, लोदी रोड, नई दिल्ली, पृ06 बदलते दर्शक, बदलता सिनेमा–अजय ब्रह्मात्मज
10. सिनेमा की संवेदना, विजय अग्रवाल, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृ096–1995
11. वही–पृ0–97
12. आजकल दिसंबर 2018 साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, पृ07 अजय ब्रह्मात्मज
13. वही–पृ0–13

****

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का विकास मॉडल

डॉ. ए. के. जैन *

प्रस्तावना – राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आर्थिक चिन्तन में आर्थिक स्वावलंवन की बात कही गई है। वह राष्ट्र को ही नहीं प्रत्येक गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तुओं का स्वयं निर्माण करना चाहिए।

गांवों की आत्मनिर्भरता की बात चन्द्रगुप्त मौर्य 321 ई. पू. में उनके मंत्री कौटिल्य ने भी कही थी, उस समय यातायात तथा संचार के साधन सीमित थे। अत: व्यापार नगरों तक ही केन्द्रित था। गांवो में मुद्रा प्रणाली नाम मात्र की थी। आत्मनिर्भर गांवों में वस्तु विनिमय की प्रधान व्यवस्था थी।

भारत गांवो का देश है। भारत के आर्थिक उत्थान एवं नवनिर्माण की कोई योजना ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को स्वीकार किये बिना सफल नहीं हो सकती। महात्मा गांधी के अनुसार 'भारत अपने चंद शहरों में नहीं बल्कि सात लाख गांवों में बसता है। मेरे लिए हिन्दुस्तान गांव से शुरू होता है और गांव में ही खत्म होता है। गांवों का पुनर्निर्माण ही भारत का उत्थान एवं नवनिर्माण है।' यदि ग्रामोंद्योगो का लोप हो गया तो भारत के सात लाख गांवों का सर्वनाश समझिए। हमारे देश की समूची प्रकृति और अर्थ तंत्र ग्रामीण है। अंग्रेजो ने देश के गांवों का सम्पूर्ण अर्थ तंत्र तहस-नहस कर दिया था।

भारत की गरीबी तब शुरू हुई जब हमारे शहर विदेशी माल के बाजार बन गये और विदेशो का सस्ता और निकृष्ट माल गांव में भरकर उन्हें चूसने लगें। वर्तमान समय में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं विश्व की महाशक्ति बनने के लिए वह सभी उपाय किये जिससे केवल उसे ही लाभ हो। गांधी जी गांवों में एक सम्पूर्ण आर्थिक स्वालम्बन चाहते थे, वे कहा करते थे कि 'गांव को यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की इकाई नहीं माना तो हम एक नये शिकंजे में फंस जायेगें। देखते-देखते एक ऐसे नए असन्तुलन का आविर्भाव होगा कि शहर व गांव एक दूसरे के विरूद्ध हो जायेंगें।'

शहर औपनिवेशिक दासता का परिणाम है इसलिए गांधी जी चाहते थे कि शहरों को गांवो पर निर्भर बनाया जाए। ऐसी कोई चींज शहरों द्धारा नहीं बनाने दी जायेगी, जो उतनी ही अच्छी तरह गांवो में बनायी जा सकती है शहरों का सही उपयोग यह है कि वे गांवो में बनी हुई चींजों के विकास के केन्द्र हों। लेकिन वर्तमान समय में गांव एक खास तरह की गुलामी का शिकार हो गये है गांव पूर्णत: शहरों पर निर्भर होते जा रहे है।

शहरों का वर्चस्व बढने से सम्पत्ति देहात से शहरों में और शहरों से होकर विदेश चली जाती है। इससे गांवो का ह्रास और पतन हो रहा है। इस प्रवाह को बदलने की आवश्यकता इसलिए है कि जब तक गांव उपेक्षित एवं अंधकारमय रहेगें तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता।

आज आवश्यकता इस बात की है कि योजना विकास कार्यक्रम गांव से शुरू हो। योजना की इकाई गांव एवं कार्य की इकाई परिवार हो। जापान जो आज विकसित देशो की श्रेणी में है वहां पर भी छोटी-छोटी चीजे छोटे-छोटे स्थानों पर बनायी जाती है। आज आवश्यकता गांधी जी के इन दो सूत्रों पर अमल करने की है – विकेन्द्रित ग्राम अर्थव्यवस्था और पुन: गांवों की ओर की।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि 'ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां माता और पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में असमर्थ है, वहां जब तक हम आशा और पुरूषार्थ का सन्देश नहीं पहुँचा पायेंगे, तब तक हम राष्ट्र के चैतन्य को जागृत नहीं कर सकेंगे।' उनका मानना था कि विकेन्द्रीकरण की इकाई परिवार हो हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण और कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन, पशुधन का विकास, श्रम की प्रतिष्ठा, उद्योगों का श्रमीकरण, मशीनों की मर्यादा, रासायनिक खाद और ट्रेक्टरों की जगह गोवरखाद और हल बेलो का उपयोग से कृषि जैसे ग्रामोन्मुखी कार्य किये जा सकते है।

आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी – परावलम्बन और परनिर्भरता सर्वथा घातक है। प्रगति का मार्ग हमें स्वयं अपने साधनों, विचारों से तय करना होगा। क्योंकि विदेशी विचार एक परिस्थिति विशेष तथा विशेष प्रवृत्ति की उपज है, सर्वलौकिक नहीं। उसके द्धारा हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। यदि हमें विदेशी तकनीक की आवश्यकता पड़ती ही है। उसे युगानुकूल एवं देशानुकूल ढालकर आगे बढने पर विचार किया जाना चाहिए।

स्वेदशी तकनीकी का विचार केवल आर्थिक पक्ष से न जुड़ा होकर हमारी संस्कृति के अस्तित्व से भी सम्बद्ध है। विदेशी तक्नॉलॉजी कभी अकेले नहीं आती, वह अपने जन्मदाता देश की संस्कृति को भी साथ लाती है। जिसके दुष्प्रभाव वर्तमान समाज में स्पष्ट परिलक्षित हो रहे है। इसलिए स्वदेशी के भावात्मक रूप को समझकर हमें उसे सृजन एवं अवलंम्बन का आधार बनाना चाहिए।

पं. दीनदयाल जी के अनुसार आर्थिक चिन्तन की आधारशिला स्वदेशी और विकेन्द्रीकरण हैं, उनके अनुसार 'यह कितने दु:ख की बात है कि स्वेदशी कल्पना बीते युग की तथा प्रतिगामीपन का द्योतक समझी जाती है, विदेशों की हर वस्तु हम बड़े चाव से ले रहे है। विचार व्यवस्था पद्धति, पूँजी, उत्पादन प्रणाली, प्रौद्योगिकी तथा उपभोग के मानदण्ड सभी क्षेत्रों में हम विदेशों पर निर्भर है, यह प्रगति का रास्ता नहीं, इससे समुचित विकास नहीं होगा, हम अपने स्व को विस्मृत कर परतंत्र हो जायेंगे।'

वस्तुओं का असीमित उत्पादन कर उन्हें दूसरे लोगों पर थोपना, उनके आर्थिक सन्तुलन को विगाड़ना व उनके यहां बेरोजगारी पैदा करना यह विकसित देशो की प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति को रोकने का एक मात्र उपाय

*प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना (म.प्र.) भारत

स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता है।

महात्मा गांधी स्वदेशी भावना के प्रबल समर्थक थे। उनके विचार में स्वदेशी धर्म के पालन से बेकारी की उलझनों से हम अपने आप बच जाते है। परिवहन, मुद्रा, विनिमय, वितरण न्युाक्त हो कर करों का बोझ कम से कम हो जाता है। गांधी जी का मत था कि 'स्वदेशी हमारी वह भावना है जो दूरवर्ती का निषेध कर हमारे निकटवर्ती परिवेश का उपयोग एवं सेवन करने के लिए हमें प्रतिबद्ध करती है। अर्थनीति के क्षेत्र में मुझे उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो निकटवर्ती पड़ोसियों द्वारा निर्मित की गयी हो। हमें उन उद्योग धन्धों की कमियों को दूर कर उन्हें कार्यश्रम एवं परिपूर्ण बना कर उनकी सेवा करनी चाहिए।' गांधीजी ने तो स्वदेशी की भावना को स्वाधीनता के आंदोलन में एक सफल अस्त्र के रूप में प्रयोग किया।

आत्मनिर्भरता और मुक्त व्यापार – भूमण्डलीकरण ने विश्व व्यापार को सुगम बनाया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार जिस देश में जिस वस्तु के लिए अनुकूलता है लागत कम है वह उसे उत्पादित करें और उसका दूसरे देशों के निर्यात करें। जिन वस्तुओं के लिए उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है उत्पादित वस्तु की जाने वाली वस्तु की अनुकूलता नहीं है एवं लागत ऊँची हो उसका आयात करें। इस तरह विदेशी व्यापार से दोनो देशों को लाभ है। लेकिन इसी अवधारणा के तहत मुक्त व्यापार को बल मिला। लेकिन इसकी आड़ में चीन, इंग्लैण्ड, आदि देशों ने अन्य मुल्कों पर अपना माल थोपना शुरूकर दिया और धीरे-धीरे भारतीय उद्योग बंद होने की कगार पर पहुँचने लगे। राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने इसे डी-इंडस्ट्रिलाइजेशन नाम दिया। डब्लू.टी.ओ. की शर्ते पश्चिमी देशो के अनुकूल रही। डॉ.अश्विनी महाजन ने अपने लेख में लिखा कि 'मुक्त व्यापार के कारण देश के रोजगार विश्व के अन्य देशों में स्थानान्तरित हो गये।' डब्लू.टी.ओ. वास्तव में भारत में बेरोजगारी और औद्योगिक उत्पादन के ठहराव का एक बड़ा कारण बना।

विश्व के अधिकांश देश अपने देश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात तो करना चाहते है लेकिन आयात करने में संकोच करते है। ऐसी स्थिति में व्यापार घाटा बढने से विश्व के अनेक देश चिंतित हैं। वर्तमान में अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे है। प्रत्येक देश स्वतंत्र व्यापार के स्थान पर संरक्षण की नीति को प्राथमिकता देना चाहता है। ऐसी स्थिति में भारत के पास एक अवसर है कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से स्वयं वस्तुओं का उत्पादन करें, नयी प्रौद्योगिकी का अन्वेषण करें। जिससे स्वदेशी उत्पादन को बढावा मिले भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त हो जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सकेगी और भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा।

कौशल विकास एवं दक्षता संवर्धन – भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में व्यक्तियों में कौशल विकास एवं दक्षता संवर्धन आवश्यक हैं। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे है, व्यक्ति अपनी अभिरूचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता हैं। इसी प्रकार दक्षता जो हम अर्जित एवं बंशानुगत गुणों का परिणाम होती है उसमें भी अध्ययन, नियमित अभ्यास, कठोर परिश्रम, लगन द्वारा वृद्धि की जा सकती है।

यदि हमें अपने देश के विकास के रथ को तीव्र गति से गतिमान करना है तो कुशल एवं योग्य युवाओं को तैयार करना होगा। सैम पित्रोदा के अनुसार- 'भारत अपने युवाओं की विशाल संख्या के कारण दुनिया की एक बड़ी कार्यकारी शक्ति बन सकता है, इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और विस्तार की आवश्यकता है।'

परम्परावादी अर्थशास्त्रियों से लेकर अनेक अर्थशास्त्रियों जिसमें शुमीटर, कींस, हेरोड डोमर, मीड, लीविन्स्टीन, नेल्सन, लुईस, मिर्डल, सोलो, महालनोविस जैसे अर्थशास्त्रियों ने विकास सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्वों जैसे-पूँजी, तकनीकी, अधोसंरचना, प्राकृतिक संसाधन, समाज की आय, उपभोग, वचत, विनियोग आदि को सम्मिलित किया। वर्तमान समय में इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे विकास मॉडल के प्रतिपादन की आवश्यकता है। जो वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप आत्मनिर्भरता ला सके।

रोस्टोव ने अपने विकास सिद्धांत में जो आत्मस्फूर्ति की बात कही, उसके अनुरूप सम्पूर्ण क्षेत्रों में पूर्ण शक्ति के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मानव पूँजीनिर्माण, नव प्रवर्तन, राष्ट्र के प्रति समर्पण, सामाजिक विकास, ईमानदारी, परिश्रम की पराकाष्टा जैसे तत्वों की आवश्यकता है। इस तरह भारतीय मनीषियों, महात्मा गांधी, डॉ. जे.के. मेहता, द्वारा सुझाये गये मार्ग का अनुसरण कर भविष्य में भारत एक आत्मनिर्भर एवं आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सकेंगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दस्वराज – महात्मा गांधी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था – दत्त एवं सुन्दरम
3. मेरे सपनो का भारत– महात्मा गांधी
4. योजना
5. कुरूक्षेत्र
6. मंथन
7. गांधी मार्ग
8. रोजगार समाचार
9. दैनिक भास्कर
10. पत्रिका
11. नवदुनिया

****

भारतीय पराक्रम का प्रतीक- समुद्रगुप्त

डॉ. शुक्ला ओझा *

प्रस्तावना - जब भी भारत के पराक्रमी सम्राटों का उल्लेख आता है उसमें समुद्रगुप्त का नाम सवोपरि माना जाता है। एक ऐसा पराक्रमी सम्राट जिसने यातायात एवं संचार की अल्प सुविधाओं के युग में उत्तर भारत के साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत तक पहुँचाने का चमत्कृत काय किया। वह समुद्रगुप्त ही था जिसका पराक्रम कालान्तर में भी सम्राटों की दिग्विजय का आधार बना। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरान्त भारत में राजनैतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ होता है। कृषाण शासकों ने विशाल साम्राज्य स्थापना के प्रयास अवश्य किये किन्तु वे उत्तर भारत तक ही सीमित रहे। व्यापक स्तर पर कूटनीतिक एवं राजनीतिक सफलता प्राप्त कर देश में विशाल साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय गुप्त सम्राटों को जाता है। जिन्होंने नव भारतीय सांस्कृतिक चेतना को प्रोत्साहित किया तथा विदेशी शासन को पूर्णरूप से नष्ट कर डाला। प्रसिद्ध इतिहासकार ए.एल.बाशम के अनुसार 'गुप्तकाल भारत का सर्वोत्तम काल था।' इसे सवोत्कृष्ट बनाने में महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पराक्रम का विशिष्ट योगदान रहा है। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनगिनत सैनिक विजयों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। जिस पर गुप्त सम्राटों ने दीर्घकाल तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने व्यक्तिगत पराक्रम के बल पर स्थापित गुप्त साम्राज्य में राजनैतिक एकता, सुरक्षा, शान्ति, सांस्कृतिक विकास की जिस परम्परा को विकसित किया वह दीर्घकाल तक अक्षुण्ण बनी रही। इससे देश में शान्ति एवं समृद्धि के युग का सूत्रपात हुआ।

विसेन्ट स्मिथ के अनुसार - 'हिन्दू इतिहास में अन्य सभी युगों की तुलना में महान गुप्त शासकों का शासनकाल सर्वाधिक अभिगत एवं संतोषजनक है। इस युग में कला, साहित्य औरविज्ञान की अद्वितीय उन्नति हुयी तथा बिना अत्याचार के क्रमिक धार्मिक उन्नति हुयी। डॉ. आर.सी. त्रिपाठी के मतानुसार तो- 'गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहलाता है।' डॉ. बानेट ने तो इसकी तुलना यूनान के सर्वाधिक विकसित युग 'पेराक्लीज युग' से की है। इन सभी प्रशंसनीय सफलताओं का आधार स्तंभ समुद्रगुप्त था।

समुद्रगुप्त का दिग्विजय की योजना बनाना उसके पराक्रमी स्वभाव को इंगित करता है। इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिषेण के अनुसार इस योजना का उद्देश्य 'धरणि बन्ध' अर्थात् भूमण्डल को बाँधना था। उसके सिंहासनारोहण के समय भारत में अनेक छोट-छोटे अव्यवस्थित राज्यों की सत्ता विद्यमान थी। उसने इन पर विजय प्राप्त कर भारत के राजनीतिक एकीकरण के महान लक्ष्य को अपनाया। इस योजना को पूर्ण करने हेतु उसने शक्ति एवं पराक्रम से अनेक राज्यों को जीतकर सम्पूर्ण आर्यावत एवं पूर्वी भारत पर गुप्तों का प्रभुत्व स्थापित किया, दक्षिणापथ के समस्त राजाओं को अपना स्वामित्व स्वीकार करने के लिये विवश कर उन्हें अपना करद राज्य बनाया। अनकानेक गणराज्यों, विदेशी शक, शक-कुषाणों व सीमान्त के प्रत्येक नृपतियों एवं लंका व अन्यान्य द्वीपवासियों को अपने प्रचण्ड पराक्रम से आक्रान्त कर उनका आत्मनिवेदन प्राप्त किया। अत: गुप्तों के प्रताप का आलोक, पूर्ण तेजस्विता और प्रखरता के साथ भासमान हो उठा। उसने दिग्विजय की नीति अपनाकर विस्तार अभियानों को मूत रूप प्रदान किया। उसे विरासत में जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था वह मात्र मगध, प्रयाग, साकेत तक ही सीमित था किन्तु उसने अपने पराक्रम से अधिकांश भारत पर अपनी प्रभुता स्थापित की। सौ युद्धों के विजेता समुद्रगुप्त ने अपनी लगातार विजय यात्रा से सम्पूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इतिहासकार विसेन्ट स्मिथ ने तो उसके पराक्रम के आधार पर ही उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। उनके अनुसार जिस प्रकार नेपोलियन ने अपने पराक्रम से सारे यूरोप को रौंद डाला और आतंकित कर दिया उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त ने भी अपने बाहुबल और पराक्रम से लगभग सारे भारत पर अधिकार कर लिया और उसके पराक्रम से विदेशी शासक भी आतंकित हो गये थे। आधुनिक इतिहासकारों ने तो उसे नेपोलियन से भी श्रेष्ठ माना है। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, उसके राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था बनी रही, उसने अपने पुत्रों को भी उत्तराधिकार में विशाल साम्राज्य दिया जबकि नेपोलियन को पराजय का भी सामना करना पड़ा तथा उसका साम्राज्य स्थायी न हो सका। उसे तो समुद्रगुप्त जितना जन समर्थन भी प्राप्त नहीं हो सका।

समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों में भिन्न-भिन्न प्रकार की नीतियों का अवलम्बन किया। इसके लिये उसने विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप विजय नीति को अपनाया। उसने अनेक राजाओं का उन्मूलन किया, अनेक राजाओं को कृपापूवर्क उनके सिंहासन कृपापूर्वक पुनर्स्थापित किया, अनेक राजाओं को पराजित कर करद राज्य बनाया। यही विविधता उसकी दिग्विजय की विशेषता मानी जाती है। उसने अपने विजय अभियान का प्रारंभ उत्तर भारत में स्थित आर्यावत के नौ राज्यों के विजय के साथ किया। इसके अन्तर्गत उसने रूद्रदेव, मतिल, नागद्रत, चन्द्रवमन, नागसेन, अच्युत, नन्दिन, बलवर्मन और गणपतिनाग को हराया। इनमें अच्युत अहिछत्र (बरेली), नागसेन ग्वालियर जिले में स्थित पदमावती में तथा कोटकुलज वंश काव्यकुब्ज (कन्नौज) में शासन कर रहा था। प्राचीनकाल में काव्यकुन्ज पुष्पपुर कहलाता था।

आर्यावत के अभियान के पश्चात समुद्रगुप्त का पराक्रम दक्षिणापथ अभियान में दृष्टिगोचर होता है। हरिषेण ने प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावत अभियान के पश्चात दक्षिणापथ अभियान का उल्लेख किया है। हरिषेण के

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

इस क्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवत: उसकी योजना यह थी कि जब वह दक्षिणापथ के अभियान करे उस समय उत्तर पूर्व का कोई शासक उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्र होने का प्रयास न करे। इसी कारण गंगा घाटी एवं मध्यप्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात ही उसने दक्षिणापथ अभियान प्रारंभ किया। इसमें उसने दक्षिण भारत के बारह राज्यों को परास्त किया। उसका उद्देश्य इन राजाओं का उन्मूलन करना नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति में विवरण मिलता है कि उसने पराजित राजाओं से अपनी अधीनता मनवाकर उन्हें करद राज्य बना दिया तथा उनका राज्य उन्हें वापिस लौटा दिया। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारतीय आदेशों के अनुसार धर्म विजय का नाम भी दिया है। इस नीति में पराक्रम के साथ कूटनीतिक चातुय का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। भौगोलिक दूरी एवं यातायात व संचार के सीमित साधनों के उस युग में वह अधीनता, भेंट एवं राजस्व से ही संतुष्ट था तथा साम्राज्य पर दक्षिण की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी नहीं डालता है। दक्षिणापथ अभियान में जिन 12 राज्यों को विजित किया गया वे इस प्रकार हैं। इनमें वतमान मध्यप्रदेश के विलासपुर, रायपुर, संभलपुर जिलों में स्थित कौसल राज्य के शासक महेन्द्र, मध्यप्रदेश के ही वन्य प्रदश के राज्य महाकान्तार के शासक व्याघ्रराज, उड़ीसा और मद्रास के मध्य स्थित कोराल के शासक मण्टराज, गोदावरी के निकट पिष्टपुर का राजा महेन्द्र गिरि, कोट्टूर शासक स्वामिदक्ष, उड़ीसा में स्थित एरण्डपल्ल का शासक दमन, वर्तमान कांजीवरम स्थित कांची के विष्णुगोप, अवमुक्त के शासक नीलराज, मद्रास के निकट वेंगी शासक हस्तिवर्मन, पालक्क शासक उग्रसेन, विशाखापट्टनम के निकट देवराष्ट्र के शासक कुबेर, कुस्थलपुर शासक धनंजय इत्यादि शासक सम्मिलित थे जिन्हें परास्त कर करद राजा बनाया गया। इन राज्यों ने संघ बनाकर भी प्रतिरोध का प्रयास किया। किन्तु उन्हें सफलता न मिल सकी। वादाटक शासक के साथ समझौते के भी संकेत मिलते हैं।

समुद्रगुप्त का अगला अभियान आर्यावत का द्वितीय अभियान था। जिस समय वह दक्षिणापथ के राज्यों की विजयों में व्यस्त था, उस समय आर्यावत के कुछ राजाओं ने स्वतंत्र होने के प्रयास प्रारंभ कर दिये थे। फलत: उसने पुन: अभियान कर कौशाम्बी शासक रूद्रदेव, इन्द्रपुर शासक मातिल, मथुरा का निकटवर्ती शासक नागदत्त, चन्द्रवर्मा, पद्मावती शासक गणपतिनाथ, मथुरा शासक नागसेन, अहिछत्र शासक अच्युत तथा अन्य शासक नंदि एवं बलिवर्मा आदि नौ राजाओं को परास्त किया। इन राजाओं की उद्दण्डता से कुपित होकर इनका विनाश कर उसने इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय कर दिया। इसके उल्लेख हेतु हरिषेण ने प्रयाग प्रशसित में 'आर्यावत राजप्रसभोद्धरण' शब्द का प्रयोग किया है। समुद्रगुप्त का अगला सामरिक अभियान अठारह आरविक राज्य विजय था जिन्हें वन राज्य भी कहा जाता है। उसने इन आरविक राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। डॉ. फ्लीट के अनुसार ये राज्य उत्तरप्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्यप्रदेश के जबलपुर तक फैले हुये थे जबकि डॉ. भण्डारकर का मत है कि ये बघेल खण्ड से लेकर उड़ीसा के समुद्रतट तक फैले थे। इन राज्यों के नाम तथा अभियानों के उल्लेख नहीं मिलते हैं तथापि हरिषेण का दिया गया विवरण कि समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना परिचारक (सेवक बना लिया) यह पर्याप्त है। समुद्रगुप्त के उत्तर एवं दक्षिण अभियानों में प्रदर्शित पराक्रम से भयभीत होकर अनेक सीमान्त राज्यों के शासकों ने बिना युद्ध किये ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली जिसका उल्लेख हरिषेण ने प्रयाग प्रशस्ति में आरविक राज्यों के बाद किया है। उसके पूर्वी सीमान्त राज्यों में समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल, कर्त्रपुर के नामों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों या गणराज्यों में मालव, आर्जुनायन, यौद्येय, मद्रक, आमीर, प्रार्जन, सनकानिक, काक एवं खरपरिक इत्यादि नौ राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। प्रयाग प्रशस्ति में इन राज्यों की सूची अन्य विजित राज्यों से अलग दी गयी है जिससे यह संकेत मिलता है कि बिना युद्ध के ही इन भयभीत राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हरिषेण के अनुसार इन राजाओं ने समुद्रगुप्त को आज्ञाकरण (आज्ञा मानकर), सर्वकरदान (सभी कर देकर) एवं प्रणामागन (विनीत भाव से उपस्थित होकर) इत्यादि तरीको से संतुष्ट किया।

अनेक विदेशी शासकों ने भी समुद्रगुप्त के पराक्रम से भयभीत होकर विभिन्न तरीकों से उसकी अधीनता के भाव को प्रदर्शित किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आत्मसमर्पण, कन्याओं से विवाह, गरूड़ मुद्रा (गुप्त शासकों की राजकीय मुद्रा) से अंकित आदेशों का परिपालन इत्यादि तरीकों से अनेक विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के प्रभाव को स्वीकार किया। इनमें अनेक नाम सम्मिलित थे यथा देवपुत्र पाहानुपाहि ये संभवत: कुषाणों के वंशज थे। शक मुरूण्ड राज्य अफगानिस्तान क्षेत्र का राज्य था। सिंघल द्वीप (श्रीलंका) के लिये हरिषेण ने सेहलक शब्द का प्रयोग किया है। इनके साथ संबधों पर चीनी लेखक वांग-ह्वेन-सी के विवरण से व्यापक प्रकाश पड़ता है। वह लिखता है लंका के राजा ने भारत के राजा (समुद्रगुप्त) को अपने देश के समस्त रत्न भेंट किये। प्रयाग प्रशस्ति में 'सवद्धीपवासिन:'शब्द का उल्लेख किया गया है। जिनमें संभवत: चम्पा (कम्बोडिया), फूनान (इण्डो चायना), जावा, सुमात्रा, बर्मा इत्यादि दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूहों को सम्मिलित किया गया है तथा समुद्रगुप्त कीउपाधि 'धनदवरूणेन्द्रान्तकसम्' से भी इन द्वीपों पर उसके अधिकार होने का प्रमाण मिलता है।

अपने पराक्रम के बल पर इतने राज्यों की विजय के कारण ही उसने अश्वमेघ यज्ञ भी आयोजित किया तथा महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। उसने अपनी स्वर्ण मुद्रा (सिक्के) के पीछे 'अश्वमेघ पराक्रम' शब्द भी अंकित करवाया। ऐसे कुशल योद्धा, प्रवीण सेनापति एवं सफल संगठनकर्ता, प्रतिभाशाली नरेश के उदाहरण इतिहास में विरले ही मिलते हैं। उसे अपने पिता से छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ था किन्तु उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिये विशाल साम्राज्य छोड़ा।उसने नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें आर्यावत ने नवीन राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकात्मकता, पांच सदियों के राजनीतिक विघटन और परकीय आधिपत्य केबाद पुन: उपलब्धि की। व्ही.ए. स्मिथ के शब्दों में - 'वह स्वयं को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बनाने के महान कार्य में समर्थ हुआ।'

उसने अपने पराक्रम के बल पर जहाँ उत्तर भारत के सभी राज्यों को अपने राज्य में विलय कर दिया वहीं दक्षिण भारत के राजाओं को (करद) सामन्त बनाया। विजित गुप्त साम्राज्य के भीतर प्रभावशाली सुशासन स्थापित किया जो सम्पूर्ण गुप्तकाल में बना रहा। गुप्त काल में भारत आयेचीनी यात्री फाहयान् ने लिखा है कि भारत के लोग सुखी एवं समृद्ध हैं।

वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त हैं। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसे सम्राट पर भारतीयों को अत्यंत गर्व है जो बाद के सम्राटों के लिये भी आदर्श बना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पान्थरी, ए. - भारत का स्वर्ण युग, पृष्ठ 89
2. मुकर्जी राधा कुमुद - दि गुप्ता एम्पायर, पृष्ठ 38
3. दुबे, एस.एन. - इतिहास, पृष्ठ 226

4. चतुर्वेदी, ए.के. – इतिहास , पृष्ठ 206
5. हरिषेण – प्रयाग प्रशस्ति– 13वीं एवं 14वीं पंक्ति
6. मजूमदार, आर.सी. – वाकाटक गुप्त, पृष्ठ 139
7. जायसवाल – हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 138
8. चौधरी आर –पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएन्ट इण्डिया, पृष्ठ 543
9. हरिषेण – प्रयाग प्रशस्ति – 23वीं एवं 24वीं पंक्ति
10. हरिषेण – प्रयाग प्रशस्ति – 22वी एवं 23वीं पंक्ति
11. मजूमदार, आर.सी. – वाकाटक गुप्त , पृष्ठ 86
12. चीनी यात्री वान–ह्वेन–सी का विवरण
13. बनर्जी, आर.डी. – दि एज ऑफ इम्पीरियल गुप्ताण, पृष्ठ 45
14. राय, यू.एन. – गुप्त सम्राट और उनका काल, पृष्ठ 208
15. लेग्गे –फाह्यान, पृष्ठ 104

****

A Study of Consumer Buying Process of Milk Products (with special reference to Indore District)

Amit Kumar Singh* Dr. Kumbhan Khandelwal**

Abstract - The study focused on consumer buying process of milk products in Indore district. The reason for this study is to know the buying process of milk products. This investigation focused on the impact of the relative role played by the husband and wife and other member of the family in making purchase choice for example budget allocation, products purchase, store selection. The data collection is secondary and primary data. The conclusion of this investigation is husband and wife equally or wife only made budgeting decision for milk products. The less perishable items such as pure ghee and whole milk powder buyers visit their retail store on monthly basis. For easily and carry perishable item such as butter, panner, dahi the frequency of store/shop visit is daily in case of dahi and remaining items weekly or bi-weekly.
Keywords - Consumer, Buying process, Milk Products, Budget Allocation.

Introduction - The understanding of consumer behavior is a success key to the business organizations. Consumer behavior is the study of how a customer, or a group of customers select, buy, use, and dispose ideas towards the products or services in order to satisfy their needs and wants (Chand, n.d.). The personalized marketing analyzed the pattern of buying behavior of a consumer. After the analyzed of personalized behavior, the prediction of future trend can be done easily (Kumar, John, &Senith, 2014). **According to Engel, Blackwell, and Mansard,** "consumer behavior is the actions and decision processes of people who purchase goods and services for personal consumption". **According to Louden and Bitta,** "consumer behavior is the decision process and physical activity, which individuals engage in when evaluating, acquiring, using or disposing of goods and services" (Chand, n.d.).**According to Lerne,** "Consumer behavior involves the study of how people—either individually or in groups—acquire, use, experience, discard, and make decisions about goods, services, or even lifestyle practices such as socially responsible and healthy eating" (Perner, n.d.).

Objective:
1. To study the budget decision for milk products.
2. To study the purchase frequency for milk products.

Review of literature

Sharma (2000)conducted an opinion survey in Andhra Pradesh with respect to the purchaser observation and disposition towards the various wellsprings of milk buy. It uncovered that a larger part of the families buy milk from private merchants due to non-accessibility of Dairy milk inside the sensible good ways from the purchaser's home. A few families announced that the housewives can't gather the milk face to face from the milk stalls as it includes time and vitality and they are compelled to utilize hirelings for assortment of milk from the corners, which includes extra expense and deferral. Further, they additionally communicated disappointment with the milk supply from the stalls and recommended home conveyance. Almost, 60 percent of the families felt that the home conveyance of milk in polythene sachets is favorable and demonstrated readiness to pay extra costs/administration charges for the equivalent. Other explanation found for family unit inclination to private merchant was non-accessibility of milk in little pressing of not exactly half liter with the Dairy as a few little families and those having a place with lower salary bunches emphatically felt that such office is fundamental to empower them to buy the Dairy milk. Results found strong correlation between income and proportion of home delivered milk.

Srinivasan (2000) uncovered that, purchaser with higher instructive level was found to devour increasingly prepared items. The amounts of handled foods grown from the ground items were devoured more in high salary gathering. The resistance furthest reaches of cost increment distinguished was under 5 percent, any value change over this cutoff, would bring about discontinuance of the utilization of the handled item. Consumers preferred processed products because of convenience of ready-to-eat form.

Senthikumar et al. (2007) saw that the upsurge in milk creation has hurled phenomenal difficulties in milk and milk items' advertising. Changes in segment design, instruction, salary structure, way of life, evolving yearnings, social direction, expanding mindfulness about nutritive worth,

*Research Scholar, DAVV, Indore (M.P.) INDIA
**Department of Commerce, GACC, Indore (M.P.) INDIA

changes in customer conduct, presentation of new advancements, new desires for buyers and other such factors impact the interest for milk and milk items. In India, inequalities exist within the expenditure pattern of milk and milk products across various regions and also among different incomes and occupational groups.

Hypotheses of the study:-

H_0:- There is no association among the different income groups regarding the role dominance in budgeting.

H_0:- There is no association among the different educational categories regarding the role dominance in budgeting.

Research Methodology:

1. **Research Design:-** The research design in this investigation is descriptive in nature. Descriptive research conduct for describes the characteristics of the population or phenomenon that is being studied.
2. **Simple Size:-** Sample size for the primary study consist of 100 household who consumed milk products in Indore city.
3. **Sample Techniques:-** Random sampling has been used to gather the information for the study.
4. **Date Collection:-** Based on primary and secondary data. Primary data was collected from 100 household who consumed milk products by a well design questionnaires.
5. **Tool for data analysis:-** we will use simple statistical tools such as chi-Square and simple percentage to meet the objective of the study.

Data Analysis and Interpretation:-

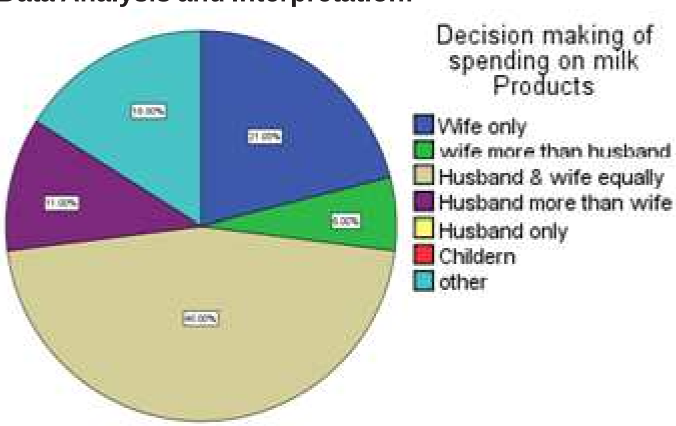

The above graph show the decision making of spending money on milk products. 21.00% of respondents reveal that the budgeting decision making for milk products are wife only. 6.00% of respondents said the wife more than husband take decision. 46.00% of respondents reveal decision for budget on milk products are taken by husband and wife equally. 11.00% of respondents said the decision are taken by husband more than wife and 16.00% of respondents said the decision are taken by other.

To identify the difference between various income and educational categories of household regarding the amount to be spend on milk products, following null hypothesis have been tested:

$H_{0:-}$ There is no association among the different income groups regarding the role dominance in budgeting decision.

$H_{0:-}$ There is no association among the difference educational categories regarding the role dominance in budgeting decision.

Graph of household regarding role dominance in budgeting decision within income group:-

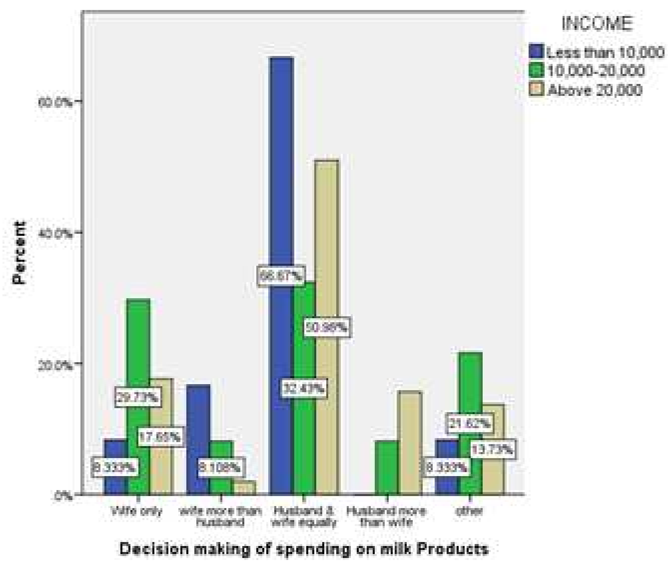

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.295[a]	8	.102
Likelihood Ratio	14.434	8	.071
Linear-by-Linear Association	.248	1	.619
N of Valid Cases	100		

The above graph show the household regarding role dominance in budgeting decision within income group. Income group less than 10,000 Rs, 10,000-20,000 Rs and above 20,000 Rs 8.33% of respondents said that the budget decision for milk products are taken by wife only, 29.73% and 17.65% of respondents give the same response about budget decision. Again income group of less than 10,000Rs, 10,000-20,000 Rs and above 20,000Rs 66.67% of respondents reveal that the budget decision for milk products are taken by husband and wife equally, 32.43% and 50/98% of respondents reveal the same response about budget decision making for milk products. Income group of less than 10,000 Rs 8.33% of respondents said that the budget decision are taken by other family member and income group of 10,000-20,000Rs and above 20,000Rs 21.62% and 13.73% of respondents said that the budget decision are taken by other family member.

And the above chi-square table show that the p-value (0.102) is greater than α =0.05 (@5% significance level) so we accept the null hypothesis. This meant that there is no enough evidence to suggest an association between income groups and role dominance in budget decision.

Summing up result, husband and wife equally or wife

only made budgeting decision for milk products. Statistically no significant difference have been found in this regard according to income group of the household survey. Wife only and husband & wife equally have been found to be dominating in making the budget decision in a families belonged to income group of above 20,000Rs.

Graph of household regarding role dominance in budgeting decision within educational categories:-

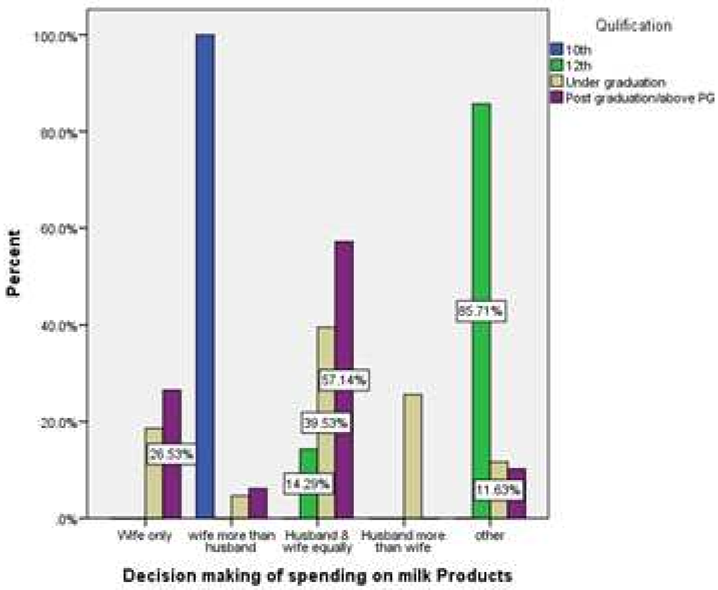

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	59.040[a]	12	.000
Likelihood Ratio	44.547	12	.000
Linear-by-Linear Association	11.242	1	.001
N of Valid Cases	100		

The above graph show the household regarding role dominance in budgeting decision within educational categories. In case of under graduation, post-graduation/ above PG 26.53% and 18.6% of respondents said that the budget decision for milk products are taken by wife only. 14.29% % of respondents said that the budget decision for milk products are taken by husband & wife equally these respondents are belonged to 12th standard. 39.53% of respondents said that the budget decision taken by husband & wife equally and respondents belonged to under graduation. 57.14% of respondents said that the same thing and respondents belonged to post-graduation/above PG. 85.71% of respondents said that the budget decision for milk products are taken by other family member and their qualification are 12th standard. 11.63% and 10.20% of respondents give the same response and their qualification are under graduation and post-graduation/above PG.

And the above chi-square table show that the p-value (0.000) is less than α =0.05 (@5% significance level) so we reject the null hypothesis. This meant that there is enough evidence to suggest an association between educational categories and role dominance in budget decision.

Summing up the result husband and wife only making budgeting decision for milk products. Statistically significant difference have been found in this regard according to educational categories of household. The wife moreover command in this sort of basic leadership among families having a place with all the educational categories except for 10th standard category.

Purchase frequency (periodicity) for different milk products - Present the result regarding the purchase frequency of different milk products. Graph show the household regarding purchase frequency of milk products i.e. pure ghee.

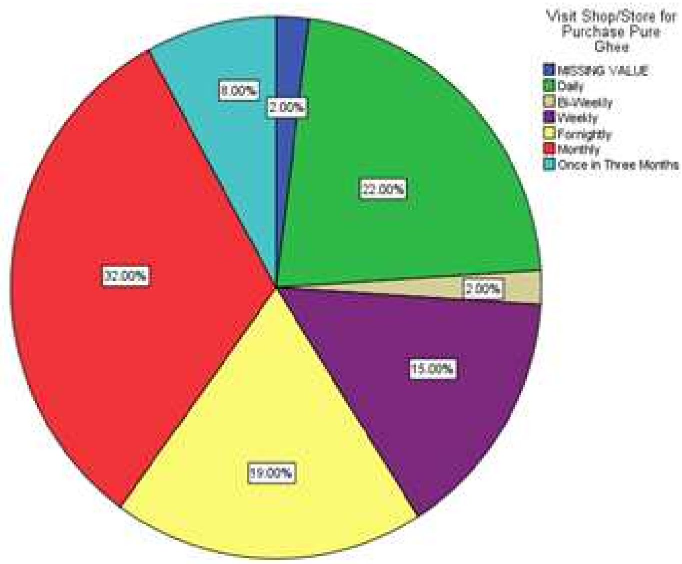

As per graph 22.00% of respondents replied that the respondents visit store/shop daily for purchasing pure ghee. 15.00% of respondents replied that the respondents visit store/shop weekly for purchasing pure ghee. 19.00% of respondents replied that the respondents visit fortnightly to the store/shop to purchasing milk item. 32.00% of respondents replied that the consumers of pure ghee visit the store/shop on monthly basis.

Graph show the household regarding purchase frequency of milk product (butter):-

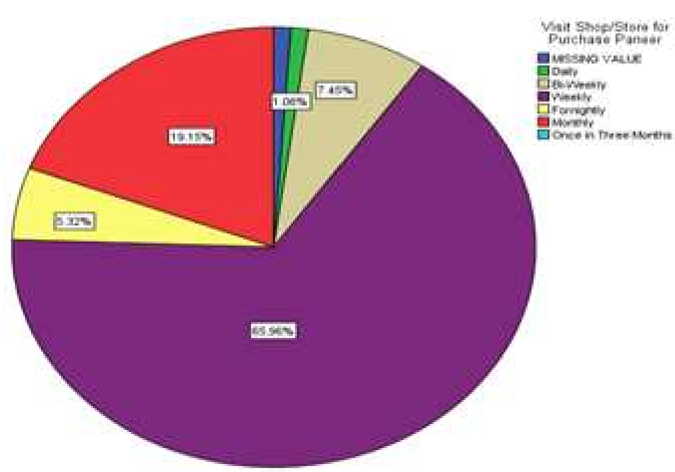

As per graph 10.99% of respondents said that the consumer of butter visit store/shop bi-weekly. 35.16% of respondents said that the consumers visit shop weekly for purchasing milk item i.e. butter. 29.67% of respondents said that the respondents visit the store/shop fortnightly. 21.98% of respondents visit the shop on monthly basis for purchasing milk item i.e. butter.

Graph show the household regarding purchase frequency of milk product (paneer):-

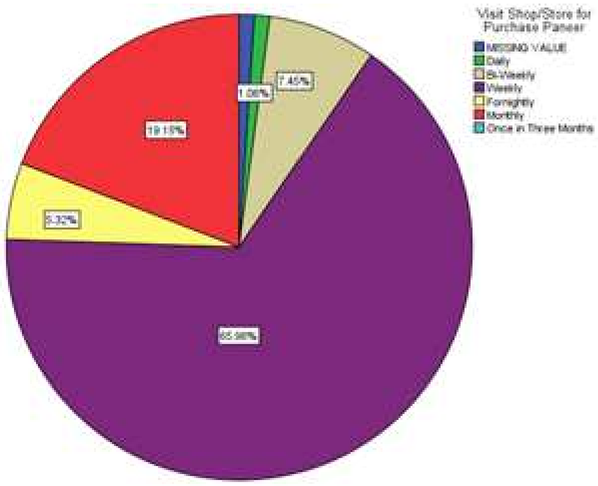

As per graph 65.96% of respondents replied that the consumers of paneer visit the store/shop weekly. 19.15% of respondents visit the store for purchasing paneer on monthly basis. 7.45% of respondents said that the consumers of paneer visit the shop/store bi-weekly also.

Graph show the household regarding purchase frequency of milk product (whole milk powder):-

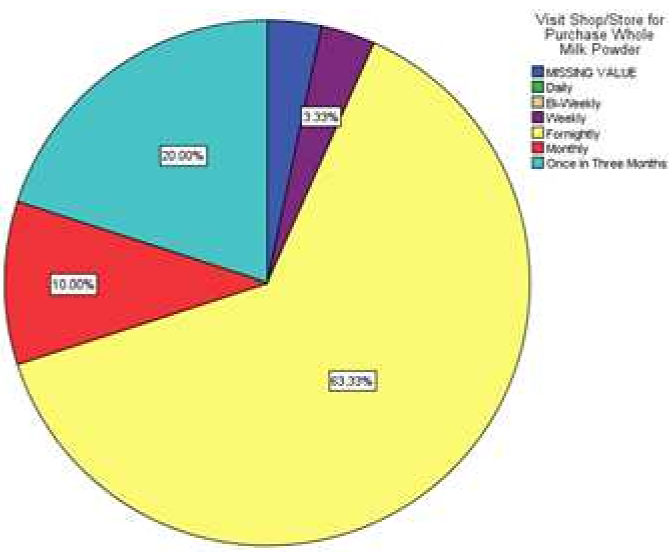

As per graph 63.33% of respondents replied that the consumer of whole milk powder visit the store or shop fortnightly. 20.00% of respondents said that the respondents visit the store once in three month. 10.00% of respondents replied that the consumer visit the shop or store on monthly basis for purchasing milk item i.e. whole milk powder.

Graph show the household regarding purchase frequency of milk product (dahi):-

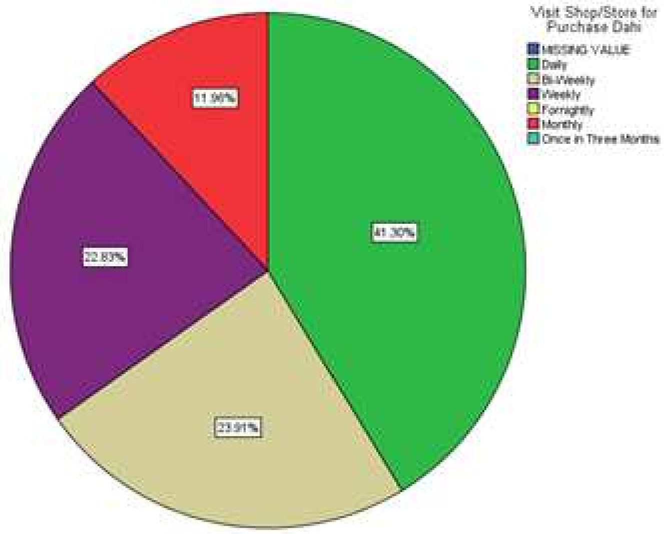

As per graph 41.30% of respondents visit the store on daily basis for purchasing dahi. 23.91% of respondents visit the shop or store bi-weekly also. 22.83% of respondents visit the store on weekly basis to purchased milk item i.e. dahi. 11.96% of respondents visit the store on monthly basis.

Graph show the household regarding purchase frequency of milk product (processed cheese):-

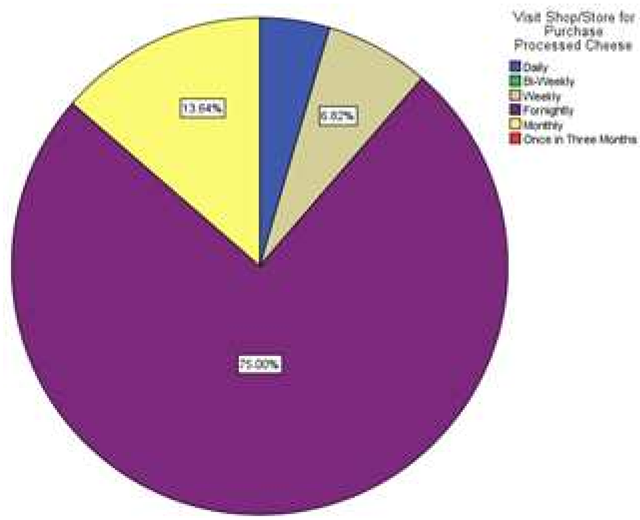

As per graph 75.00% of respondents visit the store or shop fortnightly for purchasing processed cheese. 13.64% of respondents visit the store on monthly basis. And 6.82% of respondents visit the store or shop weekly for purchasing processed cheese.

To summarize we can say that less perishable item such as pure ghee and whole milk powder buyers visit their retail locations on monthly basis. For easily and carry perishable item such as butter, paneer and dahi the frequency of store/shop visit is daily in case of dahi and the remaining item weekly or bi-weekly. For processed cheese

the store visit is mostly on fortnightly or monthly basis.

Finding and Conclusion - In this study we find that husband and wife equally or wife only made budgeting decision for milk products. Statistically no significant difference have been found in this regard according to income group of the household survey. Wife only and husband & wife equally have been found to be dominating in making the budget decision in a families belonged to income group of above 20,000 Rs.

In this study we find that husband and wife only making budgeting decision for milk products. Statistically significant difference have been found in this regard according to educational categories of household. The wife moreover command in this sort of basic leadership among families having a place with all the educational categories except for 10^{th} standard category.

In this study we find that less perishable item such as pure ghee and whole milk powder buyers visit their retail locations on monthly basis. For easily and carry perishable item such as butter, paneer and dahi the frequency of store/ shop visit is daily in case of dahi and the remaining item weekly or bi-weekly. For processed cheese the store visit is mostly on fortnightly or monthly basis.

Finally we concluded that the p-value (0.102) is greater than α =0.05 (@5% significance level) so we accept the null hypothesis. This meant that there is no enough evidence to suggest an association between income groups and role dominance in budget decision.

Finally we concluded that the p-value (0.000) is less than α =0.05 (@5% significance level) so we reject the null hypothesis. This meant that there is enough evidence to suggest an association between educational categories and role dominance in budget decision.

References:-

1. Chand, S. (n.d.). Consumer Behaviour: Meaning/ Definition and Nature of Consumer Behaviour. Retrieved fromhttp://www.yourarticlelibrary.com/ marketing/market-segmentation/consumerbehaviour-meaningdefinition-and-nature-of-consumer-behaviour/ 32301 (2019, Sept 14).
2. Kotler, P. 2017. *Principles of Marketing.* Pearson Education. Seventh European Edition.
3. Kotler, P. & Keller, L.K. 2016. *Marketing Management.* Pearson Education. Fifteenth Edition.
4. Kumar, H. H. A., John, F. S., &Senith, S. (2014). *A Study on factors influencing consumer buying behavior in cosmetic Products. Semantic Scholar.* Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-on-factors-influencingconsumer-buying-in-Kumar-John/3bdd7989aa024263e8192646024b2baa63c300e2 (2019, Sept 14).
5. Sharma (2000), "Marketing of milk - An opinion survey of consumer perceptions, Rajahmundry, AP", Indian Journal of Marketing, Vol. 2, No. 4, pp. 10-13.
6. Srinivasan, N. and Elangovan, D. (2000), "Consumer perception towards processed fruits and vegetable products", Indian Journal of Marketing, Vol. 30 Issue. 11-12, pp. 22-25.
7. Senthikumar G., SelvaKumarK.N., Prabhu, M., &Meganathan, N. (2007),"Factors influencing Expenditure onConsumption of Milk & Milk Products in Chennai", The ICFAIJournal of Consumer Behaviour, Vol.2, Issue.2, pp.7-13.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

A Themetic Study On The Degree Of Approximation Of A Function

Dr. Dalendra Kumar Bhatt *

Abstract - Approximation theory is investigates how certain known functions can be approximated by a specific class of process of summation.

Approximation of a function arises in many branches of applied mathematics, physics and computer science. In general, approximation of a function asks us to select a function among a well-defined class that target a function in a specific way.

One can understand that of approximation of a function for known target functions.

Introduction - In this paper author deal with approximation of a function. The object of the present paper is to generalize the summability of Fourier series. In (1956) Flett has proved a theorem on the degree of approximation to a function of its Fourier series. In (1970) Siddiqi generalized the result of Flett for Nörlund process of summation. In (1975) porwal generalized the result of siddiqi by using a weaker condition. In (1990) Vinchurkar generalized the result of porwal and obtained a degree of approximation to a function f (x,y) by its double Fourier series using Nörlund process of summation. In this paper we deal with approximation of a function to generalize the summability of Fourier series.

Definition and Notations :

We now define Fourier trigonometric series as:

Let f be the periodic function with period 2 and integrable in the sense of Lebesgue over $[-\pi, \pi]$. Then the Fourier series of f at a point t = x is given by

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

where a_0,a_n and b_n are the Fourier coefficients of f.

It is well known that the derived series of a Fourier series may not itself a Fourier series.

Summability.

Some of the methods of summability are given below.

Cesàro summability.

Let $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ be a given infinite series and let $\{S_n\}$ denote the sequence of its n^{th} partial sums.

defines the n^{th} Cesàro mean of order k for the series. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

If $\sigma_n^k \to s$ as $n \to \infty$, where s is finite and unique, then the series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ is said to be summable (C, k) to the sum s, where k being the order of summability. (C, 1) is particular case of (C, k) for k = 1.

Nörlund summability.

A series $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ with the sequence of partial sum $\{S_n\}$ is said to be summable by Nörlund means or summable, if

$$t_n = \frac{1}{P_n}\sum_{k=0}^{\infty} p_k s_{n-k} = \frac{1}{P_n}\sum_{k=0}^{n} p_{n-k} s_k \to s \text{ as } n \to \infty;\ (P_n \neq 0)$$

the Nörlund summability method reduces to well known (C, k) summability method.

Generalized Nörlund Summability.

π The generalized Nörlund summability defined as follows:

Let $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ be an infinite series with the sequence of partial sum $\{s_n\}$ and $\{p_n\}$let $\{q_n\}$ and be a sequence of positive real numbers and the convolution (p*q)is defined by

$$(N, p_n q_n) = \frac{1}{R_n}\sum_{k=0}^{n} p_k q_{n-k} s_k,$$

If $(N, p_n q_n) \to s$ as $n \to \infty$, then the sequence $\{s_n\}$ is summable to s by generalized Nörlund summability method. then the generalized Nörlund summability reduces to (C, k) summability method.

Hormonic summability.

For given any infinite series $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ if we put $p_n = \frac{1}{n+1}$ in Nörlund summability method, then we found out the Hormonic summability or $\left(N, \frac{1}{n+1}\right)$ means, which is a special case of Nörlund summability.

Euler summability.

Let $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ be a given infinite series with sequence of its n^{th} partial sums $\{s_n\}$. If

$$(E, q) = E_n^q = \frac{1}{(1+q)^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} q^{n-k} s_k \to s, \text{ as } n \to \infty$$

*Govt. College, Anjad, Distt. Barwani (M.P.) INDIA

Then the infinite series $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ with partial sums s_n is said to be summable by Euler means.

Riesz summability.

A series $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ with the sequence of partial sums $\{s_n\}$ is said to be almost Riesz summable, provided

$$T_{n,m} = \frac{1}{P_n} \sum_{k=0}^{n} p_k s_{k,m} \to S \text{ as } n \to \infty.$$

uniformly with respect to m.

(N,p_n) (C,1) summability.

Let $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ be a given infinite series with sequence of its n^{th} partial sums $\{s_n\}$. The (N,p_n) (C,1) product transform and denote it by $N_n^p C_n^1$. This if

$$N_n^p C_n^1 = \frac{1}{pn} \sum_{k=0}^{n} p_k C_{n-k}^1 \to s, \text{ as } n \to \infty$$

where C_n^1 denotes the (C, 1) transform of $\{s_n\}$, then the series $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ is said to be summable by (N,p_n) (C,1)means or summable (N,p_n) (C,1) to a definite number s.

(N,p_n,q_n) (C,1) summability.

Let $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ be a given infinite series with sequence of its nth partial sums $\{s_n\}$. The generalized Nörlund summability has been defines (N,p_n,q_n) (C,1) product transform and denote it by $N_n^{p,q} C_n^1$.

Conclusion - In (1956) Flett proved the following theorem on the degree of approximation to a function by the Cesáro - menas of its fourier series.

In (1970) Siddiqi generalized the above result for Nörlund process of summation.

In (1975) Porwal generalized the result of Siddiqi by using a weaker condition.

In (1990) Vinchurker generalized the above result of Porwal and obtained a degree of approximation to a function f(x,y) by its fourier series.

Using generalized Nörlund summability process of summation, one can easy to generalized above result under weaker conditions to make these as a particular cases.

References :-

1. **Alexits, G.,** Convergence problems of orthogonal series, Pergamon Press, New York (1961).
2. **Borwein, D.** A logarithmic Method of Summability, J. Lond. Math. Soc. 33. (1958), 212-220.
3. **Flett, T.M.** On the degree of approximation to a function by the Cesáro means of its fourier series, Quart. Jour. Math. Vol. 7 (1956), 81-95.
4. **Hardy, G.H.,** Divergent series, First Edition, Oxford University Press, 70, (1949).
5. **Porwal, J.P.** Ph. D. Thesis (1975), Vikram University, Ujjain (M.P.), India.
6. **Qureshi, K.,** On the degree of approximation of a periodic function f by almost Nörlund means, Tamkang J. Math., 12(1), (1981), 35-38.
7. **Siddiqui, A.H.** On the degree of approximation to a function by generalized Nörlund means of its fourier series, 36th Conference IMS, Madurai, (1970).
8. **Vinchurkar, A.V.** On approximation to a function by the Nörlund means of its fourier series, Ph.D. Thesis, Jiwaji University, India (1990).
9. **Zygmund, A.,** On the degree of approximation of function by Fejér means, Bull. Amer. Math. Soc., vol-5, (1945), 274-278.

****

Isolation and Identity Crisis in Anita Desai's Novels

Dr. Vishal Sen*

Abstract - This paper intends to throw light on the theme of isolation and identity crisis in Anita Desai's novels. The main intention of this paper is to project the sad tales of afflicted souls due to isolation and identity crisis in Desai's fiction. Through this, an effort has been made to explore the subject of search for meaningful life in the dark world of lonesomeness. It is an inclusive presentation of Anita Desai's fiction, especially based on the themes of loneliness and identity crisis. The thematic world of Anita Desai's novels relate existential dilemmas, marriage as a dissonance, female psyche, alienation etc. All such fatal situations occur just because of solitary life of the characters that lead them to identity crisis.

Through the projection of interior world of the portrayals, the novelist has pictured the hazardous conditions of the protagonists due to their quarantine situation.

Keywords – Identity crisis, existential dilemmas, female psyche, quarantine situation.

Introduction - Anita Desai's almost all the novels deal with these important issues of isolation and quest for identity. She has raised these subjects at the cultural, social, psychological, emotional and literary levels. Desai is indeed a fluent articulator of feminine psyche of the middle-class and upper middle-class ladies. The characters especially female characters in most of her novels suffer due to friendlessness and lonely surroundings. They live in society with their family members, under the same roof but existential problems, unequal treatment, exploitation etc. provide them solitary settings and they suffer from identity crisis. The hustle and bustle atmosphere of metropolitan settings also prepare isolation and lack of specification and identification in Desai's novels.

These characters feel themselves completely alone. They feel lonely even when they are in crowd. They experience that they have no existence or status. These female characters notice that they have no identity card to live in this world. The tales of Desai's novels project that the female characters sense themselves apart from the general flow of society. They are just made limited to work as a maid. Desai's protagonists are endlessly encountered with the shocking task of defining their identity to themselves. The characters like Maya, Amla, Sarah, Bim, Sita, Nanda Kaul and Monisha have tough and disturbing attitude towards themselves. They are unable to know themselves only. Their stories are the horrible tales of terrible loneliness and misunderstood identity. This paper is a humble attempt to highlight the gruesome realities of isolation and identity crisis in the novels of Anita Desai.

Isolation and identity crisis – Anita Desai's novels are full of the theme of isolation and identity crisis. The novelist has presented loneliness of inner as well as outer situations. She has projected her characters as lonely, alienated and depressed due to their isolation that leads to identity crisis. Incompatible temperaments of husband and wife, existential dilemmas of the characters and alienation lead the characters to isolation and identity crisis. These tortured souls undergo an interior psychological frenzy. Such unrest creates a conflict between reality and illusion in their minds. They are pushed into the dark valleys of lost identity, where they long for company but there is nobody to share their anxiety, sadness and worries and due to isolation, they all just continue a singular voyage from nowhere to nowhere .Their lives run meaninglessly and aimlessly.

Anita Desai has drawn her female protagonists, experiencing utmost loneliness in male dominated surroundings. This isolation only has been projected as one of the major causes of the predicament of these characters. They feel that they are left completely alone in the dark regions of terrible problems, where they find nobody to console them. The novelist also paid complete attention on individual characters and their shocking situations because of solitude and their quarantine conditions. The characters like Maya, Monisha, Sarah and Nanda feel themselves as aliens, suffering from alienation and recluse atmosphere .The environment in which they live is full of suppression, oppression and exploitation. They are found far from happiness, joy and enjoyment of life. They just breathe and do not live. Their life, their dreams, their aspirations and wishes do not matter for anyone. The absolute isolation destroys themselves absolutely. This solitude creates just formal existence for them, in which they all feel suffocated. These broken people become tensed and worried upto that extent that they are left estranged, suffering from friendlessness, wanting companionship.

*Assistant Professor (English) S.B.N Govt. P.G College, Barwani (M.P.) INDIA

Cry, the Peacock is the first novel of Anita Desai, in which she has rightly presented the isolation and identity crisis of Maya. Maya is involved in never ending search for meaningful life. Maya is a young, emotional character, who wants love and attachment from her stone-hearted husband, Gautama. Both Maya and Gautama are completely contrary in temperaments. Gautama is rigid, non- sentimental and prosaic while Maya is very sensitive lady. Gautama never shares time with Maya. This husband – wife alienation prepares gap between the two. Maya suffers from utmost loneliness and identity crisis.

Loneliness and identity crisis are inter-related themes, projected in Desai's second novel Voices in the City. In this fiction, Nirode and his two sisters Monisha and Amla try their level best to protest against the prevailing customs of the contemporary time. They wish artistic expression in their lives but meet sorrows and problematic situations only. Such situations lead them thorough seclusion and lack of recognition.

Dev in Bye Bye Blackbird also confronts isolation on foreign land. Being an Indian, he is discriminated in London among English white people. He is commented and humiliated by British people. Then Dev faces inclusive loneliness and also suffers from identity crisis. Sarah is another victim of isolation and identity crisis. Being an English lady, she marries an Indian, Adit. English people do not like this. Sarah encounters solitary life and also bears the sorrows of identity crisis.

Where Shall We Go This Summer ? is another expression of isolation and identity crisis through the character sketch of Sita. Sita gets too much tired due to the mechanical routine of her home. She finds herself as completely lonely and searches her identity. In Fire on the Mountain, Nanda Kaul is a singular lady, who herself wants recluse life for herself. Finally, she meets lonesomeness and identity crisis.

In Clear Light of the Day, the characters, Raja, Bim and Tara face a distance from adults, that results in isolation and they all also encounter crisis of identity. In Anita Desai's next novel, Baumgartner's Bombay, the hopeless condition of its protagonist, Hugo Baumgartner has been presented. Hugo is not accepted in Germany due to his darkness and in India he is again marked as a firanghi. In this way Hugo belongs to nowhere. He always remains alone and endures identity crisis.

Conclusion – To conclude, it can be easily affirmed that Anita Desai has rightly and differently highlighted the themes of isolation and identity crisis. The way she has underlined these problems in human life is nevertheless unique and matchless. The novelist has traced these subjects in her novels through these characters by presenting individual stories. She has made these themes as extra-ordinary by using her techniques. This is really a universal presentation. She has covered some rare aspects of life. Isolation and identity crisis associate many other themes like oppression and exploitation of women and their longing to attain some identity in their lives as well. One more mentionable and remarkable conclusion is that these problematic conditions exist in our society. We feel compelled to think over such situations. At last it can be said that, the novelist has painted realistic pictures of our society through the presentation of the themes of isolation and identity crisis.

Suggestions and findings – Marital dissonance, existential dilemmas, female psyche are some responsible factors for creating isolated situations and identity crisis in the lives of characters. Anita Desai has portrayed horrible urban life atmosphere that is another isolation creating factor. In metropolitan cities, much crowd of people can be seen but just due to hurry and worry and electronic life cycle of cities, people do not have time to share with others. In rural areas, illiteracy is found that provides terrible isolation and deadly identity crisis. Some precious suggestions are needed like education for girl child, awareness of existence, equal treatment for male and female, respect of human beings, especially females.

References:-

1. Acharya, Santa. Problems of Self in the Novels of Anita Desai.(New Delhi: Prestige Books,1991).
2. Dodiya,Jaydip Sinha. Critical Essays on Anita Desai's Fiction.(New Delhi;Ivy Publishing House , 2007).
3. Khanna, Shashi;Human Relationship in Anita Desai's Novels,(New Delhi: Swaroop and Sons,1995).
4. Prasad, Madhusudan : Anita Desai:The Novelist. (Allahabad :New Horizon ,1981).
5. Tandon,Neeru : Anita Desai and Her Fictional World. (New Delhi:Atlantic Publishers ,2008)

****

Curd and Its Benefits

Dr. Rajesh Masatkar*

Abstract - We clean our body every day; we brush, bath, scrub: apply moisturizers, sunscreens and many more for looking beautiful. However our external beauty is totally depends on internal health. Curd is a natural food that gives us a deep cleanse internally. Curd promotes good digestion. Quite similar to the function of a broom, Curd cleanses your colon and digestive tract of any sludge and fecal matter. The fiber acts like an internal broom that helps anyone with chronic constipation, acidity, piles and diarrhea. The enzymes present in fresh curd gives us good health.
Keywords – Probiotic, Detoxify, Lactose, Bacteria.

Introduction - The origins of **yogurt** are unknown, but it is thought to have been invented in Mesopotamia around 5000 BC. In ancient Indian records, the combination of **yogurt** and honey is called “The food of the Gods”. Persian traditions hold that “Abraham owed his fecundity and longevity to the regular ingestion of **yogurt**”. Cow milk curd is better than curd made of buffalo milk. Buffalo milk is known for its high fat and protein content as compared to cow milk. You should have fresh curd. Storing curd for days and then consuming it is not a good idea because it messes up the quality of the bacterial culture in the product. So if you want to eat curd, we recommend that you have it within 24 hours of fermentation. Lactobacilli are also called Probiotic bacteria because they replace the colonies of harmful bacteria in our gut, which prevents gastric disorders and diseases and produce vitamin K for our body by digesting the food in our intestine. Lactobacilli also stimulate an increase in the number of B and T lymphocytes in our body. Eating curd every day is the safest and cheapest way to improve your beauty. This is because curd is rich in Vitamin E, Zinc, Phosphorus and other micro-minerals, which can firm up your skin, reduce acne and remove the signs of aging. Plus, it is a great moisturizer. Natural ways to get fair skin

Objectives :

1. To clean and detoxify individuals body naturally.
2. To save the individuals from digestive dysfunction.
3. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economical status of the people.
6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment at zero level.
8. To saves the time of people from unnecessary treatments.
9. To improve the immunity of the individuals.

Methodology – To solve the above problem, I focused on digestion and life style of the human being.

Curd Nutritional Facts – About 100grams of fat has 98 calories. The nutritional value of curd is as follow fat 4.3 gm, Carbohydrate 3.4gm, Protein 11gm, Cholesterol 17gm, Sodium 364gm and Potassium 104gm. It also contains vitamin A, D, B-12, Calcium and Magnesium. Curd is one of the best sources for calcium.

Bacteria Species in Curd – The species used in yogurt are Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus, these species eat the sugars in milk. As the bacteria eat milk sugars, the bacteria produce something called lactic acid. Lactic acid makes milk proteins curdle when milk is heated to a temperature of 30 – 40 centigrade it and a small amount of old curd added to it. The lactobacillus in that curd samples get activated and multiply and convert lactose into lactic acid.

Lactobacillus is a genus of bacteria which can convert sugar into lactic acid by means of fermentation. Milk contains a sugar called lactose, a disaccharide compound sugar made by the glycosidic bonding by the glucose and galactose

Benefit of Curd - There are many benefits of curd which are given below.

Digestion – Yogurt or curd is a great Probiotic (an ingredient that contains live bacteria). These good and beneficial bacteria are known to improve gut activity, soothe inflamed digestive systems and treat an upset stomach.

Reduces High Blood Pressure – A research presented at the High Blood Pressure Research Scientific Sessions of the American Heart Association (AHA) showed that people who ate non-fat yogurt were 31 percent less likely to develop high blood pressure than others. The special proteins in yogurt along with nutrients like potassium and magnesium help in lowering high blood pressure and promoting a healthy heart.

Improves Bone Strength – Curd is a great source of

*Govt. Degree College, Nainpur, Distt. Mandla (M.P.) INDIA

calcium and phosphorous. Both these elements strengthen the bones. Hence curds are very reliable choice to fulfill the calcium requirement of the bones and teeth. Regular intake of curds allows the bones to get stronger, which protects from issues such as arthritis and osteoporosis.

Healthy Heart – Curd helps in the preventing and reducing heart problems. Including curds daily in the diet helps in reducing the cholesterol level. It helps in functioning of healthy heart. The lesser amount of cholesterol in the body helps in keeping arteries clean and allows smooth blood flow. Hence, the risks of heart-related disease reduce to a great extent.

Brain Health – According to research, curd offers relaxation and emotional balance to the brain. It reduces the stress level and helps to fight anxieties. All these effects make it a reliable remedy for brain health.

Prevents Vaginal Infections – Yogurt may be particularly good for women as it helps in discouraging the growth of yeast infections. The lactobacillus acidophilus bacteria found in yogurt are known to control the growth of infection in the body and kill the yeast by producing hydrogen. The ability of the curd to manage the pH level helps in vaginal health. The regular consumption of yogurt improves the vaginal health of women. However, quality of curd becomes the prime necessity for the effective results.

Effective Haircare – People having hair issues such as dry, dull hair, dandruff and other problems can use curd. The lactic acid present in curds provides nutrients and minerals to the scalps, which reduces dandruff. It conditions the hair as well as the scalp to improve the softness. A little amount of curd mixed with henna can provide effective results. Having anti-fungal properties, curd can be your natural remedy to clear out stubborn dandruff. Curd helps to get rid of dandruff. Curd can be used as one of the best homemade solutions in getting rid of dandruff as it having lactic acid, which is anti-fungal in nature. When the paste of henna and curd is applied on the scalp, helps in combating dandruff. Curd is also used as hair conditioner.

Beautiful and Healthy Skin – Curd has a moisturizing effect on your skin and it heals your dry skin naturally. A lot of people suffer from acne due to certain gastrointestinal problem. Curd helps in maintaining a happy and active gut which leads to healthy skin. Yogurt is an excellent beauty ingredient for a face pack too as it contains lactic acid that acts as an exfoliator and clears off all dead cells and blemishes.

Stronger Immunity – The live active cultures found in yogurt fight disease-causing germs and keep your gut and intestinal tract protected. A scientific study conducted by a team of researcher at the University of Vienna in Austria found that eating about 200 grams was just as effective in boosting immunity as popping pills.

Discussion - Curd makes our digestive system healthy. When our digestive system is healthy then chances of getting illness is very less. Curd makes our immune system very strong, so chances of growth of micro – organisms are very less. Curd removes bad cholesterol from our body and makes our heart healthy. Curd also makes our skin healthy. I author of this paper, I am eating continuously natural fresh curd during last one and half years. Above mentions specialties of curd are true. I have not been falling ill since last one and half years and I have not taken any tablets during this period. This shows that affect of eating natural curd have some beneficial for our health.

Findings :

1. Curd makes healthy gut.
2. Curd glows your face.
3. Curd makes pH balance in stomach.
4. Curd makes our immune system strong.
5. Curd removes unnecessary cholesterol from our body.

Suggestion :

1. Eat homemade fresh curd.
2. Do not eat sour curd; it may be harmful for us.
3. Do not eat large amount curd at a time.
4. Do not eat large amount of curd for long time.

Conclusion – It is old says that "Health is Wealth". If health is well then all things is in our hand. But being author of this paper I want to expose multi-benefits curd in front of you. Eat one thing instead of many things for getting several benefits. In near future my intention is that I want to expose such multi-benefit things before you. By doing this an individual will have to do less exercise and get maximum benefit related to the health.

References :–

1. https://food.ndtv.com/food-drinks/6-impressive-health-benefits-of-eating-curd-yogurt-daily-1760558
2. https://www.lybrate.com/topic/health-benefits-of-curd
3. https://www.boldsky.com/health/wellness/2017/benefits-of-eating-curd-every-day/articlecontent-pf178039-118314.html
4. https://www.gyanunlimited.com/health/amazing-health-benefits-of-eating-curd-yogurt/8252/
5. https://www.godrejjersey.com/en/blogs/benefits-of-including-curd-in-your-daily-diet
6. https://www.quora.con/What-is-the-bacteria-in-curd
7. https://www.tutorialspoint.com/what-is-the-process-of-getting-curd-from-milk-known-as
8. https://easyayurveda.com/2010/12/31/curds-benefits/
9. https://www.foodsforbetterhealth.com/too-much-yogurt-35187

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

बैगा जनजातियों के त्यौहार (मंडला जिले के संदर्भ में)

डॉ. ज्योति सिंह *

बैगा जनजाति का परिचय – बैगा आदिवासी मध्यप्रदेश के डिण्डौरी, मंडला, बालाघाट व शहडोल जिलों में पाये जाते हैं। इस दृष्टि से बैगा मध्यप्रदेश के मूल आदिवासी भी कहे जाते हैं। डिण्डौरी जिले का बैगा चक जो कि पहले मण्डला जिले में था, आज भी सघन वनों से पूर्ण है। इस क्षेत्र के बैगा आज भी अति जंगली जीवन बिता रहे हैं।

बैगा के करीब-करीब सभी पड़ोसी कबीलों यथा, गोड़ कोल, प्रधान सौर। आदि में इनका स्थान सबसे ऊँचा है। इनमें से अधिकतर कबीलों के लिये बैगा पुरोहित या पुजारी की हैसियत रखते हैं। इन कबीलों में यह विश्वास है कि बैगा आलौकिक शक्तियों पर प्रभुत्व रखता है। नस्ली विचार से बैगा का संबंध कोल, मुण्डा और द्रविड़ नस्लों से भी जान पड़ता है। इस प्रकार उनका संबंध मध्यप्रदेश के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बहुत से काबाइली तथा गैर काबाइली लोगों से जुड़ जाता है।

मध्य भारत की आदिम जाति परिधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मण्डला, बालाघाट और जबलपुर जिलों में कई एक आदिवासी कबीले आबाद हैं। इनमें एक कबीला बैगा भी है। बैगा की आबादी इन जिलों के जंगलों से ढके हुये पहाड़ी इलाकों के अंदर विशेषतया ऐसे स्थानों में सिमटी हुई है जो प्राकृतिक बनावट के विचार से दुर्गम और अलग-अलग है। उनकी सर्वाधिक आबादी जिला मण्डला के दक्षिण में, मेकाल के पहाड़ी सिलसिलों के अंदर है। इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के उत्तरी पूर्वी सिरे पर बैगा चक है, जिसकों बैगा के देश में लगभग केन्द्रीय स्थान प्राप्त है।

'बैगा' जनजाति को मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति, घोषित किया गया है सन् 1976 में देश की 76 विशेष आदिम जनजाति (Primitive Tribes) समुदायों में बैगाओं को भी सम्मिलित किया गया।

इनको द्रविड़ों से उत्पन्न और छोटा नागपुर की भुईया आदिम जनजाति की शाखा माना जाता है।

संपूर्ण भारत वर्ष में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्यप्रदेश में ही निवास करते है तथा संपूर्ण एशिया महाद्वीप में यहाँ एक आदिम जनजाति बची है। वह है प्रकृति पुत्र 'बैगा' राजगोडों के समान बैगाओं के बिंझवार बैगा बड़े जमींदार है। उन्होंने राजवंशी होने की महत्ता प्राप्त है। मण्डला, बालाघाट एवं डिण्डौरी जिले में अधिकांश भारिया और भूमिया बैगा निवास करते हैं।

बैगा छोटा नागपुर की आदिम जनजाति भुईयाँ की मध्यप्रदेशीय शाखा है जिसे भूमिया बैगा कहा जाने लगा। सर्वप्रथम बैगाओं ने ही छोटा नागपुर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, लेकिन बाद में यह जनजाति मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया राजनांदगांव एवं बालाघाट के दुर्गम वनों में निवास करने लगी।

बैगाओं की सात शाखायें है-

1. भूमिया
2. बिंझवार
3. भरौतिया
4. नाहर या नरौटिया
5. भैना
6. कोड़वान
7. मुड़िया या मुरिया

1. भूमिया – भूमिया का अर्थ होता है भूमि का स्वामी इनका यह विश्वास है कि ईश्वर ने सबसे पहले भूमिया बैगा को ही उत्पन्न किया था तथा उनकी भूमि का स्वामी बनाया था। इस कारण वे अपने को भूमिया कहते हैं।

इस उपजाति के बैगा मेकल पर्वत जो कि अमरकंटक से सालेटेकरी (बालाघाट) तक फैला है। सर जार्ज ग्रिगसन का कथन है कि वास्तव में बैगा शब्द से आदिवासियों की जिस नस्ल को संबोधित किया जाता है, वह प्रमुख रूप से मण्डला एवं बालाघाट में निवास करती है समस्त बैगा उपजातियों के बीच यह उपजाति सबसे मौलिक, विचित्र एवं निराली है। बैगाओं की अन्य उपजातियाँ जो अन्य क्षेत्र में निवास करती है। उन पर आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति की छाप है। उनकी संस्कृति भी अपना स्वरूप बदल चुकी है, किन्तु भूमिया बैगा आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं।

2. भरौतिया – भूमिया बैगा के बाद ही भरौतिया बैगा उपजाति का स्थान है। वास्तव में समस्त बैगा उपजाति के बीच मात्र ये ही दो उपजाति है, जो आज भी मौलिक अवस्था में है। इस उपजाति के बैगा अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखे हुए हैं। यह उपजाति भूमिया बैगाओं से मिलती जुलती है। इस उपजाति का निवास स्थल बैहर तहसील है।

बालाघाट जिले की बैहर तहसील में सूफखार तथा मुक्की परिक्षेत्र के घने जंगलों, डिण्डौरी जिले के बैगा चक में आज भी निवास करते है। भरोतिया बैगा भी भूमिया जैसे ही अपनी आदिम जनजाति अवस्था में परंपरागत जीवन निर्वहन करते हैं। भरोतिया अपनी मौलिक अवस्था में रहकर बैगा जनजाति की संस्कृति को संजोये हुये हैं। भरोतिया से अभिप्राय 'भरण-पोषण' करने वाला समूह कहलाता है।

3. नारोटिया या नाहर – नारोटिया या नाहर बैगा जनजाति बालाघाट जिले की बैहर तहसील में निवास करती है। नारोटिया बैगा गोड़ों के समान ही रहन-सहन व परंपरागत धार्मिक कार्य करते हैं। परंतु इनकी एक विशेषता यह है कि इनके गांव में केवल ये ही बैगा रहते हैं। ये अन्य उपजाति से अलग निवास करते हैं। ये जनजाति आज भी घने जंगलों में निवास करती है।

नारोटिया या नाहर अर्थात् ये बाघ को 'नाहर' शब्द से संबोधित करते

* सहायक प्राध्याक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर, मंडला (म.प्र.) भारत

है जिसका मतलब है कि उनका नाम बाघ से नाहर हो गया है इसलिये नाहर बैगा देवताओं में सबसे अधिक बाघदेव को पूजते हैं। अर्थात् नाहर की अत्यधिक पूजा करने के कारण इनका नाम नारोटिया या 'नाहर' हो गया।

4. मुण्डिया/ मुड़िया या मुरिया बैगा – जो बैगा अपने आधे माथे के बालों को मुडवा लेते हैं उसे मुड़िया बैगा कहते है। यह उपजाति समस्त उपजातियों से अलग ही दिखाई पड़ती है। इस उपजाति के अधिकांश लोग गोंड जनजाति के लोगों के बीच निवास करती है अत: इस उपजाति का पहनना, ओढ़ना, खान–पान, रीति–रिवाज आदि सब गोडों के समान है। इस उपजाति के बैगा मण्डला, डिण्डौरी, तथा निवास तहसील में कहीं–कहीं निवास करते हैं।

5. भैना – बैगाओं की यह उपजाति बिलासपुर (छत्तीसगढ़) शहडोल एवं रीवा जिलों में पाई जाती है। इस उपजाति के तीन भेद है दूध भैना काठ भैना एवं राय भैना। बैगा बालाघाट में बैहर तहसील वारासिवनी तहसील व लामता क्षेत्र में निवास करते है। जीवन निर्वाह हेतु भैना जंगलों से बॉस एवं लकड़ी लाकर बेचते है। घर में रहने वाली महिलायें व बच्चे बांस की चटाई, खुमरी, मोरया, टुकना, डलिया व जंगली घास के विभिन्न प्रकार के साज–सामान का निर्माण करते है। जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं।

6. गोंडबैना – यह भी बैगा की उपजाति है। बालाघाट में ये बैहर तहसील में निवास करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह कवर्धा जिले में भी पायी जाती है। ये बैगा बंदर एवं गौ मांस का भी सेवन करते हैं।

7. बिंझवार बैगा – यह उपजाति बैगाओं की सबसे सभ्य उपजाति है। बिंझवार बैगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निवास करते हैं। मिर्जापुर (विंध्याचल) से बैहर के पश्चिमी भाग तक इस तक विस्तार था।

बालाघाट में समनापुर परिक्षेत्र वारासिवनी तहसील, मेहन्दीवाड़ा (रामपायली परिक्षेत्र) खैरगांव हट्टा परिक्षेत्र व लांजी तहसील, बैहर तहसील, जबलपुर जिले की जबलपुर तहसील के शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित अर्थव्यवस्था व सभ्य परिवेश में निवास करती है। बिंझवार जनजाति का खान–पान जंगली न होकर अन्य दूसरी जातियों के समान हो चुका है।

बैगाओं की अन्य उपजातियों में अपने को अलग बताने के लिये ये अपने आप को विंध्यवाल अर्थात् विन्ध्याचल वाले या विन्ध्वार कहकर संबोधित किया करते रहे है। हिन्दी में 'ल' के स्थान पर 'र' का उच्चारण भी किया जाता है, जैसे बाल के स्थान बार। यह उपजाति अत्यंत सभ्य है हिन्दुओं के समस्त रीति रिवाज एवं त्यौहारों को मानती है।

बैगा जनजाति का वर्गीकरण – बैगा जनजाति का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है।

वेरियर एल्विन (1939), बैगा जनजाति की उपजातियों में कुर्क बैगा, दूध बैगा, या दुध–भैना और सावत बैगा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मुख्य रूप से बिंझवार, भरौटिया और नरोतिया भी है। बिंझवार बैगा अधिकतर संख्या में बिहार में रहते है, जो कि देश का उत्तरी–पूर्वी भाग की जनसंख्यात्मक दृष्टि से जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है। भरोतिया जाति के बैगाओं का क्षेत्र भी मुख्यत: बिहार ही है ये भूमिया जैसे हैं। भूमिया बैगाचक (डिण्डौरी) में सर्वाधिक संख्या में है, जबकि भूमिया अधिकतर मण्डला में नरोतिया (नाहर) बैगा बिहार में तथा मैना बैगा जिसकी तीन उपजाति समूह में राय भैना, काठभैना, दूध भैना, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर व मध्यप्रदेश के रीवा में पाये जाते है जबकि गोंड बैगा व कोडमान बैगा बालाघाट में रहते हैं।

रसेल व हीरालाल (1961), इन्होंने बैगा जनजाति के सात प्रकार बताये है बिंझवार, भरोतिया, नरोतिया (नहार) रायभैना, काठ भैना, कोड़ा (कुंड) और गोंड भैना (बैगा)। बिंझवार जाति की उत्पत्ति शिकारी वर्ग से हुई है। अपनी जाति से बाहर विवाह करने में प्रतिरोध नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में बिंझवार, भरोतिया, नरोतिया आपस में विवाह कर सकते हैं। यद्यपि ये लोग खान–पान संबंधी निषेध जरूर मानते हैं।

यबैगा शब्द जाति विशेष का सूचक है। बैगा अनेकार्थी शब्द है। अधिकतर गुनिया और ओझा बैगा जनजाति के होते हैं। किन्तु यह भी जरूरी नहीं कि गुनिया एवं ओझा बैगा मात्र हो। बैगा जनजाति को कभी–कभी – गोंड समझ लिया जाता है। जबकि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पायी जाने वाली ये दोनों जनजातियाँ कोल और द्रविड़ जनजाति समूह से संबंधित है। दोनों जनजातियाँ हजारों साल से साथ–साथ रह रही हैं।

बैगा जनजाति प्रारंभिक नव प्रस्तर युग की याद दिलाती हैं, जबकि कृषि का प्रारंभ प्रस्तर युग के अभ्युदय से जुड़ा है। बैगा मध्यप्रदेश की उन आदिम जनजातियों में से एक है, जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी और अपनी आदिमता की अंतिम पहचान की स्थिति में है। सामाजिक बदलाव शहरी सभ्यता तथा भौतिक साधनों के तीव्र आक्रमण के कारण बैगा समाज की आदिम पहचान प्राय: लुप्त हो गयी है। बैगाओं के पास न निजी बोली शेष है और न ही सांस्कृतिक विरासत।

परिवर्तन के इस दौर में समस्त जनजातियों को ऐसे की संक्रमण काल से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए भारत शासन द्वारा बैगा जनजाति को विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। तदनुसार इनके जीवन की मूलभूत सुविधा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकें। सर्वप्रथम सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निस्तार की सुविधाएँ निर्मित करने के लिए समस्त बैगा बाहुल्य जिलों में बैगा विकास अभिकरण का गठन किया गया जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़े, आय बढ़ने से उनका ध्यान परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, सफाई और कृषि विकास की ओर अग्रसर होगा। जिससे उनकी उत्तरोत्तर प्रगति होना प्रारंभ हो जावेगी। इस प्रकार बैगा जनजाति को भी अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर मूलभूत सुविधाओं के निर्धारण होते ही निर्मित होगा। बैगा विकास अभिकरण के गठन से शनै: शनै: उनका विकास प्रारंभ हो गया है।

बैगा के करीब–करीब सभी पड़ोसी कबीलों जैसे गोंड़, कोल, प्रधान सौरा आदि में उनका स्थान सबसे ऊँचा है। उनमें से अधिकतर कबीलों के लिये बैगा पुरोहित या पुजारी हैसियत रखते हैं। इन कबीलों में यह विश्वास है कि बैगा आलौकिक शक्तियों पर प्रभुत्व रखता है। नस्ली विचार से बैगा का संबंध कोल, मुण्डा और द्रविड़ नस्लों से भी जान पड़ता है।

1. बैगा बलवान, हृष्ट–पुष्ट और गठीले होते है। सत्तर व अस्सी वर्ष की आयु के बैगा भी मेहनत और परिश्रम के कार्य बड़ी सुगमता से करते रहते हैं।
2. गोंड की तुलना में बैगा का सर लम्बा होता है। किंतु कुछ बैगा चौकोर सर वाले भी होते हैं। इनके बाल घने और लम्बे होते हैं, जिन्हे ये गांठ बांध कर एक तरफ को लटका कर रखते हैं।
3. किन्तु सभ्यता के विकास औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, संचार के साधनों ने बैगा जनजाति को प्रभावित किया है आज लम्बे बालों वाले बैगाओं की संख्या कम है।
4. पहाड़ों और जंगलों के भीतरी इलाकों में रहने वाले बैगा एक तंग लंगोटी से अधिक और कुछ नहीं पहनते, किन्तु हिन्दुओं के करीब रहने वाले बैगा धोती कमीज, बन्डी पहनने लगे हैं।
5. बैगा स्त्रियाँ धोती पहनती है, जिसे लुगरा कहते हैं। बैगा स्त्रियाँ लुगरा

के एक सिरे को कमर में बांधती है, और इसी का कुछ भाग शरीर के ऊपर लपेट लेती है। यह पीठ से इस प्रकार गुजरता है कि उसके अंदर किसी बच्चे के बैठने का स्थान बन सकता है। बैगा स्त्रियाँ न तो चोली पहनती है और न सिर ढांकती हैं। किन्तु आज बैगा स्त्रियाँ ब्लाउज साड़ी पहनती है, हिन्दुओं के नजदीक रहने वाली बैगा स्त्रियाँ सिर भी ढंकती हैं।

त्यौहार – मंडला जिले के विकासखंडो में बैगा जनजातियों के त्यौहारों के संदर्भ में अनौपचारिक वार्तालाप एवं अवलोकन के पश्चात बैगा समुदाय के सभी लोग निम्न त्यौहारों को मनाते है जो इस प्रकार है–

(1) हरियाली –बैगाओं का यह त्यौहार नई धान की फसल के समय आता है। इस दिन बैगा नहा धोकर नई धान का बाल पूजा पाठ करके भगवान को चढ़ाते है, धरती माता के नाम से भी चढ़ाते हैं। कुछ बैगा चने की भाजी लाकर चढ़ाते है और फिर चने की भाजी और भात बनाकर खाते है। कुछ बैगा जंगल से भिलवा की पत्ती लाकर अपने खेत में गड़ाते है और दरवाजे पर खरखरा भिलवा की पत्ती लगाते है। कुछ चकोड़ा भाजी भी खाते है। बैगा समुदाय में हरियाली त्यौहार को सभी मनाते हैं।

(2) पोरा –इस त्यौहार में बैगा समुदाय के युवा और बच्चे बांस से गेड़ी बनाते है और गेड़ी से 2–3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक उसको चलाते हैं, गेड़ी को कुछ बैगा रंग भी लगाते हैं, गेड़ी को चलाने के बाद, शाम को नदी पर जाकर गेड़ी को धोते है फिर खिरका में आते है जिसे मैदान कहा जाता है गेड़ी को धोकर उसमें पानी डालकर लाते है दूसरे दिन खापा जिसमें पैर रखकर चलते है उसको मिट्टी में गड़ा दिया जाता है और जो पानी लाते हैं वह डाल देते हैं और जो बांस गेड़ी की होती है उसको नदी में सिरा देते हैं। उस समय बैगा कुछ पकवान जैसे ठेठरा, गूजा, मलीदा बनाते है जिसे बच्चे नदी के किनारे ले जाकर खाते हैं। अमावस्या के दिन सुबह जल में ठंडा करते है। घर से चीला, रोटी, ठिठरा, खुरमा भी ले जाकर नदी में ही खाते हैं।

(3) छेरता –इस त्यौहार में बैगाओं के बच्चे घर–घर जाकर मांगते है और कहते है– एक उत्तरदाता ने ये कविता गा के बताई

- **'छेरता भाई छेरता**
- **कोठी का दाना हेरता**
- **माई मिरगी मारता'**

ऐसे कहते हुए बच्चे अपने गांव में घूम–घूम कर दाल, चावल, सब्जी इकट्ठा कर लेते है फिर शाम को इकट्ठा किये हुये अनाज में खाना बनाते है। बाड़ी या आंगन में बनाते हैं। और खाना बनाकर तीन थाली में अलग–अलग रख देते है आंगन में ही। फिर तीन छोटे लड़के कौआ बनकर बार–बार उस थाली के खाने में मुँह डालते हैं। और लड़कियां उन लड़कों को लकड़ी से मारकर भगाती है फिर लड़के छुप–छुप के आते हैं, और थाली को मुँह लगा के जाते है इस तरह थोड़े देर इस खेल के बाद सब मिलकर खाना खाते है। कई जगह इसमें यादव जाति के लोग भी शामिल हो जाते हैं फिर खाना यादव जाति के लोग ही बनाते हैं।

(4) दीपावली – दीपावली के दिन बैगा अपने घर के गाय की पूजा करते हैं, उसके सींग को रंगते है और कुम्हड़ा भात बनाकर गाय को खिलाते हैं। मिट्टी के दिये जलाते हैं। वर्तमान में लक्ष्मी जी की मूर्ति या लक्ष्मी जी का केलेन्डर लाकर उनकी पूजा करते हैं पटाखे फोड़ते है गाय को नहलाते हैं, और सजाते हैं उड़द की दाल का बड़ा बना के खिलाते हैं, चावल, मीठा कुम्हड़ा (जगनदिया) कोदो, कुटकी होने पर उनकी भात बनाते है।

(5) होली –होली में सबके घर–घर से लकड़ी मांगकर एक जगह इकट्ठे कर लेते है। लकड़ी के नीचे मुर्गी का अंडा रख देते है फिर लकड़ी में आग लगा देते है जब आग पूरी तरह से जल जाती है और राख बन जाये तो सब एक–दूसरे को राख का तिलक लगाते हैं फिर रंग खेलते हैं। पहले पलाश के फूल का रंग निकाल कर खेलते थे उसको मटके में रखकर उबाला जाता था फिर उस रंग को होली के दिन खेलते थे। अब बाजार से ही रंग, गुलाल बच्चों के लिये पिचकारी लाते हैं इसी से खेलते है कुछ गोबर से भी खेलते हैं। और इस प्रकार बैगा समुदाय के लोग होली का मजा लेते हैं।

(6) दशहरा –दशहरे के दिन धरती माता की पूजा करते हैं और दूसरे दिन से करमा, ददरिया नाचना शुरू करते हैं।

(7) तीजा –कुछ बैगा औरतें तीजा उपवास रखती हैं, इस दिन, दिनभर कुछ नहीं खाती फिर गांव में एक जगह फुलेरा बांधती हैं और शंकर जी की पूजा करती हैं। शाम को आलू या कांदा (शकरकंद) का फलाहर करती हैं।

(8) शिवरात्री –इस दिन उपवास रखते हैं शंकर जी की पूजा करते हैं चूल्हे में आलू पका कर फलाहरी नमक डालकर खाते हैं।

ये सभी त्यौहारों को मनाते है संचार के साधन आने से ये हिन्दूओं के सारे त्यौहारों को देखकर अपने तरीके से मनाते है इनमें इस विषय में जागरूकता आ गयी है। जो त्यौहार ये नहीं मनाते थे और ये दूसरों को करते देख कर उनसे पूछ कर खुद भी करने लगे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. दुबे, डॉ. उमेश कुमार, (2013) 'बैगा जनजाति–विकास के नवीन आयाम', विनायक पब्लिकेशन, पृ. सं. 4।
2. सिद्दिकी, डॉ. एम.के.ए.,(1984), 'भारत के आदिवासी',प्रथम संस्करण, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण भारत सरकार, पृ. सं. 49।
3. विश्वास, नरेश,(2007) 'बेंवर स्वराज', प्रथम संस्करण, निर्माण वैकल्पिक विकास एवं सहभागी शोध संस्थान सिझोरा, पृ. सं. 1।
4. चौरसिया, डॉ. विजय, (2009) 'प्रकृति पुत्र बैगा', द्वितीय संशोधित, म.प्र हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृ. सं. 2।
5. अटल, योगेश, (2000) 'आदिवासी भारत', राजकमल पब्लिकेशन, दिल्ली।
6. अग्रवाल गिरिजाशंकर (2011),'मंडला के किले का इतिहास' प्रकाशन गोडी पब्लिक ट्रस्ट, मंडला।
7. अग्रवाल गिरिजा शंकर (2004) , 'आदिवासी जिला मण्डला', गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट, महिष्मति मण्डला (म.प्र.)
8. अग्रवाल, इन्द्रकुमार (2010) 'मंडला जिले के आदिवासी लोकगीत', गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला।
9. हसनैन,नदीम, (1997) 'जनजातीय भारत', चतुर्थ संस्करण, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
10. निमौही, एम.एल. सिंह, (2003) 'भारत की जनजातियाँ', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

****

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव (म.प्र. के छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

अंचल रामटेके *

शोध सारांश – मानव जीवन पूर्णत: प्रकृति तथा प्राकृतिक स्त्रोतों पर आश्रित है। सामान्यत: जलवायु परिवर्तन से आशय वातावरण या प्रकृति की प्राकृतिक अवस्था में बदलाव होना है। प्रकृति के अनुचित दोहन से उत्पन्न असंतुलन के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन कई वर्षो में होता है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे जैसे – जलवायु परिवर्तन, भूमण्डलीय तापन, ओजोन पर्त अपक्षय आदि विश्वव्यापी समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता है।

आर्थिक विकास के इतिहास एवं जीवन के प्रारम्भ में मनुष्य ने अपने आसपास के प्राकृतिक उपहारों को पहचाना एवं कृषि के रूप में इनका उपयोग एवं उपभोग करना प्रारम्भ किया। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचलो में निवास करती है तथा कृषि जीविका का मुख्य स्त्रोत है। कृषि की उत्पादकता मुख्यत: जलवायु पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन से कृषि की उत्पादकता में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की तकनीके विकसित की जा रही है उदाहरण जलवायु प्रतिरोध किस्मे, जलवायु स्मार्ट कृषि आदि, जिससे उत्पादकता में सुधार हो सके।

शब्द कुंजी – जलवायु।

प्रस्तावना – जीवन के उद्‌भव के साथ ही मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहा है। प्रकृति जलवायु से प्रभावित होती है। जलवायु भूमि, मृदा, वनस्पति एवं मनुष्य को प्रभावित करती है, तथा सूर्य की किरणों की दिशा, समुद्र तल से ऊँचाई, भूमि पर्वत श्रेणियों की दिशा, वायुदाब, पवन एवं समुद्री धाराओं आदि से प्रभावित होती है। विभिन्न मानवीय कृत्यों से जलवायु की प्राकृतिक दशाओं में जो परिवर्तन हो रहा है उसे जलवायु परिवर्तन कहते है। जलवायु परिवर्तन वनस्पति तथा प्राणियों के विनाश एवं विकास का कारण बनती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार शहरीकरण एवं औद्योगिकरण ने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन से जल संकट, जल चक्र में परिवर्तन, संक्रामक रोगों में वृद्धि, कृषि उत्पादों में कमी हो रही है, जैव विविधता नष्ट हो रही है।

उद्देश्य – जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का कृषि उत्पादकता पर अध्ययन करना।

अध्ययन स्त्रोत – इस शोध पत्र हेतु प्राथमिक स्त्रोत के रूप में छिन्दवाड़ा जिले की पाण्डुरना तहसील से कृषि से प्राप्त कुछ आंकड़े एवं द्वितीयक डाटा स्त्रोत के रूप में पुस्तक, समाचार पत्र एवं इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव – भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। मनुष्य की खाद्य संबंधी आवश्यकता पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है, तथा कृषकों की जीविका का स्त्रोत है। भारत में 60 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर आश्रित है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों हेतु कच्चे माल की सप्लाई भी कृषि उत्पादों पर निर्भर करती है। सन् 1950-51 में भारत में खाद्यान का उत्पादन 51 मिलियन टन था जो अब 11-12 में 250 मिलियन टन हो गया है।

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से तापमान वृद्धि, वर्षा में कमी या अधिकता, वायु की दिशा परिवर्तन आदि होता है जिससे कृषि प्रभावित होती है। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन :-

क्रं.	वर्ष	आपदा
1	2002,2004,2006,2008,2010,2012	आकाल
2	2005,2006,2008,2010,2013	बाढ़
3	2002,2003,2005,2006	शीतलहर
4	2004,2005,2010	उच्च तापमान
5	2003 (आंध्रप्रदेश)	गरम लहर

जलवायु परिवर्तन निम्न प्रकार से कृषि को प्रभावित करता है :

1. मृदा :- मृदा के जल स्तर को प्रभावित करता है जिसके कारण मिट्टी सूखी एवं शुष्क होती जाएगी तथा सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ती जाएगी।
2. जलीय चक्रण प्रभावित होता है जिसके फलस्वरूप कही बाढ़ तो कही सूखा होता है।
3. कृषि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही है।
4. सब्जियों की पैदावार तथा बागवानी प्रभावित हो रही है।
5. जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप खरपतवार तथा कीट पतंगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। गर्म जलवायु कीट पंतगों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि करती है।
6. हवा में बदलाव (नमी आदि) से हवा जनित कीटों, बैक्टीरिया तथा फंगस की संख्या में वृद्धि हो रही है।

'म.प्र. छिन्दवाड़ा जिले की पाण्डुरना तहसील में सोयाबीन उत्पादन पर शोध कार्य एवं प्राप्त जानकारी'

वर्ष 2012-13 के पूर्व छिन्दवाड़ा जिला की पांडुरना तहसील के आसपास के क्षेत्रों में प्रचुरमात्रा में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता था तथा सोयाबीन ही ग्रामीणों की आय का मुख्य स्त्रोत था, परन्तु पिछले 6-7 वर्षो से सोयाबीन के स्थान पर कपास का उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि

* सहा प्राध्यापक (प्राणिशास्त्र) राजा भोज शासकीय महाविद्यालय, मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

सोयाबीन की फसलों पर कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा था तथा सोयाबीन के पत्ते लाल पड़कर सूख जाते थे। इस कारण किसानों ने सोयाबीन का उत्पादन करना बंद कर दिया तथा इसके स्थान पर कपास की बुआई शुरू की। परन्तु सोयाबीन की कृषि किसानों के लिए अधिक लाभदायक थी, क्योंकि इसमें समय कम (2.5 माह) समय लगता है तथा इसके पश्चात् गेहूँ की फसल (रवि) बोई जा सकती है परन्तु कपास की फसल अधिक समय (8-9 माह) लगता है तथा एक वर्ष में एक ही फसल प्राप्त होती है निम्न तालिका एवं ग्राफ में स्पष्ट है-

सोयाबीन उत्पादन

क्षेत्र	समय	उत्पादन	व्यय	आय
1 एकड़	2-2.5 माह (70-80 दिन)	6-8 क्विंटल	4-5 हजार	15-20 हजार

इसके पश्चात् इसी भूमि पर गेहूँ की बुआई की जाती है

गेहूँ उत्पादन

क्षेत्र	समय	उत्पादन	व्यय	आय
1 एकड़	4 माह	10 क्विंटल	2 हजार	20 हजार

परन्तु सोयाबीन के स्थान पर कपास की खेती करने पर कपास उत्पादन

क्षेत्र	समय	उत्पादन	व्यय	आय
1 एकड़	8-9 माह	5 क्विंटल	4-5 हजार	25 हजार

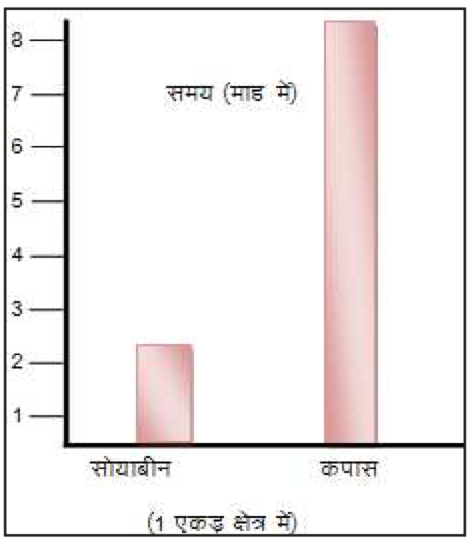

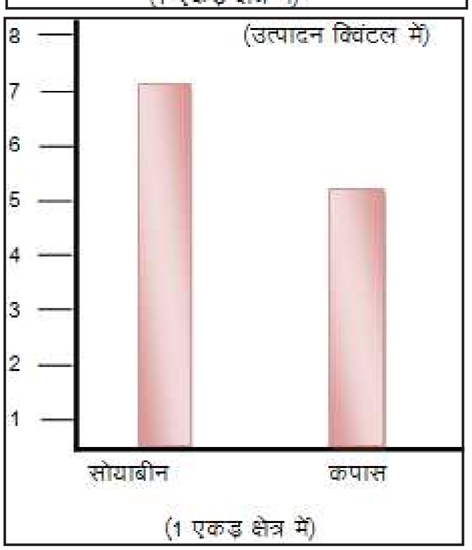

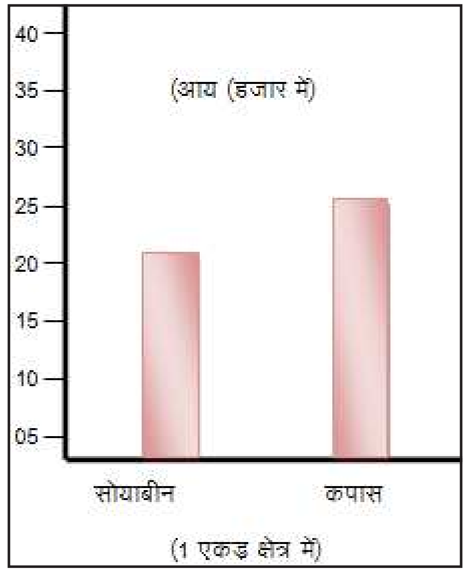

निष्कर्ष - अत: 01 वर्ष में सोयाबीन + गेहूँ के संयुक्त उत्पादन से 40 हजार प्रति एकड़ का लाभ होता था परन्तु कपास से 25 हजार प्रति एकड़ प्राप्त होता है। इस प्रकार जलवायु परिर्वन ने सोयाबीन की बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु सुझाव :

1. शुष्कता, बाढ़, आकाल आदि को सहन करने में सझम कृषि की प्रजातियों को विकसित करके।
2. सिंचाई जल व्यवस्था में सुधार करके।
3. फसल विविधीकरण संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी द्वारा।
4. उत्तम श्रेणी के उर्वरक का प्रयोग।
5. जैव खादों का प्रयोग।
6. मौसम आधारित पूर्व चेतावनी किसानों को दी जानी चाहिए।
7. फसल चक्रीकरण द्वारा।
8. गेहूँ की फसल रोपण के समय में कुछ फेर बदल करने पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति को 65-75 प्रतिशत कम किया जा सकता है।
9. जलवायु स्मार्ट कृषि - देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की पहल की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएँ भी लागू की गई है। इसमें कृषि भूमि, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि सम्मिलित है। यह परियोजना खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई गई है।

जलवायु स्मार्ट कृषि की मुख्य विशेषता इसमें अनुकूलन का समावेश है।

उपसंहार - भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हो रही है तथा फसलों में परिवर्तन किया जा रहा है। वर्तमान में किसानों को इस समस्या का सामना करने हेतु जागरूक और तैयार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली।
2. गोरखपुर Environmental Action Group (Edition)
3. पर्यावरण अध्ययन - डॉ. सक्सेना
4. पांडुरना क्षेत्र से प्राप्त आंकड़े (सर्वे)
5. इंटरनेट

महिलाओं में मद्यपान के कारण एवं दुष्परिणाम

डॉ. सुनीता खण्डेलवाल*

प्रस्तावना - पाश्चात्य संस्कृति की देन कहा जाए या मन की कमजोरी या शराबखोरी के बुरे परिणामों से अज्ञानता। मद्यपान की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन विश्व के सभी देशों और समाजों में विकराल रुप ले रही है। यह एक ऐसी सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक व्याधकीय है जिस पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो यह व्यक्तिक और शारीरिक विघटन का बहुत बड़ा कारक सिद्ध होगी। वर्तमान में इसके बढ़ते प्रयोग ने सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। सामाजिक-धार्मिक उत्सवों, तीज-त्यौहारों, अतिथि-सत्कार, मित्र से मिलन या विदाई के दौरान शुभकामनाएं प्रदर्शित करने आदि अवसरों पर तो मद्यपान करना आम होता जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी व्यक्ति दिनभर की थकान मिटाने, तनाव दूर करने, हाथ-पैरों में कम्पन, कार्यक्षमता बढ़ाने आदि में भी एक उत्तेजक पेय पदार्थ के रुप में इसका उपयोग कर रहा है। मद्यपान का प्रभाव मद्यपान करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित न होकर सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक परम्पराओं को भी प्रभावित करता है। मद्यपान की वजह से बहुत खुन-खराबे हुए है, न जाने कितने घरों में शोक की लहर इसके कारण आई है, मद्यपान के कारण पति-पत्नि में झगड़ें, दुर्घटनाओं में शारीरिक-आर्थिक क्षति, आत्महत्या की दर में वृद्धि भी हुई है।

वर्तमान में मद्यपान की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या के रुप में उभर रही है। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में मद्यनिषेध के निर्देश दिए गए है, परन्तु राजस्व आय का बहुत बड़ा स्त्रोत होने के कारण राज्य सरकारें मद्यनिषेध नीति को पूर्णत: लागू नहीं कर पा रही है परन्तु मद्यपान का स्वास्थ्य व समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह प्राप्त आय से कहीं अधिक है। घरेलु हिंसा व विभिन्न प्रकार के अपराधों में वृद्धि के कारण आम जनता में इसके प्रति असन्तोष उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण मद्यनिषेध की आवाज़ अब स्थानीय स्तर पर भी उठने लगी है।

मद्यपान की अवधारणा - मद्यपान किसी एक व्यक्ति की ही नहीं अपितु एक परिवार की सामाजिक-सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और विकास की समस्या है। यह एक उत्तेजक पेय पदार्थ है। नियन्त्रित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो कोई नुकसान नही परन्तु अनियन्त्रित मात्रा व्यक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याऐं उत्पन्न कर सकती हैं। मदिरा व्यवहार में स्व-नियन्त्रण को कम कर देती है। मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति स्वच्छन्द व्यवहार करने लगता है। कभी-कभी मद्य सेवन करने पर भी व्यक्ति इसका आदी होने लगता है और प्रतिदिन इसका सेवन करने वाला और अधिक मात्रा में पीने लग सकता है। यह उसे शारीरिक, मानसिक रुप से प्रभावित कर सकती है, काम करने की क्षमता कम या नष्ट कर सकती है और उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। मदिरा व्यक्ति के पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है।[1] आज मदिरा लाखों स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता बनती जा रही है। कुछ समाजों में इसे बुरा समझा जाता है जबकि कुछ समाजों में इसे आवश्यक रुप से स्वीकार किया जाता है। मद्यपान किसी जाति, धर्म, प्रान्त, व्यवसाय आदि तक ही सीमित नहीं है अपितु अमीर-गरीब, अशिक्षित-शिक्षित, ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरुष बालक-बालिकाएं सभी श्रेणी के व्यक्ति इस ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। एक समय था जब धनाढ्य वर्ग, पूंजीपति, पश्चिमी सभ्यता का लबादा ओढे सम्भ्रान्त वर्ग ही मदिरा सेवन करते थे, मगर आज यही मदिरा उस छोटे से दायरे से होती हुई बड़े दायरे में फैल चुकी है। मदिरा पीना-पिलाना आज फैशन बनता जा रहा है। अभिजात्य वर्ग जो मदिरा पीता भी है और शान से जीता भी है, मगर गरीब तबका जो मदिरा खरीदकर पीने में समर्थ तो नहीं है मगर किसी तरह खरीदकर पी रहा है और बेमौत तिल-तिलकर मर भी रहा है। गरीब लोग घर में बनी कच्ची मदिरा का सेवन करते हैं तो धनी लोग व्हिस्की, रम, स्कॉच, सोलन और दूसरी मंहगी व बढ़िया शराब पीते हैं।

गाँव भी शहर की भांति शराब की गिरफ्त में आने लगे हैं। पहले शराब की खपत शहरों में ज्यादा थी मगर आज शराब की लत के शिकार होने वाले लोगों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की संख्या अधिक है। शहरों से चली आधुनिकता की हवा ने गांवों को भी अपने रंग में रंग लिया है। नगरीकरण, होटल, क्लब व बार आदि की सुलभता ने मद्यपान को और अधिक सुगम बना दिया है।

प्राय: यह देखा गया है कि सेना में, राजदूतावासों में, बड़े-बडे उद्योगपतियों में, वकीलों में, उच्च अधिकारियों और धनी लोगों की शादी-पार्टियों में मद्यपान शान-शौकत और वैभव का प्रतीक माना जाता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनियाभर में लगभग 140 मिलियन लोग शराब पीने की आदत से ग्रस्त हैं।[2]

महिलाओं में मद्यपान के कारण - महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति एक सामान्य घटना है। जबसे मदिरा अथवा शराब अस्तित्व में आई, तभी से महिलाओं ने इसका सेवन प्रारम्भ कर दिया। महिलाओं में बढ़ती मद्यपान की प्रवृत्ति सभ्य समाज में बेहद चिंता का विषय है। जिस देश और समाज में नारी को देवी स्वरुप माना जाता है आज वही नशे के मद में चूर होकर अपने आपको आधुनिकता के रंग में रंगने के कारण कमजोर और अशक्त बना रही है। मद्यपान की प्रेरणा ज्यादातर मित्रों, पड़ौसियों, रिश्तेदारों और परिवार से मिलती है।

सामान्यतौर पर मद्यपान करने वाली महिलाओं को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में गरीब व निम्न तबका आता है, जो कि आदिवासी क्षेत्रों में रहती हैं तथा मजदूरी व नशे से संबंधित घरेलु व्यवसाय

* शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान शोध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, भारत

से जुड़ी हुई है जिसमें हम कच्ची मदिरा बनाने व बेचने वाली महिलाओं, नाचगान व देहव्यापार से जुड़ी महिलाओं को भी शामिल कर सकते है। ये महिलाएं प्राय: स्वाबलम्बी होती है। मद्यपान व अन्य तरह का नशा करना उनके लिए आम बात है। द्वितीय श्रेणी में आर्थिक रुप से सम्पन्न महिलायें है जो कि समाज में अपनी शान-शौकत दिखाने के लिए तथा अपने को अनाड़ी एवं गंवाार न समझ लिया जाए इस हेतु क्लब व सोसायटी में मदिरा का गिलास थामती है और धीरे-धीरे वे इसकी आदि होती जाती है। तृतीय श्रेणी की महिलाओं को उनके पति या उनके पुरुष मित्र मद्यपान हेतु विवश करते है ताकि वे उन्हें मद्यपान से न रोक सके। महिलाओं में भी यह भ्रम होता है कि वे अपने पति या मित्र के साथ मद्यपान करेंगी तो उन्हें खुशी मिलेगी और वह उनके अधिक मदिरापान पर नियन्त्रण लगा सकेगी। महिलाओं का यह भ्रम भ्रम ही रह जाता है और वे स्वयं ही कब इसकी शौकिन हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सभी जानते है कि मदिरा अनेक बुराइयों की जड़ है, परन्तु फिर भी बहुत कम लोग इससे परहेज करते है। महिलाओं में बढ़ती मद्यपान की प्रवृत्ति के विभिन्न कारण है जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न है-

- **वंशानुगत परम्परा-** कुछ समाजों में बच्चों को जन्म से ही मदिरापान करवाने की परम्परा होती है जिससे बड़ा होकर वह मदिरा का आदि होने लग जाता है। वंश परम्परा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती है।
- **औषधि के रुप में-** मदिरा एक उत्तेजक और पौष्टिक पेय पदार्थ माना जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया से मुक्ति पाने तथा सर्प जैसे विषैले जहर को समाप्त करने के लिए भी मदिरा का उपयोग किया जाता है।
- **कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु-** आधुनिक युग औद्योगिकरण का है। महिलाएं भी पुरुषों के समान कल कारखानों में, पत्थर तोड़ने, सड़क निर्माण आदि में मेहनत के कार्य कर रही है। अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए भी उन्हें मदिरा का सहारा लेना पड़ता है।
- **फैशन अथवा शौक के कारण-** मदिरा का प्रयोग आज फैशन अथवा शौक के रुप में किया जाने लगा है। पाश्चात्य संस्कृति में रंगी महिलाएं मदिरापान को अपना स्टेटस सिंबल मान रही है। मदिरा पीना-पिलाना सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक समझा जाता है। नाईट पार्टियां मदिरापान के बिना अधुरी रहती है। वहां बड़े स्तर पर सामाजिक सहमति होती है और मद्यपान करना आधुनिक और प्रगतिशील होने की निशानी माना जाता है।
- **औद्योगिकरण के कारण-** वर्तमान समय में महिलाएं गृहणी के अतिरिक्त परिवार एवं अपने भविष्य के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। वह सामाजिक जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए पुरुषों से कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। विभिन्न सरकारी सेवाओं, राजनीति में, प्रतियोगिताओं और संस्थाओं में आगे बढ़ने के लिए तनाव और मानसिक दबाव निरन्तर बना रहता है। जिससे निजाद पाने के लिए कभी-कभी उन्हें मदिरा का सहारा लेना पड़ता है।
- **मित्र मण्डली अथवा संगति का प्रभाव-** कभी-कभी महिलाओं को मदिरा की ओर पहुंचाने में उनकी मित्र मण्डली, परिवार, रिश्तेदार, पड़ौसी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने पति या परिवार के साथ मद्यपान करना समाज की परम्परा में शामिल है। वर्तमान समय में कॉलेज, विश्वविद्यालय, ऑफिस, क्लब के सदस्य आदि की संगति के कारण भी महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
- **आर्थिक परिस्थितियां-** गरीब तबका गंदी बस्तियों में रहते है जहां सीलन युक्त छोटे-छोटे मकान होते है। दिनभर काम की थकान तथा नींद नहीं आने के कारण वे मदिरा का सहारा लेते है।
- **पारिवारिक संबंधों में तनाव-** पति-पत्नी में झगड़ें, तनाव, तलाक, मनमुटाव, काम की अधिकता, वातावरण में अचानक परिवर्तन आदि के कारण भी व्यक्ति अपने आपको अकेला, असहाय महसूस करने लगता है। इन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए वह मदिरा को अपना सहारा मान लेता है।
- **शारीरिक एवं मानसिक थकावट से मुक्ति-** दिनभर की शारीरिक एवं मानसिक थकावट को दूर करने के लिए भी मदिरा का प्रयोग किया जाता है।
- **नैतिक मूल्यों का ह्रास-** महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलकार कार्य कर रही है। अब वह पर्दे में न रहकर स्वच्छन्द जीवन जीती हैं स्वच्छन्दता व मनमानी के कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास होता दिख रहा है। ये सभी प्रवृत्तियां महिलाओं में मद्यपान को बढ़ावा दे रही है।
- **व्यक्तिक कारण-** मानसिक शान्ति, चिन्ता, तनाव, संघर्ष, थकावट, माता-पिता, पति-पत्नि में अनबन, पारिवारिक कलह आदि की स्थिति में मद्यपान को बढ़ावा मिल रहा है।
- **सामाजिक-**धार्मिक अवसरों के कारण- वर्तमान समय में तीज-त्यौहारों, उत्सवों, शादी-विवाह, जन्मोत्सव, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्सवों में महिला-पुरुष, युवक-युवतियां मद्यपान करते है। मदिरा पीना-पिलाना सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है।

महिलाओं में मद्यपान के दुष्प्रभाव - मद्यपान की प्रवृत्ति ने जहां व्यक्ति को आनन्द एवं शान्ति प्रदान की है, मित्रता के अवसर दिए हैं, अनेक रोगों का उपचार किया है, लोगो में जोश उत्पन्न किया है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक कुशलता पर भी प्रहार हुआ है। यह आनन्ददायी कम पीड़ादायक अधिक है। मद्यपान हमारे समाज में किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। फ्रान्सिस बेकन का मत है कि सम्पूर्ण विश्व के अपराध मिलकर भी मानव जाति को उतनी हानि नहीं पहुंचाते जितना अकेला मद्यपान। मदिरा के अत्यधिक एवं अनियन्त्रित सेवन से अनेक शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामजिक नुकसान होते हैं, जो कि निम्नानुसार हैं-

1. **शारीरिक प्रभाव-** मद्यपान का सीधा संबंध मानव शरीर पर पड़ता है। मदिरा का घूंट मुंह में जाते ही वह दिमाग और शरीर पर प्रभाव डालती है। मुंह में जाते ही कफ झिल्ली इसे सोख लेती है। घूंट के साथ शेष मदिरा सीधे छोटी आंत से होती हुई रक्त के माध्यम से लीवर में पहुंचती है। बहुत ज्यादा अल्कोहल मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आस-पास के माहौल को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, फैसला लेने व एकाग्र होने की क्षमता कम होने लगती है। इंसान बेसुध होने लगता है, उसमें निराशा का भाव एवं गुस्सा बढ़ने लगता है। मदिरा के अत्यधिक सेवन से एसिडिटी, पेट में अल्सर, लीवर में सूजन, लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, हृदय रोग, चर्म रोग, उच्च रक्तचाव, गठिया, मुंह, अन्न नलिका, पेट व पेनक्रियाज के कैंसर आदि की संभावना बढ़ जाती है। हड्यिां व शरीर कमजोर हो जाता है। जिस गति से मदिरा पेट में पहुंचती है उसी गति से उसका प्रभाव पड़ता है। भोजन से पहले या साथ में मद्यपान करने से हाजमे की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यदि कोई महिला नियमित मद्यपान करती है तो इससे उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। महिलाओं में शराब सेवन से समयपूर्व मीनोपॉज, बांझपन, गर्भपात, मासिक चक्र में गड़बड़, स्तन कैंसर आदि का खतरा बढ़ने की संभावना रहती है। इसके सेवन से अंडोंत्सर्ग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था से ही

मद्यसेवन करने वाली महिलाओं का कद छोटा रह जाता है, उम्र से पहले ही उनकी यौन ग्रन्थियां विकसित हो जाती हैं। जो महिलाएं गर्भावस्था में मद्यपान करती हैं उनके गर्भस्थ शिशु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जब गर्भवती महिला मद्यपान करती है तो प्लेसेंटा के द्वारा वह गर्भस्थ शिशु के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय, कितनी भी मात्रा में मद्यपान गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंचा सकता है, खासकर पहली व दूसरी तिमाही में।[3]

2. **मानसिक प्रभाव–** मद्यपान की प्रवृत्ति से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोरोग या मनोभ्रंश अथवा पागलपन के लगभग 10 प्रतिशत मामलों में शराब का उपयोग दूसरे स्थान पर है। मदिरा के अत्यधिक प्रयोग से मनोविकृति, भ्रम, चिन्ता, अवसाद के लक्षण आदि उत्पन्न होने लगते हैं। इससे व्यक्ति की भावनात्मक एवं बौद्धिक शक्ति कमजोर होने लगती है, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की योग्यता क्षीण होने लगती है, हृदय, नाड़ी और श्वास की गति बढ़ने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते है, सब कुछ करने का मन करने लगता है, परिवार व समाज से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में मदिरा सेवन से अवसाद, चिंता, आंतक विचार, अतिक्षुधा, अभिघात तनाव विकार (पी.टी.एस.डी.) या बॉडरलाइन व्यक्तित्व विकार अधिक होते हैं। मदिरा के अतिप्रयोग से बाल–उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा, चोरी, मारपीट आदि आपराधिक प्रवृत्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।[4]

3. **सामाजिक प्रभाव–** सामाजिक व्यवस्था को सुचारू एवं गतिशील बनाए रखने के लिए समाज अपने सदस्यों पर नियन्त्रण बनाए रखता है। जब कोई व्यक्ति नशे में सामाजिक नियन्त्रण से बाहर हो जाता है और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने लगता है, तो सामाजिक विघटन होता है। आदिम और छोटे समाजों में सामूहिक तीज–त्यौहारों, उत्सवों आदि में मदिरा का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति अपने आपको मित्रों, परिवार व समाज के सदस्यों से अलग व असुरक्षित महसूस करता है। मद्यपान व्यक्ति के साथ–साथ परिवार एवं समाज का भी विघटन करता है। मद्यपान करने वाली महिलाएं समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। वह अपने परिवार एवं समाज में सामंजस्य नही कर पाती और न ही अच्छे व बुरे में भेद कर पाती है जिसके कारण अनेक बुराइयां जैसे– अपहरण, बलात्कार, घरेलू हिंसा, मारपीट आदि का जन्म होता है।[5] सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे होटलों, रेस्तरां में नशे के साथ–साथ जुआ, नृत्य तथा वैश्यावृत्ति जैसी चीजें भी चलती रहती है, जहां स्त्रियों, जुआरियों और शराबियों की नैतिकता नष्ट होती है, वहां समाज एवं समुदाय की नैतिकता भी समाप्त हो जाती है जिससे आगे चलकर पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है।

4. **आर्थिक प्रभाव–** मद्यपान परिवार के आर्थिक जीवन को खोखला कर देता है। मद्यपान करने वाला गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाता है। मदिरा की एक बोतल खरीदने के लिए वह अपने घर का सामान तक बेच देता है। मद्यपान के कारण उनकी कार्यकुशलता में कमी होती है जिससे उसकी आय अर्थात् आर्थिक प्रगति में रूकावट आती है। कभी–कभी अधिक मद्यपान के कारण वे अपने काम/व्यवसाय के प्रति भी लापरवाह रहता है जिससे उन्हें व उनके परिवार को आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ता है। इस प्रकार मद्यपान अपव्यय का कारण बन निर्धनता उत्पन्न करती हैं वहीं कार्यकुशलता में कमी करके व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र की समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न करती है।

5. **पारिवारिक प्रभाव–** अत्यधिक मद्यपान पारिवारिक माहौल को तहस–नहस कर देता है। मद्यपान करने वाली महिला अपने परिवार के प्रति लापरवाह रहती है। वह परिवार के सदस्यों को पर्याप्त प्रेम, स्नेह, सुख आदि नहीं दे पाती वह अपना अधिकांश समय एवं आय नशे में खर्च करती है जिसके कारण उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, वस्त्र जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और घर में सदैव कलह, तनाव, निर्धनता बनी रहती है। फ्रांस में एक सर्वेक्षण में सामने आया कि अधिकांश विवाह–विच्छेद का कारण पति या पत्नी द्वारा अधिक मद्यपान करना या मद्यपानता के कारण उनमें नपुसंकता का हो जाना था। मद्यपान पति–पत्नी में तलाक एवं झगड़े उत्पन्न करता है। निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले लोगों को कानून का ज्ञान नहीं के बराबर होता है, वे तलाक के बारे में नहीं जानते है, मद्यपान के कारण उन्हें भिन्न–भिन्न तरह के कष्ट सहने पड़ते है। परिवार टूटने से तो बच जाता है परन्तु उनमें नैतिक सांमजस्य नहीं रहता। इस समस्या पर चिन्तन–मनन करने पर प्रतीत होता है कि मद्यपान व्यक्तिक विघटन ही नही पारिवारिक विघटन भी करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – मद्यसेवन अथवा मदिरापान आदिकाल से ही हमारे समाज में किसी–न–किसी रुप में प्रचलन में रहा है। मद्यसेवन करने वाला व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज के लिए एक अभिशाप है क्योंकि उसकी इस प्रवृत्ति के कारण उसके परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति प्रभावित होती है। घर का वातावरण दूषित होता है, रिश्तेदारों से संबंध प्रभावित होते है तथा स्वास्थ्य पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है। मदिरा के खतरनाक प्रभावों से परिचित होने के बावजूद भी गली, मौहल्लों व चौराहों पर शराब की दूकानों पर मद्यसेवन करने वाले व्यक्ति मदिरा खरीदते है और इसका सेवन इस प्रकार करते है जैसे कोई शीतलता प्रदान करने वाला पेय हो। सरकार एक ओर तो मदिरा पर प्रतिबन्ध लगा रही है और दूसरी तरफ अपनी राजस्व आय बढ़ाने के लिए नए–नए ठेकों के लिए आवेदन आमन्त्रित करती है। वर्तमान समाज में शराब को सामाजिक मान्यता प्राप्त होने के कारण युवावर्ग व महिलाएं मद्यसेवन की ओर अनायास ही आकर्षित हो रहे है। महिलाओं में मद्यपान की प्रवृत्ति एक गम्भीर चिन्ता का विषय है, चाहे मदिरा का सेवन कम मात्रा में किया जाए अथवा अधिक मात्रा में किया जाए। महिलाएं अपने मित्रों की संगत, फैशन अथवा शौक–शौक में मद्यपान करती है। यदि यह कहा जाए कि महिलाओं ने मद्यपान की प्रेरणा अपनी मित्र मण्डली से ग्रहण की है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। बहुधा उन्हें हाई–फाई सोसायटी में, अपने मित्रों की पार्टियों में अनाड़ी, अशिष्ट एवं गवांर नहीं समझ लिया इस हेतु अपनी शान–शौकत बनाए रखने के लिए वे मद्यसेवन करती है। कुछ समाजों में वंशानुगत परम्परा के कारण भी महिलाएं बचपन से ही मद्यसेवन की ओर अग्रसर होने लगती है।

मद्यपान पर नियन्त्रण के सुझाव :

1. मदिरा के सार्वजनिक उत्पादन, भण्डारण एवं विक्रय पर सरकारी नियन्त्रण रखा जाना चाहिए।
2. वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार कर युवा वर्ग को मद्यनिषेध हेतु जागरुक करना चाहिए।
3. मद्यपान की प्रवृत्ति को कम करने हेतु सरकारी स्तर पर जगह–जगह नशा मुक्ति हेतु चिकित्सा केन्द्र खोले जाएं, जहां पर पीड़ित व्यक्ति को मानसिक उपचार के साथ–साथ भविष्य में मादक द्रव्यों से दूर रहने के लिए जागरुक किया जावे।
4. वर्तमान युवा जनसंचार माध्यमों से प्रेरित होकर नशे की ओर उन्मुख

हो रहा है अत: सरकार को नशे से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कडे से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

5. शराब की कीमतों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि इसको खरीदने में मुश्किलें आने लगे।
6. सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीना, शराब पीकर वाहन चलाना व काम पर जाना इत्यादि कार्यों को गैर-कानूनी बनाकर मद्यपान काफी हद तक सीमित किया जा सकता है।
7. शराब के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए और युवाओं में मानसिक सेहत संबंधी समस्याओं में मदद के लिए माता-पिता के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। माता-पिता व अन्य रिश्तेदारों को बच्चों के सामने मद्यपान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें बच्चों को मदिरा क्रय करने हेतु भेजा जाना चाहिए।
8. मनोचिकित्सा केन्द्रों में नशा विमुक्ति केन्द्र होते है वहां डी-टोक्सीफिकेशन द्धारा शराब छुड़ाने तथा उसके उपरान्त मोटिवेशनल थैरेपी, फिजियोथैरेपी तथा ग्रुप थैरेपी द्धारा इससे निजात पाने की कोशिश की जानी चाहिए।
9. मनोरंजन के अन्य सस्ते साधन जैसे-सिनेमा, क्लबों आदि का उचित विकास भी मद्यपान निषेध में सहायक हो सकता है तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्धारा फीचर फिल्म एवं डॉक्युमेन्ट्री के द्धारा जनमानस को नशीले द्रव्यों की बुराइयों की जानकारी देकर उन्हें नशा मुक्त होने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
10. आबकारी विभाग और मद्यनिषेध विभाग को यदि अलग-अलग कर दिया जाए तो भी मद्यपान की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।
11. मद्यनिषेध कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय बजट की राशि को बढ़ाया जाए ताकि मदिरा पीने से होने वाली बुराईयों के प्रचार-प्रसार और यशगान में कमी की जा सके।
12. होली, दीपावली जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सप्ताह पूर्व सूखा दिवस घोषित किया जाना चाहिए तथा चोरी-छिपे मदिरा निर्माण एवं बेचान पर औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।
13. मद्यपान नियन्त्रण हेतु विद्यालय से ही विद्यार्थियों को मद्यपान से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जानी चाहिए। बालकों में आरम्भ से ही मद्य निषेध के संस्कारों से अवगत कराया जाना चाहिए।
14. राज्य सरकारों को बेरोजगारी, गरीबी, तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे युवा वर्ग को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान कर उनकी क्षमता को देशहित में प्रयोग किया जा सके।
15. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मद्यपान से संबंधित शोध कार्य किया जाना चहिए। शोध के द्धारा अधिक मात्रा में मद्यपान करने के कारण एवं प्रभावो की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।
16. मद्य निषेध हेतु प्रचार शिविर, पदयात्राओं, सभाओं आदि का आयोजन कर मद्यपान के विरुद्ध जाग्रत कर नशा छोड़ने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
17. 'विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस' 26 जून को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नाटक, कव्वाली, कठपुतली, जादू आदि विभिन्न मनोरंजनात्मक विधाओं का प्रयोग कर मद्य निषेध का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
18. सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग व होर्डिंग के द्धारा मद्य निषेध से संबंधित प्रेरक कार्य किया जाना चाहिए।
19. मद्य निषेध से जुड़ें व्यक्तियों एवं संगठनों से सहयोग कर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों, मोहल्लों में नशा निषेध सतर्कता समितियों का गठन कर नशा मुक्ति हेतु सामाजिक, धार्मिक दबाव बना कर अंकुश लगाया जा सकता है।
20. विश्व स्तर पर की जा रही मादक द्रव्य तस्करी के लिए प्रख्यात देश जैसे-पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, थाइलैण्ड, नेपाल और लागौस जैसे देशों से समुद्री मार्ग या अन्य मार्गो से आने वाले नशीलें पदार्थों पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा जब्त नशीलें पदार्थों को नष्ट कर उनपर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।
21. मद्यनिषेध से संबंधित न्याय प्रक्रिया को त्वरित किया जाना चाहिए ताकि अपराध एवं दण्ड के प्रति सामाजिक उपयोगिता बनी रहे।
22. मद्यपान पर नियन्त्रण हेतु पुलिस विभाग को केशबार प्रेरणा शुल्क प्रदान करना चाहिए जिससे वे मद्यपान करने वालों पर नियन्त्रण रखने में अधिक से अधिक प्रेरित हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jhonson,Elmer H. Socia Problems of urban man: The Dorsey press homewood illnois 1973, p519
2. Ms Leanne Riley (31 Jan 2003) "WHO to meet beherage company representatives to discuss health-related alcohol issues " World Heath Organisation.
3. Blume Larua N., Nielson Nancy H., Riggs Joseph A.,et all(1998) "Alcoholism and alcohol abuse among women: report of the council of scientific affairs". Journal of women's health 7(7): 861-870 doi:10.1089\jwk.1998.7.861
4. Karrol Brad R. (2002) "Women and alcohol use disorders: A review of important knowledge and its implication for social work practitioners" Journal of social word (3): 337-356. doi: 10.1177
5. Istralowitz, Richard (2004) "Drug use: a reference hand-book, Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. p.122-123. ISBN 978-1-57607-708-5

****

भक्ति आन्दोलन की निर्गुण और सगुण धाराएँ

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – 'मध्य युग के धार्मिक जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता भक्ति आन्दोलन थी। इस्लाम के आगमन के पश्चात् हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक सम्पर्क से कुछ ऐसे सम्प्रदायों और सन्तों का प्रादुर्भाव हुआ, जो कर्मकाण्डों, बाह्यआडम्बरों एवं सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने जन साधारण के समक्ष धर्म का सादा एवं सरल रूप प्रस्तुत किया और मोक्ष प्राप्ति के लिये भक्ति पर बल दिया। इन धर्म प्रचारकों के सामूहिक प्रयासों ने हिन्दू धर्म के सुधार आन्दोलन का रूप ले लिया।'[1] सुधार आन्दोलन धीरे-धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया।

सच्चे हृदय से परमात्मा की उपासना करने को भक्ति कहा जाता है। प्राचीन भारतीय हिन्दू दर्शन के अनुसार जीवन-मरण के बंधन से छुटकारा पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मुक्ति प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं-ज्ञान, कर्म और भक्ति।

भारत में भक्ति का प्रारम्भ कब तथा कैसे हुआ, इस संबंध में मतैक्य का अभाव है। 'वेद में भक्ति की अनुपस्थिति तथा सिन्धु सभ्यता की खुदाई में मिलने वाली वस्तुओं में भक्ति के कुछ प्रमाण पाकर भक्ति को आर्येत्तर तत्व निरुपित किया जाता है। मतों की अस्थिरता से प्रोत्साहित होकर कुछ विद्धानों ने भक्ति को इस्लामिक प्रभाव की देन भी बताया है। भक्ति एक विशुद्ध भारतीय परम्परा है, जो इस्लाम व ईसाई धर्मो से भी प्राचीन है। भक्ति के विकास के स्रोत प्राचीन धर्म, साधना और साहित्य में मिलते हैं।'[2] 'शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में 'भक्ति प्रमेया श्रुतिभ्य:' के उल्लेख से ज्ञात होता है कि भक्ति के बीज वेदों में विद्यमान हैं। भक्ति मार्ग का आधार वैदिक वाड्.मय है। वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् से भक्ति मार्ग के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है।'[3]

भक्ति आन्दोलन की धाराएँ – भक्ति आन्दोलन की दो प्रमुख धाराएँ हैं- निर्गुण एवं सगुण। प्रस्तुत शोध पत्र में इन दोनों धाराओं की विवेचना की जा रही है।

1. **निर्गुण धारा –** 'निर्गुण का शाब्दिक अर्थ होता है- गुण रहित। भक्ति के संदर्भ में गुणों का तात्पर्य जीव और जड़ों के गुणों से है। सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गन्ध आदि जड़ के गुण और अविद्या, अल्पज्ञता, रागद्धैष आदि क्लेश जीव के गुण हैं। परमेश्वर इन दोनों श्रेणियों के गुणों से पृथक है, इसलिये उसे निर्गुण कहा जाता है। 'अशब्दमस्पर्श-मरूपम व्ययम्' आदि औपनिषदिक प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि शब्द, स्पर्श, रूप आदि गुणों से रहित होने के कारण ईश्वर निर्गुण हुये।'[4]

निर्गुण धारा दो भागों में विभक्त हुई- ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी। ज्ञानमार्गी सन्तों में कबीर, नानक, रैदास, और दादू दयाल प्रमुख हैं। प्रेममार्गी सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन और नूर मोहम्मद प्रमुख हैं।

दोनों शाखाएँ गुरु और प्रेम को महत्व देती है। ईश्वर को निराकार मानती हैं। माया को साधनापथ का सबसे बड़ा व्यवधान स्वीकार करती हैं। रहस्यवादी हैं तथा अव्यक्त सत्ता की ओर संकेत करती हैं।

दोनों में कुछ अन्तर भी हैं। ज्ञानमार्गी सन्त अन्त: साधना पर बल देते हैं। उनका निर्गुण घट-घट में है। इन्होंने ईश्वर को सत्य और जगत को मिथ्या मानते हुये प्रकृति को उदासीन दृष्टि से देखा। प्रेममार्गियों का ईश्वर प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है, इसलिये प्रकृति उनके लिये आकर्षक और स्पृहणीय है। 'ज्ञानमार्गी सन्तों का रहस्यवाद साधनात्मक और प्रेममार्गी सन्तों का रहस्यवाद भावनात्मक है।'[5]

2. **सगुण धारा –** 'सगुण का शाब्दिक अर्थ होता है- गुण सहित। जिसमें गुण है, वही सगुण है। 'यो गुणै सह वर्तते स सगुण:' जो ज्ञान, पवित्रता, अनन्त बलादि गुणों से युक्त है, उसे सगुण कहते हैं।'[6] परमात्मा अनन्त कल्याणकारी गुणों से युक्त है। सगुण भक्ति में भगवान के सगुण साकार रूप पर बल दिया गया है। सगुणवादियों ने ईश्वर भक्ति के लिये मूर्ति पूजा को जरूरी माना है।

सगुण शाखा में नवधा भक्ति को अत्यंत महत्व दिया गया है। 'श्रीमद्‌भागवत् में भक्ति के नौ भेद बताये गये हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की जिज्ञासा को शांत करते हुये जिन नौ प्रकार की भक्तियों का उल्लेख किया था, वे इस प्रकार हैं- श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, सख्य, दास्य एवं आत्मनिवेदन।'[7] 'भक्ति की ये नव विधाएँ इन्द्रिय, मन और हृदय को भगवान के प्रति निवेदित करती हैं। इनसे भक्त स्वयं को रामार्पण एवं कृष्णार्पण कर देता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण भगवान की लीला से संबंध रखते हैं। पादसेवन, अर्चन और वंदन भगवान के अवतार और मूर्तरूप से संबंधित हैं। दस्य, सख्य और आत्मनिवेदन भक्त की मनोदशाओं को इंगित करते हैं। वल्लभ मत में भागवत की नवधा भक्ति के अतिरिक्त दशम प्रेमलक्षणा भक्ति का भी प्रावधान किया गया है।'[8] सूरदास ने नवधा भक्ति और दशम प्रेमलक्षणा भक्ति के संबंध में कहा है-

श्रवण कीर्तन स्मरण पादरत, अरचन वंदन दास।।
सख्य और आत्मनिवेदन प्रेमलक्षणा।।[9]

सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में विभक्त हुई- राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति। रामानन्द और तुलसीदास राम भक्ति के तथा सूरदास, मीरा, चैतन्य आदि कृष्णभक्ति के प्रमुख सन्त हुये। इन दोनों धाराओं में जहां समानता है, वहीं अंतर भी है। सगुण राम भक्तों के राम और कृष्ण भक्तों के कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं। दोनों के प्रति सगुण भक्ति का विधान है। दोनों के लिये आत्म समर्पण और अत्यधिक निष्ठा प्रदर्शित की गई है।

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

राम भक्ति धारा में दस्य भाव की भक्ति की प्रधानता है, जो वैधी भक्ति के अन्तर्गत आती है। इसमें मर्यादा पर अत्यधिक बल दिया गया है। यह वर्णाश्रम धर्म, कर्ममाण्ड एवं वेद मर्यादा पर पूर्ण आस्था प्रकट की गई है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने जीव को ब्रह्म का अंश मानते हुये ब्रह्म के साथ ही जीव को भी सत्य माना है। 'राम काव्य में ब्रह्म को जीव की मर्यादा का पालन करते हुये दिखाया गया है। राम नारायण होते हुये भी नर है और नर होते हुये भी नारायण है। कृष्ण भक्ति धारा में सख्य और माधुर्य भाव की भक्ति की प्रधानता है। यह रागात्मक भक्ति के अन्तर्गत आती है। इसमें मर्यादा के लिये कोई स्थान नहीं है।'[10] पुष्टि मार्ग के शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म और जीव में कोई मर्यादा नहीं है, दोनों में अभेद है। कृष्ण भक्त कृष्ण के सखा है। सख्य में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। राममार्ग में लोक संग्रह और लोकरक्षण की भावना की प्रधानता है। उनकी भक्ति एकान्तिक नहीं है। वे व्यक्तिगत साधना के साथ-साथ लोक कल्याण के लिये भी तत्पर रहते हैं। इसके विपरीत कृष्णमार्गी भक्तों ने एकान्तिक भक्ति की है। इनकी साधना व्यक्तिगत उत्थान से प्रेरित है सामाजिक कल्याण की भावना से नहीं।

उपसंहार - उपर्युक्त उल्लिखित सगुण एवं निर्गुण प्रवाहों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सगुणोपासक प्राचीन भागवत् सम्प्रदाय के नवीन विकास के अनुयायी हैं, वे प्राचीन धर्म शास्त्रों एवं धर्म शास्त्र प्रवर्तकों के अनुयायी हैं, लोक धर्म एवं व्यक्ति धर्म के समर्थक हैं, रहस्यवाद के विरोधी हैं एवं गुरु को परमेष्वर मानते हैं।'निर्गुणोपासक नव निर्गुण भक्ति के उपासक हैं, धर्म शास्त्रों एवं धर्म शास्त्र प्रवर्तकों के विरोधी हैं, रहस्यवाद के पूजारी हैं, गुरु और परमेष्वर को अलग-अलग मानते हैं तथा गुरु को परमात्मा से भी अधिक महत्व देते हैं।'[11]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **उत्तर भारत की सन्त परम्परा**, लेखक- आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रकाशक- भारती भंडार, इलाहाबाद, संस्करण- संवत-2021, पृष्ठ- 49-50
2. **मध्यकालीन भारतीय संस्कृति**, लेखक- डॉ. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, प्रकाशक- शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं., इन्दौर, संस्करण- 1969, पृष्ठ-68.
3. **वैदिक साहित्य का इतिहास**, लेखिका- डॉ. समीक्षा दवे, प्रकाशक- कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, संस्करण- 2009, पृष्ठ-118.
4. **मध्यकालीन निर्गुण भक्ति साधना**, लेखक- डॉ. हरवंश लाल शर्मा, प्रकाशक- मॉडेस्ट प्रिन्टर्स, जालन्धर, संस्करण- संवत-1963, पृष्ठ-03-04.
5. **काव्य में रहस्यवाद**, लेखक- डॉ. बच्चूलाल अवस्थी, प्रकाशक- ग्रंथम, कानपुर, संस्करण- 1965, पृष्ठ-163.
6. **साहित्य सन्देश : सन्त साहित्य विशेषांक,** प्रकाशक- साहित्य कुंज , आगरा, संस्करण- जुलाई-अगस्त, 1958, पृष्ठ-17.
7. **श्रीमद्भागवत,** रचयिता- वेदव्यास, टीकाकार- हनुमानप्रसाद पोद्दार, प्रकाशक- गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण- सं. 2054, पृष्ठ- 393.
8. **कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन,** लेखक- डॉ. जगदीश गुप्त, प्रकाशक- हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग, संस्करण- 1958, पृष्ठ-206-07.
9. **सूरदास**, लेखक- डॉ. ब्रजेश्वर शर्मा, प्रकाशक- हिन्दी परिषद् विश्वविद्यालय, प्रयाग, संस्करण- 1946, पृष्ठ-77.
10. **कल्याण, सन्त वाणी अंक**, प्रकाशक- गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण- 1978, पृष्ठ-59.
11. **हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय,** लेखक- डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, संस्करण- सम्वत् 2017, पृष्ठ-22

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

मानव संसाधन विकास कोल इंडिया लिमिटेड की विशेष इकाई वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत (ऊर्जा एवं ईंधन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में अग्रसर)

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी *

प्रस्तावना - वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) कोल इंडिया लिमिटेड की आठ सहायक कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थित है तथा कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश राज्यों की कोयला खदानों में फैला है।

एक मिनी रत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान वेकोलि मात्र 5 प्रतिशत कोयला रिजर्व से राष्ट्रीय कोयला उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान करती है और पश्चिमी भारत के ताप विद्युतगृहों एवं अन्य उद्योगों की कोयला जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के पुनर्गठन के बाद होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन 29 अक्टूबर 1975 को वेकोलि अलग कंपनी के रूप में अस्तित्व में आयी। उस वक्त इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा की 130 खदानों में फैला था। सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों के विकास के मद्देनजर 1986 में उनका पुनर्गठन किया गया और वेकोलि की उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश (छिंदवाड़ा तथा बैतूल जिलो को छोड़कर) स्थित बड़ी संख्या में खदाने नवगठित कंपनी साउथ इंस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड को चली गयी और इस प्रकार वेकोलि का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में सिमट गया। वर्तमान में वेकोलि 84 खदानों से कोयला उत्पादन कर रही है। इन खदानों को दस क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें सात: नागपुर, उमरेड, वणी, वणी नार्थ, माजरी, चंद्रपुर, बल्लारपुर क्षेत्र महाराष्ट्र में है तथा पेंच, कन्हान और पाथाखेड़ा मध्यप्रदेश में है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एक पूर्णत: आत्मनिर्भर और लाभप्रद कोयला कंपनी के रूप में साल दर साल अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर रही वेकोलि की गतिविधियां इसके खनन क्षेत्रों के आसपास तथा दूरस्थ आबादी के लिये विकास की बयार लायी है। इन इलाकों में वेकोलि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम और मजबूत धुरी साबित हुई है। एक जिम्मेदार कारपोरेट सिटीजन के रूप में वेकोलि ने न केवल अपने कर्मचारियों के कल्याण की आधारभूत संरचनाओं का सृजन किया है बल्कि जरूरतमंदों और गरीबों में आषा की किरण बन कर उभरी है। साथ ही, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है।

वेकोलि : एक नजर में

खदान	84 (ओ.सी. 36, यू.जी. 42 मिक्सड 6)
कोल वाषरी	84 (ओ.सी. 36, यू.जी. 42 मिक्सड 6)
श्रम शक्ति (01.01.2010)	65599 (2303 अधिकारियों सहित)
उत्पादकता (ओ.एम.एस.)	2.50 टन
टर्न ओवर	5012 करोड़ रू.
शुद्ध मुनाफा	1054 करोड़ रू.
पूंजी निवेश (2009-10 तक)	2888 करोड़ रू.
सरकार को रॉयल्टी एवं टैक्स	620 करोड़ रू.
कारपोरेट टैक्स की अदायगी	535 करोड़ रू.
वार्षिक निवेश (खदानों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चरविकास दर)	200 करोड़ रू. से अधिक

वेकोलि की दो खुली खदानों उमरेड क्षेत्र की उमरेड तथा चन्द्रपुर क्षेत्र की पद्मापुर को आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणन प्राप्त है। देश में पहली बार इन खदानों को यह तमगा मिला। इन दोनों खदानों की झोली में एक और विशिष्ट उपलब्धि आई.एस.ओ. 14001 प्रमाणन है।

इसी तरह कंपनी की तडाली स्थित सेन्ट्रल वर्कशाप को भी आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणन मिला है। इसके पूर्व इस वर्कशॉप को आई.एस.ओ. 9002 : 1994 मिल चुका हैं।

निष्पादन - पिछले पांच वर्षो में

	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
कोयला उत्पादन (मिलियन टन में)	37.82	39.53	41.41	43.20	3.21
प्रेषण (ऑफटेक) (मिलियन टन में)	38.16	39.20	40.32	41.75	2.17
(उत्पादकता टन में)	2.19	2.29	2.41	2.43	2.50
टर्न ओवर (ग्रॉस) (करोड़ रू. में)	3668	3882	4505	4986	5012
शुद्ध मुनाफा (करोड़ रू. में)	472	744	935	1447	1054
कारपोरेट टैक्स की अदायगी(करोड़ रू. में)	210	347	400	423	535
सरकार कोरॉयल्टी एवं टैक्स(करोड़ रू. में)	474	523	572	620	620

संदर्भ - वेस्टर्न कोल लिमिटेड (टेक्नोस्टेटीकल सेल) नागपुर 2009

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

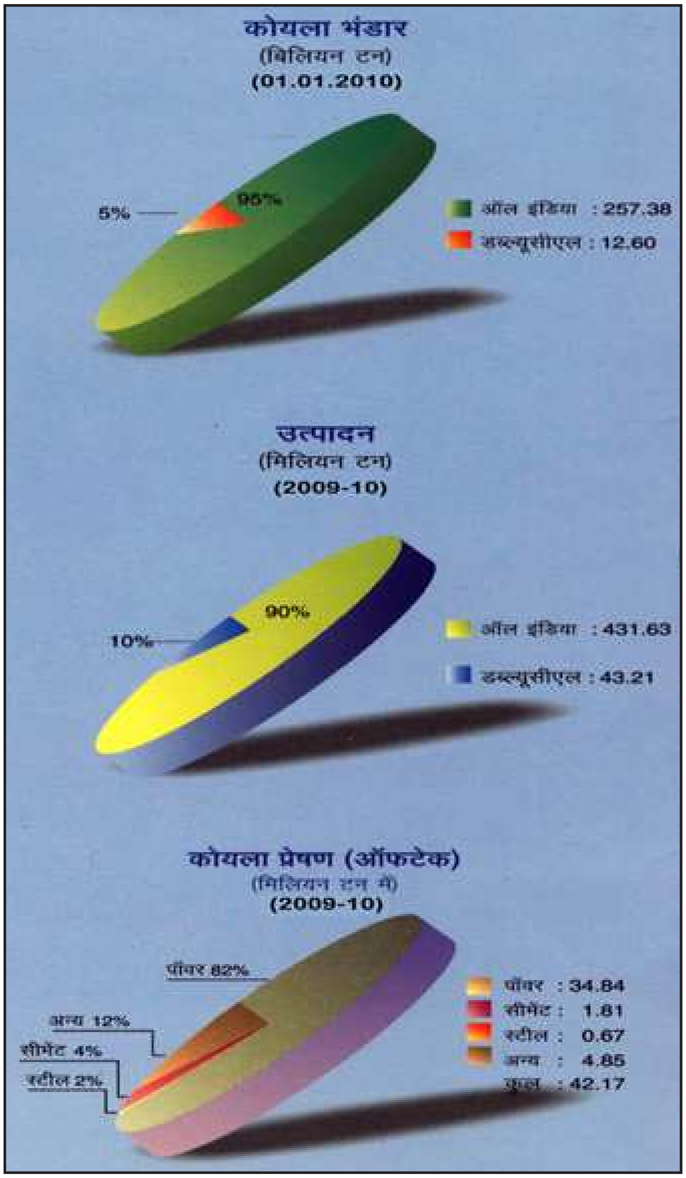

सुरक्षा – खदानों तथा कर्मियों की सुरक्षा को वेकोलि में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रबंधन, खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा यूनियनों के प्रतिनिधियों से बनी त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति मुख्यालय तथा क्षेत्र स्तर पर नियमित रूप से सेफ्टी की समीक्षा करती है। प्रतिवर्ष वार्षिक सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रति जागरूकता हेतु सुरक्षा अभियान, सुरक्षा सम्मेलन तथा अन्य विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। सभी खदानों में रिस्क एसेसमेंट तथा सेफ्टी आडिट किया जाता है। प्राप्त सुझावों को अमल में लाया जाता है। नियमित तौर पर बुनियादी तथा रिफ्रेशर प्रषिक्षण के अतिरिक्त विभागीय एवं ठेका कर्मियों के लिये विशेष प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। भूमिगत खदानों में रूफ सपोर्ट की पुख्ता व्यवस्था के लिये रूफ बोल्टिंग, स्टिचिंग, डब्ल्यू स्ट्रैप, टिस काग का प्रयोग किया जा रहा है। खुली खदानों में ओवरबर्डेन डम्प की स्लोप स्टडी की जाती है। नतीजतन, प्रति मिलियन टन उत्पादन पर फेटेलिटी दर में कमी हुई है। 2001 में यह 0.43 थी जो 2006 में घटकर 0.30 पर आ गई।

गुणवत्ता पर जोर – कोयले की गुणवत्ता पर कंपनी काफी जोर देती है। इस हेतु यहां पांच सूत्री रणनीति बनायी गयी है। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, सेलेक्टिव माइनिंग, मैकेनाइज्ड साइजिंग, एक्युरेट वेइंग एवं ऑप्टिमाइजिंग पिकिंग ऑफ शेल एंड स्टोन फ्रॉम माइन्ड आउट कोल। वेकोलि में सभी स्तर पर गुणवत्ता के प्रति चेतना और जागरूकता निर्माण करने की दृष्टि से हर वर्ष गुणवत्ता नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाता है। वेकोलि अपने उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत सही साइज का कोयला तथा 99.36 प्रतिशत समुचित वेमेट के बाद भेजती है। कंपनी ने प्रमुख पावर सेक्टर उपभोक्ताओं तथा महाजेनकों एम.पी.जी.सी.एल. तथा के.पी.सी.एल. के साथ दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति एग्रीमेन्ट किया है। 100 प्रतिशत कोयला ज्वाइंट/थर्ड पार्टी सेम्पलिंग के तहत जाता है। महाजेनकों ने वेकोलि के साथ वाषरी ऑपरेटर के माध्यम से भी कोयला उठाने का करार किया है।

पर्यावरण – एक प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी और कारपोरेट सिटीजन के नाते वेकोलि को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का अहसास बखूबी है। अत: पर्यावरण संरक्षण कंपनी के क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण संरक्षण के लिये निम्नलिखित गतिविधियां सुनिश्चित की गई है।

1. ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु प्रतिवर्ष पांच लाख से अधिक पौधारोपण
2. प्रदूषण नियंत्रण के लिये पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का अनुपालन
3. लाभदायक उपयोग हेतु खनन की गयी भूमि का पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन
4. इनवायनर्मेंट पैरामीटर्स की नियमित मानिटरिंग एवं वार्षिक ऑडिट
5. पर्यावरण में सुधार हेतु तकनीकी शोध एवं विकास
6. स्थानीय समुदाय के लिये इको डेवलपमेंट कार्य

इन्हीं कोशिशों के फलस्वरूप वेकोलि को पर्यावरण के लिये कई पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें प्रमुख हैं – महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त वनश्री पुरस्कार, इंटरनेशनल ग्रीनलैंड सोसायटी से जवाहरलाल नेहरू स्मारक पुरस्कार, विश्व पर्यावरण कांग्रेस अवार्ड, द इनवायर्नमेंट मिलेनियम 2000 एवार्ड, इंदिरा गांधी मेमोरियल (गोल्ड) एवार्ड 2004 तथा ग्रीनटेक एक्सेलेंस एवार्ड 2006.

बड़ी ताकत है सामूहिक इच्छाशक्ति – प्रबंधन में भागीदारी की एक अनोखी कार्य संस्कृति को समृद्ध करने में वेकोलि कामयाब रही है। कंपनी स्तर पर गठित संचालन, समिति में अध्यक्ष-प्रबंध-निदेशक सभी निदेशक, महाप्रबंधक (ओ.स.) तथा सभी पांच श्रमिक संगठनों एवं ऑफिसर्स, असोसिएशन के प्रतिनिधि समान संख्या में है। सभी क्षेत्रों में यूनियन तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि संयुक्त सलाहकार समिति में होते हैं। उत्पादन, उत्पादकता, सेफ्टी, लागत नियंत्रण, कल्याण, भावी योजनाएं तथा कंपनी की तरक्की के सभी पहलुओं एवं मुद्दों पर भागीदारी के इस अप्रतिम मंच पर चर्चा होती है और सुधार के लिये निर्णय लिये जाते है। परिणामस्वरूप कंपनी के विकास की नयी पहल को क्रियान्वित करने में कर्मियों के बीच सामूहिक इच्छा स्पष्ट परिलक्षित होती है।

श्रमिक कल्याण से निकलती है विकास की डगर – राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिये कोयला खनन के अतिरिक्त वेकोलि की एक और विशेष पहचान है। वह है अपने कर्मियों और उनके आश्रितों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की प्रतिबद्धता है।

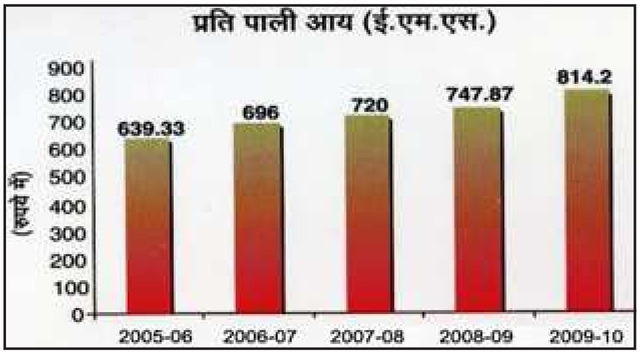

संदर्भ - कार्मिक विभाग (औद्योगिक संबंध कक्ष) मौखिक सेवाएं डब्ल्यू.सी.एल. नागपुर

वेकोलि कर्मी सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे अच्छे वेतनभोगी में है। इसके साथ ही कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंड फंड, कोलमाइन्स पेन्शन स्कीम जैसे सामाजिक सुरक्षा कवच उनके साथ है। उनकी जीवन स्तर को और अच्छा करने के लिये आवासीय पेयजल पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधा बढ़ाने के लिये बेहतर प्रयास किये जा रहे है।

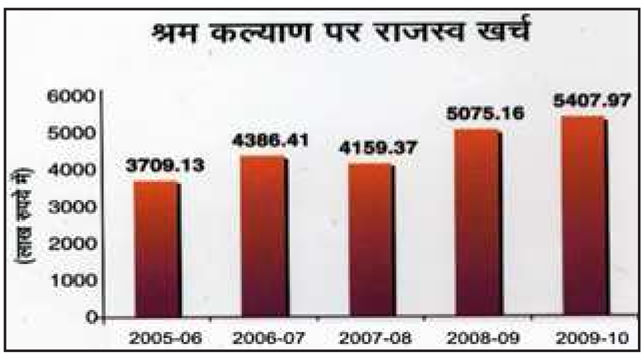

संदर्भ - मुख्यालय डब्ल्यू.सी.एल. मानव संसाधन विकास विभाग डब्ल्यू.सी.एल. मुख्यालय मौखिक संवाद कार्यक्रम 26 अप्रैल 2009 नागपुर (महाराष्ट्र)

उपलब्ध सुविधाएं एक नजर में :

1. विभिन्न क्षेत्रों की 64 आवासीय कॉलोनियों में 64.26 प्रतिशत कर्मियों को आवासीय सुविधा
2. 51 जल शुद्धिकरण संयंत्र के जरिये 3,21,995 जनसंख्या को पीने के पानी की आपूर्ति, सभी उपकरणों से सुसज्जित
3. 11 अस्पतालों में 710 बेड, 54 डिस्पेंसरी, 203 डॉक्टर
4. 79 कैंटीन और 72 आश्रय स्थल (रेस्ट शेल्टर)
5. 13 स्टेडियम, 40 क्लब, 21 व्यायामशाला, 33 सामुदायिक भवन और बच्चों के लिये 50 पार्क, 112 स्कूल बसें
6. राज्य सरकार, ग्राम पंचायत तथा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग अनुदान तथा अन्य सहायता। वेकोलि के कार्यक्षेत्र में ऐसी 103 शैक्षणिक संस्थाएं है।
7. सी.आई.एल. छात्रवृत्ति योजना के तहत कर्मियों के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति

सामुदायिक विकास - अपने कर्मियों के अलावा अपने खदान क्षेत्रों के आसपास बसे गांवों के वंचित तबकों की सामाजिक आर्थिक खुशहाली में भी कंपनी योगदान करती है। सामुदायिक विकास योजना, ट्राइबल सब प्लान और विशेष कम्पोनेंट प्लान के तहत वेकोलि अपने कार्यक्षेत्र की पड़ोसी आबादी की सुविधा के लिये संपर्क सड़क, पुल, क्लवर्ट, अहाता तथा नलकूपों का निर्माण और रखरखाव आदि तो करती ही है, साथ ही स्कूलों को आधारभूत सहायता (इन्फ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस), स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, स्कूल भवनों की मरम्मत, फर्नीचर तथा सामाजिक - सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में आर्थिक मदद देती है। सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान नियमित तौर पर चलाये जाते हैं ताकि ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। कंपनी न केवल सामुदायिक विकास के कार्य बड़े पैमाने पर करती है, बल्कि सभी परियोजना प्रभावित लोगों का सामूहिक रूप से सामाजिक आर्थिक पुनर्वसन भी करती है। इसके तहत वित्तीय क्षतिपूर्ति के अलावा पुनर्वसित गांव का निर्माण, जल-आपूर्ति, सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र खेल के मैदान आदि उपलब्ध कराये जाते है।

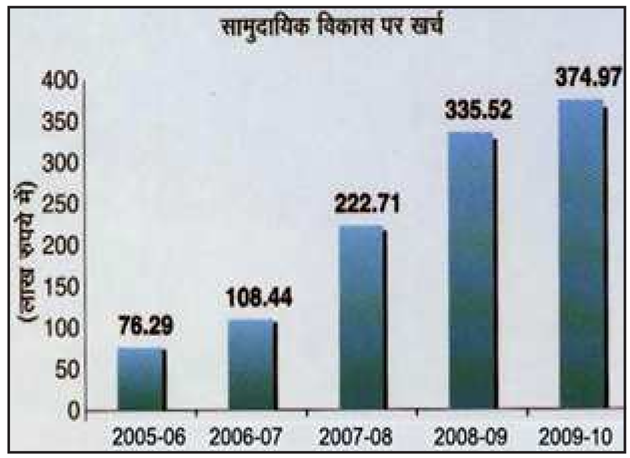

संदर्भ - मन्थली न्यूज लेटर, कोल कन्ज्यूम्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया अप्रैल 1999 पृ0क्र0 17

भावी योजनाएं - वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाये रखने और ग्यारवीं योजना के अंत तक इसे 45 मिलियन टन करने की योजना है। इसके लिये विशेष रूप से (1) नयीं खदानों का विकास (2) उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर भूमिगत खदानों की उत्पादकता बढ़ोन (3) गुणवत्ता तथा उपभोक्ता संतुष्टि को बेहतर बनाने (4) उपलब्ध संसाधनों की क्षमता उपयोगिता के अधिकतम इस्तेमाल तथा (5) लागत नियंत्रण एवं जनशक्ति में कमी लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

23 परियोजनाओं (21 ओ.सी. तथा 2 यू.जी.) पर काम चल रहा है। इस पर 1031.69 करोड़ रूपये की लागत आयेगी और 16.19 मिलियन टन उत्पादन क्षमता होगी। ग्यारवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान विकास के लिए 32 नयी परियोजनाओं की पहचान की गयी है। इन परियोजनाओं पर 2650.44 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत आयेगी और 30.31 मिलियन टन उत्पादन होगा।

वेकोलि की 11 परियोजनाओं आदासा यू.जी., गौर डीप ओ.सी., कोलगांव ओ.सी., दुर्गापुर एक्सटेंशन (डीप) ओ.सी., वाघोडा यू.जी. भटाडी ओ.सी. एक्सपेंशन, जुनाड डीप ओ.सी. चिकलगांव ओ.सी. तथा मोटाघाट (सास्ती) ओ.सी. के विकास का काम महाजेनको के साथ कॉस्ट प्लस बेसिस पर लिया गया है। आदासा, कोलगांव, दुर्गापुर, वाघोडा, भटाडी, गौरी डीप ओ.सी. चिकलगांव ओ.सी., चिंचाला, धोपताला (सास्ती) ओ.सी.

तथा मोटाघाट परियोजना के लिये कॉस्ट प्लस एग्रीमेंट का प्रस्ताव महाजेनकों को दिया गया है।

भूमिगत खदानों से उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कंपनी ने उमरेड़ क्षेत्र की मूरपार में लांगॉल टेक्नोलॉजी से तीन मिलियन टन क्षमता की भूमिगत खदान शुरू करने की योजना बनायी है।

तकनीकी विकास – वेकोलि ने कन्हान क्षेत्र की तानसी भूमिगत परियोजना में कंटीन्युअस माइनर टेक्नोलॉजी लगायी है। पिछले तीन वर्षो से यह तकनीक संतोषजनक तरीके से काम कर रही है। अब इसे कुम्बारखानी भूमिगत खदान में भी लगाया जा रहा है। लेटर ऑफ इंडेन्ट जारी हो चुका है और उत्पादन शुरू हो गया है। कंपनी की अन्य छः खदानों : सारनी एक्सटेंशन, सावनेर–1, माउरी, नन्दन (धाऊ नार्थ सहित) तथा भावी खदानों : धानकासा और बोरडा में भी कंटीन्युअस माइनर टेक्नोलॉजी लगायी जायेगी।

खुली खदानों में जैसे–जैसे कोल डिपॉजिट अधिक गहराई में मिलता है, शॉवेल डंपर तकनीक से इसका खनन अधिक खर्चीला होता जाता है। इस खर्च को कम करने के उद्देश्य से कंपनी ने हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट प्रणाली अपनाई है। साथ ही, गहरी खुली खदानों में वैकल्पिक पद्धति तथा ओवरबर्डेन हटाने के लिये इनपिट मोबाइल क्रशर और परिवहन के लिये बेल्ट कन्वेयर स्ट्रक्चर के उपयोग पर विचार किया जा रहा है।

तानसी खदान में मैन राइडिंग सिस्टम लगायी गयी है, जिससे कामगारों को खदान आने–जाने में थकान कम हो और उत्पादकता ज्यादा हो। कन्हान क्षेत्र की ही माउरी में भी यह सिस्टम अब पूरा होने को है। पांच अन्य भूमिगत खदानों : शोभापुर, तवा–1, सारनी, सावनेर–1, और कुम्भारखानी में इसे लगाया जायेगा।

वेकोलि ने देश में पहली बार खदान की प्रदूशित वायु से बिजली उत्पादन की अनूठी पहल की है। इस दिषा में कंपनी द्धारा सावनेर खदान–3 में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जिसका उद्घाटन माननीय केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री डॉ. दासरि नारायण राव के कर कमलों से 24 अगस्त 2007 को हुआ।

वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2007–08 में वेकोलि का उत्पादन लक्ष्य 42.40 मिलियन टन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मन्थली न्यूज लेटर, कोल कन्ज्यूमर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया अप्रैल 1999 पृ0क्र0 17
2. कोल एवं इंडियन एकानामी मन्थली न्यूज लेटर 2002 पृ0क्र0 31
3. कार्मिक विभाग (औद्योगिक संबंध कक्ष) मौखिक सेवाएं डब्ल्यू. सी.एल. नागपुर
4. कोयला श्रमिक अभिनंदन स्मारिका 2007 पेज नंबर–2 डब्ल्यू.सी.एल. पब्लिक रिलेशन डिवीजन नागपुर, प्रस्तावना अनुच्छेद–31
5. वेस्टर्न कोल लिमिटेड (टेक्नोस्टेटीकल सेल) नागपुर 2009
6. रिपोर्ट आन पर्सनल मैनेजमेन्ट एंड इण्डूस्टीयल रिलेशन्स डब्ल्यू.सी.एल. नागपुर 2009 पृ0क्र0 43
7. मुख्यालय डब्ल्यू.सी.एल. मानव संसाधन विकास विभाग डब्ल्यू.सी.एल. मुख्यालय मौखिक संवाद कार्यक्रम 26 अप्रैल 2009 नागपुर (महाराष्ट्र)
8. डब्ल्यू.सी.एल. महाप्रबंधक कार्यालय प्रगति, मासिक पत्रिका, पेंच एरिया पृ0क्र0 38 जनवरी 2008 छिंदवाड़ा
9. खनन भारती पत्रिका कोल इंडिया लिमि0 फरवरी 2007 पृ0क्र0 38
10. अंगार अर्द्धमासिक समाचार पत्र डब्ल्यू.सी.एल. मुख्यालय नागपुर (महाराष्ट्र) मार्च 2008 पृ0क्र0 303
11. सी.आई.एल. के पदाधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्ट 2009 पेज नंबर 25

****

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली: एक अध्ययन

डॉ. अजय कुमार गुप्ता *

शोध सारांश – विमुद्रीकरण से डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है भारत में डिजिटल अवसंरचना में सुधार हेतु संगठित प्रयास किए जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया में कैशलेस लेनदेन के लिए प्रेरित किया जा रहा है ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव, इंटरनेट कनेक्शन हो और स्मार्टफोन वक्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण डिजिटल भुगतान और नगदी रहित लेनदेन में वृद्धि हो रही है, सरकार बैंक और वित्तीय संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र द्वारा डिजीटल भुगतान के लिए नयी नयी प्रणालियाँ और माध्यम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसी को रकम ट्रांसफर करना हो, बिल भुगतान करना हो, खरीदारी करनी हो, इक्विटी बाजार, ब्रांड बाजार, वायदा बाजार में व्यवहार करना हो, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन हस्तांतरण करना हो, तो डिजिटल भुगतान आज की आवश्यकता है डिजिटल पेमेंट तेज, सरल और सुविधाजनक है यह हमारे हाथों उंगलियों से हो सकता है। घर बैठे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं डिजिटल भुगतान सावधानी से किए जाएं तो सुरक्षित भी हैं, इसके अनेक फायदे हैं लेकिन कुछ जोखिम भी हैं लोग फिशिंग ट्रैप में फंस सकते हैं, कार्ड क्लोनिंग और डेटा चोरी का खतरा भी रहता है फिर भी आज भारत में डिजिटल भुगतान का प्रतिशत बढ़ रहा है साइबर अपराधों को रोकने कड़े कानून बनाए बनाने होंगे, सुरक्षा उपायों को प्रबल बनाया जाना बहुत आवश्यक है तभी हम भारत में कैशलेस लेनदेन की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बैंकिंग घर पहुंच पायेंगी।

प्रस्तावना – पिछले वर्षों में लेन देनों में नकदी के प्रयोग को कम करने के लिए विश्वव्यापी प्रयास किए गए हैं, भारत आज डिजिटल रूप से सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था को कैश लेस बनाने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि नगदी रहित लेनदेन को सरल बनाया जा सके और इसे बढ़ावा दिया जा सके, इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होने से डिजिटल भुगतान भारत में बढ़ रहा है, डिजिटल भुगतान के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीयों का उपयोग बढ़ने से भारत के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था रही है, जिसकी लागत करोड़ रुपए में आती रही है और राजकोष पर व्यय भार पड़ता है अब डिजिटल भुगतानों से इसमें कमी आएगी तमाम प्रचार-प्रसार के बाद भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी कैशलेस पर ही निर्भर है साइबर क्राइम तथा असुरक्षा की भावना के कारण कुछ लोग डेटल पेमेंट से दूर रहते हैं भारत में गैर नगद भुगतान की अर्थव्यवस्था इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि के लिए भुगतान पूरी तरह से नगदी पर आधारित है गैर नगद लेनदेन में सबसे बड़ी बाधा डाटा प्राइवेसी और साइबर अपराधों की है हमें साइबर सुरक्षा निजता के कानून को कठोर करना होगा।

भारत में डिजिटल भुगतानों का विकास – भारत में 1990 के दशक में डिजिटल भुगतानों की नींव रखी गई ,जब इलेक्ट्रॉनिक्स समाशोधन सेवा तथा इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण प्रारंभ किया गया डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, वर्ष 2003 में नेशनल फाइनेंशियल स्किल की शुरुआत की गई ,वर्ष 2004 में रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट एवं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा की शुरुआत हुई ,वर्ष 2008 में चेक ट्रांस्जैक्शन को शुरू किया गया, वर्ष 2009 से 2013 में नए-नए डिजिटल भुगतान निगम द्वारा विकसित (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) यू.पी.आई मोबाइल एप भुगतान के लिए प्रयोग किए जाने लगा, सितंबर 2016 को आया (भीम) ऐप भी लोकप्रिय हुआ और यह क्रम चलता रहा अब सैकड़ों की संख्या में डिजिटल भुगतान के लिए एप उपलब्ध है उपरोक्त विवरण देश में भुगतान परिस्थितिकी तंत्र के विकास का संक्षिप्त रूप है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. नकदी लेनदेनों को कम करने तथा डिजिटल भुगतान के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा
2. भारत में डिजिटल भुगतान की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना – डिजिटल भुगतान प्रणाली वित्तीय लेनदेनों के लिए सुगम तथा सुरक्षित है इसमें वृद्धि होने पर बैंकिंग की पहुँच घर घर तक हो जायेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र के लिए द्वितीयक समकों का उपयोग किया गया है यह अध्ययन पूरी तरह से वर्णनात्मक है द्वितीयक समकों को विभिन्न पत्रिकाओं पुस्तक सूचना बुलेटिन जनरल और प्रतिष्ठित वेब साइटों से संकलित किया गया है।

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ – डिजिटल पेमेंट निधियों का ऐसा अंतरण है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अनुदेश प्राधिकार या आदेश के माध्यम से किसी बैंक के व्यक्ति संस्थान में संचालित खाते से धनराशि निकालने जमा करने या हस्तांतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग वार्ड या अन्य माध्यमों का प्रयोग करता है वर्तमान में डिजिटल भुगतान के लोकप्रिय माध्यम जो भारत में प्रयोग हो रहे हैं निम्नानुसार है।

1. बैंकिंग कार्ड – बैंकिंग कार्ड विभिन्न बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रीपेड ट्रैवल कार्ड विजा मास्टरकार्ड रुपए कार्ड आदि ग्राहकों को सुरक्षा के साथ भुगतान और धन हस्तांतरण में सहायक है।

2. इंटरनेट बैंकिंग – इंटरनेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक व अन्य वित्तीय

* एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य) शासकीय कला महाविद्यालय, पनागर, जबलपुर (म.प्र.) भारत

संस्थानों द्वारा वेबसाइट आदि के माध्यम से वित्तीय लेन-देनों की नगद रहित सुविधा ग्राहकों को दी जा रही है।

3. रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट आरटीजीएस – यह धनराशि अंतरण प्रणाली है जिसमें एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में धनराशि का अंतरण रियल टाइम ग्रॉस आधार पर होता है।

4. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी – व्यक्तिगत तथा निगमित कंपनियों के वन टू वन धनराशि अंतरणों की सुविधा हेतु एक सुरक्षित प्रणाली है।

5. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई.सी.एस) – विभिन्न संस्थानों को बार-बार ब्याज, लाभांश वेतन आदि भुगतानों को सुगम बनाने के लिए ई.सी.एस.डेबिटयोजना ग्राहकों/संस्थानों के लिए उपलब्ध है।

6. तत्काल भुगतान सेवा आई एम पी एस – यह एक बहु मार्गी धनराशि प्रेषण प्रणाली है व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से खाता, व्यक्ति से व्यापारी, आदि को धनराशि अंतरण सरलता से किया जाता हैं

7. पॉइंट ऑफ सेल पी.ओ.एस. – यह भुगतान स्वीकार करने वाला एक टर्मिनल छोटी मशीन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति क्रेडिट या डेबिट कार्ड आदि के द्वारा खरीदारी सेवा शुल्क फीस जुर्माना आदि का भुगतान कर सकता है।

8. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) – अनेक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन मिलाकर हर बैंक की भुगतान की सुविधा के माध्यम से दे रहा है वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला माध्यम है।

9. भारत इंटरलेस फार मनी (भीम) – भीम 30 दिसंबर 2016 को आरंभ किया गया मोबाइल आदि के माध्यम से डिजिटल भुगतान हेतु सुरक्षित और सरल माध्यम है।

10. माइक्रो एटीएम – इसमें उपभोक्ता आधार नंबर और अंगुलियों के निशान पहचान का प्रयोग कर वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं यह टेली नेटवर्क की उपलब्धता से संचालित होता है इसके द्वारा राशि जमा करना निकालना अंतरण करना तथा बैलेंस इंक्वायरी आदि की जा सकती है।

11. प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रमेंट पीपीआई – इसका उपयोग स्मार्ट कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट वालेट, मोबाइल वॉलेट के रूप में किया जा सकता है आम डेबिट कार्ड की तुलना में यह अधिक सुरक्षित है एक निश्चित धनराशि जमा है केवल उसका ही उपयोग किया जा सकता है। बैंकों द्वारा प्रीपेड कार्ड जारी किए जाते हैं ।

12. अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा यूएसएसडी – इसके माध्यम से साधारण मोबाइल फोन से बैंकिंग लेनदेन किया जा सकता है।

तालिका क्रमाक-1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमाक-1 भुगतानों में मात्रात्मक वृद्धि 66.06 प्रतिशत तथा मौदिक मूल्यों में 48.93 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है यह भारत में बढ़ते डिजिटल भुगतान को प्रदर्शित करते है।

तालिका क्रमाक-2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमाक-2 विश्लेषण से ज्ञात है कि वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में वर्ष 2016-2017 में भारत में डिजिटल भुगतानों में मात्रात्मक वृद्धि 77.35 प्रतिशत तथा वर्ष 2017-18 में दो वर्षो में 168.41 प्रतिशत रही है तथा मौद्रिक मूल्यों में यह वृद्धि इन वर्षो में क्रमश: 21.6 प्रतिशत तथा दो वर्षो में 48.08 प्रतिशत रही है भारत में डिजिटल भुगतानों की सांख्यिकीय बताती है कि भारत में डिजिटल लेनदेनो में लगातार वृद्धि हो रही है अब भारत के लोग डेबिट, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग केवल ए.टी.एम से राशि निकालने के लिये ही नहीं प्रीमियम रेल, हवाई, बस यात्रा का रिजर्वेशन, हॉटल रिजर्वेशन, पेट्रोल डीजल भरवाने पर भुगतान तथा अन्य बहुत से भुगतानों में कटने लगे है लोगों से बात करने पर ज्ञात हुआ है कि वे इस सरल व सुविधाजनक मानते है एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी माबाईल, तथा विभिन्न एप का प्रयोग कर डिजिटल भुगतान कर सकता है

डिजिटल भुगतान के फायदे :

1. आपको नगद राशि लाने ले जाने बैंक एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत नहीं आप अपने कार्ड मोबाइल फोन कंप्यूटर से किसी भी समय डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं।
2. डिजिटल पेमेंट तेज आसान और सुविधाजनक है सावधानी से किया जाए तो सुरक्षित भी है।
3. डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न्यूनतम मूल्यों के पेमेंट को टैक्स फ्री भी किया है।
4. बहुत से वॉलेट्स और बैंकिंग एप्स अपने ग्राहकों को कई डिस्काउंट ऑफर वर्क एस्टेट भी देते हैं।
5. आप अपनी ट्रांजैक्शन हस्तांतरण के बारे में किसी भी तरह की जानकारी कभी भी ले सकते हैं क्योंकि यह ऑनलाइन मौजूद रहता है।
6. लेनदेनों को सुरक्षित बनाए जा रहा है पासवर्ड और ओटीपी तथा कार्ड या खाता ब्लॉक करने की सुविधा दी जा रही है।
7. आप ई वॉलेट या कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तुझे स्टेटमेंट के रूप में आपके पास सुरक्षित रहता है आप अपने खर्चे पर लगाम लगा सकते हैं बहुत से ऐप्स और जो टूल्स हैं जो बढ़िया एनालिसिस देकर आपकी मदद करते हैं।
8. प्राप्त कर्ताओं के पास होने मिलने वाली राशि का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है तथा भुगतान करता हूं के पास भी भुगतान का।
9. डिजिटल वित्तीय लेनदेन से काले धन पर और भ्रष्टाचार पर प्रभावपूर्ण ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है।
10. सार्वजनिक भुगतान ओ सामाजिक नियंत्रण के मामलों में लागत में कमी आएगी कल्याणकारी कार्यक्रमों में योजनाओं में कुशलता तथा पारदर्शिता आ सकती है क्योंकि धनराशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के खाते में कर दिया जाता है।
11. नगद धन रखने पर होने वाले अपराधों नकदी की चोरी आदि में कमी आएगी।
12. डिजिटल भुगतान से धन के प्रवाह में पारदर्शिता आएगी कर वंचन कठिन होंगा, सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार के लिए कर लगाना संग्रह करना, निगरानी रखना और नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा।

डिजिटल भुगतानों में जोखिम – डिजिटल भुगतानों में कुद जोखिम अझैर नुकसान भी है, लोग फिशिंग ट्रैप में फंस जाते है, डिजिटल ट्राजेक्शन प्लेटफार्म पर आने से हैंकिंग का खतरा भी है, कार्ड क्लोनिंग का भी बड़ा खतरा है, धोखा, फ्राड, और डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। साइबर अपराधों के बढ़ते परिएकरण को देखते हुऐ डिजिटल भुगतानों में कहीं अधिक खतरा लगता है। सावधानी और पूरी सुरक्षा के साथ डिजिटल भुगतान किया जाना चाहिए।

सुझाव:

1. भारत में बुनियादी वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी है अत: वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण, कार्मझाला, कैम्प और विज्ञापन आदि के

द्धारा जागरूकता बढ़ाना चाहिए।

2. समाज के सभी वर्गो के लिए डिजिटल भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त भौतिक अवसंरचना, नेटवर्क विकसित करना चाहिए।
3. छोटे व्यापारियों के पास इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है अत: विक्रय केंद्रों पर कम लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. व्यक्ति की निजता, व्यक्तिगत लेनेदेन जमाओं तथा डेटा तक आसान पहुच का खतरा रहता है अत: निजि जानकारी की सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में और अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए।
5. धोखाधडी और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए तथा सुरक्षा के लिए विशेष कानूनों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

फंड ट्रॉस्फर करते समय ध्यान रखें कि बैंक कोड आदि की जानकारी ठीक से दर्ज करे आगे बढने से पहले दो बार जॉच कर ले, ओ.टी.पी कभी भी किसी को नहीं बताये, सरल पहुँचवाला पासवर्ड न बनाये। सावधानी में ही सुरक्षा है।

निष्कर्ष – भारत में आर्थिक विषमताओं, गरीबी, वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ई भुगतानों , ऑनलाइन बैंकिंग नकदी रहित लेनदेन को बढ़ाने के लिए देशव्यापी डिजिटल अवसंरचना की स्थापना और विकास के लिए निरंतर कार्य करने होंगे तथा अधिक निवेश करना होगा भारत को नकदी रहित समाज के रूप में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त भौतिक नेटवर्क इंटरनेट उन्नत प्रौद्योगिकी जन-जन तक पहुंचाना होगा, आज भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते आंकड़े प्रोत्साहित करने वाले हैं, डिजिटल इंडिया मिशन आगे बढ़ रहा है, स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन की वृद्धि से नगद रहित लेनदेन करने लगे हैं वित्तीय जागरूकता बैंकिंग की आदत और बड़ी है भारत बदल रहा है डिजिटल इंडिया से भारत के आर्थिक सामाजिक परिदृश्य में क्रांति आएगी व्यापक परिवर्तन होंगे पहुंच जाएगी और भारत आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा पर मजबूत होगा ,यदि सरकार बैंक विनियामक आयोग संस्थाएं अपनी-अपनी भूमिका भूमिकाओं को विस्तार दे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 29 अगस्त 2019
2. भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां विजन 2018
3. भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिजिटल भुगतान संबंधी समिति 2016 अनुशंसाएँ।
4. Jain P.M 2006 E-Payment and E-Banking Indian Banker, Mandi P.P 108-113
5. Roy Ajit Kumar March 2017 Cashless Economy in india, Present Scenario, Potential prospect and challenges.
6 सिंह विकास, कैशलैस इंडिया पर निबंध जुलाई 23,2019
7 सूचना बुलेटिन लोकसभा सचिवालय शोध व सूचना प्रभाव दिसम्बर 2017
8 योजना मासिक हिन्दी पत्रिका फरवरी 2017 648 सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर लोधी रोड नई दिल्ली

तालिका क्रमाक-1 : वर्ष 2015-16 और 2016-17 में डिजिटल भुगतान

संचालन एजेंसी	2015-16		2016-17		वार्षिक वृद्धि प्रतिशत	
	मात्रा मिलियन में	मूल्य बिलियन में	मात्रा मिलियम में	मूल्य मिलियन में	मात्रा	मूल्य
भारतीय रिजर्व बैक	1252.88	83273.11	1622.1	120039.68	29.47	44.15
माबाइल वॉलेट	1743.91	5388.74	3175.96	11773.49	82.12	118.48
आई.सी.एस	603.98	205.84	1322.52	459.3	118.97	123.13
कुल	1923.62	3945.39	3053.38	5953.33	58.73	50.89
	5524.39	92813.08	9173.96	138225.8	66.06	48.93

स्त्रोत :- स्त्रोत बुलेटिन लोकसभा सचिवालय शोध व सूचना प्रभाग दिसम्बर 2017

तालिका क्रमाक-2 : भारत में डिजिटल भुगतान वर्ष 2015-16 से 2017-18

	मात्रा मिलियन में			मूल्य (बिलियन रू. में)		
मद	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
आर.टी.जी.एम	98.3	107.8	124.4	824578	981904	1167125
एन.ई.एफ.टी	1252.9	1622.1	1946.4	83273	120040	172229
यू.पी.आई	-	17.9	915.2	-	69	1098
क्रेडिट कार्ड	785.7	1087.1	1405.2	2407	3284	4590
डेबिट कार्ड	1173.6	2399.3	3343.4	1589	3299	4601
प्री.पेड पेमेंट इन्स्टुमेंट	748	1963.7	3459	488	838	1416
कुल	4058.5	7197.9	10893.6	912335	1109434	1351059

स्त्रोत: रिजर्व बैक वार्षिक रिपोट 29 अगस्त 2019

****

Activities Affecting The Carbon Cycle

Dr. Rashmi Ahuja*

Abstract - Agricultural and industrial development has led to inadvertent changes in natural carbon cycle. As a consequence concentration of CO_2 and other greenhouse gases have increased in atmosphere and may lead to changes in climate. The current challenges facing society is to develop options for further management of carbon cycle.In this review we examine the mechanism of carbon exchange among various facets of the environment and discuss the balance of CO_2 sources and sinks. A variety of approaches have been suggested- direct reduction of emission, deliberate manipulation of natural carbon cycle to enhance sequestration and capture and isolation of carbon from fossil fuels. The review focuses on the current knowledge of carbon cycle, carbon management capabilities and relevance of carbon cycle science to carbon sequestration goals.

Introduction - Carbon cycle is a process where carbon compounds are interchanged among the biospheres, geospheres, pedospheres, hydrospheres and atmosphere of the earth. Carbon is the chemical backbone of life on earth and biological chemistry. Carbon compounds regulate the earth's temperature, make up the food and sustain us, and provide energy that fuels our global economy. Most of the earth's carbon is stored in rocks and sediments. The rest is located in ocean, atmosphere and living organisms. These are the reservoirs through which carbon cycles.

The carbon cycle is vital to life on earth. Nature tends to keep carbon level balanced, meaning that the amount of carbon naturally released from reservoirs is equal to absorbed by the reservoirs. Maintaining this carbon balance allows the planet to remain hospitable for life.

The primary causes of the observed long term increase in concentration of atmospheric CO2 are accepted to be human combustion of fossil fuels and conversion of natural landscape. As a result an increase in CO_2 content from 290 ppm to current level of about 325 ppm has been observed in the past few years. If the present trend continues, it has been estimated that CO_2 level will be around 380 ppm by the end of century.

Steps of Carbon Cycle

Processes involved carbon cycles are as follows-

1. Photosynthesis- Producers convert CO_2 into sugar
2. Respiration- Sugars are converted back into CO_2
3. Burial- Some carbon can be buried
4. Extraction- Human extraction of fossil fuels brings carbon to earth's surface where it can be combusted
5. Exchange
6. Combustion

Importance of Carbon Cycle - Carbon cycle is an important aspect of the survival of all life on the earth. From an environmental perspective, carbon provides insulation by trapping the sun's heat. From a biological perspective, carbon is a building block of life and forms stable bonds with other elements necessary for life. Microorganisms convert organic carbon by geochemical processes to fossil petroleum, coal and lignite. They also degrade organic carbon into CO_2 from biomass, fossil fuels and finally return to the atmosphere.

Carbon Storage and Exchange - Carbon moves from one storage reservoir to another through a variety of mechanisms viz. in the food chain, plants move carbon from atmosphere into the biosphere through photosynthesis. They use energy from the sun to chemically combine CO_2, H_2 and O_2 from water to create sugar molecules. Animals that eat plants digest the sugar molecules to get energy for their bodies. Respiration, excretion and decomposition release the carbon back into atmosphere as so the cycle continues.

The ocean plays a critical role in carbon storage, as it holds about 50 times more carbon than the lithosphere. Two way carbon exchanges can occur quickly between the ocean's surface water and the atmosphere, but carbon maybe stored for centuries at the deepest ocean depths.

Rock like limestone and fossil fuels like coal and oil are storage reservoirs that contain carbon from plants, animals that lived millions of years ago. When these organisms died, sow geologic process trapped their carbon and transferred it into these natural reservoirs. Processes such as erosion release this carbon back into atmosphere very slowly, while volcanic activities can release it very quickly. Burning fossil fuels in cars and power plants are other ways in which carbon can be released into atmospheric reservoir quickly.

Removal and Disposal Options - Several techniques for carbon removal and disposal are being considered generally grouped by the part of earth's system that must be

*Professor (Chemistry) Govt. M.V.M., Bhopal (M.P.) INDIA

managed. For current purposes the essential difference between removal and disposal is that former enhances the uptake of carbon by non-atmospheric component of the natural carbon cycle and the latter places carbon or CO_2 in a location or state that prevents it from becoming part of active carbon cycle.

Terrestrial sequestration- Plenty of carbon is stored in natural and managed ecosystem on land. It refers to process of increasing carbon retained in soils or in standing biomass on a particular of land.

Ocean sequestration- The oceans are a large natural sink for excess CO_2. CO_2 exchanges at the air-sea interface, becomes dissolved and then is transported in sea water through the thermohaline circulation. Deliberate carbon sequestration has been considered through two mechanisms that attain to stimulate these natural processes in the ocean. First method involves injecting CO_2 directly in the deep ocean by passing the mixed layer. Another is to add nutrients to the surface ocean to increase the rate of biological pump.

Geological disposal- It is process of placing CO_2 in a geological medium with the intent of retention for sufficiently long period of time to assist in stabilization of atmospheric concentration. There are two different scenarios for disposal of carbon. One, inject dissolves gases from a supercritical fluid into a confine geological medium and other reacts CO_2 with mineral to form a new stable mineral form.

Erosion- Mountain building results in high erosion rates and the interaction of rocks with the atmosphere, water and life. Carbon transfer that results from increased erosion could control the evolution of earth's long term climate. Erosion mobilizes organic carbon from terrestrial vegetation, transferring it to reverse and sediments and thereby acting to draw atmospheric CO_2 in tandem with silicate weathering. The same human activities which cause erosion increase the amount of CO_2 in the atmosphere. Erosion affects both processes positively and negatively. When rich soil is removed by the erosion, plant productivity and input of carbon to the soil is reduced.

Remote sensing- It can provide high spatial and temporal coverage for some valuables and can serve as a bridge between bottom up local measurements and top down atmospheric methods.

All the methods for carbon sequestration and disposal will need to adhere to the carbon management principles in order to be successful in particular quantification. Each technique described above has unique advantages fir yielding information on the carbon cycle.

Conclusion - Knowledge of the carbon cycle has direct relevance to the success of carbon management policies. Measurement tools for carbon management are sophisticated but tend to be aimed at scientific objectives rather than policy implementation.

References :-

1. White, A.F. etal. *"The Effect of Time on Weathering of Silicate Mineral"*, Chem Geol. 202, 479-506 (2003)
2. Anderson, S.P. *"Breaking it Down: Mechanical Process in Weathering Engine" ,* Elements 15, 247-252 (2019)
3. Lal, R. *"Soil Carbon dynamics in Cropland",* Environ. Pollut. 116, 353-362 (2002)
4. *"The role of carbon Cycle Observation and Knowledge of Carbon Management"* Annual Review of Environment and Resources 551-558 (2003)
5. Kaur, H. *"Environmental Chemistry"*6th edition, 12-17 (2011)

****

Global Patterns of Energy Consumption

Dr. Sadhna Goyal*

Introduction - One of the most important properties of energy is that it can be converted from one form to other, the chemical energy of coal is converted into thermal energy when it is burnt. The radiant energy of the sun is converted into chemical energy of sun . The use of energy has increased from ancient time to modern. Energy consumption is increasing due to setting up new industries and the growth of cities. Energy consumption is also very large in modern agricultural due to use of machinery, fertilizers, insecticides and water supply from well and canals. The storage of food grains and transportation also consumes energy. A strong relationship between income and the type of fuel used. Increase in income makes people opt for higher quality fells they begin to use fuels that are more energy efficient as well as cleaner and easier to use. We can see that the normal proportion is from solid to liquid to gaseous fuels to electricity.

Dung → Crop Residues → Wood → Kerosene → Gas → Electricity.

The consumption of energy in our homes is going up because of the need for many conveniences. Energy is used for lighting, heating water, running fans, coolers, air conditioners, radio, television, mixer grinders. A large quantity of fuels is consumed by means of transport.

Observation - Rising demand for India's energy supply and demand is a matter of serious concern throughout the world. The demand is rising continuously in the past decades. It has increased at an annual growth of 3-4% energy requirement in India is rising because of rapid industrialization , urbanization, mechanization, economic growth, population growth and changing life styles and aspiration of people. There has been a substantial increase of power in the agricultural sector. India's energy consumption is increasing rapidly from 4.16 quards in 1980 to 12.8 quards in 2001. This 208 % increase is largely the result of Indians increasing population and the rapid urbanization of the country. Higher energy consumption in the industrial transportation and residential sectors continues to drive Indians energy uses upward a faster rate even than china. In 1950 each Indian used only 15.6 kw/hr a year whereas today his needs have grown to around 200 kw/hr. Air conditions, air coolers, geezers, computer have become part and parcel of the life of middle class Indians. Hence a drain on power system is only to be expected. The demand for electricity in the country has increased by 7.14% . We are facing shortage of petrol cooking gas, electricity, kerosene and fuel wood in our everyday lives. There is a large gap between Indians demand and supply of two major forms of commercial energy namely electricity and coal. The decline in the availability of fire wood is forcing the poor people and small farmers to depend on cattle dung. But the adoption of domestic biogas plants by many big farmers had deprived the poor of dung which they were earlier free to collect from streets and fields for use as fuels.

Conclusion - Power plants are used obsolete equipment and processes. Poor maintenance of equipment in inadequate monitoring procedures are also a cause of in efficiency. More than 20% of the electricity generated in India is lost during transmission and distribution. These losses occur due to promote non conventional sources of energy as they will minimize use of conventional sources of energy and help to control pollution to a large extent. Non conventional sources of energy are renewable, inexpensive and non polluting. Efficient technology will enable us to harness renewable sources in a better way global environment benefits such as reduction in green house gasses emission.

References :-

1. A text book of environmental education . Dr. A.N. Rai . Goyal prakashan New Delhi
2. Environmental chemistry . B.K. Sharma-2001
3. Industrial chemistry B.K.Sharma -2001
4. Semi at 12(2008) Energy issues in Desalination processes. Environment science and technology 42(22) :8193

*Professor (Chemistry) Govt. M.V.M., Bhopal (M.P.) INDIA

Medicinal Plants : Common Sources Of Traditional and Modern Drugs

Dr. Madhuri Singhal*

Introduction - Mankind has, since primeval era, used nature for searching food and bioactive organisms for use as poison or to treat different diseases. Importance of plants in life of every human being is very significant since ancient time. Plants play fundamental role in the life of human as well as animals. People used plants as medicine not only in India but also in many other Asian and European countries. In India the history of plants as medicine is very large the whole ayurveda medicinal system is based on plants, here the different parts of various plants used as drug/ medicine. Every plant have specific properties, our ancient saints (rishis) discovered these properties which are useful to cure various diseases. Ayurveda, unani, homeopathy medicinal system are using herbs as their medicines. Most of India's traditional systems, including Ayurveda, originated through herbal remedies. However, Ayurveda is distinct from other systems that it has a well-defined and coherent conceptual structure over the centuries. On a conceptual basis, perhaps it was highly developed and far ahead of its time. It was one of the first medical systems to support an integrated approach for health and diseases. Another important distinct feature of Ayurveda is that, unlike other medical systems, which have developed their conceptual structure based on the outcome that obtained with the use of drugs and treatment, they first provided a philosophical structure that determined the practice healing with high-quality effect. Its philosophical basis derives in part from the currents of "Samkhya" and "Nyaya vaisheshika" of Indian philosophy. This allowed to derive towards a rational system of medicine very early in its evolution and to free itself from religious influence. They placed great emphasis on the value of evidence of the senses and human reasoning.

The basis of natural products, including plants, animals and minerals. Treatment of diseases since time immemorial. The history of medicine goes back almost to the existence of human civilization. Modern medicine or currently accepted allopathy has developed gradually over the years thanks to scientific efforts and observation by scientists. However, the basis of its development remains rooted in medicine and traditional therapies. The history of medicine includes many nonsensical therapies. However, ancient wisdom has been the basis of modern medicine and will remain an important source of future medicines and therapies. The future of the discovery of drugs from natural products will be more compehensive, personalized and will involve the rational use of ancient and modern therapeutic capacities in a complementary way so that patients and the community can obtain maximum benefits. Plants have a vital role in maintaining human health and increase the standard of human life for several years. The World Health Organization has estimated that 80% people of the world trust traditional medication for his or her health care desires, mostly this medical care involves the employment of plants extracts or their active elements.

Therefore, remedial approaches of several conventional medicines are rather more holistic. Majority of elementary concepts of their medicinal systems still cannot be explained using modern tools.

Bioactive Natural Product - In the beginning of 1900th century isolation of bioactive component from plant material has been emphasis. The enzymatic mechanism of living being in nature has developed under transformative process which leads a scope of various pathways delivering primary and secondary metabolites which provide varieties fundamental skeletons and functional groups. After a long time, natural product investigation concentrated on alkaloids, presumably due to their frequently significant natural action and relative straightforwardness with which they could be isolated other secondary metabolites e.g., flavonoids and monoterpenes . Colour and fragrance were assumed as waste products for the most part missing imperative pharmacological exercises and just infrequently investigated for their alleged phylogenetic information. Regardless of every one of these advances in the natural sciences, it has additionally happened to major significance to think about the future constraints and potential outcomes in a globalized reality where both earthbound and marine life forms are compromised by extinction. Klum, with his wide experience of perception of various biological systems, gives a view on the harmony between the endangered biodiversity and the sustainable use and advancement of natural products in a future information based bioeconomy.

*Professor, Govt. M.V.M., Bhopal (M.P.) INDIA

Ethnopharmacological Approaches - Therapeutic plants utilized in customary drug have been amid long time beginning stage of many research ventures. Most of the developed nations have overlooked or disregarded their conventional concerning the utilization of therapeutic plants. While many developing nations, the circumstance is simply invert, where the main choice is to utilize natural products to cure their illnesss. The knowledge related use of traditional medicine are generally exchanged from age to age orally.Anyway the traditional medication in developing nations isn't homogeneous. A few healers go about as mystical performers and trust that the reason for infections can be bring back by mitigating the soul by decoction of plants together with other increasingly physical activities. Other healers that work as herbal doctors consider that some organisms in nature contain properties that can be utilized to treat distinctive illnesses.

Traditional and orthodox medicines - Traditional remedies invariably involve crude plant extracts having various chemical constituents, which vary in potency from highly active to very weak (e.g. Cinnamon bark). On the other hand, orthodox medicine depend heavily on single (or a very small member of) chemically vmy9 well-characterized active ingredients exhibiting selective activities at, in many cases, well-established biological targets. These medicines are typically/terribly potent and lots of exhibit fairly slender windows between an efficient as well as harmful dose. Orthodox medicines are formulated into doses that are carefully standardized for bioavailability. Amongst our most relevent orthodox medicines derived from compounds in higher plants are analgesic agents (e.g. morphine and codeine), antimalarialtreatments (e.g. quinine), antineoplastic medicines (e.g.vincristine and taxol) and asthmic treatment (e.g. cromoglycate).

Traditional and modern medicine - Traditional medication is that the ancient and culture–bound practice that existed in human societies before the appliance of recent science to health.The observe of ancient medication very wide, in keeping with the societal and cultural heritage of different countries. Every human community responds to the challenge of maintaining health and treating diseases by developing a medical system. Thus, ancient medication has been practiced to a point altogether cultures. After the introduction of recent medication into the Region, traditional medicine was usually rejected by the formal medical service system. Recently, however, attitudes towards traditional medicine have changed. Traditional medicine is now widely used in many regions and practised side by side with modern medicine in most countries.

References:-

1. Sharanya VK, Gayathiri K, Sangeetha M, Shyam Prakash G, Gopi Sudheer Kumar J, Vimalavathini R, Kavimani S, Department of Pharmacology, College of Pharmacy, Mother Theresa Post Graduate and Research Institute of Health Sciences,Gorimedu, Puducherry, India, June 16.
2. Hill AF. (1952). Economic botany: A Textbook of Useful Plants and Plant Products, 2nd edn. Mc Graw Hill Book Company Inc., New York.
3. Antonisamy P, Duraipandiyan V, Ignacimuthu S, Kim J H. (2015). Anti diarrhoeal activity of friedelin isolated from Azima tetracantha Lam. in Wis tar rats. South Indian Journal of Biological Sciences, 1(1), 34.37
4. Barathi KK, Agastian P. (2015). In vitro regeneration of a rare antidiabetic plant Epaltes divaricata L. South Indian Journal of Biological Science, 1(1),52-59.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

An Introduction of geographical indication - A brief study

Lok Narayan Mishra*

Introduction - Certain goods, whether, naturally found, agriculturally cultivated or manufactured in a particular territory of a country or a region or locality have specific characteristics with regard to taste, aroma or quality. These goods are marketed on the basis of their appellation of origin or geographical indication. Paris perfume, Scotch whisky, Russian vodka, French Champagne, Basmati Rice, Darjeeling Tea, Swiss Chocolates, Nagpur orange, Kashmiri apple, Bikaneribhujia. Benaras silk, are some of the illustrations where goods have acquired a special importance on account of their association with indication of source.

There has been growing tendency to use false or deceptive indication or source of goods to lure customers. At international level the Madrid Convention and Lisbon Agreement have laid down through norms for protection against false and misleading indication.

Objective - The purpose of this research paper is to study the law related to geographical indication and various topics related to such property .

Salient features of Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999

Prior to enactment of G.I. Act, there was no law for the protection of geographical indication in India. The need and justification for this law has been aptly stated in the statement of Object and Reasons as under:

"At present there is no specific law governing geographical indications of goods in the country which could adequately protect the interests of producers of such goods. Exclusion of unauthorized persons from misusing geographical indications would serve to protect consumers from deception, add to the economic prosperity of the producers of such goods and also promote goods bearing Indiageographical indications in the exports market. Unless a geographical indication is protected in the country of its origin, there is no obligation under the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) for other countries to extend reciprocal protection. India would, on the other hand, be required to extend protection to goods imported from other countries which provide for such protection. In view of the above circumstances, it is considered necessary to have a comprehensive legislation for registration and for providing adequate protection for geographical indications."

Meaning of Geographical Indication - According to Section 2(1)(e) geographical indication in relation to goods, means "an indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods or originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality, as the case may be."

Characteristics of Geographical Indications - Following are the characteristics of geographical indications:

1. Geographical indications identify specific geographical origin of a product and the associated qualities, reputation or other characteristics. They usually consist of the name of the place of origin.
2. Agricultural and foodstuffs sometimes have qualities that derive from their place of production and local environmental factors.
3. Geographical indications are understood by consumers to denote the origin and quality of the product.
4. Geographical indications acquired valuable reputations which if not adequately protected may be misrepresented by dishonest commercial operators.

Related case –

1. The Basmati Controversy - The grant of US patent to RicetecInc a US multinational company in the name of Basmati necessitated the urgency of enacting law for protection of geographical indications. protection of; geographical indications

After hard work of two and a half years, India put together the data and challenged the patents of Ricetec Inc. in April 2000. The US Patent and Trademark Office (USPTO) issued patents to only three strains of hybrid "basmati" grain out of 20 claims developed by the Ricetect while rejecting a more sweeping claim by the company. The three strains of Basmati to which protection was afforded, were patently and noticeably different.

As far as the use of geographical indication "Basmati" by Ricetec Ind. was concerned, the patent office stated that

*Asst. Professor, Govt. Law College, Rewa (M.P.) INDIA

Ricetec could use the Basmati appellation because it was not a trademarked name or a geographic indicator, unlike "champagne" or "Port which were specific to a region. It was further stated that "Basmati" was not a geographic indicator even in India. It was grown all over India, Pakistan and even in Thailand. It was also stated that the "Basmati" saga had a turbulent history eversince the perceived transgression in the mid-1990s was first reported when "Texmati" and "Jasmati" hit the shelves of grocery chain stores. This ruling of USPTO goes against Indian interest so far as geographical indication of "Basmati" is concerned. The Basmati controversy was an eye opener and India enacted the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (hereinafter an Act.). This is the first specific law which provides for the registration and protection of geographical indications.

2. Tea Board of India Vs. ITC Ltd - The Court went into the merits of the case and Justice Munshi observed that, "It is also not found that there has been any infringement under the Geographical Indications of Goods Act because the defendant's 'Lounge' is not relating to goods. Plaintiff's rights conferred by the registration of the word 'Darjeeling' is only in relation to tea. 'Darjeeling' is not a trade mark. It is only used to indicate geographical indication of a place of origin of tea originating from Darjeeling. The law relates to geographical indication is confined only to goods. The plaintiff does not own any right in the name of 'Darjeeling' for any goods other than tea.The Geographical Indications Act can only extend to goods and admittedly, the defendant's lounge does not fall within the category of 'goods'".

The Hon'ble Court further found that there is no unfair competition under the definitions of Geographical Indications Act as the business area of plaintiff and defendant is totally different and among the 87 tea estates none of them had raised any issue. The Board also claimed that its rights under Trademarks Act 1999 also stood violated by the use of name 'Darjeeling' for the lounge. But the Court noted that the Board only had certification trademark within the meaning of Section 2(e) of the Trademarks Act 1999, which does not amount to a registered trademark. The certification trademark gave the Board only the authority to certify that the concerned tea is connected with Darjeeling region and here the defendant is dealing with service.

The Court stated that there is no relation between the defendants 'DARJEELING LOUNGE' and the plaintiff's rights under Trademark or GI act and the allegations are baseless and the Court dismissed the suit for Rs.10 lakhs.

Conclusion - After the above study, we have come to the following conclusion related to Geographical indication .

1. Certain goods, whether, naturally found, agriculturally cultivated or manufactured in a particular territory of a country or a region or locality have specific characteristics with regard to taste, aroma or quality. These goods are marketed on the basis of their appellation of origin on geographical indications, The Geographical Indications Act, 1999 provides protection to them India. The Act provides for registration of Geographical Indications of goods in specified classes. It also contains rules as to renewal, rectification and restoration of geographical indications. Assignment of geographical indication is generally prohibited as it is a public property. It cannot be registered as a trademark also.
2. Geographical Indication in relation to goods means an indication whichidentifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufacturer goods or originating or manufactured in the territory of a country or region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of a processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality as the case may be. Geographical Indications possess characteristics like they identify the specific geographical origin of a product and the associated qualities, reputation or other characteristics, have qualities derived from the place of production and local environment geographical provide information as to name, origin, quality and reputation of the product. They are different from trademark and collective mark
3. Geographical Indications possess characteristics like they identify the specific geographical origin of a product and the associated qualities, reputation or other characteristics, have qualities derived from the place of production and local environment geographical provide information as to name, origin, quality and reputation of the product. They are different from trademark and collective mark

References :-

1. Law relating to intellectual property right – B.L. Wadhera.
2. Law relating to intellectual property right - M.K. Bhandari.
3. Indo us basmati rice case 1997
4. Tea Board of India Vs. ITC Ltd GA No. 3137 of 2010 CS No. 250 of 2010

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

मध्यप्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण

डॉ. वसुधा अग्रवाल *

प्रस्तावना – सतत् विकास की व्यूह रचना में पर्यावरण की तीव्र अवनति ने अर्थशास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों ने तेज जलवायु परिवर्तन के लिये चिंता जता रही दुनिया को वैज्ञानिकों ने आइना दिखाया है। वैश्विक समझौते के बाद हमने पर्यावरण का दोहन किया, इसे बचाने के प्रभावी उपाय नहीं किये हैं। पहली बार 153 देशों के 11258 वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल की चेतावनी दी है। यह पहला मौका है जब औपचारिक रूप से दुनियाभर के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर एक साथ चिंता जताई है। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के 6 प्रमुख कारक बताए हैं, इनमें सबसे बड़ा है कार्बन उत्सर्जन। ये रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को बड़ी चुनौती है वैज्ञानिकों ने जलवायु परिस्थितियों के अध्ययन के बाद इससे निपटने के लिये हो रहे प्रयासों और रणनीति पर चर्चा की। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रयास ना काफी हैं। इसमें जलवायु, वैज्ञानिक, पारिस्थितिविद और दूसरे विशेषज्ञ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के लिये सभी को आगे आना होगा। वैज्ञानिकों ने वनों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की सलाह दी है ताकि कार्बन तत्वों को कम कर ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें।

अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिनेवा में वैश्विक जलवायु वार्ता के 40 वर्ष बाद कुछ अपवादों को छोड़कर हम नहीं बदले और अपनी आदतों को यथावत बनाए रखा। रिपोर्ट में संकेतकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लिये दोशी इंसानी गतिविधियों के बारे में बताया गया है। जैसे 40 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति मांस उत्पादन और दुनिया में पेड़ों की कटाई। एक सदी में दुनिया का 0.74 डिग्री तापमान बढ़ा है। प्रतिवर्ष समुद्र का जलस्तर 0.13 इंच बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन अमेरिका अकेला 14.6 प्रतिवर्ष करता है जबकि शेष दुनिया 27.7 प्रतिवर्ष करती है। भारत में 68 फीसदी कार्बन उत्सर्जन होता है।

वैज्ञानिकों का सुझाव है कि दीर्घकालीन स्थिरता में सुधार और दुनिया में आर्थिक असमानता को कम करने के लिये बढ़ी सम्पत्ति को सकल घरेलू उत्पाद की तरह मापा जाना चाहिये। रिपोर्ट में उन नीतियों पर जोर दिया गया है कि जिससे दुनिया में जैव विविधता के नुकसान और वनों के विनाश को रोका जा सके। अल्पकालीन जलवायु जैसे मीथेन आदि के उत्सर्जन में कटौती करने से भी ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है वैज्ञानिकों के मुताबिक पौधों से जुड़े खाद्य पदार्थ और कृषि पद्धति को बदलने की आवश्यकता है, जो कार्बन पैदा करती है। यानी मिट्टी की उर्वरता घटने के साथ ही विशैला प्रभाव भी होता है। ऊर्जा के लिये आत्मनिर्भरता और संरक्षण नीतियों को लागू करना होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो जीवाश्म ईंधन को प्रयोग कम कर नवकरणीय ऊर्जा को अपनाना होगा। इन बदलावों में अभी इतनी तेजी नहीं आई है शेष जीवश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये कभी नहीं जलाया जाना चाहिये।

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिये आर्थिक विकास और जनसंख्या नीति में सख्त प्रावधानों की आवश्यकता है। इसमें ऐसी नीति को शामिल करना होगा, जो खासकर महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों को मजबूत करती हैं। साथ ही परिवार नियोजन जैसे उपायों को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जाना चाहिये। पर्यावरण क्षति कर वहां के निवासियों में मातृ एवं शिशु मृत्यु में वृद्धि हो जाती है तथा वह अधिक मात्रा में कैंसर, यकृत एवं हड्डियों के रोगों के शिकार हो जाते हैं। पर्यावरण में आ रहे परिवर्तनों से सभी देशों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण समस्या विकासशील एवं औद्योगिक देशों की देन है। इन देशों में तेजी से हो रहे वनोन्मूलन, शहरीकरण, औद्योगीकरण, वाहनों की संख्या में वृद्धि इसके लिये उत्तरदायी है। पर्यावरणीय क्षति से न केवल मानव वरन् पौधों एवं जीव जन्तुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषित जल से मछलियाँ मरने लगती हैं उद्योगों से निकले विशैले बर्हिस्त्राव जो पानी में मिल जाते हैं उसे पीकर अनेक पशु गाय, भैंस इत्यादि बीमार हो जाते हैं।

प्रदूषित जल भी सिंचाई के लिये हानिकारक होता है। इस प्रकार पर्यावरण क्षति या अवनति कुल उत्पादन व उत्पादिता को कम कर देती है। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत मानवीय है। प्राकृतिक कारणों जैसे आंधी, ज्वालामुखी की राख, धूल, वन में लगने वाली आग से उत्पन्न धुंआ, परली के धुंआ से प्रदूषण है तथा मानवीय स्त्रोत में औद्योगिक प्रगति की दौड़ में तथा सुख सुविधाओ के लालच में मनुष्य प्रदूषण फैला रहा है। विशैली गैसें, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर गैसे घरेलू कार्यो के दहन से, वाहनों के पेट्रोल दहन से, कचरा एवं पटाखे आदि के दहन से गैसें उत्पन्न हो रही हैं।

विष्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पेश किये गये रूझानों से पता चलता है कि विश्व के तकरीबन आधे शहरों में कार्बन मोनो ऑक्साइड की मात्रा स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक स्तर तक पहुच चुकी है, जबकि सीसा (लेड) एक तिहाई शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। मानवीय क्रियाऐं ही धरती पर बढ़ते हुये प्रदूषण का मुख्य कारण है। जनसंख्या प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है जिसके कारण वन का क्षरण भी हो रहा है। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, प्रदूषण में वृद्धि कर रही है। विकास की गति तीव्र करने के लिये औद्योगीकरण में वृद्धि से ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, जैसे कारकों में भी वृद्धि हुई है। रासायनिक खादों को प्रयोग एवं कीटनाशकों के प्रयोग ने प्रजातियों एवं मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न किया है। यातायात के

* विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

साधनों में वृद्धि भी प्रदूषण के लिये जिम्मेदार है वाहनों का विशाक्त धुंआ, वायु प्रदूषण एवं वाहनों की आवाज ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करती है। सुरक्षा हेतु प्रत्येक देश की युद्ध की तैयारी ने अणु, परमाणु बमों का निर्माण कर भूमि प्रदूषण एवं वनस्पति की विलुप्तता का खतरा उत्पन्न कर दिया है।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति – प्रदेश की हवा तेजी से जहरीली होती जा रही है इसका असर हुआ है कि प्रदेश में रहने वालों की उम्र औसतन करीब तीन साल कम हो गई है यह जानकारी अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय की शोध संस्था एपिक (एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो) में सामने आई है। एपिक ने प्रदेश के जिलों के अनुसार यह एक्यू एल आई तैयार किया है। इसके अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा जहरीली हवा भिंड की है इससे वहाँ के लोगों के जीवन के साढ़े तीन साल कम हुए हैं, वहीं सबसे कम जहरीली हवा प्रदेश में अलीराजपुर जिले की है।

तालिका क्रमांक – 1

जिले में प्रदूषण के कारण कम हुई आयु

क्र	जिला	कम हुई आयु (वर्ष में)	क्र	जिला	कम हुई आयु (वर्ष में)
1	भिण्ड	7.6	12	झाबुआ	2.3
2	ग्वालियर	6.1	13	शाजापुर	3.1
3	मुरैना	6.7	14	मंदसौर	3.1
4	दतिया	5.7	15	सीहोर	3.0
5	आगरमालवा	3.2	16	नीमच	2.9
6	भोपाल	3.1	17	देवास	2.9
7	उज्जैन	3.0	18	रतलाम	2.9
8	इंदौर	2.9	19	खरगौन	2.7
9	खण्डवा	2.7	20	बुराहनपुर	2.7
10	धार	2.8	21	अलीराजपुर	2.2
11	बडवानी	2.4			

एपिक के शोध के आधार पर रिपोर्ट (एक्यूएलआई)

शिकागो विश्वविद्यालय में एपिक के डायरेक्टर **माइकल ग्रीन स्टोन** का कहना है कि पहला मौका है जब भारत के लिये एक्यू एल आई तैयार किया गया है। प्रो. ग्रीन स्टोन के मुताबिक यदि भारत अपने स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब होता है और वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी लाने में भी भारत कामयाब होता है तो यहाँ के लोगों की आयु औसतन 1.3 वर्ष तक बढ़ जाएेगी।

ग्वालियर जिले में पर्यावरण प्रदूषण – ग्वालियर जिले में पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। प्रशासनिक तमाम वायदों के बाद भी ग्वालियर शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जिसमें से वायु प्रदूषण का स्तर अधिक बढ़ा है। इनमें प्रदेश से ग्वालियर के अलावा भोपाल का नाम भी शामिल है। ग्वालियर की यह स्थिति तब है जब प्रशासन ने 2018 में 11 विभागों के साथ मिलकर 485 का एक्शन प्लान तैयार कर उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। केन्द्र सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिये 10 करोड़ की राषि स्वीकृत की है वायु प्रदूषण बढ़ने के तीन प्रमुख कारण हैं –

1. शहर में कई जगह खुले में कचरा जलाया जा रहा है। रोकथाम की जिम्मेदारी निगम की है लेकिन किसी पर भी जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है।
2. शहर के प्रमुख मार्ग डस्ट फ्री नहीं हो सके हैं। निगम ने जिन्हे डस्ट फ्री होने की बात कही है वे सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिस कारण प्रदूषण बढ़ा है।
3. 15 सालों से अधिक पुराने डीजल वाहन निगम सीमा से अभी तक बाहर नहीं हो सके हैं इनसे निकलने वाला धुंआ (वायुकण) धूलकण पी.एम.10 की मात्रा को बढ़ाते हैं।
4. तालाबों, कुओं में भी प्रदूषित जल मिलने के कारण जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिये फूलबाग पर लगे एयर मॉनीटरिंग स्टेशन को पेड़ों ने ढ़ँक दिया है। पेड़ों के कारण वहां से आने वाली हवा, मशीन में लगे सेसरों तक पहुँच ही नहीं पाती है। इसके अलावा एक और मॉनीटरिंग स्टेशन जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर स्थित पार्क में लगा है। ग्रीन कैम्पस होने के कारण वहां भी वायु प्रदूषण के आंकड़े कम ही आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वायु प्रदूषण बोर्ड को आंकड़े ही सही नहीं मिलेंगे तो वायु प्रदूषण की रोकथाम कैसे होगी। वायु प्रदूषण बोर्ड का यह नियम है कि 20 मीटर तक कोई अवरोध नहीं होना चाहिये। तभी चारों तरफ से आने वाली हवा में मौजूद धूल के कण सेंसरों में कैद हो सकेंगे और इससे वायु प्रदूषण के सटीक आंकडे मिलेंगे। अब प्रदूषण बोर्ड की एम.आई.टी.एस. और पद्मा विद्यालय परिसर में भी मॉनीटरिंग स्टेनशन लगाने की योजना है। इस हेतु मॉनीटरिंग स्टेशन की ऊँचाई 3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक रहती है। ऐसे में यदि इससे कम ऊँचाई पर मॉनीटरिंग स्टेशन बनाया जाएगा तो आंकड़े सही प्राप्त नहीं होंगे।

शहर के चर्चित दो स्थानों, इनमें एक है महाराज बाड़ा और दूसरा दीनदयाल नगर। शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले महाराज बाड़े पर 5 वर्षों में लगातार प्रदूषण बढ़ा है क्योंकि यहां से पूरा यातायात के साधन शहर के हर कोने के लिये कहे जाते हैं। यहां गाड़ियों की संख्या इस प्रकार है –

तालिका क्रमांक – 2 : ग्वालियर जिले में गाड़ियों की संख्या

क्र.	वर्ष	रजिस्टर्ड गाडियों की संख्या
1	2000–01	17000
2	2002–03	50000
3	2004–05	94000
4	2006–07	150000
5	2008–09	170000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में लगातार ग्वालियर जिले की रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिसके कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है –

तालिका क्रमांक – 3 : ग्वालियर जिले में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति

क्र	क्षेत्र	ध्वनि प्रदूषण (डेसीबल में)	
1	रेल्वे स्टेशन	74.3	119.2
2	मुरार	64.5	95.4
3	थाटीपुर	74.1	97.7
4	लश्कर	60.7	77.2
5	पिन्टो पार्क	51.7	69.8
6	माधव डिस्पेन्सरी	64.0	79.3
7	जीवाजी कैम्पस	45.5	65.8

ग्वालियर जिले के प्रदूषण की स्थिति का अध्ययन करने पर पता चलता है कि ग्वालियर जिले में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति में भी लगातार

वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.10) की मात्रा 2015 में 125 प्रति घन मीटर थी यह अब बढ़कर 140 प्रति घन मीटर हो गई है। जबकि नवम्बर 19 एव दिसंबर 19 के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इसकी मुख्य वजह यहां के वाहनों का रेंगना है। इस वजह से सड़क से धूल उड़ती है। साथ ही कुछ समय से यहाँ के होने वाले निर्माण कार्यो की वजह से भी पी.एम.10 की मात्रा बढ़ी है। वहीं यदि डी.डी. नगर की बात करें तो 2015 में पी.एम. 2.5 की मात्रा 68 थी यह वर्ष 2018 में इसकी मात्रा 57.43 तक पहुंच गई थी। इसकी मात्रा का कारण पौधरोपण अभियान है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष पी.एम. 2.5 मी मात्रा 4.10 से घटकर 55.33 रह गई। पी.एम. 10 इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। पी.एम. 2.5 में हवाओं में घुलने वाले छोटे कण हैं जो शरीर के लिये ज्यादा हानिकारक हैं। वायु में पी.एम. 2.5, पी.एम. 10 कितना है ये पता होने के बाद दोनों का औसरत निकालते हैं। इसे औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी) इंडेक्स कहते हैं।

तालिका क्रमांक – 4 : ग्वालियर जिला के ज्यादा और कम (एक्यूआई) वाले दो स्थान

क्र	वर्ष	महाराजा बाडा		डीडी नगर	
		पीएम 10	**पीएम 2.5**	**पीएम 10**	**पीएम 2.5**
1	2019	140	57	125	53
2	2018	137	61	117	57
3	2017	121	51	100	42
4	2016	112	61	89	53
5	2015	125	82	118	68

ग्वालियर शहर की आबादी के हिसाब से 55 लाख पेड़ों की आवश्यकता है जबकि शहर में 4.50 लाख पेड़ हैं। इस कारण ग्वालियर के कुछ हिस्सों में पेड़ों की कमी के कारण वायु प्रदूषण बढ़ा है। स्वच्छ वायु की गुणवत्ता का निर्धारण पी.एम.10 और पी.एम. 2.5 के स्तर पर होता है। जिसमें पी.एम. 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से नीचे और पी.एम. 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिये। पिछली दीपावली से कम प्रदूषण 30 माइक्रोग्राम/घनमीटर कम रहा पी.एम.10 और पी.एम. 2.5 की मात्रा में कम वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक – 5 : एक्यूआई के मापदण्ड

क्र	एक्यूआई	प्रभाव
1	0–50	अच्छा
2	51–100	औसत
3	101–200	मॉकरेट
4	201–300	खराब
5	301–400	ज्यादा खराब
6	401 से ज्यादा	बेहद खतरनाक

तालिका क्रमांक – 6 : प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार

क्र	क्षेत्र	पी.एम. 10 का स्तर		पी.एम. 2.5 का स्तर	
		2018	**2019**	**2018**	**2019**
1	व्यावसायिक क्षेत्र	396.6	239.9	158	128.9
2	रहवासी क्षेत्र	234.99	204.9	83.1	70.69
3	साइलेंट जॉन	213.4	231.2	74.8	70.69

प्रत्येक समस्या के विवेचन के पश्चात् निदान किया जाना आवश्यक है। निदान संबंधी सुझाव निम्नानुसार है –

पर्यावरण प्रदूषण ने मानवीय स्वास्थ्य को सबसे अधिक हानि पहुंचाई है। जिसका प्रभाव मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर दिखाई देता है। वायु प्रदूषण ने श्वसन तंत्र को प्रभावित किया है तथा सिलीकोसिस, बाइसिनासिस, बैगोसोसिस, हैल्कोसिस, एन्थोकोसि बीमारियाँ होती है सीसा प्रदूषण से बच्चों के बौद्धिक स्तर में कमी आती है। जल प्रदूषण से बैक्टीरिया जनित रोग, विषाणुजनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, पेट के कृमि संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, थकान, अनिद्रा, हृदयरोग, विक्षिप्तता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। समस्त प्रकार के प्रदूषण मानव के लिये हानिकारक हैं। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर स्वंय को, परिवार को, समाज को, देश को प्रभावित करता है। बल्कि कार्यक्षमता को एवं आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय –

1. वाहन का प्रयोग अधिक आवश्यकता होने पर भी करें अन्यथा नहीं।
2. योग एवं प्राणायाम का नियमित अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है।
3. आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण देने की चिंता भी प्रदूषण कम करने को प्रोत्साहित करती है जो स्वंय के लिये लाभकारी है।
4. पॉलीथिन का संयमित उपयोग एवं उचित निस्तारण करना एक उचित प्रयास होगा।
5. जल को बेकार न बहने दें। वरन् अपने परिवार के जल निष्कासन को शोकपिट बनाकर प्रयास करें तो जमीनी पानी का स्तर बढ़ा सकते हैं।
6. प्रत्येक परिवार को घर के आस – पास वृक्षारोपण करना चाहिये।
7. जैव रसायन एवं खतरनाक उद्योगों को लगाने पर रोक।
8. मिट्टी के अपघटन एवं कटाव के कारण कृषि उत्पादन कम हो जाता है। इस पर रोक लगाना चाहिये।
9. तटीय कटाव से मत्स्कीय उत्पादन कम हो जाता है पर्यटन से होने वाली आय को नुकसान होता है। इस हेतु तटीय कटाव को रोका जाना चाहिये।
10. भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये वनों के कटाव को रोकना होगा।
11. प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग इस प्रकार किया जाये कि वह इतनी मात्रा में बचे रहें कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

आज देश की सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण की समस्या है। यह समस्या वर्तमान पीढ़ी की ही नहीं वरन् भविष्य की पीढ़ी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रदूषण के कारण तापमान में वृद्धि, समुद्र के स्तर का बढ़ जाना, तापमान में वृद्धि ने कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पर्यावरण क्षति का प्रभाव मानव स्वास्थ्य, प्रदूषित जल, पौधे, जीव जन्तु पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कृषि में उपयोग किये जाने वाले रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयां भी भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर रही हैं। पर्यावरणीय क्षति का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय क्षति प्रमुख रूप से औद्योगिक देशों की देन है। परंतु विकासशील देशों में तेजी से वनोन्मूलन, शहरीकरण, औद्योगीकरण, वाहनों की संख्या में वृद्धि भी इसके लिये उत्तरदायी है। पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिये उठाए गए सरकारी कदम एवं समय – समय पर बनाई गई नीतियों के कारण कुछ अंश तक पर्यावरण में सुधार अवश्य हुआ है। वास्तव में पर्यावरणीय क्षति के मौद्रिक मूल्यांकन तथा विकास परियोजनाओं एंव प्राकृतिक संसाधनों के बीच उचित समायोजन की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 पर्यावरण अध्ययन - डॉ. विजय कुमार तिवारी
2 पर्यावरण प्रदूषण - डॉ. वी. के. कुरेशिया
3 वन संरक्षण एवं पर्यावरण - श्रीमती सुनीता शर्मा
4 पर्यावरण अध्ययन - बी.एल. तेली
5 पर्यावरण - डॉ. बी.एल. शर्मा
6 परीक्षा मंथन - पर्यावरण विशेषांक 6 - 7 वर्ष 2013 - 2014
7 कुरूक्षेत्र पत्रिका
8 विज्ञान प्रगति
9 इंडिया टुडे

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

निमाड़ में सन्तों से संबंधित मंदिर, समाधि स्थल एवं मेले

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में वर्तमान में खरगोन, बड़वानी, खण्डवा और बुरहानपुर जिले सम्मिलित हैं। यह विशाल भू-भाग पर फैला हुआ है तथा बड़ी संख्या में आबादी यहां निवास करती हैं। निमाड़ सन्तों का क्षेत्र रहा है। यहां एक से बड़कर एक महनीय सन्त हुए, जिन्होंने अपने उपदेशों से जन-समुदाय का दिग्दर्शन किया। उनकी शिक्षाओं के प्रति आज भी निमाड़ की जनता में श्रद्धा और अनुकरण का भाव है। निमाड़ के जो स्थान इन सन्तों की जन्मभूमि, कर्मभूमि या निर्वाण स्थल रहे हैं, वहां पर उनके अनुयायियों ने मंदिरों, समाधियों आदि का निर्माण करवाया है, जो तीर्थस्थल बन गये हैं। इनका स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्व है। साथ ही इन संतों से संबंधित कतिपय स्थानों पर वर्ष में निश्चित दिनों में मेले लगते हैं, जो आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के केन्द्र होते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में निमाड़ के सन्तों से संबंधित मंदिर, समाधि स्थल एवं मेलों का विवेचन किया गया है।

मंदिर एवं समाधियाँ

1. सिंगाजी के मंदिर एवं समाधि – निमाड़ के सर्वमान्य सन्त सिंगाजी के मंदिर बड़वानी जिले में स्थित उनके जन्म स्थल ग्राम खजूरी और खण्डवा जिले में स्थित ग्राम सिंगाजी में हैं। खण्डवा के निकट ग्राम सिंगाजी में सिंगाजी का नया भव्य मन्दिर बनाया गया है। मंन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा 18 अगस्त, 2010 को हुआ था। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित हुये थे। यह श्वेत मन्दिर सादगीपूर्ण कलात्मकता का अनूठा उदाहरण है।

चित्र – खण्डवा जिले के ग्राम सिंगाजी में स्थित सिंगाजी का मंदिर

ग्राम सिंगाजी में ही सिंगाजी की समाधि भी बनी हुई है, जिसमें सिंगाजी के पगल्ये बनाये गये हैं, जिनकी श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। उनका समाधि स्थल निमाड़ियों की दृष्टि में 'बैकुण्ठ धाम' है।

चित्र – सन्त सिंगाजी की समाधि पर स्थित पगल्ये

सन्त सिंगाजी की समाधि के निकट सन्त बुखारदास की समाधि बनाई गई है। बुखारदास के शिष्य रघुनाथ राव के प्रयासों से समाधि स्थल पर एक छोटा मन्दिर भी बनवाया गया है।

2. सन्त कालूजी की समाधि – सन्त सिंगाजी के पुत्र सन्त कालूजी की समाधि खरगोन जिले की महेष्वर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पीपल्या खुर्द में है। यह बहुत ही सादगीयुक्त है। यहां पर सिन्दुरी रंग से सुसज्जित निर्मिती बनी हुई है। वहीं भक्तगण अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में पुष्प, प्रसाद आदि अर्पित करते हैं।

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

चित्र – सन्त कालूजी की समाधि

3. सन्त भावसिंह एवं कुछ अन्य सन्तों की समाधियाँ – सन्त भावसिंह की समाधि ग्राम दवाना में नदी के निकट एक शिखर पर वटवृक्ष के नीचे बनाई गई है। सन्त धनजीदास की समाधि कसरावद तहसील के ग्राम अवरकच में कुंदा नदी के किनारे उनके अनुयायियों द्वारा बनवाई गई थी। वर्ष 1994 में तीव्र वर्षा और नदी में आई बाढ़ से यह समाधि ध्वस्त हो गई। सन्त लालदास की समाधि खरगोन जिले के सुरपाला ग्राम में बनाई गई है। समाधि स्थल पर सन्त लालदास के चरण चिन्ह (पगल्या) स्थापित किये गये हैं। सन्त बोंदरू की समाधि खरगोन जिले के ग्राम नागझिरी में स्थित है।

चित्र – सन्त भावसिंह बाबा की समाधि

4. दादा धूनी वाले का मन्दिर एवं समाधि – खण्डवा में दादा धूनी वाले का मन्दिर बहुत ही शानदार है। विशाल क्षेत्र में बने इस मन्दिर की विद्युत सज्जा के कारण रात्रि के समय इसकी छटा निराली हो जाती है। यहीं स्थित उनके समाधि स्थल को दादाजी दरबार के नाम से जाना जाता है।

चित्र – दादा धूनी वाले का मन्दिर

चित्र – दादा धूनी वाले की समाधि

मेले – अनेक सन्तों की स्मृति में विभिन्न स्थानों पर प्रतिवर्ष मेलों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक आस्था के प्रतीक इन मेलों में निमाड़ और मालवा से असंख्य जन आते हैं। बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार होने से मेलों का आर्थिक महत्व भी है।

1. सन्त सिंगाजी का मेला – सिंगाजी के समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में क्वांर मास (अगस्त-सितम्बर) की शरद पूर्णिमा से दस दिवसीय विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले की शुरुआत सन् 1599 ई. में हुई थी और पिछले 511 वर्षों से अनवरत् जारी है। सिंगाजी के नाम पर पंधाना एवं खजूरी में भी मेले लगते हैं। पंधाना का मेला चैत्र माह की पूर्णिमा को प्रारम्भ होता है। यह तीन दिवसीय मेला है। खजूरी का मेला सात दिवसीय है। यह प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 22 अक्टूबर तक चलता है।

मेले के अवसर पर निमाड़ तथा मालवा अँचल में विभिन्न गाँवों की असंख्य भजन मण्डलियों के समूह भक्तिपूर्ण भजनों का गायन करते हुये पैदल ही समाधि स्थल पर आते हैं और 'निशान' चढ़ाते हैं। समाधि पर अपार मात्रा में खोपरा और मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाया जाता है, किन्तु एक भी चींटी वहाँ नजर नहीं आती है, इसे क्षेत्र में एक चमत्कार माना जाता है। कुँवार माह में आम का मौसम नहीं होता है, लेकिन मेला स्थल पर कच्ची कैरी दिखाई देती है। यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

2. सन्त कालूजी का मेला – महेश्वर तहसील के ग्राम पिपल्या में सन्त कालूजी की स्मृति में आयोजित होने वाला मेला पशुओं की खरीदी-बिक्री के लिये विख्यात है। सन्त कालूजी के बारे में लोक मान्यता है कि वे दैवीय शक्ति से सम्पन्न थे। वे बिना किसी औषधि के व्यक्तियों और पशुओं की बीमारियों को ठीक कर देते थे। उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये यहाँ तीस दिनों का मेला लगता है। यहाँ तीन स्थानों पर सन्त कालूजी के चरण चिन्हों (पगलियों) की पूजा की जाती है। इस मेले में 15-20 हजार व्यक्ति भाग लेते हैं। मेले के अवसर पर दूरदराज के इलाकों से लोग आते हैं। सन्त की समाधि पर निमाड़ी परम्परा के अनुसार निशान लाये और चढ़ाये जाते हैं। रात्रि में भजन मण्डलियाँ भजनों के माध्यम से सन्त के जीवन और चमत्कारों पर प्रकाष डालती हैं।

3. सन्त भावसिंह बाबा का मेला – दवाना में भावसिंह बाबा की समाधि स्थल पर मेला आयोजित होता है। यह 15 दिवसीय मेला है। यह 21 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर सामान्यत: 04 नवम्बर तक चलता है।

4. सन्त ब्रह्मगिर का मेला – ग्राम कपूरिया का सन्त ब्रह्मगिर का मेला माघ माह की अमावस्या को प्रारम्भ होता है तथा तीन दिन तक चलता है।

5. सन्त बुखारदास का मेला – ग्राम सिंगाजी में सन्त बुखारदास बाबा का मेला भी आयोजित होता है। यह माघ माह की पूर्णिमा को प्रारम्भ होकर पाँच दिनों तक चलता है।

6. सन्त बुखारदास का मेला – ग्राम छनेरा में भी सन्त बुखरदास बाबा का सात दिवसीय मेला लगता है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रारम्भ होता है।

उपसंहार – इस प्रकार निमाड़ में सन्तों से संबंधित अनेक मन्दिर उनके अनुयायियों की आस्था के केन्द्र के रूप में स्थित हैं। नये मन्दिरों का भी निर्माण हो रहा है। पुराने मन्दिर जीर्णोद्धार के द्वारा नया स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं। सन्तों से संबंधित मेलों ने आर्थिक-सामाजिक जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका खेली है। ये मेले निश्चित स्थान पर नियत मौसम में भरते हैं और अस्थाई बाजार का काम करते हैं। क्षेत्र में रहने वाले कारीगरों, दस्तकारों

और उत्पादकों को अपनी कला का प्रदर्शन और अपना माल बेचने का मौका इन मेलों से मिलता है। ये मेले जहाँ देश के आर्थिक जीवन को छोटी धाराओं को बड़ी धाराओं से जोड़ते आये हैं, वहीं वे धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुये भी मिलते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **नर्मदाचल के सन्त कवि**, लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- इतिहास संकलन समिति, महेश्वर, संस्करण- प्रथम, 1995ई.,
2. **सिंगाजी की परचरी**, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751,
3. **निमाड़ के सन्त कवि सिंगाजी**, लेखक- रमेशचन्द्र गंगराड़े, प्रकाशक- हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, संस्करण- 1967,
4. क्षेत्र अध्ययन के द्धारा तथ्यों और सूचनाओं का संकलन किया गया।

****

A study on ground water quality in Dhar town, Distt. Dhar (M.P.)

Dr. D.S. Waskel* Dr. K.S. Alawa**

Abstract - Ten ground water samples were analyzed for turbidity, Ph, specific conductivity, total hardness, TDS, total alkalinity, chloride, fluoride, Nitrate and phosphate by adopting standard method. the results were evaluated in accordance with the WHO and BIS standard. The physico chemical parameter analysis ground water in Dhar town. I have been studied to assisment of quality water for domestic and agriculture needs and identified the polluted zones where the parameters are exceeding the permissible limits for drinking water it was observed that the mains sources of pollution are due to poor sanitation and discharge of waste and sewage.
Keywords - BIS, Bore-well, Ground water, Physico chemical, WHO.

Introduction - Water is one of the most precious natural resources and is essential for everything on our planate to grow and prosper (Buragohain *et al*.2007). 97.2 percent of world water is found in ocean and sea and the remaining 2.8 percent of water is found as ground water and surface water. The volume of ground water (0, 59%) is 30 times greater than the surface water (0.02%). This water is disregarded now by the developmental activities like industrialization, urbanization etc. WHO has given a set of guideline values for drinking water quality (WHO 2004).

Ground water is a common source of drinking water and its general purity has made it well known sources of water. Atmospheric precipitation is the main sources of fresh ground water. It is estimated that about 25% of the precipitation becomes ground water (Nace, 1960). Literature on ground water revealed that the scientific investigation was rarely carried out with regard to the physico chemical quality of ground water in Dhar town. The main objective of this study is to known the suitability of ground water for drinking, domestic and agricultural purpose.

Materials and Methods - The Dhar town is situated between 22º1'14'' and 23º9'49'' Northern latitude and 44º 28'27'' to 75º 43'' Eastern longitude. Geographically it is divided by vindhyanchal hills in two parts of Northern plateau of malwa and Southern plateau of study areas. The Dhar town enjoys a pleasant climate. The highest precipitation generally occurs during the monsoon in months of June to September; rain fall is the sole contributors to the precipitation and is the primary sources of water in the study area. Following Bore-wells 10 are selected randomly from the whole town in different residential area of Dhar town. The site of ground water is selected randomly from ten bore well of various reason of dhar town. All the samples were collected during rainy season, winter season and summer season in 2018-19. The determination of physico chemical parameters was done according to the APHA (1995). The results were evaluated in accordance with BIS and WHO standard.

These sampling stations were located randomly in the different areas of Dhar town covering all the directions of the town. The number of sampling stations (Bore-wells) and their description are as unde Salkanpur road Bore-weel, Dal mill Indore road bore-weel, Sharma bore-weel Trimurti Nagar, Alawa bore-well Deendayalpuram, Chauhan bore-weel at Basant Bihar, Jain bore-weel Po- chaupati, Lalbagh bore-weel, Tomar bore-weel Saraswati Nagar, Ganpati mandir bore-weel Mohanlal bore-weel at silver hill.

Table-1 and 2 (see in last page)

Results and Discussion - The physico-chemical charactenstic and BIS and WHO standard of drinking water are presented in table 1 and 2.

PH : It is a measure of hydrogen ion concentration in a water most natural water have a pH of 4-9 and majority of them are slightly alkaline due to carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium dissolved in water.BIS prescribed a pH of 7.75 and WHO prescribed a range of 6.5 -8.5. The PH was within the desirable limit of BIS and WHO.

Turbidity: The turbidity value of the bore well number 2 (Name) 5 and 10 (Name) was higher due to the disposal of waste material and sewage near them (Rohella and Chaudhari 2001). Turbidity values were found to be higher than that of the standard BIS and WHO. The maximum turbidity value was observed in rainy season due to mixing

* Department of Zoology, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA
** Department of Botany, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

of runoff water and minimum in winter season it should be due to settlement of particles.

TDS: The TDS value of all the Bore-weels samples was higher than the surface waters which in due to long residence time of the groundwater in purifiers and percolation thought soil leading to higher ionic concentration. Water with high solid can't have inferior portability which my in induce and unfavorable physiological reaction in the transient consumer. High level TDS may be aesthetically unsatisfactory for bathing and washing clothes. The necessary treatment of these ground water is must for producing suitable drinking water as for us TDS values are concerned recharging system of ground water during rainy season my may be produce some satiability by decreasing TDS value (Abdul 2002).

Total hardness: It is a measure of variable complex mixture of onion and cat ions. In freshwater the principal cat ions which impart hardness are calcium and magnesium. hard water is objectionable available for domestic purpose since it need lot a soap for let letter formation (Trivedi and Goel 1986). Total hardness of all the bore well water was higher than permissible limits which may adversely affect human health. Water sample of the present study showed that they are hard. it gives water a silently saline test. Hardness of water was almost uncharged even after the treatment and unless method of water softening is employed additional. it is un economical in cooking of food as it requires extra fuel consumption and washing of cloth requires extensive shop consumption the hard water also cause scale formation. it is in agreement with the study of (Jain *et al* 1997).

Alkalinity: Alkalinity is natural water is due to free hydroxyl ions and hydrophilic of salt formed by weak acids and strong bases. Most of the alkalinity in natural water is formed due to the dissolution of carbon dioxide in water the alkalinity values of all the ground water samples were silently higher because the water reaches the aquifers through soil carbonates and bicarbonates in the process excess alkalinity gives beta test to water.

Chloride: The chloride values were recorded due to bore well number first (Salkanpur) and N0. 9 Ganpati mandir) was higher than the other sample. it was mainly due to the water disposal near his bore wells however the chloride remains under the standard value hands the water of these bore well can be used for drinking and domestic purpose. Presence of septic tank near the damping stations also cause higher level of chloride (Olaniya and Saxena 1977).

Phosphate: Phosphate value of some bore well water samples like 6 (Jain Bore-well), 7 Lalbagh and 8 (Tomer Bore-well). Was slightly higher but it is not significant. in fresh water phosphate is present mostly in inorganic forms such as $H_2PO_4^-$, HPO_4^{-2} and $PO4^{-3}$. According to BIS standard the phosphate content should not exceed more than 0.1 mg/l.

Fluoride: Fluoride value of all the Bore-weels samples were present study was under the permissible limit of BIS and WHO.

Nitrate: Nitrate content of No. 1 (Salkanpur road) No. 9 (Ganpati mandir) and No.6 (Jain Bore-well). Was higher mainly because of agriculture field where the use of nitrogenous fertilizers makes their entry into groundwater due to the leaching. The poor sanitation level is also other important source contributing higher amount of nitrates in groundwater (Stevenson, 1986).

Conclusion - Groundwater is better in quality than surface water because it is from pathogenic bacteria due to excellence soil filtering mechanism. During the study period, it was noticed that the samples of study area indicate the higher value of some parameters in most of the samples. they minimize the Suitability of these samples for drinking purpose without treatment. But after the filtration and this section, National present impurities can be removed in water which provides its suitability for drinking and domestic purpose. The bore well number first (Salkanpur road Bore-well) and No. 7 (Jain bore well) where having highest values of all parameters. It is suggested that this water samples cannot be used for drinking and domestic purpose as they can create health problems. All the samples are suitable for irrigation and domestic purpose.

Acknowledgement - The authors are grateful to Dr. H.L. Fulware, principal and Dr. Preeti Khular, Head of Zoology Department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to PHE Officer Dhar for help during study the Dhar town. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

References :-

1. **APHA (1995)**.Standard method for examination of water and waste water. *American publication .Health Association,* New York.
2. **Basavaraja Simpi, S.M. Hiremath,K.N.S. Murthy, K.S.Chandarash,APPA, Anil N. Patil, E.T.Puttiah (2011).**Analysis of water quality using physico-chemical parameters Hosahalo tank in S.Himega district, Karnatka, India, 11 (3).
3. **BIS (1991).** Specification for drinking water quality Indian slandered institution New Delhi, India.
4. **Chaudhari P., Ningwal U.S., Waskel D.S., Dhakad N.K., Shinde D. (2008).** Study of groundwater level improved by recharging system at Dhar town (M.P.) Ind. Res. Com. Vol. (1), 62-65
5. **Gupta, S.M. (2003).**Physico-chemical characteristics and analysis of water quality of Bikaner city, Asian Jou.chemical, 15:727.
6. **Gopal Krishana H.M.(2011).**Assessment of Physico-chemical status of ground water sample, Inacotcity, Res.Jou. of chemi.Science, 1(4), 117-124.
7. **Gallardo B., Clavero M., Sanchez M.I.,Vila M.(2016).**Global ecological impacts of invasive species in aquatic ecosysytem. Global change boil, 22:151-163.
8. **Jain M.K., Dadhich L.K., Kalpana S.(2011).** Water quality assessment of Krishanpura Dam, Baran, Rajasthan, India, Nature envi. and pollu.,Tech, 10(3),

405-408.

9. **Johengen T.H. (2014).** Changing ecosystem Dynamics in the Laurentian Great Lake. Bottom up and Top down regulation, Bio. Science, 64:26-39.
10. **Munnawar M. (1970).** Limnological studies on fresh water ponds of Hydrabad, India, Int.Biotype. Hydrobiologia, 35,127.
11. **Singh, B.N. & S. Rai (1999).** Physico-chemical studied of Ganga River at Varansi. Jou. Envi.Pollution, 6:43-46.
12. **Shrivastava V.S. & Patil P.R.(2002).** Tapti river water pollution by industrial waste. A statical approach. Nature Envi. Pollu. Tech., 1:285-290.
13. **Trivedi R.K. & Goel P.K. (1986).** Chemical and biological method for water pollution studied, Envi. Pub. Karad, 215.

Table-1 Seasonal variations in Physio-chemical parameters of ground water samples during 2018.

parameters	Station-1			Station-2			Station-3			Station-4			Station-5		
	R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S
Turbidity	1.2	0.5	0.7	1.1	1.0	0.9	0.99	0.5	0.8	1.2	0.6	0.8	0.3	0.6	0.8
PH	7.2	7.1	7.0	7.3	7.4	7.2	7.8	7.6	7.1	7.3	7.1	7.2	7.4	7.3	7.1
Specific & Activity	922	917	958	884	915	960	890	910	990	840	809	860	870	837	880
Total Hardness	569	559	870	481	475	550	581	580	588	473	468	470	566	544	589
TDS	810	801	807	756	743	762	698	660	677	793	756	777	562	523	565
Total alkality	340	322	333	287	262	270	370	365	375	298	266	275	312	307	310
Chloride	282	275	277	240	221	228	237	217	222	300	289	308	310	268	281
Fluoride	0.48	0.42	0.44	0.68	0.58	0.66	0.60	0.55	0.57	0.54	0.58	0.57	0.57	0.53	0.54
Nitrate	10.42	11.2	11.6	9.80	10.01	11.02	18.2	17.8	71.6	15.5	14.8	14.2	13.4	13.0	12.20
Phosphate	0.81	0.90	0.96	0.70	0.81	0.99	0.80	0.89	0.92	0.88	0.92	0.95	0.78	0.82	0.87

Turbidity-NTU, * mg/L

Table-2 Seasonal variations in Physio-chemical parameters of ground water samples during 2019.

parameters	Station-1			Station-2			Station-3			Station-4			Station-5		
	R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S
Turbidity	1.28	0.78	0.88	1.32	1.2	1.3	1.1	0.80	0.88	1.2	0.89	0.98	1.0	0.81	0.88
PH	7.70	7.20	7.40	7.02	7.08	7.03	7.08	7.01	7.05	7.37	7.72	7.25	7.70	7.08	7.09
Specific & Activity	780	748	788	2202	2240	2253	856	865	881	1244	1610	170	1182	1210	1280
Total Hardness	428	422	430	1162	1180	1201	555	565	554	800	880	886	1062	1072	1088
TDS	766	728	744	2022	2041	2062	821	830	840	758	780	788	408	431	442
Total alkality	344	330	336	458	468	486	418	419	438	378	246	278	370	388	389
Chloride	288	267	273	233	255	268	219	238	247	161	167	171	-	-	-
Fluoride	0.44	0.41	0.42	0.64	0.60	0.61	0.45	0.50	0.46	0.50	0.61	0.48	0.48	0.46	0.42
Nitrate	11.20	10.40	10.60	90.1	89.4	87.8	12.11	10.28	10.28	10.02	8.88	8.46	7.78	41.20	43.21
Phosphate	0.66	0.58	0.63	0.90	1.08	1.10	1.12	1.00	0.89	0.82	0.81	0.78	0.80	0.69	0.85

Turbidity-NTU, * mg/L

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

ग्रामीण भारत में गैर कृषि क्षेत्र की महत्ता

डॉ. आर.एस. मण्डलोई *

शोध सारांश – भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए कृषि, गैर कृषि क्षेत्र का संवर्धन महत्वपूर्ण है जिससे ग्रामीण कृषकों के लिए आय अर्जित करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जा सके। गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से गांव के लोग गांव में ही रोजगार प्रारंभ कर सकेगें तथा छोटे एवं सीमांत कृषक एवं कृषि में लगे मजदूरों का शहरी क्षेत्रों की और पलायन रोका जा सकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए गैर-कृषि में रोजगार एवं उद्यम पर विशेष बल दिया जा रहा है।

प्रस्तावना – भारत एक गांव प्रधान देश है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा उनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं कृषि से जुड़े उद्योगों से है। चूंकि भारत की कृषि मानसून पर आधारित है, भारत के ग्रामीणों को केवल 3-4 माह ही कार्य मिल पाता है शेष समय खाली रहते है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण भारी मात्रा में रोजगार की तलाश हेतु पलायन कर जाते है। कही-कही उक्त समयावधि में गांव ही खाली हो जाते है जो एक गंभीर समस्या है।

भारत गांवों का देश है जिसमें हर 10 में से 08 से अधिक व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते है। गैर-कृषि क्षेत्र की आधे से अधिक आबादी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत है और रोजगार वृद्धि, निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों जैसे निर्माण में केन्द्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावशाली ढंग से बढ़ रही है। यहां की अधिक जनसंख्या, अवसंरचना आदि प्रचूर मात्रा में होने से अच्छे निवेश व बचत की संभावना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पादित होने वाली जैसे – कंस्ट्रक्शन, थोक व खुदरा व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण, संचार यातायात, भंडारण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियां गैर-कृषि क्षेत्र में शामिल होती है। भारत में गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने के लिये कृषि के अतिरिक्त गैर-कृषि क्षेत्र का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से एक और ग्रामीणें को रोजगार मिलेगा तथा दूसरी और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गैर-कृषि क्षेत्र के विकास से छोटे एवं सीमांत कृषक शहरों की ओर पलायन नहीं कर सकेगें। इस हेतु ग्रामीण कृषित्तर क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड ने कई पुनर्वित्त योजनाएँ बनाई है। नाबार्ड ने जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास निरंतर विगत तीन दशकों से कर रही है।

गैर-कृषि के विकास हेतु कार्यक्रम – भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु रोजगार एवं उद्यम पर विशेष बल दिया जा रहा है। शासन द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत दिहाड़ी रोजगार के अतिरिक्त कुशल, अर्धकुशल मजदूरों के विकास हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। उनके लिए रोजगार सृजन और उद्यमिता एवं कौशल विकास की योजनाएँ चला रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं से देश के युवाओं को उद्योग संबंधित दक्षता एवं अपनी जीविका सुधारने का मौका मिल रहा है। देश के युवा वर्ग को श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शासन ने कई योजनाएँ जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविकापार्जन मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापार्जन मिशन चला रही है। इसके अतिरिक्त देश के युवाओं के कॅरियर को ऊँचाई तक पहुंचाने तथा ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए एवं ग्रामीणों में रोजगार सृजित करने के लिए निम्नवत योजनाऐं चलाई जा रही है –

(1) स्कील डेवलपमेंट – कौशल विकास के तहत देश के युवाओं को हुनर से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए देश की सरकार ने स्किल डेवपलपमेंट की राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। इसके तहत अब तक लगभग 65 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 35 लाख से ज्यादा हुनर से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार पा चुके है।

(2) आजीविका एक्सप्रेस योजना – यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ संचालित करने की सुविधा प्रदान करवाना है। यह उपयोजना 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षो की अवधि के लिए एक पायलट आधार पर देश के 250 ब्लाकों में लागू की गई है।

(3) स्टैंडअप इण्डिया – यह योजना पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रांरभ की गई है। इस योजना से देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने कुटीर उद्योग बेहतर बनाने की कोशिश की है।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना – यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना के रूप में चल रही है। इसमें निर्धन से निर्धन एवं सबसे कमजोर समुदायों को लक्षित एवं वित्तीय समावेशन पर बल देता है।

(5) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना – इस योजना का उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए जीविकापार्जन की सुरक्षा बढ़ाना है। यह उन ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के वैतनिक रोजगार की गारण्टी देता है।

अत: स्पष्ट है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे गैर-कृषि गतिविधियाँ कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता के बीच सुरक्षा कवच है। गैर-कृषि गतिवधियों से ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने में मदद मिलती है और

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

गांवों से शहरों की और पलायन में भी कमी आती है। आय की निरंतरता सुनिश्चित होने से ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। परिणामत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है और राष्ट्र के विकास में मददगार बनती है।

ग्रामीण पर्यटन गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके जरिये ग्रामीण परिवेश को दुनिया से परिचित कराया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की कला, संस्कृति विरासत को पर्यटन क्षेत्र से जोड़कर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु अवसंरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होगें साथ ही अन्य गैर-कृषि गतिविधियों के विकास एवं विस्तार में मदद मिलेगी।

अत: ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति की रफ्तार बढ़ाई जाना चहिए, उनको अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के अतिरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसर मिले ताकि उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ग्रामीण विकास एवं युवा स्वरोजगार योजना विवरणिका म.प्र. शासन।
2. पुरी वी.के. एवं मिश्र (2015), भारतीय अर्थव्यवस्था, दिल्ली।
3. प्रतियोगिता दर्पण, (भारतीय अर्थव्यवस्था)
4. रूद्र दत्त, के.पी.एम. सुन्दरम (2008), भारतीय अर्थव्यवस्था एस. चन्द्र प्रकाशन, दिल्ली।
5. योजना (2017), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।
6. कुरूक्षेत्र (2016), प्रकाशन विभाग, दिल्ली।

****

आर्थिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण

डॉ. प्रतिमा बनर्जी *

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है– महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जागृत करना। महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। यदि महिलाएं अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है तो इससे उनका आत्म सम्मान बढ़ता है। इससे महिलाएं अपने राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। महिला सशक्तिकरण के मापदंड अत्यधिक व्यापक है किन्तु उनमें से कुछ ऐसे है जिन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जिनमें है– महिलाओं पर सभी तरह के सामाजिक बंधन, नियंत्रण, सीमा आदि सदियों से चली आ रही परंपराओं को चुनौती देना मुख्य है। आजादी के बाद देश का नया संविधान बना जिसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए विवाह, दहेज उत्तराधिकारी, संपत्ति में अधिकार, उत्पीडन आदि प्रश्नों पर समय–समय पर वांछनीय अधिनियमों का निर्माण किया गया। कानून और नियम बनाए गए फिर भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नही हुआ। महिला सशक्तिकरण आन्दोलन, बीसवीं शताब्दी के आखरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक आन्दोलन कहा जा सकता है। देश के विकास में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को ध्यान में रखकर ही राष्ट्र के निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। आजादी के बाद से ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ही शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उद्देश्य रहा है। भारत सरकार महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित किए है। कई योजनाए महिलाओं के लिए बनाई गई है। इनमे महिलाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ बनाना सरकार का उद्देश्य है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। पुरूष और महिलाओं के बीच भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान कर आगे लाने के प्रयास किए जा रहे है। राजनीति में भी महिलाएं अब सक्रिय रूप से भाग लेने लगी है।

शब्द कुंजी – महिला सशक्तिकरण , अर्थव्यवस्था, कृषि।

अध्ययन की आवश्यकता:

1. महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना
2. आर्थिक क्षेत्र मे महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करना।

शोध पद्धति–शोध पद्धति के सूक्ष्म अध्ययन और उद्देश्य से स्पष्ट है कि शोध विषय की प्रकृति सैद्धान्तिक, एवं व्यवहारिक है। प्रस्तुत शोध के अध्ययन की पद्धति वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक है।

प्रस्तावना– सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों अथवा समूहों की क्षमताओं को बढ़ाती है ताकि वे सर्वोत्तम का चयन कर सके और ऐसे चयन को वांछित कार्यो और निष्कर्षो में बदल सकें। एक अवधारणा के रूप में सशक्तिकरण को बहुआयामी प्रक्रिया माना गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन पर वर्चस्व स्थापित करने में सहायता करती है। इसे बहुआयामी इसलिए माना गया है कि इसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक जैसे कई पक्ष होते है और यह विविध स्तरों यथा व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक स्तरों पर उदित होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योकि यह दूसरों के साथ संबंधों के मध्य विकसित होती है। वास्तव में सशक्तिकरण निशक्तों और वंचितों की परिसंपत्तियों और क्षमताओं का विस्तार है ताकि वे निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता कर सकें, सौदेबाजी कर सकें और अपने जीवन को प्रभावित करने वाली दशाओं को नियंत्रित कर सके।

महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गये अधिकार में समान वेतन का अधिकार, कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, सम्पत्ति पर अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, आदि सम्मिलित है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता से छुटकारा ही महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं को आत्मग्लानी के भाव में निकलने पर ही महिला सशक्तिकरण संभव है। सदियों से बड़े पैमाने पर असमानता , उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयॉ महिलाओं के विकास को अवरूद्ध करते रहे है। महिला सशक्तिकरण के लिए शासकीय प्रयास किये गये है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिसके माध्यम से महिलाओं को मार्गदर्शन देकर उन्हें लघु उद्योग से जोड़ा गया। शासन की ऐसी योजनायें है जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, महिला ई–हाट योजना, संबल योजना, डवाकरा, इंदिरा विकास योजना, राष्ट्रीय महिला कोश, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, बालिका अनिवार्य शिक्षा, महिला समृद्धि योजना, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना , कार्यकारी महिला हेतु छात्रावास, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वयन (एस.टी.ई.पी.) जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना इन सब योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रसास किया जाता रहा है।

वर्तमान में देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में निवास करते हुए प्रमुख रूप से कृषि पशुपालन व कृषि संबंधित अन्य कार्यो से जीविकोपार्जन कर रही है। इन समस्त क्रियाओं में महिलाओं की भूमिका व

*प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में खेतिहर मजदूरों व स्वरोजगार में सलग्न व्यक्तियो में आधी संख्या महिलाओं की है। अत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। अर्थात् ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी महिलाए है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नही है जहाॅ महिलाओं को हाशियें पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। आज नवरत संघर्ष के बल पर देश में महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर हर क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों के समकक्ष सिद्ध किया है। जहाॅ शहरों मे महिलाओं ने सामाजिक बंधनों को तोड़ा है वही ग्रामीण क्षेत्रों मे महिलाये आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा रही है।

विश्व भर में चल रहे महिला आंदोलन का ही परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1979 ईस्वी में महिलाओं के विरूद्ध सभी भेदभाव दूर करने के लिए समझौता प्रस्ताव पारित कर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून सीडॉ तथा आयोग बनाया। पितृसत्तात्मक एवं सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित भारत ने एक लंबे समय तक इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने में अपनी रूचि नही दिखाई। भारत मे चल रहे महिला आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही भारत सरकार ने वर्श 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम तथा जनवरी 1992 में भारतीय महिला आयोग का गठन किया। 1993 में भारत नेम सीडॉ पर हस्ताक्षर किए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान में स्त्री पुरूष समानता की बात की गई है। अनेक विधान बनाकर महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक अधिकार प्रदान किये गये है। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिला के विकास को महत्व दिया गया। इतने प्रयासों के बावजूद भी स्त्रियों की दशा सोचनीय है। लड़की आज भी संतान है लैंगिक भेदभाव के कारण जो होता है, वह समाज के समान अधिकार एवं उनका प्रयोग करने में बाधा उत्पन्न करती है। वर्तमान में संसद में महिला आरक्षण विधेयक बार-बार के होते हुए भी पुरूष मानसिकता के कारण पास नही हो सका है। कुछ राज्यों में पंचायतों में महिला आरक्षण लागू कर उनके सशक्तिकरण के प्रयास किए गए है।

महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा माइक्रो यूनिटस् डेवलपमेन्ट एण्ड रिफाईनेन्स ऐजेन्सी, काम कर रही है। छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा बैंक योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उचित ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महिलाओं के हित में यह मुद्रा स्कीम काफी फायदेमंद रही है जिससे महिलाओं को पचास हजार रूपये से दस लाख रूपये तक का लोन आसानी से बिना गारंटी के मिल रहा है। मुद्रा बैंक के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में योजना बहुत ही सफल और लोक प्रिय साबित हो रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाए अग्रणी भूमिका निभाती है। कृषि कार्य और उच्च बचत दर निर्माण सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत दायरे में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत है, जिसमें 70 प्रतिशत घरेलू बचत और 20 प्रतिशत निजी क्षेत्र की बचत तथा 10 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का योगदान है। बचत उपभोग अभिवृत्ति और पुनचर्क्रण प्रवृत्ति के मामले में कोई संदेह नही है कि भारत की अर्थव्यवस्था महिला केन्द्रित है। कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक है। डेयरी उत्पाद में महिलाओं की भागीदारी रोजगार का 94 प्रतिशत है। आधारित लघु उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 54 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महिलाओं की भूमिका में दिनो दिन विस्तार होता जा रहा हे। बैंकिग प्रगति के कार्यो मे भी महिलायें कंप्यूटर अनुप्रयोगों के साथ संभव बना रही है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आईटी के जरियें महिलाओं के लिए अवसरों में बढोत्तरी हुई है। भारतीय समाज मे महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हराना होगा जो कि समाज के पुरूष प्रधान युक्त व्याख्या करते है। जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए, उनके कौशल को उनकी जीवन रेखा बनाये। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन के द्वारा किये जा रहे प्रयासों व योजनाओं के क्रियान्वयन से स्पष्ट है कि महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से आर्थिक विकास हुआ है। साथ ही महिलाये राष्ट्र के व्यवसायिक जगत में अपना स्थान बनाने में सफल रही है एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपना सहयोग दे रही है।

महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित सुझाव आवश्यक है: (1) सकारात्मक आर्थिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए ऐसा वातावरण बनाना जो उन्हें अपनी क्षमता का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाए। (2) महिला उद्यमियों के विकास हेतु रियायती दर पर वित्त की सुविधा उपलब्ध करना । (3) देश के आर्थिक जीवन में सहयोग तथा निर्णय लेने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए (4) लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग में निर्णय लेने एवं जोखिम उठाने हेतु महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करना । (5) महिलाओं को अपनी योग्यता के अनुसार अर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए। (6) पुरूषों के साथ महिलाओं को आर्थिक और नागरिक क्षेत्रों में मानवाधिकार का वैधानिक और वास्तविक गूगल के समान अवसर प्रदान किया जाए। (7) रोजगार परक शिक्षा को वरीयता प्रदान करना और महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का विकास करना ।

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण पर बने एक कार्यकारी समूह के अनुसार वैश्वीकरण ने महिलाओं पर भी प्रभाव डाला है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के बढ़ने और सेवाओं के निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सामूहिक रूप से महिलाए पीछे रह गई है और इसकी सफलता से होने वाले लाभ उठाने में असफल रही है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कौशल आवश्यक होगा इससे इन क्षेत्रों में महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि कार्य के लिए महिलाओं को शहरों और महानगरों में आने के लिए प्रेरित किया जाए सुरक्षित व्यवस्था कार्यस्थल पर लिंग भेद रहित सुविधाए प्रदान करें।

निष्कर्ष - कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण के दौर में अभी भी कुछ चुनौतियॉ बाकी है। कृषक महिलाओं के योगदान को आर्थिक रूप से आंकने व दर्ज करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें सामाजिक व आथिक स्तर पर मान्यता मिल सके। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी महिलाओं को उचित स्थान और अधिकार मिलना चाहिए जिससे वे वास्तविक रूप से एक सफल व कुशल कृषक के रूप में पहचानी जाए और देश के कृषि विकास में

आत्मविश्वास के साथ अपना योगदान दे सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुमार , राधा, स्ती संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2004.
2. प्रसाद, महादेव, महात्मा गांधी का समाज दर्शन, हरिजन हिंदी ग्रंथ रचना अकादमी , चंण्डीगढ़ 1946.
3. श्रीनिवास, एम.एन., इण्डिया विलेज, एशिया पब्लिकेशिंग हाउस, मुंबई, 1961.
4. पंचायती राज अवधारणा–एक विहंगम दृष्टि, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, 2006.
5. मीना, डॉ. मीनाक्षी, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, अनुशीलन प्रकाशन, जयपुर 2001.
6. जैन, मंजू, कार्यशील महिलाए एवं सामाजिक, परिवर्तप्रिंटवेल, जयपुर, 1994.
7. भदौरिया, बी.पी, एस. एवं दुबे, बी.के., पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेन्ट, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशर्स, नई दिल्ली 1989.
8. रानी, आबू, महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिकेशन, जयपुर, 2006.
9. दरसन, कर एम.आर., लीडरशिप इन पंचायत राज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1980.

****

औद्योगिक प्रदूषण का पर्यावरण पर प्रभाव (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

डॉ. प्रतिमा बनर्जी *

प्रस्तावना – देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिक विकास ने सामाजिक आर्थिक संरचना को नया आयाम प्रदान किया है, जिससे देश के नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान किया जा सके एवं प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन किया जा सके। औद्योगीकरण के सकरात्मक प्रभाव के साथ–साथ इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जो पर्यावरण समस्या के रूपमें उत्पन्न होती है। औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण अपरिहार्य है। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरण में सर्वथा नवीन तत्व समावेशित हो जाते है जो पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक संघटको को भी परिवर्तित कर देते है। उद्योगों द्धारा उत्पन्न अंवाछित उत्पाद यथा ठोस अवशिष्ट, प्रदूषित जल, विषैली गैसे, धुल, राख, धुआँ इत्यादि जल, थल, वायु,तथा अन्य प्रदूषण के प्रमुख कारक है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का पर्यावरण पर निश्चित रूप से प्रभाव हुआ है। प्रदेश में स्थापित ताप विद्युत संयंत्र, कोयला उत्खनन, सीमेन्ट एवं लौह इस्पात व स्पंज आयरन एवं स्थापित विभिन्न संयंत्रो द्धारा मुख्यत: वायु,जल, मृदा प्रदूषण अथवा भू–अवनयन की समस्या उत्पन्न हो गई है।

शोध पद्धति – शोध पद्धति के सूक्ष्म अध्ययन और उद्देश्य से स्पष्ट है कि शोध विषय की प्रकृति सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक है। प्रस्तुत शोध के अध्ययन की पद्धति वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक है।

शोध क्षेत्र – प्रस्तुत शोध में मैनें छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्रों – दुर्ग–भिलाई, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर के उ़द्योगों को सम्मिलित किया है।

प्रदूषण विश्लेषण हेतु छत्तीसगढ़ के वि़भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन निम्नानुसार है :–

दुर्ग–भिलाई क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण – सन् 1955 भारत सरकार ने रूस के सहयोग से दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) स्थापित किया। इस संयंत्र की स्थापना के साथ ही अनेक सहायक उद्योगों की स्थापना होने लगी। भिलाई इस्पात संयंत्र मे खनिज उत्खनन, कच्चे माल तैयार करना, पिग आयरन इस्पात प्रक्रिया, उप उत्पादों से रसायनों की पुन: प्राप्ति आक्सीजन एवं विद्युत उत्पादन की प्रक्रियाएं की जाती है। इस सभी प्रक्रियाओं के दौरान काफी अधिक मात्रा में वायुप्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जिसमें मुख्य रूप से धुल एवं गैसे जैसे सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड इत्यादि होते है। संयंत्र की परिधि मे सबसे अधिक धुल कणों की सान्द्रता 6223 माइक्रो ग्राम/घनमीटर रिंफैक्टरी मटेरियल संयंत्र के प्रवेश द्धार के पास एवं 5435 माइक्रो ग्राम/घनमीटर सिंटर संयंत्र के उत्तार में आंकी गई। सल्फर डाइआक्साइड की सर्वाधिक सांद्रता 983 माइक्रो ग्राम/घनमीटर सल्फ़ूयरिक अम्ल संयंत्र में पाई गई। कोक ओवन क्षेत्र मे हाइड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता का उत्सर्जन औसतन 83 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा सर्वाधिक मात्रा में (19.40 ग्राम/सेकेण्ड) नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन मापा गया है। इस प्रकार दुर्ग भिलाई क्षेत्र में वायु प्रदुषण का मुख्य स्त्रोत क्षेत्र में स्थापित उ़द्योग है।

कोरबा क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण – कोरबा क्षेत्र में तापविद्युत संयंत्र, भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको), कुसमुण्डा व गेवरा खनन क्षेत्र आदि उद्य़ोगों की स्थापना की गई। नेशनल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना का मुख्य कारण कोयले का विपुल भण्डार होने से है। संयंत्रो की स्थापना के साथ ही शहर में प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही है। कोरबा क्षेत्र में वायु प्रदूषण, जल एवं मृदा प्रदूषण का फैलाव होता जा रहा है। क्षेत्र में प्रदूषण के मुख्य तीन स्त्रोत हैं :–

1. **धुएँ का उत्सर्जन –** संयंत्रो की चिमनियों द्धारा उत्सर्जित गैस जिसमें वायु प्रदुषण तत्व निलम्बित ठोस कण सल्फर डाइआक्साइड तथा फ्लोराइड है, जिससे अधिकतम मात्रा में धुएँ का उत्सर्जन होता है।

2. **खनन गतिविधि –** कोरबा क्षेत्र में कुसमुण्डा व गेवरा मुख्य कोयले का खनन क्षेत्र है। खनन क्षेत्र में कोयले व बाक्साइड के बडे ़अतिभारित निक्षेप आस–पास होने से, इन निलेपो के कण हवा में उड़ कर वायु प्रदूषित करते है। गेवरा का खनन क्षेत्रफल 2023 हेक्टेयर है, जिसमें 780 हेक्टेयर भूमि का खनन कार्य सम्पन्न हो चुका है। अत्याधिक मात्रा में खनन से भूक्षरण एवं वनस्पति का विनाश हो रहा है।

2. **उड़न राख (फ्लाई एश) –** ताप विद्युत संयंत्रो से निकलने वाली उड़न राख एक प्रमुख अवशिष्ट है। संयंत्र में प्रतिदिन 12825 से 26000 टन राख उत्पन्न होती है। उड़न राख के कणों का आकार 24.70 माइक्रोमीटर होता है। हल्की होने के कारण यह हवा में उड़कर वायु व जल को प्रदूषित करती है। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र द्धारा निकलने वाले धूल कणों का स्तर 10007 से 27500 मि.ग्रा/घनमीटर के बीच पाया गया है, जो कि निर्धारित मान्य सीमाओं से बहुत अधिक है। बाल्को संयत्र से निकलने वाले अवशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन 300– 1000 टन ठोस अवशिष्ट के रूप में होती है इनका निस्तारण लीकफ्रूक पोखरों से किया जाता है। परिणामस्वरूप भूमिगत जलस्त्रोतो के प्रदूषण की संभावना बनी रहती है, साथ ही भूमि का एक बड़ा भाग क्षारीय होने के कारण वनस्पति विहिन हो गया है। भूमिगत जल के अंतर्गत बोरबेल के जल का पी.एच. मान ग्रीष्म ऋतु में 6.0 से 8.5 है। पी.एच. का यह निम्न मान उच्च लौह सान्द्रण से संबंधित है।

*प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

बिलासपुर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण – बिलासपुर जिले मे सिरगिट्टी मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से सम्पन्न है, यहां चूने के पत्थर एवं कोयले के विशाल भण्डार है, जो सीमेंट संयंत्रो एवं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के स्थापना के मुख्य कारण है। अध्ययन हेतु जिले के अकलतरा में स्थित सीमेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.लिमि.)से निकलने वाले धुल कणों का शीत ऋतु में 176-1311 माइक्रोग्राम/घनमीटर, तथा ग्रीष्म ऋतु में 337-696 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाया जाता है, जो निर्धारित मानको से कहीं अधिक हैं।

रायपुर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण – रायपुर जिले में उरला, सिलतरा, भनपुरी क्षेत्रों में उद्योगो की स्थापना की गई। औद्योगिक संरचना की दृष्टि से जिले में इंजीनयरिंग व फैरो एलाय उद्योगों की सख्या -26, खाद्य आधारित -11, रासायनिक उद्योग - 07 सीमेंट उद्योग -05, वनोपज उद्योग -03, लौह इस्पात उद्योग- 03 वस्त्र उ़द्योग -03, एवं अन्य उद्योग स्थापित है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप रोजगार सृजन तो हुआ, परंतु जिला पर्यावरण प्रदूषण का शिकार भी हो गया। जिले में 05 बड़े सीमेंट संयंत्र जिसमें ग्रासिम, लाफार्ज, अंबूजा, सेन्चूरी एवं लार्सन एंड टुब्रो है। अध्ययन करने पर ग्रासिम सीमेंट संयंत्र के धूल कणों का स्तर ज्ञात हुआ, जो निर्धारित मानको से कहीं ज्यादा है, धूल-कणों का स्तर 81.7 से 280.3 माइक्रोग्राम/घनमीटर रहा है। इस प्रकार मोनेट इस्पात संयंत्र जो स्पंज आयरन का उत्पादन करती है, से उत्पन्न प्रमुख गैसीय प्रदूषक निलम्बित धूल कण सल्फर डाइआक्साइड एवं नाइट्रोजन आक्साइड है तथा भूमिगत जल में रासायनिक तत्वों की अधिकता पाई गई जिसका मुख्य कारण उ़द्योगों से निस्तारित जल, जो मशीनों की धुलाई के प्श्चात् निस्तारित की जाती है। इस निस्तारित जल में तेल व ग्रीस की उपस्थिति 10.4 मि.ग्रा./लीटर पाई गई है। औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी के बोरबेल का जल, उद्योगों द्वारा निस्तारित जल के कारण प्रदूषित हो गया है, इसके अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र में स्थित कुएँ के जल में कॉलीफार्म की उपस्थिति 12 एम.पी.एन. (मोस्ट प्रोबेबल नम्बर) रही, जबकि जल में इसकी मात्रा नगण्य होनी चाहिए।

औद्योगिक प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव – प्रदूषण के फलस्वरूप मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोरबा, गेवरा, बिलासपुर, दल्लीराजहरा, बोरई क्षेत्र, उरला, सिलतरा आदि क्षेत्रों में उद्योगों से उत्सर्जित धुएँ एवं गैसें, खदानों से निकले धूलकण, संयंत्रों की उड़न राख, अवशिष्ट तथा निस्तारित जल का प्रभाव, वहाँ के निवासियों पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। वायु प्रदुषण से मनुष्य के श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आँखो की जलन, अस्थमा, दमा आदि शिकायते पाई गई। प्रदूषित जल से बाल झड़ने, पाचन तंत्र पर सीधा असर हुआ है। भनपुरी क्षेत्र में जल में रासायनिक तत्वों के कारण जल के सेवन से त्वचा में जलन व लाल होना जैसी समस्यायें पाई गई। इस प्रकार नीचे दी गई तालिका में भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का प्रतिशत एवं बीमारियों से मरने वालो व्यक्तियों का प्रतिशत को दर्शाया गया है।

MAJOR INDUSTRIAL AIR POLLUATION RELATED DISEASES IN INDIA

	Diseases	%of Total Deaths	% of National Burdan of Disease
1.	Acute Respiratory diseases (एक्यूट रिस्पेरटरी डिजईस)	12	13
2.	Chronic Obstructive diseases (क्राँनइक ऑबस्टकट्इव डिजईस)	1.5	0.9
3.	Lung Cancer (लंग केंसर)	0.4	0.1
4.	Asthma (अस्थमा)	0.2	0.5
5.	Tuberculosis (T.B.)(टी.बी.)	0.8	5.0
6.	Perinatal (पेरीनटल)	6.0	7.5
7.	Cardio Vascular diseases (कार्डियो वेसकलर डिजईस)	17.0	5.0
8.	Blindness(ब्लाईन्डनेस)	0	1.0

Source:- Environmental pollutants and woman's Health : New Delhi

केद्रीय प्रदूषण नियंत्रणमंडल एवं ऑल इंडिया इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा दिल्ली क्षेत्र में सन् 1997-1998 में वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य सर्वे किया। इस सर्वे में ज्यादातर वायु प्रदूषण से संबंधित समस्यायें पाई गयी। लगभग 44 प्रतिशत जनता की समस्या आख में जलन व सूजन (Eyes Complaint), 28.8 प्रतिशत कफ (Cough) से, 16.5 प्रतिशत फारीन्जाइटिस (Pharyngitis) से पीड़ित थे। प्रदूषण जनित रोग डीसपाँनिया (Dysponea) एव नाँशिया (Nausea) का क्रमश: 16 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत तथा श्वसन संबंधी समस्यायें (Respiratary Problems) ने 5.9 प्रतिशत लोगों को प्रभावित किया हैं।

पर्यावरण विकास कार्यक्रम एवं सुझाव – भारतीय संविधान में पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु सन् 1950 में धारा 48ए के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। समय-समय पर सरकार ने पर्यावरण जागरूकता लाने हेतु नये-नये कानून बनाये हैं-

1. भारतीय वन अधिनियम 1927
2. मोटर व्हीकल्स अधिनियम 1939
3. फैक्ट्री अधिनियम 1948
4. ड्रंग कंट्रोल एक्ट 1955
5. परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962
6. वन्य जीव संरक्षण बधिनियम 1970
7. रेडियेशन प्रदूषण अधिनियम 1971
8. फूड एडल्टेशन एक्ट 1976
9. जल प्रदूषण कानून 1977
10. फैक्ट्री एक्ट 1976
11. वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निराधक कानून 1981

इस कानूनों में सरकार ने समय - समय पर संशोधन भी किए है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने हेतु सरकार को नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इसके साथ औद्योगिक अपशिष्ट और गंदे पानी का पुन: चक्रीय संयंत्रों (Recycling Plants) में उपयोग करके प्रदूषण को कम करने का उपचार किया जाना चाहिए। अत्याधिक मात्रा में वृक्षारोपण, गैर-परंपरागत ऊर्जा का उपयोग वायु, व तापीय प्रदूषण का उपचार है। उद्योगों के अपशिष्ट निस्तारण संबंधी कड़े कानून बनाये जाने चाहिए। जिस प्रकार जर्मनी ने राईन नदी को प्रदूषण से बचाया एवं औद्योगिक विकास किया, उसी दिशा में सरकार को पर्यावरण सुरक्षा के साथ उद्योगों के विकास की ओर उन्मुख होना चाहिये।

निष्कर्ष – वर्तमान में विकास का एकमात्र मापदण्ड माना जाने वाला औद्योगिक विकास प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत बन गया है। पर्यावरण संतुलन

तथा विकास में सामन्जस्य स्थापित करने हेतु उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादों तथा तकनीकी में वर्तमान परिवेश के अनुसार परिवर्तन करना होगा, जिससे पर्यावरण स्वच्छता के साथ–साथ औद्योगीकरण की दर भी बढ़ाई जा सके। विकास के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए स्वच्छ उत्पादन की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा, क्योकि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों पर पड़ता है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग, अवशिष्टों का पुन: उपयोग तथा उत्पादन की उचित तकनीक का उपयोग करते हुये अधिकाधिक उत्पादन कर पर्यावरण संतुलन की दिशा में सकरात्मक सहयोग संभव है। राष्ट्रीय स्तर पर उद्योंगो के अवशिष्ट पदार्थो से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा हेतु रचनात्मक दिशा में पहल करनी होगी।

अत: देश के औद्योगिक विकास में वृद्धि के साथ ही आवश्यक है कि पर्यावरण संतुलन और औद्योगीकरण के विकास में सांमजस्य स्थापित किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग मानव सभ्यता एवं जीवनका मुख्य अंग है, अत: आवश्यक होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं नियमित दोहन, अपशिष्टों का पुन: उपयोग तथा उत्पादन की उचित तकनीक का प्रयोग करके ही देश का विकास किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में औद्योगिक विकास वरदान सिद्ध होगा। यबहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की उक्ति को सार्थक करेंगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रकृति पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण (भाग–दो)– दिलीप कुमार मार्कण्डेय – ए.पी.एच.पब्लिशिंग कॉरपोरेशन।
2. Environment Pollutants and Women's H earth – Mahendra Pandey: dominant Publishers and distributors, New Delhi.
3. छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और पर्यावरण पर प्रभाव शोध ग्रंथ (विषय–भूगोल) मांधवी दवे।
4. प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय सजगता–गोपीनाथ, कालभोर– ज्योति प्रकाशन, रायपुर।
5. Pollution Management in Industries – R.K. Trivedi – Environ mental Publication
6. पर्यावरण और पारिस्थितिकी –पी.के. श्रीवास्तव, वसुन्धरा, प्रकाशन– गोरखपुर
7. छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन – मदनलाल गुप्ता, श्री प्रकाशन –दुर्ग
8. प्रतियोगिता घटना चक्र/अक्टूबर –2018

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Current Trends In E-Commerce : A Study

Dr. Rajendra Singh Waghela*

Abstract - E-Commerce plays an important role in modern business. It has potential for making a wide range of online shopping for products and services. Today there are several options for E-shopping sites available to customers. Some of the commonly used sites are Amazon,Flipkart, Snapdeal, Myntra.The objective of the present study is to analyse the current trends of E-Commerce. The study based on primary data ,collected from 50 customers using e-shopping .The study reveals that e-commerce have really created new oppurtunities for consumers.

Key Words - Branded product, Convenience, E-Commerce, E-shopping, Online business.

Introduction - E-Commerce is the new concept in business. E-Commerce means buying and selling of goods, products, or services over the internet. E-commerce is also known as electronic commerce or internet commerce. These services provided online over the internet network. Transaction of money, funds, and data are also considered as E-commerce. These business transactions can be done in four ways: Business to Business (B2B), Business to Customer (B2C), Customer to Customer (C2C), Customer to Business (C2B). The standard definition of E-commerce is a commercial transaction which is happened over the internet.Online stores like Amazon, Flipkart, Shopify, Myntra, Ebay, Quikr, Olx ,Snapdeal are examples of E-commerce websites.

Definition Of Electronic Commerce - Besides the earlier definition by Yonah (1997) in the paper, National Office for the Information Economy defines e-commerce as type of business transaction or interaction in which the participants prepare or conduct business electronically.

Electronic commerce or e-commerce refers to a wide range of online business activities for products and services. It also pertains to “any form of business transaction in which the parties interact electronically rather than by physical exchanges or direct physical contact.

E-commerce is usually associated with buying and selling over the Internet, or conducting any transaction involving the transfer of ownership or rights to use goods or services through a computer-mediated network.

This covers a wide range of activities, ranging from use of electronic mail (e-mail), through to Internet based sales and transactions and web based marketing. Dr. Roger Clarke, Principal Xamas Consultancy Pt Ltd., Canberra said that electronic business (e-business) is defined as the conduct of business with the assistance of electronic devices and telecommunications tools, whereas electronic commerce (ecommerce) is defined as the conduct of commerce in goods and services via electronic devices and telecommunications tools.

Different people use different terminology such as ‘electronic trading’ ‘electronic procurement’ ‘electronic purchasing’ or ‘electronic marketing’. From the above definition, we can conclude that electronic commerce is often used in a much broader sense, to mean essentially the same as ‘electronic business’. In other words e-commerce includes purchases of goods, services and other financial transactions in which the interactive process is mediated by information or digital technology at both locationally separate, ends of the interchange.

Here ‘transactions’ include both specification of goods and service required and commitment to buy. E-commerce transaction model can be in terms of business to business (B2B), business to customer (B2C) or customer to customer (C2C) .

Importance Of E-Commerce :

1. Convenience - Online shopping is more convenient because there is no cues and traffic so it is more easier to do shopping in future as well as present .
2. You can send gifts more easily- Any person can send any items especially of gifts to someone so this is another importance.
3. Price comparisons-Online companies give option to compare the price of one product with another and also customer can compare the quality of products with other products.
4. No crowds- Crowd is very less. People can shop very conveniently and easily from the e-commerce site.
5. No need to travel - Another biggest benefit of online shopping is to that no requirement of travelling anywhere for shopping. You can do shopping at your home safely.
6. Lesser cost - Online shopping option is not so expensive but it is cheaper than other.
7. Easy setup - To do setting of e-commerce is so easy. Customers can easily and conveniently utilize

*Professor (Commerce) SABV Govt. Arts And Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

the products online.

8. Economy - Online option is economically cheaper than physical store. No need of storage, promotion, advertisement and transportation.

Review Of Literature

Arvind Panagariya (2000) reported that access to e-commerce, which in the WTO pariance often means access to e-exports, has two components that must be distinguished sharply. Access to Internet services and access to services that can be traded electronically. The former deals with to access to Internet infrastructure while the latter relates to specific commitments in electronically tradable services.

Diana Oblinger (2001) reported that one is that education and continuous learning have become so vital in all societies that the demands for distance and open learning will increase. As the availability of the Internet expands as computing devices become more affordable and a energy requirements and form factors shrink, e learning will become more popular.

Jackie Gilbert Bette Ann Stead (2001) reviewed the incredible growth of electronic commerce (e-commerce) and presented ethical issues that have emerged. Security concerns, spamming, websites that do not carry an 'advertising label', cyber squatters, online marketing to children, conflicts of interest, manufacturers competing with intermediaries online and "dinosaurs" were discussed.

Andrew D. Mitchell (2001) examined the key issues that electronic commerce poses for Global trade, using a starting point the General Agreement on trade in services (GATS), the world trade organization(WTO) agreement most relevant to e-commerce .

Nir B. Kshetri (2001) this paper attempts to identify and synthesize the available evidence on predictors of magnitude , global distribution and forms of e-commerce . The analysis indicated that the twin forces of globalization and major revaluations in ICT are fuelling the rapid growth of global e-commerce. concerns, spamming, websites that do not carry an "advertising" label, cyber squatters, online marketing to children, conflicts of interest, manufacturers competing with intermediaries online and "dinosaurs" were discussed. Global trade, using as a starting point the General Agreement on trade in services

Research Methodlogy

Objectives Of The Study

1. To understand the current trend of e-commerce.
2. To analyze the role of e-commerce.

Scope Of The Study - The scope of this research study is as under.

- **Functional Scope -** Functional scope of this study is to understand the e-commerce business.
- **Geographical Scope -** The purpose is to understand the business in different areas.
- **Sampling Unit -** Sample units are regular customers.
- **Sample Size -** Sample size is 50
- **Sampling Techniques -** In this study, we have applied convenient sampling techniques

Data Analysis And Interpretation

Table 1.1 Gender wise usage of e-commerce :

Particular	Percentage
Male	48
Female	52

The above table revealed that out of 50 respondents, 48% are male who use e-commerce and 52 % are female.

Table 1.2 Popular Sites Usages and its importance :

Particular	Amazon	Flipkart	Snapdeal	Myntra
Male	5	5	10	4
Female	5	5	5	11

The above table shows that females prefer Myntra while males prefer Snapdeal for shopping.

Table 1.3 Features of e-commerce sites :

Particular	Amazon	Flipkart	Snapdeal	Myntra
Easy to access	10	10	20	10
Branded products	10	10	10	20
Discounts	15	13	10	12
Varieties	11	13	13	13
Good services	12	12	13	13

The above table disclosed that out of 50 respondents, most of the all e-commerce sites gives different types of services and above table has described about the different features of that sites .

Conclusion - This research involves a study of the inability to find the product or services of interest quickly is the biggest barrier to effective marketing this problem may be overcome through E- commerce, where number of companies offer several products thought the net. Each year number of e-commerce deals grows enormously. Sales volumes of online stores are more than comparable with those of "brick-and-mortar" ones.

With increasing use of online shopping , more focus should be laid on improving services like distribution, payment options, quality of product and ease of customer.

References :-

1. Business Software Alliance. 2001. E-commerce and Developing Markets: Technology, Trade and Opportunity.
2. Coward, Chris. August 2002.
3. David Whitley ,E-Commerce , Tata Mcgraw Hill Publication, New Delhi (2004).
4. Asia Foundation by Digital Philippines.
5. E. Turban, J. Lee, D. King and H. M. Chung , 'Electronic Commerce : A Managerial Perspective' , Prentice Hall, 1999 .
6. Industry in Asia: The View from the US. A report prepared for the Center for Obstacles to Developing an Offshore IT-Enabled.

7. P. Timmers, 'Electronic Commerce –Strategies and Models for Business to Business Trading', John Wiley& Sons , 2000.
8. V. Zwass, Structure and macro-level impacts of electronic commerce: from technological infrastructure to electronic market places', May 2001 http://www.mhhe.com/business/mis/zwass/ecpaper.html
9. Walid Mougayar , 'E-Commerce ? E-business ? Who E-cares?, Computer World, 2 November 1998 http://www.cybermanagement.com/cw7.html

****

The Economic And Food Value Of Edible Wild Plants Of Chhattisgarh (Special Reference To Mushroom In Bilaspur District)

Shraddha Das*

Abstract - In Chhattisgarh, the leaves of large number of wild and cultivated plants are used as vegetables. In Bilaspur district of Chhattisgarh, the life and economy of tribal people and village (local) people are connected with the natural vegetation. Forest of Bilaspur serve as the source of various important wild food such as, fruits, leaves, roots, tubers, stems, flowers and gums, etc. Chhattisgarh state has the huge diversity of mushroom flora among which some are edible. In Bilaspur district, the edible mushrooms are *Lepista Nuda* and *Phallorina Spp.* Mushroom plays an important role in the field of food and medicine. Mushroom are becoming more important in the diet of people due to their nutritional value. The present study found that mushroom is a special food of Chhattisgarh and is very costly vegetable. It is a source of income to the local people. In Bilaspur district of Chhattisgarh, farming of mushroom is done to earn income. There are various types of mushrooms and are known by different local names. Edible mushrooms contain large proteins, fibre and vitamins. It is good for health. Medicinal mushrooms are used for the treatment of various diseases. The present study deals with the socio – economic value of edible and non–edible mushrooms in different agro–climatic zone of Bilaspur, Chhattisgarh.

Keyword - Edible mushrooms, Economic value, Food value, Kitchen gardens, Bilaspur, Antioxidant.

Introduction - Man depend on plants for his existence from the very beginning of the human race. In early days he had limited needs of plants like only for food, clothing and shelter. But his requirements grew with the advancement of civilization. Most of the plants are wild in nature and only a few are cultivated. Edible wild plants are included in Minor Forest Produce. All the vegetables and fruits of kitchen gardens as well as cereals of our agricultural land were once wild plants. The primitive man was a nomad, he gathered edible fruits, grains, seeds, tuber leaves, etc. and ate them to appease his hunger. The forests in India provide a score of edible plants whose fruits, seeds, roots, etc. make an important contribution to the dietary habits of poor people particularly those living in or near the forest.

Forest of Chhattisgarh serve as the source of various important wild food like fruits, leaves, roots, tubers, stems, flowers, gums, etc. Chhattisgarh state has huge diversity of mushroom flora among which some are edible. The recorded forest area in the Chhattisgarh state is 59,772 km^2, which is 44.21 percent of the geographical area. Reserved forest constitutes 43.13 percent, Protected forest 40.21 percent and Unclassed forest 16.65 percent of the total forest area respectively. A large number of mushrooms make their appearance during summer monsoon in tropical parts while in cooler regions they come out with the commencement of spring. They make their appearance particularly in places, which are rich in humus. Many of them are edible and are collected and eaten by the people. They have good food value. A few of them are also poisonous which required to be identified and their collection is avoided.

The Economic Value of Mushroom - Mushroom is a fungus. Fungi are organisms which grow either in the ground or on an organic substratum. Mushroom has two parts. The portion above the ground is called a cap and a stalk and is edible. The presence of fungi has been known for thousands of years. There are about 2000 species of mushrooms. 200 species are edible. Only 20 species are cultivated in the country. Mushroom has many economic importance. It is used in food and also used in medicine. As food there are two types of mushroom, some are edible and some are non–edible.

Edible Mushrooms - The mushroom which are edible are fleshy. They are used in cooking. In Hindi mushroom is called 'Khumb'. *Auricularia Auriacula Judae* is an edible mushroom. It is specially grown in Chhattisgarh in rainy season and its distribution is in Raipur. This type of mushroom is found on dead branches of mango, cluster apple, gulmohar, subabool. Wild edible mushrooms are collected by tribal people for their food as well as for livelihood. Mushrooms are used as food supplement in various cultures and known for their edibility and delicacy for which they are collected from wild and also cultivated (Tripathy et. al, 2014).

*Asst. Prof. (Economics) Govt. Bilasa Girls P.G. College, Bilaspur (C.G.) INDIA

Non–Edible Mushrooms - Non–edible mushroom is wild or poisonous mushrooms. Many mushroom species produce secondary metabolites that can be toxic. *Amanita Phalloides*, is one the most poisonous known fungi, half a mushroom is enough to kill an adult. Mushrooms with white gills, a skirt or ring on the stem is non–edible, it should be avoided. Avoid mushrooms with red on the cap or stem.

Food Value - Mushroom is a valuable source of nourishment as it contains proteins, minerals and vitamins. Minerals such as calcium, phosphorous and potassium are present with fair quantity of copper and iron. B, C and D vitamins are present in mushroom in appreciable quantities. Young mushroom is more nutritious than an old one. It is found that the cap of mushroom is more nutritious than the stem. It contains little or no starch, so they are not harmful for diabetic patients. Oyster mushroom got its name from its similarity in appearance and flavour with oysters. It notes that Shiitake mushrooms cultivated from Shii tree are used in Japanese and Chinese dishes and which lowers blood cholesterol and have antifungal properties.

The economic importance of mushroom lies primarily in its use as food for human consumption. It is rich in vitamin C and B complex and the protein content varies between 1.6 to 2.5 percent. It has most of the mineral salts required by the human body.

The table given below shows the economic value of mushroom of Bilaspur (C.G.):

Table. 01. Edible Mushroom of Bilaspur (C.G.)

S.	Mushroom Species	Habit and Habitat	Distribution	Mushro -om Type
1.	*Lepista Nuda*	In humus rich – ground under broad leaves shrubs.	Achanakmar Bilaspur	Edible
2.	*Phallorina Spp.*	Sporophore soli -tary or in groups on soil under the trees.	Guru – Ghasidas University, Bilaspur	Edible

Table. 02. Non–Edible Mushroom of Bilaspur (C.G.)

S.	Mushroom Species	Habit and Habitat	Distribution	Mushro -om Type
1.	*Agrocybe erebia*	Sporophore in groups on ground.	Bilaspur	Non–edible
2.	*Ganoderma lucidum*	Sporophore grows solitary.	All forest area of Chhattisgarh	Non–edible
3.	*Ganoderma tsugae*	Sporophore grows solitary or in groups.	Bilaspur	Non–edible

Utilities of Mushroom:

1. Mushroom husbandry improves the socio – economy of the farmers through additional revenue by utilizing farm wastes.
2. It paves ways for employment generation in significant amount.
3. It has great importance as a food material. It is a rich source of proteins and vitamins. But one should be careful in selecting mushroom.
4. Mushrooms play and important role in medicine yielding antibiotics.
5. Edible plants play an important role in daily life of the local people in terms of dietary nutrition, marginal income and local health care.
6. Mushrooms are low in calories and are fat and cholesterol free.
7. All types of edible mushrooms contain varying degrees of protein and fibre. Mushrooms also contain vitamin B as well as selenium, a powerful antioxidant, which helps to support the immune system and prevent to damage tissues and cells.
8. Mushroom lower the chance of developing cancer. It assists in balancing the blood sugar.
9. Mushrooms contain abundant calcium, helps to maintain bones strong. Consuming mushrooms regularly can help to reduce osteoporosis (bone related conditions), joint pain and other bone degeneration disorders.
10. Medicinal mushrooms are mushrooms used as treatment for disease. Bahl (1983)reported that mushroom cure epilepsy, wounds, skin diseases, heart ailments, cholesterol reduction, stress, asthma, allergies and diabetes, diarrhoea, dysentery, cold, liver disease, gall bladder disease as also use as vermicides.

Bilaspur district is a district of the Chhattisgarh state of India. Bilaspur city is the headquarters of the district. As of census 2011, it is the second most populous district of Chhattisgarh, after Raipur. The population of Bilaspur is 26.6 lakh (2011). It is situated between 21.47° to 23.8° North latitudes and 81.14° to 83.15° East.In current study ef fort was made to collect information about wild edible mushroom found in forest area and grassland of different villages of Bilaspur district. Bilaspur district is situated on the banks of the rainfed Arpa river. The river Arpa originates from the high hills of the Maikal Range of Central India. The district is surrounded by lush green forest in the North. Information was collected during rainy season of 2019 and visited rural tribal peoples and also the local market of the villages of Kota block of Bilaspur district. During collection of information various mushrooms such as edible, non – edible, medicinal and poisonous mushroom were found out but focus was given only to wild edible mushroom. For identification of mushrooms that which are edible and which are non – edible mushrooms, previous published monograph and literatures were used. It was found that wild edible mushrooms are collected and are used for consumption. It was also sold by the tribal people to earn money in cities.

Problems of Mushroom Production - In India, there is all favourable conditions for mushroom farming, but even than mushroom farming is not spreading fast. There are certain

problems which hamper the fast spread of mushroom farming in India. At present in India about 70,000 tonnes of fresh mushroom is being produced annually, as against over 5 million tonnes world production annually. The problems faced by the farmers in mushroom farming are as follows:

1. There is lack of good quality spawn, because the yield of mushroom depends to large extent upon good quality of spawn.
2. Lack of storage and cooling facility for fresh mushroom.
3. High transportation cost.
4. There is lack of marketing facilities.
5. Training for mushroom farming is essential, but there is lack of training facilities.

Suggestions to Overcome the Problem - Mushrooms are well known for their nutritional value all over the world. The following are the measures suggested for fast mushroom cultivation among rural and urban masses and the problems should be tackled in the following ways:

1. Production of good quality spawn, so that it can be easily available to the mushroom farmers.
2. Availability of storage and cooling facility for fresh mushroom. For this private entrepreneurs and government institution should come forward to provide this basic facilities to the farmers.
3. Though transportation charges are very high so subsidy on transport should be provided to the mushroom farmers.
4. Training for mushroom farming should be provided to the farmers, so that they can become skilled in mushroom growing.
5. Government should declare Minimum Support Price (MSP) for mushroom so that its price could remain stable and farmers can get fair price.

Conclusion - In India, mushroom plays an important role in the field of food and medicine. Mushrooms are becoming more important in our diet due to their nutritional value. It contains high protein and low fat. In Chhattisgarh, there are so many types of mushrooms. The farming of mushroom is very popular in Chhattisgarh. It is a special food of Chhattisgarh. Mushroom is a very costly vegetable. Its price is between 600 Rs. per kg to 1,500 Rs. per kg. According to the season of Chhattisgarh, Oyster mushroom farming is good between September to April. In rainy season, Paira mushroom is grown. Oyster mushroom is good for earning income in both dry and fresh type. During the outbreak of Coronavirus, the consumption of mushroom as food is good for health. It provides us balanced diet. The study reveals that mushroom boost the immunity power. To remain safe from COVID – 19, it is important to increase our immunity power. Mushroom has many economic importance as it is used in medicine and used in food also.

Mushroom play an important role in the life of local people considering in terms of dietary nutrition, marginal income and even local health care. The various species of mushroom can be promoted for the large – scale cultivation and marketing for the benefit of the local tribe and other communities. Domestication of edible mushrooms should be encouraged with proper conservative measures, sustainable utilization and harvesting of the resources to preserve the local gene pool.The mushrooms were sold very costly. Local market and roadside sell proved that mushrooms were collected by tribals and rural people for livelihood. The major occupation of tribal people is agriculture, forest and forest products (Minor Forest Products) is also essential livelihood of tribal people for food, medicine, fibre, etc. Chhattisgarh government has declared the state as ‘Herbal State’ with an objective to conserve medicinal plants, cultivation of medicinal plants, non – destructive harvesting, promote minor forest produce based industries to generate additional employment in the state. This is because the state has rich flora and fauna.

References :-

1. Tripathy S. S. Rajoria, A. Gupta, N. Wild indigenous mushrooms as a source of food from different forest divisions of Odisha, Journal of Pharmaceutical Biology, 2014; 4(3): 138 – 147.
2. Hutton, Chris, 2007, Food Service – Grill, Vol. 5 Issue 7, P. 32.
3. Bahl, N. 1983, Medicinal Value of edible fungi. In proceeding of the International Conference on Science and Cultivation Technology of edible fungi. Indian Mushroom Science II, PP. 203 – 209.
4. Atri N. S. Kaur, A. and Kaur, H. (2003), Wild Mushrooms Collection and Identification, Mushroom Research 14: 56 – 59.
5. Kapoor, J. N., 2004, Mushroom Cultivation. Indian Council of Agriculture Research, Pusa, New Delhi, P. 83.
6. Dhar, B. L. and Sharma, S. K. 2009, Medicinal Mushroom product in India, present status and future trading, Proc. 5th International Medicinal Mushroom Conference, mycological society of China, Nantong, China, PP. 403 – 406.
7. Thakur M. P., Shukla, C. S., Jha, D. Occurrence of mushroom diversity in Chhattisgarh plains, northern hilly regions and Bastar Plateau of Chhattisgarh State. International Journal of Researchers in Biosciences, Agriculture and Technology, 2017; 5 (2): 1 – 5.

****

दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र कोरबा में श्रमिकों में मनोबल और अनुशासन

आशा राय* डॉ. प्रतिमा बैस**

शोध सारांश – साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र) की स्थापना 28 नवंबर 1985 को हुआ। यह अपना कार्य 1 अप्रैल 1986 को विधिवत् रूप से आरंभ किया। इसके अन्तर्गत भूमिगत एवं पोखरिया दोनों किस्मों के खाने है। जहाँ श्रमिक कार्यरत् है। यह उत्पादन क्षमता और भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी कम्पनी हैं। 18 मार्च 1992 को इस कम्पनी का विभाजन कर (एम.सी.एल.) नामक नई कम्पनी का निर्माण किया गया है। दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र कोरबा, औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है, जो अनेक औद्योगिक संभावनाओं को समाविष्ट किया हुआ है। उद्योग स्थापित होने के लिए आर्थिक एवं गैर आर्थिक जितनी सुविधाएँ होनी चाहिए, इस संस्थान को प्राप्त हुए है।

शब्द कुँजी – भूमिगत एवं पोखरिया, औद्योगिक श्रमिक, मनोबल एवं अनुशाासन।

प्रस्तावना – किसी राष्ट्र की भावी सम्पन्नता बहुत सीमा तक उस देश के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों से संबंध रखने वाली समस्याओं के सही हल पर निर्भर करता है। औद्योगिक श्रमिक एक ऐसी सजीव शक्ति है, बन गई है जिसका प्रयोग राष्ट्र के रचनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। श्रमिक एवं उत्पादन का घनिष्ठ संबंध है। उत्पादकता एवं राष्ट्रीय आय एक दूसरे के पर्यायवाची है, किन्तु श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ उसके मनोबल और संस्थान की अनुशासन व्यवस्था श्रमिकों के उत्पादकता को भी प्रभावित करती है।

श्रमिकों में मनोबल और अनुशासन– मनोबल का आशय आंतरिक बल से है। इस शब्द का प्रयोग विशेषत: सन् 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय किया गया था, जब भारतीय नेता सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिको को देखकर लौटते थे तो वे प्राय: यह कहा करते थे कि भारतीय सैनिको को मनोबल ऊँचा है, अर्थात वे अपने अधिकारियों के आदेशों को प्रसन्नता के साथ पालन करते थे। इसी प्रकार किसी भी औद्योगिक संस्था में प्रवेश करने पर यह अनुभव हो कि समस्त कर्मचारी/श्रमिक अपने कर्त्तव्य का निष्पादन करने में व्यस्त है, वे समय पर आते है तथा कार्य के घण्टों मे बराबर काम में लगे रहते है। उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते है, तथा संस्था के प्रति ईमानदार होते है। उत्पादन में रूकावट आने पर उसे तत्काल दूर करने की चेष्टा करते है। इसके विपरीत अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करते। समय पर कारखाना नही आते अपने अधिकारियों से अशिष्ट व्यवहार करते है, एवं उत्पादन कार्य में रूकावट आने पर उसे शीघ्र दूर करने का प्रयास नहीं करते तो यही कहा जायेगा कि कर्मचारियों का मनोबल संस्था के प्रति ठीक नहीं है। वास्तव में किसी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा बाहरी व्यक्ति उनके कर्मचारियों के मनोबल की स्थिति का अधिक सही अनुमान लगा सकते है।

परिभाषाएँ – 'मनोबल वह मानसिक दशा है जो उत्साह भावना, आशा, विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है।'–(वेन्सटर)

'किसी आधार पर आपस में संबंधित व्यक्तियो के सहकारी दृष्टिकोण अथवा सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य को मनोबल कहते है।'– (विलियम आर स्प्रीगल)

स्पष्टत: मनोबल उस संपूर्ण वातावरण या दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो किसी वर्ग समाज अथवा समुदाय के सदस्यों से प्रचलित है। इसके दो पहलू हो सकते है ऊँचा, नीचा यदि किसी संस्था के कर्मचारी अच्छे प्रसन्न आशावादी एवं मित्रवत प्रतीत हो तो उसका मनोबल 'ऊँचा' कहा जावेगा, किन्तु यदि वे झगड़ालू, आलोचक एवं धैर्य का अभाव हो तो उसका मनोबल 'नीचा' कहा जायेगा। ऊँचे मनोबल उस मानसिक दृष्टिकोण का द्योतक है जो कर्मचारी को यह अनुभव कराता है कि, उसकी आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संस्था के लक्ष्य की पूर्ति में निहित है। एस.ई.सी.एल. कोरबा कोयला प्रक्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों का खदानों के प्रति मनोबल अच्छा है। सभी कर्मचारी एवं श्रमिक संस्था के हितार्थ/लाभार्थ प्रयासरत् रहते है। कर्मचारियों एवं श्रमिक कभी भी अनावश्यक अवकाश नहीं लेते तथा कार्य के दौरान आलस्यता नहीं दिखाते। सभी कर्मचारियों में उत्साह और लगन की भावना है, सभी कर्मचारी यह चाहते है कि, उद्योग का उत्तरोत्तर विकास हो जिससे कि स्वयं का विकास हो सके। कर्मचारी/श्रमिक अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में संलग्न रहते है इस कारण निरीक्षण करने की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती।

एस.ई.सी.एल. कोरबा कोयला प्रक्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के मनोबल को जानने के लिए स्तरीय देव निदर्शन (Stratified Random Sampling) के आधार पर 400 श्रमिकों एवं कर्मचारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग कर उससे संबंधित विचार पूछे गए।

A–स्वयं के नौकरी (JOB) में कर्मचारियों के विचार :–

क्र.	विचार पसंद करते है, संतुष्ट है	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पसन्द करते है संतुष्ट है	320	80
2	उपयुक्त नहीं है	50	12.5
3	पसन्द नही करते है	30	7.5
4	योग	400	100

स्त्रोत :– साक्षात्कार प्रश्नावली

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय , करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

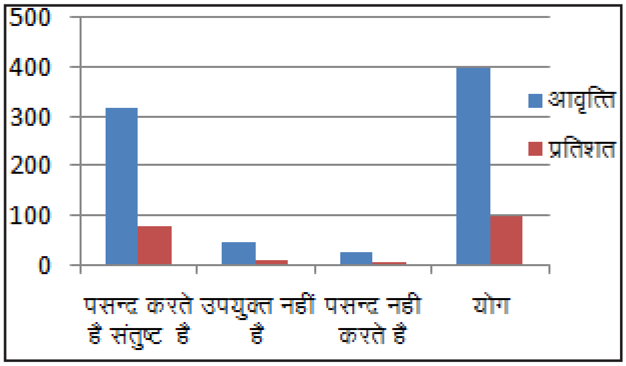

B- विभाग में अनुशासन के संबंध में विचार :-

क्र.	विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	न्यायपूर्ण है	250	62.5
2	कठोर अनुशासन	80	20
3	बहुत अच्छा है	40	10
4	खराब है	30	7.5
5	योग	400	100

स्त्रोत :- साक्षात्कार प्रश्नावली

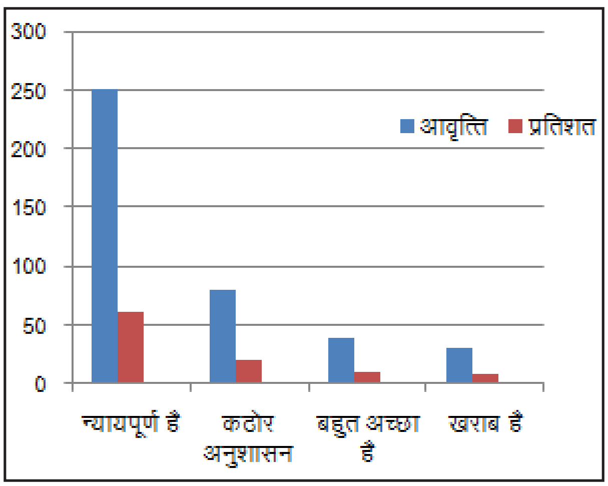

C-कार्य के बदले में प्राप्त मजदूरी के संबंध में विचार :-

क्र.	विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मजदूरी उचित है	300	75
2	मजदूरी कम है	70	17.5
3	सामान्य है	30	7.5
4	योग	400	100

स्त्रोत :- साक्षात्कार प्रश्नावली

D-कारखाना से संतुष्टि के संबंध में :-

क्र.	विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	संतुष्ट है	250	62.5
2	असंतुष्ट है	80	20
3	संतुष्ट रहना पड़ता है	70	17.5
4	योग	400	100

स्त्रोत :- साक्षात्कार प्रश्नावली

E-स्वयं का कम्पनी के विकास के सम्बन्ध में विचार :-

क्र.	विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कारखाना के साथ स्वयं का	380	95
2	अपना स्वयं का	20	5
3	योग	400	100

स्त्रोत :- साक्षात्कार प्रश्नावली

उपर्युक्त सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि कारखाना के अधिकतर कर्मचारियों/श्रमिकों का मनोबल संस्था के प्रति अच्छा है, कुछ मात्रा में, कुछ तथ्यों से संतुष्ट नहीं है जो कि एक अपवाद स्वरूप है। लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारियों का मनोबल संस्था के प्रति ऊँचा है, तथा कुछ ही श्रमिकों का मनोबल सामान्य है।

निष्कर्ष - निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि एस.ई.सी.एल. कोयला प्रक्षेत्र कोरबा में कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा है जो कि एक कारखाने के उत्तरोत्तर विकास में सहायक है। जो किसी भी कारखाने में यह होना ही चाहिए।

अनुशासन - अनुशासन से अभिप्राय देश, धर्म, समाज व सरकार द्वारा निर्धारित परम्पराओं, नियम व कानून के अनुसार आचरण करने से है। अनुशासन का तात्पर्य कर्मचारी द्वारा कम्पनी के नियमों और कार्य आदेशों का पालन की तत्परता से है।- (जूसियस)। सामान्यत: अनुशासन के उद्देश्य संगठन के निर्बाध कार्य संचालन के लिए समन्वय को सुगम बनाना, सदस्यों में सहनशीलता का विकास करना, उत्तरदायित्व सौपना और लेना, कार्यकुशलता एवं मनोबल को मानवीय संबंध के प्रति आदर का वातावरण तैयार करना।

एस.ई.सी.एल. कोरबा कोयला प्रक्षेत्र में अनुशासन - अनुशासन व्यवस्था को जानने हेतु श्रमिकों, श्रम संघो एवं नौकरशाही के अधिकारियों के प्रत्यक्ष चर्चा का आश्रय लिया गया। इससे कुछ तथ्य सामने आए, जिन्हे इस प्रकार रखा जा सकता है :-

1. श्रमिकों की शिकायते एवं उनकी मांगो को पूरा नहीं करने पर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए श्रमिक नौकरशाही की विलम्बकारी प्रवृत्ति को उत्तरदायी मानते है।
2. कर्मचारियों की व्यक्तिगत् समस्याये - आवास समस्या, बिजली, पानी के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी सामने आता है।
3. कुछ व्यक्तियों को दण्ड देना तो कुछ के प्रति उदारता भाव रखना। यह तथ्य सभी संस्थाओं में पाया जाता है। कोरबा कोयला प्रक्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है।
4. अधिकांशत: यहा पर उत्पन्न होने वाला अनुशासनहीनता का मुख्य कारण आंतरिक ही होता है। कुछ श्रमिकों के अनुसार श्रमिक संघो एवं नौकरशाही के बीच आंतरिक सांठ-गांठ के कारण हमारे सार्वजनिक कार्य भी पूरे नहीं हो पाते।

प्रभावपूर्ण अनुशासन के लिए सुझाव - अध्ययनकर्त्ता ने प्रश्नावली व अनुसूची लेकर स्वयं श्रमिकों से प्रत्यक्ष रूप से चर्चा किया, अवलोकन किया। इस आधार पर कोरबा कोयला प्रक्षेत्र में अनुशासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है :-

1. श्रमिकों की शिकायतों एवं मांगो पर आवश्यक विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर यथासंभव पूरा करना चाहिए।
2. प्रबंधक को कर्मचारियों के तथा श्रमिक के निकट सम्पर्क में होना चाहिए।

3. श्रमिकों को कारखाना के नियमों, कानूनो तथा परम्पराओं से पूर्णतः अवगत करा देना चाहिए, एवं निर्धारित दण्ड व्यवस्था का भी उन्हें ज्ञात होना चाहिए।
4. कारखाना के लाभ–हानि तथा लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी प्रत्येक श्रमिक एवं समूह को दी जानी चाहिए।
5. प्रबंधकों को इस बात की भली–भांति समझना होगा कि श्रमिक उत्पादन का सजीव साधन है, जो उत्पादन में सक्रिय भूमिका निर्वहन करता है। अतएव उन्हें एक वस्तु न समझे वरन् उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग समझे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भगोलीवाल, टी.एन. (1995) – 'श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक संबंध', साहित्य भवन आगरा
2. पाटनी, आर.एल. (1983) – 'सेवीवर्गीय प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध', साहित्य भवन आगरा
3. शर्मा, रमेश चन्द्र (1984–85) – 'श्रम समस्याओं एवं समाज कल्याण', राजीव प्रकाशन मेरठ
4. सिंह, एस.डी. (1988) – 'वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व', इंदौर कमल प्रकाशन
5. सिन्हा, वी.सी. (1990) – 'औद्योगिक अर्थशास्त्र', प्रकाशन लोक भारती इलाहाबाद
6. खान सुरक्षा, धनवाद बिहार
7. साक्षात्कार
8. अनुसूची

****

An Analytical Study on startups in India with reference to issues, challenges and Government initiatives

Dr. Manohar Das Somani*

Abstract - The start-up ecosystem in India has created many buzzes. Start-up is flagship initiative of the Government of India, intended to build a strong eco-system for nurturing innovation. The study presents the initiatives taken by Indian government to grow up the ecosystem. Indian traditional business community is now required to participate in the environment of exploration and innovation not only in technology and products, but in every tenet of business. Start-up India is challenging conventions and spurs a revolution of unique and emphatic Indian traditional business models. It is the precursor to India taking centre stage in the new world order.

The 'Make-in-India' initiatives and other government schemes have also given a boost to startups with many individuals entering the fray. This study analysis a few issues and challenges that an Indian start-up has to face and the opportunities that the country can provide in the current ecosystem

Keywords - Startups in India, Entrepreneurship, Make-in-India, challenges, initiatives.

Introduction - Start-up is defined as "an entrepreneurial venture or a new business in the form of a Company, a partnership or temporary organization designed and search of a repeatable and scalable business model."Start-up India brings excitement and immense possibilities for the future. Start-up India is an initiative of the Government of India. The campaign was first announced by Indian Prime Minister, Narendra Modi in his address from the Red Fort, in New Delhi on 15 August 2015.

The action plan of this initiative is focusing on the areas including Simplification and Handholding, Funding Support and Incentives, Industry-Academia Partnership and Incubation.Startups have played a vital role in the, development, industrialization of many economics all over the world. Startups have been the flavour of the season over the last few years for the Indian markets. According to NASSCOM start-up report which is published in the year 2015. In this NASSCOM mentioned that every year more than 800 technical startups are being set up in India. The future of Indian start-up is very encouragingdue to the availability of large technologyexpertise and manpower resources. Bangalore is the leading city in India having maximum startups with Mumbai, Hyderabad, Chennai, Ahmadabadand Pune in the lead. In the year September 2015, Prime Minister Narendra Modi visited Silicon Valley, USA and had meetings with a number of founders of technology firms and industry leaders such as SatyaNadella and SundarPichai and discussion with them regarding his ambitions of developing a better start-up ecosystem.. At the beginning of the second month of 2019, KPMG has released the latest report on the Indian start-up ecosystem. It states that the number of startups in the country has gone up from 7,000 in 2008 to 50,000 in 2018.

Literature Review

Madhvapaty& Rajesh (2018): addressed the Challenges of HR Tech Startups such as failure to lay groundwork for adoption by employees. While there are diverse products and technologies in the market, the core challenge is to find the right product-market fit.

Forbes India, Start-up India, (2016): The Prime Minister unveiled a 19-point agenda to take forward the start-up culture. The action plan included tax sops, ease-of-doing business,innovation to help entrepreneurs to start up and grow their business.

Ravi (2015) explained that a combination of increasing population, growing internet usage and mobile penetration, growing economy, being a major mobile market and exponentially increasing online retailing set the stage for India to be one of the biggest Start-up destinations.

OmidSharifi, BentolhodaKarbalaeiHossain (2015): in this study they stated that there are various financial challenges faced by the Startups in India. It also depicts the difficulties faced by the Startups at the initial stage. The major findings are major leap in technology have led investors to raise the bar in terms of how much leg work entrepreneurs are expected to do before even pitching their companies.

Thomas Astebro and Irwin Bernhardt (2003): investigate the relation between the survival of newsmall business and bank loans. They stated that there is a negative correlation between bank loanand business survival and positive relation between non-banking loan and business survival.

***Department of Commerce, M J B Govt. Girls P. G. College, Indore (M.P.) INDIA**

Thisstudy is based on the data referring to a set of small business launched in 1987 in U.S.

Christopher A Pissarides (2001): in his paper studied that the role of company startups cost for employment performance. This paper is highly theoretical one. The conclusion is the factors that can explain the differences in Labour Market performance are structural and should be sought in the institutional structures of the countries.

Thomas Hillmann and Manju Puri (2000): examine the empirical evidences on the impact thatthe venture capitalists can have on the development path of new firms. Their study suggests thatthere is soft facet to venture capitalists in terms of supporting companies to build up their humanresources within the organization.

Objective of the Study:

1. To examine the various issues and challenges of Startups
2. To identify various government initiatives for the promotion of Entrepreneurship.
3. To study the growth ofStartups in the light of recent changes in Industry.

Significance of the Study - Starts ups have played a vital role in the growth, development and industrialization of many economies all over the world. Start-up is flagship initiative of the government of India, intended to build a strong eco-system for nurturing innovation. Start-up will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities and minimize unemployment.

Methodology - The study is based on the secondary data which has been collected through journals, magazines, newspapers, research papers, books and websites etc.

The Startup Scenario in India - It is to be noted that every year more than 800 technology startups are being set up in India. By 2020, it is estimated that around 11,500 tech-startups are going to be established with employment potential of around 250,000 technical people (NASSCOM, 2015). It is admirable to note that India is amongst the top five countries in the world in terms of startups with 10,000+ led by US with 83,000+ comprising 43% tech-based firms with 9% managed by women entrepreneurs. The number of incubators also has crossed 100 in 2014-15 to give boost to the startup saga. The sector Wise Distribution of Indian Startup Businessesis drafted in table number 1. As there are mainly two sectors sown in table number 1 viz a vizTechnology basedandNon-technology Basedstartups. The former is drafted in graph number 1 and later in graph number 2 respectively.

Table No. 1: Sector Wise Distribution of Indian Startup Businesses

Technology based	Non-technology Based
E-Commerce - 33%	Engineering- 17%
B2B - 24%	Construction-13%
Internet - 12%	Agri- products- 11%
Mobile apps - 10%	Textile - 8%
SaaS - 8%	Printing & packaging – 8%
Other – 13%	Transport & logistics- 6%
	Outsourcing & support -5%
	Others-32%

Source: Startups India- An Overview, Grant Thornton, 2018

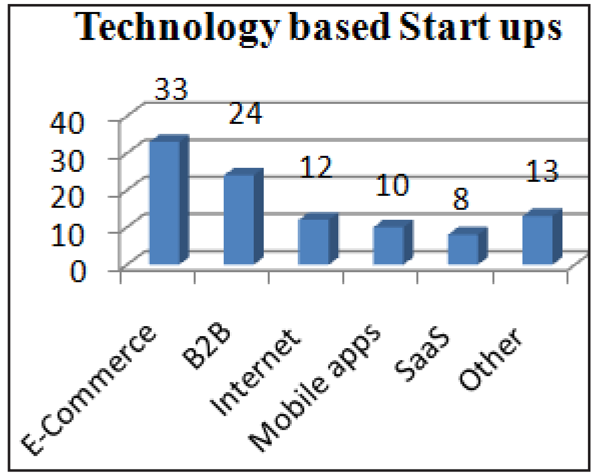

Graph No.1: Sector Wise Distribution of Technology based Indian Startup Businesses

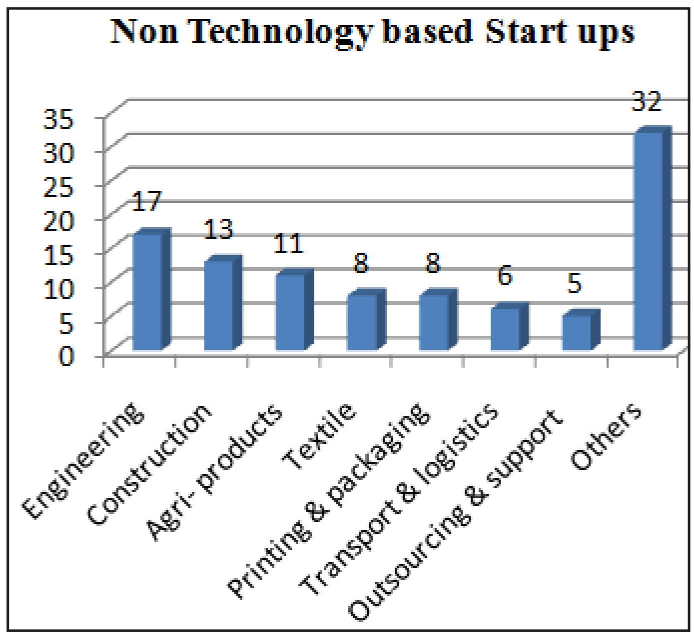

Graph No.2: Sector Wise Distribution ofNon-Technology based Indian Startup Businesses

Issues and Challenges of Indian Startups - There are typical challenges that Startups all over the world struggle with. Certain obstacles, however, are more peculiar to the Indian business environment. In this study, India was often described as a harsh environment for Start-ups. This section outlines the some major challenges being faced by Indian start-ups.

The challenges faced by Indian Startups begin with essentials such as hiring and managing a team, dealing with customers, and developing a marketing strategy. For running a Start-up, a significant amount of working capital is required. Many Start-ups, especially at early stages, are bootstrapped, i.e. self-funded through the founders' own savings, or using capital from friends and family. Some

Startups have enough paying customers, so that they are or become self-sustaining through the revenue and profits they generate and are able to grow organically. Thus, while not every Start-up needs external investment, many of them start looking for investors as they plan to scale their business. However, finding the right investor and raising funds is difficult, even if they have received positive responses on their product and have some proven market validation.

Joining a Start-up as an employee is not an attractive career option, due to the inherent risk that the Start-up might fail. Instead, the majority prefer to work for large corporations, which promise more stable jobs. In addition, Startups can rarely compete with the reputation and compensation structures which large companies can offer. Many of those who start working for Start-ups, switch to established companies after a few years. Job changes in the opposite direction occur less likely, because many get used to the benefits of a corporate job.

The tax policy and its enforcement are considered unfriendly for Start-ups. This, on the one hand, applies to the Good and Services Tax (GST), which was introduced in July 2017. There is still a lack of clarity on how it works and which items are applicable as tax base or not. The Startups are required to file their taxes regularly, even if they do not yet generate any revenue. Moreover, if payments from customers are delayed (which is not uncommon), Startups run into the danger of a liquidity squeeze. If they fail to file the tax on time, they risk huge penalty payments. Startups have insufficient possibilities to find information, and there is little planning security about how long processes can take. In addition, regulations can suddenly change or Startups receive random notices. As a result, Startups have to find frustrating workarounds, waste valuable time or pivot their business model.

Startups are at a disadvantage compared to large companies. On the one hand, this is due to the fact that big market players are more capable of dealing with bureaucratic regulations. On the other hand, public procurement is seen as weak and government prefers to sign contracts with established companies. However, if Startups are promoted by large companies (for instance, through partnering with them in the context of their open innovation initiatives), they may find it easier to capture a market.

A significant number of highly qualified specialists move abroad for jobs. At the same time, and in contrast to many other Start-up hubs globally, Indian Startups are yet to attract international talent. Bureaucracy and visa requirements make it difficult to hire employees from outside India and expatriates are more attracted to places like Singapore, where the living standard is higher.

India is a highly diverse country with a plethora of cultures, languages, ethnicities and religions. Because Indian customers are equally diverse, the Start-ups' understanding of them is often limited to certain regions, which they know well and where they know local people to work with. In that sense, comparative advantages are linked to specific regions. Therefore, building up a pan-Indian Start-up is more difficult, because they have little understanding of customers in other regions.

Several Startups fail due to poor revenue generation as the business grows. As the operations increase, expenses grow with reduced revenues forcing Startups to concentrate on the funding aspect, thus, diluting the focus on the fundamentals of business. Hence, revenue generation is critical, warranting efficient management of burn rate which in common parlance is the rate at which Startups spend money in the initial stages. The challenge is not to generate enough capital but also to expand and sustain the growth.

Absence of an effective branding strategy is another issue that prevents Startups from flourishing at a faster pace. HemantArora, Business Head-Branded Content, Times Network opines that branding demands paramount attention as it gives an identity and occupies a space in the consumer minds.

Starting a business requires a number of permissions from government agencies. Although there is a perceptible change, it is still a challenge to register a company. Regulations pertaining to labor laws, intellectual property rights, dispute resolution etc. are rigorous in India.

Founders of Startups have to be tough when the going gets tough. The journey of starting a venture is fraught with delays, setbacks and problems without adequate solutions. The entrepreneur needs to be persistent, persuasive, and should never give up till he/she achieves desired results.

Startups normally start with a team consisting of trusted members with complementary skill sets. Usually, each member is specialized in a specific area of operations. Assembling a good team is the first major requirement, failure to have one sometimes could break the Start-up.

Policy Initiatives by Government In Promoting Entrepreneurship - The Government of India has undertaken several initiatives and instituted policy measures to foster a culture of innovation and entrepreneurship in the country. Job creation is a foremost challenge facing India. With a significant and unique demographic advantage, India, however, has immense potential to innovate, raise entrepreneurs and create jobs for the benefit of the nation and the world.A few of India's efforts at promoting entrepreneurship and innovation are:

Make in India - In the year 2014, Mr. Narendra Modi became the Prime Minister of India. In September 2014, Prime Minister Narendra Modi introduced a big initiative "Make in India" to promote the manufacturing sector by promoting industrialisation and to invest in the different sectors. The intent of the campaign is to attract foreign investments and encourage domestic companies to participate in the manufacturing thereby contributing to the growth story.The government increase the foreign Direct Investment limits for most of the sectors. Protection of the

intellectual property rights of innovators and creators by upgrading infrastructure, and using state-of-the-art technology

Digital India - The government of India wants an initiative led to ensure that all types of government services are made available to every citizen through online platform with the help of Information and Technology. In the July 2015, the Prime Minister announced the Digital India initiative. It aims to connect remote areas of India with developing the digital infrastructure. This translates into a huge business opportunity for start-ups. E-Commerce companies in India are planning to break in the rural market of India as a share of Digital India initiative of government of India.

Stand-up India - The Prime Minister of India Narendra Modi also aims to build systems for enabling startups and wants to make the country as a numberone destination in the start-up. In August 2015, he announced a new campaign "Stand-up India" with the help startups schemes and directions were provided to the banking sectors for the funding and encouragement of entrepreneurship among the young Indians. He also requested to all 1.25 lakh bank branches to fund at least one start up unit among the low income group sector like SC/ST to build up their livelihood for the equity of the society.

The Union Cabinet has given approval to Stand-up India campaign on 16th January 2016, which aimed at promoting entrepreneurship among women and scheduled castes and tribes.

E-BIZ Portal - To boost young entrepreneurs and to make it easy to start your business, budget 2015 has pitched for the white spread usage of the recently launched e-biz portal. The portal integrates the regulatory permission at one source. The use of this portal helps entrepreneurs for faster clearance for setting up of business.

Mudra Bank - Several entrepreneurs in the MSME Sector have often complained about lack of difficulty in getting finances to run their business. So this bank has been set up for providing finance for Microfinance to the required individual.

Atal Innovation Mission - The Atal Innovation Mission (AIM) is a flagship initiative set up by the NITI Aayog to promote innovation and entrepreneurship across the length and breadth of the country, based on a detailed study and deliberations on innovation and entrepreneurial needs of India in the years ahead.

Jan Dhan- Aadhaar- Mobile (JAM): Jan Dhan- Aadhaar-Mobile is a technological intervention that enables direct transfer of subsidies to intended beneficiaries and, therefore, eliminates all intermediaries and leakages in the system, which has a potential impact on the lives of millions of Indian citizens. Besides serving as a vital check on corruption, JAM provides for accounts to all underserved regions, in order to make banking services accessible down to the last mile.

Trade related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD): This programme enables credit availability to interested women through non-governmental organizations to address their critical issues of access to credit. To Commenceproposed enterprises, in order to provide pathways for women to take up non-farm activities, the women can receive support of registered non-governmental organization in both accessing loan facilities, and receiving counselling and training opportunities

Pradhan Mantri KaushalVikas Yojana (PMKVY): Pradhan Mantri KaushalVikas Yojana is a flagship initiative of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) Government of India. This initiative aims to train youth in industry-relevant skills to enhance opportunities for livelihood creation and employability. Individuals with prior learning experience or skills are also assessed and certified as a Recognition of Prior Learning. Training and Assessment fees are entirely borne by the Government under this program.

National Skill Development Mission: This mission was launched in July 2015 which aims to build synergies across sectors and States in skilled industries and initiatives. With a vision to build a 'Skilled India' it is designed to expedite decision-making across sectors to provide skills at scale, without compromising on quality or speed.

Graphical Representation of Start-up status - An analysis of 20,000 startups that Excubator tracks in India

Bouncind Back after the big funding drought

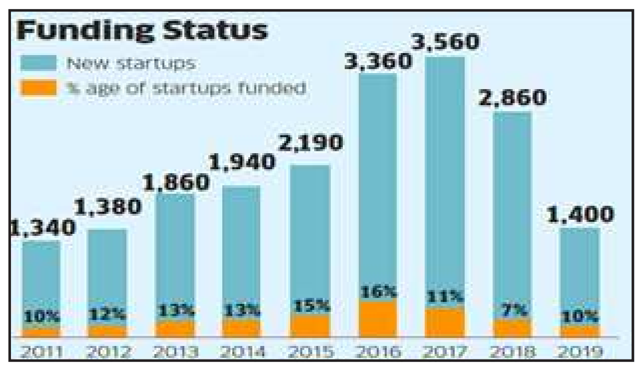

Source: ExSeed data based on analysis of 20,000 startups that Excubator tracks in India

Med-tech cycle peaked in 2015, AI/ML in 2016, Agri-tech in 2017 and Blockchain in 2018

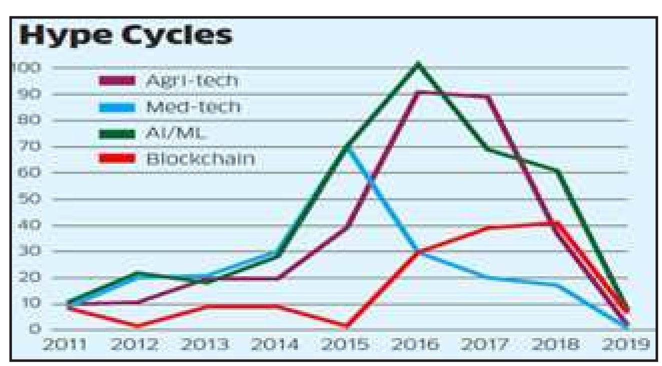

Source: ExSeed data based on analysis of 20,000 startups that Excubator tracks in India

Non-metro startups are seeing in a sharp dip, those in Bengaluru and NCR growing well

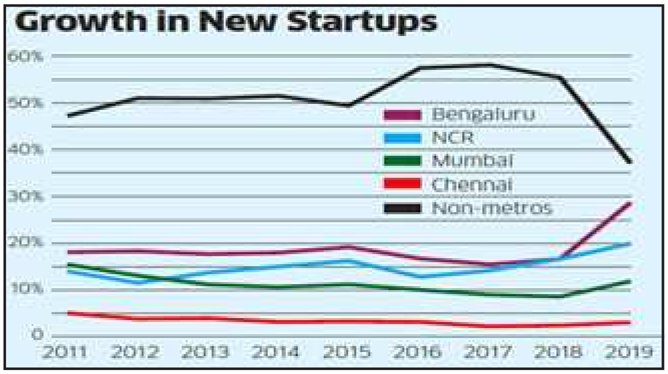

Source: ExSeed data based on analysis of 20,000 startups that Excubator tracks in India

The World Bank in India Economic Outlook - India's ability to achieve rapid, sustainable development will have profound implications for the world. India's success will be central to the world's collective ambition of ending extreme poverty and promoting shared prosperity, as well as for achieving the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). Indeed, the world will be only able to eliminate poverty if India succeeds in lifting its citizens above the poverty line.

As the world's third largest economy in purchasing parity terms, India aspires to better the lives of all its citizens and become a high-middle income country by 2030. Between 2011-15, more than 90 million people escaped extreme poverty and improved their living standards thanks to robust economic growth. However, India's growth rate has decelerated in the past two years.

In recent years, the country has made a significant dent in poverty levels, with extreme poverty dropping from 46 percent to an estimated 13.4 percent over the two decades before 2015. While India is still home to 176 million poor people, it is seeking to achieve better growth, as well as to promote inclusion and sustainability by reshaping policy approaches to human development, social protection, financial inclusion, rural transformation, and infrastructure development.

India is amongst the top five countries in the world in terms of Start-ups.

US ranks number one on the list with 8,1000+ Start-ups.

Country	Ranks
CANADA	6100+
US	81000+
UK	7900
INDIA	10000
CHINA	10000

Source: Microsoft Ventures, Zinnov, NASSCOM Start-up India report 2015

The World Bank's presented its latest Doing Business Report (DBR, 2020) on 24th October 2019. India has recorded a rise of 14 positions against its rank of 77 in 2019to be placed now at 63rdrank among 190 countries assessed by the World Bank. India'sleap of14 ranks in the Ease of Doing Business ranking is significant considering that there has been continuous improvement since 2015 and for the third consecutive year India is amongst the top 10 improvers.As a result of continued efforts by the Government, India has improved its rank by 79positions in last five years [2014-19].

Conclusion - Start-up India is the flagship initiative of the Government of India. The strategies of the Union Government takes into accountability and collective aspirations and enterprise to the new entrepreneur who wants to set up new units and ready to take risk .

The plan of Start-up Indians is to flourish under an ocean of changes in mindset and thinking. It is giving feather to wings of the unstoppable Indian.Start-up India is about challenging conventions and spurs a revolution of unique and emphatic business models. It is the precursor to India taking Centre stage in the new world order. The success of Start-up India campaign hinges on initiatives like faster and easier registration of Companies, self-certification for various legal formalities and requirements, no inspection to be required by government authorities for next three years.At present day, startups are growing like a grapevine. Both male and females are getting into it. Even females are coming with more ideas and they are taking the risk to sustain their credibility. Indian start-ups attempt to build the startup environment with important education, talent, innovation and incubators with correspondence to funding agencies.

References :-

1. Kotler, Philip, Marketing Management, Pearson Publication, 14 Edition.
2. https://entrackr.com/2019/02/startups-india-grew-50k-2019
3. https://economictimes.indiatimes.com/small-biz
4. https://www.worldbank.org/en/country/india/overview#1
5. DamodaranAswath (2009), Stern School of Business, New York University,"Valuaing Young Start-up& Growth Companies: Estimation issues & Value Challenges".
6. Start-up India Action Plan, January 2016.
7. Graham Paul, September 2012, Start up Equals Growth, in Grahams essays in Entrepreneurship.
8. Omid Sharifi, Bentolhoda Karbalaei Hossein, November 2015," Understanding the Financial Challenges Faced by Startups in India.
9. Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Finance and Commerce (dated 24th Oct. 2019)
10. https://www.statista.com/statistics/271328/indias-share-of-global-gross-domestic-product-gdp/
11. http:/www.start-ups.in
12. http:/www.start-up-india.org

मध्यप्रदेश में जैव-विविधता की हानि और उसका संरक्षण

डॉ. नसरीन अंजुम खान *

प्रस्तावना – जैव विविधता जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि प्रजातियों में प्रजातियों के बीच और उनकी परितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। विकास की प्रक्रियाओं में स्वाभाविक रूप से प्रजातियाँ लुप्त होती है। लेकिन मानव की स्वाभाविक रूप से प्रजातियाँ लुप्त होती है।[1] लेकिन मानव की गतिविधियों के कारण प्रजातियाँ और पारिस्थितिकी प्रणालियाँ खत्म हो रही है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी की लगभग दो से आठ प्रतिशत तक प्रजातियाँ अगले 25 सालों में लुप्त हो जायेगी। जैव विविधता के नष्ट होने का असर हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी होता है। जैव विविधता में भविष्य में स्वास्थ्य से जुडी खोजों और आर्थिक विकास की संभावना भी बनी रहती है। मानव समाज भी जलवायु में बदलाव जैसी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए फसलों की किस्मों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के लचीलेपन पर निर्भर रहेगा। जीवन की विविधता हमारी बीमा पॉलिसी है। इसी पर हमारी खुद की जिंदगी और आजीविका निर्भर करती है।

जैव विविधता की हानि के कारण – जैव विविधता को होने वाली हानि के सीधे कारण जैसे आवास क्षेत्र खत्म होना, नई प्रजातियों का आक्रमण, प्रदूषण, पृथ्वी की जलवायु में बदलाव, प्रजातियों का अत्याधिक दोहन और खेती और वानिकी की गतिविधियाँ। जैव-विविधता के खत्म होने की समस्या का बुनियादी कारण हमारे रहन सहन का तरीका है।

आवसीय क्षति– जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, बढता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, वनों के विनाश के कारण बने, जिनकी उजडने से हजारो पशु पक्षियों व प्राणियों का बसेरा ही खत्म हो गया व इस प्रकार उनका अस्तित्व ही खतरे में पड गया। कई जातियाँ लुप्त होने की कगार पर हैं या लुप्त हो चुकी है।[2]

पौधों और जानवर की प्रजातियों का अतिशय दोहन – मानव के द्वारा कई प्रजातियों का अतिशय दोहन भोजन और आश्रय के लिए किया गया है। समुद्री जीव जंतु तो खास तौर से अतिशय दोहन के कारण संकटग्रस्त हो गए है। तेजी से बढते दवा उद्योग की अत्यधिक मांग के कारण कई प्रकार के औषधीय पौधों पर विपरीत असर पड रहा है।

मिट्टी, पानी और वातावरण का प्रदूषण– प्रदूषण से पारिस्थितिकी प्रणाली की प्रक्रिया में बाधा पैदा हो सकती है। ज्यादा प्रदूषण से संवेदनशील प्रजातियाँ कम हो जाती है। पशुओं के इलाज की डाइक्लो फैनिक नाम एक दवा मवेशियों के लिए दर्दनाशक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। डी.डी.टी नामक कीटनाशक दवा फिशिंग ईगल्स के शरीर में जमा हो गया है। इससे इनके अण्डों का छिलका पतला हो गया है और वे समय से पहले टूट जाते हैं, जिससे फिशिंग ईगल के बच्चे मर जाते है। इस प्रकार फिशिंग ईगलों की तादाद बहुत कम हो गई है।

भूमण्डल की जलवायु में बदलाव– जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर पडेगा जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ समुद्री जीवों का प्रजनन का आदर्श स्थल भी होती है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर पडेगा जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ समुद्री जीवों प्रजनन का आदर्श स्थल भी होती है।[3]

आबादी में वृद्धि और आवश्यकता से अधिक खपत– पूरी दुनिया में आबादी की बढोतरी और बढती हुई खपत के कारण जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। भारत में आबादी का 50 फीसदी भाग देश की उर्जा, खनिजों और रसायनों के बडे भाग की खपत करता है। यह खपत इन संसाधनों के अतिशय दोहन को प्रोत्साहित करती है। खनिजों की बढती मांग के कारण देश में कुछ आरक्षित वन क्षेत्रों को सामान्य क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। जिससे इन इलाकों के भीतर के खनिज भण्डारों का दोहन किया जा सके।

मानव और वन्य जीव का टकराव– जानवरों के प्राकृतिक आवास क्षेत्र के नष्ट होने से, जंगलों के अतिशय दोहन से जैव विविधता को हानि पहुँचती है। मानव और वन्य जीवों के बीच टकराव से वन्य जीव और लोगों की आजीविका दोनो के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। यह टकराव प्रजातियों को और उनके आवास क्षेत्र को सीधे संकट में डाल देता है। उदाहरण के लिए बदले की भावना से वन्य जीवों की हत्या करना। यह परोक्ष रूप से अन्य तत्वों (उदाहरण के लिए वन्य जीवन का गैरकानूनी व्यापार) को भी जन्म देता है।

जैव विविधता का संरक्षण– जैव विविधता को मूल्य की अभी पूरी तरह से नही समझा जा सका है। अत: इसका उपयोग विवेक से और टिकाउ तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इसकी रक्षा की जा सके इसके संरक्षण के लिए कई राष्टीय कानून और कार्यक्रम बनाए गए है।

पवित्र प्राकृतिक स्थल और प्रजातियाँ– किसी समुदाय द्वारा किसी खास स्थल या प्रजाति को पवित्र घोषित किये जाने से मध्यप्रदेश में पवित्र अमराईयों, पवित्र सरोवरों और पवित्र चारागाहों का लगातार संरक्षण हुआ है। वटवृक्ष और हनुमान लंगूर जैसी प्रजातियों को पूजनीय माना जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है।[4]

प्रबंधन के पारम्परिक तरीके– प्रबंधन के कुछ पारम्परिक तरीके से भी जैव संरक्षण के लिए मददगार साबित हुए है, उदाहरण के लिए कुछ स्थानों पर मवेशियों के चरने पर प्रतिबंध रहता है या हरे भरे पेडों को काटने की

* सह- प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, छिंदवाडा (म.प्र.) भारत

मनाही रहती है और सिर्फ गिरे हुए पेड की इमारती लकडी/जलाउ लकडी का ही उपयोग करने की अनुमति रहती है।

सामुदायिक बीज बैंक– म.प्र. में बीज बचाओ आंदोलन के किसान उस इलाके में विभिन्न प्रकार की फसलों का बीज एकत्र करने के लिए उस इलाके की यात्रा करते हैं। बीज बचाओ आंदोलन नयी संकर किस्मों के आक्रमण से देशज बीजों को बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन कई सौ स्थानीय किस्मों को संरक्षित कर रहा है। जिसमें 40 आंदोलन विभिन्न प्रकार की किस्में है। इसमें लाल गेहूं, ओट, चावल, मण्डुआ राजगीरा, बकव्हीट, मक्का, ज्वार, फलियाँ और दालें, तेल बीज, अदरक और हल्दी की औषधीय किस्में और कई प्रकार की सब्जियाँ है।

मध्यप्रदेश में जैवविविधता संरक्षण के आधुनिक तरीके – जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 24 एवं मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 के अनुसार राज्य जैव विविधता बोर्ड ऐसे किसी क्रियाकलाप को प्रतिषेध या निबंधित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप, संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप में उद्‌भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बटाने के प्रतिकूल या विरूद्ध हो।

जैव विविधता प्रबंधन समिति– स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं की विलुप्त प्रजाति का संरक्षण इस समिति का मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धत तथा उसके ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग एवं उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण करती है।[5]

सहयोग कदम– प्रशासन, नगरपालिका ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थापित की जाना है। इन समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोक विविधता रजिस्टर बनायें जिसमें अपने समुदाय और इलाके के जैव विविधता का प्रबंधन और संरक्षण करें। फिर भी उपरोक्त संरक्षण जैव विविधता के लिए काफी नही है। मानव गतिविधियों का दवाब इन कोशिशों से कहीं ज्यादा है, जैसा कि जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों से स्पष्ट है।

विकास के नये तरीकों की जरूरत है। ये एक ओर तो गरीबी दूर करने और प्राकृतिक संसाधनों को बिगडने से रोकने में हमारी सहायता करेंगे और दूसरी ओर खपत के ऐसे तरीकों को रोकने में मदद करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरविन्द सिंह, 'जैव विविधता का महत्व', अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका, 2016
2. डॉ. साधना सुशील विवरेकर, बायोडाइवर्सिटी, 2017
3. डॉ. दिनेश मणि, आईसेक्ट विश्वविद्यालय द्वारा अनुसृजन परियोजना के अंतर्गत निर्मित पुस्तक जलवायु परिवर्तन–2015
4. शर्मा, पी.डी., इकोलॉजी एण्ड एनवायरमेन्ट, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ इण्डिया (2004)
5. भरूचा, टेक्स्टबुक ऑफ एनवायरमेन्टल स्टडीज, यूनिवर्सिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इण्डिया ई. (2005)
6. विल्सन, ई.ओ. एवं प्रिंटर्स, एफ.एफ. बायोडाइवर्सिटी, नेशनल एकेडमी प्रेस, वाशिंगटन डी.सी. (1988)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

उज्जैन जिले में सिंहस्थ महापर्वों का इतिहास

डॉ. मोहन निमोले *

प्रस्तावना – प्राचीन नगरी उज्जयिनी, जिसे अवंतिका के नाम से पुकारा जाता है, एक नदी घाटी सभ्यता से सम्बंधित है, जिसका विकास लगभग पाँच हजार वर्ष पहले हुआ था। प्राचीन काल में यहाँ का नगरीय जीवन मोहन जोदड़ो तथा हडप्पा की भांति रहा था। उज्जयिनी के प्रमुख देवता भगवान महाकालेश्वर है, जो ज्योतिर्लिंग रूप में है और त्रिलिंग की गणना में समस्त मृत्यु लोक के स्वामी स्वीकार किए गए हैं। अवंति मंगल ग्रह की जन्म भूमि मानी गई है। यहाँ चौरासी महादेव, चौसठ योगिनी, आठ भैरव और गणेश हैं। महाकाल की इस नगरी का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पाँच वस्तु श्मशान, ऊखर, क्षेत्र, पीठ तथा वन एक ही स्थान पर उपलब्ध है, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं।

पुराणों में उल्लेख आया है कि उज्जैन में बारह आदित्यों, नव दुर्गाओं, चौबीस मातृकाओं, चार मारुतियों, दस विष्णुओं तथा नवग्रहों के स्थल थे। ये सभी स्थल शिप्रा या उसकी सहायक नदियों, कुण्डों, वापियों या सरोवरों के निकट स्थित थे और पवित्र तथा मुक्ति दायक तीर्थ माने गये थे। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैन धर्म का भी यहाँ एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा। यह नगर लोक आस्थाओं का भी केन्द्र रहा है।

उज्जयिनी मालवा के सम्पन्न प्रकार के हृदय स्थल पर पुण्य सलिला शिप्रा नदी के पावन तट पर स्थित है। इस नगरी को भारत के मध्यवर्ती भू-भाग पर स्थित होने के कारण मणिपूरक चक्र अर्थात नाभिस्थल माना गया है। भौगोलिक दृष्टि से मालवा एक पठारी प्रदेश है, जो अपनी अनुकूल स्थिति के साथ ही सुदृढ़ प्राकृतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कारण प्राचीन काल से ही सम्पूर्ण भारत में अपना अक्षुण्ण स्थान बनाए हुए है।

मालवा प्रदेश सदैव धन-धान्य से सम्पन्न रहा है, इसलिए कहा गया है-

'देश मालवा गहन गम्भीर, पग-पग रोटी, डग-डग नीर'

वर्तमान में मालवा पश्चिमी मध्यप्रदेश का वह भू-भाग है, जिसमें उज्जैन, इन्दौर, रतलाम, शाजापुर, मन्दसौर, राजगढ़ तथा विदिशा जिले आते हैं। साथ ही देवास, धार, झाबुआ, सिहोर तथा गुना जिलों का अधिकांश भाग और राजस्थान के बाँसवाड़ा तथा झालावाड़ जिलों का कुछ भाग भी सम्मिलित है। वस्तुत: मालवा की संरचना त्रिभुजाकार है तथा इस पठार की समुद्र सतह से ऊँचाई 500 से 600 मीटर तक है।

नामकरण – उज्जयिनी ऐतिहासिक परिवर्तनों की साक्षी नगरी है। इस नगरी को कब और किसने स्थापित किया, इसका कोई निश्चित पता नहीं चलता, किन्तु इसके जो नाम अभी तक ज्ञात हुए हैं, उनसे इस नगरी की पौराणिकता, प्राचीनता, ऐतिहासिकता और महत्ता का तो पता चलता है साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि विश्व में शायद ही कोई अन्य नगरी ऐसी रही हो या है, जिसको इतने नामों से जाना जाता है- (1) स्वर्णश्रृंगा या कनकश्रृंगा (2) कुशस्थली (3) अवन्तिका या अवन्ती (4) अमरावती (5) चूड़ामणि (6) पद्मावती (7) प्रतिकल्पा (8) उज्जयिनी (9) कुमुद्वती (10) भोगवती (11) विक्रमपुरी (12) शिवपुरी (13) आकारावन्ती (14) विशाला (15) नवेतरी (16) हिरण्यवती (17) पुष्पकरण्डिनी (18) अवंकृति (19) हेमश्रृंगा (20) मोक्षपुरी (21) धर्मशाला (22) उज्जैन (वर्तमान नाम) इनके अतिरिक्त विदेशी लेखकों ने 'ओजिन', 'ऐरिन', 'उजेन', 'उज्जैनी', 'ऊज़ेन', 'ओजेन' इत्यादि।

सिंहस्थ महापर्वों का इतिहास – भगवान महाकालेश्वर की पावन नगरी अवंतिका क्षेत्र में शिप्रा नदी के पवित्र तट पर लगने वाला सिंहस्थ महाकुम्भ अमृत तत्व प्राप्त करने का पर्व है। 'वयं सर्वे अमृतस्य पुत्रा:' अर्थात् हम सभी अमृत पुत्र हैं। काल, परिस्थिति के थपेड़े लगने से हम अपने इस स्वरूप को विस्मृत कर बैठते हैं। भूलना मानव का सहज स्वभाव है, इसलिए हमारी संस्कृति में भूले-भटके को सन्मार्ग में लाने के लिए सिंहस्थ जैसे कुम्भ पर्वो का विधान है, जहाँ विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय के महापुरुष अपने-अपने षिविर लगाते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक चेतना और प्रेरणा मिले ऐसे प्रयास करते हैं।

सिंहस्थ और कुम्भ जैसे महापर्व राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति का संदेश देते हैं। जहाँ बिना किसी आमंत्रण के केवल पंचांग की तिथि की घोषणा के आधार पर देश-विदेश से पर्णकुटीर से लेकर सम्पन्न परिवारों के लोग खिंचे चले आते हैं। सभी सुख सुविधा छोड़ तम्बुओं में भरी गर्मी में सहज जीवन व्यतीत कर आनंदित रहते हैं। जाति, वर्ण, रंग भेद के बिना सभी एकत्रित होते हैं।

पुराणों में कुम्भ की परंपरा से उज्जयिनी का गहरा सम्बंध रहा है। लेकिन परमार काल के पश्चात लगभग छ: सौ वर्षो तक अवन्ती परिक्षेत्र में विदेशी सत्ता की वर्चस्वशाली उपस्थिति के कारण यह पर्व लोक परम्परा के रूप में ही मानता रहा। मालवा में मराठा शक्ति के उदय के साथ यह स्थिति बदली। सन 1732 में राणोजी शिन्दे ने इस परिक्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद दीवान रामचन्द्र बाबा सुखथणकर (शेणवी) के माध्यम से उज्जैन सिंहस्थ को सुचारु रूप से मनाने की व्यवस्था की गई। भास्कर रामचन्द्र भालेराव के अनुसार महाराजा राणोजी के समय से ही सिंहस्थ मेला व्यापक रूप से भरने लगा, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में एकत्रित साधुओं को उज्जैन के शिन्दे वंश द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और सिंहस्थ गुरु के योग पर मेला होने की प्रथा प्रचलित होने लगी। उसी समय से प्रति बारह वर्षो में सिंहस्थ का सांस्कृतिक समारोह शिन्देशाही की ओर से अविचल रूप से सम्पन्न होता रहा है। कालान्तर में शिन्द राजवंश के महादजी, जनको जी, जयाजीराव, माधवराव, जीवाजीराव आदि शासकों ने भी सिंहस्थ

* सहा. प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

की व्यवस्थाओं में पर्याप्त रुचि दिखाई और यह मेला धार्मिक जनजागरण का महत्वपूर्ण अवसर बनने लगा। स्वतंत्र भारत में भी इससे जुड़ी राजकीय व्यवस्था की परम्परा का निर्वाह जारी है और देशी-विदेशी पर्यटक और श्रद्धालुओं का इसकी ओर आकर्षण क्रमश: बढ़ता जा रहा है।

आधुनिक युग में उज्जैन के सिंहस्थ का इतिहास 1850 ई. के आसपास से मिलने लगता है। 30 अप्रैल 1850 ई. के मालवा अखबार में अवंती परिक्षेत्र में मेले के आयोजन का उल्लेख मिलता है। यह मेला वैशाख मास में ही हुआ था और गुरु भी सिंह राशि में थे। इसलिए संभावना है कि यह सिंहस्थ मेला ही था। उस मेले में सम्मिलित होने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था, इस बात का भी उल्लेख मिलता है।

1897 ई. का सिंहस्थ स्नान उज्जैन में नहीं हुआ था। उस वर्ष साधु-संत समाज उज्जैन में समुचित व्यवस्था न रहते सिंधिया राज्य की सीमा से बाहर होलकर राज्य के शिप्रा तटवर्ती महिदपुर चले गए थे, जहाँ यह मेला धूर्जटेश्वर (धूलटेश्वर) महादेव मंदिर के पास शिप्रा तट पर लगा था। तत्कालीन सिंधिया शासक ने साधु-समाज से अनुनय विनय कर उनका क्रोध शान्त कर दिया और तब साधु-संतों ने वैशाखी पूर्णिमा का मुख्य स्नान उज्जैन आकर किया।

1945 ई. का सिंहस्थ पर्व द्वितीय विश्व युद्ध की छाया से ग्रस्त रहा। पंडित सूर्यनारायण व्यास के सम्पादन में प्रकाशित 'विक्रम' पत्रिका के सिंहस्थ अंक (मार्च 1945) में इस आशय की सूचना छपी थी- 'उज्जैन की सिंहस्थ यात्रा स्थगित : उपरोक्त यात्रा में जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों को उनकी सुविधा की दृष्टि से सूचित किया जाता है कि खाद्य पदार्थों की न्यूनता तथा युद्ध जन्य यातायात की कठिनाइयों के कारण ग्वालियर गवर्नमेंट ने उज्जैन की सिंहस्थ यात्रा को, जिसका दूसरा पर्व इस वर्ष मार्च से जून तक होने वाला है स्थगित रखे जाने का निश्चय किया है।' इस तरह की सूचनाओं के बावजूद 1945 ई. का सिंहस्थ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस बात की ओर संकेत स्वयं पंडित सूर्यनारायण व्यास ने अपने संपादकीय में किया था। 'अनेक प्रतिबंधों और नियंत्रणों के पास चतुर्दिक व्याप्त हैं। यातायात और अन्न वस्त्र के प्रश्न ने जबकि एक विकट परिस्थिति प्रस्तुत कर रखी है, तब भी अनेक कष्ट और श्रम सेवित करके सुदूर प्रदेशों से सर्वसाधारण समाज के नर-नारी से लेकर साधक समूह भी सहस्त्रों की संख्या में सम्मिलित हो ही गया है। भगवती शिप्रा के पावन पुलिन पर इस पार से लेकर उस पार तक अंकपात से लेकर मंगलेश्वर तक एक अद्भुत दृष्य उपस्थित हो गया है। साधु समाज अपने-अपने विचार प्रचार करते हुए धार्मिक प्रेरणा से सामाजिक समुत्थान की दिशा में सतत यत्नशील है। बारह वर्षों के परिभ्रमण करके आने वाला यह महान पुण्य पर्व इस समय अवन्तिका की अतीत महत्ता की दिव्य स्तुति को पुन: सजग बना रहा है।'

1945 में सिंहस्थ पर्व में कमाई के लिए तांगे इन्दौर, बुरहानपुर आदि स्थानों से आते थे। एक से एक सुन्दर तांगे, बैठने की स्वच्छ गादी, तांगे पर चमकते दोनों ओर लैम्प, पैर से बजने वाली घण्टी। सिंहस्थ महापर्व पर नगर मेला क्षेत्र सफाई के लिए सफाई कर्मियों का एक दल रेलवे स्टेशन से गोपाल मंदिर और मेला मार्ग पर ऐसा भी होता था, जो चलते घोड़े द्वारा की गई लीद को तुरन्त हटाता था, कारण उस समय पक्की सड़क नहीं थी। मेला क्षेत्र में बैलगाड़ियों से आए दूर दराज के यात्री और बड़नगर मार्ग से लेकर मंगलनाथ क्षेत्र में दूर-दूर फैले संतों के डेरे होते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Dixit, S.K.: Ujjainin : Itihas Evam Puratatva, (Hindi) Puna, 1968.
2. Nigam, S.S.: Malwa ki Hriday Sthali Avantika, Ujjain, 1968.
3. Rog, U.N.: “Ujjayini through the Ages”, Uttar Bharat Journal of Research of the Universites of Uttar Pradesh, Vol. IX, No. 1, April 1962.
4. Vyas, S.N.: Ujjayini Darshna (Hindi), Gwalior, 1957.

****

जनसंचार : कल, आज और कल

डॉ. दाशरथी बेहेरा*

शोध सारांश – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता है। वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ता है। यह संप्रेषण एक प्रक्रिया के तहत काम करता है। स्रोत किसी भी संदेश को जन्म देता है। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढ़ालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं। लिखित संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को लेखक, पत्रकार, रचनाकार कहते हैं। संचार माध्यम के संदर्भ में इस स्रोत को रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, होर्डिंग, बिल, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, विज्ञापन, यातायात संकेत आदि इसके कई रूप हैं। समय के साथ संचार माध्यमों में परिवर्तन आया है। पहले मनुष्य ईशारे से संचार किया होगा, फिर बोलकर। इस संचार को सुरक्षित रखने की सोचा होगा। इसी से विभिन्न माध्यमों का विकास क्रमानुसार होता गया। पहले लिखकर संदेश को सुरक्षित किया गया फिर आवाज को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया और फिर वीडियो कैमरे के आविष्कार के साथ ही आवाज, घटना, दृश्य सबकुछ सुरक्षित रखा गया। इसके बाद आधुनिक संचार माध्यमों के विकास ने संचार प्रक्रिया को व्यापक बना दिया है।

शब्द कुंजी – जनसंचार माध्यम, पारंपरिक माध्यम, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, जनसंचार की उपयोगिता।

प्रस्तावना – भाषा एक तरह का संचार माध्यम ही है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति तक अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो भाषा की सहायता लेते हैं। भाषा का पहला प्रयोग बोलकर ही किया गया होगा। उसे लिखकर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी से लिपि का आविष्कार हुआ होगा। आज बोलने और लिखे जाने के इस काम को समय और स्थान दोनों स्तरों पर सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका पुनरू निर्माण किया जा सकता है। इसी उपलब्धि ने संचार माध्यमों को जन्म दिया है। जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो बोली जानेवाली भाषा उसी रूप में सुरक्षित रखकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान और एक समय से दूसरे समय तक ज्यों का त्यों भेजना मुमकिन हो सका। समाचार पत्र-पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो आदि ने संचार की प्रक्रिया को इतना व्यापक बना दिया है कि अब केवल मुद्रित रूप ही नहीं बल्कि आवाज और दृश्य रूप में भी संदेशों को संप्रेषित किया जा सकता है। कंप्यूटर एवं स्मार्ट फोन ने हर तरह के संचार माध्यमों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दिया है। संचार के क्षेत्र में जो भी बदलाव देखने को मिला है उसने लेखन को भी प्रभावित किया है। यहाँ तक कि लेखन का एक नया क्षेत्र भी खोल दिया है।

जनसंचार का अर्थ – जनसंचार संचार के प्रभावशाली रूपों में से एक है। इसका प्रभाव लोगों, सरकारों और संस्कृतियों पर पड़ता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक या अधिक मशीनों की सहायता से एक जटिल संगठन बड़े, विषम और बिखरे हुए दर्शकों/पाठकों पर निर्देशित सार्वजनिक संदेशों को प्रसारित और प्रचारित करता है। पुस्तकों, पत्रिकाओं, टेलीविजन, अखबारों, फिल्म आदि जैसे इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के माध्यम से जनसंचार होता है।

जनसंचार में समान्य संचार की सभी विशेषताएँ होती है साथ ही अपनी विशिष्टताएँ भी होती है। यह विशेषताएँ निम्न हैं-

1. जनसंचार दर्शकों/पाठकों की बड़ी संख्या के पास पहुँचता है। जनसंचार न केवल दर्शकों की बड़ी संख्या से बनता है बल्कि विषम श्रोता के लिए भी है। यहां विविधता का अर्थ दर्शक विभिन्न जातियों, समूहों, वर्गों, संस्कृतियों आदि से संबंधित हो सकते हैं।
2. जनसंचार के दर्शकों/पाठकों को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। वे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे होते हैं। जनसंचार में देश के किसी भी स्थान यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी स्थान पर रह सकते हैं।
3. जनसंचार का क्षेत्र किसी अन्य संचार प्रणाली से अधिक व्यापक होता है। जनसंचार का संदेश संरक्षित, औपचारिक, मानकीकृत है। यही वजह है कि इसे दुनियाभर में स्वीकार किया गया है।
4. जनसंचार विभिन्न प्रकार के मास मीडिया चौनलों जैसे रेडिया, समाचार पत्र-पत्रिका, टेलीविजन आदि का उपयोग करता है।
5. जनसंचार की यह विशिष्ट विशेषता है कि यह एक साथ एक ही संदेश को एक साथ एक दूसर से बहुत दूर रहनेवाले दर्शकों/पाठकों की एक बड़ी संख्या को भेजती है।
6. जनसंचार किसी भी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का उत्पादन नहीं करता है। दर्शकों/पाठकों की प्रतिक्रिया जल्दी से नहीं जानी जाती है।
7. जनसंचार में संदेश का प्रवाह बाहरी है आवक नहीं। जनसंचार का मूल उद्देश्य भी संदेश को संगठन के बाहर रहनेवालों को भेजना है।
8. जनसंचार प्रणाली को भेजा जानेवाला संदेश उत्पादन और प्रसार की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का उपयोग करता है।

नया पारस्परिक संचार – नई मीडिया प्रोद्योगिकी ने इंटेरेक्टिव कम्युनिकेशन यानि नया पारस्परिक संचार को संभव बना दिया है जिसके द्वारा जो जिस तरह संवाद करना चाहते हैं या मीडिया को एक्सिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ नए मीडिया जैसे इंटरनेट, प्रोद्योगिकी, वीडियो

* अतिथि अध्यापक (हिंदी) गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, अमृत विहार, संबलपुर (ओड़िशा) भारत

चौट, आभासी, वास्तविकता, वीआर, संबंर्धित वास्तविकता आदि से मीडिया सामग्री का अनुभव करते हैं। इंटेरेक्टिव कम्युनिकेशन का उपयोग गेमिंग, शैक्षिक शिक्षा, सूचना और संचार, प्रौद्योगिकी, आईसीटी में तेजी से किया जाता है। यह फर्म बेहतर संचार का अनुभव करवाता है और भागिदारी में सहायता करता है।

जनसंचार माध्यम – जनसंचार शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में कुछ उपकरणों और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों का बोध होने लगता है। जब इन उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ था तब धार्मिक प्रवचन, कथा, कविता, नाटक, नौटंकी, गीत–संगीत आदि के माध्यम से संचार का काम लिया जाता था। प्राचीन काल से चले आ रहे जनसंचार के इन माध्यमों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हम पहले भी कह चुके हैं कि संचार के लिए माध्यमों का होना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रचलित जनसंचार माध्यमों को तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है– पारंपरिक माध्यम, मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम।

1. **पारंपरिक माध्यम –** जनसंचार उतना ही पुराना है जितना मनुष्य। ऐसे में पारंपरिक माध्यमों का उद्भव आदिकाल में ही हो चुका था। जब मनुष्य जनसंचार का तात्पर्य भी नहीं जानता था तभी से ये माध्यम अस्तित्व में है। सःयता के विकास से लेकर मुद्रण यंत्र के आविष्कार होने तक ये माध्यम ही संदेश संप्रेषित करते थे। जनसंचार का यह सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा संदेश साक्षर एवं निरक्षर दोनों समूहों में प्रभावी ढंग से संप्रेषित होते हैं। इसके अंतर्गत धार्मिक प्रवचन, कथा, वार्ता, यात्रा, वृत्तांत, पर्यटन, गीत–संगीत, लोकसंगीत, नाटक, लोकनाट्य आदि आते हैं। इन माध्यमों की यह प्रमुख विशेषता है कि मनुष्यों द्वारा उस समूह की भाषा, संस्कृति एवं रुचि के अनुसार संदेशों का संप्रेषण किया जाता है जिस समूह में संदेश प्रसारित करना होता है। जनसंचार के पारंपरिक माध्यम आदिकाल से ही अस्तित्व में हैं। अपने उदयकाल से लेकर आज तक ये संदेश संप्रेषण में प्रभावी एवं सशक्त भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और भविष्य में भी ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्रभावी जनसंचार माध्यम के रूप में स्थापित होंगे।

2. **मुद्रित माध्यम –** मुद्रण यंत्र के आविष्कार और मुद्रण कला के विकास से जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति आई। छपाई के आविष्कार से पूर्व हस्तलिखित पत्रों एवं पुस्तकों का प्रचलन था जो जनसाधारण की पहुँच से बाहर था। ज्ञान और जानकारी का आदान–प्रदान और प्रचार–प्रसार समाज में बहुत सीमित था। मुद्रणालय के आविष्कार से पुस्तकों, समाचारपत्रों और अन्य पाठ्य सामग्रियों का प्रकाशन इतना बढ़ गया कि जन साधारण के लिए ज्ञान और प्रथ–प्रदर्शन प्राप्त करना सुलभ हो गया। आज के शिक्षित जनमानस में संचार का यह एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इसके अंतर्गत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि नियतकालीन और अनियत–कालीन समाचार पत्र–पत्रिकाएँ आते हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, पोस्टर, बैनर, पंफलेट एवं अन्य मुद्रित सामग्री जो किसी भी प्रकार की सूचना एवं ज्ञान से संबंध हो, भी मुद्रित माध्यम के रूप में प्रचलित है। मुद्रण तकनीक के अंतर्गत निरंतर हो रहे विकास ने अब मुद्रित माध्यमों को और भी प्रभावी बना दिया है।

3. **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम –** जनसंचार के क्षेत्र में नई क्रांति टेलीग्राफ के आविष्कार के साथ आई। टेलीग्राफ के माध्यम से दूर–दराज के क्षेत्रों में संदेश प्रेषण को गति मिली। टेलीग्राफ के पश्चात टेलीफोन के आविष्कार से संचार व्यवस्था में और तेजी आई। इसके पश्चात रेडियो, वायरलेस, ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर, टेलीविजन, वीडियो, कैसेट रिकार्डर, कंप्यूटर, मोडम, मोबाइल फोन, कृत्रिम उपग्रह, सेटटॉप बाक्स, डीटीएच और चलचित्रों के आविष्कार से संचार व्यवस्था में एक नई क्रांति आई। इसके पश्चात अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपित करके जनसंचार की नई तकनीक का विकास किया गया। ये सभी इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यम आज के व्यस्तता भरे वैज्ञानिक युग में संचार के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम है। शिक्षा, मनोरंजन और सूचना के प्रचार–प्रसार में ये इलेक्ट्रानिक माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान विश्व में जहाँ भूंडलीकरण की भावना का प्रचार किया जा रहा है वहीं इस भावना को मूर्त रूप देने का काम ये आधुनिक इलेक्ट्रानिक दृश्य–श्रव्य माध्यम कर रहे हैं।

जनसंचार माध्यम के प्रकार – जनसंचार माध्यमों की प्रकृति के अनुसार जनसंचार के तीन भेद हो सकते हैं– मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम।

(क) मुद्रित माध्यम – मुद्रण यंत्रों के आविष्कार से यह संभव हुआ कि लिखित सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापक रूप में जनता तक पहुँचाया जा सका। यही कारण है कि समाचारपत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। समाचार पत्र का प्रकाशन का उद्देश्य समाचारों को लोगों तक भेजना होता है। जब समाचार पत्र कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि यह या तो रोजाना प्रकाशित होता है या सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से प्रकाशित होता है। इसमें समाचार ही प्रमुख होता है। समाचार के अलावा बहुत कुछ सामग्री भी उसमें होती है। अगर हम रोजाना प्रकाशित समाचार पत्र की बात करें तो ऐसे समाचार पत्र ज्यादा से ज्यादा चौबीस घंटे तक अपनी प्रासंगिकता रखता है। आज का समाचार पत्र आते ही पहले दिन का समाचार पत्र पुराना पड़ जाता है। समाचार पत्र में समाचारों की प्रमुखता होने के कारण इसमें रोजाना घटनेवाली घटनाओं को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाता है। घटनाओं को समाचार के रूप में ऐसे ढंग से पेश किया जाता है कि अगर कोई उस भाषा की सामान्य जानकारी भी रखता हो वह उसे आसानी से पढ़ और समझ सकता है। भाषा में क्लिष्टता होगी तो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा जिससे पाठकों की संख्या कम होगी। ऐसे में समाचार संगठन को यह ध्यान रखना चाहिए कि समाचार पत्र उन लोगों के लिए ही उपयोगी है जो उस भाषा के लिखित रूप को पढ़ने और पढ़कर समझने की क्षमता रखते हों। अगर कोई अनपढ़ है या कोई उस भाषा के लिखित रूप को पढ़ नहीं सकता या पढ़कर समझ नहीं सकता तो उसके लिए यह समाचार पत्र बेकार है। समाचार पत्र का प्रसारण अधिक होने के कारण इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें पाठकों की रुचि के अनुसार सामग्री भी प्रकाशित हों। इसलिए समाचार पत्रों में समाचार के अलावा लेख, फीचर, निबंध, कहानी, कविता आदि कई विधाओं में रचनाएँ छपती हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि सभी उम्र, वर्ग, लिंग के पाठकों के लिए सामग्री हों।

(ख) श्रव्य माध्यम – रेडियो के आविष्कार से आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना संभव हो पाया। रेडियो में आवाज को विद्युत तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थाना भेजा जाता है। आवाज ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाती है और रेडियो रूपी यंत्र उस ध्वनि तरंग को आवाज में बदल देता है। आवाज का यह संचार इतनी तेजी से होता है कि इसमें शून्य समय लगता है। कहने का मतलब यह है कि जिस समय आवाज प्रेषित किया जाता है ठीक उसी समय वह आवाज हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग सुन लेते हैं। इसके कारण रेडियो का उपयोग भी समाचार और अन्य प्रकार

के संदेश भेजने के लिए किया जाता है। इसकी सीमा यह है कि रेडियो के द्वारा केवल आवाज पहुंचती है। प्राप्तकर्ता को सुनकर ही संदेश को समझना होता है। ऐसे में भेजे गए संदेश की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सुनकर आसानी से समझा जा सके। रेडियो से उन लोगों को भी लाभ मिलता है जिन्हें उस भाषा को लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। वह सुनकर संदेश को समझ जाते हैं। इसे देखते हुए समाचार पत्रों की तुलना में रेडियो की पहुँच अधिक हो सकती है।

रेडियो पर सिर्फ समाचारों का प्रसारण नहीं होता है बल्कि वार्ता, साक्षात्कार, गीत, संगीत, नाटक आदि कई विधाओं के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। रेडियो हर उम्र, वर्ग, लिंग के लोग सुनते हैं। महानगरों से लेकर गाँव तक, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों से लेकर अशिक्षित लोगों तक पहुँच होने के कारण इसमें विविधता होना अत्यंत जरूरी है। इस माध्यम की विशेषता यह है कि इसका आस्वादन केवल सुनकर लिया जा सकता है। इसलिए उसमें जो कुछ प्रसारण के लिए तैयार किया जाता है उसे जैसे सुनकर ही आनंद लिया जा सके उसका ध्यान रखा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिका या किताब पढ़ते समय यह सुविधा होती है कि अगर कहीं समझ में न आए तो दोबारा, तिबारा पढ़कर समझा जा सकता है लेकिन रेडियो के साथ यह सुविधा नहीं होती। वहाँ बोली गई बात को एकबार में ही समझना होता है। अगर हम समझने में चूक जाते हैं तो हमें दुबारा सुनने का मौका नहीं मिलता है। दूसरी बात यह कि रेडियो में उन बातों का वर्णन करना कठिन होता है जिन्हें देखकर ही समझा जा सकता है। इसके विपरीत समाचार पत्र या पत्रिका में उसको शब्दों में वर्णन किया जा सकता है।

(ग) दृश्य माध्यम – दृश्य माध्यम के वैसे कई उदाहरण है जैस, नाटक, चित्र, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि। इनके माध्यम से हम कुछ न कुछ संप्रेषित कर सकते हैं लेकिन यहाँ हम जिस दृश्य माध्यमों की बात कर रहे हैं उनमें सिनेमा और टेलीविजन है। वस्तुतरू जनसंचार माध्यमों में इन्हीं दो माध्यमों की प्रमुखता से चर्चा होती है। सिनेमा एक सदी से अधिक पुराना माध्यम है। फिल्म देखने के लिए विशेष तौर पर बनाए गए थियेटर में जाना होता है, जहाँ बैठे दर्शक सामने लगे विशाल सफेद पर्दे पर प्रोजेक्टर द्वारा डाले गए बिंबों को देखते हैं। ये बिंब गतिशील होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जीवन में जो कुछ घटित होता है उसे ही हम हुबहु पर्दे पर देख रहे हैं। उधर टेलीविजन पर भी हम गतिशील बिंब को टेलीविजन के स्क्रीन पर देखते हैं। लेकिन यहां दृश्य और आवाज दोनों रेडियो की तरह विद्युत तरंगों से पहुंचती है। टेलीविजन पर दिखाए जानेवाले बिंब का आकार आमतौर पर 14 इंच से लेकर 29 इंच तक होता था। लेकिन अब डिजिटाइजेशन के बाद इसका आकार अधिकतम 100 इंच तक पहुंच चुका है, जबकि सिनेमा का पर्दा पहले की तरह ही विशाल आकार का होता है। उस पर दिखाए जानेवाले बिंब मनुष्य के आकार से काफी बड़े नजर आते हैं। सिनेमा में दृश्यों के साथ आवाज का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये दोनों माध्यम दृश्य माध्यम कहलाते हैं क्योंकि इनमें दृश्य की प्रधानता होती है और आवाज की भूमिका अनुवर्ती के रूप में होती है।

जहाँ तक विषय की बात है दोनों माध्यमों में कई तरह के कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं लेकिन सिनेमा का प्रयोग आमतौर पर कथात्मक फिल्मों के लिए होता है या वृत्तचित्रों के लिए होता है। टेलीविजन पर कथात्मक फिल्मों के अलावा समाचार, वृत्तचित्र, साक्षात्कार, रियलिटी शो, धारावाहिक आदि तरह तरह के कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। सिनेमा पर दिखाए जानेवाली फिल्मों में कार्टून फिल्मों के अलावा तरह–तरह की प्रयोगशील फिल्में भी हो सकती हैं। उधर टेलीविजन पर खेलों सहित किसी महत्वपूर्ण घटना का आँखों देखा हाल दिखाया जा सकता है। इन दोनों माध्यमों की तकनीक आज काफी विकसित हो चुकी है।

संचार माध्यमों की भाषा – अब तक हम संचार माध्यम क्या है समझ चुके हैं। हमने देखा कि मुख्य रूप से जनसंचार माध्यम के तीन रूप है–मुद्रित, श्रव्य और दृश्य। इन माध्यमों में भाषा का बहुत ही महत्व होता है। इनकी अपनी अपनी विशिष्टताएँ होती है जो एक–दूसरे को अलग करती है। जब उनकी प्रकृति अलग होगी तो निश्चित रूप से उनके पाठक, श्रोता या दर्शकों में भी विविधता होगी। ऐसे में संचार माध्यमों की प्रकृति को समझ लेने के बाद उस माध्यम का भाषा के साथ किस तरह का रिश्ता है उसे समझना होगा। कहने का अर्थ यह है कि भाषा का प्रयोग लिखित रूप में होना है या उच्चरित रूप में। एक और चीज पर भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है कि जिस माध्यम का हम उपयोग करना चाहते हैं उस माध्यम की पहुँच कहां तक है यानि उसे किस तरह के लोग प्राप्त करेंगे। उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति क्या है। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि माध्यम में किस तरह की विधा और किस तरह के विषय के लिए लेखन किया जाना है।

संचार में लेखन के लिए सबसे पहले भाषा पर दखल की जरूरत है। लेखक में उस भाषा की रचनात्मक प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। संचार का माध्यम चाहे कुछ भी हो यदि वह व्यापक जन समुदाय के लिए है तो उसमें ऐसी ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को समझ में आ सके। ऐसे में सरल भाषा में रचनात्मक गुण होने चाहिए और जिसके द्वारा बात को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया जा सके।

यह सवाल हर किसी के मन में निश्चित उठ रहा होगा कि क्या जनसंचार माध्यमों के तीन रूप में मुद्रित, श्रव्य और दृश्य में एक जैसी भाषा प्रयुक्त होती है या उसमें कुछ अंतर होता है। इसका उत्तार हाँ और ना दोनों में दिया जा सकता है। अगर उत्तार हाँ होगा तो इसलिए कि हम जिस हिंदी भाषा का प्रयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं उसे ही हम फिल्म और टेलीविजन पर भी सुनते हैं। इन सभी में एक सी हिंदी नहीं होती तो अलग–अलग माध्यमों में उपयोग होनेवाली भाषा को समझना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन सभी माध्यमों में एक–सी हिंदी प्रयुक्त होती है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हम बोलचाल के लिए करते हैं वैसी ही भाषा का प्रयोग कक्षा में पढ़ाते समय नहीं करते हैं। इसी तरह जैसी भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में की जाती है वैसी भाषा का प्रयोग रेडियो पर नहीं होती है। उन सब में अंतर जरूर होता है। भाषा में यह अंतर माध्यमों की विशिष्टता एवं प्रकृति के कारण होता है। एक बात और एक ही माध्यम में अलग–अलग विधाओं में भी भाषा का स्वरूप अलग–अलग होता है। भाषा के इन अलग–अलग रूपों को पहचानना जरूरी है।

जनसंचार माध्यमों में भाषा का महत्व सबसे अधिक है। चाहे वह मुद्रित हो या श्रव्य या दृश्य सभी माध्यमों में भाषा का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत होती है। समाचार पत्रों की बात करें तो उसे व्यापक जन समुदाय पढ़ता है। इसी तरह श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों पर भी लागू होती है। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जानेवाली भाषा है। सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, विज्ञापन, सोशल मीडिया, औद्योगिक क्रांति और प्रोद्योगिकी के विकास की वजह से यह पूरे भारत में फैल गई। यहाँ तक कि विदेशों में भी पहुँच गई है। इसे वे लोग भी सुनते हैं पढ़ते हैं और बोलते हैं जिनकी हिंदी मातृभाषा है और वे लोग भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और

बोल रहे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिनका हिंदी का ज्ञान अत्यंत सामान्य स्तर का हो सकता है।

ऐसे में जनता की भौगोलिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा सहज और सरल नहीं होगी तो उसके माध्यम से संदेश के संप्रेषित होने में कठिनाई आएगी। ऐसा होता है तो संचार माध्यम अपनी भूमिका निभाने में असफल साबित होगा। दूसरी बात यह कि संचार माध्यमों के स्वरूप के अनुरूप ही भाषा का स्वरूप भी बदलेगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि तीनों की प्रकृति अलग अलग है और अलग-अलग विशिष्टता लिए होते हैं तो तीनों माध्यमों में एक तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि समाचार में प्रयुक्त होनेवाली भाषा लेख या संपादकीय में प्रयुक्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार रेडियो में भी वार्ता, समाचार, फीचर, नाटक आदि में अलग-अलग तरह की भाषा का प्रयोग होता है। यही बात टेलीविजन पर भी लागू होती है।

संचार माध्यमों में उच्चरित भाषा और लिखित भाषा में अंतर को भी समझना होता है। लिखित भाषा में यह सुविधा होती है कि अगर बात एक बार पढ़ने में समझ नहीं आती है तो उसे दुबारा पढ़कर समझा जा सकता है लेकिन रेडियो और टेलीविजन में यह मौका नहीं मिल पाता है। इसमें एक बार ही सुनकर या पढ़कर समझना होगा। ऐसे में जरूरी है कि इनमें ऐसी सरल भाषा का प्रयोग किया जाए कि उसे आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे में वाक्य को छोटे करके बोलना, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए जिसका उच्चरित भाषा में नहीं किया जाता और बोलते हुए उच्चारण की शुद्धता पर खास ध्यान देना चाहिए। लिखित भाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखते हुए मात्रा और वर्तनी संबंधी गलतियों से बचने की जरूरत होती है। पाठक यह समझता है कि जो भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं देता वह अपनी बात के प्रति गंभीर नहीं होता है। ऐसे में जनसंचार माध्यम चाहे कोई भी हो भाषा की शुद्धता पर पूरा ध्यान देना होगा तभी संप्रेषण सफल होगा।

जनसंचार के उपर्युक्त तीनों माध्यम मानव सभयता के क्रमिक विकास का भी परिचय देते हैं। तीनों माध्यमों की अपनी अलग-अलग उपयोगिता है। संचार क्रांति के इस युग में भी पारंपरिक माध्यम अपने अस्तित्व बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम है। शिक्षित समाज में मुद्रित माध्यमों की लोकप्रियता सर्वविदित है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रसार सीमा सुनिश्चित होती है।

जनसंचार माध्यम की उपयोगिता – दुनिया सहित भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंचार माध्यम तो दूर सःयता की एक किरण भी नहीं पहुँच पाई है। यहाँ पर संदेश संप्रेषण पारंपरिक माध्यमों द्वारा ही संभव है। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके इन पारंपरिक माध्यमों की प्रचार एवं प्रसार सीमा में वृद्धि की जा सकती है। मुद्रित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की अपेक्षा पारंपरिक माध्यमों की प्रभाव क्षमता अधिक होती है। इसका कारण यह है कि पारंपरिक माध्यमों की भाषा उस क्षेत्र की भाषा एवं परिवेश की ही होती है जहाँ इसके द्वारा संदेश प्रसारित किया जाता है। ये माध्यम अपने द्वारा प्रसारित संदेशों का व्यापक प्रभाव जनमानस पर छोड़ते हैं।

जनसंचार माध्यम ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा जनता तक समाचार, सूचना का संप्रेषण टेलीविजन, रेडियो, मोबाईल, कंप्यूटर और प्रेस से होता है।

मीडिया अभिव्यक्ति का संपूर्ण विज्ञान है, आदर्श कला है, एक स्पृहणीय व्यवसाय है तथा मानव चेतना को उद्दीप्त करने का सशक्त साधन है। युग बोध के प्रमुख तत्वों के साथ ही मानवता के बहुआयामी विकास और विचारोत्तोजन का राजमार्ग यही मीडिया है। समाज, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उपग्रह के व्यापक प्रसार और मानव संघर्ष, क्रांति, प्रतिक्रांति, प्रगति, दुर्गति का मुखर वक्ता मीडिया है। जीवन सागर में उठनेवाले ज्वार भाटे का दिग्दर्शक है जो भ्रम-विभ्रम, अविश्वास-अंधविश्वास, अंधेरगर्दी को मिटाता है। मीडिया न्यूनतम घटनाओं का उद्घोषक, प्रदर्शक, वैचारिक आंदोलन का अभिव्यंजक तथा नए जीवन दर्शक का वाहक है। आज मीडिया सभी का गुरू तथा विश्व का नियंता है।

किसी समाचार, सूचना, मत, विचार एवं कथन को जन-जन तक संप्रेषित करने का साधन ही मीडिया है। टीवी, रेडियो, मोबाईल तथा मुद्रित माध्यमों से सूचनाओं का संप्रेषण ही नहीं होता है अपितु उनके द्वारा प्रभावित भी किया जाता है। यह प्रभावकारी माध्यम ही मीडिया है। मीडिया सूचना पहुँचानेवाला, शिक्षित करनेवाला, मनोरंजन करनेवाला ऐसा संस्थान है जिसके द्वारा समाज और राष्ट का नव निर्माण संभव है।

लोकप्रिय मीडिया समाचार पत्र है। अधिकांश लोगों की दिनचर्या समाचार पत्र के साथ शुरू होती है। हत्या, बलात्कार, डकैती, नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप इत्यादि समाचार पत्र के स्थायी स्तंभ हैं। समाचार पत्र ने न सिर्फ समाज के अंधेरे पक्ष को दिखाने का ही बीड़ा उठाया है अपितु सकारात्मक खबरों को नजरअंदाज कर पत्रों ने विचित्र स्थिति पैदा कर दी है।

जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है सूचना क्रांति आई है। इसकी अपरिमित और बहुआयामी शक्ति अकल्पनीय है। घटनाएँ कम समय में इतनी तीव्र गति से घटित हो रही है कि आम आदमी एक सम्मोहन के वातावरण से घिरा हुआ है। नित नए आविष्कारों और प्रयोगों की नई प्रविधियों के विकास ने मीडिया को इतनी शक्ति दे दी है कि समाज के सभी वर्ग इस सर्वशक्तिमान की स्तुति कर रहे हैं। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की व्यापकता के चलते उसका सार्वजनिक पहुँच के कारण उसका दुष्प्रयोग भी होने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जनसंचार माध्यमों का सामाजिक चरित्र, जवरीमल्ल पारख, अनामिका प्रकाशन, दिल्ली
2. भाषा शिक्षण, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1978
3. मीडिया लेखन: सिद्धांत और व्यवहार, डॉ. चंद्रप्रकाश मिश्र, संजय प्रकाशन, दिल्ली
4. मीडिया के विविध आयाम, योगेश कुमार गुप्ता, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान
5. रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता, डॉ. हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली
6. जनसंचार माध्यम, संप्रेषण और विकास, देवेन्द्र इस्सर, इंद्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली
7. सर्जन और संप्रेषण, अज्ञेय, सचिन प्रकाशन, नई दिल्ली, 1984

****

Literary Sustenance in Pandemic Crisis

Dr. Iris Ramnani*

Abstract - Since time immemorial pandemics, pestilences and natural calamities have been narrated by numerous literary texts. The sufferings and state of psychological trauma experienced across the globe can be witnessed by the readers. In the despair and depressive circumstances literary artists take the responsibility of articulating social, political and personal spheres of life. The malignant virus covid-19 has rendered the year 2020 as a lingering and static one in the global history. This paper envisages how literature serves as a solace tool for the sinking society. It instills faith and courage to fight the adverse circumstances and proves to be a strengthening and empowering factor for the future generation.

Key Words - Pandemics, pestilences, trauma, malignant, lingering.

Introduction - *"Acceptance of what has happened is the first step in overcoming the consequences of any misfortune."- Dale Carnegie*

Natural calamities and diseases distract human beings in almost every sphere of life. Today we are going through a critical phase which has created a fear of the deadly virus in the entire global population. Covid-19 can be considered as a doom harbinger that has led the entire human race to a pause where it actually was. The virulent attack has shattered the normal routine and the words isolation, quarantine, social distancing have become the part and parcel of our lives. Rather than the severity of illness pandemics are more prominent at the geographical scale. Pandemics are large scale outbreaks of infectious disease that can generally increase morbidity and mortality over a wide geographic area and cause significant economic, social and political disruption. (Porta 1108)

Pandemics cause economic damage through multiple channels and induce individual behavioural changes such as aversion to workplaces, overstress, hypertension. Historical exigencies reveal that literature is a vehicle transmitting ideas, sharing blissful times as well as providing evidence of different catastrophies. Various writers have conveyed almost all the perspectives of the world and modulated it in their own artistic manner. The immediate uncertainty of life has led to the growth of inherent cowardice within us. The shattering faith and unstability prevents the maintenance of situational awareness. "In unstable contexts people tend to believe rumours that confirm their pre-existing believes and anxieties." (Greenhill and Oppenheim 03) These unrealistic thoughts and beliefs make us the victims of our own fears.

Just as the exhortations of great prophets and saints serve as a source of inspiration and self emancipation, the mysticism of primitive writers not only impart knowledge of the divine providence but also compel us for self realisation and trust in difficult times. Rabindranath Tagore in *The Religion of Man* emphatically tells us to realise our oneself, be optimistic for the future and have faith in our creator. He writes,

I have already made a confession that my religion is a poet's religion. All that I feel about it is from vision not from knowledge. Frankly, I acknowledge that I cannot answer any question about evil for about what happens after death. Nevertheless I am sure that there have been moments in my experience when my soul has touched the infinite and has become infinitely conscious of it through the illumination of joy... (The Religion of Man 107)

Poets and philosophers are visionary who communicate through poetic imagery, gather evidences and neatly present it so as to pave way of faith and trust. The endurance of physical suffering such as sickness, injury, fatigue, old age and eventually death is the inevitable part of human life. There are numerous instances when almost everyone suffers from a deep feeling of not being enough and it leads to psychological sufferings. The negative emotions, frustration, depression, disappointment are threat to self integrity. The aversion of catastrophes is not possible but we can fight the inevitable as Dale Carnegie writes,

No one living has enough emotion and vigor to fight the inevitable and at the same time, enough left over to create a new life. Choose one or the other. You can either bend with the inevitable sleet storms of life - or you can resist them and break. (Carnegie 83)

Counting the facts is not sufficient. Literature teaches that fear and lack of scientific understanding pushes us

*Assistant Professor (English) Swami Vivekanand Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)INDIA

back but we need to escape from the gulf of ignorance and emerge triumphant. The writers enrich the literary corpus, widen their scope of creativity and give importance to the relevant details of life even in critical conjunctures. They capture the changing contemporary social, political and cultural realities. Their art is a manifestation for the common man that life cannot be lived by hiding faces but is to be fought on. Literature reminds us that sense still exists somewhere. If there is no meaning outside the quarantine zones there is at least meaning in our invented stories. The rebuilt narratives supply meaning which has been taken away by the disease. It attempts to stave off meaninglessness and instill and inexhaustible courage in the void of the pandemic. The artists not just analyse the reasons and aftermath of the catastrophe but provide a reclamation against the illness. Covid-19 has altered us in strange ways. It is a paradigm shifting event that divides lines and cultures into a before and after.

The memories recorded in pages are recounted to create meaning. It bears a witness that we have meaning in our existence. Literature is efficient enough to preserve and prevent the fragments of the world from collapsing and hence aid in the recreation of a new era with a zest of life.

References :-

1. Carnegie, Dale. *How to Stop Worrying and Start Living*. Jaico Publishing House. Mumbai. 2019.
2. Greenhill K, Oppenheim B.2017. “Rumour Has It: The Adoption of Unverified Information in Conflict Zones.” International Studies Quarterly 61.
3. Porta M., ed. 2014. A Dictionary of Epidemiology.6th ed. Oxford University Press. 2014
4. Tagore, Rabindranath. *The Religion Of Man*. George Allen and Unwin Ltd. London, 3rd Impression ,1949.

****

Effects of Pranayam its Biochemistry and Health

Dr. Nagendra* Dr. Laxmi Chand**

Introduction - Pranayam is a part of yogic science that controls breathings. Our body requires energy all the time. If breathing is stopped for a minute one cannot work.

We inhale oxygen and exhale carbon dioxide during breathing. Howcontrolled breathing will be performed is discussed along with its benefits in this manuscript. Proper breathing improves the health as well as increase the life span if practiced from the early age.

Keywords: -breathing, lungs, oxygen, hemoglobin

Process of breathing

Various Exercises of pranayama are practiced viz. ujjayi, nadi shodhan, bhramari, Kapal Bhati, bhastrika etc.

Usually every one of us breathe 14-16 times per minute. Oxygen is taken up by the lungs when we inhale and carbon dioxide and water come out during exhalation. The oxygen in the lungs is absorbed by the blood that binds to a protein hemoglobin. It then reaches to every cell through blood. In tissue oxygen is taken up by the cells and the waste production of metabolism (carbon dioxide, ammonia etc.). Release into the blood. Carbon dioxide is exhaled by the nostrils and ammonia is converted into urea in liver which is excreted in the form of urine.

This process looks to be simple but it involves a number of organs, metabolic reactions that is how these compounds are transported and what their effects are if the process is hindered by any means. Health is the maximum and proper utilization of oxygen and efficient excretion of toxic wastes. Various physiological processes like blood circulation, respiration, exertion, reproduction and growth are based on energy production which is supplied by the use of oxygen in the end reaction of food degradation.

Effects of Pranayam - Whatever amount of oxygen is bound tohemoglobin only 40% it is released in the cells rest comes back in bound form. This is a waste of energy by the system. Usually a person takes 14-16 breaths per minute. If the amount of oxygen released can be increased then one only need to breathe 8-12 times per minute. It is a saying that the breaths are counted in everyone's life.

So by reducing the number of breaths per minute you can increase your life span if practiced from an early age.

Pranayam Exercises helps to reduce the number of breaths per minute and also helps release more oxygen in the tissues every time we breathe. These exercises also control the normal temperature of our body and regulate normal brain functions.

Breathing- We inhale oxygen by both of our nostrils. Although the passage become one after the nose but breathing by left nostril keeps the body cold and hot by the right nostril.

Some of the pranayams are discussed below with their effects:-

Anulom-Vilom

In this breathing is performed by one nostril. Keeping the other nostril closed and is released by other nostril slowly. Next time the breath is taken by other nostril and released by previous. Mean time breath is hold for 5-10 seconds. The process is continued for 5 minutes.

Effects - As we breathe by both the nostrils the temperature of our body remains constant. We know that high or low temperatures hinders many biochemical reactions which makes us ill.

The process also increases the efficiency of nervous system by affect, the nerve conduction which is based on the intake of sodium ions and potassium ions in the nerve conduction.

By holding the Breath for some time compels the cells to receive more oxygen from the blood every time. This helps to reduce the number of breaths per minute up to 8-10.

*B.P.Ed, M.P.Ed, M.Phil., Ph.D., Associate Professor, S.D.College, Muzaffurnagar (U.P.) INDIA
** Ph.D., Ex Professor Biochemistry, Pantnagar (Uttarakhand) INDIA

Bhramari

The eyes and ears are kept closed with the help of thumb and fingers respectively. Breath is inhaled slowly for a longer period, held for 5 seconds and then exhaled with the nostrils making u sound.

Effects - It again relaxes the brain and nerves by exerting some pressure on them. This pressure keeps ion exchange in nerves in proper amount.

Kapal Bhati - In a sitting pose the breath is inhaled for a brief period and exhaled by pressure through the nose. It continues for 30-40 times in one round. At least 5 such rounds are performed.

Effects - Excessive blood flows into the lungs muscles and abdomen muscles. Most of the water that enter lungs during entry of carbon dioxide is also comes out and there will be no danger of water accumulation in lungs.

Breathing exercises regulates the blood pH which ranges between 7-7.2units.After the intake of oxygen food material is oxidized into carbon dioxide, ammonia and water. Carbon dioxide is dissolved into the blood and converts to bicarbonate acid according to the following reactions:-

In Cells:-

$CO_2+H_2O - H_2CO_3$ (Carbonic acid)

In blood:-

H_2CO_3

In Lungs:-

$H_2CO_3 - HCO_3+H^+ - CO_2+H_2O$

Carbon Dioxide comes out of the lungs with water by pressure exhalation.

A regular practice of different pranayams exercises the number of breaths per minute can be reduced. Oxygen when reaches the cells by crossing the cell membrane which is made up of lipids mainly gets oxidized also. The cell immediately repairs if consuming ATP energy. Lesser the number of breaths require low amount of energy. The energy is saved by keeping the number of breaths less per minute which can be used by the body for other processes and keeping the health in better position, the respiratory problems are also cured by pranayama.

Conclusion - The pranayama exercises reduces the number of breaths we inhale every minute and compel the system to release more oxygen per breath into the cells. The process increases the energy production and finally the health of the pranayama practioner.

References:-

1. A.L. Lehninger, Biochemistry, Kalayani publishers, Ludhiana,
2. Mrs. Kailash, Yoga manjari, Bharatiya Yoga Sansthan, Delhi
3. Sachidanand Pandey, Nutan and Arvind Shiva. Yoga, Swasthaya aur Sukhi Jivan Ka Sadhan, Asha Yoga Prakashan, Patna
4. Bhole M.V. and Karambilkar, P.V. Effects of yoga training on vital capacity and breath holding time Yogmini, Vol.14, 1972 pp 19-26
5. Ganguly, S.Kund charolette M.L. "Cardiovascular efficiency before and after yogic traning, yoga Vol.18 No. 1, pp 89-97, 1974
6. Hugole S.V. Adhikari, P, Manjretlar P,D,Souza V.S. " Effects of Community based yoga intervention on oxidative stress and glycemic parameters , A randomized control trial" Complementary Therapies in medicine 2013, Dee. Vol.21, issue 6, p 571-576.
7. Woodyard C, "Exploring the therapeutic effects of yoga and its ability to increase vitalitiy of life". International J. Yoga 2011, Vol.4, issue 2, p 49-54.
8. Bharashantar J R el.al "Effect of yoga on cardiovascular system in subjects above in 40 years" Indian J physical pharamal (2003) 47(2) pp 202,206
9. Madan Mohan at.al – "Effects of slow and fast pranayama on retention time and cardiorespiratory variables (2005) 49(3) pp, 313-318
10. Josh:- "Effect of short term pranayama practice on breathing and vantilaterly functions of lungs" Indian J, Physical pharmac, 1992,36,105-108
11. Krishna D.R. and Sree Priya:- "Yoga remedy to respiratory illness" in Martin J Bunch, V. Mudha Suresh and T. Rasantha kumaran proceedings of third International Conference on Environment and Health, Chennai , India, 15-17 December, 2003 pp 243-257

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. एल.एन. शर्मा *

प्रस्तावना - सार्वजनिक व्यय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किया जाने वाला व्यय है। यह उन खर्चो का सूचक होता है जो सरकार प्रशासन द्वारा अपने नागरिकों की रक्षार्थ तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किया जाता है। वर्तमान में राज्यो का स्वरुप अधिकाधिक 'कल्याणकारी राज्यों' का होता जा रहा है। सार्वजनिक व्यय एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार और देश के आर्थिक विकास का कार्य आगे बढ़ाया जाता है। कल्याणकारी राज्य की विचारधारा, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण की प्रक्रिया, युद्ध एवं युद्ध की तैयारियाँ, सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं में वृद्धि, राजनीतिक जागरण, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, गैर सरकारी उत्पादों की सहायता उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि, जीवन स्तर में वृद्धि आर्थिक नियोजन, विकासशील देशों की सहायता, दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था और नागरिक प्रशासन, स्थानीय और सामाजिक सामयिक समस्याऐं, आकस्मिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय एवं संस्थाऐं आदि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण है।

शोध का उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारो के कुल व्ययों की क्या स्थिति है किस राज्य में व्यय की भागीदारी अधिक है और किस राज्य में कम है। व्ययों की दरों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है और उसके क्या कारण है कुल व्ययों में आयोजनेत्तर व्ययों की कितनी हिस्सेदारी है तथा आयोजना व्यय की कितनी हिस्सेदारी है। इसके क्या कारण है यह ज्ञात करना शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल व्ययों में आयोजनेत्तर व्यय तथा आयोजना व्यय की हिस्सेदारी का तुलनात्मक अध्ययन मे प्रकाशित द्वितीयक समंकों द्वारा अध्ययन किया गया है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 व 2013-14 से 2014-15 तथा 2014-15 से 2015-16 के बजट अनुमानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

शोध व्याख्या - मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल व्ययों की वृद्धि दरो का तुलनात्मक अध्ययन तालिका क्रं. 01 से स्पष्ट है :-

तालिका क्रं. 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

ग्राफ 1,2,3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रं. 1 के अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार है :-

1) कुल व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 03 प्रतिशत और राजस्थान से 9 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 39 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में 2013-14 से 2014-15 में छत्तीसगढ़ से 03 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है, जबकि राजस्थान से 08 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि दर में 07 प्रतिशत पीछे है जबकि राजस्थान से 07 प्रतिशत आगे है।

2) कुल आयोजनेत्तार व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 12 प्रतिशत पीछे है तथा राजस्थान से 03 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 0.5 प्रतिशत की कमी हुई और राजस्थान में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में छत्तीसगढ़ से 14.5 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है, जबकि राजस्थान से 01 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि दर में 19 प्रतिशत पीछे है जबकि राजस्थान से 01 प्रतिशत आगे है।

3) कुल आयोजना व्ययों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्थान में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2012-13 से 2013-14 में छत्तीसगढ़ से 05 प्रतिशत आगे और राजस्थान से 12 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 49 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में छत्तीसगढ़ से 01 प्रतिशत वृद्धि दर में आगे है, जबकि राजस्थान से 05 प्रतिशत वृद्धि में पीछे है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में मध्यप्रदेश में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजस्थान में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश वर्ष 2014-15 से 2015-16 में छत्तीसगढ़ से वृद्धि

* प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

दर में 01 प्रतिशत तथा राजस्थान से 12 प्रतिशत पीछे है।

सुझाव :

1. छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों की तुलना में म.प्र. सरकार के व्ययों की वृद्धि पर कम है। व्यय विकास का प्रतीक है। अत: म.प्र. सरकार को अपने व्ययों में वृद्धि करना चाहिए।
2. म.प्र. सरकार के आयोजनेत्तर व्यय भी छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों की तुलना में कम है जिसमें वृद्धि आवष्यक है।
3. म.प्र. सरकार के आयोजना व्यय छत्तीसगढ़ राज्य से अधिक परंतु राजस्थान सरकार से कम है। अत: इसमे भी वृद्धि आवश्यक है।
4. राजस्व व्ययों की तुलना में पूंजीगत व्ययों में वृद्धि अधिक हो ऐसा प्रयास राज्य सरकारों को करना चाहिए। क्योंकि पूंजीगत व्यय विकास का प्रतीक है।

संदर्भ गंथ सूची :-

1. राजस्व – जे.सी. वार्ष्णेय
2. राजस्व एवं रोजगार सिद्धांत – डॉ.वी.सी. सिन्हा
3. समष्टिगत अर्थशास्त्र एवं राजस्व – डॉ. वी.सी. सिन्हा
4. लोकवित्त के सिद्धांत एवं व्यवहार – डॉ.डी.एन. गुर्टू
5. व्यावसायिक वित्त – डॉ. आर.एम. कुलश्रेष्ठ
6. लोक अर्थशास्त्र – डॉ. माहेश्वरी, डॉ. गुप्ता
7. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं राजस्व –डॉ. वी.पी. सिन्हा
8. नवीन शोध संसार (यू.जी.सी. द्धारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2320-8767
9. द्विव्य शोध समीक्षा (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2394-3807
10. Public Finance - S.N. Chand
11. Research in Finance - Abdul Rahman
12. www.finance.raj.gov.in

तालिका क्रं. 1 : मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल व्ययों की वृद्धि दरों का तुलनात्मक अध्ययन (प्रतिशत में)

क्रं.	व्यय के शीर्षक	मध्यप्रदेश			छत्तीसगढ़			राजस्थान		
		2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1	कुल व्यय	15	27	12	18	24	19	24	39	05
2	कुल आयोजनेत्तर व्यय	13	15	13	25	-.50	32	10	16	12
3	कुल आयोजना व्यय	18	44	11	13	43	12	30	49	23

स्त्रोत : बजट प्रस्ताव 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

ग्राफ 1 : मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल व्ययों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

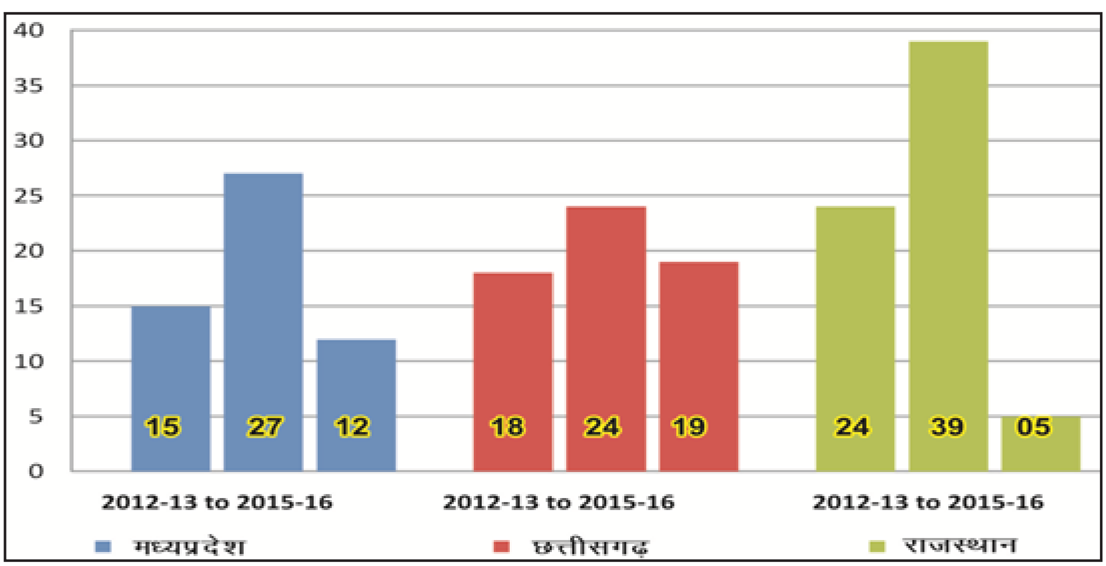

ग्राफ 2 : मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल आयोजनेत्तर व्ययों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

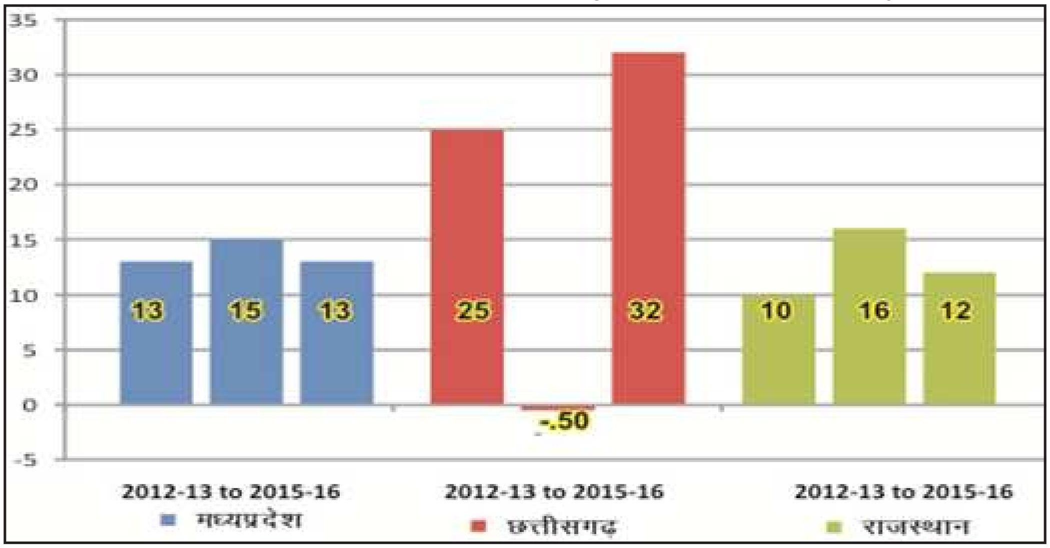

ग्राफ 3 : मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल आयोजना व्ययों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

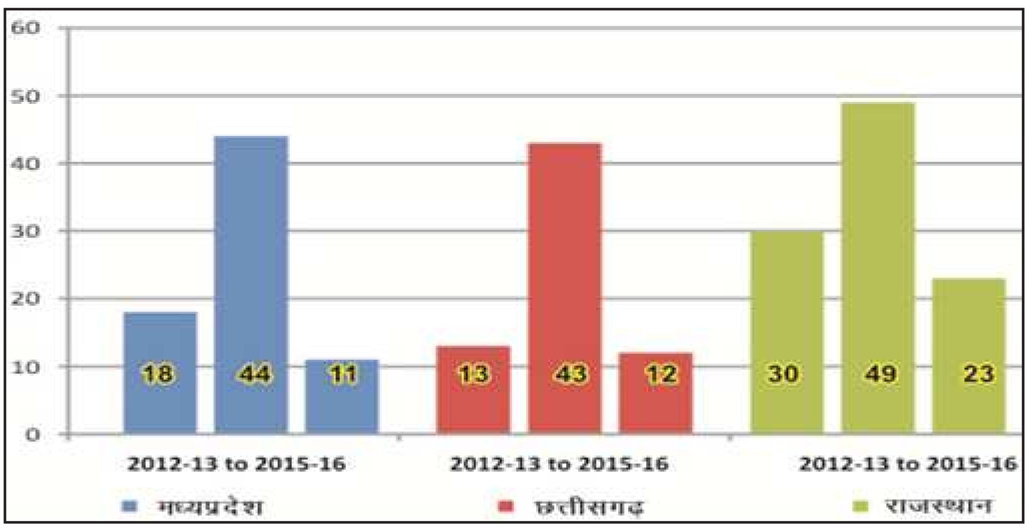

****

Environment Conservation - An Indian Approach

Amrita Khatri*

Abstract - This paper throws light on the concept of Indian Approach to Environmental Conservation and its Law. This paper commences with the beginning to the idea of environment as in what is environment and what all it contains. It converses about the Environmental legal sketch in India. It then talks about the Constitution of India and how there are certain provisions that are kept for the Protection of Environment. Besides, it confers about the legislations that hold up the entire scheme of the environmental protection.
Keywords - Indian approach, Conservation, environment, provisions.

Introduction - Protection and conservation of environment and sustainable use of natural resources is the mock in the constitutional framework and in the international agreement of India. In last few decades , the large scale environmental degradation has caused global concern about the conservation and protection of life on the earth. In the recent part environmental legislation has been conversed which is the objective set out in our constitution , it has become crucial to bring major change as far the enforcement machinery is concerned . The paper deals about legal issues and insinuation that are being prepared for India and the world. In contrast to the former concept of endorse new legislations and introducing new schemes, the recent environment project have a new dynamism that includes not only the enlargement of the issues covered such as climate change, reforestation, protection of wildlife, etc, but also incorporates new techniques to state with environmental challenges.

Scope And Objective Of The Study - The objective of the study is to examine the claim of the principles of the environmental law in India or with regard to the Indian judiciary to be actually explicit and accurate in its approach. It intends at bringing out certain significant basics as far as the law is concerned and as far as its practice in India is concerned. An important objective behind this study is to make it noticeable to stare at of the readers that it is not the government, not the judiciary that is responsible for the depleting environmental condition in the country, but it is the individual and the individual units taken collectively, that are more responsible for the overall harm , caused to the environment

One more point behind the study is to awake the readers of this article about the legal frame in India concerning the environmental laws that have led to the construction of so many important principles and how the relevance of these principles really make a big spot in the environmental state of the country.

Constitution Of India And The Protection Of Environment - The Constitution of India is not deficient in the protection of environment because it is the essential that every country desires and needs for a healthy and peaceful living in the society. The following provisions have been explained and how they have relevance in the context of this paper have also been discussed.

Fundamental Duties - The Constitution (Forty Second Amendment) Act, 1976, added a new part IV-A dealing with the Fundamental Duties in the Constitution of India.42 Article 51-A of this part enlists the ten Fundamental Duties. Article 51-A (g) specifically deals with the fundamental duty towards the environment. It states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have consideration for living creatures. In addition Article 51-A (j) also deals that It shall be the duty of every citizen of India to make an effort towards fineness in all spheres of individual and communal activity, so that the nation continuously ascends to higher levels of endeavor and attainments.

Principles Of Environmental Law - This chapter deals about two principles whose strength is undeniable in the eyes of law and the society. Its consequences cannot be compared and its liveliness cannot be answered because of their incredible nature and spirit.

The Precautionary Principle - The main purpose of the precautionary principle is to ensure that if a substance r an activity is posing a great threat to the environment, will be prevented from adversely effecting the environment, even if there is no conclusive proof that a particular substance is effecting the environment. The words “substance” and “activity” imply substances and activities introduced as a result of human intervention. In the context of the municipal law, the “Precautionary Principle” means:

(i) Environmental measures by the State government and the local authorities must anticipate, prevent and attack

*MJB Govt. P. G .Girls College, Moti Tabela, Indore (M.P.) INDIA

the causes of environmental degradation.

(ii) Where there are threats of serious and irreversible damage, lack of scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to prevent the environmental degradation.

(iii) The “onus of proof” is on the actor or the developer/ industrialist to show that his action is environmentally benign.71

The Polluter Pays Principle inferred by the Supreme Court of India is that the absolute responsibility for damage to the environment expand not only to pay costs the fatalities of pollution but also the cost to reinstate the environmental degradation. It obviously means that the accountability of the one that causes damage to the other and the environment is not only to reimburse for the harm caused to the person but also to the environment. Reinstate the environment, the one that is the reason due to the deed of the individual, is the absolute liability of the individual. Remediation of the spoiled environment is part of the course of sustainable development and as such the polluter is accountable to pay the cost to the individual victims as well as the cost of overturning the damaged ecology. Under this principle it is not the task of the government to meet the costs concerned, but it is the duty of the person causing destruction, to pay all the costs. This principle covers four diverse facets or outlook:

(a) First, criminal liability may be forced upon the polluters.

(b) The polluter may be held liable to make good, the harm imposed by him.

(c) Eco-tax or carbon tax may be obligatory upon him.

(d) The law of the land may force the polluter to contribute in the conservation of the environment.

Conclusion - The conservation of environment is a universal matter and is not an segregated problem of any area or nation . In order to achieve sustainable development, conservation represents an essential part of development process and it cannot be measured in segregation. Environmental pollution is the dilemma of both developed and underdeveloped nations. In the current part, one is hearing about environmental legislation , which is similar with the goal set out in the constitution . It has become very important to bring chief alteration as far the enforcement machinery is concerned . There is no distrust that the technological inventions and advancement has overwhelmed nature ,it has also resulted in the insensitive utilization of nature. Further, as noted in the cases cited above, it can be said that the judiciary has not always taken the subject of protection of environment very critically. The laws are adequately sufficient to protect the environment, but their enforcement is bringing India lagging behind .

References :-

1. Chandra Mahesh (2015) Environmental Concerns in India: Problems and Solutions Jour of International Business and Law 15 (1) :1-9
2. Imam Ambshar U.K. & Banerjee Uttam Kumar (2016) Urbanisation and greening of Indian cities: Problems, practices, and policies, Ambio : 45(4): 442–457.
3. Mayank Vats and Leepakshi Rajpal (2017) Indian Approach to Environmental Conservation, International Jour of Humani and Social Sci Invention 6 (4): 64-80
4. Mejia, Robin, (2009), “The challenge of environmental regulation in India,” Environ Sci & Techno, 43(23): 8714-8715.
5. Pandve, H.T., (2008), “Environmental sanitation: An ignored issue in India,” Indian Jour of Occup & Environ Med, 12 (1): 1-40
6. Tiwari R.R.(2019) Gandhi as an environmentalist , Indian Jour Med Res 149(Suppl 1): 141–143.

****

संगठनात्मक व्यवहार

डॉ. पी. डी. ज्ञानानी*

प्रस्तावना – संगठन मानवीय प्रयासों एवं सामूहिक क्रियाओं के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की 'सामाजिक प्रणालियाँ' हैं। संगठन कार्य ढाँचे, कार्य सम्बन्धों, प्रौद्योगिकी तथा मानवीय व्यवहार का मिश्रण है। 'मानवीय व्यवहार' संगठन का सबसे अधिक महत्तवपूर्ण घटक है। **मैक कॉरमैक** का कथन है कि 'व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाये यह जान लेना व्यावसायिक सफलता का मुख्य तत्व है।'

किसी भी संगठन में मानवीय व्यवहार को समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी मूलत: मानव होते हैं जिनसे कार्य लेने के लिए उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोण, मन: स्थिति तथा उन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना जरूरी होता है। संगठन में कर्मचारी का व्यवहार 'अणु' की भांति होती है जो अनेक रहस्यों एवं अज्ञात शक्तियों से परिपूर्ण होता है। इसे ठीक से समझे बिना कोई भी प्रबन्धक संगठनात्मक प्रभावशीलता की ओर नहीं बढ़ सकता है। **लॉरी कॅमिंग्स** लिखते हैं कि **'जहाँ कहीं भी संगठन है, संगठनात्मक व्यवहार को समझने की आवश्यकता होती है।'**

संगठनात्मक व्यवहार : अवधारणा एवं परिभाषा – संगठन व्यवहार संगठनों के अन्तर्गत 'मानवीय व्यवहार' का अध्ययन है। संगठन व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा पारस्परिक कार्य व्यवहार का ही दूसरा नाम है। वस्तुत: संगठन में तीन प्रकार के मानवीय व्यवहार देखे जा सकते हैं :–

(i) अन्त: वैयक्तिक व्यवहार –इसमें कर्मचारियों का स्वयं का व्यवहार सम्मिलित है जो उनके व्यक्तित्व, प्रवृत्तियों, अवबोध, मत–सम्मत, अभिप्रेरणा, भावना, अपेक्षा तथा आन्तरिक भावनाओं के फलस्वरूप प्रकट होता है। व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार संगठन के समूह व्यवहार एवं वातावरण से प्रभावित होता रहता है।

(ii) अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार – दो व्यक्तियों या समूह के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न व्यवहार को अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार कहा जाता है। इसमें दो समूहों के बीच विद्यमान व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। यह व्यवहार समूह गतिशीलता, अन्तर्समूह संघर्ष, नेतृत्व, सम्प्रेषण, व्यवहारात्मक विश्लेषण आदि के रुप में प्रकट होता है।

(iii) संगठन व्यवहार – इसमें संगठन की औपचारिक संरचनाओं तथा अनौपचारिक समूहों के व्यवहार को शामिल किया जाता है।

संगठनात्मक व्यवहार में उपर्युक्त तीनों प्रकार के व्यवहार एवं उसके प्रभावो तथा संगठन के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के प्रभावों का अवलोकन, अध्ययन एवं नियंत्रण शामिल किया जाता है।

परिभाषाएँ – विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई संगठनात्मक व्यवहार की कुछ परिभाषायें निम्न प्रकार हैं –

जॉन न्यूस्ट्रॉम एवं कीथ डेविस के अनुसार, 'संगठनात्मक व्यवहार संगठन में व्यक्ति, मानव एवं समूह के रुप में कैसे कार्य करते है, के संबंध के अध्ययन एवं ज्ञान की प्रयुक्ति है। यह ऐसे तरीको के निर्धारण का प्रयास करता है जिससे व्यक्ति अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें।'

फ्रेड लुथांस के शब्दो में, 'संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानवीय व्यवहार की समझ, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से संगठनात्मक व्यवहार के बारे में निम्न बातें स्पष्ट होती है –

a) संगठनात्मक व्यवहार 'मानव व्यवहार' का अध्ययन है।
b) यह संगठनों के भीतर व्यक्तियों, समूहों एवं स्वयं संगठन (इसके विभिन्न घटकों) के व्यवहार, अंतर्क्रियाओं तथा उनके पारिस्परिक प्रभावों का अध्ययन है।
c) इस अध्ययन का उद्देश्य संगठन की प्रभावषीलता एवं निष्पादन में वृद्धि करना है।

इस प्रकार **'संगठनात्मक व्यवहार किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों तथा संगठन के विभिन्न घटकों के व्यवहार तथा उनसे उत्पन्न प्रभावों तथा वातावरण के साथ उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है ताकि इस ज्ञान से संगठन को प्रभावी एवं उद्देश्यप्रेरक बनाया जा सकें।'** यह एक शैक्षिक अध्ययन है जो व्यक्तियों तथा संगठन संरचना का संगठन के भीतर होने वाले प्रभावो का अध्ययन करने तथा इससे प्राप्त जानकारी का संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करने हेतु उपयोग में लाने का संबंध रखता है।

संगठनात्मक व्यवहार के लक्षण एवं प्रकृति – संगठनात्मक व्यवहार एक नया विषय है। इसकी प्रकृति को निम्न लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है :

1. ज्ञान का नवीन क्षेत्र – संगठनात्मक व्यवहार को एक विधा नहीं, वरन् ज्ञान का एक नवीन क्षेत्र माना जाता है। अभी यह पूर्ण एवं मान्य विज्ञान नहीं है। इसके ज्ञान का अभी व्यवस्थीकरण नहीं हुआ है तथा इसके सिद्धान्त एवं अवधारणाएँ दूसरे विषयों से ग्रहण की जा रही हैं इसके सिद्धान्त अभी परिभाषित नहीं किये जा सके हैं तथा इसकी सीमाएं भी स्पष्ट नहीं हैं **प्रो. रॉबिन्स** के अनुसार, **'संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक क्षेत्र है। यह सर्वमान्य ज्ञानयुक्त निपुणता का विशिष्ट क्षेत्र है।'**

2. अध्ययन की विषय–वस्तु – संगठनात्मक व्यवहार में कुछ विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इनमें सम्मिलित पहलू ये हैं–(a) व्यक्ति, (b) व्यक्तियों का समूह, (c) संगठन संरचना, (d) तकनीक, (e) वातावरण आदि।

*प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

3. अन्तर्विषयक दृष्टिकोण – संगठनात्मक व्यवहार के अन्तर्गत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि अनेक विषयों के ज्ञान का प्रयोग होता है। संगठनात्मक व्यवहार इन विषयों के तर्कसंगत विचारों, अवधारणाओं एवं तकनीकों का एकत्रीकरण करके मानवीय व्यवहार को समझने पर बल देता है।

4. व्यावहारिक विज्ञान – संगठनात्मक व्यवहार एक प्रयुक्त एवं प्रायोगिक विज्ञान है। इसके क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान, अध्ययनों तथा अवधारणात्मक विकासों से इसका वैज्ञानिक आधार मजबूत होता जा रहा है। कर्मचारी व्यक्तिव अभिवृत्तियों, मूल्य, प्रेरणा, सन्तुष्टि, अवबोध तथा मानवीय व्यवहार के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में निरन्तर शोध किये जा रहे हैं। **न्यूस्ट्रोम एवं कीथ डेविस** के अनुसार, '**यह एक व्यावहारिक विज्ञान भी है, क्योंकि एक संगठन के प्रभावी व्यवहारों का प्रयोग अन्य संगठनों में भी होता रहता है।**'

5. प्रबन्ध का व्यवहारात्मक दृष्टिकोण – यह दृष्टिकोण संगठनात्मक व्यवहार के '**मानवीय पक्ष**' से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है, लेकिन यह सम्पूर्ण प्रबन्ध नहीं दूसरे शब्दों में, संगठनात्मक व्यवहार का विकास प्रबन्ध को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं हुआ है बल्कि तकनीकी पहलुओं के विरुद्ध, संगठनात्मक व्यवहार प्रबन्ध के मानवीय, भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों से सम्बन्धित है। **लॉरी कॅमिग्स** के शब्दों में, '**संगठनात्मक व्यवहार विशिष्ट रूप से मानव शैली रखता है जो स्व–विकास व्यक्तिगत प्रगति तथा आत्म–संतृप्ति के सम्बन्ध में प्रकट होती है।**'

6. वातावरण से सम्बद्ध – संगठनात्मक व्यवहार संगठन के आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण का अध्ययन करते हुए मानवीय व्यवहार को समझने पर बल देता है। व्यक्ति के निजी एवं समूह व्यवहार पर संगठन के परिवेश, नीतियों पारस्परिक विचारों के साथ–साथ बाह्य दशाओं एवं मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, संगठन का वातावरण ही संगठन के कर्मचारियों व समूहों के व्यवहार को निर्धारित करता है। यह विषय '**वातावरण निश्चयवाद**' को महत्व देता है।

7. सेवायोजन सम्बन्धी व्यवहार का अध्ययन – संगठनात्मक व्यवहार के अन्तर्गत सेवायोजन के विविध पहलुओं एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के कार्यो, उपस्थिति, आवर्तन उत्पादकता, निष्पादन क्षमता, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संचार प्रणाली, पारस्परिक संघर्ष, कार्य तनाव, समूहों में आपसी सम्बन्ध आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

8. व्यवहारवादी विज्ञान पर आधारित – संगठनात्मक व्यवहार की आधारशिला व्यवहारवादी विज्ञानों पर रखी है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि विषय संगठनात्मक व्यवहार के मूल स्तम्भ हैं।

9. सामाजिक विज्ञान गौण – संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में यद्यपि सामाजिक विज्ञानों का भी महत्व है किन्तु फिर भी उनका स्थान गौण है। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास आदि विषयों की भूमिका केवल सहायक विषयों के रूप में रही है।

10. वैज्ञानिक विधि एवं तर्क का प्रयोग – संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में किये जाने वाले अध्ययनों, शोधों व प्रयोगों में वैज्ञानिक विधि एवं तर्क सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है। यह कारण व परिणाम, संशयवाद तथा तथ्यों पर आधारित ज्ञान का प्रयोग करता है।

11. परिस्थितिजन्य झुकाव – संगठनात्मक व्यवहार की प्रकृति सांयोगिक एवं पारिस्थितिकी होती है अर्थात् इस क्षेत्र में प्रत्येक कार्यवाही परिस्थिति एवं विशिष्ट मामले की दशा के अनुसार की जाती है। मानवीय व्यवहार बदलता रहता है, व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोण, आदतों, स्वभाव एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन होते रहते हैं, अत: व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की विधि एवं ढंग भी बदलता रहता है। **प्रबन्धक प्रत्येक परिस्थिति की आवश्यकता एवं विशिष्टता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेते हैं।**

12. निष्पादन विश्लेषण के स्तर – संगठनात्मक व्यवहार में तीन स्तर पर व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। ये हैं– **वैयक्तिक व्यवहार, समूह व्यवहार तथा औपचारिक संगठन के व्यवहार स्तर।** ये एक दूसरे से पृथक एवं असम्बन्धित नहीं हैं तथा समान रूप से महत्तवपूर्ण हैं अतरू व्यक्ति, समूह तथा संगठन इन तीनों स्तर पर मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके ही संगठनात्मक व्यवहार को समझा जा सकता है।

13. प्रणाली दृष्टिकोण – संगठनात्मक व्यवहार **प्रणाली दृष्टिकोण** को अपनाता है, क्योंकि यह संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले प्रत्येक घटक पर विचार करता है। यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटकों के संदर्भ में व्यवहार का विश्लेषण करता है। यह समस्या घटकों का एकीकरण भी करता है।

14. मानव संसाधन दृष्टिकोण – संगठनात्मक व्यवहार मानव संसाधन दृष्टिकोण को अपनाता है अर्थात् यह कर्मचारियों के विकास एवं निष्पादन तथा उनकी तरक्की में विश्वास करता है। कीथ डेविस के अनुसार यह '**मानवीय लाभ के लिए मानवीय उपकरण है।**'

15. आदर्शवादी विज्ञान – संगठनात्मक व्यवहार आदर्शवादी विज्ञान है । यह संगठन के लिए '**आदर्श व्यवहार**' की खोज का लक्ष्य रखता है। यह **मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों पर केन्द्रित व्यवहार** को आदर्श के रूप में स्वीकार करता है। यह अनुभूतिमूलक एवं सृजनात्मक विज्ञान भी है।

16. आशावादी चिंतन – संगठनात्मक व्यवहार की प्रकृति **आशावाद** में निहित है। व्यक्ति के सम्बन्ध में इसकी मूलभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में असीम क्षमताएँ हैं तथा वह साहसी, उत्पादक एवं सृजनशील है। व्यक्ति प्रकृति से सहयोगी होता है और यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का संगठन के हित में प्रयोग कर सकता है। संगठनात्मक व्यवहार इसी **आशावादी चिन्तन** पर केन्द्रित है।

17. उद्देश्य – संगठनात्मक व्यवहार का मूल उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना है यद्यपि यह व्यक्तियों एवं समूहों के हितों पर भी ध्यान देता है, किन्तु यह व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठनात्मक उद्देश्यों की बली नहीं चढ़ाता है। यह समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते हुए **व्यक्ति** एवं **संगठन** के हितों को एकीकृत करने का प्रयास करता है।

18. ज्ञान का उपयोग – संगठनात्मक व्यवहार संगठन में किये गये अध्ययनों व परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान का संगठन के हित में उपयोग करता है। इस प्रकार यह ज्ञान को जानकारी एवं उपयोगी बनाता है। यह विभिन्न जानकारी, तथ्यों व सूचनाओं को उपयोग हेतु प्रबन्धकों को उपलब्ध कराता है।

19. व्यवहार अध्ययन – संगठनात्मक व्यवहार व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहार को समझने के लिए उनके व्यवहार का **विवेकपूर्ण विश्लेषण पूर्वानुमान एवं नियन्त्रण** करता है। यह व्यवहार के सम्बन्ध में **गहन अध्ययन** करके उसके कारणों, परिणामों एवं भावी प्रभावों को समझने पर बल देता है।

20, कला एवं विज्ञान – संगठनात्मक व्यवहार व्यक्तियों के व्यवहार के कारणों एवं परिणामों के बीच निश्चित सम्बन्ध खोजने का प्रयास करता है।

इसके लिए यह सिद्धांतों, तकनीकों एवं तर्कों का प्रयोग करता है। इस प्रकार व्यवहार के सम्बन्ध में यह वैज्ञानिक दृष्टि अपनाता है। दूसरी ओर, संगठनात्मक व्यवहार एक कला भी है क्योंकि यह अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों एवं ज्ञान का लोगों के व्यवहार को समझने, पूर्वानुमान का तथा उसका नियन्त्रण करने में उपयोग करता है।

21. **व्यापक क्षेत्र –** संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र व्यापक है। यह समस्त प्रकार के संगठनों जैसे व्यवसाय, सरकार, शिक्षा संस्थायें तथा सेवा संगठन आदि में व्यक्तियों के व्यवहार पर लागू होता है।

संगठनात्मक व्यवहार के प्रमुख तत्व – संगठनात्मक व्यवहार का ढाँचा पाँच तत्वों से मिलकर बनता है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए संगठन में साथ मिलकर कार्य करते हैं तो किसी एक संरचना की जरूरत होती है। व्यक्तियों को कार्य निष्पादन के लिए **प्रौद्योगिकी** की भी जरूरत होती है। व्यक्ति समूह सम्बन्धों से बंधे होते हैं तथा वातावरण से भी प्रभावित होते हैं एवं वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार है :-

1. **व्यक्ति –** व्यक्ति ही संगठन की आन्तरिक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठनों का निर्माण होता है व्यक्ति कौशल, अवबोध, प्रेरणा सीखने की योग्यता आदि को दृष्टि से भेद रखते हैं। यही कारण है कि उनका व्यवहार एवं निष्पादन गहन रूप से प्रभावित होता है। व्यक्ति जीवित, विचारशील एवं भावपूर्ण प्राणी हैं जो संगठन की रचना करते हैं।

2. **समूह –** संगठनात्मक व्यवहार का दूसरा तत्त्व समूह तथा समूह प्रक्रियाएं हैं। समूहों का निर्माण व्यक्तियों से होता है तथा समूह छोटे तथा बड़े हो सकते हैं। समूह गतिशील हैं। ये बनते, परिवर्तित होते तथा मिटते रहते हैं। समूह प्रक्रियायें सम्प्रेषण, निर्णयन, शक्ति एवं नेतृत्व के माध्यम से संचालित की जाती हैं समूह अनौपचारिक भी होते हैं तथा ये संगठनात्मक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

3. **प्रकार्य एवं प्रौद्योगिकी –** व्यक्ति, कार्य एवं प्रौद्योगिकी, तीनों गहन रूप से जुड़े हैं। प्रबंधक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि व्यक्तियों की कार्य स्थल की प्रौद्योगिकी एवं स्वयं के कार्य के प्रति प्रतिक्रिया क्या है। कार्य सम्बन्धों पर भौतिक व आर्थिक संसाधनों, कार्य की तकनीक, उपकरण, कार्य-पद्धति आदि का गहन प्रभाव पड़ता है। सही टेक्नोलॉजी व्यक्ति के कार्य में सहायक होती है, किन्तु जटिल टेक्नोलॉजी कार्य निष्पादन को भौतिक एवं मानसिक लागत में वृद्धि करती है।

4. **संगठन डिजाइन –** संगठन डिजाइन कार्य सम्बन्धों को परिभाषित करती है। यह व्यक्तियों के मध्य दायित्वों व अधिकारों के वितरण तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण करती है। संगठन संरचना जितनी अधिक प्रभावी होगी, कर्मचारियों के व्यवहार एवं निष्पादन को उतने ही अच्छे ढंग से समन्वित एवं नियन्त्रित किया जा सकता है।

5. **वातावरण –** संगठन समाज के विभिन्न प्रकार के वातावरण में कार्य करते है। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के साथ संगठन निरंतर अन्तर्व्यवहार करता है। वातावरण व्यक्तियों की अभिवृत्तियो तथा कार्यशैलियों को निरंतर प्रभावित करता है। प्रत्येक संगठन एक बृहत प्रणाली, जो सरकार, परिवार, सामाजिक संस्थाएँ, राजनीतिक दल आदि से मिलकर बनती है, का एक हिस्सा होता है। संगठनों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते समय समस्त वातावरणीय घटकों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

संगठनात्मक व्यवहार के मूलभूत विचार/मान्यताएँ/सिद्धान्त – संगठनात्मक व्यवहार विषय कुछ मूलभूत विचारों व अवधारणाओं पर आधारित है जो कि व्यक्ति तथा संगठनों की प्रकृति से सम्बन्धित है। ये विचार संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, यद्यपि प्रबन्ध के अन्य क्षेत्रों में भी इनका उपयोग होता है। ये निम्नलिखित हैं

1. **वैयक्तिक अन्तर –** व्यक्ति की दृष्टि से समान हैं जैसे उनके द्वारा सुख-दुख का आभास करना। लेकिन फिर भी व्यक्ति निजी तौर पर एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। कुशाग्रता, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, विचार-चिंतन, साहस, धैर्य, बुद्धि स्तर आदि कई गुणों को लेकर व्यक्ति भिन्नता रखते हैं। उनकी अभिप्रेरणा एवं सन्तुष्टि का स्तर भी भिन्न होता है। उनके कार्य करने एवं परिणाम प्राप्त करने का ढंग भी अलग-अलग हो सकता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि **'प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत है।'** उसकी कार्य क्षमताएँ, सीखने व ग्रहण करने की क्षमता आदि भी भिन्न-भिन्न हैं। अत: प्रबन्धक को प्रत्येक व्यक्ति एवं स्थिति के संदर्भ में ही निर्णय लेने होते हैं। उसे कोई भी कार्यवाही करते समय कर्मचारी के व्यक्तित्व एवं गुण विशेष के छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए।

2. **अवबोध –** व्यक्ति चीजों एवं घटनाओं को अलग-अलग ढंग से देखते है। व्यक्तियों का नजरिया, दृष्टिकोण एवं सोचने-समझने का तरीका भिन्न-भिन्न होता है व्यक्ति की दृष्टि एवं सोच उसके व्यंतिव, आवश्यकताओं, विगत अनुभव, सामाजिक वातावरण, समय अवधि आदि पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के विश्वासों, मूल्यों एवं अपेक्षाओं का अपना संसार होता है जिसके माध्यम से वे निर्णय लेते हैं। 'चयनित अवबोध' के अनुसार व्यक्ति केवल उसके विश्वासों से संगत बातों पर ही अधिक ध्यान देता है। **न्यूस्ट्रॉम एवं कीथ डेविस अनुसार 'प्रबन्धकों को अपने कर्मचारियों के अवबोध सम्बन्धी अन्तरों को स्वीकार करने तथा व्यक्तियों को भावपूर्ण प्राणियों के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए तथा उनके साथ वैयक्तिक ढंग से व्यवहार करना चाहिए।'**

3. **एक सम्पूर्ण व्यक्ति –** व्यक्ति कार्यस्थल पर **'सम्पूर्ण मानव'** के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्ति को कार्य पर सम्पूर्ण रूप से नियोजित किया जाता है, केवल उसके **'कार्य कौशल'** का ही उपयोग नहीं किया जाता। व्यक्ति अपनी कार्य योग्यताओं के साथ-साथ अपनी भावनाओं, आवश्यकताओं, अपने उत्साह, दृष्टिकोण तथा अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को कार्य स्थल पर साथ लेकर आता है। उसके घर के जीवन को उसके कार्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। कर्मचारी अपने समस्त गुणों, अवगुणों, उत्साह-निराशाओं, सन्तुष्टि व तनावों एवं घर व बाहर के दबावों को कार्यस्थल पर साथ लाता है, क्योंकि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अत: प्रबन्धक को अपने कर्मचारियों को सम्पूर्ण मानव के रूप में स्वीकार करना चाहिए. अर्थात् उसे कर्मचारियों के गुणों व कार्यक्षमता के साथ-साथ उनकी असन्तुष्टि, निराशा, मानसिक वेदना, उपेक्षा-अरुचि, असमर्थता आदि पर भी विचार करना चाहिए।

4. **निमित्त व्यवहार –** प्रत्येक व्यवहार का कोई कारण होता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई उद्देश्य, हेतु अथवा प्रयोजन होता है। जब कोई श्रमिक अपने सुपरवाइजर से विवाद करता है, या कार्य पर देरी से आता है अथवा कार्य में निरन्तर त्रुटियां करता है तो यह अकारण नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि **'कोई भी व्यवहार आकस्मिक नहीं होता है।'** अत: प्रबन्धक को कर्मचारियों के व्यवहार के पीछे निहित कारण को जानते हुए ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए।

5. **भागीदारी की इच्छा –** प्रत्येक व्यक्ति में सम्मान की ललक होती है। वह अपनी क्षमता सिद्ध करके महत्तवपूर्ण अनुभव करना चाहता है। संगठन

में प्रत्येक कर्मचारी यह विश्वास रखता है कि उसमें कार्य करने की क्षमता है, वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर सकता है तथा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। आज अनेक कर्मचारी नीति व निर्णयों के निर्धारण में भाग लेना चाहते हैं। अत: प्रबन्धक को संगठन में व्यवहार करते समय कर्मचारियों को कार्य क्षमता, गुण एवं भागीदारी की आकांक्षा को ध्यान में रखना चाहिए।

6. व्यक्ति के प्रति नीतिगत व्यवहार – संगठनात्मक व्यवहार व्यक्ति की गरिमा एवं उसकी नैतिक छवि में विश्वास करता है। व्यक्ति को मात्र उत्पादन का साधन नहीं माना जाना चाहिए मनुष्य आर्थिक उपकरण नहीं है, वरन् आत्मिक इकाई है। अत: उनके साथ वस्तुगत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। नैतिक निष्पादन का उच्च स्तर बनाये रखा जाना चाहिए। उन्हें विकास के अवसर दिये जाने चाहिए। उच्च नैतिक व्यवहार के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए संगठनात्मक व्यवहार के सम्बन्ध में प्रबन्धक का प्रत्येक निर्णय नीतिगत मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।

7. संगठन सामाजिक प्रणालियाँ है – संगठनात्मक व्यवहार यह मानता है कि संगठन सामाजिक प्रणाली है क्योंकि यह मानवीय सम्बन्धों से निर्मित होता है तथा सामाजिक नियमों से नियन्त्रित होता है संगठन में व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ-साथ सामाजिक भूमिकायें तथा स्तर भी होता है। उनका व्यवहार उनकी वैयक्तिक एवं समूह आवश्यकताओं दोनों से प्रभावित होता है वास्तव में, संगठनों में दो प्रकार की प्रणालियाँ-औपचारिक एवं अनौपचारिक विद्यमान होती हैं। सामाजिक प्रणाली से तात्पर्य यह भी है कि संगठनात्मक वातावरण गतिशील परिवर्तनों से मिलकर बनता है। संगठन कागजों पर निर्मित सम्बन्धों का ढांचा नहीं है। संगठन के सभी हिस्से अन्तर्निर्भर तथा प्रभावों के अधीन होते हैं प्रत्येक अंग दूसरे से जुड़ा होता है। संगठनात्मक व्यवहार इसी विचार पर आधारित है।

8. हितों की पारस्परिकता – हितों की पारस्परिकता इस बात में निहित है कि संगठनों को व्यक्तियों की जरूरत होती है तथा व्यक्तियों को संगठनों को आवश्यकता होती है। संगठनों का एक मानवीय उद्देश्य होता है तथा वे अपने सदस्यों के हितों को पारस्परिकता के आधार पर बनाये तथा चलाये जाते हैं। जिन संगठनों में हितों की पारस्परिकता नहीं होती है वे केवल भीड़ मात्र होते हैं। पारस्परिक हित **'अधिगौण लक्ष्य'** की ओर कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं अधिगौण लक्ष्य वह होता है जिसे व्यक्तियों तथा नियोक्ता के एकीकृत प्रयासों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है जब सहयोग एवं दलीय भावना होती है तो व्यक्तियों को कार्य में अधिक सन्तुष्टि प्राप्त होती है। वे अपने को सीखने, विकसित होने तथा योगदान करने की स्थिति में अनुभव करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया - रिर्पोट्स
2. नाबार्ड की प्रकाशित रिपोर्ट
3. वित्त मंत्रालय दिल्ली की रिपोर्ट
4. अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एवं रिव्यूह
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया - सर्वे रिर्पोट
6. व्यावसायिक अर्थशास्त्र - पी.सी. अग्रवाल, एम.डी. अग्रवाल, रमेश बुक डिपो, जयपुर
7. भारत का आर्थिक विकास - डॉ मामोरिया, डॉ. जैन, साहित्य भवन, आगरा

****

खरगोन जिले की कार्यशील एवं गैरकार्यशील जनसंख्या का संरचनात्मक अध्ययन

डॉ. प्रमिला बघेल*

प्रस्तावना – किसी भी देश की सबसे बड़ी सम्पदा मानव होता है। मानव द्धारा आर्थिक विकास सम्भव होता है। किसी देश के आर्थिक स्तर का अनुपात वहाँ के रहने वाले लोगों की श्रम शक्ति से ही लगाया जा सकता है। मानव उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही है। अत: उसकी आर्थिक शक्ति का तात्पर्य उसकी आर्थिक स्थिति, उत्पादन क्षमता तथा विज्ञान एवं तकनीकी स्तर से हैं। मानवीय संसाधन का विकास विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा द्धारा किया जाता है। जिससे मानवीय शक्ति अधिक शिक्षित, योग्य निपुण तथा आधुनिकतम प्राकृतिक संसाधनों के समुचित विकास के उपायों से परिचित हो जाये। इससे देश का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्तर ऊँचा उठता है!

अध्ययन क्षेत्र – खरगोन जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण –पश्चिम में स्थित है तथा इसका आक्षांशीय विस्तार 21°22' से 22°33' तथा देशान्तरीय विस्तार 75°19' से 76°14' पूर्वी देशान्तर तक है। कर्क रेखा खरगोन जिले के उत्तर से लगभग 101.43 कि.मी. दूर से गुजरती है। यह जिला नर्मदा घाटी के मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में विन्ध्याचल एवं दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां है। जिले की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई (विस्तार) लगभग 186 कि.मी. एवं उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 263 कि.मी. है। जिले का आकार चतुर्भुजनुमा है। जिलें की समुद्रतल से ऊँचाई 300 मीटर है तथा क्षेत्रफल 6541.870 वर्ग कि.मी. है जो मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.14 प्रतिशत भाग है।

आंकड़ों का स्त्रोत – कार्यशील एवं गैरकार्यशील जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए द्धितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। सांख्किीय कार्यालय से द्धितीयक आंकड़े प्राप्त किये गये है।

कार्यशील एवं गैरकार्यशील जनसंख्या का संरचनात्मक अध्ययन – जनशक्ति सभी प्रकार का वह मानवीय श्रम जनशक्ति कहलाता है, जिसका कोई आर्थिक एवं लाभदायक उपयोग हो। इस दृष्टि से जनसंख्या को दो वर्गो में रखा जा सकता है :–

1. कार्यशील जनसंख्या
2. गैरकार्यशील जनसंख्या

कार्यशील जनसंख्या – शारीरिक अथवा मानसिक तौरपर किसी भी आर्थिक दृष्टि से उत्पादक कार्य में लगे लोगों को श्रमिक कहा जाता है। ये लोग किसी आर्थिक या लाभदायक काम करके अपनी जीविका अर्जित करते हैं और देश के आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं। इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष तक की आयु के सभी कार्यरत लोग सम्मिलित हैं। खरगोन जिले में इस आयु वर्ग में 46.5 प्रतिशत लोग अर्जक जनसंख्या के अन्तर्गत आते हैं।

गैर कार्यशील जनसंख्या – गैर कार्यशील जनसंख्या वे व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से किसी उत्पादक कार्य में नहीं लगें हैं। इसी श्रेणी में ग्रहणियाँ, छात्र एवं पेंशन पाने वाले लोग, आश्रम में रहने वाले लोग, भिखारी एवं 0–14 वर्ष की आयु संवर्ग के बालक थे 60 वर्ष से अधिक आयु संवर्ग के लोग सम्मिलित हैं। इन्हें आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है। खरगोन जिले में गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत

तालिका क्रमांक 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

सारणी 1 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि जिलें में कुल 47.73 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है जबकि 52.26 प्रतिशत जनसंख्या जिले की गैर कार्यशील जनसंख्या है। अर्थात् आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है जो मंद विकास का परिचायक है।

जिले में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत सेगांव तहसील का 50.23 प्रतिशत है, जबकि जिले में सबसे कम कार्यशील जनसंख्या खरगोन तहसील की 41.05 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण यह है कि यह जिला मुख्यालय का केन्द्र है। अत: शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है जिससे शिक्षार्थियों की संख्या अधिक है जो गैर कार्यशील जनसंख्या को बढ़ाने में सहायक है।

यदि हम गैर कार्यशील जनसंख्या का विश्लेषण करें तो यह तथ्य निकलता है कि जिलें में सबसे अधिक अकार्यरत जनसंख्या खरगोन तहसील की 58.94 प्रतिशत है क्योंकि जिला मुख्यालय में शैक्षणिक सुविधाएँ पर्याप्त हैं, जिससे छात्र संख्या अधिक है, नगरों में लोग महिलाओं एवं वृद्धों को कार्य का अवसर नहीं देते हैं जिसके फलस्वरुप गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है जबकि सबसे कम गैर कार्यशील जनसंख्या 49.76 प्रतिशत सेगाँव तहसील की है क्योंकि यहाँ विस्तृत कृषि होती है तथा महिलाएँ ,बच्चे और वृद्ध लोग भी कार्य करते हैं इसलिए गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कम हैं।

निष्कर्ष – उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जिलें में कुल 47.73 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है, जबकि 52.26 प्रतिशत जनसंख्या गैर कार्यशील है। अर्थात् आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है जो मंद विकास का परिचायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बी.पी. पण्डा : 'जनसंख्या भूगोल–जनसंख्या का स्थानांतरण', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका (2010), जिला सांख्यिकीय कार्यालय

* सहा. प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.) भारत

खरगोन।
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2017, खरगोन।
4. चतुर्भुज मामोरिया : 'भारत का भूगोल', वसुंधरा प्रकाशन।
5. कुमार प्रमिला एवं शर्मा श्रीकमल (2015) :'मध्यप्रदेश-एक भौगोलिक अध्ययन', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
6. महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यालय खरगोन म.प्र.।

तालिका क्रमांक 1 : खरगोन जिला -कार्यशील एवं गैर कार्यशील जनसंख्या (2011)

तहसील	कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	गैर कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	कुल जनसंख्या
बड़वाह	173467	48.55	183777	57.44	357244
महेश्वर	116473	49.98	116559	50.01	233032
कसरावद	119548	49.25	123161	50.74	242709
सेगाँव	41938	50.23	41549	49.76	83487
भीकनगाँव	93757	48.88	98023	51.11	191780
खरगोन	101222	41.05	145308	58.94	246530
गोगांवा	59680	48.31	63832	51.68	123512
भगवानपुरा	91497	47.40	101499	52.59	192996
झिरन्या	96537	47.84	105219	52.15	201756
जिला खरगोन	894119	47.73	978927	52.26	1873046

स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका खरगोन

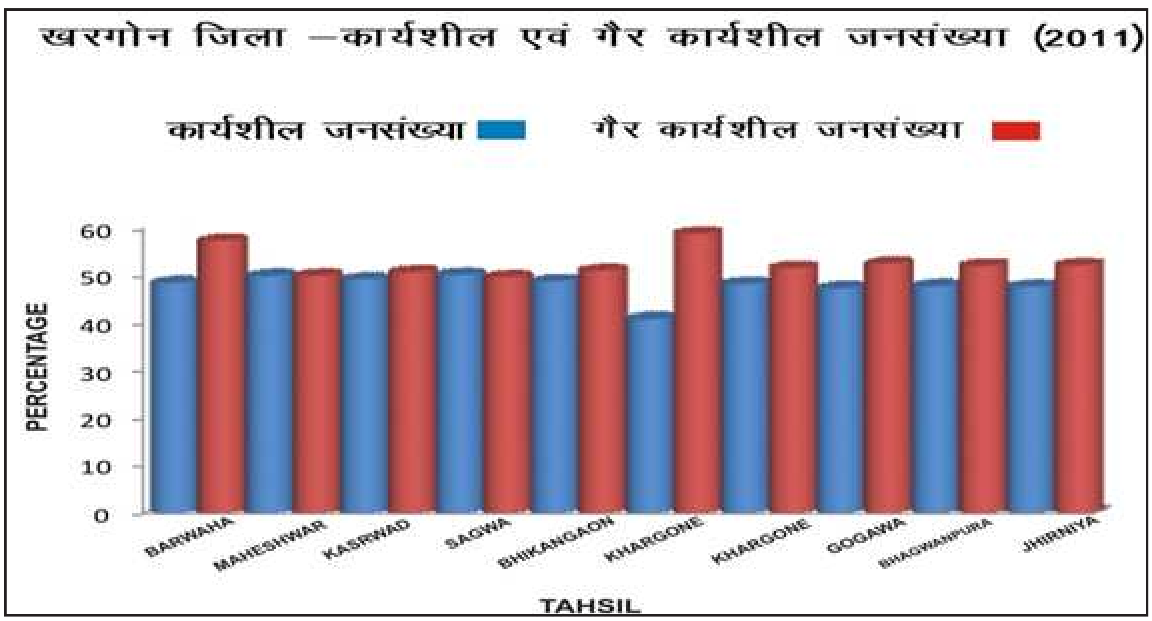

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

अन्तर्वैयक्तिक व्यवहारात्मक विश्लेषण

डॉ. पी. डी. ज्ञानानी*

प्रस्तावना - वाल्ट व्हिटमैन का कथन है कि **मैं स्वयं का खडन करता हूँ, मै वृहत हूँ मेरे भीतर एक भीड़ है। सेन्ट पॉल** भी कहते हैं कि 'मैं अपने स्वयं के व्यवहार को समझ नहीं पाता।' ये कथन दर्शाते हैं कि मानव का व्यवहार गतिशील है जो अन्य व्यक्तियों की अंत क्रिया के साथ बदलता रहता है। व्यक्ति स्वयं बहुसंख्यक है। वह अपने भीतर कई मानसिक अवस्थाओं, अहम् स्थितियों एवं चेहरों को छुपाये रखता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 'मनुष्य की प्रकृति यहूदी है।' दार्शनिक इसे 'द्वैतवादी प्रकृति' कहते हैं जो परस्पर विरोधी ध्रुवों से निर्मित होती है। व्यवहारात्मक विश्लेषण मानव के बहुवादी, गतिशील एवं परस्पर विरोधी व्यवहार एवं व्यक्तित्व का अध्ययन है।

व्यवहारात्मक विश्लेषण मानवीय व्यवहार से सम्बन्धित विचारधारा है जिसके विकास का श्रेय डॉ. ऐरिक बने को जाता है। 1961 में इनकी **"Transactional Analysis in Psychotherapy"** नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जो इस विषय पर प्रथम पुस्तक थी। डॉ.बर्ने एक प्रसिद्ध मनश्चिकित्सक हैं जिनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में 'What Do You Say After You Say Hello ?' (1932) तथा 'Games People Play' (1964) हैं डॉ. बने के अतिरिक्त भी डॉ. थॉमस ए. हैरिस I'm OK You're OK (1967), एम. जेम्स की The OK Boss (1975) तथा एम. जेम्स तथा डोरथी जावाई की Born to Win (1971) पुस्तकें व्यवहारात्मक विश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

उद्‌भव एवं विकास - व्यवहारात्मक विश्लेषण तकनीक के मूल प्रतिपादक ऐरिक बर्ने है। यह तकनीक फ्रॉयड के मनोविज्ञान का ही विकसित रूप है।

सिगमण्ड फ्रॉयड ने मानवीय व्यक्तित्व के तीन आधार बतलाये थे- जो व्यवहार का उद्दीपन, निरीक्षण तथा नियंत्रण करते हैं। फ्रायड की इड, इगो, सुपर इगो की विचारधाराएँ मन चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बर्ने व फ्रायड के कुछ विचारों को आधार बनाकर व्यवहारात्मक विश्लेषण को सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। यह विश्लेषण बतलाता है कि **'व्यक्ति जो व्यवहार करते हैं वे क्यों करते है ?'** प्रबन्ध जगत में इस तकनीक का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगठन विकास, संघर्षो के अभिप्रेरणा, कर्मचारी व्यक्तित्व विकास, तनाव समायोजन, व्यवहार रूपान्तरण, सीखना, सम्प्रेषण आदि क्षेत्रों में व्यवहारवादी वैज्ञानिक इस तकनीक को प्रयुक्त करने पर बल दे रहे हैं।

व्यवहारात्मक विश्लेषण क्या है ? - सामान्य अर्थ में, व्यवहारात्मक विश्लेषण मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करने तथा उसे समझने की एक तकनीक है। **इस तकनीक के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व तथा भावनाओं एवं उनके आधार को जाना और समझा जा सकता है। बर्ने** की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व तीन प्रकार की अहम् स्थितियों से निर्मित होता है तथा इन स्थितियों में उसका व्यवहार एवं आचरण भिन्न होता है। व्यवहारात्मक विश्लेषण के द्वारा यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति किसी विशेष अवसर में कौन सी अहम् स्थिति में है तथा इसके आधार पर उसके चिन्तन एवं आचरण का पूर्वानुमान किया जा सकता है।

थॉमस हैरिस के अनुसार,'व्यवहारात्मक विश्लेषण एक ऐसा बौद्धिक उपकरण है जिसके माध्यम से मानवीय व्यवहार एवं भावनाओं के आधार को समझा जा सकता है।'

बर्नेट के अनुसार,'व्यवहारात्मक विश्लेषण इस बात से सम्बन्धित है कि व्यवहार का विश्लेषण करने हेतु प्रथमत: यह समझना आवश्यक है कि व्यवहार का आधारभूत संघटक अहम् स्थिति है एक अहम् स्थिति को चिन्तन- भावना तथा सम्बद्ध व्यवहार के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।'

फ्रांसिस तथा मिलबोर्न का मत है कि 'व्यवहारात्मक विश्लेषण प्रबन्धकों को मानवीय व्यवहार तथा अनुभव भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है।'

इस प्रकार बर्ने के अनुसार, व्यवहारात्मक विश्लेषण मानवीय संचार एवं व्यवहार-विश्लेषण की तकनीक है जो अहम् स्थिति को मालूम करने से सम्बन्ध रखती है ताकि व्यक्तिगत सम्बन्धों तथा अन्तव्यवहारों में सुधार एवं संगठन विकास हेतु उसका उपयोग किया जा सके।

थॉमस हैरिस अपनी पुस्तक में व्यवहारात्मक विश्लेषण को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि 'यह किसी व्यवहार' जिसमें 'मैं तुम्हारे प्रति कुछ करता हूँ और बदले में तुम कुछ करते हो' का परीक्षण करने तथा यह निर्धारित करने की विधि है कि बहु प्रकृति वाले मनुष्य का कौन-सा हिस्सा सक्रिय हो गया है।'

व्यवहारात्मक विश्लेषण को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले व्यवहार शब्द को समझ लें। **बर्ने के अनुसार,**'व्यवहार सामाजिक संसर्ग की एक इकाई है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक सामाजिक मिलन में आमने-सामने होते हैं तो जल्दी या देर से एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कहता है अथवा अन्य की उपस्थिति को स्वीकार करने हेतु अन्य संकेत देता है।' इसे 'व्यवहारात्मक उद्दीपन' कहते हैं। जब अन्य व्यक्ति पहले व्यक्ति के प्रत्युत्तार स्वरूप कुछ कहता या संकेत देता है तब उसे **'व्यवहारात्मक अनुक्रिया'** कहा जाता है। यह उद्दीपन तथा अनुक्रिया व्यक्ति की अहम् स्थिति का परिणाम होती है। व्यवहारात्मक विश्लेषण के द्वारा व्यवहारात्मक उद्दीपन एवं अनुक्रिया में व्यक्ति के अहम् की स्थिति को

*प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

जानने का प्रयास किया जाता है'

व्यवहारात्मक विश्लेषण के लक्षण :

1. व्यवहारात्मक विश्लेषण मानवीय व्यवहार की एक विचारधारा है।
2. यह मानवीय सम्प्रेषण, व्यक्तित्व एवं आचरण के विश्लेषण की विधि है।
3. यह मानवीय व्यवहार एवं भावनाओं के आधार को समझने में सहायता प्रदान करता है। आधार से तात्पर्य उन उत्प्रेरक कारकों से हैं जो व्यवहार एवं भावनाओं को उत्प्रेरित करते हैं।
4. यह वह बौद्धिक उपकरण है जिसके द्धारा यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते है।
5. यह व्यक्ति के अंतर्वैयक्तिक सम्बन्धों को समझने की विधि है। यह व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार तथा उस व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की विधि है।
6. यह समूह चिकित्सा की विधि भी है।
7. यह मस्तिष्क की रूपरेखा को दर्शाता है।
8. यह व्यवहारों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी को समान अर्थ वाले शब्दों में समान व्यवस्थित करने की विधि है।

व्यवहारात्मक विश्लेषण के विभिन्न क्षेत्र, पक्ष या पहलू अथवा व्यवहारात्मक विश्लेषण तकनीक में प्रयुक्त अवधारणाएँ एवं गति-विज्ञान अथवा बुनियादी व्यवहारात्मक विश्लेषण मॉडल - व्यवहारात्मक विश्लेषण तकनीक के विभिन्न पहलू , क्षेत्र अथवा पक्ष हैं। दूसरे शब्दों में इसके अन्तर्गत निम्न छ: प्रकार की अवधारणा सम्मिलित हैं

1. अहम् स्थितियाँ,
2. व्यवहार,
3. जीवन स्थितियाँ,
4. प्रहार या संबलन,
5. खेल एवं
6. रचना विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी धारणाओं से सम्बन्धित विश्लेषण किये जाते हैं। इनका विस्तृत वर्णन अग्र प्रकार है -

1. अहम् स्थितियाँ-संरचनात्मक विश्लेषण - संरचनात्मक विश्लेषण 'व्यक्तित्व की संरचना' से सम्बन्धित है। डॉ. वाइन्डर पैनफील्ड (1951) ने मानव मस्तिष्क तथा स्मरण शक्ति के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान किये हैं। उनका महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा है कि मानव स्मृति में न केवल घटनाओं का विस्तार से अंकन होता है, अपितु घटनाओं के साथ सम्बद्ध भावनाओं का भी अंकत होता रहता है। ये घटनाएँ एवं भावनाएँ, मानव मस्तिष्क में इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं कि यदि भविष्य में किसी एक का आव्हान किया जाए तो दूसरी स्वत: ही उसके साथ जुड़ती चली जाती है। डॉ. पैनफील्ड ने कृत्रिम उद्दीपन के माध्यम से घटनाओं के पुनर्जीवन एवं उनकी स्मृति के तथ्य को भी उजागर किया है इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि मानव का वर्तमान व्यवहार उसके विगत अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है तथा उसके तत्कालीन व्यवहार से प्रभावित होता है।

डॉ. बर्ने की व्यक्तित्व विचारधारा इसी निष्कर्ष पर आधारित है उनके अनुसार, **मानव की बहु-प्रकृति उसके बचपन के अनुभवों जो उसके वर्तमान जीवन में पुनर्जीवित होते रहते हैं और जिनका आव्हान होता रहता है, के कारण बनती है। डॉ. बर्ने** ने मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले इन विगत अनुभवों को कुछ उपखण्डों में विभाजित कर दिया है, जिन्हें अहम् स्थिति के नाम से जाना जाता है।

2. व्यवहार एवं उनका विश्लेषण सामाजिक संसर्ग की एक इकाई अथवा किसी **सामाजिक समूह में क्रिया की एक इकाई** को 'व्यवहार' कहा जाता है उद्दीपन एवं अनुक्रिया व्यवहार के दो अंग हैं जिनमें व्यवहार का क्रम चलता रहता है। व्यवहार विश्लेषण का उद्देश्य यह जानना है कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया व्यक्तित्व की किन अहम् स्थितियों से उत्पन्न होती है। 'व्यवहारों' के विश्लेषण से यह मालूम हो जाता है कि व्यक्ति विशिष्ट रूपों में व्यवहार क्यों करते हैं तथा अक्सर उनके जीवन में एक विशिष्ट व्यवहार-शैलियों की पुनरावृत्ति क्यों होती है ? इस जानकारी से यह निर्धारित किया जा सकता है कि व्यक्तित्व की कौन सी अहम् स्थिति उद्दीपन और प्रत्युत्तर को प्रभावित कर रही है। इससे 'व्यक्तित्व-निर्माण' में सहायता मिलती है।

प्राय: व्यक्ति तीनों अहम् स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं किन्तु एक अहम् स्थिति अन्य दो पर प्रभुत्व जमा लेती है। यह एक सुद्दढ़ मान्यता है कि वास्तव में 'शिशु' अथवा 'पिता स्थिति से' वयस्क स्थिति श्रेष्ठ होती है। फिर भी, मनोवैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्तित्व तथा प्रभावी अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के लिए तीनों अहम् स्थितियाँ आवश्यक होती हैं **लेकिन अपने आप में अहम् स्थिति से ज्यादा महत्तवपूर्ण किसी अन्तर्वैयक्तिक अंत:क्रिया में यह तथ्य है कि किस प्रकार एक अहम् स्थिति दूसरी के अनुकूल पड़ती है अथवा संघर्ष करती है।**

जेम्स एवं जोगेवर्ड लिखते हैं कि 'व्यक्तियों के मध्य जो कुछ होता है वह उनकी अहम स्थितियों के मध्य एक व्यवहार है। जब एक व्यक्ति कोई संदेश भेजता है तो दूसरे से उसके प्रत्युत्तार की आशा करता है।'

3. जीवन स्थितियाँ - बचपन के प्रारम्भिक दिनों से ही एक व्यक्ति अपने को दूसरों से सम्बन्धित करने का एक प्रभावी ढंग विकसित कर लेता है। इसकी यह प्रवृत्ति एवं दर्शन जीवन-पर्यन्त उसके साथ रहता है जब तक कि इसमें परिवर्तन लाने वाला अन्य कोई बड़ा अनुभव उसे न हो। इसलिए इसे 'जीवन स्थिति' के रूप में जाना जाता है।

यद्यपि व्यक्ति के व्यवहारों को उसकी एक जीवन स्थिति गहन रूप से प्रभावित करती है, किन्तु समय-समय पर विशिष्ट व्यवहारों में वह अन्य जीवन स्थितियों का भी प्रदर्शन कर सकता है। जीवन स्थिति दो विचार-बिन्दुओं के संयोजन से बनती है-(1) व्यक्ति अपने बारे में क्या विचार रखते हैं ? एवं (2) वे सामान्य रूप से दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ?

4. प्रहार या संबलन - व्यवहारात्मक विश्लेषण विशेषज्ञों का मानना है कि प्रहार या संबलन की आवश्यकता सभी को होती है । बचपन से लेकर जीवन-पर्यन्त एक व्यक्ति को पारस्परिक स्नेह, प्रेम, मान्यता एवं प्रशंसा की आवश्यकता होती है। इसे ही प्रहार या संबलन कहा जाता है। दूसरों के साथ अन्तर्व्यवहार में व्यक्तियों को प्रहार की आवश्यकता होती है। **बर्ने** 'प्रहार' को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि **'कोई भी कार्य जो दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति की मान्यता को दर्शाता है, वह प्रहार है।'**

प्रहार सभी प्रकार को मान्यताओं जैसे भौतिक, मौखिक दृष्टि सम्पर्क, पीठ थपथपाना, हाथ मिलाना, मुस्कुराना, नमस्कार करना, प्रशंसा करना आदि को दर्शाता है। प्रहार सकारात्मक ऋणात्मक अथवा मिश्रित हो सकते हैं। धनात्मक प्रहार से कर्मचारी की सन्तुष्टि में वृद्धि होती है तथा उसमें ठीक होने की भावना उत्पन्न होती है ऋणात्मक प्रहार व्यक्ति को शारीरिक रूप से तथा भावनात्मक रूप से चोट पहुँचाते हैं तथा स्वस्थ होने का कम बोध जगाते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति पर एक से प्रहार कार्य नहीं करते हैं। **अलग-अलग**

व्यक्तियों के लिए अलग-अलग संकलन को प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है। लेकन प्रहार सभी के लिए आवश्यक होते हैं। प्रहारों की प्रकृति की पहचान व्यवहारों के विश्लेषण तथा भावी व्यवहार संरचना के निर्धारण में सहायता करती है। 'प्रकार की विचारधारा' 'पुनर्बलन के सीखने के सिद्धान्त' से गहन रूप से जुड़ी हुई है। सकारात्मक प्रहारों को सामाजिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। प्रहार शर्तयुक्त भी हो सकते हैं, जैसे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति पर पढोन्नति का वचन देना। शर्त विहीन उत्प्रेरक अथवा प्रहार का व्यक्ति के व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं होता है कार्य प्रेरणा के लिए प्रहार या संबलन का होना आवश्यक होता है।

5. खेल - व्यवहारात्मक विश्लेषण में 'खेल' से तात्पर्य पूरक गूढ़ व्यवहारों की एक ऐसी श्रृंखला से है जिसके निश्चित अप्रकट उद्देश्य होते हैं। सरल शब्दों में, कार्यालय की राजनीति को ही खेल कहा जाता है। अक्सर कर्मचारी एवं अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र (कार्यालय, कारखाना, सरकारी विभाग, राजनीतिक संगठन, विद्यालय आदि) में खेल खेलने के आदी होते हैं। डॉ. बर्ने ने व्यावसायिक एवं संगठनात्मक खेलों पर पूरी एक पुस्तक लिखी है। जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कपटपूर्ण व्यवहारों को दर्शाया है। इन खेलों में व्यवहार सामान्य व्यवहारों की भांति ही किये जाते हैं। लेकिन प्रत्येक खेल का एक गूढ़ उद्देश्य एवं कूटनीति होती है जिसे प्रकट नहीं होने दिया जाता है। ये खेल कई बार बदला लेने के उद्देश्य से भी खेले जाते हैं।

वास्तव में, व्यवहारात्मक विश्लेषण का सम्बन्ध इस बात से भी है कि व्यक्ति किन विधियों से अपने समय की संरचना करते हैं जेम्स एवं जोंगेवार्ड का मत है कि **व्यक्ति अपने को व्यस्त वनाने के लिए संगठन में उदासीन हो जाना, औपचारिकताएँ करना, समय का सदुपयोग करना, मनोरंजन करना, सम्बन्ध वढ़ाना, विविध गतिविधियों में अपने को नियुक्त कर लेना सीखते हैं। एरिक बर्ने खेल को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि खेल व्यवहारों का एक आवर्तक समूह है जो आवृत्तीय एवं बनावटी रूप से सत्याभासी होते हैं तथा जिनका कोई अप्रकट उद्देश्य होता है। बोलचाल की भाषा में वे दावपेचों की एक श्रृंखला होती है जिसका अपना जाल, फंदा एवं कूटनीति होती है।** संगठन में एक दूसरे का अपमान करने, ढोषारोपण करने, गलतियाँ ढूँढने, पीड़ा पहुँचाने, मित्रता कराने के बहाने परस्पर लड़ाने, दूसरों को फंसाने, अपव्यय के तरीके ढूंढने, अधिकारी को जाल में लेने, अधिकारियों को बहलाने, प्रलोभन देने, जी-हुजूरी करने आदि प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले गूढ़ व्यवहार ही व्यावसायिक खेल होते हैं।

6. रचना विश्लेषण - रचना से तात्पर्य **अचेतन रुप से लिये गये उन निर्णयों को प्रकट एवं क्रियान्वित करने से है जो जीवन को कैसे जिया जाए के सम्बन्ध में लिये जाते हैं।** दूसरे शब्दों में, रचना वे जीवन योजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने हेतु व्यक्ति प्रयास करते हैं। ये योजनायें जब व्यक्ति सात वर्ष का बालक होता है, तभी से उसके अचेतन मस्तिष्क में बनने लग जाती हैं। जीवन योजना व्यक्ति की जीवन स्थिति तथा समय-संरचना से गहन रूप से जुड़ी होती है। जो व्यक्ति अनेक समस्याओं जैसे बीमारी, पागलपन, दुष्टता, मूर्खता आदि से घिरे रहते है उनकी रचनायें अनुकूल परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। व्यवहारात्मक विश्लेषण के द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों को इन जीवन योजनाओं के प्रतिकूल परिणामों से मुक्त सकते हैं।

व्यवहारात्मक विश्लेषण के लाभ, उपयोग एवं महत्त्व - व्यवहारात्मक विश्लेषण मानवीय व्यवहार के विश्लेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण 'व्यक्ति-केन्द्रित' विचारधारा है। यह मानवीय सम्प्रेषण, व्यक्तित्व एवं अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार के आधारों को समझने का एक सृजनात्मक उपकरण है इसके प्रयोग से प्रबन्धक कर्मचारियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं, अनुकूल निर्णय ले सकते हैं, प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, कर्मचारी-विकास एवं संगठन-विकास कार्यक्रमों को अपना सकते हैं तथा स्वयं भी अपने व्यक्तित्व एवं प्रबन्धकीय शैली को गतिशील बना सकते हैं। संक्षेप में, व्यवहारात्मक विश्लेषण के संगठन में निम्न उपयोग एवं लाभ हैं -

1. सकारात्मक चिन्तन का विकास - व्यवहारात्मक विश्लेषण व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित करके उचित व्यवहार एवं क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है यह व्यक्ति को ऋणात्मक भावनाओं-भ्रम, हार, असफलता, नैराश्य, कुंठा, उपेक्षा, हिचक, संशय, अवसाद दमन, निग्रह आदि को दूर करके उसमें सकारात्मक विचार एवं भावनाओं-स्पष्ट लोच, उपलब्धि, साहस, आशावादिता, सन्तुष्टि, मैत्री, सहयोग, हर्ष, आत्म-विश्वास, आत्म-तृप्ति आदि का संचार करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से कर्मचारियों में एक **मनोवैज्ञानिक ऊर्जा** उत्पन्न होती तथा ये सृजनात्मक कार्यों की ओर उत्प्रेरित होते हैं।

2. अन्तर्वैयक्तिक प्रभावशीलता - व्यक्तियों की अहम् स्थितियों के बारे में एक उचित समझ उत्पन्न करके व्यवहारात्मक विश्लेषण अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को मधुर बनाता है। कर्मचारी पूरक व्यवहारों पर बल देकर समस्या-समाधान दृष्टिकोण एवं संचार को प्रभावी बना सकते हैं। इससे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य अनावश्यक संघर्ष, मतभेद, अहम-टकराव, मन विवाद समाप्त हो जाते हैं।

3. प्रभावी प्रवन्धकीय शैली - एक प्रबन्धक व्यवहार करते समय अपने कर्मचारियों की अहम् स्थितियों तथा उनकी जीवन पद्धतियों को समझ कर अपनी प्रबन्धकीय शैली को उनके अनुसार ढाल सकता है। वह कर्मचारियों द्वारा खेले जाने वाले कपटपूर्ण खेलों उनकी छल-योजनाओं, पाखण्ड का सरलतापूर्वक पूर्वानुमान लगा सकता है।

4. अभिप्रेरण - पूरक व्यवहारों तथा सकारात्मक प्रहारों के द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं अहम् स्थिति को संतुष्ट करके उन्हें कार्य प्रेरणा प्रदान की आ सकती है। रचना विश्लेषण के द्वारा भी उनकी जीवन योजनाओं को पूरा करने में प्रबन्धक सहायक हो सकते हैं। इससे उनके अभिप्रेरणा में वृद्धि की जा सकती है।

5. कार्य-सम्पन्नता - प्रबंधक कर्मचारियों को सकारात्मक प्रहार करने वाले कार्यों में लगाकर उनके उत्तारदायित्वों के क्षेत्र एवं चुनौतियों को विस्तृत कर सकते हैं। कार्य सम्पन्नता के लिए प्रबन्धक आन्तरिक सम्बलनों एवं प्रोत्साहनों में वृद्धि कर सकते है।

6. मानवीय प्रकृति के विश्लेषण में सहायक - व्यवहारात्मक विश्लेषण के आधार पर प्रबन्धक को मानवीय प्रकृति का अध्ययन इने में सहायता मिलती है। इसी के आधार पर वह अपने नेतृत्व में भी सुधार कर सकता है। व्यवहारात्मक विश्लेषण की तुलना मैक्ग्रेगर की मानवीय प्रकृति से सम्बन्धित एक्स एवं वाई विचारधारा से की जा सकती है। एक्स प्रबन्धक पिता-शिशु सम्बन्धों पर बल देता है तथा `Should be', `have to', `must' आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वह मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो के जीवन अवस्था दृष्टिकोण को अपनाता है जो कि कर्मचारियों के अभिप्रेरण तथा संगठन के हित में उचित नहीं होता है दूसरी ओर वाई प्रबन्धक वयस्क-वयस्क अन्तर्व्यवहार तथा मैं ठीक हूं तुम भी ठीक होश (I am OK, You

are OK) जीवन–दृष्टिकोण को अपनाता है जो संगठन एवं कर्मचारियों के हित में होता है। इस प्रकार मानव प्रकृति का विश्लेषण करना सुगम होता है।

7. संगठन विकास – व्यवहारात्मक विश्लेषण संगठन विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऐडगर हुस लिखते हैं कि संगठन विकास के उपकरण के रूप में व्यवहारात्मक विश्लेषण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी स्वयं की तथा दूसरों की अहम् स्थितियों को ठीक से समझने, अन्तर्वैयक्तिक व्यवहारों एवं खेलों के सिद्धांत को समझने, तथा एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण ढंग से अन्तर्व्यवहार करने में सहायता प्रदान करना है। **डोनाल्ड योवेन एवं रघुनाथ** लिखते हैं कि व्यवहारात्मक विश्लेषण संगठन विकास की प्रचनाओं में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों तथा प्रक्रिया परामर्श को प्रभावी बना देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यावसायिक अर्थशास्त्र – पी.सी. अग्रवाल, एम.डी. अग्रवाल, रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एवं रिव्यूह
3. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया – रिर्पोट्स
4. नाबार्ड की प्रकाशित रिपोर्ट
5. भारत का आर्थिक विकास – डॉ मामोरिया, डॉ. जैन, साहित्य भवन, आगरा
6. वित्त मंत्रालय दिल्ली की रिपोर्ट
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया – सर्वे रिर्पोट

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

अन्तर्राष्ट्रीय विपणन

डॉ. पी. डी. ज्ञानानी*

प्रस्तावना – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन दो शब्दों से मिलकर बना है – एक शब्द है अन्तर्राष्ट्रीय व दूसरा शब्द है विपणन। अन्तर्राष्ट्रीय से अर्थ विभिन्न देशों से है व विपणन से अर्थ वर्तमान व भावी उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करने एवं उसे उपयोग या उपभोग के लिए समर्पित करना है जिससे कि जनसाधारण के रहन–सहन के स्तर में वृद्धि हो सके तथा उपभोक्ताओं को सन्तुष्टि देते हुए लाभ प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार **अन्तर्राष्ट्रीय विपणन एक प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय है जो एक देश दूसरे देशों को करता है।** अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है। कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं –

1. टेपेस्ट्रा बर्न के मत में अन्तर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ 'राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किया जाने वाला विपणन है।'
2. हेस एवं कटेओरा के अनुसार,'अंतर्राष्ट्रीय विपणन उन सभी व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जो एक से अधिक देशों के उपभोक्ताओं या प्रयोगकर्ताओं की ओर वस्तुओं और सेवाओं को प्रवाहित करती है।'
3. ओन्कविशिट एवं शॉ की राय में 'अन्तर्राष्ट्रीय विपणन एक बहु–राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और विचारों का नियोजन, परिकल्पना को कार्यरूप में परिणित करना, मूल्य, संवर्द्धन एवं वितरण आता है जिससे कि व्यक्ति और संगठन के उद्देश्य सन्तुष्ट हो सके और वस्तुओं, सेवाओं और विचारों का आदान–प्रदान हो सके।'

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं :–

(1) राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर किया जाने वाला विपणन – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन का ही एक भाग है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, और विचारों का विपणन एक देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है अर्थात् या तो वस्तुओं एवं सेवाओं को देश में बनाकर देश से बाहर निर्यात किया जाता है या फिर उन्हें देश के बाहर ही बनाया व बेचा जाता है।

(2) बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात एक से अधिक देशों को किया जाता है यदि निर्यात एक देश को किया जाता है तो यह निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषा में नहीं आता है। इसका अर्थ यह है कि यह बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया है अर्थात् इसमें व्यापार कई देशों या राष्ट्रों से किया जाता है।

(3) वस्तुएं या सेवाएं या विचार विदेशियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की एक विशेषता यह है कि इसमें वस्तुएं या सेवाएं या विचार उन देशों के निवासियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो अन्तर्राष्ट्रीय विपणन सम्भव नहीं हो सकता है।

(4) घरेलू विपणन की सभी क्रियाएं करना – देश के भीतर विपणन करने के लिए जो क्रिया की जाती हैं वे घरेलू विपणन क्रियाएं कहलाती हैं जैसे मूल्य निर्धारित करना, संवर्द्धन क्रिया करना, वितरण की व्यवस्था करना आदि। यह सभी क्रियाएं अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में भी करनी पड़ती है।

(5) विपणन का एक भाग – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन, विपणन का ही एक हिस्सा है अर्थात् विपणन शब्द में अन्तर्राष्ट्रीय विपणन शामिल है।

(6) व्यावसायिक प्रक्रिया – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन व्यावसायिक प्रक्रिया का एक अंग है अर्थात् यह व्यवसाय का ही एक भाग है। जिस प्रकार व्यावसायिक प्रक्रिया में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय–विक्रय होता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में भी क्रय–विक्रय होता है।

अंतर्राष्ट्रीय विपणन का स्वभाव – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन का स्वभाव देशी विपणन जैसा ही है। इसमें वे सभी कार्य व क्रिया करनी पड़ती हैं जो देशी विपणन में की जाती हैं, लेकिन फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति में कुल भौतिक मिलाएं पाई जाती है जिन्हें शीर्षकों में रखकर दर से समझाया जा सकता है।

(1) संरक्षणवादी प्रकृति – अंतरराष्ट्रीय विपणन की प्रकृति संरक्षणवादी है। इसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय विपणन तभी तक संभव है जब तक उस देश ने अपने यहां आयात पर कोई संरक्षणवादी प्रतिबन्ध न लगाए हो। सभी देश निर्यात पाना चाहते है, लेकिन आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं जिससे कि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके तथा देशी उद्योग पैरों पर खड़े हो सके। इस प्रकार सभी देश निर्यात को प्रोत्साहित, लेकिन आयात को हतोत्साहित करते है।

(2) साख अभिमुखी – अंतर्राष्ट्रीय विपणन साख अभिमुखी है अर्थात् इसमें विपणन साख पर ही होता है। अधिकांश देश जो आयात करते है वे अविकसित या विकासशील है, अत: उनकी क्रय शक्ति कम होती है। इसलिए वे उन देशों से माल क्रय करना अधिक पसन्द करते है जो उन्हें लम्बी भुगतान अवधि प्रदान करते हैं तो इस अवधि पर ब्याज न्यूनतम लेते हैं या फिर कोई ब्याज नहीं लेते हैं।

(3) अत्यधिक जोखिम पूर्ण प्रकृति – अंतर्राष्ट्रीय विपणन अत्यधिक जोखिमपूर्ण होता है। इसका कारण है कि इसमें एक सौदा पूरा करने में काफी समय लगता है। इस बीच यदि आयात करने वाले देश में राजनीतिक परिवर्तन हो जाए या उस देश के कानूनों में व्यापक परिवर्तन हो जाए या ग्राहक की आर्थिक स्थिति बदल जाए या उस देश से व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में निर्यात नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार निर्यात करने

*प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

वाले देश के कानूनों में भी परिवर्तन हो सकता है, सत्ता बदल सकती है, निर्यात पर प्रतिबन्ध लग सकता है, आदि।

(4) राजनीतिक प्रकृति – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति राजनीतिक है यदि व्यापार से दोनों देशों को पारस्परिक लाभ हो रहा है तो अन्तर्राष्ट्रीय विपणन हो सकता है अन्यथा नही। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की आधारशिला राजनीति है।

(5) विश्व एकीकरण प्रकृति – अंतर्राष्ट्रीय विपणन का स्वभाव विश्व एकीकरण को बढ़ावा देना है। जब अन्तर्राष्ट्रीय विपणन होने लगता है तो फिर यह विपणन विश्व विपणन की ओर बढ़ जाता है अर्थात् उन देशों में ही वस्तुओं का बनाना प्रारम्भ कर दिया जाता है।

(6) प्रतियोगी प्रकृति – अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति प्रतियोगी है इसमें तीन स्तरों पर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। पहले तो अपने ही देश के अन्य नियतिकों से, दूसरे उस देश के अन्य निर्यात से व तीसरे आयतित देश के उत्पादों से। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विपणन प्रतियोगिता को गहन कर देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र व्यापक है। इसमें (1) निर्यात विपणन, (2) देशों में शाखाओं की स्थापना, (3) संयुक्त साहस या संयुक्त सहयोग, (4) विशेषाधिकार, (5) विदेशी प्रतिनिधि, (6) परामर्श सेवाएं, (7) तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सेवाएं, आदि बातें आती है जिनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :

(1) निर्यात विपणन – जब एक संस्था अपने देश से अन्य देशों को अपनी उत्पाद वस्तु का निर्यात करती है तो यह निर्यात विपणन, अन्तर्राष्ट्रीय विपणन,का ही एक हिस्सा है। अत: यह अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(2) देशों में शाखाओं की स्थापना – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में शाखाओं की स्थापना की जाती है यह शाखाएं विदेशों में खोली जाती है। यह शाखाएं सामान्यत: दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो भारी मात्रा में अपने घरेलू मुख्यालय से उत्पादों को प्राप्त कर उन्हें उस देश की मांग के अनुरूप पैकेजों में पैक करती है। तदुपरान्त उन्हें उस देश के बाजारों में बेचने के लिए भेज देती हैं। दूसरी शाखाएं इस प्रकार की होती है जो वस्तु या उत्पाद को उसी देश में बनाती एवं पैक कर बेचती है। इस प्रकार की शाखाएं स्थापित करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही उस देश के नियमों के अनुसार उत्पादन भी करना पड़ता है।

(3) संयुक्त साहस या संयुक्त सहयोग – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में संयुक्त साहस या संयुक्त सहयोग आजकल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसमें एक कम्पनी विदेश में वहां के उद्योगपति या उद्योगपतियों से मिलकर उसी देश में वस्तु का उत्पादन प्रारम्भ कर देती है। यह एक प्रकार से साझेदारी है। इसमें संयुक्त साहस का पृथक् कानूनी अस्तित्व होता है जिसका प्रबन्ध देशी व विदेशी उद्योगपति मिलकर करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में जापान की सुजुकी कम्पनी का सहयोग मारुति के नाम में है जो भारत में कारों का निर्माण कर रही है।

(4) विशेषाधिकार – विशेषाधिकार एक प्रकार का अनुज्ञापत्र है जिसमें विशेषाधिकार देने वाला वस्तुओं का एक प्रमाप पैकेज, तन्त्र, और प्रबन्धकीय सेवाएं प्रदान करता है और विशेषाधिकार प्राप्त करने वाला (franchisee) बाजार ज्ञान, पूंजी तया व्यक्तिगत रूप से प्रबन्ध में शामिल होता है। इस प्रकार इसमें निर्यात करने वाला वस्तु को बनाने की प्रबन्धकीय सेवाएं प्रदान करता है जबकि आयातित फर्म पूंजी, स्थानीय शान व निर्माण का प्रबन्ध कर विक्रय करती है। इससे निर्यात करने वाली फर्म के ब्रांड का विक्रय अन्य देशों में स्थानीय फर्म द्वारा किया जाता है। जैसे McDonald का नाम तैयार खाद्य एवं पेय पदार्थ के रूप में भारत के कई शहरों में पाया जाता है। यह संस्था विदेशी है, लेकिन भारत में विभिन्न शहरों एवं स्थानों के लिए इसने विशेषाधिकार दे रखा है जिससे इसकी वस्तुएं भारत में बनाई व बेची जा रही हैं। इसमें निर्यातक फर्म को विदेशी फर्म से विक्रय की कुल राशि पर एक निश्चित प्रतिफल प्राप्त होता रहता है जैसे बिक्री का 20 प्रतिशत।

(5) विदेशी प्रतिनिधी – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में विदेशी प्रतिनिधि भी आते हैं। यह विदेशी प्रतिनिधि एक निर्यातक नियुक्त करता है। ऐसा सामान्यत: उस समय किया जाता है जबकि मांग में घटत-बढ़त होती है। यह विदेशी प्रतिनिधि निर्यातक द्वारा भेजे गए माल का विक्रय करता है। तदुपरान्त विक्रय राशि में से अपना पारिश्रमिक व खर्चे काट कर शेष राशि निर्यातक को भेज देता है।

(6) परामर्श सेवाएं –अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं भी आती हैं। सामान्यत: विकसित देश की फर्मे अविकसित देशों की फर्मों को उनके देश में उद्योग सेवाओं की स्थापना के लिए अपने परामर्शदाता भेज देती हैं जो मौके पर इनका मार्गदर्शन करते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो ये लौट आते हैं। इस कार्य के लिए सेवा देने वाली फर्मो को पारिश्रमिक मिलता है जो सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व ही दोनों फॉर्म तय कर लेती है।

(7) तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सेवाएं – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सेवाएं भी शामिल की जाती है। इसमें निर्यातक देश आयातक देशों में अपने तकनीकी एवं प्रबन्धकीय विशेषज्ञों को भेजता है और जब उस देश में इनका ज्ञान हो जाता है तो वे अपने निर्यातक देश को लौट आते हैं। यह एक प्रकार से परामर्श सेवाओं का ही रूप है।

अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व या लाभ – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के माध्यम से उपभोक्ता कई प्रकार से लाभान्वित होता है, लेकिन इसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। इसके विपरीत सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रीय विपणन को हतोत्साहित ही किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विपणन निर्यात करने वाले देश की अर्थव्यवस्था को शुद्ध करता है तथा उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय विपणन से आधारभूत उद्योगों की स्थापना करते हैं जिससे वे विकास की ओर अग्रसर होते है। सकल उत्पादन बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है. प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जो अन्त में रहन-सहन के स्तर में सुधार लाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के महत्व या सामों को तीन भागों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं– (अ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, (इ) व्यक्तिगत फर्म की दृष्टि से, (उ) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से।

(अ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के महत्व को निम्न मदों में रखकर अध्ययन कर सकते हैं।

(1) तीव आर्थिक विकास – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन करने से देश के निर्यातों में वृद्धि होती है जिससे प्राप्त विदेशी मुद्रा को संयंत्र, मशीनें, उपकरण, आदि के आयात के लिए काम में लाकर देश में औद्योगिक विकास किया जा सकता है। इससे देश में आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। साथ ही देश में पड़े बेकार संसाधनों का उपयोग भी इस प्रक्रिया से कुशलता से होने लगता है। विद्वानों की राय है कि आर्थिक विकास की ऊंची दरों का सीधा सम्बन्ध निर्यातों की ऊंची दरों से होता है। इस प्रकार निर्यात और आर्थिक विकास का सीधा सम्बन्ध पाया जाता है।

(2) आयातों का भुगतान – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन होने से निर्याती में

वृद्धि होती है जिसका मूल्य विदेशी मुद्रा में मिलता है। निर्यातक देश इस प्रकार से प्राप्त विदेशी मुद्रा का उपयोग महत्वपूर्ण आयातों के भुगतान के लिए कर सकता है। आमतौर पर विकासशील देश पेट्रोलियम पदार्थों का आयात भारी मात्रा में करते है जिससे कि देश में ऊर्जा का उत्पादन जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय विपणन से प्राप्त विदेशी मुद्रा को इस प्रकार के पदार्थों के मूल्य के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विपणन महत्वपूर्ण या लाभकारी है।

(3) प्रतियोगिता का लाभ – साधारणत: प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के निर्यातको अनेक प्रकार की सुविधाएं देती है जिससे कि निर्यातक विदेशी प्रतियोगिता का लाभ उठा सके और देश के निर्यात को बढ़ावा दे सके इस प्रक्रिया से देशी निर्माता या निर्यातक अपनी वस्तु की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते है जिससे कि वे प्रतिस्पर्धा में खरे उतर सके और अपने माल को उन देशों में बेच सकें। इससे देश में भी क्यालिटी वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और देशवासियों को भी क्वालिटी वस्तु उपभोग के लिए मिल जाती है।

(4) रोजगार अवसरों में वृद्धि – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन होने से रोजगार अवसरों में वृद्धि होती है। सरकार की निर्यात अभिमुखी योजना के अन्तर्गत देश में नए-नए उद्योग एवं इकाइयां स्थापित होती है जिसमें लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। भारत में सिले-सिलाए वस्त्र था हीरे जवाहरात के आभूषण विदेशों में अपना स्थान बना चुके हैं। भारत में इन उद्योगों में रोजगार बढ़ा है।

(5) जीवन स्तर में सुधार – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन निर्यातक देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है। अनेक नई वस्तुओं का आयात होने से उनका उपयोग देश में होने लगता है जो जीवन स्तर के सुधार का घोतक है। यदि निर्यात नहीं होता तो विदेशी मुद्रा के अभाव में इन वस्तुओं का आयात नहीं हो सकता था। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विपणन निर्यातक देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है।

(इ) व्यक्तिगत फर्म की दृष्टि से – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन व्यक्तिगत फर्म की दृष्टि से निम्न प्रकार महत्वपूर्ण है –

(1) लाभदायक विक्रय – अंतर्राष्ट्रीय विपणन निर्यातक फर्म को लाभदायक विक्रय करने में सहायता करती है। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा लाभों में भी देशी व्यापार की तुलना में भारी वृद्धि होती है। यदि वही माल देश में ही बेचा जाता तो उतना लाभ नहीं हो सकता था जितना लाभ निर्यात से होता है।

(2) प्रबन्धकीय चातुर्य का विकास – अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अन्तर्गत एक निर्यातक को निर्यात में दो ओर से मुकाबला करना होता है। एक तो अपने ही देश के अन्य निर्यात से दूसरे आयात करने वाले देश में अन्य विदेशी निर्यातकों से। इस प्रकार एक नियातक में इन दोनों से मुकाबला करने से प्रबन्धकीय चातुर्य का विकास होता है जो उसे चुनौतियों व समस्याओं का सामना करने के लिए समर्थ बनाता है। वह परिस्थिति के अनुसार विपणन कार्यक्रम संशोधित करता है तथा नए नए उपायों के माध्यम से प्रतियोगिता की चुनौती स्वीकार कर आगे कदम बढ़ाता है।

(3) उत्पाद अप्रचलन में कमी – विपणन में कहा जाता है कि वस्तु का जीवन चक्र होता है जो एक समय के बाद वस्तु को आप्रचलित कर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय विपणन इस उत्पाद अप्रचलन में कमी कर देता है। जैसे जो वस्तु विकसित देश में अप्रचलित हो गई हो उसे अविकसित देश को निर्यात कर उत्पादन अप्रचलता में कमी लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, लालटेन का बाजार विद्युत के विकास के कारण विकसित देशों में नहीं रहा, लेकिन उसे अविकसित में निर्यात करने के अपराध में कमी लाई जा सकती है और उसका उत्पादन बराबर किया जा सकता है। इस प्रकार एक फर्म के उत्पादन चालू रखकर लाभ कमा सकती है।

(4) क्षमता का उपयोग एवं विस्तार – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन एक संस्था को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इससे वह अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग कर सकती है और यदि मांग बढ़ती है तो अपनी क्षमता का विस्तार कर सकती है। चूंकि इस प्रक्रिया से उत्पादन बृहत् पैमाने पर होने लगता है इससे उत्पादन लागत प्रति इकाई कम होने लगती है। इस प्रकार व्यापार के लाभों में वृद्धि होने लगती है।

(5) नए-नए उपकरणों का विकास – कुछ नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देश इस बात का प्रतिबंध लाभ देते हैं कि यदि निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की है तो निर्यातक उस विदेशी मुद्रा का कुछ प्रतिशत मशीनों, उपकरणों व प्लान्टों के आयात के लिए व्यय कर सकता है। इससे निर्यातक को अवसर मिल जाता है कि वह नए-नए उपक्रमों के लिए मशीनों का आयात कर ऐसे उपक्रम स्थापित कर सके। इस प्रकार के प्रतिबंध से देश में नए नए उपक्रमों का विकास हो जाता है जो देश के आर्थिक विकास में काफी सहयोग देता है।

(उ) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से – अन्तर्राष्ट्रिय विपणन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) राजनीतिक शान्ति – विश्व के देशों में राजनीतिक शान्ति बनाए रखने में अन्तर्राष्ट्रीय विपणन महत्वपूर्ण है। विश्व में अनेक देश ऐसे है जिनकी विचारधारा अन्य देशों से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अपनी मजबूरी के कारण उन देशों से आयात-निर्यात ही नहीं करते बल्कि उनसे साम्य भाव बनाए रखते हैं। इस प्रकार राजनीतिक शान्ति बनी रहती है। रूस व अमेरिका की राजनीतिक विचारधारा अलग-अलग है, लेकिन फिर भी अन्न का आदान-प्रदान एक दूसरे में होता है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के कारण ही विश्व व्यापार संगठन बना है जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके लिए बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते किए जाते हैं, जैसे मात्रात्मक प्रतिबन्धों को सदस्य देशों द्वारा समाप्त करना।

(3) सांस्कृतिक सम्बन्ध – अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के फलस्वरूप विभिन्न देशों के सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डल एक-दूसरे देशों में आते और जाते हैं। इससे एक-दूसरे देश की संस्कृति का ज्ञान होता है जिसका उपयोग निर्यातक फर्मे अपने माल को उन देशों में भेजने के लिए करती है। इससे वहां के लोगो को संतुष्टि मिलती है जो विभिन्न देशों के सांस्कृतिक संबंधों में निकटता लाने में सहायता करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का आर्थिक विकास – डॉ मामोरिया, डॉ. जैन, साहित्य भवन, आगरा
2. व्यावसायिक अर्थशास्त्र – पी.सी. अग्रवाल, एम.डी. अग्रवाल, रमेश बुक डिपो, जयपुर
3. वित्त मंत्रालय दिल्ली की रिपोर्ट
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया – सर्वे रिर्पोट
5. अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एवं रिव्यूह
6. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया – रिर्पोट्स
7. नाबार्ड की प्रकाशित रिपोर्ट

भारत के राज्यों की देनदारियों का तुलनात्मक अध्ययन (चयनित गैर-विशिष्टीकृत राज्यों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सी. पी. पँवार *

प्रस्तावना - राज्यों की देनदारियाँ अथवा दायित्वों में राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किये गये सार्वजनिक ऋण और लोक लेखा दायित्व सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा नियामक प्रावधानों के अंतर्गत बाजार, वित्तिय संस्थाओं अथवा केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण लोक ऋण अथवा सार्वजनिक ऋण कहलाता है, जबकि लोक लेखा दायित्व में वे राषियाँ सम्मिलित की जाती है जो सरकार लघु बचतों, जमाओं तथा भविष्य निधियों के रुप में प्राप्त करती है। ये राशियाँ निक्षेप के रुप में सरकार की अन्य देनदारियों में सम्मिलित की जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रीय वित्त के आबंटन संबंधी गाडगिल फार्मूले पर आधारित 17 गैर विशिष्टिकृत राज्यों की कुल देनदारियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य - अध्ययन के निम्नलिखित तीन उद्देश्य है :-

1. राज्यों की देनदारियों की मात्रात्मक स्थिति का अध्ययन करना।
2. राज्यों की देनदारियों की वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
3. राज्यों की ऋणग्रस्तता की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन की अवधि - अध्ययन की अवधि वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक 10 वर्षो की रही।

राज्यों की देनदारियों की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन - भारत के राज्यों की देनदारियों की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन दो मापों के आधार पर किया गया :- (A) राज्यों की देनदारियों की मात्रात्मक स्थिति (B) राज्यों की देनदारियों की वृद्धि की प्रवृत्ति।

इस अध्ययन में केन्द्रीय वित्त के आंवटन संबंधी गाडगिल फार्मूले पर आधारित 17 गैर विशिष्टीकृत राज्यों (Non Special Category States) की वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक की अवधि की कुल देनदारियों (लोक-ऋण, लोक लेखा एवं अन्य) को सम्मिलित किया गया। अध्ययन में 17 राज्यों की तुलनात्मक स्थिति को तालिका 1 तथा 2 व ग्राफ 1 व 2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

(A) राज्यों की देनदारियों की मात्रात्मक स्थिति : तालिका 1 तथा ग्राफ 1 राज्यों की देनदारियों की मात्रात्मक स्थिति को प्रदर्शित करती है। तालिका के अनुसार देश में सर्वाधिक देनदारियों की दृष्टि से वर्ष 2006-07 में प्रथम 10 राज्यों में क्रमश: उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु , कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा केरल थे। सर्वाधिक देनदारियों के घटते क्रम में मध्यप्रदेश का स्थान 9वां था। सबसे कम देनदारियों वाला राज्य गोवा था। वर्ष 2015-16 के अनुसार सर्वाधिक देनदारियों वाली स्थिति जो कि ग्राफ 1 द्वारा प्रदर्शित की गई है। जिसमें महाराष्ट्र प्रथम राज्य था इसके पश्चात क्रमश: उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य रहे तथा मध्यप्रदेश का स्थान 11वें क्रम पर था। इस प्रकार अध्ययनकाल के दौरान मध्यप्रदेश की ऋणग्रस्तता की स्थिति में सुधार होकर यह 9वें पायदान से 11वें पर पहुंचा।

(B) राज्यों की देनदारियों की वृद्धि की प्रवृत्ति : राज्यों की कुल देनदारियों में वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 2 व ग्राफ 2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तालिका 2 के अनुसार राज्यों की बकाया देनदारियों में सर्वाधिक वृद्धि दर हरियाणा राज्य की रही जो अध्ययनकाल में 381 प्रतिशत थी। हरियाणा राज्य के वर्ष 2006-07 में लोक-ऋण एवं अन्य दायित्व रुपये 29,310 करोड़ के थे जो अध्ययन के अंतिम वर्ष में 3.81 गुना बढ़कर रुपये 1,11,550 करोड़ हो गये। देनदारियों में वृद्धि दर की दृष्टि से म.प्र. का स्थान चौदहवां रहा तथा वृद्धि दर 232 प्रतिशत रही जो कि तुलनात्मक रुप से म.प्र. की ऋणग्रस्तता की संतोषजनक स्थिति को प्रकट करती है। सर्वाधिक न्यून वृद्धि दर उड़ीसा की रही जो अध्ययन के 10 वर्षो में केवल 153 प्रतिशत थी। देनदारियों की दीर्घकालीन वृद्धि की यह प्रवृत्ति राज्यों की राजकोषीय नीति की दूरदर्शिता को प्रकट करती है। अध्ययन के अंतिम वर्ष 2015-16 में उक्त राज्यों की देनदारियों की वृद्धि की प्रवृत्ति को ग्राफ 2 द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है जिसमें राज्यों को उच्च से निम्न वृद्धि के क्रम में दर्शाया गया है। ग्राफ के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर हरियाणा राज्य की थी व सर्वाधिक न्यून वृद्धि दर उड़ीसा राज्य की रही। इस प्रकार ऋण साधनों के प्रयोग की बढ़ती हुई मात्रा तब ही लाभदायक हो सकती है जबकि इनका अनुप्रयोग पूंजीगत कार्यो अथवा सम्पदा निर्माण में हो एवं जिसके परिणामस्वरुप विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

ग्राफ 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)
तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)
तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)
ग्राफ 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

निष्कर्ष - देश में सर्वाधिक देनदारियों की दृष्टि से वर्ष 2006-07 में प्रथम 10 राज्यों में क्रमश: उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र , पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा केरल थे। सर्वाधिक देनदारियों के घटते क्रम में मध्यप्रदेश का स्थान 9वां था। इस प्रकार अध्ययनकाल के दौरान मध्यप्रदेश की ऋणग्रस्तता की स्थिति में सुधार होकर यह 9वें पायदान से 11वें पर पहुंचा। राज्यों की देनदारियों की वृद्धि की प्रवृत्ति - देनदारियों में वृद्धि दर की दृष्टि से म.प्र. का स्थान चौदहवां रहा तथा वृद्धि दर 232 प्रतिशत रही जो कि तुलनात्मक रुप से म.प्र. की ऋणग्रस्तता की संतोषजनक स्थिति को प्रकट करती है। सर्वाधिक वृद्धि

* सह-प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

हरियाणा राज्य की रही जो अध्ययनकाल में 381 प्रतिशत थी जबकि सर्वाधिक न्यून वृद्धि दर उड़ीसा की रही जो अध्ययन के 10 वर्षो में केवल 153 प्रतिशत थी। देनदारियों की दीर्घकालीन वृद्धि की यह प्रवृत्ति राज्यों की राजकोषीय नीति की दूरदर्शिता को प्रकट करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Statistical Year of Book of India, 2014-15 & 2015-16
2. RBI Annual Report 2014-15 & 2015-16.
3. भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी, 2014-15, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
4. आर्थिक सर्वेक्षण 20414-15 एवं 2015-16.

ग्राफ 1 : राज्यवार की देनदारियों की मात्रात्मक स्थिति

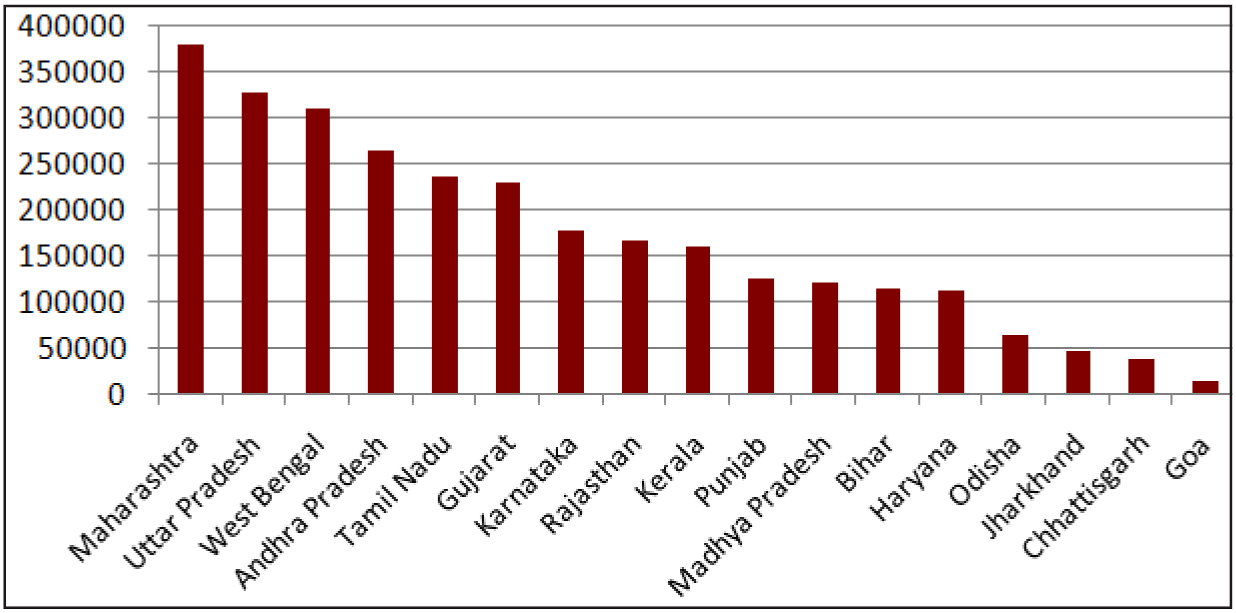

तालिका 1 राज्यों की देनदारियों की तुलनात्मक स्थिति

(Amount in Crores)

State	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (RE)	2016 (BE)
Andhra Pradesh	90,460	99870	110,050	123,680	139,510	150,550	174,260	196,200	228,500	262850
Bihar	49850	52810	55,780	59,510	63,580	67,960	77,650	88,620	101,450	115080
Chhattisgarh	14040	14650	15,030	16,250	17,040	17,940	21,470	26,080	31,990	38770
Goa	5840	6640	7,150	8,430	9,560	9,950	11,250	13,280	14,530	15860
Gujarat	90960	100330	109,860	123,470	143,020	151,310	169,320	188,520	207,270	229280
Haryana	29310	29910	33,500	41,020	46,300	56,690	67,570	79,610	93,700	111550
Jharkhand	19050	21340	24,020	26,980	28,300	31,360	35,060	37,840	41,930	47310
Karnataka	58080	60560	65,220	84,530	93,450	106,090	112,670	138,980	157,980	177310
Kerala	52320	58500	67,010	75,450	83,960	94,820	109,970	125,680	141,520	160200
Madhya Pradesh	52730	54910	60,310	67,920	75,540	80,980	89,470	96,360	109,020	122160
Maharashtra	160740	162010	186,670	203,440	230,630	245,800	282,010	309,330	345,990	379360
Odisha	42940	42980	43,900	45,720	47,030	47,850	49,180	50,470	59,440	65620
Punjab	51010	55790	61,530	67,780	74,780	82,860	92,280	102,300	113,480	125320
Rajasthan	71170	77170	84,240	91,750	99,480	106,610	118,630	128,190	148,400	166410
Tamil Nadu	68560	73890	86,150	101,710	114,470	130,630	152,810	179,570	204,950	235260
Uttar Pradesh	167780	179740	192,770	206,430	229,930	244,370	244,090	266,240	297,760	327470
West Bengal	124150	136420	150,430	175,530	192,920	213,620	236,110	259,010	284,330	308800

RE: Revised Estimates. BE: Budget Estimates. Source: RBI, India

तालिका 2राज्यों की बकाया देनदारियाँ का प्रवृति प्रतिशत

(Amount in Crores)

State	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (RE)	2016 (BE)
Andhra Pradesh	100	110	122	137	154	166	193	217	253	291
Bihar	100	106	112	119	128	136	156	178	204	231
Chhattisgarh	100	104	107	116	121	128	153	186	228	276
Goa	100	114	122	144	164	170	193	227	249	272
Gujarat	100	110	121	136	157	166	186	207	228	252
Haryana	100	102	114	140	158	193	231	272	320	381
Jharkhand	100	112	126	142	149	165	184	199	220	248
Karnataka	100	104	112	146	161	183	194	239	272	305
Kerala	100	112	128	144	160	181	210	240	270	306
Madhya Pradesh	100	104	114	129	143	154	170	183	207	232
Maharashtra	100	101	116	127	143	153	175	192	215	236
Odisha	100	100	102	106	110	111	115	118	138	153
Punjab	100	109	121	133	147	162	181	201	222	246
Rajasthan	100	108	118	129	140	150	167	180	209	234
Tamil Nadu	100	108	126	148	167	191	223	262	299	343
Uttar Pradesh	100	107	115	123	137	146	145	159	177	195
West Bengal	100	110	121	141	155	172	190	209	229	249
Average	100	107	117	133	147	160	180	204	232	262

ग्राफ 2 : राज्यवार देनदारियो का प्रवृत्ति प्रतिशत

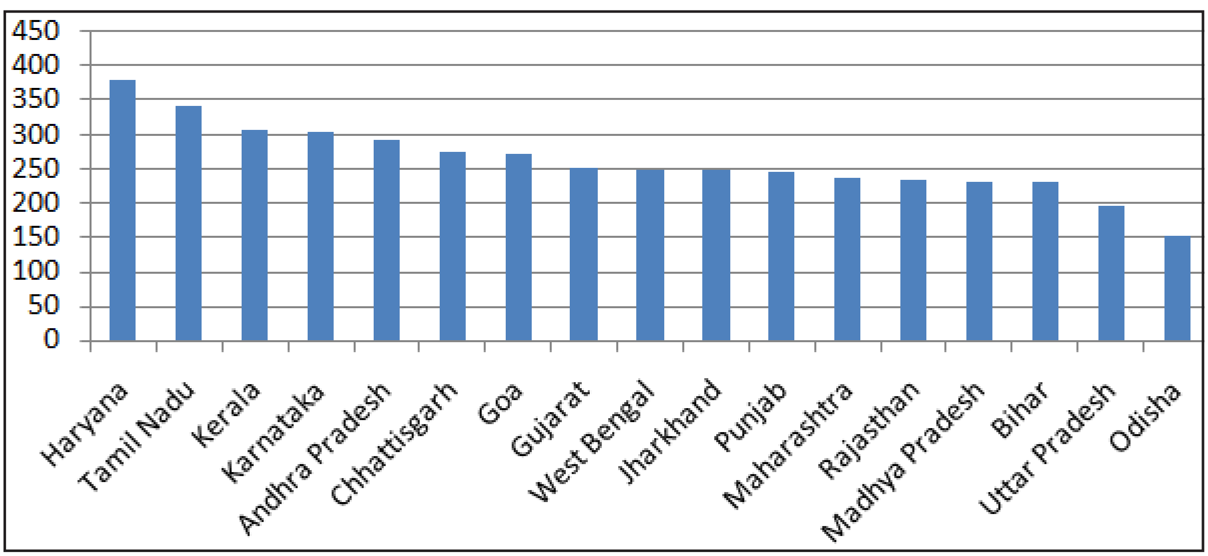

****

लोक-ऋणों से संबंधित नियामक व्यवस्थाओं का अध्ययन (राज्यों के लोक-ऋणों के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सी. पी. पँवार *

प्रस्तावना - वर्ष 1919 से पूर्व भारत में ब्रिटिश संविधान के रुप में एकात्मक संविधान लागू था जिसके अंतर्गत वित्त से संबंधित समस्त निर्णय गर्वनर जनरल करता था तथा राज्यों को एक धनराशि किश्त की तरह उनकी मांग एवं केंद्र के दबाव के आधार पर दी जाती थी। वित्त की यह व्यवस्था एकात्मक वित्त (Unitary Finance) कहलाती थी। स्वतंत्रता पश्चात भारत में सन् 1950 से संविधान के लागू होन के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध निर्धारित किये गये। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्त्रोतों का विभाजन किया गया। वित्त की यह व्यवस्था संघीय वित्त (Fedral Finance) कहलाई जो निरन्तर लागू है। संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण तीन स्तरों पर किया जाता है यथा (i) कर विभाजन (ii) सहायता अनुदान तथा (iii) ऋण। साधनों का यह आंवटन इस संबंध में गठित संवैधानिक संस्था वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर किया जाता है।संघीय वित्त व्यवस्था में वित्तीय साधनों के अंतरण में ऋण साधनों के महत्वपूर्ण स्थान है। जब किसी परियोजना से भविष्य में राजस्व प्राप्ति की संभावना हो कर विभाजन अथवा अनुदान की अपेक्षा ऋण साधनों से वित्त पोषण उचित माना जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में राज्यों के लोक-ऋणों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, नियामक संस्थाओं, सरकार की नीतियों, नियमों तथा अन्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है।

अध्ध्यन के उद्देश्य - अध्ययन का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त किये जाने वाले लोक ऋणों से संबंधित नियामक व्यवस्थाओं यथा अधिनियम, आयोग, नीतियों, एजेंसियों आदि के प्रावधानों का अध्ययन करना रहा।

लोक-ऋणों से संबंधी नियामक व्यवस्थाएँ :- प्रस्तुत शोध अध्ययन में राज्यों के लोक ऋणों से संबंधित व्यवस्थाओं का संक्षिप्त व सारगर्भित विवेचन निम्नलिखित 13 बिंदुओं में किया गया -

(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

1. **संवैधानिक प्रावधान -** भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य सरकारों को उधार लेने के अधिकार दिये गये है। यह अधिकार राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार के पास अधिक है। केंद्र सरकार विदेशों से भी उधार ले सकती है किंतु राज्य सरकारों को भारत के बाहर उधार लेने के अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 275- राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा संविधिक अनुदान (Statutory Grants) व ऋण से संबंधित है, अनुच्छेद 280 - वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 282 -केन्द्र सरकार द्वारा स्वेच्छिक अनुदान तथा अनुच्छेद 293 - पहले से ऋणग्रस्त राज्य सरकारों को नये ऋणों पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 352 - विशेष परिस्थितियों में राज्यों की वित्तीय स्वायता पर रोक लगाता हैं।

2. **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम -** (बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन नियम पारित किया गया जो जनवरी 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य की विधानसभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ आर्थिक रुपरेखा विवरण मध्यमकालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति युक्ति एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

3. **वित्त आयोग -** केंद्र सरकार से राज्यों को वित्तीय संसाधनों के सुंतलित एवं न्यायसंगत विभाजन हेतु संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो सरकार को राज्यों में कर विभाजन, अनुदान तथा राजकोषीय मामलों में सिफारिशें देता है। अभी तक वर्ष 1951 से 2015 तक चौदह वित्त आयोग गठित किये जा चुके है। चौदहवें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015-2020 है। द्वितीय वित्त आयोग ने विभिन्न ऋणों का केन्द्रीयकरण कर एक समान ब्याज दर निर्धारण की अनुशंसा की। तृतीय वित्त आयोग ने योजना आयोग, वित्त आयोग में समन्वय बनाने का सुझाव दिया। चौथे वित्त आयोग ने राज्यों के राजस्व के आधार पर अनुदान देने की अनुशंसा की। पांचवें वित्त आयोग ने राज्यों के अनाधिकृत अधिविकर्ष को केंद्रीय ऋणों अथवा अनुदान में बदलने का सुझाव दिया। छठें वित्त आयोग ने राज्यों की कमजोर भुगतान क्षमता को देखते हुए केंद्र सरकार के कम राशि वाले एवं पुराने बकाया ऋणों को माफ करने की अनुशंसा की। सातवें वित्त आयोग ने ऋण माफी को अनुचित बताते हुए ऋणों की अदायगी एवं ब्याज में राहत देने की अनुशंसा की। आठवें वित्त आयोग ने केंद्रीय ऋणों का युक्तियुक्तकरण करके बकाया ऋणों प्रग्रामी पद्धति से ऋण राहत देने की सिफरिश की। नवें वित्त आयोग ने विदेशी सहायता प्राप्त योजना की संपूर्ण राशि राज्यों को मूल शर्तो पर हस्तांतरित करने का सुझाव दिया। दसवें वित्त आयोग ने राज्यों के राजकोषीय निष्पादन के आधार पर विशिष्ट सूत्र द्वारा ऋण राहत देने का सुझाव दिया जिसमें अधिक वित्तीय समस्या वाले राज्यों को विशेष ऋण राहत दी जाना थी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की चिंताजनक स्थिति देखते हुए ऋण राहत के संबंध में तीन प्रकार से सिफारिशें दी यथा (a) ऋण प्रतिस्थापन योजना जिसमें ऊँची ब्याज दर वाले केंद्रीय ऋणों को बाजार ऋणों तथा अल्प बचत निधियों से प्राप्त ऋणों में परिवर्तित करना (b) केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से राज्यों को ऋण प्रदान करना (c)

* सह-प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

विदेशों से राज्यों को परियोजना कार्य हेतु प्राप्त सहायता को मूल शर्तो के अनुसार सहायता अनुदान के रुप में प्रदान करना। बारहवे वित्त आयोग ने राज्यों के राजस्व घाटे को समाप्त करने व राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिये राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित करने की सिफारिश की। राज्यों को दी जाने वाली ऋण राहत की पात्रता इसी अधिनियम के अनुसार निर्धारित होना थी। तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटाने तथा फार्मूला आधारित आयोजना अंतरणों को बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त राजस्व घाटे को 2014-15 तक समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाने का सुझाव दिया। चौदहवें वित्त आयोग ने राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिष की। राजस्व घाटा अनुदान की आवश्यकता वाले ग्यारह राज्य है। मध्यप्रदेश में 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति है।

4. **योजना आयोग –** योजना आयोग केन्द्र द्वारा गठित एक स्वायत निकाय है जो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करता है तथा उनका वित्तीयकरण करता है। योजना आयोग की स्थापना (सन् 1950) से लेकर अब तक कुल ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान में बारहवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जिसका कार्यकाल 2012-2017 हैं। केन्द्र द्वारा योजनागत व्ययों के लिये दिये गये सभी अनुदान ऋण योजना आयोग की सिफारिश पर निर्भर करते है। पांचवी योजना से केंद्रीय सहायता के विभाजन का आधार गाडगिल फार्मूला था जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत केन्द्रीय ऋण के रुप में था। वर्तमान में इस फार्मूले को खत्म कर दिया गया है। बारहवें वित्त आयोग के गठन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया कि योजना आयोग वित्त आयोग के सहयोगी के रुप में कार्य करेगा तथा राज्य सरकारें योजनागत व्ययो की पूर्ति बाजार ऋण से भी कर सकेगी।

5. **नीति आयोग –** देश में पिछले 65 वर्ष से कार्यरत योजना आयोग को समाप्त करके केंद्र सरकार ने 01 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रुप में केंद्र एवं राज्य सरकारों को आधारभूत एवं आर्थिक विकास के कार्यो में महत्वपूर्ण सलाह देगा।

6 **वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग –** वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कानूनों को वर्तमान आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग गठित किया। इस आयोग ने लोक ऋणों के प्रबंध के संबंध में रिजर्व बैंक से पृथक एक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency) के गठन का सुझाव दिया। यह एजेंसी सरकार की समस्त देनदारियों का लेखा-जोखा रखेगी तथा समस्त देनदारियाँ एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित तथा निष्पादित होगी। यह एजेंसी आवश्यकता होने पर राज्यों के ऋण प्रबंधन में भी मदद करेगी।

7 **राजकोषीय नीति –** राजकोषीय नीति सरकार की कर नीति, व्यय नीति तथा ऋण नीति का समन्वित स्वरुप है। राजकोषीय नीति का प्रयोग आर्थिक स्थिरता, कीमत नियंत्रण, रोजगार बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिये किया जाता है। प्राय: राज्यों की राजकोषीय नीति केंद्रीय सरकार की राजकोषीय नीति का अनुसरण करती है। म.प्र. की राजकोषीय नीति राजस्व आधिक्य की रही है। इसी प्रकार राज्य का राजकोषीय घाटा भी राजकोषीय नीति के अनुरुप सकल घरेलु उत्पाद की संवहनीय सीमा के भीतर रहा है।

8 **मौद्रिक नीति –** मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख में समन्वय स्थापित करती है। भारत का केंद्रीय बैंक चार मौद्रिक क्रियाओं के माध्यम से मौद्रिक नियंत्रण करता है। ये क्रियाएँ है – जमा-आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएँ, बैंक दर तथा चयनित साख नियंत्रण। समन्वित मौद्रिक नीति व वित्तीय नीति राज्यों के ऋण संग्रह को संतुलित रखने में भूमिका निभाती है।

9. **श्वेत पत्र –** सरकार अपनी वित्तीय स्थिति अनुकुल न होने पर एक सार्वजनिक दस्तावेज जारी करती है जिसमें वित्तीय स्थिति का संपूर्ण ब्यौरा होता है, श्वेत पत्र (white paper) कहलाता है। म.प्र. सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य की वित्तीय स्थिति तथा आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया था।

10. **स्टेटस पेपर –** केंद्र सरकार अपनी राजकोषीय प्रतिबद्धता तथा लोक ऋणों की अद्यतन स्थिति को प्रदर्शित करने के लिये वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष एक स्टेटस पेपर जारी कर रही है। जून 2016 में केन्द्र सरकार ने लोक ऋणों पर पांचवां स्टेटस पेपर जारी किया जिसमें 21 मार्च 2015 तक की केंद्र सरकार व राज्य सरकारो की संयुक्त ऋण देयताओ का विश्लेषणात्मक प्रकटन किया।

11. **रिजर्व बैंक –** रिजर्व बैंक देश की र्माद्रिक व बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्रीय सरकार का बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार भी होता है। यह केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है तथा राज्य सरकारों की वित्तीय एवं ऋण आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करवाता है साथ ही इनके अस्थायी नगदी प्रवाह की समस्याओं के समाधान के लिये अर्थोपाय अग्रिम (ways and means advances) तथा अधिविकर्ष (over draft) की सुविधा भी प्रदान करता है।

12. **लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी –** वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की अनुशंसा अनुसार सरकार ने फरवरी 2015 में केंद्रीय सरकार के ऋणों के स्वतंत्र प्रबंधन के लिये एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के गठन की घोषणा की जो रिजर्व बैंक से पृथक केंद्रीय सरकार के लोक-ऋणों का प्रबंधन करेगी।

13. **रेटिंग एजेन्सियाँ –** साख निर्धारण एजेंसी ऋण जारी करने वाली संस्थाओंके ऋण उपकरणों की साख योग्यता का निर्धारण करती है। निगमों व सरकारों की साख निर्धारण करने वाली तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ है- फिच रेटिंग्स (यू.एस), मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (यू.एस.), स्टैण्डर्ड्स एण्ड पूअर्स (यू.एस.)। केन्द्रीय सरकार एवं वित्तीय संस्थायें अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतों से भी ऋण प्राप्त करती है जबकि राज्य सरकारों के ऋण स्त्रोत अंतर्राष्ट्रीय बाजार न होने से राज्यों में साख निर्धारण एजेंसियों की भूमिका सीमित है।

निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव – अध्ययन के निम्नलिखित पांच निष्कर्ष व सुझाव रहे :-

1. अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिये वित्तीय समेकन आवश्यकता है। विकास के नाम पर राज्यकोषीय अधिनियम के प्रावधानों का युक्ति युक्तकरण किये जाने की आवश्यकता है इस संबंध में यह सुझाव है कि राजकोषीय घाटे को एक निश्चित लक्ष्य अथवा सीमा तय न करके एक श्रेणी अथवा दायरा तय किया जाना चाहिए। जिसके भीतर ऋण संसाधन जुटाये जाये अथवा संभव ना होने पर खर्चो में कटौति की जाए। क्योकि तेजी से बदलते परिवेश में सरकार के पास नीतिगत फैसले लेने के लिय पर्याप्त आर्थिक गुंजाइश होनी चाहिये।

2. केंद्रीय सरकार की वित्तीय शक्ति एवं साख क्षमता अधिक होने से वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आवश्यकतानुसार कम लागत पर ऋण जुटा सकती है किंतु राज्य सरकारें अपनी सीमित वित्तीय क्षमताओं तथा साख सीमाओं के कारण पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं प्राप्त कर सकती है। अतः राज्य सरकारों को भी विशेष आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं में केंद्र सरकार की ग्यारंटी पर विदेशों से ऋण लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्यों को बजट घाटा अनुदान तथा राज्य आपदा राहत कोष के लिये सहायता अनुदान का प्रावधान है। अतः इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि जिन राज्यों में राजस्व आधिक्य की स्थिति है उन्हें राजस्व आधिक्य अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. राज्यों को अपने ऋणो की समय पर अदायगी के लिये एक ऋण शोधन कोष स्थापित करना चाहिये तथा इस कोष की राषि का निवेश भी कर दिया जाना चाहिये। बारहवे वित्त आयोग में राज्यों को ऋणों के भुगतान हेतु इस प्रकार का कोष स्थापित करने की सिफारिश की है।
5. राज्य सरकार की ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता हैं अतः केंद्र की तरह राज्य में भी विनिवेश कार्यक्रम शुरु होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वित्तीय क्षेत्र, विधायी आयोग की रिपोर्ट 2013, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. आर्थिक समीक्षा 2012-13 से 2015-16
3. The Status Paper on Government Debt 2014, Ministry of Finance, Budget Division, New Delhi.
4. White Paper of Financial & Economic condition of Madhya Pradesh feb. 2004, Department of Finance M.P. Govt.
5. बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट
6. तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट
7. चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

****

Crafts and Industries in India During the British Rule

Sunil Sharma*

Abstract - The details of crafts and industries in India during the British rule by focusing on two industries, namely textiles and iron and steel have been discussed in the research paper.

Key Words - colonization, company, industrialists, goods markets, merchants.

Introduction - Textiles and Iron and steel industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost Industrial nation in the 19th century. Also when its Iron and Steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the "workshop of the world". The industrialization of British had a close connection with the conquest and colonization of India. The English East India Company's interest in trade led to occupation of India. In the late 18th century the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British Industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over a period of time, manufactured goods from Britain began flooding India. Around 1750, before the British conquered Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textiles. Indian textiles were renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. They were extensively traded in South East Asia [Java, Sumatra and Penang] and west and central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textiles for sale in Europe. Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such words, and see what they tell us. European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq. So they began referring all finely woven textiles as "muslin"- a word that acquired wide currency. Similarly the Portuguese landed in Calicut, took back the cotton textiles which came to be called "calico" and subsequently Calico became the general name for all the cotton textiles.

There are many bother words which point to the popularity of Indian textiles in western markets. In an order book that the English East India Company sent to its representatives in Calcutta in 1730, an order was made for 589000 pieces of cloth. In that book 98 varieties of cotton and silk cloths were mentioned. Different names were given to different varieties of cloth in that book. Printed cotton clothes were called Chintz, cossaes [or Khassa] and bandanna. The English term Chintz is derived from the Hindi term chhint, a cloth with small and colorful flowery designs. From the 1680's there started a craze for printed Indian cotton textiles in England and Europe mainly for their exquisite floral designs, fine texture and for relative cheapness. Rich people of England including the Queen herself wore clothes of Indian fabric. Similarly the word Bandanna now refers to any brightly coloured and printed scarf for the neck or head. Originally, the term derived from the word "bandhna"[Hindi for tying], and referred to a variety of brightly coloured cloth produced through a method of tie and dye. This is a fine example of the type of chintz produced for export to Iran and Europe. There were other cloths in the order book that were noted by their place of origin: Kasimbazar, Patna, Calcutta, Orissa and Charpoore. The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different parts of the world.

Worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. In 1720, the British government banned, through legislation, the use of printed cotton textiles-chintz in England. Interestingly, this act was known as the Calico act. At this time textile industries had just begun to develop in England. Unable to compete with the Indian textiles, English producers now imitated Indian designs and printed it in England on white Muslin or plain unbleached Indian cloth. Competition with Indian textiles also led to a search for technological innovation in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Kaye which increased the productivity of the traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven immense in quantities and cheaply too.

However, Indian textiles continued to dominate world trade till end of the 18th century. European trading companies made enormous profits out of this flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver. With the English East Company gaining

*Teacher, S/o Chhaju ram R/o Pahariwala P/o Pallanwala, Tehsil - Khour, District - Jammu (J&K) INDIA

political power in Bengal, it used revenues collected in India, instead of precious metal, to buy Indian textiles.

As cotton industries developed in Britain, it affected textile producers in India in several ways. First, Indian textiles now had to compete with British textiles in the European and American markets. Second very high duties were imposed on Indian textiles making its import into Britain difficult. With the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. But worse was still to come .By the 1830s, British cotton cloth flooded the Indian markets. In fact, by the 1880s two-thirds of all the cotton clothes worn by Indians were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialist weavers but also spinners. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. Handloom weaving did not completely die in India. This was because some types of clothes could not be supplied by machines. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloths used by poor people in india.Sholapur in western India and Madura in South India emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. Later, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textiles and use hand-spun and hand-woven cloth. Many weavers became agriculture labourers. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur. The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854.By 1900, over 84 mills started operating in Bombay. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. A year later a mill was established in Kanpur, in the united provinces. Growth of cotton mills led to a demand for labour. Thousands of poor peasants, artisans and agricultural labourers moved to the cities to work in the mills. In the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. It found it difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. The first major spurt in the development of cotton factory production in India, therefore, was during the First World War when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies.

Indian Wootz steel fascinated European scientists. Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent four years studying the properties of Indian Wootz [1818-220. However, the Wootz steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid 19th century as the swords and armour making industry died with the conquest of India by the British and imports of iron and steel from England displaced the Iron and steel produced by craftspeople in India. Ironsmiths in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This inevitably lowered the demand for iron produced by local smelters . By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. In 1904 Charles Weld an American geologist and Dorabji Tata, the Eldest son of Jamsetji Tata, spent many months in Chhattisgarh in search of iron deposits. In a small village they found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. These people were the Agarias. When asked where they found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. On exploring the hill, finest ore was found but there was a problem that the region was dry. So they took the help of Agarias for more suitable place which ultimately led to the foundation of Bhilai Steel Plant. A few years later a large area of forest was cleared on the banks of the river Subarnarekha to set up the factory and an industrial township-Jamshedpur. Here there was water near iron ore deposits. The Tata and Steel Company [TISCO] that came up began producing steel in 1912. In 1914 the First World War broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. So imports of British steel into India declined dramatically and the Indian Railways turned to TISCO for supply of rails. As the war dragged on for several years, TISCO had to produce shells and carriage wheels for the war. By 1919 the colonial government was buying 90 percent of the steel manufactured by TISCO. Over time TISCO became the biggest steel industry within the British Empire. In the case of iron and steel, as in the case of cotton textiles, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian goods increased. This happened during the First World War and after. As the nationalist movement developed and the industrial class became stronger, the demand for government protection became louder. Struggling to retain its control over India, the British government had to concede many of these demands in the last decades of colonial rule.

References: -

1. Indian history by Krishna Reddy
2. NCERT Textbook of Modern India
3. Pratiyogita darpan
4. Indian History by Agnihotri

****

Non-Cooperation Movement

Sunil Sharma*

Abstract - Various pros and cons of Non –Cooperation movement has been discussed in the research paper.
Key Words- movement, session,resolution,violence,withdrawal.

Introduction - Disgusted with the Hunter Commission report especially its appraisal of brutalities in Punjab by its own enquiry committee, Congress agreed to consider Non-Cooperation. The AICC met in May1920 and decided to convene a special session in September to enable the Congress to decide on its course of action. The movement was launched formally on 1st August 1920, after the expiry of the notice that Gandhi had given to the viceroy in his letter of 22 June. Tilak passed away in the early hours of 1st August and the day of mourning and of launching of the movement merged as people all over the country observed Hartal and took out processions. Many kept a fast and offered prayers.

The congress met in 4-9 September 1920 at Calcutta and accepted non cooperation as its own. The main opposition led by CR Das, was to the boycott of legislative councils, elections to which were to be held very soon. But even those who disagreed with the Idea of Boycott accepted the congress discipline and withdrew from the elections.

Nagpur Session Of Congress - By December when the congress met for its annual session at Nagpur, the opposition had melted away and it was CR Das who moved the main resolution on Non- Cooperation. The programs of National Congress included:-

1. The surrender of Titles and Honors.
2. Boycott of Govt.affliated Schools and Colleges, Law courts, foreign cloth and could be extended to include resignation from government services and mass civil disobedience including non-payment of taxes.
3. National Schools and Colleges were to be set up, Panchayats were to be established for setting disputes, hand spinning and weaving was to be encouraged and people were asked to maintain Hindu-Muslim unity, give up untouchability and observe strict non-violence.

Gandhi promised that if the programme was fully implemented Swaraj would be ushered in within a year.

Restructuring Of INC and Its Creed - To enable the Congress to fulfill its new commitment significant changes were introduced in its creed as well as in its organizational structure.

The congress was now to have a working committee of its members to look after its day to day affair. Provincial congress committees [PCC] were now to be organized on a linguistic basis so that they could keep in touch with the people by using the local language. The congress organization was to reach down to the village and Mohalla level by the formation of Mohalla or ward committees. The membership fee was reduced to 4 annas per year to enable the poor to become members. Congress was to use Hindi as far as possible.

Support by different groups and communities -The adoption of Non Cooperation Movement by the congress gave it a new energy and from 1921 January, it began to register considerable success all over the country. In the first month itself, thousands of Students [about 90000] left schools and colleges and joined more than 800 national schools and colleges that had sprung up all over the country. The educational boycott was more effective, particularly in Bengal, where about 20 Headmasters or teachers were resigning per month till April 1921 and where there was an exodus of 11157 out of 103107 students attending government or aided institution.

A considerable number of national schools and colleges were also founded [Like the Jamia Milia Islamia in Aligarh, later shifted to Delhi, The Kasi Vidyapith at Benaras and Gujarat Vidyapith] with 442 institution started in Bihar and Orissa, 190 in Bengal, 189 in Bombay and 137 in U.P. CR Das and SC Bose played a major role in promoting the movement.

The Boycott of law court by lawyers though not as successful as educational boycott, yet was spectacular. Many leading lawyers of the country like C.R.Das, Motilal Nehru, M.R. Jaykar, Saifudin Kitchlew, Vallabhbhai Patel, C. Rajagopalachari, T.Prakasm and Asaf Ali gave up lucrative practices and their sacrifice became a source of inspiration for many. The economic boycott was far more intense and successful than in 1905-08 with the value of imports of foreign cloth falling from Rs.102 Crores in 1920-21 to 57 Crores in 1921-22.Import of British cotton piece goods was 1292 million yards and 955 million yards respectively in the same year. Picketing of Shops selling foreign cloth was a major form of boycott.

*Teacher, S/o Chhaju ram R/o Pahariwala P/o Pallanwala, Tehsil - Khour, District - Jammu (J&K) INDIA

During the period 1918-22 while the large industrialists remained anti non cooperation and anti non cooperation was started in 1920 by Purshottamdas Thakurdas, Jamnadas, Dwarkadas, Jehangir, Pheroz Sethna and Setalvad, The Marwari and Gujarat merchants aggrieved by the falling exchange rates and taxation policy of the government, remained fairly consistently pro-nationalist. Another feature of the movement which acquired great popularity in many parts of the country was Tamperance or anti –liquor compaign.It resulted in significant drop in liquor excise revenue in Punjab, Madras, Bihar, and Orissa.

The anti-untouchability campaign was for the first time brought to the forefront of nationalist politics by inserting in the historic 1920 resolution an appeal to rid Hinduism of the reproach of untouchability.

Regional Variations - The most significant aspects of the Non –Cooperation Movement were, however its uneven geographical spread and wide regional variations. Non –cooperation Movement began in Punjab with a fairly successful Lahore student walk out inspired by Lajpat Rai in January 1921.The Sikh dominated central Punjab countryside was stirred to its depths, however by the powerful Akali upsurge, initially quite an independent religious reform movement which for a time got closely identified with Non-cooperation. The Akalis were fighting to wrest control over the Sikh Shrines from corrupt Mohants. In Rajasthan peasants and tribals in some parts began movements for securing better condition of life. There was Bijolia movement in Mewar against cesses and begar Khalisa lands of the Udaipur Maharana.There were another movement called Bhil Tribal Movement under Motilal Tejawat.

In Bombay Muslim traders and peasants of Sind were aroused to great enthusiasm by the Khilafat call. In Madras NCM witnessed a Brahmin –non Brahmin conflict as justice party launched an active campaign against the Brahmin congress and its non cooperation programme and rallied in support of the Montague-Chelmsford reforms. In Andhra Pradesh with outstanding leaders like Konda Venkatappayya, A. Kateswara Rao, T.Prakasam and Pattabhi Sitaramayya NCM attained its greatest strength. No tax movement led by Duggirala Gopalakrishnayya. Forest Satyagraha by tribals and poor peasants against forest restrictions in Palnad Taluqa of Guntur. In Assam the most important development in the tea gardens of Surma valley where at chargala in May 1921, coolies demanded a big wage increase followed by massive exodus of some 8000 [52%] of labour force. In Bengal Non cooperators had attempted a jute boycott in Feb.1921, urging peasants to give up jute cultivation for paddy and cotton in a move calculated to hit British owned jute mills reduce food grains prices and encourage Khadi.

Events during Non –Cooperation Movement:-The AICC, at its Session at Vijayawada in March 1921, directed that for the next 3 Months Congress should concentrate on:-

1. Collection of Funds
2. Enrolment of members [1 crore]
3. Distribution of Charkhas

Congress membership reached a figure roughly of 50 Lakhs. Tilak Swaraj fund was oversubscribed exceeding the target of rupees 1 Crore. Charkhas were popularized on wide scale and Khadi became the uniform of national movement.

July 1921 - Mohammad Ali declared that It was religiously unlawful for Muslims to continue in the British army. He was arrested.

17 Nov.1921 - On the arrival of the Prince of Wales, a nationwide strike was observed. On that day Bombay witnessed the outbreak of the first violent riot of the movement

Targeting the Europeans, Anglo-Indians and Parsis. There was police firing and third day resulted in 59 dead, which made Gandhi declare that “Swaraj…has shrunk in my nostrils” and postpone once again plans for civil disobedience in the selected single Taluka of Bardoli.

Bardoli Satyagraha - It was decided then an experimental no revenue campaign would be launched at Bardoli in Gujarat in Feb.1922 as it was Ryotwari area, with no Zamindars and therefore no danger of a no-revenue campaign tearing apart the fragile coalition of classes. But this never happened as before that NCM was withdrawn. On 05 Feb.1922 the Chauri Chuara incident which proved the last straw for the Gandhi took place in Gorakhpur District of U.P.Irritated by behavior of some policemen, a section of crowd attacked them. The police opened fire. At this entire procession, the police station was set to fire in which 22 policemen died .On hearing of the incident, Gandhi decided to withdraw the movement. On 12 Feb.1922 Non-Cooperation Movement came to an end.

Repression by British Government:-In May 1921, Govt.had tried through Gandhi-Reading talks to persuade Gandhi to ask Ali brothers to withdraw from their violent speeches. But it was failed. Government was trying to drive a wedge between him and Khilafat leaders. By December 1921, the govt. declared the volunteer’s corps illegal and arrested its members.CR Das was the first to be arrested followed by his wife Basanti Devi. About 30000 people arrested in the next 2 months. Repression continued, public meetings and assemblies were banned, newspapers gagged and midnight raids on Congress and Khilafat became common.

Withdrawal of Non-Cooperation Movement - Gandhiji’s Decision to withdraw the movement in response to violence at Chauri-Chaura raised a controversy. Motilal Nehru, CR Das, J.L.Nehru, SC Bose and many others recorded their utter bewilderment. Gandhiji’s decision was condemned by many later commentators following the tradition established by R.P.Dutt in India Today, they saw it as Mahatma’s concern for the propertied classes of Indian society. They have found supportive proof in the resolution of Congress working Committee of 12 Feb.1922 popularly called as Bardoli

Resolution which while announcing the withdrawal, asked the peasants to pay taxes and tenants to pay rents.

Why withdrawal - One obvious reason was that in such a mass ferment of activity, that movement might easily take a violent turn, either due to its own volatile nature or because of provocation by the authorities concerned. Also if violence occurred the Govt.would have launched a massive attack on the movement. Gandhiji's decision may have been prompted by the fact that in many parts of the country, the 2nd half of 1921, that movement had shown clear signs of being on the ebb. Students, Lawyers and commercial classes showed signs of weariness and the attendance at meetings and rallies had dwindled, both in the urban and rural areas. The mass movements have inherent tendency to ebb after reaching a certain height that the capacity of the masses to withstand repression, endure suffering and make sacrifices is not unlimited, that a time comes when breathing space is required to consolidate, recuperate and therefore withdrawal is an inherent part of strategy of political action that is based on masses. Withdrawal is not tantamount to betrayal, it is an inevitable part of the strategy itself.

Conclusion - Non Cooperation Movement in fact succeeded on many counts though it couldn't accomplish Gandhiji's promise of Swaraj 'within a year. It certainly demonstrated that it commanded the support and sympathy of vast sections of Indian people. The capacity of "poor dumb millions" of India to take part in modern nationalist politics was also demonstrated. It was the first contact with modern world of nationalist politics and the modern ideology of nationalism.

References:-

1. S.A.Dange-Gandhi and Lenin The socialist[Bombay]
2. Muzzaffar Ahmed-Navyug [Bengal]
3. Ghulam Hussain-Inquilab [Punjab]
4. M.Singaravelu-Labour Kissan Gazette[Madras]
5. Indian history by Krishna Reddy
6. NCERT Textbook of Modern India
7. Pratiyogita darpan
8. Indian History by Agnihotri

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Mounting Movements in Planned Retailing in India

Dr. Vaibhav Sharma* Dr. Archana Dwivedi**

Abstract - The retailing industry in India is emerging with the lines of the economic development of the society. The Indian Retail sector has gone through major transformation over the last decade with a visible move towards organized retailing. In the past few years, Indian Retail sector has seen remarkable growth in the organized segment. Major domestic players have stepped into the retail field with long term determined plans to expand their business across cities and formats. Companies like Tata, Reliance and Bharti have been investing much in the flourishing Indian Retail market. Along with these huge retailers, a number of global brands have also entered into the market to set up retail chains in close association with bigger Indian companies. Within retail, the emerging sectors would be food and grocery, apparel, electronics, e-commerce, fashion and lifestyle. The growing middle class is an important factor contributing to the growth of retail in India.A large young working population, nuclear families in urban areas, along with increasing working women population and emerging opportunities in the services sector are going to be the key factors in the growth of the organized Retail sector in India. Indian retail is expected to grow 25 per cent annually. Modern retail in India could be worth US$ 600 billion by 2021.The organized retail sector in India is expected to grow from the existing 2 percent of the total retail industry to an impressive 20 percent by the end of the decade.
Key Words- Retailing, organized and Players.

Introduction - Liberalized financial and political environment in India has prompted wave of large number of entrants into the country's rapidly growing retail industry during the past few years. India is known as the nation of shops. After agriculture retailing is the second largest employer in India.But retailing in India is at cross roads on the one side, retail sales are making new heights year after year and on the other side, traditional Indian retailers face numerous challenges.

Objectives - The exact objectives of this paper are to study the rising trends in Indian retailing and to study the challenges & opportunities for organized retailing in India

Research Methodology - This paper is based on the theoretical study of secondary data on retailing with special reference to organized retailing in India. To complete this, various books, journals and periodicals have been consulted. Internet searching has also been done for the purpose.

Retail Trends - The retail industry in India has come forth as one of the most dynamic and fast paced industries with several players entering the market. Presence of unorganized/traditional retailing is highly prominent in small towns and cities with main presence of neighborhood "kirana stores" push cart vendors, melas and mandis. Leading retail players in the industry are beginning to explore these markets and the rural consumers are slowly beginning to embrace the newer organized retail formats. The Indian retail industry is broadly divided into two segments:

(i) Organized retailing

(ii) Unorganized retailing.

Organized Retailing In India - Organized retailing consists of mainly of modern retailing with shopping malls, food world in FMCG super markets, hyper marketsand big complexes that offer a large variety of products in terms of quality and makes shopping a memorable experience. These new retail formats are constantly trying to provide the customer with the 3 V's (variety, value and volume). Previously, customers used to go to kirana Stores to purchases their necessities. This later changed to bigger shops run by one man with a few employees. Gradually more sophistication seeped into this sector and department stores came into being. Beginning in the mid-1990s, after liberalization, privatization and globalizationthere was an explosion of shopping malls and plazas where customers interacted with professional and not with just one single person –the owner. An important point here is that customers' requirements are catered to by trained staff. Today, organized retailing has become an experience characterized by comfort, style and speed. It is something that offers a customer more control, convenience and choice along with an experience. Organized retailing is on continuous increase of its market share from the past. Retailing can be categorized as of different sectors like food and grocery, clothing and apparel,consumer durables, footwear, furniture and furnishing, catering services, jewelry and watches, books, music and gifts, mobile handsets and others.

*Assistant Professor, College of Commerce, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, College of Commerce, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA

Unorganized Retailing In India - The unorganized retailing comprisesof "mom and pop" stores or kirana stores. These are very small shops located near the residential areas. Trading hours are flexible and the retailer to consumer ratio is very low due to the presence of several stores in the locality.

Rising Trends In Retailing In India - Today consumers prefer to shop at places where they can get grocery, food, entertainment and other daily routine items under one roof. This has given retailing the most attractive sector of the Indian economy. Following are the recent trends that have stood out in recent years and continue to grow further:

1. New retail formats and combinations are rising and have opened a new world of opportunities for Indian youths.
2. Retailers are informing about new arrivals/ fresh stocks through SMS, e-mails, telephones and televisions.
3. Retail sector is expected to grow because Bank branches, bill counters, saloons, internet café have opened in the malls. The 'cash and carry' activities are expected to grab majority of attention.
4. Internet age, increased computer awareness and shrinking usage charges have made people buy things online resulting in growth of non-store retailing.
5. Event managers are hired and visual merchandising professionals are consulted. Newer and newer promotional techniques are emerging.
6. Today retail organizations are not only targeting big cities but are considering tier II and tier III cities.
7. Reasonable real estate prices, double household income, increased presence of MNC's and industrial boom has led to the emergence of new residential societies resulting in increased purchasing power and demands for day to day goods under one roof.
8. Extension of credit facilities by the banking institutions, extraordinary growth registered in Telecommunication, Communication and broadcasting industry and a transition state of the economy from developing state to the rapidly and consistently developing economy has significantly contributed towards the growth of different cross section forms of retailing.

Opportunities In Retail Sales - The Indian Government in 2005 decided to allow Foreign Direct Investment (FDI) to 51% in case of single brand. This decision has opened a large number of opportunities in Indian organized retail sector. In fact, 350 new malls, 375 departmental stores and 1500 super markets are being build which shows the future of Indian retail industry.The retail market is expected to reach a whooping Rs. 47 lakh crores by 2016-17, as it expands at a compounded annual growth rate of 15 per cent, accordingly to the 'Yes Bank - Assocham' study.The retail market, (including organized and unorganized retail), was at Rs. 23 lakh crores in 2011-12. According to the study, organized retail, that comprised just seven per cent of the overall retail market in 2011-12, was expected to grow at a CAGR of 24 per cent and attain 10.2 per cent share of the total retail sector by 2016-17."Favorable demographics, increasing urbanization, nuclearization of families, rising affluence amid consumers, growing preference for branded products and higher aspirations are other factors which will drive retail consumption in India," said DS Rawat, Assoc ham Secretary General.Indian retail is expected to grow 25 per cent annually. With the entry of national and international business tycoons in Indian retail industry, business environment is becoming complex year after year. This wants huge investment, customization and training. More over it is the right time to reap benefits from such global opportunity. A person can own his business by opening a retail store or just having a 'franchisee' of a popular brand, which has element of both entrepreneurship and managerial assistance. In India we still have over 12 million retail outlets that are sole proprietorship.

Threats In Retail Sales - The biggest challenge faced by Indian retail industry is that excluding metros, people still prefer to shop from the traditional kirana stores,who even change comparatively to a retail store. All the marketing efforts, sales promotion programs have no effect on them. Besides this, following are some major threats in retail sales:

1. A long way to meet international standards
2. Lack of efficient supply-chain management
3. Lack of required retail space
4. No fixed consumption pattern
5. Shortage of trained manpower
6. Lack of proper infrastructure and distribution channel
7. Bureaucracy, red tapism and corruption in the system further make the entry in Indian retail industry very difficult.

Future Possibilities - The future of the Indian retail industry shows potential with the growing of the market, government policies becoming more favorable and the emerging technologies make facilitating to retailing. Young Indians are purchasing mobile phones, fashion, accessories, food and beverages, etc. who makes the contribution in growth of retail sector. Young Indians have spending more money than before and they have independence,aspirations and alot of demand for products. The Indian retail sector is developing rapidly and those who want to enter in the market now can learn about local dynamics, develop market insights and establish leadership positions. Online retail business is another format which has high potential for growth in the near future. Modern retail in India could be worth US$ 600 billion by 2021.The organized retail sector in India is expected to grow from the existing 2 percent of the total retail industry to an impressive 20 percent by the end of the decade. Online retail in the country that is growing at a faster pace, is expected to be $170 billion by FY30, growing at a CAGR of 23 percent, according to a Jefferies report.

Conclusion - Since the industrial policy 1991retail in India has evolved to support the unique needs of our country, giving its size and complexity. Indian retailing industry is significantly contributing towards the GDP and employment generation.Organized retailing has its growth because of

the tendency to consume behavior of Indian middle-class segment. After the critical examination of strength, weakness, opportunities and threats (SWOT) we can say that Indian retail industry, especially organized retail, is going to expand on a mammoth scale in the Asian countries. International retailers are viewing India as a potential market due to the rapidly growing customer base and its ability to assimilate new brands into its market.So finally we conclude that retail sector is grooming with rapidly and India will have a tremendous future in organized retail sector.

References :-

1. Dr. Harjit Singh, Retail management- A global perspective.
2. Suja R.Nair, Retail Management.
3. International Journal on Emerging Technologies.
4. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review.
5. Retail Industry in India A report on Indian Retail Industry, Corporate Catalyst India
6. www.indiaretailing.com

****

गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारो के आर्थिक उन्नयन हेतु संचालित योजनाए एवं उनका योगदान

आशीष शर्मा* डॉ. ए.के. पाण्डेय*

प्रस्तावना – गरीबी भूख है और उस अवस्था से जुड़ी हुई है निरन्तरता यानी सतत् भूख की स्थिति का बने रहना। गरीबी है एक उचित रहवास का अभाव, गरीबी है बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले पाने में असक्षम होना, विद्यालय न जा पाना और पढ़ न पाना गरीबी है आजीविका के साधनों का अभाव और दिन में दोनो समय का भोजन न मिल पाना। छोट बच्चों की कुपोषण के कारण होने वाली मौंते गरीबी का भयानक उहाहरण है और सामाजिक परिपेक्ष्य में शक्तिहीनता, राजनैतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व न होना और अवसरों का अभाव गरीबी की परिभाषा का आधार तैयार करना है।

बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, विकास का बढ़ता अभाव, खाद्य संसाधनों का अभाव, आवास की उचित व्यवस्था न होना, शिक्षा से दूर तक संबंध नही, स्वच्छ पानी और पर्यावरण आदि गरीबी को निर्धारित करते हैं।

गरीबी की रेखा को मापने के लिए योजना आयोग ने गरीबी का मापक तैयार किया है और वह यह कि किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को औसत रूप से स्वस्थ्य बनाये रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2410 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2070 कैलोरी की न्यूनतम आवश्यकता होती है। जिसके पास इसका अभाव है वह गरीब है और गरीबी के नीचे माना जायेगा।

गरीबी की रेखा वह सीमा है जिसके नीचे जाने का मतलब है जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी सुविधाओं, सेवाओं और अवसरों का अभाव। यही वह अवस्था है जिसमे आकर जीवन पर संकट और दुखों की संख्या में सौ फीसदी हो जाती है। जिस सीमा को हम गरीबी करी रेखा कहते हैं। उसे परिभाषित करने के लिए सरकार की ओर कुछ मानदण्ड तय किये गये हैं। इन्ही मानदण्डो के आधार पर तय होता है कि किसका जीवन संकटमय अभाव में बीत रहा है।

शासन की प्रमुख योजनाओं का वर्णन :-

1. B.P.L. आवास योजना :-
2. मुफ्त बिजली कनेक्शन
3. शौलाचलय निर्माण योजना
4. फ्री राशन योजना
5. मुक्त शिक्षा योजना
6. प्रतिभा किरण योजना
7. कन्या विवाह योजना
8. संबल योजना

आदि कई महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जो शासन द्वारा संचालित है जिसका लाभ गरीब एवं कमजोर वर्ग के द्वारा लिया जा रहा है। जिससे इनकी स्थिति में कुछ सुधार हो सके।

शब्द कुंजी – स्वयंसेवी संस्थाएँ, सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, कौशल विकास, जागरूकता, सामाजिक बुराईया।

विशेषताएं – म.प्र. सरकार के द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्गो के आर्थिक उन्नयन हेतु जिन योजनाओं का संचालन किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य समाज में जो गरीब एवं बेरोजगारी तथा अन्य प्रकार की जो समस्याऐ हैं उसका समाधान करना है और अधिकांश लोग इनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसी भी समाज का निर्माण, सामाजिक अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, भृष्टाचार निवारण में सहायक, प्रबंधकीय कौशल और परम्परागत विशेषता को विकसित करके समाज को नई दिशा प्रदान करना है और जन समुदाय को इन योजनाओं की जानकारी प्रदान करके समाज को संगठित और जागरूक बनाना है जिससे अन्य दशों की तरह हम भी आत्मनिर्भर हो सकें।

कार्य – गरीब एवं कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए और योजनाओं का सही संचालन करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे प्रमुख कार्य शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वच्छ पर्यावरण, समाज कल्याण योजनाओं को विकसित करना, समाज कल्याण कार्यक्रम, कृषि, सिंचाई, पेयजल, उद्योग एंव रोजगार और जागरूकता कार्यक्रमों, अपराध और भृष्टाचार को कम करके इस गरीब एवं कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

उद्देश्य – गरीब एवं कमजोर वर्गो की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से इस शोधपत्र को तैयार किया गया है। इस शोधपत्र के माध्यम से समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रभावी बनाना है। जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाय, शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करना, स्वसहायता समूह के द्वारा स्वावलंबन कार्यक्रम को प्रचारित करना और अधिकारों एवं दायित्वो के बारे में जागरूक करना, ग्रामो उद्योग को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण, जलसंरक्षण, पेयजल, स्वास्थ्य, सिचाई, भूमिसुधार, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता आदि क्रायक्रर्मो को सही तरीके से लोगो तक पहुँचना इस का प्रमुख उद्देश्य है।

लाभान्वित – गरीब एवं कमजोर वर्गो की समान्ताएँ दिनांक दिन बढ़ती जा रही है। इनकी समस्याओं का समाधान करने में वर्तमान में कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाए है जो इनके निम्न स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

हैं। इन स्वयं सेवी संस्थाओं से कितने लोग लाभांवित हुए है। उसका अध्ययन करने के लिए मैने 500 लाभप्रद व्यक्तियों का चयन व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर किया है। सतना जिले के अंतर्गत संचालित स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन उनकी गुणवत्ता एवं कुशलता के आधार पर किया गया है। इन लाभार्थियों का चयन निर्देशन पद्धति के आधार पर और लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक घटको के प्रभाव के आधार पर किया गया है। जिसे हमने सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जो इस प्रकार है :-

सारणी क्रमांक 1.1 : सतना जिले में लाभान्वित व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर

क्र.	आर्थिक एवं सामाजिक स्तर	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1	क्या आप B.P.L. से संबंधित	400	80
2	क्या आप A.P.L. से संबंधित	100	20
	योग	500	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सतना जिले में चयनित स्वयं सेवी के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों से प्रभावित 500 लाभान्वितों का व्यक्तिगत अध्ययन किया गया है। चयन के आधार B.P.L.परिवार से संबंधित लाभान्वितों की संख्या 400 अर्थात 80 प्रतिशत तथा A.P.L. परिवार से संबंधित लाभान्वितों की संख्या 100 अर्थात 20 प्रतिशत है। द्वितीय सारणी क्रमांक 1.2 में यह जानने का प्रयास किया गया कि गरीब एवं कमजोर वर्ग से होने के बाद क्या आप स्वयं सेवी संस्थाओं से परिचित हैं। तो अध्ययन में जानकारी मिली

सारणी क्रमांक 1.2 : सतन जिले में स्वयं सेवी संस्थाओं से परिचित

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	परिचित हैं।	100	20
2	परिचित नहीं हैं।	400	80
	योग	500	100

तालिका से स्पष्ट है। कि आज भी स्वयं सेवी संस्थाओं से परिचित लोगों की संख्या 100 है जिसका प्रतिशत 20 है और परिचित नहीं होने वालो की संख्या 400 जिसका प्रतिशत 80 है।

सारणी क्रमांक 1.3 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली

क्र.	परिचय	संख्या	प्रतिशत
1	क्या आप उनसे परिचित है।	200	40
2	नहीं परिचित है।	300	60
	योग	500	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है। कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो शासन द्वारा लागू हैं उसमें अधिकांश लाभ अन्य वर्ग को प्राप्त होता हैं। गरीब एवं कमजोर वर्ग इनसे वंचित हो जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से परिचित लोगो की संख्या 200 और प्रतिशत 40 है। और जो परिचित नहीं है उनकी संख्या 300 तथा प्रतिशत 60 है।

सारणी क्रमांक 1.4 : व्यवसाय का स्वरूप

क्र.	स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1	निजी व्यवसाय	100	20
2	दैनिक रोजगार	200	40
3	मजदूरी	200	40
	योग	500	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है। कि निजी व्यवसाय करने वालो की संख्या 100 अर्थात 20 प्रतिशत, दैनिक रोजगार का प्रतिशत 200 अर्थात 40 प्रतिशत तथा मजूदरी करने वालो की संख्या 200 अर्थात 40 प्रतिशत है।

योगदान – गरीब एवं कमजोर वर्ग की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं का सफल संचालन आवश्यक है। और इसके लिए स्वयं सेवी संस्थाओं का होना और उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य लाभदायक हो सकता है। इसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि इन वर्गो की स्थिति कैसे परिवर्तित हो रही है। स्थिति परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन होता है और समाज की प्रगति जनता से होती है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है। कि गरीब एवं कमजोर वर्ग की जो समस्यांऐ हैं अगर उनका समाधान उचित तरीके से किया जाय। व्यवसायिक जानकारी आप में वृद्धि, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक, मनोरंजन के साधन, शिक्षा की उचित व्यवस्था, नशामुक्ति, आज ऐसे कई कार्य इन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। जिससे इनके स्वरूप और समाज के स्वरूप में परिवर्तन आयेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, जवाहर नगर, नई दिल्ली 1991
2. गुप्ता एवं शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2008
3. योजना (मासिक पत्रिका)
4. कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका)
4. डॉ0 प्रीति 'भारत में समाज कल्याण' (कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल 2012) पृष्ठ संख्या -22

****

प्रधानमन्त्री जनधन योजना एक मूल्यांकन

डॉ. रेनू जैन*

शोध सारांश – प्रधानमन्त्री जनधन योजना का प्रारम्भ 2014 में हुआ जिसके अन्तर्गत देश की ग्रामीण एवम् शहरी जनसंख्या का शून्य बैलेंस एवम् न्यूनतम कागजी कार्यवाही के साथ खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई। यह योजना भारत की निर्धन, साधन विहीन जनता को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तुत शोध पत्र में सरकार के द्वारा प्रारम्भ की गई जनधन योजना का वित्तीय समावेश के सन्दर्भ में मूल्यांकन करते हुए उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करना है।

शब्द कुंजी – प्रधानमन्त्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, बैंक, स्वाभिमान योजना, वित्तीय साक्षरता।

प्रस्तावना – वित्तीय समावेशन का अभिप्राय विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं जैसे बचत, ऋण, बीमा, अनुदान एवम् अन्य बैंकिंग सुविधा को न्यूनतम लागत पर समाज के अधिकांश वर्ग विशेषत: निम्न आय वर्ग तक पहुंचाना है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के बैंकिंग सुविधा को सब तक पहुंचाना है क्योंकि बैंक हीं किसी अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ होते हैं। वित्तीय समावेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर सम्माननीय वी0 वेनुगोपाल रेड्डी के द्वारा किया गया। उनका मन्तव्य देश को अधिकांश जनसंख्या को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का था।

भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हीं प्रयास किया जाता रहा है जिसमें लीड बैंक योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वाभिमान योजना तथा प्रधानमन्त्री जनधन योजना आदि प्रमुख हैं। यूपीए-2 सरकार के द्वारा 2011 में वित्तीय समायोजन हेतु 'स्वाभिमान योजना' प्रारम्भ की गई जिसमें 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को सम्मिलित किया गया लेकिन इस योजना के अन्तर्गत केवल खाता खोलने के लिए ही कहा गया तत्सम्बन्धी अन्य सुविधाएं नहीं प्रदान की गई। इस योजना के सीमित प्रभाव को देखते हुए वर्तमान सरकार ने 15 अगस्त 2014 को एक बहुआयामी प्रधानमन्त्री जनधन योजना प्रारम्भ की। यह योजना वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के प्रमुख छ: आधार स्तम्भ हैं जिसके आधार पर बैंकिंग सुविधा सभी के लिए उपलब्ध हो सकेगी। वित्तीय साक्षरता योजना, सूक्ष्म ऋण उपलब्धता, आधारभूत बैंकिंग सेवाएं, लघु बीमा, असंगठित क्षेत्रों में पेन्शन योजना यह भारत सरकार की अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना है।

ग्रामीण जनता वित्तीय साक्षरता का नितान्त अभाव होने से वह महाजन, साहूकारों के ऋण जाल में निरन्तर फसते रहते हैं। वह अब बैंक से वित्तीय सहायता लेने में सक्षम होगें इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा एवम् बचत की आदत भी बढ़ेगी। वित्तीय समावेश के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री जनधन योजना का क्रियान्वय दो चरणों में होगा- प्रथम चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक होगा जिसके अन्तर्गत 1- देश के प्रत्येक परिवार का एक बैंक एकाउन्ट होगा जिसके द्वारा वह वित्तीय सुविधाओं से जुड़ सकेगा। 2- सभी परिवार कि पास रूपे (Rupay) डेबिट कार्ड होगा जिसमे एक लाख रू0 तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। 3- विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के इसी एकॉउन्ट मे प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (Direct Benefit Transfer) होगा।

द्वितीय चरण 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक 1- खाताधारकों को लघु बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। 2- स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेन्शन दिया जाएगा। 3- पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों एवम् जनजातियों तक इस योजना का विस्तार होगा। 4- इस चरण में परिवार मे शेष लोग एवम् विद्यार्थियों को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के निर्धन वर्ग को बैंकों से जोड़ा गया है इस वित्तीय समावेशन से वह बैंक से प्राप्त होने वाले विविध लाभों को ले सकते हैं।

जनगणना 2011 के आंकडों के अनुसार देश में कुल 59 प्रतिशत परिवारों के पास हीं बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है शहरी क्षेत्रों में यह 68 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 54 प्रतिशत ही जनसंख्या बैंकिंग सुविधा से जुड़ी है इसके साथ ही कुछ पिछड़े राज्यों में बैंकिंग सुविधा से जुड़े लोगों का प्रतिशत और भी कम है।

इस योजना के अन्तर्गत 7.5 करोड़ परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य था इस लक्ष्य को सरकार अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकी है। 1 अगस्त 2018 तक इस योजना से लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है-

सारणी 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना के अन्तर्गत कुल 32.25 करोड़ खाते खुल चुके हों यह एक बहुत बड़ी संख्या है इसके साथ ही कुल जमाराशि भी 80674 करोड़ रू0 है जो यह दर्शाती है कि हमारे देश के निम्न तबका भी वित्तीय जागरुकता रखते हैं। 16.90 करोड़ महिलाएं वित्तीय सेवा से प्रत्यक्षत: जुड़ी है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इससे यह वित्तीय रूप से सक्षम होगीं, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। 24.27 रूपे डेबिट कार्ड का वितरण वित्तीय स्वयत्तता के क्षेत्र एक बड़ा कदम है यह लोगों में आत्मविश्वास भी उत्पन्न करता है।

प्रधानमन्त्री जनधन योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा लाभों को निम्नवत् रेखांकित किया जा सकता है:-

* एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

1. प्रधानमन्त्री जनधन योजना शून्य खाता बैलेन्स में भी खोला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्षो या अधिक से भारतीय नागरिक है एवम् उसका कोई बैंक खाता नही हैं तो शून्य बैलेन्स से भी वह अपना खाता खोल सकता है।
2. सरकार विभिन्न प्रकार के अनुदान जैसे गैस अनुदान, आदि प्रत्यक्षत: इस खाते में हस्तान्तरित कर देती है इसके लिए खाते को आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
3. यदि छ: माह तक खाते का संचालन सुचारू रूप से होता है तो प्रति परिवार 5000/- ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी सरकार प्रदान करती है यह सुविधा प्रमुखत: परिवार की महिलाओं को प्रदान की जाती है। इससे निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को बहुत सुविधा हो जाती है।
4. इस योजना में परिवार को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करती है जिसके लिए एक साधारण फोन से भी पैसे का लेनदेन हो सकेगा।
5. जिन्होंने 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच खाता खुलवाया है तथा जिनके पास रूपे डेबिट कार्ड है उन्हे 1 लाख रू0 का दुर्घटना बीमा कवर एवम् 30,000/- का जीवन बीमा कवरेज प्राप्त होगा।
6. जिन व्यक्तियों के पास यह खाता है उन्हें बीमा कम्पनियां लघु एवम् सूक्ष्म बीमा सुविधा भी प्रदान करती हैं।

योजना के सही क्रियान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है तभी समाज के वंचित वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सकेगा एवम् 'सबका साथ सबका विकास' का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। वित्तीय समायोजन एवम् वित्तीय साक्षरता से जुड़ी यह एक महत्वपूर्ण योजना है लेकिन इसका सफल निष्पादन सम्पूर्ण विस्तार देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस योजना को पूरा करने में बैंकिंग क्षेत्र का दायित्व बहुत बढ़ जाता है अत: पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों तक जाकर बैंक, एटीएम आदि उपलब्ध कराना एवम् लोगों को सुविधा के विषय में शिक्षित करना उन्हें बैंक तक लाने हेतु बहुत समर्पित कार्यकत्ताओं की आवश्यकता है। खाता खोलने के साथ उसका सही संचालन भी आवश्यक हैं जिससे खाता बन्द न हो। खाता धारक द्वारा वान्छित जमा के अभाव में ओवरड्राफ्ट, दुर्घटना बीमा योजना आदि सुविधाओं से वह वन्चित हो जाएगें साथ ही एटीएम सुविधा का प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चक्रवर्ती के0 सी0, 'फाइनेन्शियल इनक्लूजन: ए रोड नीड टू ट्रेवल' आर0बी0आई0 बुलेटिन नवम्बर 2011
2. रघुराम राजन, ए हन्ड्रेड स्मॉल स्टेप्स् - रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन फाइनेन्शिल सेक्टर रिफार्म 2009
3. मोदी अनीता, 2007 ग्रामीण एवम् कृषि विकास की ओर बढ़ते कदम, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, पृष्ठ 33-42
4. योजना क्र. सितम्बर 2014, सूचना एवम् प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ0 16
5. http://wikipedia.org/pradhan-mantri-jandhanyojana

सारणी 1 : प्रधानमन्त्री जनधन योजना में लाभार्थियों का विवरण करोड़ में

बैंक के प्रकार	लाभार्थियों की संख्या ग्रामीण एवम् Semi Urban क्षेत्र में	लाभार्थियों की संख्या शहरी एवं बड़े शहरों में	कुल महिला लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	खाते में जमा धनराशि	Rupay कार्ड प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	14.02	12.03	13.52	26.05	64388.62	19.64
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.39	0.81	2.85	5.20	14072.06	3.70
निजि क्षेत्र के बैंक	0.60	0.40	0.53	1.00	2214.15	0.93
कुल योग	19.02	13.23	16.90	32.25	80674.82	24.27

स्त्रोत:-http://www.pmjdy.gov.in/account-statistics-country.aspx

****

Physical Fitness Variables of Tribal School Children on the Basis of their Nutritional Status

Ramadhar Pipladiya*

Abstract - The purpose of this study was purposive selected from theone hundred eighty (N=180) subjects for under nutritional group 70 seventy, Normal nutritional group 72 seventy-two and Over nutritional group 38 thirty-eight subjects' school boys of 16 to 20 years from Govt. school of Alirjpur and Jhabua district triable students of Madhya Pradesh by using standard test. health related physical fitness components Cardiovascular Endurance, Flexibility, Muscular Strength, Abdominal Muscular Strength, and I Q level. For the research purpose, Health Related physical fitness Components:Cardiovascular Fitness – 600 Min run/walk test in completed meter, Flexibility – Sit and Reach test in cm., Muscular Strength – Pull-ups in completed numbers., Muscular Endurance – 60 Second Sit-upsIntelligence Quotient Self-prepared or properly selected puzzle test – completed in sec**Statistical Analysis:** According to objectives of the study to gathering the data Analysis of descriptive statistics were used. (Mean Standard Deviation) and One-way Analysis of variance (ANOVA) was applied with the help of Post Hoc Test (Schaffer test) Mean Difference (MD), Critical Difference (CD) were applied for SPSS-21 software to analyze and compare of the health relative and among the various groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) of school boys of 16 to 20 years from Govt. school of Alirajpur and Jhabua district tribal students of Madhya Pradesh the level of significant was set at 0.05.According to objectives of the study the following conclusions were drawn:1.The govt. school boys students of under nutrition, normal nutrition and over nutrition groups from Alirajpur and Jhabua district of Madhya Pradesh, all three groups showed significant mean difference in their health related physical fitness variables namely flexibility, muscular strength, abdominal strength and IQ level variables.**2.**To camper the health related physical fitness variable and govt. boys students of Alrajpiuand and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference their health related physical fitness variables of **flexibility**.**3.** To camper the health related physical fitness variable and govt. boys students of Alirajpur and and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference their health related physical fitness variables of **muscular strength**.**4.** To camper the health related physical fitness variable and govt. boys students of Alirajpur and and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference their health related physical fitness variables of **abdominal muscular strength**.**5.**To camper the health related physical fitness variable and govt. boys' students of Alrajpiuand and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference their health related physical fitness variables of **IQ level**.

Introduction - "**World health is in transition[1]"**. Increasing numbers of people practice a sedentary life style and eat un healthy diets these two habits that are responsible for the most chronic diseases in our world. Physical fitness refers to "a set of attributes that related to the ability to perform physical activity" Physical fitness is the ability of the body systems to work together efficiently to allow people to be healthy and effectively perform activities of daily living. Physical fitness can be classified into health-related and skill-related fitness. Health-related fitness consists of five components: cardio respiratory endurance, muscular endurance, muscle strength, flexibility, and body composition and is determined by a combination of regular activity and genetically inherited ability. The amount of physical fitness ranges is form low to high On the other hand, skill-related fitness is divided into six components: agility, balance, coordination, power, reaction time, and speed.

Objectives of the study :

1. The first objective of this study to assessments of health related physical fitness among the different under nutritional, normal nutrition and over nutrition groups of Govt. School of Tribal students, Alirajpur and Jhabua District of Madhya Pradesh.
2. The second to compare the health related physical fitness among the different under nutritional, normal

*Research Scholar, School of Physical Education, DAVV, Indore (M.P.) INDIA

nutrition and over nutrition groups of Govt. School of Tribal students, Alirajpur and jhabua District of Madhya Pradesh.

Methodology - one hundred eighteen (**N=180)** subjects for **under nutritional group** 70 seventeen, **Normal nutritional group** 73 seventy-two and **Over nutritional group** 38 thirty-eight subjects' school boys of 16 to 20 years from Govt. school of Alirjpur and Jhabua district triable students of Madhya Pradesh by using standard test. health related physical fitness components Cardiovascular Endurance, Flexibility, Muscular Strength, Abdominal Muscular Strength, and I Q level. For the research purpose, Descriptive statistics and Analysis of Variance (ANOVA) with the help of Post Hoc Test (Schaffer test) Mean Difference (MD), Critical Difference (CD) were applied for SPSS-21 software and the following findings were drawn:

Statistical Analysis

1. According to objectives of the study to gathering the data Analysis of descriptive statistics were used. (Mean Standard Deviation)
2. One-way Analysis of variance (ANOVA) was applied with the help of Post Hoc Test (Schaffer test) Mean Difference (MD), Critical Difference (CD) were applied for SPSS-21 software to analyze and compare of the health relative and among the various groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) of school boys of 16 to 20 years from Govt. school of Alirjpur and Jhabua district triable students of Madhya Pradesh the level of significant was set at 0.05

Results and finding of the study:

Table 1 (see in last page)

Graph 1 (see in last page)

Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of Muscular Strength **Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

Table 1 shows health related physical fitness component Muscular Strength of Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study. health related physical fitness component speed were **14.9000±1.63432,13.6944± 1.98330, 14.3158±1.83222.**

Table 2 (see in last page)

Graph 2 (see in last page)

Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of Abdomen Strength**Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.**

Table 2 shows health related physical fitness component Abdomen Strengthof Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study. Health related physical fitness component abdominal strength were **44.0143±3.67716, 41.6528±3.40323, 42.6053±2.34278.**

Table 3 (see in last page)

Graph 3 (see in last page)

Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of IQ level Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.

Table 3 shows health related physical fitness component IQ level of Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study. health related physical fitness component IQ level were **71.8571±5.73392, 70.9306±7.77741, 76.5263±13.03164.**

Table 4 (see in last page)

Graph 4 (see in last page)

Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of flexibility Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.

Table 4 shows health related physical fitness component **flexibility o**f Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study. healthrelated physical fitness component speed were**5.5571±.65132, 5.5278±.75007, 6.0000± .69749**.

Table 5 (see in last page)

Graph 5 (see in last page)

Graphically Representing. For Mean and Standard Deviation of Cardiovascular Endurance Government School of Tribal District, Madhya Pradesh.

Table 5 shows **health**related physical fitness component **Cardiovascular Endurance** of Government School of Tribal District, Madhya Pradesh. with the help of descriptive statistics (Mean and standard deviation) of all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study. **Cardiovascular Endurance** related physical fitness component cardiovascular endurance were**119.5857±7.80652, 121.6806±12.49995, 116.8158±10.28212.**

Table 6 (see in last page)

Table-6 It was reveal that the calculated f- value **(7.770*)** was less than the tabulated value is **3.05** (2, 177), so there was significant difference between the health related physical fitness variable **(muscular strength)** and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study of government school Children of Tribal District of Madhya Pradesh.

Table 7 (see in last page)

Table-7 It was reveal that the calculated f- value **(9.005*)** was less than the tabulated value is **3.05** (2, 177), so there was significant difference between the health related physical fitness variable **(Abdominal muscular strength)** and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study of government school Children of Tribal District of Madhya

Pradesh.

Table 8 (see in last page)

Table-8 It was reveal that the calculated f- value **(5.664*)** was less than the tabulated value is **3.05** (2, 177), so there was significant difference between the health related physical fitness variable **(I Q level)** and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study of government school Children of Tribal District of Madhya Pradesh.

Table 9 (see in last page)

Table-9 It was reveal that the calculated f- value **(6.405*)** was less than the tabulated value is **3.05** (2, 177), so there was significant difference between the health related physical fitness variable **(flexibility)** and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study of government school Children of Tribal District of Madhya Pradesh.

Table 10 (see in last page)

Table-10 It was reveal that the calculated f- value **(2.746)** was greater than the tabulated value is **3.05** (2, 177), so there was no significant difference between the health related physical fitness variable **(cardiovascular fitness)** and all three groups Under nutritional group, Normal nutritional group and Over nutritional group forthis study of government school Children of Tribal District of Madhya Pradesh.

Conclusions

According to objectives of the study the following conclusions were drawn:

1. The govt.school boys students of under nutrition, normal nutrition and over nutrition groups from Alirajpur and Jhabua district of Madhya Pradesh, all three groups showed significant mean difference in their health related physical fitness variables namely flexibility, muscular strength, abdominal strength and IQ level variables.
2. To camper the health related physical fitness variable and govt. boys students of Alrajpiuand and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference their health related physical fitness variables of **flexibility**.
3. To camper the health related physical fitness variable and govt. boys students of Alrajpiuand and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference theirhealth related physical fitness variables of **muscular strength**.
4. To camper the health related physical fitness variable and govt. boys students of Alrajpiuand and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference theirhealth related physical fitness variables of **abdominal muscular strength**.
5. To camper the health related physical fitness variable and govt. boys' students of Alrajpiuand and Jhabua, district of Madhya Pradesh. all three groups (under nutrition, normal nutrition and over nutrition) showed a significant difference theirhealth related physical fitness variables of **IQ level**.

References:-

1. Agarwal, D. K., Upadhayaya, S. K., Tripathi, A. M., Agarwal, K. N., 1987, **Nutritional status,physical work capacity and mental function of school children**. Scientific report 6, Nutritional Foundation of India.
2. Agarwal, K. N., Agarwal, D. K., Upadhyaya, S. K., 1995, **Impact of chronic malnutrition on higher mental functions in Indian boys aged 10-12 years.***ActaPediatr*, 84 : 1340-1360.
3. Bnefice E, gamier, D, Diaya GN (2008). Assement of physical activity among rural Senegalese adolescent girls influence of age sexual maturation and body composition journal of adolescent health vol. 28.
4. E.A. Rice, J.L. Hutchison and M. Lee; A Brief History of Physical Education (New York: Ronald Press, 1958), p. 73.
5. H. Kraus and R.P. Hirschland, "Minimal Muscular Fitness Test in School Children", Research Quarterly 25 (1954): 177-88.
6. J.F. Kennedy, "The Soft American", Sports Illustrated (December 1960): 15.
7. Lecturer, Physical Education Department, Malwa College of Physical Education, Bhatinda, Punjab, INDIA.
8. U.S. Department of Health and Human Services. **Physical activity and health: a report of the Surgeon General**. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion; 1996.
9. Researchonline.nd.eu
10. www.health.govt. in
11. www.sagepub/com/upm-data
12. shodhganga.inflibnet.ac.in

Table- 1: Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.
Table 1 : Muscular Strength

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	14.9000	1.63432	11.00	18.00
2	Normal nutritional group	72	13.6944	1.98330	9.00	18.00
3	Over nutritional group	38	14.3158	1.83222	10.00	18.00

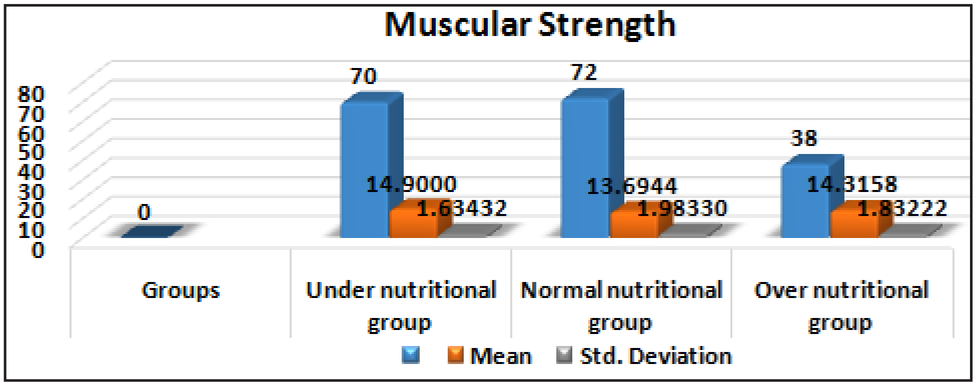

Table- 2: Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.
Table- 2 : Abdomen strength

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	44.0143	3.67716	34.00	50.00
2	Normal nutritional group	72	41.6528	3.40323	34.00	49.00
3	Over nutritional group	38	42.6053	2.34278	38.00	47.00

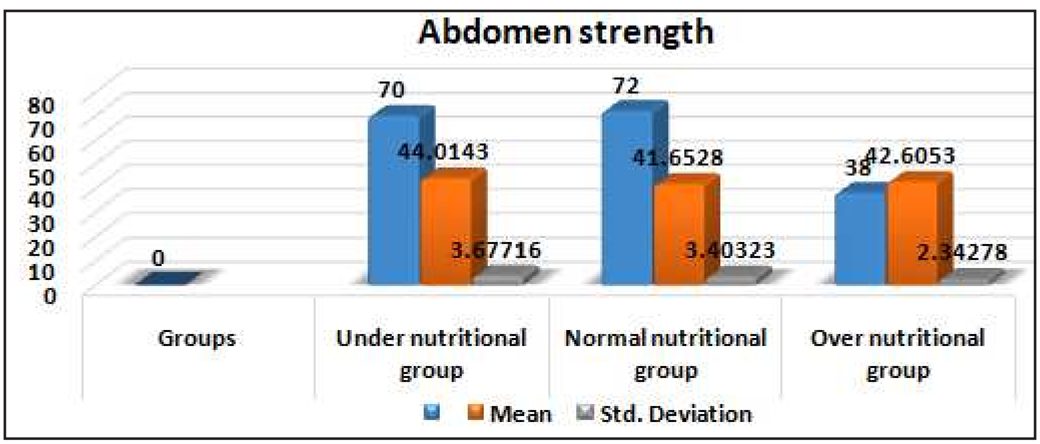

Table- 3 : Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.
IQ Level

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	71.8571	5.73392	59.00	83.00
2	Normal nutritional group	72	70.9306	7.77741	58.00	85.00
3	Over nutritional group	38	76.5263	13.03164	58.00	105.00

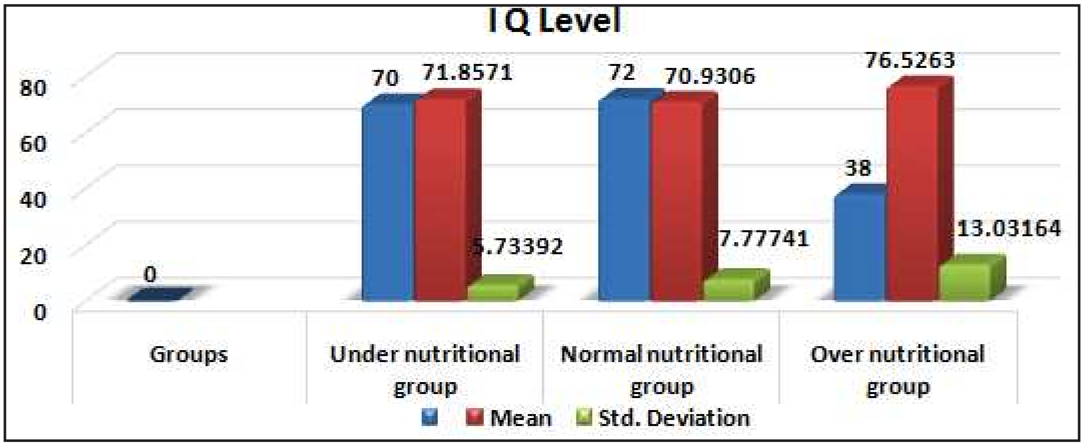

Table- 4 : Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.
Flexibility

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	5.5571	.65132	4.00	7.00
2	Normal nutritional group	72	5.5278	.75007	4.00	7.00
3	Over nutritional group	38	6.0000	.69749	5.00	7.00

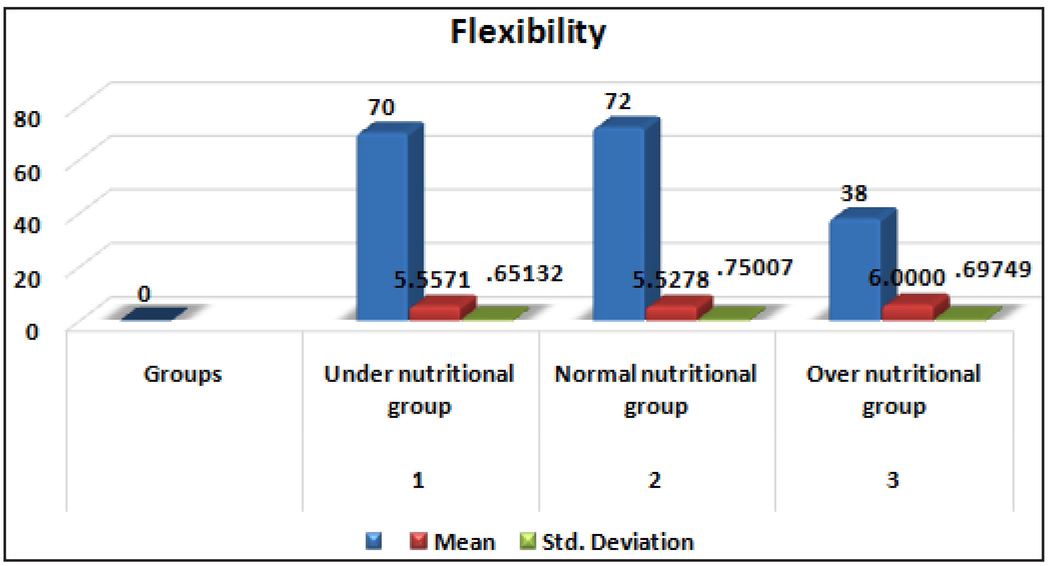

Table- 5 : Descriptive Statistics Mean and Standard Deviation for the all three groups Under nutritional, Normal nutritional and over nutritional Govt. School of Tribal District, Madhya Pradesh.
Cardiovascular Endurance

S.	Groups	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
1	Under nutritional group	70	119.5857	7.80652	102.00	135.00
2	Normal nutritional group	72	121.6806	12.49995	95.00	181.00
3	Over nutritional group	38	116.8158	10.28212	98.00	137.00

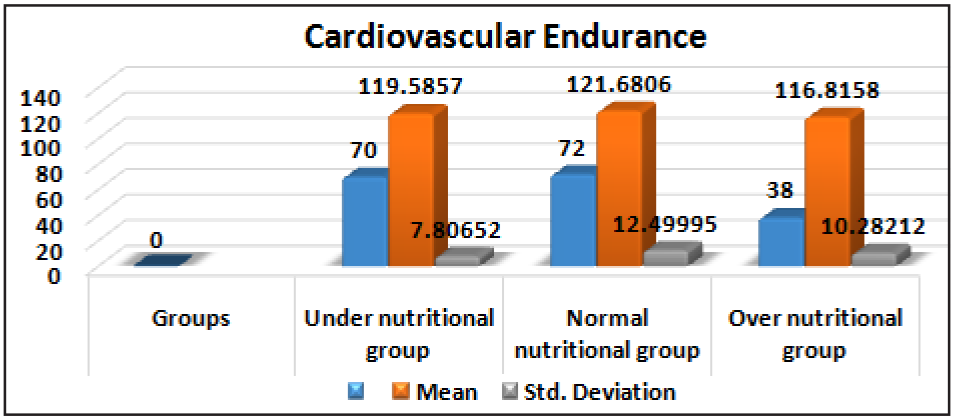

TABLE 6 : ANALYSIS OF VARIANCE FOR HEALTH RELATEDCOMPONENT FOR (MUSCULAR STRENGTH) TRIABLE CHILDREN ON THE BASIS OF NUTRITION

Source of Variance	SS	DF	MSS	Calculated F	Tabulated F
Between Groups	51.606	2	25.803	**7.770***	**3.05**
With in Groups	587.788	177	3.321		

N=180 *Significant at .0.05 Level

Table- 7 : Analysis Of Variance For Health Related Component For (Abdominal Muscular Strength) Triable Children On The Basisof Nutrition

Source of Variance	SS	DF	MSS	Calculated F	Tabulated F
Between Groups	199.277	2	99.639	**9.005***	**3.05**
With in Groups	1958.384	177	11.064		

N=180 *Significant at .0.05 Level

Table-8 : Analysis Of Variance For Health Relatedcomponent For (I.Q)Triable Children On The Basisof Nutrition

Source of Variance	SS	DF	MSS	Calculated F	Tabulated F
Between Groups	822.163	2	411.082	**5.664***	**3.05**
Within Groups	12846.698	177	72.580		

N=180 *Significant at .0.05 Level

Table 9 : Analysis Of Variance For Health Related Component For (Flexibility) Triable Children On The Basis Of Nutrition

Source of Variance	SS	DF	MSS	Calculated F	Tabulated F
Between Groups	6.312	2	3.156	**6.405***	**3.05**
Within Groups	87.216	177	.493		

N=180 *Significant at .0.05 Level

Table 10 : Analysis Of Variance For Health Relatedcomponent For (Cardiovascular Fitness)Triable Children On Thebasisof Nutrition

Source of Variance	SS	DF	MSS	Calculated F	Tabulated F
Between Groups	595.97	2	297.989	**2.746**	**3.05**
Within Groups	19210.349	177	108.533		

N=180 *Significant at .0.05

****

Mushrooms as a Biological Tool in Mycoremediation of Pollutants Produced by Stubble burning

Dr. Abhai Deep Mishra*

Abstract - In North West region of Uttar Pradesh and other two states Haryana and Punjab, enormous amount of agricultural wastes are left back in field after harvesting paddy and wheat crop. Every year, these stubbles (wastes) are burnt to empty the fields for cultivation of next crop and this phenomenon is known as stubble burning .The hazardous consequences of this cheapest method for emptying the fields manifest itself as an increase in air and soil pollution, many folds in National Capital Region. In present paper, the main emphasis is given on the use of macrofung us oyster mushrooms as a biological tool of mycoremediation. Owing to their high enzyme profile these white rot fungi viz.,Oyster mushroom(grey abalone) i.e., **Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer**, have the capability of degrading agro-lignocellulosic wastes of paddy and wheat which are mainly responsible for stubble burning. Besides waste degradation, this mushroom has also a great nutraceutical potential and also act as immunomodulator.The duration of our study was approximately two years, two crops in summer season by using wheat straw (at artificially controlled temperature and humidity) and two crops in winter season by using paddy straw had been cultivated. In spite of using polythene bags for during spawning, we have used reusable plastic buckets because polythene bags are very harmful for environment. We had also observed that the paddy straw was comparatively more favorable mother substrate for oyster mushroom than wheat straw.

Key-words - Stubble burning, oyster mushrooms, mycoremediation, nutraceutical potential, immunomodulator.

Introduction -The problem associated with the crop stubble burning in some of the states of our country viz., Punjab,H ariyana, Uttar Pradesh are worsening increasingly. It has been major cause of air pollution in NCR and Delhi. Consequently Government of India is taking several steps to manage it and now considering the implementation of 1600 km long and 5 km wide great green wall of Arawali. Punjab alone produces around 23 million tonnes of paddy straw and 17 million tonnes of wheat straw annually. More than 80% of paddy straw(18.4 million tonnes) and almost 50% wheat straw(8.5 million tonnes) produced in the state is being burnt to clear the field for the next crop. The paddy straw are mostly burnt in the month of October and November while wheat straw are burnt in the month of April and May. This burning produces a cloud of particulates visible from the space and has produced a what has been described as toxic or black clouds in New Delhi resulting in air pollution emergency. According to System of Air quality and Weather Forecasting And Research (**SAFAR**), stubble burning in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh is considered one of the major contributors to the poor air quality in National Capital Region (NCR) and surrounding regions of Delhi and Northwest regions of Uttar Pradesh and results in numerous health issues as well as serious threat to the biological life. NUmerous disadvantages as listed below-

* Loss of nutrients (50% sulfur,70%potassium,25% nitrogen and phosphorus) and carbon in soil.
* Reduction in soil texture.
* Death of microbiota of soil.
* Increase in soil erosion.
* Emission of Green house gases(CO_2,CH_4,NO_2,SO_2 etc.) and release of particulate matter o f 2.5 and 10 micrometres.
* Release of volatile organic compounds and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons.
* Numerous health issues viz., Pneumoconiosis, bronchitis, cataract,corneal opacity, blindness etc.
* Risk of fire spreading out of control.

To prevent these devastating effects of stubble burning many laws have become operated such as

(i) The Section 144 of the Civil Procedure Code (CPC),
(ii) The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981,
(iii) The Environment Protection Act 1986,
(iv) The National Tribunal Act 1993 and
(v) The National Environment Appellate Authority Act 1997.

However because of lack strength these laws couldn't get success completely but results in decrease in burning events up to some extent.

According to Environment Ministry the total burning in these states in 2019 were 19% less than that in 2018.About 15% and 41% reduction in burning events were observed in 2018 as compared to that in 2017 and 2016 respectively.

*Department of Botany, A.N.D.K.P.G.College, Babhnan, Gonda (U.P.) INDIA

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) also reported this decrease in burning events such as 127774 events in 2016,88948 events in 2017 , 75532 events in 2018 and 61332 events in 2019.

In a new study, Dr Shyam sunder (an economist working with The Nature Conservancy) and her collaborators from India , Mexico and USA have evaluated the impact of alternative practices to stubble burning on the environment and their profitability .They recommended the use of “Happy Seeder”- a machine that can sow wheat in the presence of rice straw is profitable for farmers and can also help the environment.The researches also found that the use of happy seeder reduced agricultural green house gas emissions per hectare but later Dr. Shyam sunder gave her opinion that this machine is not affordable for everyone because of its high cost (2.4 billion fir 16000 machines).There are some other draw backs of this machine –

* It requires little moisture in field.
* It has to operate within 4-5 days of the harvest.
* This costly machine is used for 15-20 days only and remain unused throughout the year.

Therefore, in our country, only those alternative uses are necessary which may be applicable throughout the year and does not affect the revenue of farmers.

Indian government has taken several initiatives and promoting alternative uses of paddy straw such as in bio-thermal stations, bio-refineries (Hamelinck,C.N.,Van Hooijdonk,G.,and Faaij,A.,2005) bio-gasification, bio-oil in form of ethanol(Lin,Y., and Tanaka,S.,2006) and production of mushroom. The present study is associated with one of the such alternative uses i.e.,use of mushroom as a tool of mycoremediation (the bioremediation by fungi) which involves bio degradation, biosorption and specially bio-conversion. The mycoremediation is concerned with clean technologies which emphasize on great production, reduced waste generation, treatment and conversion of waste in some useful forms. Thus, mushrooms are not only used to clean up the environment but also a great source of proteins,minerals,vitamins etc. in diet of poor as well rich peoples. Mushroom production represents one of the most commercial step towards diversification of agriculture based on microbial technology for large scale recycling of agro wastes. The cultivation of Oyster mushroom is economic method of bio conversion of diverse agro cellulosic wastes(Bano,Z.,Shashi rekha,M.N., and Rajarathnam, S.,1993) such as wheat straw ,paddy straw (Bano,Z. and Srivastava,D.C.,1962) , millet’s straw (Bhandari,T.P.S., Singh,R.N. and Verma,B.L.,1991) maize straw (Bhahukhandi,O. and Munjal,R.L.1989), banana pseudo stem (Bonatti,M.,Kanopp,P.,Soares,H.M. and Furlon, S.A.,2004), sorghum straw, lawn grasses (Yamashita,I., Mori,T.Tino,K. and Yanai,S.,1983) ,corn cobs etc. . Amongst various cereal straw, the wheat straw was reported as a best substrate (Bano,Z.,Rajnathnam1982; Thami et.al.,1986; Bharti et,al.,1987;Binnati,2004) after paddy straw for cultivation of Oyster mushroom.

Oyster mushroom have enormous medicinal properties which includes anti tumor (Dalsano,N.,Souza,R., Silveria, M.L.L.,Ruzza,A.A.,Wangler,T.M.,Wisbeck,E. and Furlon, S.A.,2010) antibiotic (Chang,S.T.,1999), antioxidant (Boonsong,S.Klaypradit,W. and Wiliaipun,P.,2016) hypercholesteraemic (Manna,H.,1993) , immunomodulatory activities etc. It is rich in all 9 essential amino acids,(Hayes,W.A. and Haddad,S.P.,1976) vitamins (Caglarirmark,N.,2007) and minerals viz.,Ca,P,Fe,Cu, Se,Zn,Na,K,Mn etc.(Milikam,M.,2012) .Being remarkably low in starch content and high in protein, it is good diet for people suffering from diabetes (Agrawal,RA.,Chopra,A. and Lavaskar,G.S.,et.al.2017).

Owing to it’s high Na/K ratio it is good for people suffering from BP problems. It also act as immunomodulator and strengthen our immunity to fight against life threatening diseases.

Oyster mushrooms have high enzyme profile to degrade lignocellulosic substrates and because of this strong enzymatic machinery the Oyster mushroom is categorized under primary decomposers. These enzymes include lignin degrading enzymes such as laccase, lignin peroxidase , ary alcohol oxidase ,aryl alcohol dehydrogenase etc. and hemicellulose and cellulose degrading enzymes xylanase, cellulase , cellobiose dehydrogenase etc (Sanchez, 2009; Kabel,et.al.,2017;Vos,et.al.,2017).

Besides of aforesaid peculiarities the farming of Oyster mushroom is also able to uplift the economic standard of growers because of its high demand as well as cost. This will lead to the economic betterment of not only small holders but also of land less labourers and other weak section of communities. After 4 flushes, the mother substrate remains useless for further production and known as spent mother substrate. This substrate is a good biofertilizer which can be used to increase the fertility of soi and in l extraction of some useful enzymes viz.,cellulase, xylanase etc. used in some industries.

Material and methods - Present study was carried out in a small mushroom production unit made of masonry walls covered by roof made from grasses and bamboo in karan our village nearby A.N.D.K.PG.College, Babhnan Gonda(UP). The germplasm was collected from N.D.University,Kumar ganj,the lab work was done on the laboratory of department of Botany,A.N.D.K.PG.College and the cultivation was carried out in the mushroom farming unit as described below -

1. **Collection of germplasm -** The culture of Pleurotus sajor-caju was obtained from mushroom section of department of plant pathology, Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya(UP).
2. **Preparation of Pure Culture -** Pure culture was maintained by sub-culturing the above mentioned culture, every fortnight on potato dextrose agar(PDA) and Malt extract and Yeast extract agar (MEYEA) medium at 22^0c $\pm$

in culture tubes.

3. Preparation of Culture Medium - The culture medium (PDA and YEMEA) was autoclaved at 126^{0}c temperature and 20 Ibs/inch square for 45 minutes inside cotton plugged flasks, transferred into petridishes and inoculated with a bit of hyphae at laminar flow work station. Now these inoculated petridishes were incubated at 25^{0}c ($\pm$1^{0}c) in BOD incubator to obtain pure culture.

4. Spawn preparation - Overnight water-soaked wheat grains were boiled and after drying mixed thoroughly with 2%(w/w) Gypsum and 4%(w/w) lime.Boiling was done to split the grains,gypsum was to prevent sticking and lime was used to maintain pH. Now 200-250 gram of complete mixture was filled in glass bottles , plugged with non-absorbent cotton and allowed to autoclave at 126^{0}c temperature at 20Ibs/inch square pressure for 60 minutes. After sterilization the bottles were cooled overnight and on the next day inoculated by hyphae of Pleurotus sajor-caju, obtained from pure culture. These inoculated bottles were incubated for one week at 13-14^{0}c in BOD incubator.During this period bottles were shaken daily to insure uniform mycelial growth.

5. Collection and sterilization of mother substrates - During this study, paddy straw and wheat straw were used as mother substrate.Both the substrates were chopped to form 2-3 "sized particles and water soaked overnight in 2% formaldehyde solution(to sterilize) and 0.05% Bavistin (to prevent arthopodal infection).On the next day the substrates were filtered and partially dried to make them ready for spawning.

6. Spawning - The bed was prepared by layer spawning (adopted by Bano,1971) in perforated and small sized reusable buckets which were guarded by lids. The perforation in buckets was necessary for proper ventilation and their small size was for compact packaging of spawned substrate.During spawning 2 kg mother substrates (for both paddy and wheat straw) was inoculated by 5% of spawn. Now the spawned substrate in plastic buckets were incubated in cultivation room at 25- 30^{0}c for 20 days till the mushroom mycelium completely cover the substrate. After 15-16 days the pinheads began to appear which can be seen through the perforation of buckets. After that the spawned substrate were carefully removed from the bucket by gently opening of their lids. Now the empty buckets were put apart safely for their further use. The beds were irrigated regularly 3-4 times in day with water sprayer to keep them wet and to maintain 80-85% humidity. Usually the fruiting bodies were evident within 3-4 days after removal from buckets. The beds were maintained up to the harvest of fourth flush, which was completed in 43 days (in wheat straw) and 47 days (in paddy straw) after spawning.A small layer of substrate was scrapped off from all the sides of the beds just after second flush to rejuvenate the mycelium and to remove unwanted microbial flora .The fruiting bodies were harvested by twisting them and taken out manually so that the broken remains left out.

Biological Yield and Biological Efficiency

Total weight of all the fruiting bodies harvested from all the four flushes of a crop were measured as total biological yield of mushroom. The biological efficiency (yield of mushroom per kg substrate on dry weight basis) was calculated by the following formula (**Chang, et.al, 1981**)

B.E.(%) = (Fresh weight of mushroom)/(Dry weight of substrate) × 100

Table No - 1,2 & 3 (see in last page)

Crop Of Summer Season

(Fig A) Oyster Mushroom of first flush (April 18- July 18)

(Fig B) Oyster Mushroom of first flush (April 19- July 19)

Crop Of Winter Season

(Fig C) Oyster Mushroom of first flush (Nov 18-Feb 19)

(Fig D) Oyster Mushroom of first flush (Nov 19 - Feb 20)

Result and Discussion - There were two observations had been made per year considering two seasons summer as

well as winter season from April 2018 to February 2020 . In summer season, the cultivation of Oyster mushroom was done from April to July on easily available wheat straw in both years (Table-1) and like wise two crops were produced in winter season from November to February on easily available paddy straw(Table -2).

In summer season the required humidity (80-85%) was maintained by spraying water five times per day and the required temperature ($27^0c \pm 2^0c$) was maintained by solar energy operated summer coolers.The table-1 shows the biological yield and biological efficiency of mushroom in both crops of summer season grown on wheat straw.

Winter season is the favourable time for cultivation of oyster mushroom due to naturally low temperature but the humidity(80-85%) was maintained by spraying water thrice only per day. The table-2 shows maximum biological yield as well as efficiency of mushroom in both crops.

When we compare the biological efficiencies of oyster mushroom in both the season we have found that it is were lesse on summer season than those which were grown This was due to two reasons, first reason is that of artificially maintained favorable conditions i.e. lower temperature and high humidity and second reason is the little hard mother substrate (wheat straw) due to absence of aerenchymatous tissues and presence of comparatively thicker cuticle layer on epidermis.

This was due to persisting natural condition and also because of arenchyma containing, favourable anatomical structure of paddy straw, which facilitate extensive mycelial growth, results in formation of vigorous fruiting bodies.

The table-3 shows a comparison between the cropping conditions as well as production of mushroom in both the years. This table makes it clear that the winter season is most appropriate season for its cultivation but this production can also be continued by maintaining artificial conditions which facilitate mushroom production throughout the year with little more difference in biological efficiency. This table also emphasizes the importance of the paddy straw as a more efficient substrate for production of oyster mushroom in comparison to wheat straw. Coincidently, the paddy straw is produced in huge quantity in winter season which is appropriate time for mushroom production. Therefore, the paddy straw may be frequently utilized for the production of proteinaceous food and no doubt this use of fungi is one of the best method of mycoremediation of air pollution caused by stubble burning which may also helpful to solve the problem of starvation , malnutrition and lesser immunity up to some extent.

Conclusion - Under mycoremediation, mushroom cultivation is the best and more fruitful option which does not utilise for only pollution creating wastes but also as a product having great nutraceutical potential.The replacement of stubble burning by mushroom production is an eco-friendly technology which contribute in recycling of minerals. Mycoremediation through mushroom farming will alleviate two of the world major problems i.e., waste accumulation and production of proteinaceous food simultaneously. The production of mushroom can also get rid of malnutrition of day by day increasing population specially of rural and tribes of remote areas and also make these people self dependent by providing job and money.

Acknowledgement - I am very thankful to Dr.D.K.Shukla, Principal of A.N.D.K.P.G.College, Babhnan, Gonda,who allowed to provide laboratory facilities of Department of Botany.My heartiest regards to my supervisor Dr.C.S.Singh, Retired Associate Professor, Department of Botany,K.S.S.P.G.College, Ayodhya,for his care and continuous supervision since beginning of my research and finally fortunate to have company of Miss Madhurima Tiwari, Assistant Professor in C.S.A.P.G.Government Nodal College, Sehore(MP),who always reminds me to pay attention on different aspects of mushroom farming.

References :-

1. Agrawal,R.P.,Chopra,A.,Lavekar,G.S.et.al. 2010."Effect of mushroom on glycemia,lipid profile and quality of life in type 2 diabetic patients". Australian J.of Herbalism vol.22(2)pp.50-54.
2. Bahukhandi,D. and Munjal,R.L.1989.. Cultivation of Pleurotus sp.on different agricultural residues.Indian Phytopath.42(4)pp.492-495.
3. Bano,Z. and Srivastava H.C.1962.Studies in the cultivation of Pleurotus sp.on paddy straw.Foood Sci.12.pp.366-368.
4. Bano,Z.1971.Cultivation of Pleurotus sp. Second Int.Symposium on Plant Path.held at IARI,New Delhi,135.
5. Bano,Z.and Rajrathnam;Bharti,et.al. 1987;Thami,et. al.1986; Bonnati,et.al.2004."Bioconversion of low quality wastes into edible protein by Pleurotus sajor-caju".Journal of Zhejiang Uni.Sc.B.8(10)pp.245-257.
6. Bano,Z.,Shashirekha,M.N.and Rajanathanam,S." Improvement of the bioconversion and biotransformation efficiencies of oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju) by supplementation of its rice straw with oil seed-cakes.Enzymes and Micro ipl.Tech.15 (21)pp.986-989.
7. Bhandari,T.P.S.,Singh,R.N.and Verma,B.L.1991." Cultivation of oyster mushroom on different substrates".Indian Phyto.44(4)pp.555-557.
8. Bonnati,M.,Karnopp,P.,Soares,H.M.and Furlon,S.A. 2004."Evaluation of Pleurotus ostreatus and P.sajor-caju nutritional charcterstics when cultivated in different lignocellulosic wastes"Food chem.88(3)pp.425-428.
9. Boonsong,S.,Klaypradit,W.andWilaipun, P.2016. Antioxidant activities of extracts from 5 edible mushrooms using different extravagant, Agri.Nat. Resour.50pp.89-97.
10. Caglarirmark,N.2007.The nutrients of exotic mushrooms(Pleurotus sp. and Lentinula edodes) and an estimated approach to the volatile compounds.Food Chem.105pp.1188-1194.

11. Chang,S.T.,Lau,O.W.,Cho,K.Y.,1981.The cultivation and nutritive value of Pleurotus sajor-caju.European J.Appl.Microbiotech.12 pp.58-62.
12. Chang,S.T.1999.Global impact on edible and medicinal mushrooms on human welfare on 21st century: Nongreen evolution,Int.J.Med.Mush.News. 1pp.1-17.
13. Dalonso,N.,Souza,R.,Silveria,M.L.L.,Ruzza,A.A., Wanted, T.M.,Wisbeck,E and Furlan,S.A.2010. Characterization and antineoplastic effects of extracts obtained from Pleurotus sajor-caju fruiting bodies.App.Bio, Biotech.160 pp.2265-2274.
14. Geeta anand,2016.Farmers unchecked crop burning fuels ,India's air pollution.The New york times,Nov 2 , 2016
15. Hamelinck,C.N., Van hooijdonk,G. and Faaij, A.P.C.2005.Ethanol from lignocellulosic biomass: Techno-economic performance in short-, middle- and long-term.Biomass Bioenergy.28pp.384-410.
16. Hayes,W.A.,Haddad,S.P.1976."The nutritive value of mushrooms".Mushroom J.30.pp.204.
17. KabelM.A.,Kuran,E.Makela,M.R.,de Vries R.P. 2017. Occurence and function of enzymes for lignocellulose degradation in commercial Agaricus Bosporus cultivation.Appl.Microbiol.Biot.101 pp.4363-4369.
18. Lin,Y.and Tanaka,S. 2006.Ethanol fermentation from biomass resources : current status and prospects. Appl.Microbiol.Biotechnol.69 pp.627-642.
19. Millikan,M.2012."Nutritional metals in food by AAS",Atomic Absorption Spectroscopy, In.Akhyar, FM.(ed)pp.143-166.
20. Nanba,H. 1993.Maitake Mushroom-The king mushroom,Mush.News 41(2) pp.22-25.
21. Sanchez,C.2009.Lignocellulosic residues: biodegrad -ation and bioconversion by fungi.Biotechnol Adv.27pp.185-194.
22. Sanjeev Miglani and Aditya kalra,"New Delhi declares emergency as toxic smog thickness by the hour.Reuters,Nov 9,2017.
23. Sowmya Ashok,"Agricultural pollution:The fields are still burning.The Indian Express Oct 19,2017.

Table No - 1

Time duration	Temperature	Humidity	Biological yield	Biological efficiency
April 18–july 18	27°C ± 2°C	79 ± 2%	1180 gm	59%
April 19–july 19	27°C ± 2°C	79 ± 2%	1200 gm	60%

Table No - 2

Time duration	Temperature	Humidity	Biological yield	Biological efficiency
Nov 18 -Feb 19	25°C ± 2°C	80 ± 2%	1320 gm	66%
Nov 19 -Feb 20	25°C ± 2°C	80 ± 2%	1360 gm	68%

Table No - 3

	Summer Season		Winter Season	
Time Duration	April - 18 to July - 18	April 19–july 19	Nov 18 -Feb 19	Nov 19 -Feb 20
Temperature	27°C±2°C	27°C ± 2°C	25°C ± 2°C	25°C ± 2°C
Humidity	79 ± 2%	79 ± 2%	80 ± 2%	80 ± 2%
Spraying of water	5 Times	5 Times	3 Times	3 Times
B.Y	1180 gm	1200 gm	1320 gm	1360 gm
B.E	59	60	66	68
Days	45	45	47	48
Mother Substrate	Wheat	Wheat	Paddy	Paddy

****

ललित कला और यंत्रिक कला

डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा *

प्रस्तावना – ललित कलाएं, कलाओं का एक विशेष विभाजन है, जिसके अन्तर्गत कुछ चुनी हुई कलाएं रखी गयी हैं जैसे– चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्य एवं संगीत। ये मुख्यत: पांच हैं। ललित कला को मनस्तत्व कहा गया है, जिसका अर्थ है 'मानसिक सुख' अथवा 'मानसिक आनन्द'। ललित कलाएं सौन्दर्य का साक्षात् स्वरूप हैं। अर्थात् यह सौन्दर्य को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। इसी कारण इनको 'फाइन आर्ट' कहा जाता है। फाइन से तात्पर्य सुन्दर से है। अत: ललित कलाओं के अन्तर्गत वे कलाएं आती हैं, जिनका एकमात्र प्रयोजन देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर मानव हृदय को आनन्द प्राप्त कराना होता है। इन कलाओं का उद्देश्य कोई जीवनो पयोगी सामान बनाना नही है। ललित कलाएं उपयोगी कलाएं न होते हुए भी मानव जीवन को अन्य प्रकार से प्रभावित करती हैं। ये आनन्दात्मक होने के कारण इन्द्रिय सुख के साथ–साथ मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुख भी प्रदान करती है और मानवीय जीवन में मूल्यों की वृद्धि करती है। यद्यपि ललित कलाओं से कोई भौतिक सुख प्राप्त नहीं होता, तथापि इनसे हृदय और मस्तिष्क को अतीव आनन्द की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिये किसी ऐसे चित्र को देखकर जिसमें कलाकार ने सूर्यास्त अथवा सूर्योदय में रंगों का ऐसा चित्रण किया है, जिसे देखकर हम आत्मविभोर हो उठते हैं, ऐसे चित्र देखकर एक मानसिक आनन्दानुभूति होती हैं। यद्यपि इस चित्र में वर्णित दृश्य से हमारी कोई भौतिक आवश्यकता पूरी नहीं होती, तथापि इससे प्राप्त आनन्द अलौकिक होता है, जिसकी तुलना में कोई भी भौतिक उपलब्धि तुच्छ प्रतीत होती है। इसी प्रकार कुशल संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत स्वरलहरी अथवा किसी मूर्तिकार की छेनी से उभरी हुई मूर्ति या कवि की कविता में प्रदर्शित भावना से हमें अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है। अलौलिक आनन्द से प्राप्त सुख, आत्मा का विशेष आहार होता है। अत: वह कलाएं जिनसे हमें ऐसे आनन्द की प्राप्ति होती है ललित कलाएं कहलाती हैं।

ललित कलाओं में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमों द्वारा होती है। ये ललित कलाएं समय–समय पर विभिन्न देशों की संस्कृतियों से प्रभावित होकर समृद्ध बनी हैं। जैसे वास्तुकला सर्वप्रथम मिस्त्र में, तत्पश्चात् ग्रीस, बाद में गोथिक के गिरजाघरों में और आज आधुनिक युग में वास्तु शिल्प रूप में विकसित हुई है। इसी प्रकार मूर्तिकला एथेन्स में विशेष रूप से विकसित हुई और चित्रकला इटालियन रिनेपां में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। चित्रकला की विविध शैलियों ने समय–समय पर कलाकारों को प्रभावित कर अनूठे चित्रों की कलाकृति को सम्भव बनाया।

संगीतकला किसी एक देश में ही विकसित नहीं हुई, किन्तु संसार के समस्त देशों में संगीतकला विकसित हुई है। किसी भी देश की सभ्यता संगीत के प्रभाव से बच न सकी। ग्रीस, चीन, जापान, मिस्त्र, योराप आदि सभी देशों की संस्कृति में संगीत का विशेष स्थान था। बीथोवन और मोजार्ट ने सांगीतिक रचनाओं को अमर कर दिया। अत: उनकी रचनाएं आज तक गायी–बजायी जाती हैं। संगीत को समस्त मानव धर्म की भावनाओं की भाषा माना जाता है। अर्थात् संगीत किसी भी देश का हो, अपनी भावनाओं को दूसरों पर व्यक्त करने और पहुंचाने की क्षमता रखता है।

इसी प्रकार अन्य ललित कलाओं के समान कलाओं के समान काव्य ने भी पूर्ण जगत् को अपने प्रभाव में जकड़ रखा था। काव्य को समस्त ललित कलाओं में सबसे उत्तम स्थान प्राप्त है। अत: काव्य की प्रबल धारा प्रत्येक समय में विभिन्न देशों में निरंतर बहती हुई। जिसके फलस्वरूप होमर, शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कबीर, तुलसी, जयदेय आदि की अमर रचनाएं आज तक समस्त देशों के प्राणियों को प्रभावित कर रही हैं। काव्य में बौद्धिक तत्व अधिक है, जिस कारण उसका सौंदर्य व आनन्द बौद्धिक और आध्यात्मिक हैं। बौद्धिक तत्व अधिक होने के कारण कवि किसी एक देश से सम्बंधित नहीं रहता, परंतु उसकी काव्य (कृति) समस्त जगत् की धरोहर बन जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ललित कलाएं भौतिक रूप से उपयोगी न होते हुए भी मानव के आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने में विशेष रूप से सहायक होती है।

यांत्रिक कलाएं – यांत्रिक कलाओं को उपयोगी कलाएं भी कहते हैं। ये कलाएं मानव जीवन के लिये उपयोगी होती है, अर्थात् भौतिक रूप से मानव को सुख प्रदान करती है। इन कलाओं को उपयोगी कला इसलिये कहा जाता है, क्योंकि इन कलाओं में वे सभी गुण विद्यमांन होते हैं, जो प्रत्येक कला में होने आवश्यक है। अर्थात् भौतिक सुख प्रदान करने के साथ–साथ इन कलाओं में चित्त को प्रसन्न करने की क्षमता, कला में प्रक्रिया, कुशला एवं मनुष्य में सृजनशीलता के प्रति आंतरिक इच्छा उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

यांत्रिक कला को शिवकला भी कहा जाता है। इन कलाओं में मुख्यत: क्रियात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक कुशलता यांत्रिक कलाओं का मुख्य अंग है, जिसके द्वारा इन कलाओं का निर्माण संम्भव हो सकता है। ललित कलाओं में क्रियात्मक कुशलता के साथ–साथ कल्पना की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। ललित कलाओं में कल्पना का क्षेत्र अधिक विस्तृत होती है। यांत्रिक कलाओं में उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार की कल्पना का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार बढ़ई एक कुर्सी का निर्माण करता है। तो वह चाहे उसे कोई भी नमूना दे, किन्तु या बात हमेशा ध्यान में रखेगा कि कुर्सी का प्रयोग सही ढंग से हो। अर्थात् बैठने में आरामदायक हो। यद्यिप ललित कलाओं में कुछ हद तक यांत्रिक कलाओं का अंश होता है,

*अतिथि विद्वान (संगीत) शासकीय टी. आर. एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

अर्थात् क्रिया कुशलता की आवश्यकता दोनों में ही होती है। तथापि कल्पना का क्षेत्र यांत्रिक कला से अधिक विस्तृत होता है। यांत्रिक कलाओं द्वारा हमें दैनिक जीवन की आवश्यकता की चीजों की प्राप्ति होती है। ये सभी वस्तुएं हमें इतनी स्वाभाविक-सी प्रतीत होती हैं कि हम इन्हें कला की दृष्टि से स्वीकार करना भूल जाते हैं।

ललित कला एवं यांत्रिक कला में अन्तर - ललित कला और यांत्रिक कला में अन्तर होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

1. **उद्देश्य :-**दोनों प्रकार की कलाओं में विभिन्नता होने का सबसे मुख्य कारण उद्देश्य है। यांत्रिक कलाओं का मुख्य उद्देश्य उपयोगिता है। इस श्रेणी की सभी कलाएं किसी न किसी प्रकार से मानव जीवन के लिये उपयोगी होती है। इनका निर्माण ही उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। इसलिये इन्हें उपयोगी कला भी कहा जाता है। इनमें मुख्य उद्देश्य भौतिक रूप से मानव को सुख की प्राप्ति करवाना होता हे। यांत्रिक कला में एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है, जो इस केन्द्र के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है, अर्थात् क्रियात्मक कुशलता न होने पर कला में उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे-बढ़ई के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कुर्सी बनाना चाहे तो वह यह कार्य ठीक रूप से नहीं कर पाएगा। इस क्रियात्मक कुशलता को यांत्रिक भी कहा जाता है।

इसके विपरीत ललित कलाएं मनुष्य को एक ऐसे अलौलिक आनन्द की अनुभूति कराती हैं, कि जिससे ऐन्द्रिय सुख तो प्राप्त होता ही है और साथ में मानसिक भावनात्मक एवं आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है। यद्यपि ललित कला से कोई भौतिक सुख साधन प्राप्त नहीं होता, तथापि ये कलाएं मस्तिष्क एवं हृदय को असीम सन्तोष तथा शांति और प्रफुल्लता प्रदान करती हैं।

2. **कल्पना :-**दूसरा मुख्य कारण है 'कल्पना'। यांत्रिक कलाओं में कल्पना का प्रयोग और कला को कलात्मक ऊंचाई तक पहुंचाने की गुंजाइश कम होती है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि यांत्रिक कलाओं की रचना किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिये की जाती है। अतः उस विशिष्ट प्राप्ति के लिए प्रयुक्त सामग्री एवं उद्देश्य कल्पना के प्रयोग का क्षेत्र संकुचित कर देती हैं। अतः कल्पना से नवीन रचना कर सकना यांत्रिक कलाओं में अधिक संम्भव नहीं होता।

ललित कला में कल्पना का एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। कल्पना का क्षेत्र ललित कलाओं में विशाल एवं विस्तृत है। अर्थात जिस ऊंचाई तक कोई कलाकार अपनी क्षमता से कल्पना-शक्ति की उड़ान ले सकता है, उस कलाकार को वहां तक कल्पना का प्रयोग कला में करने की अनुमति है। ललित कलाओं के तत्वों में कला को प्रत्यक्ष रूप देने की क्षमता कल्पना में ही है। जहां यांत्रिक कला में दक्षता की अधिक आवश्यकता होती है, वहां ललित कला में दक्षता के साथ-साथ कल्पना की भी अत्याधिक आवश्यकता होती है।

कल्पना का दूसरा रूप प्रतिभा है। प्रतिभा द्वारा मनुष्य अपनी कला में ऐसे प्रसंगों को स्पष्टतापूर्वक प्रदर्शित करता है, जिससे अन्य व्यक्ति कलाकार के भावों को ग्रहण करते है। प्रतिभा ईश्वर की देन है। साधना के साथ-साथ किसी कलाकृति को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिये कल्पना एवं प्रतिभा दोनों का बहुत योगदान रहता हैं। उदाहरणतः जब कोई कलाकार गायन प्रस्तुत करता है तो अपनी शिक्षा एवं साधना के साथ वह जितना अपनी कल्पना शक्ति को प्रयोग करता है, उतना ही उसका गायन श्रोताओं को आनन्द प्रदान करता है और स्वरों के विभिन्न प्रयोग एवं लगाव से सौन्दर्यानुभूति कराता है।

3. **अभ्यास एवं साधना :-**ललित एवं यांत्रिक कलाओं में विभिन्नता का एक अन्य कारण है अभ्यास। यांत्रिक कला में बारंबार अभ्यास करना पड़ता है, जिसमें दक्षता प्राप्त होती है। अभ्यास द्वारा मानव किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त कर उसे सुचारू रूप में कर सकता है। इसके विपरीत ललित कला में अभ्यास के साथ-साथ साधना की भी आवश्यकता होती है। अर्थात् जो कार्य ललित कला के अन्तर्गत आता है, उसका कलाकार को बार-बार मनन करना पड़ता है। साधना द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सफलता से सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति का मूल स्रोत साधना को ही माना गया है। साधना द्वारा कलाकार कला को अपने व्यक्तित्व में ढाल लेता है और कला कलाकार का अभिन्न अंग बन जाती है तथा कलाकार सफलतापूर्वक उसका प्रदर्शन कर सकता है। ललित कलाओं में मुख्यतः काव्य, संगीत और चित्रकला आ जाती है।

4. **विषय :-**ललित कला और यॉत्रिक कला में एक अन्य भेद विषय का पाया जाता है। ललित कला में विषय का चुनाव कलाकार स्वयं करता है, वह विषय को लेकर कला का निर्माण करता है। किन्तु यांत्रिक कला में विषय का चुनाव अन्य व्यक्ति करता है और उस कार्य को विषयानुसार रूप देने का कार्य कलाकार करता है। अतः जहां ललित कला में कलाकार को अपने विषय को चुनने, उसका चिन्तन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, वहां यांत्रिक कला में कलाकार को निर्धारित किए गए विषय की प्राप्ति का साधन मात्र बनाया जाता है।

5. **उदात्त :-**यद्यपि यांत्रिक कला में लालित्य और ललित कला में उपयोगिता का अंश विद्यमान रहता है, तथापि ललित कला का विशिष्ट गण उदात्त है। उपयोगी कला अथवा यांत्रिक कला में उदात्त का गुण आवश्यक नहीं होता। उपयोग के अनुसार कला का रूप देखा जाता है। अर्थात् यांत्रिक कला से अगर उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो तो वही उसका सर्वोच्च गुण है,- चाहे उदात्त का अंश विद्यमान है अथवा नहीं।

6. **सौन्दर्य :-**कला एक जाति है, जिसको दो उपविभागों में विभक्त किया गया है - (1) यांत्रिक (उपयोगी) कला, और (2) ललित कला। ललित कला से अभिप्राय उस शिल्प से है, जिसका प्रयोग ललित अथवा सुन्दर को निखारने एवं प्रस्तुत करने में हो। अतः ललित कला की सुन्दरता ही उसे यांत्रिक कला से अलग कर देती है। प्राचीनकाल में इन कलाओं में यह अन्तर प्राप्त नहीं होता था। ललित कला और यांत्रिक कला का यह अन्तर आधुनिक समय में किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संगीत दमोदार
2. राग विबोध,
3. संगीत दर्पण
4. संगीत राज

****

मलेरिया रोग-कारण एवं निदान: रीवा जिले के संदर्भ में एक चिकित्सा-भूगोलीय अध्ययन

डॉ. भास्कर प्रसाद तिवारी *

प्रस्तावना – मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। जिससे विश्व की प्रतिदिन जनसंख्या मृत्यु को प्राप्त होती है। इस प्रकार मृत्यु दर के ऑकड़े भयानक होते हैं। अत: आवश्यक हो जाता है कि रोगों का विभाजन किया जाए जिससे मरने वालों के ऑकड़ों को एकत्रित किया जा सके। इस शोध में मलेरिया रोग के बारे में अध्ययन किया गया है।

आवश्यकता :–मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही अपने वातावरण के साथ संघर्ष करने लगता है। यह तैयारी प्रकृतिजन्य होती है। किन्तु कभी कभी शरीर में ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं कि सही समय में उपचार नहीं किया गया तो वह व्यक्ति अपना अस्तित्व नहीं बचा पाता है।

मलेरिया रोग :–मलेरिया शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। 'माल' का अर्थ अशुद्ध एवं 'एरिया' का अर्थ वायु अर्थात् अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग को मलेरिया नाम रखा गया है। यह रोग एक विशेष प्रकार के पराश्रयी जीव (प्लाजोडियम) से फैलता है। जब यह मच्छर मानव शरीर से कुछ रोगाणु रक्त में मिल जाते हैं और मानव शरीर के यकृत में जाकर अलैगिंक प्रजनन द्धारा तेजी से विकास करते हैं। इसके बाद यह रोगाणु त्वचा में प्रवेश करता है और मलेरिया के रोगाणु रक्त में आकर पुन: नई कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, यह क्रम हमेश चलता रहता है और रोगाणु की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है।[1] मलेरिया के रोगाणु एक विषैला पदार्थ हीमोजाइन पैदा करता है। जिसके कारण ही मलेरिया बुखार आता है। इस रोग की तीन अवस्था होती है।

(अ) शीत अवस्था– सर्दी लगकर अचानक बुखार का आना रोगी कॉपने लगता है। कपड़ा ओढ़ने के बाद भी ठण्ड कम नहीं होती है, यह स्थिति केवल 1 यो 2 घण्टे तक होती है।

(ब) ताप अवस्था– रोगी के शरीर में अधिक ताप होता है तथा सिरदर्द एवं वदन दर्द, ऐंठन होती हैं।

(स) पसीना आना– अधिक पसीना के साथ वुखार उतर जाती है तथा रोगी केा कमजोरी महसूस होती है। खून की कमी के कारण रोगी पीला एव कमजोर दिखाई देता है।

रोग के कारण :– अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल है। इस कारण यह रोग सर्वाधिक वर्षा ऋतु में होती है। यत्र तंत्र गंढा पानी इकट्ठा होने से मच्छरों के पनपने के लिए काफी उपयुक्त होती है तथा यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों को अधिक होता है क्योंकि पुरूष अधिक समय तक घरों से बाहर रहते हैं तथा स्त्रियॉ पुरूषों की अपेक्षा अधिक वस्त्र पहनती हैं। अध्ययन क्षेत्र के निर्धन लोग जो सीलनयुक्त घरों में अंधेरों में या गन्दे आवासों में निवास करते हैं जहॉ मच्छरों की अधिकता से मलेरिया रोग अधिक होता है। इसके अलावा रोगी का समुचित तथा समय पर उपचार का न होना तथा अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं का अभाव आदि।

लक्षण :–1. सर्दी एवं कम्पन के साथ ज्वर का आना, 2. शरीर में दर्द के साथ हांथ पैर में ऐठन का होना। 3. ज्वर की सीमा 104 से 106 डिग्री तक पहुंच जाती है। 4. रोगी को अधिक प्यास लगना तथा चेहरा लाल होना। 5. तापमान कम होने पर उल्टी का लगना। 6. कोशिकाओं का रक्त क्षय होने से रक्त अल्पता। 7. यदि यह रोग अधिक समय तक रहता है मृत्यु भी हो सकती है।

सारणी क्रं0–1.1 : रीवा जिले में मलेरिया रोगी की संख्या (वर्ष 2018) की स्थिति में

क्रं.	माह	रक्त पट्टियों का संग्रह	जॉची गयी रक्त पट्टियों की संख्या	पाजिटिव रोगी संख्या	प्रतिशत
1	जनवरी	5492	5480	12	0.90
2	फरवरी	9752	9511	25	1.87
3	मार्च	12894	12894	32	2.40
4	अप्रैल	13741	13741	36	2.70
5	मई	17762	17762	55	4.12
6	जून	14296	14296	40	3.00
7	जुलाई	29373	29373	149	11.18
8	अगस्त	27802	27802	246	18.46
9	सितम्बर	20003	20003	267	20.04
10	अक्टूबर	23072	23072	260	19.51
11	नम्बर	11703	11703	95	7.31
12	दिसम्बर	8838	8804	115	8.63
	योग–	194728	194442	1320	100

स्रोत:– जिला मलेरिया कार्यालय रीवा (म0प्र0)

सारणी क्रमांक 1.1 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 194728 रक्त पट्टियों का सग्रह किया जिसमें194442. पाजिटिव पाये गये है। सर्वाधिक पाजिटिव रोगी सितम्बर माह 20.04 प्रतिशत में तथा सबसे कम रोगी जनवरी में 0.90 प्रतिशत पाये गये है।

मलेरिया रोग के निदान – मलेरिया पुन: उभरतें हुए रोगों में प्रमुख रोग माना जा रहा है। इसके फैलने की आशंका से इसके नियंत्रण के लिए शासन प्रशासन सजग रहता है। कुछ सुझाव कारगर हो सकते हैं।

* अतिथि विद्वान (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, सेमरिया, रीवा (म.प्र.) भारत

1. मलेरिया होने पर रोगी की तुरंत जॉच करानी चाहिए।
2. मलेरिया में प्राइमाक्वीन नामक दवा कारगर साबित हुई है, अतः इस दवा को स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध करनी होगी।
3. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ केन्द्रों में रोग परीक्षण की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। आवश्यक संख्या में माइक्रोस्कोप की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एक निश्चित अंतराल में कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव होना चाहिए।
5. गन्दा पानी इक्ट्ठा होने न दे, नालियों को साफ रखें तथा कूड़े करकट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
6. गॉवों एवं कस्बों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होना चाहिए।
7. शरीर को मच्छरों से पूरी तरह सुरक्षित रखे, इसके लिए आवश्यक है कि सोते समय मच्छर दानी का उपयोग करें।
8. घरों में डी0डी0टी0 मैलावियान, पाइरीथाम आदि दवाओं के प्रयोग से मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है।

निष्कर्ष – यह कहा जा सकता है कि मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए जिन बातों का जिक्र किया गया है वे सभी बाते सरकार के द्वारी अपनाई गई नीति के अतंगर्त हैं। इसके अतिरिक्त निजी संस्थान, स्वंय सेवी संस्थान तथा जनता को दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Bedi y.p (1980) Handbook of Social and Preventive Medicine. Delhi P.321
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी मलेरिया विभाग रीवा से पूछताछ पर आधारित।
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला रीवा (म0प्र0)।
4. डॉ0 जी0सी0 सिंघई चिकिस्ता–भूगोल वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर–पृ0 079

****

हिन्दी कथा साहित्य में ग्रामीण परिवेश

डॉ. आर. एस.वाटे *

प्रस्तावना – भारत गाँवों का देश है, इसलिए इसकी मौलिक आत्मा, इसका नैसर्गिक सौन्दर्य गाँवों में बिखरा पड़ा है। नगरों में तो इसका अति सीमित और कृत्रिम रूप परिलक्षित होता है। संबंधों का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है। फेचर चाईल्ड के अनुसार– 'ग्राम पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने–सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशत: सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल आवृत्ति एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है।'

भारतीय जीवन की धड़कन और उसके दर्द को जानने के लिए हमें ग्राम्य जीवन की नसें टटोलनी पड़ती है। नाना प्रकार की समस्याओं से जूझते, अनेक तरह की कुप्रथा और रूढ़ियों के निरर्थक बोझ के ढोते, अज्ञान और अशिक्षा के शीत में ठिठुरते हुए भारतीय गाँव इस देश की जीवन्त करुण कहानी कहते हैं।

सदियों से ग्राम्य जीवन सभ्यता की दौड़ धूप में पीछे रहा है क्योंकि कृत्रिम सभ्यता 'आधुनिकता' के रूप में शहरों में अपना रंग जमाती है और सरल तथा नि:स्पृह जीवन से सम्पृक्त हमारा ग्रामीण मानस अशिक्षा के कारण इसे सहज ही अंगीकार नहीं कर सकता है पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हमारे गाँव सदियों से एक ही ढर्रे पर चल रहे हो। यहाँ भी परिवर्तन हुआ है पर अत्यधिक धीमी गति से। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल या मध्य काल में गाँवों का जो स्वरूप था, उनकी जो जीवन परिस्थितियाँ थीं, उनके जो विश्वास और मान्यताएँ थीं सभ्यता संस्कृति की उथल–पुथल के साथ–साथ अत्यधिक परिवर्तन परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के तुरन्त बाद के गांवों में ही बहुत बदलाव आ गया है।

'प्राचीन भारत के गाँव शताब्दियों पर्यन्त संगठित, सामूहिक शान्तिपूर्ण एवं सुनियोजित जीवन अपनी सुव्यवस्था तथा आत्मनिर्भरता के रूप में विख्यात रहा है।' परतंत्रता आते ही मुस्लिम काल एवं अंग्रेजी काल में विकृतियों से इनका स्वरूप उत्तरोत्तर विगड़ता गया।

आज हमारी संस्कृति का आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्यीकरण हो रहा है पर इसके बावजूद भी हमारी भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप हमें अब भी गॉवों में प्राप्त हो ही जाता है। हमारे जीवन की बुनियादी गहराइयॉ शहरों में न मिलकर गॉवों में ही दृष्टिगत होती हैं। विभिन्न लोकतत्व यथा मेले, त्योहार लोकगीत, लोकगथाएँ, लोकनृत्य, ग्रामीण अंचलों में ही सुरक्षित मिलेंगे। इन सबकी अभिव्यक्ति हिन्दी कथा में भी मिलती है।

ग्राम परिवेश पर मिलने वाली इधर की कहानियाँ गुणात्मक रूप से उन कहानियों से अलग हैं जो 50–60 के दौरान लिखी गयी थीं। तब की अधिकांश कहानियाँ शहर से छुट्टियों में लौटे हुए युवक या प्रौढ़ की ऐसी कहानियाँ थीं जो किसी बूढ़े–बूढ़ी, पेड़ या विगत–प्यार के लिए श्रद्धांजलि की तरह लिखी जाती थीं और जब तक यह नायक उनके साथ जुड़ना शुरू करे, तब तक पढ़ाई या नौकरी पर उसके लौटने का समय हो जाता था। हिन्दी की कुछ बेहद सुन्दर रचनाएं इस दौर में लिखी गयीं, मगर इधर की कहानियाँ ठेठ उन लोगों और स्थितियों के बीच घटित होती हैं और उसको अपना कथ्य बनाती हैं जो वहीं के हिस्से हैं। निश्चय ही इनमें फार्मूलों का सहारा है, स्थितियों के सरलीकरण और एकाकीपन हैं – मगर कथाकारों के सरोकार और सब मिलाकर उभरने वाली सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता। ....यहां इस अंतर्विरोध पर भी निगाह जाती है कि एक ओर तो कथाकार या शिक्षित युवक प्राय: शहरों और बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं और उधर साहित्य में उभर रहे हैं। दूर–दराज में फैले किसान, मजदूर और खेत–खलिहान, पुलिस–राजनेता अफसरों की मनमानियॉ...।

फैलते क्षेत्रों के इस व्यापक विकेन्द्रीकरण ने जहां कहानियों में अनंत विविधताएं, आंचलिक रंगत और जीवन संघर्ष के बेहद महत्वपूर्ण पक्ष दिये हैं वहीं हिंदी पाठकों के सामने संप्रेक्षण का एक और संकट खड़ा कर दिया है। इस संदर्भ में राजेन्द्र यादव कहते हैं कि पिछले दिनों अनेक पाठकों ने बार–बार सवाल उठाये थे कि हिन्दी पाठक से आप कितनी बोलियाँ समझने की उम्मीद करते हैं ? कोई लेखक ईमानदारी और प्रामाणिकता से राजस्थानी जिन्दगी, भाषा और मुहावरे दे रहा है तो कोई सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों की कोई छत्तीसगढ़ी, ब्रज या हरियाणवी की ... बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्चस्व तो है ही ... उधर महानगरी मध्यवर्ग तो पूरे के पूरे संवाद अंग्रेजी में झाड़ देता है – इस सिरे से उस सिरे तक छायी हुई यह भाषायी विविधता रोमांचकारी जरूर है, लेकिन पाठकीय बोध के लिए सबसे बड़ा संकट भी है। जब तक कहानी विषय या परिवेश के नयेपन और जानकारियों तक ही पाठक को सीमित रखती है तब तक अनुभव की गहराई से उसे नहीं छू पाती.... कहानी की सफलता ही इस बात में है कि इन बाहरी उपकरणों को पार करता हुआ पाठक कथ्य की अंतरंगता से जुड़ता चला जाये। इसके बिना कहानी का अनुभव पाठक का अपना अनुभव नहीं बनेगा – हाँ, उसकी जानकारी में इजाफा जरूर करेगा। जहाँ तक जानकारियों का सवाल है तो उसके लिए अखबार से लेकर दूर–संचार तक बीसियों और तरीकें हैं – कहानी से ज्यादा प्रामाणिक...।

अत: कहना न होगा कि भौगोलिक विस्तार समेटता हुआ यह विकेन्द्रीकरण यहीं जिस दूसरी समस्या के सामने हमें ला खड़ा करता है, वह है वि–मानकीकरण। जब चीजें अपने आकार में फैलती हैं तो उनके रूप भी वह नहीं रहते, वे भी टूटने, बिगड़ने या बदलने लगते हैं। हम जिन मूल्यों मान्यताओं, अचार–व्यवहार या भाषा–बोली की अभ्यस्त मानसिकता में

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, जैतहरी, जिला–अनूपपुर (म.प्र.) भारत

बने रहना चाहते हैं, उसे सबसे अधिक झटका देता है यह वि–मानकीकरण। शोषण और संघर्ष की सारी सामानताओं और सामान्यताओं के बावजूद कहानियों में सबसे अधिक उभकर आने वाले इस भाषायी वि–मानकीकरण को अपने मूल में यथास्थिति के खिलाफ किसी गहरे असंतोष या विद्रोह की सहज अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। जिन्दगी की नींव में जब दरारें पड़ने लगती हैं तो प्रारंभिक चेतावनियाँ भाषा के स्तर पर ही सुनाई देती हैं। मानकीकरण का अर्थ ही होता है यथास्थितिवाद, ठहरे हुए पानी का निथरते जाना अर्थात कुलीनतावाद। भीतर की खलबलाहट सबसे पहले इसी शीशे की तरह ठहरी बेदाग सतह को झकझोरती है...।

शब्द, भाषा, वाक्य और संपूर्ण विन्यास का यह वि–मानकीकरण जो आज हमें एक खास तरह की अराजकता या अव्यवस्था लग रहा है हो सकता है किसी कैंचुली उतारते सांप की भीतरी कसमसाहट हो.... बहरहाल, सारे विकासशील समाज और भाषा अपनी प्रगति और बदलाव की प्रक्रिया में ऐसी एनार्की और कैऑस से बार–बार गुजरते हैं और फिर पहले से बड़े या व्यापक स्तरों पर केन्द्रीकरण या मानकीकरण की क्रिया शुरू होती है ... कहानी की भाषा की नब्ज तो कम से कम यही संकेत दे रही है कि सारे शरीर में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले से अलग है.... यानी यह मानसिकता के व्यापक बदलाव की सूचना है। उर्दू या अंग्रेजी में दशकों तक मानकीकरण का अतिरिक्त या अतिशयोक्तिपूर्ण आग्रह कहीं उन भाषाओं के बोलने वालों की अवरुद्ध मानसिकता को ही रेखांकित करता था... भाषाई आभिजात्य या कुलीनता का दंभ अपनी जड़ता को लेकर अतिरिक्त तुनकमिजाजी से पैदा होता है। हम इस मानकीकरण की हाथीदांती मीनारों में आत्ममुग्ध बैठे रहे हैं और आस–पास वि–मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है – हमारे द्वीप के किनारे काटती सीमाएँ निगलती...।

कथाकार ज्ञान प्रकाश का मानना है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति, परिवार एवं समाज के सन्तुलन को भंग कर दिया है। धन–केन्द्रित समाज व्यावस्था ने सभी मानवीय गुणों को तिलांजलि दी है। बाजारवादी तंत्र ने व्यक्ति व समाज को अपने जाल में फंसा दिया है। असीम धन की चकाचौंध ने महानगरीय जीवन में संस्कृति के स्थान पर कुसंस्कृति पैदा की है यहॉ कारपरेट वर्ल्ड... चुमन। वाइन। वेल्थ एवं बयानबाजियाँ चल रही हैं।

ज्ञान प्रकाश विवेक की 'इमारें' शीर्षक कहानी में उभोक्तावादी संस्कृति के प्रतीक के रूप में एक सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी इमारत को दिखाया है। मल्टी स्टोरी इमारत सिंगल स्टोरी इमारत को हिकारत की दृष्टि से देखती है और बुढ़िया सम्बोधन करके कहती है बूढ़ियों, गुजर चुका तुम्हारा जमाना। हमारा जमाना है अब हमारे अन्दर झाँककर देखों, सब कुछ वेलफरनिश्ड। नो इमोशन। नो रिलेशन। सब प्रैक्टिकल। हर फ्लोर डेकोरोटिड। वाल टु वालकारपरेट। तुम जहॉ खत्म होती हो, हम वहाँ से शुरू होती हैं। ... हमें हमारे अहंकार से नापना। सिंगल स्टोरी से रहा नहीं गया। बोली – जानती हैं, ग्यारह सितम्बर को क्या हुआ था? ... अहंकार ध्वस्त हुआ था। ऊँचाई सिर के बल गिरी थी। शक्ति के भीतर का खोखलापन जाहिर हो गया था। अपनी बुलन्दी कद–काठी का जश्न मनाते दो टावर, ताश के घर की तरह गिरे। ... दूसरे के पैरों पर नहीं। वह अपने पैरों पर गिरता है, जैसे कि टावर।

सिंगल स्टोरी अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए खुदा पर भरोसा, प्रेमत्र, भाईचारा, करुणा, दया, ममता आदि की भावनाओं से युक्त स्वास्थ एवं सभ्य सामाजिक जीवन का संघर्ष करती है।

अत: उत्तर आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था की जड़े बेईमानी, चापलूसी, भ्रष्टाचार रूपी खम्भों पर टिकी हुई है। जो कोई ईमानदारी से उस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है वह खुद व्यवस्थारूपी ओक्टोपस की चंगुल में फॅस जायेगा जिस तरह 'उजाड़' शीर्षक कहानी का नायक वासन फॅस गया है। 'व्यवस्था व्यक्ति एवं समाज को व्यवस्थित करने के लिए का सिद्धान्त इस उत्तर आधुनिक युग में कोरा बकवास बन गया है। व्यवस्था छीनते–छीनते कितना कुछ छींन लेती है। जब आदमी की जमीन छीनकर उसे तसल्ली नहीं होती तो वह उसके पॉव छीन लेती है।' उत्तर आधुनिक बाजारवादी व्यवस्था इतनी क्रूर और निस्संग है कि दीन–हीनों के दुख–दर्द को नजरअन्दाज करती है।

इसी प्रकार ज्ञानप्रकाश विवेक की 'अर्थ' शीर्षक कहानियाँ इस क्रूर व्यवस्था की झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं। पहली कहानी में गरीब स्त्रियाँ गुजारा करने के लिए हजार पत्ते के बदले दस रुपये पाने के लिए कमर में बंधे कपड़ों में दरॉती खोंसकर मेंढक की तरह पेड़ों पर चढ़कर पत्ते तोड़ती है और उसे बाजार में बेचती है जबकि टूरिस्ट केन्द्रों में खूबसूरत जवान एवं छरहरी लड़कियॉ नाजोअन्दाज, के साथ चाकलेट खा रही हैं और उसकी माएँ व्यूटी पार्लरों में ढलती उम्र मे मुठभेड़ करती हैं।

कमोवेश ग्राम्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में कथा साहित्य के सम्राट प्रेमचन्द ने एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में ग्रामीणों के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया है। मध्यवर्ग के लिए परिवार उपभोग का केन्द्र होता है, लेकिन किसान के लिए परिवार उत्पादन का केन्द्र भी होता है। किसान के पारिवारिक सम्बन्ध उत्पादन के संबंध भी होते हैं। उत्पादन कर्म में सारा परिवार एक साथ लगता है। इसलिए किसान बिना परिवार के नहीं रह सकता। मध्यवर्गीय मेहता अविवाहित रह सकते हैं लेकिन होरी के अविवाहित जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। वह स्वाभाविक और पारिवारिक जीवन जीना चाहता है।म

किसान अपनी चेतना से संयुक्त परिवार का पक्षपाती होता है। प्रेमचन्द ने दिखाया है कि नयी व्यवस्था के दबाव से यह संयुक्त परिवार टूट रहा है और इस टूटते हुए संयुक्त परिवार को बचाने के लिए किसान अथक प्रयास कर रहा है। इसमें कभी वह सफल होता है और कभी असफल होता है। संयुक्त परिवार को बचाने के इस संघर्ष मे किसान अपनी सामर्थ्य और इच्छा शक्ति के सहारे सफल होता है। और ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव से असफल होता है। संयुक्त परिवार के बिखर जाने के बाद भी किसान उन संबंधों को मानता और निभाता रहता है। तात्पर्य यह है कि संयुक्त परिवार के विघटन के बाद भी चेतना के स्तर पर किसान संयुक्त परिवार में ही रहना चाहता है। इस तरह प्रेमचन्द सहित्य में भारतीय किसान के परिवार का वह संक्रमण काल अभिव्यक्त हुआ है, जब संयुक्त परिवार में विघटन तीव्र हो गया था। इस विघटनकालीन संयुक्त परिवार मे सदस्यों के आपसी संबंधों के ताने–बाने, तनाव, अन्त:संघर्ष, अन्तर्विरोध और टूटन की अभिव्यक्ति प्रेमचन्द की रचनाओं में हुई है। उनके साहित्य में 'नये' परिवार के बन जाने का चित्रण तो है, लेकिन उनको सामाजिक और नैतिक विराधे का सामना करना पड़ रहा है। समाज उसे वांछित रूप में नहीं, बल्कि नियति के रूप में मानने के लिए मजबूर है। इस विशिष्ट ऐतिहासिक दौर में किसानों की पारिवारिक स्थिति का चित्रण प्रेमचंद साहित्य में भी मिलता है।

प्रेमचंद ने परिवार का वर्णन करते हुए इस तथ्य को बड़े दर्द से रेखांकित किया है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार सिर्फ संस्था नहीं है बल्कि मानवीय संबंधों की मानवीयता की स्थायी और ठोस अभिव्यक्ति है। परिवार टूटने के साथ ही यह मानवीयता भी टूट जाती है। इस टूटने के दर्द को किसान पात्र झेलते हैं और अक्सर विघटन के दिन परिवार का मुखिया

इस गम में खाना नहीं खा पाता। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय किसान की परम्परागत चेतना का मूर्तिमान रूप-संयुक्त परिवार अब टूट क्यों रहा है? प्रेमचंद और उनके किसान पात्रों के विचार क्या हैं? वह जानना भी आवश्यक है।

प्रेमचन्द साहित्य के अध्न से पता लगता है कि उन्होंने इसका कोई ठोस और तर्कसंगत जवाब नहीं दिया है। इस समस्या के बारे में लेखक के विचार उसके पात्रों के विचारों से मिलते हैं। संयुक्त परिवार के समर्थन में एक तर्क तो यह भी दिया जाता है कि यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। सवा शेर गेहूँ में प्रेमचंद ने लिखते हैं,... शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किन्तु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया।

इसके टूटने के कारणों में सबसे प्रमुख नयी बू की संकुचित दृष्टि को माना गया है। जब तक घर में कोई नया प्राणी नहीं आ जाता, तब तक पारिवारिक जीवन में सुख-शान्ति रहती है, लेकिन ज्यों ही वह आती है परिवार के सभी सदस्यों के आपसी संबंध बदल जाते हैं और आज्ञाकारी बेटा भी अनुशासनहीन होने लगता है। 'अलग्योझा' कहानी में भी इसी परिवार के विघटन की जिम्मेदार रग्घू की बहू मुलिया को ठहराया गया है। मुलिया सोचती है और कहती भी है कि 'मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे, और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमें। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते ही नहीं भाई किसके होते हैं।'

संयुक्त परिवार में यह असमान श्रमविभाजन तो सदियों से रहा है, लेकिन इसका विरोध अब इतना तीव्र क्यों हो गया है? इसका कारण है लाभ की व्यक्तिगत चेतना। पहले परिवार गुमान जैसे निठल्ले खप जाते थे लिहाज और स्नेहवश दूसरे भाई भावज कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन 'व्यक्तिवाद' के कारण वह 'लिहाज' उठता जा रहा है औरतें पहले जब इस प्रकार बातें करती भी थीं, तो मर्द उन्हें चुप करा देते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गयी है। 'शंखनाद' का बितान खुद तो लिहाजवश कुछ नहीं पाता, लेकिन जब उसकी पत्नी अलग्योझे का समर्थ करती है तो उसे अच्छा लगता है। इसमें भानुदत्त को गुमान का छैलापन उतना नहीं खलता जितना उसके बेटों का खलता है। इसका कारण दो पीढ़ियें की अलग अलग चेतना है।

अतः कहना न होगा कि आज परिवार टूट रहे हैं। ग्रामीण जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। ग्रामीण संस्कृति का ढांचा चरमरा रहा है। आज परिवार के बीच एकाकीपन समा रहा है। साथ ही बाजारवाद की चकाचौंध और उपभोक्तावादी संस्कृति की दस्तक ने पुराने जीवन मूल्यों को नेस्तानाबूद कर स्व संस्कृति को जन्म दे रही है जो देश, समाज एवं परिवार के लिए घातक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ0 ज्ञान अस्थाना : हिन्दी उपन्यासों में ग्राम समस्याऍं
2. प्रो0 कमला प्रसाद : देशवन्धु, दैनिक समाचार पत्र में प्राकशित स्तम्भ – बदलती दुनिया बदलते इन्सान, से उद्धृत
3. राजेन्द्र यादव – कहानी : अनुभव और अभिव्यक्ति
4. राजेन्द्र यादव – कहानी : अनुभव और अभिव्यक्ति
5. ज्ञान प्रकाश विवेक – शिकारगाह
6. सी.एम. येहन्नान – समकालीन हिन्दी कहानी : अन्तरंग परिचय
7. प्रो. रामबक्ष – प्रेमचन्द और भारतीय किसान
8. प्रेमचंद – गोदान

****

बिलासपुर जिले के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों का ऐतिहासिक अध्ययन

श्रीमती हंसा तिवारी* डॉ. अंजू तिवारी **

शोध सारांश – छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली प्रदेश है। यहां की प्राकृतिक वन सम्पदाएं एवं पौराणिक मान्यताएं देश ही नहीं वरन् विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिलासपुर जिला ऐतिहासिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। यहां के धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल अपनी प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा भव्यता के कारण विख्यात है। बिलासपुर जिले का रतनपुर, मल्हार तथा तालाग्राम प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ये स्थल पर्यटकों व धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। निश्चित ही बिलासपुर जिले के धार्मिक तथा दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक कालखण्डों की पौराणिक अनुपम गाथाओं को समेटे हुए हैं, जो भारत की प्राचीनतम संस्कृतिक धरोहर एवं स्थापत्य कला का जीता-जागता प्रतिमान है। वर्तमान में इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – पर्यटन, धार्मिक, दर्शनीय, अनोखी, भारवाहक, लतावल्लरी, अर्धमंडप, मेघमुखाकृति।

प्रस्तावना – बिलासपुर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक नगर है, यह प्रशासनिक व शहरी दोनों ही रूपों में छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा नगर है। बिलासपुर जिला 21.47' से 23.8' उत्तर अक्षांश व 81.14' से 83.15' पूर्व देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 3508.48 वर्ग किलोमीटर है। जिले की कुल जनसंख्या लगभग 16,25,502 है। बिलासपुर जिला अपने-आपमें अनके पौराणिक स्थलों को समाहित किए हुऐहै। 1861 में जिले के रूप में इस जिले को मान्यता मिली। आजादी के कुछ समय बाद ही 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ, इसी समय बिलासपुर एक संभागीय मुख्यालय बना। इसी समय यहां पर नगर पालिका का गठन हुआ। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले की विशालता में कमी आयी और यह जिला अपने स्थापना काल से लगभग आधा रह गया। लेकिन इसके बादभी इस जिले के पौराणिक स्थलों में प्रमुख हैं – मल्हार, रतनपुर व तालागांव, जो कि आज भी अपनी पौराणिक महत्व को बनाए रखे हैं।

बिलासपुर का नामकरण – बिलासपुर के नामकरण को लेकर अनेक रोचक प्रसंग मिलते हैं, जिसका वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से समीचीन होगा, क्योंकि बिलासपुर जिला एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का जिला है। बिलासपुर के नामकरण के संबंध में एक प्रसंग बिलासा नामक एक केंवटिन का उल्लेख मिलता है कि इस नारी ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से बचने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उसी के नाम पर नगर बिलासपुर बना, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है। एक अन्य वर्णन में बिलासपुर के नामकरण के संबंध में वर्णन मिलता है कि बिलासपुर का नाम पहले यपलाशपुर रहा होगा। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों पर शोधपरक खोजें करवाई थी। बिलासपुर के नामकरण के संबंध में कैप्टन जे.फोरसिथ की शोध रिपोर्ट 1871 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट की दसवें अध्याय का नाम 'एन एक्सप्लोरेशन इन दि फार ईस्ट' है।[1] इसमें उसने जो लिखा है उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है – इस क्षेत्र के भूमिया को आप शायद ही बिना टंगिया और चोंगी के देखेंगे अर्थात् भूमियां की विशेषता है कि यह दोनों उसके साथ ही रहेगी। उसने आगे लिखा है कि पलाश (बूटिया फोडासा-पलाश का वानस्पतिक नाम) के नाम पर पूरे बिलासपुर जिले का नामकरण हुआ है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध राज्य रहा है। यहां ऐतिहासिक, परातात्विक, धार्मिक, औद्योगिक व प्राकृति सौन्दर्य के पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला भी काफी महत्वपूर्ण रहा है, विशेष रूप से बिलासपुर जिले का रतनपुर, मल्हार व तालाग्राम प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल है।

रतनपुर के धार्मिक व दर्शनीय स्थल –बिलासपुर कटघोरा सड़क मार्ग पर 28 किलोमीटर दूर रतनपुर स्थित है।[2] रतनपुर आज एक कस्बे के रूप में आवश्य है लेकिन पर्यटकों एवं धार्मिक आस्था के लोगों को काफी आकर्षित करने के लिए यहां का प्राचीन किला, मंदिर, विभिन्न धर्मो की प्रतिमाएं व सरोवर वर्तमान में भी अपनी प्राचीन वैभवशाली कला को संजोये हुए है।

रतनपुर गढ़ – यहां का प्राचीन किला अपने प्राचीन व गौरवपूर्ण रूप में नहीं है लेकिन फिर भी दर्शनीय है। इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है। मराठों ने 1742 में रतनपुर पर अधिकार करने के पश्चात् इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। कुछ नये दवाजे भी बनवाये गये, किले की दीवारों में कई महल व मंदिरों के पत्थर भी लगाए गए। ये पत्थर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के कारण काफी दर्शनी है। गणेश द्वार के सामने किले के द्वार पर चौखट काफी नक्काशीदार है। गंगा व यमुदा नदी देवियों की प्रतिमाएं चौखट के दोनों तरफ है। एक स्थान पर हाथ-पैरों से खंण्डित परिमाण विहीन प्रतिमा है, जिसे गोपल्लावीर की प्रतिमा बताया जाता है। यह वीर राजा कल्याण साय को दिल्ली ले जाकर अपनी पहलवानी से बादशाह जहांगीर को प्रसन्न कर वापस रतनपुर लाने में सफल हुआ था। द्वार पर शिवाजी का ताण्डव नृत्य एवं ग्रम्हा एवं विष्णु की प्रतिमाएं भी अनुपम सौंदर्य का नमूना है।

दर्शनीय प्रतिमाएं – यहां पर ऐसी दर्शनीय प्रतिमा भी है जो कहीं भी मंदिरों

*शोधार्थी, डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. सी.वी. रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

में बनी हो, वह है दशासन लंकापति द्वारा शिव लिंग पर पूजा करके अपना एक-एक सिर काट कर चढ़ाते हुए प्रदर्शित करने की, जिससे रावण द्वारा शिवाजी को समर्पित यही सिर युद्ध के समय उसके सिर कटने पर तुरंत उसे वरदान स्वरूप जुड़ जाते थे।

महामाया मंदिर - यहां पर महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जिससे पूरे अंचल की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्रि पर्व पर पास के नगरों व गांवों से जनता आज भी दर्शन करने आती है। मनोकामनापूर्ति हेतु यह सिद्ध मंदिर है। इसका सभागृी राजा नाहरसाय द्वारा शिल्पी छितकू द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में शिलालेख भी है, सामने जलकुण्ड भी है। शिव पार्वती प्रतिमा दसवीं सदी की है। महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा रत्नदेव द्वारा करवाया गया। महामाया माता की प्रतिमा में एक शरीर व दो चेहरे हैं।

अन्य मंदिर - रामटेकरी पहाड़ी पर राम पंचायत मंदिर है जिसे मराठा शासक बिम्बाजी भोसले ने बनवाया था। इसके सामने बिम्बाजी की प्रतिमा उनकी पत्नी आनंदी बाई ने बनवाया था। कल्याण साय के द्वारा जगन्नाथ मंदिर बनवाया गया। एक नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है। दूसरा मंदिर राजा कल्याणसाय का समाधि मंदिर है जिसे रतनपुर में बीस दुबरिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहां बौद्ध व जैन धर्म से भी संबंधित प्रतिमाएं हैं।

करैयापारा रतनपुर में रत्नेश्वर सरोवर व शिव मंदिर है। तुलजा भवानी मंदिर भी दर्शनीय है। एक प्राचीन भैरव मंदिर भी है जिसमें लगभग नौ फुट की भैरव प्रतिमा है, यहां एक विशाल जलकुण्ड भी है। एक अन्य पहाड़ी पर लक्ष्मी देवी मंदिर भी काफी दर्शनीय है।

रतनपुर में लगभग एक हजार चार सौ सरोवर थे लेकिन अब इसकी संख्या कम रह गई है। डॉ. देवरस के अनुसार राजा रत्नदेव चाहते थे कि इस रतनपुर शहर को प्रतिकाशी बनाया जाये, क्योंकि पश्चिम से आने वाले यात्री जो जगन्नाथपुरी, गया, प्रयाग आदि तीर्थ की यात्रा पर जाते थे, इसी शहर से होकर जाते थे।

इस प्रकार रतनपुर आज भी प्राचीन वैभव का प्रदर्शन करता हुआ तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को आकर्षित करता है।

मल्हार के दर्शनीय स्थल - मल्हार बिलासपुर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। बिलासपुर सड़क मार्ग में मस्तूरी नामक स्थान है। वहां से मल्हार के लिये लगभग चौदह किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। यह अपनी प्राचीनता के अनुरूप दर्शनीय ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के लिये प्रसिद्ध है, उत्खनन से यहां से प्राप्त सामग्री संग्रहालय में रखी गई है।

डिडनेश्वरी मंदिर - काले ग्रेनाइट पत्थन की कल्चुरी काल की प्रतिमा डिडनेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है।[3] इस अंचल में इसकी पूजा सिद्धदेवी के रूप में की जाती है। इस मंदिर के समीप कुछ अन्य प्रतिमाएं भी हैं।

पातालेश्वर केदार मंदिर - दसवीं व ग्यारहवीं सदी का यह मंदिर काले चमकीले पत्थर गौमुखी आकृति में है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें चढ़ाया हुआ जल इसके आंतरिक छिद्रों से नीचे जाता रहता है। गणेश, शिव, नंदी, पार्वती आदि की उत्कृष्ट प्रतिमा है। मेले के समय इसकी शोभा अत्यंत दर्शनीय है।

देउर मंदिर - यहां शिव की प्रतिमा है जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं भी मल्हार में है। तीर्थकर महावीर की 2.70 मीटर ऊंची प्रतिमा है। महावीर के साथ-साथ ऋषभनाथ की प्रतिमाएं भी है।

मल्हार के उत्तर क्षेत्र में जैतपुर के पास बौद्ध मठ व विहार है। उत्खनन में बिहार, चैत्य आदि मिले हैं। मल्हार पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित संग्रहालय है, जिसमें प्राचीनकाल की अनेक मूर्तियां प्रतिस्थापित है। इस संग्रहालय में शिव-पार्वती, नटराज, गणेश जी, दुर्गा प्रतिमा, सरस्वती, विष्णु, गरूड़, नरसिंह नाग, गंगा-यमुना देवी मूर्तियां भी रखी है।

तालाग्राम उत्कृष्ठ धरोहर देवरानी मंदिर व विश्व की अनोखी प्रतिमा - अनेक प्राचीन नगर, संस्कृतियां, नदियों के तट पर ही फली-फूली है। इसी क्रम में मनियारी नदी के किनारे बिलासपुर से 24 कि.मी. दूर भोजपुर दगौरी रास्ते पर स्थित अमेरीकापा ग्राम जिसे तालागांव कहा जाता है, स्थित है।

तालागांव के संबंध में सबसे प्रथम सूचना का उल्लेख 1873-74 की जनरल कनिंघम के सहयोगी वैंगलर की सर्वेक्षण में मिलता है इसके पश्चात् दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर के प्रो. डॉ. विष्णु सिंह ठाकुर ने देवरानी मंदिर तालागांव का उल्लेख किया। देवरानी व जेठानी मंदिर में जेठानी मंदिर नष्ट अवस्था में है। पुरातात्विक महत्व के इन मंदिरों की मूर्तियां शैव संप्रदाय के महत्वपूर्ण केन्द्र होने की परिचायक है। साथ ही यह छठवीं शताब्दी के आसपास की है।

देवरानी मंदिर - यह मंदिर लाल बलुए पत्थर से बना है। इसका शिखर ईंटों से निर्मित है व आकार आयाताकार है। मंदिर में सीढ़ियों द्वारा अर्धमण्डप में प्रविष्ठ किया जाता है, इसके पश्चात् मण्डप है। मण्डप के बाद वर्गाकार संरचनाओं में गर्भगृह है। सीढ़ियों के दोनों तरफ यक्ष प्रतिमाएं हैं। मेघ मुखाकृति की शैवगण प्रतिमा है। मूर्तियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां शिव मंदिर रहा होगा।

जेठानी मंदिर - जेठानी मंदिर का मुख दक्षिण दिशा में है व पूर्व-पश्चिम दिशा में अतिरिक्त द्वार है। इस मंदिर से जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं वह शैव मत को सिद्ध करते हैं। यह मंदिर बड़े-बड़े पत्थरों से बना है। इसे चारों ओर से घेरने के लिये पक्की ईंटों का घेरा बना है। अब यह टूटा हुआ दिखाई देता है।

भारवाहक सिंह - भारवाहक के रूप में सिंह बने हुए हैं। इन भारवहन कटने के प्रतीक के रूप में भारवाहक को कीचक भी कहा जाता है। ये भारवाहक पशु-पक्षी, मानव किसी भी रूप में बनाये हुये देश के कई स्थानों में मिलते हैं। यहां के भारवाहक सिंह अत्यंत सुंदर हैं।

उत्कृष्ट शिल्प - पश्चिम् का स्तंभ गिर चुका है। इसके चारों तरफ घट बने हुये हैं। घटों का अलंकरण अत्यंत उत्कृष्ट है। घट के ऊपर लता वल्लरी इस तरह बनी है कि अलग-अलग देखने पर दो सिंह विरूद्ध दिशाओं में कूदते हुये दिख रहे हैं। यह अनूठी कला छठीं सदी की छत्तीसगढ़ में भारत के प्राप्त शिल्प सौंदर्य में अपनी अलग स्थान पाने लायक है। इसी प्रकार कई अन्य प्रतिमाएं काफी आकर्षक है।

विश्व की अनोखी मूर्ति - तालाग्राम में विश्व की एक ऐसी प्रतिमा टीले में दबी मिली है जिसका नामकरण आज तक नहीं हो पाया है। यह 1987 में निकाला गया था। यह प्रतिमा सात फुट ऊंची, चार फुट चौड़ी, छह टन वजन की लाल बलुये पत्थल की है। इस प्रतिमा को कई नामों से अंदाजा लाया गया है जैसे रूद्र शिव, पशपति, अघोरेश्वर, यक्ष, विरूपेश्वर, महारूद्ध आदि।[4] इस प्रतिमा के शिरोभाग में नाग युग्मों में पगड़ीनुमा केश, नाक व भौंह उतरती छिपकली, नेत्र विस्फारित, भेनमुख व नेत्र गोलक अण्डे से बने हुये हैं। मुंह मत्स्य, ठुड्डी केकड़ा, कर्ण मयूर, कंधे मकर से बनाये गये हैं, लिंग कछप है। पुरातत्वविद् शोध में लगे हुए हें। यह मूल प्रतिमा देवरानी मंदिर के परिसर में सुरक्षित रखी है।

उपसंहार - रतनपुर, मल्हार व तालाग्राम बिलासपुर जिले के उन प्रमुख स्थलों में से है जहां के मंदिर व प्रतिमाएं आज भी अपने प्राचीन वैभव को

प्रदर्शन करती हुई पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। आवश्यकता है यहां पर्यटन सुविधाओं के विकास की जिससे इस क्षेत्र की यह गौरवमयी स्थल अपनी प्राचीन वैभव संस्कृति एवं उत्कर्ष को संजोये रख सकें।

बिलासपुर जिले का रतनपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रही, कल्चुरि शासकों के काल में यह राजधानी उत्तरोत्तर प्रगति करती रही। मराठों के बाद अग्रेंजों ने भी यहां शासन किया। इसी प्रकार मल्हार (प्राचीन राजधानी शरभपुर) का भी पुरातात्विक व ऐतिहासिक महत्व रहा है। कल्चुरी शिलालेख इसके नाम को मल्लालपत्तन प्रदर्शित करता है। मल्लालपत्तन तीन नदियों से घिरा हुआ था – अरपा, लीलागर व शिवनाथ। इसी प्रकार तालाग्राम शैव संप्रदाय का महत्वपूर्ण केन्द्र होने का परिचायक है।

निश्चित ही बिलासपुर जिले के धार्मिक तथा दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक कालखण्डों की पौराणिक अनुपम गाथाओं को समेटे हुए हैं, जो भारत की प्राचीनतम संस्कृतिक धरोहर एवं स्थापत्य कला का जीता-जागता प्रतिमान है। वर्तमान में इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, रामगोपाल, छत्तीसगढ़ दर्पण, पृष्ठ 55.
2. त्रिपाठी, कौशलेन्द्र एवं पुरूषोत्तम, छत्तीसगढ़ एटलस, संशोधित संस्कर 2012, पृष्ठ 75.
3. नैयर, सौम्या एवं झा, विभाष कुमार, छत्तीसगढ़ समग्र, पृष्ठ 137.
4. यदु, हेमू, छत्तीसगढ़ की रहस्यमय खोज, पृष्ठ 193.

****

भारत का अन्नदाता

खुशबू त्रिपाठी* डॉ. ए. के. पाण्डेय**

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन मे 'भारत का अन्नदाता' से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कि आज भी भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवो मे निवास करती है। जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। वह पूरा जीवन अपनी भूमि मे विविध प्रकार के अन्न उगाकर हजारो लोगो का भरण–पोषण करने मे लगा देता है। केसी भी स्थिति हो कृषक अपने कार्य से कभी पीछे नही हटता।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है क्योकि रोजगार तथा आजीविका पैदा करने मे इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह पचास करोड़ से अधिक लोगो को सहारा देती है। और 52 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार उपलब्ध कराती है। 2006–07 मे राष्ट्र मे सकल घरेलू उत्पाद मे इसका योगदान लगभग 18.5 प्रतिशत था। यह अनेक औधोगिक उत्पादो विशेषत: उर्वरको, कषि उपकरणो तथा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओ के लिए कच्ची समाग्री का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

शब्द बीज – भारत का अन्नदाता, खाद्य उत्पादन, कृषि में जोखिम, कृषि मूल्य, कषि मंडी।

प्रस्तावना – एक कृषक राष्ट्र की आत्मा होता है। यहां की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है कृषि कर्म ही जिनके जीवन का आधार है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री जवाहर लाल नेहरू ने यह नारा दिया था। 'जय जवान जय किसान' उन्होने यह स्पष्ट किया था कि देश कि सुरक्षा जबानो द्वारा तथा देष की भरण पोषण किसानो के द्वारा ही किया जा सकता है इसलिए किसानो को अन्नदाता भी कहा जाता है। एक कृषक राष्ट्र की आत्मा होता है इसलिए उन्हे उपयोगी यंत्रो को प्रदान कराना चाहिए ताकि वो अधिक उत्पादन कर देश को मजबूत बना सके। 60 दशक मे हरित क्रांति की शुरूआत के साथ भी कृषि की दशा एवं दिशा में नवीन परिवर्तनो का सूत्रपात हुआ जिसमें उन्नतशील किस्मो, रासायनिक उर्वरको एवं कीटनाशको के प्रयोग को बढावा देकर खाद्यान उत्पादन मे वृद्धि का प्रयास किया गया।

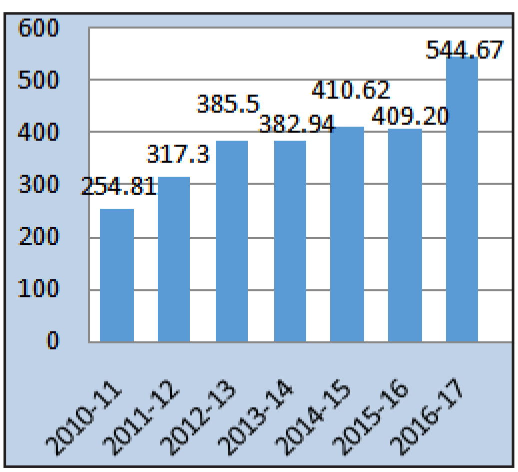

कृषि उत्पादन मे अपार वृद्धि – वर्ष 2010–11 मे प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन मात्र 254.81 लाख का कुल कृषि उत्पादन मात्र 254.81 लाख मोद्रिक टन था विगत 5 वर्षो मे कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने से वर्ष 2015 –10 मे कुल कृषि उत्पादन लगभग 409.20 लाख मैट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है,

शोध का उद्देश्य – कृषि समस्त उद्योग की जननी है। मानव जीवन की पोषक प्रगति की सूचक तथा सम्पन्नता का प्रतीक समझी जाती है।

1. किसानो के चयन करने मे सुविधा देने की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
2. कृषि को विकास के लिए यंत्रीकरण तथा सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से उन कृषको तक पहुचाने की आवश्यकता है।
3. जिनके उपयोग कर कृषक अपने भूमि मे उपज में वृद्धि कर सके।
4. कृषि विकास के लिए यंत्रीकरण के बढावा दिया जाना चाहिए।

विषय विश्लेषण :

1. कृषि क्षेत्र मे विस्तार हेतु वनो को साफ करना तथा उपज देने वाले किस्मो के बीज का अधिकतम उपयोग करना
2. किसानो को उन आधुनिक तकनीको से जागरूक कराना जिनका उपयोग करके वह अधिक उत्पादन कर सके।
3. पुरानी कृषि तथा स्थिति और वर्तमान मे कृषि की क्या स्थिति है उसका पता लगाना।
4. पहले का कृषक (अन्नदाता) तथा अब का अन्नदाता किस विधि से उपज करता है। इससे उसको क्या लाभ मिलता है।
5. कृषि प्रबंधन मे आवश्यक परिवर्तन करने हेतु सुझाव देना और व्यवहारिक बनाने का प्रयास करना
6. परामपरागत कृषि की अपेक्षा गैर परम्परागत कृषि करने से क्या कुछ लाभ हुआ है। या नही अत: कृषि में परम्परागत व्यवस्था का प्रयोग करने वाले कृषक कौन है।

निष्कर्ष – भारतीय किसान अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ है। अत: एक किसान खेत मे अन्न उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है। इसका अनुमान लगाना कठिन है। खासकर भारत जैसे देश मे जहां कृषि मानसून

*शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

(प्रकृति) पर निर्भर हो। देश की विकासशीलता प्रगति पर है लेकिन फिर भी भारत का कृषक अपने कार्य पर पूरी तरह आत्म निर्भर नही हो पा रहा है। बजह रू है कि आज भी किसान जिता श्रमदान कृषि कार्य में करते है। उसका मुनाफा उनको नही मिल पाता कारण यह है, कि आज भी बिचौलिये एक किसान से अधिक लाभ कमाता है। जबकि भारत देश किसानो की मेहनता को आज भी नमन करता है।

सरकार व्दारा समय समय पर कई योजनाओ को लागु किया जाता है, ताकि किसानो को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके लेकिन यह सब कहने की बाते होती है। असली लाभ तो बिचौलियों को प्राप्त हो जाता है। यह एक चिन्ता का विषय है। और चिन्तन की आवश्यकता भी है! कि किस प्रकार एक किसान को उसका पूरा लाभ मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि अर्थशास्त्र, ऋषि कुमार गोबिल, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, रून्द्रदत्त एवं के.डी.डी. सुन्दरम् एम. चन्द्र, कम्पनी लिमिटेड रामनगर नई दिल्ली
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ. के मिश्र एवं वी.के. पुरी, हिमालया पब्लिशिंग हाउस
4. संख्यिकी के सिंद्धांत, डॉ. एस. एम. शुक्ल, साहित्य भवन पब्लिकेशन
5. उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, डॉ. एच.एल. आहूजा, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा. लि. नई
6. समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, पत्रिका, मध्यप्रदेश संदेश।

****

छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा लोकनृत्य और गायिकी

गायत्री तिवारी*

प्रस्तावना – हमारा देश विविधताओं से भरा देश हैं यहाँ उत्तर से दक्षिण,पूर्व से पश्चिम तक विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते है। यहाँ हर अंचल हर प्रदेश के अपने कुछ प्रसिद्ध रीति-रिवाज और त्यौंहार होते है।[1] वैसे ही यहाँ हर प्रदेश के अपने लोकगीत,लोककथाएँ और लोकनृत्य प्रचलितहै।उन्हीं में से एक है हमारा छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल पर बसा एक ऐसा प्रदेश है जो अपने अंदर अलौकिक प्राकृतिक सुदंरता और संसाधनों की परिपूर्णता को समेटे हुए है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र सरगुजा से लेकर बस्तर,दतेंवाडा तक यहाँ के लोगों में खान-पान, रहन-सहन में भी विविधता पाईजाती है इन विविधताओं का कारण यहाँ पर बसी चालीस से अधिक जनजातियाँ है और सभी जनजातियों के अपने अलग-अलग रीति-रिवाज,लोकगाथाएँ और लोकनृत्य है। इन्हीं जनजातियों ने हमारी प्रचीन संस्कृति को संजो कर रखा है इन्होनें ही प्राचीन संस्कृति और कथाओं को अपने लोकरूप में ढाल कर जींवत बनाए रखा है और यही आज लोकगीत,लोकगाथाओं के रूप में प्रचलित है।

छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जो लोक साहित्य,लोकगाथाओं और लोककथाओं का भण्डार है जिसके कारण यहाँ की संस्कृति की सम्पन्नता जग जाहिर है।[2]

वर्तमान समय में लोकगीत और लोकगाथाओं के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन का कारण है यहाँ के जनजातियों के लोगों का यह आजीविका का साधन बन गया है, आजीविका का साधन होने के साथ-साथ यह मनोरंजन और षिक्षा का भी अच्छा स्त्रोत है क्योंकि यह हमारी सामाजिक स्थिति को लोगों के सामने प्रकट करता है यहाँ की लोंकगाथाओं में लोकजीवन को काव्य के रूप में प्रर्दशित किया जाता है

छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की लोंकगाथाएँ प्रचलित है जैसे ढोला-मारू,चन्दैनी, पंडवानी, भरथरी, दसमत आदि। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रचलित है पंड़वानी। [3]

प्रांरभ में पंडवानी गायन का प्रचलन भगवत् भजन की दृष्टि से हुआ था लेकिन समय के साथ-साथ यह गायन परम्परा बन गई। पंडवानी का गायन महाभारत के लोकरूप में किया जाता है जो कि स्थानीय लोक मान्यताओं और विश्वासों पर आधारित होता है जिसके कारण इसमें विविधता देखने को मिलती है यह आज भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के कंठो में बसती है

पड़वानी में महाभारत की कथा को काव्य और पद्यांश के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से गाया जाता है यह एक ऐसी लोकगाथा है जिसे गायन के साथ-साथ नाट्य रूप में प्रर्दशित किया जाता है इसमें कलाकार कथा को इतने सौन्दर्यपूर्ण रूप से प्रर्दशित करते है जो दर्शकों के हृदय में कथा के चित्रण को जीवंत कर देते है।[4]

देश के अनेको स्थानों में महाभारत वहाँ के स्थानीय रूप में लोक वाचिका के द्वारा सदियों से सुरक्षित है। महाभारत की कथा उन अंचलों के रीति-रिवाज,तीज-त्यौंहारों के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तन से स्थानीय हो गई है महाभारत की कथाएँ वहाँ की परम्पराओं को आत्मसात कर लोक के महाभारत के रूप में प्रचलित हो गई।

छत्तीसगढ़ में प्रचलित पंडवानी में महाभारत के पात्र विशेषत: भीम,द्रोपदी और कर्ण है इसमें अर्जुन के स्थान पर भीम के चरित्र पर अधिक बल दिया जाता है और भीम ही नायक होता है और इसमें भगवान कृष्ण की महिमा का भी गुणगान किया जाता है। मूलत: वेदों में रचित महाभारत यहाँ के पंडवानी में गायी जाने वाली महाभारत से बहुत भिन्न है क्योंकि पंडवानी में प्रचलित महाभारत न सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का निरूपण ही नहीं बल्कि लोकजीवन का दर्पण भी होती है यहाँ का लोक प्रचलित महाभारत की कथा अपने में बहुरंग और विविध स्वरूपों को लिए हुए है और इस लोकचर्चित लोकगाथा को पंडवानी गायकों ने लोगों के समक्ष बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है।[5]

पंडवानी में कलाकार महाभारत की कथा को वाद्यो की धुनों पर अपने संवादो की लयबद्धता से नाटकीय रूप प्रदान करते है। इसके अंतर्गत द्दष्यों में तात्कालीन घटनाओं को समकालीन घटनाओं से जोंडकर हास्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो कि दर्शकों के लिए सम्मोहनीय हो जाता है। पंडवानी में मुख्यत: तम्बुरा और करताल का उपयोग किया जाता है लेकिन समय की आवश्यकता अनुसार इसमें ढोलक,मंजीरा,हारमोनियम का भी उपयोग किया जाता है।

पंडवानी में जीवन के सभी रंगो को अभिनय, संगीत और गीत के द्वारा परिलक्षित किया जाता है और इसकी यही विशेषता इसे अन्य लोकगाथाओं से अपनी अलग पहचान दिलाती है।[6]

पंडवानी में दो शैलियाँ प्रचलित है प्रथम कापालिक और दुसरी वेदमती। कपालिक शैली का अर्थ है कपोल कल्पित अर्थात जो लोक की स्मृति में विद्यमान है यह पंडवानी गायन की प्राचीन कला है। लेकिन आज के समय में यह कला विलुप्त होती जा रही है। वेदमती शैली शास्त्रों पर आधारित होती है इसके अंतर्गत कलाकार बैठकर गायन करते है। तथा इसमें श्री संबल सिंह द्वारा कृत पद्यरूपित महाभारत की कथा को खड़ी बोली में गायन किया जाता है लेकिन आज के समय में प्रचलित पंडवानी गायन की कला का स्वरूप प्रांरभ से पृथक है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी परिवर्तन से पंडवानी गायन का स्वरूप और निखर गया है जिसके कारण पंडवानी को देश-विदेश में बड़ी उपलब्धि मिली है।[7]

* प्राचार्य, शासकीय उच्च विद्यालय, लिंगियाडीह, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

छत्तीसगढ़ में परधान जो कि गोंड जनजाति की उपजाति है, और देवार जाति के लोगों ने पंड़वानी को लोगों के दिलों तक पहुँचाया है जो कि समय के साथ आज पंडवानी गायन परम्परा छत्तीसगढ़ में अपने शीर्ष तक पहुँच गई है।

पंडवानी गायन का प्रांरभ छत्तीसगढ़ में झाडूराम देवांगन ने किया था वे पंडवानी गायन के भीश्म पितामाह माने जाते है। इनका जन्म भिलाई के निकट ग्राम बासिन में वर्ष 1927 में हुआ था। झाडूराम देवांगन ने देश के अतिरिक्त विदेशों में भी पंडवानी गायन का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें तुलसी सम्मान से सम्मानित किया है।[8]

समय परिवर्तन के साथ जब लोगों का झुकाव पंडवानी की तरफ से कम होता जा रहा था यह सिर्फ पुरानी पीढ़ी तक संग्रहित होता जा रहा था इसका दायरा सिमट ने लगा था उस समय इसकी विलुप्त होती जा रही शैली को पद्मभूशण, पद्मविभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने पुन: जीवित कर दिया। तीजन बाई ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पंडवानी गायन कला में अपना परचम लहराया है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध गायिकी पंड़वानी गायिकी – तीजन बाई उन महिला कलाकारों में से है जिन्होंने अपनी इस कला को पहचान दिलाने के लिए बहुत संघर्षो का सामना किया है क्योंकि प्रारंभ में लोककथा गायन केवल पुरूषों तक सीमित था इसमें स्त्री का किरदार भी पुरूष ही निभाते थे। उस समय महिलाओं का नाच–गायन करना सही नहीं माना जाता था। लेकिन महिलाओं ने इस सोच खत्म कर लोकगायन में अपने अस्तित्व को नई पहचान दिलाई है।

लक्ष्मी बाई बंजारे ने सर्वप्रथम महिलाओं में पंडवानी गायन आरंभ किया था वे वेदमती शैली की गायिका थी इनका जन्म दुर्ग जिले के कातलबोढ़ गांव में हुआ था। वे प्रारंभ में लोक–लाज के कारण पुरुष वेश में प्रस्तुति देती थी। लक्ष्मी बाई के इस कदम ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया।म वर्ष 1939 में तीजन बाई ने पंडवानी में पर्दापण किया। वे पहली महिला थी जिन्होंने कपालिक श्रेणी में खड़े होकर प्रस्तुति दी थी। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को दुर्ग जिले के गनियारी गाँव में हुआ था। इनके पिता चुनुकलाल और माता सुखवती थे। तीजन बाई को बचपन से ही गायन का शौक था उन्होंने अपने नाना को महाभारत की कथा का गायन करते देखा था धीरे–धीरे उनकी रूचि इसमें बढ़ने लगी फिर उन्होंने अपने नाना से इसका प्रशिक्षण लिया। 12 वर्ष की आयु में जब उन्होंने पहली बार पंडवानी गायन किया तब उन्हें घर परिवार,समाज से ताने और अपमान मिलने लगा। उन्हें इसके लिए घर से भी निष्कासित कर दिया गया था वह गांव में झोपड़ी बनाकर रहती थी। पर उनके इस जूनुन को कोई रोक न सका। उन्होंने गायन का और अच्छा प्रशिक्षण उमेद सिंह देशमुख से लिया और इसमें महारत हासिल की। लोग धीरे–धीरे उन्हें तीज–त्योंहारों पर गायन के लिए बुलाने लगे। जब उन्होंने पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी थी तब वह मात्र 13 वर्ष की थी। फिर उन्होंने पंडवानी गायन को ही अपना जीविका का साधन बना लिया लेकिन उस समय पंडवानी गायन के लिए कोई धनराशि नहीं मिलती थी इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इस आर्थिक संघर्ष के बावजुद उन्होंने पंडवानी गायन को कभी छोड़ा नहीं वरन् इसके साथ–साथ उन्होंने कुछ अन्य काम भी किए। वे लकड़ी का सामान बनाकर बेचा करती थी। इन सबके बावजूद उनके पंडवानी के प्रति समर्पण ने ही उन्हें यश की इन उचाईयों तक पहुँचा दिया है उनके जीवन में यादगार मोड तब आया जब वह हबीब तनवीर जी से मिली। हबीब तनवीर प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। उन्होंने तीजन बाई को सुना और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समक्ष प्रस्तुति के लिए आंमत्रित किया। फिर क्या था उसके बाद वह अपनी जिंदगी की उँचाईयों की सीढ़ियों पर चढ़ती गई। उन्होंने देश–विदेश में कई बड़ी–बड़ी हस्तियों के सामने प्रदर्शन दिया। तीजन बाई ने पहली विदेश यात्रा पेरिस महोत्सव के दौरान की थी।

तीजन बाई ने इंग्लैण्ड,फ्रांस,स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों में 1980 में भारत के राजदूत के रूप में पंडवानी गायन की कला का प्रर्दशन किया है और भारतीय संस्कृति की एक सुंदर धरोहर से वहाँ के लोगों को अवगत कराया। जो कि देश के लिए बहुत बडे सम्मान की बात है। उन्होंने अपनी कर्मठता और साहस का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ एंव देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पंडवानी गायन की कला से लोगों को रूबरू करवाया है सरल सहज स्वाभाव और भारी व मधुर आवाज की धनी तीजन बाई में वो जादू था जो नाट्य को विशेष मजबुती प्रदान करता था। उनका प्रभावशाली अभिनय,आवाज और संवाद दर्शको के समक्ष ऐतिहासिक घटनाओं को जींवत करता था उनका मंच पर प्रर्दशन दर्शकों को सम्मोहित करने वाला होता था।

आज तीजन बाई ने अकेले अपने दम पर विलुप्ल होती जा रही सांस्कृतिक धरोहर पंडवानी जैसी कला को बचाए रखा है।

वर्ष 1988 में तीजन बाई को पद्म श्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया । और इन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है सन् 2019 में तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली यह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला है यह सम्मान उन्हें पंड़वानी गायन में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है।

तीजन बाई को 27 मई 2003 को डॉ लिट की उपाधि से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है इसके अलावा इन्हें कला शिरामणि सम्मान और आदित्य बिरला सम्मान से 22 नवम्बर 2003 को सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में भी तीजन बाई भिलाई इस्पात सयंत्र में कार्यरत है। तीजन बाई के महान कार्यो को छत्तीसगढ़ प्रदेश कभी भूल नहीं सकता।[9]

तीजन बाई के इस प्रोत्साहित कार्य के उपरांत छत्तीसगढ़ में अनेक महिलाओं ने पंड़वानी को अपने व्यवसाय और जीविका के साधन के रूप में अपनाया है। उनमें से प्रभा यादव, कुमारी निशाद, प्रतिमा बारले, अमृता साहु, पूर्णिमा साहु,मीना साहु,रितु वर्मा आदि पंड़वानी गायिकाएँ है।[10]

तीजन बाई के नक्शे कदम पर चलने वाली मीना साहु ने पंड़वानी में अपने भविष्य को तलाशना शुरू किया। तेली समाज की मीना साहु 13 वर्ष की आयु से पंड़वानी कार्यक्रम में कार्यरत हो गई थी उन्होंने तुलसी कुमार साहु से पंड़वानी का प्रशिक्षण लिया। तुलसी कुमार साहु महाभारत की कथा का गायन करते थे। प्रारंभ में हर पंड़वानी गायक महिला की तरह इन्हें भी समाज से विरोध मिला। लेकिन वे माता–पिता के सहयोग से पंड़वानी में कार्यरत रही। मीना साहु ने तीजन बाई के साथ भी पंड़वानी कार्यक्रम में भाग लिया।

तीजन बाई की प्रतिभा और कठिन परिश्रमों के प्रयासों के फलस्वरूप पंड़वानी का स्वरूप प्रारंभ से भिन्न और विस्तृत हो चुका था और छत्तीसगढ़ में पूर्णत: स्थापित भी हो चुका था जिसके परिणामस्वरूप अनेक महिलाओं ने पंड़वानी का प्रदर्शन करना आरंभ किया जिसमें से प्रभा यादव भी है इन्होंने प्रसिद्ध पंड़वानी गायक झाडुराम देवागंन से विधिवत् शिक्षा ली थी। यह वेदमती शैली की गायिका है और वर्तमान समय में यह झाडुराम देवांगन

की परम्परा को आगे बढ़ा रही है।

रितु वर्मा भी पंड़वानी गायिका के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। यह भी वेदमती शैली की प्रसिद्ध गायिका है इन्होंने विश्व के पद्रंह से अधिक देशों में पंड़वानी गायन का प्रर्दषन किया है।[11]

छत्तीसगढ़ की नृत्यशैली लोरिक चंदा – लोककथाऍं और लोकगाथाएँ प्राचीन समय में घटित घटनाओं का परिणाम हैं जब प्राचीन काल में घटनाओं को सहजने का कोई साधन नहीं होता था तो लोग उसे गायन शैली में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे जो आज भी कहानियों के रूप में जीवित है और यही आज वर्तमान समय में लोकगाथा और लोककथा के रूप में प्रचलित होती चली गई। जिसके कारण यहाँ लोकगाथाओं का अथाह भण्डार है। यहाँ की लोकगाथाएँ अलग ही रंगढ़ग मे रची है। जैसे लोरिक चंदा।

लोरिक चंदा की गाथा देश के अन्य प्रदेशों में भी गायी जाती है लेकिन वहाँ इसे चन्दैनी के नाम से जाना जाता है लेकिन यहाँ इस गाथा की गायन परम्परा में स्थानीय विशिश्ष्टता छलकती है अनेक साहित्यकारों का यह मानना है कि आरंग और रींवा के मध्य की भूमि जो कि रायपुर जिले के अंर्तगत आती है,लोरिक चंदा के प्रेम की साक्षी है यह यादव जाति का गौरव गान है। छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा की तीन शैलियाँ प्रचलित है प्रथम बांस गीत के माध्यम से गायन द्वितीय चिकारा के माध्यम से और तृतीय लोक नाट्य के रूप में। इसमें लोरिक नायक और चंदा नायिका है और इस गाथा में उनकी प्रेम कहानी को गाया जाता है इसके साथ ही इसमें लोरिक की वीरता और शोर्य के बारें में भी बताया जाता है।

चन्दैनी गाथा प्रेम, वीरता और शौर्य का त्रिवेणी खुबसुरत संगम है वही लोककलाकार इसे नाट्य शैली में जिस रूप में प्रस्तुत करते है वह बहुत ही मनमोहक और मनोरंजन पूर्ण होता है इस शैली में प्रयुक्त धुन बहुत मधुर व कर्ण प्रिय होती है।

परिवर्तन के दौर में जहां कुछ भी परिवर्तन से अछुता नहीं रहा हैं चाहे वह व्यवाहारिक जीवन हो या हमारे संस्कार गीत संगीत तो हमारा लोक साहित्य कैसे परिवर्तित न होता। जैसे छत्तीसगढ़ का महाकाव्य कहे जाने वाले पंड़वानी में समय के साथ परिवर्तन आया है वैसे ही चन्दैनी गायन की पारम्परिक गायन शैली में भी बदलाव आया है इसकी प्रारंभिक मूल गायन शैली को यथावत् रखते हुए नये लोकगीतों का समावेश किया गया जिसके कारण पंड़वानी की तरह चन्दैनी का भविष्य भी उज्ज्वल प्रतीत होता है इसका अर्थ यह नहीं की इसका अतीत उज्ज्वल नहीं था।[12]

छत्तीसगढ़ की अनुपम कृति भरथरी – छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य बहुत विस्तृत है यहाँ प्रचलित लोकगाथा में भरथरी भी प्रमुख लोकगाथा है इसमें राजा भरथरी की कथाओं को गाया जाता है जो कि स्थानीय रंगो से पूर्णत: लिप्त है इसमें संसारिकता से पृथ्क वैराग्य की अधिकता है।

छत्तीसगढ़ में भरथरी गायन परम्परा का प्रारंभ कब हुआ इसका कोई साक्ष्य नहीं है माना जाता है कि यह प्राचीन काल में साधु–सन्यासियों के विभिन्न स्थानों में यात्राओं के कारण हुआ होगा जो लोकमानस में अपनी वाचिक परम्परा द्वारा सुरक्षित है और आज लोकगाथा के रूप में प्रचलित हो गई।

भरथरी की प्रमुख गायिका सुरुज बाई खाडें ,जिनकी गायन शैली ने भरथरी के लोक चरित्र को लोकमानस में लोकप्रिय बना दिया है।[13]

छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य सुआ व छेर–छेरा – छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कि लोककथाओं और लोकगाथाओं के साथ–साथ लोकगीतों और लोकनृत्यों भी लोकजन जीवन में प्रचलित है। इन लोकगीतों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मनमोहक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। छत्तीसगढ़ में हर तीज–त्यौहारों पर लोकगीतों को गाने की परम्परा है और यह परम्परा छत्तीसगढ़ में सदियों से चली आ रही है यहाँ अनेक ऐसे लोकनृत्य है जिसमें महिलाएँ और पुरुष दोनों भाग लेते है। ऐसे ही यहॉ का प्रसिद्ध लोकनृत्य है सुआ। जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है यह बहुत ही सुंदर नृत्य होता है सुआ नृत्य में स्त्रियाँ मन के वियोग की व्यथा को नृत्य द्वारा अपने प्रिय तक पहुचॉती है यह नृत्य करने वाली महिलाएँ पूर्ण श्रृगांर करती है।

यह छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य दिपावली के कुछ समय पूर्व से प्रारंभ किया जाता है यह प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में धान कटाई के बाद उत्साह से गाया जाता है।

वर्तमान समय में पंड़वानी लोकगाथा की तरह यहाँ के लोकगीतों और लोकनृत्यों ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है इन लोकगीतों में हमारे लोक संस्कारों और लोक परम्पराओं की छलक देखने को मिलती है यदि यह कहा जाए कि लोकगीत पूर्णत: संस्कृति और परम्पराओं पर आधारित है, तो यह भी गलत नहीं होगा।

सुआ की तरह छत्तीसगढ़ का एक और प्रसिद्ध लोकगीत है छेर–छेरा जो कि लोक परम्परा के अनुसार प्रतिवर्ष पौश महिने की पूर्णिमा को मनाया जाता है यह गीत किसी कलाकार के द्वारा नहीं बल्कि सामान्य लोगों द्वारा गाया जाता है इस लोकगीत में युवक या बच्चे घर–घर जाकर गीत गाते है और नृत्य करते है और अन्न का दान मांगते है और हर घर अन्न या राशि का दान करते है।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलो में आज भी छेर–छेरा कि यह पंक्ति छेर–छेरा माई कोठी के धान ला हेर–हेरा, सुनाई पडती है छत्तीसगढ़ की कृषि प्रधान संस्कृति में यह पर्व दान की परम्परा को याद दिलाता है यहाँ का यह लोक पर्व हमारे समाज की समरसता और सदृढ़ता को बनाए रखता है।

छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो लोकगाथाओं, लोकगीतों और लोकपर्वो से सरोबार है यहाँ के संस्कृति में रचे बसे लोकजीवन के हर उत्सवों और पर्वो में अलग ही रंग परिलक्षित होता है यहाँ के ग्रामीण अचंलों में निवास करने वाली यहाँ कि जनजातियों ने अपने रिति–रिवाजों और त्यौहारों में अपनी प्रचीन परम्पराओं और संस्कृतियों को संभाल कर रखा है इन गामीण लोकमानस के कारण ही आज की नई पीढ़ी प्राचीन परम्पराओं से अवगत् होती है नई पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह अपने इन संस्कारों और परम्पराओं को एक नई पहचान दिलाए।[14]

वर्तमान समय में आज की पीढ़ी ने भी लोकगाथाओं, लोकगीतों और यहाँ की संस्कृति को देश–विदेश में उपलब्धि की नई उचाईयों तक पहुँचाया है जिसमें पुरुष और महिला दोनों का योगदान शामिल है। लेकिन यहाँ कि महिलाओं ने अपने अस्तित्व को पहचान दिलाने के लिए अपनी मेहनत और हौसलों से सामाजिक बंदिशों को पार करते हुए तरक्की के नए पायदान पर अपने कदमों को रखा है यहाँ कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है आज की नारी कमजोर नहीं है बल्कि शक्ति और प्रेरणा के रूप में समाज के सामने स्वंय को प्रस्तुत करती है इसका एक प्रोत्साह पूर्ण उदाहरण आपके समक्ष पहले ही बता चुकी हुँ जो है तीजन बाई।

तीजन बाई हर महिला के समक्ष ऐसे उदाहरण के रूप में है जिन्होंने हर मुष्किलों और कठिनाईयों के बावजूद छत्तीसगढ़ और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने नाम और यहाँ कि लोकगाथा पंड़वानी को पहचान दिलाई।

हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन की परिपूर्णता और एक खुबसूरत संस्कृति से समृद्ध राज्य है यहॉ की संस्कृति जो लोकगाथाओं,

लोकगीतों और परम्पराओं से सरोबार है उसे यहाँ के लोकमानस को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न 27
2. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न 27
3. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न 27
4. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न 3
5. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न 8
6. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न27
7. www.cgkhabhar.com
8. www.sahapedia.com
9. www.sahapedia.org
10. www.sahapedia.org
11. www.patrika.com
12. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न 48
13. छत्तीसगढ़ की लोकगाथा एक अभिव्यक्ति लेखक: डॉ सी पी लाल यादव पेज न 56
14. www.kosalkatha.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

भारत के राजनैतिक सम्बन्धों का क्रम सोवियत संघ एवं रूस के विशेष संदर्भ में

डॉ. ज्योतिरादित्य सिंह भाटी * विरेन्द्र सिंह चूण्डावत **

प्रस्तावना – विश्व के अधिकांश देशों के साथ भारत के औपचारिक राजनैतिक सम्बन्ध हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश भी है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्राचीन काल में भी भारत के समस्त विश्व से व्यापारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक सम्बन्ध रहे हैं। समय के साथ साथ भारत के कई भागों में कई अलग अलग राजा रहे, भारत का स्वरूप भी बदलता रहा किंतु वैश्विक तौर पर भारत के सम्बन्ध सदा बने रहे। सामरिक सम्बन्धों की बात की जाए तो भारत की विशेषता यही है कि वह कभी भी आक्रामक नहीं रहा।

1947 में स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। वैश्विक मंचों पर भारत सदा सक्रिय रहा है। 1990 के बाद आर्थिक तौर पर भी भारत ने विश्व को प्रभावित किया है। सामरिक तौर पर भारत ने अपनी शक्ति को बनाए रखा है और विश्व शान्ति में यथासंभव योगदान करता रहा है। पाकिस्तान व चीन के साथ भारत के संबंध कुछ तनावपूर्ण अवश्य हैं किन्तु रूस के साथ सामरिक संबंधों के अलावा, भारत का इजरायल और फ्रांस के साथ विस्तृत रक्षा संबंध है।

स्वतन्त्रता पूर्व – स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की विदेश नीति का विकास भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में ही हुआ, लेकिन इससे पूर्व भी भारतीय चिन्तन में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अहिंसा जैसे सिद्धान्तों के साथ–साथ कौटिल्य के चिन्तन में कूटनीतिक उपायों का भी वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान तो आज भी यह मानते हैं कि विदेश नीति के कुछ उपकरण व साध्य कौटिल्य की ही देन है।

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत की विदेश नीति का निर्धारण अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा व उसकी वृद्धि को ध्यान में रखकर किया था। अंग्रेजों ने चीन, अफगानिस्तान तथा तिब्बत को बफर स्टेट माना। उन्होनें चीन में भी विशेष रुचि ली और भारत–चीन सीमा का निर्धारण किया। अंग्रेजों ने नेफा (अरुणाचल प्रदेश) को भारतीय सीमा में ही रखा और भूटान व सिक्किम भारत की विदेश नीति के निर्माण की अवस्था व ऐतिहासिक विकास को विशेष महत्व दिया। उन्होंने अपने व्यापारिक शर्तो के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला।

स्वतंत्रता आन्दोलन एवं विदेश नीति – भारत की विदेश नीति के आधुनिक सिद्धान्तों का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद ही हुआ। 1885 से ही कांग्रेस ने अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध करना शुरु कर दिया और कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धान्तों की नींव डाली जो आज भी भारत की विदेश नीति का आधार हैं।

1885 में पारित एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने उत्तारी बर्मा को अपने क्षेत्र में मिला लेने के लिये ब्रिटेन की निन्दा की। इसी तरह 1892 में एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारत ने अपने आपको अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों से स्वयं को स्वतन्त्र बताया। इसी दौरान कांग्रेस ने भारत को बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत आदि निकटवर्ती राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही हेतु प्रयोग किये जाने पर असंतोष जताया गया। यह भारत की असंलग्नता की नीति की ही पृष्ठभूमि थी।

प्रथम विश्वयुद्ध – प्रथम विश्वयुद्ध तक कांग्रेस का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण–असंलग्नता की नीति का पालन अर्थात् ब्रिटिश नीतियों से स्वयं को दूर रखना ही रहा। इस दौरान कांग्रेस ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी तथा दक्षिण अफ्रीका में लाई जा रही रंगभेद की नीति का विरोध किया जो आगे चलकर आधुनिक भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य व सिद्धान्त बनी।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1921 में कांग्रेस ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारत की नीतियां नहीं हैं और न ही वे किसी तरह भारत की प्रतिनिधि हो सकती। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से कोई खतरा व असुरक्षा की भावना नहीं है। इसी कारण 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध में कांग्रेस ने अंग्रेजी हितों के लिए शामिल होने से मना कर दिया था। 1920 में चलाए गए खिलाफत आन्दोलन में भी भारत ने मुसलमानों का साथ दिया जो आज भी भारत की अरब समर्थक विदेश नीति का द्योतक है। भारत ने हमेशा ही अरब–इजराइल संकट में अरबों का ही पक्ष लिया है। इसी दौरान कांग्रेस ने उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उपनिवेशवाद के शिकार देशों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नीतियों की निन्दा की।

स्वतंत्रता पश्चात –1950 के दशक में, भारत ने पुरजोर रूप से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी की भूमिका निभाई। 90 के दशक में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग और विश्व व्यापार संगठन के लिए एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, सबसे खासकर पूर्वी एशिया के शिखर बैठक और जी–8 5 में एक सक्रिय भागीदारी निभाई है। आर्थिक क्षेत्र में भारत का दक्षिण अमेरिका,

* अध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

एशिया, और अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है।

ब्रिक्स देश – भारत ने ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स समूह की स्थापना की है। यह विकसित देशों के समूह जी-8, जी-20 के विश्व पर प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास है। ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगीकृत देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वर्ष 2013 तक, पाँचों ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया के लगभग 3 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे और एक अनुमान के अनुसार ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। इन राष्ट्रों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 15 खरब अमेरिकी डॉलर का है।

रूस और भारत – भारत और रूस के बीच 1947 से ही अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। रूस ने भारी मशीन-निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सहायता की थी। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये। यह दोनों देशों के साझा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति थी। इसके साथ ही यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की रुपरेखा भी थी।

सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों द्वारा जनवरी 1993 में शांति, मैत्री एवं सहयोग की एक नई संधि को अपनाया गया था। उसके बाद 1994 में द्विपक्षीय सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। वर्ष 2000 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी आरम्भ की। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा वर्ष 2017 को राजनैतिक सम्बन्धों की स्थापना की 70वीं वर्षगाँठ के रूप में चिन्हित किया गया था।

दिसम्बर, 2004 – प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन 5वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 3-5 दिसम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान कुल 11 दस्तावेज सम्पन्न हुए। इनमें शामिल थे-रूसी संघ के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया संयुक्त घोषणा-पत्र तथा अन्तरिक्ष, कोंसली एवं क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों को कवर करने वाले चार अन्त:सरकारी करार। संयुक्त घोषणा-पत्र में भारत और रूस के बीच नीतिगत भागीदारी पर बल दिया गया है और हाल ही में विगत में सार्वभौम पर्यावरण में रूपांतरण को नोट किया गया है। इसमें बहु-ध्रुवीय विश्व पर आधारित एक नई अंतरराष्ट्रीय संरचना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ऊर्जा, सूचना-प्रौद्योगिकी और बैंकिंग के क्षेत्रों सहित आर्थिक संबंधों पर पर्याप्त एवं नए सिरे से बल दिया गया है।

बैंकिंग और ऊर्जा – बैंकिंग और ऊर्जा के क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की पारस्परिक इच्छा के अनुसरण में सूचना-प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध पहला भारत-रूस गोलमेज सेमिनार 8-4दिसम्बर, 2004 तक बंगलुरू से सम्पन्न हुआ तथा उर्जा से सम्बद्ध पहला भारत-रूस सेमिनार 15 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ।

आतंकवाद का मुकाबला – सैन्य तकनीकी सहयोग के बारे में बुद्धिजीवियों के अधिकारों के पारस्परिक संरक्षण से सम्बद्ध अन्त:सरकारी करार के मसौदे पर भारत-रूसी दल की पहली बैठक 18-19 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक 1920 जनवरी, 2005 को मास्को में सम्पन्न हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के सहयोग में दोनों देशों के बीच नीतिगत साझीदारी एक महत्वपूर्ण अंग है तथा आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की शक्ति प्रदान करने के लिए दोनों देशों द्वारा देश में तथा साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर किए गए उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस क्षेत्र में सहयोग की व्यावहारिक आयाम प्रदान करने की दृष्टि से दोनों पक्ष निकट भविष्य में आतंकवाद की वित व्यवस्था की प्रतिबंधित करने पर लक्ष्यपूर्ण विचार-विमर्श करने पर सहमत हुए।

नि:शस्त्रीकरण – नीतिगत स्थायित्व के बारे में भारत-रूस विदेश कार्यालय परामर्श 27 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। दोनों पक्षों ने नि:शस्त्रीकरण और डब्ल्यूएमडी की चोरी को रोकने से संबंधित पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दिसम्बर 2004 को सम्पन्न राजनैतिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों की वीजा मुक्त यात्रा से सम्बद्ध भारत-रूस करार 15 फरवरी, 2005 से लागू हो गया।

2006 से 2012 – रूस के साथ भारत के सम्बंध प्राथमिकता के रहे। जबकि भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा विक्रेता रहा,पूर्व में विक्रेता-क्रेता फ्रेमवर्क धीरे-धीरे रक्षा तंत्र के संयुक्त विकास एवं डिजाइन मॉडल में परिवर्तित हो रहा है। भारत के सिविलियन नाभिकीय कार्यक्रम में रूस एक सकारात्मक योगदान करता रहा है। वर्ष के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण संयुक्त प्रोजेक्ट तथा ह्यूमन स्पेस लाइट कार्यक्रम तथा चंद्रयान-2 में सहयोग जारी रहा। चीन के प्रयासों के बावजूद व्यापार एवं निवेश क्षेत्र में ध्यान आकर्षित किया। दोनों देशों ने विभिन्न वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों तथा अफगानिस्तान मध्य पूर्व तथा उत्तारी अफ्रीका की स्थिति तथा काउन्टर आतंकवाद एवं ड्रग ट्रैफिकिंग पर उच्चस्तरीय सलाहकारिता आयोजित की। वर्ष 2011 में उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्कों में गति रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसम्बर, 2012 में 13वें शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर आए। इस शिखर वार्ता के दौरान भारत और रूस ने निवेश व्यापार तथा उच्चस्तरीय राजनैतिक सक्रियता सम्बंधी करार भी किए। वहीं संयुक्त बयान में दोनों देशों ने विवादस्पद मुद्दों को टालकर 40 से अधिक मसलों पर सहयोग की सहमति जताई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर भी सहमति बनी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने विदेश मंत्रालय स्तर पर नियमित विचार-विमर्श के लिए व्यवस्था बनाने पर भी रजामंदी जताई है। वर्ष 2012 के दौरान प्रमुख मंत्रालयों से मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राओं का आदान-प्रदान जारी रहा तथा इससे सामरिक भागीदारी में गहराई आई।

सम्बन्धों में ठहराव – जहाँ एक ओर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विवाद सम्बन्ध विवाद मुक्त दिखाई देते हैं, वहीं भू-राजनीतिक आयामों में हाल ही हुए परिवर्तन नए समीकरणों की ओर संकेत करते हैं। आर्थिक गतिहीनता और अमेरिका एवं यूरोपीय देशों द्वारा लगाये गये आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। रूस ने मुख्यत: यूक्रेन संकट के समय चीन की ओर रणनीतिक पहुँच बनाने के प्रयास किये थे, क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की तुलना में चीन के विचार अधिक महत्तव रखते हैं। इसके अतिरिक्त रूस का झुकाव पाकिस्तान की ओर भी बढ़ रहा है। रूस पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास और रक्षा व्यापार भी आरम्भ कर रहा है।

भारत की रूस से रक्षा खरीद – भारत द्वारा अपनी रक्षा खरीद को विविधता प्रदान की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप इजराइल और फ्रांस जैसे अन्य

भागीदार इसमें शामिल हो गये हैं। इस प्रक्रिया ने भी भारत और रूस के सम्बन्धों को प्रभावित किया है। विदित हो कि भारत-रूस के बीच व्यापक रक्षा सम्बन्ध बहुत जरुरी है। इन संबंधों में किसी भी प्रकार की गिरावट के भारत-रूस संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।

निष्कर्ष – भारत ने अपनी रणनीति में दो बड़े बदलाव किये हैं। एक- किसी एक देश पर रक्षा संबंधी सौदों के लिए निर्भर नहीं रहना और दो- देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर रक्षा मामलों में आत्म निर्भरता। आज अमरीका और भारत के सामने असली चुनौती चीन ही है। चीन को संतुलित करने के लिए अमरीका और भारत को एक दूसरे का साथ चाहिए। पर भारत अपने पुराने साथी रूस को पाक-चीन के पाले में डालने की गलती भी नहीं कर सकता। लिहाजा इन सबके बीच एक संतुलन कायम करना होगा। सरकार ने समय रहते रूस के साथ बिगड़ते संबंधों को संभाल लिया। भारत-रूस की दोस्ती में आयी इस नयी ताजगी से चीन-पाकिस्तान का परेशान होना लाजिमी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देश पूर्ववत करीबी दोस्त और साझीदार बने रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बख्शी, ज्योत्सना, 'दक्षिण एशिया के प्रति रूसी नीति', सामरिक विश्लेषण 23.8 (1999) : 1367-1398.
2. बुधवर, प्रेम के, 'भारत-रूस संबंधरू अतीत, वर्तमान और भविष्य' भारत त्रैमासिक 63.3 (2007): 51-83.
3. डैश, पी. एल. और आंद्रेई नाजर्किन, इंडो-रशियन डिप्लोमैटिक रिलेशंस : सिक्सटी ईयर्स ऑफ एंडिंग लिगेसी (नई दिल्ली : अकादमिक उत्ष्टता प्रकाशक, 2008), विशेषज्ञों के लिए निबंध.
4. दातार, यूएसएसआर और पूर्वी यूरोप 1953 से 1969 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, '1972 के साथ भारत के आर्थिक संबंध'
5. जोशी, निर्मला, और राज कुमार शर्मा, 'बदलते यूरेशियन परिप्रेक्ष्य में भारत-रूस संबंध', भारत त्रैमासिक 73.1 (2017): 36-52
6. मस्तानी, वोजटेक, 'भारत के साथ सोवियत संघ की साझेदारी', शीत युद्ध अध्ययन पत्रिका (2010) 12,3 पीपी 50-90.
7. रॉदरमुंड, डिटमार, 'भारत और सोवियत संघ', द एनल्स ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस 386.1 (1969): 78-88.
8. उन्नीकृष्णन, नंदन, 'भारत-रूस संबंधों की स्थायी प्रासंगिकता', ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन 25 (2017). ऑनलाइन

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

शहरी जनजातीय युवाओं की राजनीतिक सहभागिता डूँगरपुर जिले का एक अध्ययन

डॉ. प्रेम सिंह रावलोत * सोनल सरिया **

प्रस्तावना – राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनसाधारण लोगों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी जब शासन के संचालन में लोग सहभागी बनते हैं तो इसे राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण तत्व कहा जाता है। सामाजिक समझौता विचारक रूसो और गणतंत्रवादियों ने इसकी चर्चा की थी लेकिन वास्तविक रूप में इसका सूत्रपात व्यवहारवादीयों द्वारा किया गया राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक विकास को गतिशील बनाती है तथा व्यवस्था को उदार बनाती है राज.सहभागिता विकसित और विकासशील सभी देशों में पाई जाती है यह मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक होती है।

जनजाति – जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किये गए हैं। **हाँबल के अनुसार**[1] 'जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक समान भाषा का प्रयोग करता है एवं जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो इसे दूसरे समूहों से अलग रूप से स्थापित करती है।' **लिण्टन के अनुसार**[2] 'साधारण रूप से जनजाति खानाबदोश जत्थों का एक समूह है जो एक मिले हुए भू–भाग पर रहता हो तथा जिसमें संस्कृति की अनेक समानताओं, अत्यधिक मित्रतापूर्ण संघर्ष और एक निश्चित सामूदायिक हितों पर आधारित हो।' जनजाति के लिए कुछ सामाजिक मानवशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के हिन्दी रूपान्त में भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अनुवाद आदिम जाति शब्द द्वारा किया गया है। 1943 ई. में बैरियर एल्विन की पुस्तक **एब्ओरिजिनल्स**[3] प्रकाशित हुई। इसमें एल्विन ने जनजातियों को आदिवासी नाम से सम्बोधित किया है ये लिखते हैं – तथा कथित 'आदिम जातिया जो अनुसूचित जातियों की बहुत बड़ी अंग है और जिन्हें जनगणनाओं में जीववादी कहा गया है तथा बहुत करके पिछड़ी हिन्दू जातियाँ है।' सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते है।

लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त – आम धारणा के विपरीत लोकतंत्र के विचार को मार्क्स और पश्चवर्ती मार्क्सवादी विचारकों ने भी स्वीकार कर लिया है। इतना अवश्य है कि उनकी लोकतंत्र–संबधी अभिधारणा पाश्चात्य उदारवादी लोकतांत्रिक अभिधारणाओं से पूर्णत: भिन्न है। चूंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता के पास न होकर सिर्फ साधन–संपन्न वर्ग के हाथ में होता है, इसलिए वे एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं जो 'जनता का लोकतंत्र' (पीपल्स डेमोक्रेसी) हो। मार्क्सवादी लोकतंत्र में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को खत्म करने और सर्वहारावर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के पश्चात् समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। जनजातीय युवा लोकतंत्र मार्क्सवादी विचार से अधिक सहमत प्रतीत होते है।

आन्दोलन एवं राजनीतिक सहभागिता – आदिवासियों के कई विद्रोह 1772 में बिहार में शुरू हुए थे, इसके बाद आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड में कई विद्रोह हुए।उन्नीसवीं शताब्दी में विद्रोह में शामिल महत्वपूर्ण जनजातियाँ मिजोस (1810), कोल (1795 और 1831), मुंडा (1889), डैफलास (1875), खासी और गारो (1829), काचरिस (1839), संथाल (1853) थीं। मुरिया गोंड्स (1886), नागास (1844 और 1879), भुइया (1868) और कोंधस (1817) देसाई (1979), गफ (1974) और गुहा (1983) जैसे कुछ विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद आदिवासी आंदोलनों को किसान आंदोलनों के रूप में माना है, लेकिन केएस सिंह (1985) ने आदिवासियों के सामाजिक और राजनीतिक संगठन की प्रकृति के कारण इस तरह के दृष्टिकोण की आलोचना की है, उनके मुख्यधारा से सापेक्ष सामाजिक अलगाव, उनका नेतृत्व पैटर्न और उनकी राजनीतिक लामबंदी का तौर–तरीका।[4]

जनजाति उपयोजना क्षेत्र राजस्थान – राजस्थान में विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आने वाले जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा राजसमंद की कुंभलगढ़, चितौड़ की प्रतापगढ़, पाली जिले की देसुरी व बाली तथा सिरोही जिले की आबूरोड तहसीलों में आदिवासी इन क्षेत्र के वनों में बहुतायत में पीढ़ियों से रहते आये हैं। इतिहास में जाकर देखें तो पता चलेगा की मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध किया था, जो उदयपुर के एक पहाड़ी वन क्षेत्र का ही भाग है। तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने भी गोगुंदा क्षेत्र के सायरा इलाके के आदिवासियों हेतु वन क्षेत्र से आबादी तथा कृषि भूमि का प्रबंधन 1942 में किया था, यह हमें अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि इसी तरह वनों में निवास करने वाले आदिवासियों के हक–हकूक सूरक्षित रखे गये थे परन्तु आजादी के बाद वन अधिनियमों में इन हक–हकूक को नजरअंदाज कर आदिवासियों को वंचित रखा गया व जानकारियाँ दबाकर रखी गईं। इस क्षेत्र के भील, मीणा, गरासिया समुदाय के आदिवासी आज भी वन कानूनों तथा सरकार की नीतियों व वन विभाग के रवैये से समस्याग्रस्त हैं।

* विभागाध्यक्ष एवं सह–आचार्य (लोक प्रशासन) भूपाल नोबल्स विश्विद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, भूपाल नोबल्स विश्विद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत

अल्प आवश्यकताओं में जीवन-यापन करने वाले आदिवासियों को आज प्राथमिक सुविधायें भी नहीं मिल रही हैं जिसके कारण उनका पिछड़ापन और अधिक गहराता जा रहा है। रोजगार की अनुपलब्धता, लगातार अकाल, वन भूमि से बेदखली, चौथ वसूली, रिश्वत, झूठे मुकदमे आदि संकटों ने इनको समाज के हासिये पर खड़ा कर दिया है। उन्हें फटेहाल, बदतर हालत में कर दिया है। उन्हें सभ्य समाज के लिये कौतूहल का विषय, सस्ते बेगारी मजदूरी के रूप में बदल दिया है। राजनैतिक पार्टियाँ इनके कँधों पर चढ़कर सत्ता में जाती हैं और लोकतंत्र का परचम लहराती हैं। आदिवासी इस लोकतंत्र को कायम रखने का सबसे सस्ता जरिया बन गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. जनजातीय युवाओं की वर्तमान राजनीति के सम्बन्ध में जानकारी, दृष्टिकोण और व्यवहार को जानना।
2. राजनीतिक सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में शहरी जनजाति युवाओं का अध्ययन करना।

प्राक्कल्पना – जनजातीय युवाओं की राजनीतिक सहभागिता उनकों मिलने वाले आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के संदर्भ में ही रहती है।

अध्ययन क्षेत्र – अध्ययन क्षेत्र हेतु राजस्थान के डूँगरपुर जिले का चयन किया गया है जिसमें शहरी क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन किया गया हैं। डूँगरपुर जिले के अर्न्तगत डूँगरपुर नगर परिषद क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन किया गया हैं और सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन किया गया हैं।

निदर्शन विधि – प्रस्तुत अध्ययन हेतु उद्धेश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए जनजातीय युवा उत्तरदाताओं का चयन किया गया हैं। निम्नलिखित निदर्शन तालिका के अनुसार डूँगरपुर से 60 तथा सागवाड़ा से 60 उत्तरदाताओं का चयन किया गया हैं।

तथ्य संकलन विधि – प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों को काम में लिया गया हैं। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु अवलोकन पद्धति के साथ साक्षात्कार-अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया गया हैं। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पूर्व में किए गए अध्ययनों के साथ युवाओं की राजनीतिक सहभगिता से सम्बन्धित प्रकाशित सरकारी एवं गैर सरकारी तथ्यों को आधार बनाया गया हैं।

प्रविधियाँ – प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रायोगिक प्रयोग करते हुए प्रश्नों की महत्ता को जाँचा गया हैं। शहरी युवाओं के तथ्य नगर परिषद और पालिका के युवाओं से तथा ग्रामीण युवाओं के तथ्य पंचायत समिति क्षेत्र से संकलित किए गए हैं। जनजाति युवा महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले हैं।

आयु के अनुसार उत्तरदाता

दण्ड आरेख 01

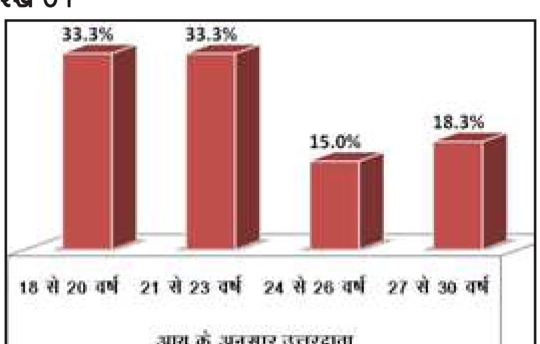

दण्ड आरेख 01 में डूँगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में निवास करने वाले शहरी जनजातीय 120 युवक-युवतियों का प्रतिशत में आयु के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 33.3 प्रतिशत उत्तरदाता 18 से 20 वर्ष की आयु के हैं और 33.3 प्रतिशत उत्तरदाता 21 से 23 वर्ष की आयु के हैं एवं 15.0 प्रतिशत उत्तरदाता 24 से 26 वर्ष की आयु के हैं जबकि 18.3 प्रतिशत उत्तरदाता 27 से 30 वर्ष की आयु के हैं। अत: यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का प्रतिशत 18 से 23 वर्ष की आयु का हैं।

स्थानीय निकायों की बैठकों में सभागिता

दण्ड आरेख 02

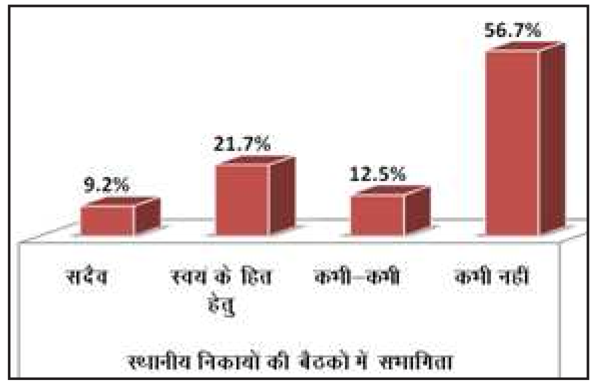

दण्ड आरेख 02 में डूँगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में निवास करने वाले शहरी जनजातीय 60 युवक और 60 युवतियों के नीकाय की बैठकों में सहभागिता के बारे में विवरण दिया गया है। 9.2 प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में सदैव जाते हैं और 9.2 प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में स्वयं के हितों के लिए जाते हैं एवं 12.5. प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में कभी-कभी जाते हैं जबकि 9.2 प्रतिशत युवा नीकाय की बैठकों में कभी नहीं जाते हैं। अत: यह स्पष्ट होता है कि अधिक प्रतिशत में जनजातीय युवा स्थानीय नीकाय की बैठक में सहभागिता नहीं दिखाते।

राजनैतिक सभागिता का प्रमुख मुद्धा

दण्ड आरेख 03

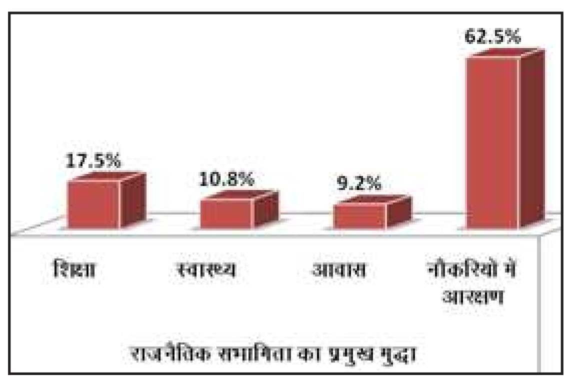

दण्ड आरेख 03 में डूँगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में निवास करने वाले शहरी जनजातीय 120 युवाओं के राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख मुद्धों का प्रतिशत में विवरण दिया गया है। 17.5 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा शिक्षा की उपलब्धता हैं और 10.8 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हैं एवं 9.2 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा आवास की उपलब्धता हैं जबकि 62.5 प्रतिशत युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा

नौकरियों में आरक्षण हैं। अतः यह ज्ञात होता है कि अधिक प्रतिशत में जनजातीय युवाओं का राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख मुद्धा नौकरियों में आरक्षण हैं।

दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता

दण्ड आरेख 04

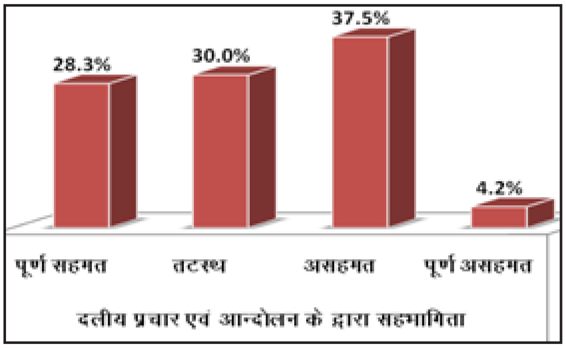

दण्ड आरेख 04 में डूँगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में निवास करने वाले शहरी 120 जनजातीय युवाओं के दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता का विवरण दिया गया है। 28.3 प्रतिशत जनजातीय युवाओं ने आन्दोलन के द्वारा सहभागिता दी हैं और 30 प्रतिशत जनजातीय युवा दलीय प्रचार एवं आन्दोलन की सहभागिता पर तटस्थ रहें हैं एवं 37.5 प्रतिशत जनजातीय युवाओं ने दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता पर असहमति दी हैं जबकि 4.2 प्रतिशत जनजातीय युवाओं द्वारा दलीय प्रचार एवं आन्दोलन के द्वारा सहभागिता पर पूर्ण असहमति दी हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि में जनजातीय युवाओं का अधिक प्रतिशत दलीय प्रचार एवं आन्दोलन में विश्वास नहीं रखता हैं।

राजनीतिक सहभागिता

दण्ड आरेख 05 में डूँगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में निवास करने वाले शहरी जनजातीय 120 युवाओं के राजनीतिक सहभागिता के विभिन्ना पहलुओं पर विवरण दिया गया है। 100 प्रतिशत युवक एवं 100 युवतियों ने मतदान के अधिकार का उपयोग किया हैं। 8 प्रतिशत युवक एवं 38.3 प्रतिशत युवतियों ने राजनीतिक दल की सदस्यता ले रखी हैं। 15 प्रतिशत युवक एवं 10 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक पत्र/पत्रिकाएँ पढ़ते हैं। 86.7 प्रतिशत युवक एवं 76.7 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक खबरे देखते हैं। 90 प्रतिशत युवक एवं 96.7 प्रतिशत युवतियाँ नेताओं के भाषण सुनते हैं। 100 प्रतिशत युवक एवं 100 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक घटनाओं पर समूह चर्चा करते हैं। 100 प्रतिशत युवक एवं 100 प्रतिशत युवतियाँ मतदान हेतु साथियों को प्रेरित करते हैं। 85 प्रतिशत युवक एवं 35 प्रतिशत युवतियाँ मतदान पर गोपनियता और स्वनिर्णय लेते हैं। 65 प्रतिशत युवक एवं 58.3 प्रतिशत युवतियाँ परिवार के मतदान को प्रभावित करते हैं। 0 प्रतिशत युवक एवं 0 प्रतिशत युवतियाँ समाजिक अंकेक्षण में भाग लेते हैं। 3.3 प्रतिशत युवकों ने सूचना के अधिकार का उपयोग किया हैं।

निष्कर्ष – 100 प्रतिशत युवक एवं युवतियों ने मतदान के अधिकार का उपयोग किया हैं और 8 प्रतिशत युवक एवं 38.3 प्रतिशत युवतियों ने राजनीतिक दल की सदस्यता ले रखी हैं तथा 15 प्रतिशत युवक एवं 10 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक पत्र/पत्रिकाएँ पढ़ते हैं जबकि 86.7 प्रतिशत युवक एवं 76.7 प्रतिशत युवतियाँ राजनीतिक खबरे देखते हैं। 90 प्रतिशत युवक एवं 96.7 प्रतिशत युवतियाँ नेताओं के भाषण सुनते हैं। 100 प्रतिशत युवक एवं युवतियाँ राजनीतिक घटनाओं पर समूह चर्चा करते हैं और मतदान हेतु साथियों को प्रेरित करते हैं। 85 प्रतिशत युवक एवं 35 प्रतिशत युवतियाँ मतदान पर गोपनियता रखते है और स्वनिर्णय लेते हैं। 65 प्रतिशत युवक एवं 58.3 प्रतिशत युवतियाँ अपने परिवार के मतदान को भी प्रभावित करते हैं। समाजिक अंकेक्षण में किसी भी युवा ने आज तक भाग नहीं लिया हैं लेकिन 3.3 प्रतिशत युवकों ने सूचना के अधिकार का उपयोग किया हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Hoebel, Adamson, E. (1978). The cheyennes. Belmont, california : Wadsworth group/Thomson Learning.
2. Linton, R. (1945), “The since of man in world crises”, Columbia University Press
3. वेरियर एल्विन, दी एबोरिजिकाल्स 1943, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी, बम्बई, पृ. 7–11
4. https://www.historydiscussion.net/inhindi/essay/tribal-movements-in-india/1797

दण्ड आरेख 05

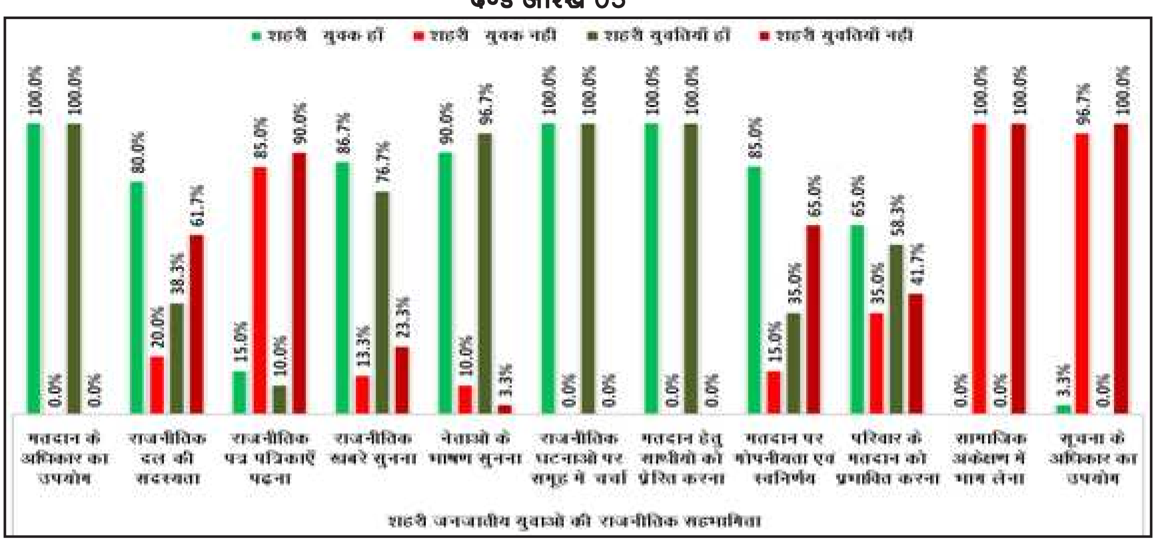

****

भारत में जिला प्रशासन : जिलाधिकारी के विशेष संदर्भ में

देवेश कुमार*

शब्द कुंजी – कृषि, पुलिस राज्य, कलेक्टर एवं प्रशासन।

प्रस्तावना– राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का संचालन विभिन्न स्तरों जैसे प्रादेशिक स्तर, जिला स्तर, उप–जिला स्तर आदि पर किया जाता है। स्थानीय विभिन्नताओं के होते हुए भी देश के लगभग सभी राज्यों में प्रशासन के इन स्तरों में संरचना और कार्यों की दृष्टि से काफी समानता है। प्रादेशिक प्रशासन पर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी संभाग आयुक्त होता है जो प्रादेशिक स्तर पर राज्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है। संभाग आयुक्त का यह पद भारत में पर्याप्त विवाद का विषय रहा है। अत: विभिन्न राज्यों में कभी इस पद को समाप्त किया गया तो कभी इस पद को पुनजीर्वित किया गया। इसकी प्रकार इसकी शक्तियों में कभी–कभी वृद्धि की गयी है।

जिला कलेक्टर पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन भूमि का लगान वसूल करने के लिए नियुक्त किया जाता था। बाद में उसे कानून और व्यवस्था बनाये रखने का काम सौंपा गया तथा अन्तत: ब्रिटिश शासन काल में वह जिले का सभी प्रयोजनों के लिए सर्वोच्च अधिकारी बन गया। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति बाद उसने पुलिस पर अपना नियंत्रण बनाये रखा। वह कृषि कार्यों के लिये किसानों को ऋण प्रदान करता है। वह भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करता है तथा स्टाम्प अधिनियम को क्रियान्वित करता है। वह बाढ़, अकाल, आगजनी, मवेशी संकट आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत कार्यों का संचालन करता है।

वह जिलाधीश के रूप में जिले के फौजदारी प्रशासन का संचालन करता है और पुलिस तथा जेल पर नियंत्रण रखता है। अस्त्र, सिनेमा और पेट्रोल आदि के लिए लाइसेंस जारी करता है वह विदेशियों को परिचय पत्र जारी करता है तथा उनके नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है वही जिले में कानून और व्यवस्था की स्थापना करता है। वह जिले के चुनाव कार्य के लिए उत्तरदायी है और जिला–जज से विचार विमर्श करके वकीलों के पैनल नियुक्त करता है। वह निवास स्थान सम्बन्धी, जाति सम्बन्धी तथा राजनीतिक पीड़ितों को प्रमाण पत्र जारी करता करता है।

वह सामान्य प्रशासन के विषय में सरकार का मुख्य अभिकरण है वह सामान्य रूप से सरकार के हितों की देखभाल करता है। वह सरकार द्वारा अथवा सरकार पर गैर–सरकारी पक्ष द्वारा किये गये मुकदमों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। वह अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यालय की प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्य और व्यक्तिगत आचरण की शिक्षा देता है तथा प्रशासन के विरूद्ध जनता की शिकायत पर उचित कार्यवाही करता है। वह नगर विकास न्यास का पदेन सदस्य होता है उसे नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है वह नियंत्रित एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति एवं वितरण के लिए उत्तरदायी होता है।

कलेक्टर जिला विकासधिकारी होती है तथा इस रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है। वह जिले में विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करता है तथा सरकार की ओर से मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है। पंचायतों के संदर्भ में भी उसे अधिकार प्राप्त है। उसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की सूची पर्याप्त लम्बी और व्यापक है? वह जिला स्तर की समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय और नियंत्रण करता है। योजनाओं तथा कार्यक्रमों का एकीकरण करता है। प्रशासन के सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं की व्यवस्था करता है। प्रशासन में जन सहयोग की माँग करता है तथा जनता को प्रशासनिक कार्यों से सूचित तथा प्रशिक्षित करता है। वह जिला प्रशासन का आधार स्तम्भ है। प्रशासन की विभिन्न शाखाएं उससे जीवन प्राप्त करती है। तथा वृक्ष की भांति चारो ंओर फैल जाती है।

कलेक्टर के कार्य :

1. **राजस्व एकत्रित करना–** यह कलेक्टर का मुख्य कार्य है। सम्भवत: उसके पद का नामकरण भी इसी कार्य पर आधारित है। उसे सरकार की भूमि का स्वामी माना जाता है अत: किसानों से लगान भू–राजस्व आदि के रूप में वह भूमि का किराया वसूल करता है। इस कार्य में कलेक्टर की सहायता तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और पटवारी आदि करते हैं। कलेक्टर भू–राजस्व का मूल्यांकन करता है। वह प्रत्येक प्रकार की भूमि का रिकार्ड रखता है तथा भूमि सुधार के लिये किये जाने वाले कार्यक्रमों की देखरेख करता है।

2. **भूमि सुधार–** कलेक्टर का एक अन्य दायित्व भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध एवं भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित है। परम्परागत रूप से जब कभी कोई भूमि सुधार किया जाता है तो उसके लिए अलग से एक संभाग बनाया जाता है। जोतों की चकबन्दी का कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन, भूमि अधिग्रहण, भूमि रिकार्ड तैयार करना आदि भूमि सुधार की दृष्टि से प्रारम्भ किये गये। ऐसे कार्यक्रमों को सम्पादित करने के लिए यद्यपि एक पृथक विभाग की रचना की जाती है किन्तु उनके पर्यवेक्षण का कार्य जिले के कलेक्टर का होता है। पटवारी तक का समूचा स्टाफ इस कार्य में कलेक्टर की सहायता करता है। चकबन्दी कार्य पूरा हो जाने पर कलेक्टर चकबन्दी रिकार्ड को सही रूप में रखने के लिए उत्तरदायी होता है। भूमि अधिग्रहण के लिए कलेक्टर के कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो अन्य कार्यों के साथ–साथ भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। कलेक्टर इस कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए उत्तरदायी है। भूमि सम्बन्धी अद्यतन रिकार्ड का काम गांव के पटवारी द्वारा किया जाता है। यह एक निरन्तरता पूर्ण कार्य है इसकी सफलता कलेक्टर के पर्यवेक्षण पर निर्भर करती है।

* राजर्षि नगर कॉलोनी, ब्रह्मचारी का कुँआ, मीरजापुर (उ.प्र.) भारत

3. कानून और व्यवस्था की स्थापना– इसका एक महत्वपूर्ण कार्य अपने जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करना है इसके लिए वह दण्डनायक के रूप में कार्य करता है। जिलाधीश के रूप में वह जिले के फौजदारी प्रशासन के लिए उत्तरदायी है उसका जिले के पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण होता है।

4. निर्वाचनों का संचालन– जिले में संसद, विधानसभा और स्थायी निकायों के निर्वाचनों को सुचारू रूप से संचालित करना जिलाधीश का प्रमुख उत्तरदायित्व है। निर्वाचनों के बाद भी वह उनसे सम्बंधित अन्य कार्यों की व्यवस्था करता है। आपात स्थिति की भांति निर्वाचन कार्य की प्रकृति भी जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की अपेक्षा रखती है। अत: सभी कार्यालय इस कार्य में कलेक्टर का यथासंभव सहयोग करते हैं।

5. प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य– यह कार्य और कर्तव्य वे होते हैं जो कलेक्टर को जिले में किसी बड़े पदाधिकारी के आने पर सम्पन्न करने होते हैं। जब कोई मंत्री या दूसरे समीप व्यक्ति जिले का दौरा करते हैं तो उनके स्वागत और प्रबन्ध में कलेक्टर को बहुत समय व्यय करना पड़ता है परिणामस्वरूप उसके साधारण कार्यों को करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। राज्य प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि किसी बड़े अधिकारी के आगमन पर उसके रहने का प्रबन्ध करने में कलेक्टर का समय खराब नही होना चाहिए और न ही उसकी उपस्थिति ही अनिवार्य होनी चाहिए। राज्य सरकारों को इस सम्बंध में निर्देश भेजने चाहिए कि इन अनावश्यक कार्यो में कलेक्टर का समय नष्ट न हो।

6. जिले में दौरा करना– उसका एक प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करना है। स्वतंत्रता के बाद इस कार्य की ओर कम ध्यान दिया जाने लगा है। यातायात और संचार साधनों का विकास होने के कारण कलेक्टर किसी वाहन से अपने जिले में देहाती क्षेत्रों का दौरा करता है परन्तु अतीत काल की भांति वहाँ कैम्प लगाकर रात्रि विश्राम नही करता। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ऐसा करना शायद उसके लिए संभव नही है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कलेक्टर को विकास कार्यों, प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वह अपने जिले के देहाती एवं पिछड़े क्षेत्रों का दौरा कर सके और कैम्प लगाकर रात्रि विश्राम कर सके। महीने में ऐसे कुछ दौरे कलेक्टर के लिए अनिवार्य किये जाने चाहिए वह ऐसे स्थानों पर ही जाये जहाँ पहुँचना सरल नही है। ऐसे दौरे सद्भावना के साथ करने पर ही कलेक्टर ग्रामीण जनता एवं उसकी समस्याओं के निकट सम्पर्क में आ सकेगा। दौरा करते समय वह स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण कर सकता है। उसकी उपस्थिति के भय से पटवारी और राजस्व के दूसरे अधीनस्थ अधिकारी घोटाला और भ्रष्टाचार न करे सकेगें कलेक्टर को चाहिए कि वह दौरा करते समय स्थानीय जनता की शिकायतों को सुने तथा जो भी कार्यवाही संभव हो करें।

7. औपचारिक बैठके– कलेक्टर द्वारा जिले के समन्वय समिति की बैठक बुलायी जाती है वह जिला परिषद की बैठकों में भी भाग लेता है। वह अनेक स्थानीय संस्थाओं एवं समितियों का सदस्य होता है जैसे–जिला परिवार नियोजन संस्था और जिला खेल समिति आदि। कलेक्टर के कार्यालय में उससे मिलने वालों में व्यापारी से सेवानिवृत्त सैनिक एवं राजनेता आदि आते हैं। ये लोग किसी प्रयोजन से या शिकायत करने या केवल मिलने मात्र के लिए आते हैं इसके लिए कलेक्टर में सहानुभूति, धैर्य एवं विनोदीभाव रहना चाहिए ताकि वह जनता की आकांक्षाओं को समझ सके।

8. सामान्य प्रशासन– कलेक्टर द्वारा सामान्य प्रशासन सम्बंधी कुछ कार्य किये जाते हैं। उदाहरण–शस्त्रों का लाइसेंस प्रदान करना, उनको नवीनीकृत या रद्द करना, पशु रोग सम्बंधी विशेष कानूनों को लागू करना, जंगल संबंधी कानून, अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण संबंधी कानून, आबकारी कानून आदि को व्यावहारिक रूप देना।

9. अन्य कार्य– कलेक्टर द्वारा इन कार्यों के अतिरिक्त अनेक छोटे–मोटे कार्य भी सम्पन्न किये जाते हैं। वह जिले से अल्प बचत कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता है। प्रचार एवं जनसम्पर्क कार्यक्रमों को संचालित करता है। जिले के मुख्य लोगों से भेंट करता है। जिले की समस्याओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करता है। संवाददाता सम्मेलन आयोजित करता है और जन समारोहो में भाग लेता है।

जिलाधिकारी की समस्याएं:–

1. कार्य का अतिरिक्त बोझ।
2. तदर्थवाद की समस्या।
3. राजनैतिक हस्तक्षेप।
4. जन प्रतिनिधियों एवं जनता का दबाव।
5. आधी अधूरी तैयारी के साथ योजनाओं का संचालन।
6. आर्थिक संरचनाओं का अभाव।
7. विधि व्यवस्था में लगातार गिरावट।
8. समन्वय के स्थापित संस्थाओं में गिरावट।
9. कम आयु का होना भी कई बार समस्याएं उत्पन्न करता है।
10. जनसंख्या विस्फोट एवं जनता का बढ़ता दबाव।
11. दृष्टिकोण में लचीलेपन का अभाव।
12. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं इस पद की समस्याएं।
13. लगभग राजनीतिक पद का हो जाना क्योंकि वह आधा समय पद को बचाये रखने लगा रहता है।
14. डी0पी0सी0 का गठन डी0एम0 के हस्तक्षेप के कारण ही नही हो पा रहा था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. एडविन इम्स एवं परमात्मा शरन : डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, 1988, विकास पब्लिशिंग हाउस।
2. काशी एन0वी0 शास्त्री : प्रिन्सिपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, 1957, मेट्रोपॉलिटन बुक कम्पनी, भारत।
3. ए0के0 दूबे : डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, 1995, उत्पल प्रकाशन, भारत।
4. एस0एल0 गोयल : अर्बन डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट दीप एण्ड दीप प्रकाशन, 2002।
5. आर0डी0 शर्मा : डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, एच0के0 प्रकाशन, भारत, 1990।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Quality of Work Life in Higher Education Sector with reference to Madhya Pradesh

Abhay Shankar Mishra*

Abstract - For the development of quality teachers, one has to understand factors associated with it (Sharma and Jyoti, 2006) and quality of work life (QWL) is one of the most important factors that can affect teachers' job satisfaction, commitment, productivity and intention to leave. Quality of Working Life is not a unitary concept, but has been seen as incorporating a hierarchy of perspectives that include not only work-based factors such as satisfaction with pay and relationships with work colleagues (Danna & Griffin, 1999) but the relationship between work and non-work life domains have also been identified as factors that constitute Quality of Working Life (Loscocco & Roschelle, 1991). The present study focuses on QWL in higher education institutions in Madhya Pradesh. Census approach was used for data collection from university teachers. Univariate and multivariate statistical methods were used for data analysis and interpretations. The reliability was checked through split-half and Cronbach's alpha and validity of the scale has been proved by application of exploratory and confirmatory factor analysis. The results revealed that QWL is not very high in the selected Universities and positively related with job satisfaction, job commitment but inversely related with intention to leave. Further path analysis has been used to find out the direct and indirect effects of QWL, job satisfaction and job commitment on intention to leave.

Introduction - Improving educational performance ranks high on the national agenda, with educators and policymakers focusing on testing, accountability, curriculum reform, teacher quality, school choice, and related concerns. To gain a milestone for a successful education system, one needs a high-quality teaching staff. Attracting and retaining high quality teachers is thus a primary requirement for an educational institution as their effectiveness dependents largely on quality of faculty and administrative staff.

For the development of quality teachers, one has to understand factors associated with it and quality of work life (QWL) is one of the most important factors that can affect teachers job satisfaction, commitment, productivity and intention to leave.

Quality of WorkLife - The quality of work, management practices and culture, and the workplace environment are key components in determining an employee's health, well being and satisfaction with their work life. Bond et al described the interaction of the quality of jobs and workplaces as a "chain reaction": the more difficult or demanding the job and/or the less supportive the workplace, the more likely there is to be a negative effect on a person's private life.

Authors differ in their views on the core constituents of Quality of Working Life. It has generally been agreed however that Quality of Working Life is conceptually similar to well-being of employees but differs from job satisfaction which solely represents the workplace domain. It is an alternative to the control approach of managing people that considers people as an asset to the organization rather than as costs. It believes that people perform better when they are allowed to participate in managing their work and make decisions. This approach motivates people by satisfying not only their economic needs but also their social and psychologicalones.

Past scholars have offered a variety of definitions and suggestions of what constitutes QWL. For instance, QWLis a philosophy, a set of principles, which holds that people are the most important resource in the organization as they are trustworthy, responsible and capable of making valuable contribution and they should be treated with dignity and respect. QWL is a complex problem, however, because it is difficult to isolate an did entify all of attributes,which affect the quality of work life. It is not a unitary concept but a dynamic multidimensional construct that includes adequate and fair remuneration, safe and healthy working conditions and social integration in the work organization that enables an individual to develop and use all his or her capacities. It also has been seen as incorporating a hierarchy of perspectives that include not only work-based factors such as satisfaction with pay and relationships with work colleagues, but also factors that broadly reflect life satisfaction and general feelings of well-being. More recently, work-related stress and the relationship between work and non-work life domains have also been identified as factors that constitute Quality of Working Life. Thus,

*Research Scholar, Rabindra Nath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

QWL is a comprehensive construct that includes an individual's job-related well-being and the extent to which work experiences are rewarding, fulfilling and devoid of negative personal consequences that support and promote better health and well-being, job security, job satisfaction, competency development and balance between work and non-work life.

Research Gap - There exists a lot of research on QWL but there is no consensus on what actually constitutes quality of work life. Some have studied it as need fulfillment and others included work environment and work life balance in it This research tries to take a broader view of QWL by considering all job-related factors like pay, promotion, social relationships, working conditions, information & communication flow, recognition, competency development and work-life balance under it. Exploratory and confirmatory factor analysis will be performed to validate the scale. So, the broader objective of the paper is to identify the dimensions of QWL.

Though extensive literature exists that links school facilities to the quality of education conspicuously absent has been an examination of how these affect teachers and in turn the system as a whole. Hence, attempt has been made to study the impact of QWL on teacher's job satisfaction, commitment and intention to leave thejob

QWL and Job Satisfaction - In the present research career/job satisfaction has been considered as the consequences of QWL and not a component. There is plenty of evidence available in literature which revealed that QWL is the result of need satisfaction through resources, activities and outcomes from the work place and it contributes to job satisfaction and satisfaction in other life domains. QWL differs from job satisfaction as it is one of the outcomes of QWL such as family life, leisure life, sociallife, financial life. Affective experiences at the work place come from satisfaction of the employee's needs (higher and lower order needs) and higher the level of need satisfaction greater is the overall job satisfaction. Quality of life variables are related with job satisfaction and salary, perceived support of colleagues, satisfaction with the administration, work and non-work conflict have been proven to directly affect or are predictive of job satisfaction. Hence, the hypothesisis:

Hyp.1 *QWL has a significant impact on job satisfaction.*

Obj. 1 *Exploration of different factors of QWL influencing job satisfaction*

Impact of QWL, Job Satisfaction and Commitment on Intention to Leave - Many studies conceptualize turnover to be a psychological response and rest on the belief that turnover is an individual choice behavior. At the individual level, satisfaction with one's job is the most frequently studied psychological variable in the satisfaction-turnover relationship Besides job and organizational factors, QWL has been found to be a key predictor for turnover intention and turnover decisions and Low job satisfaction was found to be a significant predictor of turnover intention and turnover in the widely accepted turnover intention model of Mobley et al., which was confirmed by the meta-analysis of Griffeth et al.. Scholars have also found a negative relationship between commitment and turnover intentions. Narimawati researched a negative and significant relationship between work satisfaction, commitment and turnover intentions, while Tung-Chun et al. revealed relationship between commitment and intention to leave, which is confirmed by other empirical studies. The above literature leads to the followinghypothesis:

Hyp.2 *QWL, job satisfaction and job commitment exercise influence on employees' intention to leave.*

Obj.2 *To study the nature of influence exerted by QWL, job satisfaction, job commitment on intention to leave.*

Research Design and Methodology - The study is explorative and evaluative in nature as it tries to find different variables of QWL and the type of relationship between quality of work, job satisfaction, job commitment and intention to leave and stresses upon the aspects that affect this relationship. The following steps were taken to make the study effective and accurate:

Sample Size & Design - Teachers from four universities in Madhya Pradesh i.e., Barkatullah University and Devi Ahilyabai Vishwavidyalaya, Indore have been selected as respondents for the study. There are 1648 teachers working in these universities and all of them were approached for data collection. Only 820 questionnaires were returned back (49.75% response rate) that have been utilized to analyses and draw interpretations.

Reliability and Validity - The reliability has been judged through split-half and alpha Cronbach values. The mean values of both the halves were above the average (Table 2 & 3) and the difference in mean values of the two halves was not significant (F .608, p> .436). The coefficients of reliability show very high values (Cronbach" salpha = .888) signifying there liability of the data collected. Further, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy has proven very good (.808) which proves the construct validity. Face and content validity was judged through internal check and discussion with the experts. The factors extracted after exploratory factor analysis gave the convergent validity and confirmatory factor analysis proved the construct validity. The establishment of relationship between QWL, job satisfaction, commitment and intention leave has proved the nomological validity.

Limitations of the Study - All feasible efforts were made to maintain objectivity, reliability and validity of the study, yet certain limitations could not be ignored and are required to be kept in mind whenever its findings are considered for implementation. These limitations are discussed as under:

1. The study has measured QWL, employees job satisfaction, job commitment and intention to leave on the basis of the employees' responses, which might have been guided by their likes and dislikes.
2. The information obtained is not fully free from subjectivity. Further, the elements of subjectivity might not

have been checked completely as employees have responded on the basis of their own experience and perception.

Results - The total number of respondents for this research was 820. Fifty-nine per cent were males and about eighty-six per cent were married. Their age ranged between 25-65 years. About 37.3 per cent were Lecturers, 31.2 per cent were Readers and 31.5 per cent were Professors.

The mean level of job satisfaction, job commitment and intention to leave has arrived at 4.45 (SD .652), 4.62 (SD.716) and 1.83 (SD .819) respectively on five-point scale. The mean and standard deviation for QWL, items is computed in table 1. The average score for QWL has arrived at 3.41. This score has been arrived at by adding the factorial score of all the eleven factors. The detailed analysis is asunder:

Organizational Climate (F1) - The mean score from this factor has arrived at 3.81. About seventy-one per cent teachers are satisfied with the organizational climate due to proper information (r .687, sig. < .01) and communication flow (r .655, sig. < .01). Further, seventy-one per cent teachers are satisfied with methodology for implementing change in theorganization.

Physical Environment (F2) - Teachers are moderately satisfied with physical environment (M 3.51) as a big chunk of them are dissatisfied with infrastructure (25%), canteen facility (35%), library/laboratory (13%), and reported that toilets stink (33%).

Social Integration (F3) - Teachers are deriving above average satisfaction from this factor as eighty-five per cent are satisfied with their HoDs and colleagues (77%) and have role clarity but thirty-one per cent viewed that there is lack of team work amongst them.

Class Atmosphere (F4) - Teachers are highly satisfied with the class room environment (M 4.16). They (87%) are very satisfied with the behavior of their students as there is no antisocial element (r .607, Sig. < .01) among the students and they do not insult the teachers (r .608, Sig. < .01).

Promotion Policy (F5) - The university teachers are moderately satisfied with the promotion policy (M 3.18) due lack of promotional opportunities (M 2.97) and merit promotions (M 2.95). Further thirty-nine per cent teachers opined that promotions were not timely. The only good aspect of this factor is training opportunities (M 3.79).

Job Characteristics (F6) - The teachers are deriving high most satisfaction from this factor (M 4.30) due to availability of autonomy (M 4.35), job security (M 4.35) and no restriction on participation in academic activities like workshops, seminars, conferences etc.(M4.18).

Availability of Time (F7) - The mean score of this factor has arrived at 4.06. About eighty-four per cent teachers reported that they have time to look after their personal and social affairs (82%). Only twelve per cent teachers revealed non-availability of time. This factor reflects the work-life balance in the lives of university teachers

Pay and Recognition (F8) - The teachers are dissatisfied with this factor (M 2.83) as forty-four per cent are dissatisfied with their pay and forty-six per cent opined that they are never rewarded for good work. It shows lack of recognition on the part of university administration.

Personnel Treatment (F9) - The university teachers are very satisfied with this factor (M 3.96) as they (73%) viewed that organization has never tried to exploit them or treated them (75%) badly.

Participative Decision Making (F10) - The teachers are moderately satisfied with this aspect of their professional life (M 3.40) as thirty-eight per cent revealed that they are not consulted in decision making and maximum of them are in lower rank i.e., lecturers. But they (66%) revealed that when they give suggestions the management does listen to their views. This shows that principle of participative management is not adhered to fully in theseuniversities.

Work-Life Balance (F11) - The university teachers are having good work-life balance (M 4.06) as eighty-five per cent viewed that their families respect their profession and they (72%) do not take their professional worries home. It has been found that work-life balance is a strong predictor of job satisfaction (R.425, Adjusted R^2 .180, b .425, t 13.434 and Sig. < .001).

Quality of Work Life in Universities in North India - The mean score achieved by the four universities is above the average Barkatullah University teachers are the most satisfied with their QWL (M 3.81) and DAVV University teachers are least satisfied (M 3.64) and this difference has been found statistically significant (F 6.11, Sig. <.001). Impact of QWL on Job Satisfaction (JS) of University Teachers - BU teachers are highly satisfied with their job (M 4.61) followed by DAVV (M 4.38) teachers (M 4.35) and these differences are statistically significant (F 9.152, Sig. < .001).

Impact of QWL, Job Satisfaction and Job Commitment on Intention to Leave among University Teachers - For finding the impact of QWL, job satisfaction and commitment on intention to leave multiple regression was used. Step wise regression created three models and all the three variables were found to be significant predictors of intention to leave. The final model revealed R and Adjusted R^2 at .482 and .232 respectively, indicating that combined these three variables are exercising twenty three percent influence in the process of intention to leave. The regression equation is asunder:

Intention to leave = 5.247 - .222 (commitment) - .205 (QWL) - .175 (JS)

The above equation reflects an inverse relationship between intention to leave and job commitment, QWL and job satisfaction. Commitment is the strongest predictor of intention to leave followed by QWL and job satisfaction. These results prove the second hypothesis.

Discussion and Conclusions - The university teachers are satisfied with the QWL in their organizations though the mean score is not very high. Organizational climate/F1 is the most important factor of QWL as ten per cent variation

is being explained by this factor. Information & communication flow and methodology for implementing change are in line with earlier studies [38] because absence of good information and communication channels will create chaos in the organization and greater will be role ambiguity. Physical environment/F2 is also quite important as percentage of variance explained by it is similar to organizational climate (9.35%).Good working environment acts as a catalyst in enhancing the job satisfaction of the teachers. The work environment that is able to fulfill employees' personalneeds is considered to provide a positive interaction effect, which will lead to an excellent QWL. The importance of this dimension lies in the fact that if it is not available it can be a major source of dissatisfaction. The university teachers are enjoying good relations with their superiors/Hoods and co-workers as friendly, cooperative co-workers serve as a source of support, comfort, advice and assistance to the employees. Students are the integral part of teaching profession and the university teachers are very satisfied with their behavior as they act as a source of motivation.

Job characteristics/F6 like autonomy, Job security and flexibility are determining elements of QWL is in line with previous research as these motivating core job characteristicssatisfyan academic's need for engagingon meaningful work activities.

Availability of time/F7 for fulfilling one's personal and social affairs is a deciding element in work-family balance. This element has not been explored earlier. Non-availability of time for attending personal and social affairs causes tensions. Further if your family respects the profession and there is less spillover of professional worries in personal life (F11), it will increase the job satisfaction. Participative decision/F10 making process improves the QWL by giving teachers a feeling of control over workprocesses.

The university teachers are less satisfied with their pay, promotion and recognition policy as their pay is less than what they deserve. Although the promotion policy is based CAS (career advancement scheme) yet it is rarely at right time and there is lack of promotion opportunities in open merit. Further they are never rewarded for good work which gives rise to dissatisfaction.

Career development opportunity/promotion policy provides essential training that help the individual employees to equip with the new skills to spearhead in their career and training increases competency development and all this is lacking in universities under thestudy.

QWL significantly affects job satisfaction. Job characteristics like autonomy and job security affect teachers" job satisfaction positively and good physical environment and class atmosphere cements the element of satisfaction. Organizational climate with good communication and information flow affects job satisfaction by instilling element of role clarity and removes ambiguity among the teachers. Participative decision-making practices affect job satisfaction as these reflect importance of an employee in theorganization.

QWL, job satisfaction and job commitment are negatively related with intention to leave, which reveals that good QWL prevents employees, desire to leave the job. Similarly, as the level of satisfaction and commitment increase the intention to leave the job decreases. The reason for low intention to leave can be that a satisfied employee tends to be more loyal to the organization that induces him to remain in the organization. On the other hand, dissatisfied employees opt for some other job.

The future research should concentrate on mediating role of job satisfaction and job commitment in the process of effect of QWL on intention to leave.

References :-

1. Smith T. W. 2007, "*Job Satisfaction in U.S.A*.", NORC/ University of Chicago, 1-9. Available at: http:// Wwwnews.Uchicago.Edu/Releases/07/Pdf/ 070417.Jobs.Pdf
2. Sharma, R. D. and Jyoti, Jeevan, 2006, "Job satisfaction among school teachers" *IIMB Management Review*, Vol.18 No. 4, pp.349-363.
3. Johnsrud, L. 2002, "Measuring the Quality of Faculty and Administrative Work life: Implications for College and University Campuses", *Research in Higher Education*,Vol. 43, No. 2, pp. 379 –395.
4. Feuer, D., 1989, "Quality of work life: a cure for all ills? "*Training: The Magazine of Human Resources Development*, Vol. 26, pp.65-66.
5. Bond, T, Galinsky, E and Swanberg J., 1997, "*National Study of the Changing Workforce'*, Families and Work Organization, New York, Available at: www. familiesandwork.org
6. Victoria, State Government (2004), "*Not Just Part-time Work for New Mothers: Work—life balance in the Victorian Public Service*", Office for Workforce Development
7. Sirgy, M. J., Efraty, D., Siegel, P and Lee, D., 2001, A New Measure of Quality of Work Life (Qowl) Based on Need Satisfaction and Spillover Theories" *Social Indicators Research*, Vol. 55, pp. 241-302. Warr, P, Cook, J and Wall, T, 1979, "Scales for The Measurement of Some Work Attitudes and Aspects of Psychological Well Being", *Journal of Occupational Psychology*, Vol. 52, pp.129-148.
8. Lawler, E. E., 1982, "Strategies for improving the quality of work life" cited *in American Psychologist* (2005),Vol.37, pp.486-493
9. Straw, R.J. and Heckscher, C.C., 1984, "QWL: New Working Relationships in the Communication Industry", *Labor Studies Journal*, Vol.9, pp.261-74.
10. Walton,R.E.,1975,"CriteriaforQualityofWorkingLife" in Davis, L.E., Cherns, A.B. and Associates (Eds.) *The Quality of Working Life*, The Free Press, New York, NY, Vol. 1, pp.91-104.
11. Lau H., While, A. E. and Barriball, K. L, 2007, "A Model of Job Satisfaction of Nurses: A Reflection of Nurses'

Working Lives in Mainland China", *Journal of Advanced Nursing,* Vol.58, No. 2, pp.468-479

12. Cunningham, J.B. and Eberle, T., 1990, "A Guide to Job Enrichment and Redesign", *Personnel*, Vol. 67, pp.56-61. Danna, K. & Griffin, R. W., 1999, "Health and well-being in the workplace: Are view and synthesis of the literature *Journal of Management*", Vol. 25, pp.357-384.
13. Logcock, K. A. & Roschelle, A. N., 1991, "Influences on the Quality of Work and Nonwork Life: Two Decades in Review *Journal of Vocational Behavior*, Vol.39, pp.182- 225.
14. Shamir, B. and I. Salomon, 1985. Work-at-home and the quality of working life. *Academy of Management*, 10: 455- 64.
15. Rethinam, Guna Seelan and Ismail, Maimunah**,** 2008, **'**Constructs of Quality of Work Life: A Perspective of Information and Technology Professionals", *European Journal of Social Sciences* – Vol. 7, No.1, pp.58-70
16. Lee, Dong-Jin, Singh apakdi, Anusorn and Sirgy, M. Joseph (2007), "Further Validation of a Need Based Quality of Work Life (QWL) Measure: Evidence from Marketing", *Applied Research Quality Life*,Vol.2,pp.273-287.Sirgy,
17. M. J., Efraty, D., Siegel, P and Lee, D., 2001, A New Measure of Quality of Work Life (Qowl) Based on Need Satisfaction and Spillover Theories" Social *Indicators Research*, Vol. 55, pp.241-302.

****

बहुविवाह : विविध अध्ययन एवं परिप्रेक्ष्य

डॉ. धीरज मेघवाल *

शोध सारांश – प्राचीन काल में हमारे देश में राजा-महाराजा एक ही समय में कई स्त्रियों से विवाह करते थे। राजा दशरथ की तीन रानियां थीं। मुसलमानों में तो एक व्यक्ति एक ही समय में अधिकतम चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है। जहां ये बैगमे निवास करती हैं उस स्थान को हरम कहते हैं। आज भी कई समाजों में बहुविवाह विवाह मिलते हैं। उत्तारी अमेरिका की अलस्कान, एस्किमों, अमेरीकन-इण्डियन, मलाया आदि में बहुविवाह प्रथा मिलती है। भारत में देहरादून, जोनसर बावर परगना तथा शिमला की पहाड़ियों, टिहरी गढ़वाल में रहने वाले खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले टोडा और मालाबार के नायरों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। बहुविवाह प्रथा का मुख्य कारण पुरुष व स्त्री के अनुपात में असंतुलन होना है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि बहुत सारे पतियों के साथ महिलाएं खुद को आर्थिक और सामाजिक संकट से बचा सकती हैं, और अधिक प्रभावी ढंग से अपने बच्चों को जीवित रख सकती हैं। विवाह से वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति से संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

शब्द कुंजी – विवाह, बहुविवाह, परित्यक्ता, सिस्टर्स इन इस्लाम, प्रजनन असमानता।

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध लेख वैश्विक परिदृश्य के साथ-साथ भील जनजाति में प्रचलित बहुविवाह से जुड़ा हुआ है। जैविक दृष्टि से प्रकृति ने स्त्री एवं पुरूष को भिन्न संरचनाएं प्रदान की हैं, एक दूसरे की परिपूरकता के लिये विरसता, भेदभाव, आधिपत्य या शोषण के लिये नहीं। आदिम समाजों की जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि प्राग ऐतिहासिक काल में स्त्री-पुरूष समानता विद्यमान थी। संगठित समाज की रचना, उत्पादन के साधनों के बदलाव परिवार संस्था के अभ्युदय एवं स्वामित्व तथा सम्पत्ति के उदय के साथ सामाजिक सरंचनाओं में आये परिवर्तनों ने स्त्री-पुरूष असमानता, भेदभाव एवं स्त्री की अधीनता तथा अशक्तिकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। यह प्रक्रिया विश्व की सभी सभ्यताओं एवं कालखण्डों में कमोबेश पनपती रही। अधुनिकीरण की इस प्रक्रिया में सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक-नैतिक मूल्यों, मानकों, अर्थतंत्र, राजनैतिक संस्थाओं सहित अनेक कारकों का योगदान रहा। स्त्री द्वारा अधीनता की मनोवैज्ञानिक स्वीकृति महिला के विरूद्ध हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। विभिन्न सदियों में भौतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, राजनैतिक क्रांतियाँ हुई, किन्तु स्त्री प्रस्थिति के सन्दर्भ में सतही परिवर्तन ही हुये। 19वीं व 20वीं शताब्दी में महिलाओं के अनेक आन्दोलनों ने सशक्तिकरण के लिये सकारात्मक प्रयास किये किन्तु उनके निर्बलीकरण या अशक्तिकरण की प्रक्रिया भी समानान्तर स्तर पर नित नये प्रसंगों में जारी रही है।

बहुविवाह – भारत को हमेशा से ही एक ऐसे समाज के तौर पर पहचाना गया है जहां कदम-कदम पर एक नई संस्कृति और एक नया रिवाज देखने को मिलता है। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो वह अपने आप में ही इतना विस्तृत है कि उसे समझना कदापि आसान नहीं रहा।

जब एक ही समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में राजा-महाराजा एक ही समय में कई स्त्रियों से विवाह करते थे। राजा दशरथ की तीन रानियां थीं। मुसलमानों में तो एक व्यक्ति एक ही समय में अधिकतम चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है। जहां ये बैगमे निवास करती हैं उस स्थान को हरम कहते हैं। जहां रानियां निवास करती थीं उसे रनिवास कहते थे।

रिवर्ज ब्रिटिश मानवशास्त्री थे, जिन्होने दक्षिण भारत के टोडाओं में काम किया था। वे बहुविवाह प्रथा को जो टोडाओं में आज भी प्रचलित है, इस भांति पारिभाषित करते हैं – एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह सम्बन्ध बहुविवाह कहलाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में मैक्लैनन पहले विद्वान हैं जिन्होंने बहुविवाह की जानकारी दी थी। आज भी कई समाजों में बहुविवाह विवाह मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका की अलस्कान, एस्किमों, अमेरीकन-इण्डियन, मलाया आदि में बहुविवाह प्रथा मिलती है। भारत में देहरादून, जोनसर बावर परगना तथा शिमला की पहाड़ियों, टिहरी गढ़वाल में रहने वाले खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले टोडा और मालाबार के नायरों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। बहुविवाह प्रथा के प्रचलन के अनेक कारण हैं।

वेस्टरमार्क का मत है कि बहुविवाह प्रथा का मुख्य कारण पुरुष व स्त्री के अनुपात में असंतुलन होना है। कई बार असंतुलन के ठीक होने पर भी विवाह का यह विशेष प्रकार का रूप ले लेता है।

ऐतिहासिक पहलू – महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यंत्रणा उतने ही प्राचीन हैं, जितने कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। यद्यपि सामाजिक विधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाएं अन्य कई देशों की महिलाओं से आगे मानी गयी हैं, किन्तु महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी मन्द, अव्यवस्थित एवं असंगत रही है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से वे पुरूषों से काफी पीछे हैं। उनके साथ न केवल काम में भेदभाव किया जाता है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। घर में तो उनकी स्थिति और भी खराब है। विविध प्रकार के असामाजिक दुर्व्यवहार भी किये जाते हैं। उनका उपहास करना, सताया जाना, आतंकित किया जाना, कभी-कभी मारा पीटा जाना

* पोस्ट डॉक्टरॉल फैलों, आई.सी.एस.एस.आर. (नई दिल्ली) भारत

तथा यदा कदा जला कर मार दिया जाना स्पष्ट करता है कि वे प्रत्येक भूमिका में हिंसा का शिकार रहती हैं। इस सबके बावजूद आपराधिक हिंसा साहित्य व सामाजिक समस्याओं की विवेचना सम्बन्धी पुस्तकों में हिंसा की शिकार महिलाओं के विषय में कुछ विशेष नहीं लिखा गया है। इसके दो कारण मुख्यत: माने जा सकते हैं। प्रथमत: पुरूष अपने को महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। जिसके कारण महिलाओं के प्रति की गई हिंसा को हिंसा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और दूसरे महिलाएं स्वयं अपने धार्मिक मूल्यों एवं सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्रति की गई हिंसा से इंकार कर देती हैं। हाल ही में महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों को व्यक्तिगत वाद बिन्दु के बजाय जन समस्या ही अधिक माना गया है।

विविध शोध

यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया, डेविस (यूसी डेविस), द्धारा किए गए अध्ययन में महिलाओं और पुरुषों के बारे में क्रमिक विकास से सामने आए सेक्सुअल स्टीरियोटाइप को चुनौती दी गई है। इसके निष्कर्षो से पता चलता है कि बहुविवाह प्रथा महिलाओं के लिए फायदेमंद है।यह एक जाना माना तथ्य है कि कई सारी पत्नियां रखने का पुरुषों को प्रजनन में लाभ होता है। लेकिन महिलाओं को इस बहुविवाह से क्या लाभ होता है, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के कारण पुरुषों के जितना प्रजनन नहीं कर सकती हैं।

मोनिक बोर्जरहोफ (प्रमुख शोधार्थी और एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर) का कहना है, 'हमारा निष्कर्षो (दूसरों के निष्कर्षो के साथ मिलकर) से यह पता चलता है कि बहु–विवाह करना उन महिलाओं के लिए एक बुद्धिमान रणनीति हो सकती है जहां जीवन की आवश्यकताएं कठिन हैं, और जहां चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण पुरुषों का स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक उत्पादकता उनके जीवनकाल में मौलिक रूप से भिन्न हो सकते हैं।'

शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि बहुत सारे पतियों के साथ महिलाएं खुद को आर्थिक और सामाजिक संकट से बचा सकती हैं, और अधिक प्रभावी ढंग से अपने बच्चों को जीवित रख सकती हैं।

प्रोसिडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी बी जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया कि इसके विपरीत, विवाहित वर्षो की संख्या को नियंत्रित करने वाले पुरुषों में, अपने जीवन में उन्होंने जिन महिलाओं से शादी की है, उनसे कम बच्चे (जीवित बचे) पैदा करने की प्रवृत्ति होती है।

बोर्जरहॉप मल्टर ने कहा, 'क्रमिक विकास के जीव विज्ञानी होने के नाते हम फायदों को पैदा किए गए बच्चों में कितने जिन्दा हैं, इस पैमाने से नापते हैं। यह अभी भी ग्रामीण अफ्रीका में एक प्रमुख मुद्दा है।' उन्होंने कहा, 'ग्रामीण अफ्रीका के कई हिस्सों में, महिलाओं के बीच प्रजनन असमानता प्रजनन दमन से नहीं निकलती है, जैसा कि कुछ अन्य अत्यधिक सामाजिक स्तनधारियों में होता है लेकिन संसाधनों तक पहुंच के लिए महिलाओं के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा की अधिक संभावना है।'

मलेशिया में बहुविवाह पर हुआ एक अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पहली पत्नी और बच्चे मर्दों के दूसरे विवाह का जोरदार विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे विवाह के बाद उन्हें पुरुष पर्याप्त समय और धन नहीं देते हैं। मुसलमान–बहुल मलेशिया में बहुविवाह को कानूनी दर्जा मिला हुआ है लेकिन ये एक विषय है जिस पर बहुत बहस होती है। अध्ययन से जुड़े कार्यकर्ताओं का मानना है कि मलेशिया में होने वाली शादियों में से हर वर्ष पांच प्रतिशत शादियां बहुविवाह की श्रेणी में आती हैं। मलेशिया के एक विश्वविद्यालय और गैर–सरकारी संस्था 'सिस्टर्स इन इस्लाम' के अध्ययन से मिली प्रारंभिक जानकारियां नाखुश शादियों की तस्वीर उभारती हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि करीब 70 फीसदी पहली पत्नियां और 90 प्रतिशत बच्चे बहुविवाह का विरोध करते हैं।

हालांकि तकनीकी तौर पर दूसरा विवाह करने से पहले मर्द को पहली पत्नी से इजाजत लेनी होती है, लेकिन कई महिलाओं ने बताया कि उनसे इस बारे में कभी नहीं पूछा गया और वे इस कारण काफी अपमानित महसूस करती हैं। दोबारा शादी करने वाले मर्दों की पहली पत्नियों पर बच्चों के पालन–पोषण का बोझ पड़ जाता है। पति उनका ध्यान नहीं रखते क्योंकि वे दूसरे परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। इस तरह पहली पत्नी को कष्ट झेलने पड़ते हैं।

बहुविवाह प्रथा के हिमायती कहते हैं कि इससे व्यभिचार कम होता है और विधवाओं के विवाह की उम्मीद बढ़ती है। लेकिन अध्ययन के मुताबिक इससे उलट सिर्फ मर्दों को ही फायदा होता दिखता है।

भील जनजाति में बहुविवाह – चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर पंचायत समिति में निवासित भील जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण सामने उभर के आए हैं। पुत्र की चाह में सर्वाधिक बहुविवाह किए जाते हैं जिसमें पहली पत्नी से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली जाती हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति के पहली पत्नी से पुत्र प्राप्त हैं फिर भी दूसरा विवाह किया जाता है जिसमें पिता, भाई और मित्र से व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करने लगता है अथवा उनके दूसरे विवाह करने पर स्वयं भी दूसरे विवाह को अकारण ही अपना लेता है। पहली पत्नी के लिए सबसे अधिक आघात तब होता है जब उसका पति दूसरी पत्नी को सभी अधिकार सौंप देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। कई बार तो पहली पत्नी से अकारण ही झगड़ कर उसकी हत्या कर दी जाती है जिसके कुछ मामले ही दर्ज हो पाते हैं।

स्पष्ट है कि विवाह केवल वैयक्तिक संतुष्टि का साधन मात्र ही नहीं है? वरन् सामजिक क्रिया–विधि भी है जिससे समाज की संरचना को सुदृढ़ता प्राप्त होती है। मजूमदार और मदान के शब्दों में, विवाह से वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति से संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

उपसंहार आज भी गलत परंपराओं, अंधविश्वासों और दूषित मान्यताओं ने भारतीय समाज को जकड़ रखा है। इसी का परिणाम है कि परित्यक्ता स्त्रियों के संबंध में कोई अच्छी धारणा नहीं है। समुदाय परित्यक्ता को हेय दृष्टि से देखा जाता है। माना जाता है कि खोट कहीं न कहीं उन्हीं में होगी। युवा होने पर तो उन्हें और भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें समाज में वांछित सम्मान नहीं मिलता, जबकि एक सच्चाई यह भी है कि अक्सर भूल स्त्री की नहीं होती। स्त्री तो अधिकांशत: विवाह बचाने की कोशिश ही करती है।

यदि विवाह हुए अधिक समय न हुआ हो और कोई संतान भी न हो तो कोशिश होने लगती है कि विधवा या तो मायके चली जाए अथवा अन्य से विवाह कर ले। मन में सोच यह रहती है कि कुछ समय पूर्व ही परिवार में आई स्त्री, यहीं रह गई तो संपत्ति में हिस्से की हकदार हो जाएगी।

कभी बच्चों के कारण, कभी परिवार को टूटने से बचाने के लिए और कभी घर की बात बाहर न जाए, इस खातिर। घर की इज्जत बचाने की

जवाबदारी भी स्त्री के ही खाते में है। दूसरा पुरुष भी उसे संदेह की दृष्टि से देखता है और उसे स्वीकारने से पूर्व दस बार सोचता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चेयमेन जेन रोबर्टस व गेट्स माग्ररेट (संपादित)–द विक्टीमाईजेशन ऑफ वूमनसेज पब्लिकेशन्स, बेवरली हिल्स, 1978
2. आर.जे. जेलीस–इन्टीमेट वाइलेन्स इन फेमिलिजसेज पब्लिकेशन्स, बेवरली हिल्स, 1985
3. क्राइम इन इंडिया 1995–नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो दिल्ली, 1955
4. के.पी.कृष्णा व डी.पी.सिंह–विक्टिमस ऑफ क्राइम इन सोशल चेज सितम्बर 1982 वोल्यूम, 12 नं. 3
5. कुसम चड्ढा–द इंडियन जेल, विकास पब्लिकेशन्स, दिल्ली–1964

****

A Study on Kolkata Retail Sector on Factors Affecting and Influencing Consumer Buying Behaviour

Shri Amrit Banerjee* Dr. Kausik Mukherjee**

Abstract - With growing influence of marketing and advertising coupled with modern organized retail booming, India has witness significant change in last few years and the similar change is expected to be seen over the next years. Increasing availability of easy and convenient payment options, increased disposable income, seasonal and monthly offers by organised retailers are key factors influencing consumers buying behaviour. Additionally, E-retailing has also been observed as a major factor influencing buying behaviour of consumers. The study focuses on identifying and analysing factors that influence the consumers buying behaviour especially in Kolkata's organized retails such as Big Bazaar, Mark & Spencer's, Zara etc. The study also determinesprominence of each factor while buying from these organized retail stores. For the study the data was collected by surveying customers via structured questionnaire. A random sample of 120 people was taken from different age group of people.

Introduction - The retail sector has been segmented into organized and unorganized retail. For the study we are targeting organized retail stores. The organized stores are well planned stores wherein details such as store design, appearance of products, assortment and placement of products as well as brands are done in a particular way, and just not for visual appearance but to manipulate/ influence the buying behavior of the customers. The customers visiting apparel retail store sometimes end up being an impulsive buyer and the above mentioned are the factors influencing it. The organized retail stores sell private label brands and national & international brands. The loyalty of customer is to the brand rather than the store in particular. The retail industry is expected to surpass US$ 1.5 trillion in 2020 and hence it becomes to analyze and understand the important factors that influence a customer's buying behavior. We have also analyzed impulsive buying with respect to age group.

Objective of study :

1. To understand factors influencing the buying behavior at organized retails.
2. To understand whether different age group customers do impulsive buying.
3. To know about it the study was conducted in Kolkatacity.
4. To know about the factors at Big Bazar, Spencer's and Shoppers stop.

Scope of the study - The scope of project is confined to:

1. To measure various parameters influencing the customers buying decision.
2. To measure the responses of respondents between age group of 18 to 45 years.
3. To measure the first preference of retailer to be shopped.
4. Determine the importance of each factor that aids customers in selecting clothing from the mentioned organized retail stores.
5. The study was confined specific to Kolkata region.

Limitations of study :

1. The study was limited to Kolkata region only and no other region.
2. The study was carried out at Big Bazaar, Spencer's, and Shoppers stop.
3. The age group also was specific i.e. 18 to 45 years.
4. The respondent should not have taken part in any market research in past 6 months.
5. The respondents are not ready to give the survey easily, we have to convince them and explain them what is it all about.
6. It was very difficult to find the genuine respondent just because of age constraint, some respondent doesn't want to share their contact detail or address (female respondent in most cases).
7. Some respondent doesn't take part in the survey very seriously which result in inaccurate data.

Research Methodology - "Research Methodology" is a system of models, procedures and techniques used to find the results of a research problem. The current research being an initial research which will analyse the data and explore the possibility of obtaining as many relationships as possible between different variables without knowing their end application.

The market research involves the objective identification, collection of data, analysis, dissemination and use of information for the purpose of decision making and

* Research Scholar (Management Studies) AKS University, Satna (M.P.) INDIA
** HOD (Management Studies) AKS University, Satna (M.P.) INDIA

problem solving.

My Work

Research Process :

1. Field material preparation
2. Field work
3. Scrutiny coding and data entry

The research process has the following steps:

The flow of information takes place in the following manner:

Respondents - They constitute of the people who fall in our target group and who are eligible to give their valuable responses to the questions.

Analysis Team - This team is responsible for scrutinizing the data and then analysing it.

Type of Studies - There are numerous ways in which the studies can be classified for a MR firm. The studies are broadly classified as CAPI and PAPI studies. However,we used PAPI bases market research technique.

CAPI Studies: Computer Aided Personal Interview - It is an interviewing technique in which the respondent or interviewer uses a computer to answer the questions. One more technique similar to CAPI is CATI- Computer aided telephone interviewing, except that the interview takes place in person instead of over the telephone. This method is usually preferred over a telephone interview when the questionnaire is long and complex. It has been classified as a personal interviewing technique because an interviewer is usually present to serve as a host and to guide the respondent. If no interviewer is present, the term Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) may be used.

PAPI Studies: Paper and Pencil Interview - A traditional method used for surveying that involves respondents filling out a physical paper questionnaire that had been administered by an interviewer. **This was the method used for this survey.**

Research Process Stage

Questionnaire stage - Questionnaire is one of the most important tools for collecting data in Quantitative Studies. Research Process Methodology (RPM) Quantitative Team uses questionnaire to carry out following types of studies:

1. CAPI (Computer Aided Personal Interview)
2. CATI (Computer Aided Telephonic Interview)
3. PAPI (Paper and Pencil Interview)

Briefing Stage - The briefing stage involves Briefing to Field Team. The brief is provided through a Field Briefing Note (FBN).

An FBN provided as an aid to collect data. It helps to explain the field team regarding the objective of the study and the process by which the data has to be collected. Moreover, it further explains every question in the questionnaire for easy understanding of the field team. It specifies the data which is required to be captured under each question.

Fieldwork stage - Once RPM is through with the Briefing Stage, the project goes live and Data acquisition task gets started by the Fieldwork Team. Given below is the role of RPM team during this stage:

1. To see if the data collection process is carried out in accordance with the timelines designed.
2. To see if recommended sample size and quota is being covered.
3. To keep the track of fieldwork material being dispatched.
4. To resolve issues which arise during the field work.

Sampling Design

Sampling Method - Judgmental sampling method. It is a non-probability sampling technique wherever the researcher chooses units to be tested grounded on their knowledge and professional judgment. This type of sampling technique is also recognized as purposive sampling. Judgmental sampling design is typically used when a limited number of individuals own the peculiarity of interest. It is the only feasible sampling technique in procurement information from a very specific group of people. It is also possible to use judgmental sampling if researcher knows dependable professional or expert that the reasons is capable of collecting a representative sample

Sampling Frame - Sampling was done keeping in mind the objective of the research as we had to know if the factors influencing consumer buying behaviour and also, he/she aged between 18 years to 45 years.

Sampling Area - The Sampling area for the research was Kolkata.

Sampling Size - Sample size is the number of persons we choose to select. We interviewed a total of 150 respondents of which 120 were chosen as the required sample size for study was 120. The 22 responses were rejected because of non-response to certain questions.

Data Collection - Data collection is the process of gathering and measuring information on targeted variables in an established systematic fashion, which then enables one to answer relevant questions and evaluate outcomes. The data collection component of research is common to all fields of study.

The data collection process followed is as follows:

1. Decide the target industry.
2. Decide the geography for survey.
3. According to judgement and convince find appropriate respondent.
4. Ask for few minutes of his time.
5. Go ahead with the survey.
6. The data was collected using PAPI method.

CHI Square Test

A chi-squared test, also referred to as a test, is any statistical hypothesis test wherein the sampling distribution of the test statistic is a chi-square distribution when the null hypothesis is true. Chi-squared tests are often constructed from a sum of squared errors, or through the sample variance. Test statistics that follow a chi-squared distribution arise from an

assumption of independent normally distributed data, which is valid in many cases due to the central limit theorem. A chi-squared test can be used to attempt rejection of the null hypothesis that the data are independent.

Also considered a chi-square test is a test in which this is asymptotically true, meaning that the sampling distribution (if the null hypothesis is true) can be made to approximate a chi-square distribution as closely as desired by making the sample size large enough. The chi-squared test is used to determine whether there is a significant difference between the expected frequencies and the observed frequencies in one or more categories. Does the number of individuals or objects that fall in each category differ significantly from the number you would expect? Is this difference between the expected and observed due to sampling variation, or is it a real difference?

Results and Analysis - The data was collected using PAPI technique and following interpretations were made. The interpretations were directly from the data and some from our analysis.

Results - Profiles of respondent

Elements	**No. of Respondents**	**% of Sample**
Gender		
Male	53	44.2%
Female	67	55.8%
Age		
18 - 25	25	20.8%
26-32	51	42.5%
33- 45	44	36.7%
Education		
High School	14	11.7%
Graduate	59	49.2%
Post Graduate	36	30.0%
Higher	11	9.2%
Monthly Income		
Less than 20000	61	50.8%
20001-50000	36	30.0%
50001-100000	17	14.2%
Above 100000	6	5.0%
How Frequently do you Shop		
Monthly	79	65.8%
Once Three Months	35	29.2%
Once Six Months	4	3.3%
Once a Year	2	1.7%

Data Analysis

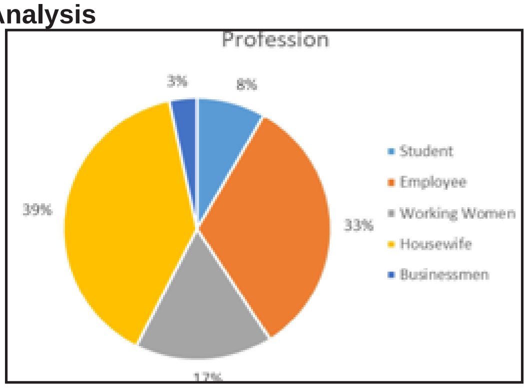

1. What is your Profession?

Interpretation - From the survey it has been observed that the maximum people visiting the apparel retail stores were housewife's, followed by employees. Additionally, only 8% of students prefer going to these apparel stores. The major reason stated by them was increasing influence of e-retail and availability of varied options and offers.

2. What is your Monthly Spend on Shopping?

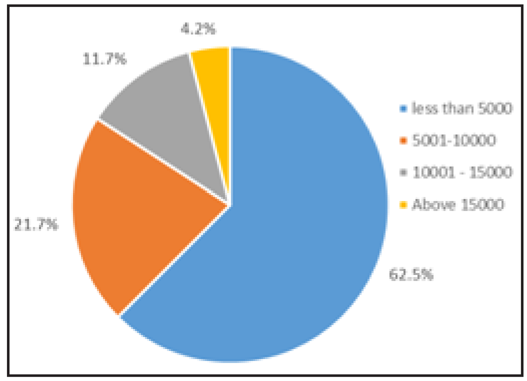

Interpretation - It has been observed that 62.5% people spend less than 5,000 on while shopping from these retailers and only 4.2% of people shop for over 15,000.

3. Where do you shop the most?

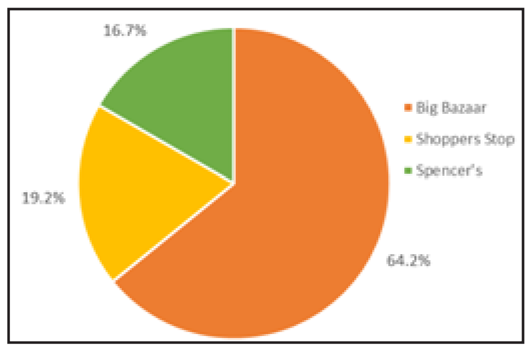

Interpretation - From the survey it was observed that 64.2% people prefer visiting Big Bazaar for their retail shopping. Some of the common statement for preferring Big Bazaar was cost advantage and availability of various brands at the retail outlet.

4. Which is the major factor influencing your visit?

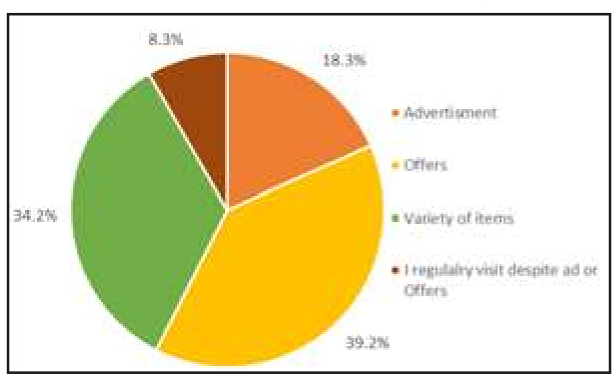

Interpretation - Advertisement, Offers, Variety of Items, and General visit were considered while understanding major factor for visiting these retailers. It was observed that

offers were major factor influencing a person's visit to these retailers. Also, variety of clothing options such as men's clothing, children clothing and female clothing's was another important factor influencing the decision.

5. Buying preference when apparels are offered at Discount?

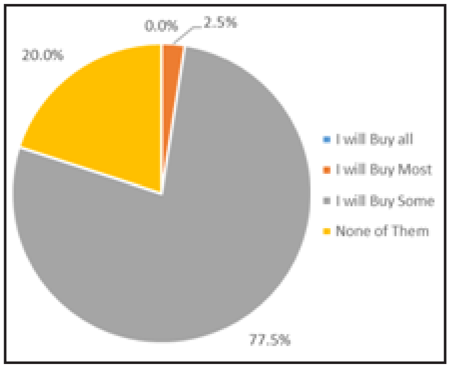

Interpretation - From the survey, it has been observed despite offers and discounts only 77.5% people will buy some cloths offered at discount. Whereas, 2.5% said they will buy most if they were probably going to buy that category of apparel.

6. Does Price of clothing affect your buying decision?

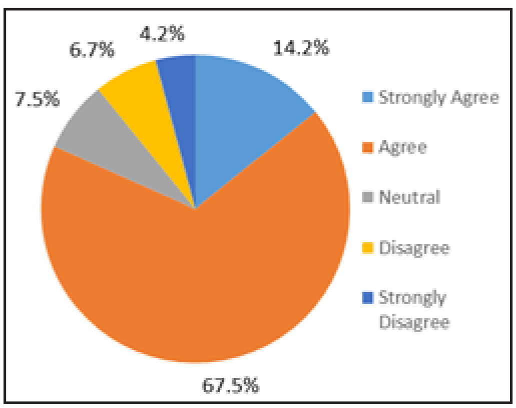

Interpretation - The 120 people were asked, do they agree to the statement that the price plays an important role in buying even after the discount, and it has been observed that 67.5% people agree to the statement.

7. Does store location and ambience play an important role in buying decision?

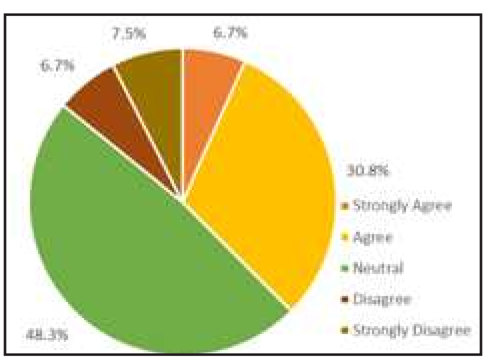

Interpretation - The 120 people were asked, does store location and ambience play an important role in buying decision, and 48.3% people were neutral about the location and ambience of the store. However, 30.8% people said that either the location or ambience of the store will affect their buying decision.

8. Has E-retail has affected their Shopping at these retailers?

Interpretation - This is one of the important parameters, because offers, wide range of products, and door step delivery are factors influencing consumers to shift from traditional retailing to e-retailing. 83.3% people agreed that e-retailing has affected their buying decision.

Hypothesis testing

Objective: To observe whether different age group customers do impulsive buying

Table: Responses w.r.t Age

Age Group	Impulsive buying(F0)	Non-Impulsive buying
18-25	15	10
26-32	19	32
33-45	12	32
Total	**46**	**74**

Hypothesis

Null Hypothesis, H0: all age group are impulsive buyers

Alternate Hypothesis, H1:all age group are not impulsive buyers

Test Selected: Chi Square test

Alpha = 5% = 0.05

Degree of freedom: df = (r-1)x(c-1) = 2x1 = 2

Chi Square Table Value (Tabulated): 5.991

Fe= ((Row total) *(Column total))/Sample size

Calculated = ((Fo- Fe)^2)/Fe

F0= observed responses

Fe= Expected responses

Table: Fo& Fe Calculated

Age Group	**Impulsive buying (Fo)**	**Non-Impulsive buying (Fo)**	**Impulsive buying (Fe)**	**Non-Impul - sive buying (Fe)**	**Total**
18-25	15	10	9.58	15.42	25
26-32	19	32	19.55	31.45	51
33-45	12	32	16.87	27.13	44
Total	46	74			120

Table: Table with Chi-Square Points

Age Group	Impulsive buying	Non-Impulsive buying
18-25	3.06	1.90
26-32	0.02	0.01
33-45	1.40	0.87

Chi Square value= ΣImpulsive buying + ΣNon-impulsive buying

Calculated =7.27

Result - Since calculated value is more than table value, reject null hypothesis & accept alternative hypothesis, hence people of all age group are impulsive buyers.

Discussion - This section contains few other factors that are affecting buying behaviour of the consumer

1. Change in income of Consumers - The working class has witnessed a considerable increase in the average salaries in India which is a major factor propelling development. Additionally, according to the Ministry of Statistics and Programme Implementation, per capita net national income has reached to 92,565 INR from 87, 565 INR. and is expected to increase over the years.Moreover, increased income has led to increase in spending capacity of individuals whether it be on lifestyle, vacation, or shopping. Also, now the families have two working individuals, i.e. both husband and wife both are working leading to increase per family income.

The population of India is maturing, with over 71% of population below age of 40 and majority of it being a youth population. Thus, it is been projected that the youth or the population of age below 25 will have monetary potential over the next years and is expected to open new opportunities for retail cap.

2. Factors responsible for success of retail store - During the survey and research, we found out that few factors that play a key role in influencing the success of the store as well as the buying behaviour of the customer

1. Range of products
2. Brand loyalty
3. Offers and incentives
4. Customer service and sales staff knowledge
5. Pricing of apparels
6. Store location and ambience
7. Billing time
8. Parking facilities
9. Additional services: Food Joints, restaurants, etc.
10. Theater or multiplex

During the survey and analysis, it was observed and seen that brand loyalty and income of a person played an important role for an individual to visit a particular apparel store. In addition, to it individuals are looking for wide range of products, brands and offers under one roof. For instance, if a store is offering clothing for men, women, and children at discounted prices the chances of an indusial visiting and buying from a particular store are high, but it is not entirely depended on the above-mentioned factor. These were key factors for success of a store.

Additionally, we identified few other factors which also influenced customers to a certain extent. Billing time, availability of food joints and presence of multiplex in same area further boosted the visit but these factors did not influence the buying behaviour of the customer.

3. Influence of E-retail - Digitalization has disrupted every industry and retail is no exception. In fact, retail sector is the most that is being disrupted owing to rising growth in ecommerce and new start-ups coming in this field. Availability of wide range of products including various brands, colours, patterns, sizes, and gender under one roof or under one service has been observed as an important factor for shift from traditional shopping to digital shopping. Additionally, the organized retail stores have seasonal or festive offers, however e-retail websites have offers through out the year apart from their seasonal, festive, or flash sales. This is another factor that has shifted focus of consumers from the traditional shopping method, which has been observed to be a major factor influencing the in-store buying behaviour of the consumers.

Conclusion - The study was conducted at Big Bazaar, Shoppers Stop, and Spencer's in the Kolkata city and 120 people were surveyed at different stores to understand the factor influencing the buying behaviour of the consumers. After the data collection and analysis, it was observed that offers and variety of products played an important role in influencing the buying behaviour of the consumers. Also, easy and convenient payment options and increased disposable income were other factors influencing the buying behaviour. However, e-retail and digitalization has also been another key factor.

References :-

1. http://statisticstimes.com/economy/gdp-capita-of-india.php
2. http://www.economicsdiscussion.net/consumer-behaviour-2/factors-influencing-consumer-behaviour-top-9-factors-with-examples/31457
3. https://www.ijaiem.org/Volume5Issue12/IJAIEM-2016-12-29-20.pdf
4. http://cbsmohali.org/img/journal_3-16-21.pdf
5. http://www.elkjournals.com/microadmin/UploadFolder/6396A%20STUDY%20ON%20ANALYSIS%20OF%20FACTORS%20AFFECTING%20CONSUMER%20BUYING%20BEHAVIOUR%20IN%20ORGANIZED%20RETAIL%20SECTOR.pdf
6. http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue10/PartB/2-9-151-281.pdf
7. http://www.ijemr.net/DOC/AReviewOfFactorsAffectingConsumerBehaviorTowardsOnlineShopping.pdf
8. https://www.ijbmi.org/papers/Vol(2)12/Version-2/A02120201011.pdf
9. https://www.slideshare.net/PranMahato/final-report-on-consumer-buying-behavior-and-factors-affecting-their-buying-behavior
10. https://www.researchgate.net/publication/316429866_Factors_affecting_consumer_buying_behavior
11. http://ce.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/

246
12. http://gjestenv.com/gjesh/Current_Issue/vol_2/17-1201.pdf
13. http://researchersworld.com/ijms/vol5/issue3_5/Paper_15.pdf
14. https://isngs.com/factors-influence-buying-decision/
15. https://www.mdpi.com/2076-0760/7/9/153/pdf
16. http://researchersworld.com/ijms/vol5/issue3_5/Paper_15.pdf
17. www.indiaretailing.com
18. www.indianmba.com
19. www.deloitte.com
20. www.retailindustry.about.com
21. Hawkins, D.I.R.J. Best and K AConey (2002), “Consumer Behaviour: Building Marketing Strategy” Tata McGraw Hill.
22. Charles Dennis, “Objects of Desire: Consumer Behaviour in Shopping Centre choices”, Palgrave Macmillan, Chapter 3 Why Do People Shop Where They Do? The Attributes of Shopping Centres that Determine Where Consumers Choose to Shop, pp. 41-60, 2005.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Role and Impact of E-Commerce in Business and Trades

Dr. Monika Bapat *

Abstract - E-marketing means using digital technologies to help sell your goods or services. These technologies are a valuable complement to traditional marketing methods whatever the size of your company or your business model. The basics of marketing remain the same- creating a strategy to deliver the right messages to the right people. What has changed is the number of options you have. Though business will continue to make use of traditional marketing methods, such as advertising, direct main and PR, e-marketing adds a whole new element to the marketing mix. Many businesses are producing great results with e-marketing and its flexible and cost- effective nature makes it particularly suitable for small business. This paper discusses the electronic environment on marketing process and utilization of various tools and techniques is presented and analyzed focused on challenges emerging in the new reality.

Introduction - E-commerce is anything that involves an online transaction. This can range from ordering online, through online delivery of paid content, to financial transactions such as movement of money between bank accounts. The e-business is one of the biggest things that have taken the Indian business by storm. It is creating an entire new economy, which has a huge potential and is fundamentally changing the way businesses are done. It has advantages for both buyers as well as sellers and this win-win situation is at the core of its phenomenal rise.

Rising incomes and a greater variety of goods and services that can be bought over the internet is making buying online more attractive and convenient for consumers all over the country.The effects of e-commerce are already appearing in all areas of business, from customer service to new product design. It facilitates new types of information-based business processes for reaching and interacting with customers like online advertising and marketing, online order taking and online customer service etc. It can also reduce cost in managing orders and interacting with a wide range of suppliers and trading partners, areas that typically add significant overheads to the cost of products and services. Businesses are increasingly using the Internet for commercial activities.

Electronic Business (e-commerce) as part of the information technology revolution became widely used in the world trade in general and Indian economy in particular. As a symbol of globalization, e-business represents the cutting edge of success in this digital age and it has changed and is still changing the way business is conducted around the world. The commercialization of the Internet has driven electronic commerce to become one of the most capable channels for inter-organizational business processes. E-marketing means using digital technologies to help sell your goods or services. These technologies are a valuable complement to traditional marketing, methods whatever the size of your Company or your business model.

The basis of marketing remains the same – creating a strategy to deliver the right messages to the right people. What has changed is the number of options you have. Though business will continue to make use of traditional marketing methods, such as advertising, direct mail and PR, e-marketing adds a whole new element to the marketing mix. Many businesses are producing great results with e-marketing and its flexible and cost-effective nature makes it particularly suitable for small business. E-marketing objectives define what you want to achieve through your e-marketing campaign. They set the reasons why your business wants to go online and allow you to estimate and monitor the progress of your online marketing activities. They also provide an incentive to focus on critical areas and formulate strategies to help achieve intended objectives.

Advantages of E-Commerce to Businesses in India: There is a rising awareness among the businesses in India about the opportunities offered by e-commerce. Ease of Internet access is the critical factor that will result in rapid adoption of Net commerce. Safe and secure payment modes are fundamental along with the need to invent and popularize innovations such as Mobile Commerce. E-commerce provides a new place for connecting with consumers and conducting transactions. Virtual stores operate 24 hours a day, 7 days a week. Many virtual retailers represent a single company while others, such as Top Online Shopping (toponlineshopping.com), represent an association of companies.

Types of E-Commerce : Waghmare G.T. (2012) has defined the following types of e-commerce:

(i) B2B E-Commerce: Companies doing business with each other such as manufacturers selling to distributors and wholesalers selling to retailers. Pricing is

*Asst. Professor, M.K.H.S. Gujrati Girls College, Indore (M.P.) INDIA

based on quantity of order and is often negotiable.

(ii) B2C E-Commerce: Businesses selling to the general public typically through catalogs utilizing shopping cart software. By dollar volume, B2B takes the prize, however B2C is really what the average Joe has in mind with regards to ecommerce as a whole. for example, indiatimes.com.

(iii) C2C E-Commerce: There are many sites offering free classifieds, auctions, and forums where individuals can buy and sell thanks to online payment systems like PayPal where people can send and receive money online with ease. eBay's auction service is a great example of where customer-to customer transactions take place every day.

(iv) Others: G2G (Government-to-Government), G2E (Government-to-Employee), G2B (Government-to-Business), B2G (Business-to-Government).

Top Motivators for Shopping Online: Times of India (February12, 2013) has published that top motivator for shopping online which include cash back guarantee, cash on delivery, fast delivery, substantial discounts compared to retail, and access to branded products, while barriers include inability to touch and try products before purchase, fear of faulty products, apprehension of posting personal and financial details online and inability to bargain.

Challenge –

1) How to Promote a Small Business on a Limited Budget? - Promoting a small business that has a limited budget is always a challenge. Google's search algorithm is a little biased towards brands although the search engine denies these claims. If you are to promote a small business then focus on the below solutions to get the spark needed without having to spend too much. Small business often wants to succeed locally and segmentation is one of the key strategies to look into. Try segmenting your audience and focus on increasing local citations and back links. The below pointers might help:

1. Find out the key influencers and connect with them on Twitter and Face book. Inform them about the products and services of your client and wait for free mentions and even back links.
2. Claim the business on local listing sites like Google My Business, Yahoo Small Business, Bing places for Business, Yellow Pages, Yelp, Face book, Four Square and LinkedIn, etc. If possible, claim top citations by category and on the basis of city.
3. Make use of social sites like Pinterest, Face book, Twitter, LinkedIn, etc. and target your desired audience. Getting organic social leads is not easy but proper segmentation and a little creativity will do the trick for you.

2) Challenge – How to Use Influencer Marketing as the Ultimate Strategy for Branding?

1. Create a buyer persona and identify key influencers using platforms like BuzSumo or Traackr.
2. Use Google Alerts to get real time updates on content focused around your main keywords. You can easily find people who are talking about a particular topic on a regular basis using this free tool.

3) Challenge – How to Increase Conversions and Decrease Expenses?

1. Analyze the top conversion channels and invest heavily on them.
2. Exclude brand related terms from PPC campaigns where organic listing can be easily achieved.
3. Adopt low-cost marketing strategies smartly like email marketing and SMS marketing.

4) Challenge – How to Measure Online Success?

As per Julian Saunders, CEO, High Impact SEO, "Measuring online success has always been a difficult task. One of the essentials still remains segmenting your audience and demographics and determining the key channels driving conversions."

Conclusion: In conclusion, this essay has clearly shown that e-marketing impacts upon businesses in a number of important ways. When used effectively, e-marketing campaigns and strategies have the potential to reach customers in a speedy and low-cost manner and can provide promotions for a wide range of products and services. E-marketing also offers businesses the opportunity to garner data about their consumer base to an extent that has hitherto been very difficult to achieve via traditional marketing methods. The development of e-marketing and social media advertising has led to examples of businesses in recent years that appear to little more than categories and filter information relating to products and services on the Internet, taking a small cut from any transaction that may occur as a result. However, despite the global reach, speed and the extent of information that can be gained from e-marketing there are a number of important disadvantages to this type of marketing that businesses must bear in mind. The technology driven approach of e-marketing leaves certain businesses vulnerable and overly-dependent upon technology. It also empowers dissatisfied consumers to a far greater extent than ever before and a lead to bad reviews that have the potential to greatly destabilize certain e-marketing campaigns and operations. However, despite these problems it is reasonable to conclude that e-marketing is on the should a positive development for businesses and that despite certain dangers its impact upon businesses has been largely positive.

References:-

1. http://taheeral.typepad.com/blog/2010/03/-describe-the-opportunities-offered-to-businesses-using-internet-marketing-in-relation-to-business-e.html.
2. http://gatton.uky.edu/faculty/sudharshan/publications/InternetMarketing Research.pdf
3. http://www.bournemouth.co.uk/business/become-a-partner/e-marketing-opportunities.

****

युगीन कहानियों की समसामयिकता (साठोत्तर दशक)

डॉ. विजयलक्ष्मी पोद्दार *

प्रस्तावना – साहित्य स्वभावत: युग सापेक्ष होता है। साहित्य को जब समाज का दर्पण कहा जाता है तब भी आशय यह ही होता है कि साहित्य में जो प्रतिबिंब मिलते हैं, वे समाज से ही आते हैं। साठोत्तरी कहानी को अपनी पृष्ठभूमि में जो समाज मिला, और जैसा समाज मिला, वह रचनात्मक स्तर पर भी व्यक्त हुआ। साठोत्तरी कहानी की पृष्ठभूमि का भारतीय समाज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का वह समाज है, जो स्वतंत्रता पश्चात् नए–नए सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। स्वतंत्रता से की गई आशाएँ पूर्ण न होने पर, देश ने स्वयं को राजनीति से ठगा हुआ अनुभव करना शुरू किया और उसका यह मोहभंग साठोत्तरी कहानी की प्रमुख पीठिका बना।

स्वतंत्र देश की राजनीति के प्रभाव बहुआयामी होते हैं, चूंकि स्वतंत्र देश की राजनीति का निर्माता देशवासी ही होता है अत: उसकी राजनीति के कारण उपजी अथवा परिवर्तित हुई, तमाम स्थितियों के लिए वही जिम्मेदार कहा जाता है पर इस देश में प्रारंभ से ही सत्ता कुछ खास वर्गों द्वारा इस तरह अपहरत रही कि देश के आम नागरिक की पहुँच से हमेशा दूर ही बनी रही। यह स्थिति आज तक बनी हुई है। चुनाव लड़ने वाले और वोट देने वाले जो दो वर्ग आज साफ–साफ दिखाई देते हैं, उनके वर्गीकरण की शुरूवात जहाँ हो रही थी, वहीं साठोत्तरी कहानी की पृष्ठभूमि बन रही थी। राजनीति ही नहीं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी मोर्चे पर विवादास्पद बदलाव लेखकों ने देखे और अनुभव किए।

स्वतंत्रता प्राप्ति भारतीय जीवन की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है, जिसने राजनैतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण मोड़ लिया, नयी परिस्थितियों एवम् नई समस्याओं के द्वन्द्व को जन्म दिया। साथ ही उसने परिवर्तनों को भी उजागर किया। सन् साठ के आते–आते सामाजिक तंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उसका प्रभाव समूचे परिवेश पर पड़ने लगा। तंत्र के नएपन को जहाँ कहानी में झेलने सहने के बात थी, वहीं इसका विरोध भी था। साठोत्तरी कहानी स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से साफ–साफ टकराती नजर आती है। कहानियों में जितना यथार्थ आधारित अरोमानी चित्रण प्रस्तुत किया गया, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। इस समय की युगीन रिस्थतियों में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों का संकट दृष्टिगोचर होता है। यह संकट केवल भारत तक ही सीमित न रहकर विश्व संकट के रूप में उभरकर सामने आया था। मानवीय मूल्यों का ह्रास तीव्रगामी भौतिक विकास और सांस्कृति आध्यात्मिक उन्नति के बीच ठीक से तालमेल न बैठ पाने के कारण यह मूल्यों का संकट उपस्थित हुआ था। इस समय कहानियों में मानवीय संबंधों में एक विशिष्ट बदलाव दिखाई दिया। उसमें लेखक भी एक ओर निम्न मध्यमवर्गीय समाज में आर्थिक स्तर पर हो रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि को उभारा, दूसरी ओर शिक्षित आधुनिक नारी की स्थिति एवं उसके बदलते संसार को उभारा।

साहित्यकार का मानस पटल सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील होता है। वह जीवन की क्रूरताओं छल–छद्मों और विकृतियों को अधिक तीव्रता के साथ अनुभव करता है। राजनीति के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था जुडी है। अर्थव्यवस्था के स्वरूप हमेशा राजनैतिक उथल–पुथल के कारण बनता बिगड़ता रहता है। अर्थ पर आधारित युग में मनुष्य भी व्यक्तिगत संबंधों को इन्हीं के आधार पर बनाता बिगाड़ता है। ऐसी स्थिति में साहित्य को नये रूप में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता को महसूस किया गया, और यही कारण है, कि अपनी संपूर्ण यथार्थ का परिचय चाहे वह कोई भी परिस्थितियाँ रही हों साहित्य ने पूर्ण रूप से दिया। सन् साठ के बाद की समस्त विश्व की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ अनेकानेक परिवर्तनों से भरी हुई है। समाज में इस परिवर्तन का असर सभी स्थितियों पर समान रूप से पड़ता है। इस समय नए मूल्यों की स्थापना नहीं हो पाई थी, इसलिए चारों ओर एक खालीपन महसूस होता था। देश में चारों ओर सत्ता केन्द्रित राजनीतिज्ञों द्वारा पूँजीवादी विष घोला जा रहा था। ऐसे समय में सारा वातावरण कुंद होता नजर आया। साथ ही निराशा, कुंठा, वेदना व टूटन के वातावरण का निर्माण हुआ।

सन् साठ के बाद की युगीन स्थितियों के संबंध में हम कह सकते हैं कि इस युग में सामाजिक परिस्थितियाँ अपने विशाल रूप में देखी गई। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी समस्याएँ सामाजिकता के साथ जुड़ी नजर आई। इन सभी में राजनैतिक और आर्थिक स्थिति का पक्ष सबसे अधिक समाज में उभरकर आया। इन्हीं को केन्द्र बिन्दु बनाकर रचनाकारों द्वारा साहित्य की रचना की गई अर्थात् कहा जा सकता है कि इस समय राजनैतिक और आर्थिक रिथितियों का स्वर बुलंद रहा साहित्य में चिंतन के माध्यम से राजनीति और अर्थनीति के प्रभावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमने स्वाधीनता तथा लोकतंत्र की स्वस्थ प्रणाली को तो आत्मसात किया,साथ ही समय के व्यतीत होते सन् साठ तक आते–आते उसमें भ्रष्टता, स्वार्थ परकता को भी प्रश्रय मिल गया। अत: सन् साठ के बाद की परिस्थितियाँ राजनीतिक उथल–पुथल की थी, जिससे आम आदमी असंतुष्ट था। जिसके विभिन्न चित्रित रूप हमें इस दशक की कहानियों में देखने को मिलते हैं। इस समय की राजनीति जनता के सुख–दुख से उदासीन थी और यही कारण है कि बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इसका संवेदनात्मक विरोध किया गया।

देश को सुचारू रूप से चलाने तथा राज्य और सरकारी व्यवस्था का

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) एम.के.एच.एस. गुजराती गर्ल्स कॉलेज, इन्दौर (म.प्र.) भारत

संचालन करने वाली सरकार की व्यवस्था मनुष्य ने अपने सुख-सुविधा के लिए की है। सरकारी योजनाएँ देश के सुधार के लिये है, किन्तु हर तरफ भाई भतीजावाद का बोलबाला है। नेताओं और अफसरों के संबंधियों को उच्चपद प्राप्त हों, तो सामान्य जनता और सरकार के बीच तनाव उपस्थित होना स्वाभाविक है। सन् साठ के बाद की स्थितियों एवं परिवेश को देखते हुए यही सब तनाव समाज में उभरकर आये, तथा इन्हीं बिन्दुओं को लेखक द्वारा कहानियों में अपने साहित्य की धूरी बनाया गया। साहित्य और समाज से बहुत दूर थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तित होती नजर आती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा, जिससे राजनीति का सरोकार न हो। उस समय तक अनेक मूल्य उभरकर आये, जिसका परिणाम पुराने मूल्यों का ढहना, नये मूल्यों की खनक, सत्ता के लिये की जा रही सौदेबाजीयाँ, अलगाव, आदमी से आदमी के बीच बढ़ती जाने वाली खाई और आर्थिक तंगी के कारण उठते सवाल साठोत्तरी कहानी के कथ्य बने। स्वतंत्रता के पश्चात् के राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की युगीन परिस्थितियों को साठोत्तरी कहानी में प्रस्तुत किया गया है। गोविन्द मिश्र ने राजनैतिक स्थतियों के संबंध में 'साहित्य का संदर्भ' में लिखा है - 'युगीन कहानियों में राजनीति का प्रभाव मुख्य रूप से उन युवा लेखकों की कहानियों पर पड़ा, जिनका जन्म स्वतंत्रता के आसपास हुआ और जवान होने के पश्चात् जिन्हें अपने सपने देखने के बजाए कटु सत्यों का सामना करना पड़ा। जो उसके सामने यथार्थ रूप में उपस्थित थे, इस समय तक अस्वीकार की आवाज लगभग हर कहानी में थी।'

साठोत्तरी कहानियों का कथ्य मूलरूप से उन बिन्दुओं को दर्शाता है, जिनमें युगीन स्थितियों के राजनैतिक सामाजिक रूप स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। मोहन राकेश की कहानी 'खंडहर' में तंत्र के खिलाफ तथा काशीनाथ सिंह की कहानी 'लोग बिस्तारों पर' में आदमी का तंत्र के सामने बौना रूप अभिव्यक्त किया गया है । गिरीराज किशोर की 'शहर दर शहर' ज्ञान रंजन की 'काला रजिस्टर', 'घंटा' कहानियाँ, 'महेन्द्र भल्ला की कूत्तो गिरि', गोविन्द मिश्र की 'जिहाद', अमरकांत की 'बस्ती' आदि सभी कहानियाँ तंत्र के प्रति उदासीन थके हुए पस्त व्यक्ति की है। लाल फीता शाही के इस भ्रष्ट तंत्र का जो हिस्सा नहीं बन सकता, वह संवेदनशील आदमी अपमान, उपेक्षा और दम घुटने की पीड़ा से गुजरता है।

बेरहम प्रशासनिक स्थितियाँ आम आदमी के लिये यातनागृह बन चुकी थी। आधुनिक जीवन का यह घिनौना यथार्थ गिरिराज किशोर की कहानियां में प्रभावी रूप से व्यंजित हुआ है। इनकी कहानी 'बाहर एक सुहानापन था' में भ्रष्ट मूल्यहीन दफ्तरशाही का शिकार बने संवेदनशील आदमी की कहानी है। दफ्तरशाही की परिधि, में अटकी छटपटाते व्यक्ति को अनसुना कर देने वाली व्यथा को व्यक्त किया गया। कहानी का नायक चरणदास जीवन भर एक ही जगह पर बिना किसी तरक्की के कार्यरत है।

सन् साठ तक आते-आते स्वतंत्रता के साथ संजोए गए सपने हवा हो चुके थे। चीनी आक्रमण और बढ़ती हुई बेरोजगारी ने योजनाओं की नींव को चरमरा दिया था। नेतागिरी एक धन्धा बन चुकी थी। इस समय तक सारे वातवरण में एक प्रकार से तेजी आ रही थी। आर्थिक निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ती जा रही थी जिन पर देश का अस्तित्व टिका था। इसके अतिरिक्त मानसिक स्तर पर ऐसी हलचल पैदा हुई, जिसमें अस्तित्व की सुरक्षा की विचारधारा युवा मस्तिष्क पर हावी थी। रविन्द्र कालिया की 'गरीबी हटाओ' काशीनाथ सिंह की 'माननीय होम मिनिस्टर के नाम' गिरीराज किशोर की 'मंत्रीपद', 'ततैया' गोविन्द मिश्र की 'अपाहिज' मणि मधुकर की 'एकबचन बहवचन', 'विस्फोट' जैसी कहानियों में लेखक अपने अकेलेपन से बाहर आकर तंत्र से जूझते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि राजनैतिक क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार ने प्रजातंत्र से जनता के आस्था समाप्त कर दी। इसी तरह भीष्म साहनी की कहानी 'चीफ की दावत' में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का चित्रण प्रभावशाली ढंग से हुआ है। इस समय समसामयिक राजनीति की विद्रूपताओं एवम् विडम्बनाओं पर भी अनेक कहानियाँ लिखी गई। मोहन राकेश की 'मलबे का मालिक', नरेश मेहता की 'वह मर्द थी' आदि कहानियां भी राजनीतिक तिकड़मबाजी हथकण्डे कूटनीति नेताओं की अवसरवादिता आदि को विश्लेषित करती है। जो आज समसामयिक कही जा सकती है।

वर्तमान समय में देखा जाय तो हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था या संपूर्ण समाज को एक कीड़ा सा लग गया है। उस दीमक रूपी कीड़े का नाम है, भ्रष्टाचार। जो हमारी संवेदनाओं एवम् नैतिकता को पूरी तरह चाट गया है। इस यथार्थ का प्रस्तुतीकरण मोहन राकेश की 'खंडहर' 'परमात्मा का कुत्ता', रविन्द्र कालिया की 'काला रजिस्टर', विजय चौहान की 'चौनल', मन्नु भंडारी की 'इनकमटैक्स' आदि कहानियों के माध्यम से किया गया है। मोहन राकेश की 'खंडहर' कहानी में जीवन के वैषम्य और विकृतियों पर प्रकाश डाला गया। एक ओर दिनभर मजदूरी करने वाले मजदूर से किसी को सहानुभूति नहीं है, तो दूसरी ओर सड़क पर बैठने वाले सांड को प्रणाम करने वाले, भकत भी है। यह कहानी मंदिर के पुजारियों की भ्रष्टता, कामुकता व पाखंड का दिग्दर्शन करवाती है। भीष्म साहनी की कहानी 'मौका परस्त' वर्तमान राजनीति पर एक करारा व्यंग्य करती है। जिसमें मृत व्यक्ति से भी राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। मोहन राकेश की कहानी 'परमात्मा का कुत्ता' तो सीधे आज की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की जड़ता एवं भ्रष्टता पर व्यंग्य करती है। वर्षो तक दफ्तरों में फाइल दबी रहती है, जिसमें गरीब व्यक्तियों का हक बंद रहता है। फाइल उनकी आगे बढ़ती है, जो रिश्वत देना जानते हैं, या फिर काम उनके होते हैं, जो संपूर्ण मर्यादाओं को त्यागकर मरने मारने पर उतारू हो, भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे सके। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे पहलू हैं, जो हमारे राजनैतिक जीवन से जुड़े हैं। जिन्हें कहानिकारों द्वारा अपनी लेखनी के माध्यम से जनता से रूबरू करवाया गया, ताकि उनकी असलियत का पर्दाफाश कर यथार्थ को सामने लाया जा सके। हृदयेश की कहानियों में नौकरशाही तंत्र और दफ्तरों की स्थिति को 'एक मरी हुई चिड़िया', 'सफेद झूठ', 'सभाएँ', 'सत्यवादी हरीषचन्द्र' आदि कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। विष्णुप्रभाकर की कहानी 'धरती अब भी घूम रही है' में देश के भ्रष्टाचार और उसकी खरीदी न्याय व्यवस्था पर करारा तमाचा लगाया गया है।

सातवें दशक की कहानियों में मानवीय अस्तित्व की यातना का एक महत्वपूर्ण संदर्भ राजनीति है। यह बात अलग है कि यहाँ पर कहानियों की अभिव्यक्ति राजनीतिक बोध और व्यवस्था विरोध की होकर भी नितांत ही निजी तात्कालीक और भावनात्मक है। यहाँ इनका विरोध भावनात्मक व मानसिक विहलता का परिचायक मात्र नहीं है। आज जिस परिवेश में हम सांस ले रहे है, वह परिवेश पूर्णत: राजनीति के भीमकाय पैरोतले रौंदा जा रहा है द्य आज राजनीति ने आदमी को चेतना विहीन कर दिया है। राजनीति का स्पर्श होने से सभी ओर भ्रष्टाचार का हल्ला मचा हुआ है। यही नहीं आज समाज के प्रत्येक पहलू को भ्रष्टाचार ने ग्रस लिया है। इन्हीं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की विद्रूपताओं को सन् साठ के बाद की कहानियों में देखा जा सकता है। गिरीराज किशोर की कहानी 'पेपरवेट', 'अलग-अलग कद के दो आदमी' आदि अनेक ऐसी कहानियाँ व्यवस्था का विरोध करती है।

'पेपरवेट' कहानी में राजनीति दुष्चक्र में फंसे आदमी की घुटन और उसके तिल-तिल कर टूटने की त्रासदी है। इस तरह राजनीति का प्रभाव समाज पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जिन्दगी के हर क्षेत्र में घुसी राजनीति भ्रष्ट्राचार का अव बन गई थी। तब साठोत्तरी कहानियों में राजनैतिक पैंतरेबाजी से प्रभावित व उपजी संवेदनाओं को प्रस्तुत किया गया है।

आज राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों ने आदमी के कार्यकलापों को इस तरह बुन दिया है, जिससे वह पाखंड युक्त होकर अपना अभीष्ट खो चुका है। किन्तु साहित्य के लेखकों ने इन्हीं सब स्थितियों को समाज, राजनीति एवं व्यवस्था के समानान्तर लाकर उपस्थित किया है, जिसके कारण इनके मायावी चित्र प्रत्यक्ष हो सके हैं। प्रहलाद अग्रवाल के अनुसार – 'आज की कहानी में सिद्धांतवादिता और ईमानदारी आदर्श के रूप में ग्रहण की जा सकती है। उनका ढिंढोरा भी पीटा जा सकता है, किन्तु व्यवहारिक स्तर पर उन आदर्शों को लिया नहीं जा सकता। आदर्श यथार्थ से लिपटकर परिवेश के यथार्थ से चौखटों में फिट नहीं हो सकते।' अतः साठोत्तरी कहानियों में भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था तथा हथकण्डो की यथार्थ अभिव्यक्ति की गई है। मेरे शोधपत्र का अभिष्ट भी कहानियों के माध्यम से उन स्थितियों-परिस्थितियों की पड़ताल करना रहा जिनसे आम आदमी और उससे जुड़े संबंध और संवेदनाएँ प्रभावित हुई जो आज भी समाज में समसामायिक प्रभाव छोड़ रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Capital Punishment in India

Krishanu Ghosh* Dr. B.K. Yadav**

Introduction - Capital Punishment is also known as a death penalty, execution of an offender sentenced to death after conviction of a criminal offence by a court of law. Indian Criminal justice system is one of the important parts of capital punishment. In India, the motive behind giving the punishment is based on two aspects, the first one is that the wrongdoer should have to suffer and the other is to discourage others from doing wrong by imposing punishment on wrongdoers. Amongst the different kinds of punishment for a crime in India, this article focuses on Capital Punishment which is also known as the death Penalty which is awarded by the court in the rarest of the rare cases.

The scope and validity of capital punishment shall be in the context of the Indian Judiciary. Firstly, we should look at the advent of death as a punishment for brutal crimes and this shall be followed by a brief of some of the most famous cases related to Capital Punishment decided by the Indian Courts. The main aim of this article is to give the reader a clear understanding of the condition and view of the Indian Courts in regard to the awarding of Capital Punishment.

Death Penalty or Capital Punishment has always been a point of contradiction not only in the Indian Judiciary but also in most developed countries. The state's authority is both questioned and established after the execution of Capital Punishment. India has made its stance clear on this matter in December 2007 and despite its stance, the Judiciary spares it for extraordinary infringement of the law. In the previous 10 years, the Indian Judiciary has condemned 1,303 individuals to death yet just 4 have been hung till death in this whole decade.

There are many human rights movements in India according to which capital punishment is immoral because it affects one person's right. The Indian Criminal jurisprudence is based on the combination of two theories: one is the Reformative theory, according to which crime seems like a disease. This theory believes that "You cannot cure by killing". The main aim of this theory is to bring a change in the personality and character of the offender, to make him a useful member of society. The other theory which is followed is Preventive Theory, which says 'Prevention is better than cure'. It's better to take prevention before the commitment of a crime. This theory aims at preventing crime by disabling crime by imposing the death penalty on the criminal, or by confining him in prison or by suspending his driving license as the case may be.

The Indian Constitution likewise offered forces to the President and representative to suspend or exculpate capital punishment. In India, the death penalty is granted for the most genuine and horrifying offenses. The death penalty is given for murder, theft with murder, taking up arms against the administration and so forth. This punishment is given when the court arrives at an end that life detainment is lacking, in view of the circumstances of the case.

BACKGROUND: Chronicled records demonstrate that even the most antiquated crude clan's used strategies for rebuffing transgressors, including ending their lives, to pay for the violations they had submitted. Murder regularly warrants this extreme type of punishment. 'A life for an actual existence' has been one of the most essential ideas for managing wrongdoing since the beginning of written history.

The death penalty turns into a typical reaction to an assortment of wrongdoings, including rape and different military offenses as the inborn social orders formed into social classes and mankind made its own self-administered republics. Composed guidelines were caused among the general population to tell them about the punishment to be looked at by them on the off chance that they would partake in any of those wrongdoings.

One of the soonest composed archives that bolstered the death penalty was the Code of Hammurabi, which was composed on the stone tables around 1760 BC. It contained 282 laws that were gathered by the Babylonian King Hammurabi, including the hypothesis of "tit for tat." Several other old reports bolstered the death penalty including the Christian Old Testament, the Jewish Torah and the works of the Draco, an Athenian official, who proposed giving capital punishment to an enormous assortment of wrongdoings in antiquated Greece.

Early structures for giving capital punishment were intended to be moderate, agonizing and unbearable, for example, being scorched and squashed by an elephant and so forth. Later social orders found that these techniques

*Research Scholar, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana) INDIA
** Research Guide & Dean, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana) INDIA

are extremely merciless and are of strange structure. During the eighteenth and the nineteenth Centuries, legitimate bodies found quicker and less excruciating ways to deal with the death penalty incorporating hanging and executing with the guillotine.

Capital punishment has become more controversial as time passes. The general populations, who restrict this training, announce it to be heartless and out of line. They accept that no life ought to be taken, paying little respect to the wrongdoing that has been committed. DNA testing has demonstrated that the blamelessness of a few people waiting for capital punishment and the contention that nobody ought to be executed to abstain from murdering a guiltless individual has developed accordingly.

PROVISON OF PUNISHMENT: Chapter III of the Indian Penal Code, 1860 (Sections 53 – 75) has set out the general arrangements identifying with the death penalty. The Code has accommodated a reviewed arrangement of punishment to suit the various classes of wrongdoing relying on the gravity of the offense.

Section 53 accommodates six kinds of punishment that can be given to each convict. These are:

The punishments to which the guilty parties are at risk under the arrangements of this code are death, life imprisonment, detainment (rigorous with hard work and simple), forfeiture of property and a fine.

Amongst these punishments, as provided under the Indian Penal Code, the death penalty or capital is the most brutal form of punishment to be given to any person in the society.

The term 'Capital Punishment' is derived from the Latin word 'Capitalis' means 'regarding the head'. Capital Punishment is given to a person when he commits the most grievous crimes against humanity. It is a process that includes the death of a person for his criminal offence, given by a court of law. Capital Punishment varies from place to place, state to state and country to country.

It is a legal process whereby a person is put to death by the state as a punishment for brutal crimes. The Judicial decree is that someone is punished in this manner is a death sentence, while the actual process of killing the guilty is an execution. There has been a global trend towards the abolition of capital punishment but in India, there is no such position that was adopted. The obvious element of irreversibility makes this form of punishment different from all others. A guilty once executed for death can never be brought back to life. So if an error occurs while deciding a matter, it cannot be rectified later.

Nowadays, the death penalty is used for those people who commit capital crimes or capital offences such as murder, terrorism, drug trafficking, etc. The persons who are below the age of 18 years are exempted from the death penalty. While some Arabic countries do not follow this exception and they also give the death penalty to those offenders who are below the age of 18 years. In most countries, lethal injection is used as a method for death execution while in some societies; violent death penalties are still being practiced such as shooting, electric chair, etc.

Capital punishment is practiced in countries like USA, China, Iran, Iraq, Japan, Somalia, Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Nigeria, Afghanistan etc.

Capital punishment in India: We cannot deny the presence of capital punishment even in the ancient history of India when we look back into Indian history. According to the Hindu teaching, it has been found that capital punishment has been permitted also and forbidden also. Hinduism preaches non- violence i.e. Ahinsa but it also teaches that a soul cannot be killed it is the human body to which the death of an individual is limited. The soul is reborn into another body upon death until Moksha.

The religious civil and criminal law of Hindus is encoded in the Dharmashastras and the Arthashastra. In Dharmasastra, the description of various crimes and their punishments is given including murder, the mixture of castes, etc. In this context, Bhagavad Gita contains that the righteous destruction of the wicked is commended as meritorious.

In India, capital punishment is mainly given for brutal crimes. The President has the power to grant mercy in death penalty cases. When an individual has been given capital punishment by the Sessions Court, it must be affirmed by the High Court. If the convict appeals in the Supreme Court and fails then at that point the convict can ask a mercy petition to the President of India. The Ministry of Home Affairs will set out the Appeals made to the Supreme Court and the solicitations made for the extraordinary leave to appeal to the Court by the convict.

Methods of execution in India:

In India, the two popular methods of providing capital punishment are hanging and shooting.

- **Hanging -** All executions in India are carried out by hanging the criminal till death. In 1949, the assassin of Mohandas Karamchand Gandhi i.e. Nathuram Godse was the first person to be hanged till death in Independent India. The Supreme Court of India suggested that the punishment of death sentence should be given in those cases which come into the ambit of 'rarest of rare' cases.

Since 2010, the death execution of two persons had been done. One is Afzal Guru, a terrorist who attacked the Indian Parliament in December 2001. His death execution was held in Tihar Jail, Delhi by hanging on February 9, 2013. The other is of Ajmal Kasab, who was the lone surviving terrorist of the Mumbai attack in 2008. His execution for death was done on November 21, 2012, in Yerwada Central Jail, Pune at 7:32 a.m.

- **Shooting -** The Army Act, 1950 and the Air Force Act, 1950 also provides the provisions and methods for awarding capital punishment. Section 34 of the Air Force Act, 1950 empowers the Court to impose the death penalty to the offences mentioned in Section 34 (a) to (o) of the Act.

Section 163 of the Air Force Act, 1950 provides that:

"*In awarding a death sentence, a court-martial shall,*

in its discretion, direct that the offender shall suffer death by being hanged by the neck until he is dead or shall suffer death by being shot to death."

This provides discretionary power to the Court to provide for the execution of the death sentence either by execution or by shooting. As the Air Force Act, 1950, the Army's Act, 1950 and the Navy Act, 1957 also provide for similar provisions.

CONCLUSION:

Aggravated murder - According to **Section 302** of the Indian Penal Code, 1860, a person who commits murder shall be given the death penalty. In Bachan Singh's case, the Court held that capital punishment is constitutional only when it is applied as an exception in "the rarest of the rare" cases.

Other offences resulting in death - In the Indian Penal Code, the death penalty is given to an individual who submits a murder during a furnished theft. Submitting or submitting Sati to someone else is additionally deserving of capital punishment.

Terrorism- related offences not resulting in Death - The utilization of any exceptional classification of explosives so as to complete a blast that could jeopardize one's life or cause genuine harm to one's property is deserving of the death penalty.

Rape not resulting in Death - An individual who inflicts injury in rape, because of which he passes on or is left in a "persistent vegetative state" might be granted capital punishment under the Criminal Law Act, 2013.

Gang rapes are punishable with capital punishment. These were formed after the gang rape of medicinal understudy Jyoti Singh Pandey in 2012 in New Delhi.

As indicated by the 2018 Criminal Law Ordinance, an individual who rapes a young lady underneath the age of 12 might be given life detainment or sent to jail for a long time alongside fine. The alteration done in 2018 additionally indicates the death penalty or life detainment for the gang rape of a young lady who is younger than 12. These progressions were done in the criminal law after the gang rape and murder of an eight-year-old young girl named Asifa Bano, who set off a ton of political agitation in Jammu and over the entire nation.

Kidnapping not resulting in Death - As indicated by Section 364A of Indian Penal Code, 1860, grabbing not bringing about death is an offense deserving of capital punishment. On the off chance that anyone kidnapped somebody and takes steps to kill him during which the kidnapper act brings about the death of the person in question, he will be at risk under this section.

Drug trafficking not resulting in Death - On the off chance that an individual endeavor to commit any of scope of drug trafficking offenses or financing such kind of drug-related acts, the person in question can be condemned to death. punished by capital punishment.

Treason - An individual who attempts to take up arms or is taking up arms against the administration and helping Navy, Army or Air Force officials, troopers or individuals to submit a revolt will be rebuffed by the death penalty**.**

Military offences not resulting in Death - If a member of the Army, Navy or Air Force commits an abetment of assault, mutiny, and other related offences, he shall be punished by death penalty.

Other offences not resulting in death

1. If a person is a party to criminal conspiracy in order to commit a capital offence, he is punishable by the death penalty.
2. A person who attempts to kill a life convict is punishable by a death sentence if the victim is harmed in the attempt.
3. If an individual provides any false evidence against an innocent person, despite being of the knowledge that based on those evidence that person can be given a punishment of death penalty, and if it results in the execution of an innocent person, then the person who provides such evidence will be given the death penalty

Category of offenders excluded from Capital Punishment

- **Minor -** As per the Indian Law, an individual who is younger than 18 years at the time of commitment of the crime can't be given capital punishment.
- **Pregnant Woman -** As per the alteration made in the year 2009, Clemency must be conceded to a pregnant lady who is condemned to the death penalty.
- **Intellectually Disabled -** As indicated by the Indian Penal Code, an individual while committing out a heinous wrongdoing, was rationally sick or can't comprehend that the nature of the demonstration performed by him is risky, can't be rebuffed by capital punishment.

References :-

A. BOOKS:

1. N.V. Paranjape, Crime and PunishmentTrends and Reflection (Edition- 2015).
2. C K Thakker 'Takwani' and M C Thakker, Criminal Procedure (4th Edition, 2014).
3. Navin Kumar, Criminal Psychology (1st Edition, 2015).

B. ARTICLES:

1. China mulls ending death penalty for nine crimes, THE HINDU (Oct. 27, 2014, 10:07 am), http://www. thehindu.com/news/ international/china-mulls-ending-deathpenalty-for-nine-crimes/article6538206. Ece
2. Helping the world achieve a moratorium on executions, World Coalition (Nov. 4, 2014, 4:15 pm), http:// www.worldcoalition. org/moratorium.html
3. UN and The Declaration of Human Rights, OCADP.ORG (Nov. 6, 2014 12:10 am), http://www. ocadp.org/un-and-thedeclaration-of-human-rights.html
4. Rarest of Rare Doctrine: Death Penalty, Academike (Dec. 7,2014), https://www. lawctopus.com/academike/ rarest-raredoctrine-death-penalty.

****

Dowry Deaths in India: Problem and Prevention

Ratna Bhattachrjee* Dr. B.K. Yadav**

Introduction - Dowry is a social evil in the society that has caused unimaginable tortures and crimes towards women. The evil has taken lives of women from all strata's of society .It is because of the dowry system, that daughters are not valued as much as the sons. In the society, many a times it has been seen that they are seen as a liability and are often subjected to subjugation and are given second hand treatment may it be in education or other amenities.

Today the government has come up with many laws and reforms, not only to eradicate the dowry system, but also to uplift the status of the girl child by bringing in many schemes. It is now for the society at large to become aware and understand the situation. It up to all of us to take active steps in bringing about the necessary change and stop either giving or taking dowry. We must all know that we should start valuing our daughters first, so that others know their value once they grow up.

A boy becomes a more valued object than a girl. The net result, therefore, is dowry: the giving of material goods and cash to the parents of the boy at the time of fixing the marriage, at the performance of marriage and even afterwards on several other occasions. This practice has become a serious social problem.

Dowry or Dahej, one of the deep-rooted social evils, is flourishing in our society at an unprecedented rate. There is no denying the fact that modern citizens condemn it, yet this practice varies according to the region, caste, and creed.

SOCIAL DIMENSIONS OF DOWRY: English education and white-collar jobs have accentuated the problem of dowry. A boy with good education and employment becomes much sought after match for a girl. If anything has kept some pace with wider social and economic changes in India, it is the increase in dowry in terms of cash and material goods. Whatever new products come to the market, such as motorcycle, car, music system, DVD player, television, refrigerator, household goods, electrical appliances, clothes, ornaments, furniture, etc., have become a part of dowry.

If parents of moderate economic standing cannot meet dowry demands, their daughter remains unmarried; or if they manage to give a dowry, they get into heavy debt. Demands for more dowries after marriage have become a source of conflict between families of the boy and that of the girl. When the demands are not met, brides are harassed, tortured, burnt, or they commit suicide.

Dowry has also become a symbol of prestige for both the dowry-givers and the dowry-takers. It is considered a matter of dignity to give more dowry than one's kinsmen and caste-fellows and others. Parents of a boy boast that their son fetched a very high amount of dowry, including a car, a plot of land or a flat, a video and all other luxury and household goods. Both givers and takers of dowry talk about these things and value them with a feeling of pride.

DOWRY SYSTEM IN INDIA: It is not easy to define dowry as it does not refer to cash and material goods alone. It has been defined as a share of a daughter or a sister in parental property, given to her at the time of her marriage. But dowry is not really given as an amount equivalent to a daughter's share vis-a-vis her brothers. In India traditional marriages, the dowry system, perpetuates the concept of the girl's parents giving gold, money, cars, homes and other material goods to the boy's family for 'taking care' of their daughter. It reinforces the 'belief', that Indian society has long perpetuated, that girls and women are a burden on society. This in turn reduces a girl's value to the money and material goods she brings to her wedded house.

Another view is that dowry is a gift, a token of love, given to one's daughter or sister at the time of her marriage. Dowry, as a token of love, keeps her attached to the parents' family even after marriage. It has become customary to give dowry. Marriage without dowry has become almost unthinkable. In south India, dowry is called stridhanam.

In north India, it is considered as a gift or dahej. Whatever conception or name is given to dowry, it is certain that dowry is not the right of a-girl who leaves her parents' house after getting married. But it is also a fact that since a girl joins her husband's house in Hindu patriarchal society, she is given due compensation in the form of dowry. Dowry is a gift, a dan. Even a girl is given as a dan. This is called kanyadan. There is also an element of reciprocity because parents of the groom are expected to give gifts and presents, including clothes and ornaments to the bride.

MAGNITUDE OF THE PROBLEM: In India, and particularly in Delhi and other metropolis, dowry murders and suicides

*Research Scholar, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana) INDIA
** Research Guide & Dean, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana) INDIA

have become a matter of great concern. In Delhi alone, a bride was burnt to death every twelve hours. A total of 162 cases of burning of women were reported in Delhi between 1 April and 30 June 1983. This was an all-time high number of such incidents, and dowry was the most prominent cause of such a phenomenon.

The problem of dowry is experienced by all sections of Indian society, but it has become a chronic evil particularly among the educated middle classes engaged in salaried jobs and trade and commerce. Women's organizations, voluntary associa-tions, the intelligentsia and the media have expressed their serious concern for finding legal and reformative remedies to curb the menace of this social evil. Incidences of the dowry-related atrocities and crimes have receded recently as a result of the social awakening created by various groups and organizations.

SOCIAL MOVEMENT: The nationalist leaders and social reformers condemned the insti-tution of dowry during the freedom movement. Mahatma Gandhi writes: "Any young man who makes dowry a condition for marriage discredits his education and his country and dishonours womanhood. Young men who soil their fingers with such ill-gotten gold should be excommunicated from society." However, these efforts did not minimize the evil to any noticeable extent.

The growth of education, salaried employment, migration to cities and towns, and scientific and industrial advancements not only increased the incidence of dowry but also changed its dimension and magnitude. Educated boys, with administrative and profes-sional jobs, became the most prized prospective husbands.

Those who worked in towns and cities were preferred as life was more comfortable in cities than villages. Motorbike, car, music system, television, DVD player, refrigerator, furniture, electrical appliances and household equipment's have become a part of the dowry package among the upper sections of society, in addition to cloths, ornaments and cash.

Thanks to the efforts of NGOs and government for decline in dowry deaths between 2001-2005. In 2001, there were 6851 cases, whereas in 2002 to 2005, there were 6822, 6208, 7026 and 6787 cases, respectively. Only in 2004, there was slight increase, but again in 2005, the 2001 pattern remerged. Of the total cases in 2005, 23 per cent were from Uttar Pradesh and 14.9 per cent from Bihar. Madhya Pradesh too was not far behind compared to Bihar. Dowry varies from caste to caste and from region to region. It varies depending upon urban, rural, caste and family background. Dowry is a socio-structural phenomenon. Variations in social structure, in terms of caste, class, ethnicity, religion, region and culture, result in variations of the system of dowry.

There is, however, a clear difference between the bride-givers and the bride-takers because of the rules of marriage practised in most parts of India. The communities in which bride-price exists or where patriliny is weak, dowry have not become a social problem.

Dowry is generally given to the parents of the groom, but in recent years, particularly in the urban areas, dowry is claimed as a 'right' by the couples, particularly in the form of those items which are specifically meant for them and their newly established households. Some parents give dowry in the name of their daughters, fearing its use by the parents of the groom. Several cases of tension and disharmony have come up because of such steps by the bridge-givers.

The problem of dowry is not acute in matrilineal societies and in the societies which are guided by the prescription of cross-cousin marriages. Both are found in south India, and therefore, the problem of dowry is less acute there compared to north India. The Nayars, Tiyyars and the Nangudi Vellalars are traditionally matrilineal societies in south India. The Nayars of Kerala pay neither bride-price nor give dowry. The Nayars are a matrilineal and matrilocal society, with an institution of visiting husbands. The visiting husband occasionally offers nominal gifts, as a token of his love and affection.

The Tiyyars have the system of paternal cross-cousin marriage, that is, the girl is married to her father's sister's son. The bride-taker gives some gifts to the bride. In case the girl is married in violation of this rule, the bride's family is required to pay a fine. The Nangudi Vellars also have the same pattern of marriage as that of the Tiyyars. A girl is given a patch of land as a gift at the time of her marriage. These are not really varia-tions of dowry. Matriliny and rules of marriage in south India have not allowed asymmetrical relations to develop between the bride-givers and the bride-takers, as we notice in north India. However, dowry in its modern form has started appearing in south India also. Matrilineal and matrilocal system of family has eroded in modern times. Patriliny is being accepted as a natural way of living. Dowry is also becoming a fact of life in the erstwhile matrilineal societies.

In north India, bride-takers are not only superior in status, but practically dictate terms to the bride-givers. They dictate the items to be given in the dowry and the arrangements to be made at the time of marriage. One often hears in north India: "What can we do, we are on the side of the bride (ladkiwalas)." "If a girl is born, you accept your defeat in this world." If anything goes wrong or is against the desire of the groom's parents, it becomes a life-long curse for the bride and her parents. It becomes the cause of her torture by in-laws and, sometimes, even by her husband.

Dowry, therefore, is not considered today as a dan [gift) but a unwritten haq (right) of a boy and his parents. There are instances of a groom's parents giving accounts of what they have spent on the education and upbringing of their son, and on other things, including the marriage. All this is included in the amount of dowry.

The groom's father exhibits the dowry to his kinsmen

and fellow-beings with a sense of pride, expressing his superiority and high status. In north India, the girl's parents would not accept water and food at their son-in-law's residence as it would be considered a sin, even after giving an enormous dowry. However, today, enlightened girls and boys insist upon taking water and meals by the parents of girls at their residences.

PREVENTION: The Hindu Succession Act of 1956 provides girls with the legal right to a share in the parental property, but rarely do girls demand their share nor are they given. The law is redundant. The Dowry Prohibition Act of 1961 has utterly failed to check the growing menace of dowry.

The girl does not make a claim for her share in parental property, but the parents spend a lot on her marriage. The Act of 1961 prohibits dowry. Despite this, the practice of dowry is widespread. It has even spread to the communities, castes and regions which were hitherto unaffected.

The Dowry Prohibition Act 1961 deals with dowry in India.

· This Act prohibits the practice of giving or taking of dowry by either parties to a marriage. This law also punishes demanding and advertising dowry.

· It imposes a duty on parties getting married to make a list of gifts and presents.

· If dowry has been exchanged at a wedding anyway, it imposes a duty on the person who is given dowry to give it to the bride.

· Note that the more serious crimes in relation to dowry such as dowry death and cruelty from dowry demands are punishable under the general law on crimes – the Indian Penal Code, 1860.

Punishment under this Act

- Any person who gives or takes dowry (minimum punishment of five years);
- Any person who helps someone to give or take dowry;
- Anyone who in any way demands dowry;
- Anyone who advertises and offers to give money or property in return for marrying his son, daughter or relative;
- Anyone who publishes these advertisements;
- Anyone who does not hand over the dowry to the bride within the specified time.

ROLE OF FAMILY

- Educate your daughters
- Encourage them to have their own career
- Teach them to be independent and responsible
- Treat them (your daughter) equally without any discrimination
- Do not encourage the practice of giving or taking dowry
- The parents don't lay enough emphasis on educating their daughters, as they feel that husbands will support them latter.
- The Poorer sections of society who send their daughters out to work and earn some money, to help them save up for her dowry.
- The regular middle and upper class backgrounds do send their daughters to school, but don't emphasize career options.
- The very wealthy parents who happily support their daughters until they get married and their ability to fork out a high dowry.

CONCLUSION: National Crime Bureau of India, as recently as 2017, recorded nearly 7000 dowry linked deaths a year. Dowry deaths rose from about 19 per day in 2001 to 21 per day in 2016. And we are yet talking about reported dowry deaths here. There are many that go unreported. Taking or giving dowry has been criminalized by law as early as 1961. But, it is still a significant part of Indian marriage and is openly defying laws and failing women empowerment.

It is difficult to suggest a set of factors responsible for the custom of dowry, but we can think of a tentative list. These include rules of marriage (including hyper gamy), caste hierarchy, patriarchy, primo-geniture, low status of women, modern education and employment, a false sense of prestige, and economic prosperity of some people. Since dowry has become a complex phenomenon and a social problem, it needs quick and far reaching remedial measures.

Only legislation would not be sufficient. Legislation has several lacunae, and it is not easy to overcome them. Some voluntary agencies have started movements against the institution of dowry. These agencies have organized demonstrations against the incidents of dowry homicides, suicides, torture and harassment. Social boycott has also been done in some cases.

What we need today is a crusade against this evil, which has, intact, ruined several families and has been destroyed lives of thousands of women year after year. There is a need to chalk out a programme having both curative and preventive measures and long-term and short-term devices. The curative and long-term measures would include inculcation of a new ideology and a value system which guarantees a place of honour to women and their parents.

Young men of marriageable age do not become marketable commodities sold by their parents to the parents of brides in return for dowry. Egalitarian values are the only substitute for caste-based hypergamous marriages. Inter-caste marriages should be encouraged. Arranged marriages with demands of dowry must go.

The preventive and short-term devices would include immediate action when incidents of dowry deaths, harassment and humiliation occur. The victims of dowry should be provided legal and social protection. Media – both print and electronic – should highlight such incidents with all seriousness to curb the menace in future.

Street corner plays should depict such incidents as serious matters of life and not as a source of entertainment. Political leaders, government officials, businessmen and others must not be allowed either to take or give dowry in

any form, not even in the form of gifts and presents.

It has become a vicious evil. A man who gives dowry to his daughter plans to take more dowry for his son. If such a thing continues, there will be no end to this social evil. Hence, the measures suggested above are the only way out to reduce the magnitude of the problem.

References:-

1. Dowry Prohibition Act 1961
2. J.D. MAYANE, HINDU LAW AND USAGES, 131-132.1952
3. Encyclopedia Americana,321,1969

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

A Study on Customer Satisfaction on Hot Drinks with Specific Reference to Horlicks in Bhopal Region

Dr. Prasann Jain* Dr. Shaizal Batra**

Abstract - Customer satisfaction is a marketing tool and a definite value-added benefit. It is often perceived by customers as important as the primary product or customer satisfaction consists of expectation, performance interaction, pleasure and displeasure, and evaluation of the benefits of consumption to analyses the customer preference towards Horlicks's product. This paper presents a framework or set of ideas for using customer satisfaction principles and strategies to improve the quality responsiveness and possibility of public sector privately provided services in valuable communities.

Introduction - Customer's satisfaction can be considered as one of the key indicator of company's future profits. The development of the customer's satisfaction theory has led to the emergence of two perspectives. The study of customer satisfaction through product performance became more important. In general, satisfaction is a person's feelings of pleasure or disappointment resulting from comparing products perceived performance relation to his/ her expectations. If the performance matches the expectations, the customer is satisfied. Customer satisfaction is a part of customer's experience that exposes a supplier's behavior on customer's expectation and how promptly services are provided. This satisfaction could be related to various business aspects like marketing. Quality of products and services, responses customer's problems and queries, completion of project and post delivery services.

Meaning - Customer satisfaction is the customer's response to the evaluation of the received discrepancy between prior expectation and the actual performance of the product as perceived after its consumption.

Definition - Codotte, et al., (1987), have defines customer satisfaction as "conceptualized". As a feeling developed from an evaluation of the experience. Here, the timing of satisfaction response is driving consumption.

Objectives Of The Study :

1. To study the concept of customer satisfaction in general.
2. To study the brand awareness of Horlicks products in Bhopal region.
3. To identify the level of customer satisfaction towards the price and package of the product.
4. To analyze the customer preference towards the Horlicks.

Scope Of The Study :

i. The study is conducted to know the customer satisfaction towards Horlicks.
ii. The study covers only a short range of operations on the study area.
iii. Customer satisfaction is a moving target.
iv. The performance attributes that create customer satisfaction after the choice of the product.

Limitations Of The Study :

i. The study was confined only to Bhopal region.
ii. The response from the customer may be biased
iii. The study has been carried out for limited period.
iv. Time is a major limitation.
v. Sample size is limited.

Review Of Literature

Kendall C.L and Russ F.A (April 1979) in their article "Warranty and complaint policies: An Opportunity for Marketing Management"; have felt and expressed that "Warranties and Promises of complaint resolution and they often encourage dissatisfied customers to return. They also concluded that expectations of warranty services are greater for durable goods than non-durable goods".

Shri Mukul P.Gupta (September 1997) in his article entitled "Tug of War" has made an attempt to elaborate on issue of customer satisfaction and brand loyalty as well as customers defection. According to him, a very thin line divides the loyalty and defection of satisfied customers, so any winning brand promoter must know which side of this line he should stand on.

According to an Exhaustive Review of (1991) customer satisfaction may be defined in two basic ways either as on outcome, or as a process. "The first approach defines satisfaction as a final situation or as an end state resulting from the consumption experience. The second approach

*Associate Professor, SIRT - E, Sagar Group of Institutions, Bhopal (M.P.) INDIA
** Associate Professor & Director, Vidhik Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

emphasizes the perceptual, evaluative and physiological process that contributes to satisfaction".

Dr. Vidyadar Reddy (February 1998) in their empirical study entitled "Customer satisfaction through complaint handling" with regard to bike owners concluded that the group between customer expectation and warranty terms was wide.

Shri N. Sridaram (May 1998) in their article entitled "Be True to your customer" had argued that in an increasingly competitive world, companies are finding that the recipe for success lies not out-maneuvering the customer and satisfying their every want.

RESEARCH METHODOLOGY Data for the research was collected from 100 respondents by random sampling method. Primary data was collected from the respondents through well-structured questionnaire and secondary data was collected from various journal and books. Chi-square test is applied to test the goodness of fit to verify the distribution of observed data.

Findings And Analysis

Table1: Residence Wise Classification

Residence	No. of respondents	Percentage
Rural	27	27
Urban	73	73
Total	100	100

INFERENCE From the above table it is clear that 73% of the respondents are urban and 27% of the respondents are rural.

Table-2 : Basis Of Selection

Residence	Price	Quality	Package	Total
Rural	13	8	6	27
Urban	45	21	10	73

Null Hypothesis (H_0) There is no significant relationship between the residence and basis of selection.

Alternative Hypothesis (H_1) There is a significant relationship between the residence and basic of selection. Calculation chi-square value is 0.01

INTREPRETATION - Alternate hypothesis is accepted. Hence, it is concluded that there is a significant relationship between the residence and basic of selection.

Table-3 : Price Of The Product

Residence	Price	Quality	Package	Total
Rural	14	5	8	27
Urban	21	25	27	73

Null Hypothesis (H_0) There is no significant relationship between the residence and price of product.

Alternative Hypothesis (H_1) There is a significant relationship between the residence and price of the product. Calculation of chi-square value is 0.518.

Intrepretation - Null hypothesis is accepted. Hence, it is concluded that there is no significant relationship between the residence and price of the product.

Table-4 : Types Of Horlicks Consumed

Residence	Price	Quality	Package	Total
Rural	12	6	9	27
Urban	30	12	31	73

Null Hypothesis (H_0) There is no significant relationship between the residence and type of the Horlicks consumed.

Alternative Hypothesis (H_1) There is a significant relationship between the residence and type of the Horlicks consumed.

Intrepretation - Null hypothesis is accepted. Hence, it is concluded that there is no significant relationship between the residence and type of the Horlicks consumed.

Table-5

Opinion Regarding Taste Of The Product

Residence	Good	Better	Best	Total
Rural	15	10	2	27
Urban	37	20	16	73

Null Hypothesis (H_0) There is no significant relationship between the residence and opinion regarding taste of the product.

Alternative Hypothesis (H_1) There is a significant relationship between the residence and opinion regarding taste of the product.

Intrepretation - Since the calculated chi-square value is less than the table value null hypothesis is accepted. Hence, it is concluded that there is no significant relationship between the residence and opinion regarding taste of the product.

SUGGESTIONS :

i. Price of product can be fixed at affordable level so that all types' customers will be able to purchase the product.
ii. Through the quality of the Horlicks product is good.
iii. Still, it can be improved in order to attract more customers.
iv. Sales can be more increased in rural area.
v. Still more awareness can be created through advertisement.

Conclusion - Customer satisfaction plays a vital role for the success of a business; consumer is a king in the market. So continuous improvement is the success of customer satisfaction is important Horlicks aims to increase its profitability by way of increasing the satisfaction of the customer. Moreover, the respondents need no changes other than changes in quality and price this shows that the company effectively gives satisfaction to the respondents which lead to the success of the company

References :-

1. Bolton, R.N and Lemon K.N. "A Dynamic model of Customers usage of Services"- Journal of Marketing Research 1999. Volume 36.
2. Cohen, J. "A Power Premier" Psychological Bulletin, Volume 112 (1992).
3. Buskin. J. "Tales from the Front: A firsthand look at Buying Online". In Wall Street Journal 1998.

****

A Study of Innovative Marketing Practices in Non-Traditional Retail Outlets with Special Reference to Rural Mall

Dr. Mohammad Sajid* Jyoti Pachori**

Abstract - Retailing has been pervasive for a long time and it is probably the greatest area. Coordinated selling appeared as Retail Stores and Retail Chains. The retail business is standing up to numerous difficulties. Previously, numerous expansions have been made in the conventional Retail Model. These Retail Models enjoy special benefits and are somewhat separated from the first Retail Business. As of late, the mix of monetary development and populace development in developing business sectors and less created markets has sped up the movement of globalization of retailing and globalization by retailers. Here emerges a need to contemplate Innovative Marketing Practices in Non-Traditional Retail which advances development in the association. The topographical and venture construction of the retail area is additionally significant contemplations in understanding differential affinity to develop in rustic regions.

This paper centres around retailing advancements with regards to Innovative Marketing Practices in Non-Traditional Retail Outlets. It endeavours to shed bits of knowledge into the qualities of retailing developments helpful for prevalent execution in particular country markets. Towards this end, we initially inspect the natural states of business sectors and investigate different difficulties looked at by retailers in country markets. Also, it is worked upon, how to change the difficulties into promising circumstances with Innovative Marketing Practices in Non-Traditional Retail Outlets. In this examination, structures were created through escalated writing survey. A survey was created to approve these configurations. An example of 200 members was browsed related fields. The subjective reactions got by them were broken down for the outcomes. These arrangements were approved subjectively by specialists in the fields.
Keywords- Non-Traditional Retailing, Innovation, Retail Stores, Rural Mall.

Introduction - Retail is characterized as the offer of merchandise to general society in moderately little amounts for use or utilization as opposed to for resale. The word retail is gotten from the French word retailer, which means to slice a piece off or to breakbulk. As of late, Non-Traditional Retailing has gotten progressively mainstream as far as purchasing conduct of individuals. In country regions, an ever-increasing number of individuals are getting slanted towards shopping centre culture as opposed to going for ordinary shopping. The term Non-Traditional retailing remembers many interrelated exercises for it, as (1) significant retailers who offer their items and administrations to buyers without utilizing actual stores, (2) the activities of retailers turning out to be progressively worldwide, and (3) the dissemination of retailing advancements in rustic regions. All around, the retail market climate in provincial regions the nation over has been dependent upon the impact of innovation and inventive advertising rehearses.

The construction of the retail area has significant contemplations in understanding differential inclination to advance. The main driver of development is the shopper. Profoundly aggressive and testing economic situations animate the improvement of advancements that lead to cost proficiency, low costs, and a more significant level of customer fulfilment in both quantitative and subjective terms. Advanced advances and Regulatory drivers serve to shape the area's development yet in addition impact the sorts of developments that can be presented for higher consumer loyalty.

Objective - The particular destinations of this paper are: To consider the development and advancement of the retail area in India, to comprehend the strategic policies embraced by a rustic shopping centre, to break down the purchasing conduct of the customers visiting the country shopping centre, and ultimately to assess the impact of strategic policies received by provincial shopping centre on the purchasing conduct of buyers.

Research Methodology - This paper is the result of an investigation of Innovative Marketing Practices in Non-Traditional Retail Outlets with Special Reference to Rural shopping centres. To finish this, different books, diaries, and periodicals have been counselled; Internet looking has additionally been accomplished for the reason.

Retail In India – Historical Perspective - There is an

*Associate Professor, Technocrats Institute of Technology-MBA, Bhopal (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, Technocrats Institute of Technology - MBA, Bhopal (M.P.) INDIA

expanded client shopping design which has prompted the development of huge corporate store in country regions. There is an extraordinary change in the client's preferences and inclinations and changed shopping designs, bringing about new business openings.

With the changing segment designs as far as training, pay, and expanded utilization of innovation, the advancement of super shopping centres in rustic regions is adding another measurement to the roaring retail area.

India is a country of retailers just as customers, especially in rustic regions. It is a typical practice that retailers and advertisers frequently endeavour to figure out how and why individuals shop. The dynamic in regards to the acquisition of labour and products has gotten more mind boggling and incorporates various components that are significant for clients.

The expansion of various assortment stores, merchandise stores, and shopping centres with the accessibility of multi-part items and electronic buying abilities have assumed an urgent part in enlarging the decision for clients and have confounded dynamic. (Halfstrom et al 1992).

The exceptional development of retail in rustic spaces of India is reflected in the quick expansion in the quantity of non-customary retail locations or Kirana shops. At the point when buyer spending is on the decay, achievement will lie with those retailers that can drive client footfall by presenting and rehearsing Innovative promoting rehearses and by reacting to the requests of the client.

Retailing comprises of all exercises associated with offering labour and products to shoppers for their own, family, or family use. It covers deals of merchandise going from vehicles to attire and food items, and administrations going from haircutting to air travel and PC schooling (Chetan Bajaj et al). Retailing is probably the biggest area in the Indian economy.

With the expanding request of the clients prodded by evolving patterns, hopeful requirements for assortment even in provincial regions, conventional retail led to present day retail design. Disorderly/Traditional retailing alludes to the conventional arrangements of minimal expense retailing, for instance, the nearby Kirana shops, proprietor monitored convenience stores paan/beedi shops, and so forth

Purposes behind the development of the retail business in Rural India:

1. Emergence of Organized Retail.
2. Spending Capacity of Youth of India.
3. Raising Income and Purchasing Power.
4. Changing Mindset of Customers.
5. Easy Customer Credit.
6. Higher Brand Consciousness.
7. Increasing Disposable Income.
8. Increasing no. of Dual Income Nuclear Families.
9. Changing Lifestyle and Consumer Behaviour.
10. Experience with Formats.
11. Store Design.

Parameters Of Innovations For Rural Markets - The standards and practices of advancement to be received in the provincial business sectors need to think about: requirements, ways of life, and purchaser conduct of the country populace. It is critical that the item, evaluating, advancement, and conveyance technique are inventive alone as well as they should make the item incentive appealing and pertinent for provincial buyers.

Dealing With Innovation - Advancement in the process should zero in on building a coordination's foundation, incorporating producing that is as per the common conditions and can convey arrangements in a financially savvy and advantageous way.

Product Innovation - Negligible changes to items produced for clients in the towns should be possible to be viable in the country markets. The foundation and climate, in which the rustic shoppers live and work, request a re-examining of the usefulness another. New innovations should be created to make the item applicable to the rustic customers whose item use climate is totally different from metropolitan shoppers.

Price Innovation - The item implied for the rustic market should dispense with the different repeating expenses and accordingly ought to diminish asset power. The alternative of reuse, top off and reuse are basic standards in item advancement for the rustic business sectors as they lessen the general expense of the item. Market systems should guarantee the costs of the item are diminished either through re-designing; cost saving in activities, decrease in pack sizes, cancellation of ornamentations from the centre item, and so forth however this decrease in the cost ought not be at the expense of value and administration. Associations need to zero in on the value execution of the item.

Place Innovation - Changing socioeconomics and spending profiles present innumerable freedoms for an imaginative reaction by the corporate area. Limited time crusades must be inventive to focus on the young people by connecting with them through a mix of media choices. A special mission, for example, video mounted on trucks voyaging minimal expense dramatic should be embraced for any genuine limited time exertion in provincial regions.

Customer Services in Retailing - Client assistance incorporates every one of the exercises an association does for its clients. Fantastic client assistance implies putting the client first. Client assistance is the arrangement of administration to clients previously, during, and after a buy. "Client assistance is a progression of exercises intended to upgrade the degree of consumer loyalty that is, the inclination that an item or administration has met the client assumption." (Turban et al 2002).

Client support is the amount of the demonstrations and components that permit buyers to get what they need or want from your retail foundation any place the client comes in either physical and mental contact with the store can be named as a client touchpoint. The client touchpoints are

key in characterizing just as supporting the connection between the retailer and its clients. They can make an "Amazing" and bring them back over and over. The 'contact point' is the main factor in client care. (Rajnish Kumar).

Difficulties to coordinated retail advancement in Rural Areas:

1. Initial entering cost is extremely high.
2. Insight of target buyers
3. Increasing expense of land
4. High working expense.
5. Low per capita pay
6. Taste and inclination of way of life and necessities of the provincial clients.
7. Lack of education and mindfulness
8. Low per capita pay
9. Wide geographic spread Gaps in street and Telecommunications network
10. Lack of solid power and water supply
11. Limited Distribution network for instance chilly stockpiling
12. Competition from neighbourhood players
13. Shortage of Skilled Manpower
14. Unique Indian Customer

Suggestions to overcome the challenges for Organised Retail:

1. Acceptance of Industry Status to Retail: industry status ought to be given to further develop retail improvement, work with coordinated financing, and to build up protection standards.
2. Incentives for Investments: Tax occasion standards for cold stockpiling chains, foundation, and interest in the store network ought to be established.
3. Comprehensive Legislation: extensive enactment ought to be drafted and ordered with an advanced methodology.
4. Eliminating Arachic Laws: Laws, fundamental Commodities Act APMC acts, permitting limitations, differential charges, stamp obligations, ought to be streamlined and placed in the appropriate spot so it would not ruin the development of the retail area.
5. Proper Tax Structure: The current multipoint tax assessment ought to be think. The public authority ought to present a uniform tax collection framework the nation over to loosen up the law that impedes highway streams of merchandise.
6. Establishment of the public commission on retail: the public commission on retail should be set up. The capacities ought to be:
7. To set a reasonable objective for monster retailers for acquisition.
8. Enforce uniform quality guidelines.
9. Setup an administrative body for administering the activities of the retail area.
10. Integration of rustic drives into a plan of action like ITC. Corporate should enhance government endeavours and assets (foundation improvement, training framework, stockpiling). Making retail locations which ought to be rustic in nature so the provincial masses recognize themselves with these stores. Imaginative and Exciting Initiatives, for example, Village BPO ought to be offered driving force to tap the ability in country India.

Conclusion - Retailing gives a significant connection among maker and customer in the advanced economy. Retail in India is the most unique industry and addresses a colossal chance for homegrown and global retailers. Present day retailing isn't an issue to conventional stores as the majority of the customers said that they visited constantly Kirana stores. They firmly concurred on the concurrence of both is required. Their recurrence of going to the Kirana store is decreased. Present day retailing has a long way to go in India. The development of current organizations has been a lot of slower in India when contrasted with different nations and the improvement of this area is relies upon the presence of administrative and underlying imperatives. Government needs to deal with the presence of coordinated retail locations in India and they need to take measures to conquer the difficulties. Then, at that point the quick development of coordinated retailing can be conceivable in India.

The Indian retailing industry is essentially contributing towards the GDP and work age. Disorderly retailing has a transcendent piece of retailing in India. Coordinated retailing has its development due to the penchant to devour conduct of the Indian working-class section. Be that as it may, this was influenced by the worldwide monetary emergency. Notwithstanding this retailing in India will have a colossal future, if retail players focus on the Indian rustic portion, having tremendous and undiscovered potential. For this, the methodology ought to be not the same as that of metropolitan to transform a test into a chance.

References :-

1. Avlonitis, George J. and Paulina Papastathopoulou (2000), "Marketing Communications and Product Performance: Innovative vs. Non-innovative New Retail Financial Products," International Journal of Bank Marketing, 18 (1), 27–41.
2. Bagchi, Amiya K. (1982), The Political Economy of Underdevelopment, Cambridge, England: University Press.
3. Benner, Mary J. and Michael Tushman (2002), "Process Management and Technological Innovation: A Longitudinal Study of the Photography and Paint Industries," Administrative Science Quarterly, 47 (4), 676–70.
4. Burgess, Steven M. and Jan-Benedict E.M Steenkamp (2006), "Marketing Renaissance: How Research in Emerging Markets Advances Marketing Science and Practice," International Journal of Research in Marketing, 23 (4), 337–56.
5. Burke, Raymond R. (2010), "The Third Wave of Mar-

keting Intelligence," in Retailing in the 21st Century – Current and Future Trends, Krafft Manfred and Mantrala Murali K., eds (2nd ed.). Berlin: Springer, 159–71.
6. Center for Knowledge Societies (2008), "The Emerging Economy Report, Bangalore," (accessed June 25, 2010), [available at http://www.cks.in/].
7. Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.
8. Metka, S. & Galouj, F., (2012), 'Seizing the Opportunities of Service Innovation', Policy Brief 7, Innovation for Growth i4g, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/expert-groups/i4g-reports/i4g_policy_brief_7_-_service_innovation.pdf
9. Oxford Institute of Retail Management, (2007), Innovation in the UK Retail Sector, NESTA, http://www.nesta.org.uk/library/documents/inno-in-services-retail-report.pdf
10. Sreejith A. and Jagathy Raj V. P. Organized Retail Market Boom and the Indian Society, International Marketing Conference on Marketing & Society, 8-10 April, 2007, IIMK www.dspace.iimk.ac.in/bitstream /2007/
11. Singhal, Arvind, "A Strong Pillar of Indian Economy", KSA Technopak, 1999
12. www.retailrise.com/content/mckinsey-indian-retail-great-indian-bazaar/2008/Mumbai
13. www.mbaclubindia.com
14. www.ibef.org
15. www.indiaretailingnews.com
16. www.indiaretailbiz.com
17. www.mckinsey.com
18. www.economywatch.com
19. www.dnb.co.in

✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼

A Study on Challenges in Human Resource Management

Dr. Shaizal Batra* Dr. Prasann Jain**

Abstract - Human Resource Management (HRM) is the term used to describe formal systems devised for the management of people within an organization. The responsibilities of a human resource manager fall into three major areas: staffing, employee compensation and benefits, and defining/designing work. Essentially, the purpose of HRM is to maximize the productivity of an organization by optimizing the effectiveness of its employees. This mandate is unlikely to change in any fundamental way, despite the ever-increasing pace of change in the business world. As Edward L. Guzman observed in the *Journal of Business Strategy*, "the basic mission of human resources will always be to acquire, develop, and retain talent; align the workforce with the business; and be an excellent contributor to the business. Those three challenges will never change." Human Resource Management can be a challenge for small business especially, which typically don't have an HR department to rely on. They may be limited to one HR person, or this responsibility may still belong to the CEO. Regardless, small business owners need to understand the challenges in order to face them so that they are prepared to tackle HR issues as their company, and workforce, grows. This paper aims at studying the challenges in HRM, to suggest measures to overcome the challenges and highlight the emerging challenges in HRM.

Keywords - Human Resource Management, Challenges, Employees, Business.

Introduction - With better means of communication, breakthrough technologies and dismantling of economic and social barriers, the world is becoming borderless and the countries are fast integrating into a truly global economy. In this scenario the role of an HR manager has assumed much greater significance as he is expected to create conditions in an organization where the employees from diverse background, culture and nationality could work together with ease and flourish.

In other words, we can say that the HRM is undergoing a massive transformation that will change a career path in as at uncertain ways. Employees are placing the greater emphasis on business acumen and are automating and outsourcing many administrative functions, which will force many HR professionals to demonstrate new skills and compete for new, sometimes unfamiliar roles.

Statement of the problem - Now a days HR duties and responsibility has become a challenge for HR manager to compete with global competitors and to sustain in the diversified economy. As Human Resource is required and a very essential thing for each and every business irrespective of their size and nature of firm, optimum utilization of available employees is a very challenging task for every HR manager in this competitive era. For this reason, we have chosen this topic and made an attempt to analyze the emerging challenges in HRM and to obtain solutions in this regard.

Objectives :

1. To study the challenges in HRM.
2. To provide suggestions to overcome challenges.
3. To highlight the future challenges in HRM.

Research methodology - **For this study secondary data has been used. The data has been collected through internet, websites etc.**

Findings

Emerging HR challenges

1. Globalization in HRM - The term Globalization has invaded the mind of every successful businessman and the concept of Global Village is common issue in modern business world. Globalization is a process that is drawing people together from all nations of the world into a single community linked by the vast network of communication technologies. This aspect of globalization has also affected in the business world of today. HR Manager today need not rely in small limited market to find the right employees needed to meet global challenges, but today they can re-cruit the employees from around the world.

How "Globalization" affects to HRM challenges....

- How to face competition from MNCs is worry for Indian firms.
- As globalization spreads, more foreign firms are entering Indian market and challenges before domestic

*Associate Professor & Director, Vidhik Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA
** Associate Professor, Anand Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

firms are going to be much more severe in the years to come.

- As a result of Globalization businesses are forced to rapidly expand beyond their immediate borders into global marketplace
- Large investment and modernization would require highly skilled and technically trained people who would replace less trained, unskilled and redundant workforce Greater and greater training needs are bound to be identified for updating the technological and behavioral skills of well-trained executives.

2. Handling multicultural/Diverse Workforce - A multicultural workforce is one made up of men and women from a variety of different cultural and racial backgrounds. The labor force any country is a reflection of the population from which it is drawn, despite some distortions that may be caused by discrimination or cultural bias in hiring. Dealing with people from different 'age', 'gender', 'race', 'educational background', 'location, income', 'parental status', 'religious beliefs', 'marital statuses and 'ancestry' and 'work experience' can be a challenging task for HR managers. Cultural differences may often lead to difficulties with communications and a rise in the friction that can develop as people with different expectations and habits interact. As a result, workforce diversity is increasing. Managing these people with different religious, cultural, moral background is challenging task for HR Manager. Thus, it is important for a HR manager to create an environment in which the positives of diversity are harnessed and the negatives are minimized as much as possible.

3. Employee Selection - Employee selection is an important process for any organization, but particularly for small business that can be challenged to compete with larger employees. Small business need capable and competent employees to help them develop and deliver high quality products and services. Not only these difficulties but there are some other factors which influence the employee selection. Thus, a HR manager need to consider all these factors while selecting the best suitable employee for his organization. Some of the factors which affect the employee selection are as follows:

External factors:

- **Recommendations -** Existing employees may recommend their relatives or friends to fill the vacancies, if the person who recommended may be good or may not be.
- **Political influence -** Some candidates may arrive to the interview with the influence of politicians who may be familiar to the HR manager and have good relationship with company in those case we may have to select those candidates.
- Personal bias
- Bribing

Some candidates may offer bribe to make section **Internal factors:**

- **Cost of recruitment -** Cost incurred for the process of recruitment may also affect the selection process.
- Job analysis
- Human resource planning

Before selection of the employees there may be already a plan for employee selection and a HR manger may in need of following that plan itself, he may note in the position to take his own decisions beyond plans already made.

4. Compliance with Laws and Regulation - Keeping up with changing employment laws is a struggle for business owners. Many choose to ignore employment laws, believing they don't apply to their business. But doing so could mean audits, lawsuits, and possible even the demise of a company. As HR manger will be responsible in hiring employees it is his duty to care of laws and regulations regarding employment, thus it will be very challenging to him to select an employee with taking into consideration of all laws and regulations. He must get updated himself about the changing rules and regulations regarding employment.

5. Training and development - "Training is expensive. Without training it is more expensive." –Nehru

Training is about knowing where you are in the present and after sometimes where you will reach with your abilities. By training, people can learn new information, new methodology and refresh their existing knowledge and skills due to this there is much improvements and adds up the effectiveness at work. The motive behind giving the training is to create an impact that lasts beyond the end time of the training itself and employees get updated with the new phenomenon. Training can be offered as skill development for individuals and groups.

Organizational Development is a process that "strives to build the capacity to achieve and sustain a new desire state that benefits the organization or community and the world around them."

The human resource department faces many challenges in a workforce's training and development, from ensuring the stability of the high performing individuals who drive the company coaxing success from untapped potential employees and under achievers alike.

Investing in the training and development of lower-level employees is another common HR problem. Some businesses have trouble finding the resources to do so. Employees on the front lines are some hardest workers and may not have the time to take a training course.

6. Balance with work life - Balancing work and life assumes relevance when both husband and wife are employed.

In India, working women now account for 15% of the total urban female population of 150million. Any organization that strives to be reckoned as 'a great place to work' needs to pay special attention to minimize and facilitate resolution work life conflict of their employees. The challenge however is in knowing and doing things that facilitate and support work life balance without intruding into the personal lives of employees. The HR department of such organization is often stretched for creative solutions

that are practical to implement, yet are effective in impact. Successful organizations in this space have taken work-life-balance to even higher levels by not merely restricting themselves to addressing domestic pressures on their employees but facilitating self -actualization of these individuals.

Programs aiming at work-life balance include:

1. Child care at or near the workplace
2. Job sharing
3. Sick leave policies
4. Flexible work timing
5. Care for sick children and employees

7. Retaining employee

1. Globalization has given freedom to working professionals to work anywhere in the world
2. Now that they have endless lucrative opportunities to work, hiring and retaining the best industry talents is no joke
3. Providing excellent work environment and offering more remuneration and perks than your competitors can retain and motivate them

8. Conflict Managing - There is no organization without conflict situations. It is known that 80% of conflict situation occur independently of human will. Its causes are people's individual characteristics, as well as structure of the organization, conditioned by the culture established in the organization. Work-Life-conflict is a clear and present danger to organizations and denial of this fact would be at the peril of accepting suboptimal employee performance. HR managers should know how to handle employee-employer and employee-employee conflicts without hurting their feelings.

Although it is almost impossible to avoid conflicts among people still handing them tactfully can help HR managers to resolve the issues. They should be able to listen to each party, decide and communicate to them in a convincing manner in order to avoid future conflicts.

How to overcome the HR challenges…?

1. Proper HR planning: To overcome the above challenges a HR manger must have to do a proper planning before going for recruitment or selection process with regard to how many vacancies are there that is of what kind of job and for that from where he has to recruit and what must be the qualification of a candidate and how they have to conduct interviews and what are all the hurdles, influencing factor may arise in selecting a candidate.
2. Facilitation: A HR manager must take care of facilitation to be given to the existing employees or for new employees. He should see to that what will be the motivator for employee to get stimulated to give his best and he must take care specially about women employees and most competent and talented employees to avoid retaining of employees.
3. Ethical Behavior : A HR manger should adopt ethical behavior to have cordial relationship with employees and to avoid conflicts and handle diverse workforce with care.
4. Coordination: An HR manger must work in diverse work force and he must stimulate his subordinates to do action. Thus, he must develop coordinating attitude in him as well as in the working environment.
5. Sympathy and Consideration: As human is a social being he needs care and sympathy from others in his working place or anywhere. Thus, as an HR manager works with humans, he must have sympathy and should consider someone's problem.
6. Knowledge of Labor: An HR manger should have complete knowledge of labor that is, he must know the mindset of workers. A manager must have long experience with diverse workforce not only this but also, he must know about changing trend in labor sector as well as changing rules and regulation of employment. He must know about what is the minimum and maximum wage rate and average working hours.
7. Academic Qualifications: To be HR manager one should have high academic qualifications with proper knowledge and experience
8. Fairness: A HR manger must not be very rough and hard while he deals with his workers.
9. Communication: There must be proper communication among HR manager or departmental managers and employees and it must be clear and understandable. Business owners should focus on communicating the benefits of the change for everyone so that employees can adjust to changes very easily and quickly.
10. Business should create opportunities for its employees to use their skills and strengths every day. Accomplishing goals will motivate them and give them a chance to develop their skills.

Emerging HR Challenges in future - One of the crucial activities for HR managers is the HR planning. Regarding the HR functions of 21st century, the organization function has altered from "behind the scenes" to becoming critical differentiator in business. The HR roles have taken a new dimension in the 21st century especially after globalization. Manpower management is an exasperating job and it requires specialized skills.

Following are the some of the challenges being faced by HR Manager which is identified

1. Recruitment and selection
2. Career development and growth
3. Promoting organization culture and heterogeneous workforce
4. Conflict management and resolution
5. Business ethics and values
6. Managing Multi-Generational Workforce
7. Strategies for motivation and retention
8. Flexible work hours
9. Striking work life balance
10. Managing 5 R's
11. Industrial relations

Conclusion - From the view point of above explanations, the globalization has many implications for the firm that may entail the diversity of cultures. The HRM in today's era has to mount the expertise, mindset and capabilities that are needed to gain a competitive edge on global scale. HR manager must be on continuous look out for creativity and innovation as it is known to be the key to success. It depends highly on HR to face the challenges of globalization which has given an entirely new view to organizations. The organization have grown savvier in using technology hence it is important to adopt all changes. Not only globalization effects but also some other factors like technological changes, competency of existing employees and well-developed skill and knowledge among younger generation, laws and regulations regarding employee benefits and increasing competition in business environment will be a very challenging thing which a HR manager must have to keep in mind while recruiting and selection of the best employee.

References:-

1. http://www.griffith.ie
2. Noel R.A. 'Employee Training and Development', McGraw-Hill.
3. www.peopleandmanagement.com
4. Nayantara Padhi 'Strategic Human Resource Management Theory and Practice, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi. http://careertrend.com
5. VSP Rao, Human Resource Management, Second Edition, Excel Books, New Delhi
6. https://www.talentlms.com
7. Walton J.(1999), Strategic Human Resource Development, Essex: Financial Times/Prentice Hall.
8. WilsonJ(Editor) (1999)Human Resource Development, London : Cogan Page.
9. https://www.atlasstaffing.net
10. https://slideshare.net
11. https://www.inc.com/encyclopedia/human-resource-management.html

****

Human Rights Violations : A Threat to Humanity

Dr. Kunal Shaktawat *

Abstract - This Research paper provides a complex analysis of Human Rights violations, its affects, social structure injustice, Humanity democracy, politics, Government, Efforts to strengthen Human Rights Protection. The study is based on a systematic content analysis of official documents, press releases, news paper, Articles and Interviews. Quantitatively, I have collected all available information and also identified the most recurrent terminology and keywords, which were reported whenever possible It also consists of Articles and Sections and also different steps taken in a whole or in general or individual with the time to time development and issues in the field of human rights which help in violating and protecting people around the world. The case studies analysed in this Research report reveal a number of similar trends as well as some stark differences.

Keywords - Human Rights, Human safety, Rights and violation, case study, violence, crises, Reports, India, Human Rights Council.

Introduction - While Human Rights have long been defended and promoted as a value in their own right, the evolution of global politics, has increasingly shown that human rights abuses can also become international security issues and threaten the stability of the international system. For instance terrorism can be fuelled by human rights violations. Migration flows are exasperated by refugees fleeing abusive governments. Failed states incapable of defending their own citizens can easily trigger civil wars and destabilize entire regions with spill-over effects on to the global arena. Almost every day there are chilling instances of violence, ethnic cleansing heinous torture, child abuse, man slaughter and several other human rights violations, Despite the adoption of universal Declaration Human Rights (1948) and special covenants provided for the rights of children, women and disabled, crimes continue unhindered and unabated. Human Rights describe equal rights and freedom for anyone and everyone regardless of race, colour, sex, language, religion and political affiliation. All human live in societies together and born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood, Human rights are fundamental to human existence.

Human Rights Violation - Human Rights advocates agree that sixty years after its issue, the Universal Declaration of human rights is still more a dream than reality. Violations exist in every part of the world. For example Amnesty International's 2009 world Report and Other Sources show that individuals are:

1. Tortured or abused in atleast 81 countries
2. Face unfair trials in atleast 54 Countries.
3. Restricted in their freedom of expression in at Least 77 Countries.

Not only that but women and children in particular marginalized in numerous ways, the press is not free In many countries and dissenters are silenced, too often permanently. While some gains have been made over the course of the last six decades, human rights violations still plague the world today.

Poverty as a causative - Poverty is a ruthless task master; it exacts an exorbitant price in terms of denial of basic human rights i.e. food, shelter, clothing, education, health care etc which in turn constitute basic necessities of life. An analysis of constitutional and other safeguards becomes pertinent to gauge the efficacy of the law in relation to the millions who have no other recourse but the arsenal of justice. Article 21 is the magna carta of the constitution of India which says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

It is noteworthy to mention that the fundamental right to life and personal liberty is inherent and is not conferred upon as by the constitution. These are primary personal rights without which civil and political rights are rendered meaningless.

The court has held that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes with it, namely the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing and shelter.

In Bandhua mukti morcha, where the question of bondage and rehabilitation of some laborers was involved, Bhagwati J held that the fundamental right to live with human dignity is congruous with the right to life and derives its life breath from the directive principles of state policy and particularly clauses (e) and (f) of Articles 39,41,42.

*Asst. Prof. (Law) Shri Jawaharlal Nehru Law College, Mandsaur (M.P.) INDIA

Again in the Olga tellis case the court held that the right to livelihood is included in the right to life as no person can live without the mean of living.

However these rights has no meaning to those who are living below the poverty line (31% of Indian population lives below the poverty line). The noble ideals of social, economic and political justice as embodied in preamble and other parts of the constitution remain an unrealized dream for millions of our fellow citizens.

The fact remains that India has the largest population in the world that goes to bed without any food, the largest population who has no clothes to wear and the largest number of beggars.

India is not shining on 750 million of its people who have no basic toilet facilities; on 510 million humans with no access to essential drugs. The state have not successfully accomplished the implementation of mid- day meal schemes directive given by supreme court in this matter. This is just a minuscule impact of poverty.

Denial of education - In Unni krishnan Vs state of A.P, the Supreme court has recognized a fundamental right to education in the right to life under Art 21. Taking the aid of Articles 41 and 45 it has held that every child or citizen of this country has a right to free education until he completes 14 years age.

It differed from mohini jain's case in the sense that right to education is subject to the limits of economic capacity and development of state. Even after the Unnikrishnan case improvement in the situation has been frugal. Consequently the govt. enacted the Constitution (Amendment) Act 86 in 2002 by virtue of which Art 21A provides free and compulsory education to all children of the age 6 to 14 as the state may by law determine.

The reality however is hard hitting The question arises as to the implementation of this gigantic task. Poverty breeds poverty. The vicious circle of poverty denies to lakh of children the right to education, despite the fundamental right that children below 14 years of age shall be given access to primary education. A country's progress depends upon development of its populace. Education is an arsenal to achieve the same. However in our country, widespread illiteracy still continues to persist. The government does not have adequacy of funds to run its own educational institutions Education is undergoing privatization. The result is that schools have become centers for exploitation due to colossal fees charges and the common man is deterred by the affordability factor.

The relevant reasons are lack of infrastructure, absence of relevant education, law attendance, high drop out rates etc. Even after five decades of independence 50 % of the children ate dropouts. Sex is one of the significant differentials of illiteracy that is characterized by a strong patriarchic value system. The level of literacy is about 64 % for males and about 39 % for females.

India's failure to achieve the universal literacy even after fifty six years of independence is shocking. At the present rate it would take another 50 year to achieve total literacy. Education is the sign of a civilized society and the lack of it is one of the primary reasons for the commission of unpardonable crimes and intolerance.

Subjugation of Women - In India women constitute nearly fifty percent of our population Women are denied Human Rights from the cradle to the grave. Infanticide is rampant in certain parts of the country where the birth of a girl child is not welcome. Nearly forty- one percent of the women abroad play an active role in the production process, In India the situation leaves much to be desired. Sexual abuse and flesh trade are gnawing evils, which threaten the existence of women as independent entities.

Dowry is the greatest crime against women. Women are virtually sold into the marriage market Huge dowries are still demanded even when the girl can supplement the man's income In such a milieu, a women enjoys no rights because she is a woman. Rape is a weapon to subjugate women The woman is safe nowhere. Justice prides herself on being build to everything but the truth yet as for as rape is concerned, the facts paint a different picture. In the Mathura case- The judgement did not distinguish between consent and forcible submission correspondingly the judgements in Bhanwari devi and a few other cases were unjust and favor of the accused. In a significant judgement of Vishakha Vs state of Rajasthan, the supreme court laid down exhaustive guidelines for preventing sexual harassment of working women in their place of work until a legislation is enacted for this purpose.

Bias in the law Negates effective Implementation - AS a whole, the process of law is biased against the victim If the victim is a minor, the onus is on the accused to prove his innocence But if the victim is a major it is up to her to prove her charge.

Also in rape cases, unless the woman is examined medically within 24 hours, it becomes difficult forensically to prove that rape has occurred.

The laws too are very discriminatory in nature According to section 155 (4) of India Evidence Act, when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish, it may be shown that the prosecutrix (victim) was of generally immoral character.

Section 54 of Indian Evidence Act says in criminal proceedings (including rape) the fact that the accused person has a bad character is irrelevant, unless evidence has been given (by him) that he has a good character, in which case it becomes relevant.

Forced cohabitation and sexual harassment is the norm Justice is rarely meted out to such victims who either do not lodge a complaint for the fear of a social stigma.

Moreover the accused gets acquitted due to a poor prosecution, hostile witnesses and the like In India the rate of conviction is about 2-3 %

Thousands of widows and elderly people are left to fend for themselves Insensitivity, non- action and a lack of desire to come forward are responsible factors. Do we mean

to say that are daughters, mothers, sisters have no rights?

State as the violator of Human Rights - According to mr.J.J.verma, the former chairman of NHRC, a startling revelation is that, it is often the state which is the violator of human rights in maximum cases In the country.

Significant human rights issues includes unlawful and arbitrary killings including extra judicial killings perpetrated by police, torture and cases of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by some police and prison officials, arbitrary arrest and detention by the government authorities.

Conclusion - Human rights which seems to be simple words but in reality it is hard to justify these words. In country like India which is largest democracy in world Indian judiciary failed to protect human rights in many ways.

Presently there is a wide spread acceptance of the importance of human rights in the international structure However one will not hesitate to admit that there is a confusion prevailing as to its precise nature and Scope and the mode of International law as to the protection of these rights. One valuable lesson that the history of human rights teaches us is that they are not static but are developed in response to new modes of political thought and changes in the International environment.

References :-

1. Perspectives on Human Rights- R.K. Awasthi
2. Women and Human Rights- G.S Rawat
3. Human Rights and Social work- S.N Jain
4. The concept of Human Rights- Dr. Pandey
5. Human Rights in constitutional law- Dr. J.N. Tiwari

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

An Analytical study of the role of ICT in 21st century's Teacher education

Dr. Harsha Kshirsagar*

Introduction - India is a global leader in information and communication technology and in other cutting edge domains, such as space the digital india campaigns helping to transform the entire nation to digitally empowered society and knowledge economy while education will play a critical rate in this transformation technology itself will play a very important role in the improvement of educational process and outcomes true the relationship between technology and education at all levels is bidirectional.

In this 21st century the term technology is an important issue in many fields including education. This is because technology has become the knowledge transfer highway in most centuries. ICT is part of our level for the last few decades affection our society as well as individuals life ICT integration now a days has gone through innovation and transformed our societies that has totally changed the way people think work and live [grabe, 2007] As part of the schools and other education institutions which are supported to the prepare students to live in "a knowledge furthermost the ICT has influence on students which permitting them to any place of learning use of the new technology of ICT the off campus delivery was choice of students who are unable to classes ICT can be energetic pupils students will be conscious of what information they why they need it and how they can get that information.

ICT have revolutionized the way of teachers work today and transformer the teaching learning system. As a result if schools train students in yesterday's skills and technologies they may not be effective and suitable in tomorrow's world.

This research work is little effects towards for use of ICT in effective teaching learning process society need to consider ICT integration in their curriculum.

Integration of ICT in education refers to the use of computer based communication that incorporates into daily classroom instructional process.In conjuction with preparing students for the current digital era teachers are seen as the key players in using ICT in their daily classrooms.This is due to the capability of ICT in providing dynamic and proactive teaching learning environment while the aim of ICT integration is to improve and increase the quality , accessibility and cost efficiency of the delivery of instruction to students it also refers to benefits of networking and learning communities to face the challenger of current globalization. Process of adoption of ICT is not a single step but it is ongoing and continuous steps that fully support teaching and learning and information resources [young 2003].

Need and significance of the study- Today's the scenario of the classroom is changing. There is a technological gap between the progress of the society and instructional activities of the teacher in the classroom.

In society on the one hand technology has revolutionalized due society and other hand the teaching learning activities at school level.

In our classroom the knowledge is imported by the teacher in an ancient way.

A traditional teaching style and teacher centric mode which is most of the time boring and not to gain interest to the student. But present 21st century's education system student centric education.

Technology integration now days has gone through innovation and transformed our education that has totally changed the way of teaching-learning style. Integration of ICT in education refers to the use of computer based communication that incorporates in to daily classroom instructional process in conjunction with preparing students for the current digital era. Teachers are seen as key players in using ICT in their classroom. This is due to the capability of ICT in providing dynamic and proactive teaching learning environment. so the teacher should prepare to cope up technology focusing them in the classroom for making teaching learning interested.

For effective implementation of certain student centric metedologies such as innovative teaching improve and increase process in Conjunction with preparing students for the current digital ero. teacher are seen as key players in in using ICT in their class rooms .This is due to the capability of ICT in providing dynamic and proactive teaching learning environment so the teacher should prepare to cope up with different technology for using them in the classroom for making teaching learning interested.

For effective implementation of certain student centric methodologies such as innovate teacher improve and increase the quality and accessibility and efficiency of the delivery off instruction to student. Student learn

*Principal, B.C.G. Shiksha Mahavidhyalaya, Dewas (M.P.) INDIA

formmultisource ad for this reason use of ICT and multimedia is very much essential in teaching learning process simultaneously effectives of ICT integration in teaching learning process in school also Required.

So present study will focus on identifying how ICT can be used to facilitate the teaching and learning process to enhance the capacity of artificial ticlligos Innovalues technology in their cognition.

Thus present Research study small will do small effort to words built the ICT bridge which fill the learning process technological gap between teacher and student in teaching learning process

Objective of the Research study Analysis :

1. To find out /the Role of the ICT in 21st century's Teacher Education.
2. To Find out the Teacher's Perception of ICT integration in teaching process.
3. To find out the effectiveness of technology based teaching and learning for student's.
4. To find out the effectiveness of effective elements of ICT integration in teaching in upper primary school of Amreil District.

Reaserch Design- In this reaserch,the qualitative reaserch methodology will be used to collect data. The data will be analyse obtained from all the respondents.The reaserche will develope the questionnaire.will be design specifically to address reaserch objectives in regard with the effectiveness of ICT integration for students in learning and effective elements of ICT integration for students in learning and effective elements of ICT integration in government upper primary schools in Ameri District.

Population And Sampling - The sample is the process of selection of population for Reaserch work .For presnt study upper primary schools will be taken the reasercher will select the 10 upper primary government schools of Almeri District. These schools will belongs to urban as will as Rural area of Almeri District .Highest academic qualification and ability of handling ICT in Teaching.

Section B will comes with 15 items that looks in to teacher's perception of ICT integration for students in learning .

Section C will consists of 10 items that looks in to the effectiveness of ICT integration for students in learning .

Section D will consist with 10 items that looks in to the effective elements of ICT integration in Teaching.

The questionnaire used for the quantitative study will adapted and modified from original questionnaire design by culbahar n Guven[2008] that is consider suitable for unireaserch. Some of item s will be changed by Researchers accordingly with the title chosen.

Data collection process - The questionnaire will be distributed through online and offline mode to all Respondents.The Respondents would be given two aspects to complete filled up questionnaire will be collected for further data analysis by Reasercher to get the out put and finding after reaserch.

Data analysis process - All the data which be collected from the respondents,gathered together to will be analyzed using statistical package for the social series [SPSS]version 21.The Reaserches will used descriptive Analysis to analyze the frequency and percentage of the our all population. It will also used to determine the mean, standard deviation, frequency and percentage to identify the effectiveness of ICT integration in teaching n learning.

Education Implication:

1. ICT in education will improves engagement and knowledge retention when ICT will integrated in to lessons students become more engaged in their work.
2. ICT can also helps in effective use of software and hardware for teaching n learning process.
3. ICT can helps in improve teaching skills helps to innovative teaching.
4. ICT helps teacher to pass information to students whining a little time.
5. It can replace the ancient technology Now a day's students are always have competitive mind. So teacher must have the knowledge of the subject.Which can be done through ICT.
6. ICT can remove the traditional method of Teaching and prepare teacher to apply modern method of teaching.

Reference :-

1. Personal Research.

****

बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार

कपिल शर्मा *

शोध सारांश – बुन्देलखण्ड भारत देश का पठारी इलाका है। वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सात जनपद जालौन झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बाँदा तथा चित्रकूट आते है।

वर्ष 1951–52 प्रथम आम चुनाव से लेकर वर्ष 2019 तक सम्पन्न आम चुनावों का परिदृश्य यह बताता है कि बुन्देलखण्ड से अबतक कुल 65 सांसदों ने बुन्देलखण्ड का प्रतिनिधित्व किया है, उनमें सर्वाधिक 24 सांसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दूसरे स्थान पर 21 सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। उत्तरप्रदेश विधानसभा के प्रथम विधानसभा चुनाव से सत्रहवें विधानसभा चुनावों का परिदृश्य बताता है कि बुन्देलखण्ड से अब तक 349 विधायकों ने उत्तरप्रदेश विधानसभा में बुन्देलखण्ड का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें सर्वाधिक 137 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की है। वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड की समस्त लोकसभा तथा विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं विधायक हैं।

प्रस्तावना – बुन्देलखण्ड की राजनीति में प्रथम आम चुनाव तथा प्रथम उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से ही अनेक राजीतिक दलों ने बुन्देलखण्ड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। बुन्देलखण्ड से स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी विधानसभा में अपनी अच्छी खासी भूमिका का निर्वहन किया है।

बुन्देलखण्ड की राजनीति में सियासत की शुरूआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की परंतु बुन्देलखण्ड में क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पाटी के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस का मत प्रतिशत व जनाधार दिन प्रतिदिन कम होता गया। बुन्देलखण्ड में बहुजन समाज पार्टी ने दलित वोट और समाजवादी पार्टी ने यादवों, ओबीसी एवं मुस्लिम वोटरों को आकर्षित कर बुन्देलखण्ड की विधानसभा में 1989 से 2012 तक लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल की और लोकसभा में भी वर्ष 1999 से 2009 तक हुये तीन लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बुन्देलखण्ड में सोलहवे लोकसभा चुनाव 2014 से अप्रत्याशित है। इस चुनाव में भाजपा ने बुन्देलखण्ड की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्रहवे विधनसमा चुनाव (2017) में भाजपा ने बुन्देलखण्ड की सम्पूर्ण 19 सीटों पर विजयी प्राप्त की और यह जीत अबतक की सबसे बडी जीत साबित हुई, क्योंकि बुन्देलखण्ड में अबतक किसी भी पार्टी को सारी विधानसभा सीटें प्राप्त नही हुई है। सत्रहवे विधानसभा चुनाव की जीत का इतना महत्व रखना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि बुन्देलखण्ड की 19 विधानसभा सीटों में से 5 सीट (नरैनी, राठ, उरई सदर, महरौनी तथा मऊरानीपुर) सुरक्षित है। इन सीटों पर लखभग हमेशा बहुजन समाज पार्टी की जीत होती आई थी क्योकि इन सीटों पर दलित वोटर अधिक हैं। भाजपा ने दलित वोटों को भी अपने समर्थन में लेकर बुन्देलखण्ड में अप्रत्याशित विजय प्राप्त की। भाजपा ने सत्रहवें विधानसभा चुनाव (2017) के पश्चात् सत्रहवें आम चुनाव (2019) में बुन्देलखण्ड की चारों लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की।

विवरण – लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व:– बुन्देलखण्ड में चार लोकसभा सीटें हैं जो कि निम्नवत् हैं–

1. **जालौन:–गरौठा (क्रमांक सं0 45)**
2. **झाँसी:– ललितपुर (क्रमांक सं0 46)**
3. **हमीरपुर:–महोबा (क्रमांक सं0 47)**
4. **बांदा:– चित्रकूट (क्रमांक सं0 48)**

बुन्देलखण्ड की राजनीति में भाजपा से कदम रखने वाले प्रथम प्रत्याशी राजेन्द्र अग्निहोत्री है। राजेन्द्र अग्निहोत्री ने वर्ष 1984 में 1,29,106 मत प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया और वर्ष 1989 में 2,83,571 मत प्राप्त कर झाँसी लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त की। बुन्देलखण्ड में भाजपा की राजनीति की शुरूआत झांसी लोकसभा सीट और प्रत्याशी राजेन्द्र अग्निहोत्री से हुई। दसवें आम चुनाव (1991) में भाजपा ने बुन्देलखण्ड की चारों सीटों पर विजय प्राप्त की। ग्यारहवें आम चुनाव वर्ष (1996) में बांदा को छोडकर तीन सीटों पर विजय प्राप्त की तथा बारहवें आम चुनाव (1998) में पुन: चारों सीटों पर विजय का परचम लहराया। तेरहवें आम चुनाव (1999) में भाजपा को एक भी सीट प्राप्त नही हुई। चौदहवें आम चुनाव (2004) में केवल एक सीट जालौन लोकसभा पर भाजपा अपने एक उम्मीदवार को जिता सकी। पन्द्रहवें आम चुनाव (2009) में पुन: भाजपा को चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा परन्तु सोलहवें तथा सत्रहवें आम चुनाव में भाजपा का स्वर्णिम सफर रहा इन चुनावों में भाजपा ने भारी मत प्राप्त कर चारों सीटों पर विजय प्राप्त की।

वर्ष	जालौन (45)	झांसी (46)	हमीरपुर (47)	बांदा (48)	कुल
1989	–	✓	–	–	1
1991	✓	✓	✓	✓	4
1996	✓	✓	✓	–	3
1998	✓	✓	✓	✓	4
1999	–	–	–	–	0
2004	✓	–	–	–	1

* शोधार्थी एम0फिल0 (राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन अध्ययनशाला) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

2009	–	–	–	–	0
2014	✓	✓	✓	✓	4
2019	✓	✓	✓	✓	4
योग	6	6	5	4	**21**

भारतीय संसद में बुन्देलखण्ड से अबतक 21 सांसद भारतीय जनता पार्टी से चुनकर जा चुके है।

विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व – बुन्देलखण्ड में वर्तमान समय में 19 विधानसभा सीटें है। पूर्व में यह संख्या 21 थी। वर्ष 2012 में हुये परिसीमन से 2 सीटें (कोंच तथा मौदहा) को खत्म कर दिया गया।

बुन्देलखण्ड की 19 विधानसभा सीटें निम्नवत् हैं:

1. माधावगढ़ (219)
2. कालपी (220)
3. उरई (221)
4. झांसी सदर (223)
5. बबीना (222)
6. मऊरानीपुर (224)
7. गरौठा (225)
8. ललितपुर (226)
9. महरौनी (227)
10. हमीरपुर (228)
11. राठ (229)
12. महोबा सदर (230)
13. चरखारी (231)
14. तिंदवारी (232)
15. बबेरू (233)
16. नरैनी (334)
17. बांदा सदर (235)
18. करवीं (236)
19. मनिकपुर(237)

भाजपा ने बुन्देलखण्ड की राजनीति की शुरूआत झांसी सदर विधानसभा सीट से राजेन्द्र अग्निहोत्री को जिताकर की। भाजपा की शुरूआत 1980 में एक सीट के माध्यम से होकर आज वर्तमान में सम्पूर्ण 19 विधानसभा सीटों पर पहुँच गयी है। वर्ष 2017 में सम्पन्न सत्रहवे उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बुन्देलखण्ड की 100 प्रतिशत विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त की।

आठवे विधानसभा चुनाव (1980) से सत्रहवे विधानसभा चुनाव (2017) में भाजपा को प्राप्त सीटों का विवरण–

वर्ष	प्राप्त सीट	वर्ष	प्राप्त सीट
1980	1	1996	7
1985	2	2002	6
1989	5	2007	1
1991	11	2012	3
1993	6	2017	19

निष्कर्ष–भाजपा को बुन्देलखण्ड से 100 प्रतिशत लोकसभा तथा विधानसभा सीटें प्राप्त तो हो गयीं है, परन्तु भाजपा ने अब तक बुन्देलखण्ड की समस्याओं के समाधान हेतू ठोस प्रयास नही कर पाए है। बुन्देलखण्ड की मुख्य समस्याओं में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूखा प्रमुख है। जिससे बुन्देलखण्ड की ग्रामीण स्थिति बहुत दयनीय है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकडे बताते है। कि झाँसी जनपद को छोडकर अन्य जनपदों में महिला साक्षरता 50–63 प्रतिशत है। सबसे कम साक्षरता दर ललितपुर जनपद की 50.84 प्रतिशत है। बुन्देलखण्ड की लगभग 80 प्रतिशत आवादी ग्रामीण है, बुन्देलखण्ड आज भुखमरी, बेरोजगारी, आत्महत्या तथा पलायन करने बालों का पर्याय बनकर रह गया है। कर्ज का मर्ज आमलोगों की मौत का सबस बनता जा रहा है। बुन्देलखण्ड का युवा हताशा और निराशा का शिकार है। अच्छे दिनों की आस को छोडकर वह मेहनत और मजदूरी के लिये महानगरों की ओर पलायन कर रहा है, ताकि रोजी–रोटी का बन्दोबस्त कर सके। फिर भी आशा और विश्वास के साथ कि कल अच्छा होगा, हम जी रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. मौर्य, डॉ0 राजबहादुर, उत्तर प्रदेश विधानसभा अतीत से वर्तमान (1952–1917) एक विश्लेषणात्मक विवरण, दुसाध प्रकाशन लखनऊ, 2019
2. भारत सन्दर्भ ग्रन्थ– 2004, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार वर्ष 2004
3. मौर्य, डॉ0 राजबहादुर, इंसाफ मांगती बुन्देली धारा, दुसाध प्रकाशन लखनऊ, 2015
4. भारत निर्वाचन आयोग
5. भारत जनगणना 2011

****

प्राचीन काल से मौर्यकाल तक महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

डॉ. दीपक सिंह* चंदा सिंह **

शोध सारांश – किसी भी समाज व राष्ट्र की स्थिति को वहाँ की नारियों की सामाजिक स्थिति को देखकर आंका जा सकता है। प्राचीन काल में भारतीय समाज गौरवशाली था। उसके निर्माण का श्रेय प्राचीन काल की नारियों को दिया जा सकता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में नारियों को शिक्षा, धर्म, विवाह आदि विभिनन क्षेत्रों म स्वतंत्रता प्राप्त थी व पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वे स्वतंत्रतापूर्वक पुरूषों के साथ विद्वानों की गोष्ठियों में और दार्शनिक वाद-विवादों में भाग लेती थी। उन्हें हर क्षेत्र में पुरूषों के समान अवसर उपलब्ध थे। मौर्यकाल पर लिखी गई पुस्तकों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि मौर्यकाल में भी महिलाओं को प्राचीन काल की भांति गौरवशाली व सम्माननीय स्थान प्राप्त था। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञ करने, ज्ञान प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त थे। वे प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के समान भाग लेती थीं। उस समय की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महिलाओं की विशेष भूमिका थी। गृहकार्य से लेकर कृषि, पशुपालन, प्रशासन, यज्ञ कर्म से लेकर आध्यात्म साधना तक के कोई भी क्षेत्र महिलाओं के विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रतिभा एवं कौशल की छाप से अछूते नहीं थे। स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्थितियाँ मजबूत थीं।

प्रस्तावना – सभ्यता के सृजन के दो शिल्पी क्रमश: स्त्री और पुरूष, एक के अभाव में दूसरा अधूरा है। दोनों के परस्पर व्यापी सम्बन्धों से ही जीवन को गतिशीलता मिलती है। गति ही प्रगति का मूल है। अत: नैसर्गिक रूप से समाज के सर्वांगीण विकास में नारी की भूमिका को अस्वीकार करना सत्य से मुँह मोड़ने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। चाहे प्राचीन भारत हो अथवा अर्वाचीन भारत।

इस दृष्टि से प्राचीन भारत में नारी की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों की विवेचना करना अत्यन्त समीचीन प्रतीत होता है। किसी भी मानवीय सभ्यता की परिकल्पना नारी के बिना अधूरी होगी या दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि नारी को अभिकेन्द्र से बहिष्कृत करके सभ्यता की परिकल्पना कदापि नहीं की जा सकती। सृष्टि निर्माता ने सृष्टि की रचना के लिए स्त्री एवं पुरूष को एक दूसरे के परिपूरक बनाया इसी के निमित्त प्रकृति ने स्त्री एवं पुरूष के दो भिन्न-भिन्न रूपों का निर्माण किया इन्हीं परस्पर विरोधी गुणों एवं स्वभाव वाले भिन्न-भिन्न प्राकृति के गुणों वाले लोगों का मिलन ही इस सृष्टि का आधार है। नर में कर्म की प्रधानता रहती है तो नारी में भाव पक्ष की प्रधानता होती है। पुरूष कठोरता, सक्रियता, शक्ति एवं शौर्य का प्रतिक है तो नारी कोमलता, मधुरता सुकुमारता की साक्षात प्रतिमा है।

पुरूष समाज के न्याय भावना का प्रतीक है तो नारी दयाभावना की। पुरूष का कर्तव्य शुष्क है तो दूसरी ओर स्त्री का स्वभाव सरस है। पुरूष यदि बल का प्रतीक है तो स्त्री हृदय की प्रेरणा है। पुरूष का जीवन संघर्ष से प्रारम्भ होता है तो नारी का जीवन आत्म-समर्पण से प्रारंभ होता है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति

पुत्री के रूप में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – वैदिक काल में पुत्री के जन्म पर दु:खी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है किन्तु सामाजिक वातावरण में पुत्र जन्म की कामना करना स्वभाविक था। अयोग्य पुत्र के स्थान पर योग्य कन्या का जन्म माता-पिता अधिक श्रेष्ठ मानते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि 'पुत्र के जन्म से पिता को जो आनन्द मिलता है वहीं आनन्द पुत्री के जन्म से माता को बल्कि उससे भी कहीं अधिक।'

वेदों में एक पंक्ति है-वह पुरूष धन्य है जिसकी कई पुत्रियाँ हैं। पिता पुत्र के समान ही पुत्री के सुख व कल्याण की कामना भी करता था। शुभ अवसरों पर पुत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। भारत में वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक परिवारों में कन्या का आदर किया जाता था, कन्याएँ परिवार का गौरव मानी जाती थीं।

कन्याओं की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था, वे वेदों का अध्ययन करती थीं तथा मन्त्रोचारण भी करती थीं। कन्याओं का विवाह युवावस्था में होता था, वे 16 वर्ष की अवस्था तक अविवाहित रहती थीं, गुरुकुलों में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थीं।

कन्याओं के लिए वेदाध्ययन आवश्यक था क्योंकि स्त्रियों को भी नियमित रूप से प्रात: व संध्या काल में वैदिक प्रार्थनाएँ करनी पड़ती थीं। पत्नियां यज्ञादि में अपने पति के साथ मंत्रोचारण करती थीं। रामायण में विवरण है कि सीता नियमित रूप से संध्या पाठ करती थी।

अध्ययन के पश्चात् कुछ स्त्रियाँ अध्यापन का कार्य भी करती थीं। शिक्षिकाओं को 'उपाध्याया' कहा जाता था। माता-पिता अपनी पुत्रियों को उनके पास शिक्षा ग्रहण करने भेजते थे, किन्तु स्त्री शिक्षिकाओं की संख्या अधिक नहीं थी।

इस काल में लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा, सिकता, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ लिखीं। साधारण परिवारों की कन्याएँ घर पर ही अपने माता-पिता, भाई आदि से शिक्षा ग्रहण करती थी।

* इतिहास विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा (उ.प्र.) भारत
** इतिहास विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा (उ.प्र.) भारत

कुछ स्त्रियाँ जैन व बौद्ध धर्म ग्रहण कर भिक्षुणी के रूप में देशाटन करते हुए भी विद्यार्जन करती थीं, स्त्रियों की शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था।

कौशाम्बी के राजा सहस्त्रानीक की पुत्री जयन्ती ने तीर्थाकर महावीर के धर्म सम्बन्धी तर्कों से संतुष्ट होकर प्रव्रज्याग्रहण की तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती रही। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा बौध धर्म के प्रचार के लिए लंका गई थी।

स्त्री शिक्षा के मुख्य विषय चित्रकला, संगीत, नृत्य, पाक विद्या एवं दार्शनिक थे। सैनिक शिक्षा प्राप्त करना व सैनिक व्यवसाय अपनाने का मार्ग भी स्त्रियों के लिए खुला था। सैनिक व्यवसाय गहण करने वाली स्त्रियाँ अधिकाशंत: विदेशी जातियों की होती थीं। मैगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त की महिला अंग रक्षिकाओं का उल्लेख किया है।

पत्नी के रूप में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – प्राचीन काल से ही भारत में समाज की इकाई कुटुम्ब मानी जाती रही है। यह मान्यता मौर्य काल में भी यथावत् विद्यमान थी। कुटुम्ब का निर्माण विवाह संस्कार पर आधारित माना जाता था। प्राचीन काल तथा मौर्य काल में विवाह संस्था पूर्णत: सुसंगठित तथा शास्त्रों के नियम पर आधारित थी। विवाह के बाद कन्या पत्नी बन जाती है और अपने पति के घर रहने चली जाती है। पति–पत्नी दोनों के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित हो जाते हैं और दोनों को इनका पालन करना पड़ता है। पत्नी को कुलभूषण मानकर परिवार में उसे श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया।

पति व पत्नी के लिए वेद में दम्पत्ति शब्द आया है जिससे स्पष्ट है कि दोनों समान रूप से घर के स्वामी माने जाते थे, बिना पत्नी के मनुष्य अपूर्ण रहता है। बिना पत्नी के यज्ञ भी अपूर्ण समझा जाता था। पति–पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ सम्पन्न करते थे। विवाह के पश्वात् पतिगृह आने वाली नववधु को ससुराल में ससुर, सास, ननद, देवर, आदि सभी सदस्यों के हृदय की रानी बनने का आशीर्वाद दिया जाता था। पुत्रवधु को साम्राज्ञी के समान उत्कृष्ट पद प्रदान किया गया था। नारी के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती थी। घर की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी नारी होती थी, यद्यपि परिवार का प्रधान कुटुम्ब का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, परिवार की सबसे बड़ी स्त्री अपने पति के अधीन होते हुए समस्त कार्यो की संचालिका होती थी। घर के नौकरों और दासों पर पूर्ण अधिकार रखती थी, वृद्ध सास–ससुर, देवर, ननद सभी का वह आदर करती थी। सभी पर उसका नियत्रंण रहता था। पत्नियाँ गुरुजनों का आदर करती थी, अतिथियों का सत्कार करती थी। महाभारत में पत्नी को पति की प्रसन्नता की कुंजी कहा गया है क्योंकि पुत्र, पुत्रियों, पुत्र वधुओं से घर परिपूर्ण होने पर भी व्यक्ति का जीवन पत्नी के बिना सूना होता है तथा गृहणीविहीन घर वन के समान होता है।

गृह व्यवस्था पत्नी के हाथों सौंप कर सभी कार्यों में उसके विचार लिये जाते थे। परिवार तथा समाज में पत्नी को उच्च स्थान प्राप्त था, बदले में पत्नी से अपेक्षा की जाती थी कि वह गृह कार्य में दक्ष हो, मितव्ययी हो, साथ ही परिवार में स्वच्छता व प्रसन्नता का वातावरण रखे। कालान्तर में पत्नियों को अनेक नियमों एवं बंधनों में जकड़ दिया गया।

बहुपत्नी की प्रथा के कारण परिवार में पत्नी का स्थान काफी निम्न हो गया था। पति की तुलना देवता से करना, पति, ससुर आदि से पहले उठना, उनके बाद भोजन ग्रहण करना तथा नीचे आसन पर बैठना सभी पत्नी के कर्त्तव्य बताए जो पत्नी की कमतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। मौर्य युग में स्त्रियों को घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी उन्हें प्राय: घर के भीतर ही रहना पड़ता था। पति की इच्छा के विरुद्ध वे कार्य नहीं कर सकती थी। स्त्रियाँ प्राय: घर में ही बन्द रहती थीं। उन्हें यह अनुमति नहीं थी कि वे अपने पड़ोसी, भिक्षुक या सौदागर को अपने घर के भीतर आने दे।

कौटिल्य के अनुसार स्त्रियां अपनी जातियों के कुल में भी केवल उसी स्थिति में जा सकती थीं जहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, या कोई रोगी हो, या उन पर कोई विपत्ति आ गई हो या कोई बच्चा होने वाला हो। तीर्थयात्रा आदि के प्रयोजन से भी स्त्रियों को घर से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त थी।

मौर्य युग में भी वैदिक युग के समान पत्नी को समाज व परिवार में उच्च स्थान प्राप्त था, परन्तु विवाहित स्त्रियों को अनेक बन्धनों में रहना पडता था। मौर्य युग में स्त्रियाँ प्राय: घर के अन्दर ही रहा करती थीं। पर पुरूषों से मिलना जुलना उनके लिए निषेद्ध था।

माता के रूप में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – भारतीय संस्कृति में माता–पिता को देव तुल्य माना गया है। स्त्री माता के रूप में सदैव वंदनीय रही। महाभारत में माता को गुरु कहा गया है। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने माता को गुरु और पिता से श्रेष्ठ कहा है। माता को सभी शास्त्रकारों ने सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। एक पुरूष से संबंधित जितनी भी स्त्रियाँ परिवार में होती हैं उन सब में तो माता का स्थान सबसे ऊँचा है। माता को देवताआ से भी अधिक पूज्य कहा गया है। वशिष्ठ कहते हैं कि माता का आश्रय पाकर ही समस्त प्राणधारी जीवित रहते हैं। माता को प्रसन्न रखना पुत्र का कर्तव्य था और माता की प्रसन्नता के लिए वे हर संभव प्रयास करते थे। अपनी संतान के लिए अनेक प्रकार के कष्ट एवं यातनाएँ सहकर भी माताएँ सुख का अनुभव करती हैं। पति की मृत्यु के पश्चात् संतान का पालन–पोषण करना माता का कर्तव्य था। इसके लिए उसे अनेक कष्ट भी सहने पड़ते थे। माताएँ यथासमय बच्चों को भोजन आदि देने का ध्यान रखती थीं। खजुराहो के मंदिरों में बच्चे कहीं–कहीं अपनी माँ की चुनरी या हार पकड़कर भोजन मांग रहे हैं।

प्राचीनकाल से ही घर बच्चे के लिए पहली पाठशाला है और माता पहली गुरु। माताएं अपनी संतानों से असीम स्नेह करती है। कभी–कभी तो यह मोह इतना बढ जाता है कि माताएं अपने समस्त कर्तव्य विस्मृत कर देती थी।

माता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरी थी, उसे ध्यान में रखकर ही पुत्र कार्य करते थे। स्वयं को माता का दास मानकर पुत्र माता की आज्ञा का पालन करते थे। माताएँ भी अत्यंत निर्भिकता से अपनी संतान की रक्षा करती थीं। नारी सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में पत्नी एवं माता के रूप में पूजनीय रही। माता साक्षात् भगवान का ही रूप होती है। इसलिए समस्त देवियों को माँ कहकर संबोधित किया गया। 'माँ' की कृपा से ही मानव जाति फलती फूलती है।

विधवा के रूप में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – एक नारी के जीवन काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं– प्रथम, कौमार्य जिस काल में वह अपने पिता के घर में रहकर शिक्षा ग्रहण करती है तथा विभिन्न कलाओं का ज्ञान प्राप्त करती है। दूसरा, विवाह के उपरान्त प्रारम्भ होता है।

इसे भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं– प्रथम, 'सधवा'। इस रूप में अपने पति के सानिधय व संरक्षण में रहती हुई जीवन बिताती है। दूसरा रूप 'विधवा' का है। इसमें पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् वह पुत्र–पौत्रों व घर के अन्य सदस्यों के सरंक्षण में रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है।

हिन्दू समाज में विधवा नारी का जीवन अत्यन्त सोचनीय रहा। ऋग्वेद में विधवा शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। एक स्थान पर वर्णन है कि

'मरूत के वग से जिस प्रकार पृथ्वी कांपने लगती है उसी प्रकार पति से विछोह होने (मृत्यु होने) पर स्त्री दु:ख अथवा दुर्व्यवहार की आशंका से कांपती है।' इस वर्णन से इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि विधवा के साथ परिवार में दुर्व्यवहार होता था बाद में उस पर अनेक नियम व बंदिशें लाद दी गईं। पति की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के लिए विधवा को मधु, मांस, मदिरा तथा नमक का त्याग कर भूमि पर शयन करना चाहिए। पति की मृत्यु होते ही नारी का जीवन अत्यन्त कठोर एवं नीरस हो जाता था, उन्हें माता-पिता, भाई, पुत्र, श्वसुर, सास आदि अभिभावकों की अधीनता में रहना उचित बताया गया। विधवा के लिए नियम था कि वे सभी अलंकार त्याग दे, श्वेत वस्त्र धारण करे, कांसे के बर्तन में भोजन करे, अंजन न लगाए, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करे, क्रोधहीन, जितेन्द्रीय, साधवी हो। उसे कुशा की चटाई बिछाकर सोना चाहिए आदि अनेक कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। व्रत एवं आत्मसंयम उनका धर्म माना जाने लगा। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। यदि विधवा स्त्री के कोई संतान नहीं होती थी, कुछ विधवाएँ पुत्रोत्पत्ति के लिए घर के बड़ों की आज्ञा से देवर से नियोग संबंध स्थापित कर सकती थी।

समाज में पुनर्विवाह प्रथा प्रचलित थी। अथर्वेद में उल्लेखित विधवा विवाह से सिद्ध होता है कि समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। वह किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। किन्तु यह भी बन्धन लगा दिया कि परिवार में उपयुक्त व्यक्ति के रहते बाहरी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती थी। कुछ विधवाएँ जिनका पुत्र होता था, बिना दूसरा विवाह किये पति की स्मृति में सादा जीवन बिताती थीं। उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए विधवा धर्म का पालन अनिवार्य था उन्हें विधवा विवाह के अधिकार से वंचित रखा गया था। पुनर्विवाह की प्रथा तो मौर्य युग में भी प्रचलित थी। स्त्री व पुरूष दोनों को ही पुनर्विवाह का अधिकार था। कुछ विशेष परिस्थितियाँ थीं जिनके अन्तर्गत स्त्रियों को भी पुरूषों के समान पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था।

मौर्य युग में ऐसी विधवाओं की सत्ता थी जो पुनर्विवाह न करके स्वतंत्र रूप से जीवन बिताया करती थीं। ऐसी स्त्रियों को 'छन्दवासिनी' स्वतंत्र रूप से रहने वाली विधवा कहा गया। विधवाओं का पालन-पोषण करना कौटुम्बियों का कर्तव्य माना जाता था। विधवाओं को समाज में उन्नत स्थान प्राप्त नहीं था, उन्हें कठोर संयमित व नियंत्रित जीवन व्यतीत करना पड़ता था।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति

पुत्री के रूप में महिलाओं की आर्थिक स्थिति - परिवार में दत्तक पुत्र से पुत्री श्रेष्ठ मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि औरस पुत्र (सगा पुत्र) ने पिता की मृत्यु के उपरान्त अवयस्क बहू को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं दिया था। एक अन्य श्लोक में उल्लेख मिलता है कि अविवाहित कन्या अपने वृद्ध पिता से अपने 'दायांश' के लिए प्रार्थना कर रही है। पुत्र विहीन परिवारों में पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार उस व्यक्ति का लड़की, लड़कियों को मिलता था। महाभारत में भी औरस पुत्र के अभाव में पुत्री को अन्य पुत्रों (गोद लिए) की अपेक्षा ऊँचा स्थान दिया गया है। आपस्तम्ब ने कन्या को अधिकार तो दिया किन्तु सपिंड दायदा, आचार्य व शिष्य के अभाव में उसे अंतिम अधिकारी माना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जिस पुरूष के कोई पुत्र न हो उसका द्रव्य (चल सम्पत्ति) सगे भाई, सहजीवी (हिस्सेदार या संयुक्त रूप से धन्धा करने वाले) प्राप्त करें और उसके रिक्थ (अचल सम्पत्ति) को उसकी पुत्री / पुत्रियाँ उत्तराधिकार में प्राप्त करें। पुत्र के अभाव में प्रत्यासन सपिण्ड दायद होता है। उसके अभाव मे आचार्य, आचार्य के अभाव में शिष्य उसकी सम्पत्ति धर्म कार्यों में लगाए अथवा कन्या उस सम्पत्ति को प्राप्त करे।

महाभारत में भी कन्या के स्वत्व को पुत्र के समकक्ष स्वीकार किया गया है। यदि किसी पुरूष के केवल कन्याएँ हों तो वे पिता की समग्र सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करे। यदि उस पुरूष के पुत्र भी हों तो पिता की सम्पत्ति का आधा भाग पुत्रों को मिले, आधा पुत्रियों को। कौटिल्य भी पुत्री को दायद मानने के पक्ष में थें। उनके अनुसार अभातृ कन्या को उत्तराधिकारिणी घोषित किया गया। अपुत्र का धान उसके सहोदर भाई अथवा सहजीवी कन्याएँ प्राप्त करें। पुत्रवान की सम्पत्ति के अधिकारी धर्म विवाहों से उत्पन्न पुत्र व पुत्रियाँ प्राप्त करें। जो पुत्री परिस्थितिवश अविवाहित रहकर पिता के घर में ही जीवन बिताती थी वह पिता की सम्पत्ति की अधिकारिणी होती थी, क्योंकि अविवाहित होने के कारण उसके पास न तो दहेज के रूप में सम्पत्ति रहती थी न ही पति गृह का स्त्री धन उसके पास होता था। थेरी गाथा से ज्ञात होता है कि यदि पिता सन्यास लेता है और उसका कोई पुत्र न हो तो पुत्री ही सम्पूर्ण सम्पत्ति की स्वामिनी होती थी।

पत्नी के रूप में महिलाओं की आर्थिक स्थिति - वैदिक काल में पत्नी के रूप में नारी को कुछ सीमा तक साम्पत्ति का अधिकार प्राप्त थे। आपस्तम्ब ने कहा कि पति की अनुपस्थिति में पत्नी को गृहस्थ धर्म से सम्बद्ध समस्त व्ययों को करने का अधिकार है।

पत्नी को 'पारिणाहय' अर्थात् घर की वस्तुओं की स्वामिनी स्वीकार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि पत्नी पति के दाय की उत्तराधिकारिणी होती थी। जब याज्ञिक कर्मकाण्ड में पवित्रता का विचार बढ़ जाने से स्त्रियों की धार्मिक स्थिति को जो आघात पहुंचा उससे वैदिक युग के अन्त में हिन्दू नारी के साम्पत्ति अधिकारों का भी हास हुआ। यज्ञाधिकार के साथ-साथ दयाधिकार से भी स्त्रियों को पूर्णतया वंचित किया जाने लगा। तैतरिय संहिता में उल्लेख है कि यज्ञ में नारियों द्वारा दिया गया सोमनिर्वीय (निरिन्द्रिय) हो जाता है अत: नारियों को निरिन्द्रिय तथा दाय को ग्रहण न करने वाली अर्थात अदायद माना गया है। इस कथन के आधार पर आगामी शास्त्रकारों ने स्त्रियों को दायद से पूर्णत: वंचित माना और उनके सम्पत्ति के अधिकार समाप्त कर दिये।

कर्मकाण्ड के प्रधान ग्रंथ मीमांसा दर्शन में जैमिनी (500-200 ई.पू.) ने स्त्रियों को दायद प्रमाणित करने का भरसक प्रयत्न किया। विज्ञानेश्वर ने 'मिताक्षरा' में स्त्रियों के साम्पत्ति अधिकारों का व्यापक समर्थन किया। स्त्रियों की परतन्त्रता को दयाधिकार से संबंध नहीं माना। उन्होंने स्त्रीधन की विस्तृत व्याख्या कर स्त्रियों को उत्तराधिकार क्रय, विक्रय, बंटवारा सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किय। याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को पति की सम्पत्ति में अधिकार दिया गया है कि वहां लिखा है कि पुत्र के अभाव में उत्तराधिकार इस क्रम में होगा। पत्नी, कन्या कन्याएँ, बन्धु-बान्धव, शिष्य-सहपाठी। पुत्र के अभाव में पुरूष की सम्पत्ति पर सर्वप्रथम अधिकार उसकी पत्नी का होगा उसक बाद उसकी कन्याओं का। कात्यायन में पत्नी को पति की 'धनहरी' (सम्पत्ति) प्राप्त करने वाली बताकर पति के जीवित न रहने पर पत्नी को सम्पत्ति का अधिकारी प्रतिपादित किया है। बृहस्पति के अनुसार पत्नी पति की अर्द्धांगिनी होती है। अत: पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी उसका आधा भाग, पत्नी जीवित है तो अन्य कोई उसकी सम्पत्ति का अधिकारी कैसे हो सकता है। पत्नी को सम्पत्ति विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं था।

विधवा के रूप में महिलाओं की आर्थिक स्थिति – वैदिक युग से लेकर 200 ई.पू. तक विधवा स्त्री को पति का उत्तराधिकार किसी भी रूप में प्राप्त नहीं था। वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा प्रचलित थी जिसके द्वारा विधवा पुत्र प्राप्त कर सकती थी। अत: समाज में विधवाओं की संख्या कम थी अत: वैदिक युग में विधवा को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। किन्तु विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा बन्द होने के पश्चात् याज्ञवल्क्य, विष्णु, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतिकारों ने विधवा को दायद माना और उसका प्रबल समर्थन किया। पुत्रों के ना होने पर मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति सकुल्यों को मिलती है इनके अभाव में क्रमश: आचार्य, शिष्य, ऋत्विक या राजा को मिलती है। उत्तराधिकारियों की इस सूची में विधवा का कहीं निर्देश नहीं दिया गया है। कौटिल्य ने भी दायादों के अभाव में राजा को यह अधिकार दिया कि मृत पुरूष का धान, सम्पत्ति का अधिग्रहण कर ले तथा विधवा के जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन अवश्य छोड़ दें।

गौतम धर्म सूत्र ने सपिण्डों, गोत्रियों और सम्बन्धियों के साथ विधवा को समान भाग का अधिकारी माना। विष्णु के अनुसार पुत्रों के अयोग्य होने पर सम्पत्ति की उत्तराधिकारी विधवा होती थी। महाभारत काल में पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा को पति की सम्पत्ति से दाय भाग प्राप्त होता था। जिन विधवाओं को जीवनयापन के लिए दाय भाग से पर्याप्त सम्पत्ति प्राप्त करना सम्भव नहीं था उनके लिए राजा का यह कर्तव्य बताया गया कि वह विधवाओं के भरण-पोषण की व्यवस्था करे। युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले सैनिकों की विधवाओं को राजा पारितोषिक स्वरूप धन देता था तथा उनकी जीविका का प्रबन्ध भी करता था। पति के संरक्षण में रहने वाली पत्नी की अपेक्षा विधवा का स्त्रीधन पर अधिकार होता था। पति के न रहने पर उसे सौदायिक तथा असौदायिक दोनों प्रकार के स्त्रीधान के दान, विक्रय का अधिकार प्राप्त हो जाता था।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध में प्राचीन काल से लेकर मौर्यकाल तक में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कन्या जन्म, बाल-विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री पुरुषों की समानता आदि के संबंध में अलग-अलग ग्रंथों में दिये गये विभिन्न मतों को समझकर नारी की स्थिति पर यथासम्भव प्रकाश डालने का प्रयास किया है वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति बहुत उत्कृष्ट थी। यद्यपि कन्या जन्म की अपेक्षा पुत्र जन्म अधिक आहलादपूर्ण माना जाता था, फिर भी ऐसे लोगों की कमी न थी जो विदुषी, योग्य कन्याएँ पानें के लिए लालायित रहते थे और अपनी पुत्रियों का पुत्रों के समान उपनयन कराके उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि इस युग में कन्याएँ अपनी रूचि के अनुसार वर का चुनाव करती थीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रजनी राय प्राचीन भारत में नारियो की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति : एक विश्लेषण, International Journal of Advanced Research and Development, Volume 3; Issue 1, y 2018; Page No. 936-939.
2. अर्चना मिश्रा भारत की परम्पराओं : नारी के सामाजिक स्थिति का पुनरावलोकन, International Journal of Humanities and Social Science Research, Volume 2; Issue 8; August 2016; Page No. 30-36.
3. बृजेश कुमार यादव रत में महिला सशक्तिकरण : एक विवेचना, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 4; Issue 5; May 2017; Page No. 274-277.
4. वाल्मीकी रामायण भाग 1-2 प्रकाशक : गीताप्रेस, गोरखपुर, सम्वत् 2017
5. अग्रवाल, वासुदेव शरण : पाणिनि कालीन भारतवर्ष प्रकाशक : बनारस विश्वविद्यालय, 2012
6. ओम प्रकाश : प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास प्रकाशक : विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002

****

पश्चिम एशियाई संघर्ष और भारत

डॉ. समीर भार्गव *

प्रस्तावना – द्वितीय विश्व युद्ध की समापन बेला में मध्यपूर्व के सात राज्यों– टर्की, ईरान, इराक, मिस्त्र, सऊदी अरब, लेबनान तथा यमन (साना) स्वाधीन थे। 1960 तक सात और राज्य स्वाधीन हो गये तथा एक नये राज्य इजराइल का भी जन्म हुआ। 14 मई 1948 को पहले यहूदी देश इजराइल के जन्म के साथ मध्यपूर्व की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। मध्यपूर्व में इजराइल और लेबनान को छोड़कर सभी राज्य इस्लामी राज्य है। मध्य पूर्व विश्व की प्रमुख सभ्यताओं यहूदी, इसाई और इस्लाम का उद्गम स्थल रहा है। मध्य पूर्व के स्वतन्त्र राज्यों में अल्जीरिया, मिस्त्र, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, अफगानिस्तान, बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जार्डन, कुवैत, लेबनान, ओमार, कातार, सऊदी अरब, सीरिया, टर्की, अरब अमीरात, यमन (अदन), यमन (साना) आदि आते है।
भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आधारों पर मध्यपूर्व को मुख्यत: चार भागों में बाँटा जा सकता है।[1]

1. उत्तरी उच्च क्षेत्र
2. दक्षिणी मरूस्थलीय क्षेत्र
3. मध्यवर्ती समुद्री क्षेत्र
4. पश्चिमी क्षेत्र

उत्तरी उच्च क्षेत्र में टर्की और ईरान शामिल किये जाते हैं। सोवियत संघ को काफी समय तक विश्व शक्ति बनने से रोकने में टर्की का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सोवियत संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के डार्डेनल्स पर अपना अधिकार करने के लिए टर्की से 13 युद्ध किये लेकिन पश्चिम के प्रभाव से टर्की हमेशा विजेता बना रहा। ईरान फारस की खाड़ी का प्रमुख राज्य होने के कारण तेल उत्पादन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विशिष्टता लिये हुए है। उत्तरी क्षेत्र स्वभावत: पश्चिम समर्थक है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्व सोवियत संघ के करीब है और पश्चिम की राजनीति में सामरिक महत्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिस्त्र, सूडान, सऊदी अरब तथा यमन क्षेत्र स्वेज के चारों ओर सामरिक महत्व, तेल उत्पादन, तथा घनी आबादी के मरू उद्यानों के साथ–साथ स्थानीय अरब आबादी और मुस्लिम धर्म का क्षेत्र है। नील घाटी में विश्व की एक महान सभ्यता ने जन्म लिया तेल ने अरब जगत को शक्ति, सम्पदा और अरब एकता स्थापित करने का गौरव प्रदान किया है जो राष्ट्रों के विकास और सामरिक महत्ता की दृष्टि से अद्वितीय है।

मध्यवर्ती समुद्री क्षेत्र में इराक, सीरिया, जार्डन, इसराइल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतार व बहरनी के स्वतंत्र राज्य सम्मिजिल हैं। सीरिया, लेबनान, इजराइल व जार्डन भौगोलिक दृष्टि से समान लक्षणों का एक क्षेत्र है। जार्डन, इजराइल मरूस्थल इराक के बंजर से मिलकर एक हो जाता है। इराक की तेल की शक्ति तथा 1991 में खाड़ी युद्ध में अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों द्वारा इराक पर हमले ने पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।[2]

इराक प्राय: पूर्णत: मरूस्थल ही है परन्तु दजला फरात नदियों ने इसे स्वर्णिम ऐतिहासिक महत्ता प्रदान की है। जार्डन नदी लेबनान से निकलकर दक्षिण में उत्तरी इजरायल में बहने के बाद जार्डन व इजराइल की सीमा बनाती है। जार्डन में बहती हुई मृतसागर में गिर जाती है। मृतसागर का तीन चौथाई भाग अरबों का शेष इजराइल का है। नवीनतम निर्मित राज्य इजराईल का जन्म ही अरबों की राजनीतिक हार थी और इसके उदय से ही जो युद्ध प्रारम्भ हुआ वह आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अरब इजराइल प्रतिशोध इतना बढ़ गया है कि ये चार युद्ध लड़ने के बाद भी शान्त नहीं हुए हैं। इजराइल अमेरिका समर्थित राज्य है जिसे सामरिक शक्ति पश्चिम से मिलती है। तकनीकी कौशल और रणनीति यहूदिया की अपनी है।

मध्यपूर्व के पश्चिमी क्षेत्र में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व लीबिया सम्मिलित हैं। मोरक्को के अतिरिक्त इस क्षेत्र के सभी राज्य तेल के उत्पादक और निर्यातक देश है। मध्य पूर्व की एकता का आधार पहले भी और आज भी धर्म ही है। मध्यपूर्व में आन्तरिक मतभेद बहुत हैं। अरब इस्लाम जगत अनेक अर्थों में सांस्कृतिक मतभेदों से जूझते रहते हैं। शिया इरान और सुन्नी मिस्त्र में समान गुणों का अभाव है। टर्की प्राय: गैर अरब किन्तु धर्मनिरपेक्ष है। सऊदी अरब व फारस की खाड़ी के राज्यों में मुस्लिम प्रभाव प्रबलतम है। सभी राज्यों के मध्य क्षेत्रीय झगडे है और राजनीतिक अस्थिरता है। फिर भी सभी अरब राज्यों में इजराइल का जोरदार विरोध है। इजराइल और फिलिस्तीन की रंजिश प. एशिया की अस्थिरता का कारण है। मध्यपूर्व यूरोप, एशिया व अफ्रीका के सम्पर्क बिन्दु पर स्थित है अत: विश्व द्वीप के सभी परिवहन स्त्रोतों का संगम स्थल एवं विश्व यातायात में मार्ग परिवर्तन का सक्रामी बिन्दु है। पूर्व से पश्चिम के मध्य आने जाने का मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरता है। मध्य पूर्व में तेल उत्पादन दिनों दिन बढ़ रहा है यहाँ तेल के बाहुल्य से अचानक सम्पन्नता तेजी से बढ़ी है। अरब राष्ट्र इजराइल के विरोधी हैं और उन्होंने तेल को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है।

फिलिस्तीनी समस्या और इजराइल का जन्म अरब–इजराइल युद्ध का मूल कारण रहा है। फिलिस्तीन का हृदय स्थल यरूशलम दो हजार वर्षों से यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक केन्द्र रहा है। फिलिस्तीन प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्क साम्राज्य के अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन को मैन्डेट के रूप में दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन ने अरबों से वायदा किया था, कि युद्ध में विजय के पश्चात् फिलिस्तीन को अरब राष्ट्रों के साथ मिला दिया जायेगा। यहूदी समाज को भी ग्रेट ब्रिटेन

* सहा. प्राध्यापक (सैन्य विज्ञान विभाग) महाराजा मानसिंह महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

ने फिलिस्तीन में बसने का निमन्त्रण दे दिया।

19वीं शताब्दी में यहूदी लोगों का अपना कोई देश अथवा राज्य नहीं था अनेक देशों ने इन पर अनगिनत अत्याचार किये। प्राचीन काल में फिलिस्तीन में यहूदियों का राज्य था। सातवीं शताब्दी में अरबी मुसलमानों ने इस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था।

उन्नीसवीं शती के अन्तिम बर्षों में यजिओनिज्म नाम के एक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिसका उद्देश्य था- सारे संसार में बिखरे हुए यहूदियों को फिलिस्तीन में जाकर बसने के लिए प्रेरित करना। नवम्बर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित करके एक भाग में स्वतंन्त्र यहूदी राज्य-इजराइल बनाया जाए, दूसरा भाग फिलिस्तीनी अरबी मुसलमानों का हो, और ब्रिटेन इस क्षेत्र से अपनी सम्प्रभुता समाप्त कर दे।[3]

इस प्रकार 14 मई 1948 को इजराइल राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रस्ताव को फिलिस्तीन सहित किसी भी अरब देश ने स्वीकार नहीं किया। 1941 तक इजराइल ने पुराने फिलिस्तीन के लगभग 77 प्रतिशत भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। शेष बचा फिलिस्तीन, जिसे बेस्ट बैंक कहा जाता है, पर पड़ोसी अरब देश जार्डन ने कब्जा कर लिया। समुद्री किनारे का क्षेत्र जिसे गाजा पट्टी कहा जाता है, को मिस्त्र ने अपने अधिकार में ले लिया। जून 1967 के युद्ध में इजराइल ने मिस्त्र, सीरिया और जार्डन को पराजित कर शेष फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसमे बेस्ट बैंक, यरूशलम का पूर्वी (अरबी) भाग और गाजा पट्टी शामिल था। इसी के साथ इजराइली सेना ने मिस्त्र के सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया की गोलन पहाड़ियाँ भी अपने अधिकार में ले ली। 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन (पी.एल.ओ.) की स्थापना हुई। यासिर अराफत पी.एल.ओ. के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। पी.एल.ओ. ने एक निर्वासित फिलिस्तीनी सरकार की भी स्थापना कर ली, जिसे भारत सहित अनेक देशों ने मान्यता दे दी। संसार के अनेक देश पेट्रोलियम पदार्थों के लिए अरब देशों पर निर्भर रहे है, इसलिए वे अरबों को नाराज नहीं कर सकते। यही कारण था कि भारत सहित अनेक देश वर्षो तक इजराइल को मान्यता देने से कतराते रहे। सबसे पहला साहसिक कदम मिस्त्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने उठाया। होने इजरायल से बातचीत का सिलसिला शुरू किया।17 सितम्बर 1978 को इजरायल के प्रधानमंत्री मोनाहिम बेब्रिन और अनवर सादात ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इजरायल ने सिनाई क्षेत्र मिस्त्र को लौटा दिया और मिस्त्र ने इजरायल को मान्यता दे दी। इसे 'कैम्प डेविड समझौता' भी कहते है। अरब लीग के 16 सदस्यों ने मिस्त्र का राजनीतिक और आर्थिक बहिष्कार किया। 6 अक्टूबर 1981 को कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक सैनिक परेड के निरीक्षण के दौरान अनवर सादात की हत्या कर दी। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा तथा इजरायल को अन्ततः सद्बुद्धि आ ही गयी और उन्होंने एक-दूसरे को मान्यता देने का जो ऐतिहासिक समझौता वर्ष 1993 सितम्बर में किया वह अपने आप में इस शताब्दी की एक चमत्कारिक घटना है। इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच के इस समझौते ने यह साबित कर दिया है कि समय की मांग बडे-बडे मित्रों का शत्रु बना देती है और शत्रुओं से हाथ मिलाने के रास्ते खोल देती है।

वर्ष 2000 में कैम्प डेविड समझौते के दौरान इजरायल ने अराफात के सामने स्वतन्त्र फिलिस्तीन राष्ट्र की पेशकश की। पर अराफत ने उसे ठुकरा दिया। वर्ष 2005 में एक और दक्षिणपंथी इजरायली सरकार ने अपने सैनिकों, निवासियों और भवनों को गाजा पट्टी से हटा दिया। दो वर्ष बाद हमास ने उस इलाके पर अपना कब्जा जमा तीन लड़ाईयाँ लड़ी।[4]

2010 में शुरू हुए मध्य पूर्व के संकट के कारण लगभग 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 30 लाख शरणार्थी हुए औश्र 60 लाख लोग अपना घर छोड़ने को बाध्य हुए है। विश्व भर के सुन्नियों में यह बात गहराई तक बैठ गयी है कि अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद सुन्नी देशों के विरूद्ध युद्ध छेड़ रखा है। सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाये जाने तथा फांसी देने से सुन्नी काफी नाराज थे। सद्दाम हुसैन की सत्ता के दौरान सुन्नी आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर काफी ताकतवर थे। सऊदी अरब पूरे विश्व में जिहाद का मुख्य वैचारिक प्रायोजक है। सऊदी अरब इस्लाम की सबसे कट्टर विचारधारा का सबसे प्रबल समर्थन है बहावी इस्लाम की सबसे कट्टर विचारधारा है जिसने मजहब के लिए शहादत की नयी भावना का संचार किया है जो आधुनिक इस्लामी आतंक का स्त्रोत बनी हुई है। सुन्नी देशों का समूह उन जिहादियों को बढ़ावा दे रहा है जो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं आई.एस. तालिबान, लश्कर-ए-तोयवा, बोको हरम से लेकर अब शबाब जैसे सभी आतंकी संगठन वहाबी सलाफी समूह ही हैं जो गैर सुन्नियों के खिलाफ हैवानियत की हर हद पार कर जाना चाहते है। अमेरिका का दोगली नीति का आलम यह है कि एक ओर वह आतंकवाद के कुचलने की वकालत करता है तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब से वह दोस्ती की नयी इबारत लिखता हैं। विश्व की खतरनाक स्थिति के लिए राष्ट्रों की संकुचित सोच, स्वार्थ की लालसा, एक दूसरे के प्रति भय और अविश्वास की भावना ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

भारत में भी बड़ी संख्या में शिया सुन्नी रहते हैं जिस कारण स्वाभाविक रूप से भारत की चिन्ता बढ़ जाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हजारों की संख्या में तथा भारत के कुछ प्रान्तों से भी युवाओं विशेषकर सुन्नी लड़ाकों के इस्लामिक स्टेट की मदद के लिए देश से बाहर जाने की खबरें खुफिया एजेंसियों को मिली है। भारत को खतरा मध्य पूर्व के जिहादियों से न होकर दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा सक्रिय लश्कर-ए-तोयवा जैसे आतंकवादी संगठनों से है जिसकी विचारधारा इस्लामिक स्टेट की इस्लामी राज्य की स्थापना सम्बन्धी विचारधारा से मेल रखती है। भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ऐसे आतंकवादी संगठनों की तलाश में रहती है। विश्व के 62 प्रतिशत मुसममान दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं।[5] इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह द. एशिया विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सहित भारत को संभावित सुन्नी जिहाद वाले देश के रूप में भविष्य के लिए लक्ष्य बना रहा हो। अफगानिस्तान में रह-रहकर जिस तरह की स्थितियों बन रही हैं और जिस तरह का युद्ध चल रहा है वह एक खतरनाक संकेत है। सरकार के साथ ही एक दूसरे से लड़ते आतंकवादी गुटों और उनके बीच वहाँ बनते बिगाड़ते समीकरणों में पाकिस्तान की भूमिका जग जाहिर हैं। पश्चिम के देश हमेशा तालिबान के निशाने पर रहें हैं। अफगानिस्तान में आंतकी गुटों द्वारा किये जा रहे विस्फोट ने अफगानिस्तान के नाक में दम कर रखा है। दशकों से बाहरी दखल और भीतरी उथल-पुथल से जूझ रहे अफगानिस्तान में शन्ति और स्थिरता कैसे लायी जाए यह विश्व के समझ सबसे बड़ी चुनौती है। 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में जबरन हस्तक्षेप करने के लगभग चार दशकों के बाद रूस एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी अहम भूमिका देख रहा है।[6]

फरवरी 2017 में अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी मास्कों में बुलायी थी। लम्बे हस्तक्षेप के बाद भी अमेरिका

अफगानिस्तन से तालिबान का सफाया नहीं कर सका। अमेरिका इस कार्य में सफल न हो सके इसके लिए पाकिस्तान इसमें जुटा है। अफगानिस्तान स्वाभिमानी लोगों का एक प्रगतिशील देश रहा है एशिया में अशान्ति का ताजा दौर इसी देश से शुरू हुआ। अफगानिस्तन में ऐसी ताकतें आज भी सक्रिय हैं जो इसे स्थिर नहीं होने देना चाहती। मध्यपूर्व के नेताओं की उभरती पहचान के कारण बड़ी ही कुशलता के साथ भारत मध्य पूर्व के प्रत्येक देश के साथ अलग तरीके से सम्बन्ध बनाने में कामयाब हुआ है।1992 में इसरायल के साथ भारत ने राजनायिक सम्बन्ध स्थापित किया है। भारत ने एक साथ ही ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मजबूत राजनीतिक साझेदारी की।

जहाँ तक मध्य पूर्व का सम्बन्ध है भारत इस क्षेत्र पर दूरदृष्टि और पक्का इरादा बनाये हुए हैं जिसके अनुसार ऊर्जा के स्त्रोंतों और बाजार पर नियमित पहुँच बनाने का प्रयास, सामाजिक आर्थिक तनाव को कम करने की संभावनाये तलाशना और इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाये रखने के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करना इत्यादि शामिल है। इस्लामिक स्टेट (IS) से निपटने की जो कोशिश अमेरिका कर रहा है उसका परिणाम जगजाहिर है। नाटो के कई सदस्य देश इराक, अफगानिस्तान या लीबिया में हस्तक्षेप करने से डरे हुए है। अफगानिस्तान का पिछले 12-13 वर्षो का अनुभव उसके सामने है जो उन्हें ऐसा करने के लिए असमंजस में डाले हुए है। अमेरिकी सरकार पर अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने का दवाब निरंतर बढ़ता जा रहा है।

पश्चिमी एशिया शान्ति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि अरब देशों में हिंसा नामक महामारी ने मानवता को सबसे अधिक क्षति पहुँचायी है। संयुक्त राष्ट्र ने अरब देशों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट करार दिया है। भारत का विश्वास है कि एक समावेशी राजनीतिक भागेदारी से सुरक्षा को पश्चिमी एशिया में मजबूती मिलेगी, मध्य पूर्व के संघर्षो में कमी आयेगी और भौगोलिक अखण्डता कायम रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भट्टाचार्य अमरेन्द्र, राजनीतिक भूगोल सन् 2000 पेज 287-288
2. सिंह अशोक कुमार, खाड़ी युद्धः जंग के बाद क्या होगा ? सन् 2006, पेज 140-141
3. सिंह अशोक कुमार, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि सन् 2018, पेज 129
4. सिंह अशोक कुमार, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि सन् 2018, पेज 135
5. सिंह अशोक कुमार, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि सन् 2018, पेज 136
6. जैवियर कोस्टैटिनो एशिया में नई भागीदारी, अमर उजाला 18 सितम्बर 2017, पेज 2

****

वेदों में ज्योतिष का स्थान

डॉ. शितांशु रथ* अरविन्द खोत**

प्रस्तावना – भारतीय ज्योतिष का प्राचीनतम इतिहास (खगोल विद्या के रूप में) सुदूर भूत-काल के गर्भ में छिपा है। केवल ऋगवेद आदि प्राचीन ग्रन्थों में स्फूट वाक्यांशो से ही अभास मिलता है कि उसमें ज्योतिष का ज्ञान कितना गहरा होगा। निश्चितरूप से ऋगवेद ही हमारा प्राचीनतम ग्रन्थ है। बेबर, मैक्समूलर, जैकोबी, लुडविंग, व्हिटनी, विंटर निट्ज, थीवी एवं तिलक ने रचना एवं खगोलीय वर्णनो के आधार पर ऋगवेद के रचना का काल 4000 ई. पूर्व स्वीकार किया है। चूंकि ऋग्वेद या उससे सम्बन्धित ग्रन्थ ज्योतिष ग्रन्थ नहीं है इसलिए उसमें आने वाले ज्योतिष सम्बन्धित लेख बहुधा अनिश्चित से है। परन्तु मनु ने जैसा कहा है कि **'भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिद्धयति'**। इससे स्पष्ट है कि वेद त्रिकाल सूत्रधर है और इसके मंत्र द्रष्टा ऋषि भी त्रिकालदर्शी थे। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि भूगोल, खगोल, कृषि शास्त्र एवं राजधर्म प्रभृति के अन्वेषण में सलग्न रहते थे। खगोल सम्बन्धी परिज्ञान के लिए आकाशीय ग्रह नक्षत्रों के सिद्धान्त वेदों में अन्वेषित किए जा सकते हैं क्योंकि आधुनिक काल की घड़ियों के अभाव में मंत्राद्दष्टा ऋषि आकाशीय ग्रह, उपग्रह एवं नक्षत्रों के आधार पर ही समय का सुपरिज्ञान कर लेते थे। इसके बारे में भास्कराचार्य ने निर्दिष्ट भी किया है-

वेदास्तावद् यज्ञकर्मप्रवृता: यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालश्रयेण।
शास्त्रादस्मात् कालबोधो यत: स्याद् वेदाङ्गत्वं
ज्यौतिषस्योक्तमस्तात्।।
शब्दाशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरूक्तं कल्प: करौ।
या तु शिक्षास्य वेदस्य नासिका पादपद्मद्वयं छन्द आद्यैर्बुधै:।।
वेदचक्षु: किलेंद स्मृतं ज्यौतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते।
संयुतोपीतरै: कर्णनासादिंभिश्चक्षुषाऽङ्गेन हीनो न किचिंत् कर:।।
तस्मात् द्विजैरध्ययनीयमेतत् पुण्यं रहस्यं परमच्च तत्वम्।
यो ज्योतिषां वत्ति नर: स सम्यग् धर्मार्थकामान् लभते यशश्च।।

उक्त श्लोकों का स्पष्ट आशय निम्न प्रकार है- समग्र वेदों का तात्पर्य, यज्ञ कर्मो से है यज्ञों का सम्पादन शुभ समयों के आधीन होता है अतएव शुभ समय या अशुभ समय का बोध ज्योतिष शास्त्र द्वारा ही होने से ज्योतिष शास्त्र का नाम वेदागं शास्त्र कहा जाता है। वेद रूप पुरूष के मुख्य 6 अंगों में व्याकरणशास्त्र वेद का मुख, ज्योतिष शास्त्र दोनों नेत्र, निरूक्त-दोनों कान, कल्प शास्त्र दोनों हाथ, शिक्षा शास्त्र वेद की नासिक (नाक) और छन्द शास्त्र वेद पुरूष के दोनों पैर कहे गए है।

पर पुरूष रूप वेद का ज्योतिष शास्त्र नेत्र स्थानीय होने से ज्योतिष शास्त्र ही वेद का मुख्य अंग हो जाता है।

हाथ पैर कान आदि इन्द्रियों की समीचीन स्थिति के बावजूद नेत्र स्थानीय ज्योतिष शास्त्र की अनभिज्ञता किसी काम की नहीं होती अतएव सर्वशास्त्रों के अध्ययन की सत्ता होते हुए भी ज्योतिष शास्त्र ज्ञान की परिपक्वता से वेदोक्त धर्म कर्म नीति भूत भविष्यादि ज्ञान पूर्वक धर्म अर्थ और मोक्ष प्राप्ति होती है।

इस प्रकार उपरोक्त श्लोक से वेद एवं ज्योतिष शास्त्र का निकटतम सम्बन्ध स्वत: सिद्ध है। ग्रहनक्षत्रों के परिज्ञान से काल का उद्बोधन करने वाला शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र ही है। परन्तु इस उद्बोधन के साथ आकाशीय चमत्कार को देखने के लिए गणित ज्योतिष के तीन भेद किए गए।

1. सिद्धान्त गणित 2. तंत्र गणित 3. करण गणित

1. **सिद्धान्त गणित –** जिस गणित के द्वारा कल्प से लेकर आधुनिक काल तक के किसी भी इष्ट दिन के खगोलीय स्थिति वश गत वर्ष मास दिन आदि सौर सावन चान्द्रमान को ज्ञात कर सौर सावन अहर्गण बनाकर मध्यमादि ग्रह स्पष्टान्त कर्म किए जाते हैं, उसे सिद्धान्त गणित कहते है।

2. **तंत्र गणित –** जिस तंत्र द्वारा वर्तमान युगादि वर्षो को जानकर किसी अभीष्ट दिन तक अहर्गण या दिन समूहों के ज्ञान से मध्यमादि ग्रह गस्यादि चमत्कार देखा जाता है उसे तंत्र गणित कहा जाता है।

3. **करण गणित –** वर्तमान शक के बीच में अभीष्ट दिनों को जानकर अर्थात किसी दिन वेधमंत्रों के द्वारा ग्रहस्थिति देखकर और स्थूल रूप से यह ग्रह स्थिति गणित से कब होगी, ऐसा विचार कर तथा ग्रहों के स्पष्ट यश सूर्य ग्रहण आदि का विचार जिस गणित से होता है उसे करण गणित कहते है।

तंत्र एवं करण ग्रन्थों का निर्माण वेदों से हजारों वर्षों के उपरान्त हुआ अत: इस पर विचार न करके वेदों में सिद्धान्त गणित सम्बन्धी बीजों का अन्वेषण आवश्यक होगा।

वेदों में सूर्य के आकर्षण के बल पर आकाश में नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन मिलता है।

'तिस्त्रो द्याव: सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाद्।
आर्णि न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्।।'

(ऋ.म-1सू-35 म-6)

सूर्यग्रह ही, दिन रात्रि का कारण होता है, जैसे-

आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्।

(य.वे.अ.33 मं.43)

* शोध निर्देशक, सिंधिया प्राच्यविद्या शोध प्रतिष्ठान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन(म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

सूर्य के आकर्षण पर ही पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर है। भारतीय आचार्यो को आकर्षण सिद्धान्त सम्यक्ज्ञान था जैसे-

'सविता यन्त्रै: पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता द्यामदृहम अश्वमिवाधुक्ष-द्धुनिमन्तरिक्षमर्तूते बद्धं सविता समुद्रम्'

(ऋ.मं. 10 सू.149 म.1)

चन्द्रमा के विषय में भी वेदों में पर्याप्त जानकारी मिलती है। चन्द्रमा स्वत: प्रकाश-मान नहीं है। इस सिद्धांत की पुष्टि वेद मंत्रों में है जैसे-

'अत्राह गोरमन्वतनाम त्वष्टुरपीच्यम इत्था चन्द्रमसो ग्रहे।'

(ऋ. मं. 1 सू.84 मं15)

चन्द्रमा आकाश में गतिशील है, यह नित्य प्रति दौड़ा करता है चन्द्रिका के साथ जो निम्न मंत्र से व्यक्त हो रहा है।

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। न वो हिरण्यनेमय: पदं विदन्ति विद्युतो वित्तां में अस्य रोदसी।

(ऋ.मं1सू.105 मं1)

चन्द्रमा का नाम पंचदश भी है पन्द्रह दिन क्षीण और पन्द्रह दिन में पूर्ण होता है जो निम्न मंत्र में व्यक्त हो रहा है-

चंद्रमा वै पंचदश:। एष हि पंचदश्यामपक्षीयते।। पंचदश्यामापूर्यते।।

(तैतरीय ब्राह्मण 1.5.10)

वेदों में मासों की चर्चा है। अधिमास के संदर्भ में ऋक संहिता की ऋचा विचारणीय है-

'वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावत:।। वेदा य उपजायते।'

(ऋ. सं 1.25.8)

तैतरीय संहिता में ऋतुओं एवं मासो के नाम बताये गए है। जैसे वसंत ऋतु के दो मास-मधु-माधव, ग्रीष्म के शुक्र-शुचि, वर्षा के नभ-नभस्य, शरद के इष-ऊर्ज, हेमन्त के सह-सहस्य और शिशिर ऋतु के दो माह तपस और तपस्य बताये गए है।

वाजसनेयी संहिता में पूर्वोक्त बारह महीनों के अतिरिक्त 13 वें मास का नाम अहंसस्पति बताया गया है।

मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय सवाहेस्वाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहांहस्पतये स्वाहा।।

(वा. सं. 22.31)

तैतरीय ब्राह्मण में 13 माहों के नाम निम्न प्रकार है-

अरूणोरूरजा: पुण्डरीको विश्वजिदभिजित्।
आर्द्र: पिन्वमानोन्नवान् रसवानिरावान्।
सवौषध: संभरो महस्वान।।

(तै. ब्रा. 3.10.1)

उक्त श्लोक के अनुसार 13 माहों के नाम निम्न हैं- (1) अरूण (2) अरूणरज (3) पुण्डरीक (4) विश्वजित् (5) अभिजित् (6) आर्द्र (7) पिन्वमान (8) उन्नवान (9) रसवान (10) इरावान (11) सर्वोषध (12) संभर (13) सहस्वान।

ऋग्वेद में समय के 94 अवयव कहे गए है-

'चतुर्भि: साकं नवतिं च नामभिश्चकं न वृतं व्यतीर्खींविपत्।
बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्कभिर्युवाकुमार: प्रत्येत्याहवम्।।'

(ऋ. म.1 सू 144 मं 6)

उक्त मंत्र में गति विशेष द्वारा विविध स्वभाव शाली काल के 94 अंशों को चक्र की तरह वृत्ताकार कहा गया है। उक्त 94 कालावयवों में 1 संवतसर, 2 अयन, 5 ऋतुयें, 12 माह, 24 पक्ष, 30 अहोरात्र, 8 प्रहर, और 12 आरा मानी गई है। ऋतुओं में हेमन्त और शिशिर एक ऋतु मानी गई है। इस प्रकार 94 अलावयवयों की गणना की गई है।

ऋग्वेद में राशियों की गणना निम्न मंत्र से की गई है-

द्वादशारं नहि तज्जराय बर्वर्तिचक्रं परिद्यामृतस्य।
आपुत्रा अव्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थु:।।

(ऋ. मं सू 164 में 16)

सत्यात्मक आदित्य का 12 अरों (माह) संयुक्त चक्र स्वर्ग के चारों ओर बारह-भ्रमण करता है जो कभी पुराना नहीं होता। इस चक्र में पुत्र स्वरूप 720 (360 दिन, 360 रात) निवास करते हैं।

ज्योतिष में वर्ष को उत्तरायण एवं दक्षिणायन दो विभागों में विभाजित किया गया है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्योदय बिन्दू से सूर्य का उत्तर की ओर जाना तथा दक्षिणायन से तात्पर्य है सूर्य का सूर्योदय बिन्दू से दक्षिण चलना। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार-

'बंसतो ग्रीष्मो वर्षा:। ते देवा ऋतव: शरद्धेमंत: शिशिरस्ते पितरौ......स (सूर्य:) यत्रो तगावर्तते देवेषु तर्हि भवति...यत्र दक्षिणावर्तते पितृषु तर्हि भवति।।'

उक्त मंत्र के अनुसार वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ये देव ऋतुये हैं। शरद, हेमन्त और शिशिर ये पितर ऋतयें है। जब उत्तर की ओर सूर्य रहता है तो ऋतुयें देवों में गिनी जाती है। तैतरीय संहिता में इतना ही वर्णन है कि सूर्य 6 माह दक्षिणायन और 6 माह उत्तरायण रहता है-

'तस्मादादित्य: षण्मासो दक्षिणेनैति षड्त्तरेण।'

(तै. सं 6.5.3)

इस प्रकार तैतरीय संहिता के अनुसार सूर्य 6 मास दक्षिणायन रहता है और 6 मास उत्तरायण।

वैदिक काल में महिनों के नाम मधु माधव ही चलते रहे परन्तु कालान्तर में इनके नाम मिट गए और तारों के नाम पर नवीन नाम प्रचलित हो गए। हमारे ऋषियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ऋतुओं एवं महिनों मे सम्बन्ध न रहे, उन्होंने तारों के हिसाब से महिना बनाना प्रारम्भ कर दिया। तैतरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर यह स्पष्ट होता है कि तारों का वेध मास निर्धारण के लिए आरम्भ हो गया था।

वैदिक काल में नक्षत्र केवल चमकीले तारे या सुगमता से पहचाने जाने वाले छोटे तारे के पुंज थे परन्तु आकाश में इनकी बराबर दूरी न होना एवं तारका पूंजों के न रहने से बड़ी असुविधा हुई होगी। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा की जटिल गति भी कठिनाई से ज्ञात हुई होगी। पूर्णिमा के होने की सही स्थिति का भान न होना भी एक कठिनाई रही होगी। चन्द्रमा का मार्ग आकाश में स्थिर न होना भी एक कठिनाई थी। एक ही तारे के कभी समीप रहने तथा दूर रहने से भी तारों को देखकर माह बनाने में कठिनाई पड़ी होगी। परन्तु ये बातें सभी कालान्तर में स्पष्ट हो गई होंगी। चन्द्रमा का समीप होना एवं तारों का दूर होना भी एक कठिनाई थी। सभी कठिनाइयों के कारण ही स्पष्ट हो गया कि तैतरीय ब्राह्मण तक चन्द्रमा का नियमित वेध प्रारम्भ हो गया था।

वेद, संहिता, ब्राह्मण किसी में भी महीनों के चैत्र, वैशाख आदि नाम नहीं हैं। ये नाम वेदांग ज्योतिष में हैं जो 1200 ई. पू. का ग्रन्थ है। इस प्रकार यह अनुमान किया जा सकता है कि नवीन मासों के नाम 2000 पूर्व से परिवर्तन मे आये होंगे।

प्राचीन काल में सप्ताह का कोई महत्व न था। सप्ताह के दिनों के नाम का उल्लेख वेद, संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है। उस समय पक्ष एवं उनके

उप विभाग ही चलते थे।

वैदिक काल में संवत् शब्द वर्ष वाचक था। संवत्सर, इद्धत्सर इत्यादि ये संवत्सर के पर्यायवाची शब्द है। इसी आधार से सूर्य सिद्धांतकार ने काल गणना के प्रसिद्ध नौ विभागों का उल्लेख किया है-

ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्रं प्राजापत्यचं गौरवम्।
सौरं च सावनं चान्द्रमाक्षी मानानि वै नव।।

इस प्रकार कालान्तर के ज्योतिष काल में वर्षो के नौ भेद कहे गये है। जैसे- 1. ब्राह्मवर्ष 2. दिव्यवर्ष 3. पितृवर्ष 4. प्राजापत्यवर्ष 5. गौरववर्ष 6. सौरवर्ष 7. सावन वर्ष 8. चान्द्रवर्ष 9. और नक्षत्र वर्ष।

इस प्रकार सिद्धान्त ज्योतिष काल में शुद्धिगणित ज्योतिष विकासोन्मुख हो गया था।

वैदिक काल में आज के अर्थ में तिथि का प्रयोग नहीं होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जहाँ चन्द्रमा अस्त होता है और उदित होता वह तिथि है-

यां पर्यस्तमियादभ्युदियादिथि सातिथिः।।

(ऐ.ब्रा. 23.10)

इससे स्पष्ट होता है कि तिथि का अर्थ कुछ और ही है। कालान्तर में तिथि का यह अर्थ हुआ कि जितने मैं सूर्य के सापेक्ष में चन्द्रमा 120 आगे, वही तिथि है। सामविधान ब्राह्मण (2/6, 2/7, 3/3) में कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पंचमी, शुक्ल चतुर्दशी आदि शब्द आये है। क्षय तिथियों का वैदिक काल मैं उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित भी मानते है कि प्रतिपदा एवं द्वितीया से तात्पर्य इस काल में पहली दूसरी रातों के लिए प्रयुक्त होता था। कालान्तर में उनका अर्थ बदल गया होगा तथा वह अर्थ प्रयुक्त होने लगा होगा जो अब ज्योतिष में दिया जाता है।

वैदिक काल में दिन चार भागों में विभाजित करने की प्रथा थी। पूर्वांन्ह, मध्यान्ह, अपरान्ह, सायान्ह ये नाम थे। दिनों में 15 भागों में बाँटकर उनमें से एक को मुहूर्त कहा जाता था। परन्तु अब मुहुर्त का अर्थ बदला हुआ है और वह भी कलित संयोग के कारण। तैतराय ब्राह्मण (3,11,1) में एक ही जगह पर सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, संवत्सर, ऋतु, मास अर्धमास, अहोरात्र आदि शब्द एक ही स्थान पर आए हैं।

पूर्व मैं नक्षत्र; शब्द तारों के लिए प्रयुक्त होता था। ऋक् संहिता के अनुसार-

अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यंत्यक्तुभिः सूराय विश्वचक्षसे।।

(ऋ.सं1.50.2.2)

लेकिन धीरे-धीरे नक्षत्र शब्द उन तारों के लिए विशेष रूप में प्रयुक्त होने लगा जो चन्द्रमार्ग में पढ़ते थे। ऋक् संहिता के अनुसार, चन्द्रमा तारों के बीच रहता है।

अथो नक्षत्राणामेशामुपस्थे सोम आहिता।।

(ऋ.संत्र10.85.2 अथ सं 14.1.2)

ऋषियों ने चन्द्रमा के सापेक्ष चक्कर को लगभग 27, कभी-कभी 28 भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग में पड़ने वाले तारक पुजों को नक्षत्र कहा है।

नक्षत्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तारा पुंज थे जिनका कोई नियत स्थान नहीं होता था। वे प्रतिदिन भिन्न स्थानों में देखे जाते थे। इससे अनन्त आकाश में अनन्त तारों पुजों का दर्शन करते-करते कुछ तारे अपने स्थान से चलायमान देखे गये। ऐसा निरन्तर देखे जाने से चलायमान तारा पुंजों को नक्षत्र न कहकर 'ग्रह' कहा गया। अनन्त तारकाओं में गमनशील तारकाओं के, प्रायः सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध आदि नामकरण किये गये। अनन्तर में गतिमान नक्षत्र पुंजों को 'ग्रह' नाम दिया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुहुर्तचिन्तामणि
2. ऋग्वेद 1.35.6
3. यजुर्वेद 33.43
4. ऋग्वेद 10.149.1
5. ऋग्वेद 1.84.15
6. ऋग्वेद 1.105.1
7. तैत्तरीय ब्राह्मण 1.5.10
8. ऋग्वेद संहिता 1.25.8
9. वाजसनेयी 22.31
10. शतपथ ब्राह्मण
11. एतरैय ब्राह्मण
12. भारतीय ज्योतिष

****

Penicillin A novel β -lactam antibiotic -A review

R. K. Prajapati *

Abstract - β-lactamhaving a β-lactam ring nucleus are antibiotics used in the management and treatment of bacterial infections.This class of antibiotics is among the most important and widely used antimicrobials worldwide and is comprised of a large family of compounds, obtained by chemical modifications of the common moulds.All β -lactams bind to and inactivate enzymes required for bacterial cell wall synthesis β-lactam antibiotics are a broad group of molecules that are naturally produced by different organisms (moulds belonging to Penicillium spp. and Cephalosporium spp. for penicillins and cephalosporins, respectively, and bacteria belonging to different species for monobactams and carbapenems). These antibiotics are one of the most commonly prescribed drug classes with numerous clinical indications. Fleming in 1929 found that Penicillium notatum killed the colony of staphylococci. After one decade, Penicillin was isolated by Florey and Chain which was responsible for lytic action on colonies of staphylococci. In this review, report of some examples of these derivatives, highlighting their biological properties and discussing how this strategy can lead to the development of innovative antibiotics that can represent either novel weapons against the rampant increase of antimicrobial resistance, or molecules with a broader spectrum of action have been discussed.
Keywords - Antibiotics, β -lactam, antimicrobials penicillins, cephalosporins and carbapenems.

Introduction - β-lactam antibiotics are antibiotics that contain a beta-lactam ring in their structure. Thisincludes penicillin derivatives(penams), cephalosporins and cephamycins (cephems), monobactams, carbapenems and carbacephems. Most β-lactam antibiotics work by inhibiting cell wall biosynthesis in the bacterial organism and are the most widely used group of antibiotics. The first β - lactam antibiotic discovered, penicillinswere isolated from a rare variant of *Penicillium notatum* (since renamed *Penicillium chrysogenum)*.Sir Alexander Fleming discovered penicillin in 1929 from Penicillium notatum.The structure of Penicillin contains three parts: the highly strained beta-lactam ring, free carboxyl group and substituted amino side chain [1-8]. Italian physician Vincenzo Tiberio, fifteen years before the discovery of penicillins, had already identified in moulds a "principle with bactericidal action" [9],but in 1949the structure of penicillins was fully confirmed by the X-ray study which was done by Dorothy Crowfoot Hodgkin [10]. Italian pharmacologist, Giuseppe Brotzu, independently identified the presence of some other compounds which possessed bactericidal activity in crude filtrates of Cephalosporium cultures in 1945 [11]. In 1953, cephalosporin C was identified from these filtrates of moulds and its structure was fully characterized in 1961 [12-15].The availability of 6-Aminopnicillinic acid (6-APA) made possible introduction of semisynthetic penicillins with new and better properties than natural sources. The structure of benzylpenicillin was determined by degradation study.

Penicillins are commonly used in the treatment of throat infections, meningitis, syphilis, and various other infections. The chief side effects of penicillin are hypersensitivity reactions, viz.skin rash, hives, swelling, and anaphylaxis, or allergic shock. The more serious reactions are uncommon. Benzylpenicillin was used to treat patients who are infected with streptococcal, gonococcal, and treponemal infections. Till one decade, shortages of the agent continued but in late 1940s when production of large amounts of drug became possible by a deep-fermentation procedure. The effects of penicillin were remarkable, although there were not enough drugs available to save the lives of all the patients in the trial.Since then, many synthetic types of penicillin have been developed, but resistance to the agents has increased. The discovery, development, and marketing of penicillin provide an excellent example of the beneficial collaborative interaction of not-for-profit researchers and the pharmaceutical industry.

Despite the emergence of resistance to penicillins and the development of other classes of anti-infective agents, the penicillins remain one of the most important anti-infective classes of drugs well into the nineties. The other classes of β -lactam antibiotics, viz. carbapenems and monobactams, were discovered more recently [16,17], in an effort to identify new members of this broad group of molecules.The antibacterial activity of the penicillins lies within the beta-lactam ring. Any alteration in this ring structure forms penicilloic acid and the antibacterial activity of the compound is lost. The side chain varies with each penicillin compound and generally determines the spectrum

*Department of Chemistry, Digambar Jain College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

of activity, as well as the pharmacokinetic properties of the compound. There are several natural penicillin (penicillin dihydro F, X, and K), of which benzylpenicillin (penicillin G) is the most active and is the only natural penicillin used clinically [18].

Structures of Penicillins: In penicillins the β-lactamothiazolidine ring contains three chiral centers. The fused rings are folded along the C_5, N-4 axis, forming an angle of 117^0. The amide resonance is suppressed due to non-planarity.

In penicillins, cephalosporins, and carbapenems, this ring is fused to another 5- or 6-member ring, whereas in monobactams, the β-lactam ring is monocyclic (Figure 1). This moiety is the mainly responsible for the antibacterial properties of all these molecules, due to their ability to block the bacterial cell wall synthesis as a result of their covalent binding to penicillin-binding proteins (PBPs), which are essential enzymes involved in the terminal steps of the synthesis of peptidoglycan, the main component of the bacterial cell wall.

Penicillin are named in following different ways: 4-thia-1-azabicyclo [3,2,0]heptanes, as Bnzylpenicillin is 6-(2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclohept-2-carboxylic acid, Penam- The unsubstituted bicyclic ring of system of penicillin is given the name Penam, so penicillin are also named as 6-acylamino-2,2dimthyl pnam-3-carboxylates.

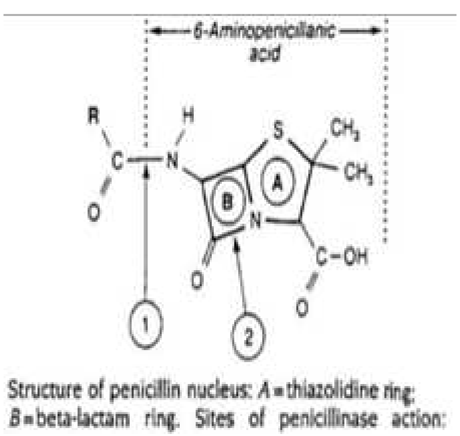

Figure 1. Core structure of Penicillins

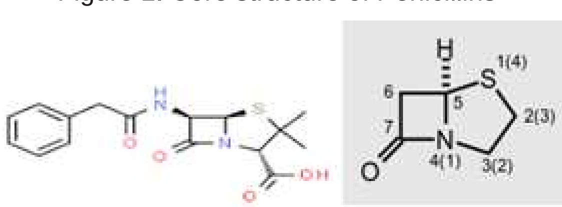

Figure2.Structure of Benzyl penicillin and ring of Penam.

The several kinds of penicillin synthesized by various species of the mould *Penicillium* may be divided into two classes: the naturally occurring penicillins which are formed during the process of mould fermentation and the semisynthetic, those in which the structure of a chemical substance called as 6-aminopenicillanic acid.

Penicillin G is natural penicillin that is produced directly from fermentation of *Penicillium crysogenum*. The naturally occurring penicillins, penicillin G (benzylpenicillin) and penicillin V (phenoxymethylpenicillin), are still used clinically. Because of its poor stability in acid, much of penicillin G is broken down as it passes through the stomach; as a result of this characteristic, it must be given by intramuscular injection, which limits its usefulness. Penicillin V, on the other hand, typically is given orally; it is more resistant to digestive acids than penicillin G. Penicillin V is a derivative of penicillin G and because of similarities in spectrum of activity, is considered natural penicillin. The natural penicillins have activity against non-beta-lactamase producing gram-positive cocci, including viridans streptococci, group,A streptococci, *Streptococcus pneumoniae*, and anaerobic streptococcus (*Peptostreptoco -ccus*, *Peptococcus* sp.). *Enterococcus* sp. is most susceptible to the natural penicillins. Other potential organisms with susceptibility include non-penicillinase producing strains of *Staphylococcus aureus* and coagulase-negative *Staphylococcus*, however because of the high likelihood of resistance, it is inappropriate to use natural penicillins as empiric treatment for a suspected *Staphylococcal* infection unless the organism's susceptibili -ty is known. The natural penicillins have activity against Clostridium sp. (excluding *Clostridium difficile*).

Semisynthetic Penicillins: The natural penicillins, penicillin G (benzyl penicillin)were acid labile which are not suitable for oral administration and so discovery of enzymatic hydrolysiswith penicillin amidase of penicillin G to 6-aminopenicillianic acid (6-APA) provided the route for the synthesis of, penicillin G analogs[19-21]. Semisynthetic penicillin ere synthesized by acylation of 6-APA by different methods, viz.1)R-COOH/DCC at room temperature,(2)R-CO-Cl /solvent/Pyridine, 3)Acylation with acetic anhydride,

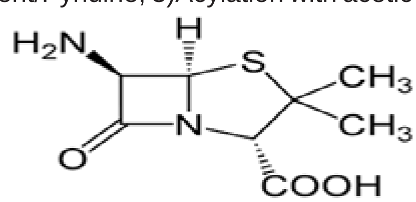

Figure 3.Structure of 6-APA: Amino group is acylated to R-CO-NH- group present in semisynthetic penicillin.

The objectives behind it were: the improvement of acidic and metabolic (beta lactamase) stabilities when it is orally administered, broadening of the spectrum of antibacterial activity, enhancement in pharmacokinetics, improvement in the action against resistant strain and minimal side effect.

Aminopenicillins

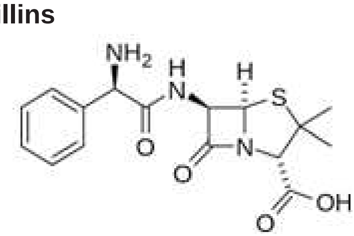

Figure 4. Structure of Aminopnicillins

The aminopenicillins were developed in the 1960s as broad-spectrum penicillins.Because of the need for improved coverage against gram-negative organisms, further manipulation of the side chain was conducted. By adding an amino group to the basic penicillin compound, the amino penicillins were developed. The spectrum of activity against gram-positive organisms is similar to that of the natural penicillins. These agents retain activity against streptococcal sp. and have slightly greater activity against *Enterococcus* (ampicillin)and *Listeria monocytogenes* versus the natural penicillins. The added side chain does not, however, inhibit hydrolysis by *Staphylococcal* penicillinases or gram-negative beta-lactamases. The enhanced spectrum of these drugs includes activity against gram-negative bacilli, including *H. influenzae*, *E. coli*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella* sp., and *Shigella* sp. [22,23]. Enhanced Gram-negative activity of aminopenicillins is due to increased binding affinity to PBP1b and PBP3 and enhanced ability to penetrate the outer cell membrane of many Gram-negative species. Aminopenicillins are as sensitive to hydrolysis by Gram-positive or Gram-negative β-lactamases as penicillin G and therefore are not active against penicillinase-producing *Staphylococcus* or Gram-negative bacteria that produce β-lactamases. Presently, however, many strains of these gram-negative organisms are resistant to ampicillin. Combinations of an aminopenicillin plus a beta-lactamase inhibitor, such as clavulanic acid or sulbactam, are useful for treatment of infections caused by beta-lactamase producing organisms.

Carboxypenicillins

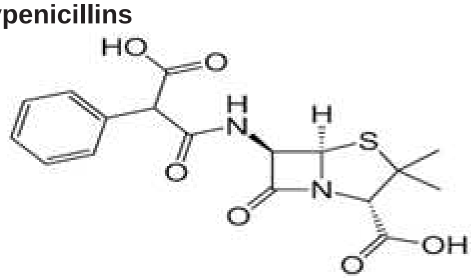

Figure 5. Structure of carboxypnicillins

The carboxypenicillins consists of the beta-lactam backbone but also feature a carboxylic acid or carboxylic acid ester group in the variable side-chain of penicillins. A carboxyl group substitution in place of the amino group yields carboxypenicillins compounds that have a greater gram-negative spectrum of action, including activity against *Pseudomonas aeruginosa*, most likely due to increased bacterial penetration through the cell wall. Carbenicillin and ticarcillin are the two drugs in this class. Their spectrum of activity includes that of ampicillin, while also encompassing *Enterobacter*, *Providencia*, *Morganella*, indole-positive *Proteus*, and *Pseudomonas aeruginosa*, with ticarcillin having slightly greater activity against *Pseudomonas aeruginosa* versus carbenicillin[24]. Coverage against *Klebsiella* and *Serratia* are less predictable and, unlike ampicillin, these compounds have little activity against *Enterococcus*. These agents are not effective against beta-lactamase producing organisms unless combined with a beta-lactamase inhibitor (e.g. ticarcillin plus clavulanic acid).

Ureidopenicillins and Piperazine Penicillin - These classes of penicillins are well effective against gram negative bacteria. So anureido group addition to the penicillin structure produces the compounds azlocillin and mezlocillin. Anureido group plus a piperazine side chain produces piperacillin. The gram-negative coverage of this class of penicillins includes that of the carboxypenicillins, plus coverage against *Klebsiella*, *Serratia*, *Enterobacter*, *Enterococcus*, and increased anaerobic coverage. The activity against Streptococci is slightly less that of the natural penicillins and ampicillin. Of the drugs in this class, piperacillin has the most activity against *Pseudomonas aeruginosa* [25,26]. As with the carboxypenicillins, drugs in this class are susceptible to inactivation by bacterial beta-lactamase production, unless combined with a beta-lactamase inhibitor (e.g. piperacillin plus tazobactam). Bacteria often develop resistance to â-lactam antibiotics by synthesizing a β -lactamase, an enzyme that attacks the β -lactam ring. To overcome this resistance, â-lactam antibiotics can be given with β -lactamase inhibitors such as clavulanic acid.

Mechanism of action - In contrast to mammalian cells the bacterial cytoplasm is surrounded by an outer rigid layer of cell wall. The walls possess high mechanical strength due tounique linked amino sugar polymer known as peptidoglycan which encloses whole bacterium. In gram positive bacteria this is of only layer while in gram negative bacteria this layer is consist of up to forty layers. Each layer contains multiple backbone of amino sugar alternating N-acetylglucosamine an N-acetylmuramic acid residues which possess short peptide chain which are cross-linked to form a lattice network.Penicillins work by inhibiting the bacterial enzymes responsible for cell wall synthesis in replicating microorganisms and by activating other enzymes to break down the protective wall of the microorganism. As a result, they are effective only against microorganisms that are actively replicating and producing cell walls; they also therefore do not harm human cells which fundamentally lack cell walls.

β-lactam antibiotics are bactericidal, and there mechanism of action involved inhibition of the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls. It has been found that the peptidoglycan layer is important for cell wall structural integrity,[27-29] especially in Gram-positive organisms, being the outermost and primary component of the wall. A bactericidal property of penicillin drugs arisesbecause it interferes with the synthesis after attaching to penicillin-binding proteins (PBPs).

The final transpeptidation step in the synthesis of the peptidoglycan is facilitated by DD-transpeptidases, also known as penicillin binding proteins [PBPs]. PBPs vary in

their affinity for penicillin and other â-lactam antibiotics. The number of PBPs varies between bacterial species.[30-33] β-lactam antibiotics are analogues of D-alanyl-D-alanine—the terminal amino acid residues on the precursor NAM/ NAG-peptide subunits of the nascent peptidoglycan layer. The structural similarity between β-lactam antibiotics and D-alanyl-D-alanine facilitates their binding to the active site of PBPs. The β-lactam antibiotics generally exert their antibacterial activity by interfering with synthesis of the cell wall in susceptible organism. Cross linking of linear peptidoglycogen is done by transpeptidase PBP which also cleaves a terminal D-alanine and at molecular level the â-lactam nucleus of the molecule irreversibly binds to acylatesproteins at theactive site of Ser_{403} residue of the PBP.[34-36]This irreversible inhibition of the PBPs prevents the final crosslinking (transpeptidation) of the nascent peptidoglycan layer, disrupting cell wall synthesis. This results in lysis of the cell wall due to high internal osmotic pressure.

So, β-lactam antibiotics block the division of bacteria e.g. including cyanobacteria, and also block the division of cyanelles, the photosynthetic organelles of the glaucophytes, and the division of chloroplasts of bryophytes. But there is no any evidence of its effect on the plastids of the highly developed vascular plants which support the endosymbiotic theory and indicates an evolution of plastid division in land plants.[37,38]

References:-

1. Fass RJ, Copelan EA, Brandt JT, Moeschberger ML, Ashton JJ. J Infect Dis 1987, 155, 1242-8.
2. Finland M, Garner C, Wilcox C, Sabath LD. Antimicrob Agents Chemother 1976, 9,274-87.
3. G.I.Gregery,RecentAvances in the beta lactam. Antibiotics. Royal society of Chemistry ,London 1981.
4. The beta lactam antibioticin "Burgrs Medicinal Chemistry and Drug Discovery" Fifth edition. Vol. 4John Willy and sons, Inc, New York 1977, 277-363.
5. Fleming A. Br J ExpPathol 1929, 10, 226.
6. Fleming, A. History and development of penicillin. In: Penicillin: Its Practical Application. (Fleming, A., ed.) The Blakiston Co., Philadelphia, 1946, pp. 1-33.
7. E.H. Flynn(ed). Chemistry and Biology.Academic Press,New York,1972.
8. E.Baldwin and C Schofield,in M.I. Page,. The Biosynthesis of lactams.Blackie Acaemic London, 1993,1-69.
9. Fursted K. Chemotherapy 1988,34, 229-34.
10. Bucci, R.; Galli, P. Vincenzo Tiberio. J. Public Health 2011, 8, 404–406.
11. Hodgkin, D.C. Adv. Sci. 1949, 6, 85–89.
12. Bo, G. Giuseppe Brotzu. Clin.Microbiol. Infect. 2000, 6 (Suppl. 3), 6–8. 13. Abraham, E.P.; Newton, G.G.F..Biochem. J. 1961, 79, 377–393.
14. Hodgkin, D.C. Maslen, E.N. Biochem. J. 1961, 79, 393–402.
15. Papp-Wallace, K.M.,Endimiani, A,Taracila, M.A, Bonomo, R.A.AntimicrobAgentsChemothepyr. 2011, 55, 4943–4960.
16. Sykes, R.B.,Cimarusti, C.M.,Bonner,D.P.,Bush, K.; Floyd, D.M.,Georgopapadakou, N.H.; Koster, W.M.; Liu, W.C.; Parker, W.L.; Principe, P.A.; et al. Nature 1981, 291, 489–491.
17. Nathwani D, Wood MJ. Penicillins.Drugs 1993, 45,866-94.
18. Barber M, Waterworth PM. Antibacterial activity of the penicillins. Br Med J 1962, 1, 1159-64.
19. Batchelor, F. R., Doyle, F. P. ,Nayler, J. H. C. , Rolinson, G. N. Synthesis of Penicillin: 6-Aminopenicillanic Acid in Penicillin Fermentations". Nature. 1959,183 (4656), 257–258.
20. F.P. Doyle, J.H.C. Nayler, G.N. Rolinson US Patent 2,941,995, filed July 22, 1958, granted June 21, 1960.
21 Patrick GL (Medicinal Chemistry (6th ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. 2017). p. 425. ISBN 978-0198749691.
22. Finland M, Garner C, Wilcox C, Sabath LD. Antimicrob Agents Chemother 1976, 9,274-87.
23. Basker M.J, Edmondson R.A, Sutherland R. Infection 1979, 7, 67-73.
24. Sutter V.L, Finegold S.M. Antimicrob Agents Chemother 1976, 10,736-52.
25. Coppens L, Klastersky J. Antimicrob Agents Chemother 1979, 15, 396-9.
26. White GW, Malow JB, Zimelis VM, Pahlavanzadeh H, Panwalker AP, Jackson GG. Antimicrob Agents Chemother 1979, 15, 540-3.
27. W B Hugo, A D RussellJournal of Pharmacy and Pharmacology, 1961, 13, Issue 1,705–722.
28. Pandey, N.; Cascella, M. "Beta lactam antibiotics". StatPearls. (2020). PMID 31424895.
29. Rossi S (ed.) Australian Medicines Handbook 2004. Adelaide: Australian Medicines Handbook. ISBN 0-9578521-4-2.
30. Miyachiro, M. M.; Contreras-Martel, C.; Dessen, A. Sub-Cellular Biochemistry. 2019, 93, 273–289.
31. Cushnie, T. P.; O'Driscoll, N. H.; Lamb, A. J. Cellular and Molecular Life Sciences.2016, 73 (23), 4471–4492
32. Wise, E. M., and Park, J. T. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1965, 54, 75-81
33. Tipper, D. J., and Strominger, J. L. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1965, 54-1141.
34. Waxman, D. J., and Strominger, J. L. J. Biol. Chem. 1980, 255, 3964-3976.
35. Linnett, P. E., and Strominger, J. L. (1974) J. Biol. Chem. 249, 2489-2496.
36. Knott-Hunziker, V., Waley, S. G., Orlek, B., and Sammes, P.G. FEBS Lett.1979, 99, 59-61.
37. Fisher, J. F.,Meroueh, S. O,Mobashery, S. (2005). Chemical Reviews. 105 (2), 395–424.
38. Kasten, B.,Reski, R. Journal of Plant Physiology. 1997,150 (1): 137–140.

महाकवि भर्तृहरि के शतकत्रय में मानव प्रकृति: एक विमर्श

रामकेश बैरवा *

शोध सारांश – संस्कृत वाङ्मय में नीतिग्रन्थों में मानव प्रकृति का विशद वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में नीतिग्रन्थों की बहुत उपयोगिता है। प्रस्तुत शोध पत्र में भर्तृहरि के शतकत्रय (श्रृंगार शतक, नीतिशतक, वैराग्यशतक) में उल्लखित मानव प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। भर्तृहरि ने अपने लौकिक जीवनयात्रा को शतकत्रय में वर्णित किया है। उनकी जीवनयात्रा में जो घटना घटी उस घटना के प्रभाव से उनका जीवन ही बदल गया। भर्तृहरि ने वह सम्पूर्ण वर्णन अपने शतकत्रय (श्रृंगारशतक, नीतिशतक, वैराग्यशतक) में किया है। ऐसा स्पष्ट रुप से दिखाई देता है। कि व्यक्ति का चरित्र समयानुसार व दूसरे व्यक्ति की संगति से किस प्रकार बदल जाता हैं।

शब्द कुंजी – महाकवि, भर्तृहरि, अर्थ, स्वभाव, महाराज, पद्धति, मृगराज, अमरफल, पिंगला, राजा आदि।

प्रस्तावना – धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य अपने जीवन को इन चार पुरुषार्थो के सहारे व्यतीत करता है उसके जीवन की आक्षांकाऐं असीमित है और इन्ही आक्षांकाओं के वशीभूत होकर वह अपने जीवन को नष्ट भी कर लेता है। धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष के अन्तर्गत ही मानव का सम्पूर्ण जीवनरहस्य निहित है। व्यक्ति अपनी जीवनयात्रा की शुरुआत धर्मकार्यों के साथ करता है जो उसे सन्मार्ग पर ले जाता है। धन मनुष्य को सन्तुष्टि प्रदान करता है कामना हृदय की सुखानुभूति है और मोक्ष का सम्बन्ध आत्मा और परमात्मा के तादात्मय से है।

कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में चारो पुरुषार्थो को राजाओं के जीवन में उपयोगी माना है। तथा अर्थ को महत्ता प्रदान की है 'अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यरूप महाकवि भर्तृहरि ने भी अर्थ को महत्त्वपूर्ण माना है उनका मानना है कि जीवन विना धान के नही चलता है'

यस्यास्ति वित्तं स: नर: कुलीन:
स: पण्डित: स: श्रुतवान् गुणज्ञ:।
स एव वक्ता स: च दर्शनीय:
सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते।।

अर्थ (धन) के साथ साथ उनके जीवन में काम अर्थात् कामना का भी विशेष प्रभाव पडा है अर्थात् धर्म व अर्थ को काम (कामना) से ही उत्पन्न माना जाता है। महाकवि भर्तृहरि की जीवनयात्रा भी इसी प्रकार की परिस्थितियों से सन्यासी मार्ग पर आ जाती है। भर्तृहरि उज्जैन (मध्यप्रदेश) के महाराजा गन्धार्वसेन के पुत्र थे तथा विक्रमादित्य के बडे भ्राता थे। भर्तृहरि संस्कृत भाषा के बडे विद्धान थे संस्कृत वाङ्मय में महाकवि भर्तृहरि नीतिकार के रुप में भी जाने जाते है उन्होने शतकत्रय अर्थात् शृगारशतक, नीतिशतक, वैराग्यशतक काव्यों की रचना की है। इसके अलावा महाकवि भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम् व्याकरण ग्रन्थ का लेखन भी किया है। जब महाकवि भर्तृहरि इन लौकिक काव्यों की रचना में व्यस्त थे तब इनकी पत्नी रानी पिंगला का प्रेम प्रसंग महलो के सेवक अश्वाध्यक्ष से हो गया। इस सम्बन्ध में कई दन्त कथाऐं प्रसिद्ध है–

महाकवि भर्तृहरि ने आश्रमों में रहकर में वेद, उपनिषद, और छ: शास्त्रो का अध्ययन कर आयुर्वेद आचार्य से वनस्पति शास्त्र में उपाधि प्राप्त की। तथा साथ–साथ साहित्य आचार्य से अलङ्कार, छन्द का ज्ञान प्राप्त कर पुराणों के महत्व को समझा। अत: भर्तृहरि सम्पूर्ण विद्या में निपुण होकर गृहस्थाश्रम में लोटे। महाकवि भर्तृहरि का विवाह पिंगला के साथ हुआ। भर्तृहरि पिंगला से बहूत प्यार करते थे एक समय उनके राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया तो भर्तृहरि ने जमकर लोहा लिया।

शत्रू सेना को परास्त कर अपने राज्य को मजबूत किया और राज्य विस्तार किया। उनके पिता वृद्ध हो रहे थे तो राज्य कार्यभार भर्तृहरि को सोंप दिया। भर्तृहरि ने शासन के दौरान 'वाक्यपदीयम' नामक महान् ग्रन्थ लिखा। जब उस ग्रन्थ को किसी मुनि ने पढा तो वह राजा भर्तृहरि को आशीर्वाद देने के लिए महलों में आए और उनको एक अमरफल दिया कि इस अमरफल को खाने से मनुष्य अमृत्व को प्राप्त हो जाता है। इसी मध्य रानी पिंगला का स्नेह महलो के सेवक अश्वाध्यक्ष से हो जाता है भर्तृहरि पिंगला से बहूत प्यार करते थे उन्होनें वह अमरफल पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला ने वह अमरफल प्रेमवश महलो के सेवक अश्वाधयक्ष को दे दिया। वह अश्वाधयक्ष भी नगर में रहने वाली किसी गणिका से प्यार करता था उसने वह अमरफल उस गणिका को दे दिया। गणिका ने उस अमरफल को देखकर सोचा कि यदि वह इस अमरफल को खायेंगी तो जीवन भर व्यभिचार में लिप्त रहेगी।अत: गणिका ने सोचा कि महाराज भर्तृहरि युवा है वह इस अमरफल को ग्रहण करेंगे तो जीवनभर अमर रहेंगे और शासन चलाते रहेंगे। गणिका ने वह अमरफल राजा भर्तृहरि को दे दिया। भर्तृहरि उस अमरफल को पहचान लेते है और सभी को बुलाते है अन्त में सबको क्षमा कर दिया। एक श्लोक के माध्यम से अपने विचारो को अभिव्यक्त किया–

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽप्सक्त:।
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या
धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च।।

भर्तृहरि राजसी वैभव को छोडकर सन्यास धारण कर लेते है। इनके जीवन के विषय मे एक दन्तकथा और भी सुनाई देती है कि 'राजा रानी पिंगला के साथ वन में आखेट करने जाते है संध्याकाल तक उनको शिकार नही मिलती है तो घर वापस लोटते है मार्ग मे उनको एक मृगो का झुण्ड

* सहायक आचार्य (संस्कृत) हाडारानी राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, सलूम्बर (राज.) भारत

दिखाई देता है और भर्तृहरि मृगराज को मारने के लिए जैसे ही तैयार होते है तो रानी पिंगला भर्तृहरि को रोकती है कि महाराज यह मृग सभी हिरणियों का राजा है इसे मत मारो किन्तु भर्तृहरि ने रानी पिंगला की बात नही सुनी और मृगराज को मार डाला। वह हिरण धरा पर गिर पडा और भर्तृहरि से कहने लगा कि यह तुमने अच्छा नही किया। अब तुम ध्यान से सुनो कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सींग श्रंगी बाबा को , मेरे नेत्र चंचल नारी को, मेरी चर्म ऋषि मुनियों को, मेरे चरण भागने वाले चोरो को और मेरे तन की मिट्टी पापी नृप का दे देना। राजा का हृदय द्रवित हो गया और मृग कलेवर को कंधो पर रखकर चलने लगे कि उनको मार्ग में गुरु गोरखनाथ से भेट हो गई। भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ से उस मृगराज को जीवित करने को कहा तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि वह एक ही शर्त पर जीवित कर सकते है कि वह उनका शिष्य बनेगा। भर्तृहरि ने उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। और गुरु गोरखनाथ ने मृगराज को जीवित कर दिया।

इस प्रकार महाराज भर्तृहरि के जीवन की राह सन्यासी मार्ग पर अग्रसर हो गई। महाकवि भर्तृहरि ने अपने युवा जीवन मे सबसे पहले श्रृंगार शतक की रचना की तथा उसके बाद प्रोढावस्था में नीतिशतक और संसार से विरक्ति का भाव उत्पन्न होने पर वैराग्य शतक की रचना की। इन तीनो ही शतकों मे मानव प्रकृति का बडा की रोचक व सुन्दर वर्णन है। प्रथम श्रृंगारशतक में उन्होने स्त्री के रुप सौन्दर्य तथा उसके स्वभाव को सुन्दर शब्दों में गुम्फित किया है।

श्रृंगार शतक – भर्तृहरि ने लिखा है कि स्त्रियाँ हर प्रकार से मुस्कराहट से, भाव भंगिमा से, मुह फेरने से, बात करने आदि से मनुष्य को अपने वश में कर लेती है तथा नारी का रुप सौन्दर्य मनुष्य को इस प्रकार आकृष्ट कर लेता है कि वह अपने वर्तमान को भूल जाता है तथा उससे अलग रहने पर उसके दिल में हलचल मच जाती है। भर्तृहरि तो यहाँ तक लिखते है कि स्त्री जब किसी को चाहने लगती है तो उससे विधाता भी उस व्यक्ति को अलग नही कर सकता है–

स्मितेन भावेन च लज्जया भिया, पराङ्मुखैरर्द्धकटाक्ष वीक्षणैः।
वचोभिरीर्ष्या कलहेन लीलया, समस्त भावैः खलु वन्धानं स्त्रियः।।
लीलावतीनां सहजा विलासास्त एव मूढस्य हृदि स्फुरन्ति।
रागो नलिन्या हि निसर्ग सिद्धस्तत्र भ्रमत्येवमुधाषडंघ्रिः।।
किं गतेन यदि सा न जीवति, प्राणिति प्रियतमा तथाऽपि किम्।
इत्युदीक्ष्य नवमेघमालिकैः, न प्रयाति पथिकः स्वमन्दिरम्।
उन्मत्त प्रेम संरम्भादारभन्ते यदङ्गना।
तत्र प्रत्यूहमाधातुं ब्रह्मापि खलु कातरः।।

इस प्रकार भर्तृहरि ने श्रृंगारशतक में नारी सौन्दर्य उनकी चपलता, विभ्रम विलास, तथा विभिन्न ऋतुओं के मादक वातावरण तथा उनके स्वभाव की चेष्टाओं को चित्रित किया है। महाकवि भर्तृहरि का यह प्रसंग आधुनिक परिस्थितियों मेंबहुत ही समानता तथा प्रासंगिकता रखता है अर्थात् इस प्रकार की परिस्थिति आधुनिक समय में दिखाई देती है। तत्कालीन समय में नारी स्वभाव जिस प्रकार का रहा होगा परन्तु भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक में जो वर्णन किया है वह उनके जीवन की किंवदन्तियों व घटनाओं के आधार पर प्रतीत होता है कि निश्चय ही भर्तृहरि का जीवन इस प्रकार की परिस्थितियों से आकृष्ट रहा होगा।

नीतिशतक – महाकवि भर्तृहरि ने नीतिशतक में व्यक्ति के चरित्र को मूर्खपद्धति, सज्जनपद्धति, मान–शौर्य पद्धति, दुर्जनपद्धति, विद्वानपद्धति, परोपकारपद्धति, धैर्य पद्धति आदि में उल्लेख किया है। महाकवि भर्तृहरि कहते है कि संसार में विभिन्न प्रवृतियों के लोग निवास करते है। मूर्ख व्यक्तियों की प्रवृतियों का उल्लेख करते हुए भर्तृहरि कहते है सामान्य व शिक्षित व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है किन्तु अल्पज्ञान वाले एवं स्वयं को सर्वज्ञ मानने वाले मुर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी नही समझा सकता है।

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः।
ज्ञान लव दुर्विग्धाम् ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति।।

प्रयत्न करने पर हर कार्य को सिद्ध किया जा सकता है किन्तु मुर्ख व्यक्ति के मन को सन्मार्ग पर लाना कठिन है

लभेत सिकतासु तैलं यत्नतः पीडयन्,
पिबेच्च मृग–तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः।
कदाचिदपि पर्यटञ्छश–विषाणमासादयेत्,
न तु प्रतिनिविष्ट–मूर्खजनचित्तमाराधयेत्।

विद्वान लोगो के स्वभाव व प्रकृति के बारे में भी कथन है कि बाणी ही उनका सबसे बडा आभूषण है तथा हमेशा शुद्ध व परिष्कृत वाणी बोलते है विद्या ही उनका सबसे बडा सौन्दर्य है। विद्या से वह यश, सुख, धान, समृद्धि आदि प्राप्त करके खुश रहते है और दुर्जन लोगो की संगति से हमेशा दूर रहते है। क्षमा ही उनका कवच है। विद्वान व स्वाभिमानी लोगो के बारे में यह भी कथनीय है कि उनकी प्रकृति फूलो के गुच्छो की तरह होती है कि वो हमेशा सम्मान प्राप्त करते है तथा मृत्यु के पश्चात् उनका यश रुपी शरीर हमेशा जीवित रहता हे।

कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः।
मूर्धिनं वा सर्वलोकस्य शीर्यत वने एव वा।।
जयन्ति ते सुकृतिनो, रससिद्धाः कविश्वराः।
नास्ति येषां यशः काये, जरामरणजं भयम्।

जब व्यक्ति निर्धन होता है तो वह हर प्रकार की वस्तु प्राप्त करने के लिए तडपता हैं और जब वह धनवान हो जाता है तो सम्पूर्ण धरती को पत्तो की तरह समझने लगता है और दुर्जन लोगो की संगति में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते है। स्वयं भी दुर्जन प्रवृति के हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगो से हमेशा दूर रहना चाहिए।

परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये,
सः पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धारित्रीं तृणसमाम्।
अतश्चानेकान्ता गुरु लघुतयाऽर्थेषु धानिना,
मवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च।।
दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतोऽपि सन्।
मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः।।

सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव हमेशा एक समान रहता है चाहे उनके सामने विपत्ति आए या उनके पास बहुत सम्पत्ति हो। सज्जन व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल ही व्यवहार करते है। वे दुर्जनो की संगति से दूर रहते है नीतिशतक में मनुष्य की विभिन्न प्रवृतियों का उल्लेख देखने को मिलता है। मनुष्य किस प्रकार समयानुकूल अपने स्वभाव को बदल लेता है नीतिशतक में दृष्टव्य है। भर्तृहरि ने तत्कालीन मनुष्य की जिन प्रवृतियों का उल्लेख किया है उस समय शिक्षा का अभाव होने के कारण शायद ऐसा रहा होगा किन्तु हजारो वर्षो के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है क्योकि आधुनिक काल में ऐसे लोगो की भरमार हैं।

समत्सु महत्तं चित्तं भवत्युत्पल कोमलम्।
आपत्सु च महाशैलं शिला–संघात–कर्कशम्।

वैराग्यशतक – वैराग्यशतक में मनुष्य की उन प्रवृतियों को उकेरा गया है

कि जब मनष्य युवावस्था, प्रौढावस्था के सभी वस्तुतत्वों का उपभोग कर वैराग्य धारण करता है फिर भी तृष्णा उसके पीछे लगी रहती है।

वलिभिर्मुखमाक्रान्तं ....तृष्णैका तरुणायते।

व्यक्ति वृद्धावस्था में आकर कमजोर हो जाता है उसके सारे आकर्षण मुक्त जाते है। और उसकी प्रवृति भी परिवर्तित हो जाती है। मृत्यु आने पर वह चिन्तामग्न हो जाता है।

निवृता भोगेच्छा पुरुषबहूमानो विगलितः,
समाना: स्वर्याता: सपदि सुहृदो जीवितसमाः।
शनैर्यष्ट्युत्थानं घनतिमिररूद्धे च नयने,
अहो धृष्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः।।

इस प्रकार वैराग्य अवस्था आने पर व्यक्ति के स्वभाव में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते है।वह स्वयं किसी को अपने पास नही आने देता है और मन में शान्ति धारन करना चाहता है।तथा वह चाहता है कि हथेली ही उसका भिक्षा पात्र हो, हे कल्याण कर्ता प्रभो! इस प्रकार के सभी पाखण्डों, आडम्बरों और दुष्कर्मो को जड से उखाड फेंकने में कब समर्थ हो पाउंगा। महाकवि भर्तृहरि ने अपने जीवनयात्रा के अनुभव व तत्कालीन जीवन की दशा को अपने शतकत्रय में लेखनी से उकेरा है। शतकत्रय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से पता चलता है कि भर्तृहरि ने समकालीन अर्थात् उस समय की मनुष्य प्रवृतियों का जो वर्णन किया है वह वर्तमान में हजारों वर्षो के बाद नितान्त प्रासंगिक व उपयोगी है। वर्तमान में इसी तरह की परिस्थितियाँ व व्यक्ति चरित्र उतना ही प्रबल है। जिसको महाकवि भर्तृहरि ने पूर्व में ही वर्णित कर दिया।

शब्द संक्षेप: –
भ.श. – भर्तृहरि शतक
नी.श. – नीतिशतक
शं.श – श्रृंगार शतक

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 भर्तृहरि विरचित: 'भर्तृहरि शतक' अनुवाद व व्याख्या, सुनील शर्मा, मनोज पब्लिकेशन–दिल्ली, आठवां संस्करण 2012
2 भर्तृहरि विरचित: 'नीतिशतकम' व्याख्या, डॉ. राजेश कुमार जोशी, हिमांशु पब्लिकेशन– उदयपुर
3. भर्तृहरि विरचित: 'नीतिशतकम' व्याख्या, श्रीकृष्ण ओझा अभिषेक प्रकाशन, जयपुर–3
4. श्रीकृष्ण ओझा: 'भारतीय संस्कृति के तत्व', अभिषेक प्रकाशन, जयपुर–3
5. नीलम के सोनानी: 'पुरानों में अर्थ पुरुषार्थ', अनन्ता अंक–7 मई–जून 2021
6. रत्नमोहन झा: 'चारित्र्य विकासे भर्तृहरेः अवदानम्', संस्कृत विमर्श अंक–18 संस्करण 2020
7. भर्तृहरि विरचित: 'नीतिशतकम' व्याख्या, अनन्तराम शास्त्री वेताल व विजयशंकर मिश्र, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी–1 सप्तम संस्करण
8 भर्तृहरि विरचित: 'श्रृंगार शतक'अनु., बाबा हरीदास वैध, हरीदास एण्ड कंपनी – कलकत्ता

****

'गोदान' में नारी चेतना

डॉ. तृष्णा शुक्ला *

शोध सारांश – एक चरित्र प्रधान उपन्यास की सफलता इसी में है कि कथानक और चरित्र में समन्वय हो। होरी किसान की पत्नी धनिया जीवन में सब कुछ सह सकती है पर अन्याय नहीं, अन्याय के प्रति व विद्रोह का स्वर उठाती है। अपने विवाहित जीवन के इन बीस वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही करत–ढयोत करो, कितना ही पेट–तन काटो, चाहे एक–एक कोढ़ी दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री–पुरुषों में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी छ: संतानों में अब केवल तीन जिंदा है एक लड़का गोबर कोई सोलह साल का है, और दो लड़कियां सोना और रूपा बारह और आठ साल की। तीन लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा–दारू होती तो वह बच जाते पर वह एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकी थी। पेट की चिंता ही के कारण तो तभी तो जीवन का सुख ना मिला। जिस गृहस्थी के पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? धनिया के मन असंतोष धीरे–धीरे समाज व्यवस्था के प्रति वितृष्णा का रूप धारण कर लेता है। धनिया को ऐसे समाज से भी नफरत है जिसमें गुप्त रूपए पापाचार को प्रोत्साहित किया जाता है। धनिया का बस चले तो गरीबों का रक्त चूसने वाले घूसखोर सरकारी कर्मचारियों एवं सामाजिक ठेकेदारों को गोली से उड़ा दे। उसके अनुसार आज का युग तो जीने का अधिकार ही तभी देता है जब ईट का जवाब फूल से नहीं पत्थर से दिया जाए। इसके बिना आत्म–सम्मान की रक्षा संभव नहीं है। अन्याय के प्रति धनिया की संपूर्ण विद्रोह भावना में आत्मसम्मान की तीव्र भूख निहित है। जीवन संघर्षो ने अंतत: उसकी कमर तोड़ डाली है पर वह अन्याय के आगे नहीं झुकी यद्यपि यह भी सत्य है कि अन्याय उसकी प्राणशक्ति पर आखिरी दम तक चोट करता रहा। धनिया ने हार नहीं मानी पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसने जीवन में झुकना सीखा ही नहीं। उसने झुकना चाहा लेकिन सम्मान सहित। होरी यदि शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता, तो धनिया उस शोषित वर्ग के अंतराल की क्रांति है। विपन्नता के इस फतेह सागर में सोहाग ही वह दृढ़ था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। होरी को अंतिम सांस लेते देखकर धनिया को लगता है जैसे उसके जीवन और सतीत्व का आधार खिसकता जा रहा है। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था उसके नाम से रोना ही क्या उसका धार्म है? और कई आवाजें आई – गोदान करा दो अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी, उसके बीस आने लायी और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली, महाराज, घर में लगाए हैं ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब जीवनसाथी ही नहीं रहा तो धनिया भी रहकर क्या करें? किसके लिए जिए? जीवन भर उसने पति का साथ दिया है। सत्य को प्रत्यक्ष देखकर वह कैसे पीछे हट जाए? वह भले ही अनपढ़ गवारिन है किंतु लाख पढ़ी–लिखीयों को पत्नीत्व का पाठ पढ़ा सकती है। गृहिणी रूप में धनिया नास्तिक नहीं है। धनिया एक सहज वत्सला एवं त्याग में जननी है। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था।

प्रस्तावना – उपन्यास का ताना–बाना चरित्रों के आधार पर बुना जाए वह चरित्र प्रधान उपन्यास की कोटि में आता है। चरित्र के आंतरिक व बाह्य पक्षों को चिन्हित करने के कथावस्तु शैथिल्य भी देखने को मिलती है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास इसी श्रेणी में आते हैं। एक चरित्र प्रधान उपन्यास की सफलता इसी में है कि कथानक और चरित्र में समन्वय हो।

चरित्र प्रधान उपन्यास व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण को सूक्ष्म रूप से विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है। वैयक्तिक कुण्ठा, भावात्मकता, बौद्धिकता, और कभी शुष्कता का भी इन उपन्यासों में विस्तार दिखाई देता है। पात्रों को सजीव और यथार्थ बनाने के लिए उपन्यासकार को कल्पना शक्ति मानव मन के सूक्ष्म अध्ययन और उसकी कलात्मक योजना की परीक्षा होती है। चरित्र चित्रण के ही माध्यम से उपन्यासकार निश्चित उद्देश्यों की अवतरणा कर उसे स्थाई मूल्यों से समन्वित करता है। देश काल की सीमा के अनुकूल रहते हुए भी पात्र सर्वकालिक व सार्वजनिक दृष्टिगोचर होते हैं, यही चरित्र चित्रण की कला है जो उपन्यासकार को सफल बनाती है। चरित्र प्रधान उपन्यास से आगे बढ़कर व्यक्ति परख उपन्यास का रूप ले लेते हैं।

उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की पात्र 'धनिया' है। 'होरी किसान की पत्नी धनिया जीवन में सब कुछ सह सकती है पर अन्याय नहीं, अन्याय के प्रति व विद्रोह का स्वर उठाती है। धनिया जीवन के प्रति अनावश्यक एवं तथाकथित सहनशीलता की उपेक्षा कर आखिरी सांस तक जूझती रही है। विद्रोह का पूर्वाग्रह लेकर वह कभी नहीं चली किंतु उसके अंतस्थल में एक गहरा असंतोष विद्यमान है जो स्वत: ही उबल पड़ा है।'[1]

'अपने विवाहित जीवन के इन बीस वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही करत–ढयोत करो, कितना ही पेट–तन काटो, चाहे एक–एक कोढ़ी दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री–पुरुषों में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी छ: संतानों में अब केवल तीन जिंदा है एक लड़का गोबर कोई सोलह साल का है, और दो लड़कियां सोना और रूपा बारह और आठ साल की। तीन लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा–दारू होती तो वह बच जाते पर वह एक

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प.म.ब. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

धोले की दवा भी ना मंगवा सकी थी। पेट की चिंता ही के कारण तो तभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी के पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था।' [2]

'धनिया के मन असंतोष धीरे-धीरे समाज व्यवस्था के प्रति वितृष्णा का रूप धारण कर लेता है। उसे वितृष्णा है उस समाज व्यवस्था से जिसमें आर्थिक खाइयां विद्यमान है, किंतु उसे घृणा है उस समाज से जो अंध रूढ़ियो एवं परंपराओं के कारण मनुष्य की व्यक्तिगत गरिमा को कुचल डालता है, अपने कठोर नियंत्रण में उसे विकसित होने का अवसर तक नहीं देता, जो समाज व्यक्ति के प्रति चिंतित होने का दम तो भरता है किंतु प्रत्येक इकाई की परवाह नहीं करता, जो समझने का कष्ट तक नहीं करता। धनिया महसूस करती है कि परंपरा की रक्षा से प्रथम एक मानव की रक्षा को स्थान मिलना चाहिए। वह तीव्र शब्दों में कहती है।'[3]

'हमको कुल-प्रतिष्ठा, इतनी प्यारी नहीं है महाराज, कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डाले। ब्याहता न सही, पर उसकी बांह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही। किस मुंह से निकाल देती? वही काम बड़े-बड़े करते हैं उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता, वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मरजाद बिगड़ जाती है। नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से ज्यादा प्यारी होती है, हमे तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं।'[4]

'धनिया को ऐसे समाज से भी नफरत है जिसमें गुप्त रूपए पापाचार को प्रोत्साहित किया जाता है धनिया देखती है कि इस दृष्टि से तो नारी के और भी अधिक पददलित होने की संभावना है। पुरुष किसी की बांह पकड़कर वासना तृप्ति के उपरांत मुंह में कालिख लगाकर भाग सकता है पर नारी? और फिर ऐसा समाज?.... इसी कल्पना से ही जैसे धनिया सिहर उठती है और अनायास ही उसके हाथ झुनिया एवं सीलिया को थाम लेने के हेतु उठ जाते हैं।' [5]

'धनिया का बस चले तो गरीबों का रक्त चूसने वाले घूसखोर सरकारी कर्मचारियों एवं सामाजिक ठेकेदारों को गोली से उड़ा दे। जिस झूठी इज्जत की रक्षा के हेतु निम्नवर्गीय कृषक घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं उसे भी वह हेय समझती है। गाय उस गरीब की मरी है, तलाशी भी उसी के घर की होने को जा रही है और जिस पर उसका पति है कि, झुकना चाहता है। वह घर की इज्जत की रक्षा के हेतु दरोगा से कहती है। 'हां, दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर? किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अकेले की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है। दूध का दूध और पानी का पानी दूसरी बात।' [6]

'धनिया का विद्रोह उस पारिवेशिक अन्याय के प्रति भी है जिसमें एक भाई दूसरे के प्राणों का ग्राहक हो और दूसरा चुपचाप पहले ही लताडो को शिरोधर्य मानता जाए। उसके अनुसार आज का युग तो जीने का अधिकार ही तभी देता है जब ईट का जवाब फूल से नहीं पत्थर से दिया जाए। इसके बिना आत्म-सम्मान की रक्षा संभव नहीं है। जो देवर उसके पति के शत्रु हैं वह उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकती।'[7]

पति से कहती है 'मैंने तुमसे सौ बार, हजार बार कह दिया मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारा गांव गाय देखने आया, उन्हीं के पांव में मेहंदी लगी हुई, थी मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई। छाती फट जाती होगी।'[8] पुत्र तक के अन्याय को धनिया विस्मृत नहीं कर पाती।

अन्याय के प्रति धनिया की संपूर्ण विद्रोह भावना में आत्मसम्मान की तीव्र भूख निहित है। जीवन संघर्षो ने अंततः उसकी कमर तोड़ डाली है पर वह अन्याय के आगे नहीं झुकी यद्यपि यह भी सत्य है कि अन्याय उसकी प्राणशक्ति पर आखिरी दम तक चोट करता रहा। धनिया ने हार नहीं मानी पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसने जीवन में झुकना सीखा ही नहीं। उसका कहना है कि ईट का जवाब चाहे पत्थर ही हो। उसने झुकना चाहा लेकिन सम्मान सहित।

जहां तक बाह्य दृष्टि से अपने पति की रीढ़ की हड्डी है वही आंतरिक दृष्टि से उसकी कुचली हुई आत्मा भी है। होरी यदि शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता, तो धनिया उस शोषित वर्ग के अंतराल की क्रांति है जो सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखती हुई भी जीवन की विवशताओं को पराजित नहीं कर पाती।

'यह ठीक है कि धनिया ने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर अभावों का ही मुंह देखा है और भाग्य में विडंबना को ही सहा है किंतु होरी जैसे पति को पाकर वह सब कुछ विस्मृत कर देना चाहती है। होरी ने उसको पीटा भी है, बुरा भला भी कहा है किंतु उसके बीमार होते ही वह मान का अधिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। होरी उसका बहुमूल्य एवं दुर्लभ 'हीरा' है। वह बिना खाए होरी को कहीं बाहर नहीं जाने देती है। होरी लाठी कंधो पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। वह जैसे अपने नारीत्व से संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह-सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता के इस फतेह सागर में सोहाग ही वह दृढ़ था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी।'[9]

'इसलिए तो धनिया सतीत्व को नारी की एकमात्र संपदा समझती है और होरी को अंतिम सांस लेते देखकर धनिया को लगता है जैसे उसके जीवन और सतीत्व का आधार खिसकता जा रहा है। अब वह दिल को और कितना कठोर करे?'[10]

'अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था उसके नाम से रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई - गोदान करा दो अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी, उसके बीस आने लायी और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली, महाराज, घर में लगाए हैं ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है और पछाड़ खाकर गिर पड़ी।' [11]

'जब जीवनसाथी ही नहीं रहा तो धनिया भी रहकर क्या करें? किसके लिए जिए? जीवन भर उसने पति का साथ दिया है। सत्य को प्रत्यक्ष देखकर वह कैसे पीछे हट जाए? यही है दुनिया का अमर पत्नीत्व वह भले ही अनपढ़ गवारिन है किंतु लाख पढ़ी-लिखीयों को पत्नीत्व का पाठ पढ़ा सकती है।'[12]

'जहां सहनशीलता है अन्याय के प्रति वह जितनी ही असहनशील है, गृहस्थ विशेषताओं को वह उतने ही धैर्य से झेलती भी है। वह घर मालकिन अवश्य है किंतु होरी के शब्दों में, 'इस मालकिन में गोबर की मां की जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूं। किंतु बेचारी अपनी देवरानीयो के फटे-पुराने पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी न था, देवरानियों के लिए दो-दो चार-चार गहने बनवा दिए।'

आज तो धनिया को घर से बाहर खेतों में भी काम करना पड़ता है, मजदूरी पर जीना पड़ता। धनिया और तीन लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ, कीचड़ से सनी हुई आती है और गट्ठे पटक कर दम मारने ही लगती है कि दातादीन की डांट सिर पर सवार हो जाती है, गृहस्थी संचालन के हेतु यह भी करना पड़ता है धनिया को।' [13]

'इस घर में उसने आकर क्या नहीं झेला, किस-किस तरफ पेट-तन नहीं काटा, किस-किस तरह एक-एक लत्तो को तरसी, किस तरह एक-एक पैसा प्राणों की तरह खींचा, किस तरह घर-भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही और आज इन सब बलिदानों का यह पुरस्कार।

गृहिणी रूप में धनिया नास्तिक नहीं है। धनिया एक ग्रामीण गृहिणी की भांति कुछेक परंपरागत आशंका मूलक अंधविश्वासों में भी आस्था रखती है वह आकाश की ओर देखकर बोलती है, 'गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पूरा भी अच्छा हो भगवान के मन की बात है।' गाय को सात पर्दों के अंदर छुपा कर रखना चाहती है उसे डर है कि किसी की कुदृष्टि ना लग जाए इसलिए वह एक पुराने काले कपड़े को फाड़कर गाय के गले में बांधा देती है।' [14]

धनिया महंतो से ही नहीं समाज भर से टक्कर लेती है उसका सहज स्नेह मय मातृरूप जैसे किसी भी पीड़िता को देखकर उमड़ आता है और उसके हाथ सहायतार्थ कुछ करने को मचल उठते हैं। यहां तक कि वह अपनी उस देवरानी पुनिया के प्रति भी अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने लगती है जिसने उसकी गाय को जहर देकर मार डाला था।

'धनिया एक सहज वत्सला एवं त्याग में जननी है। गोबर परदेश से घर आता है तो धनिया उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका ह्रदय देखें, उसकी चाल देखें। रानी भी लजा जाएगी। और जब गोबर रूठ कर चला जाता है तो धनिया बैठी रो रही थी, जैसे उसके ह्रदय को आरे सी चीर रहा हो। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था।

घर में खाने को कुछ नहीं है, वह स्वयं तो खाली पेट रह सकती है किंतु परिवार के अन्य सदस्यों की दशा देखकर अपनी देवरानी द्वारा सहायतार्थ लाए गए अनाज को भी उसे ग्रहण करना पड़ता है। धनिया ने अनाज तो रख लिया पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। पुत्री सोना का विवाह उसके वष में होता तो वह अपनी लड़की को किसी राजा को सौंपती किंतु यहां भी उसे पराजित होना पड़ा है यही सोचकर संतोष करना पड़ता है की अनमेल आयु के मनुष्य के साथ ही सही खाते-पीते घर में तो जा रही है आर्थिक दृष्टि से वह कितनी पराधीन है मरते दम तक वह इस तथ्य को झुठला नहीं सकी।' [15]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1962 पृ0 132
2. गोदान – प्रेमचंद, सरस्वती विहार 1987 पृ0 13, 14
3. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1962 पृ0 132, 133
4. गोदान – प्रेमचंद, सरस्वती विहार 1987 पृ0 126, 127
5. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1962 पृ0 133
6. गोदान – प्रेमचंद, सरस्वती विहार 1987 पृ0 125
7. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1962 पृ0 134
8. गोदान – प्रेमचंद, सरस्वती विहार 1987 पृ0 45
9. गोदान – प्रेमचंद, सरस्वती विहार 1987 पृ0 13, 14
10. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1988 पृ0 136
11. गोदान – प्रेमचंद, सरस्वती विहार 1987 पृ0 351
12. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1988 पृ0 135
13. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1988 पृ0 137
14. गोदान – प्रेमचंद, सरस्वती विहार 1987 पृ0 112
15. प्रेमचंद के नारी पात्र – ओम अवस्थी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 1988 पृ0 140

****

राजनीति और मीडिया में अंतर्संबंध

डॉ. अंजना बुंदेला *

प्रस्तावना – भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा था। सफल लोकतंत्र में विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ मीडिया को ही माना जाता है। यहां पर मीडिया का अर्थ ऐसे सभी माध्यमों से है जो संगठित रूप से विभिन्न माध्यमों से लोगों को सूचना पहुंचाने का कार्य करते है। पत्रकारिता अथवा मीडया में वे सारे तत्व समाहित हैजो रिपोटिंग, कमेंट्री, विचार, विश्लेषण आदि के साथ सूचनाओं को एक करने और उसे पुन: प्रसारित करने की नियमित प्रक्रिया है। जो लोकहित में सत्यता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व आदि सिद्धांतों पर निर्भर रहती है। वर्तमान में मीडिया का प्रभाव दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। मीडिया परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में सूचना प्रसारण के लिए लोगों के सहायक के रूप में कार्य करती है। मीडिया में प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक दोनों के विषय में जन मानस के बीच अनेक प्रकार की विचार सुनने को मिलते हैं, कोई इसे वर्तमान में भविष्य की दिशा तय करने वाला सशक्त माध्यम मानता है तो कुछ इसके बारे में ऐसी धारणा रखते हैं कि आजादी के बाद इसने अपना नैतिक स्तर खो दिया है। यह सिद्धांतों के लिए समर्पित नहीं, व्यक्ति सापेक्ष हो गई है। पत्रकारिता समाज व राष्ट्रों की प्रबोधिनी न होकर बाहुबलियों और शक्तिशालियों की दासी बन उनकी चाटुकारिता में ही अपना हित देखती है। निश्तित ही इन भाव – विचारों के बीच आज के दौर में इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि युग के अनुकूल परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। पहले धर्म दंड राज्य व्यवस्था से ऊपर माना जाता था तथा वह राजा के कर्तव्यों के निर्धारण के साथ आवश्यकता पड़ने पर उसके अनैतिक आचरण के विरूद्ध दंड भी देने की शक्ति का हास किया है, अब राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सर्वशक्तिमान है औरा राजनीतिक सत्ता सर्वोपरि हैं।

भारतीय संविधन के तीन स्तंभों के सहारे ही भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्णताना–बाना बुना हुआ है। मंत्री परिषद् कोई योजना व नियम बनाती है उसके अच्छाई–बुराई को जनता के सामने रखना मीडिया की जिम्मेदारी है। जिसे वह अपने जन्म काल से स्वतंत्र रूप से करती आ रही है। इसके बारे में भारतीय संविधान की 19वीं धारा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अधिकार के अंतर्गत विस्तार से दिया गया है। इस अनुच्छेद ने मीडिया को सार्वभौमिक शक्ति प्रदा की है जिससे वह प्रत्येक स्थान पर अपनी पैनी नजर रखते हुए स्वविवेक के आधार पर घटना से संबंधित सही–गलत का निर्णय कर सके। यह और बात है कि मीडिया की इस नजर सेअनेक भ्रष्ट लोग लोग रोज आहत होते हैं। ऐसे लोग आए दिन मांग भी करते हैं कि मीडिया क्यों उससे अछूती रहे ? खासकर मीडिया और राजनीति के अंतर संबंधों को लेकर यह बात बार–बार उछाली जाती है। 15 अगस्त 1947 से आजाद गणतंत्र के रूप में भारत ने जिस शासन प्रणाली को स्वीकारा है वह जनता द्धारा, जनता के लिए संचालित लोकतांत्रात्मक शासन है, जिसमें प्रगति के पथ पर पीछे छूटे व्यक्ति की चिंता रखना और उसके हित में कार्य करने को सबसे अधिक वरीयता दी गई है। इस व्यवस्था में जनता से चुने गए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, यह प्रणाली जन प्रतिनिधियों को अपार अधिकार प्रदान करती है क्योंकि मीडिया जनता के प्रति जवाबदेह है इसलिए वह नेताओं का तथ्यापरक–तटस्थ लेखा–जोखा जनता तक पहुंचा देती है। अत: मीडिया और राजनीति एक दूसरे की सहयोगी बनकर कार्य करती दिखाई देती है।

सन् 1977 में जब जेम्सअगस्तस हिकी ने भारत में सबसे पहले प्रेस की स्थापना की और 1980 से बंगालबजट एंड कलकत्ता जनरल एडवरटाईजर नामक अखबार शुरू किया था तब और उसके बाद प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं उदंड, हरीशचंद्र मैगजीन, सर्वहित कारक, प्रजा हित, बनारस अखबार, प्रजा हितैषी, सरस्वती, बालबोधिनी भारत जीवन, हिंदी प्रदीप ब्राह्मण, हिंदुस्तान, प्रताप केसरी कोलकता समाचार, स्वतंत्र, विश्वमित्र, विजय, स्वराज हरिजन सेवक नवयुग आदि ही क्यों न हो, प्राय: आजादी के पूर्व इन सभी समाचार पत्र–पत्रिकाओं पर यह आरोप लगे थे क्योंकि यह राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और राजनेताओं पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं तथा व्यवस्था परिवर्तन के बारे में लिखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् बीत 62 सालों के बाद भी मीडिया पर यह आरोप यथावत है। व्यवस्था में खामियां इतनी अधिक है कि उन पर मीडिया लगातार प्रहार कर रही है। यहां आरोप लगाने वाले भूल जाते हैं कि यही पत्रकारिता विकास के माडल तथा योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है। न केवल मीडिया सूचना पहुंचाती है बल्कि जनमानस को इस बात के लिए तैयार करती है कि सुदृढ़ भविष्य के निर्माण तथा अपने राज्य नगर ग्राम के हित में किस पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट दे। आज मीडिया के उद्देश्यों को लेकर दो तरह की विचार धाराएं प्रचलित है। एक मीडिया को शुद्ध व्यवसाय मानते हैं तो दूसरा वर्ग इसे जनसंचार का शक्तिशाली माध्यम होने के कारण जन कल्याण कारक, नैतिक मूल्यों में विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण मानता है। दोनों के ही अपने–अपने तर्क हैं वस्तुत इन तर्को के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान पत्रकारिता जहां व्यवसाय है वहीं परस्पर प्रेम जानकारी और शक्ति बढ़ाने का माध्यम भी है। बोफोर्स, तेलगी, नोट, कांड, भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम धांधलिया, भारत के सीमाओं में अवैध घुसपैठ, कली करेंसी, हवाला के जरिए धन का आवागमन, आतंकवादी गतिविधियों और लिब्रहान रिपोर्ट ही क्यों ना हो समाचार पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्धारा जो बड़े–बड़े खुलासे किए गए, वह समय–समय पर पत्रकार को मिली राजनेताओं की मदद सूचना एवं सहयोग का परिणाम है। वस्तुत: पत्रकार

* सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) भारत

को राजनेता से बने आपसी संबंधों का लाभ जीवन भर मिलता है एक पत्रकार उस नेता को जिसका उसे मित्रवत व्यवहार है आवश्यकता अनुसार उसे प्रोत्साहित करता है उसके हित में समाचार लितख है। बदले में उसे ऐसे अनेक समाचार प्राप्त करता है जो ना केवल पत्रकार की खोजी प्रवृत्ति के कारण उसके संस्थान में प्रतिष्ठा दिलाते हैं बल्कि उसे मीडिया जगत में एक विश्वसनीय ब्रांड की तरह स्थापित करते हैं। जब पत्रकार कोई नकारात्मक समाचार लिखता है तब भी वह अप्रत्यक्ष जनता का हित ही साथ रहा होता है। राजनीति और मीडिया के इन अंतर संबंधों को स्वार्थ के संबंध भी कहा जा सकता है परंतु बावजूद इसके यह नकारा नहीं जा सकता कि पत्रकार द्वारा धन यश प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास सदैव आमजन के हित में रहा है। जब एक नेता दूसरे नेता की तथा प्रशासक-कर्मचरी दूसरे अधिकारी - कर्मचारी की खामियों नीतियों उनके काले कारनामों को उजागर करते हैं तब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वह जनहित से जुडे विषयों मीडिया में रखने का कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार की कलई खुलने पर जो राशि प्राप्त की जाती है उसका बहुत बड़ा भाग केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्तमान मीडिया दुनिया के विभिन्न देशों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों से लड़ाई में लोगों को एकजूट करने का मनोबल बनाए रखने में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही। स्वतंत्रता प्राप्ति में भी मीडिया ने महा भूमिका निभाई विभिन्न राजनीतिक दलों ने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से अपील की कि वह शांति बनाए रखे और हिंसा को समाप्त करें। इसमें मीडिया ने खास भूमिका अदा की जिसका परिणाम लाभकारी रहा। पाकिस्तान और चीन से युद्ध के दौरान मीडिया ने राष्ट्र का मनोबल को ऊँचा रखने में महान भूमिका का निर्वहन किया। जब तक भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था रहेगी तब तक मीडिया और राजनीति में अंतर संबंध बने रहेंगे। इस पर कोई भी बहस की जाए वह अधूरी रहेगी।

मानव द्वारा तैयार किए गए उपकरणों की तरह मीडिया को भी अच्छे बुरे दोनों तरह के कार्य में प्रयोग किया जा सकता है। भिन्न-भिन्न समूहों और देशों के बीच में पारस्परिक समझ को स्थापित करके शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में मीडिया सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा सकती है। परंतु कोई अध्नों के बाद यह बात उभरकर आई कि ब्रिटिश हुकूमत के दौर में मिशन के रूप में देशवासियों का विश्वास जीतने वाली मीडिया में देश की आजादी के कुछ दशकों के बाद भरोसे को भुनाने वाले लोगों का पदार्पण शुरू हो गया। उनके लिए पत्रकारिता मात्र एक लाभ कमाने वाला व्यवसाय बन गया। 21वीं सदी के प्रारंभ होते होते ऐसे लेग अपने हित साधने के लिए पत्रकारिता से जुड़े उत्तरदायित्व और सामाजिक सरोकारों के साथ ही नैतिक मूल्यों को जानबूझकर नजरअंदाज करने खबरों के रूप में विज्ञापन की सामग्री प्रकाशित और प्रसारित होने लगी इस तरह पड न्यूज की शुरूआत हुई, धीरे-धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी और समाचर पत्रों के स्वामी न्यूज पर बेचने के इस काले धंधे से जुड़ने लगे। भ्रष्ट नेता राजनीतिक दल कारपोरेट स्वयंभू धर्मगुरू व अन्य संस्थाएं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मीडिया घरानों को अपने अनुकूल बनाती है और पेड न्यूज का सहारा लेकर पाठको और दर्शकों को समाचारों के रूप में विज्ञापन परोसते हैं किसी के गुणगान करने वाली विज्ञापन सामग्री को समाचार के रूप में प्रकाशित करने या प्रसारित करने और उनके विरोधियों के समाचारों को स्थान न देने तक के पैकेज मीडिया हाउस बेचते हैं। पेड न्यूज एक ऐसा कृत्य है जो झूठ या आंशिक सत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने के रूप में सामने आता है। मीडिया हाउस किसी तरह के लाभ के बदले समाचार के रूप में विज्ञापन की सामग्री का प्रकाशित या प्रसारित करके किसी कंपनी राजनीतिक दल समूह या व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह कृत करते हैं। इस धंधे में हर जगह पैसा हीं चलता। कई बार देश विदेश के दौरे कराना, कोटा परमिट देना, सत्ता के किसी प्रतिष्ठान या किसी सदन में नामित करना, मुफ्त या नाम मात्र की दर पर भूमि का आवंटन या करों में छूट देना भी शामिल है। लाभ के लिए मीडिया घरानों ने पेड़कंटेंट जैसे हथकंडा को अपनाना शुरू किया आज ज्यादातर अखबार इस खेल में उतर चुके हैं। इसके तहत पैसों के बदले पत्रकारों को किसी प्रोडक्ट या कार्यक्रमों और घटनाओं को कवर करने के लिए भेजने के प्रस्ताव दिए जाते हैं। वहीं कुछ मीडिया कंपनियां विज्ञापनों के बदले दूसरी व्यवसायिक कंपनियों में हिस्सेदारी लेती हैं, जिसे प्राइवेट ट्रीटी कहते हैं। प्राइवेट ट्रीटीको क्रॉस मीडिया ओनरशिप के रूप में देखा जाता है मीडिया के एक वर्ग को बेईमान बनाने में इसकी बड़ी भूमिका है। इसके सूत्र देश के दो सबसे बड़े 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में आसानी से देखे जा सकते हैं। देश में बड़े घोटाले होते रहे और मीडिया खामोश रहा। घोटालों को उजागर करने की जिम्मेदारी मीडिया की थी। लेकिन यह बड़े घोटाले केग जैसी संस्थाओं ने उजागर किए। राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी पेड न्यूज की बुराई को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। नेताओं ने पद, पेट्रोल पंप के परमिट आदि देकर मीडिया को अपने पक्ष में रखने में कोई संकोच नहीं किया। सत्ता में पहुंचने वाले दल मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए सरकारी विज्ञापनों का भी सहारा लेने लगे। लाभ कमाने के लालच में अधिकांश मीडिया घरानों ने इसका विरोध नहीं किया। इसी सदी के प्रारंभिक वर्षो में मीडिया घराने खुलकर इस खेल में शामिल होने लगे। आज अधिकांश अखबार स्पेस बेच रहे हैं और न्यूज चैनल वक्त। चुनाव के दौरान होने वाले सर्वेक्षणों के माध्यम से किसी दल या नेता के पक्ष में हवा बनाने और किसी की हवा बिगाड़ने का खेल भी खेल रहे हैं। मीडिया में पैसे का खेल कितना बड़ा हो गया है यह नीरा राडिया टेप कांड जैसे घटनाओं के सामने आने पर बहुत से महसूस होता है ईमानदार लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि यह बुराई कुछ पत्रकारों में ही नहीं आई है बल्कि इसमें मीडिया घरानों के मालिक, बड़े पदाधिकारी, राजनेता, स्वयंभू धर्मगुरू, कारपोरेट और विज्ञापन जनसंपर्क एजेंसियां भी शामिल हैं। पेड न्यूज का धंधा संगठित अपराध की तरह संचालित किया जा रहा है। कई राज्यों में निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के मामले पकड़े हैं पेड न्यूज का प्रचलन बढ़ने से चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है ऐसे में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करने की क्षमता सबसे बड़ी योग्यता बन सकती है। पेड न्यूज इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिद्धांतों योग्यता और गुणों के बदले उम्मीदवारों की धन खर्च करने की क्षमता के आधार पर उन्हें विजय की ओर बढ़ता हुआ दर्शा कर उनके पक्ष को मजबूत बनाने का कार्य करकती है। अयोग्य व्यक्तियों के निर्वाचन में मददगार होने के कारण पेड न्यूज की यह मार लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक है। गुणों की अपेक्षा धन को महत्व देने वाले पेड न्यूज राजनीति में योग्य व्यक्तियों के आगमन को हतोत्साहित करती है। इससे अपराधिक प्रवृत्ति और भ्रष्ट आचरण वाले उम्मीदवारों को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका को बल मिलता है। इसी का नतीजा है कि राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ जुमले उठाने वाली पार्टियां चुनाव के वक्त ऐसे लोगों को टिकट देने में संकोच नहीं करती। चुनाव के बेहद खर्चीला होने के कारण केवल वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसके पास या तो अपना खुद का काफी धन हो या जिस में

प्रचुर मात्रा में धन इकट्ठा करने की सामर्थ्य हो। इस तरह पेड न्यूज ईमानदार और योग्य व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर सकती हैं और किसी ईमानदार नेता की जगह किसी माफिया बाहुबली को चुनाव जिताने का कारण भी। न्यूज एक्सप्रेस चैनल ने हाल ही में टीवी चैनलों का पेड न्यूज संबंधी स्टिंग ऑपरेशन करके ऑपिनियन पोल की आड़ में कालेधन के इस्तेमाल का खुलासा किया है। इस स्टिंग ऑपरेशन ने कई रिसर्च एजेंसियों की चुनावी सर्वे के परदे के पीछे की धन वसूली को बेनकाब करके बता दिया कि न्यूज चैनलों के साथ मिलकर कुछ एजेंसियां चुनाव प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं। चुनावों में मैनेज या पेड न्यूज का प्रचलन लगातार बढ़ने और इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का कोई कानूनी प्रावधान न होने के कारण यह खतरा पैदा हो गया है कि मैनेज्ड या पेड न्यूज या लोकतंत्र को ही पेड लोकतंत्र ना बना दे।

राजनीतिक सत्ता केंद्रों ने सामाजिक शक्ति केंद्रों को पीछे धकेल कर धीरे–धीरे आर्थिक केंद्रों को या कारपोरेट को सब कुछ सौंप दिया। इसलिए राजनीति और मीडिया दोनों में नए मूल विकसित हुए और एक ऐसा वर्ग अचानक प्रभावशाली बन कर आ गया, जिनमें सामाजिक सरोकारों का बेहद अभाव था, धीरे–धीरे भारतीय मीडिया भी स्वाधीनता आंदोलन के अपने इतिहास परंपरा और मूल्यों से हट गई। इसलिए राजनीति में ईमानदार पारदर्शी नेतृत्व और मीडिया की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया और यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रिंट मीडिया के बाद मीडिया में विदेशी पूंजी के प्रवेश का दौर आया था तब उसे एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा गया था। पिछले दशक में भारतीय मीडिया परिदृश्य काफी बदल गया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ मीडिया उद्योगतेजी से फल–फूल रहा है। आउटलेट की बढ़ती संख्या बहुत का विस्तार हो चाहे टेलीविजन, रेडियो या समाचार पत्र विस्तार चारों दिशाओं में देखा जा सकता है। सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले लोग आउटलेट्स में आंशिक रूप से स्वामित्व कर समाचारों को प्रस्तुत करने के साथ–साथ संपूर्ण सूचना तंत्र के प्रसार को प्रभावित करनें में सफल हो रहे हैं। स्पष्ट रूप से मीडिया का स्वामित्व रिपोर्टिंग में प्रस्तुत दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है और ऐसी परिस्थितियों में पूर्वाग्रह होना अपरिहार्य है। कई मीडिया मालिकों के राजनीतिक के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है या उनमें से कुछ सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्य करते हैं। अगस्त 2016 से डॉ.सुभाषचंद्र जी न्यूज के सह मालिक राज्यसभा के स्वतंत्र सदस्य है। हालांकि वे बीजेपी के सदस्यों के सहयोग से हरियाणा राज्य के चुने गए हैं। राजीव चंद्रशेखर भाजपा के सदस्य हैं और रिपब्लिक टीवी से संबंधित हैं। चंद्रशेखर जूपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड भी सीधे तौर पर दो दक्षिण भारतीय चैनलों के मालिक है। बैजयंत जय पांडा बीजू जनता दल बीजद के एक पूर्व सदस्य हैं यह पार्टी 5 कार्यकाल से सत्ता में है और वह ओडिशा टीवी के सह मालिक है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण के मालिक महेंद्र मोहन गुप्ता राज्यसभा के सदस्य हैं। सुप्रिया सुले साकल एक मराठी अखबार की निदेशक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिज्ञ और लोकसभा भारतीय संसद की सदस्य हैं। ऐसे अन्य कई उदाहरण भी हैं। इन क्षेत्रों में राजनीति और मीडिया के बीच घनिष्ठता होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि वह बड़े पैमाने पर पहुंच बना सके हैं। कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल आम चुनाव के दौरान इनके साथ गठबंधन की अब स्थिति में है। राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों ने अपने स्वयं के मुखपत्र के रूप में मीडिया आउटलेट को चुन लिया है।

हर राजनीतिक दल यही चाहता है कि मीडिया से उसके रिश्ते खराब ना हो। हर सियासी दल में इसलिए प्रवक्ता होते हैं, जो कि पार्टी गत जानकारी और पार्टी के एजेंडे को मीडिया के जरिए उस जनता तक पहुंचा सके। प्रेस अपने कर्तव्य से किस हद तक जुड़ा है। इस पेशे से जुड़े लोगों को अपनी आचार संहिता के कर्तव्य पालन करने के बारे में जानना जरूरी है। आजादी से पहले भारत में स्वतंत्र प्रेस की मांग ज्यादा थी जिसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार की प्रेस की स्वतंत्रता विरोधी नीतियों के चलते भारतीय पत्रकारों, संपादकों तथा समाचार पत्रों का संघर्ष काफी सराहनीय और प्रेषक रहा। भारत में स्थाई प्रेस की आवश्यकता पर बल देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था व्यापक अर्थों में समाचार पत्र की स्वतंत्रता केवल एक नारा नहीं है बल्कि जनतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता है, मैं दबे हुए समाचार पत्रों के बजाय स्वतंत्रता के दुरूपयोग के सभी खतरों से युक्त समाचार पत्र की अवधारणा पसंद करूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा है कि यदि मैं आस्था के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहूं तो क्रोध में या द्वेष में आकर कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं यह नहीं चाहूंगा कि लिखते समय मैं सिर्फ सिद्धांत अमर हैं। किसी भी द्वंद्वात्मक प्रजातंत्र में मुद्दे पहचानना, उन पर जनमानस को शिक्षित करना और इस प्रक्रिया से उभरे जन भावना के द्वारा सिस्टम पद दबाव डालना प्रजातंत्र की गुणवत्ता के लिए बेहद जरूरी होता है। सोशल मीडिया इस कार्य को बेहतर ढंग से कर रहा है। सोशल मीडिया नागरिक पत्रकार के साथ आवाज का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में सच्चाई को छुपा पाना मुमकिन नहीं है।

दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ घटा है कि जिससे सत्ता के दुरूपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे मीडिया पर सत्ताधारियों की भाषा बोलने को विवश करने के लिए जरूरी कठोर कार्यवाही करने के उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा मामला दिल्ली के स्वतन्त्र पत्रकार प्रशांत कनोजिया का है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक विडियो को शेयर करने के लिए और आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में राज्य की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मीडिया संगठनों और एडिटर्स गिल्ड ने इसे दण्डात्मक कार्यवाही माना सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत कनोजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश दिये, इस तरह नोएडा स्थित एक न्यूज़ चैनल नेशनल लाइव के तीन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया यह मुद्दा यूपी के राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ा हुआ था। हालांकि आलोचना बढ़ने पर सरकार ने कार्यवाही से पल्ला झाड़ लिया और स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका को कार्यवाही की वजह बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक कार्यकर्त्ता मुख्यमंत्री की एक मीम सोशल मीडिया पर डालने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया इस कार्यकर्त्ता को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इसके पूर्व मणिपुर के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने पर राज्य के पत्रकार किशोरचंद्र को जेल में रहना पड़ा और उन पर तो रासुका भी लगा दी गई। ओडिशा सरकार ने एक लेखक पत्रकार को ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किया। इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे है, असल में यह सब तब तक चलता रहेगा जब तक मानहानि को क्रिमीनल ऑफेंस बनाने का कानून मौजूद रहेगा, इसलिए इसे दीवानी मामला बनाने की जरूरत है। वैसे भी पुलिस स्थानीय सरकार के आदेश के तहत कार्य करती है और राजनीतिक आकाओं को खुश करना उसकी प्राथमिकता बन जाती है नेताओं से जुड़े मामलों में वह स्वत: संज्ञान लेते है। हालांकि मीडिया को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। क्योंकि फेक न्यूज़ का वह शिकार ही नहीं होती बल्कि कुछ मीडिया कर्मियों का इसमें भागीदार बनने की भी शिकायतें हैं ऐसे ही चिंताजनक मामला राजनीतिक स्वार्थों की खातिर हत्या,

बलात्कार, तक के मामलों को सांप्रदायिक रंग देने की राजनीतिक नेताओं और कुछ मामलों में मीडिया समाचार पत्रों ने भ्रामक समाचार छापने में कोई संकोच नहीं किया। यह चौथे स्तंभ के भविष्य के लिए चिंता पैदा करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को नेताओं प्रशासन और मीडिया को भी ध्यान में रखना चाहिए।

लोकतन्त्र की रचना में पत्रकारिता का योगदान – लोकतन्त्र के अस्तित्व में पत्रकारिता की अहम भूमिका है। ब्रिटेन में पार्लियामेण्ट की कार्यवाही को छापने का अधिकार प्राप्त करने के लिए पत्रकारों को जेल जाना पड़ा था। ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे लोकतन्त्र की रचना में पत्रकारिता के अहम योगदान को महसूस किया जा सकता है।

मुग्धभावकी पत्रकारिता का दौर – इसके बावजूद आजादी के तत्काल बाद की पत्रकारिता मुक्त भाव की पत्रकारिता थी। नेहरूजी को अखबारों में अभिभूत होकर महानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेहरू युग के बाद भी पत्रकारिता का यह तथाकथित रचनात्मक दौर जारी रहा। धर्मयुग पत्रिका की हिन्दी समाज में अलग ही पहचान थी। लेखक धर्मवीर भारती इसके सम्पादक थे। इमरजेंसी में वह तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविताओं के हस्तलिखित मजमून का ब्लॉग बनाकर छापते थे। इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आ गई तो वह तत्कालीन विदेश मंत्री अटलबिहारी बाजपेई की कविताओं के हस्तलिखित मजमून छापने लगे। सोनिया गांधी का पहला इंटरव्यू भी धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती ने ही लिया था।

आलोचनात्मक पत्रकारिता हासिल की लोगों की श्रद्धा – इसी दौर में दिनमान जैसी पत्रिका थी। जिसमें सोषलिस्ट विचारधारा के पत्रकारों का वर्चस्व था। इसमें ज्यादातर सरकार की नीतियों पर प्रहार किया जाता था। इस पत्रकारिता को भी जनमानस से लेकर अभिजात्य वर्ग तक की अलग-अलग तरह की श्रद्धा प्राप्त थी। पत्रकारिता की लोकतन्त्र को आगे बढ़ाने में समानान्तर भूमिका है। इसलिए पत्रकारों का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण होना ही चाहिए।

पत्रकारिता में राजनीतिक दृष्टिकोण – पत्रकार कई बार राजनीतिक बिरादरी के सहचरी की भूमिका निभाते देखे जाते हैं। दरअसल पहले राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता ही पत्रकार बनते थे। प्रेस के पहले वामपंथी और समाजवादी विचारधारा के पत्रकारों का बाहुल्य था। 1977 में केन्द्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने पर लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने उन्होंने प्रमुख अखबारों में कांग्रेसी समर्थक सम्पादक हटाकर संघ से प्रभावित संपादकों की नियुक्ति कराने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। इन सम्पादकों ने विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले छात्रों में से हिन्दुवादी पत्रकारों की नई पौध तैयार की। जिसमें से कई बाद में वटवृक्ष बने। उन दिनों आनन्द बजाज समूह की एक राजनीतिक पत्रिका रविवार नाम से शुरू हुई। इसके तेवर दिनमान से भी तीखे थे, खास तौर पर ऑपरेषन ब्लूस्टार की खोजी रिपोर्टिंग में सेना को स्वर्ण मन्दिर के अन्दर खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथ बांधकर उन्हें गोली मारने की तस्वीर छापकर रविवार पत्रिका ने तहलका मचा दिया। विडम्बना यह है कि इसी रविवार पत्रिका ने बाद में उस पत्रकारिता की शुरूआत की जिसे गोदी मीडिया के नाम से परिभाषित किया जा रहा है। जब सारे देश की मीडिया वीपी सिंह के बोफोर्स दलाली के खिलाफ चलाए जा रहे आन्दोलन के समर्थन में लिख रही थी, तब रविवार पत्रिका ने ही उनकी टीम के चरित्र हनन करने वाली खबरें प्रकाशित की। बाद में देखा कि रविवार की नई टीम ने अपने इस रूख की अच्छी कीमत वसूली। साधारण पत्रकार इसके चलते देश के बड़े पत्रकार बन गए और राजनीतिक रसूख को हथियाने में भी कामयाब रहे।

वैचारिक ध्रुवीकरण का कालखण्ड – मंडल आयोग और मंदिर आंदोलन को लेकर पत्रकारिता में गरमागरम दौर चला। ज्यादातर पत्रकार इस मामले में अपनी वर्ग चेतना से निर्देशित दिखे। जिसे आज गोदी मीडिया कहा जा रहा है। उसका आधार मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के दो दशक से भी पहले यूपी में सपा बसपा गठबंधन की सरकार के समय बनाया गया था। जब यह गठबंधन टूटा और मायावती मुख्यमंत्री बनी तब यह अनुकूल खबरें छापने के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का दुरूपयोग करके तमाम पत्रकारों को उपकृत किया गया।

हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर लोक चेतना मंच के बैनर तले मंच के कार्यालय में राजनीति और मीडिया विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर बलिराज ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की राजनीति में वास्तव में आम आदमी के हितों के साथ खड़े मीडिया की जरूरत है उन्होंने मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका की चर्चा करते हुए कहा ईमानदारी और निष्ठा से अपनी सार्थक व रचनात्मक भूमिका अदा करेगी तो राजनीति का शुद्धिकरण की भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब तक नैतिक बोध हो, तब तक पत्रकारिता में भी दायित्व बोध था। गोष्ठी के अध्यक्ष मण्डल के सदस्य प्रोफेसर ने कहा आज की सभ्यता से बाहर निकालने के लिए राजनीति करने में सक्षम है। प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने राजनीति और मीडिया के बीच समझौते पर चिंता व्यक्त की।

प्रत्यक्ष स्वामित्व पर मीडिया की निर्भरता – प्रत्यक्ष स्वामित्व के अलावा विज्ञापन संपादकीय सामग्री पर संभावित नियंत्रण का एक और रूप है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से राजस्व अधिक पैदा होता है। इसलिए यह कहना उचित है कि भारतीय मीडिया इन दिनों पत्रकारिता मूल्यों से प्रेरित होने के बजाय लाभ से प्रेरित है। मीडिया की विज्ञापन पर निर्भरता से समस्या तब आती है जब मीडिया हॉउस विज्ञापन के माध्यम से अतिरिक्त पैसा कमाते है और सरकारी विज्ञापन राजनीतिक एजेंडे के प्रचार में योगदान करते है। राज्य के विज्ञापनों पर मीडिया हॉउस की विधि निर्भरता सरकार के लिए अनुकूल कवरेज का माहौल तैयार कर देता है। पारदर्शी और स्वतन्त्र कवरेज इस प्रकार के अप्रत्यक्ष दबाव और तरीकों से बहुत हद तक प्रभावित होता है। अक्सर एक अखबार या एक टेलीविज़न चैनल पर एक अदृष्य दबाव होता है जो एक विवादास्पद मुद्दे में सरकार के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करता है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी विभाग सरकारी विभाग जो कि ऑउटलेट को प्रिन्ट करने के लिए सरकारी विज्ञापन आवंटित करता है। हिन्दी के लिए 2160 मिलियन और अंग्रेजी के विज्ञापन के लिए 1400 मिलियन तक खर्च करता है। सरकारी विज्ञापन इसलिए कई लोगो के लिए रोजी-रोटी है। विशेषरूप से छोटे हिन्दी समाचार पत्रों के लिए जो अपने वित्तीय व्यय के लिए इस पर निर्भर भी है। और परिणाम स्वरूप इनके एजेंडे को आगे ले जाने का काम भी कर रहे है। सरकार उन लोगो को विज्ञापन दे सकती है अथवा देती है, जिन्हें वह पुरस्कृत करना चाहते है। इसके विपरीत जिन अखबारों की अपनी कमाई है, सरकार द्वारा उन्हें दिये जा रहे विज्ञापनों में कटोती करके आसानी से दण्डित किया जा सकता है। सार्वजनिक विज्ञापन को प्रभावित करने के लिए सदैव ही प्रयास किया जाता रहा है हालांकि यह पूर्व निर्धारित होता है और इसमें जवाबदेही का भाग होता है। यह ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी निदेशालय द्वारा अनुमोदित सरक्यूलेशन डाटा पर

निर्भर करता है। यह आंकड़े प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटटेंट की गवाही पर निर्भर करते है जो अखबार की मुद्रित प्रतियों की अधिकारिक संख्या को स्थापित करता है। हालांकि भारत में मुद्रित अखबारों की संख्या की भौतिक जाँच की कोई गुंजाईश नहीं है क्योंकि अखबारों और टीवी चैनलों की संख्या में बडे पैमाने पर वृद्धि हुई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 380 प्लस टीवी समाचार स्टेषन और 118 239 प्रकाशन है, जिसमें 17239 दैनिक समाचार पत्र शामिल है। टीवी में सरकारी विज्ञापन का वितरण रेटिंग पर आधारित है। इसमें भी संदेह की गुंजाईश है क्योंकि यह रेटिंग उद्योग के स्वामित्व वाले संघ द्वारा बिना किसी पारदर्शिता जवाबदेही के स्थापित की जाती है। इसके अलावा शीर्ष टीवी चैनलों के शेयर एक–दूसरे के बेहद करीब है और आलोचकों का आरोप है कि टीवी पर सरकारी विज्ञापन का आवंटन मनमाना है यह भी सच है कि आधिकारिक राज्य विज्ञापन राजनीतिक दलों से आता है और यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी पिछले पाँच वर्षों में सबसे बड़ी विज्ञापनदाता है। ब्रॉडकॉस्ट ऑडियंस रिसर्च कॉउंसिल के अनुसार पार्टी एक सप्ताह में कम से कम 22099 (टीवी पर एक विज्ञापन प्रसारित होने की संख्या) टीवी पर विज्ञापन के रूप में थी। 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव में जाने वाले पाँच राज्यों में बीजेपी के विज्ञापनों ने सभी चैनलों में नम्बर एक स्थान हासिल किया। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम इनमें प्रमुख है। विज्ञापन के माध्यम से राजनीतिक लाभ उठाने के बारे में जागरूक है अधिकारिक सरकार और भाजपा की लाईन दोनों टीवी और प्रिंट में स्पष्ट पहुँच रखते है, जबकि विपक्ष का स्पष्ट रूप से कम कवरेज है।

मीडिया पर राजनीतिक कब्जे को नियन्त्रित करने की आवश्यकता सरकार और सत्तारूढ़ दल का मीडिया पर बढता नियन्त्रण एक सर्वव्यापी घटना है उनका यह हथकण्डा जनता पर पकड़ बनाने के लिए काम आया है। नये तरह के विमर्श को गढ़ने और राय की स्वतन्त्रता को सीमित करने के अलावा इसमें लोगो को उनके वास्तविक हितों को जानने से भी वंचित रखा है। मीडिया पर राजनीतिक पकड़ सरकारों, राजनीतिक दलों और बड़े निगमों द्वारा होती है और जो समाज के हासिये पर है उनके लिए तो स्थिती और भी खराब हो जाती है यह एक सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल है। सवाल है कि क्या राजनीतिज्ञों का मीडिया स्वामित्व रखने की स्थिती पर प्रतिबंध लगाने वाला काम होना चाहिए। जैसा कि इस पर आलोचना और टिप्पणी के लिए स्थान तेज गति से सिकुड़ रहा है। इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वामित्व का यह ताना–बाना जनता की नजर में अदृष्य है।इसे किसी भी खतरे के रूप में रेखांकित नहीं किया जाता है जबकि यह प्रेस की आजादी के खतरे में योगदान देता है और पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों से समझौता करता है। फ्री अनलिमिटेड के अनुसार मीडिया के स्वामित्व में निहित स्वार्थ रखने वाले लोगों ने सरकारों और निगमा को एक केन्द्रकृत सूवना रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाया है। यह आधुनिक प्रचार–प्रसार के लिए है। आज सभी महत्वपूर्ण मीडिया एक समान शब्दावली का प्रयोग कर रहे है, सब एक ही दुष्मन प्रतिरोध कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व में समर्थन के लिए एक स्वर में तर्क प्रस्तुत करते है। आज भारत में मीडिया पर राजनीतिक नियंत्रण के खिलाफ कोई नियामक सुरक्षा उपाय नहीं है। भारतीयों के साथ टेलीविज़न या प्रिंट मीडिया में राजनीतिक स्वामित्व को प्रतिबंधित नहीं करते है। राजनीतिक दलों के सदस्यों को रेडियों स्टेशन संचालित करने के लिए लायसेंस के आवेदन करने के लिए भी अयोग्य ठहराया जाता है, हालाकि रेडियों को स्वतन्त्र समाचार प्रसारित करने से रोक दिया गया है या उनके परिवार के सदस्यों की राजनीतिक संबद्धता का खुलासा करने के लिए अनिवार्य बाध्यता नहीं हैं।

मीडिया किसी भी समाज में एक मजबूत उपकरण है। मीडिया द्वारा दी गई जानकारी लोकतन्त्र के जीवित रहने के लिए महत्तवपूर्ण मानी जाती है। हालाकि इन दिनों एक चिंताजनक प्रवृत्ति यह है कि मीडिया आज कुछ विशिष्ट हितों को पूरा करने में संलिप्त है। के मीडिया के साथ सत्ता का जुड़ाव समाज के हित को पीछे ले जाता है। मीडिया का नियंत्रण सार्वजनिक और संतोष को नियन्त्रित करने में सहायक रहा है। मीडिया और राजनैतिक नेतृत्व की साँठ–गाँठ मीडिया पर जनता के विश्वास को कम करती है। कुछ स्वतन्त्र निर्भीक और ईमानदार पत्रकारों के द्वारा भ्रष्ट नेताओं के विरूद्ध पत्रकारिता कार्य करने पर जो अनैतिक और गैर जरूरी कार्यवाही की जाती है वह स्वतन्त्र और निष्पक्ष मीडिया पर एक अत्याचार है। मीडिया जो कि हमेशा से समाज को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लोकतान्त्रिक जैसे कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जागृत करती आई है उसे स्वयं भी ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, और राजनीतिक प्रलोभनों से भी दूर रहकर कार्य करना होगा। राजनैतिक नेतृत्तव को भी चाहिए की स्वयं की साख को बरकरार रखने के लिए पत्रकारिता पर दबाव व प्रलोभन देकर कार्य करवाना बंद करें जिससे गोदी मीडिया जैसी अवधारणा को खत्म किया जा सके और देश में एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र, ईमानदार पत्रकारिता चौथे स्थंभ के रूप में कार्य कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महेंद्रा डॉ. शीतल प्रसाद और बस बाल प्रियंका, भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका, 2017
2. चतुर्वेदी मयंक, लेख मीडिया और राजनीति का अंतर संबंध, 2019
3. सिंह केपी, राजनीतिक संबद्धता–पारदर्शिता यूथ की आवाज, जून 2000
4. सिंह हरवीर, मीडिया राजनीति और स्वतन्त्रता, ऑउटलूक, जून 2019
5. श्रीवास्तव संदीप कुमार, पत्रकारिता एक परिचय, जय भारती, इलाहाबाद 2009
6. मंडल श्री दीलिप, मीडिया का अंडरवर्ल्ड, राधाकृष्ण, नई दिल्ली 2013
7. तिवारी श्री अर्जुन, आधुनिक पत्रकारिता, हिन्दी बुक सेंटर, नई दिल्ली, 2004
8. दुबे डॉ. एसके, पत्रकारिता के नये आयाम, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद,2005
9. वैदिक डॉ. वेदप्रताप, पत्रकारिता, विविध आयाम, नेषलल पब्लिशिंग हॉउस, दिल्ली 1976
10. ऑनलॉईन सामग्री: सर्च इंजन गुगल, सोशल मीडिया–फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, लिंकइन।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

समकालीन कविता में बंधुता के स्वर

डॉ. संजय सक्सेना *

प्रस्तावना – समकालीन कविता की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत जैसे देश में जहॉ धर्म और जाति की विविधिता है, वैचारिक मतभेद और कटुता है। कविता का स्वर सर्वसमावेशी है। कविता के लोकतंत्र में सभी समादृत है। कविता की सीमा में पूरी मनुष्यता शामिल है। सभी भारतीय नागरिकों के बीच समरसता और भाईचारे की भावना को बनाए–बचाए रखने के उद्देश्य से ही, हर नागरिक को बगैर किसी विभेद के समान अधिकारों व कर्तव्यों की डोर बाँधने के पीछे जो सर्वोपरि मूल्य काम कर रहा है, वह है बंधुता। अनेक धर्म, भाषा, क्षेत्रो संस्कृतियों की विभिन्नता के बावजूद, बंधुता का भाव ही सहअस्तित्व को संभव बनाये है। बंधुता का यह विस्तार तमाम सरहदें लॉघ जाता है। समकालीन हिन्दी कविता ने विश्व बन्धुत्व की भावना को ही समृद्ध और विस्तृत करने का आहवान किया है –

''देखो दुनिया के तमाम लोग एक स्त्री–जननी के सन्तान जैसे हैं
एक जैसे हाथ, पैर ऑखो और रक्तिम खून वाले
जिनमें प्यार की अनन्त प्यास है
चहारदीवारियों और सरहदों को तोड़ने का अनन्त बल
वे सरहदे जिसे सत्ता–नीति ने बनाया''

यह कोरा इतिहास–बोध नहीं है, बल्कि अनुभव व जागृत विवेक का संभावित परिणाम व विश्वास है। जैविक समानता और उपलब्धियों का सामूहिक अर्जन है– सहअस्तित्व का स्वीकार्य है बंधुता है। आगे नवल शुक्ल बंधुता के आड़े आने वाले तमाम बंधनो को तोड़ने का आहवान करते है–

''तो क्या सत्ता के विचार को तोड़ोगे
तोड़ोगे हिंसा की पाठशालाएँ
धर्मान्धता और कत्ल के कारखाने तोडोगे
तोड़ोगे भाग्य और भय की नागरिकता का बंधन'' [1]

यहाँ सीधी–साधारण भाषा का यह विन्यास, अधिकतम तक बंधुता का संदेश पहुॅचाने का प्रयास है। विभिन्नताओं का अन्तर्विलय समान जैविक लक्षणों को तार्किक आधार देकर किया गया है। मानवीयता को शीर्षस्थानीय करार देकर नागरिकों से अपेक्षित बर्ताव करने को कहा गया है, बंधुता को गरिमा प्रदान की गई है। विश्व–नैतिकता को समृद्ध किया गया है।

बंधुता को समृद्ध अन्तरात्मा ही कर सकती है। ''अन्तरात्मा मानवीय अन्तर में स्थित कोई देवी या अतिप्राकृत शक्ति न होकर वस्तुत: गरिमा के प्रति हमारी संवेदनशीलता का ही दूसरा रूप है।''[2] प्रत्येक नागरिक जब इस गरिमा को परस्पर महसूस करेगा तभी बंधुता बढेग़ी अविश्वास कम होगा। कुमार अंबुज की उपकार कविता को पढ़ते हुए यह विश्वास हो जाता है कि बंधुता और उसके लक्षण समाज में विद्यमान है। कविता की परिधि में हर बीमार और भूखे की चिंता है।

''बीमार सा देखकर अपनी बर्थ पर सुला लेता है एक सहयात्री
भूखा जान कर कोई खिला देता है अपने हिस्से का खाना
और कहता है वह खा चुका है
जब धमका रहा होता है चौराहे पर पुलिसवाला
एक न जाने कौन आदमी आता है कहता है
इन्हें कुछ न कहें ये ठीक आदमी है'' [3]

धर्म, जाति, भाषा जहॉ व्यक्तित्व के दायरे को सीमित करते हैं, वहीं मनुष्यता व्यक्तित्व में निखार लाकर उसे विस्तार प्रदान करती है। यहॉ ऊॅच–नीच, अमीरी–गरीबी नहीं है सिर्फ 'बंधुता' है तभी स्टेशन आने पर एक अपरिचित भी सोते को जगा देता है नागरिक – बंधुता का निर्वाह करता है –

''कौन आदमी था वह
जिसने जगाया और कहा
उठिये, आपका स्टशेन आ गया है।
हडबड़ी में पूछ नहीं पाया उसका नाम
देख नहीं पाया उसका चेहरा भी
ठीक से '' [4]

असहायों की मदद, वो ही कर सकता है जिस नागरिक की अंतरचेतना जागृत है। जिसे समाज में अपनी भूमिका और उसका महत्व पता हो। एकान्त श्रीवास्तव की दृष्टि ऐसे हजारों बेरोजगार और संवेदनशील युवाओं को जानती है, जिनके लिए जनहित ही सर्वोपरि है। ऐसे अनेक चरित्र हम अपने दैनन्दिन जीवन में देखते है, जो दूसरों के दुख–दर्द से तो विचलित होते है, किन्तु स्वयं अपना दुख किसी से नहीं कहते। अजय ऐसा ही युवा बेराजगार है, जो अन्तत: आत्महत्या कर लेता है। पर यहाँ मरण से ज्यादा उसका जीवन उल्लेखनीय हो जाता है, जो किसी भी कीमत पर बंधुता नहीं छोड़ता –

''आप इस अजय को जानते होंगे
जी हॉ, आपके बिलकुल पड़ोस में रहता था
कभी–कभी दे जाता था आपकी भटकी हुई चिट्ठी
कभी दूध, कभी अखबार
कभी दुर्गा या गणेशोत्सव में चंदे के लिए आता था
माथे पर तिलक लगाए दोस्तों के साथ
कभी रास्ते में अपनी गाड़ी बिगड़ जाती तो जो
लपककर आता था–क्या हुआ अंकल ?'' [5]

व्यक्तित्व में सहृदयता, सर्वार्पण के यही मानवतावादी गुण व्यक्ति को पूजनीय बना देते है। ''मानववाद के उदय काल में ईश्वर जैसी किसी मानवोपरि सत्ता या उसके प्रतिनिधि धर्माचार्यो को नैतिक मूल्यों का अधिनायक न मानकर मनुष्य को ही इन मूल्यों का विधायक मानने की

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.) भारत

प्रवृत्ति विकसित हुई।'' [6] इसी मानववाद का संरक्षण ही हर विभेदकारी दृष्टि का खण्डन है। ईश्वरत्व हर नागरिक में है, सामान्य से सामान्य। विमल कुमार का कवितांश देखिये –

''इसलिए मैं जैसे चांद से प्रेम करता हूं
वैसे ही ईश्वर से करता हूँ
उसका हंसना–बोलना और
सबके सुख–दुख में शामिल होना अच्छा लगता है।
x x x x x x x x x x
यह भी सुना कि उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है
वह कभी–कभी तो पार्कों में भी मिल जाता है
मूंगफली या गुब्बारे आदि बेचता।'' [7]

यहाँ सामान्य में विशिष्ट को चिह्नित करने की खूबी देखी जा सकती है। हर नागरिक, हर स्थिति में, कितने ही असहायों की मदद कर सकता है। दरअसल ईश्वर से ज्यादा ईश्वरत्व पर ही ध्यान होना, सच्ची आस्तिकता है। यह समकालीन कवियों की दृष्टि की सम्पन्नता है कि वे चाहते हैं, मनुष्यता का विस्तार हर कोने–अँतरों तक हो, ताकि उम्मीद के दायरे में वो सब भी हो जो हाशिए पर हैं। कविता की संवेदनशील भूमि का विस्तार अन्तिम नागरिक तक है। वह हिन्दू, मस्लिम कोई भी हो सकता है।

''जब हर बार एक मनुष्य होने की कामना ही कौंधेगी मन में
जाऊँगा उधर भी जिधर कुहासा होगा
और साथ में होंगे हाथ हजारों।''[8]

मनुष्यता के रहते परिस्थितियों का कुहासा भी घट जाता है। बन्धुत्व भावना के वितान तले, ही मनुष्यता छाँव पाती है। मनुष्यता की कसौटी पर हजारों हाथ समवेत हो सकते हैं। यद्यपि सभ्यता के इस दौर में, जब संवेदनहीनता अपने चरमोत्कर्ष पर है अधिकतम जनता आत्म सुविधाभोगी, और एक–दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। बंधुता का बने रहना बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा है –

''यह सही है कि शहर के लोग भूलते जा रहे हैं
एक दूसरे का नाम
वे तेजी से चल रहे है सड़कों पर
एक दूसरे को धकियाते।'' [9]

विमल कुमार शहरी नागरिकता की संवेदनहींन व प्रतिस्पर्धी, गतिविधियों में मानवीयता के क्षरण और बंधुता के अभाव को देख रहे हैं। कुमार अंबुज यथार्थ को पहचान तो रहे है किन्तु चुपचाप अपना काम भी, एक उम्मीद की सहारे कर रहे हैं –

''मैं किसी स्पर्धा में शामिल नहीं
मैं सिर्फ कर रहा हूँ अपना काम'' [10]

दरअसल कवि अपना नैतिक दायित्व, काव्य के माध्यम से ही निभा पाता है, यही उसकी जगत बंधुता है। निरन्तर भौतिकबल से चल रही दुनिया से घट रहे नैतिकल बल का पक्षधर कवि ही है। वैसे ''जब जब सामाजिक सभ्यता में कोई व्यापक परिवर्तन होता है, जीवन–संसार में नयी नयी वस्तुएँ आती है तब तब समाज में वर्ग भेद और संक्रान्ति की स्थिति आती है, नवीनता के प्रति आकर्षण बढ़ता है और समाज इन नये उपकरणों को पाने में अपने चरित्र और नैतिकता से नीचे गिरता है।'' [11] यही से स्पर्धा भरी अंधी दौड़ शुरू होती है, और बंधुत्व का मूल्य खतरे में पड़ता है। नवें दशक में उभरे कवियों ने जीवन मूल्यों की शुरू से ही परवाह की है। सभ्यता की भौतिक दौड़ में भी नैतिक स्थिरता कायम रखने के संकल्प को बार–बार दोहराया है। क्योंकि सम्पूर्ण सामाजिकता का अर्थ ही है, प्रत्येक की चिन्ता करना, प्रत्येक को शामिल करना, प्रत्येक को प्यार करना –

''इच्छाओं की
कभी खत्म न होने वाली होड़ से अलग
नैतिकता और प्यार का कारोबार है ये दुनिया
नैतिकता और प्यार की संतान है
हम
और तुम
X X X X X X X
दिन दिन की तल्लीनता से करना प्यार
और जिंदा रहना साथ–साथ '' [12]

कवि, जिंदा रहना साथ–साथ में जैसे बन्धुत्व भावना को ही नयी अर्थदीप्ति प्रदान कर कर रहा है। कवि को 'बंधुता' अलग से परिभाषित नहीं करनी, बल्कि उसके व्यावहारिक क्रिया–कलापों से उसे दैनन्दिन जीवन में समझना और शामिल करना है। आज का पूंजीवाद साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर बाजार और तकनीक के सहारे आर्थिक विषमता, सांप्रदायिकता को निरन्तर बढ़ा रहा है। इन असमानताओं के रहते बन्धुता कायम रखना कठिन अवश्य है पर कविता की यह जिद है कि वह सबकी चिंता और अभावों को लक्षित करते हुये सबमें बन्धुता की भावना को कविता का विषय बनाये रहेगी। यही बंधुता नागरिकों के सह–अस्तित्व का प्रमाण है। इक्कीसवी सदी की कविता, सभ्यता की आँधी से उठे गर्दी–गुबार से 'बंधुता' के इस मूल्य को बचाना चाहती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नवल शुक्ल– इस तरह एक अध्याय–पृ0–42।
2. धर्मवीर भारती– मानव मूल्य और साहित्य–पृ0–21।
3. कुमार अंबुज–क्रूरता–पृ0–77।
4. बोधिसत्व– हम जो नदियों का संगम हैं–पृ0–39।
5. एकान्त श्रीवास्तव– मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद–पृ0–105।
6. धर्मवीर भारती– मानव मूल्य और साहित्य–पृ0–21।
7. विमल कुमार– यह मुखौटा किसका है–पृ0–44।
8. कुमार अंबुज–अनंतिम–पृ0–83।
9. विमल कुमार– यह मुखौटा किसका है–पृ0–79।
10. कुमार अंबुज– अनंतिम–पृ0–95।
11. ओमप्रकाश अवस्थी–पॉचवॉ सप्तक–लेख– नवे दशक की हिन्दी कविता–पृ0–9।
12. निलय उपाध्याय– कटौती– पृ0–33।

****

भारत में महिलाओं में रक्ताल्पता विभिन्न शोध एवं दृष्टिकोण

डॉ. लक्ष्मी मेहरा *

प्रस्तावना – महिलाएं आमतौर पर खून की कमी की समस्या से ग्रसित रहती हैं। शरीर में खनिज तत्व आयरन की कमी से रक्ताल्पता होता है। भारत में तो आधी आबादी कुपोषण के कारण होने वाले रक्ताल्पता का शिकार हैं। कुपोषण के कारण ही महिलाओं का वजन लगातार गिरता जाता है और वे विभिन्न बीमारियों की चपेट में भी आ जाती हैं। देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता की समस्या से अधिक ग्रसित रहती हैं। यदि बचपन से ही लड़कियों के पोषण के संदर्भ में ध्यान दिया जाए, तो इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है।

पोषक तत्वों की कमी का असर लंबाई, वजन, कमजोरी और दुर्बलता के रूप में सामने आता है, तो थकान, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द होना रक्ताल्पता के सामान्य लक्षण हैं। जब दैनिक आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा और खनिज जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तब धीरे-धीरे महिलाएं खून की कमी का शिकार होने लगती हैं। आमतौर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि भविष्य में लड़कियों का शरीर कमजोर हो जाता है। लड़कियों के विवाह के पश्चात गर्भावस्था के दौरान कुपोषण से खून की कमी की स्थिति विभिन्न गंभीर रोगों का रूप ले लेती है।

उचित खान पान – हमारे देश में काफी लोगों को उचित खान पान नहीं मिल पाने से वे रक्तअल्पता की समस्या से जूझ रहे हैं। जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में 60 प्रतिशत लोगों रक्तअल्पता के शिकार हैं जिसमें से 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि इस रोग की शिकार महिलाएं अधिक हैं। रक्त की कमी का यह रोग रक्त अल्पता या रक्ताल्पता के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर लोग अनीमिया को बीमारी नहीं मानते। लोगों की यह धारणा गलत है क्योंकि यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। विशेषकर गर्भवती महिला अगर इस बीमारी का शिकार है तो उसका शिशु मरा हुआ पैदा हो सकता है और यदि प्रसवकाल में ज्यादा रक्तस्राव हो जाये तो फिर महिला को बचा पाना भी असंभव है।महिलाओं में रक्त की कमी इसलिए पायी जाती है, क्योंकि भारतीय समाज में लड़कियों की परवरिश पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान यह कमी और बढ़ जाती है क्योंकि इस समय महिलाओं को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है जो उन्हें नहीं मिल पाता है। एक पुरुष के मुकाबले एक महिला को दुगने लौह तत्व की जरूरत होती है। इसके अलावा गर्भावस्था के समय तथा स्तनपान करवाने के समय में उनके शरीर में लौह तत्व जरूरत और बढ़ जाती है। इसलिए जो महिला हर साल बच्चा पैदा करती है। और जिस महिला का मासिक स्राव तीन दिनों से ज्यादा चलता है या फिर जिस महिला का मासिक स्राव 15 से 20 दिन को ही फिर से शुरू हो जाता है, ऐसी महिलाएं निश्चित रूप से रक्ताल्पता की मरीज हो जाती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन – विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार, यदि पुरुषों में हीमोग्लोबिन स्तर प्रति डेसिलिटर (डीएल) पर 13.0 ग्राम (जी) से कम है तो उन्हें रक्ताल्पता से ग्रसित माना जाता है। यदि महिलाओं में 12.0 जी/डीएल से स्तर कम है और वे गर्भवती नहीं हैं तो वे रक्ताल्पता से ग्रसित हैं। गर्भवती महिलाओं में, 11.0 ग्रा/ डीएल से कम स्तर रक्ताल्पता का संकेत देते हैं।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2017 – हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रजनन उम्र (15 से 49 वर्ष) की महिलाओं में करीब आधी (51 फीसदी) रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। वर्ष 2015-16 में चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -4) में इतनी ही आबादी (53 फीसदी) के एनीमिक होने का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमान 2005-06 में एनएफएचएस-3 में दर्ज किए गए 55 फीसदी से मामूली रुप से कम है और डब्लूएचओ संग्रह में रिकॉर्ड किए गए सबसे पहले शोध, 1958 क्षेत्रीय अध्ययन के 63.7 फीसदी की तुलना में केवल 10 प्रतिशत अंक कम है।

तेलंगना – वर्तमान के तेलंगना में वर्ष 1961 में हुए अध्ययन में एक से छह वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया था। अध्ययन में 52.2 फीसदी बच्चों में रक्ताल्पता का प्रसार पाया गया।

भारतीय अध्ययन – वर्ष 2015 में इसी आयु वर्ग के अखिल भारतीय अध्ययन में यह आंकड़ा 58.4 फीसदी था। पुरुषों में, 20 फीसदी या पांच में से एक रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, जो महिलाओं में व्याप्तता के मुकाबले कम जरूर है लेकिन चिंता का विषय तो है ही। तथ्य यह भी है कि पुरुषों में रक्ताल्पता की समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया गया है और वर्ष 1958 के बाद से इसके प्रसार में बदलाव नहीं हुआ है।

चंडीगढ़ के सर्वेक्षण में करीब चार में से एक महिला ने कहा कि वे दूध या चाय के साथ आयरन-फोलिक एसिड की खुराक लेती हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक देता है, जो आदर्श रूप से विटामिन सी में समृद्ध पदार्थ के साथ उपभोग किया जाता है। अन्य 40 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें गोलियां लेने के लिए क्यों कहा गया है। आधे से ज्यादा महिलाओं ने सरकारी क्लीनिकों में अनुपलब्धता की वजह से मल्टीविटामिन या कैल्शियम की खुराक दवा की दुकानों से खरीदी, खरीदा, खराब आपूर्ति व्यवस्था के साथ-साथ अपर्याप्त जागरूकता के खतरों पर प्रकाश डालता है।

* पोस्ट डॉक्टारोल फैलो, आई.सी.एस.एस.आर. नई दिल्ली, भारत

वर्ष 2017 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 'ऑफ द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट' में भारत की भूख की स्थिति को 'गंभीर' बताया गया है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 12 अक्टूबर, 2017 की रिपोर्ट में बताया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत सतत विकास लक्ष्य के साथ 2030 तक भूख को खत्म करने के लिए नौकरियों और कौशल लोगों को एक ओर नौकरियों के लिए उपयुक्त बनाने के साथ कल्याणकारी सहायता प्रदान करने के लिए विस्तृत और व्यापक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 14 अक्टूबर, 2017 की रिपोर्ट में बताया है।

दिल्ली में एक अस्पताल के द्वारा किये गए अध्ययन में यह बात सामने आई कि 68 प्रतिशत स्कूली बच्चों में रक्ताल्पता की वजह आयरन की कमी है। वहीं, अन्य 28 प्रतिशत बच्चों में इसकी वजह विटामिन बी12 की कमी। विटामिन बी12 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिये बहुत जरूरी है लेकिन इसे हमेशा नजरअन्दाज किया जाता है।

सरकारों के प्रयास – दुनिया भर में रक्ताल्पता का सबसे आम कारण पोषक तत्वों की कमी है। भारत में पोषण संबंधी कमी से संबंधित रक्ताल्पता के लगभग आधे मामलों में कारण, कम आयरन अन्तर्ग्रहण करना है। विटामिन बी9 (फोलेट) और बी12 के अपर्याप्त सेवन भी यह समस्या बनी हुई है।

रक्ताल्पता से निपटने के लिए प्रमुख पहल 1970 में शुरु की गई थी। इस योजना का नाम राष्ट्रीय रक्ताल्पता प्रॉफिलैक्सिस प्रोग्राम था, जिसमें दो कमजोर वर्ग, गर्भवती महिलाओं और 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच लोहे और फोलिक एसिड गोलियों के वितरण पर केंद्रित किया गया था।

कार्यक्रम के बावजूद, 2005 के बाद से लोहे की कमी से रक्ताल्पता, भारत में विकलांगता का मुख्य कारण है। इस संदर्भ में विकलांगता का मतलब अच्छे स्वास्थ्य की अनुपस्थिति है। वास्तव में, 1990 की तुलना में, वर्ष 2016 में आयरन की कमी से रक्ताल्पता, विकलांगता का एक बड़ा कारण था, जैसा कि चिकित्सा पत्रिका 'लैनसेट' के एक नए अध्ययन में बताया गया है।

भारत में 20 फीसदी मातृ मृत्यु का कारण रक्ताल्पता है और 50 फीसदी मातृत्व मौतों में सहयोगी कारण होता है। यह बच्चों में जन्म के समय कम वजन का कारण बनता है और उनमें संज्ञानात्मक विकास और भौतिक विकास से जुड़े मुद्दे आजीवन जोखिम रहते हैं। स्वस्थ साथी के मुकाबले रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चे 2.5 फीसदी कम कमाते हैं।

साप्ताहिक खुराक – समस्या की गम्भीरता को देखते हुए भारत सरकार ने 2012 में स्कूलों में 12 करोड़ बच्चों को हर सप्ताह आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ देने के साथ ही आयरनयुक्त भोजन वाली मिड डे मिल की व्यवस्था को अपनाया। लेकिन यह व्यवस्था भी समस्या को कम करने में कोई खास प्रभावी नहीं हुई। दरअसल, भारत में पानी और भोजन के अन्य स्रोतों से व्यक्ति के शरीर में फ्लोराइड की मात्रा के बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है।

फ्लोराइड की अधिक मात्रा – शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा रक्ताल्पता का एक बड़ा कारण है। फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण आयरन और फोलिक एसिड का डोज जठरतंत्र श्लेष्मझिल्ली (हेंजतवपदजमेजपदंस उनबवें) की संरचना को पूरी तरह प्रभावित कर देता है। इसीलिये यह कहना अनुचित नहीं होगा कि रक्ताल्पता से लड़ने के लिये आयरन, फोलिक एसिड की डोज और आयरनयुक्त भोजन काफी नहीं है।

गर्भावस्था के दौरान, शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा, रक्ताल्पता का बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से गर्भस्थ शिशु का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है और महिलाएँ कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं। फ्लोराइड की अधिकता से शरीर की जैव-रासायनिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि फ्लोरीन बॉडी में एंजाइम को जाने से रोकता है और यह हार्मोन के रिसाव में बाधा पहुँचाने के साथ ही दिमाग पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

1979 हिलमैन एट अल में प्रकाशित एक लेख में यह बताया गया है कि फ्लोराइड की अधिकता के कारण जानवरों में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। उनमें सीरम फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की मात्रा भी कम हो जाती है जो हीमोग्लोबिन की शरीर में उचित मात्रा के लिये आवश्यक है। इसके कारण थायराइड से टी3 और टी4 हार्मोन के स्राव में भी कमी आ जाती है जो खून में आरबीसी की मात्रा को कम कर देता है। इसीलिये फ्लोराइड की समस्या का निदान बेहद ही जरूरी है।

फ्लोरोसिस फाउंडेशन ऑफ इण्डिया द्वारा दिल्ली के वैसे स्कूलों में जहाँ कम आय वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे उनसे 2420 बच्चों को चुना गया। इनकी उम्र 10 से 19 वर्ष के बीच थी। इनमें लड़के और लड़कियाँ, दोनों शामिल थीं। बच्चों में रक्ताल्पता के प्रभाव का पता लगाने के लिये विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई। पहले स्कूलों के प्रधानाचार्यों से अनुमति ली गई और बच्चों और उनके अभिभावकों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया गया और उनकी भी अनुमति ली गई।

इन प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के बाद हीमोग्लोबिन की जाँच करने के लिये बच्चों के खून के नमूने लिये गए और उनकी जाँच की गई। ठीक इसी तरह बच्चों के निवास स्थानों से सप्लाई वाटर के सैम्पल लिये गए और उनकी जाँच की गई। इसके अलावा बच्चों के पेशाब का भी नमूना लिया गया और उनकी भी जाँच की गई।

शुरुआत में बच्चों के खून के नमूनों की जाँच के बाद एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला था जो रक्ताल्पता से पीड़ित न हो। 98 प्रतिशत बच्चे सीमित रूप में रक्ताल्पता से पीड़ित पाये गए थे जबकि 2 प्रतिशत की स्थिति ज्यादा गम्भीर थी। एक महीने, तीन और छह महीने के अन्तराल पर लिये गए खून के नमूनों के परीक्षण से यह पता चला कि रक्ताल्पता से नहीं पीड़ित होने वाले बच्चों के प्रतिशत में क्रमश: 29.5, 35.8 और 45.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इस तरह यह बात स्थापित होती है कि आहार में बदलाव से रक्ताल्पता को नियंत्रित किया जा सकता है।

परामर्श – बच्चों की माताओं को आहार की सम्पूर्ण जानकारी दी गई। उनसे यह कहा गया कि वे अपने बच्चों को बाजार में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हरी पत्तेदार सब्जियों एवं गाजर, मूली और कद्दू आदि के रस से बनाया गया जूस दें। उन्हें पौष्टिक और घर पर आसानी से तैयार होने वाले व्यंजनों के बारे में जानकारी दी गई। आहार में एक कप दूध को शामिल करने की भी सलाह दी गई। इसके साथ ही बच्चों को भी यह हिदायत दी गई कि वे बाहर के चीजों का सेवन न करें।

फिर शिक्षकों, अभिभावकों के साथ ही बच्चों को बताया गया कि वे अधिक फ्लोराइड वाला पानी न पीएँ क्योंकि पानी के लगभग सभी सैम्पल में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई थी। उन्हें समझाया गया कि 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम फ्लोराइड की मात्रा वाला पानी ही पीने योग्य होता है।

उन्हें ऐसे किसी भी पदार्थ को न खाने की सलाह दी गई जिनमें सेंधा नमक होता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक होती है।

उपसंहार – आहार तथा अन्य माध्यम से खासकर गर्भवती महिलाओं और युवा लड़कियों में फ्लोराइड की मात्रा का बढ़ना उनके स्वास्थ्य के लिये काफी हानिकारक है। यह खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को कम कर देता है। भारत में इस समस्या से लड़ने के लिये आयरन और फोलिक एसिड की डोज दी जाती है लेकिन यह कारगर नहीं है। यह समस्या को ठीक करने के बजाय नई समस्याएँ पैदा करने का कारण बन सकता है।

यही वजह है कि भारत में शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु की दर में कोई खास कमी नहीं आई है। अत: भारत में इन समस्याओं से निपटने के लिये आहार नियंत्रण की पद्धति पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत शिशु और मातृ मृत्यु दर को पूर्णत: नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Anindo, Das. All India Survey for Vitamin B12 Crunch and Insect Hunting. Research Survey, Kolkata: Unicef, 2019.
2. Apra, Deshmukh. Comprehensive demand for supplement, forced distribution. Research, Nagpur: Disha Publication, 2017.
3. bhardwaj, Neeraj. neerajbhardwaj096.blogspot.com. February 18th, 2013. http://neerajbhardwaj096.blogspot.com/2013/02/blog-post_748.html (accessed july 26, 2018).
4. Brayan, Ferera. Pregnant mothers influence anemia on their child. Research, Delhi: WHO, 2016.
5. David, Ratan. Iron-folic acid which prevents absorption of micronutrients. Research, Delhi: New publication, 2018.

****

A Comparative Study of Nutrient Status in Preschool Children of Rural and Urban Area of Varanasi District

Dr. Parvati Singh*

Abstract - Preschool children call for focused attention in India because India has the highest percentage of undernourished children in the world. The present study was conducted to compare the nutritional status of preschool children and factors affecting the nutrient intake such as mother's knowledge about nutrients. The study was conducted by selecting 300 and 286 preschool children (male and female) of the age groups of 13-60 months from rural and urban area of Varanasi district, respectively, and their nutrients such as protein, carbohydrate and fat intake was recorded by 24 h recall methods. The study revealed that all the nutrients intake was more in urban preschool children than that of rural, and protein intake showed increasing trend with rising the age of children. However, carbohydrate and fat intake showed variable trend with age. The mother's knowledge regarding nutrients and balance diet was better in urban area than rural counterparts.

Introduction - India's child population comprises about 14 per cent of the children in the world. Children constitute 40 per cent pre-school (1-5 years) age group of nearly 45 per cent in the India's population. They are vital section of the society and a potential source of strength for the nation. Consequently, the future of the nation depends on their well being and healthy growth (Menkekar,1984). In most countries a neglect of the children of pre-school age is being observed. They are a vulnerable special-risk group in any population, are deserve special health care (WHO, 2007). The reasons why the under fives needs special health as: (1) children under five constitute 15 to 20 per cent of the general population in the developing countries (about 17 per cent in India). By virtue of their large numbers, they are entitled to large share of health care, (2) apart from a infant mortality which is more than 100 per l000 live birth in the developing countries, the mortality in the age-group 1-4 years is also very high not less than 40 per 1000 live birth as compared to 0.5 in a developed country. The major causes of death in this group are due to poor nutrition and infection, (3) the common diseases which affect the pre-school age-groups are diphtheria, whooping cough, tetanus, diarrhoea, dysentery and malnutrition, (4) the pre-school age period is a period of rapid growth and development, their growth and development needs monitoring, (5) while the infant may be easily reached the young child (1-4 years). Considering the above fact in mind the present study was planned to investigate whether preschool children of urban and rural area of Varanasi have same or different levels of nutrient status.

Methodology: A detailed survey of literature has pointed out that most of the studies pertaining to the nutritional status of preschool children have been either from rural or urban area of southern and western part of country. Till now a very few comparative nutritional studies on preschool children belonging to urban and rural area in northern part of country have been done. Therefore, the present study was aimed to compare the nutritional status of preschool children (1-5 years) of urban and rural areas of Varanasi district (U.P.). To compare nutritional status of preschool children of rural and urban areas of Varanasi district, the urban area adjoining to the Banaras Hindu University and rural area nearby Varanasi city were selected. For the present study 300 preschool children from rural and 286 from urban area were selected, and nutrient intake by them was recorded by applying 24 h recall method. The mother's knowledge regarding different nutrients and balance diet was also noted, and further data were analysed.

Result and discussion: Table 1 depicts the age and sex-wise distribution of children in both the study areas. It is observed that in urban area, a higher proportion (28.67 per cent) of children were in age group 25-36 months followed by 24.83 per cent in early age group 13-24 months, 24.47 per cent in late age group (49-60 months) and a minimum 22.03 per cent in age group 37–48 months. In rural area, however, 30.67 per cent children were found in the age group 12-24 months followed by 29.67 per cent in late age group (49-60 months), 22.33 cent in 25-36 months and 17.0 per cent in 37-48 months.

Table 1 (see in last page)

In urban area, the sample consisted of 56.64 per cent male and 43.36 per cent female children. The proportion of male and female children in rural area was 51.67 and 48.33 per cent, respectively. The proportion of female (765) than

*Asso. Professor (Home Science) Mahila Sewa Sadan Degree College, Naya Bairahana, Prayagraj (U.P.) INDIA

male (1000) in urban area was slightly lower than the ratio of female and male (882 female/1000 male) of U. P., whereas in rural area this ratio (935 female/1000 male) was found to be higher the ratio of U.P.

Table 2: Sample distribution according to awareness of respondents about nutrition

Response	Urban		Rural	
	No. of Children	%	No. of Children	%
Yes	185	64.7	35	11.7
No	101	35.5	265	88.3
	286	100	300	100

Table 3: Sample distribution according to awareness of respondents about balanced diet

Response	Urban		Rural	
	No. of Children	%	No. of Children	%
Yes	167	58.4	18	6.0
No	119	41.6	282	94.0
	286	100	300	100

Table 2 shows that a high proportion of respondents in urban (64.7 per cent) were aware of nutrition while in rural area, only 11.7 per cent respondents knew about nutrients. Further, it is revealed from the results that 58.4 per cent in urban area and only 6.0 per cent respondents in rural area knew about balanced diet (Table 3).

The protein intake of urban children was found to be greater than their rural counterparts. A positive correlation was observed between protein intake and with the rising age of children (Table 4). Interestingly, the protein intake in urban as well as in rural children in each age group was recorded higher indices against the ICMR. These rule out the proposition that there was protein deficiency in Indian children. In general, the intake of protein in male children was higher than females in both the study areas. Thus, the diet of male children was rich in protein than the females and that must be viewed vis-a-vis Indian Social structure where male child is offered the prime position. Choudhuri (1975) reported the adequate level of protein in preschoolers whereas Vijayalakshmi et al. (1975) found the deficit in protein intake. On the other hand, Tomar and Srivastava (1980), Srivastava (1985) and Chaudhuri (1973) have found higher protein intake. The National Institute of Nutrition observed 30 percent low intake of protein and energy as compare to the allowances recommended by UNICEF (1984).

Table 4: Protein intake of male and female children of urban and rural area

Age group (months)	Urban		Rural	
	No. of Children	protein intake (gm/day)	No. of Children	protein intake (gm/day)
13-24	71	31.43	92	20.16
25-36	82	32.37	67	25.26
37-48	63	41.26	52	29.49
49-60	70	40.36	89	33.45

The mean intake of carbohydrate was higher in urban male than rural male, barring in the age groups 49-60 months, whereas in rural female high intake of carbohydrate than the urban female in age group 25-30, 37-48 and 49-60 months was also noted (Table 5). There was a strong positive correlation between the carbohydrate intake and with their age. In general, there was slightly more consumption of carbohydrate in females than the males of same study area. It could be assumed that the higher intake of carbohydrate in female is to maintain the energy requisition. A similar trend was also noticed in the study of Srivastava (1985) however, the values in that study were less than the values of present study.

Table 5: Carbohydrate intake of male and female children of urban and rural area

Age group (months)	Urban		Rural	
	No. of Children	Carbohy -drate (gm/day)	No. of Children	Carbohy -drate (gm/day)
13-24	71	145.92	92	97.35
25-36	82	165.08	67	164.08
37-48	63	229.16	52	222.41
49-60	70	246.37	89	263.43

The present study revealed considerably higher fat intake in urban than the rural children (Table 6).

Table 6 : Fat intake of male and female children of urban and rural area

Age group (months)	Urban		Rural	
	No. of Children	Fat intake (gm/day)	No. of Children	Fat intake (gm/day)
13-24	71	37.81	92	24.15
25-36	82	34.56	67	17.16
37-48	63	32.70	52	12.69
49-60	70	1.94	89	13.76

A negative correlation suggests that with the rising age the decrease in fat intake was also noted. In general the fat in the later age group was less than 30 percent of total, however, calories should be higher as recommended by nutritional expert group of ICMR (1969). The reason for the higher fat intake among the boys can be viewed with regard to their social milieu and higher intake of fat in urban children as expected may be due to higher intake of milk and fried foods (Table 6).The above results slightly higher values than reported by Srivastava (1985).

Conclusion: The study concludes that female children in rural area were more as compare to urban as shown in different states of country. The knowledge of mother regarding nutrients and balanced diet was quite low in rural area. The fat, protein and carbohydrate intake was appreciably high in urban preschoolers. The study suggests that there is urgent need to educate the mothers in rural area so that the growth and development of children may get improved, thereby after attaining the maturity they may contribute for our country to the greater extent.

References:-

1. Chaudhuri M.F.(1973).Dietary appraisal of West Bengal preschool children and its effect on growth and nutrition. Ind. J. Paed. 40: 276
2. Choudhuri M.K. (1975). Nutritional profile of Calcutta preschool children. Ind. J. Med.Res. 63: 173-195
3. ICMR (1969).Nutritional Atals of India, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
4. Menkekar, k.(1984). Our unprotected children. J. Life. Soc. 91:15
5. Sen P., Bharati S., Som S., Pal M., Bharati P. (2011). Growth and nutritional status of preschool children in India: A study of two recent time periods. Food Nutr. Bull. 32: 84-93
6. Srivastava, P. (1985). The assessment of the nutritional status of the preschool children and development of some simple nutrition education techniques for the community. Ph.D. Thesis, BHU, Varanasi.
7. Tomar , B.S., Srivastava, L.k. (1980). Family size, protein intake and malnutrition in industrial area of Gwalior. Ind. J. Paed. 47:217-219.
8. UNICEF (1984). An analysis of the situation of children in India. UNICEF Delhi, Regional Office for South Central Asia. pp. 60-61.
9. Vijayalakshmi,P., Saraswathi,P.S., Davadas, R.P. (1975).Nutritional background on selected preschool children treated in paediatric outpatient department of Coimbatore Medical College Hospital. Ind. J. Nutr. Dietet. 12:383-387.
10. WHO. (2007).Global data base on child growth and malnutrition. Geneva.

Table 1: Distribution of sample by age and sex of urban and rural children

Age groups (months)	Urban			Rural		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
13-24	38 (13.3)	33 (11.5)	71 (24.9)	47 (15.7)	45 (15.0)	92 (30.7)
25-36	58 (20.3)	24 (8.4)	82 (28.7)	32 (10.7)	35(11.7)	67 (22.3)
37-48	31 (10.8)	32 (11.2)	63 (22.0)	27 (9.0)	25 (8.3)	52 (17.0)
49-60	35 (12.2)	35 (12.3)	70 (24.5)	49 (16.3)	40 (13.3)	89 (29.7)
Overall	162(56.6)	124(43.4)	286(100)	155(51.7)	145(48.3)	300(100)

****

वर्तमान परिवार व्यवस्था पर आधुनिक विचारधारा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रुची गौतम *

शोध सारांश - परिवार व समाज निरंतर एक स्थिति में सदैव स्थिर नहीं रहती है। उसके इकाइयों में निरंतर गतिमान अर्थात् प्रकार्य व अकार्य करती रहती हैं। परिवार में कई इकाई ऐसे होते हैं, जो परिवार के सदस्यों के मध्य या पीढ़ियों के मध्य द्वन्द उत्पन्न करती है। इस पीढ़ीगत संघर्ष से बहुत से सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव को जानते हुए निदर्शन के माध्यम से परिवार की स्थिति की ओर उसके व्यवस्था प्रणाली को जानने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावना - परिवार व्यवस्था समाज का एक अभिन्न अंग है। नयी पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य पाये जाने वाले भेद अन्तर पीढ़ी संघर्ष के लिए विशेष उत्तरदायी हैं। दोनों पीढ़ियों के मूल्यों, विश्वासों, मान्यताओं व आचार प्रतिमान में बहुत अंतर पाये जाते हैं। इसका मूल कारण आधुनिक विचारधारा व पश्चात् संस्कृति है। क्योंकि उनके जीवन मूल्यों, आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता बहुत प्रभावित हुई है। इसी वजह से दोनों पीढ़ियों में विभिन्न प्रकार के मतभेद व संघर्ष की भावनाएँ उत्पन्न होने लगती है। जिनसे केवल परिवार व्यवस्था ही नहीं, वरन भारतीय व संघर्ष की भावनाएँ उत्पन्न होने लगती है। जिससे केवल परिवार व्यवस्था ही नहीं वरन् भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दो पीढियों के जीवन व समय समान नहीं हो सकती है। क्योंकि विज्ञान और औद्योगिकरण व नगरीकरण की दुनिया ने लोगों को अपने प्रभाव में लिया है। जो निश्चित रूप से हमारी सोच-विचार को परिवर्तित कर देती है।

शोध प्रविधि - शोधार्थी ने समय व संसाधन को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र चुनाव के लिये निदर्शन पद्धति को अपनाया है जिसके आधार पर दो पीढ़ियों की अपसी मानसिक विचारधाराओं का अध्ययन साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके किया गया है। जिसके आधार पर आधुनिक समाज में परिवार की स्थिति का आंकलन किया गया है और वर्तमान समय में परिवार में आधुनिकीकरण के कारण होने वाले लाभ एवं हानि दोनों संदर्भो के आधारों का अध्ययन किया गया है। परिवार के सभी सदस्यों का चाहे वो जिस उम्र के हों उनकी सभी की सोच और मान्यताओं में परिवर्तन होता है और इन्हीं सबके मिलाप से एक परिवार का निर्माण होता है, जिसमें होने वाले उतार-चढ़ाव का हम अध्ययन करते हैं।

उद्देश्य - शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध हेतु चुने गये उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

1. परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष को उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करना।
2. परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष से होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
3. परिवार की परम्परागत मान्यताओं पर आधुनिक विचारधारा के प्रभावों का अध्ययन करना।

उपकल्पना - शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध हेतु चुने गये उपकल्पनाएँ निम्नवत् हैं :-

1. परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष को उत्पन्न करने वाले कारक आधुनिक विचारधारा, पाश्चात्य संस्कृति तथा परिवर्तित मान्यताएँ हैं।
2. परिवार की परम्परागत मान्यताओं पर आधुनिक विचारधारा नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है।
3. परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष होने से संयुक्त परिवार का ह्रास व एकाकी परिवार की वृद्धि हुई है।

विषय-विवरण - परिवार व्यवस्था समाज का एक अभिन्न अंग है। नयी पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य पाये जाने वाले भेद अन्तर पीढ़ी संघर्ष के लिए विशेष उत्तरदायी हैं। दोनों पीढ़ीयों के मूल्यों, मान्यताओं, विचारधाराओं, विश्वासों आदि में पीढ़ीगत परिवर्तन पाये जाते हैं। जिसके आधार पर उनकी मानसिकता में अन्तर पाया जाता है तथा उसी आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। परिवार मे होने वाले संघर्ष में दो पीढ़ी के जो मतभेद हैं जिनके आधार पर उनकी मान्यताओं में परिवर्तन आता है तथा उसी के आधार पर उनमें सभी सदस्यों की अलग-अलग भागीदारी होती है तथा अपने आधारों पर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उसी के तहत परिवार की स्थिति का अध्ययन किया जाता है।

सुझाव - सुझाव के आधार पर कई बिन्दु हैं जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

1. परिवार में सभी समान आधारों में मान्यता दी जाए जिसके आधार पर बड़े बुजुर्ग की अलग जगह दी जाए तथा उनकी विचारधाराओं को सम्मान दिया जाय, जिससे परिवार में संघर्ष की स्थिति को कम किया जा सकता है।
2. परिवार में पीढ़ीगत होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए दोनों पीढ़ी की मान्यताओं को सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि दोनों की विचारधाराओं को सम्मान दिया जा सके।
3. परिवार में आधुनिकता के कारण पड़ने वाले प्रभावों का असर कम करने के लिऐ बुजुर्ग लोगों को अपने से छोटे लोगों की विचारधाराओं का समर्थन करना चाहिए और बच्चों को बड़ों की मान्यताओं का सम्मान करके अपने जीवन में उनकी विचारधाराओं का अनुशरण करना चाहिए।

निष्कर्ष - निष्कर्ष के रूप में निम्न तथ्यों को समझा जा सकता है :-

1. सबसे पहले हमें पीढ़ीगत संघर्ष को कम करना होगा।

* अतिथि विद्वान (विधि विभाग) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

2. इसमें प्रमुख रूप से कहीं न कहीं परिवार के दोनों पीढ़ी को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा, जिससे परिवार में आधुनिकीकरण के प्रभाव को कम किया जा सके।
3. परिवार के सभी सदस्यों को आपसी तालमेल बनाना चाहिए जिससे पीढ़ीगत संघर्ष को कम किया जा सके तथा परिवार में सुख, शांति को कायम रखा जा सके।
4. परिवार के सदस्यों को जो सबसे बड़े हैं उनको सम्मान दिया जाना चाहिए और कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो देखती है वो करने का प्रयास करती है तो हम जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो वो भी करना प्रारंभ करेंगे।
5. प्रचार माध्यमों से या संचार माध्यमों से ऐसे समाज में अच्छी विचारधाराओं का संचार होना चाहिए जिससे हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी की विचारधारा सकारात्मक हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय समाज, परिवार और नातेदारी (सामाजिक संस्थाएँ निरंतरता) N.C.E.R.T.
2. अग्रवाल, जी.के. (1981) 'समाजशास्त्र परिवार तथा नातेदारी', (एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स)
3. गुप्ता, एम.एल.; शर्मा, डी.डी. (2003) 'भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र' (साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा)

****

On the Simple Group Related to the F-Stricture Equation $\sum_{k=1}^{7} F^k=0$

Lakhan Singh*

Abstract : In this paper the simple group related to the F – Structure equation
$\sum_{k=1}^{7} F^k = 0$
is studied. Metric F – Structure and the properties of Kernel, collection of tangent and normal vectors have also been discussed.
Keywords : Differentiable manifold, projection operators linear congruence, group and its normal subgroups, simple group, kernel, tangent and normal vectors.

1. Introduction:

Let M^n be a differentiable manifold of class C^∞ and F be a (1, 1) tensor of class C^∞ defined on M^n satisfying.

(1.1) $\sum_{k=1}^{7} F^k = 0$ or $F^7+ F^6+ F^5+ F^4+ F^3+ F^2+ F = 0$.

we define the operators l and m on M^n, satisfying (1.2) $l=F^7$, $m=I-F^7$

where I denotes the identify operator.

Theorem (1.1) Let F, l and m satisfy (1.1) and (1.2)

Then

(1.3) (i) $F^s= F^r$ where $s \equiv r \pmod 7$, s, r ≥1.

(ii) $l + m = I$, $l^2= l$, $m^2= m$, $lm = ml = 0$

$Fl = lF = F$, $Fm = mF = O$.

Proof: (i) From (1.1) we have

(1.4) $F^7 = -F^6- F^5- F^4-F^3- F^2- F$

$\Rightarrow F^8 = -F^7-F^6- F^5-F^4- F^3- F^2$

$=F^6+ F^5+ F^4+ F^3+ F^2+ F - F^6- F^5- F^4- F^3- F^2= F$

$\Rightarrow F^9 = F^2$, $F^{10}= F^3$, $F^{11}= F^4$, $F^{12}= F^5$, $F^{13}= F^6$, $F^{14}= F^7$, $F^{15}= F^8= F$ etc

$\Rightarrow F^s = F^r$ where $s = r \pmod 7$, r, s ≥1.

(ii) From (1.2) and (1.4) we get the required results.

Theorem (1.2) Let F and m satisfy (1.1) and (1.2) the set

(1.5) $M_7= \{m + F, m + F^2, M + F^3, M + F^4, m + F^5, m + F^6, M + F^7\}$ is a cyclic and simple group under the multiplication of operators.

Proof : using (1.3) we have the cayley table for M_7 as

(1.6) Table

	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$	$m + F^7$
$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$	$m + F^7$	$m + F$
$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$	$m + F^7$	$m + F$	$m + F^2$
$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$	$m + F^7$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$
$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$	$m + F^7$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$
$m + F^5$	$m + F^6$	$m + F^7$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$
$m + F^6$	$m + F^7$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$
$m + F^7$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$	$m + F^7$

From (1.6) Table, it is clear that

a) **Closure property :** The product of any two elements of M_7 is again in M_7: M_7 is closed undermultiplication.

b) **Associative property:** Since the multiplication of operators is always associative : it holds for elements of M_7 also.

c) **Existence of identity :** From (1.6) Table, it is clear that $m + F^7$ works as an identity element of M_7. From (1.2) also $m + F^7=I$

d) **Existence of inverse :** From (1.6) table it is clear that

(1.7) $(m + F)^{-1} = m + F^6 \Rightarrow (m + F^6)^{-1}= m + F$

$(m + F^2)^{-1} = m + F^5 \Rightarrow (m + F^5)^{-1}= m + F^2$

$(m +F^3)^{-1} = m + F^4 \Rightarrow (m + F^4)^{-1}= m + F^3$

$(m +F^7)^{-1} =m + F^7=I$

In general $(m + F^k)^{-1}= m + F^{7-k}$, $1 \le k \le 6$ $(m + F^7)^{-1}= m + F^7$

Thus each element of M_7 has its multiplicative inverse in M_7 In all M_7 is a group. Moreover

(1.8) $0 (M_7) = 7$ (a prime number)

Therefore M_7 is a cyclic group under multiplication of operators, Also

$M_7= \langle m+F\rangle=\langle m+F^2\rangle=\langle M+F^3\rangle=\langle m+F^4\rangle=\langle m+F^5\rangle = \langle m + F^6\rangle$

*Department of Mathematics, D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

or $M_7 = < m + F^k >$; $1 \leq k \leq 6$.

As M_7 being a group of prime order has no proper normal sub groups, Therefore M_7 is simple.

Theorem (1.2) Let (1, 1) tensors p, $q \in M_7$, satisfying. (1.9) $p = m + F^2$, $q = m + F^3$ then

(1.10) $p^5 = q$, $q^3 = p$, $p^7 = q^7 = I = pq^4 = qp^2$.

Proof : from (1.2), (1.3) and (1.9) we get (1.10)

Theorem (1.3) Let (1, 1) tensors α, β satisfy

(1.11) $\alpha = m + F$, $\beta = m + F^5$ then

(1.12) $\alpha^5 = \beta$, $\beta^3 = \alpha$, $\alpha^2\beta = I = \alpha\beta^4$

Proof : from (1.2), (1.3) and (1.11) we get (1.12).

2. Metric F – Structure:

Let g be the Riemannian metric satisfying (2.1) ‘F (X, Y) = g (FX, Y) is symmetric then (2.2) g (FX, Y) = g (X, FY) and {F, g} is called metric F – structure.

Theorem (2.1) Let F satisfy (1.1)then

(2.3) $g(F^7X, F^7Y) = g(X, Y) - {}^1m(X, Y)$ where

(2.4) ${}^1m(X, Y) = g(mX, Y) = g(X, mY)$.

Proof: using (1.2), (1.3), (2.2) and (2.4) we have (2.5) $g(F^7X, F^7Y) = g(X, F^{14}Y)$

$= g(X, F^7Y)$

$= g(X, lY)$

$= g(X, (I - m)Y)$

$= g(X, Y) - g(X, mY)$

$= g(X, Y) - {}^1m(X, Y)$

3. Kernel, Tangent and normal vectors.

We Define

(3.1) Ker F = { X : FX = 0 }

(3.2) Tan F = { X : F X || X } = { X : F X= λ X}

(3.3) Nor F = { X : g (X, FY) = 0 ∀ Y)

Theorem (3.1) : Let F satisfy (1.1) then

(3.4) Ker F = Ker F^2= … = Ker F^7

(3.5)Tan F = Tan F^2= …= Tan F^7

(3.6) Nor F = Nor F^2= … = Nor F^7

Proof : Let X∈ KerF ⇒FX =0

$\Rightarrow F^2X = 0$

$\Rightarrow X \in$ Ker F^2

Thus

(3.7) Ker F ≤Ker F^2

Now Let X∈ Ker F^2 $\Rightarrow F^2X = 0$

$\Rightarrow F^3X = 0 = F^4X = F^5X$

$= F^6X = F^7X = F^8X$

$= FX$

$\Rightarrow FX = 0$

$\Rightarrow X \in$ Ker F

Thus

(3.8) Ker F^2≤Ker F

From (3.7) and (3.8) we have ker F = Ker F^2etc . The other remaining results follow similarly.

References:-

1. A Bejancu : on semi invariant submanifolds of an almost contact metric manifold . An Stiint University, “A.I.I. Cuza” Lasi Sec. Ia Mat (Supplement) 1981, 17-21.
2. B. Prasad: Semi - invariant submanifolds of a Lorentzian Para-sasakian manifold, Bull Malaysian Math. Soc (second series) 21 (1988) 21-26
3. F. Careres : Linear invariant of Riemannian product manifold, Math Proc. Cambridge Phil. Soc 91(1982),99-106
4. Endo Hiroshi: On invariant submanifolds of connect metric manifolds, Indian J. Pure Appl. Math 22(6)(June 1991), 449-453.
5. H.B.Pandey & A. Kumar : Anti - invariant some manifold of almost para contact manifold. Prog of Maths Volume 21(1): 1987.
6. K. Yano : On a structure defined by a tensor field *f* of the type (1,1) satisfying $f^3+f = 0$. Tensor N.S., 14(1963),99-109
7. R. Nivas & S.Yadav : On CR- structure and $F_\lambda(2\nu + 3,2)$ - HSU - structure satisfying $F^{2\nu+3} + \lambda^r F^2 = 0$, Acta Ciencias Indica, Volume XXXVII M, No. 4,645(2012).
8. Abhishek Singh, Ramesh Kumar Pandey & Sachin Khare: On horizontal and complete lifts of (1,1) tensor fields F satisfying the structure question $F_{(2k+S,S)} = 0$. International Journal of Mathematics and soft computing. Vol. 6, No. 1(2016) 143-152,ISSN 2249-3328.

****

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों की समस्याओं का प्रतापगढ़ जिले के के संदर्भ में एक अध्ययन

राधेश्याम गमेती *

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की समस्याओं से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की चुनौतियाँ अधिक है। भारत की अधिकांश आबादी आज भी गांवों में बसती है इसलिए भारत में ग्रामीण शिक्षा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता के सतत् विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह संबल है जिसके आधार पर व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का विकास होता है। यह मानव की आकांक्षाओं को जगाती है। एवं पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। यह मानव को उसके अतित से परिचित कराती हैं। और वर्तमान में जीवन जीने की सिखाती है एवं भविष्य का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करती है। मानव अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सिखता है, अपने जीवन में अनुभव करता है वह भी शिक्षा के द्वारा ही करता है। वह सीखने एवं अनुभव करने के कारण ही अपने सामाजिक ,आध्यात्मिक एवं भौतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर पाता है। शिक्षा आवश्यक ज्ञान और दक्षता प्रदान करती है, जो व्यक्ति को समाज में आदर्श रूप में कार्य करने योग्य बनाती हैं।

शिक्षा का समाजशास्त्र– शिक्षा का समाजशास्त्र सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था हेतु विभिन्न तरह के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का समूह प्रस्तुत करता है जिनके माध्यम से समाज की समस्याओं को सामने लाया जाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र सामाजिक विकास एवं उसकी उन्नति के लिये उन सभी सामाजिक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक अन्त: प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप तथा शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, शिक्षा का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जन–समूहों, संस्थाओं एवं समितियों का अध्ययन करता है। चूँकि अब शिक्षा से संबंध रखने वाली शाख व्यक्ति तथा समाज की उन्नति के लिये उत्तारदायित्व होता है, अत: शिक्षा का समाजशास्त्र को समाज के सभी नियमों, आदर्शो, साधनों, समस्याओं एवं परिस्थितियों एवं उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता हैं।

शिक्षा से समाजीकरण– शिक्षा वह महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती रही है। शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया ही नहीं है अपितु सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों को आगामी पीढ़ियों तक पहुँचाने तथा विभिन्न समस्याओं का सर्वोत्ताम समाधान ढूंढ़ने का भी सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। शिक्षा ने आज गांव के प्रौद्योगिक विकास, आर्थिक संरचना, राजनैतिक जीवन और व्यक्तित्व के विकास को एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध कर दिया है कि कुछ समय पहले तक ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

माध्यमिक शिक्षा– भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्तर है। यह वह स्तर है जो माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के मध्य एक पुल का कार्य करता है व दोनों को जोड़ता है। सामान्यत: इस स्तर पर पढ़ने वाले छात्र किशोरावस्था के होते हैं। इसलिए इस अवस्था का महत्व और भी बढ़ जाता है। माध्यमिक शिक्षा ऐसा केन्द्र बिन्दु है, जो प्राथमिक शिक्षा व विश्वविद्यालयी शिक्षा के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। यह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का काम करती है। इस स्तर पर किशोर/किशोरियाँ जो अध्ययन करते हैं, उनके व्यक्तित्व की शैली उसी पर निर्धारित होती है। यहीं से उनके व्यवसाय की तैयारी आरम्भ हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। यह व्यक्तित्व का विकास करती है। यह सामाजिकता व सामुदायिकता का विकास करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए आधार तैयार करती है। यहीं से छात्र–छात्राएँ जीवन जीने की कला सीखते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजातीय विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्त करने के प्रमुख लक्ष्य को जानना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को जानना।

प्राक्कल्पनाएँ

1. ग्रामीण जनजातीय विद्यार्थीयों की पारिवारिक, सामाजिक स्थिति उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों पर अंग्रेजी भाषा का दबाव अधिक रहता हैं।
3. ग्रामीण जनजातीय विद्यार्थीयों में शिक्षा ग्रहण करने का पहला लक्ष्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना होता है।

तथ्य संकलन एवं निदर्शन– उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग करते हुए इस अध्ययन हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रतापगढ़ जिले के 150 उतरदाताओं का चयन किया गया हैं जिसमें 75 छात्र एवं 75 छात्राओं के कोटा निर्धारित किया गया हैं। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संबंधित शोध विषय हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया किया गया हैं और आवश्यक प्रलेखों, सारणियाँ, आरेख, का प्रयोग भी यथास्थान किया गया हैं।

उत्तरदाताओं की आयु– दण्ड आरेख 01 में प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साक्षात्कार किए गए छात्र–छात्राओं का आयु अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 40.67 प्रतिशत 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के है और 46.67 प्रतिशत 17 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के एवं

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

7.33 प्रतिशत 19 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के है तथा 5.33 प्रतिशत 21 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के है।

दण्ड आरेख संख्या :01

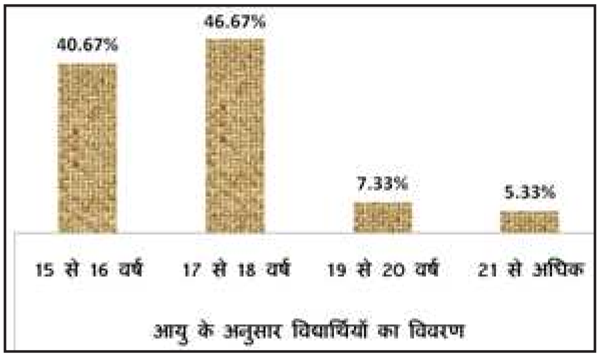

अभिभावकों के व्यवसाय

दण्ड आरेख संख्या :02

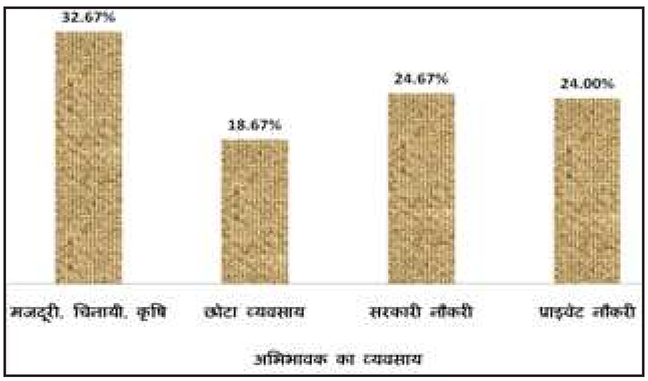

प्रस्तुत दण्ड आरेख 02 में प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साक्षात्कार किए गए छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के व्यवसाय के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें यह ज्ञात हुआ कि 32.67 प्रतिशत मजदूरी, चिनाई और कृषि का कार्य करते है और 18.67 प्रतिशत छोटा व्यापार करते है एवं 24.67 प्रतिशत सरकारी नौकरी में है जबकि 24 प्रतिशत प्राईवेट नौकरी करते है।में 40.67 प्रतिशत 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के है और 46.67 प्रतिशत 17 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के एवं 7.33 प्रतिशत 19 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के है तथा 5.33 प्रतिशत 21 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के है।

पारिवरिक और सामाजिक स्थिति का शिक्षा पर प्रभाव

दण्ड आरेख संख्या :03

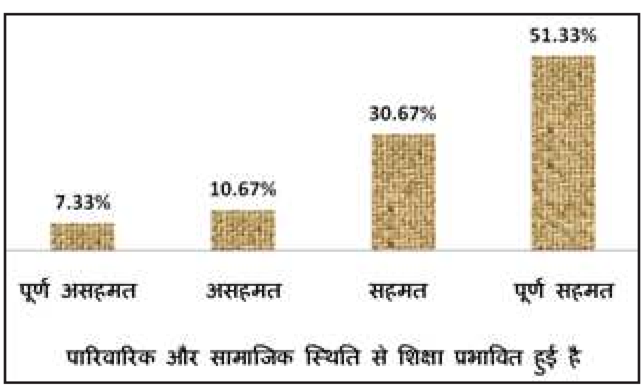

प्रस्तुत दण्ड आरेख 03 में प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों पर पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के शिक्षा पर प्रभाव के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 7.33 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पूर्ण असहमती और 10.67 प्रतिशत ने असहमती दी है एवं 30.67 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर अपनी सहमती दी है जबकि 51.33 प्रतिशत ने अपनी पूर्ण सहमती दी है कि विद्यार्थियों पर पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता हैं।

अंग्रेजी भषा का प्रभाव- प्रस्तुत आरेख 04 में प्रतापगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के दबाव के अनुसार विद्यार्थियों के मतों का विवरण दिया गया है जिसमें 10.67 प्रतिशत विद्यार्थी पूर्ण असहमत और 14 प्रतिशत असहमत थे एवं 32.67 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अंग्रेजी भाषा के दबाव पर अपनी सहमती दी है जबकि 42.67 प्रतिशत ने अपनी पूर्ण सहमती दी है कि अंग्रेजी भाषा को सीखने और बोलने का उन पर दबाव रहता हैं।

दण्ड आरेख संख्या :04

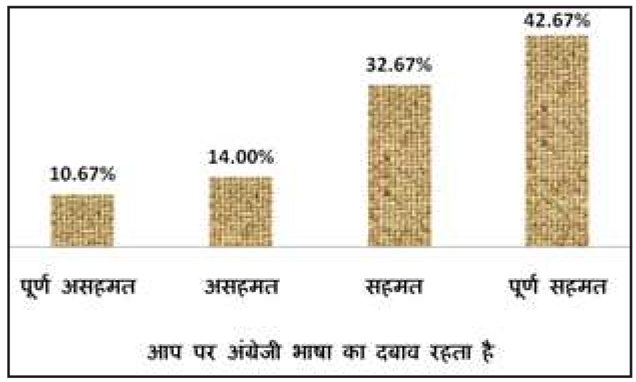

शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख लक्ष्य

दण्ड आरेख संख्या :05

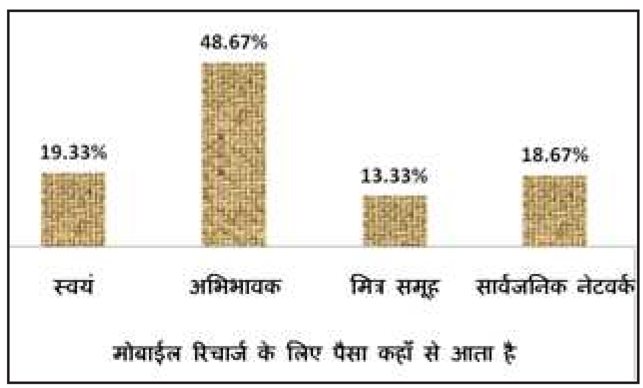

प्रस्तुत तालिका एवं दण्ड आरेख 05 में प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों से पढ़ाई करने का लक्ष्य पूछा गया है जिसमें 74 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करना बताया है और 15.33 प्रतिशत ने ज्ञान की प्राप्ती के लिए एवं 7.33 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पढ़ाई करना बताया है जबकि 3.33 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सभी वर्गो के बालकों का साथ पढ़ाई करने से बराबरी और समानता के भाव के विकास की बात कही है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. 40.67 प्रतिशत विद्यार्थी 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के है और 46.67

प्रतिशत 17 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के एवं 7.33 प्रतिशत 19 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के है तथा 5.33 प्रतिशत 21 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के है।

2. पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के शिक्षा पर प्रभाव पर 7.33 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पूर्ण असहमती और 10.67 प्रतिशत ने असहमती दी है एवं 30.67 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सहमती दी है जबकि 51.33 प्रतिशत ने अपनी पूर्ण सहमती दी है कि विद्यार्थियों पर पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता हैं।
3. अंग्रेजी भाषा के दबाव के अनुसार विद्यार्थियों के मतों में 10.67 प्रतिशत विद्यार्थी पूर्ण असहमत और 14 प्रतिशत असहमत एवं 32.67 प्रतिशत विद्यार्थी सहमत जबकि 42.67 प्रतिशत ने अपनी पूर्ण सहमती दी है कि अंग्रेजी भाषा को सीखने और बोलने का उन पर दबाव रहता हैं।
4. 74 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करना बताया है।
5. 15.33 प्रतिशत ने ज्ञान की प्राप्ती के लिए एवं 7.33 प्रतिशत विद्यार्थियों के अनुसार व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पढ़ाई करना बताया है।
6. 3.33 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सभी वर्गों के बालकों का साथ पढ़ाई करने से बराबरी और समानता के भाव के विकास की बात कही है।

सुझाव:

1. प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का मुख्य माध्यम अँग्रेजी भाषा को बनाया जाय साथ ही स्थानीय, मातृभाषा में उसकी व्याख्या भी की जाय, इससे अँग्रेजी भाषा में विद्यार्थियों को कुशलता हासिल होगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे।
2. माध्यमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। या तो स्कूल में ढंग की किताबें नहीं होती हैं। अगर किताबें होती भी हैं तो वे ताले में बंद रहती हैं।
3. माध्यमिक स्तर पर आते-आते बहुत से छात्रों को पासबुक की आदत लग जाती है। क्योंकि परीक्षाओं में रटकर सवालों के जवाब देने की क्षमता का ही परीक्षण होता है।
4. वन-वीक सीरीज जैसी चीजें भी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं।
5. बहुत से स्कूलों में शिक्षकों के दबाव के कारण वे कोचिंग क्लासेज में भी पढ़ने को बाध्य होते हैं।
6. 10वीं व 12वीं के दौरान ही विद्यार्थियों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की शुरूआत हो जाती है। इस कारण से भी कोचिंग सेंटर पर छात्रों की निर्भरता तेजी से बढ़ी है। इस समस्या से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद विद्यालय जूझ रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्निहोत्री रविन्द्र (1987) आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्यांए ओर समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर
2. ओड़ लक्ष्मीलाल (1973) शिक्षा का दार्शनिक पृष्ठभूमि: राजस्थान अकादमी, जयपुर

****

कानून व्यवस्था, मानव अधिकार एवं पुलिस कार्य

आशीष श्रीवास्तव *

शोध सारांश – किसी भी समाज की प्रगति के लिए मन की शांति और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अशांत और अराजक समाज अपनी सारी क्षमता को अयोग्य चीजों में समाप्त कर देते हैं। दूसरी ओर, यदि उनमें सुरक्षा और व्यवस्था की भावना है, तो वे विकसित और समृद्ध हो सकते हैं।

प्रस्तावना – भारत एक बड़ी आबादी वाला विविधातापूर्ण बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक और विशाल देश है। इसलिए यहाँ यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। यहीं से समाज में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हर समय, किसी न किसी रूप में, यह प्रणाली विभिन्न जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ समाज में मौजूद रही है।

पुलिस अकादमी के आधिकारिक आदर्श वाक्य के अनुसार पुलिस का कार्य 'रक्षा और सेवा करना' है। अर्थात् यहाँ पुलिस के दो कार्य है पहला रक्षा करना और दूसरा सेवा करना।भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में प्रत्येक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। पुलिसिंग हमेशा बदलते समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का विज्ञान है और पुलिस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों का नजरिया एक जैसा नहीं रह सकता है, इसे समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहना चाहिए।

खोसला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 'संविधान ने यह निर्धारित किया है कि लोगों को शासन करना चाहिए, इसलिए पुलिस भी लोगों की पुलिस होनी चाहिए।'

एक निष्पक्ष और कुशल पुलिस सेवा प्रदान करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। जो लोगों के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा। भारतीय संविधान के तहत, पुलिस राज्य का विषय है और इसलिए राज्य सरकारें एक कुशल पुलिस बल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में अपने राज्य में पुलिस के नियंत्रण से संबंधित अलग-अलग कानून हैं।

मानव अधिकार – 'मानव अधिकार' एक आधुनिक शब्द है जिसे पारंपरिक रूप से 'नैसर्गिक अधिकार' अथवा 'मनुष्य का अधिकार' के रूप में जाना जाता है। नैसर्गिक अधिकार वह अधिकार है, जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है जैसे जीवन स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सभी 'सिविल अधिकार' के आधार हैं। प्रत्येक सिविल अधिकार नैसर्गिक अधिकार से उत्पन्न हुआ है। 'सिविल अधिकार' समाज में मनुष्य के अधिकार भी है।

पद 'मानवअधिकार' उच्च कोटि की पदावली मनुष्य के अधिकार की नई रचना है। इसका प्रथम प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलीन रुजवेल्ट द्वारा जनवरी 1941 में अमेरिकन कांग्रेस को अपने प्रसिद्ध संदेश में प्रयुक्त किया जाना प्रतीत होता है जिसमें 4 स्वतंत्रताओ: –

1) वाक की स्वतंत्रता
2) धर्म की स्वतंत्रता
3) अभाव से मुक्ति एवं
4) भय से मुक्ति

पर आधारित 'विश्व' का आव्हान किया गया था। अपने 4 स्वतंत्रीय संदेश के अनुक्रम में, राष्ट्रपति ने निम्नक्त कहा था:–'स्वतंत्रता का अभिप्राय प्रत्येक जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता से है हमारा समर्थन उन व्यक्तियों के लिए है जो इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं अथवा उन्हें अपने आपस में संजोकर रखते हैं।'

कांग्रेस को संबोधित 4 सूत्रीय संदेश से विश्व के राजनेता प्रेरित हुए, जिन्होंने उन्हें सभी पश्चातवर्ती घोषणाओं एवं वर्ष 1941 एवं 1945 के मधय चार्टरो में दोहराया। वर्ष 1944 में डमबर्टन ऑक्स प्रस्तावों के समय यह तय हुआ कि यूएनओ की स्थापना से मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओ के लिए सम्मान में वृद्धि होनी चाहिए। तदोपरांत इन स्वतंत्रताओ का प्रभाव इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, फिनलैंड एवं ऑस्ट्रिया के साथ संश्रित शक्तियो द्वारा निष्कासित इस विषय शांति संधियों में देखा गया कि वे राज्य अपने क्षेत्राधिकार के अधीन रंग-भेद, लिंग, भाषा या धार्म की भिन्नता को ध्यान में रखे बिना सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकार के तथा मौलिक स्वतंत्रताओ जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता, राजनीतिक राय तथा संगम की स्वतंत्रता सम्मिलित है के उपयोग के लिए सभी आवश्यक उपायों को करने के लिए सहमत हो गए थे।

मानव के विचार – यह विचार की सभी मनुष्यों के रूप में अधिकार प्राप्त होने अनिवार्य है। आधुनिक युग राजनीति का सार है विश्वव्यापी एवं क्षेत्रीय दोनों स्तर पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमयो में विस्तार से बताया गया है और उसकी संवृद्धि तथा संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए है।

पद अधिकार में पांच मुख्य तत्व सम्मिलित होते हैं अर्थात

1) अधिकार धारक अथवा अधिकार का विषय
2) उस अधिकार धारक का किसी पदार्थ अथवा कार की वस्तु के लिए दावा।
3) वह उस अधिकार का प्रयोग करते हुए उस दावे का प्राख्यान मांग उपयोग अथवा उसका प्रवर्तन कर सकता हो।
4) वह किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध होना चाहिए जिसने सह सम्बद्ध

* शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

कर्तव्य का भंग कारित किया हो और

5) अधिकार को अपने दावे के समर्थन में उस अधिकार के लिए कोई विशेष आधार या औचित्य प्रस्तुत करना होगा।

होड फेल्डियन के विश्लेषण के अनुसार –'अधिकार' का प्रयोग कभी–कभी ऐसे अधिकार धारक के नियमत: अर्थ में किया जाता है, जो किसी अन्य में सह सम्बद्ध कर्तव्य के साथ किसी चीज को पाने का हकदार है। कभी–कभी अधिकार का प्रयोग परिवर्तित विधिक प्रास्थिति को रखने से उन्मुक्ति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा उसमें चीज को करने के विशेषाधिकार को बताया जाता है अथवा यह विधिक समबद्ध का सृजन करने की शक्ति को निर्दिष्ट करता है।

अधिकार का उपसर्ग मानव को जोड़ना किस बात का द्योतक है।

1) स्थान में इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त है। मानव अधिकार को धारित करने की मूल अर्हता यह है कि अधिकार का धारक मनुष्य जाति का हो।

2) द्वितीयत: मानव अधिकारों की वस्तुएं अत्याधिक महत्व की हो वे मनुष्य कैसे दावे हैं जो अन्य विवरणों पर अभिभावी हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि वे सामान्यत: मनुष्य जाति के लिए महानतम सहायता प्रदान करने वाले हैं।

3) तृतीय मानव अधिकार का प्रयोग का विस्तार सिविल अधिकार है जो निश्चित रूप से अधिक विस्तृत है।

4) चतुर्थ उन कर्तव्यों का पता लगाने की आवश्यकता है जिसका मानव अधिकारों से सह सम्बद्ध है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जीवन का अधिकार प्राप्त है। उसका सम्मान करना सामान्य है।

5) पंचम मानव अधिकारों के औचित्य की विशेषता। इस परिनियम के लिए अपील है अथवा उस संविदा के लिए अपील नहीं है तो राष्ट्रीय विधि के अधीन अपने आप में पर्याप्त औचित्य नहीं होंगे। मानव अधिकार के औचित्य नहीं होंगे। मानव अधिकार के औचित्य स्थानीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर से विश्व स्तर तक जैसे कि सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं तक उठता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानकों का राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किया जा सके।

'मानवअधिकार लोक निकायो एवं प्राधिकारियों और साथ ही समाज की अन्य संस्थाओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए अंकुश है कि वह कतिपय ऐसे कृतियों के कार्य किए जाने से विरत रहे जो व्यक्तियों के मर्यादित जीवन के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हो। उन्हें अर्जित नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है किसी कृत्य या लोप द्वारा उनका निस्तारण तथा निर्वहन नहीं किया जा सकता।'

मूल अधिकार एवं पुलिस कार्य – राज्य और कानून का परिचालन करने वाली संस्था पुलिस का अपराधियों को पकड़ना एक स्पष्ट कर्तव्य माना जाता है इसीलिए इस गंभीर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु कानून एवं राज्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सभ्यता के स्तर पर का निश्चय करती है इस हेतु राज्य द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया निष्पक्ष, स्पष्ट, तर्कसंगत होनी चाहिए।

कानून का सिद्धांत अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग से भी सुरक्षा प्रदान करने पर आधारित है। फिर भी कानून प्रशासनिक कार्यवाहियों के विरुद्ध न्यायिक पुनर्विचार और उच्च प्रशासनिक विचारों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है यह अनागरिकों (अपराधी सहित) को प्रतिकार करने का भी अधिकार प्रदान करता है। अथवा गैर कानूनी कार्यवाहियों के बदले न्यायालय के माध्यम से आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलवाता है।

किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के मध्य अपराध हो जाने पर अभियोजित किए जाने के अधिकार (पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 330 और 331) जब की विधि के कुछ प्रावधानों द्वारा कई बार प्रतिबंधित किया जाता है (भारतीय दंड संहिता की धारा 76 78 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 132 197 आदि) भारतीय संविधान को अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

विधिक प्रावधान – भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के पालन के लिए कई कानून भी बने हैं। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता मुख्य रूप से इस संगठन के काम करने के बारे में बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत 'पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी करने की शक्ति दी गई है।' परंतु यह शक्ति संपूर्ण न्यायिक नहीं होती है। उन्हें वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार होता है लेकिन जिन परिस्थितियों के अंतर्गत की जाती हैं वह धारा 41 में निर्धारित की गई है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को पकड़ने अथवा बंदी बनाने के लिए पुलिस अधिकारी को उसी समय अधिकार देती है अगर वह अपने आप पुलिस हिरासत में पेश नहीं होता है। ऐसा उसी समय होता है जब व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है। जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी को प्रभावित करने के लिए सभी आवश्यक साधानों की अभिव्यक्ति में गिरफ्तारी की शक्ति की सीमाएं भी दी जाती है। बल प्रयोग जो स्थिति की आवश्यकताओं के मुकाबले ज्यादा होता है तो उसे गलत माना जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 49 यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसके लिए निकल भागने से रोकने के लिए जितना आवश्यक हो उतने बल का ही प्रयोग किया जाएगा। उससे अधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है और अजमानतीय अपराधें में उसकी जमानत के अधिकार के बारे में भी बताना पड़ता है।

न्यायिक अथवा अनुचित तलाशियो और जब्तियो को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 47, 51 और 100 में विहित प्रावधानों द्वारा सुरक्षित रखा गया है। यद्यपि धारा 47 पुलिस अधिकारियों को किसी ऐसे स्थान पर अथवा इमारत में प्रवेश करने का अधिकार देती है जहां किसी संज्ञेय अपराध मैं संलिप्त वांछित व्यक्ति के छिपे होने का संदेह हो, फिर भी पुलिस अधिकारी उसके अंदर दरवाजा तोड़कर बल का प्रयोग कर सकता है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने अथवा वस्तु है जब्त करने की शक्ति भी प्राप्त है। लेकिन धारा 51 में अपेक्षित है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की रसीद दी जाए। इस धारा में यह भी अपेक्षित है कि किसी महिला की तलाशी शिष्टाचार को ध्यान में रखकर महिला अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।

यातना देने के विरुद्ध बहुत से विधिक प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 एवं 54 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चिकित्सीय जांच कराने का अधिकार देती है। जब उस व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है, तो चिकित्सीय जांच और शरीर के विरुद्ध अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किया

जाता है तो वह किसी डॉक्टर से अपनी जांच कराने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएँ 161 तथा 162 पुलिस द्वारा गवाहों के अन्वेषण के लिए उनके बयानों को रिकॉर्ड करने और उनके प्रयोग के बारे में है। धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा जांच के अधीन व्यक्ति को प्रश्नों के सत्य-सत्य जवाब देने होते हैं। उन जवाबों को छोड़कर जिनके द्वारा अपराध स्पष्ट हो अथवा दंड का भागी बनाता हो या संपहरण बनाता हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया कथन साबित करने के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इस धारा के तहत बयान देने वाले व्यक्ति से पुलिस अधिकारी द्वारा उसके हस्ताक्षर लेने पर भी निषिद्ध किया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में पुलिस के समक्ष की गई अपराध की संस्वीकृति को साक्ष्य में अस्वीकार्य बना दिया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अनुसार अपराध की संस्वीकृति करते समय मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करे की अपराध संस्वीकृति के उद्देश्य से अथवा किसी सूचना के लिए जिससे अपराध का पता चल सकता है या किसी संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए कथित अपराधी को जानबूझकर गंभीर उपहति कारित करता है, तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकता है।

पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत मृत्यु के कारणों की समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा जांच आवश्यक होती है। इस प्रकार की जांच करते समय मैजिस्ट्रेट जहां कहीं भी कार्यवाही हो मृत व्यक्ति के संबंधियों को सूचना देगा और जांच के समय उपस्थित रहने देगा।

भारत सरकार ने जुलाई 1985 में सभी पुलिस बलों को आचार संहिता भेजी थी जिसमें बताया गया था कि पुलिस कर्मियों को कैसा व्यवहार और कार्य करना चाहिए।

पुलिस आचरण के सिद्धांत- भारत के आजाद होने के पश्चात देश में नागरिकों का राज्य हो गया है। इस बदलती हुई स्थिति में यहां आवश्यकता महसूस हुई कि जनता की सेवा करने के लिए पुलिस के कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हो, जिनके अनुसार देश की पुलिस बदली हुई परिस्थितियों में व्यवहार व ड्यूटी कर सके और जनता में लोकप्रिय हो सके इस सिद्धांत को लेकर प्रदेश के प्रत्येक आई.जी. को सम्मिलित कर एक सभा आयोजित की गई, जिसमें पुलिस आचरण के सिद्धांत बनाए गए जो निम्नलिखित हैं: -

(1) पुलिस अधिकारी देश के संविधान का पालन करेंगे और वे जनता के अधिकारी है। वे उनकी रक्षा और सुरक्षा निश्चित करेंगे।

(2) पुलिस कानून के पालन करने की संस्था है। उसे किसी कानून के बारे में सोच विचार और विश्लेषण करने का अधिकार नहीं है। पुलिस का कार्य है कि कानून का पालन करें एवं निष्पक्षता और बिना डर के कानून का पालन करवाएं। उनमें किसी भी तरह की भेदभाव, रंजिश या बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पुलिस को राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो भी सत्ता पक्ष में सरकार हो उसी के अनुसार कार्य करना पुलिस का कर्तव्य है।

(3) पुलिस को अपने कर्तव्य एवं शक्तियों की सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें किसी को सजा देने या निर्णय करने का अधिकार नहीं है। यह जानते हुए कि वह व्यक्ति अपराधी है, उसे सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय को है पुलिस को नहीं।

(4) विधि का प्रवर्तन एवं शांति स्थापित करने के लिए पुलिस को चेतावनी देने समझाने और सलाह देने का भी अधिकार है। इनका असर ना होने पर बल का प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, जो की परिस्थिति के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(5) पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य अपराधो को रोकना और शांति स्थापित करना है। यदि यह दोनों ठीक है, तो पुलिस की कार्यदक्षता का सबूत है। इनकी रोकथाम के लिए कार्यवाही का केवल दिखावा करना कार्यदक्षता का सबूत नहीं है।

(6) पुलिस अधिकारियों को यह महसूस करना चाहिए कि वे जनता के सदस्य हैं। केवल फर्क यह है कि समाज के हितों के लिए और उनकी तरफ से उन्हें कर्तव्यों का पालन अधिक करना पड़ता है। पुलिस को कभी भी जनता से अलग नहीं समझना चाहिए।

(7) पुलिस को यह समझना चाहिए कि वह अपनी ड्यूटी बेहतर तभी कर सकते हैं, जब उन्हें जनता से सहयोग प्राप्त हो। यह इस बात पर निर्भर होता है कि पुलिस ने अपने चरित्र और कार्यवाही से जनता में कितना विश्वास उत्पन्न किया है। यह जितना ही अधिक होगा उतना ही जनता पर दबाव डालने और बल का प्रयोग करने के मौके कम आएंगे। यह ध्यान में रखा जाए की जनता के सहयोग के बिना पुलिस अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकती।

(8) जनता को नागरिकों के प्रति उदार एवं हमदर्दी का भाव रखना चाहिए और उनकी भलाई और कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पुलिस को जनता के प्रति अमीर-गरीब, उँचे-नीचे प्रत्येक वर्ग के लोगों के हित के लिए सेवा करने हाथ बढ़ाने और मदद करने के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए।

(9) पुलिस को अपना कर्तव्य अपने से आगे रखना चाहिए। उन्हें हर समय शांत, प्रसन्न, सचेत, उत्तेजना के मौकों पर हाजीर रहना चाहिए। दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान न्योछावर करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए।

(10) पुलिस को हर समय शिष्ट एवं सदाचारी व्यवहार करना चाहिए। वह ऐसे हो कि उन पर पर भरोसा किया जा सके एवं व्यक्तिगत रूप से स्वयं को किसी भी विवाद से दूर रखें। उन्हें अपना चरित्र ऊंचा रखना चाहिए एवं स्वाभिमानी होना चाहिए। इस ध्येय से पुलिस अधिकारियों को अपने निजी जीवन में खुद पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्हें मानसिक स्थिरता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यवादी एवं निष्ठावान होना चाहिए। यह मूल्य उनमें हो और जनता उन्हें एक आदर्श के रूप में देखें।

(11) पुलिस को यह महसूस करना चाहिए कि वह समय आने पर देश के लिए यह समय पूर्व उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन अवश्य करें, वे विभाग के प्रति वफादार रहें और हर समय किसी भी ड्यूटी के लिए तैयार रहें।

(12) धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र का सदस्य होने के नाते पुलिस को व्यक्तिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने का सदैव प्रयास करना चाहिए। धर्म, भाषा या क्षेत्रीय और जाति भिन्नता से हटकर भारत की सभी लोगों में मैत्रीभाव और सामान्य भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। समाज में नारी की प्रतिष्ठा और सम्मान और पिछड़े हुए वर्गों के प्रति अनादर की प्रथा को समाप्त करना चाहिए।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एवं यहां विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग, जातियां एवं समुदाय है जो दुनिया की किसी भी देश में नहीं है। इस देश का

नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यह अधिकार पुलिस को भी प्राप्त है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उन्हें यहां ध्यान रखना चाहिए कि कार्य करते समय हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई नहीं है ना ही किसी जाति विशेष के हैं। कार्य करते समय उनकी जाति पुलिस है एवं धर्म कर्तव्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. धारा - 23 भारतीय पुलिस अधिनियम 1861
2. खोसला आयोग रिपोर्ट 1968
3. भारतीय संविधान- 7वीअनुसूची।
4. भारतीय संविधान - डॉ. जे. एन. पाण्डे।

****

आमजन की पीड़ा की जानकार मन्नू भंडारी

डॉ. प्रभा शर्मा *

प्रस्तावना - नई कहानी के उत्तरार्द्ध को समृद्ध बनाने में जिन कथा लेखिकाओं ने काम किया है, मन्नू भंडारी का नाम उनमें प्रमुख है। वे अपनी तरह की अकेली, सामर्थ्यवान, संवेदनशील और गहरी सोच रखने वाली विलक्षण गुणों से संपन्न लेखिका हैं। मन्नू भंडारी ने आम आदमी की जिंदगी के अभावों, अभिशापों और सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। उन्होंने आम आदमी की वैयक्तिक संवेदनाएं, उनकी आंतरिक इच्छाएं, उनके विचार, उनकी सीमित जिंदगी का बिंबात्मक चित्रण करके अपनी सामाजिक दृष्टि का परिचय दिया है। मन्नू भंडारी की कहानियां जीवन की विषमताओं को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। भारतीय समाज के मध्यमवर्गीय परिवार और परिवेश की इनको गहरी समझ है। अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाली मध्यमवर्गीय नारी उनकी कहानियों के केंद्र में है। युगीन समाज के यथार्थ को चित्रित करने में उनकी कलम सिद्ध हुई है। उन्होंने जीवन के विविध प्रसंगों को चुनकर अपने अनुभवों को विकसित किया है। मन्नू जी ने भारतीय नारी, समाज, देश आदि समस्याओं को यथार्थ रूप में चित्रित करके अनेक ज्वलंत मानवीय प्रश्नों को उठाया है और सही दिशा में सोचने की बेचैनी पैदा की है। वास्तव में हिंदी साहित्य में उनका नाम एक ख्यातिलब्ध कहानीकार के रूप में ही गिना जाता है, लेकिन उनके दो मौलिक उपन्यास- आपका बंटी और महाभोज के कारण उन्हें प्रथम श्रेणी के उपन्यास कारों में गिना जाने लगा है।

मन्नू जी ने मध्यमवर्गीय मनुष्य की समूची संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए नारी जीवन की अनेक भीतरी परतों को खोला है। उन्होंने जीवन की विभिन्न स्थितियों को भिन्न-भिन्न कोणों से देखा है। अत: उनकी रचनाओं के संबंधों की विवशता, जीवन की विसंगतियां और अकेलापन गहरी संवेदना के साथ प्रकट हुआ है। नारी जीवन की पीड़ा, उसके अंतर्द्वन्द्व, घुटन, टूटन, रूढ़ियों के प्रति उसका विद्रोह, पुरुष निर्भरता, अतृप्त कामेच्छा के साथ दो पीढ़ियों के संघर्ष में पिसती नई पीढ़ी के तनाव को बहुत बारीकी से चित्रित किया है। अर्थाभाव से जूझता आम आदमी और टूटते स्वप्नों की मर्मांतक पीड़ा उनकी कहानियों में अत्यधिक मार्मिक रूप में उभरी है। उनके अधिकांश पात्र आर्थिक विषमताओं से जूझते नजर आते हैं। एक कलाकार आर्थिक विषमताओं के कारण कहीं अपने आप को मारकर अपने स्वप्नों को घर की दीवारों में ईंट पर ईंट रखकर चुनवाता है तो कहीं उसके सपने रेत की दीवार की भांति ढहते नजर आते हैं तो कहीं आर्थिक संघर्ष के कारण उसके यौवन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। वर्तमान समय की इन विकट समस्याओं से जूझते आमजन हमारी संवेदना को झकझोर देते हैं।

वर्तमान जीवन की यांत्रिकता और शहरीकरण में फंसा मानव आज अपने अस्तित्व को उपेक्षित पाता है और यह अपेक्षा उसे हताशा और निराशा के घेरे में डाल देती है। परंपरागत जड़ मान्यताओं और आधुनिकता के बीच फंसा भारतीय मानस अंतर्द्वन्द्व से ग्रसित है। पुरुष का अहम, उसकी शंकालु प्रवृत्ति नारी जीवन को तनाव में डाल रही है जिससे उसका जीवन संकट में पड़ गया है। मन्नू जी ने इन सभी विषयों पर लेखनी चलाई है। स्पष्ट है कि मन्नू जी ने समाज में जो देखा, परखा और भोगा है उसे ही अपने हृदय की संवेदनाओं के साथ जोड़ा है। इस संबंध में वे लिखती हैं कि **'कोई भी घटना, पात्र, स्थिति या आइडिया क्लिक करते ही डायरी के पन्नों के साथ-साथ मन के किसी पन्ने पर भी आंक जाता है।......जो समय के साथ-साथ भीतर उतरता चलता है और उसमें पता नहीं कौन-कौन से रसायन मिलते रहते हैं कि 'वह' धीरे-धीरे 'मैं' में तब्दील होने लगता है'**[1]

मध्यमवर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी के कारण टूटते मूल्यों का उदघोष **'क्षय'** कहानी में हुआ है। जहां पारिवारिक दबावों में सारे आदर्श खंडित हो रहे हैं और प्रतिपल एक जानलेवा आंतरिक घुटन से व्यक्ति संत्रस्त हो रहा है। एक तरफ पारिवारिक दायित्व और दूसरी तरफ व्यक्तिगत आदर्श। इन दोनों के बीच संघर्ष अनुभव करती हुई मध्यमवर्गीय नारी आखिरकार विवश होकर नैतिक ऊंचाई से गिर जाती है। ऐसा करना उसकी विवशता है। बाह्य संघर्ष व्यक्ति को उतना नहीं तोड़ पाता जितना कि आंतरिक संघर्ष तोड़ जाता है। कुंती आर्थिक संकटों से इतना नहीं टूटती जितना कि पापा के सिद्धांतों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पतन उसे तोड़ता है। ग्रहस्थी के बीच और स्वयं के कुंठित होते व्यक्तित्व से कुंती इतनी त्रस्त हो जाती है कि वह एक सीमा पर आकर अपने बीमार पिता के मर जाने की कामना को एक अच्छेपन के रूप में अनुभव करती है और बेसब्री से अपने छोटे भाई टुन्नी के आने की प्रतीक्षा करती है। वह मन ही मन सोचती है कि टुन्नी के आने पर वह उससे कहेगी **'टुन्नी ले अब तू संभाल। मैं नहीं जानती, तू छोटा है या बड़ा........ जो तेरी समझ में आए, कर। मैं कहीं जाती हूं। पापा का ठेका मैंने अकेले तो नहीं लिया। जब तक मुझ में दम रहा, मैंने संभाला....... अब एक दिन भी मुझसे नहीं संभलता........ और जब-जब उसने ऐसा सोचा वह घंटों रोई। पापा से वह क्या ऊब गई थी?....... क्यों जाने-अनजाने मनाने लगी थी कि या तो पापा अच्छे हो जाएं या फिर.......।'**[2]

'रेत की दीवार' में मध्यमवर्गीय परिवार की उन त्रासदियों को अभिव्यक्त किया गया जो अपने पुत्र को ऊंची शिक्षा दिलवाने में परिवार की हर सदस्य को झेलनी पड़ती है। परिवार की अत्यधिक आकांक्षाएं और वर्तमान व्यवस्था में व्याप्त अनेक विषमता, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और इन सब से जूझती हुई युवापीढ़ी की छटपटाहट, संत्रास और कुंठा का चित्रण **'रेत की दीवार'** कहानी में रवि के माध्यम से हुआ है। रवि की छोटी बहन चंदा 12वीं के बाद कॉलेज में पढ़ना चाहती थी लेकिन घर का खर्च, टोनी की

* सह आचार्य (हिन्दी) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

बीमारी और रवि की पढ़ाई इन सब में बाबूजी चंदा की पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार नहीं थे। रवि के चंदा से यह कहने पर कि तुम जिद करके कॉलेज में भर्ती क्यों नहीं हो हो गई? तो चंदा का उत्तार सुनकर वह आहत हो जाता है। चंदा कहती है कि **'किस बात की जिद करती? क्या मैं समझती नहीं? अम्मा बाबू का दम चलता तो ऐसे बिठाते मुझे घर? शाम का काम लिया और क्या करते बेचारे? कितना ही संभल कर चलती आखिर फीस, किताबें जुटाने जितना तो चाहिए ही था।'**[3]

'एक प्लेट सैलाब' कहानी में बढ़ते हुए यांत्रिकरण और शहरीकरण के फलस्वरुप बढ़ती कुंठा और विसंगति के सैलाब में फंसे व्यक्ति के असंतोष को मुखरित किया है। अलग-अलग दृश्यों को उभारकर लेखिका ने जड़ होती मानवीय संवेदना पर गहरा व्यंग्य किया है। बनावटी जीवन जीने वालों के लिए हृदय के संबंध कोई मायने नहीं रखते, उन्हें केवल झूठा दिखावा मात्र करते रहना है। महानगरीय माहौल में ऐसी संस्कृति का पनपना स्वभाविक ही नहीं अपितु अपरिहार्य हो गया है। आज एक युवक के साथ गेलार्ड में बैठी युवती कल किसी और के साथ घूम रही थी। इसके बारे में युवक द्वारा पूछे जाने पर वह उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है और युवक से कहती है-**'यह दिन तो हंसने-खेलने के हैं, हर चीज को हल्के-फुल्के ढंग से लेने के लिए। गंभीरता तो बुढ़ापे की निशानी है।'**[4]

वर्तमान युग में यांत्रिकरण के कारण उष्मा के अभाव में मानव का जीवन यंत्रवत हो गया है। उसे अपना जीवन उपेक्षित लगता है। वर्तमान युग के इस संत्रास को मन्नू जी ने अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। मन्नू जी की **'एक प्लेट सैलाब'** इस दृष्टि से विशिष्ट कहानी है इस कहानी का प्रमुख स्वर व्यक्ति के अस्तित्व के प्रश्न को उठाना है। जो भी विसंगति का सैलाब हर दूसरे-तीसरे महानगर में व्याप्त हो चुका है और महानगर का प्रत्येक पात्र अपने में विसंगति के तात्कालिक परिवेश में विसंगत जीवन जी रहा है। अपने ही जीवन में यथार्थ की भयंकर प्रवंचना में सांस लेता है। वह चाहे फिर **'एक प्लेट सैलाब'** की एयर कंडीशन चेंबरों से थककर गेलार्ड में मन बहलाने के लिए आ बैठे पुरुष औरतें हों या गहरे मेकअप लिए डायस पर नाच गा रही लड़की हो, दुबली गोरी युवती के साथ बैठा युवक हो या फिर **'सारी जिंदगी पॉलिटिकल सफर की तरह गुजार दी।'**[5] कहकर बेटों को राजनीति में झोंककर स्वयं अब बिजनेस संभालने वाला तथाकथित देशभक्त हो। यह सब जीवन के यथार्थ से अभिशप्त और भयंकर प्रवंचना में सांस लेते हुए व्यक्ति हैं जिनका सुख-दुख, यातना और पीड़ा सार्वदेशिक है।

मन्नू जी ने उस दौर में जो विषय उठाए थे, वह आज के दौर में अधिाक प्रासंगिक हो उठे हैं। कामकाजी महिलाओं के जीवन और उनकी परिस्थितियों को लेकर उन्होंने उस जमाने में लिखा था। जब यह इतना बड़ा विषय नहीं था लेकिन आज यह बहुत बड़ा मसला है। कामकाजी महिलाओं के जीवन प्रसंगों को लेकर उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। मन्नू जी का शिल्प बहुत सादा है, लेकिन उनके कथ्य और अपने परिवेश पर पकड़ उन्हें आज भी पुरातन नहीं होने देती है। ऐसा लगता है कि उनकी कहानियों में भविष्य की स्त्रियों के जीवन की आरंभिक झलकियां दिखाई देती हैं। उनकी कहानियों के कथ्य बहुत प्रमाणिक हैं और उनकी सादगी सहज ही पाठकों को अपनी ओर खींच लेती है। उन्होंने उस जमाने में **'अकेली'** और **'मजबूर'** जैसी कहानियां लिखी थी जिनमें बूढ़ी स्त्रियों के अकेलेपन को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। सोमा बुआ बूढ़ी है और अकेली हैं। उनका जवान पुत्र की मृत्यु हो गई है। उनका पति पुत्र वियोग में सब कुछ त्याग कर तीरथवासी हो जाते हैं। वह अकेली रह जाती हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सारी बिरादरी को ही अपना परिवार मानती है। जहां कहीं कोई मांगलिक प्रसंग हो तो बुआ पहुंच जाती है और खूब मन लगाकर काम करती हैं। सोमा बुआ के सन्यासी पति साल में एक महीने के लिए घर आते हैं पर उनकी प्रतीक्षा बुआ ने नहीं की क्योंकि **'पति के स्नेह हीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती धारा को कुंठित कर देता।'**[6] सोनाबुआ पति और बिरादरी द्वारा उपेक्षित होकर अकेलेपन की यातना भोग रही है जबकि **'मजबूरी'** कहानी की अम्मा पति, बेटा-बहू, तथा पोते के होते हुए भी अकेली है। उनकी मजबूरी यह है कि वह चाहकर भी अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर सकतीं। अम्मा का पति वैद्य है। वह दिनभर औषधालय में रहते हैं। बेटा-बहू और पोता मुंबई में रहते हैं। अम्मा का सबसे बड़ा दुख है कि उनके पति उनके अस्तित्व से बेखबर हैं। सारा दिन अम्मा के लिए घर पर रहती हैं। अम्मा बेटा और बहू के घर आने की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं, उनकी खुशियां तब चरम पर पहुंच जाती हैं जब बहू उनके पोते बिट्टू को उनके पास छोड़कर जाने की बात कहती है। पोते के पास रहने की कल्पना ही उन्हें रोमांचित कर देती है। वे बहू से कहती हैं-**'तुम क्या जानो बहू। कलेजे को निकालकर मुंबई भेज दिया। रामेसुर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है।'**[7]

'मैं हार गई' कहानी में वर्तमान राजनीति के संदर्भ में आम आदमी के संत्रास का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कहानी में व्यंग्य के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं की कलुषित राजनीति को उद्घाटित किया है।लेखिका कहना चाहती है कि आज के माहौल में हम आदर्श समाजसेवी, देशप्रेमी नेता की कल्पना करने के प्रयास में हार ही पाते हैं। कहानी की **'मैं'** चूंकि बड़े नेता की पुत्री है, जो कवि सम्मेलन में एक कवि की कविता सुनकर भड़क उठती है। कविता में पहले अभिनेत्री की तस्वीर को चूमने वाला, बाद में शराब पीने वाला और तत्पश्चात बड़ी गंभीरता से 'गीता' को बगल में दबाकर बाहर निकलने वाले बेटे की भविष्यवाणी करते हैं-**'यह साला तो आजकल का नेता बनेगा।'**[8]

मन्नू जी ने अपनी कहानियों में परंपरागत संयुक्त परिवार की मान्यताओं एवं गलत धारणाओं के कारण नई पीढ़ी के टूटते सपनों को स्वर दिया है। **'छत बनाने वाले'** कहानी में ताऊ, ताऊ जी के दो बेटे, बहुएं, पत्नी सब ताऊ जी के इशारे पर यंत्रचालित जीवन व्यतीत करते हैं। उनका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं अस्तित्व ही नहीं है। ताऊजी की लड़की तेरह-चौदह साल की है। उसे आठवीं तक पढ़ा कर घर का कामकाज सिखाया जाता है। अगले साल उसकी शादी कर देनी है। शरद से ताऊ जी ने हीरा की शादी के बारे में पूछा-**'हीरा को क्यों कुँवारा बिठा रखा है? छब्बीस की तो होगी? .... हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि रामेश्वर ने यह सारे घर का सिलसिला क्यों बिगाड़ रखा है....... कच्ची उम्र में बच्चों का भविष्य उनके हाथ में छोड़ देने से तो ऐसा ही होता है।'**[9]

संयुक्त परिवार की मर्यादा, धारणा कितनी स्वार्थमूलक, कितनी भयंकर, कितनी झूठी है और इस चंगुल में छटपटाती खुले आकाश की खोज में रत नई चेतना का गला कैसे घोंटा जाता है। इसका चित्रण मन्नू जी ने **'आकाश के मायने में'** कहानी में बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है। सुषमा पिछले तीन साल से नौकरी के साथ घर का सारा खर्च चलाती है। अपने परिवार के लिए हाड़-तोड़ मेहनत कर रही है लेकिन उसके परिवार के लोग उसके भविष्य के बारे में तनिक भी नहीं सोचते। छोटी बहन के बारे में सब सोचते हैं। सुषमा की खुशी में साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वह घर के लोगों का स्वार्थी स्वभाव जानती है। उसे लगता है कि घर के लोग सोचते हैं

कि–**'मैं बहुत सुंदर हूँ। पढ़ी–लिखी तो हूँ ही, सो यह सोचते हैं कि इस आधार पर तो ये मुझे बड़ी आसानी से किसी सम्पन्न परिवार में ब्याह सकते हैं। ऐसे परिवार में जहाँ जाकर मैं छोटी बहन का बोझ अपने ऊपर ले सकूँ।'**[10] बुद्धिजीवी और आधुनिक कहे जाने वाले माता–पिता अपनी किशोरी पुत्री को आधुनिकता के नाम पर स्वयं का बड़प्पन बनाए रखने के लिए पुरुष मित्रों के साथ घुलने–मिलने की स्वतंत्रता तो देते हैं लेकिन समय–समय पर किस प्रकार उनकी आधुनिकता भरभराती रहती है एवं किशोर पुत्री किस प्रकार अपने माता–पिता के आधुनिक और परंपरागत जीवन मूल्यों की टकराहत से जूझती त्रिशंकु–सी असहाय हो जाती है। इसी कथ्य को केंद्र में रखकर **'त्रिशंकु'** कहानी लिखी गई है। मम्मी से विद्रोह करना तनु को अत्यंत दुष्कर लगता है। वह सोचती है कि–**'नाना पूरी तरह नाना थे शत–प्रतिशत और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए जो एक पल नाना होकर जीती हैं और एक पल मम्मी होकर।'**[11]

मन्नू भंडारी अपने युग की जागरूक और प्रतिभासंपन्न लेखिका हैं। उन्होंने इस धारणा को तोड़ा है कि महिलाएं या तो घर–परिवार के बारे में लिखती हैं या अपनी भावनाओं की दुनिया में ही जीती–मरती हैं। परंतु मन्नू जी की कथा–साहित्य में राजनीतिक चेतना का भी पूर्ण विकास दिखायी पड़ता है। हिंदी में बहुत कम उपन्यास ऐसे हैं जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान व्यवस्था एवं समाज का नग्न ढांचा प्रस्तुत करते हों। इस संदर्भ में **'महाभोज'** उपन्यास ना केवल मन्नू जी को साहित्य जगत में बहुचर्चित स्थान दिलवा देता है अपितु उनके इस स्पृहणीय व्यक्तित्व को भी उजागर करता है। जिसमें नग्न सत्य कहने का साहस है, स्थित तटस्थता है, विकृत राजनैतिक–सामाजिक मूल्यों को पहचानने की क्षमता एवं समस्त तत्कालीन घटनाचक्र को परखने की अंतरभेदी दृष्टि है। इस उपन्यास में लेखिका ने राजनीति को सत्ता–विलास, अर्थ–प्राप्ति का अखाड़ा मानने वाले मंत्रियों को पूरा नग्न करके जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इन स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, पदलोलुप, अर्थतृषित, दमनकारी बर्बर मंत्रियों के लिए कौन–सी सजा कायम की जाए, इस बात की ओर संकेत किया है। **'महाभोज'** की रचना के बारे में मनु जी लिखती हैं–**'अपने व्यक्तिगत दुखदर्द, अंतर्द्वन्द्व या आंतरिक 'नाटक' को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर्जगत में बने रहना या इसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रसांगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अशलील नहीं लगने लगता? संभवत है इस उपन्यास (महाभोज) की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा है। इसे मैं अपने व्यक्तिगत और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण–शोधा के रूप में देखती हूँ।'**[12] डॉक्टर साहब गरीबों को आर्थिक सहायता देकर चुनाव जीतना चाहते हैं मगर लोगों के सामने इस बात की भनक भी नहीं लगने देते। वे गांव वालों से कहते हैं–**'घरेलू उद्योग की इस योजना से उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसों से दूर होने लगेगा इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से।'**[13]

मन्नू जी का कथा साहित्य अधिकांशत: नारी केंद्रित है। उन्होंने स्वयं कहा है–**'मैंने जहाँ अपने आप को व्यक्त करना चाहा वहां नारी का ही आधार लिया है।'** जिस नारी जीवन को उन्होंने स्वयं जिया, भोगा, निकट से जाना एवं अनुभव किया उसे ही अपनी कथापात्रों के माध्यम से प्रकट किया है। उनकी कहानियों में नारी के विभिन्न रूप बिखरे पड़े हैं, कहीं प्रेम की कोमल संवेदना और जीवन के कटु यथार्थ से उत्पन्न टूटन का अनुभव उनकी नारी करती है तो कहीं दांपत्य–जीवन की कड़वाहट के कारण टूटती–बिखरती है।वर्तमान में दांपत्य–जीवन की टूटन का एक बहुत बड़ा कारण पति–पत्नी के अहम की टकराहट है। आज तक पुरुष ने अपने अहम को पाल–पोस कर बड़ा किया था पर आज की शिक्षित, आत्मनिर्भर आधुनिक नारी पुरुष की भाँति अपने अहम को पाल–पोस रही है। जहाँ वह पहले अपने स्वत्व की हत्या करके विपरीत परिस्थितियों से समझौता करती थी, वहीं आज परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहती है। पत्नी का यह नया रूप सहने की क्षमता आज भी पुरुषों में नहीं आ पाई है। अतएव दोनों के अहम की टकराहट के कारण दांपत्य जीवन में तनाव पैदा होता है और अंततोगत्वा संबंध विच्छेद हो जाता है। किंतु पत्नी और मां दोनों रूप से जुड़ी हुई नारी अगर मातृत्व की अपेक्षा करके अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचती है तो उसका मातृत्व प्रश्नवाचक बनकर उसे मथता है और जब उस का मातृत्व पक्ष प्रबल होता है तो उसका अतृप्त–उपेक्षित व्यक्ति पक्ष प्रश्नवाचक बनकर उसे मथता है। वस्तुत: अहम की टकराहट का खामियाजा नारी को ही भुगतना पड़ता है। मातृत्व और व्यक्तित्व का यह द्वन्द्व उससे उत्पन्न पीड़ा ही **'आपका बंटी'** उपन्यास की नायिका शकुन की जीवन गाथा है।

इस द्वन्द्व में वह ना तो पूरी तरह व्यक्ति (शकुन) बन पाती है और ना पूरी तरह माँ ही। शकुन आधुनिक नारी है। वह बच्चे के लिए अपने वर्तमान को नहीं बिगाड़ना चाहती। इस संदर्भ में मन्नू जी ने **'जन्मपत्री बंटी की'** में लिखा है–**'शकुन चक्की पीस–पीसकर बेटे का जीवन बनाने में अपने आपको स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधानों से तृप्त माँ थी।'**[14] बंटी के एक होनहार बालक से असहज व्यक्तित्व बनने में उसके माता–पिता जिम्मेदार हैं। अजय और शकुन चाहते तो बंटी की जिंदगी को संवार सकते थे लेकिन वे दोनों तो अलग हो गए पर बंटी क्या करें? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है।

निष्कर्षत: साठोत्तरी महिला उपन्यास लेखिकाओं में मन्नू जी का महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु कहानीकार के रूप में मन्नू जी को पहले प्रतिष्ठा मिली है। साहित्य की विविध विधाओं कहानी, उपन्यास, नाटक तथा बाल–साहित्य आदि पर समान रूप से लेखनी चलाई और साहित्य के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा, वेदना, कुंठा, घुटन, संत्रास, पराजय आदि की अभिव्यक्ति प्रदान की है। मन्नू जी के लेखकीय व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अजीत कुमार ने लिखा है–**'मन्नू जी का लेखकीय व्यक्तित्व किसी विधा में सिमटने–सिकुड़ने, गहरने के स्थान पर विस्तृत–व्यापक होता रहा है। उसके आयाम खुलते जा रहे हैं।'** उन्होंने परिवेश से जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई। समय–समय पर मन्नू जी ने उनके गणनीय कृतियों की रचना की है लेकिन इनकी सब कृतियों में से **'आपका बंटी'** उपन्यास बहुत ही चर्चित रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भूमिका – मन्नू भंडारी, नायक खलनायक विदूषक, पृष्ठ 5–6
2. क्षय – मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियाँ, पृष्ठ 60
3. रेत की दीवार – मन्नू भंडारी, नायक खलनायक विदूषक, पृष्ठ 380
4. एक प्लेट सैलाब – मन्नू भंडारी, नायक खलनायक विदूषक, पृष्ठ 301
5. एक प्लेट सैलाब – मन्नू भंडारी, नायक खलनायक विदूषक, पृष्ठ 305
6. अकेली – मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियाँ, पृष्ठ 15
7. मजबूरी – मन्नू भंडारी, नायक खलनायक विदूषक, पृष्ठ 165

8. मैं हार गई – मन्नू भंडारी, नायक खलनायक विदूषक, पृष्ठ 21
9. छत बनाने वाले – मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियाँ, पृष्ठ 71
10. आकाश के आईने में – मन्नू भंडारी, नायक खलनायक विदूषक, पृष्ठ 397
11. त्रिशंकु – मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियाँ, पृष्ठ 155
12. महाभोज – मन्नू भंडारी, पृष्ठ 6
13. महाभोज – मन्नू भंडारी, पृष्ठ 66
14. आपका बंटी – 'जन्मपत्री बंटी की', मन्नू भंडारी, पृष्ठ 3

****

भारतीय परिप्रेक्ष्य में आदिवासी कला

मीना बरतिया *

प्रस्तावना – भारतवर्ष में पृथ्वी को धरती माता कहा गया है। मातृभूति तो इसका सांस्कृतिक व परिष्कृत रूप है। इसी धरती माता का श्रद्धा से अलंकरण करके लोकमानव में अपनी आत्मीयता का परिचय दिया। भारतीय संस्कृति में धरती को विभिन्न नामों से अलंकृत किया जाता है। गुजरात में 'साथिया' राजस्थान में 'माण्डना', महाराष्ट्र में 'रंगोली' उत्तर प्रदेश में 'चौक पूरना', बिहार में 'अहपन', बंगाल में 'अल्पना' और गढ़वाल में 'आपना' के नाम से प्रसिद्ध है। यह कला धर्मानुप्रागित भावों से प्रेषित होती हैय जिसमें श्रद्धा से रचना की जाती है। विवाह और शुभ अवसरों में लोककला का विशिष्ट स्थान है। द्वारों पर अलंकृत घड़ों का रखना, उसमें जल व नारियल रखना, वन्दनवार बांधना आदि को आज के आधुनिक युग में भी इसे आदरभाव, श्रद्धा और उपासना की दृष्टि से देखा जाता है।

हमारी संस्कृति के इन तत्त्वों को प्राचीन काल से लेकर आज तक की कलाओं में देखा जा सकता है। इन्हीं ललित कलाओं ने हमारी संस्कृति को सत्य, शिव, सौन्दर्य जैसे अनेक सकारात्मक पक्षों को चित्रित किया है। इन कलाओं के माध्यम से ही हमारा लोकजीवन, लोकमानस तथा जीवन का आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष अभिव्यक्त होता रहा है, हमें अपनी इस परम्परा से कटना नहीं है अपितु अपनी परम्परा से ही रस लेकर आधुनिकता को चित्रित करना है।

श्रठ्य, अहिंसा, करुणा, समन्वय और सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति के ऐसे तत्त्व हैं, जिन्होंने अनेक बाधाओं के बीच भी हमारी संस्कृति की निरन्तरता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इन विशेषताओं ने हमारी संस्कृति में वह शक्ति उत्पन्न की है कि वह भारत के बाहर एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़े फैला सके।

भारत की चित्रकला सभ्यता के विकास के साथ परिस्थितियाँ बदलती गई। भारत धर्म और आध्यात्म की ओर आकृष्ट हुआ। यहाँ बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक भावों को प्रधानता दी गई। इसलिए भारत की चित्रकला में भाव-भंगिमा मुद्रा तथा अंगप्रत्यंगों के आकर्षण के अंदर से भावपक्ष अधिक स्पष्ट उभरकर सामने आया। कालांतर में राजनीतिक कारणों से भारत की चित्रकला पर ग्रीक कला का प्रभाव पड़ा। फिर आया भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। इस युग की चित्रकला की सर्वोत्तम कृतियाँ हैं- अजंता के चित्र देवी-देवताओं की मूर्तियाँ आदि जिनको देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस्लाम धर्म चित्रकला के प्रति उदासीन ही नहीं वरन् वर्जना-भाववाला रहा है। इसलिए मुस्लिम शासन के आरंभिक काल में भारतीय चित्रकला का विकास रुक सा गया। किंतु अकबर के समय में इसमें परिवर्तन हुआ। धर्मग्रंथों के अलंकरण के रूप में चित्रकला फिर पनपने लगी। साथ ही फ़ारसी शैली का भी उस पर प्रभाव पड़ा। मुग़ल शासन के अवसान के बाद यह चित्रकला देशी राज्यों तक सीमित रह गई। इसी बीच राजस्थानी शैली कांगड़ा या पहाड़ी शैली के चित्र बने। आज भारतीय कला के क्षेत्र में आदिवासी कला का भी लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है ।

सन् 1980 के आस-पास भारत भवन के निर्माण की परिकल्पना चल रही थी। तब यह अनुमान लगा पाना मुश्किल था कि आनेवाले दिनों में आदिवासी चित्रकला समकालीन भारतीय चित्रकला को अपनी आद्य शैली और भाव-भंगिमाओं से समृद्ध करनेवाली है। यद्यपि इससे बहुत पहले महाराष्ट्र के जीव सोमा माशे वारली आदिवासी समुदाय की वारली चित्रकला को स्थापित कर चुके थे। भोपाल में निर्मित भारत भवन का उद्घाटन 1982 ई में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था।उस समय भारत भवन के रूपंकर (ललित कला संभाग के निदेशक थे मशहूर चित्रकार कवि और कला समीक्षक जगदीश स्वामीनाथन। आदिवासी कला की समकालीनता पर विचार करते वक्त भारत भवन और जगदीश स्वामीनाथन का उल्लेख स्वाभाविक है। जब भारत भवन का निर्माण कार्य चल रहा था तो वहां आदिवासी मजदूर भी जाते थे। उन्हीं में से एक थीं भूरी बाई। भारत भवन के निदेशक जगदीश स्वामीनाथन ने भूरी बाई और उनके साथ काम करनेवाली महिलाओं से कहा कि वे जैसे अपने घर की दीवारों पर चित्र बनाती हैं वैसा ही चित्र कागज पर बना कर दिखायें। भूरी बाई को छोड़कर दूसरी महिलाएं तैयार नहीं हुईं। भूरी बाई ने चित्रों को कागज पर उकेरना शुरू कर दिया। यह समकालीन भारतीय चित्रकला की अभूतपूर्व घटना थी। माना जाता है कि भूरी बाई भील चित्रकला (पिथौरा कला को कागज और कैनवास पर उकेरने वाली इतिहास की पहली व्यक्ति हैं। उन्होंने आद्य शैली और भंगिमाओं से भारतीय कला का संवर्धन किया। कुछ दिन पहले ही महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। यह आदिवासी कला के देय का सम्मान है। जगदीश स्वामीनाथन ने गोंड चित्रकला के सबसे लोकप्रिय कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम की भी खोज की। भारत भवन में रूपंकर के प्रथम निदेशक रहते हुए उन्होंने समकालीन कला कृतियों के अलावा लोक आदिवासी कलाओं की विशिष्ट प्रदर्शनी को स्थापित किया। जीव सोमा माशे भूरी बाई और जनगढ़ सिंह श्याम आदिवासी चित्रकला के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आदिवासी कला को समकालीन बनाया। आदिवासी समाज की कला की अभिव्यक्ति को पारंपरिक माध्यमों से बाहर निकाल कर उन्होंने कागज और कैनवास तक पहुंचाया। उन्होंने कथाओं गीतों स्मृतियों में मौजूद आदिवासी जीवन को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। जीव सोमा की वारली पेंटिंग्स में सहज ही आदिवासी जीवन के दर्शन को देखा जा सकता है। उनके चित्र ही इस सामंती मिथ को तोड़ने के लिए काफी हैं कि आदिवासी समाज की कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें कथित

* मकान नंबर 434, केशवपुरा सेक्टर-4, रंगबाड़ी रोड, कोटा (राज.) भारत

सभ्य लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जनगढ़ सिंह श्याम ने गोंड आदिवासी समाज की गीति परंपरा में मौजूद कथाओं से पात्रों और रंगों को खोज निकाला। इनके चित्रों में आनेवाले पेड़, पहाड़ और जीवचर आदिवासी जीवन के मिथकीय चरित्र हैं। विशाल नाग के फन पर उगा विशाल वृक्ष हो या केकड़े के शरीर पर हाथी का सिर हो या उलटा लटका बाघ हो आदि सभी आदिवासी दुनिया के मिथकों को सामने लाते हैं। ये पुराने आवरण में नहीं आते बल्कि जिन रंगों में ये प्रस्तुत किये जाते हैं वे नये अर्थों को सृजित करतें हैं। इसी तरह भूरी बाई की कलाओं को भी देखाजा सकता है। भूरी बाई के चित्रों में आने वाले मिथकीय चरित्र या देवता अनादि काल से इस प्रकृति का संरक्षण करते हुए दिखायी देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज भी मनुष्यों से संवाद कर रहे हैं और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। चित्रों में डॉट या बिंदी का प्रयोग उनके चित्रों की खास शैली है। वे विभिन्न रंगों के डॉट या बिंदी से जो चित्र बनाती हैं वही उनके चित्रों को जीवंत बनाता है। उनके चित्रों में औद्योगिक जीवन और आदिवासी जीवन के संक्रमण का सजीव रेखांकन है।

आदिवासी कलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये औपनिवेशिक विचारों और प्रभावों से मुक्त होती हैं। कथित आधुनिकता के नाम पर ये औपनिवेशिकता की अनुचर नहीं हैं बल्कि इनकी मौलिकता ही देशज आधुनिकता की प्रस्तावक हैं। आदिवासी कलाओं की शैली प्राचीन हैं। ये शैलचित्रों की शैली हैं। जो गुफाओं से या खुदाई में प्राप्त हुई हैं। ये पुरा– पाषाण कालीन हैं। भीम बेटका और सिंधु घाटी में प्राप्त चित्रों की शैली से इनकी समानता है। वारली चित्रकला हो या गोंड चित्रकला या भीली आदि कलाओं में इस शैली का विस्तार है। झारखंड की जादू–पाटिया और सोहराई कला में भी इस शैली का विस्तार और उसका परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। ये मानव सभ्यता की आद्य शैलियां हैं। आदिवासी कलाओं में इन शैलियों का अनुकरण मात्र नहीं है।

पहले जीव सोमा राष्ट्रपति द्धारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किये गये और अब भूरी बाई पद्मश्री सम्मान से सम्मानित की गयी हैं। यह गौरव का क्षण है। औपनिवेशिक और अभिजन कला–दृष्टि से संघर्ष भी आदिवासी कलाकार का संघर्ष होता है। इसके लिए एक स्वामीनाथन और एक रूपंकर के साथ की जरूरत महसूस होती है।

आदिवासी कलाओं की शैली प्राचीन हैं। ये शैलचित्रों की शैली हैं। जो गुफाओं से या खुदाई में प्राप्त हुई हैं। ये पुरा– पाषाण कालीन हैं। आदिवासी कलाओं ने इन शैलियों में समकालीन जीवन को चित्रित किया है और यही प्रवृत्ति उनकी कला को समकालीन बनाती है। यद्यपि इस दिशा में अभी और रचनात्मक प्रयोग करना बाकी है। भारतीय कला की आद्य शैलियां संस्थागत प्रयास और वैचारिक सहयोग की अपेक्षा करती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:–

1. आदिवासी चिंतन की भूमिका– गंगासहाय मीणा
2. आदिवासी विमर्श– डॉ. रमेशचन्द्र मीणा
3. आदिवासी दर्शन व समाज – हरिराम मीणा
4. भूरीबाई रूपकथा की आत्मकथा – अखिलेश
5. आदिवासी चित्रकला– अंकिता सिंह

****

स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का अध्ययन- छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

नीरज सोनी* डॉ. डी. बी. कोष्टा**

शोध सारांश – देश की बढ़ती बेरोजगारी से आज का युवा भली-भांति परिचित है। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा अधिक महंगी होती जा रही है जबकि निजी क्षेत्र में वेतन बहुत कम है। रोजगार पाने की होड़ बढ़ती जा रही है। योग्यता और रोजगार के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा से युवा परेशान और निराश हैं। उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वरोजगार में अभी भी उन उत्साही, संघर्षशील और मेहनती युवाओं के लिए एक विकल्प खुला है जो या तो नौकरी में रुचि नहीं रखते हैं या इस प्रतिस्पर्धी युग में खुद को बेहतर साबित करना चाहते है। इसमें आपको नौकरी की तलाश में भटकना भी नहीं पड़ता बल्कि आप खुद अपने कार्य के मालिक होते है। समय की मांग है कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसमें उनका ही नहीं देश का हित भी शामिल है।

प्रस्तावना – आजादी के बाद हमारा देश जिन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है, उनमें से एक है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, वास्तव में यह एक ऐसी समस्या है जिसने अपने साथ-साथ कई समस्याओं को जन्म दिया है, उदाहरण के लिए- आतंकवाद, भ्रष्ट आचरण, असामाजिक गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विशेष परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में विभिन्न शोध कार्यों और मंचों पर चर्चाओं की रिपोर्ट का एक ही मत है कि रोजगार प्रदान करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। नौकरियों की अपनी सीमाएँ होती हैं और इसका दायरा संकुचित होता जा रहा है, इसलिए समस्या के पर्याप्त समाधान के लिए 'स्व-रोजगार' को बढ़ाना आवश्यक समझा जाता है। उदारीकरण के वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में बढ़ती बेरोजगारी दर के कारण युवाओं में अविश्वास और हीन भावना पैदा हो रही है क्योंकि वे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। खुद का व्यवसाय और उद्योग इस समस्या को दूर करने का एक सफल प्रयास है। स्वयं को स्थापित करने के लिए किया गया प्रयास 'स्वरोजगार' की श्रेणी में आता है। स्वरोजगार एक निश्चित गतिविधि है जो न केवल एक व्यक्ति को विकसित करती है बल्कि समाज को निश्चित लाभ प्रदान करती है क्योंकि यह युवाओं में बेरोजगारी की समस्या का एक सरल समाधान प्रदान करती है। स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति स्वयं के अलावा दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है।

स्वरोजगार का परिचय – जीवन के लिए पैसा कमाना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए लोग कड़ी मेहनत, श्रम, नौकरी और पेशा आदि करते हैं। लेकिन अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना, उसका प्रबंधन करना और उसे पूरे दिमाग से सफलतापूर्वक संचालित करना और लाभ और हानि को साझा करना स्वरोजगार कहलाता है। अर्थात स्वयं का कार्य करके धन कमाना स्वरोजगार कहलाता है।

स्वरोजगार योजनाएं – स्वरोजगार योजनायें ऐसे कार्यक्रम है जिनका उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिनका मकसद लोगों को कई तरह के फायदे पहुंचाना है। स्वरोजगार योजनायें भी इसी तरह की है। स्वरोजगार योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराना, उन्हें इतना काबिल बनाना है कि वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें।

केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न स्वोजगार योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में प्रारंभ की गई है। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 2008 में शुरू किया गया एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 01 अगस्त 2014 (16 नवंबर 2017 को संशोधित) को प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए उद्योग (विनिर्माण) /सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थी को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है।

जिला उद्योग केन्द्र का परिचय – जिला उद्योग केंद्र एक जिला स्तरीय संगठन है जो उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए अपने जिले की सभी छोटी इकाइयों और साहसी लोगों को आवश्यक सुविधाएं, संसाधन और सहायता प्रदान करता है। इन सुविधाओं में वित्त और ऋण, कच्चा माल, लाइसेंस अनुमोदन, संयंत्र और मशीनरी, तकनीकी परामर्श, पक्के माल का विपणन, विभिन्न सरकारी रियायतें आदि की सुविधाएं शामिल हैं। एक ही छत के नीचे इन सभी सुविधाओं की उपलब्धता के कारण इसे वन विंडो कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है।

छिंदवाड़ा जिले का परिचय – छिंदवाड़ा जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह 21.28 से 22.49 डिग्री उत्तर (देशांतर) एवं 78.40 से 79.24 डिग्री पूर्व

* शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** वरिष्ठ सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) गोविन्दराम सेकसरिया अर्थ-वाणिज्य (स्वशासी) महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

(अक्षांश) तथा 11,815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जिला दक्षिण में नागपुर जिले के मैदानों (महाराष्ट्र राज्य में), उत्तर में होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर, पश्चिम में बैतूल और पूर्व में सिवनी जिले से घिरा है।

छिंदवाड़ा जिला मधय प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल (11,815 वर्ग किमी) में पहला स्थान रखता है जो राज्य के क्षेत्रफल का 3.85 प्रतिशत है। जिला छिंदवाड़ा को 13 तहसीलों एवं 11 विकास खंड में विभाजित किया गया है। 2015 में छिंदवाड़ा जिले को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। यहां 7 नगर पालिकाएं एवं 9 नगर पंचायतें हैं।

जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पातालकोट, तामिया, जनजातीय संग्रहालय, छोटा महादेव गुफाएं, देवगढ़ किला, नागद्वारी, अनहोनी में गर्म पानी का तालाब, राधादेवी गुफाएं और जाम सांवली मंदिर (सौंसर के पास) शामिल हैं।

जिले में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है, जिसमें गोंड, परधान, भारिया और कोरकू जनजाति शामिल हैं। छिंदवाड़ा जिले में मुख्य रूप से कोयला, तांबा, मैंगनीज, डोलोमाइट, फायरक्ले, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा एक प्रमुख तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन – शोध अंतराल का पता लगाने के लिए संबंधित साहित्य की समीक्षा की गई है जिसमें विभिन्न शोधार्थियों, लेखकों और विद्वानों आदि के अध्ययनों की समीक्षा की गई है जिससे पता चलता है कि जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका पर आधारित विभिन्न अध्ययन भारत के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न जिलों के संदर्भ में हुए हैं। स्वरोजगार योजनाओं के संबंध में भी कुछ अध्ययन हुए हैं लेकिन स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका पर अध्ययन की संख्या बहुत ही कम है। अर्थात स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका पर आधारित अध्ययन अभी तक मध्यप्रदेश में बहुत ही कम हुए हैं। प्रस्तुत अध्ययन इस शोध अंतराल को कम करने के लिए किया गया एक प्रयास है।

शोध प्रविधि – जिला उद्योग केन्द्र तथा स्वरोजगार योजनाओं के विभिन्न पहलुओं ने शोधकर्ता को एक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसका शीर्षक 'स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का अध्ययन- छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में' है।

शोध प्रबंध की केंद्रीय शोध समस्या यह जांचना है कि जिला उद्योग केन्द्र स्वरोजगार योजनाओं में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ? जिसका विवरण इस प्रकार है-

अध्ययन का महत्व – प्रस्तुत शोध कार्य के विस्तृत, तथ्यात्मक व गुणात्मक अध्ययन व परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षो से ग्रामीण विकास की स्थिति तथा जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास की मौलिक जानकारी प्राप्त होगी, जिसके आधार पर जिले में इन स्वरोजगार योजनाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। शोध निष्कर्ष के परिपालन द्वारा छिंदवाड़ा जिले के अविकसित क्षेत्रों का विकास करने में मदद मिलेगी। क्षेत्रवासियों एवं आम नागरिकों को इन स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति के साथ जिले के विकास की जानकारी भी प्राप्त होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने हेतु शोधकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों से नीति निर्धारकों को दिशा प्राप्त होगी।

शोध की प्रकृति – यह अध्ययन मात्रात्मक प्रकार के शोध पर आधारित है। यह एक नमूने से शोध क्षेत्र की पूरी आबादी के लिये परिणामों के सामान्यीकरण और उत्तरदाताओं से प्राप्त विभिन्न विचारों और घटनाओं से संबंधित विभिन्न राय की माप की अनुमति देता है।

प्रस्तुत शोध वर्णात्मक और अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन पर आधारित है। इस शोध में स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए हितग्राहियों ने भाग लिया है और उनकी प्रतिक्रियाओं का तदनुसार वर्णन किया गया है।

शोध के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध कार्य 'स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन' (छिंदवाड़ा एवं नागपुर जिले के विशेष संदर्भ में) की प्रकृति वर्णात्मक एवं अन्वेषणात्मक दोनों ही हैं अत: शोध के उद्देश्य भी उसी के अनुरूप हैं। शोध कार्य के विभिन्न उद्देश्य निम्न है।

1. छिंदवाड़ा जिले में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा क्रियान्वित स्वरोजगार योजनाओं का अध्ययन करना।
2. छिंदवाड़ा जिले में संचालित स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का अध्ययन करना।
3. इन स्वरोजगार योजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति का विश्लेषण करना।
4. जिले में स्वरोजगार योजनाओं के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना।
5. स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका से हितग्राहियों को प्राप्त संतुष्टि का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ – परिकल्पना शोधकर्ता द्वारा किए जाने वाले शोध के संबंध में एक पूर्वानुमान अथवा विचार होती है। जो संपूर्ण शोध को दिशा प्रदान करती हैं। शोध के अंतर्गत संग्रहित किए गए तथ्यों, सूचनाओं अथवा समंको के आधार पर परिकल्पना की सत्यता की जांच की जाती है अथवा परीक्षण किया जाता है स्वीकृत परिकल्पना को सिद्धांत के रूप में विकसित कर दिया जाता है।

तथ्यपरक एवं औचित्यपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए परिकल्पनाओं का निर्धारण किया जाता है। प्रस्तुत शोध भी कुछ ऐसी ही परिकल्पनाओं पर आधारित है जो निम्न है -

1. छिंदवाड़ा जिले में स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की सार्थक भूमिका है।
2. स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केंद्र की भूमिका का छिंदवाड़ा जिले के आर्थिक व सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
3. छिंदवाड़ा जिले में स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केंद्र की भूमिका से हितग्राही संतुष्ट है।

शोध का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र सम्पूर्ण छिंदवाड़ा जिला है। स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका का अध्ययन करने हेतु सर्वेक्षण के लिए छिंदवाड़ा जिले के चौरई, जुन्नारदेव, मोहखेड़, अमरवाड़ा, हर्रई, परासिया, छिंदवाड़ा आदि विकास खंडों का चुनाव किया गया है।

शोध की अवधि – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोध अवधि अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2019 तक रखी गयी है।

शोध में प्रयुक्त पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ – प्रस्तुत अध्ययन में शोध समस्या से संबंधित वस्तुनिष्ठ, एवं विश्वसनीय सूचनाएँ तथा आंकड़े संकलित करने के लिये शोधकर्ता द्वारा जिन पद्धतियों, उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग किया गया है वे निम्नलिखित हैं।

I. न्यादर्श अभिकल्प (नमूना डिजाइन) – प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने न्यादर्श अभिकल्प का उपयोग किया है। जब किसी शोध में सम्पूर्ण समग्र में से प्रतिनिधि इकाइयों को चुनकर अध्ययन किया जाता है तो वह न्यादर्श पद्धति द्वारा किया गया अध्ययन कहलाता हैं।

II. न्यादर्श प्रतिचयन (नमूनाकरण) – प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं का चयन संभाव्यता प्रतिचयन पर आधारित है जिसमें सरल याद्दच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है।

III. समग्र – समग्र, अध्ययन क्षेत्र में मौजूद सभी, सजीव और निर्जीव तथा भौतिक इकाइयों की कुल आबादी को संदर्भित करता है। इस समूह में कुछ समान विशेषताएँ पाई जाती है। जिनको आधार बनाकर ही समग्र का चुनाव करते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में समग्र के रूप में जिला उद्योग केन्द्र, छिंदवाड़ा में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत् पंजीकृत एवं लाभान्वित 3782 हितग्राहियों को शामिल किया गया है। इन हितग्राहियों के ऋण प्रकरण को बैंकों द्वारा ऋण भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया है।

IV. न्यादर्श एवं न्यादर्श आकार – नमूना आकार अथवा न्यादर्श आकार को न्यादर्श मे शामिल इकाइयों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में जिला उद्योग केंद्र छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि के अंतर्गत पंजीकृत एवं लाभान्वित 378 हितग्राहियों को नमूना आकार अथवा न्यादर्श आकार में शामिल किया गया है। यह शोध के कुल समग्र का लगभग 10 प्रतिशत है।

आंकड़ों अथवा समंको का संग्रहण – यह अध्ययन प्राथमिक औरं द्वितीयक समंको आधारित है। प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु सर्वेक्षण पद्धति पर विचार किया गया है। इस हेतु संबंधित क्षेत्र के लाभान्वित हितग्राहियों, जिला उद्योग केन्द्र तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व अन्य प्रतिनिधियों से संरचित प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क आदि माध्यमों से जानकारी एकत्रित की गई है।

द्वितीयक समंकों के संकलन हेतु सन्दर्भ पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं इंटरनेट आदि का उपयोग किया गया है। निम्न स्त्रोतों से द्वितीयक समंको का संकलन किया गया है।

1. जिला उद्योग केन्द्र छिंदवाड़ा द्वारा बनाई गई वार्षिक रिपोर्ट व परियोजनाओं का विवरण।
2. जिला अध्यक्ष, कार्यालय (कलेक्ट्रेट) के सांख्यिकी विभाग से प्रकाशित साहित्य एवं प्रतिवेदन।
3. केन्द्र व राज्य सरकार के वार्षिक बजट एवं जनगणना से प्राप्त आंकड़े।
4. ग्रामीण विकास से संबंधित पत्रिकाएँ।
5. पूर्व रचित शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, शोत्र पत्र (रिसर्च पेपर)।
6. शासकीय व अशासकीय वेबसाइटों से प्राप्त जानकारी व आंकड़े।
7. राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय समाचार पत्र।

समंक विश्लेषण एवं निर्वचन – विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त समंको के एकत्रीकरण के पश्चात उनकी विशेषता व गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है। अध्ययन हेतु एकत्रित समंको को सरल, सहज एवं बोधगम्य बनाने हेतु शोधकर्ता द्वारा प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया है जिसमें गणना की नाममात्र विधि अपनाई गयी है। परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिये काई वर्ग विधि का उपयोग किया गया है।

शोध की सीमाएँ – प्रत्येक शोध की कुछ सीमाएँ अवश्य ही होती हैं। शोध कार्य हेतु पर्याप्त धन एवं समय की आवश्यकता होती है। लेकिन वास्तविकता में यह देखा गया है कि शोधार्थी के पास धन एवं समय दोनों ही सीमित मात्रा में होते हैं। जिसके कारण शोधार्थी के लिए संपूर्ण शोध क्षेत्र से सूचनाएँ एवं समंको को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। प्रस्तुत शोध की प्रमुख सीमायें निम्नलिखित है–

1. प्रस्तुत शोध हेतु प्राथमिक और द्वितीयक समंको का संकलन किया गया है।
2. शोध कार्य हेतु समय अवधि 2015 से 2019 तक रखी गई है।
3. शोध कार्य का क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले तक सीमित हैं।
4. शोध के अन्तर्गत आर्थिक एवं सामाजिक विकास, हितग्राहियों की संतुष्टि के स्तर, रोजगार में वृद्धि का अध्ययन करने हेतु छिंदवाड़ा जिले के विकास खंडों का चयन किया गया है।

निष्कर्ष :

1. विभिन्न स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अधिकांश की आयु 26–30 वर्ष के मधय है ये प्रदर्शित करता है कि युवा वर्ग स्वरोजगार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2. स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दी है लेकिन स्वरोजगार स्थापित करने में उनकी संख्या कम है।
3. ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा सबसे कम ऋण लिया गया हैं।
4. अधिकांश व्यक्तियों ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण से व्यावसायिक इकाई की स्थापना की है। उद्यम की स्थापना करने वाले हितग्राहियों की संख्या सबसे कम है।
5. जिला उद्योग केन्द्र स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। लेकिन बैंक से ऋण स्वीकृत एवं प्राप्त होने में एक से छ: माह का समय लग जाता है।
6. जिला उद्योग केन्द्र स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं लेकिन यह प्रशिक्षण सभी हितग्राहियों के लिये आयोजित नही किया जाता है। हितग्राहियों का एक बहुत बड़ा समूह प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाता है।
7. जिला उद्योग केन्द्र स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को कच्चे माल, भूमि, मशीनरी एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से सहयोग नहीं देते हैं।
8. जिला उद्योग केन्द्र हितग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा अथवा उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के विपणन में भी सहयोग नहीं करते हैं।
9. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा हितग्राही को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान एवं ऋण गारंटी की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन बैंक से ऋण के ब्याज पर मिलने वाला अनुदान उचित समय पर प्राप्त नही होता है।
10. जिला उद्योग केन्द्र स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्थापित इकाइयों का निश्चित समय अवधि में निरीक्षण करते हैं और उनसे संबंधित समस्याओं को हल करने में सहयोग देते हैं।
11. स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा अधिकांश इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक, व्यावसायिक एवं सेवा इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है।
12. स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्थापित इकाइयों में ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिससे ग्रामीण लोगों के रोजगार की तलाश में शहरों में पलायन को रोकने में सहायता मिली

है।

13. स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत स्थापित इकाइयाँ लगन एवं पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रही है जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय में वृद्धि हुई है।
14. वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय में वृद्धि होने से हितग्राहियों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है। जिससे उनके रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है।
15. स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, जिला उद्योग केन्द्र की कार्यप्रणाली, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी एवं कर्मचारियों के हितग्राही के प्रति व्यवहार और स्वरोजगार योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका से अधिकांश हितग्राही संतुष्ट रहे हैं।
16. शोध परिकल्पनाओं के परीक्षण में काई वर्ग का परिकलित मान सारणी मान से अधिक प्राप्त हुआ। अतः सभी परिकल्पनायें स्वीकार की गई।

सुझाव:

1. स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये इसके लिये जिला उद्योग केंद्रों को जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं का विशेष प्रचार-प्रसार करना चाहिये। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को योजनांतर्गत मिलने वाले लाभों की जानकारी भी दी जानी चाहिये।
2. स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत उद्यमों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये इसके लिये शासन द्वारा योजनांतर्गत स्थापित नव उद्यमों को वे सभी सुविधायें एवं रियायतें उपलब्ध करायी जानी चाहिये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को उपलब्ध होती है।
3. जिला उद्योग केंद्रों को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं परियाजना प्रतिवेदन के अतिरिक्त औद्योगिक, व्यावसायिक एवं सेवा इकाई को स्थापित करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करनी चाहिये। इसके लिये जिला उद्योग केंद्रों में अलग से एक हेल्प डेस्क होनी चाहिये।
4. जिला उद्योग केंद्रों को प्रत्येक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिये। प्रशिक्षण में हितग्राहियों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रबंधन, लेखांकन तथा विपणन से संबंधित आधारभूत कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण तथा आवश्यक लेखापुस्तकों और उनमें लेखा करने के नियमों, बाजार सर्वेक्षण, मांग व पूर्ति का अध्ययन आदि के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये।
5. जिला उद्योग केंद्रों को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को कच्चे माल, मशीनरी एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिये इसके लिये जिला उद्योग केंद्र कच्चें माल, मशीनरी के आपुर्तिकर्ताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञों के नाम और पते की सूची हितग्राहियों को उपलब्ध करा सकते है अथवा जिला उद्योग केंद्र आपुर्तिकर्ताओं व तकनीकी विशेषज्ञों से अनुबंधा करके हितग्राहियों को सीधे उनकी सेवाओं का लाभ प्रदान करा सकते है। शासन द्वारा इस संबंध में जिला उद्योग केंद्रों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।
6. शासन को जिला उद्योग केंद्र द्वारा लक्षित किये गये ऋण प्रकरणों को ध्यान में रखकर अनुदान बजट का निर्धारण व उसका उचित समय पर आबंटन करना चाहिये ताकि हितग्राहियों को अनुदान राशि प्राप्त होने में कोई विलम्ब न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. पाण्डेय डॉ. प्रदीप कुमार, 'शोध विधियाँ तथा सांख्यिकी' उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहबाद, अप्रैल 2011
2. मोदी रीना, 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आलोचनात्मक अध्ययन (चंबल संभाग के विशेष संदर्भ में)', पी-एच.डी. शोध प्रबंध, वाणिज्य विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 2015, पृष्ठ संख्या 5-13
3. मित्तल डॉ. मोनिका, बोरा डॉ. प्रीति, 'शोध पद्धतियां एवं सांख्यिकी', एस., एम. पी. डी. डी., उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल), वर्ष 2020
4. यादव कु0 प्रियंका, 'छिन्दवाड़ा जिले के आर्थिक विकास में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का योगदान', डेनियलसन महाविद्यालय,छिन्दवाड़ा, 2009
5. जिला उद्योग केन्द्र, छिन्दवाड़ा की वार्षिक रिपोर्ट।
6. स्वरोजगार योजनाओं की मार्गदर्शिका, म. प्र. शासन, सूक्ष्म, लधु, और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल, 2017
7. सूक्ष्म, लधु, और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 2-121/2017/अ- तेहत्तर, भोपाल दिनांक 04/12/2017
8. Br. MSME-Development Institute (Ministry of MSME, Govt. of India,) "Brief Industrial Profile of Chhindwara District", Rewa (M P)
9. Skill Gap Report," District wise skill gap study for the State of Madhya Pradesh", NSDC of India, January, 2013

****

प्राचीन भारत में विधवाओं का संपत्ति पर अधिकार

डॉ. सुनीता मीना *

प्रस्तावना – भारत के प्राचीन ग्रंथों में संपत्ति के विभाजन के लिए दो शब्द का उल्लेख बार-बार मिलता है-

(1) रिक्थ[1] – इसका अर्थ है वसीयत

(2) दाय[2] – यह पैतृक संपत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।वैदिक समाज में संपत्ति के विभाजन के क्रम में पुत्र को वरीयता प्राप्त थी। स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। विशेषकर विधवा स्त्रियों के संपत्ति सम्बन्धी अधिकारों के विषय में वैदिक साहित्य में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। विधवा स्त्री को ऋग्वैदिक काल में दायाद (संपत्ति का उत्तराधिकारी) नही समझा जाता था इस संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि इस काल में स्त्री स्वंय पति की अचल संपत्ति मानी जाती थी ऐसे में उसे संपत्ति का अधिकार मिलना संभव नहीं था।

तैत्तिरीय संहिता में स्त्रियों को अदायागी कहा गया है। इसी तरह का कथन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मैत्रायणी संहिता साधारण रूप से पुरूषों को दायाद और स्त्रियों को अदायाद घोषित करती है। महाभारत में पुत्रहीन व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी कन्या बतायी गई है। इसके बाद दौहित्र। पत्नी के लिए मात्र तीन हजार मुद्रा देने का विधान किया गया था जिसका वह इच्छा से उपभोग कर सकती थी। इसमें विधवा स्त्री को अकर घोषित किया गया है और राज्य की तरफ से भरण पोषण की व्यवस्था का उल्लेख है।[3] अधिकांश धर्मसूत्रकारों ने विधवा स्त्री को पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार किया है इनमें गौतम, बौधायन आपस्तम्ब और वशिष्ठ मुख्य है। गौतम के अनुसार पुत्रहीन पिता को अपनी पुत्री से यथा विधि उसका विवाह करवाकर उसके पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहिए।[4] वे आगे लिखते है कि भाई विहीन कन्या का विवाह न हो सके तो सपिण्ड, सगोत्र या सप्रवर अथवा उसकी स्त्री उसकी संपत्ति को प्राप्त करें। इन सारे दायादों में यदि गौतम स्त्री को सबसे बाद में रखते है तो इसका तात्पर्य विधवा स्त्री का संपत्ति में नहीं के बराबर अधिकार था क्योंकि सपिण्ड, सप्रवर और सगोत्रों की सूची इतनी लम्बी हो सकती है कि उसके बाद विधवा का नम्बर आ पाना दुष्कर था। गौतम को विधवा स्त्री को दायाद मानना उचित नहीं लगा। इसलिए उन्होंने आगे कहा कि पुत्रहीन व्यक्ति की विधवा नियोग से पुत्र प्राप्त करके पूर्ण दायाद प्राप्त कर सकती है। जबकि दक्षिण भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिल गया था। यास्क ने इसे एक सामान्य प्रचलन के रूप में स्वीकार किया है। बौधायन ने पिण्डदाताओं में सहोदर भाई, अन्य भाई सवर्णा स्त्री के पुत्र, पौत्र आदि की गणना करके इन्हें दायाद माना। इनके अभाव में क्रमशः सकुल्य, पिता, आचार्य, शिष्य और ऋत्विक को इसका अधिकारी बताया। इन सबके न होने पर राजा को उस धन का अधिकारी माना है।[5] इस प्रकार इन प्रस्तुत संदर्भ में विधवा स्त्री के दायभाग का कोई उल्लेख नहीं है।

आपस्तम्ब ने पुत्रहीन व्यक्ति की संपत्ति का दायाद निकटतम सपिण्ड को, उसके अभाव में क्रमानुसार गुरू तथा गुरू के अभाव में शिष्य को स्वीकार किया। पुत्री को उन्होंने इन सभी के बाद दायाद माना, किन्तु विधवा को उसमें कहीं, भी स्थान नहीं दिया। वशिष्ठ ने भी स्त्रियों को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है।

कौटिल्य ने भी विधवा स्त्री के पूर्ण दायाद होने का कोई संकेत नहीं दिया है उन्होंने पुत्रहीन मृत व्यक्ति की संपत्ति को सहोदर भाई, सहजीवी और कन्याओं को प्रदान किया।[6] पति के परिवार में रहने पर विधवा स्त्री को भरण पोषण एवं अपने स्त्रीधन के उपभोग का अधिकार था उसके अचल संपत्ति के उत्तराधिकार का नहीं।

मनु ने पुत्रहीन व्यक्ति की विधवा को उसकी संपत्ति का दायादी नहीं माना। उन्होंने पुत्री के पुत्र, दामाद, दत्तक पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, पिता और भाई को उत्तराधिकारी माना। इनके न होने पर सपिण्ड, संकुल्य, आचार्य और शिष्य को दायग्राही बताया है। इन सब के अभाव में ब्राह्मण उस धन का भागी होता है जिससे मृतक के श्राद्धादि कर्मो का लोप नही होता इस तरह की स्थिति यदि ब्राह्मणेत्तर वर्ण में उपस्थित हो तो राजा उस धन का अधिकारी होता है। यदि पुत्रहीन विधवा व नियोग से पुत्र उत्पन्न करती है तो उत्पन्न पुत्र मृतक की संपत्ति का अंशधर होगा। मनु ने स्त्रियों को किसी प्रकार के धनसंग्रह की न तो अनुमति प्रदान की थी न ही उन्हें स्वतंत्रता देने के पक्षधर थे। उन्होंने तो स्त्रियों को भरण-पोषण की अधिकारिणी एवं रक्षणीय बताया था।[7]

जहां तक मनुस्मृति के टीकाकारों के मतों का प्रश्न है मेधातिथि, नन्दन और रामचन्द्र विधवा के दायाधिकार को अस्वीकार करते है। ऐसी विधवा स्त्री जो नियोग करना चाहती हो उसे भी मनु ने मृतक पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना क्योंकि वह धन नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र का होगा न कि विधवा का। चूँकि मनु की दृष्टि में नियोग कोई अच्छी विधि नहीं थी इसलिए नियोग करने पर भी उन्होंने विधवा को दायाद नहीं मातना अपितु क्षेत्रज को ही माना। धीरे-धीरे जैसे -जैसे नियोग और पुनर्विवाह निषिद्ध होता गया और विधवाओं के लिए शेष जीवन ब्रह्मचर्य एवं तपस्या के साथ बिताना श्रेयकर समझा जाने लगा उन्हें संपत्ति का कुछ भाग देने की विचारधारा बलवती होने लगी। इस प्रकार धर्मसूत्रकारों एवं कौटिल्य द्वारा प्रदत्त भरण पोषण के अधिकार क्षेत्र में विस्तार होने लगा और विधवा स्त्रियों को मृत-पति की संपत्ति का पूर्ण दायाद मानने के प्रसंग भी प्राप्त होने लगे।

स्मृतिकार विष्णु ने उत्तर भारत में सर्वप्रथम स्त्री को संतानहीन पति की सम्पूर्ण संपत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी स्वीकार किया।[8] इन्होंने विधवा स्त्री को प्रथम वरीयता प्रदान की और विधवा माता को विधवा पत्नी, पुत्री

* सह-आचार्य (इतिहास) शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

और पिता के अभाव में चौथे स्थान पर रखा।

याज्ञवल्क्य ने 200ई. के समय में सभी वर्णो की विधवा स्त्रियों को बड़ी उदारता के साथ पुत्रहीन पति की संपत्ति के उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान पर रखा।

विष्णु और याज्ञवल्क्य के इस अभिमत से पुरूषों के संपत्ति अधिकार पर कुछ आक्षेप हुआ। लगभग चौथी शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच विधवा के दायाधिकार के पक्ष विपक्ष में संयुक्त साक्ष्य, प्राप्त होते है।

बौद्ध और जैन आगमों में मृतपतिका स्त्री के साथ-साथ प्रव्रजित-पति का (जिसके पति ने सन्यास धारण कर लिया हो) को भी विधवा संबोधन से अभिहित किया गया है।[9] किन्तु दोनों की आर्थिक दशा भिन्न थी। प्रव्रजित-पतिका स्त्रियां अपने पति की संपत्ति की पूर्ण दायाद हो जाती थी। अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि प्रव्रजित होने से पूर्व भिक्षु अपनी पत्नी के समक्ष तीन विकल्प रखता था। (1) वह पति की संपत्ति के सहारे जीवन व्यतीत करें (2) संबंधियों का आश्रय ले। (3) पुनर्विवाह कर ले। प्राय: मृतपति का विधवा स्त्रियां अपने मृत पति के कुल में ही रहती थी। यदि मृत पति की कई पत्नियां होती थी तो उनमें पुत्रहीन विधवा स्त्री की स्थिति पुत्रवती की अपेक्षा दयनीय होती थी। उन विधवाओं को जिनके मृत पति के पास पर्याप्त संपत्ति का अभाव था उन्हें ज्ञातिकुलों के साथ जीवन यापन करना पड़ता था। इन संरक्षित विधवाओं द्वारा संयम पालन और अव्यभिचाराचरण वंछित था।

नारद स्मृति के अनुसार भाईयों में किसी पुत्रहीन भाई के मरने या सन्यासी होने पर अन्य भाईयों को मृतक की विधवा के स्त्रीधन को छोड़कर शेष संपत्ति परस्पर बांट लेना चाहिए।[10] मृतक भाई की विधवा का आजीवन भरण-पोषण इन्ही सगे भाईयों का उत्तरदायित्व था। नारद ने पुत्रहीन विधवा स्त्री के संपत्ति, भरण पोषण और रक्षा का सम्पूर्ण दायित्व पति के परिवार को सौंपा। पतिकुल के पूर्णतया क्षीण होने पर वह पितृ-कुल द्वारा भरण पोषण एवं रक्षा के योग्य मानी गई थी किन्तु उसका सच्चरित्र होना आवश्यक था। यदि विधवा सच्चरित्र होती थी तो वह अपने ज्येष्ठ, देवर, श्वसुर या सगोत्र द्वारा भरण पोषण प्राप्त करती थी। नारद ने इसकी सीमा 24 आढ़क अनाज और 24 पण नकद वार्षिक बताया है। यदि मृतक के भाई, पिता या माता कोई भी संबंधी अवशिष्ट नहीं होते थे तो मृतक की विधवाएं एवं सपिण्ड अपने अंशक्रम से मृतक की संपत्ति को प्राप्त करते थे। नारद ने गैर ब्राह्मण वर्ण की विधवाओं को किसी भी स्थिति में दायभागी नही बताया और राजा ही उनकी संपत्ति ग्रहण करता था तथा उनके भरण पोषण के लिए उत्तरदायी था। कालिदास भी एक प्रसंग में एक व्यापारी के मरने पर राजा द्वारा उसका धन ग्रहण करने का उल्लेख करता है।

कात्यायन ने दाय विभाग में संबंधों के अतिरिक्त अच्छे चरित्र, ज्ञान, दानशीलता आदि को भी महत्व प्रदान किया है। इन गुणों से हीन पुत्र को उन्होंने दाय का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया है। यही कारण था कि विधवा स्त्री के संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हुए उसके ब्रह्मचर्य परक जीवन बिताने की शर्त भी निश्चित की। कात्यायन का स्पष्ट विचार था कि व्यभिचाररत स्त्री को किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

बृहस्पति ने पुत्र के बाद पत्नी को सीधे दायाद माना था। वे विभक्त परिवार में विधवा को पति की संपत्ति का पूर्ण दायद, अविभक्त, परिवार में भरण पोषण की अधिकारिणी या न्यास के रूप में उपभोक्ता स्वीकार करने के पक्षकार थे। चरित्रहीन अथवा अन्य वर्ण की विधवाओं को भी उन्होंने भरण-पोषण का अधिकार दिया हैं। इस तरह बृहस्पति का विधवाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। व्यास ने विधवा को दी जाने वाली संपत्ति की सीमा दो या तीन हजार बताई है। डॉ. अल्तेकर ने उस समय की मुद्रा में इसकी क्रय शक्ति 10 हजार रूपये के बराबर माना है।[11] धारा नरेश भोज ने भी विधवा स्त्री के पति की संपत्ति पर अधिकार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नियोग अपनाने वाली विधवा को ही दायादी माना अन्य को नहीं। गुजरात में यह अधिकार 12वीं शताब्दी तक नही मिल पाया था। कुमारपाल चरित में राजा कुमार पाल (1144-73ई.) के पूर्व के राजाओं के विषय में लिखा है कि वे अपनी नि:सन्तान प्रजाओं के मरने की प्रतिक्षा किया करते थे ताकि वे उनकी विधवा का धन ग्रहण कर सकें।[12]

विज्ञानेश्वर जो चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ के न्यायाधीश थे ने विधवा को दायादी स्वीकार किया है। इसी तरह 12वीं शताब्दी में बंगाल के महान विधिवेत्ता जीमूतवाहन (1100-1150ई.) ने संतानहीन विधवा को उसके पति की संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार किया है। उनका मत विज्ञानेश्वर से इस सन्दर्भ में प्रगतिशील था कि उन्होंने इसे मात्र विभक्त परिवार में ही नहीं अपितु संयुक्त परिवार में भी स्वीकार किया। उन्होंने विधवा के पति की संपत्ति पर दायाधिकार की विस्तार से व्याख्या की है।[13] उनके अनुसार विधवा न तो इस संपत्ति को उपहार स्वरूप प्रदान कर सकती है न विक्रय और न ही गिरवी रखने का उसे अधिकार है। यहां भी विधवाओं को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी क्योंकि उसके ऊपर पति या पिता के परिवार के पुरूष सदस्यों का नियंत्रण बराबर बना रहता था। स्मृतिकारों द्वारा विधवा स्त्री को अदायाद घोषित करने के पीछे तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है। बहुत संभव है इस काल में स्त्री जाति को भी शूद्र की श्रेणी में रखने के कारण इन्हें अचल संपत्ति से वंचित किया गया हो।

निष्कर्षत: हम ये कह सकते है कि भारतीय स्मृतिकारों ने प्राय 12 प्रकार के पुत्रों की गणना की है जो विभिनन परिस्थितियों में स्वीकार किये जाते थे और दायाधिकारी थे। स्त्रियों की स्वतन्त्रता का समर्थन किसी ने नहीं किया। वह बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था अथवा विधवा होने पर पुत्र के संरक्षण में मानी गई। इसलिए विधवा स्त्री को अलग से संपत्ति देना उनहें जरूरी नहीं लगा। क्योंकि अचल संपत्ति का अधिकार प्राप्त होने पर और उसके क्रय-विक्रय का अधिकार मिलने पर स्त्रियों की परतन्त्रता के सिद्धान्त का पूर्ण पालन नही हो पाता। विधवा स्त्रियां जो न सती हुई हो, और न ही नियोग अथवा पुनर्विवाह किया हो और वे ब्रह्मचर्य का पालन करती हो उन्हें अचल संपत्ति में हिस्सेदार होने की आवश्यकता ही नही थी। कुछ स्मृतिकार तो स्त्री को मात्र शिशु प्रजनक यंत्र ही समझते थे इसलिये उन्होंने स्त्री को मात्र भरण पोषण के योग्य समझा। उसके स्वतंत्र अस्तित्व की जब उन्होंने कल्पना ही नही की थी तो संपत्ति में दाय देने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए स्मृतिकारों और विचारकों ने विधवा को अचल संपत्ति पर अधिकार न देकर मात्र स्त्रीधन पर अधिकार दिया था ताकि वह उससे आपातकाल में अपना भरण पोषण कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. झा, गंगानाथ - हिन्दू ला एण्ड इट्स सोर्सेज, जि. 2, पृ. 12 इण्डियन प्रेस इलाहाबाद-1930-33
2. कॉणे, पी.वी- धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 2 पृ. 837-41 (हिन्दी अनु. अर्जुन चौबे कश्यप) हिन्दी समिति, लखनऊ-1980
3. भट्टाचार्य सुखमय- महाभारत कालीन समाज- 1966 पृ. 423 (अनुवाद पुष्पा जैन) इलाहाबाद -1966

4. गौतम धर्म सूत्र 3/10/16–हरदत्त की मिताक्षरा टीका सहित वाराणसी सं. 2023
5. बौधायन धर्मसूत्र 1/5/95–111–संपादक एल. श्रीनिवासाचार्य मैंसूर–1907
6. कौटिल्य का अर्थशास्त्र 3/6 – व्याख्याकार वाचस्पति गैरोला वाराणसी–1977
7. मनुस्मृति– 9/199 संपादक चमनलाल गौतम, संस्कृति संस्थाना बरेली, 1982
8. विष्णु स्मृति 17/4–13– व्यास, गीता प्रेस गोरखपुर विक्रम संवत– 1993
9. महावग्ग जातक पृ. 41बिहार 1956 जैन, कोमलचन्द्र–बौद्ध और जैन आगमों में नारी जीवन पृ. 119 अम्रतसर 1967
10. नारद 13/26 कलकत्ता शक सं 1873
11. अल्तेकर, अनन्त सदाशिव– प्राचीन भारतीय शासन पद्धति इलाहाबाद सं. 2033 पृ. 255
12. कुमार पाल चरित संग्रह 96
13. दाय भाग 11/1/15– जीमूतवाहन, संपादक, श्री जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता, 1893

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Breach of Contract: Highlighting Features

Dr. Saptmuni Dwivedi*

Abstract - When two parties with free consent for consideration agrees to do something with certain conditions then it is called a contract. In a valid contract there must be a proposal and the parties should possess certain qualifications which are enshrined in Indian Contract Act, 1872. When one party doesn't fulfill the contract or refuses to do so then it is termed as Breach of Contract. Section 73-75 of the Indian Contract Act, 1872 deals with Breach of Contract.

Introduction - A business contract creates certain obligations that are to be fulfilled by the parties who entered into the agreement. Legally, one party's failure to fulfill any of its contractual obligations is known as a "breach" of the contract. Depending on the specifics, a breach can occur when a party fails to perform on time, does not perform in accordance with the terms of the agreement, or does not perform at all. Accordingly, a breach of contract will usually be categorized as either "material" or "immaterial" for purposes of determining the appropriate legal solution or "remedy" for the breach.[1]

- **Factors constituting Breach of Contract -** A contract case usually comes before a judge because one or both parties claim that the contract was breached. A breach of contract is a failure, without legal excuse, to perform any promise that forms all or part of the contract. This includes failure to perform in a manner that meets the standards of the industry or the requirements of anyexpress warranty or implied warranty, including the implied warranty of merchantability.[2]

When a party claims a breach of contract, the judge must answer to the following questions[2]:

1. Did a contract exist?
2. If so, what did the contract require of each of the parties?
3. Was the contract modified at any point?
4. Did the claimed breach of contract occur?
5. If so, was the breach material to the contract?
6. Does the breaching party have a legal defense to enforcement of the contract?

7. What damages were caused by the breach?

- **Material and Minor Breach of Contract: Differentiated -** A breach is material if, as a result of the breaching party's failure to perform some aspect of the contract, the other party receives something substantially different from what the contract specified. For example, if the contract specifies the sale of a box of tennis balls and the buyer receives a box of footballs, the breach is material. When a breach is material, the non-breaching party is no longer required to perform under the contract and has the immediate right to all remedies for breach of the entire contract.[2,3]

Factors that the courts consider in determining materiality include[4]:

1. The amount of benefit received by the nonbreaching party;
2. Whether the nonbreaching party can be adequately compensated for the damages;
3. The extent of performance by the breaching party;
4. Hardship to the breaching party;
5. Negligent or willful behavior of the breaching party; and
6. The likelihood that the breaching party will perform the remainder of the contract.

A breach is minor if, even though the breaching party failed to perform some aspect of the contract, the other party still receives the item or service specified in the contract. For example, unless the contract specifically provides that "time is of the essence" (i.e. deadlines are firm) or gives a specific delivery date of goods, a reasonable delay by one of the parties may be considered only a minor breach of the contract. When a breach is minor, the nonbreaching party is still required to perform under the contract, but may recover damages resulting from the breach. For example, when a seller's delay in delivering goods is a minor breach of contract, the buyer must still pay for the goods but may recover any damages caused by the delay.[5]

- **Remedies -** Following are the remedies available for breach of contract:-

1. Damages,
2. Specific Performance;
3. Cancellation and Restitution

- **Damages[63] -** The payment of damages — payment in one form or another — is the most common remedy for a breach of contract. There are many kinds of damages, including the following:

i. Compensatory damages aim to put the non-breaching party in the position that they had been if the breach

*Faculty (Law) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA

had not occurred.

ii. Punitive damages are payments that the breaching party must make, above and beyond the point that would fully compensate the non-breaching party. Punitive damages are meant to punish a wrongful party for particularly wrongful acts, and are rarely awarded in the business contracts setting.

iii. Nominal damages are token damages awarded when a breach occurred, but no actual money loss to the non-breaching party was proven.

iv. Liquidated damages are specific damages that were previously identified by the parties in the contract itself, in the event that the contract is breached. Liquidated damages should be a reasonable estimate of actual damages that might result from a breach.

- **Specific Performance[6] -** If damages are inadequate as a legal remedy, the non-breaching party may seek an alternative remedy called specific performance. Specific performance is best described as the breaching party's court-ordered performance of duty under the contract. Specific performance may be used as a remedy for breach of contract if the subject matter of the agreement is rare or unique, and damages would not suffice to place the non-breaching party in as good a position as they would have been had the breach not occurred.
- **Cancellation and Restitution[6] -** A non-breaching party may cancel the contract and sue for restitution if the non-breaching party has given a benefit to the breaching party. "Restitution" as a contract remedy means that the non-breaching party is put back in the position it was in prior to the breach, while "cancellation" of the contract voids the contract and relieves all parties of any obligation under the agreement.

Apart from the above mentioned remedies, following remedies are also available for breach of contract:

i. Injunction;
ii. Quantum Meruit;
iii. Recession of Parties

So, from the above discussion it is very much clear that contract creates certain obligations and on being violated, the person aggrieved can approach the Court for remedies.

References:-

Books Reffered:-

1. Pollock & Mulla, The Indian Contract Act, 1872, updated 14th Edition By- Nilima Bhadbhade, Lexis Nexis,
2. Administrative Law By- J.J.R. Upadhyaya, Central Law Agecncy, Seventh Edition, 2009
3. Indian Administrative Law By- Kagzi M.C. Jain, Universal Law Publishing co. Pvt. Ltd, 53rd year of Publication, Seventh Edition, 2014
4. The Constitution of India Bare Act, Professional's, Year 2006
5. The Constitutional Law of India By- Dr. J.N. Pandey, 49th Edition, 2011
6. The Constitution of India By- Dr. L.M. Singhvi, 2nd Edition, Volume 2, Modern Law Publication, Year 2008
7. Principles of Administrative Law, Set of 2 Volumes, By- M.P. Jain & S.N. Jain, Revised By Justice D.M. Dharmadhikari, (Former Judge of the Supreme Court), Lexis Nexis, 8th Edition, 2016

Internet:-

1. www.google.com
2. www. indiacurrentaffairs.org.
3. http://smallbusiness.findlaw.com/business-contracts-forms/breach-of-contract-and-lawsuits.html
4. http://jec.unm.edu/education/online-training/contract-law-tutorial/breach-of-contract
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Breach_of_contract

News Papers:-

1. Dainik Bhaskar
2. Dainik Jagran
3. The Times of India
4. The Hindustan Times
5. The Hitvada
6. Patrika

Dictionaries:-

1. Black's Law Dictionary (First South Asian Edition, 2015)

****

भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा

डॉ. सतीश पाल सिंह *

प्रस्तावना – समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से वृद्ध, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग महिलाएं, बच्चे, व नि:शक्त जनों के साथ आचरण करते समय हमें सिर्फ इन कानूनों संविधान और कानूनो को अपने मस्तिष्क में नहीं रखना है अपितु उन्हें प्राप्त मानव अधिकारों को भी अच्छी तरह से संरक्षित करना होगा क्योंकि ये सभी अधिकार एक सामान्य जीवन बिताने के लिए मूलभूत तत्व है। यह कार्य इतना आसान नहीं है, अत्यंत दुष्कर है। इसके लिए अत्यंत उच्चस्तरीय अनुशासन, धैर्य, राष्ट्रीयता की भावना एवं जनसेवा की भावना आवश्यक है। सार्वजनिक सेवाओं को गरीब के दृष्टिकोण से व्याख्यायित करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वस्तुत: गरीब एवं कमजोर लोगों की सत्ता में कोई भागीदारी नहीं होती। प्रशासनिक न्याय यदि देर से दिया गया तो यह सामाजिक न्याय की समस्त अवधारणा को ही खत्म कर देता है। सामाजिक न्याय प्रशासनिक प्रक्रिया से तभी संभव है जबकि इसे लागू करने वाले सभी लोग अंत्योदय की भावना से अपने कार्य को पूरा करें। इस समाज के विभिन्न वर्गों से आचरण करते समय सिर्फ हम विधिक एवं नैतिक अधिकारों के बारे में ही नहीं सोचें परन्तु उनकी जो सामाजिक गरिमा है उसका भी ध्यान रखें। सही कार्य सिर्फ कानून के मापदण्ड पर ही खरा नहीं होना चाहिए वरन् इन्हें जनता के न्यायोचित निर्णय की अपेक्षा पर ही खरा उतरना चाहिए।

मानवाधिकार का अर्थ– होता है किसी भी इंसान को जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार प्रदान करना, इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम में जिंदगी और आजादी से संबंधित सूचनाएं 48 घंटे में देने का प्रावधान है। लेकिन जिंदगी और आजादी शब्दों के परिभाषित नहीं होने के कारण सूचना आयोगों को आदेश देने और निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। सूचना आयुक्त केवल न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्ता अधिकारी, न्यायमूर्ति या विधिवेत्ता ही नहीं होते हैं। वे सामाजिक, शैक्षणिक, प्रबंधन और मीडिया के क्षेत्र से भी होते हैं और उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी नहीं मिलता है। इसलिए जिंदगी और आजादी से संबंधित सूचनाओं के कानून निर्धारित समय सीमा में नहीं मिलने के कारण दायर अपील आवेदनों पर आमतौर पर निर्णय मुश्किल हो जाता है। सूचना आयुक्त इन दोनों शब्दों की व्याख्या अपने-अपने विवेक तथा अनुभव के आधार पर करते हैं। इस क्रम में बहुधा पीड़ित पक्ष या सूचना मांगने वाले को सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं और जन सूचना पदाधिकारी दंडित नहीं हो पाते है। कभी-कभी तो मानव के इस अधिकार पर ही कुठाराघात हो जाता है और सूचना अधिकार अधिनियम अपने उद्देश्य की पूर्ति में विफल नजर आने लगता है। इसलिए सूचना आयोगों को जिंदगी और आजादी के बारे में स्पष्ट सुझाव परिभाषा के साथ दिये जाने चाहिए। भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सूचना अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं को स्पष्ट करते हुये अपना मंतव्य सूचना आयोगों को भेजता रहता है। लेकिन उसने जिंदगी और आजादी के बारे में कोई परिपत्र सूचना आयोगों को नहीं भेजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस दिशा में अविलंब पहल करनी चाहिए।

मानवाधिकारों की संकल्पना– मानवाधिकारों की संकल्पना एक व्यापक जीवन-दर्शन पर आधारित संकल्पना है जिसके घेरे में समधा जीवन और समाज व्यवस्था आ जाती है। मानवाधिकारों की संकल्पना की बुनियाद है मनुष्य को सब कुछ का पैमाना मानना। मेन इज दी मेजर ऑफ ऑल थिंग्ज। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने 'मेन इज दी रूट ऑफ मैनकाइन्ड' कह कर व्यक्त किया है। मनुष्य मानवता की जड़ है : मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, मनुष्य चीजों का माप दण्ड है, मनुष्य ही एक मात्र सत्य है। इस तरह की बातें इस विचारधारा को मानने वाले लोगों से अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। वैज्ञानिक मनुष्य को जीवों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दार्शनिक उसमें चेतना की चरम अभिव्यक्ति खोजते हुए सृष्टि का केन्द्रीय स्थान उसी को देते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के इतिहास को एक यान्त्रिक प्रक्रिया के रूप में देखने और मानवीय नियति को यान्त्रिक स्तर पर नियन्त्रित कर सकने की आशा करने वाले भी अपने प्रयत्नों का प्रयोजन मनुष्य का कल्याण ही मानते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था की कसौटी और बुनियादी प्रेरणा भी यही है कि उनके अन्तर्गत मनुष्य के बहुआयामी विकास को किस सीमा तक एक अनुकूल वातावरण व सुविधाएँ मिलती हैं। जो व्यवस्था मनुष्य के विकास की संभावनाओं को मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक स्तर पर रोकती है, उसे हर मानवीय और नैतिक व्यवस्था नहीं कह सकते। इसी प्रकार यह स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि मनुष्य जैविक विकास का सर्वश्रेष्ठ स्तर है कि उसमें जीवन और चेतना की अद्यतन सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है और भविष्य में इसके गुणात्मक उत्कर्ष की अपेक्षा भी मनुष्य से ही की जा सकती है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है मनुष्य अन्य जीवों से समर्थ, सचेत और श्रेष्ठ है अत: शेष जीवन और जगत की सुरक्षा और सम्पोषण का दायित्व भी उसी पर है। लेकिन इस के विपरीत वह अपनी श्रेष्ठता का गलत उपयोग भी करता है। जैसे प्रकृति और जीव-जगत का शोषण, दोहन और दमन करने को अपना अधिकार समझने लगता है। उसका दायित्व अधिक से अधिक अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों तक ही नहीं बल्कि धर्म और राष्ट्र के सदस्यों के प्रति भी है? यही तर्क समाज में लागू होता है अधिक विकसित और शक्तिशाली वर्ग के लोग अपने से कमजोर और हीन लोगों का उपयोग करते हैं। यही बात राष्ट्रों में भी लागू होता है कि बहुत ही विकसित और शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा स्वाभाविक अधिकार के रूप में अपने से हीन और कमजोर राष्ट्रों का उपयोग होता रहा है। इसके द्वारा कई मानव को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ सकता है। मानव अधिकारों का मूल सिद्धांत 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' पर आधारित है और

* एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत)(उ.प्र.) भारत

इसी को आधार बनाकर मानव की गरिमा, मानव की स्वतंत्रता और जीने का अधिकार संबंधी विषयों पर इंसानियत की मर्यादाओं को परिभाषित करने का प्रयास है मानवाधिकार। The American Heritage Dictionary of the English Language के अनुसार Human Rights की परिभाषा इस प्रकार दी है– **The Basic rights and freedoms to which all humans are entitled, often held to include the right to life and liberty, freedom of thought and expression, and equality before the law.'

James Crawford ने मानवाधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया है– `Rights are claims that have achieved a special kind of endorsement or success, legal rights by legal system, human rights by widespread sentiment or an international order'

मानव अधिकारों की परिकल्पना विगत शताब्दी के मध्य में विश्व समुदाय के समक्ष एक सर्वमान्य कसौटी के रूप में परिलक्षित हुई है। मानव अधिकारों के विभिन्न सोपानों का चिन्तन करने के साथ इसे विगत ऐतिहासिक पहलुओं पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। हमारे देश का प्राचीन इतिहास मानव अधिकारों की अवधारणा का द्योतक है। हमारे वेद, पुराण, स्मृतियाँ व अन्य धार्मिक एवं प्राचीन ग्रन्थ इसकी पुष्टि करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हमारी संस्कृति फली–फूली तथा विकासित हुई है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति मानव अधिकारों को केन्द्र में रखकर पुष्पित एवं पल्लवित हुई। इन सब के बावजूद मानव स्वयं में अपनी स्वार्थ–परायण–प्रवृत्ति विद्यमान है। अतः मानव स्वयं ही गलत रास्तों में ही चलने लगता है। इससे दूसरों के अधिकार का हनन होने लगता है।

सूचना अधिकार अधिनियम में मानवाधिकार को विशेष महत्व भी दिया गया है। आम धारणा यह है कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार रोकने या कम करने के लिए लागू किया गया है। लेकिन यह अधिनियम मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति सचेष्ट है। इसका प्रमाण है अधिनियम की धारा 24 का परंतुक। इस धारा में कहा गया है कि खुफिया तथा सुरक्षा संगठनों से सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती हैं। परंतु यदि मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन या भ्रष्टाचार का हो तो उन संगठनों से भी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं जो सूचना अधिकार अधिनियम की परिधि से बाहर हैं। अधिनियम में जिन संगठनों या संस्थाओं को बाहर रखा गया है उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर बी एस एफ एवं स्पेशल ब्रांच तक शामिल हैं। लेकिन इनकी किसी भी इकाई या शाखा या उसके किसी अधिकारी–कर्मचारी पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगता है तो उनसे सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। शर्त सिर्फ यह है कि ये सूचनाएं केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोगों की स्वीकृति के बाद ही दी जाएंगी। इस उपबंध का कारण शायद यह है कि नागरिक संवेदनशील एजेंसियों, संगठनों और संस्थाओं पर मानवाधिकर उल्लंघन का आरोप लगा कर सूचना आवेदनों का अंबार न लगा दें। लेकिन इससे सूचना अधिकार अधिनियम में मानवाधिकारों की रक्षा का उद्देश्य विफल नहीं हो जाता, क्योंकि आयोगों की स्वीकृति के बाद आवेदन मिलने के 45 दिनों के अंदर ही सूचनाएं देनी होगी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानवाधिकार– जहां मानवाधिकारों को जानने–समझने तथा उनकी रक्षा के लिए बोलने–लिखने का अधिकार प्रदान करती है, वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक सामग्री, सूचनाएं या आधार प्रदान करता है। वस्तुतः ये तीनों एक–दूसरे के पूरक हैं। तथ्य यह भी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकारी विभागों में सेवा नियमावलियों के कारण बाधित है, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग पर नई बंदिशें लगाने की कोशिश जारी है; मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और सूचना अधिकार अधिनियम सरकारों तथा सरकारी अधिकारियों के कारण अपनी उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में अभी मंथर गति से ही चल रहा है।

भूंडलीकरण के विस्तार ने निश्चय ही दुनिया को सब की मुट्ठी में किया है। एक जबरदस्त संचार क्रांति ला दी है। विस्तार और विकास के दरवाजे खोल दिए हैं बावजूद इसके इस भूमंडलीकरण ने स्त्री के लिए खुले आकाश से ज्यादा एक बड़े राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत बाजार का ही विस्तार किया। उसे व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं अधिकार के नाम पर विज्ञापनों से लेकर दुकानों तक वस्तु के रूप में ही इस्तेमाल किया है। उसे सुपर मॉडल से लेकर बार बाला तक, विश्वसुंदरी से लेकर ब्रह्माण्ड सुंदरी बनाकर चकाचौंध की दुनिया के शो–केस में गुड़िया बना रखा है। यह सब उसकी देह के इर्द–गिर्द रचा गया मायाजाल है जहाँ उसकी योग्यता उसकी बौद्धिकता नहीं है उसकी दैहिक सुंदरता है। भूमण्डलीकरण के इस प्रतियोगी युग में वह मानव बनने की प्रक्रिया से एक बार फिर वस्तु में बदल दी जाती है।

इस स्त्री को अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता, दैहिक, मानसिक स्वतंत्रता, व्यक्तिबोध जैसे मूलाधिकारों के लिए लड़ना है। उसे थोपी हुई परंपराओं का ध्वस्त करना है। उसे अपनी रचनाधार्मिता, रचनात्मकता और रचना–प्रक्रिया तय करनी है। स्वयं को व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हुए एक स्पेस चाहिए जो उसे उसके मानवाधिकार दे सके। वही मानव अधिकार जो, एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता, उसके निवास, लिंग, जातीय मूल, रंग, धर्म या अन्य स्थिति पर धयान दिए बिना सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार है।

मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – महाभारत काल में तो सम्पूर्ण गाथा ही मानवाधिकार पर आधारित है। मानवाधिकार की रक्षा ही सम्पूर्ण महाभारत का कारण बना। द्रोपदी का अपमान पूरे नारी समाज और मानवता का अपमान था। कौरवों ने तो राज्य के बदले पाँच गांव तक देने से मना कर दिया था। अधिकारों से किसी को वंचित कर देना भी तो मानवाधिकार का ही हनन है। वहाँ कृष्ण ने उसी मानवाधिकार की रक्षा की। आज भी भारतीय नारी को परिवार, समाज, धर्म, शास्त्र, साहित्य और कर्तव्य में ऊँचा स्थान मिला हुआ है। संविधान और कानून भी उसे पुरूष के समान अधिकार प्रदान करता है। वह पूजनीय है, उसमें काली की शक्ति है, सरस्वती का ज्ञान है, राधा का स्नेह है, सीता का संस्कार है, द्रोपदी का अभिमान है कल्पना चावला और लक्ष्मी बाई का गर्व है। उसके साथ सहित्य कला, संगीत और संस्कृति है, लोगों की नजरों में सम्मान है। लेकिन नारी के इस सम्मान पर जब जब कुठाराघात हुआ हैं मानवाधिकार आयोग उनकी रक्षा में आगे आया है। इसमें दो राय नहीं कि आज आधुनिकता जरूरी है पर वह मर्यादित हो। परिधान में परिवर्तन स्वाभाविक है लेकिन उसमें लज्जा का गुण हो। चाल में तेजी हो लेकिन चलन अनुशसित और संस्कारित हो। व्यवहार में कुशलता हो, ज्ञान में निपुणता हो, जीवन में स्वावलंबन हो, तभी भारतीय नारी की तस्वीर में उज्वलता बनी रह सकेगी। तभी मानवाधिकार भी अक्षुण्ण रह सकेगा।

धर्म शास्त्रों में मानवाधिकार – महाभारत काल में तो सम्पूर्ण गाथा ही मानवाधिकार पर आधारित है। मानवाधिकार की रक्षा ही सम्पूर्ण महाभारत का कारण बना। द्रोपदी का अपमान पूरे नारी समाज और मानवता का

अपमान था। कौरवों ने तो राज्य के बदले पाँच गांव तक देने से मना कर दिया था। अधिकारों से किसी को वंचित कर देना भी तो मानवाधिकार का ही हनन है। वहाँ कृष्ण ने उसी मानवाधिकार की रक्षा की। आज भी भारतीय नारी को परिवार, समाज, धर्म, शास्त्र, साहित्य और कर्तव्य में ऊँचा स्थान मिला हुआ है। संविधान और कानून भी उसे पुरूष के समान अधिकार प्रदान करता है। वह पूजनीय है, उसमें काली की शक्ति है, सरस्वती का ज्ञान है, राधा का स्नेह है, सीता का संस्कार है, द्रोपदी का अभिमान है कल्पना चावला और लक्ष्मी बाई का गर्व है। उसके साथ सहित्य कला, संगीत और संस्कृति है, लोगों की नजरों में सम्मान है। लेकिन नारी के इस सम्मान पर जब जब कुठाराघात हुआ हैं मानवाधिकार आयोग उनकी रक्षा में आगे आया है। इसमें दो राय नहीं कि आज आधुनिकता जरूरी है पर वह मर्यादित हो। परिधान में परिवर्तन स्वाभाविक है लेकिन उसमें लज्जा का गुण हो। चाल में तेजी हो लेकिन चलन अनुशसित और संस्कारित हो। व्यवहार में कुशलता हो, ज्ञान में निपुणता हो, जीवन में स्वावलंबन हो, तभी भारतीय नारी की तस्वीर में उज्वलता बनी रह सकेगी। तभी मानवाधिकार भी अक्षुण्ण रह सकेगा।

इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो स्पष्ट होता है कि चाणक्य ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए नंदवंश का नाश किया। मानवाधिकार की रक्षा के लिए ही उन्होंने चन्द्रगुप्त को सामान्य से उठाकर अखण्ड भारत का सम्राट बनाया। ऐसी उत्कृष्ट परम्परा तो सिर्फ भारत में ही दिखाई पड़ती है।

तुलसी के रामचरित मानस का समय भारत में अकबर के शासन का काल था अकबर का 'दीन–ए–इलाही' सभी धर्मो के मान–सम्मान का समन्वित आधार था। और जब सभी धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हैं तब मानवता पुष्ट होती है; मानवाधिकार तब स्वत: अपना आधार पा लेता है।

कबीर ने अंधाविश्वास, धर्मांधता, छुआ–छूत, सामाजिक विद्रूपता और मानसिक पिछड़ेपन पर जम कर प्रहार किया। इसके पीछे भी मानवता और जन कल्याण की ही बात मुखरित होती है। उन्होने संसार की चिंता की। उन्होने चेतना और जागृति की बात की। मानवाधिकार का उनसे बड़ा पुरोध और कौन होगा ? कबीर के साथ–साथ रहीम, तुलसी, नानक, मीरा, बुद्ध, महावीर, गांधी सबने इसी मानवता की बात की। सभी धर्मो ने भी प्रेम भाईचारा और विश्वबंधुत्व की बात की है।

सिक्खों के दसवें गुरू गोविंद सिंह ने 'गुरूग्रंथ साहब' को गुरू की पदवी दी। मानवाधिकार का यह वह पक्ष था जहां जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठकर समाज के हर तबके के लोगों और गुरूओं की वाणी को उन्होंने इस ग्रंथ में रखा। ग्रंथ को गुरू का मान देना, इंसानी जीवन में रोशनी को निमंत्रण देने जैसा है। ऐसी परम्पराएं हिंदुस्तान को विश्व में सांस्कृतिक विरासत वाले देश की पदवी प्रदान करता है। हिंदुस्तान में साधु–संतो, फकीरों, बाबाओं ने अपनी संत वाणी से इंसानी जीवन को मुख्य बनाने का प्रयास किया है। अनेकों मंदिरों मस्जिदों और मजारों पर सभी धर्म और वर्ग के लोग अपने कष्ट निवारण हेतु–नतमस्तक होते हैं। यह साझी विरासत मानवाधिकार की रक्षा करने में सहायक सिद्ध होती है।

ईद में सेवइयों की मिठास, दीवाली पर दीपों की रोशनी, क्रिसमस में मोमबत्तियों से छनछन कर असंख्य किरणों की छटा, गुरू पर्व में सजीधाजी रोशनी इंसानी जीवन में प्रेम, भाईचारा और सद्‌भाव का पैगाम देकर मानवाधिकार की पुष्टि करती है। 'अतिथि देवो भव:' की परम्परा भी मानवाधिकार का आधार रही है। निश्चित ही आज भूमंडलीकरण और विश्वग्राम की परिकल्पना के बीच भी हम अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा मानवतावादी है। इंसान तो इंसान हमारे देश में तो प्रकृति, नदियों, घाटियों, झरनों, पहाड़ों, झीलों जानवरों और कीट–पतंगों तक की रक्षा की बात पुष्ट होती है प्रारंभ से ही भारतीय जनमानस मानवतावादी रहा है। यही परम्परा मानवाधिकारों की रक्षक है। यही परंपरा भविष्य को भी सुरक्षित और सार्थक बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। रेडियो और टेलीविजन भी मानवाधिकार का प्रबल सहचर हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं।

मानव अधिकारों का महत्व – मानव जाति में मानवीय चेतना या विकास समयानुसार होता चला आया है। मानव के अधिकार जो कि मानव होने के नाते प्राप्त होते है, मानव अधिकार कहे जाते है। मानव अधिकारों के बिना मनुष्य एक सुखद व अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। मानवाधिकार व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान व गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता आदि प्रदान करते है। दुर्बल वर्ग (अल्पसंख्यक, महिलाओं, बच्चों, पिछड़े, वर्गों, उत्पीड़ित वर्ग) के अधिकारों की रक्षा भी मानवाधिकारों से हो सकती है। इस वर्ग को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मानवाधिकारों के नाम पर ही प्राप्त हो सकता है।

मानवाधिकार व्यक्ति को न्यायिक संरक्षण भी प्रदान करते है। एक साधारण व्यक्ति से लेकर जेलों में बन्द अपराधी, कैदी, पुलिस के उत्पीड़न के विरूद्ध तथा राज्य के निस्कामन के विरूद्ध भी व्यक्ति को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। अत: कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों का संरक्षण और विकास मानव की प्रथम आवश्यकता है।

प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक **लॉस्की** के शब्दों में, 'अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके बगैर समान्यत: कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।'मानव को जहां एक और प्रकृति द्वारा जन्म के साथ ही कुछ साधन व सुविधाएं उपहार स्वरूप प्राप्त हुए है। वही दूसरी ओर समाज व राष्ट्र से भी उसे कुछ सुविधायें अपेक्षित होती है।' इन साधनों एवं सुविधाओं को समाज व राज्य की मान्यता मिल जाती है। उस पर स्वीकृति की मुहर लग जाती है तो ये अधिकार का स्वरूप धारण कर लेते है। इनमें परिस्थितियों के अधिकारों का सीधा सम्बन्ध मनुष्य के समाज में अस्तित्व एवं उसके व्यक्तित्व के विकास से होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कटोच,एस0के0 (2012): 'हिमांचल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार का अध्ययन' हिमालयन जनरल ऑफ कान्टेम्पोरेरी रिसर्च आई एस0 एस0 एन0 2319 – 3174 वाल्यूम (1), अंक–2, जुलाई –दिसम्बर (2012)।
2. कपूर,एस0के0 (2010): 'मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि', सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 2010, पृ0 690–691।
3. कुलश्रेष्ठ, एस0 (2003): 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति और मानवाधिकार' ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट मुरैना, वाल्यूम (3), अंक अक्टूबर–दिसम्बर 2003 पृ0 289।
4. जमवाल, पी0 (2007) : 'हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन' लघु शोध एम0 फिल0, अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, 2007।
5. दयाल, जे0 के0 और कौर, एस0,(2015) : 'पी0एस0ई0बी0 तथा सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त स्कूलो में कार्यरत् अध्यापको में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन' इन्डियन जरनल ऑफ रिसर्च, 4 (4), अप्रैल 2015, पृ0 4–6।
6. दीक्षित, ए0के0 (2010): 'मानवाधिकार और शिक्षा', नई शिक्षा

राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर, वर्ष (59), अंक–6, जनवरी 2010, पृ0 20–22।

7. दुबे, आर0 (2014): 'मानवाधिकार तथा महिला जागरुकता' ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट, मुरैना, वाल्यूम (14), अंक–001, 2014 पृ0 149–152।
8. बेस्ट जॉन डब्ल्यू0, (1982): 'रिसर्च इन एजूकेशन', प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लि0, न्यू दिल्ली, 1982।
9. मल्होत्रा,एम0 (2013) : 'महिला अधिकार और मानव अधिकार', ज्ञान गंगा प्रकाशक, भानु प्रिंन्टर्स,दिल्ली, पृ0संख्या– 136–137।
10. राणा, डी0 एस0 (2017) 'बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों मे मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन' पीरिओडिकिरिसर्च जरनल, वॉल्यूम–5;अंक(2), मई 2017, पृ0 सं0114–119।
11. शर्मा,एम0 (2017) : 'शिक्षको में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन' रिमारकिंग एन एनालाइजेशन रिसर्च जनरल, वॉल्यूम–2,अंक(9),दिसम्बर–2017 ई0–2455–0817 पृ0 सं0132–138।
12. शर्मा, आर0ए0, शिक्षा अनुसन्धान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर0 लाल बुक डिपो मेरठ, 2013।
13. शशिकला, वी0 तथा फ्रासिस्को, एस0 (2016) : 'महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन' इन्टरनेशल जरनल ऑफ टीचर एजूकेशन रिसर्च (आई0जे0टी0ई0आर0) वॉल्यूम– 5, नं0(3), मार्च–अगस्त 2016, पृ0 45–49, www.ijter.com
14. सिंह, आर0 एच0, पन्त, पी0 तथा लोहनी, एस0 (2016) : 'मानवाधिकार शिक्षा और वैश्वीकरण, एशियन जनरल ऑफ एडूकेशनल रिसर्च एण्ड टेक्नोलोजी, वॉल्यूम–6,अंक(1), पृ0 सं0137–140।
15. UNESCO,(n.n). World Programme for Human Rights Education.http://www.hurights.or.jp/archives/ human_rights_education_in_asian_schools/section2/2005/03/human-rights-education-in-schools-theindian-experience.html.Retrived on Apr 09,2015
16. http://www.hurights.or.jp/pub/hreas/10_02/16HR%20Awareness%20of%20Teachers%20and%20Teacher%20Educators.pdf
17. http://www.allacademic.com/meta/p167952_index.htm

****

On Invariant Submanifold of (4,1) Structure Manifold

Lakhan Singh*

Abstract - In this paper we have studied various properties of (4,1) structure manifold and its invariant submanifold. Under two different assumptions, the nature of induced structure ψ,have also been discussed.
Keywords-Invariantsubmanifold, projection operators,Nijenhuis tensor, and complementary distributions.

Introduction - LetV^m be a C^∞m – dimensional Riemannian manifold imbedded in a C^∞n-dimensional Riemannian manifold M^n .where m<n . the imbedding being denoted by $f : V^m \to M^n$

let B be the mapping induced by*f* i.e. B = *df*

$df : T(V) \to T(M)$

let T(V,M) be the set of all vectors tangent to the submanifold *f*(V). It is well known that

$B : T(V) \to T(V,M)$ is an isomorphism.

The set of all vectors normal to *f*(V) forms a vector bundle over *f*(V) . which we shall denote by N(V, M) . we call N(V, M)the normal bundle of V^m. the vector bundle induced by f from N(V, M) is denoted by N(V). we denote by $C : N(V) \to N(V, M)$ the natural isomorphism and by $\eta r_s(V)$ the space of allC^∞ tensor field of type (r, s) associated with N(V) . thus $\zeta 0_0(V)= \eta 0_0(V)$ is the space of all C^∞ functions defined on V^m while an element of $\eta 1_0(V)$ is a C^∞ vector field normal to V^m and an element of $\zeta 1_0(V)$ is a C^∞vector field tangential to V^m.

Let X and Y be vector fields defined along *f*(V) and X, Y be the local extensions of X and Y respectively. Then [X, Y] is a vector field tangential to M^n and its restrictions [X, Y] / *f*(V) to*f*(V)is determined independently of these local extensions X and Y .Thus [X, Y] is defined as

(1.1) [X, Y] =[X, Y] / *f*(V)

since B is isomorphism

(1.2) [BX, BY] = B[X, Y] for all X, Y $\varepsilon\zeta$

Let G be the Riemannian metric tensor of M^n , we define g and g* on V^m and N(V) respectively as

(1.3) $g(X_1, X_2) = G (BX_1, BX_2)$ *f* , and

(1.4) $g^*(N_1, N_2)= G (CN_1, CN_2)$ for all $X_1, X_2\zeta$ and $N_1, N_2\eta$.

It can be verified that g and g* are the induced metrics on V^m and N(V) respectively.

Let ∇ be the Riemannian connection determined by G in M^n, then ∇ induces a connection ∇ in *f*(V) defined by

(1.5) $\nabla_X Y = \nabla_X Y / f(V)$

Where X and Y are arbitrary C^∞ vector fields defined along *f*(V) and tangential to*f*(V) .

Let us suppose that $M^n$is a (7, 1) structure manifold with structure tensorψ of type (1,1) satisfying

(1.6)$\psi^4 + \psi = 0$

Let L and M be the complementary distributions corresponding to the projection operators

(1.7)$l = -\psi^3$, $m = I +\psi^3$

Where I denotes the identity operator.

From (1.6) and (1.7), we have

(1.8) (a) $l+ m = I$ (b)$l^2 = l$

(c) $m^2 = m$ (d) $l m =ml = 0$

Let D_l and $D_m$be the subspaces inherited by complementary projection operators l and m respectively . we define

D_l={ X T_p(V) : lX = X, mX = 0 }

D_m={ XT_p(V) : mX= X , l X= 0 }

Thus $T_p(V) = D_l + D_m$

Also Ker l ={ X : lX = 0 } = D_m

Ker*m* ={ X : mX = 0 } = $D_l$at each point *p* of *f(V)*

2. invariant submanifold of (4,1) structure manifold

We call $V^m$to be invariant submanifold of M^n if the tangent space $T^p(f(V))$ of*f*(V) is invariant by the linear mapping ψ at each point p of*f*(V). thus

(2.1) $\psi BX = B\psi X$, for all Xζ and ψ being a (1.1) tensor field in V^m .

Theorem (2.1) : Let N and N be the Nijenhuis tensors determined by ψ and ψ in M^n and V^m respectively ,then

(2.2)N(BX, BY) = BN(X,Y), for all X,Y ζ

Proof : we have, by using (1.2) and (2.1)

(2.3) N(BX, BY) = [ψ BX, ψ BY]+^{2}[BX, BY]- ψ [BX, BY]-ψ [BX, ψBY]

= [BψX, BψY]+ψ^2B[X, Y]-ψ[BψX, BY]-ψ[BX, BψY]

= B[ψX, ψY]+Bψ^2[X, Y]-ψB[ψX, Y]-ψB[X, ψY]

= B{[ψX,ψY]+ψ^2[X, Y]-ψ[ψX, Y]-ψ[X, ψY]

= BX + Bψ^3X

3. Distribution Mnever being tangential to *f* (V)

Theorem (3.1) :if the distribution Mis never tangential to *f*

*Department of Mathematics, D.J. College, Baraut,Baghpat (U.P.) INDIA

(V) , then

(3.1) m(BX) = 0 for all X

And the induced structure ψ onV^m satisfies

(3.2) $\psi^3 = -I$

Proof : if possible m(BX) 0, From (2.1) we get

(3.3) $\psi^3 BX = B\psi^3 X$; from (1.7) and (3.3)

$m(BX) = (I + \psi^3)BX$

$= BX + B\psi^3 X$

(3.4) $m(BX) = B(X + \psi^3 X)$

This relation shows that m(BX) is tangential to *f*(V) which contradicts the hypothesis . Thus m(BX) = 0 . using this result in (3.4) and remembering that B is an isomorphism , we get

(3.5) $\psi^3 = -I$

Theorem (3.2) : Let Mbe never tangential to *f*(V) , then

(3.6) $N_m(BX, BY) = 0$

Proof : we have

(3.7) $N_m(BX, BY) = [mBX, mBY] + m^2[BX, BY] - m[mBX, BY] - m[BX, mBY]$

Using (1.2), (1.8)(c),and (3.1) we get (3.6)

Theorem (3.3) : Let M be never tangential to *f*(V) , then

(3.8) $N_l(BX, BY) = 0$

Proof : we have

(3.9) $N_l(BX, BY) = [lBX, lBY] + l^2[BX, BY] - l[lBX, BY] - l[BX, lBY]$

Using (1.2) , (1.8)(a), (b) and (3.1) in (3.9) ; we get (3.8) .

Theorem (3.4) : Let M be never tangential to *f*(V) , define

(3.10) $H(X, Y) = N(X, Y) - N(mX, Y) - N(X, mY) + N(mX, mY)$

For all X, Y , then

Then (3.11) $H(X, Y) = BN(X, Y)$

Proof :using X = BX, Y = BY and (2.2), (3.1) in (3.10) we get (3.11)

4. Distribution M always being tangential to *f* (V)

Theorem (4.1) :let the distribution Mbe always tangential to *f* (V) , then

(4.1) (a)$m(BX) = BmX$ (b) $l(BX) = BlX$

Proof : from (3.4), we get (4.1)(a). also

(4.2) $l = -\psi^3$

$lX = -\psi^3 X$

(4.3) $BlX = -B\psi^3 X$ using (2.1) in (4.3)

(4.4) $BlX = -\psi^3 BX = l(BX)$, which is (4.1)(b)

Theorem (4.2) :let the distribution M be always tangential to *f* (V) , then , l and m satisfy

(4.5) (a)$l+m = I$ (b)$lm = ml = 0$ (c)$l^2 = l$ (d)$m^2 = m$.

Using (1.8) and (4.1) we get the results .

Theorem (4.3) : If the distribution M is always tangential to *f* (V), then

(4.6) $\psi^4 + \psi = 0$

Proof : from (2.1)

(4.7) $\psi^4 BX = B\psi^4 X$

Using (1.6) in (4.7)

$-\psi BX = B\psi^4 X$

$-B\psi X = B\psi^4 X$ or

$\psi^4 + \psi = 0$ which is (4.6)

Theorem (4.4) : If the distribution M is always tangential to *f* (V), then as in (3.10)

(4.8) $H(BX, BY) = BH(X, Y)$

Proof : from (3.10) we get

(4.9) $H(BX, BY) = N(BX, BY) - N(mBX, BY) - N(BX, mBY) + N(mBX, mBY)$

Using (4.1)(a) and (2.2) in (4.9) we get (4.8).

References:-

1. Bejancu , A, CR-submanifolds of a Kaehler Manifold l, proc. Amer. Math. Soc ., 69,135-143(1978).
2. Demetropoulou-Psomopoulou, D. and Andreou, F. Gouli, On Necessary and sufficient conditions for an N- Dimensional Manifold to admit a Tensor Field f(0) of type (1,1) satisfying) $f^{2v+3} + f = 0$ Tensor (N.S.), 42,252-257(1985)
3. Blair, D.E. and Chen , B.Y., On CR- submanifolds of Hermitian Manifolds . Israel Journal of Mathematics ,34(4),353-363(1979).
4. Goldberg, S.I. and Yano,K., On normal globally framed f- manifolds . Tohoku Math., I. 22,362-370(1970).
5. Goldberg, S.I., On the Existance of Manifold with an F-structure . Tensor (N.S.),26,323-329(1972).
6. Upadhyay, M.D. and Gupta, V.C. Integrability conditions of a structure $f_ë$satisfying $f^3 + ë^2 f = 0$, publications mathematics , 24(3-4),249-255(1977).
7. Yano, K., On structure defined by a tensor Reid f of type (1,1) satisfying $f^3 + f = 0$, Tensor (N.S.) 14,99-109(1963)
8. Yano, K. and Kon, M., Differential geometry of CR-submanifolds ,Geometriate Dedicala.10, 369-391(1981).
9. Das , L.S., Nivas, R. and Singh , A. On CR-structures and F-structures satisfying $F^{4n} + F^{4n-1} \ldots\ldots + F^2 + F = 0$, Tesor N.S.70.255-260(2008).

****

महाराजा सवाई जयसिंह की धार्मिक प्रवृत्तियाँ व जयपुर नगर की स्थापना

डॉ. बबिता सिंघल *

शोध सारांश – जयसिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कूटनीतिज्ञ, सफल प्रशासक विद्यानुरागी एवं धर्म परायण थे। सवाई जयसिंह ने 1699 ई0 से 1743 ई0 तक आमेर पर शासन किया। अपने इस 44 वर्ष के शासन काल में उन्होंने राजपूताने के साथ-साथ समग्र देश की राजनीति को अत्यधिक प्रभावित किया।

धर्म, अध्यात्म, साहित्य, समाज सुधार एवं कला शिल्प आदि क्षेत्रों को सवाई जयसिंह ने नवीन जीवन से अभिसिंचित करके अपने राज्य एवं देश को बहुआयामी परंपराओं से समन्वित और गौरवान्वित किया। उन्होंने लुप्तप्राय: होती जा रही प्राचीन और पवित्र परंपराओं को पुनर्जीवन प्रदान किया। धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आस्था एवं विश्वास रखने वाले लोगों को सम्मानित कर जयसिंह ने प्राचीन परंपरा को संबर्धित किया। उन्होंने हिन्दू धर्म, हिन्दू गौरव और हिन्दू स्वतंत्रता की रक्षार्थ अथक प्रयत्न किए।

हिन्दू परंपराओं का पोषक होते हुए भी उन्होंने विभिन्न धर्म व संस्कृतियों के मध्य समन्वय की नीति अपनाई। जयसिंह प्राचीन हिन्दू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म को एक स्थान पर लाकर उनके सार तत्वों का अध्ययन तथा समन्वय करना चाहता थे। इसके साथ-साथ प्राचीन भारतीय परंपराओं के पुनरूद्धार का पुनीत लक्ष्य भी उनके सामने रहा। सभी संप्रदाय एवं धर्मों के गहन अध्ययन और समन्वय द्वारा उन्होंने धर्मों के प्रति सद्भाव का परिचय दिया।

अपनी असीम क्षमता से शांति, ज्ञान एवं सांस्कृतिक प्रगति हेतु निरंतर अथक प्रयत्न किए, फलस्वरूप जयपुर को राजपूताना के साथ-साथ समस्त भारत में ज्ञान-विज्ञान, कला व संस्कृति का प्रमुख केन्द्र बना दिया।

शब्द कुंजी –सवाई जयसिंह, धार्मिक प्रवृत्ति, हिन्दू धर्म, श्रीगोविन्ददेवजी, जयपुर नगर, भारतीय संस्कृति, धर्म सहिष्णु, वैदिक यज्ञ।

प्रस्तावना – 18 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह की देश के सर्वाधिक प्रभावशाली और ख्यात व्यक्तियों में गणना की जाती थी। उन्होंने देश की राजनीति में सशक्त भूमिका निभाने के साथ-साथ ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, साहित्य, कला, धर्म, समाज सुधार तथा नगर निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी योगदान दिया। उन्होंने प्रयोग तथा अनुसंधान के ऐसे नवीन आयाम स्थापित किए, जिनके माध्यम से राजपूताना के साथ-साथ भारत वर्ष का भी गौरव द्विगुणित हुआ। सवाई जयसिंह जी की यशकीर्ति उनके शौर्य के कारण ही संवर्धित नहीं हुई, अपितु उन कीर्ति-स्तंभों की स्थापना द्वारा भी वर्धित हुई जो उन्होंने ज्योतिष, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में स्थापित किए। सवाई जयसिंह सुभट योद्धा, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और विद्यानुरागी थे, परन्तु उनकी भगवद् भक्ति और धर्मपरायणता सर्वोपरि थी। क्रिया-कलाप के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी शक्ति का मूल आधार और प्रेरणास्त्रोत भगवान ही थे। उनकी ईश्वर में इतनी आसक्ति थी कि वे अपनी दिनचर्या 'गोविन्द जी' की आराधना से शुरू करते थे।

महाराजा सवाई जयसिंह की धार्मिक प्रवृत्तियाँ– सवाई जयसिंह की धार्मिक नीति का प्रमुख उद्देश्य हिन्दुत्व की पुनर्प्रतिष्ठा करना था। उन्होंने अपनी राजधानी को भारतीय संस्कृति का विख्यात केन्द्र बनाकर प्राचीन भारतीयता के गौरव को पुनर्जीवित किया। औरंगजेब और परवर्ती मुगल बादशाहों की नीति भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति दमनात्मक रही। राजा सवाई जयसिंह ने भारतीय संस्कृति के संरक्षक की भूमिका निभाते हुए उसे पुन: अभिसिंचित किया।

जयसिंह की धार्मिक प्रवृत्ति अत्यंत उदार एवं समन्वयवादी थी। उन्होंने विविध सम्प्रदायों के पारस्परिक भेदों को समाप्त करने हेतु भरसक प्रयास किया। उनका मानना था कि सभी धर्म अलग-अलग प्रतीत होते हैं, परन्तु सभी धर्मों में वास्तविक रूप से एक ही सिद्धांत प्रतिपादित होता है। यथा- नर और सिंह परस्पर शत्रु हैं, परन्तु नृसिंह भगवान् के अवतार में वे दोनों विरोधी अभेध रूप में सामने आते हैं।[1] वस्तुत: सभी धार्मिक सम्प्रदायों की स्थिति भी इसी प्रकार होनी चाहिए। सवाई जयसिंह ने धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए सभी धर्मों के विचारों एवं तर्कों का आदर किया और विभिन्न संप्रदायों को परस्पर समीप लाने का प्रयत्न किया।

सवाई जयसिंह ने धार्मिक कृत्यों के संबंध में सभी सम्प्रदायों में मत-वैभिन्य निराकरण करने हेतु पं. रत्नाकर दीक्षित पुंड्रिक द्वारा 'जयसिंह कल्पद्रुम' नामक ग्रन्थ की विरचना कराई। इस ग्रन्थ में वेद, शास्त्र, स्मृति, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, गणित व मंत्र-तंत्र इत्यादि का मंथन करके विभिन्न ग्रन्थों का सार सम्मिलित किया गया है। इस ग्रन्थ में दान, व्रत एवं श्रद्धा इत्यादि सर्वसम्मत धार्मिक कृत्यों का प्रतिपादन किया गया है। शैव, वैष्णव और शाक्त इत्यादि सब सम्प्रदायों के आवश्यक व्रतादि की संपूर्ण व्यवस्था दी गई है। विभिन्न धार्मिक विषयों पर शास्त्रोक्त निर्णय प्रस्तुत करना ही इस ग्रन्थ का प्रमुख लक्ष्य था। इस प्रकार सवाई जयसिंह ने विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य मतांतरों को न्यून करने का प्रयत्न किया।

सवाई जयसिंह हिन्दू धर्म के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान शासक थे।[2] सवाई जयसिंह द्वारा विरासत में प्राप्त पाँच देवताओं – विष्णु, शिव, शक्ति,

* सह आचार्य (इतिहास) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

गणपति और सूर्य का वैदिक विधिपूर्वक नित्य पंचायतन पूजा का निर्वहन किया गया। इसके अतिरिक्त वे निष्ठावान वैष्णव एवं गोविन्ददेवजी का अनन्य भक्त था। सवाई जयसिंह द्वारा अपने शासनकाल के दौरान अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर के उत्तर की ओर स्थित पहाड़ी पर एक 'गणेश' मंदिर का निर्माण कराया।[3] जो 'गढ़-गणेश' के मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा जयसिंह के काल में निर्मित 'सूर्य मंदिर' जयपुर के बाह्यांचल में पूर्वी ओर स्थित गलता पहाड़ी पर अवस्थित है। इसमें पीतल से निर्मित भगवान सूर्य की एक लघुमूर्ति प्रतिष्ठापित है। इस मंदिर का निर्माण जैन दीवान राव कृपाराम के निरीक्षण में कराया गया।[4] सवाई जयसिंह द्वारा यज्ञस्थल के समीपस्थ पहाड़ी पर 'वरदराज विष्ण' के मंदिर को बनवाया गया था। यहाँ पीतल से निर्मित भगवान विष्णु की लगभग आधा मीटर ऊँची प्रतिमा विराजित है। यह मूर्ति सवाई जयसिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ निर्वहन के लिए दक्षिण भारत से मँगवाई गई थी।[5] सवाई जयसिंह ने अपने पौत्र कल्किसिंह (ईश्वरसिंह का पुत्र) की स्मृति में जयपुर के सिरहड्योढी बाजार में 'कल्कि मंदिर' का निर्माण कराया। 'कल्कि' विष्णु का दसवाँ अवतार माना जाता है। इस मंदिर के प्राँगण में सफेद संरमरमर की करीब एक मीटर ऊँची घोड़े की मूर्ति स्थापित है।[6] इन मंदिरों के अतिरिक्त सवाई जयसिंह ने ब्रह्मपुरी में भी एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे 'यज्ञेश्वर' के नाम से जाना जाता है।[7]

श्रीगोविन्ददेवजी के अनन्य भक्त सवाई जयसिंह द्वारा 1739 ई. में राजप्रासाद के अन्दर 'चन्द्र महल' एवं 'बादल महल' के मध्य वर्तमान गोविन्ददेवजी के मंदिर का निर्माण कराया गया।[8] इससे पूर्व गौड़ीय सम्प्रदाय के प्रधान विग्रह श्री गोविन्ददेवजी आमेर से जयनिवास के मार्ग में स्थित 'कनक वृन्दावन'[9] तथा 'जयनिवास बाग' में अवस्थित थे। राजप्रासाद के अन्दर मंदिर निर्मित हो जाने के पश्चात् राजा जयसिंह ने अपने आराध्य देव श्री गोविन्ददेवजी को यहाँ प्रतिष्ठापित कर दिया था एवं आज तक यहीं अवस्थित है।

विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन से सवाई जयसिंह की 'गोविन्ददेवजी' के प्रति इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो गई कि उनकी सरकारी मोहर पर 'श्री गोविन्ददेव चरण सर्वा जयसिंह शरण' लिखा जाने लगा। 'ईश्वर विलास महाकाव्य' में श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि ने गोविन्ददेव जी के प्रति सवाई जयसिंह के परम अनुराग का सुंदर वर्णन किया है।

कवि गिरधारी कृत 'भोजनसार' में भी सवाई जयसिंह के शासनकाल में निर्मित मंदिरों का वर्णन किया गया है-

मंदिर अनेक जहा गोव्य देव गोपीनाथ
शिवरू गनेशरू दिनेस के दिवाले हैं।
देवी देव धिमत गेह गेह झालरिसु घटा
झाझि दुंदभि के नादनी के चाले है।। (195)

जयपुर के इन मंदिरों के अतिरिक्त सवाई जयसिंह ने मथुरा में सीतारामजी एवं श्रीकृष्ण के मंदिरों का निर्माण कराया तथा गोवर्धन में गोवर्द्धननाथजी का मंदिर बनवाया।[10] जयसिंह द्वारा काशी, पुष्कर एवं हरिद्वार में भी अनेक मंदिरों की स्थापना की गई थी।[11]

धर्मनिष्ठ वैष्णव होते हुए भी सवाई जयसिंह अन्य धर्मो का आदर करते थे। आमेर व जयपुर में उनके समय में अनेक जैन मंदिर बने। तत्कालीन कागजातों में सवाई जयसिंह के अनेक बार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाने का उल्लेख है।[12] इन अवसरों पर उनके द्वारा दरगाह में भेंट चढ़ाई जाती थी। ईसाई पादरियों से उनके निकट संपर्कों से यह अनुमान लगाना उचित होगा कि उनका ईसाई धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान था। विज्ञान, कला व राजनीति आदि क्षेत्रों की ही भाँति धर्म के क्षेत्र में भी उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था।

उन्होंने वेदाध्ययन, वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। उन्होंने अश्वमेध, सर्वमेध, राजसूय, पुरूषमेघ व कतिपय अन्य यज्ञों को सम्पन्न किया। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ को निर्विघ्न सम्पन्न करने के पश्चात् अश्वमेध यज्ञ के स्मृति चिन्ह के रूप में दस फुट ऊँचा कीर्ति-स्तम्भ स्थापित किया गया[13] तथा यज्ञ-स्थल पर स्थापित यज्ञेश्वर शिवमूर्ति को ब्रह्मपुरी के शिव मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया। यह विशाल अश्वमेध यज्ञ श्रावण सुदि 3, सं. 1799 को सम्पूर्ण हुआ।[14] इस प्रकार विभिन्न यज्ञों को सम्पन्न कर श्रोत धर्म के पुनर्स्थापन में सवाई जयसिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करके महाराजा सवाई जयसिंह ने प्राचीन परम्परा को पुन: स्थापित किया तथा धर्मेश्वर का सम्बोधन सार्थक किया।

सवाई जयसिंह ने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण तीर्थ स्थानों को श्रृद्धालुओं के लिए सुविधायुक्त बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने मथुरा, बनारस, प्रयाग, गोवर्धन, उज्जैन और पुष्कर आदि तीर्थ स्थानों में आने वाले श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए निजी व्यक्तियों से जमीन खरीदकर धर्मशालाएँ और घाट इत्यादि बनवाए।[15]

जयपुर नगर की स्थापना- सवाई जयसिंह की राजनीतिक उपलब्धियों के कारण आमेर राज्य के प्रभाव एवं महत्व में आशातीत वृद्धि हुई। जयसिंह ने कछवाहों की प्राचीन राजधानी आमेर में अनेक भवनों का निर्माण और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार तथा नहर एवं बगीचों का निर्माण कराया, लेकिन इन सुधारों और नव निर्माण के पश्चात् भी आमेर उसे अपर्याप्त लगने लगा। सवाई जयसिंह ने प्राचीन आमेर के नवीन विस्तार, महत्व, प्रभाव एवं शक्ति के अनुरूप जयपुर निर्माण की योजना बनाई। राजा जयसिंह जयपुर को प्राचीन हिन्दू नगर निर्माण शैली के अधिकृत सिंद्धातों पर आधारित करके अपनी प्राचीन परंपरा को पुन: स्थापित करने की आकांक्षा रखते थे।

सवाई जयसिंह के मन-मस्तिष्क में भव्य परिकल्पनाएँ उत्पन्न हो रही थीं, अत: इनकी क्रियान्विति हेतु एक अधिक विस्तृत और विकासशील राजधानी की आवश्यकता अनुभूत हुई। इसके लिए उन्होंने प्राचीन भारतीय शास्त्रों एवं ज्योतिष विज्ञान का गहन अध्ययन किया और तदनुसार नवीन राजधानी बनाने की उत्सुकता उनके मन में जागृत हुई।

आमेर जयसिंह के बढ़ते हुए राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसकी परिकल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु अपर्याप्त था । वहाँ सुंदर एवं भव्य महल तो थे, परन्तु न बड़े बाजार थे और न भव्य सड़कें। पहाड़ों से आच्छादित आमेर का विस्तार करना एक समस्या थी। इस समय सवाई जयसिंह मुगल दरबार में सबसे प्रभावशाली राजा तथा राजपूताना में समस्त राजपूतों के हितों के संरक्षक थे, उनके पास पर्याप्त संसाधन थे और विद्याधर भट्टाचार्य जैसा कुशल वास्तुकार भी था। अत: इन सभी कारणों से उन्होंने नया नगर बसाने का निश्चय किया, ताकि उनकी परिकल्पनाओं को साकार रूप मिल सके।

सवाई जयसिंह एक धर्मनिष्ठ हिन्दू राजा थे । उन्हें हिन्दुओं के प्राचीन नगर निर्माण सिद्धांतों तथा शिल्प शास्त्रों का प्रभूत ज्ञान था। उनके अपने परामर्श-दाता इस बात के विशेषज्ञ थे। अत: नए नगर की निर्माण योजना में मंदिरों का निर्माण उसके अतिरिक्त भाग के रूप में स्वीकार किया। वराह

मिहिर लिखित 'वृहत संहिता' में प्रतिपादित इस सिद्धांत का कि 'जहाँ वृक्षों के समूह, नदियाँ, पर्वत, झरने, सुखकारी उपवनों वाले नगर होते हैं वहाँ सदा देवता रमण करते हैं, जयसिंह को ज्ञान था।'[16] फलस्वरूप उन्होंने जयपुर के बाजारों के दोनों ओर तथा चौपड़ों के किनारों पर उच्च और मनोहारी मंदिरों का निर्माण कराया और कुबेर की नवनिधियों के आधार पर नगर को 'नौ चौकड़ियों' में विभक्त करने की योजना बनाई। इस प्रकार सवाई जयसिंह की नगर निर्माण योजना उसकी हिन्दू धर्म एवं प्राचीन परंपराओं के प्रति आस्था का प्रतीक थी।

सवाई जयसिंह ने आमेर के दक्षिण में एक विशाल भू-खण्ड का सर्वेक्षण कराया, साथ ही देश-विदेश के प्रसिद्ध नक्शों और मानचित्रों का गहन अध्ययन करने के उपरांत भूतत्वज्ञों, वास्तु शास्त्रियों एवं पंडितों से विचार-विमर्श किया और नगर निर्माण कला विशेषज्ञ प. विद्याधर भट्टाचार्य के विशेष सहयोग से जयपुर निर्माण योजना की रूपरेखा संरचित की। पौष वदी 1, संवत् 1784 (18नबम्बर, 1727)[17] को विनायक शांति, वास्तु शांति और नवग्रहों की शांति से नगर-निर्माण की नींव रखी गई। यह कार्य पं. जगन्नाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

जब इस शहर की आधारशिला रखी, तब इसका आधिकारिक नाम 'सवाई जयपुर' था। उस समय के सभी राजकीय दस्तावेजों में यह नाम उल्लिखित है। यथा- नींव रखने के उपलक्ष्य में पंड़ित जगन्नाथ सम्राट को दिए गए भूमि के पट्टे पर भी 'सवाई जयपुर' नाम का उल्लेख मिलता है।[18] पं. जगन्नाथ सम्राट को यह भूमि जयपुर के बाह्यांचल में हथरोई के निकट प्रदान की गई।[19]

'सवाई जयपुर' पहला ऐसा नगर था जिसका निर्माण नक्शे के आधार पर कराया गया था। इस नगर की इमारतों, सड़कों एवं बस्तियों में एकरूपता थी। नगर को 'ना' आयताकार खण्ड़ों में बाँटा गया था, जिन्हें 'नव चौकड़ियाँ' कहा जाता था। 'नौ' में से 'दोय खंड़ केवल राजनिवास, वेधशाला एवं राजकीय कार्यालयों के लिए थे तथा शेष सात खंड़ जन-साधारण के निवास, सार्वजनिक संस्थान, बाजार एवं दुकान इत्यादि निर्माण के लिए थे।[20]

यहाँ के सभी मार्ग पूर्णतः सीधे तथा समसूत्र में बने हुए थे। साथ ही एक-दूसरे को समकोण पर विभाजित करते थे। 120 फीट चौड़ी एवं दो मील लम्बी मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम को जाती है, जो पूर्व में सूरजपोल व पश्चिम में चाँदपोल को जोड़ने वाला प्रधान मार्ग थी। उत्तर से दक्षिण जाने वाली तीन सड़कें इस मुख्य मार्ग को विभाजित करती थीं।

इस प्रकार नगर 'आठ' खण्ड़ों में विभक्त होता था तथा 'नवाँ' खण्ड़ बाहर पूर्व की ओर था। इन खण्ड़ों को 'चौकड़ी' कहा जाता था। जहाँ तीन सड़कें प्रमुख राजमार्ग से मिलती थीं, वहाँ तीन चौराहे बन गए थे, जिन्हें 'चौपड़े' कहा जाता था। चौपड़ों को आकर्षित बनाने के लिए चारों कोनों पर आकर्षक भवन व मंदिर बनवाए गए।

चौपड़ों के बीच जल संग्रहण हेतु कुंड़ बनाए गए थे। नगर में जल की समुचित व्यवस्था हेतु सवाई जयसिंह ने अमानीशाह नाले में पक्का बाँध बनवाया तथा झोटवाड़ा नदी से एक नहर निकाली, यह नहर जयपुर के पश्चिम भागों से गुजरती हुई पूर्व की ओर जाती थी।[21] नगर की मुख्य सड़कों से अनेक रास्ते निकलते थे - एक चौड़ा और एक छोटा। सभी रास्ते सीधे तथा समानांतर तथा समकोण बनाते हैं। मकानों के प्रत्येक पंक्ति के अगल-बगल गली रखी गई थी। मकान के निर्माण में एकरूपता का विशेष ध्यान रखा गया था। अधिकांश मकान दो मंजिल के थे, परन्तु कुछ तीन या चार मंजिला भी थे। मकानों के द्वार खिड़कियाँ इत्यादि रंग-बिरंगे दृश्यों से सुसज्जित थे।

नगर के चहुँओर 20 फीट ऊँची और 9 फीट चौड़ी चार दीवारी है, जिसमें सात प्रवेश द्वार बने हुए हैं। राजमहल वाले खण्ड़ों में नगर की सर्वाधिक नयनाभिराम इमारतें अवस्थित थीं। महल में प्रवेश करने का मुख्य द्वार 'उदयपोल' है। राजसी खंड़ों की सभी इमारतों में चन्द्रमहल सबसे भव्य है। महल की सबसे नीची मंजिल 'प्रीतम निवास' है, जो शरद् ऋतु में काम आती थी। दूसरी मंजिल 'शोभा निवास' कहलाती है। तीसरी मंजिल 'सुख निवास', चौथी मंजिल 'छवि निवास' पाँचवीं 'शीश महल' है। सबसे ऊपर मुकुट है। चन्द्र महल के उत्तर की ओर 'बादल महल' स्थित है और उन दोनों के बीच गोविन्ददेवजी का मंदिर निर्मित है।

'जय निवास' बाग राजमहल खंड़ का प्रमुख आकर्षण है। राजकीय कार्यालयों को एक ही स्थान पर केन्द्रित करने की दृष्टि से जलेब चौक का निर्माण करवाया गया। साथ ही यह चौक राजमहल के विशाल प्राँगण के रूप में भी उपयोगी था।

सवाई जयसिंह ने जयपुर की सुरक्षा को ध्यानगत रखते हुए चहुँओर पहाड़ियों पर किले बनवाए। पूर्व में गलता के पास रघुनाथ गढ़, दक्षिण में शंकरगढ़ और हथरोही, पश्चिम में सुदर्शनगढ (वर्तमान नाहरगढ़) और उत्तर में आमेर के राजमहलों के पास जयगढ़ का निर्माण कराया।

जयसिंह ने दूर-पास के प्रमुख व्यापारियों को विभिन्न सुविधाओं का आश्वासन देकर जयपुर में रहने व व्यापार करने का आमंत्रण दिया। इसी तरह सवाई जयसिंह ने अपने संबंधियों तथा सामंतों को भी नयी राजधानी में अपनी-अपनी हवेलियाँ बनवाने के लिए प्रेरित किया तथा ब्राह्मण एवं विद्वानों को आमंत्रित कर ब्रह्मपुरी का निर्माण किया।

जयपुर नगर निर्माण कार्यों तथा बसावट का वर्णन श्रीकृष्ण भट्ट के 'ईश्वर विलास महाकाव्य' में विस्तार से किया गया है, इसके अतिरिक्त 'जयवंश महाकाव्य', मथुरानाथ शास्त्री का 'जयपुर वैभवम्' बरवताराम शाह की 'बुद्ध विलास' में जयपुर नगरी का हृदयग्राही चित्रण किया है।

निष्कर्ष - निष्कर्षतः यह सुविन्यासित एवं आदर्श नगर, राजा एवं उसके सामंत तथा प्रजा की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया था। यह नगर सवाई जयसिंह के प्रभाव एवं शक्ति का स्पष्ट प्रतीक था। जयसिंह ने इसे प्राचीन हिन्दू नगर निर्माण शैली के सर्वमान्य एवं अधिकृत सिद्धांतों पर आधारित करते हुए प्राचीन भारतीय परंपरा को पुनर्स्थापित किया। राजा सवाई जयसिंह ने भारतीय संस्कृति के संरक्षक की भूमिका निभाते हुए उसे पुनः अभिसिंचित किया। जयसिंह की धार्मिक प्रवृत्ति अत्यंत उदार एवं समन्वयवादी थी। सवाई जयसिंह ने धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए सभी धर्मो के विचारों एवं तर्को का आदर किया और विभिन्न संप्रदायों को परस्पर समीप लाने का प्रयत्न किया। उपर्युक्त विवेचनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि सवाई जयसिंह भारतीय संस्कृति के महान संरक्षक, धर्म सहिष्णु एवं उदार वृत्ति के धनी थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पोथीखाना ऑफ जयपुर लेख में उद्धृत, गोपाल नारायण बहुरा, संस्कृत कल्पतरू जयपुर-1972
2. प्रतापप्रकाश : सं.पं. गोपाल नारायण बहुरा, सिटी पैलेस जयपुर-1983, पृ.-29
   हिस्ट्री ऑफ द जयपुर सिटी : डॉ. ए. के. राय, पृ.-20
3. देवस्थान रिकार्डस्, रजिस्टर न. 46, पृ.-204-205, रा. रा. बीकानेर

अभिलेखागार
4. हिस्ट्री ऑफ द जयपुर सिटी : डॉ. ए. के. राय, पृ.–21
5. सवाई जयसिंह : राजेन्द्र शंकर भट्ट, पृ.–173
हिस्ट्री ऑफ द जयपुर सिटी : डॉ. ए. के. राय, पृ.–22
6. हिस्ट्री ऑफ द जयपुर सिटी : डॉ. ए. के. राय, पृ.–23, फुटनोट न.–46
7. सवाई जयसिंह : राजेन्द्र शंकर भट्ट, पृ.–176
सवाई जयसिंह : डॉ. वी. एस. भटनागर, पृ.–202
8. सवाई जयसिंह चरित : स. प. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.–143
सवाई जयसिंह : डॉ. वी. एस. भटनागर, पृ.–197
9. सवाई जयसिंह चरित : स. प. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.–46
बंध निकट आमैर वै, जै निवास की राह
वृन्दावन रचनाँ रचो, फेरि भूप जयसाह।
10. सवाई जयसिंह चरित : स. प. गोपाल नारायण बहुरा, पृ.–143
सवाई जयसिंह : डॉ. वी. एस. भटनागर, पृ.–202
11. सवाई जयसिंह : राजेन्द्र शंकर भट्ट, पृ.–178
12. दस्तूर कौमवार जिल्द–18, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर
13. हिस्ट्री ऑफ द जयपुर सिटी : डॉ. ए. के. राय, पृ.–23
14. सवाई जयसिंह : डॉ. वी. एस. भटनागर, पृ.–164
15. सवाई जयसिंह : वी. एस. भटनागर, पृ.–202, कपड़ द्वारा न. 215,218,231
16. जयपुर के मंदिर (अप्रकाषित ग्रन्थ) : नन्दकिशोर पारीक
सवाई जयसिंह : राजेन्द्र शंकर भट्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, पृ.–137
17. सवाई जयसिंह : डॉ. वी. एस. भटनागर, पृ.–195
राजदरबार एवं रनिवास : नन्दकिशोर पारीक, राजस्थान पत्रिका (प्रा.) लि.,जयपुर–1984 पृ.–18
18. हिस्ट्री ऑफ द जयपुर सिटी : डॉ. ए. के. राय, मनोहर प्रकाशन, दिल्ली–1978, पृ.–49
19. वही पृ.–44
20. वही पृ.–48
21. सवाई जयसिंह : राजेन्द्र शंकर भट्ट, पृ.–129

****

भारतीय नीति आयोग : एक परिचय

डॉ. सोमवती शर्मा *

शोध सारांश – सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग भी पहल और सहयोग पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने भी दिशा में केन्द्र सरकार सदैव तत्पर रही है। योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 को नीति आयोग गठित किया गया। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को बाधित किए बिना नीति निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धी संघवाद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। यह भारत सरकार का मुख्य 'थिंक टैंक' है। प्रस्तुत शोध पत्र में नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना एवं भूमिका को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्र में विकास का कार्य करना नीति आयोग का मुख्य ध्येय है।

शब्द कुंजी – राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, थिंक टैंक, योजना आयोग, नीतिगत गतिशीलता, नवाचार, उधमशीलता प्रौद्योगिकी, उन्नयन, संघवाद, अंतरक्षेत्रीय, सुशासन, न्यायसंगत, क्षेत्रीय परिवार, सचिवालय, अनुसंधान प्रैक्टिशनर।

प्रस्तावना – नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।[1] 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्ताव जारी किया गया।[2] यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे।[3] नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, वी0के0 सारस्वत, रमेश चन्द्र और विनोद पाल शामिल हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अन्तर है कि इससे केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।

नीति आयोग

नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष (चेयरपर्सन) (पदेन अध्यक्ष) – नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तन्त्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचायेगा। आयोग राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देगा।[4]

पृष्ठभूमि– बीतते वर्षों के साथ सरकार का संस्थागत ढांचा विकसित और परिपक्व हुआ है। इससे कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित हुई है जिसने संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की विशिष्टता बढ़ाई है। नियोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में शासन की 'प्रक्रिया' को शासन की 'कार्यनीति' से अलग करने साथ ही साथ उसे ऊर्जावान बनाने की जरुरत है। शासन संरचना के संदर्भ में हमारे देश की जरूरतें बदली हैं ऐसे में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता है जो सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारक थिंक टैंक के रूप में कार्य करे। प्रस्तावित संस्थान प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयात के मामले, देश के भीतर और अन्य देशों में उपलब्ध सर्वोत्ताम प्रक्रियाओं के प्रसार, नए नीतिगत विचारों को अपनाने और विषय आधारित विशिष्ट सहायता शामिल है। यह संस्थान लगातार बदल रहे एकीकृत विश्व के अनुरूप कार्य करने में सक्षम होगा, भारत जिसका एक भाग है।

संस्थान के तहत व्यवस्था में केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रासंगिक विषयों के संदर्भ में संस्थान के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्व के सकारात्मक प्रभावों को अपनाते हुए संस्थान को इस नीति का पालन करना होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ही मॉडल प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। विकास के लिए हमें अपनी नीति स्वंय निर्धारित करनी होगी। देश में और देश के लिए क्या हितकारी है, संस्थान को इसपर ध्यान केंद्रित करना होगा जो विकास के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा।

इन आशाओं को जीवंत बनाने के लिए संस्थान है – नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)। इसे राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हितधारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया। आयोग एक बहू–सदस्यीय संस्था है।

उद्देश्य – नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा। राष्ट्रीय

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को 'राष्ट्रीय एजेंडा' का प्रारूप उपलब्ध कराना है।

सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।

1. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा।
2. आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
3. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा।
4. रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढ़ांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे।
5. महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा।
6. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।
7. विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
8. अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा।

आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी। ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।

कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।

राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना।

सरंचना

नीति आयोग का गठन इस प्रकार होगा

1. भारत के प्रधानमंत्री- अध्यक्ष
2. गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों (जिन केन्द्रशासित प्रदेशो में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री) के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
3. विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे (इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे)।
4. संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।
5. पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न होंगे।
6. उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
7. सदस्य: पूर्णकालिक
8. अंशकालिक सदस्य: अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे।
9. पदेन सदस्य: केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होंगी।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
11. सचिवालय आवश्यकता के अनुसार

सदस्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग में निम्नलिखित नियुक्तियां की।

पद	नाम
उपाध्यक्ष	डॉ. राजीव कुमार, अर्थशास्त्री
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	अमिताभ कांत
पूर्णकालिक सदस्य	डॉ. विनोद पॉल, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ
विजय कुमार सारस्वत,	पूर्व डीआरडीओ सचिव
रमेश चंद,	कृषि विशेषज्ञ
पदेन सदस्य राजनाथ सिंह,	केंद्रीय मंत्री
निर्मला सीतारमण	केंद्रीय मंत्री
अमित शाह	केंद्रीय मंत्री
नरेन्द्र सिंह तोमर	केंद्रीय मंत्री
विशेष आमंत्रित	नितिन गडकरी, सड़क एंव परिवहन मंत्री
थावरचंद गहलोत	केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारता मंत्री
रमेश निशंक पोखरियाल	मानव संसाधन विकास मंत्री

निष्कर्ष - भारतीय नियोजन प्रणाली को और अधिक विशिष्ट बनाने की आवश्यकता को पूर्ण करने में नवगठित नीति आयोग पूर्णतया सक्षम है। नियोजन की प्रक्रिया के सन्दर्भ में शासन की प्रक्रिया को शासन की कार्यनीति से अलग करने साथ ही उसे ऊर्जावान बनाने की जरूरत है। शासन संरचना के सन्दर्भ में हमारे देश की आवश्यकताऐं बदली है। ऐसे में एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता है जो सरकार में दिशात्मक और नीति निर्धारण 'थिंकटैंक' के रूप में कार्य कर सके। नीति आयोग की स्थापना इन्हीं वृहद लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की गयी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. के.डी.सक्सेना, 'नीति आयोग एण्ड प्लानिंग कमिशन', शिप्रा पब्लिकेशन, 2019
2. 'सरकार ने आयोग के स्थान पर नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) बनाया', मूल से 2 जनवरी 2015 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 2 जनवरी 2015
3. डॉ.बी.एल. फडिया, 'भारतीय प्रशासन', साहित्य भवन, संशोधन
4. आ.सी.चांदना, 'प्रादेशिक नियोजन नया विकास', कल्याणी पब्लिकेशन।

****

उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि व तनाव में सहसम्बन्ध का अध्ययन

डॉ. रितु बाला* सुमित्रा सिंह**

शोध सारांश –प्रस्तुत शोधकार्य शोधार्थी द्वारा **'उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि व तनाव में सहसम्बन्ध अध्ययन'**करने के लिये किया गया। इस हेतु न्यादर्श के रूप में 800 विधार्थियों का चयन किया गया। उपकरण के रूप में रूचि मापनी डॉ.एस.पी कुलश्रेष्ठ तथा तनाव मापनी डॉ. जाकीर अख्तर का उपयोग किया गया निष्कर्ष रूप में देखा गया कि उच्च माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के विधार्थियों की शैक्षिकरूचि व तनाव में निम्न धनात्मक सहसम्बन्ध एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि व तनाव में निम्न ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया गया।

प्रस्तावना – शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। यह जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रयासरत रहता है, उसका यह प्रयास जीवन पर्यन्त चलता रहता है। यहाॅ तक कि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक किसी न किसी रूप में प्रयत्नशील अवश्य रहता है। कभी वह तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है तो कभी अंतिम या दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आखिरकार वे कौन से कारण है जो व्यक्ति विशेष को व्यवहार के लिए प्रेरित करते है, इसी का अध्ययन अभिरूचि के अन्तर्गत किया जाता है। देखने में तो यह रूचि शब्द बहुत ही छोटा प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में यह अपने में बडा गूढ अर्थ समेटे हुए है, और इसकी व्याख्या अत्यन्त विस्तृत हैं। आज अभिरूचि का मनोवैज्ञानिक जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहे वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो, पारिवारिक अथवा सामाजिक हो, जातीय अथवा राष्टीय हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, एक महत्वपूर्ण आधार हो गया है।

व्यक्ति अपने जन्म के समय असहाय होता है और दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे–जैसे वह बड़ा होता है, वैसे –वैसे वह उनको पूरा करना अपना और अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इन कार्यो में शिक्षा उसे विशेष योग देती है। शिक्षा न केवल उसे वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देती हैं, वरन उसके व्यवहार में ऐसे वाछनीय परिवर्तन भी करती है कि वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है। शिक्षा इन कार्यो को सम्पन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है। सम्भवत: इसी विचार से प्रेरित होकर डॉ. राधाकृष्णन ने लिखा है 'शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिये इस कार्य को किये बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है।'

शोध कथन –**'उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि व तनाव में सहसम्बन्ध अध्ययन'**

शोध के उद्देश्य:

1. उच्च माध्यमिक स्तर के कला एवं वाणिज्य वर्ग विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि एवं तनाव मे सम्बन्ध ज्ञात करना।

परिकल्पनाएं:

1. उच्च माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि एवं तनाव मे कोई सहसम्बन्ध नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य वर्ग विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि एवं तनाव मे कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

शोध विधि –प्रस्तुत शोध विधि में शोधकर्ता द्वारा शैक्षिक रूचि व तनाव का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है

न्यादर्श–'न्यादर्श एक विस्तृत समूह का निम्नतम प्रतिनिधि है।' प्रस्तुत शोधकार्य में न्यादर्श के रूप में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यकीय विधिया

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी परीक्षण
4. सहसम्बन्ध

शोध में प्रयुक्त उपकरण

1. **शैक्षिक रूचि मापनी**–डॉ.एस.पी कुलश्रेष्ठ
2. **तनाव मापनी डॉ. जाकीर अख्तर**

परिकल्पना संख्या–1 :उच्च माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि एवं तनाव मे कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

कला वर्ग	मध्यमान	मानक विचलन	सह संबंध गुणाक
तनाव प्राप्तांक	147.54	401.7	0.1
शैक्षिक रूचि	8.707	67.63	

उपरोक्त परिकल्पना की जांच हेतु हमने कला वर्ग 400 विद्यार्थियों के शैक्षिक रूचि मापनी के अंकों का माध्य तथा तनाव मापनी के अंकों का माध्य ज्ञात किया गया। शैक्षिक रूचि मापनी का माध्य 8.707 तथा तनाव मापनी के अंकों का मध्यमान 147.54 प्राप्त हुआ इसी प्रकार दोनों मापनीयों के मानक विचलन ज्ञात किये गये इसी आधार पर सह संबंध गुणांक ज्ञात किया गया जो कि 0.1 प्राप्त हुआ जिससे ज्ञात हुआ कि कला वर्ग के

* प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत
** शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

विद्यार्थियों के तनाव एवं शैक्षिक रूचि में निम्नतम धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात कला वर्ग के विद्यार्थियां में यदि तनाव यदि बढ़ जाता है तो उनकी शैक्षिक रूचि भी आंशिक रूप से बढ़ जाती है।

परिकल्पना संख्या-2: उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य वर्ग विद्यार्थियों की शैक्षिकरूचि एवं तनाव मे कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

वाणिज्य वर्ग	मध्यमान	मानक विचलन	सह संबंध गुणाक
तनाव प्राप्तांक	148.88	375.41	-0.034
शैक्षिक रूचि	8.82	69.57	

उपरोक्त परिकल्पना की जांच हेतु हमने वाणिज्य वर्ग 400 विद्यार्थियों के शैक्षिक रूचि मापनी के अंकों का माध्य तथा तनाव मापनी के अंकों का माध्य ज्ञात किया गया। शैक्षिक रूचि मापनी का माध्य 8.82 तथा तनाव मापनी के अंकों का मध्यमान 148.88 प्राप्त हुआ इसी प्रकार दोनों मापनीयों के प्रमाप विचलन ज्ञात किये गये इसी आधार पर सह संबंध गुणांक ज्ञात किया गया जो कि -0.034 प्राप्त हुआ जिससे ज्ञात हुआ कि वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के तनाव एवं शैक्षिक रूचि में निम्नतम ऋनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियां में यदि तनाव बढ़ जाता है तो उनकी शैक्षिक रूचि आंशिक रूप से कम हो जाती है।

निष्कर्ष - कला वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक रूचि का तनाव से सह सहसम्बंध का अध्ययन उपयुर्क्त परिकल्पना के निष्कर्ष रूप देखा गया कला वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक रूचि तथा तनाव में सहसम्बन्ध निम्न धनात्मक सह संबंध पाया गया अर्थात कला वर्ग के विद्यार्थियों में तनाव बढ़ने पर उसकी शैक्षिक रूचि आंशिक रूप से बढ़ जाती है।

वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक रूचि में तनाव के साथ सहसंबंध का अध्ययन उपयुर्क्त परिकल्पना के निष्कर्ष रूप में देखा गया कि वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक रूचि व तनाव में सह सम्बन्ध निम्न ऋणात्मक पाया गया अर्थात वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों में तनाव कम होने पर आंशिक रूप से शैक्षिक रूचि कम हो जाती है।

शोध अध्ययन की उपयोगिता- प्रस्तुत शोध के माध्यम से शिक्षक बालकों में शैक्षिक रूचि व तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों को जान सकेंगे तथा ऐसी शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कर सकेगे जो उनकी शैक्षिक रूचि को बढ़ायें तथा तनाव को कम करें।

प्रस्तुत शोध के माध्यम से बालक जान सकेंगें कि कितनी मात्रा में तनाव उनकी शैक्षिक रूचि उनके शारिरीक तथा मानसिक विकास में सहायक है तथा उस पर किन घटकों का प्रभाव पड़ता है तथा किन घटकों का प्रभाव नहीं पड़ता है तनाव को किस प्रकार शैक्षिक सहायक के रूप में उपयोग कर सकते है यह जानने में भी प्रस्तुत शोध उनकी सहायता करेगा।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव:

1. प्रस्तुत अध्ययन उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर किया गया है अत: माध्यमिक स्तर एवं महाविद्यालय स्तर पर इसका अध्ययन किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य शिक्षकों पर तनाव व शिक्षण रूचि के संदर्भ में भी किया जा सकता है।
3. प्रधानाचार्यो, प्रशासकों, प्रबन्धकों पर तनाव के प्रभाव का अध्ययन भी किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों पर ही किया गया है अत: इसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों पर भी किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. एजूकेशन इन्टरेस्ट ट्रैंड एंमग एंग चिल्डन सम्बन्ध ई-जर्नल 7-7490 आई. एस. एस. एस. 2277-7490 वाल्यूम-2 कोश
2. शीलू मेरी (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य रजत प्रकाशन नई दिल्ली
3. शोध संचयन मानविकी एवं समाज विज्ञान मौलिक एवं अंतरानुशासनात्मक शोध शोध संचयन आई.एस.एस.एन 2249-9180 (आनलाईन) वाल्यून-5 इश्यू-2014
4. शैक्षिक रूचि प्रपत्र डॉ एस पी कुलश्रैष्ठ
5. गुप्ता, अलका- छात्रों के शैक्षित सन्तुष्टि का अध्ययन एवं सन्तोष मापनी इण्डियन जेफिजियो, फारर्मोकल 2014 पेज-8186
6. इनोवेयर जर्नल ऑफ एजूकेशन आई. एस. एन. 2347-5528 वाल्यूम-2 इश्यू-2 2016
7. इन्टरनेशलन एजूकेनल ई जर्नल वाल्यूम -5 पेज न. 51-57
8. इन्टरनेश्नल जर्नल ऑफ एजूकेशन रिर्सच एंड टैक्नोलॉजी आई. एस. एस. एन 09764089 वाल्यूम-3 सितम्बर 2014
9. इन्टरनेश्नल जर्नल ऑफ हयूमनिटी एंड सोशल साईंस अनवेनशन आई एस.एस.एन-2319-7722
10. इन्टनेशनल जर्नल ऑफ एडवास एजूकेशन एंड रिर्सच आई.एस.एस.एम 2320-2882 वाल्यूम-2 इश्यू-2 (2014)
11. इन्टनेशनल जर्नल ऑफ एडवास एजूकेशन एंड रिर्सच आई.एस.एस.एम 2455-5746 वाल्यूम-2 इश्यू-2 (2017)
12. इन्टनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशन एंड इन्फमिशन स्टडी आई. एस एस. एन. (27)-3169 वाल्यूम 5 पेज 51-57

****

मानव संसाधन प्रबंध : चुनौतिपूर्ण दायित्व

डॉ. इन्दु अरोडा*

शोध सारांश – मानव संसाधन समस्त संसाधनों में सर्वोपरि संसाधन है। यह किसी भी व्यावसायिक संगठन के मानव संसाधनों को विकसित, प्रेरित और परिवर्तित करके उपक्रम के कार्य वातावरण को पूर्णत: सकारात्मक बनाने की क्षमता रखता है। मानव में असीम क्षमता होती है और कुशल प्रबंध के द्धारा मानव की असीम क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। परंतु यह कार्य किसी सामान्य प्रबंध या सामान्य व्यक्ति की क्षमता के दायरे में नहीं आता है। इस विशेष कार्य हेतु विशिष्ट, प्रतिभावान, पेशेवर व कुशल व्यक्ति; जो मानवीय व्यवहार को समझने व उसे निर्देशित करने में पारंगत हो; की आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में उस व्यक्ति का मानव संसाधनों से व्यवहार करने में कुशल व पेशेवर होना आवश्यक है। अत: स्पष्ट है कि मानव से व्यवहार करने वाली प्रबंध की यह विशिष्ट शाखा होती है और **मानव संसाधन प्रबंध** के नाम से जानी जाती है और मानव संसाधनों से व्यवहार करने वाला यह विशिष्ठ वयक्ति मानव संसाधन प्रबन्धक कहलाता है। **जहां मनुष्यों को समझना चुनौतीपूर्ण है। वही उनसे कार्य करवाना और भी चुनौतीपूर्ण है।** इस लेख के द्धारा मानव संसाधन प्रबंध के कार्य क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों व समाधानों पर प्रकाश डाला गया है। लेख का उद्देश्य मानव संसाधन प्रबन्ध की चुनौतियों व मानव संसाधनों से व्यवहार करने में संवदेनशीलता की मनोवृत्ति रखने की आवश्यकता एवं मानव संसाधन प्रबन्ध की महत्ता को रेखांकित करना है।

शब्द कुंजी –मानव संसाधन प्रबंध, चुनौतियां, मानव संसाधन।

प्रस्तावना – मानव संसाधन किसी व्यावसायिक उपक्रम की अमूल्य संपत्ति होते हैं; क्योंकि **मानव संसाधन से आशय ही – किसी व्यवसाय या संगठन के कुशल और योग्य व्यक्तियों से होता है।** अत: भौतिक संसाधनों की प्रभावशीलता एवं कार्य कुशलता मानवीय संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है और **मानव संसाधनों के विकास से संबंध रखने वाली प्रबंध की विशेष शाखा मानव संसाधन प्रबंध के नाम से जानी जाती है। अन्य शब्दों में 'मानव संसाधन प्रबंध – साधारण प्रबंध की वह शाखा है; जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखती है; जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्य से संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति का सदुपयोग करके संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है।'** अर्थात **मानव संसाधन प्रबन्ध एक संवेदनशील व गंभीर दायित्व है। जिसमें कर्मचारियों को संतुष्ट व अभिप्रेरित करके ही संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।** गतिशील समय व जटिल कार्य वातावरण के कारण मानव संसाधन प्रबंधकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना होता है।

चुनौती अर्थात नयी एवं कठिन स्थितियां जिनका समाधान करने हेतु अथक प्रयत्न करना होता है। वर्तमान में मानव संसाधन प्रबंधकों को निम्नांकित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है :–

1. **योग्य कर्मचारियों की प्राप्ति –** वैश्वीकरण के पश्चात जहां संपूर्ण विश्व एक गाँव बन गया है वहीं परिणामस्वरूप प्रतियोगिता भी बढ़ गई है। प्रतियोगिता का सामना केवल प्रतिभावान व्यक्तियों के बल पर ही किया जा सकता है।

यह मानव संसाधन प्रबंध के लिए एक संघर्ष व चुनौती है कि वह योग्य, अनुभवी व कुशल व्यक्तियों को आकर्षित कर सके। इस हेतु मानव संसाधन प्रबंधक को अपनी कंपनी की **प्रतिष्ठा बनानी होती है; जो कि विशिष्ट कार्यों व कार्य मूल्यों की स्थापना से ही संभव है।**

2. **अद्यतन बनाए रखना –** सूचना क्रांति के पश्चात यह आवश्यक हो गया है कि **संस्था के कर्मचारियों को डिजिटल युग के साथ समन्वित एवं अद्यतन रखा जाए।**

यह मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि तकनीक में तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। **अतएव विद्यमान व अपेक्षित तकनीकी योग्यताओं का अंतराल पाटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।**

इस **हेतु सुनियोजित शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों** का आयोजन किया जाना चाहिए। जिनमें **उपलब्ध कुशलता एवं अपेक्षित कुशलता के अंतरालों का विशिष्ट विश्लेषण करके उसी के अनुरूप विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा सके।**

3. **कार्यबल विविधाता –** वैश्वीकरण के कारण कार्यबल विविधता जहां सामान्य स्थिति है। वही इसका प्रबंध करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। **विविध आयु वर्ग, लिंग, संस्कृति, योग्यता, अनुभव एवं राष्ट्रीयता वाले मानव संसाधनों का प्रबंध करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।**

इस चुनौती का समाधान यह है कि प्रबंध **सतर्कता पूर्वक इस विविधता के स्तर का आकलन करें एवं कर्मचारियों को कार्य परिणामों की ओर निर्देशित कर उनके प्रयासों को परिणामों की प्राप्ति की ओर केंद्रित करें एवं उनकी विविधताओं को समन्वित कर विविधता का लाभ उठाएं।** साथ ही सांस्कृतिक विविधता वाले स्टाफ को विविधता के लाभों से भी अवगत करवा कर उनके प्रयासों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करें। **टीम बिल्डिंग** करके भी विविधता का सदुपयोग किया जा सकता।

4. **परिवर्तन का प्रबंध – गतिशील विश्व में केवल मात्र 'परिवर्तन' ही स्थाई है।** परंतु परिवर्तन कभी सरल नहीं होते। **परिवर्तनों को क्रियान्वित करना एवं इस हेतु नियोजन करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।** परिवर्तन विविध स्वरूपों यथा :– तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक

* सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

एवं प्रबंधकीय स्वरूपों में हो सकते हैं।

मानव संसाधन प्रबन्धकों को; परिवर्तनों के कारण; कर्मचारियों में उत्पन्न भय, संशय, मनोबल के निम्न स्तर एवं संघर्षों का सामना करना होता है। इस चुनौती का समाधान प्रभावी व द्विमार्गीय संप्रेषण के साथ-साथ कर्मचारियों को सहयोग तथा **आवश्यक संसाधन प्रदान करके** व व्यूहरचनाओं एवं विधियों की जानकारी प्रदान करके किया जा सकता। इसके अतिरिक्त टीमवर्क भी इसमें सहायक होता है।

5. कर्मचारी जुड़ाव – कर्मचारी जुड़ाव वह स्थिति है जब एक कर्मचारी अपने कार्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ अनुभव करता है एवं बेहतर कार्य परिणाम देने की आकांक्षा रखता है। कर्मचारी संस्था व कार्य से जुड़ाव तभी अनुभव करते हैं जब उन्हें कार्य पर मान्यता, चुनौतीपूर्ण कार्य के अवसर व पुरस्कार प्राप्त होते हैं।

इसके विपरीत **कार्य मान्यता, सम्मान व विश्वास के अभाव में कर्मचारी असंतुष्टि एवं अलगाव अनुभव करते हैं परिणामस्वरूप कार्य परिणाम प्रभावित होते हैं।** यही नहीं संपूर्ण **उपक्रम में नकारात्मक कार्य वातावरण बनने लगता है।** इसका समाधान यह है कि कर्मचारियों को **मान्यता, प्रशंसा पुरस्कार के साथ-साथ द्विमार्गीय संप्रेषण के अवसर भी प्रदान किये जाए।** विकास के अवसर तथा निजी जीवन के लिए भी समय की उपब्धता की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए।

6. कर्मचारियों का स्वास्थ्य – द्रुत गति से होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन करने एवं अधिक कार्यभार से कर्मचारी तनावग्रस्त हो जाते हैं। अत: उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रबंधकों के लिए मानवीय, प्रबंधकीय दृष्टि के अतिरिक्त कानूनी दृष्टि से भी आवश्यक है। संपूर्ण संगठन में इसका प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण कार्य एवं दायित्व है।

इसका समाधान यह है कि विचार विमर्श के अवसर सरलता से उपलब्ध कराए जाए, द्विमार्गीय संप्रेषण, मित्रतापूर्ण व्यवहार, कार्य विराम आदि उपलब्ध कराएं जाएं।

7. कर्मचारी को बनाए रखना – एक योग्य व प्रतिभावान कर्मचारी को उसकी प्रतिभा के अनुरूप कार्य वातावरण व लक्ष्य नहीं मिलने से वह विद्यमान उपक्रम को छोड़कर नए उपक्रम में कार्य करना चाहता है। यह मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति है **क्योंकि इस तरह प्रतिभाओं के पलायन से संस्था को वित्तीय लागतें, ख्याति में कमी, नकारात्मक कार्य वातावरण जैसे संकटों का सामना करना होता है; साथ ही साथ कर्मचारी प्रतिस्थापन, प्रशिक्षण आदि का कार्य व व्यय भार भी बढ़ जाता है।**

अत: प्रतिभावान कर्मचारियों को सौहाद्रपूर्ण रूप से उपक्रम में निरंतर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अभाव में संस्था की प्रतियोगी स्थिति कमजोर होती है।

इनका समाधान यह है कि प्रतिभा पलायन के कारणों को जानने हेतु निकासी साक्षात्कार का प्रावधान हो। **प्रतिभाओं के पलायन के कारणों को जानकर उनके समाधान हेतु कार्य योजनाएं बनाकर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।** साथ ही साथ कर्मचारियों को अन्य **प्रेरणाएं** जैसे स्वास्थ्य सुविधा, प्रशंसा, सरल, द्विमार्गीय संप्रेषण आदि भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

इस तरह मानव संसाधन प्रबंधक अपने कार्यक्षेत्र अर्थात मानव संसाधन प्रबन्ध के क्षेत्र में; अनेकानेक चुनौतियों का सामना करता है। **नियोजित एवं सकारात्मक पद्धति से इन चुनौतियों का सफल प्रबंध किया जा सकता है।**

निष्कर्ष – मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। इसके कुशल निर्वहन के क्षेत्र में उपरोक्त के अतिरिक्त भी अनेक चुनौतियां जैसे **वेतन, असंतुष्ट कर्मचारियों का कार्य वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव, प्रशिक्षण, सही व्यक्तियों को प्राप्त करना, वैश्वीकरण से उत्पन्न गलाकाट प्रतिस्पर्धा का प्रभाव, उपलब्ध एवं अपेक्षित प्रतिभाओं में अन्तर होना आदि आदि चुनौतियां विद्यमान है। अत: इन चुनौतियों का सामना करके ही एक व्यवसाय; सफलता व कुशलतापूर्वक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है तथा चुनौतियों का कुशलतापूर्व समाधान करने से व्यवसाय की कार्यप्रणाली में स्पष्टता, सकारात्मकता व दृढ़ता भी आती है। चुनौतियों से सफलता पूर्वक व्यवहार करना ही मानव संसाधन प्रबंध को सशक्त और महत्वपूर्ण बनाता है।**

इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध चुनौतियों का समाधान करके, उद्देश्यों एवं **प्राथमिकताओं का निर्धारण करने, माननीय संसाधनों का विकास करने, नवीन तकनीकों को अपनाने, परिवर्तन का प्रेरक व माध्यम बनने, उत्पादकता में वृद्धि करने, मधुर श्रम – प्रबंध संबंधों की स्थापना करने; जिनके कारण मानव संसाधन प्रबन्ध को महत्वपूर्ण माना जाता है आदि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने में सफल होता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय तथा कर्मचारी दोनों के अस्तित्व को सफल एवं प्रभावी बनाने में भी सफल सिद्ध होता है।**

अत: मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका से स्पष्ट है कि यह **किसी भी अन्य प्रबंध की तुलना में अत्यंत चुनौतिपूर्ण दायित्व तथा प्रबन्ध की विशिष्ठ एवं महत्वपूर्ण विधा है।**

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मामोरिया, राव, 'पर्सनल मैनेजमेन्ट', हिमालय पब्लिशिंग हाउस, 26-28
2. डॉ. आर. एल. नौलखा, 'प्रबन्ध के सिद्धान्त', रमेश बुक डिपो, 88-91
3. शर्मा, सुराना, शर्मा,'मानव संसाधन प्रबन्ध', आ. बी. डी. पब्लिशिंग हाउस, 1.6-1.7
4. मामोरिया, मामोरिया, दशोरा, सेविवर्ग प्रबन्ध एवं औद्योगिक सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, 27
5. चूण्डावत, जैन, शर्मा, खींचा, मानव संसाधन प्रबन्ध, आ. बी. डी. पब्लिशिंग हाउस, 1.8-1.9, 1.20-1.23

****

The Effect and Prevention of Cyber Crime

Dr. Neeraja Sharma*

Abstract - This research paper discusses the issue of cyber crime in detail, including the types, reasons and solutions of cyber crimes on a network. Cyber crime refers to the use of a computer to commit a crime. As a criminal activity, it began when hackers started illegally accessing high-level computer networks. When computers and networks came into being in the 1990s, hacking was done basically to get more information about the systems. Hackers even competed against one another to win the tag of the best hacker. As a result, many networks were affected, right from the military to commercial organizations. As hackers became more skilful, they started using their knowledge and expertise to gain benefit by exploting and victimizing others. We are living in the modern era based on the technology. Our daily life depends on it, live with it. So, nowadays the internet is a common name known to everyone. As Internet usage is increasing day by day, it makes the world small; people are coming closer. Unfortunately, this connectivity also allows criminals to communicate with other criminals and with their victims. Cybercrime prevention is important because in many cases nothing is attempted to stop it until damage has already been done.
Keywords - Network Security, Internet, Privacy, Cyber Crimes, Hackers.

Introduction - Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime (hacking, phishing, spamming) or is used as a tool to commit an offense (child pornography, hate crimes, etc.). The first recorded cybercrime took place in the year 1820! That is not surprising considering the fact that the abacus, which is thought to be the earliest form of a computer, has been around since 3500 B.c. in India, Japan and China. In 1820, Joseph Marie Jacquard, a textile manufacturer in France, produced the loom. This device allovved the repetition of a series of steps in the weaving of special fabrics. This resulted in a fear amongst Jacquand's employees that their traditional employment and livelihood were being threatened. They committed acts of sabotage to discourage Jacquard from further use of the new technology. This is the first recorded cybercrime.

Cyber criminals may use computer technology to access personal information, business trade secrets or use the internet for exploitative or malicious purposes. Criminals can also use computers for communication and document or data storage. Criminals who perform these illegal activities are often referred to as hackers. When computers and networks came into being in the 1990s, hacking was done basically to get more information about the systems. As a result many networks were affected; right from the military to commercial organizations. Cyber criminals use internet and computer technology to hack user's personal computers, smartphone data, personal details from social media, business secrets, national secrets etc. Criminals who perform these illegal activities through the internet are called – Hackers. Though law enforcement agencies are trying to tackle this problem, it is growing regularly and many people have become victims of identity theft, hacking and malicious software. One of the best ways to stop these criminals and protect sensitive information is by making use of inscrutable security that uses a unified system of software and hardware to authenticate any information that is accessed over the internet.

Cybercrime encompasses a wide range of activities, but these can generally be broken into two categories :-

a) Crimes that target computer networks or devices. These types of crimes include viruses and denial-of-service (DoS) attacks.

b) Crime that use computer networks to advance other criminal activities. These types of crimes include cyber stalking, phishing and fraud or identity theft.

Types Of Cyber Crime

Hacking – A hacker is an intruder who accesses your computer system without your permission. Hackers do this for a number of reasons, whether that's for greed, fame or power, as it shows people they are clever enough to get into something. They're usually technology buffs who have expert-level skills in one particular software program or language.

Ransomware - This is one of the detestable malware-based attacks. Ransomware enters your computer network and encrypts your files using public-key eno.yption, and unlike other malware this encryption key remains on the hacker's server. Attacked users are then asked to pay huge ransoms to receive this private key. Ransomware affects many

* Associate Professor, Govt. College, Dholpur (Raj.) INDIA

companies and has recently affected the NHS and other big corporations all over the world.

Virus dissemination - Malware is the contraction of malicious software onto your system. It's a piece of software written with the intent of causing harm to data and devices. Malware is the overarching name for different types of viruses such as a 'trojan' and 'spyware'. Malware is often done through a range of viruses that will get into your computer to cause havoc, by damaging your computer, tablet, phone; so the culprits can steal credit card details and other personal information. Viruses are computer programs that attach themselves to or infect a system or files, and have a tendency to circulate to other computers on a network. They disrupt the computer operation and affect the date stored – either by modifying it or by deleting it altogether. All computer viruses cause direct or indirect economic damages.

Based on this, there are two categories of viruses :-

1) Those that only disseminate and don't cause intentional damage.
2) Those which are programmed to cause damage.

Denial-of-Service attack- A Denial-of-Service (DoS) attack is an explicit attempt by attackers to deny service to intended users of that service. It involves flooding a computer resource with more requests than a can handle consuming its available bandwidth which results in server overload. This causes the resources (e.g. a web server) to crash or slow down significantly so that no one can access it. Another variation to a denial-of-service attack is known as a "Didstibuted Denial of Service" (Dos) attack wherein a number of geographically widespread perpetrators flood the network traffic. Denial-of-Service attacks typically target high profile web site servers belonging to banks and credit card payment gateways. Websites of companies such as Amazon, CNN, Yahoo.Twitter and eBay are not sparted either.

Phishing - Scams are attempts by stammers to trick you into giving out your personal information such as bank account numbers, passwords and credit card numbers. These stammers will contact you ot of the blue, via email, text message, phone call or even through social media, pretending to be a legitimate business such as your bank, telephone company or even internet provider. Users can protect themselves against phishing by exercising caution around suspicious links or email attachments. They should also be on the lookout for other tell-tale signs of a phishing scam, like frequent grammar or spelling mistakes in what might seem to be an official piece of correspondence from a bank or other institution. This a technique of extracting confidential information such as credit card numbers and username passwordcombos by masquerading as a legitimate enterprise. Phishing is typically carried out by email spoofing. You've probably received entail containing links to legitimate appearing websites. Your probably found it suspicious and didn't click the link. Smart move.

Email bombing and spamming - Email bombing is characterized by an abuser sending huge volumes of email to a target address resulting in victim's entail account or mail servers crashing. The message is meaningless and excessively long in order to consume network resources. This type of attack is more difficult to control due to multiple source addresses and the hots which are programmed to send different messages to defeat spam filters. "Sparnming" is a variant of email bombing. Here unsolicited bulk messages are sent to a large number of users, indiscriminately.

Web Jacking - Web jacking derives its name from : :hijacking". Here, the hacker takers control of a web site fraudulently. He may change the content of the original site or even redirect the user to another fake similar looking page controlled by him. The owner of the web site has no more control and the attacker may use the vveb site for his own selfish interests. The web jacking method attack may be used to create a clone of the web site, and present the victim with the new link saying that the site has moved. For example, "gmair may direct you to "gmail".

Cyber stalking - Cyber stalking is a new form of internet crime in our society when a person is pursued or followed online. A cyber stalker doesn't physically follow his victim; he does it virtually by following his online activity to harvest information about the stalkee and harass him or her and make threats using verbal intimidation. It's an invasion of one's online privacy.

Cyber stalking is done in two primary ways :

Internet Stalking - Here the stalker harasses the victim via the internet. Unsolicited email is the most common way of threatening someone, and the stalker may even send obscene content and viruses by email.

Computer Stalking - The more technologically advanced stalkers apply theft computer skills to assist them with the crime. They gain unauthorized control of the victim's computer by exploiting the working of the internet and the Windows operating system. Though this is usually done by proficient and computer savvy stalkers, instructions on how to accomplish this are easily available on the internet.

Identity Theft and Credit Card Fraud - Identity theft occours when someone steals your identify and pretends to be you to access resources such as credit cards, bank accounts and other benefits in your name. The imposter may also use your identity to commit other crimes. Credit card fraud is the most common way for hackers to steal your money.

Software Piracy - Thanks to the internet and torrents, you can find almost any movie, software or song from any origin for free Internet piracy is an integrai part of our lives which knowledge or unknowingly we all contribute to. This way, the profits of the resource developers are being cut down. The following constitute Software piracy :

a. Loading unlicensed software on your PC
b. Using single-licensed software on multiple computers
c. Using a key generator to circumvent copy protection
d. Distributing a licensed or unlicensed ("cracked")

version of software over the internet and offline.

Reasons for cybercrime - "The Concept of Law" said that human beings are vulnerable so rule of law is required to protect them. By applying this to the cyberspace we may say that computers are vulnerable so rule of law is required to protect and safeguard them against cyber crime. The reasons for the vulnerability of computers may be said to be :-

1. **Capacity to store data in comparatively small space -** The computer has a unique characteristic of storing data in a very small space. This allows for much easier access or removal of information through either physical or virtual media.
2. **Easy to access -** The problems encountered in guarding a computer system from unauthorized access are that there is every possibility of unauthorized access not due to human error but due to the complex technology. By secretly implanted a logic bomb, key loggers that can steal access codes, advanced voice recorders, retina imagers etc. that can fool biometric systems and bypass frewalls can be utilized to get past many security systems.
3. **Complex -** The computers work on operating systems and these operating systems in turn are composed of millions of lines of code. The human mind is faliable and imperfect, so they can do mistakes at any stage. The cyber criminals take advantage of these gaps and penetrate into the computer system using often more sophisticated means than originally anticipated by the systems engineers.
4. **Negligence-** Negligence is very closely connected with human conduct. It is therefore very probable that while protecting the computer system there might be any negligence, which in turn provides a cyber criminal to gain access and control over the computer system.
5. **Loss of evidence-** The data related to the crime can be easily destroyed. So, Loss of evidence has become a very common & obvious problem which paralyzes the system behind the investigation of cyber-crime.

Cybercrime against individuals - A major problem of cybercrime against individual can take place towards different types of people such as cybercrime against children, cybercrime against consumers and cybercrime against normal users. It is clear that cybercrime against children is the most significant issue which should be focused on. One of the main areas of cybercrime is child pomography, which is the documented sexual abuse of children, however this excludes pseudo-photographs or computer generated items such as images, drawing, cartoons and painting (Akdentiz, 2008:4).

Moreover, there are some suggested solutions to each problem that can be met depending on the difficulty of applying and monitoring them. On the other hand it has been proven that it is the responsibility of the individual to protect his/her own internet connection. It could therefore be suggested that Governments and local authorities including Police and Education Services should work more closely with the internet Service Providers to protect minors on the internet. Despite all the developments in the domain of Child Protection Software, young people will always find a way of avoiding a protective firewall. Therefore education would serve an important role in protecting children. Furthermore if the culprits are identified law enforcers could punish and remove the criminals access to the internet. The misuse of computers is a serious issue in the eyes of the law, and under English Law, the Computer Misuse Act (1990) would be central to prosecuting any individual who attempts to use a computer unlawfully.

How to tackle Cyber Crime?

To tackle cybercrime effectively, establish multidimensional public-private collaborations between law enforcement agencies, the information technology industry, information security organizations, internet companies and financial institutions. Unlike the real world, Cyber criminals do not fight one another for supremacy or control. Instead, they work together to improve their skills and even help out each other with new opportunities. The best way to go about is using the solutions provided by Cross-Domain Solutions. This allows organizations to use a unified system comprising of software and hardware that authenticates both manual and autocratic transfer and access of information when it takes places between different security classification levels. This helps to keep the network and the systems using the network safe.

1. **Use Strong Passwords :** Use the different password and username combinations for different accounts and resist the templation to write them down.
2. **Be social media savy :** Be sure to keep your social networking profiles (Facebook, Twitter, You Tube, etc.) are set to private. Be sure to check **your security settings.**
3. **Secure your Mobile Devices :** Many people are not aware that their mobile devices are also vulnerable to malicicus software, such as computer viruses and hackers. Be sure to download applications only from trusted sources. It is also crucial that you keep your operating system up-to-date. Someone could even install malicious software that could track your every movement through your GPS.
4. **Protect your data:** Protect your data by using encryption for your most sensitive files such financial records and tax returns.
5. **Protect your computer with security software:** Several types of security software are necessary for basic online security Security software essentials include firewall and antivirus programs.

Benefits of network Security :

1. Prevents unauthorized users from accessing your network.
2. Provides transparent access to Internet-enabled users.
3. Ensures that sensitive data is transferred safely by the public network.
4. Help your managers to find and fix security problems.
5. Provides a comprehensive system of warning alarms attempt to access your network.

Conclusion - In my opinion, any sort of crime (online or

offline) should never be tolerated. Taking Action is important. The safety and well-being of citizens should be safeguarded. Everyone deserves a right to live in a secure environment. For instance, following cyber-attacks on Sony the Federal Bureau of Investigation has issued search warrants to arrest the culprits. In September 2012 the Philippines made official the Cybercrime Prevention Act of 2012 – a list of laws relating to illegal computer activities if more countries follow suit, it would make more cyber-criminals think twice before committing crime. Another way to fight against crime is that the co-operation between companies and the police is important. The police has to first understand how cyber-criminals operate before they can catch them. Cyber-criminals come up with more effective hacking methods day-by-day. Companies have to make sure their security measures are kept updated and consistant.

References:-

1. Wow Essay (2009), Top Lycos Networks, Available at http://www.wowessays:com/ dbase/ab2/nyr90.shtml, Visited:28/01/2012.
2. Bowen, Mace (2009), Computer Crime, Available at http://www.guru.net/, visited : 28/01/2012.
3. CAPEC (2010), CAPEC-117: Date Interception Attacks, Available at http://capec.mitre.org/definitions/117.html, Visited: 28/01/2012
4. Oracle (2003), Security Overviews, Available at hptt:// I'cs'-adecL,AL_B13789 01/ network. 101/b10777/ overview.httm, Visited: 28/01/2012.
5. Computer Hope (2012), Date Theft, Available at: http:/ /www.computerhope.com/jargon/d/datathef.htm, Visited 28/01/2012
6. Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the internet. London: Academic Press, 2011:Pp. 5-19.
7. Farmer, Dan. & Chartes, Mann C. Surveillance nation. Technology Review; Vol. 106, No. 4, 2003: Pp. 46.
8. Harrison, A. Privacy group critical of release of camivore data. Computerworld; Vol. 34, No. 41, 2006: Pp. 24
9. Internet Tax Freedom Act of 1998: 112 Stat. 2681-2719. Retrieved from: (http://www.cbo.gov/doc.cfm?index= 608&type=0). Accessed on : 29th January, 2012.
10. Katz, Mira L. & Shapiro, Carl. Technology Adoption in the Presence of Network Extemalities. Journal of Political Economy; Vol. 94, No. 4, 1986: Pp. 822-841.
11. Ross J. Anderson: Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, ISBN 0-471-38922-6
12. Morrie Gasser: Building a secure computer system ISBN 0-442-23022-2 1988
13. Stephen Haag, Maeve Cummings, Donald McCubbrey, Alain Pinsonneault, Richard Donovan: Management Information Systems for the information age, ISBN 0-07-091120-7
14. E. Stewart Lee: Essays about Computer Security Cambridge, 1999.

****

चन्द्रकान्त देवताले की कविताओं में स्त्री

डॉ. प्रीति भट्ट*

प्रस्तावना – समकालीन हिन्दी कविता विस्तृत सामाजिक और मानवीय सरोकारों को स्वयं में समेटे हुए है। चन्द्रकान्त देवताले समकालीन कविता के बड़े हस्ताक्षर हैं तथा उनकी कविताओं में अनेक विषय एवं संवेदनाएँ मूर्त होती हैं। स्त्री के विविध आयामों, रूपों तथा मनोभावों को उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत गहराई से उतारा है।

स्त्री का सबसे महनीय रूप होता है – माँ का। कवि माँ की उस निश्छल उदार छवि को अपनी कविताओं में जीवंत करते हैं। माँ के होने पर बहुधा कद्र नहीं होती, लेकिन दूर जाने पर वह हर क्षण अदृश्य ही सही, महसूस होती है। कवि लिखते हैं –

'वे दिन बहुत दूर हो गए हैं
जब माँ के बिना परोसे
पेट भरता ही नहीं था
वे दिन अथाह कुएँ में छूटकर गिरी
पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह
अभी भी दबे हैं शायद कहीं दूर।'[1]

वाकई माँ ही होती है जो अपने बच्चों की भूख और प्यास को रत्ती–रत्ती पहचानती है, उनके अधपेट खाए उठने पर विचलित होती है। ऐसे ही माँ के पैरों तले जन्नत नहीं कही जाती। प्रभात त्रिपाठी लिखते हैं –

'चन्द्रकान्त की कविता में स्त्री की जीवन्त उपस्थिति का कारण शायद उसकी उत्कट संवेदनशील सामाजिक समझ है, जिसकी वजह से वह महसूस करता है कि सामाजिक, आर्थिक शोषण और क्रूर मर्दाने व्यवहार के चलते स्त्री सचमुच सर्वहारा के लिए किए जाने वाले किसी भी संघर्ष का प्रस्थान बिन्दु है।'[2]

चन्द्रकान्त देवताले औरत के कठिन संघर्ष, परिश्रम और त्याग को अपनी कलम की धार देते हैं।देखें –

'वह औरत
आकाश और पृथ्वी के बीच
कब से कपड़े पछींट रही है?
पछींट रही है शताब्दियों से
धूप के तार पर सुखा रही है।
वह औरत आकाश और धूप और हवा से
वंचित घुप्प की गुहा में
कितना आटा गूँथ रही है?
गूँथ रही है टनों आटा
असंख्य रोटियाँ
सूरज की पीठ पर पका रही है।'[3]

वस्तुत : आधुनिक हिन्दी कविता में संवेदना की तीव्र अभिव्यक्ति है। विशेषत: स्त्री से जुड़ी अनेक भावनाएँ सूक्ष्म रूप में मुखरित हुई हैं। परमानन्द श्रीवास्तव लिखते हैं –

'मानवीय सम्बन्धों के अमानवीकरण के विरुद्ध कविता एक बार फिर रचनात्मक हस्तक्षेप के रूप में अपनी पहचान बना सकी है।'[4]

स्त्री का एक और अहम रूप है – बेटी का। पिता की राजकुमारी जब ससुराल चला जाती है और वे उससे मिलने जाते हैं, तब वापस लौटना कितना भारी हो जाता है, इस पीड़ा को कवि 'बेटी के घर से लौटना' कविता में अभिव्यक्त करते हैं। देखें –

'बहुत जरूरी है पहुँचना
सामान बाँधते बमुश्किल कहते पिता
बेटी जिद करती
एक दिन और रूक जाओ न पापा
एक दिन
पिता के वजूद को
जैसे आसमान में चाटती
कोई सूखी खुरदरी जुबान
बाहर हँसते हुए कहते–कितने दिन तो हुए
सोचते कब तक चलेगा यह सब कुछ
सदियों से बेटियाँ रोकती होंगी पिता को एक दिन और
और एक दिन डूब जाता होगा पिता का जहाज।'[5]

भूख और गरीबी झेलने को अभिशप्त लड़कियाँ ठिठुरती सर्दी में, कच्ची उम्र में, मासूम बचपन के दौर में भी आजीविका के लिए संघर्ष करने को विवश हैं। चन्द्रकान्त देवताले बालम ककड़ी बेचने वाली ऐसी ही लड़कियों की व्यथा को शब्द देते हैं–

'कोई लय नहीं थिरकती उनके होठों पर
नहीं चमकती आँखों में
जरा–सी भी कोई चीज
गठरी–सी बनी बैठी हैं सटकर
लड़कियाँ सात सयानी और कच्ची उमर की
फैलाकर चिथड़े पर
अपने–अपने आगे
सैलाना वाली मशहूर
बालम ककड़ियों की ढीग।'[6]

कहते हैं कि माँ बनना प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया, उसमें सहा जाने वाला दर्द आसान है? कदापि नहीं। कवि

* सहायक आचार्य (हिन्दी) से. म. बि. राज. महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.) भारत

चन्द्रकान्त देवताले की कविता 'बाई ! दरदलेय में इस कष्टसाध्य स्थिति से संवेदनशील पाठक रू-ब-रू होते हैं। स्त्री को उस समय हिम्मत और हौंसला देते कहे जाने वाले शब्द मानो सर्जन की इस प्रक्रिया को मूर्त कर देते हैं।' देखें -

'याद मत कर अपने दुखों को
आने को बेचैन है धरती पर जीव
आकाश-पातल में भी अट नहीं सकता
इतना है औरत जात का दुख
धरती का सारा पानी भी
धो नहीं सकता
इतने हैं आँसुओं के सूखे धब्बे
सीता ने कहा था-फट जा धरती
न जाने कब से चल रही है ये कहानी
फिर भी रूकी नहीं है दुनिया
बाई !दरद ले
सुन बहते पानी की आवाज
हाँ !ऐसे ही देख ऊपर हरी पत्तियाँ
सुन उसके रोने की आवाज
जो अभी होने को है
जिन्दा हो जाएगी तेरी देह
झरने लगेगा दूध
दो नन्हे होंठों के लिए।'[7]

सच तो यह है कि कवि देवताले स्त्री के उस संघर्षमयी स्वरूप को अपनी कविताओं में उभारते हैं जिसमें सिर्फ प्रेम की रूमानियत या भावुकता नहीं है, बल्कि मुश्किल जीवन की जूझने वाली स्थितियाँ हैं। 'कोई नहीं उसके साथ' कविता में एक विवश विधवा को अपने घर से बेदखल कर देने की विडंबना हो या 'धनुष पर चिड़िया' कविता में सांकेतिक रूप में विवश असहाय स्थिति का अंकन हो, कवि अपनी गहन अनुभूति की मार्मिक अभिव्यंजना से संवेदनशील पाठकों को झकझोर देते हैं।

चन्द्रकान्त देवताले की कविता 'स्त्री के साथ' पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे कवि ने औरत को कहीं गहराई में समझा है, लेकिन फिर भी वे अपनी इस समझ से संतुष्ट नहीं होसके हैं। वास्तव में स्त्री की सूक्ष्म और अनंत भावनाओं की गहराई तक पहुँच पाना आसान नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि कवि देवताले इस कविता में बार-बार स्त्री के प्रति सम्मान, स्त्री के महत्त्व का अंकन और अपने व्यक्तित्व-निर्माण में स्त्री के अवदान का जिक्र करते हैं। देखें -

'मैं आकाश में इतने ऊपर कभी नहीं उड़ा
कि स्त्री दिखाई ही न दे
इसलिए मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता
कि वे किस तरह सोचते हैं जो ईश्वर के साथ रहते हैं
वैसे मेरी आत्मा आकाश में बहुत ऊँचे तक उड़ी है
पर डोर हमेशा किसी स्त्री के हाथ में रही
और सब जानते हैं कि औरत ज्यादा ढील नहीं देती
प्रेम करती हुई औरत के बाद भी अगर कोई दुनिया है
तो उस वक्त वह मेरी नहीं है
उस इलाके में मैं साँस तक नहीं ले सकता
जिसमें औरत की गन्ध वर्जित है
सचमुच मैं भाग जाता चन्द्रमा से फूल और कविता से
नहीं सोचता कभी कोई भी बात जुल्म और ज्यादती के बारे में
अगर नहीं होती प्रेम करने वाली औरतें इस पृथ्वी पर।'[8]

यदि पुरुष के मन में स्त्री का इतना सा कोना भी सुरक्षित रहे तो शायद उसकी अवहेलना, उपेक्षा या अपमान का दृश्य ना रहे। स्त्री के परिश्रम या उदात्ता भावों का सम्मान निस्संदेह उसके अपने आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है, उसे आत्मविश्वास से पूरित कर देता है।

इसी कविता में कवि स्त्री को समझने में अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्त्री-मन अथाह है, अतल है, अनेकरूपा है। कवि के शब्दों में -

'फिर भी सिर्फ एक औरत को समझने के लिए
हजार साल की जिन्दगी चाहिए मुझको
क्योंकि औरत सिर्फ भाप या बसन्त ही नहीं है
एक सिंफनी भी है समूचे ब्रह्मांड की
जिसका दूध, दूब पर दौड़ते हुए बच्चों में
खरगोश की तरह कुलाँचें भरता है
और एक कन्दरा भी है किसी अज्ञात इलाके में
जिसमें उसकी शोकमग्न परछाईं
दर्पण पर छाई गर्द को रगड़ती रहती है।'[9]

देखा जाए तो चन्द्रकान्त देवताले की कविताओं में स्त्री अपनी संवेदनाओं, अपनी ताकत, अपनी बेबसी, अपनी व्यथा के साथ व्यापक रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। यह कवि की सफलता है कि वे स्त्री के इतने सूक्ष्म मनोभावों का साधारणीकरण कर देते हैं।

इसी कड़ी में कवि की एक अत्यन्त प्रभावी एवं मार्मिक कविता है - 'नहाते हुए रोती हुई औरत।' जब स्त्रीवादी संगठन नारे लगाते हुए जोर-शोर से औरत के दु:ख की दुहाई देते हैं, तब नहाते हुए दबी आवाज में औरत के रोने का करुण दृश्य हमें कहीं भीतर तक विचलित कर देता है। देखें-

'दुख हथेली पर रखकर दिखाने वाली नहीं है यह औरत
रो रही है बेआवाज पत्थर और पत्तियों की तरह
वह जानती है पानी बहा ले जाएगा
आँसुओं और सिसकियों को चुपचाप
शिनाख्त नहीं कर पाएगा कोई भी
वह तक नहीं जो कल्पना में देख सकता होगा
बारिश में टपकती ओस की भी बूँद
उसके रोने की जड़ें उसी जगह होंगी
जहाँ से फूटती है कविता की पहली कोंपल
फिर भी मैं बता नहीं सकता
उसके रोने का रहस्य
हालाँकि जानते हैं सब
मामूली वजहों से अकेले में
कभी नहीं रोती कोई औरत।'[10]

वस्तुत: औरत के अकेले में रोने की जो बड़ी वजह है, उसके बारे में सोचना, महसूस करना ही कवि के संवेदनशील होने का प्रमाण है। चन्द्रकान्त देवताले समकालीन हिन्दी कवियों में स्त्री पर लिखने वाले, स्त्री की गहन संवेदनाओं को शब्दों में पिरोने वाले महत्त्वपूर्ण कवि हैं। आधी आबादी के मर्म को अपनी कविताओं में उन्होंने बड़ी बारीकी से अभिव्यक्ति दी है और यह हिन्दी कविता को उनका बड़ा अवदान माना जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चन्द्रकान्त देवताले - प्रतिनिधि कविताएँ- माँ जब खाना परोसती थी, राजकमल पेपरबैक्स, नई दिल्ली, पहला सं. 2013, पृ. 38
2. वही, भूमिका से, पृ. 10
3. समकालीन हिन्दी -कविता औरत,संपा. परमानंद श्रीवास्तव, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, प्रथम सं. 1990, पृ. 184
4. वही, भूमिका से, पृ. 13
5. चन्द्रकान्त देवताले-प्रतिनिधि कविताएँ- बेटी के घर से लौटना, राजकमल पेपरबैक्स, नई दिल्ली, पहला सं. 2013, पृ. 41-42
6. वही, बालम ककड़ी बेचने वाली लड़कियाँ, पृ. 44
7. वही, बाई ! दरद ले, पृ. 51-52
8. वही, स्त्री के साथ , पृ. 52
9. वही, पृ. 53-54
10. वही, नहाते हुए रोती हुई औरत, पृ. 54-55

****

Women Employment and Gender Issues in India

Dr. Saba Agwani*

Introduction - When we talk about Gender in India, we got an acute stereotype image of both the gender. After the 75 years of independence the gender perspective remains more over the same in our society. A daughter, a sister, a wife, and a mother, women in India is still identified by her social role than profession. A huge change is taking place in women education and health, but still the gap persists in employment. Here in this paper few Gender issues will be discussed regarding women employment in India, based on studies conducted by different international forums and organizations.

NSFE: According to International Labor Organization (ILO 2018), in India around 32% women aged 15 to 64 participating in labor market, while 80% of male of same age group. The gender gap is quite wide. Besides this, women are also more likely than men to work in Non-Standard Forms of Employment (NSFE), like part time work, temporary agency work, dependent self-employment etc. The reason behind their higher presence in NSFE are: their domestic responsibilities, care giving responsibilities, the structure of economy, women's lower bargaining power because of their lower unionization rate and lower coverage by collective agreements.

Unpaid Care Work: The latest available time use survey data shows that in India, 4.57 hours of women's time devoted to unpaid care work. When the number of hours spent in paid and unpaid work are combined, women's working hours are longer than men.

Per Day Working Hours in India

Gender	Paid Work	Unpaid work	Total
Women	2.4	4.57	7.37
Men	6.0	0.31	6.31

(Source: ILO, 2018)

This is why women who work for pay are often said to work a "Second Shift", one at work and another at home. International Labor Organization's report "Care Work and Care Jobs" published in 2018, elaborates that unpaid care work contributes the main barrier to women's employment. In 2018, worldwide 606 million women of working age have declared themselves to beunavailable for employment or not seeking ajob due to unpaid care work, while only 41 million men are inactive for the same reason. Without exception, the amount of time dedicated by women to unpaid care work increases markedly with the with the presence of young children in the household.

The Motherhood Penalty: Around a third to almost a half of a women, who work full time have low paid jobs. Motherhood is an important driver as a wage penalty for women. A commonly observed pattern is that men increase their working hours when children arrive, while women may reduce theirs, which may explain at least a part of this pay gap. Studies have the motherhood penalty makes up to 80% of the gender gap in employment. Joeli Brearley launched "Pregnant than Screwed" campaign on international women's day in 2015, as a space for mothers to share their stories of discrimination. The project dedicated to ending mother hood penalty in employment. In India also we need such platforms for women workers**.**

Lacking in skill: Skill training program in India have historically been based on traditional gender roles and notions of women's work, mostly restricted to house hold related task, care giving and dependent self-employment. Though the policies like "Skill India" acknowledged the need of non-traditional occupation for women. But they go little beyond rhetoric and the absorption of women to the other sectors remains low. Courses for women under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)for instance, have concentrated on areas like apparel, beauty, wellness and health care. This keeps women out of more remunerative sectors. However, skilling can provide women with occupation choice and expand their work participation. Women in India, who have attended skills training programs, whether formal or informal, are more likely to be in workforce, regardless of the educational levels.

Glass ceiling: The term "glass ceiling" refers to a metamorphic invisible barrier that prevents women from being promoted to managerial and executive-level positions within an organization or industry. Management consultant Marilyn Loden coined the phrase in 1978 but it is still as relevant as ever. The women are more likely to be restricted from advancing through accepted norms and implicit biases rather than defined corporate policies. In India Company Act 2013 makes it mandatory to have at least one woman on company boards. Forbes India's report on women leadership in corporate world says that women in India occupy 5% executive chairs and 10% non-executive chairs,

*Assistant Professor (Geography) Government College, Gogunda, Udaipur (Raj.) INDIA

the number stands 2.6% and 5% respectively in Asia. One of the main reasons we have better representation on paper is because regulation in India required public companies to have at least one female director. But the increase in women representation paper must translate into practices and culture.

Occupational Segregation: Traditional economic theory explained occupational segregation by genderas an inevitable consequence of 'natural differences' in skills between women and men, but contemporary economists have re-focused the blame on gender discrimination by employers, co-workers and social constrains. In India NSSO survey shows that occupational diversity for women workers has been limited to specific occupations, suggesting a u-shaped pattern of change within the labor market such that, jobs for women were mostly created within the highly skilled and the low-skilled occupations. Occupations located in the middle skill segments did not reveal major changes, notwithstanding the substantial presence of women workers.

Security Concerns: As the world becomes increasingly urban, gender-based violence and harassment in public or work place has become a growing phenomenon. Sexual harassment and other forms of sexual violence in public spaces are an everyday occurrence and making headline in newspapers every day. It happens on streets, public transport and park, in and around schools and work places, or in their own neighborhood. Roads (50%) and public transports(39%) are listed as most unsafe public spaces. These realities reduce women's freedom of movement. It limits their ability to participate in education, work and in public life.

Entrepreneurship: Rural women increasingly run their own enterprises contrary to urban women in India. Yet their socio-economic contribution and entrepreneurial potential remain largely unrecognized and untapped. They are concentrated in informal, micro size, low productivity and low return activities. Micro and small enterprises offer a number of particular advantagesfor rural women: flexible hours, location in or near women's house, ease of entry and link with local market. However, rural female entrepreneurs also face particular challenges entering new and lucrative markets and expanding their business.

Conclusion: Digital, green and care are the sectors that are likely to dominate in the future. To be sure there is no single policy measures that can address the complex issue of women's employment. However, the overall social construct of society tends to still direct women and men in different directions. Initiative should bemade towards more mixed labor force, especiallyin sectors that are traditionally male dominated and vice versa, sectors that are traditionally feminizedneed to attract more men. Vertical and horizontal segregation remains a common phenomenon and certainly an area that continue to require policy attention particularly in the context of persisting gender pay gap and women's leadership penalty.

References:-

1. Anker, Richard. 1998. *Gender and jobs: Sex segregation of occupations in the world*.
2. Geneva, ILO.
3. Anker, Richard. 1997. "Theories of occupational segregation by sex", in *International*
4. *Labour Review*, Geneva
5. ILO. 2001. *World Employment Report 2001.* Geneva, ILO
6. ILO 2018. World Employment and Social Outlook: Trends 2017 (Geneva)
7. ILO. 2018. Care work and care jobs for the future of decent work / International Labour Office – Geneva
8. NSSO. 2017.National Family Health Survey NFHS – 4, 2015-16. Mumbai, India: International Institute for Population Sciences, IIPS/India

****

जयपुर के प्रमुख मंदिर

डॉ. सुमित मेहता*

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही भारत में धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया। कई युगों तक धर्म का असर बना रहे इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देवालयों, गुहा मन्दिरों, स्तूपों का निर्माण किया गया। मन्दिरों को भारतीय जीवन और दर्शन की आधारशिला माना गया है। मन्दिरों का निर्माण मुख्यत: गुप्तकाल से प्रारम्भ हुआ और बाद में राजवंशों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण अनेकों भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। नागर, द्रविड और बेसर तीन प्रमुख शैलियों में मन्दिरों का निर्माण हुआ। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड और मध्य भारत में बेसर शैली विकसित हुई। सिन्धु सभ्यता की खुदाई से मिली मूर्तियाँ प्राचीनकाल से ही मूर्तिपूजा के प्रचलन को दर्शाती है। प्राप्त योगी की एक मूर्ति को शिव के समान माना गया है तथा प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियाँ भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि पूजा हडप्पा संस्कृति का प्रमुख अंग थी। मन्दिरों का सर्वप्रथम उल्लेख 'शतपथ ब्राह्मण' में मिलता है। इन मन्दिरों में स्तम्भों अथवा बल्लियों पर आधारित दो मण्डप हुआ करते थे। छतों पर चटाई डाली जाती थी। वास्तिव रूप से देवालयों का निर्माण गुप्तकाल से प्रारम्भ हुआ। इन मन्दिरों की छते चपटी होती थी तथा इनमें गर्भगृह होता था। गर्भगृह के सामने एक बरामदा होता था जो कि स्तम्भों पर आधारित होता था। इन मन्दिरों का वास्तु बौद्ध विहारों से प्रभावित था। राजपूताने में बने अनेक मन्दिरों में गुप्तकालीन स्थापत्य कला दिखाई देती है। जयपुर क्षेत्र के अनेक मन्दिर स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने प्रदर्शित करते हैं।

आमेर का जगत् शिरोमणि मन्दिर – भव्य स्वरूप लिए इस मन्दिर के प्रवेश द्वार पर कलात्मक तोरण निर्मित है। हिन्दू स्थापत्य शैली में निर्मित इस मन्दिर में पत्थर की नक्काशी दर्शनीय है। इस मन्दिर का निर्माण महाराजा मानसिंह की महारानी कनकावती ने अपने पुत्र जगतसिंह की स्मृति में करवाया था।[1] मन्दिर के विशाल मण्डप के बीच में एक निजगृह है जिसमें चित्तौड से लाई गयी, काले पत्थर से बनी भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। 15 फीट ऊँचे एक प्लेटफॉर्म पर यह मंदिर स्थित है। प्रवेशद्वार पर सुन्दर प्रतिमाऐं हैं। मुख्य मंदिर के सामने गरूड मंदिर है। मुख्य मंदिर 15 फीट लम्बा और 10 फीट चौडा है।[2]

शिलादेवी मंदिर – आमेर में शिलादेवी का प्रसिद्ध मन्दिर है जिसका मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है। मुख्य द्वार पर नवदुर्गा उत्कीर्ण है। प्रवेश द्वार के दांयी ओर महालक्ष्मी और बांयी ओर महाकाली के चित्र हैं।[3] दरवाजे के ऊपर गणेशजी की लाल पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। द्वार के सामने चांदी का नगाड़ा रखा हुआ है। महाराजा मानसिंह शिलादेवी की मूर्ति को बंगाल से लाए थे। पहले यह मूर्ति राजा केदार के यहां थी। राजा केदार ने अपनी पुत्री का विवाह राजा मानसिंह से कर दहेज मे यह मूर्ति दी। यह मूर्ति काले चमकदार पत्थर से बनी है। चैत्र और अश्विन माह में यहाँ मेला भरता है।[4]

गोविन्द देवजी का मन्दिर – यह मन्दिर जयपुर का सर्वाधिक पूजित मंदिर है। यह जयपुर के राजमहल के पीछे स्थित है। मन्दिर में स्थापित प्रतिमा को वृंदावन से लाया गया था और रूपाहेड़ा गाँव में स्थापित की गई थी। बाद में इस गाँव का नाम बदलकर गोविन्दपुरा कर दिया गया। यह गाँव जयपुर के उत्तर-पूर्व में स्थित है। 1726 ई. में यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई थी। रूपाहेड़ा का प्राचीन मंदिर अब खण्डर हो गया हैं किन्तु उसके स्थान पर राधागोपाल जी का मंदिर है। मंदिर जयनिवास बाग में स्थित है।

गणेश मंदिर – यह मंदिर मोतीडूँगरी के पास स्थित है। यहाँ पर स्थापित गणेशजी की प्रतिमा जयपुर के नरेश माधोसिंह की पटरानी के पीहर मावली से लाई गयी थी। इस प्रतिमा को गुजरात से मावली लाया गया था। 1781 ई. में इसे जयपुर लाया गया। मूर्ति बड़े आकार की है तथा मूर्ति के दोनो तरफ रिद्धि-सिद्धि अंकित है। प्रात: 5 बजे मंगल आरती से पूजा की शुरूआत कर रात्रि शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बन्द किये जाते हैं। प्रतिमा को लड्डुओं को भोग लगया जाता है। प्रत्येक बुधवार को दाल, बाटी और चूरमा का भोग लगाया जाता है।

बिड़ला मंदिर – इस मंदिर का निर्माण बिड़ला बन्धुओं द्वारा करवाया गया है। यह मंदिर विश्वविद्यालय के पास उत्तरी दिशा में स्थित है। इसके ऊपर मोतीडूँगरी की पुरानी गढ़ी झुकी हुई है। 55000 वर्गफीट में फैला यह मंदिर एशिया का पहला वातानुकूलित मंदिर है। प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर के विशाल सभा मण्डप को बिना किसी स्तम्भ की सहायता के खड़ा किया गया है। मंदिर में भगवान् नारायण और लक्ष्मीजी की मनोहारी मूर्तियाँ स्थित है।

झूंथालाल का मंदिर – डॉ. भण्डारकर के अनुसार तीन मन्दिर आमेर में उन्होने ऐसे देखे जो पहले जैन मन्दिर थे पर बाद में इन्हें शिव मन्दिरों मे परिवर्तित कर दिया गया। इनमे सांघी झूंथालाल का मन्दिर सबसे पुराना है। इसका मुख्य द्वार उत्तराभिमुख है। इस मन्दिर के अन्त: भाग में तीन मंन्दिर है। गर्भगृह के केन्द्र में लिंग है तथा इनके अतिरिक्त तीन ओर लिंग तथा चार नंदी एवं तीन गणपति की प्रतिमाएँ हैं। चौक में एक शिव मंदिर है जिसकी मूर्ति वर्षाकाल में जलमग्न रहती है।

आमेर का काल भैरव मंदिर –राजा काकिलदेव का 1036 ई. में स्थापित किया हुआ काल भैरव मंदिर भी आमेर में स्थित है। इसमें किले के अधिष्ठाता काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति का मुख किले के मुख्य द्वार की तरफ है। इन्हें किले का रक्षक देव माना जाना है। यहाँ हर वर्ष मेला लगता है।[5]

आमेर का नृसिंह मंदिर – भगवान नृसिंह जी को समर्पित यह मंदिर नृसिंह भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए बनाया गया था। मंदिर में झूला और

* सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

तोरण स्थित है जिसमें विष्णु भगवान के आठ अवतारों की मूर्तियाँ है।

ज्वाला माता का मन्दिर, जोबनेर –जयपुर के प्रसिद्ध स्थान जोबनेर में ज्वाला माता का कलात्मक मन्दिर स्थित है। अरावली पर्वतमाला के विशाल पर्वत की घाटी में जोबनेर स्थित है। इस पर्वत पर ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। बाँकीदास ने गणेशदास राठौड़ द्वारा ज्लाला माता से मनचाहा वरदान पाने का वर्णन किया है।[6]

कल्याणजी मन्दिर डिग्गी –कल्याणजी को 'डिग्गीपुरी के राजा' के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर डिग्गी में स्थित है। यह भगवान के प्रतिरूप हैं। मंदिर में भगवान कल्याण जी की आकर्षक मूर्ति स्थापित है। सामने अनेक स्तम्भों वाला सभा मण्डप है। यह मंदिर आकार में छोटा है किन्तु यहां श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमडती है जिस कारण से यह मंदिर प्रसिद्ध है।[7]

सीतारामजी मंदिर – गलता जयपुर से पूर्व दिशा में पहाड़ों के बीच में स्थित है। गालव ऋषि ने यहाँ दीर्घकाल तक तपस्या की और उन्हीं के नाम पर यह तीर्थ गलता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गलता में अनेक मंदिर और संतों की छतरियां बनी हुई है। सीतारामजी का मंदिर भी गलता में स्थित है। पहले यहाँ सन्त सीतारामदास की झोंपडी थी जिसे बाद में सुन्दर मंदिर का रूप दिया गया। मंदिर में भगवान की बैठी हुई मुद्रा में संगमरमर की मूर्ति है। गलता की घाटी पर चढ़ते ही सन्त बाबा अलखनाथ का पुराना मठ है। गलता में सात कुण्ड और सात प्राचीन मंदिर स्थित है।

ब्रजनिधि मंदिर – यह मंदिर त्रिपोलिया दरवाजा और सिंघपोल के बीच में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था जो महाराजा सवाई जयसिंह के पौत्र थे। यह मंदिर विशाल और प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। इसमें बड़ा आंगन, बड़ा कमरा और बरामदा है जिसके स्तम्भ श्वेत संगमरमर के है। यहाँ निम्बार्क सम्प्रदाय की पूजा पद्धति के अनुसार पूजा होती है। यह मंदिर महाराजा के आदेश से दरोगा गोवर्द्धनदास, लाला खाती और संगतराश देवा ने बनाया था। देव मूर्ति की प्रतिष्ठा वैशाख सुदि 8, शुक्रवार संवत् 1849 में की गई थी।[8]

चरण मंदिर – यह मंदिर जयपुर की उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान् श्रीकृष्ण इस स्थान पर गौ चारण के लिए आया करते थे अत: उनके चरण यहाँ पूजे जाते हैं। इसका निर्माण नाहरगढ़ और जयगढ़ के पुनर्निर्माण के समय हुआ। दोनो किलों को जोड़ने वाले मार्ग के मध्य यह मंदिर स्थित है।[9]

गंगागोपालजी का मंदिर – गोविन्ददेवजी के मंदिर के पृष्ठ भाग में जयनिवास उद्यान में आमने–सामने गंगा गोपाल जी के लघु एवं सुन्दर मंदिर बने हुए है। इसका निर्माण माधोसिंह ने करवाया था। गंगा मंदिर में जयपुर शैली के कुछ चित्र लगे हैं। मंदिर में संगमरमर पत्थर के बीच करौली के पत्थर का प्रयोग किया गया है।

गोनेर का जगदीश मंदिर – गोनेर को जयपुर की मथुरा कहा जाता है। यह जयपुर से 25 किमी की दूरी पर जयपुर–आगरा मार्ग पर स्थित है। यहाँ प्राचीन लक्ष्मी –जगदीश मंदिर है जिसका प्रवेश द्वारा संगमरमर से निर्मित है। यहाँ स्थित मूर्ति को देवदास नामक ब्राह्मण ने खेत से खोदकर निकाला था। इसी के वंशज यहाँ पुजारी हैं।

सूर्य मन्दिर, चाकसू – इस मंदिर में सूर्यदेव की सप्त घोडों पर सवार प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण गुहिल शासकों ने करवाया था। मंदिर की भीतरी दीवारों पर भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, लंकायुद्ध, युधिष्ठिर आदि चित्र निर्मित हैं। जयसिंह के मुसाहिब कृपाराम द्वारा भेंट की गयी एक अष्ट धातु की प्रतिमा भी यहाँ है।[10]

आमेर का लक्ष्मीनारायण मंदिर– यह मंदिर जयपुर–दिल्ली मार्ग के दाहिनी और आमेर में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह 10 फीट ऊँचे चबूतरे पर बना है। इस पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। इसमें एक गर्भगृह, सभा मण्डप, द्वार मण्डप और स्तम्भों वाला बड़ा मण्डप है। गर्भगृह के द्वार के दोनों और द्वार स्तम्भ बने हुए हैं। जिस पर देवी–देवता, नाग, अप्सराऐं, कमल आदि चित्रित हैं। मण्डप में 16 स्तम्भ हैं। मंदिर के सामने एक गरूड़ मण्डप है जो मंदिर की तरह ही सुन्दर है।

जयपुर नगर में अन्य कई मंदिर स्थित हैं। मदनमोहन मंदिर, पंचमुखी हनुमानजी मंदिर, कल्याणजी का मंदिर, चांदपोल वाले हनुमानजी का मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, गोवर्धननाथजी का मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, काले हनुमान जी का मंदिर, राधाकिशन मंदिर, खोले के हनुमानजी का मंदिर, गंगाजी का मंदिर आदि। यह सभी मंदिर कलात्मक हैं एवं लोगों की धार्मिक भावना एवं श्रद्धा के प्रतीक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ आर्किया, सर्वे ऑफ इंडिया, वेस्टर्न सर्किल, डी. आर. भण्डारकर, 1910, पृ. 47
2. राजा मानसिंह : आर. एन. प्रसाद, पृ. 149
3. जयपुर : मोहनलाल गुप्ता, पृ. 85
4. जयपुर : मोहनलाल गुप्ता, पृ. 86
5. जयपुर : मोहनलाल गुप्ता, पृ. 24
6. बांकीदास की ख्यात, 179–180
7. जयपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक : डॉ. राघवेन्द्र
8. प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेन्ट्स ऑफ राजस्थान, पृ. 228
9. प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेन्ट्स ऑफ राजस्थान, पृ. 228
10. जयपुर : मोहनलाल गुप्ता, पृ. 103

****

दलित कल्याण हेतु गाँधी व अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य का तुलनात्मक विश्लेषण

अनिता टॉक*

शोध सारांश – प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन ने कहा है, कि प्रत्येक संगठित समाज स्तरीकरण में विभाजित है। विश्व के प्रत्येक समाज में स्तरीकरण का कोई न कोई स्वरूप अवश्य विद्यमान रहा है, जिसमें निचले पायदान पर हमेशा अधिसंख्य परतंत्र लोगों का ऐसा सामाजिक समूह रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक दृष्टि से शक्तिहीन रहा है। इन सामाजिक समूहों को वार्ड 'द लोय 'निम्न' कहते हैं। यह रोम में 'प्लेबियनस', स्पार्टन में 'हीलोट्स', अंग्रेजी में 'वीलेन्स', इजिप्शियन में 'गुलाम', अमेरिका में 'नीग्रोय, जर्मन में 'ज्यूस', तथा भारत में 'दलित' है। भारत में इन सामाजिक समूहों के उत्थान के लिए इन्हें सूचीबद्ध कर संविधान में सम्मिलित किया गया और इन्हे अनुसूचित जातियाँ कहा गया। गांधी ने इन्हें 'हरिजन' अर्थात्, 'ईश्वर की संतान' नाम दिया। डॉ. अम्बेडकर ने इनके लिए मराठी शब्द 'दलित' का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य वे लोग हैं जो जाति विशेष में जन्म लेने के कारण सामान्य, आर्थिक उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। 'दलित' एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है। आजकल 'दलित' शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है, जिन्हें अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक एवं आर्थिक वंचनाओं और असुविधाओं के लम्बे दौर से गुजरना पड़ा है। वर्तमान में इन जातियों के शिक्षित लोग 'हरिजन' या 'अस्पृश्य' कहे जाने की अपेक्षा 'दलित' कहलाना ही अधिक पसन्द करते हैं।

शब्द कुंजी – दलित, अस्पृश्यता, जाति, वर्ण, समानता।

प्रस्तावना – 'प्रकृति के नियम भले ही समान न हों, पर मनुष्य का नियम समानता पर आधारित होना चाहिए। समाज और राज्य का एक शक्तिशाली नियम समता होनी चाहिए, जहाँ सामाजिक और आर्थिक विषयों पर न किसी प्रकार का भेदभाव हो, न असमानता हो, न अन्याय की सम्भावना हो और न उनके मध्य उतार-चढ़ाव का कोई जोखिम ही हो।'

– डॉ.बी.आर. अम्बेडकर

1930 के दशक से इन सामाजिक समूहों को 'अल्पसंख्यक' कहा जाने लगा। इस अल्पसंख्यक समूह की प्रमुख विशेषता वास्तव में मातहतता या अधीनस्थता रही है। हाल ही में रणजीत गुहा ने एक नये इतिहास अधीनस्थों का इतिहास (Subaltern History) की बात कही है। वे कहते हैं कि आज जिसे हम इतिहास कहते हैं वह अभिजात वर्गों (Elites) का इतिहास है। अत: उनका आग्रह है कि राजा-महाराजाओं व धनाढ्यों के समान ही आदिवासी, किसानों, स्त्रियों और अछूतों (दलितों) एवं इन समूहों के नेताओं का वर्णन भी होना चाहिए। आज का समाजशास्त्र भी जिस दौर में चल रहा है, वह वस्तुत: अधीनस्थों का समाजशास्त्र (Subaltern Socioloy) है। इसमें दलित वर्ग और स्त्रियां प्रभावी भूमिका रखती हैं। इस दृष्टि से दलित नेता डॉ.बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों के व्यक्तित्व रूचिकर बन जाते हैं। 'आउटलुक' पत्रिका के एक सर्वे में गांधी के बाद महानतम भारतीय के रूप में डॉ. अम्बेडकर को चुना जाना (जहाँ आज भी देश में हजारों परिवार मैला ढोने में लगे हैं।) भी उनकी दलितोत्थान सम्बन्धी विचारधारा का प्रासंगिक होना सिद्ध करता है। अम्बेडकर और गांधी दोनों ही इन दलितों का उत्थान चाहते थे। दोनों की गणना समाज सुधारकों में की जाती है। दोनों ने ही समाज के निम्नतम स्तर के वर्ग शूद्रों के सामाजिक स्तर को उठाकर अन्य उच्च वर्ग तथा 'द्विज जातियों' के बराबर लाने के प्रयास भी किये। दोनों ही इनका उत्थान अहिंसक तरीके से चाहते थे। दोनों ही अस्पृश्यता के पुरजोर विरोधी थे। किन्तु फिर भी इन दोनों की इनकी समस्या को देखने का परिप्रेक्ष्य और इन समस्याओं के समाधान के तौर तरीकों में भिन्नता रही है। प्रस्तुत पत्र में हम अम्बेडकर और गांधी के दलितोत्थान सम्बन्धी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन निम्न बिन्दुओं के आधार पर करने का लघु प्रयास करेंगे।

धर्म– गांधीजी हिन्दू धर्म के प्रबल समर्थक थे, जबकि अम्बेडकर इसके घोर विरोधी थे। गांधी जी के इसे सनातन धर्म मानते थे। गांधी के अनुसार– 'समाज में धर्म को निकाल फेंकने का प्रयत्न बाँझ के घर पुत्र पैदा करना जितना ही निष्फल है और अगर कहीं वह सफल हो जाए तो समाज का उसमें नाश है।' इसके विपरीत अम्बेडर हिन्दू धर्म को सिद्धान्तों को धर्म न मानकर धार्मिक आदर्शों और नियमों का पुलिन्दा मात्र मानते थे जिसमें दया, समता, नैतिकता और मानवता का सर्वथा अभाव है। वे कहते थे हिन्दू धर्म ही अस्पृश्यता का मूल कारण है। अत: हिन्दू धर्म व धर्म ग्रन्थों को नष्ट कर देना चाहिए। जबकि गांधी जी के अनुसार जाति या अस्पृश्यता का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। गांधी जी जहाँ हाथ में भगवद् गीता लेकर चलते थे वहीं 1927 में अम्बेडकर ने प्रतीकात्मक तौर पर मनुस्मृति की प्रति को जलाया था। गांधीजी के लिए धर्म आस्था और विवेक का विषय था जबकि अम्बेडकर के लिए सिर्फ विवेक का। इसलिए वे विवेक की स्वतन्त्रता देने वाले बौद्ध धर्म और उसकी तीन विशेषताओं, प्रज्ञा, करूणा और समता से अत्याधिक प्रभावित थे। वे बौद्ध धर्म को सताए गए और पद दलितों के लिए आशा के दीप के समान मानते थे। अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म से आहत होकर कहा था– 'मैं हिन्दू पैदा तो हुआ परन्तु हिन्दू रहकर मरूँगा नहीं।' यही कारण हैं कि उन्होंने 2 अक्टूबर 1956 को दशहरे के दिन नागपुर में हजारों दलितों के

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।

वर्ण– गांधीजी प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। वे वर्ण व्यवस्था को कार्य विभाजन की सहज योजना मानते थे। गांधी जी सफाई के कार्य को ब्राह्मण के कार्य से कम नहीं मानते थे। इसीलिए गांधी जी ने वर्णों की समानता पर बल देते हुए वर्ण व्यवस्था को ऊँच–नीच के विचार से मुक्त करके उसके शुद्ध रूप को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया। 'उनके अनुसार वर्णों के द्वारा समाज में सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था सम्भव है।' अम्बेडकर ने यह साफ तौर पर महसूस किया कि चार जातियों का यह ढांचा चार तत्वों को नहीं जोड़ सकता। शुरूआती तीन जातियों याजक, योद्धा–राजा, व्यापारी–निर्माता में ही सब सम्मिलित है, जबकि चौथी जाति 'शूद्र' 'बन्धुआ' या 'अछूत' और बहिष्कृत है। अम्बेडकर की मान्यता था कि ऊँच–नीच का विचार पूर्ण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से अन्तर्निहित है अतः वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन करके ही भारतीय समाज में समता व न्याय के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

जाति – अम्बेडकर जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे। जबकि गांधी जी आरम्भ में ऊँच–नीच रहित जाति व्यवस्था के अनुमोदक थे, किन्तु बाद में वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक बन गये थे। गांधी जी जाति व्यवस्था का प्रमुख कारण गौ माँस का सेवन करने वाले समूहों के पीढ़ीदर पीढ़ी बहिष्कार को मानते थे। अम्बेडकर ने जाति की उत्पत्ति का प्रमुख कारण ब्राह्मणों द्वारा अपनी उच्च प्रतिष्ठा (प्रस्थिति) बनाये रखने के लिए सजातीय विवाह की चतुर–युक्ति एवं अन्य समूहों द्वारा उनके अनुकरण को माना। अम्बेडकर की मान्यता थी कि जाति–व्यवस्था के कारण हिन्दूओं में उदासीनता और अकर्मण्यता व्याप्त हुई है और उनमें कायरता का प्रसार हुआ है। अम्बेडकर के अनुसार – 'जाति या वर्ण की श्रेणियों का होना एक लज्जाजनक बात है। यदि इन सामाजिक उपजों की दृष्टि से हिन्दू सभ्यता को नापा जाये तो उसे शायद ही कोई सभ्यता कह सके। मनुष्य को दबाने तथा उसे गुलामी में रखने के लिए यह एक पैशाचिक पद्धति है। गाँधी जी का कहना था कि छोटी–छोटी जातियों को वर्ण में डाल देना चाहिए, जिससे जातियों की संख्या कम हो जायेगी। अम्बेडकर कहते थे 'बहिष्कृत' तब तक रहेंगे जब तक जातियां हैं।' इसलिए अम्बेडकर की मान्यता थी, कि जाति का विध्वंस कर देना चाहिए। क्योंकि धर्म ने जाति के साथ गठजोड़ करके अछूतों को हमेशा के लिए दलित बना दिया।

अस्पृश्यता – गांधी व अम्बेडकर दोनों ही अस्पृश्यता के विरोधी थे। गांधी अस्पृश्यता को वर्ण व्यवस्था पर कलंक मानते थे। उन्होंने कहा था – 'मैं पुनर्जन्म नहीं चाहता। यदि फिर भी मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं एक अछूत के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी पीड़ा और वेदना को बाँट सकूँ।' गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि – 'अस्पृश्यता का उन्मूलन किये बिना स्वराज्य की प्राप्ति असम्भव भी है और निरर्थक भी।' गांधी व अम्बेडकर दोनों ही अस्पृश्यता के विरोधी थे। किन्तु फिर भी कई बिन्दुओं पर उनके विचार भिन्न थे। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि अम्बेडकर जाति और अस्पृश्यता के विकास का प्रमुख कारण हिन्दू धर्म और ग्रन्थों को मानते थे। उनका कहना था कि रामायण और महाभारत में हमें ऐसे कई दृष्टान्त मिलते हैं, जिनमें स्वयं भगवान अछूतों के साथ भेदभाव करते हैं। अतः ऐसे ग्रन्थों को निरस्त कर देना चाहिए। जबकि गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का हिन्दू धर्म से कोई सरोकार नहीं था। अम्बेडकर अस्पृश्यों को चारों वर्णों से इतर, पाँचवा और बहिष्कृत वर्ण मानते थे। उनके अनुसार अस्पृश्य हिन्दू जातीय संरचना से बाहर है। इसलिए अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की माँग रखी थी। किन्तु गाँधी अछूतों को हिन्दू समाज का ही अंग मानते थे और इसी कारण दलितों के पृथक निर्वाचन की माँग पर अनशन पर बैठ गये थे। गाँधी जी अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए सवर्णों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि सवर्ण स्वयं अछूतों के लिए सार्वजनिक मन्दिर, कुएँ, तालाब, विद्यालय आदि खोल दें। जबकि अम्बेडकर ने पूरे आग्रह के साथ कहा कि – 'अस्पृश्यता का कारण जाति व्यवस्था और धर्म ग्रन्थ हैं इनका विध्वंस कर दो। अस्पृश्यता राजनीति के कारण है उसकी संरचना बदल दीजिए।' इसलिए अम्बेडकर ने अछूतों की समस्या का राजनीतिकरण किया और उन्हें शिक्षित बन संगठित रहकर संघर्ष करने का सन्देश दिया।

गाँव – गांधी व अम्बेडकर दोनों के बीच भारत के विकास मार्ग को लेकर भी मत भ्रान्ति रही है। महात्मा गाँधी गाँवों को केन्द्र में रखते हुए विकास मॉडल के समर्थक थे। जिसमें औद्योगीकरण की अनदेखी करते हुए 'राम–राज्य' की स्थापना की जा सके। जबकि अम्बेडकर के मुताबिक गाँव आदर्श नहीं बन सकते। वह पिछड़ेपन, परम्परा और दासता के परिचायक हैं। दलितों को गाँवों को छोड़ देना चाहिए और भारत को भी गाँव के इतिहास को दरकिनार कर आगे बढ़ना चाहिए।

निष्कर्ष – इस प्रकार गाँधी व अम्बेडकर दोनों के ही दलितोत्थान सम्बन्धी विचारों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि दोनों ही दलितों का उद्धार करना चाहते थे, किन्तु दोनों के विचारों में भिन्नता थी। दोनों की समस्या एक थी किन्तु निदान अलग थे। दोनों का साध्य एक था किन्तु साधन भिन्न थे। जहाँ गांधी जी ने दलितोथान के लिए कानून बनाने हेतु कोई जन–आन्दोलन नहीं किया, वहीं अम्बेडकर ने गोलमेज जैसे सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर दलितों की समस्या को व्यापक राजनीतिक मंच प्रदान किया। 1932 के पूना पैक्ट में दलितों को प्रतिनिधित्व में निश्चित आरक्षण एवं इनके लिए किए गए अनेक संवैधानिक उपाय संविधान निर्माता अम्बेडकर के प्रयासों का ही परिणाम थे। गांधी व अम्बेडकर के विचारों में मतभेदता का एक प्रमुख कारण इन दोनों की जातीय पृष्ठभूमि भी रही होगी, क्योंकि एक सवर्ण थे तो दूसरे अछूत। गांधी दलितों की स्थिति सुधारने के लिए अछूतों के प्रति सवर्णों के हृदय परिवर्तन के पक्षधर थे, जबकि अम्बेडकर स्वयं अछूत थे और उन्होंने अछूत होने के नाते उनकी पीड़ा और वेदना को स्वयं भोगा एवं जीया था। यही कारण है कि गांधी ने दलितोत्थान के समाधान की सम्भावनाओं को आदर्शादी रूप से सामाजिक सुधार में खोजा, वहीं अम्बेडकर ने इस समस्या का राजनीतिक हल निकालने का स्थायी, वास्तविक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोष – एच.के.रावत
2. भारतीय सामाजिक विचारक – एस.एल.दोषी
3. भारतीय सामाजिक चिन्तन – वी.एन.सिंह
4. दलित और प्रजातांत्रिक क्रान्ति – गेल ऑमवेट
5. प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक – मधुकर श्याम चतुर्वेदी
6. आउटलुक पत्रिका – स्लैवोज जिजेक बर्कबेक
7. नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट – अप्रेल, 2010

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

भारत की संसदीय व्यवस्था में चुनाव आयोग की बहुमुखी और बहु-आयामी भूमिका

डॉ. मंजु मीणा*

प्रस्तावना – अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक चुनाव-आयोग की व्यवस्था की गयी है, संविधान का एक पूरा भाग-15 चुनावों से ही सम्बद्ध किया गया है, इस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों के सम्बन्ध में विभिन्न सांविधानिक व्यवस्थाएँ की गईं हैं, इन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में चुनाव की सही व्यवस्था के लिए एक स्वतन्त्र प्रशासकीय निकाय की स्थापना संविधान द्वारा की गयी है, जिसे चुनाव आयोग नाम दिया गया है। यह एक स्वतन्त्र निकाय है और संविधान यह सुनिश्चित करता है कि यह उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाँति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतन्त्र और निष्पक्ष रुप से अपने कार्यों को सम्पादित कर सके, मुख्य चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य उतने चुनाव आयुक्त होते हैं, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा, जिन कारणों और रीतियों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है अर्थात उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है,इस प्रकार संविधान चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के सम्पादित कर सके।

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य – भारत में संसदीय तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है, संविधान के अनुच्छेद 324 में आयोग को निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है-

1. **चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन –** चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना है, चुनाव-क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार की जाती है, इस अधिनियम का प्रावधान है कि प्रति दस वर्ष बाद होने वाली जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, परिसीमन आयोग का गठन चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं।

2. **मतदाता सूचियॉ तैयार करना –** इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियॉ तैयार करवाना है, इस कार्य के सम्पन्न होने पर ही चुनाव होते हैं।

3. **राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना –** यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई आधार निश्चित किया जा सकता है, दलों द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने के इन आधारों में चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किए गये हैं, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार -

राज्य स्तरीय दल को मान्यता देने की शर्त – राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए सम्बन्धित राजनीतिक दल को लोकसभा अथवा विधान सभा चुनावों में कुल वैध मतों के कम से कम 6 प्रतिशत मत और विधान सभा में कम से कम दो सीटें जीतना, अथवा राज्य विधान सभा में कुल सीटों की कम से कम तीन प्रतिशत सीटें अथवा कम से कम तीन सीटें(इनमें जो भी अधिक हो) जीतना आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्तरीय दल के रुप में मान्यता देने की शर्त – किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तरीय दल के रुप में मान्यता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि लोकसभा अथवा विधान सभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों के कम से कम 6 प्रतिशत मत कम से कम 4 अथवा अधिक राज्यों में उसे प्राप्त हों, अथवा कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा में उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कुल सीटों का 2 प्रतिशत (वर्तमान में 543 सीटों के हिसाब से कम से कम 11 सीटें) होना चाहिए।

4. **राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना –** यह आयोग राजनीतिक दलों व निर्दलीय रुप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, चुनाव चिन्हों को लेकर यदि किन्हीं राजनीतिक दलों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो आयोग उस विवाद का निर्णय भी करता है, चुनाव- चिन्ह के विवाद में अपील की जाने की व्यवस्था है।

5. **विधायकों की अयोग्यता के सम्बन्ध में परामर्श देना –** ये आयोग को सौंपे गए अर्द्ध-न्यायिक कार्य हैं, संसद सदस्य की अयोग्यता या राज्य विधान सभा की सदस्य की अयोग्यता सम्बन्धी प्रष्न पर क्रमश: राष्ट्रपति या सम्बन्धित राज्यपाल को परामर्श देना भी आयोग का कार्य है।

6. **चुनाव प्रक्रिया का संचालन –** चुनाव प्रक्रिया का आरम्भ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 14वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर (राज.) भारत

जारी की गयी अधिसूचना से होता है, यह अधिसूचना वर्तमान लोकसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जाती है, इस अधिसूचना में राष्ट्रपति मतदाताओं से संसदों और विधायकों के चुनाव का आह्वान करता है, इसके उपरान्त चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे चुनाव प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है, इस घोषणा में नामांकन पत्र भरे जाने की, उनकी जॉच किए जाने की, नामों की वापसी की ओर मतदान किए जाने की तिथियों का उल्लेख होता है।

7. राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना – निर्वाचन प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों से, राजनीतिक दलों में परस्पर सहमति के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित की गई, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रचार की अवधि में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के आचरण के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश स्थापित करती है। इसका अभिप्राय प्रचार को स्वस्थ दिशा में चलाए रखना, प्रचार के दौरान और उसके पश्चात् परिणामों की घोषणा तक, राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों के बीच टकराव और विरोध को दूर रखना, और शान्ति तथा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आदर्ष आचार संहिता केन्द्र या राज्य में सत्तारुढ़ दल तथा अन्य दलों के लिए बराबर स्तर सुनिश्चित करती है ताकि किसी ऐसी शिकायत, कि सत्तारुढ़ दल ने अपने निर्वाचन प्रचार के लिए अपनी शासकीय स्थिति का उपयोग किया है, के लिए कोई कारण न हो पाये, के लिए भी दिशा निर्देश निर्धारित करती है।

8. प्रत्याशियों द्वारा अपने–अपने प्रचार के नियम निर्माण करना – प्रत्याशियों द्वारा अपने–अपने प्रचार के नियम निर्माण कराना जिससे आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए नियम के दायरे में रहकर अपने–अपने प्रचार प्रसार कर सके, इसका अभिप्राय प्रचार को स्वस्थ दिशा में चलाए रखना, प्रचार के दौरान और उसके पश्चात् परिणामों की घोषणा तक, राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों के बीच टकराव और विरोध को दूर रखना, और शान्ति तथा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आदर्श आचार संहिता केन्द्र या राज्य में सत्तारुढ़ दल तथा अन्य दलों के लिए बराबर स्तर सुनिश्चित करती है ताकि किसी ऐसी शिकायत, कि सत्तारुढ़ दल ने अपने निर्वाचन प्रचार के लिए अपनी शासकीय स्थिति का उपयोग किया है, के लिए कोई कारण न हो पाये, के लिए भी दिशा निर्देश निर्धारित करती है।

9. प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के व्यय की सीमा निर्धारित करना – अक्टूबर, 2003 में हुए संशोधन ने इन सीमाओं को बढ़ा दिया है। बडे राज्यों में लोक सभा स्थानों के लिए अब यह 25 लाख रु0 है अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह सीमा 10 लाख रु0 से 25 लाख रु0 के बीच भिन्न–भिन्न है। इसी प्रकार बड़े राज्यों में विधान सभा के स्थानों के लिए अब यह 10 लाख रु0 है जब कि अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह 5 लाख रु0 से 10 लाख रु0 के बीच भिन्न–भिन्न है। यद्यपि किसी अभ्यर्थी के समर्थन प्रचार में सहायता करने के लिए वे जितना चाहे व्यय कर सकतें हैं, तथापि उन्हें अभ्यर्थी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी और दलों को भी वे जितना चाहें प्रचार पर व्यय करने की अनुमति है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि जब तक कोई राजनीतिक दल प्रचार की अवधि में व्यय की गई राशि के लिए विशेष स्पष्टीकरण न दे दे , वह किसी भी क्रियाकलाप को अभ्यर्थी के द्वारा धन सुलभ किया हुआ मानेगा और निर्वाचन व्यय में गिनेगा।

10. मतदाताओं को मतदान कार्य का प्रशिक्षण देना – निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान कार्य का प्रशिक्षण दिलाना जिससे मतदान के समय अपने मत का सही उपयोग कर सके।

11. राजनीतिक दलों के लिए चुनाव–प्रचार की उचित सुविधाएँ (आकाशवाणी व दूरदर्शन आदि) उपलब्ध कराना – निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों को निर्वाचन की अवधि में राज्य के इलैक्ट्रोनिक मीडिया– आकाशवाणी और दूरदर्शन तक विस्तृत पैमाने पर पहुँच की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य के आकाषवाणी और दूरदर्शन चैनलों पर आबंटित नि:शुल्क समय 122 घटों तक बढ़ाया गया है। इसे हाल ही के, पिछले निर्वाचनों में आधार सीमा और अतिरिक्त सीमा को मिला कर दल के प्रदर्शन से जोड़ कर आबंटित किया जाता है।

12. चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना – निर्वाचन आयोग से अर्द्ध–न्यायिक कार्य, जैसे– अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में परामर्श करता है। तथा अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत राज्यपाल राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है।

13. अपने कार्यो के विषय में तथा चुनाव प्रक्रिया में सुधारों के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन देना – निर्वाचन आयोग के द्वारा समय–समय पर चुनाव प्रक्रिया में आये विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं सुधार हेतु सरकार को प्रतिवेदन देना।

14. निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना– स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने एवं उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यय की राशि पर्यवेक्षकों के माध्यम से जॉच करना है।

15. किसी चुनाव में हुई अनिमितताओं के आधार पर उस चुनाव को रद्द करना – चुनावों में जीत के लिए अपराधियों की सहायता लेना, हिंसा एवं बल का प्रयोग करना मतदाताओं को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत देने के लिए बाध्य करना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना आदि अनिमितताओं के आधार पर उस चुनाव को चुनाव आयोग रद्द कर सकता है।

16. किसी चुनाव क्षेत्र में पुन: मतदान करवाना और पुन: मतगणना करवाना – चुनाव आयोग, द्वारा यदि किसी चुनाव क्षेत्र में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति बनी हो तो चुनाव रद्द कर पुन: मतदान करवाना और यदि मतगणना में अनियमताऐं हुई हो तो पुन: मतगणना करवा सकता है।

17. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन करना – राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में नामजदगी, पत्रों की जॉच की तिथि, चुनाव संघर्ष के नाम वापस लेने की तिथि का उल्लेख होता है।

18. राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों की व्यवस्था करना – राज्य सभा एक स्थायी सदन है। अत: इसे लोकसभा के भॉति भंग नहीं किया जा सकता है और यह निरन्तर कार्य करता रहता है। परन्तु प्रत्येक दो वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं, एवं 1/3 सदस्य सेवा में आ जाते हैं।

जिनकी प्रत्येक द्विवार्षिक चुनावों की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है।

19. प्रत्याशियों के चुनाव-व्यय का हिसाब मॉगना – उम्मीदवारों का चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो कानून द्वारा लोकसभा चुनाव में 25 लाख, विधानसभा चुनाव में 10-15 लाख सीमा निर्धारित है, परन्तु कानून प्रभावी न होने के कारण एक उम्मीदवार का खर्च करोड़ पर पहुॅच जाता है। यह बढ़ता खर्च अनैतिकता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में ईमानदार व कुशल उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। इसलिये चुनाव आयोग द्वारा पारदर्षिता लाने के लिये प्रत्याशियों के चुनाव-व्यय का हिसाब मॉगता है।

20. राजनीतिक दलों से चुनाव में किए व्यय का हिसाब मॉगना – चुनावों में जीत को ही अन्तिम लक्ष्य मानने वाले दलों ने धन शक्ति के साथ-साथ बाहुबल की शक्ति का भी दुरुपयोग करने में नहीं हिचकिचाते बेहिसाब धन खर्च कर जीत हासिल करना चाहते है। इसके साथ भारी खर्च करके जब दल को सत्ता प्राप्त होती है तो वह चुनाव में खर्च किए गए धन की उगाही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, रिश्वत एवं घोटालों से करता है। इन बुराईओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से चुनाव में किए व्यय का हिसाब मॉगता है।

21. जाली मतदान को रोकने के लिए राज्य सरकारों को मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने का निर्देश देना – निर्वाचन नामावलियों में शुद्धता लाने के प्रयास करने के लिए और निर्वाचन धांधलियों को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने अगस्त 1993 में देश के सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान-पत्र बनाने के आदेश किए। नवीनतम तकनीकी तरीकों का लाभ उठाने के लिए आयोग ने ई. पी. आई. सी. कार्यक्रम के लिए मई, 2000 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए।

निष्कर्ष – निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों को निर्वाचन की अवधि में राज्य के इलैक्ट्रोनिक मीडिया- आकाशवाणी और दूरदर्शन तक विस्तृत पैमाने पर पहुॅच की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य के आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों पर आबंटित नि:शुल्क समय 122 घटों तक बढ़ाया गया है। इसे हाल ही के, पिछले निर्वाचनों में आधार सीमा और अतिरिक्त सीमा को मिला कर दल के प्रदर्शन से जोड़ कर आबंटित किया जाता है। जरुरत ऐसी चुनाव प्रणाली की है जिसमें जनता के हाथ में सत्ता की सीधी बागडोर हो। अपने चुने प्रतिनिधि को वापस बुलाने की शक्ति मतदाता के हाथ में हो। ऐसी चुनाव प्रणाली जो बहुत खर्चीली न हो और लोकतन्त्र को भीड़तन्त्र अथवा अराजकतन्त्र में बदलने से रोक सके आज कारगर साबित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पॉपुलर मास्टर गाइड यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फैलोशिप तथा लैक्चरशिप परीक्षा राजनीति शास्त्र- सुनील कुमार शर्मा।
2. उपकार यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फैलोशिप तथा लैक्चरशिप परीक्षा राजनीति शास्त्र- सुरेन्द्र कौशिक।
3. यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फैलोशिप तथा लैक्चरशिप हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा राजनीति शास्त्र-अरुण दत्त शर्मा।
4. यूनीफाइड राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष - नन्दलाल।
5. वेब साइट।

****

कुसुम अंसल के कथा साहित्य में नारी का बदलता स्वरूप

डॉ. सुनीता कुमारी*

प्रस्तावना – स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि इनमें से एक भी पहिया दुर्बल हो जाता है तो समाज रूपी गाड़ी का विकास रूक जाता है। गृहस्थ जीवन की सुख-शान्ति, आनन्द तथा उत्थान दोनों पर आधारित है। इन्हीं कारणों से भारतीय संस्कृति में नारी को गृह लक्ष्मी, गृह देवी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी आदि कहा गया है।

पुरातन युग में नारी को श्रद्धा तथा विश्वास का रूप समझा जाता था। नारी घर में तथा घर के बाहर भी सम्मान की अधिकारिणी थी। समय के बदलाव के साथ ही मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण के समय उसकी दशा दयनीय हो गयी जिसके कारण उसे घर की चारदीवारी के भीतर बंद होना पड़ा।

पुनर्जागरण काल में राजाराम मोहन राय, महर्षि दयानन्द आदि अनेक समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा को सुधारने तथा समाज में पुन: प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयत्न किया। सती प्रथा समाप्त हुई, बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगा। पुनर्विवाह और विधवा विवाह के कानून बने। आज उसे पुरुषों की भाँति सब अधिकार प्राप्त हैं।

आज वर्तमान युग में नारी का स्वरूप बदलता है। आज नारी वह नारी नहीं रही जिसे पुरुष समाज ने भोग्या और घरेलू वस्तु बना रखा थां आज उसने अपनी बुद्धि, योग्यता तथा आत्मविश्वास से यह भली-भाँति सिद्ध कर दिया कि वह आज अबला नहीं 'सबला' है, सामाजिक जीवन की आधारशिला है। आज जीवन के हर क्षेत्र में वह पुरुषों के साथ कार्यरत है। शिक्षा, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, समाज सेवा, व्यापार उद्योग-धन्धे, प्रशासन, पुलिस, सेना आदि सभी विभागों और क्षेत्रों में।

आज की बदलती नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वह शिक्षित है तथा राजनीतिक दृष्टि से पुरुष के समान अधिकारों की अधिकारिणी है। आज नारी ने क्षमता, योग्यता, विवेक तथा अपनी कार्यकुशलता से सिद्ध कर दिया है कि अब हमारा स्वरूप व कार्य क्षेत्र बदल चुका है। हम हर जगह विद्यमान हैं। हमारे कोमल हाथ अब कठोर हो चले हैं। हमारे हाथों ने चूड़ियों के अलावा अब कलम, पुस्तकें, अस्त्र-शास्त्र व देश की बागडोर आदि को ग्रहण कर लिया है।

कथाकार कुसुम अंसल के साहित्य में नारी का बदला स्वरूप देखने को मिलता है। उनके पात्र नयी मानसिकता का प्रतीक है। उनकी सोच व विचारधाराएँ आधुनिकता को दर्शाने वाली हैं। वह हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। 'आधुनिक यंग में नारी निर्भीक होकर व्यक्ति रूप में अपने अस्तित्व एवं स्वातंत्र्य की रक्षा के प्रति जागरूक है।'[1]

कुसुम अंसल ने उपन्यासों व कहानियों में बड़े ही साहस के साथ नारी की मानसिकता के आधुनिकता के संदर्भों की खोज की है। परिवेश बोध को संवेदना के धरातल पर जाकर ही लेखिका ने नारी जीवन की बात व आंतरिक विसंगतियों, कटुताओं व अन्तर्विरोधों को छानबीन करके उन्हें बड़े ही मार्मिक ढ़ंग से अभिव्यक्ति दी है।

'एक और पंचवटी' की साधवी आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक नारी अपने निजत्व के प्रति सजग व सचेत हो चुकी है। वह जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। वह अपने भाव जगत् की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति चाहती है। साधवी पति के द्वारा अपने व्यक्तितव की उपेक्षा पर झुंझला उठती है- 'तो मेरी सार्थकता क्या? निरर्थक हो जाने में- मैं इस घर में क्यों हूँ- इस घर की दीवारों को ओढ़ लेने के लिए, पहन लेने के लिए ही इस घर में लाई गयी हूँ।'[2] आज नारी अपने जीवन की सार्थकता चाहती है। वह अपनी प्रतिभाओं का अवमूल्यन होते नहीं देख सकत- 'मेरी अपनी रूचियों, मेरी संस्कृति, मेरी शिक्षा ने गढ़कर मुझे जिस आकृति में ढाला है, उसी को सहजता से जीते जीने में सुख है।'[3]

'रेखाकृति' में आधुनिक नारी का अलग ही रूप है। आधुनिक बनने के चक्कर में उसने अपने आपको खो दिया है, अपनी गरिमा को खो दिया है। उपन्यास की नायिका विवाह को पूर्ण ठोस संस्था नहीं मानती। उसके अनुसार जीवन को ठीक से लेना ही पूर्णता है- 'प्रेम मात्र अपने भीतर की एक अकेली अनुभूति है। उसकी उत्कृष्टता अवश्य है परन्तु वह उत्कृष्टता, वह बहाव, वह व्यक्ति कितने प्रतिशत महसूस करता है, इसकी कोई गारन्टी नहीं है।'[4]

'अपनी-अपनी यात्रा' में मधुर आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है। वह हर तरफ से सुख बटोरना चाहती है चाहे रास्ता नैतिक या अनैतिक। उसका जीवन दर्शन आधुनिकता से परिपूर्ण है। मधुर सुरेखा से कहती है- 'जन्म बार-बार नहीं होता। जन्म बर्बाद करने के लिए भी नहीं होता। जब तक जियों अच्दी तरह से जियो, उसका एक-एक पल भरूपर जियो। मुझे सब अच्छे लगते हैं। मैं सबसे मित्रता कर लेती हूँ। मैं आखिर क्या हूँ। मुझे दीया ही समझ लो। हर दीये का तेल चाहिए जलने के लिए। पर तेल कहाँ मिलेगा? प्रेम से, स्नेह से ही तो जीवन बाती जलती है। मैं सुख बटोर रही हूँ, प्रेम जोड़ रही हूँ, क्यों उसके बिना मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती।'[5]

'खामोशी की गूंज' की अन्विता आधुनिक नारी के बदले स्वरूप को पूर्णतया दर्शाती है। वह कड़े परिश्रम से सफलता के शिखर तक पहुँच जाती है। वह अपनी हर जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाना जानती है। वह अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करने की क्षमता रखती है, तो दूसरे को उसकी कमजोरी बताने में भी समर्थ है। जब अन्विता अपने पति जीवेश को बताती है कि वह प्रेगनेट है और यह बच्चा उसके बॉस का है तो जीवेश उसे थप्पड़ मारता है और अपमानित करता है। तब उस उठे हुए हाथ को वह पकड़ लेती है-..... 'मैं अगर तुम से यही सवाल करूँ कितनी औरतों के साथ हम

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत, बागपत (उ.प्र.) भारत

बिस्तर हुए हो तुम...........कितनी, 'सैक्स-यात्राएँ 'की हैं तुमने.........तो? अन्विता चाहती तो अपनी प्रेगनैन्सी को 'कैश' कर सकती थी लेकिन वह एक स्वाभिमानी लड़की है। बानो के लाख समझाने पर भी उसका मन नहीं मानता- 'मैं जानती हूँ बानों, पर मेरा मन मुझे इज़ाजत नहीं देता कि मैं अपने अधिकार की कोई सौदेबाजी करूँ।'[8]

'एक नयी मीरा' की पात्र रूढ़िवादी परम्पराओं में जीना नहीं चाहती। पति की मृत्यु के बाद यह विधवा की जीवन कुछ ही समय व्यतीत कर पाती है। वह स्वीकार करती है कि पति के वियोग में मीरा तो बनकर रह सकती हूँ पर आधुनिक मीरा। वह आधुनिक मीरा इसलिए बनना चहती है क्योंकि वह आगे का जीवन आनन्दमय जीना चाहती है। 'हाँ सब समझाते हैं, मैं चरित्रवान नहीं हूँ। पता नहीं यह चरित्र है क्या? मैं सफाई दूँ भी तो किसे? शायद मुझे कोई लोकलाज है ही नहीं। मैंने सब विधवाओं की तरह प्रवास किया था कि सादा जीवन जी लूँ......पर मेरा गम.......इस सब से ऊपर उठ गया। सास के कहने पर दो साल तक जोगन का रूप धरा........मेरा मन नहीं लगा भगवान में। जाने कैसा है मेरा मन जो एक पुरानी लगन में इतना डूब चुका है कि उबर सकना बहुत कठिन है। बहुत.......। ढ़ोंग मुझसे होता नहीं है और सच दुनिया पसंद नहीं करती। मैं क्या करती! हर चेहरे की खुशी में अपनी खुशी ढूँढ़ रही हूँ।'[7] **अंधी यात्रा** कहानी में सीमा आधुनिक स्वरूप को दर्शाती हुई शर्मा जी से कहती है हैं' 'शर्मा जी, अमेरिका से दो साल का, 'इंटीरियर डेकोरेशन' का कार्स करके लौटी हूँ। यहाँ कितने ही होटल मेरी सज्जा के प्रतीक हैं- वे मेरी पूर्णतया को ठीक से बता पायेंगे....अपने काम की खातिर मैं कितना गहरा जा सकती हूँ दूर तक।'

'अपना आप' कहानी में राजीव स्त्री देह का अपने पेशे के लिए उपयोग करता रहा है। वह अपनी पत्नी को भी देह मानकर कला साधना करता है। 'शरीर भर उसका साथी है, चेहरा नहीं।' वह चाहता है कि मीनल इस कोण को बेच दे जो उसकी खुद की सम्पत्ति है। मीनल ऐसा नहीं करती क्योंकि वह चाहती है कि ऐसा करने पर वह रहा-सहा सम्मान भी खो देगी। स्त्री-विमर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक स्वतन्त्रता से जुड़ा है। मीनल इस वास्तविकता से परिचित है। वह राजीव की छत्र-छाया से बाहर निकल कर खुद की पहचान के लिए संघर्ष करती है और सफल होती है।

'आधुनिक नारी परम्परागत तरीके से नियति या ईश्वर पर भरोसा कर जनम भर पति की सेवा में विश्वास नहीं रखती वह अपने व्यक्तितव के प्रति सजग है। अपनी आशा-आकांक्षाओं के प्रति भी। इनकी पूर्ति के सन्दर्भ में ही वह पति को स्वीकार कर पाती है। उससे वह 'अपनी इच्छाओं' की पूर्ति की अपेक्षा रखती हैं।'[8]

आज नारी का जीवन बदला है। वह आधुनिक प्रतिमानों की ओर सचेत है। वह अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन जीना चाहती है वह किसी के अधीन रहना पसन्द नहीं करती है। वैवाहिक जीवन उसे खोखलापन लगता है। कुसुम अंसल जी ने अपने कथा साहित्य में बड़ी आत्मीयता और सहानुभूति के साथ नारी की नयी मानसिकता को रेखांकित किया है। लेखिका का यह भी मानना है कि आज नारी आधुनिकता की दोड़ में अपने नैतिक व मानवीय मूल्यों को भी खोती जा रही है। वह विवाहोत्तर काम सम्बन्धों में रूचि रखने लगी है। जिससे उसका वैवाहिक जीवन खंड-खंड होता जा रहा है। 'नारी की मानसिकता का एक नया आयाम तत्कालीन उपन्यासों में यह भी मुखरित हुआ हे कि कुछ शिक्षित नारियाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति की धुन में उच्छृंखल हो गयी हैं। वे सोचती है कि हम पति की क्रय दासी नहीं है। विवाह संस्था को वह नकार देती हैं।'[9]

आधुनिक कथा साहित्य में नारी अपने पूरे तेज के साथ दिखाई देती है। आधुनिक नारी वह नारी है जो परिवेश के प्रति सजग है। वह अपने व्यक्तित्व के प्रति सचेत है अपने अस्तित्व के प्रति उत्तरदायी है। अपने अहं के प्रति जागरूक है। आधुनिक नारी में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता है। वह अपनी अस्मिता, अपने अहं को हर मूल्य पर बनाए रखना चाहती है।

आधुनिक युग में बौद्धिकता के कारण नारी की मानसिकता ने एक नया रूप ग्रहण किया है और इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर सर्वाधिक पड़ा है। 'स्त्री पुरुष सम्बन्धों में व्यापक मानवीय आधार को ग्रहण करने से पति-पत्नी के बीच पहले वाले पतिव्रत्य और सतीत्व की भावना निष्प्रभाव हो गयी हैं।'[10]

आधुनिकता के परिवेश व हालात में आत्म-सम्मान व स्वाभिमान की प्रबल भावना को जन्म दिया है। अब पुरुष की अनुकर्ता मात्र न होकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की उद्घोषणा करती हुई नारी आत्मनिर्भर होकर अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करने लगी है।

आज आधुनिक नारी का स्वरूप बदला है वह व्यवहारिक और भावनात्मक स्तर पर परम्परागत स्तर पर विद्रोह करती हुई नजर आ रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भागीरथ बड़ोले निर्मल : स्वातन्त्रोत्तर हिन्दी उपन्यासों में मानव मूल्य और उपलब्धियाँ, पृ0सं0-96
2. एक और पंचवटी, पृ0सं0-82
3. एक और पंचवटी, पृ0सं0-21
4. अपनी-अपनी यात्रा, पृ0सं0-28
5. अपनी-अपनी यात्रा, पृ0सं0-29
6. खामोशी की गूँज, पृ0सं0-319
7. एक नयी मीरा, पृ0सं0-31
8. अंधी यात्रा, पृ0सं0-131
9. माधुरी शाह : कमलेश्वर का कथा साहित्य, पृ0सं0-191
10. प्रमिला कपूरः भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएँ, पृ0सं0-11

****

भारत में आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

डॉ. गौरी शंकर मीणा*

शोध सारांश – भारत में आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता एक जटिल और बहुआयामी विषय है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, आप्रवासन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐतिहासिक रूप से, भारत एक आप्रवासन का केंद्र रहा है, जहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का मिलन हुआ है। यह सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। आप्रवासन ने भारतीय समाज को विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं, कला, संगीत, और खाद्य संस्कृति से समृद्ध किया है। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने साथ अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर लाई, जिससे भारतीय समाज का सांस्कृतिक ताना-बाना और भी मजबूत हुआ। हालांकि, आप्रवासन के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक टकराव, और पहचान की समस्या जैसी मुद्दे सामने आते हैं। भारत में आप्रवासन का समाजशास्त्रीय अध्ययन यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया समाज को न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। सांस्कृतिक विविधता और आप्रवासन का यह मिश्रण भारतीय समाज को एक अद्वितीय पहचान प्रदान करता है, जो विश्व में अपनी विशेष जगह रखता है।

शब्द कुंजी – सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, ई-श्रम पोर्टल, आप्रवासन कानून, अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन।

प्रस्तावना – भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ विविधता और समावेशिता का गहरा इतिहास है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और आप्रवासन ने भारतीय समाज को विविधता के साथ-साथ जटिलता भी प्रदान की है। आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता का समाज पर व्यापक प्रभाव होता है, जो सामाजिक ढाँचे, आर्थिक प्रगति, और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रभावित करता है। आप्रवासन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अक्सर बेहतर जीवन की तलाश में। आप्रवासन के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक अवसर, शैक्षिक संभावनाएँ, राजनीतिक अस्थिरता, और प्राकृतिक आपदाएँ। आप्रवासन के परिणामस्वरूप, नए क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक बदलाव होते हैं। भारत में आप्रवासन का प्रभाव न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई देता है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग महानगरों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा, आप्रवासन के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि होती है, जिससे समाज में विभिन्न संस्कृतियों का मिलन और संघर्ष होता है। सांस्कृतिक विविधता भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न भाषाएँ, धर्म, रीति-रिवाज, और परंपराएँ भारतीय संस्कृति को एक अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक विविधता के कारण भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रत्यक्ष होता है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के साथ समाज का विकास और समृद्धि बढ़ती है, जो कला, साहित्य, संगीत, और विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक विविधता न केवल सामाजिक सौहार्द को बढ़ाती है बल्कि आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। विविधता के कारण विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग समाज में नए दृष्टिकोण और विचार लाते हैं, जो सामुदायिक विकास को समृद्ध करते हैं।

भारत का इतिहास आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ है। यह विविधता और आप्रवासन की प्रक्रिया सदियों से भारतीय समाज की संरचना और संस्कृति को आकार देती आई है। प्राचीन काल में भारत में विभिन्न जातियों और जनजातियों का आना-जाना लगा रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, व्यापार और युद्ध के कारण विभिन्न संस्कृतियों का मेल-जोल होता रहा। आर्यों का आगमन और उनका उत्तार भारत में बसना, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। आर्यों ने यहाँ की मूल जनजातियों के साथ मिलकर एक नई संस्कृति और समाज की नींव रखी। मध्यकाल में, विशेषकर मुस्लिम आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना के दौरान, आप्रवासन की प्रक्रिया और तेज हो गई। इस काल में मध्य एशिया, फारस, और अफगानिस्तान से आने वाले शासकों और उनके अनुयायियों ने भारतीय समाज में नए तत्वों का समावेश किया। इस आप्रवासन ने भारतीय कला, संगीत, स्थापत्य और भोजन पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल काल में हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की एक नई धारा प्रवाहित हुई, जिसने भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन के तहत आप्रवासन का एक नया दौर शुरू हुआ। इस काल में अंग्रेजों ने भारतीय मजदूरों को अपने उपनिवेशों में काम करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा। यह 'गिरमिटिया' आप्रवासन फिजी, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, तथा गुयाना जैसे देशों में हुआ। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय संस्कृति और रीति-रिवाज विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैल गए।

इसके अलावा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के भीतर भी आप्रवासन की प्रक्रिया तेज हो गई। विशेषकर रेलवे और उद्योगों की स्थापना के कारण ग्रामीण इलाकों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। इस आंतरिक आप्रवासन ने भारतीय समाज के ढाँचे को बदल दिया और शहरों में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद, विभाजन के कारण

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर (राज.) भारत

बड़े पैमाने पर आप्रवासन हुआ। पाकिस्तान और भारत के बीच जनसंख्या का यह आदान-प्रदान भारतीय इतिहास की एक दर्दनाक घटना थी, जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया। इस विभाजन ने सांप्रदायिक संघर्षों को जन्म दिया और भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता और समरसता की चुनौतियाँ उत्पन्न कीं। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में, भारत ने आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाए, जिससे शहरीकरण और आप्रवासन की प्रक्रिया तेज हो गई। विशेषकर आईटी और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों ने ग्रामीण युवाओं को महानगरों की ओर आकर्षित किया। इस आधुनिक आप्रवासन ने भारतीय समाज की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। आज, वैश्वीकरण के युग में, आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता का महत्व और बढ़ गया है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों (एनआरआई) की बढ़ती संख्या ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक परिदृश्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसके साथ ही, विदेशी नागरिकों का भारत में आना-जाना भी बढ़ा है, जिससे भारतीय समाज में वैश्विक संस्कृति का समावेश हुआ है। इस प्रकार, आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता का भारतीय समाज पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन प्रक्रियाओं को समझना हमारे वर्तमान और भविष्य को बेहतर ढंग से समझने में सहायक सिद्ध होता है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता इसी आप्रवासन और सांस्कृतिक मिलन का परिणाम है, जो इसे एक अनूठी पहचान प्रदान करती है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जून 2022 की भारत में प्रवासन रिपोर्ट 2020-21 रिपोर्ट में अस्थायी आगंतुकों और प्रवासियों के लिए डेटा संकलित किया गया है, जुलाई 2020 से जून 2021 तक लगभग 0.7% आबादी अस्थायी आगंतुकों के रूप में दर्ज की गई थी। इसी अवधि में अखिल भारतीय प्रवास दर 28.9% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 26.5% तथा शहरी क्षेत्रों में 34.9% थी। महिलाओं की प्रवास दर 47.9% रही, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 48% तथा शहरी क्षेत्रों में 47.8% थी, तथा पुरुषों की प्रवास दर 10.7% रही, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 5.9% तथा शहरी क्षेत्रों में 22.5% थी। 86.8% महिला प्रवासी विवाह के लिए प्रवास पर गईं, जबकि 49.6% पुरुष प्रवासी रोजगार की तलाश में गए। वर्तमान स्थिति में 100 से अधिक देशों में 30 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी माजूद हैं। आज, भारतीय प्रवासी एक शक्तिशाली इकाई के रूप में उभरे हैं क्योंकि उन्हें विदेश नीति तैयार करने और मेजबान देश में सक्रिय भूमिका के अलावा अपने मूल देशों के आर्थिक विकास को बढ़ाने में उनकी श्सॉफ्ट पावरश के महत्व को समझा जा रहा है। भारतीय प्रवासी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, और इन्हें दुनिया में हर जगह सबसे सफल प्रवासी समुदायों में से एक माना जाता है। आज, वे राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, प्रौद्योगिकी व शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों पर काबिज हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों ने अपने संगीत, नृत्य, बॉलीवुड आदि के माध्यम से भारत को विविधता भरे, समृद्ध विरासत के रूप में विश्व स्तर पर पहचान दी है और वे भारतीय परंपराओं, संस्कृति, मूल्यों, नैतिकता और कई अन्य विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ा रहे हैं। वो जिस देश में रहते हैं, वहं भी भारतीय संस्कृति और विरासत के कई पहलुओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान, वैज्ञानिक स्वभाव, आयुर्वेद के माध्यम से जीवन यापन, योग जैसी चीजों के लिए पहचाना जाता है। प्रवासी भारतीयों ने एक तरफ तो अपने प्रवासी देशों की विशेषताओं को अपनाया है, तो वहीं दूसरी वो भारत में अपनी जातीय-सांस्कृतिक की जड़ों के साथ भी जुड़े रहे हैं। वे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक हितों की प्रधानता व सॉफ्ट पॉवर को दर्शाने के लिए पुल, मध्यस्थ, सूत्रधार, लॉबी और वकालत करने वाले रहे हैं। इस दिशा में, हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम, आईसीसीआर स्कॉलरशिप, यूथ एक्सचेंज, आईसीसीआर के प्रतिष्ठित एवं शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम, प्रदर्शन व दृश्य कला में आईसीसीआर-प्रायोजित कलाकार, भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय अध्यक्षता के माध्यम से आईसीसीआर के शैक्षणिक कार्यक्रम, भारतीय भाषाएं, भारतीय इतिहास व संस्कृति, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी), सांस्कृतिक उत्सव, विदेशों में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जैसे प्रवासियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आप्रवासन के प्रकार एवं कारण - आप्रवासन या माइग्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अर्ध-स्थायी रूप से स्थानांतरित होते हैं। इसे विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. आंतरिक आप्रवासन : यह आप्रवासन एक ही देश के भीतर होता है और इसे कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता हैरू

- **ग्रामीण से शहरी :** लोग गांवों से शहरों की ओर नौकरी, शिक्षा, और बेहतर जीवनशैली की तलाश में जाते हैं। यह भारत में सबसे आम प्रकार का आप्रवासन है।
- **शहरी से ग्रामीण :** लोग शहरों की भीड़-भाड़ और प्रदूषण से दूर रहने के लिए गांवों की ओर रुख करते हैं।
- **शहरी से शहरी :** एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण भी आम है, खासकर नौकरी और व्यवसाय के अवसरों के लिए।
- **ग्रामीण से ग्रामीण :** विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी स्थानांतरण होता है, जो कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियों से संबंधित है।

2. अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन: यह आप्रवासन देशों के बीच होता है और इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

- **आव्रजन :** जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में बसता है।
- **प्रवासन :** जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में स्थानांतरित होता है।

3. अस्थायी आप्रवासन: यह आप्रवासन सीमित समय के लिए होता है। इसमें लोग किसी विशेष अवधि के लिए स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि छात्र वीजा, कार्य वीजा आदि।

4. स्थायी आप्रवासन : यह आप्रवासन स्थायी रूप से होता है, जिसमें व्यक्ति या परिवार स्थायी रूप से नए स्थान पर बस जाते हैं।

5. मौसमी आप्रवासन : यह आप्रवासन मौसम के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, कृषि श्रमिकों का फसल के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।

6. जबरन आप्रवासन : यह आप्रवासन उन परिस्थितियों में होता है जब लोग मजबूरी में अपने स्थान को छोड़ते हैं, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय संघर्ष आदि।

7. स्वैच्छिक आप्रवासन: यह आप्रवासन उन परिस्थितियों में होता है जब लोग अपनी इच्छा से बेहतर जीवन, रोजगार, शिक्षा आदि की तलाश में स्थानांतरित होते हैं।

8. आर्थिक आप्रवासन : यह आप्रवासन मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से

होता है, जैसे बेहतर नौकरी के अवसर, उच्च वेतन, बेहतर जीवनस्तर आदि।

9. पर्यावरणीय आप्रवासन : यह आप्रवासन पर्यावरणीय कारणों से होता है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन आदि।

10. सामाजिक आप्रवासन : यह आप्रवासन सामाजिक कारणों से होता है, जैसे विवाह, परिवार के साथ रहने की इच्छा, सामाजिक संबंधों को बनाए रखना आदि।

11. राजनीतिक आप्रवासन : यह आप्रवासन राजनीतिक कारणों से होता है, जैसे युद्ध, उत्पीड़न, तानाशाही शासन आदि से बचने के लिए।

आप्रवासन के विभिन्न प्रकार सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। विभिन्न प्रकार के आप्रवासन के कारण और प्रभावों का अध्ययन करने से हमें बेहतर नीतियाँ और समाधान विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे हम एक समृद्ध और स्थिर समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

सांस्कृतिक विविधता के विभिन्न रूप – सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य समाज में मौजूद विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, धार्मिक आस्थाओं, और जीवन शैली के विभिन्न रूपों से है। यह विविधता समाज को समृद्ध और मजबूत बनाती है, और लोगों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक विविधता के प्रमुख रूपों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

1. भाषाई विविधता : भाषाई विविधता का मतलब विभिन्न भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व है। भारत में, 22 अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों गैर-अनुसूचित भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को समझने और सम्मान करने का अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक भाषा अपनी सांस्कृतिक पहचान, साहित्य, और ज्ञान की परंपराओं को संजोए रखती है।

2. धार्मिक विविधता : भारत एक धार्मिक विविधता का अद्भुत उदाहरण है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और पारसी धर्म के अनुयायी सदियों से एक साथ रहते आए हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं, प्रथाएं और त्यौहार होते हैं, जो समाज को समृद्ध बनाते हैं और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं।

3. जातीय और नस्लीय विविधता : भारत में विभिन्न जातीय और नस्लीय समूह पाए जाते हैं, जो अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों, और जीवन शैलियों को बनाए रखते हैं। यह विविधता समाज को एक व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है और विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग और सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करती है।

4. भौगोलिक विविधता : भारत की भौगोलिक विविधता भी सांस्कृतिक विविधता में योगदान करती है। हिमालय की ऊंचाई से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी विशिष्ट जीवन शैलियों और परंपराओं का पालन करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट वास्तुकला, पोशाक, भोजन, और कला होती है।

5. सांस्कृतिक और कलात्मक विविधता : सांस्कृतिक और कलात्मक विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार की कला, संगीत, नृत्य, नाटक, और साहित्य का अस्तित्व है। भारत में विभिन्न राज्यों और समुदायों की अपनी विशिष्ट कलात्मक परंपराएं होती हैं, जैसे कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, और अन्य नृत्य रूप। इसी तरह, भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग संगीत और साहित्यिक परंपराएं पाई जाती हैं।

6. खाद्य विविधता : भारत की खाद्य विविधता भी सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट खाद्य परंपराएं और स्वाद होते हैं। उत्तर भारत का मसालेदार भोजन, दक्षिण भारत का इडली-डोसा, पश्चिम भारत का ढोकला, और पूर्वी भारत का माछ भात इस विविधता के उदाहरण हैं। यह खाद्य विविधता न केवल विभिन्न स्वादों का अनुभव प्रदान करती है बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच सामंजस्य भी बढ़ाती है।

7. त्यौहार और उत्सवों की विविधता : भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार और उत्सव भी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ओणम, और पोंगल जैसे त्यौहार विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को उजागर करते हैं। ये त्यौहार लोगों को एकजुट करते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं।

8. पारंपरिक वेशभूषा: भारत में विभिन्न समुदायों की अपनी विशिष्ट वेशभूषा होती है। साड़ी, सलवार-कमीज, धोती, कुर्ता-पायजामा, लुंगी, और पारंपरिक आभूषण विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों की पहचान हैं। ये वेशभूषा न केवल सौंदर्यशास्त्र का हिस्सा हैं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं।

9. शिक्षा और ज्ञान प्रणाली की विविधता : भारत में शिक्षा और ज्ञान की परंपराओं में भी विविधता पाई जाती है। पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक, विभिन्न शिक्षा पद्धतियाँ और संस्थान समाज को विविध दृष्टिकोण और ज्ञान के स्रोत प्रदान करते हैं।

सांस्कृतिक विविधता किसी भी समाज की धरोहर होती है और उसकी समृद्धि का प्रतीक होती है। यह विविधता समाज को एकजुट करने, सहिष्णुता बढ़ाने, और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत, अपनी सांस्कृतिक विविधता के कारण, विश्व में एक अनूठा स्थान रखता है। सांस्कृतिक विविधता को समझना और उसका सम्मान करना हमें एक समृद्ध, समावेशी और सहिष्णु समाज की ओर अग्रसर करता है।

सरकारी पहलें एवं समाधान – आप्रवासन नीतियाँ और सरकारी पहलें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित करती हैं। प्रभावी नीतियाँ आप्रवासियों के लिए समावेशी और सहायक वातावरण तैयार करने में मदद करती हैं, जबकि कमजोर नीतियाँ सामाजिक असमानता और तनाव को बढ़ावा दे सकती हैं। यहां आप्रवासन नीतियों और सरकारी पहलों का विस्तार से वर्णन किया गया है:

1. आप्रवासन नीतियाँ : आप्रवासन कानून, आप्रवासन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि वीजा प्रणाली, शरणार्थी नीति, और नागरिकता के नियम। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि आप्रवासन नियंत्रित और संगठित तरीके से हो। वीजा नीतियाँ विभिन्न प्रकार के वीजा जारी करने की प्रक्रियाओं और शर्तों को निर्धारित करती हैं। इसमें पर्यटक वीजा, छात्र वीजा, कामकाजी वीजा, और स्थायी निवास वीजा शामिल होते हैं। वीजा नीतियाँ आप्रवासन के नियंत्रण और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शरणार्थी नीति उन व्यक्तियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है जो अपने देश में उत्पीड़न, युद्ध, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण भागने पर मजबूर होते हैं। इस नीति के तहत शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। सीमा नियंत्रण नीतियाँ देश की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करती हैं। इसका उद्देश्य अवैध आप्रवासन को रोकना और देश की सुरक्षा को बनाए

रखना होता है।

2. सरकारी पहलें: प्रवासी मजदूरों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकारें विभिन्न योजनाएं लागू करती हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, और रोजगार सुरक्षा शामिल होते हैं। भारत में, 'प्रवासी मजदूर राहत योजना' और 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आप्रवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा और आप्रवासियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। ये पहलें उन्हें समाज में समायोजित होने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप्रवासियों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं लागू की जाती हैं। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत प्रवासी मजदूरों को भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। आप्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे कि बीमा, पेंशन, और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था की जाती है। ये पहलें आप्रवासियों को सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती हैं। समुदाय समावेश पहलें आप्रवासियों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषा कक्षाएं, और सामाजिक संवाद के अवसर शामिल होते हैं। नीति आयोग द्धारा 2021 में तैयार की गई राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति के मसौदे जैसी पहल, प्रवासियों को बेहतर परिस्थितियों के लिए सौदेबाजी करने में मदद करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर चर्चा करती है। ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ भी प्रवासी की स्थिति के बारे में आश्वासन लेकर आया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए बीमा और भविष्य निधि जैसे कुछ लाभ प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा को अपनाया, जो सभी प्रवासियों की सुरक्षा, सम्मान, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उनकी प्रवासी स्थिति कुछ भी हो।

3. अन्य उपाय : प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार तक पहुँच शामिल है, चाहे उनकी प्रवास स्थिति कुछ भी हो। शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन और प्रवासियों की एकीकृत खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएँ। प्रवासियों के समाज में एकीकरण और समावेशन को बढ़ावा देना, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना और भेदभाव और विदेशी द्धेष को कम करना। रोजगार क्षमता बढ़ाने और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण कौशल पहलों में निवेश करने से काम के लिए पलायन की आवश्यकता कम हो सकती है। कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं प्रवासियों को सशक्त बनाने में मदद कर सकती हैं। क्षेत्रीय शहरों में बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और आर्थिक अवसरों में निवेश करके, सरकारों को संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर, किफायती आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करके प्रमुख शहरी केंद्रों पर दबाव कम करने काउंटर मैग्नेट शहर विकसित करने चाहिए।

जनसंख्या वृद्धि को कुछ ही शहरों में केन्द्रित करने के बजाय, उसे अनेक शहरों में फैलाकर, प्रति-चुम्बकीय शहर भीड़-भाड़ को कम करने, संसाधनों पर दबाव कम करने, तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर बोझ को कम करने में मदद करते हैं। ऐसी श्रम बाजार नीतियां विकसित करें जो प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करें, जिनमें उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य स्थितियां और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच शामिल हो। प्रवासी श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करें। इसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और उचित शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना शामिल है।

निष्कर्ष - भारत में आप्रवासन और सांस्कृतिक विविधता का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एक जटिल और बहुआयामी विषय है। ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत की भूमि हमेशा से विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और धर्मों के मेलजोल का केंद्र रही है। यह विविधता भारतीय समाज की पहचान और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मूलभूत हिस्सा है। आधुनिक युग में, आप्रवासन के विभिन्न प्रकारों ने भारतीय समाज की संरचना को और भी जटिल बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आंतरिक आप्रवासन, वैश्विक अवसरों की तलाश में अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन, और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, सभी ने मिलकर भारतीय समाज के ताने-बाने को नया स्वरूप दिया है। सरकार की नीतियाँ, सामाजिक जागरूकता, और सामुदायिक प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुनामी, एस. (2018):भारत में शहरीकरण और आप्रवासन, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. मिश्रा, आर. (2017):भारतीय समाज और सांस्कृतिक विविधता, मुंबईरू पीयरसन एजुकेशन.
3. जैन, पी. (2020): 'भारत में आंतरिक आप्रवासन के सामाजिक प्रभाव', सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 35(2), 102-118.
4. शर्मा, के. (2019): 'ग्लोबलाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन: भारतीय परिप्रेक्ष्य', इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 27(1), 55-70.
5. राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) रिपोर्ट (2020): 'भारत में जनसंख्या और आप्रवासन के आंकड़े', नई दिल्ली: सरकारी प्रकाशन विभाग
6. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) रिपोर्ट (2019), भारत में शहरीकरण और विकास की स्थिति, न्यूयॉर्क UNDP
7. विश्व बैंक (World Bank): 'भारत में शहरी विकास और आप्रवासन'www.worldbank.org/india
8. भारतीय योजना आयोग (2018): भारतीय शहरी विकास रिपोर्ट, नई दिल्ली: योजना भवन
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (2019): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दस्तावेज, नई दिल्ली: भारत सरकार.
10. गुप्ता, एन. (2018): 'ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति',शिक्षा और समाज, 22(3), 89-103.
11. वर्मा, एस. (2017): 'भारतीय समाज में सांस्कृतिक समावेशन के प्रयास'.,सांस्कृतिक अध्ययन जर्नल, 15(4), 204-220.
12. https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements-hi.htm?dtl/33273
13. www.censusindia.gov.in.

An Exploratory Study on Consumer Rights Awareness among Rural and Urban People of Chhattisgarh

Dr. Syed Saleem Aquil* Aabid Hasan Khan**

Abstract - This study delves into the disparity in consumer rights awareness between rural and urban consumers in Chhattisgarh. A survey of 100 rural and 100 urban consumers revealed significant differences in their perceptions of consumer rights and redressal mechanisms. Notably, rural consumers exhibited lower levels of awareness and encountered more obstacles in accessing consumer courts and seeking redressal, while urban consumers were more cognizant and proactive in addressing their grievances. This stark contrast underscores the urgent need for targeted consumer education and awareness programs in rural areas and improved access to consumer redressal mechanisms.
Keywords: Consumer Protection Act, Rural consumers, Urban consumer, Consumer awareness, Consumer Education, Consumer redressal, Access to justice, Consumer rights, Consumer empowerment, Rural-urban divide.

Introduction - The primary aim of the CPA was to comprehensively address consumer grievances and establish Consumer Councils and other adjudicating authorities to resolve such disputes. In 2019, the Consumer Protection Act was revised to include provisions for establishing Consumer Disputes Redressal Commissions, commonly known as consumer courts or consumer forums, aimed at safeguarding and enforcing consumer rights. The Act also mandates the creation of redressal agencies at the district, state, and national levels to expedite the resolution of consumer complaints. It bestows specific rights upon consumers, protecting them from unfair trade practices and losses incurred due to the purchase of adulterated, substandard, or defective goods.

The government has implemented various initiatives to enhance consumer awareness, empowering consumers to assert their rights. The Consumer Protection Act (CPA) was introduced in 1986 to protect consumer rights in India. The Consumer Protection Act (CPA) was introduced in 1986 to protect consumer rights in India.2019 enshrines six fundamental rights for consumers, namely:

1. The right to be protected
2. The right to be informed
3. The right to be heard
4. The right to seek redressal
5. The right to consumer education
6. The right to choose

The significance of consumer awareness

1. Informed Decision-Making: Consumer awareness facilitates well-informed decision-making regarding products and services, mitigating fraud and exploitation risks.

2. Protection from Unfair Practices: This law protects consumers against unfair trade practices, including misleading advertising and deceptive marketing strategies.

3. Quality Products and Services: Consumer awareness cultivates a demand for superior products and services, compelling businesses to enhance their offerings.

4. Safety and Health: By fostering awareness, consumers are equipped with knowledge of product safety and health implications, empowering them to make choices conducive to their well-being.

5. Economic Empowerment: Informed consumers are adept at optimizing their expenditure, achieving enhanced value for money and prudent resource allocation.

6. Encouragement of Ethical Business Practices: Consumer awareness fosters a climate conducive to ethical business practices, engendering transparency and accountability within the business sphere.

7. Support for Sustainable Consumption: Heightened awareness encourages a mindset of sustainable consumption, thereby contributing to environmental and social responsibility endeavours.

By being aware of these factors, consumers can assert their rights effectively, make informed decisions, and effect positive changes within the market.

Consumer Protection and Education: Consumer protection and education are crucial in empowering individuals to make well-informed decisions and safeguard their rights.

In rural areas, there is limited awareness of consumer rights and protection laws and restricted access to educational and informational resources. As a result, rural residents are more vulnerable to fraudulent practices and

*Asst. Professor (Commerce) Kalyan Post Graduate College, Bhilai, Dist. Durg (CG) INDIA
** Asst. Professor, Shaheed Domeshwar Sahu Govt. College, Jamgaon R Bharar, Dist. Durg (CG) INDIA

exploitation and have limited recourse through consumer courts and redressal mechanisms. Additionally, their reliance on traditional markets and limited exposure to digital payment methods and e-commerce worsen these challenges.

On the other hand, urban areas have a higher awareness of consumer rights and protection laws, facilitated by better access to educational and informational resources. Urban residents also better understand digital payments and e-commerce and benefit from more accessible consumer courts and redressal mechanisms. They also tend to have higher service quality expectations, relying extensively on online reviews and ratings.

The following case studies illustrate the challenges surrounding the awareness of consumer protection in rural areas:

1. Counterfeit fertilisers: In a rural village inDhamtari, farmers fell victim to selling counterfeit fertilisers by a local retailer, resulting in crop failure and financial ramifications. The farmers, needing more awareness of their rights, could not complain.

2. Inferior quality seeds: In a rural area of Koria district, farmers purchased subpar seeds from a company, leading to diminished crop yields. Unfamiliar with consumer protection laws, the farmers still need to receive compensation.

3. Exploitation by moneylenders: In a rural village inRajnandgaon, moneylenders imposed exorbitant interest rates on farmers, pushing them into debt traps. The farmers, unaware of their rights, were unsure how to approach consumer courts.

4. Fictitious insurance policies: In a rural area of Durg, insurance agents sold fraudulent policies to villagers, falsely promising high returns. The villagers, needing knowledge on verifying policy authenticity, suffered financial losses.

5. Adulterated food products: In a rural village in Bhilaih, a local shopkeeper sold contaminated food products, resulting in health issues for the consumers. Unaware of reporting procedures and seeking compensation, the villagers faced challenges.

These case studies spotlight the absence of consumer protection awareness in rural areas, leading to exploitation and financial hardships for consumers. They underscore the necessity for consumer education and awareness initiatives in rural areas to empower consumers to assert their rights and seek recourse.

The following case studies illustrate the challenges faced by consumers in urban areas when attempting to protect their rights in the purchase and sale of general goods:

1. Defective smartphones:A consumer in Raipur bought a smartphone from a reputable brand only to discover it was defective. Despite the purchase, the company refused to replace the faulty device, citing a "no refund" policy. The consumer, needing more awareness of their rights, struggled to understand the appropriate action for filing a complaint.

2. Fake cosmetics:A consumer in Bhilai acquired a high-end cosmetic product from a local store, later realising it was a counterfeit item. The store declined to refund or replace the product, leaving the consumer needing help regarding how to proceed with reporting the incident.

3. Faulty home appliances: A consumer purchased a home appliance from a well-known brand, yet the product malfunctioned within a few months. Despite attempts at contacting the company for repairs, the consumer found the process delayed and a lack of satisfactory resolution, adding to their frustration and uncertainty about their rights.

4. Misleading advertising:A consumer fell victim to a misleading advertisement and purchased a product that failed to deliver the promised benefits. The consumer was left at a loss due to the uncertainty of the appropriate reporting channels and means of seeking compensation needed help.

5. E-commerce fraud: A consumer experienced non-delivery of a product purchased online. Despite efforts to seek support and obtain a refund from the e-commerce platform, the consumer needed assistance navigating the complaint process.

These case studies underscore urban consumers' challenges in securing redressal for issues concerning defective products, counterfeit items, faulty services, deceptive advertising, and e-commerce fraud. They emphasise the critical need for consumer education and awareness initiatives in urban areas to empower consumers to assert their rights and effectively seek redressal.

To mitigate fraudulent activities perpetrated by companies and uphold consumer protection, the following measures can be instituted:

1. Reinforcement of Consumer Protection Laws: Establish and enforce stringent legislation to hold companies accountable for fraudulent practices.

2. Heightened Awareness: Dissemination of knowledge to educate consumers about their entitlements and the necessity of conducting due diligence before purchasing.

3. Regulatory Supervision: Creation of influential regulatory entities tasked with overseeing companies and ensuring adherence to consumer protection laws.

4. Remedial Procedures: Implementing efficient grievance redressal mechanisms enables consumers to report fraud and seek restitution.

5. Transparency and Disclosure Mandate: Companies must furnish understandable and transparent information regarding their products and services.

6. Non-Compliance Penalties: Imposition of substantial penalties on companies found to be in breach of consumer protection legislation.

7. Promotion of Whistleblowing: Establish secure and confidential reporting mechanisms to encourage whistleblowers to disclose instances of fraudulent conduct.

8. Collaborative Information Exchange: Encourage collaboration between regulatory bodies, consumer

organisations, and industry stakeholders for sharing information and best practices.

9. Consumer Education and Awareness Initiatives: Implement regular programs to educate consumers about their rights and self-protection from fraudulent activities.

10. Technology-Driven Solutions: Utilizing technological advancements to develop innovative solutions that effectively empower consumers and detect fraudulent practices.

By addressing these disparities and effectively bridging the gap between rural and urban consumer experiences, India can empower all individuals to exercise their rights and make well-informed decisions.

Consumer Protection Courts: The analysis of the consumer protection courts in India reveals several positive aspects, underscoring their effectiveness and potential for improvement:

Strengths:

1. Efficient and cost-effective resolution of consumer grievances
2. Promotion of consumer awareness and protection through Consumer Protection Councils
3. Establishment of a quasi-judicial mechanism for resolving consumer disputes
4. Three-tier system for consumer courts, ensuring access to justice at the District, State, and National levels
5. Recognition of consumer rights such as safety, information, choice, redressal, and education
6. Simplified and affordable procedure for filing complaints

Areas for Improvement:

1. Limited consumer awareness regarding their rights and the Consumer Protection Act
2. Ineffective implementation and enforcement of consumer protection laws
3. Delays in the resolution of consumer disputes
4. Inadequate penalties for those who violate consumer rights
5. Limited scope, with the exclusion of specific sectors and transactions
6. Lack of provisions for collective consumer rights
7. More consumer education and redressal mechanisms need to be provided.

Discussion: Here is a critical analysis of the Consumer Protection Act's limitations in providing security to consumers:

1. Lack of awareness: Many consumers are unaware of their rights and the Act's provisions, making it ineffective.

2. Limited scope: The Act only covers transactions worth [1] 1 crore or less, excluding many consumers.

3. Inadequate enforcement: Weak implementation and lack of resources hinder effective enforcement.

4. Long legal process: Consumer disputes often take years to resolve, deterring consumers from seeking redress.

5. Limited penalties: Penalties for violators are often insufficient, failing to deter unfair practices.

6. No provision for collective consumer rights: The Act doesn't recognize them, making it difficult for groups to seek redress.

7. Inadequate consumer education: The Act doesn't provide for consumer education, leaving consumers vulnerable.

8. Limited coverage: The Act doesn't cover all sectors, leaving some consumers unprotected.

9. Outdated provisions: The Act hasn't been significantly updated since 1986, failing to address modern consumer concerns.

10. Ineffective grievance redressal: The Act's grievance redressal mechanism is often ineffective, leaving consumers without recourse.

This critical analysis highlights the limitations and weaknesses of the Consumer Protection Act in providing adequate security to Indian consumers.

Conclusion: In rural areas, consumers are less familiar with consumer rights and protection laws and have restricted access to educational and informational outlets. Consequently, rural residents are more susceptible to fraudulent practices and exploitation and have limited recourse through consumer courts and redressal mechanisms. Furthermore, reliance on traditional markets and lower exposure to digital payment methods and e-commerce exacerbate these challenges.

Conversely, urban areas exhibit higher awareness of consumer rights and protection laws, facilitated by improved access to educational and informational resources. This population also demonstrates a better understanding of digital payments and e-commerce and benefits from more readily available consumer courts and redressal mechanisms. Moreover, urban consumers tend to have higher expectations regarding the quality and standards of service, relying extensively on online reviews and ratings.

Based on these findings, it is imperative to implement the following measures:

1. Enhance consumer education and awareness programs in rural areas.
2. Improve accessibility to consumer protection resources and redressal mechanisms in rural regions.
3. Strengthen the enforcement of consumer protection laws.
4. Promote digital literacy and online safety in rural communities.
5. Encourage the adoption of fair and transparent business practices.

Ultimately, by addressing these disparities and effectively bridging the gap between rural and urban consumer experiences, India can empower all individuals to exercise their rights and make well-informed decisions.

More Suggestions: Here are some suggestions to provide good protection to consumers:

1. Increase awareness: Educate consumers about their rights and the Consumer Protection Act through campaigns and programs.

2. Strengthen enforcement: Provide adequate resources and infrastructure to consumer forums and commissions to ensure effective enforcement.

3. Expand scope: Cover all transactions, regardless of value, and include all sectors, like healthcare and education.

4. Simplify the complaint process: Make it easy and quick for consumers to file complaints and seek redress.

5. Enhance penalties: Impose significant penalties on businesses that violate consumer rights.

6. Establish a centralised authority: Create a single, powerful agency to oversee consumer protection and enforcement.

7. Promote consumer education: Integrate consumer education into school curricula and public awareness programs.

8. Encourage collective consumer rights: Allow consumer groups to seek redress for collective grievances.

9. Regularly update the Act: Keep the Consumer Protection Act current with modern consumer concerns and issues.

10. Improve grievance redressal: Ensure timely and effective resolution of consumer complaints.

11. Enhance transparency: Require businesses to disclose all relevant information about products and services.

12. Protect vulnerable consumers: Provide extra protection for vulnerable consumers, like seniors and those with disabilities.

These suggestions aim to strengthen consumer protection, empower consumers, and hold businesses accountable for their actions.

Implementing these measures will enhance consumer protection from fraudulent practices while ensuring that companies are held accountable for their actions.

References:-

1. “Consumer Protection in India - A Special Reference to the Right to Safety” by Dr. Sunitha Kanipakam, Department of Law, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women’s University)
2. “Consumer Justice in India” by Nagnath Chandrakant Borphalkar
3. “M/S. Spring Meadows Hospital’s case &Anr Versus Harjol Ahluwalia Through, K.S. Ahluwalia &Anr”
4. P. Uma Maheswari Devi and B. Sankara Rao, “Consumer Protection Awareness- Role of Education,” Universal Journal of Industrial and Business Management, vol. 4, no. 4, pp. 97-103, 2016.
5. Akram and Ashok Patil, “Consumer Laws and Measures,” 2011
6. Bhamy V. Shenoy, “Consumer Exploitation,” 2011
7. Dr. J. K Raju and Mr. Asifulla, “Issues and Challenges Associated with the Consumer Protection Act,” 1986
8. Rebello, “Consumer Interests,” 1986
9. Lizzy, “Literacy Levels and Consumer Complaints,” 1993
10. Spillman, “Consumerism and Buyer Beware,” 1976
11. Nageshwar Rao, “Consumer Education and Responsibility,” 1993
12. Rama Rao, “Consumer Exploitation and Awareness,” 1993
13. Consumer Protection Act - ntaugc.net. https://ntaugc.net/political-science/consumer-protection-act/
14. Consumer Protection Act - ntaugc.net. https://ntaugc.net/political-science/consumer-protection-act/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

Caste System and Social Mobility: Assessing the Impact of the Caste System on Upward Mobility in India

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract - The caste system in India, a deeply entrenched social stratification mechanism, has historically dictated the socio-economic status and mobility of individuals. Despite constitutional guarantees and affirmative action policies, the caste system continues to influence upward mobility. This paper examines the impact of the caste system on social mobility in India by analyzing historical contexts, contemporary socio-economic data, and policy interventions. Through a comprehensive review of literature and statistical analysis, the paper assesses the extent to which caste continues to hinder or facilitate upward mobility in India.
Keywords: Caste system, social mobility, upward mobility, India, affirmative action, socio-economic status, caste discrimination, reservation policy, Dalit, Brahmin.

Introduction - The caste system in India is one of the oldest forms of social stratification, dividing society into hierarchical groups based on hereditary occupation and social status. Traditionally, the caste system classified people into four primary categories: Brahmins (priests and teachers), Kshatriyas (warriors and rulers), Vaishyas (traders and merchants), and Shudras (laborers). Outside this system were the Dalits (formerly known as "untouchables"), who were subjected to severe social discrimination and economic deprivation.

The Indian constitution, adopted in 1950, sought to abolish caste-based discrimination and promote social equality. However, the legacy of the caste system continues to affect social mobility. Social mobility refers to the movement of individuals or groups from one socio-economic status to another. Upward mobility, specifically, is the ability to move to a higher socio-economic status than one's parents.

This paper explores the impact of the caste system on upward mobility in India, focusing on the historical background, contemporary socio-economic data, and the effectiveness of policy interventions such as affirmative action.

Historical Context of the Caste System: The caste system's origins are traced back to the ancient texts of Hinduism, particularly the Rigveda, which described the four varnas. Over centuries, this system became more rigid and stratified, leading to the marginalization of certain groups. The Manusmriti, an ancient legal text, codified the social stratification and prescribed strict rules for interaction between different castes.

During British colonial rule, the caste system was further institutionalized through the census and other administrative measures. The colonial administration's policies often reinforced caste hierarchies, leading to greater entrenchment of caste identities. Post-independence, India adopted a secular constitution that aimed to dismantle the caste system. However, deep-seated social attitudes and economic structures have made this a challenging endeavor.

Theoretical Framework on Social Mobility: Social mobility can be analyzed through various theoretical frameworks. The structural-functional approach posits that social stratification is necessary for the functioning of society, as it motivates individuals to undertake different roles. However, this perspective has been criticized for justifying social inequalities.

The conflict theory, rooted in the works of Karl Marx, argues that social stratification results from the exploitation of certain groups by others. This theory is particularly relevant in the context of caste, as it highlights how dominant castes have historically controlled resources and opportunities.

The cultural capital theory, introduced by Pierre Bourdieu, emphasizes the role of non-economic factors such as education, social networks, and cultural knowledge in determining social mobility. In the Indian context, cultural capital often intersects with caste, affecting access to education and employment opportunities.

Contemporary Impact of the Caste System on Social Mobility

Education: Education is a crucial determinant of social mobility. Historically, access to education was restricted for lower castes. Despite efforts to democratize education, disparities persist. According to the National Sample Survey Office (NSSO) data, literacy rates among Scheduled Castes

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

(SCs) and Scheduled Tribes (STs) lag behind the national average. Additionally, the dropout rates among SC and ST students are higher than those of higher caste students.

Employment: Employment opportunities are another critical factor in upward mobility. The Indian labor market exhibits significant caste-based disparities. SCs and STs are overrepresented in low-paying, unskilled jobs and underrepresented in professional and managerial positions. A study by Thorat and Attewell (2007) revealed that job applicants from lower castes face discrimination in hiring practices.

Economic Inequality: Economic inequality is both a cause and effect of limited social mobility. The wealth distribution in India is heavily skewed in favor of higher castes. A report by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) highlighted that the average wealth of a Brahmin household is significantly higher than that of a Dalit household. This economic disparity translates into unequal access to resources such as education, healthcare, and housing.

Social Networks and Cultural Capital: Social networks and cultural capital play a crucial role in social mobility. Higher castes often have access to influential networks that can provide job opportunities, mentorship, and other forms of support. Lower castes, on the other hand, are often excluded from such networks. The lack of cultural capital among lower castes also affects their ability to navigate educational and professional environments.

Health and Access to Healthcare: Health disparities rooted in the caste system persist, affecting social mobility. Lower castes often face limited access to quality healthcare due to economic constraints and discrimination. Higher rates of malnutrition, infant mortality, and untreated illnesses among Dalits and Adivasis hinder their ability to pursue education and employment opportunities, perpetuating the cycle of poverty.

Political Representation and Influence: Political representation of lower castes has improved, but their influence remains limited. While affirmative action policies ensure reserved seats in legislatures, true empowerment is hampered by continued dominance of higher castes in key political and administrative positions. This lack of political clout affects policy decisions and resource allocation, impacting social mobility for marginalized communities.

Urban-Rural Divide: The urban-rural divide exacerbates caste-based disparities in social mobility. Lower caste individuals in rural areas face greater economic hardship, limited educational facilities, and fewer job opportunities compared to their urban counterparts. Migration to cities offers some hope for upward mobility, but urban environments also present new forms of caste discrimination and economic challenges.

Affirmative Action and Policy Interventions

Reservation Policy: To address caste-based disparities, the Indian government implemented affirmative action policies, most notably the reservation system. Reservations in education and employment aim to provide opportunities for SCs, STs, and Other Backward Classes (OBCs). While reservations have had some success in increasing the representation of these groups in educational institutions and government jobs, challenges remain.

Critics argue that reservations often benefit the more privileged within the lower castes, leading to intra-caste inequalities. Additionally, the private sector, which has become increasingly important in India's economy, is not subject to reservation policies, limiting their impact on overall social mobility.

Education Reforms: Various educational reforms have been introduced to promote equity. Programs such as the Mid-Day Meal Scheme and scholarships for SC and ST students aim to reduce dropout rates and improve educational outcomes. However, the quality of education in schools predominantly attended by lower caste students remains a concern. Investments in teacher training, infrastructure, and curriculum development are necessary to address these issues.

Economic Empowerment Programs: Economic empowerment programs targeting lower castes aim to provide skills training, microfinance, and entrepreneurship support. Initiatives such as the National Rural Livelihood Mission (NRLM) have had some success in improving the economic conditions of marginalized communities. However, the reach and effectiveness of these programs vary across regions.

Case Studies

Tamil Nadu: Tamil Nadu is often cited as a successful example of affirmative action. The state's reservation policy, which extends to 69% of seats in educational institutions and government jobs, has significantly increased the representation of lower castes. However, the benefits have not been uniformly distributed, with some sub-castes within the OBC category reaping more benefits than others.

Maharashtra: Maharashtra has implemented various policies to promote social mobility among lower castes. The state has a strong network of educational institutions catering to SC and ST students. Additionally, economic empowerment programs targeting lower castes have been relatively successful. However, challenges such as caste-based violence and discrimination persist.

Uttar Pradesh: Uttar Pradesh, India's most populous state, presents a contrasting scenario. Despite having a substantial SC population, the state's socio-economic indicators for lower castes remain poor. The implementation of affirmative action policies has been inconsistent, and caste-based discrimination is rampant. This highlights the importance of effective policy implementation and the need for a supportive socio-political environment.

Challenges and Future Directions

Persistence of Caste Discrimination: Despite legal safeguards, caste discrimination persists in various forms. Social attitudes and cultural practices continue to perpetuate

caste hierarchies. Addressing these deep-rooted prejudices requires sustained efforts in education, awareness, and community engagement.

Inter-caste Inequalities: Affirmative action policies have often led to inter-caste inequalities, with certain sub-castes within the SC, ST, and OBC categories benefiting more than others. This necessitates a more nuanced approach to policy-making that considers intra-caste disparities.

Private Sector Inclusion: The exclusion of the private sector from reservation policies limits the scope of affirmative action. Advocates argue for the extension of reservations to private sector jobs and educational institutions. Additionally, promoting diversity and inclusion initiatives within the private sector can help address caste-based disparities.

Quality of Education: Improving the quality of education in schools predominantly attended by lower caste students is crucial. Investments in infrastructure, teacher training, and curriculum development are necessary. Additionally, promoting inclusive and equitable educational practices can help bridge the gap between different caste groups.

Economic Opportunities: Enhancing economic opportunities for lower castes requires a multi-faceted approach. Skill development programs, microfinance initiatives, and entrepreneurship support can help improve economic outcomes. Additionally, addressing systemic barriers such as land ownership patterns and access to credit is essential.

Conclusion: The caste system continues to significantly impact social mobility in India. While affirmative action policies have made some progress in addressing caste-based disparities, challenges remain. Education, employment, economic inequality, social networks, and cultural capital all play crucial roles in determining upward mobility. A comprehensive approach that addresses these factors and promotes inclusive policies is necessary to achieve social equity. Future research should focus on evaluating the long-term impact of affirmative action policies and exploring innovative solutions to promote social mobility. Additionally, addressing the persistence of caste discrimination and promoting a more inclusive society requires sustained efforts at multiple levels. Only through such comprehensive and sustained efforts can India hope to overcome the historical legacy of the caste system and achieve true social mobility for all its citizens.

References:-

1. Thorat, S., & Attewell, P. (2007). The Legacy of Social Exclusion: A Correspondence Study of Job Discrimination in India. Economic and Political Weekly, 42(41), 4141-4145.
2. Deshpande, A. (2011). The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India. Oxford University Press.
3. National Council of Applied Economic Research (NCAER). (2018). India's Income Inequality, 1922-2015: From British Raj to Billionaire Raj.
4. Government of India. (1950). The Constitution of India.
5. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). Greenwood.
6. Jodhka, S. S. (2015). Caste in Contemporary India. Routledge.
7. Government of India. (2011). Census of India 2011.
8. Ministry of Human Resource Development. (2019). Annual Report 2018-19.
9. Ministry of Rural Development. (2019). National Rural Livelihood Mission Annual Report 2018-19.

****

Arranged Marriages vs. Love Marriages: Investigate Cultural Norms and Their Implications in India

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Marriage, a significant social institution, has been a pivotal part of human societies for centuries. In India, two primary forms of marriage exist: arranged marriages and love marriages. Arranged marriages, deeply rooted in Indian tradition, involve the selection of a spouse by the family, often based on considerations of caste, religion, socioeconomic status, and horoscopes. Love marriages, on the other hand, are characterized by individuals choosing their partners based on mutual affection and personal preference. This paper aims to investigate the cultural norms surrounding these marriage systems and implications of arranged marriages versus love marriages in India. By examining historical contexts, cultural traditions, and societal perceptions, the study highlights the complex interplay between familial obligations, personal autonomy, and evolving social dynamics. The paper also explores the psychological, economic, and social implications of both marriage systems, drawing on a range of academic sources to provide a comprehensive analysis.

Keywords: Arranged marriages, love marriages, cultural norms, India, social dynamics, familial obligations, personal autonomy, psychological implications, economic implications, social implications.

Historical Context

Arranged Marriages: Arranged marriages have a long-standing history in India, dating back to ancient times. Historically, marriages were arranged to ensure social, economic, and political alliances. The Vedic texts and other ancient scriptures endorse arranged marriages, highlighting the role of parents and elders in selecting suitable partners for their children (Mullatti, 1995). The caste system further reinforced this practice, with marriages being arranged within the same caste to maintain social order and purity (Chakravarti, 1993).

Love Marriages: The concept of love marriages is relatively modern in the Indian context. With the advent of Western influence during the British colonial period and the subsequent modernization, individualism and personal choice began to gain prominence. However, love marriages remained rare until the late 20th century, when globalization and increased exposure to Western ideals began to challenge traditional norms (Netting, 2010).

Cultural Norms and Familial Obligations

Arranged Marriages: In arranged marriages, family involvement is paramount. Parents and elders take the responsibility of finding a suitable match, considering factors such as caste, religion, education, and socioeconomic status. The horoscope matching is also a crucial aspect, believed to ensure compatibility and harmony (Fuller & Narasimhan, 2008). The process reflects the collectivist nature of Indian society, where family interests often take precedence over individual desires.

Love Marriages: Love marriages emphasize personal choice and individual autonomy. The decision to marry is based on mutual affection and understanding between the partners, often without the extensive involvement of family members. This form of marriage reflects a shift towards individualism and personal freedom, challenging the traditional collectivist values (Medora et al., 2002).

Psychological Implications

Arranged Marriages: Psychologically, arranged marriages can offer a sense of security and support, given the extensive involvement of the family. The familial backing can provide stability and a structured approach to marital life. However, it can also lead to issues such as lack of personal compatibility, especially if the partners have limited interaction before marriage (Gupta, 1976). The pressure to conform to family expectations can sometimes result in stress and dissatisfaction.

Love Marriages: Love marriages often stem from emotional and psychological compatibility between partners, leading to greater personal satisfaction and happiness. The freedom to choose one's partner can enhance individual well-being and self-esteem. However, the lack of family support in some cases can pose challenges, especially in navigating societal disapproval and familial opposition (Jaiswal, 2014).

Economic Implications

Arranged Marriages: Arranged marriages often consider economic factors, ensuring financial stability and security. Families assess the economic background of potential

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

matches to ensure compatibility in lifestyle and social status. Dowries, although illegal, still play a significant role in many arranged marriages, impacting the economic dynamics between families (Rao, 1993).

Love Marriages: Love marriages may not always prioritize economic considerations, focusing more on emotional and personal compatibility. This can sometimes lead to economic disparities between partners, posing challenges in marital life. However, with the increasing trend of dual-income households, economic stability is becoming less of a concern in love marriages (Allendorf & Pandian, 2016).

Social Implications

Arranged Marriages: Socially, arranged marriages are seen as upholding tradition and cultural values. They reinforce social hierarchies and norms, maintaining the status quo. The community often perceives them as more stable and enduring due to the involvement of families (Trawick, 1990). However, they can also perpetuate social inequalities, such as caste discrimination and gender biases.

Love Marriages: Love marriages challenge traditional norms and social hierarchies, promoting individual choice and equality. They are often associated with progressive values and social change. However, they can face societal resistance, especially in conservative communities, leading to social ostracism and familial estrangement (Kaur, 2012).

Evolving Trends and Modern Dynamics: With the advent of modernization, globalization, and the rise of digital technologies, marriage dynamics in India are undergoing significant changes. The younger generation, exposed to global cultures and ideals, is increasingly favoring love marriages or a hybrid model that incorporates elements of both arranged and love marriages (Netting, 2010).

Online matrimonial websites and dating apps are playing a crucial role in this transformation, providing platforms for individuals to find partners independently or with minimal familial involvement. These platforms offer a blend of traditional and modern approaches, allowing individuals to search for partners based on personal preferences while still considering family-approved criteria (Titzmann, 2014).

Case Studies

Case Study 1: Arranged Marriage in Rural India

In rural India, arranged marriages remain the norm. A study conducted in a village in Uttar Pradesh revealed that over 90% of marriages were arranged by families. The selection process involved extensive vetting of potential matches, considering caste, economic status, and family reputation. Despite limited pre-marital interaction, couples reported a sense of duty and commitment to make the marriage work, largely driven by familial expectations and social pressures (Desai & Andrist, 2010).

Case Study 2: Love Marriage in Urban India

In contrast, a case study in urban Mumbai highlighted the growing acceptance of love marriages among the younger generation. With higher education levels and greater economic independence, individuals in urban areas are increasingly choosing their partners. The study found that love marriages were more common among professionals and those with higher educational qualifications. However, it also noted that familial opposition remained a significant challenge, with many couples facing pressure to conform to traditional norms (Rosenblatt & Anderson, 1981).

Case Study 3: Arranged Marriage in South India

In South India, arranged marriages often involve detailed consultations with astrologers to ensure compatibility between the bride and groom. A study in Tamil Nadu found that families prioritize horoscope matching, viewing it as essential for marital harmony. Despite the traditional approach, many couples reported satisfaction due to the familial support and shared cultural values, which helped in fostering a strong marital bond (Fuller & Narasimhan, 2008).

Case Study 4: Love Marriage Among IT Professionals

In India's burgeoning IT sector, love marriages are increasingly common. A survey of IT professionals in Bangalore revealed that over 60% opted for love marriages. The high level of education and financial independence in this demographic allows for greater freedom in partner choice. However, couples often face challenges in balancing work commitments and family expectations, requiring strong communication and mutual understanding (Allendorf & Pandian, 2016).

Case Study 5: Inter-Caste Love Marriage in Urban India

Inter-caste love marriages are rising in urban India, challenging deep-seated social norms. A case study in Delhi documented the experiences of couples who married across caste lines. Despite initial familial opposition, many couples found acceptance through persistence and demonstrating the strength of their relationships. These marriages often symbolize a shift towards more egalitarian social structures and increased social mobility (Jaiswal, 2014).

Case Study 6: Arranged Marriage Among Indian Diaspora

Arranged marriages also persist among the Indian diaspora, adapting to new cultural contexts. A study of Indian immigrants in the United States found that many parents still prefer arranging marriages for their children, though with greater input from the individuals involved. These marriages blend traditional values with modern elements, such as allowing couples to meet and communicate extensively before marriage, facilitating better mutual understanding (Netting, 2010).

Implications for Policy and Society: The changing dynamics of marriage in India have several implications for policy and society. There is a need for policies that support individual autonomy and freedom of choice in marriage. This includes stringent enforcement of laws against dowry and caste discrimination, as well as initiatives to promote gender equality and empower women.

Educational programs that raise awareness about the importance of personal compatibility and mutual respect in

marriage can also play a crucial role. Additionally, counseling services for couples and families can help navigate the complexities of marriage, whether arranged or love, and address issues such as familial opposition and societal pressures (Netting, 2010).

Conclusion: The debate between arranged marriages and love marriages in India is deeply intertwined with cultural norms, societal values, and evolving social dynamics. Both forms of marriage have their unique advantages and challenges, reflecting the complex interplay between tradition and modernity. As Indian society continues to evolve, there is a growing need to balance respect for cultural heritage with the promotion of individual autonomy and equality. By understanding the cultural norms and implications of both marriage systems, we can better appreciate the diverse experiences of individuals and families in India. This understanding can also inform policies and initiatives that support healthy and fulfilling marital relationships, contributing to the overall well-being of society.

References:-

1. Allendorf, K., & Pandian, R. K. (2016). The Decline of Arranged Marriage? Marital Change and Continuity in India. Population and Development Review, 42(3), 435-464.
2. Chakravarti, U. (1993). Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class and State. Economic and Political Weekly, 28(14), 579-585.
3. Desai, S., & Andrist, L. (2010). Gender Scripts and Age at Marriage in India. Demography, 47(3), 667-687.
4. Fuller, C. J., & Narasimhan, H. (2008). Companionate Marriage in India: The Changing Marriage System in a Middle-Class Brahman Subcaste. Journal of the Royal Anthropological Institute, 14(4), 736-754.
5. Gupta, G. R. (1976). Love, Arranged Marriage, and the Indian Social Structure. Journal of Comparative Family Studies, 7(1), 75-85.
6. Jaiswal, S. (2014). Inter-Caste and Inter-Religious Marriages in India: A Study of Status and Attitudes. International Journal of Social Science and Humanity, 4(3), 220-224.
7. Kaur, R. (2012). Marriage and Family in India: Trends and Emerging Paradigms. Sociological Bulletin, 61(2), 273-285.
8. Medora, N. P., Larson, J. H., Hortacsu, N., & Dave, P. (2002). Perceived Attitudes towards Romanticism: A Cross-Cultural Study of American, Asian Indian, and Turkish Young Adults. Journal of Comparative Family Studies, 33(2), 155-178.
9. Mullatti, L. (1995). Families in India: Beliefs and Realities. Journal of Comparative Family Studies, 26(1), 11-25.
10. Netting, N. S. (2010). Marital Ideoscapes in 21st-Century India: Creative Combinations of Love and Responsibility. Journal of Family Issues, 31(6), 707-726.
11. Rao, V. (1993). The Rising Price of Husbands: A Hedonic Analysis of Dowry Increases in Rural India. Journal of Political Economy, 101(4), 666-677.
12. Titzmann, P. F. (2014). Growing Up too Soon? Parents' and Peers' Influence on Adolescents' Developing Religious Identities in India and Germany. Journal of Adolescent Research, 29(2), 191-217.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

स्वाधीनता आंदोलन में रायगढ़ जिले का योगदान

डॉ. रामरतन साहू*

प्रस्तावना – राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है, एक ऐसा सात्विक है जो मनुष्य को स्वतंत्र होने की इच्छा से प्रेरणा ग्रहण करती है, तथा राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक कार्यो में स्वंय को प्रगट करती है। स्वतंत्र होने की इच्छा मानव में राजनीतिक प्रणाली है, जिसकी अधीनता में उसको रहना पड़ रहा है तो उनकी स्वतंत्र होने की इच्छा वैधानिक अथवा क्रांतिकारी राजनैतिक आंदोलन के रूप में फूट पड़ती है।

शब्द कुंजी –उत्तरोत्तर, साम्राज्यवादी, शोषणवादी, सम्बलपुर, अविस्मरणीय, बरगढ़, राजगोड़।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, उसकी घटनाओं व नायको का चरित्र ही नही है, अपितु यह मनुष्य के अंतरतम की असीम गहराईयों तक स्वतंत्र होने की गतिमय आंतरिक इच्छा और प्रवृत्ति की बाध्य अभिव्यक्ति का एक अनुपम, अद्वितीय एवं अविस्मरणीय उदाहरण है। जिसका विश्व में कोई मिसाल नहीं है।

इस पृष्ठभूमि से आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रायगढ़ जिले ने अकल्पनीय योगदान दिया था। यह सर्वविदित है कि सम्बलपुर के तत्कालीन राजगोड़ राजा स्वर्गीय श्री सुन्दरसाय के आव्हान पर उदयपुर के राजा श्री शिवराज सिंह एवं वरगढ़ खोला के जमींदार अजीत सिंह ने अंग्रेजो के विरूद्ध विद्रोह का शंख फूंका। अंग्रेजो ने मित्र रियासतों से सहयोग प्राप्तकर इस विद्रोह को कुचल दिया और मददगार सरगुजा सामंत को उदयपुर तथा रायगढ़ के राजा को बरगढ़ खोला पुरस्कार स्वरूप में दिये। बंग भंग आंदोलन के प्रभावमें आकर प्रात: स्मरणीय स्व.श्री अनंतराम पाण्डेय तथा मेदिरीप्रसाद पाण्डेय की साहित्यिक साधना एवं मानवीय मूल्यों के उन्नयन संबंधी रचनाओं ने जन–जागरण का प्रगतिशील वातावरण तैयार किया। परिणाम स्वरूप उनके सहयोगी स्व. श्री शमशेर सिंह आदि सज्जनों के प्रयास से श्री चक्रधर गौशाला की स्थापना हुई। इसी अवधि में राजा ने पट्टाबंदी नियम मालगुजारो पर थोपा, जिससे असंतुष्ट होकर मालगुजारों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिये थे। परिणाम स्वरूप लोईंग के गौटिया श्री मुकुंद गुप्ता, ठेंगापाली के गौटिया श्री हरि पण्डा को निर्वासित कर दिया गया। यही से रियासती प्रशासन के विरूद्ध विद्रोह की प्रारंभिक शुरूआत होती है। इस घटना का प्रभाव रियासत के जनताओं पर अत्याधिक पड़ा। नागरिकों ने राजशाही शासन के अत्याचार, शोषण और अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरो से मुक्ति पाने के प्रयास करना प्रारंभ कर दिये।

अंग्रेजों की बढ़ती हुई उत्तरोत्तर साम्राज्यवादी और शोषणवादी नीति के कारण सामाजिक, धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो भारतीय स्वाभिमान को नष्ट करने वाले तत्वों का सम्मिलित प्रभाव था। इससे पूरे छत्तीसगढ़ के साथ–साथ रायगढ़ जिला भी अछूता नहीं रहा। यह जिला अशिक्षित, पिछड़ा एवं शेष राष्ट्र से अलग होने के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन में सभी वर्ग के लागों ने जैसे– मजदूर किसान, गौटिया, शिक्षित, धनाड्य एवं महिलाओं ने प्रमुखता से भाग लिये। जिसमें सर्वप्रथम जिले के गौटियों, किसानों ने ही आंदोलन का सूत्रपात किये। जिससे रियासती और ब्रिटिश सरकार दोनों ने ही घूटने टेक दिये और कुछ मांगो को पूरा किये। सारंगढ़ रियासत के लोग राजा से उत्तरदायी शासन की मांग करने लगे, लेकिन उन्हे कोई परिणाम प्राप्त नही हुआ। फिर भी अपनी मांगो के लिए प्रयत्नशील रहे।

सन् 1920 मे महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आन्दोलन चलाया गया। पूज्य बापू जी के आव्हान पर संपूर्ण भारतवासियों के साथ रायगढ़ जिले के आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार तथा रियासती शासन को सहयोग देना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओ को अपनाने के लिए क्षेत्र की जनता को प्रेरित करने लगे। इसी समय रायगढ़वासियों को गांधीजी के दर्शन का लाभ मिला। रायगढ़ के श्री मनोहर प्रसार मिश्र, श्री अम्बालाल मेहता, श्री बंशीधर त्रिपाठी तथा उनके सहयोगियों ने एक संगठन तैयार किये तथा गॉवो का दौरा कर गांधीजी के अहिंसा संग्राम के बारे में लोगों को अवगत कराया। साथ ही चरखा आंदोलन के माध्यम से लोगों को चरखा चलाना सूत कातना सिखाये और आंदोलन ये लोग खादीधारी बन गये। सारंगढ़ रियासत में लुकराम गुप्त के नेतृत्व में आदोलन हुआ। लेकिन यह प्रारंभिक दौर में शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा, जो आगे चलकर कृषक वर्ग पर भी अपना प्रभाव जमाया कृषक एकजूट होकर रियासती शासन से उत्तरदायी शासन की मांग करने लगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना विरोध जताया। स्वाधीनता आंदोलन के इस चरण में जिले के रियासती प्रजा की सहभागिता स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में इस जिले के प्रभुलाल काबरा और बंदे अली फातमी के नेतृत्व में अनेको लोग शामिल हुए एवं सहयोग प्रदान किये। सारंगढ़ रियासत में श्री जगतराम एवं सहयोगियो के नेतृत्व में लोगों ने मिलकर सत्याग्रह के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया तथा जंगल सत्याग्रह किया गया। जिसके कारण धनीराम, जगतराम और कुंवरभान गिरफ्तार कर लिए गये।

स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर जन–जागृत्ति के उद्देश्य से सन् 1932–33 के आसपास श्री फजल हुसैन, श्री अब्दुल सत्तार, श्री महफूज रहमान तथा अन्य शिक्षित युवकों ने 'यंग मैन्स एसोशियेशन' नाम का एक संस्था का गठन किये तथा इसी संस्था में युवकों ने स्वप्रेरित होकर अपने–अपने घरों से पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को लाकर जमा किये और 'यंग मैन्स लाइब्रेरी' नामक एक पुस्तकालय की स्थापना किये।

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

रायगढ़ जिले के सारंगढ़ रियासत के नागरिकों मे राजनीतिक चेतना व जागृति लाने के उद्देश्य से समय-समय पर अनेक संस्थाओं की स्थापना होती रही है। जिसके माध्यम से नागरिकों को जागृत करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य किये।सन् 1937 के कालखण्ड में महावीर वाचनालय के नाम से एक संस्था की स्थापना की गयी तथा इसी संस्था के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन किया गया।

गांधी जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर दानीराम ने सोयी हुई जनता को जागृत कर रियासती शासन के विरूद्ध बगावत की आग सुलगाई। उनके इस कार्य में श्री धनसाय वर्मा, ठाकुर राम पटेल, केशवचंद्र शाहा, नान्हू दाई जैसे इत्यादि देशभक्त कार्यकर्ताओं ने बखूबी से साथ दिया और शासन के दमनचक्र का जमकर सामना किया। जिसके परिणाम स्वरूप रियासत में ली जाने वाली 'बेगार' को समाप्त करने का रियासती शासन को घोषणा करना ही पड़ा तथा आगे चलकर नवम्बर 1946 में जनता के अधिकारों की घोषणा की गयी। इस रियासत के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने 'नगर सुधार समिति' नामक संस्था के द्वारा जनता को जागृत करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये, जो एक कारागार साबित हुई। इसी तरह की एक अन्य संस्था युवक संघ की स्थापना किये तथा 'उमंग' नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली जिससे रियासती जनता में जागृत पैदा करने का एक महत्वपूर्ण फायदा मिला।

रायगढ़ तहसील के मालगुजारों ने प्रजा मंगल समाज के नाम से एक संगठन खड़ा किया। इसका नेतृत्व श्री मनोहर प्रसाद मिश्र, रमाशंकर लाल श्रीवास्तव, रूपचंद पुरसेठ आदि किसानो ने एक किसान सभा नाम से एक संगठन का निर्माण किया। किन्तु यह संस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पायी और बंद हो गया। प्रजा मंगल समाज के कार्यकर्ता अपने अधिकारों की मांग को लेकर सक्रिय थे, परन्तु अधिकांश मांगे ही पूरी करवा पाये। इस संस्था के सदस्यों ने परोक्ष रूप से राजनैतिक आंदोलनों में भाग लिया।

नि:संदेश रायगढ़ जिले की रियासतो में इस समय (1930-41 तक) एक जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला। यहॉ की जनता में देश व जिले की राजनीतिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण जागृति की लहर दौड़ रही थी और उसका नेतृत्व भी सक्षम हाथों में था, जो राजा तथा ब्रिटिश शासन के आगे कभी नही झुके।

1942 के आंदोलन में स्थानीय नटवर हाई स्कूल के छात्रों ने ऐतिहासिक भूमिका निभायी। विद्यार्थियो द्वारा चलित हड़ताल, जुलूस और जोशीले नारों ने जनता में व्यापक लहर पैदा की। स्कूल में विद्यार्थियो को छड़ी की मार झेलनी पड़ती थी, तथा किसी राष्ट्रीय नेताओं से प्लेटफार्म पर मिलने जाते तो पुलिस का लाठी प्रहार भी सहना पड़ता था। सन् 1942 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक आजादी की मांग को लेकर रियासती शासन के विरूद्ध संघर्ष करते रहे। छात्र नेता के रूप में ही हरिशचंद्र अग्रवाल, श्री रजनीकांत मेहता, श्री स्वप्नेश्वर गुरू और श्री ब्रजभूषण शर्मा के नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। स्कूल के छात्रों को बाहर से सहायता प्रदान करने का काम देशभक्त अमरदास और श्री रामकुमार किया करते थे। युवको की टोली जिसमें श्री बंदेअली फातमी, श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी, श्री सुलतान अली, टेलर मास्टर, श्री प्रताप बानी, श्री प्रसन्न कुमार पाण्डेय इत्यादि सम्मिलित थे। उन लोगों ने अगस्त आंदोलन की आवश्यकता के प्रति जनता में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का काम किया करते थे। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दरमियान शहर के विशिष्ट स्थलों में हस्तलिखित पोस्टर प्रदर्शित किये जाते थे। पोस्टर तैयार करने व चिपकाने का दायित्व श्री नटवर बेहरा तथा दयाराम ठिठवार को सौंपा गया था, तथा उनके अनेक सहयोगियों ने पोस्टर बांटने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। श्री हरिचरण साव और गनपत लाल श्रीवास्तव ने रायगढ़ के टाउनहाल मे राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। इसी अवधि के आसपास क्रिप्स मिशन के विरूद्ध रायगढ़ जिले के नवयुवकों ने जोरदार प्रदर्शन कर 'क्रिप्स वापस जाओ' के नारे लगाये। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ रियासत में गांधी जी के 'करो या मरो' का संदेश पहुंचते ही यहॉ के उत्साही कार्यकर्ताओ जिनमें प्रमुख श्री केशव चन्द्र शाहा, का संदेश पहुंचते ही यहॉ के उत्साही कार्यकर्ताओं जिनमें प्रमुख श्री केशव चंद्र शाहा, श्री धनसाय वर्मा, श्री ठाकुर राम पटेल, श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, नान्हू दाई इत्यादि ने जनता को जागृत करने का भरकस प्रयास किये गये। इन लोगों को रियासती शासन के दमन चक्र का भी सामना करना पड़ा, परन्तु इन लोगों ने रियासती शासन की परवार न करते हुए शासन के अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को सतत् प्रेरित करते रहे। धीरे-धीरे सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दायरे बढ़ते हुए खरसिया, सक्ती, लैलूॅगा, घरघोड़ा, तमनार, लोडूंग, बनोरा, कोतरा, कुसमुरा, पटेलपाली आदि क्षेत्रों में बढ़ता गया और ग्रामीण नागरिको ने अत्यधिक संख्या में शामिल होने लगे। इस आंदोलन के प्रभाव में आकर सिद्धेश्वर गुरूजी तथा किशोरी मोहन त्रिपाठी ने एक साथ शासकीय शिक्षक पद त्याग पत्र दे दिया एंव खुलकर राजनीति के मैदान में उतर आये। अंग्रेजी शासन तथा रियासती शासको की दमनकारी, अत्याचार, शोषण के खिलाफ विद्रोह स्वरूप लोगों ने राजनीतिक चेतना प्रज्जवलित करने के लिए 1942 के आसपास 'प्रजा मंगल' संस्था की स्थापना की गयी थी। साधुराम उरांव ने रायगढ़ रियासत के विरूद्ध जनता में एकता स्थापित करने का भरकस प्रयास किये किन्तु वह सफल नहीं हो पाये।

चूँकि रियासती शासन ने 'ऐसोशियेयन एक्ट' थोप रखा था, जिसके कारण रियासती में शासन की अनुमति के बगैर कोई भी सभा जुलूस तथा राजनैतिक संस्था स्थापित नहीं कर सकता था। इसलिए इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने राजा से निवेदन कर इस संस्था को पंजीयन कराने का निर्णय लिये। इस संस्था से जुड़े लोगों ने संघ को लोकप्रिय बनाने के लिए इसका प्रचार-प्रसार करने लगे। इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने एक शिष्टमंडल बनाकर राजा से नागरिक स्वतंत्रता की मांग हेतु मिलने भेजा। लेकिन शिष्ट मंडल को कुछ भी प्राप्त नही हुआ और वे वापस लौट आये। इसी दरमियान नरेन्द्र मण्डल के चांसलर ने समस्त देशी रियासतों के नरेशो को अपनी-अपनी रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने की सलाह दी थी। प्रगतिशील नागरिक संघ ने दीवान के बेटे के निधन पश्चात् उनके सम्मान तथा यादगार में देवेन्द्र मेमोरियल फंड के नाम से गरीब विद्यार्थियों के सहायतार्थ एक कोष स्थापित करने की अपील की, जिसे नागरिकों ने पूर्ण सहयोग दिया। इस संघ का प्रचार दिनोदिन बढ़ने लगा। अत: रायगढ़ नरेश ने दशहरे के अवसर पर नागरिक स्वतंत्रता देने की घोषणा की। इसके पश्चात् इस प्रगतिशील नागरिक संघ का स्टेट कांग्रेस में विलय हो गया।

रायगढ़ जिले में 'प्रगतिशील नागरिक संघ' को स्टेट कांग्रेस के रूप मे बदल दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष की सिद्धेश्वर गुरूजी हुए। स्टेट कांग्रेस का सदस्यता अभियान जोरों से चलाया गया। प्रबुद्ध नागरिकों गौटियों एवं किसानों ने अपूर्व सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप स्टेट कांग्रेस की सदस्य संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। स्टेट कांग्रेस ने रायगढ़ नरेश द्वारा घोषित स्टेट असेम्बली का विरोध किया। स्टेट कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा को ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने संबोधित किया। उनके सारगर्भित एवं ओजस्वी भाषण से स्टेट कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊॅचा हुआ। ठाकुर साहब

का मार्गदर्शन स्टेट कांग्रेस को बराबर मिलता रहा। स्टेट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, क्रांतिकारी वीर मदनलाल बागड़ी, श्री श्याम नारायण काश्मीरी, प्रो. जयनारायण एवं समाजवादी ग्रुप के महान नेताओं से संपर्क कर उनसे पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त करते रहे।

रायगढ़ समूह की रियासतों के विलीनीकरण आंदोलन मे जागरूक जनता और उत्साही नवयुवकों की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन्होनें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अपनी कर्तव्य का निर्वहन किया। जिले में रियासतों के विलीनीकरण आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम स्टेट कांग्रेस ने किया। इन कार्यकर्ताओं को अखिल भारतीय स्तर के नेताओं का प्रेरणा एवं समर्थन प्राप्त होते रहे है। इस स्टेट कांग्रेस का उद्देश्य पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करना रहा है, किन्तु 15 अगस्त 1947 का वह ऐतिहासिक दिन आया, जब पूज्य बापूजी तथा अनेकों महान नेताओं के अथक परिश्रम से भारत स्वतंत्र हो गया तब स्टेट कांग्रेस का उद्देश्य बदलकर रियासत को स्वतंत्र भारत संघ मे सम्मिलित कराना हो गया। यह विलीनीकरण आंदोलन सर्वप्रथम छत्तीसगढ के रायगढ़ जिले की रियासतों से प्रारंभ हुआ।

रायगढ़ जिले की रियासतों में राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें अमरनाथ तिवारी, रामकुमार अग्रवाल, बंदे अली फातमी, लुकराम गुप्ता, केशवचंद्र शाहा, घनश्याम वर्मा, विष्णुदयाल वर्मा, नान्हू देई कंवर इत्यादि लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिये। अधिक संख्या में छात्रों तथा महिलाओं ने भी भाग लिए। कटक में आयोजित पूर्वी देशी राज्य परिषद की आंचलिक बैठक में रायगढ़ समूह में कार्यकर्ताओ ने भाग लिए। जिसमें इस रियासत समूह के चार प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। रायगढ़ में प्रथम राजनैतिक महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें चोटी के नेताओं द्धारा लिखा गया पत्र पढ़कर सुनाया गया। इस महाधिवेशन के आगन्तुक नेताओं के ओजस्वी एवं सारगर्भित भाषण में रायगढ़ समूह के रियासतों के नागरिकों ने विलीनीकरण की मांग की तथा नागरिकों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ कर दिये और वे अपने मकसद में सफल रहे। कटक में आयोजित द्धितीय पूर्वाचल देशी राज्य प्रजा परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के चौदह कांग्रेसाध्यक्षों में भाग लिया और किशोरीमोहन त्रिपाठी जी द्धारा तैयार किया विलीनीकरण प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित कर इस प्रस्ताव का मेमोरेण्डम सरदार पटेल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सरदार पटेल ने पहले 'सी' श्रेणी के नरेशों से भारतीय संघ में विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कराये। दूसरे दिन 'अ' और 'ब' श्रेणी के नरेशो को देशी राज्यों की जनता का हवाला देकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये। 15 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ की नरेशों ने नागपुर में सरदार पटेल के समक्ष अपनी सहमति दे दिये, और रायगढ़ समूह की रियासतो के रायगढ़ नरेश युवराज ललित कुमार सिंह एवं सारंगढ़ के राजा नरेश चन्द्र सिंह विलय पर हस्ताक्षर किये और इस प्रकार से रायगढ़ जिले के देशभक्त कार्यकताओं की तमन्ना इस दिन पूरी हो गयी और अपने आपको तथा रायगढ़ समूह के निवासियों को स्वतंत्र करने की इच्छा पूरी हो गयी।

उदयपुर स्टेट में स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाने का काम स्वर्गीय शिवराज सिंह ने किया। अंग्रेजो के विरूद्ध उन्होनें खुला विद्रोह किया और जीवन के अंत तक राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाते रहे। आजादी के इस दीवाने की मौत के बाद इस रियासत में खामोशी छायी रही। सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुन: आजादी की व्यापक लहर पैदा हुई। श्री रविन्द्र नाथ मजूमदार, पुरेन्द्र नाथ मल्लिक, काशीनाथ मिश्र, साधुराम अग्रवाल आदि नेताओं ने कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर जनता में जागृति पैदा की। मुक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियॉ बनाने में इन नेताओं ने भूमिका निभाये। अंत में गुलामी की जंजीर टूट गयी और उदयपुर स्टेट भारत संघ विलय हो गया।

सारंगढ़ रियासती शासन के विरूद्ध जननेताओं ने अंत तक संघर्ष किया। श्री दानीराम पटेल गांधीजी से प्रेरणा पाकर श्री धनसाय वर्मा, ठाकुर राम पटेल, लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, सुश्री नान्हू दाई इत्यादि ने जनता को जागृत करने में उल्लेखनीय योगदान दिये। रियासत के नेताओं ने शासन के दमनचक्र का डटकर मुकाबला किया और जनता में राजनीतिक चेतना जगाई। अन्याय, अत्याचार, कानून और शक्ति का दुरूपयोग अंत में थम गया और व्यापक आंदोलन के बाद रियासत का विलयन हुआ।

इस तरह से ऐतिहासिक संघर्ष के उपरांत रायगढ़, उदयपुर, सारंगढ़, देशी राज्यों का प्रांत में विलयन हुआ और सक्ती, जशपुर देशी राज्यों को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया। किन्तु आगे चलकर सक्ती को तहसील का दर्जा देकर बिलासपुर जिले में शामिल कर लिया गया। पुन: जांजगीर-चॉपा जिले का निर्माण होने पर इस जिले का अंग बन गया। जशपुर को भी जिला बना दिया गया। इस प्रकार से रायगढ़ जिलान्तर्गत उदयपुर, रायगढ़ और सारंगढ़ के क्षेत्र ही शेष रह गये है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पंडित रविशंकर शुक्ल का सरदार पटेल को लिखा गया पत्र, दिनांक 8 नवम्बर 1946
2. रायगढ़ रियासत के शासक चक्रधर सिंह का वी.पी.मेनन सचिव, रियासत मंत्रालय को लिखा गया पत्र क्रमांक 9-3-1/47, दिनांक 11 अगस्त, 1947
3. रियासत विभाग का सम्बलपुर क्षेत्रीय आयुक्त को पत्र दिनांक 19.11.1947
4. मध्यप्रांत एवं बरार सरकार के राजनीतिक और मिलिट्री विभाग का पत्र, क्र. 484/230/ एस.टी. दिनांक 31 मार्च 1948
5. राजा ललित कुमार सिंह रायगढ़ रियासत का सरदार पटेल मंत्री राज्य मंत्रालय भारत सरकार को लिखा गया पत्र, दिनांक 29.12.1947
6. पंडित किशोरीमोहन त्रिपाठी, संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य की व्यक्तिगत डायरी
7. सुश्री नान्हू देई की व्यक्तिगत डायरी
8. श्री साधुराम की व्यक्तिगत डायरी

****

हिन्दी साहित्य की नई परम्परा : आधुनिक हिन्दी काव्य

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी*

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बाद एक नई परम्परा को लेकर आधुनिक हिन्दी काव्य का जन्म हुआ चाहे वह विषय क्षेत्र को लेकर हो या फिर भाषायी आधार को। हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग का प्रथम चरण पुनर्जागरण या भारतेन्दु काल (सन् 1850 से 1900 तक) है। यह नव-सृजन, नव-उत्साह का काल है। पाश्चात्य साहित्य का समावेश होना शुरू हो चुका था। नई चेतना, नई दृष्टिकोण जन्म ले चुकी थी। डॉ. राजकिशोर पाण्डेय के अनुसार –'यह वह युग था जब हिन्दी साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का प्रारंभ हुआ और साहित्य की सरिता भक्ति और श्रृंगार के पर्वतीय प्रदेश को पार करके जीवन की समतल भूमि पर प्रवाहित होने लगी थी। भक्ति काल का साहित्य जीवन के आदर्शों का साहित्य था। रीतिकालीन साहित्य में जीवन की सुकुमार भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, किन्तु आधुनिक काल में जीवन की सच्चाई की अभिव्यक्ति हुई।'[1]

साहित्य चेतना का विकास इस शताब्दी की केन्द्रीय उपलब्धि है। इसी चेतना फलस्वरूप नई दृष्टि, नई सोच, नन्वोन्मेषण, नवपथ की खोज संभव हो सकी। साहित्य सृजन दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर धरातलीय सच पर आ गया। रूढ़ी, अंधविश्वास, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दासता से मुक्त होकर स्वतंत्रता के नवस्वर कलकंठित हो रहे थे।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आधुनिक युग का जो काल विभाजन किया उसमें गद्य काल का प्रदुर्भाव भी बताया। आधुनिक काव्य में गद्य और पद्य दो समानांतर धाराओं के रूप में अपने-अपने अस्तित्व के साथ प्रवाहित होता रहा है। डॉ. बच्चन सिंह, शुक्ल जी के इस मत से असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं – 'यह दोनों खण्ड इस तरह आसमंजस्यपूर्ण और अविच्छिन्न हैं। मानों गद्य की रचनाएं एक काल में लिखी गयी और काव्य साहित्य किसी अन्य काल में लिखा गया हैं।'[2]

डॉ. नगेन्द्र ने समवेत दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया कि – 'भारतेन्दु युग पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को नवजागरण सुधार काल नाम दिया गया।'[3] हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सन् 1900-1920 तक के समय को 'भारतेन्दु का उदय और प्रभाव, सन् 1920-1935 की कालावधि को 'छायावाद' तथा सन् 1936-1952 की कालावधि को प्रगतिवाद माना है।'[4] डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त भी भारतेन्दु युग (1857-1900 ई.), द्विवेदी युग (1900-1920 ई) छायावाद युग (1921-1936 ई.) प्रगतिवादी युग (1937 -1945 ई.) तथा प्रयोगवाद युग (1945-1965 ई.) जैसी उपविभाजन प्रस्तुत करके समस्या का हल नहीं कर सके। डॉ. बच्चन सिंह इस समस्या की जटिलता को समझते हुए यह स्थापना दी है कि – 'आधुनिक हिन्दी साहित्य में छायावाद युग सर्वमान्य हो गया है। इसको केन्द्रीय बिन्दु मानकर इस काल का उप-विभाजन करना अधिक सुविधाजनक होगा।'[5] आधुनिक हिन्दी काव्य रीति काल के दरबारी संस्कृति से भिन्न निम्न प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीयता – भारतेन्दुयुग के कवि स्वेदश के प्रति प्रेम भावना का शंखनाद करते है। लूट-खसोट की प्रवृत्ति से आगाह करते हुए भारतेन्दु जी कह उठते हैं –

'भीतर-भीतर सब रस चूसै,
हँसि-हँसि के तन-मन-धन मूसे।
जाहिर वातिन में अति तेज,
कहि सखि साजन नही अंगरेज।

राधाचरण गोस्वामी जी लिखते हैं – 'हमारा उत्तम भारत देश।' बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन' जी लिखते हैं –

'धन्य भूमि भारत सब रतननि की उपजावनि'

इस परम्परा को गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर ने आगे बढ़ाया।

नीति आदर्श परक रचनाएँ – भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग इस काव्य परम्परा को जन-मन तक नीति परक रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन किया। मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं –

'केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए।
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
क्यों आज 'रामचरितमानस' सब कहीं सम्मान्य हैं?
सतकाव्युत उसमें परमादर्श का प्राधान्य हैं।'[6]

हास्य व्यंग्य का विकास – आधुनिक काव्यधारा हास्य के माध्यम से कटाक्ष करते हुए व्यंग्य प्रस्तुति भ्रष्ट अंग्रेजों के प्रति, रूढ़ी, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार के प्रति कह उठते हैं –

'भड़क भूला दो भूतकाल की, सजिये वर्तमान के साज।
फैशन फरे इण्डिया भर के, गौर गांठ बनी ब्रजराज।
गौर वर्ण वृषभानु सुता का, काढ़ो काले तन पर तोप।
नाथ उतारो मोर मुकुट को, सिर पर साजो साहिबी टोप।।'[7]

वर्ण्य वैविध्य – काव्यगत वस्तु की विविधता द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद प्रयोगवाद, नई कविता, सांठोतरी कविता, समकालीन कविता सभी में विद्यमान है। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास में कह उठते हैं–

'दिवस का अवसान समीप था,
गगन था कुछ लोहित हो चला।
तरू शिखर पर थी अब राजती,

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर (छ.ग.) भारत

कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।।'[8]

प्रकृति चित्रण, मानवतावाद, व्यक्तिवाद की प्रधानता, वेदना एवं निराश की अभिव्यक्ति, नारी अमांसल सौंदर्य का वर्णन, तत्व चिंतन की प्रधानता, कल्पना प्राचुर्य, रहस्यावादी भावना आदि गुणों से युक्त छायावादी काव्य धारा आधुनिक काव्य परम्परा की नई चेतना व दृष्टि कोण है।

छायावादोत्तर काव्य जिसमें प्रगतिवाद का सूत्रपात पंत जी ने युगान्त से किया। प्रगतिवादी काव्य धारा यथार्थवाद के धरातल एवं शोषण से मुक्ति एवं ईश्वर के प्रति अनास्था का स्वर मुखरित किया। दूसरी ओर प्रयोगवाद तारसप्तक के प्रकाशन से 1943 से शुरू होकर प्रतीकवाद, बिंबवाद, अतियथार्थवाद, प्रभाववाद, अस्तित्वाद, फ्रायडवाद को लेकर चला। लघुमानव की प्रतिष्ठा करते हुए धर्मवीर भारती लिखते हैं –

'मैं रथ का पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत।'

बौद्धिकता एवं नीरसता एवं तार्किकता से

बोझिल प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारतीय लिखते हैं,

'अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ।'

नये प्रतीक का प्रयोग प्रयोगवादी कवि करते है, 'प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया वासना की नग्न अभिव्यक्ति करते हुए भारत भूषण अग्रवाल का भदेश चित्रण दृष्टव्य है –

'मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में,

तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव।

धैर्य–धन गदहा।'

निष्कर्ष – कहा जा कसता है कि हिन्दी साहित्य जहां अपभ्रंश, अवहट्ठ, पुरानी हिन्दी, डिंगल–पिंगल भाषा, अवधी, ब्रजभाषा से यात्रा करते करते आधुनिक हिन्दी काव्य परम्परा में द्विवेदी जी के सार्थक और प्रेरणास्पद प्रयास से खड़ी बोली के रूप में फलीभूत हुआ है जो वर्तमान समय में काव्य रचना का आधार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी की खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत बनाने का जटिल संकल्प किया जो सरस्वती पत्रिका के संपादन से संभव भी हो सका।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पाण्डेय डॉ. राजकिशोर भारतीय भाषाओं का आधुनिक साहित्य पृष्ठ 191–192
2. डॉ. बच्चन सिंह, 'हिमप्रस्थ' मार्च–अप्रैल 1975 पृष्ठ 10
3. डॉ. नगेन्द्र 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृष्ठ 452
4. द्विवेदी हजारी प्रसाद 'हिन्दी साहित्य' पृष्ठ 449
5. डॉ. बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास।
6. गुप्त मैथिलीशरण भारत भारती सन् 1912
7. गुप्त बालमुकुंद कर्जनाना कविता।
8. हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास 1914

****

दुग्ध उद्योग का एक विवरणात्मक अध्ययन

आबिद हसन खान* कैशर परवीन**

शोध सारांश –दूध उत्पादन व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग छेटे व बड़े स्तर दोनों पर सबसे ज्यादा विस्तार में फैला हुआ व्यवसाय है। दूध उत्पादन व्यवसाय व्यवसायिक या छोटे स्तर पर दूध उत्पादन किसानों की कुल दूध उत्पादन में मदद करता है और उसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, भारत में कई वर्षो से डेयरी व्यवसाय या दूध उत्पादन ने आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल दूध उत्पादन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी की है और बहुत से गरीब किसानों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया है। यदि किसी के पास दूध उत्पादन का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रारंभिक पूँजी है तो, इस (दूध उत्पादन) व्यवसाय को किसी भी क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। दूध उत्पादन भारत में सबसे सामान्य व्यवसाय है, जिसमें दूध का उत्पादन अधिकतम करने के लिए किसान दूध के उत्पादन के लिए गाय और भैंसों का प्रबंध करते हैं, चाहे वह उत्पादन छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर। इस कारोबार में पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी सहित, उनके लिए आवश्यक दवा, उचित भोजना, दूध देने वाले उपकरणों का समुचित उपयोग, कचरे का प्रबंधन आदि कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियाँ होती हैय हालांकि, यह अन्य व्यवसायों की तुलना में शुरु करने में आसान है। कुछ दुग्ध उत्पादक स्वंय दूध उत्पादन करके उसे वितरित करते हैं हालांकि, उनमें से कुछ डेरी की प्रक्रिया के लिए कम्पनियों को दूध की आपूर्ति करते हैं।

शब्द कुंजी –दायरा, लाभ, विशेषता, महत्व, उपयोगिता।

प्रस्तावना –दुग्ध कृषि (Dairy Farming), या डेरी उद्योग या दुग्ध उद्योग, कृषि की एक श्रेणी है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसके वास्ते गाय-भैंसों, बकरियों या कुछेक अन्य प्रकार के पशुधन के विकास का भी काम किया जाता है। अधिकतर डेरी-फार्म अपनी गायों के बछड़ों का, गैर-दुग्ध उत्पादक पशुधन का पालन पोषण करने की बजाए सामान्यत: उन्हें मांस के उत्पादन हेतु विक्रय कर देते हैं। डेरी फार्मिंग के अंतर्गत दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन तथा देखभाल, दूध की खरीद और इसकी विभिन्न डेरी उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

डेयरी फार्मिंग एक प्रकार का कृषि व्यवसाय है जिसमें घरेलू पशुओं से दूध का उत्पादन शामिल है। वे पौधे जो दूध के प्रसंस्करण और अन्य दूध उत्पादों का उत्पादन करने में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें डेयरी का डेयरी प्लांट कहा जाता है। डेयरी फार्मो में दूध उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को डेयरी पशु कहा जाता है। दुग्धोत्पाद से अभिप्राय उन खाद्य वस्तुओं से है जो दूध से बनती हैं। यह आम तौर पर उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। इन उत्पादों का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाले संयंत्र को दुग्धशाला कहा जाता है।

डेयरी उद्योग का तात्पर्य कच्चे दूध को विभिन्न उत्पादों जैसे दही, आइसक्रीम, मक्खन, पनीर और डेसर्ट में विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि पाश्चुरीकरण, जमावट, निस्पंदन और शीतलन के माध्यम से प्रसंस्करण और विनिर्माण करना है। यह यूरोप में औद्योगिक अपशिष्ट उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

आवश्यकता एवं दायरा – भारत गांवों में बसता है। हमारी 72 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है तथा 60 प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। करीब 7 करोड़ कृषक परिवार में प्रत्येक दो ग्रामीण घरों में से एक डेरी उद्योग से जुड़े हैं। भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार देश में 70 प्रतिशत दूध की आपूर्ति छोटे सीमांत भूमिहीन किसानों से होती है। भारत में कृषि भूमि की अपेक्षा गायों का ज्यादा समानता पूर्वक वितरण है। भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में डेरी-उद्योग की प्रमुख भूमिका है।

देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसे मान्यता दी गई है। कृषि और डेरी-फार्मिंग के बीच एक परस्पर निर्भरता वाला संबंध है। कृषि उत्पादों से मवेशियों के लिए भोजन और चारा उपलब्ध होता है जबकि मवेशी पोषण सुरक्षा माल उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों दूध, घी, मक्खन, पनीर, संघनित दूध, दूध का पाउडर, दही आदि का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अपना विशेष स्थान है और यह विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और दुग्ध उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयोग से भारत विश्व में सबसे कम खर्च पर यानी 27 प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन करता है (अमरीका में 63 सेंट और जापान में 28)। यदि वर्तमान रूझान जारी रहता है तो मिनरल वाटर उद्योग की तरह दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग में भी बहुत तेजी से विकास होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अगले 10 वर्षो में तिगुनी वृद्धि के साथ भारत विश्व में दुग्ध उत्पादों को तैयार करने वाला अग्रणी

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) एसडीएस शासकीय महाविद्यालयब जामगांव आरब भरस्ब, दुर्ग (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय ,दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) भारत

देश बन जाएगा।

रोजगार की संभावनाएं इस उद्योग के तहत सरकारी और गैर- सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मौजूद हैं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) विभिन्न स्थानों पर स्थित इस क्षेत्र का प्रमुख सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, जो कि किसानों के नेतृत्व वाले व्यावसायिक कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। देश में अब 400 से अधिक डेरी संयंत्र हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उन्हें संयंत्रों के दक्षतापूर्ण संचालन के वास्ते सुयोग्य और सुप्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता होती है।

ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को उनकी आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं पर अनुदान का भी प्रावधान रखा गया है। किसान व आम ग्रामीण अनुदान प्राप्त कर आजीविका के साधनों को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अनुदान की प्रक्रियाओं को जानें। पंचायतनामा के इस अंक में हम दूध उत्पादन करने वाले लोगों को योजनाओं और अनुदान पर जानकारी मुहैया करा रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन सम्बन्धित योजनाये

दुधारू मवेशी योजना – ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले लोगों के लिए दुधारू मवेशी योजना के तहत लाभ देने का काम किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन करने वाले को 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण पर दो दुधारू मवेशी दिये जाते हैं। दुधारू मवेशी गाय अथवा भैंस हो सकते हैं। प्रत्येक मवेशी छह माह के अंतराल पर दिया जाता है। योजना लागत में जानवर की खरीद के लिए 70,000 रुपये दिये जाते हैं। इसके अलावा मवेशियों को रखने के लिए गौशाला के निर्माण के लिए 15,000 रुपये दिये जाते हैं। इसके अलावा तीन वर्षो के लिए जानवरों के लिए बीमा प्रीमियम कराया जाता है। इसके लिए 8000 रुपये का लाभ दिया जाता है।

मिनी डेयरी (पांच दुधारू मवेशी के लिए) – सरकार की ओर से मिनी डेयरी योजना चलायी जा रही है जिसके लिए दुग्ध–उत्पादन करने वालों को अनुदान दिया जाता है। प्रगतिशील किसानों और शिक्षित युवा बेरोजगार को इस योजना के तहत पांच दुधारू मवेशी उपलब्ध कराया जाता है। ये मवेशी गाय अथवा भैंस हो सकते हैं। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत बैंक लोन पर पांच दुधारू मवेशी दिया जाता है। दो चरणों में लाभुक को मवेशी दिया जाता है। पहले चरण में तीन मवेशी और छह माह के बाद दो मवेशी की खरीद के लिए पैसा बैंक के माध्यम से दिया जाता है। योजना लागत में मवेशी की खरीद के लिए 1,75,000 रुपये, शेड निर्माण के लिए 45,000 रुपये तथा तीन वर्षो के लिए मवेशियों के बीमा प्रीमियम के लिए 20,000 रुपये लाभुक को दिये जाते हैं।

मिनी डेयरी (दस दुधारू मवेशी के लिए) – युवा शिक्षित बेरोजगार तथा प्रगतिशील किसानों को एक दूसरे योजना के अंतर्गत दुग्ध–उत्पादन के लिए दस दुधारू मवेशी दिया जाता है। इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह भी ले सकते हैं। सभी को 40 प्रतिशत अनुदान एवं 60 प्रतिशत बैंक लोन पर दुधारू जानवर उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के माध्यम से छह माह के अंतराल पर पांच–पांच मवेशी दिये जाते हैं। दुग्ध–उत्पादन के लिए इस योजना के माध्यम से 3,50,000 रुपये तथा शेड निर्माण के लिए 90,000 रुपया लाभुक को दिया जाता है।

दुग्ध–उत्पादन को बेहतर स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। दुग्ध–उत्पादन को रोजगार में अपनाने की चाहत रखने वाले लोग अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने निकटतम डेयरी पशु विकास केंद्र तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर दुग्ध–उत्पादन, मवेशी और अनुदान के विषय पर जानकारी ले सकते हैं।

केंद्र सरकार की योजनाएं – दुग्ध–उत्पादन के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी कई योजनाओं को संचालित किया जाता है। इसके लिए दुग्ध उत्पादकों को कई तरह के अनुदान दिये जाते हैं। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत दुग्ध–उत्पादन करने वालों को वित्तीय सहयोग किया जाता है। यह वित्तीय सहयोग छोटे किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को प्रमुख रूप से दिया जाता है। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम भारत सरकार की योजना है, जिसके तहत डेयरी और इससे जुड़े दूसरे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत छोटे डेयरी फार्म खोलने, उन्नत नस्ल की गाय अथवा भैंस की खरीद के लिए पांच लाख रुपये की सहायता की जाती है। यह राशि दस दुधारू मवेशी की खरीद के लिए दिया जाता है।

इसके अलावा जानवरों के मल से जैविक खाद बनाने के लिए एक यूनिट की व्यवस्था करने के लिए 20, 000 रुपये की मदद मिलती है। किसान, स्वयंसेवी संस्था, किसानों के समूह आदि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि किसान अनुसूचित जाति अथवा जनजाति समुदाय से आते हैं तो उन्हें अनुदान पर विशेष छूट मिलती है। इस योजना का संपादन भारत सरकार नाबार्ड की सहायता से करता है। नाबार्ड के सहयोग से डेयरी उद्योग प्रारंभ करने के लिए छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को बैंक की ओर से लोन दिलाया जाता है। बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीक के वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा को–ऑपरेटिव बैंक को मवेशी की खरीद के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन प्रपत्र सभी बैंकों में उपलब्ध होते हैं।

बड़े पैमाने पर दुग्ध–उत्पादन के लिए डेयरी फॉर्म की स्थापना के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होता है। संस्था द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय सहयोग में मवेशी की खरीद, शेड के निर्माण और जरूरी यंत्रों की खरीद आदि शामिल है। प्रारंभिक एक व दो महीने के लिए मवेशियों के चारा का इंतजाम के लिए लगने वाली राशि को टर्म लोन के रूप में दिया जाता है। टर्म लोन में जमीन के विकास, घेराबंदी, जलाशय, पंपसेट लगाने, दूध के प्रोसेसिंग की सुविधाएं, गोदाम, ट्रांसपोर्ट सुविधा आदि के लिए भी लोन देने के विषय में बैंक विचार करता है। जमीन खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाता है।

इस संबंध में एक योजना का निर्माण किया जाता है। यह योजना राज्य पशुपालन विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डेयरी को–आपेरेटिव सोसाइटी तथा डेयरी फार्मस के फेडेरेशन को स्थानीय स्तर पर नियुक्त तकनीकी व्यक्ति की सहायता से तैयार किया जाता है।

लाभुक को राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में डेयरी के प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है। योजना में कई तरह की जानकारियों को शामिल किया जाता है। इसमें भूमि का विवरण, पानी तथा चारागाह की व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधा, बाजार, प्रशिक्षण तथा किसान का अनुभव तथा राज्य सरकार अथवा डेयरी फेडेरेशन की सहायता के विषय में जानकारी दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा खरीद किये जाने वाले मवेशी की नस्ल की जानकारी, मवेशी की संख्या तथा दूसरी संबंधित जानकारी मुहैया कराना होता है। इस योजना को बैंक को जमा कराया जाता है। इस योजना को बैंक पदाधिकारी विश्लेषण करते हैं और योजना के रिस्क और रिपेमेंट पीरियड के

बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

दुग्ध उद्योग की संरचना – अधिकांश देश अपने देशों में ही दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करते हैं, दुनिया के विभिन्न भागों में डेयरी उद्योग की संरचना भिन्न है। प्रमुख दुग्ध–उत्पादक देशों में सबसे अधिक दूध थोक बाजार के माध्यम से वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, किसानों की सहकारी समिति के पास बड़े पैमाने पर कई प्रॉसेसर हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कई किसान और प्रोसेसर व्यक्तिगत ठेके के माध्यम से कारोबार करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, देश के 196 किसानों की सहकारी समितियों ने 2002 में अमेरिका में 86: दूध बेचा, साथ ही पाँच सहकारी समितियों ने उसका आधा हिस्सा ही लेखांकन किया। यह 1940 के दशक में 2300 सहकारिताओं द्वारा किया गया था। विकासशील देशों में, अपने ही पड़ोस में किसानों के दूध विपणन के पुराने तरीके तेजी से बदल रहे हैं। उल्लेखनीय घटनाक्रम है कि डेयरी उद्योग में काफी विदेशी निवेश हो रहे हैं और इसमें डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक बढ़ती भूमिका शामिल है। कुछ देशों में दूध का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह कई किसानों के समक्ष विकास के लिए आय के प्रमुख स्रोत प्रस्तुत कर रहा है।

खाद्य उद्योग के कई अन्य शाखाओं के रूप में, प्रमुख दुग्ध उत्पादक देशों में दुग्ध डेयरी प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां इनकी संख्या कम है लेकिन ये बहुत बड़े और अधिक उत्पादन की क्षमता वाले प्लांट है जिसका संचालन बहुत कम श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। यह घटना विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की है। 2009 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख डेयरी उद्योगों के खिलाफ अविश्वास उल्लंघन के आरोप लगाए गये है।

20 वीं सदी में दूध बाजार में सरकार का हस्तक्षेप एक आम बात थी। अमेरिकी सहकारी डेयरी समितियों के लिए एक सीमित विश्वास–विरोधी छूट 1922 में कैप्पेर–वोल्स्टाद अधिनियम द्वारा बनाया गया। 1930 में, कुछ अमेरिकी राज्यों ने मूल्य नियंत्रण को अपनाया और 1937 के कृषि विपणन करार अधिनियम के तहत संघीय दुग्ध विपणन आदेश शुरू किया गया और जो 2000 के दशक में भी जारी है। संघीय दूध मूल्य सहायता कार्यक्रम 1949 में शुरू किया गया। न्यू इंग्लैंड में पूर्वोत्तार डेयरी कॉम्पैक्ट विनियमित थोक दूध की कीमतें 1997 से 2001 तक हो सकते है।

ऐसे कारखाने जो तरल दूध का उत्पादन और कम दिनों तक टिकने वाली चीजें जैसे दही, क्रीम और सॉफ्ट चीज का उत्पादन करते हैं शहरी केंद्रों के बाहरी इलाके में उपभोक्ता बाजार के पास स्थित होते हैं। अधिक दिनों तक टिकने वाली चीजें जैसे मक्खन, दूध पाउडर, चीज और मट्ठा पाउडर का उत्पादन करने वाले संयंत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहां दूध की आपूर्ति नजदीक होती है। अधिकतर बड़े प्रसंस्करण वाले संयंत्र के उत्पाद विशेष रूप से सीमित होते हैं। विशेष रूप से, तथापि, बड़े एक विस्तृत श्रृंखला में उत्पादों का निर्माण करने वाले प्लांट अभी भी पूर्वी यूरोप में आम हैं, आपूर्ति–चालित बाजार की अवधारणा पूर्व केंद्रीकृत है।

बड़े प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या कम होती हैं, पर वे विशाल और अधिक स्वचालित होते हैं और उनके पास अधिक कुशल उपकरण होते हैं। हालांकि इस तकनीकी प्रवृत्ति से निर्माण लागत बहुत कम रहता है, लेकिन परिवहन की दूरी लंबी रखने की जरूरत अक्सर पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डालती है।

गाय के जीव विज्ञान के आधार पर दूध का उत्पादन अनियमित होता है। निर्माताओं को मांग और आपूर्ति के परिवर्तन पर निर्भर करते हुए दूध का मिश्रण जो तरल रूप में बेचा जाता है बनाम संसाधित खाद्य पदार्थ (जैसे मक्खन और चीज) समायोजित करना चाहिए।

दुग्ध उद्योग के बारे में – दुग्धशाला या डेरी में पशुओं का दूध निकालने तथा तत्सम्बधी अन्य व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियाँ की जाती हैं। इसमें प्राय: गाय और भैंस का दूध निकाला जाता है किन्तु बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़ी आदि के भी दूध निकाले जाते हैं।

देशों के बीच शब्दावली अलग–अलग है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म जहां दूध निकालने का काम होता है मिल्किंग पार्लर के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में ऐसी इमारत का ऐतिहासिक नाम मिल्कंग शेड है– हालांकि हाल के कुछ वर्षों में प्रगतिशील परिवर्तन के फलस्वरूप इन इमारतों को फार्म डेयरी के नाम से पुकारा जाने लगा है।

कुछ देशों में, विशेष रूप से जहां पशुओं की संख्या कम है, उदाहरण के तौर पर छोटे डेयरी में दूध निकालने के साथ–साथ एक संसाधन द्वारा दूध से मक्खन चीज और दही बनाने का काम होता है। खास तौर पर यूरोप में विशेषज्ञ दूध उत्पाद के उत्पादन का यह एक पारंपरिक तरीका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी वह जगह भी हो सकती है जहां डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री होती है, या एक कमरा, भवन या स्थान होता है जहां दूध को संग्रहीत कर, संसाधित कर मक्खन या चीज जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की अंग्रेजी में डेयरी शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सुविधाजनक दुकान या सुपरएट को संदर्भित करता है। इसका उपयोग ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसी दुकानें लोगों के लिए एक आम जगह थी जहां से दूध उत्पाद खरीदे जाते थे।

गुणवाचक रूप में, डेयरी शब्द संदर्भित है दूध आधारित उत्पादों से, व्युत्पादित और संसाधन और जानवर एवं उनके कार्यकर्ताओं इस उत्पादन में शामिल हैं: उदाहरण के लिए डेयरी गाय डेयरी बकरी. एक डेयरी फार्म दूध का उत्पादन करता है और एक डेयरी कारखाना संसाधन द्वारा कई किस्म के डेयरी उत्पाद तैयार करता है। ये प्रतिष्ठान डेयरी उद्योग का गठन करते हैं जो खाद्य उद्योग का ही एक घटक है।

औद्योगिक प्रसंस्करण – डेयरी संयंत्र कच्चे दूध को किसानों से प्राप्त कर संसाधन करती है और विपणन जीवन का विस्तार करती है। दो मुख्य प्रकार की प्रक्रिया कार्यरत हैं: मानव उपभोग के लिए हीट ट्रीटमेन्ट कर दूध की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है जिससे दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहे और निर्जलित प्रक्रिया द्वारा मक्खन, हार्ड चीज और दूध के पाउडर के रूप में डेयरी उत्पादों को संग्रहीत किया जा सके.

क्रीम और मक्खन – आज, बड़ी मशीनों द्वारा थोक मात्रा में दूध को अलग कर क्रीम और मलाई निकाला जाता है। संसाधन के बाद क्रीम से विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उत्पाद बनाए जाते हैं, इसके घनत्व के आधार पर यह व्यंजन के लिए उपयोग किया जाता है और उपभोक्ता की मांग भिन्न–भिन्न देशों में अलग–अलग होती है।

कुछ क्रीम और सूखे और पाउडर के रूप में, कुछ गाढ़े (वाष्पीकरण) और चीनी के साथ मिश्रित होते हैं जिसे डिब्बाबंद कर दिया जाता है। अधिकांश न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई कारखानों में क्रीम से मक्खन बना लिया जाता है। क्रीम को मंथने की प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक एकाश्म घनी वसा ऊपर न आ जाए. इस घने मक्खन को धोया जाता है, कभी कभी, इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें नमक मिलाया जाता है। अवशिष्ट छाछ आगे प्रसंस्करण के लिए चला जाता है। मक्खन को (25–50 किलो के बक्से) में

पैक कर दिया जाता है और भंडारण और बिक्री के लिए ठंडा किया जाता है। बाद में इन बड़े पैक को घरेलू खपत के लिए छोटे पैक में बांट दिया जाता है। 2007 में मक्खन को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,200 डॉलर प्रति टन (एक असामान्य उच्च) दाम पर बेचा गया।

स्किम्ड मिल्क – क्रीम को हटाए जाने के बाद जो उत्पाद बचता है उसे स्किम्ड दूध कहते हैं। अवशिष्ट स्किम्ड दूध के साथ जामन या एसिड मिलाकर केसइन दही और स्किम्ड दूध को फेंटकर मट्ठा बनाया जाता है। क्रीम के कुछ हिस्से को स्किम्ड दूध में मिलाकर कम वसा वाले दूध (सेमी–स्किम्ड दूध) को मानव खपत के लिए तैयार किया जाता है। कई किस्मों से क्रीम की राशि को लौटा कर, उत्पादक कम वसा वाले दूध अपने स्थानीय बाजार के अनुरूप तैयार कर सकते हैं। अन्य उत्पाद, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और फ्लेवर मिलाकर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है।

केसइन – केसइन ताजे दूध में पाया जाने वाला प्रबल फॉसफोप्रोटीन है। इस उत्पाद का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है मानव खाद्य पदार्थ का एक पूरक है इसके अलावा, आइसक्रीम में, कपड़े, गोंद और प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में इन मिश्रित गैर खाद्य के उपयोग के लिए चीन जैसे अन्य देशों से, घटिया (गैर खाद्य ग्रेड) पाउडर के आयात पर चिंता जताते हैं, जैसे कि चीन में केसइन योगज के बिना कृत्रिम रूप से घरेलू चीज का इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षण के दौर से गुजरना पड़ता है।

चीज – चीज दूध से बनने वाला दूसरा उत्पाद है। पूर्ण दूध से दही बनाकर उसे जमा कर, संसाधित कर और संग्रहीत कर चीज बनाया जाता है। ऐसे देशों में जहां दूध को बिना पैस्चोराइजेशन के संसाधित करने की कानूनी तौर पर अनुमति है वहां स्वाभाविक रूप से दूध में बैक्टीरिया पैदा कर कई प्रकार के चीज बनाए जाते हैं। अधिकांश अन्य देशों में, चीज के प्रकार कम हैं और कृत्रिम चीज का उपयोग अधिक होता है। मट्ठा भी इस संसाधन का प्रतिफल है।

ऐतिहासिक रूप से दूध को एक वर्ष से अधिक 'भंडार' करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और इसके पौषणिक मूल्य समृद्ध सालों तक बरकरार रहते हैं। पूर्वी मध्य और यूरोपीय संस्कृतियों के प्रागितिहास, की तिथियों में वापस जाएं तो रोटी और बियर के साथ यही एक खाद्य उत्पाद था जिसे पसंद किया जाता था एवं जिसकी असंख्य किस्में थीं और जिसे स्थानीय विशिष्टता प्राप्त थी। हालांकि गाय के दूध से बनी चीज का बाजार बहुत बड़ा है, उसके बावजूद अन्य दूध विशेष रूप से बकरी और भेड़ के दूध से बनी चीज व्यावसायिक रूप से काफी मात्रा में पायी जाती हैं (एक उल्लेखनीय उदाहरण के लिए देखें रोकफोर चीज)।

मट्ठा – पहले के समय में मट्ठा को एक बेकार उत्पाद माना जाता था और यह ज्यादातर, निपटान के सुविधाजनक साधन के रूप में सूअरों को खिलाया दिया जाता था। 1950 के शुरुआत से, 1980 के अधिकांश समय तक लैक्टोज और कई अन्य उत्पादों में, मुख्य रूप से केसइन और खाद्य मट्ठा का उपयोग होता आया है।

दही – दही एक सामान्य किण्वित (Fermanted) दुग्ध प्रदार्थ है ग्यह सामान्य किण्वित दूध को उबाल कर 21^{0}C तक ठण्डा करके उसमे उचित मात्र में जामन मिलाकर प्राप्त होता है। इसके मुख्य रूप से दुग्धाम्ल जीवाणु ही दूध के दुग्धम को दुग्धमाल में बदल देते है। दही प्राचीन काल से ही प्रयोग में चली आ रही है। शहरों की अपेक्षा गांवों में दही अधिक मात्रा में बनायीं जाती है। दही , भारत और पूर्वी देशो में अत्यधिक इस्तेमाल की जाती है। दही को हिन्दू धर्म में काफी पवित्र प्रदार्थ माना जाता है इसीलिए हर शुभ कार्य करने से पहले दही का सेवन किया जाता है। दुध को दुग्धाम्ल या दही में बदलने के लिये दुध पर जीवाणुओं की क्रिया भी होती हैं।उनके नाम स्ट्रैप्टोकोकस लैक्टिस है। दुध में जामन मिलाने के 9 – 10 घण्टे पश्चात दही बन जाता है। दही का उपयोग हवन कार्य में पंचामृत के लिये किया जाता हैं।

शोध पत्र के उद्देश्य– प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्न है:–

1. अध्ययन क्षेत्र की पशु संरचना के विकास को समझना।
2. अध्ययन क्षेत्र में दूध उत्पादन में वृद्धि एवं दुग्ध उद्योग के विकास के स्तर को समझना।
3. दुग्ध उद्योग के भावी विकास की सम्भावना एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

आँकड़ों के स्त्रोत – प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र से आवश्यक सूचनाओं एवं आँकड़ों का द्वितीयक स्तर पर संकलन किया गया। यह वर्णनात्मक शोध पत्र है। द्वितीयक आँकड़ों का संग्रह विभिन्न स्त्रोतों जैसें – आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्ट, जनगणना विभाग, कृषि मंत्रालय के पशुधन विभाग, डेयरी एवं मत्स्य विभाग तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन आदि से संग्रहित किये गये हैं।

परिकल्पना:

1. भारत में दुग्ध उत्पादन व जनसंख्या में सकारात्मक सम्बन्ध है।
2. विश्व के दूध उत्पादन व भारत के दूध उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

शोध विधि तंत्र – प्रस्तुत शोध पत्र में आवश्यक सूचनाओं एवं आँकड़ों का द्वितीयक स्तर पर संकलन किया गया। इसमें आवश्यकतानुसार प्रतिशतता, वृद्धि दर, ग्राफ, दण्ड आरेख, विभाजित वृत्तारेख, सहसम्बन्ध आदि का उपयोग किया गया है।

भारत में दुग्ध उत्पादन की स्थिति – भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर आज भी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में सलंग्न है। पशुपालन कृषि का अभिन्न हिस्सा है। अर्थात कृषि का पूरक व्यवसाय है। पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य दूध उत्पादन है। अत: यह परम्परागत व्यवसाय है। भारत में दूध उत्पादन तेजी से वृद्धि देखी गई है।

तालिका क्रमांक – 1: दुग्ध उत्पादन की स्थिति

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन में)
2015–2016	31.6
2016–2017	40.9
2017–2018	53.9
2018–2019	70.5
2019–2020	80.6
2020–2021	102.8

www.cgudyog.com, www.cg.gov.in

उक्त तालिका क्रमांक – 1 वर्ष 2015–2016 की अपेक्षा वर्ष 2020–21 में दुग्ध उत्पादन दर में वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

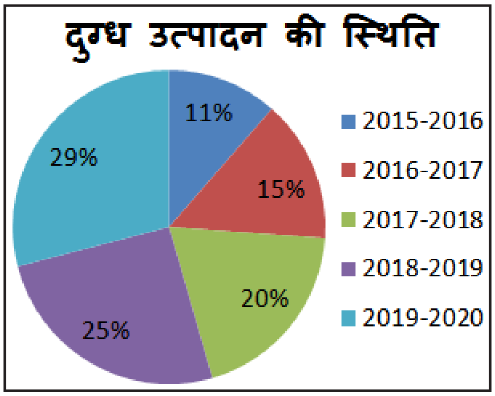

चित्र क्रमांक – 1 दुग्ध उत्पादन की स्थिति

तालिका क्रमांक – 2: छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन की स्थिति

वर्ष	**दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन में)**
2015-2016	10.8
2016-2017	14.6
2017-2018	22.9
2018-2019	48.4
2019-2020	74.3
2020-2021	98.7

www.cgudyog.com, www.cg.gov.in

उक्त तालिका क्रमांक – 2 वर्ष 2015-2016 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादन दर में वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।

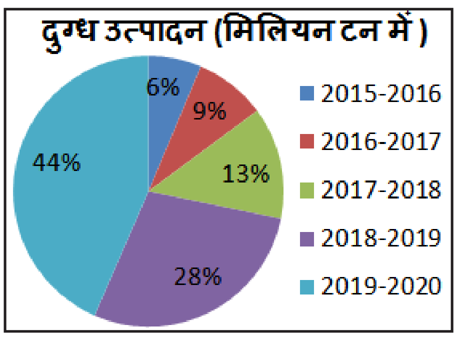

चित्र क्रमांक – 2 दुग्ध उत्पादन की स्थिति

भारतीय डेयरी उद्योग की चुनौतियाँ:

1. भारत में दूध तथा इसके उत्पादों के लागत मूल्यों पर नियंत्रण एक प्रमुख चुनौती है। साथ ही, भारतीय दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता भी दूध की उत्पादन लागत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।
2. भारत वैश्विक स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है लेकिन व्यापक उपभोग के चलते भारत का दुग्ध निर्यात संतोषजनक नहीं है।
3. अगले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मूल डेयरी उत्पादों जैसे- स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर की कीमत लगभग स्थिर रहने की सम्भावना है, जबकि भारत में दुग्ध उत्पादन के लिये आगत कीमतों में वृद्धि एक चिंता का विषय है।
4. कोविड-19 महामारीके कारण वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते दूध की आपूर्ति में बाजार आधारित माँग की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, जिससे दुनियाभर में दूध की कीमतों में गिरावट आई है। यह दुग्ध उत्पादक किसानों और डेयरी सयंत्र आपूर्तिकर्ताओं दोनों के लिये ही गम्भीर चिंता का विषय है।

चुनौतियों से निपटने हेतु सुझाव:

1. भारत का दुग्ध उत्पादन विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। इस उद्योग को आर्थिक उदारीकरण और आयात से बचाते हुए घरेलू दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।
2. भारतीय दुधारू पशुओं के कम उत्पादकता को प्रौद्योगिकी उपयुक्त प्रयोग तथा नवोन्मेष से हल करना होगा।
3. भारत का डेयरी उद्योग लगभग 10 करोड़ से भी अधिक डेयरी उत्पादकों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह उद्योग सामाजिक- राजनैतिक दृष्टि से भी अत्यधिक सम्वेदनशील है, जोकि आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्तवपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
4. भारत की डेयरी सहकारिता निजी क्षेत्र के सहयोग से अगले एक दशक में प्रति दिन 403-408 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है।
5. भारत को दुग्ध क्षेत्र में आगतों को नियंत्रित करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला की विसंगतियों को दूर कर उसे और अधिक दक्ष बनाना होगा।
6. भारत को दूध के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ एक प्रभावी दुग्ध निर्यात नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे भारतीय दुग्ध किसानों की वैश्विक बाजार तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
7. लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण दुग्ध क्षेत्र में माँग और आपूर्ति के अंतर को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दुग्ध उत्पादकों, प्रसंस्करण सयंत्र आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से संतुलन स्थापित किया जाना चाहिये, जिससे दुग्ध उत्पादन हेतु समग्र आर्थिक हितों का समायोजन किया जा सके एवं डेयरी उद्योग निरंतर आगे बढ़ सके।

निष्कर्ष – भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत में पहले से ही दुग्ध तथा इनके उत्पाद नैसर्गिक रूप से समाहित हैं। वर्तमान में, भारत को दुग्ध क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार, पशुओं की नस्ल सुधार, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, एक समग्र दुग्ध निर्यात नीति, सुगम ऋण सुविधा और ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को शहरी बाजार से जोड़ने जैसे महत्तवपूर्ण सुधारों पर बल देना होगा, तभी भारत आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत सरकार (2016 एवं 17): बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की एक शोध रिपोर्ट, नई दिल्लीय पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय।
2. देशमुख, एम.एस. (2014): भारत में डेयरी क्षेत्र का विकास और प्रदर्शन, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, वॉयस ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम। 31, 2 सितम्बर 2014.
3. टूर्स्टेन हेम (2013): दुनिया भर में दूध की कीमतों और उत्पादन लागत का अवलोकन, जर्मनी: आईएफसीएनअनुसंधान केंद्र।
4. भारत सरकार (2012-13): राष्ट्रीय डेयरी विकास रिपोर्ट (एनडीडीबी) वार्षिक रिपोर्ट।
5. कन्नन ई. बिरथल पीएस भारतीय डेयरी उद्योग की दक्षता पर व्यापार उदारीकरण का प्रभाव, जर्नल ऑफ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन, 17 : 2010.
6. छत्तीसगढ़ सरकार (2016 एवं 22): बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की एक शोध रिपोर्ट, नई दिल्लीय पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) January to March 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXIX

खिलचीपुर राज्य के दिवान अनोप सिंह और दिवान फतेहसिंह के शासन का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ.ओमप्रकाश गेहलोत*

प्रस्तावना - हटेसिंह के 18 पुत्रों में अनोपसिंह सबसे बड़े पुत्र थे। इनके 6 विवाह हुए थे। इनमें से एक रानी प्रख्यात सिसोदिया वंश के उदयपुर के महाराणा प्रताप के भाई की पुत्री थी। ये औरंगजेब के समाकालिन थे। 1679-80 ई.में दिवान अनोपसिंह को मुगल-मारवाड़ संघर्ष के समय अन्य खींची शासकों के साथ इनको भी अमंत्रण भेजा गया था। नागसिंह के बारे में पूर्व में लिखा गया है कि किस प्रकार नागसिंह ने संघर्ष किया, एवं अपने जीवन के अंतीम क्षणों तक अपने राज्य का रक्षण किया। नागसिंह की हत्या का बदला लेने का कार्य संवत् 1658 में पूरा किया। अनोपसिंह के सबसे बड़े बेटे हिम्मत बहादुर ने महानता का कार्य किया। उसने खिलचीपुर के दिवान बैजनाथ की सहायता लेकर छद्म वेश में अंग्रेजी नॉट में प्रवेश किया और कोटे के शासक से लंबा संघर्ष किया और अमरशाह की हत्या कर दी। इस प्रकार अपने दादा नागसिंह की जो हत्या हुई थी। उसका बदला ले लिया गया। जब हिम्मतबहादुर खिलचीपुर लौटा तो उसने अपने भाई फतेहसिंह के सहयोग से शासक बनने की घोषणा कर दी। इसके पश्चात् उसने चंद्रावतों के राज्य रामपुरा पर आक्रमण कर दिया। रामपुरा के चंद्रावतों ने उनका साथ नही देकर उनका प्रवेश निषेध कर दिया, क्योंकि खिलचीपुर के शासक अनोपसिंह का विवाह चंद्रावत राजकुमारी से हुआ था। अत: रामपुरा से लौटकर वे पुष्कर चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई।[1]

खिलचीपुर के शासक के रूप में 1653 ई. में दिवान अनोपसिंह गद्दी पर बैठे। भा.रा.मं.के ग्रंथ में इनके भाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है परंतु खि.रि.की ह.लि.ख्यात में इनके भाईयों के बारे में जानकारी का अभाव है। ये औरंगजेब के समकालिन थे।[2]

दिवान अनोपसिंह की 6 रानियों की जानकारी प्राप्त होती है, इनके नाम क्रमशः लाड़कुंवर, बखतकंवर, जेऊकंवर, और गुमानकंवर आदि। दिवान अनोपसिंह के समय में राज्य में जागीरें प्रदान की थी। ये जागीरें सन् 1958 ई. में प्रदान की गई जो इस प्रकार है-

जागीर प्राप्तकर्ता शासक	वर्ष	जागीर	सम्मिलित ग्राम
विजयसिंह	1658ई.	दण्ड	11
राजा दौलतसिंह	1658ई.	बामियाखेड़ी	4
सरदारसिंह	1658ई.	बड़वेली	1
सुरजमल	1658ई.	लसुल्डी	3
बासनसिंह	1658ई.	पपडेल	12
पृथ्वीसिंह	1658ई.	चमारी	3
जसवंतसिंह	1658ई.	अमानपुरा	4
ग्राममानसिंह	1658ई.	बरगुल्या	1

दीवान राजा अनोपसिंह की मृत्यु सन् 1718 (वि.सं.1775) में हुई। इनके साथ इनकी दो रानिया बखतकंवर राठौड़नी एवं बखतकंवर चन्द्रावती रामपुरा गाँव में सती हुई।[3]

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिवान राजा अनोपसिंह ने आपसी सौहार्द्र बड़ाने का प्रयास किया तथा अपने भाईयों से झगड़े समाप्त करने के लिए उनमें जागीरें बाँटकर राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इन जागीरों को बांटने के पश्चात् खिलचीपुर राज्य के सभी सरदार उनके प्रति प्रतिबद्ध रहे, जिससे उनके समय में राज्य में व्याप्त अंतर्कलह समाप्त हो गई और राज्य में सुख एवं समृद्धि व्याप्त हो गई।

दिवान फतेहसिंह द्वारा सन् 1718 ई. मे गद्दी पर बैठने की जानकारी खि.रि.की ह.ख्यात में प्राप्त होती है। भा.रा.मं. के ग्रंथ में इनको महमूद के समकालीन बताया गया है एवं उसमें लिखा है कि उस समय में ये विद्यमान थे।[4]

इस तथ्य पर विश्वास नही किया जा सकता। तत्कालीन स्रोतों से स्पष्ट होता है कि महमूद का समय 1000 ई. से 1026 तक का रहा। अत: किस प्रकार ये उसके समकालिन हो सकते है। इसको मानने में संदेह है। अत: इस ग्रंथ मे यह जानकारी गलत है।

बड़वा की पोथी के आधार पर इनके चार रानीयाँ क्रमश: कुसालकंवर, मोकवँर, आखाकवँर, गुमानकवँर की जानकरी प्राप्त होती है।[5]

अपने बड़े भाई हिम्मतसिंह द्वारा अपने दादा नागसिंह की मृत्यु का जिस प्रकार बदला लिया, वह इतिहास प्रसिद्ध कार्य था, परंतु अमरपुरा के चंद्रावत राज्य के संबंध में नागसिंह के कृत्य के कारण नागसिंह का निर्वासन एवं उनकी मृत्यु का सबसे अधिक फायदा उनके छोटे भाई फतहसिंह को प्राप्त हुआ। उनको सिंहासन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो पाई। अपके द्वारा किये गए निर्माण कार्यो में प्रमुख रूप से सन् 1718 में शहरपना कोट को पक्का कराने का विवरण मिलता है, साथ ही अगहन सुदी सप्तमी शनिवार सन् 1718 (वि.सं.1775) को राजमहल (किला निर्माण) का प्रारंभ करवाया। इस संबंध में लिखा है कि इसका उल्लेख पोथी में करने पर दीवान राजा फतेहसिंह ने बड़वा बखतसिंह को भेंट प्रदान की थी। दीवान फतेहसिंह ने रामचंद्र भगवान एवं नरसिंह भगवान के मंदिरो के निर्माण का कार्य भी सम्पन्न करवाया। खिलचीपुर राज्य में बहने वाली नदी पर आपने मसूरी बाँध का निर्माण कार्य करवाया। जब मराठा सरदार अपनी शक्ति को अर्जित करने का प्रयास करते हुए शाजापुर, सारंगपुर, राजगढ़ में अपने सैनिक बल की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उस समय दीवान फतेहसिंह ने अपने वकील पद्मसिंह को उनके साथ पेशावर में उपस्थित होकर उनकी सहायता

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) भारत

करने हेतु भेजा था।[6]

पेशवा की उपस्थिति में खिलचीपुर सुल्तान ने दुर्जनसाल को मान्यता प्रदान की थी एवं सन् 1738 के समझौते के तहत हाड़ा-खींची करारनामे को स्वीकार किया। जब मराठों ने कोटा और बूंदी की ओर अपने कदम बढ़ाये उस समय हाड़ा व खींची साथ-साथ थे। महाराजा दुर्जनसाल खींचीयों के राघोगढ़ को प्राप्त करने को लालायित थे। उस समय अनुकूल समय न जानकर वो रूके हुए थे। मराठे अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु समस्त हाड़ा क्षेत्र में घुम रहे थे। उनको प्रथम अवसर कछवाही रानी के कारण प्राप्त हो गया। अत: उन्होने सन् 1734 में बूँदी के राव बुद्धसिंह के मामले मे हस्तक्षेप किया। उसी वर्ष जब मराठो के संबंध में निर्णय लेने हेतु हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के दुर्जनसाल हाड़ा, राघोगढ़ के विक्रमादित्य व खींची प्रमुख के द्धारा भाग लिया गया। परंतु सम्मेलन के बावजूद मराठो के संबंध में संयुक्त कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त नही हुई। वहीं खान-ए-दौरान की अगुआई शाही प्रस्पिर्द्धा में मराठों के खिलाफ असफलता ही हाथ लगी। वहीं पेशवा बाजीराव ने 1735 ई. में उदयपुर, डुंगरपुर एवं सवाई जयसिंह के साथ वार्ता के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करके सन् 1737 में भोपाल व सन् 1738 में दुराई-सराय की सन्धि के माध्यम से निजाम को दक्षिण में बांधने में सफल रहा। अब अपनी परेशानियों का समना करने के पश्चात् पेशवा दुर्जनसाल को दण्डित करने के लिए कोटा की ओर अग्रसर हुआ, क्योकि दुर्जनसाल ने पेशवा के विरूद्ध निजाम को मजबुती देने का प्रयास किया था। अब कोटा महाराज ने पेशवा को 10 लाख रूपये का भुगतान करने का वादा किया। इससे संतुष्ट होकर पेशवा लौट गया, परंतु इससे राजपूतों के मन में मराठों के विरूद्ध अविश्वास की भावना घर करने लग गई थी।[7]

हाड़ाओं को 225 ग्राम की सनद प्राप्ति एवं हाड़ा-खीचीं संघर्ष की समाप्ति (सन् 1788)- कोटा के राजा दुर्जनसाल एवं खींची महाराज ने पूर्व समय में हाड़ों-खींची द्धारा मऊ मैदाना के लिए हाड़ोती क्षेत्र में संघर्ष एवं तत्पश्चात हाडाओ के हिम्मतबहादुर के द्धारा अमरसिंह को मारना आदि के लिए दोनो शक्तियों ने परस्पर दु:ख व्यक्त किया। कोटा के राजा दुर्जनसाल ने अपनी भूल को सुधारकर खिलचीपुर को 225 गाँवो की सनद प्रदान की जिसमें खाताखेड़ा परगना के 175 ग्राम, परगना भल्टा के 25 ग्राम तथा परगना बेलनपुर के 25 ग्राम सम्मिलित थे। इसके अलावा 32 ग्राम उमटवाड़ा के प्राप्त हुए, जिसका पत्र मेजर डुंगरसिंह खींची के माध्यम से रघुनाथ सिंह खींची तत्कालीन खिलचीपुर राज्य के निज सचिव द्धारा प्राप्त किया गया। इस समझौते के माध्यम से हाड़ा-खींचीयों के मध्य सीमा रेखा निश्चित हुई और खींचीयों द्धारा वचन दिया गया कि वे अब हाड़ौती क्षेत्र में अपना प्रसार नही करेंगे। साथ ही इस समझौते के माध्यम से यह कहा गया कि हाड़ा, राठौर, और खींची ठाकुर एक अग्रदूत के वंशज है व आपस में शत्रुता का भाव नही होना चाहिए।[8]

भा.रा.मं. के ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि हिम्मतसिंह ने अपना वकील पद्मसिंह को 1728 ई. के अमझेरा के युद्ध में पेशवा बाजीराव के पास में भेजा था। इस युद्ध के माध्यम से पता चलता है कि पद्मसिंह पेशवा के यहाँ चाकरी करता था।[9]

इस प्रकार स्पष्ट है कि फतेहसिंह के समय में हाड़ा और खींचीयो के मध्य के आपसी संबंधों में सुधार हुआ और हाड़ा शासक दुर्जनसाल ने खिलचीपुर को 225 गॉव की सनद प्रदान की। इसने पेशवा से भी अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया। फतेहसिंह के समय में खिलचीपुर राज्य की समूची प्रजा सुखी व सम्पन्न थी, क्योंकि राव फतेसिंह ने उनके लिए अनेक तालाब, मन्दिर और अनेक लोकहितकारी कार्य किए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editer- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.300,301
2. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम, देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्धितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 113
3. खिलचीपुर रियासत के बड़वा की हस्त लिखित पोथी बड़वा-गोपालदास पृ.क्र.10-11
4. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम, देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्धितीय संस्करण 2005 प्रकाशक- राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 113
5. खिलचीपुर रियासत के बड़वा की हस्त लिखित पोथी बड़वा - गोपालदास पृ.क्र.12
6. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editer- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.301
7. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editer- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.301,302
8. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editer- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.302,303
9. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम, देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्धितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 113

****